1960

Vol. I Nos. 8-17 : 10

CONTENTS

Friday, *the* 26*th* *February*, 1960

CHANDIGARH:

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab, 1960

Price : Rs. 4.80 nP.

Punjab Vidhan Sabha Debates

26th February,—1960

Vol. I, No 8

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday , the 26th February, 1960

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab,
1960

Price : Rs. 4.80 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 8 DATED THE 26TH FEBRUARY, 1960.

Read	*For*	*On page*	*Line*
Asked	Asputed	(8)9	29
Asked	Asputed	(8)10	3
Asked	Asputed	(8)12	5 and 29
unstarred	un-staraed	(8)29	Heading
supplementaries	supplementaris	(8)58	4th from below
IN	N	(8)61	8
अकाउण्ट	अकाउट	(8)93	2 in the margin
क़र्ज़	कज	(8)102	10

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 26th February, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh at* 9.00 *a.m of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO 5058

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमैंट Judiciary और Executive को अलग २ करने के क्या मायने लगाती है । आया इस से वह यह समझते हैं कि Magistrates, High Court के नीचे हों या कुछ और ?

Chief Minister : It is a delicate matter because it involves a question of interpretation. I require notice for this.

पंडित श्री राम शर्मा : गवर्नमैंट ने बताया है कि कुछ ज़िलों में Judiciary और Executive अलग 2 हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि वह किस sense में अलग 2 हैं ?

Chief Minister : It is a matter of interpretation. बाकी जहां यह अलग 2 किए हुए हैं, वह आप के सामने ही हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : आप इस separation का क्या मतलब लगाते हैं ?

मुख्य मंत्री : अगर मैं इस बात को study कर के बताऊँगा तो आप को भी फायदा होगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : आप खुद ही बतायेंगे या मुझे सवाल करना चाहिये ?

Chief Minister: It would be much better if you put in a fresh question

---

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

BANNING OF OBSCENE LITERATURE IN THE STATE

*5093. **Dr. Baldev Parkash :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have any machinery in the State to censor books which may contain obscene literature ; if so, the names of books banned for public sale during the year 1958-59 ; and punishment, if any, given to writers or publishers of such books ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes, arrangements exist for the examination of books, printed and published in the State. One copy of every book printed and published is deliverable by its printer to the State Govenment under section 9 of the Press and Registration of Books Act, XXV of 1867. Every book so delivered is scrutinized in the Press Branch of the Punjab Civil Secretariat and if it is found to contain objectionable matter such as obscene, appropriate action is taken. During the year 1958-59, no book was found containing obscene matter. The question of punishing its writer or publisher does not arise.

Note : Starred Question No. 5058 alongwith its reply appears in PVS debates Vol. I No. I dated the 24th February, 1960.

Shri Prabodh Chandra : May I put starred question No. 4887 on behalf of the hon. Member ? I have got a verbal permission from him in this connection.

Mr. Speaker : No please. A written authority is necessary.

MURDERS CASES

***4947. Shri Prabodh Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of cases of murders which occurred in the State district-wise during the year 1956-57, 1957-58, 1958-59 and 1959-60 (up-to-date) ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Murder cases in the State

District		Number of cases			
		1956-57	1957-58	1958-59	1959-60
1. Hissar	..	36	63	54	38
2. Rohtak	..	31	22	42	25
3. Gurgaon	..	20	17	15	15
4. Karnal	..	43	33	28	31
5. Ambala	..	30	18	18	23
6. Simla	..	1	1	3	..
7. Kangra		8	8	6	8
8. Hoshiarpur	..	16	28	22	13
9. Jullundur	..	45	42	55	45
10. Ludhiana	..	40	32	46	34
11. Kapurthala	..	6	9	6	..
12. Ferozepore	..	105	94	96	81
13. Amritsar	..	44	71	52	19
14. Gurdaspur	..	29	26	17	27
15. Patiala	..	41	39	34	25
16. Sangrur	..	43	68	65	45
17. Bhatinda	..	35	46	40	65
18. Mohindergarh	..	5	8	5	7
Total		578	625	604	501

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि क्या इस statement में दी गई murders की figures में वह लोग भी शामिल हैं जो encounters में मारे गए ?

उप मंत्री : इस में वह तमाम cases शामिल हैं जो murder की category में आते हैं ।

श्री प्रबोध चन्द्र : जो लोग encounters में मारे जाते हैं क्या उन को murders में गिना जाता है ?

उप मंत्री : अगर वह legally, murder की definition में आते हैं तो यह इस में शामिल होंगे ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं गवर्नमैंट की interpretation जानना चाहता हूँ ?

Mr. Speaker : No question of legal interpretation is involved here.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या इन murders में वह murders भी शामिल हैं जो report तो हुए मगर trace नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : आप इस का मतलब बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं । (The hon. Member is stretching its meaning too far.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मतलब तो निकालेंगे ही क्योंकि इन में गिने जाने की अब हमारी बारी भी आएगी । (हँसी)

श्री अध्यक्ष : इस में traced और un traced भी पूछ लेते । (Then he should have asked about the traced and untraced cases also in the question.)

श्री प्रबोध चन्द्र : मुझे जो list दी गई है उस में ज़िला बठिंडा में murder की तादाद 1958-59 में 40 और 1959-60 में 65 बताई गई है और महेन्द्रगढ़ में इन दोनों सालों की तादाद 5 और 7 बताई गई है । तो Pepsu के इलाके में murders के बढ़ जाने की वजह क्या है ?

उप मंत्री : Murders कोई खास ज़्यादा तो नहीं हैं । और जो होते हैं वह spontaneous acts के मातहत होते हैं जैसे कोई लड़ाई हो जाए या और कोई ऐसी बात हो जाए । इन murders के लिये जो कोई और reason होता नहीं । लेकिन जहां पर land disputes या old enemity की बिना पर ऐसी बात का डर हो वहां preventive measures लिये जाते हैं ।

Shri Prabodh Chandra : I did not ask for the psychological back ground, I want to know the specific reasons for the increased incidents of murders in the erstwhile Pepsu area.

श्री अध्यक्ष : ऐसी बातों में न जाइए । (The hon. Member may please avoid this).

श्री प्रबोध चन्द्र : कहते हैं कि Pepsu की Government efficient नहीं थी तो यह increase in number of murders इन की efficiency की निशानी है । मैं इस बात के reasons जानना चाहता हूँ कि पहले यह कम क्यों हुए और अब ज्यादा क्यों हुए ?

THE GRADES OF PAY OF FOOT AND MOUNTED POLICE CONSTABLES IN THE STATE

***5095. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Chief Minister be pleased to state the grades of pay of the foot and mounted Police Constables in the State together with the rates at which House rent, Travelling and other allowances are being paid to them at present ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : The requisite information is given in the enclosed statement.

Statement giving grades of pay of foot and mounted police constables in the State togther with the rates at which dearness allowance, house rent and travelling allowance are being paid to them at present.

	Grade of pay Rs	Special pay for mounted constable Rs	Dearness allowance
Constable (both foot and mounted Time scale,	45-1-60 ..	5 per mensem ..	Rs. 30 per mensem for pay upto Rs. 50 and
Constables (both foot and mounted S.G.) ..	50-1-60/2-80	Rs 5 Per mensem	Rs 40 for pay exceeding Rs. 50 per mensem

HOUSE RENT

All enrolled Police officers are entitled to free accommodation or house rent in lieu thereof. The rate of house rent allowance admissible to Constables (Foot and mounted) is given below—

1. In the Headquarter of Cantonments of—

(a) Simla ..	Rs 4 per mensem for married constables
(b) Ferozepur ..	Rs 3 per mensem Ditto
(c) Delhi (in respect of Government Railway Police only) Hissar, Rohtak Gurgaon, Karnal, Ambala, Hoshiarpur, Jullundur, Kangra, Ludhiana, Gurdaspur and Amritsar ..	Rs 2 Per mensem Ditto
(2) Elsewhere ..	Re. 1 Per mensem Ditto

TRAVELLING ALLOWANCES

Both mounted and foot Constables are classed as grade IV Government servants for purposes of travelling allowance. The rates of daily allowance and incidental charges admissible to them are as under :—

RATES OF DAILY ALLOWANCES

		Rs. A. P.	per day
Ordinary locality		0.10. 0	,,
expensive locality	(a) Hill Station	0 12 0	,,
	(b) Oustide Punjab State	.. 0 12 0	,,
	(c) Bombay and Culcutta	.. 1.0 0	,,
	(d) Lahaul and Spiti areas	.. 1. 4 0	,,

Rates of Mileage Allowance

(a) Stations connected by rail 1½ 3rd class rail fare or actual bus fare plus four pies per mile as incidental charges.

(b) Road by bus 0.1.0 per mile
By cycle or foot 0.1 .6 per mile

COMPENSATORY ALLOWANCE

Compensatory allowance at the rate Rs. 5 per mensem is admissible to all constables of S.A. P. in lieu of Daily Allowance and incidental charges. Those posted in the Lahaul and Spiti area are entitled to this allowance at the rate of Rs 10 Per mensem each.

श्री राम कुमार बिधाट : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए गवर्नमैंट इन grades को revise करने के बारे में कुछ सोच रही है ?

उप मंत्री (श्री हरबंस लाल) : यह grades 3, 4 दफा revise हो चुके हैं । Last time 1957 में Pay Committee की सिफारिशों के मुताबिक revise किए गए हैं ।

श्री प्रबोध चन्द्र : इन्हों ने बताया है कि Pay Committee की recommendations के मुताबिक grades बढ़ाए गए हैं ।

May I presume that the Goverment accepted the recommendations of the Pay Committee in toto in this case ?

उप मंत्री : इस के मुताल्लिक अगर कोई खास details चाहते हों तो अलग notice दें ।

श्रीमती सरला देवी : इन्हों ने बताया है कि 1956 में Pay Committee की सिफारिशों के मुताबिक grades revise किए गए हैं । तो क्या यह बतायेंगे कि 1956 से आज महंगाई कितनी ज़्यादा है ?

श्री अध्यक्ष : महंगाई का इस में ज़िक्र नहीं है । (There is no mention of dearness in the main question.)

श्रीमती सरला देवी शर्मा : इन्हों ने बताया है कि 1956 में grades revise किए थे । तो मैं ने पूछा है कि अब ज़्यादा महंगाई होने के कारण क्या फिर revise करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : इन्हों ने बताया है कि मुख्तलिफ वक्तों पर इन में changes की गई हैं और आखिरी जो Pay Committee की रिपोर्ट थी उस के मुताबिक यह तब्दील किए गए । (He has already stated that these grades were revised at different times and the last revision was made in accordance with the report of the Pay Committee).

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Foot constables को आज के ज़माने में इतना कम किराया देने की क्या वजह है ?

उप मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि Pay Revision Board की सिफारिशात पर यह सब कुछ मुकर्रर किया गया है । Mounted Constables and Foot Constables class IV employees की category में आते हैं; उसी के मुताबिक यह allowances fix किए गए हैं ।

श्री राम कुमार बिधाट : यह जो किराया 2 रुपए, 3 रुपए और 4 रुपए दिया जाता है क्या इस किराये पर कोई मकान मिल सकता है ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल नहीं बनता । (This is not a supplementary question.)

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि आया Pay Committee की सारी सिफारिशें मान ली गई हैं या उन का कुछ हिस्सा ?

उप मंत्री : जैसे मैं ने श्री प्रबोध चन्द्र के सवाल के जवाब में कहा था कि अगर आप को details चाहियें तो separate नोटिस दें।

पंडित श्री राम शर्मा : Deputy Minister साहिब ने बतलाया है कि उन्हों ने constables के लिये मकान के लिये allowance मुकर्रर किया है ; तो क्या उन्हों ने इस बात की satisfaction कर ली है कि इतने किराए पर मकान मिल सकता है या नहीं ?

उप मंत्री : सवाल satisfaction का नहीं यह तो Pay Committee की report में जो सिफारिशात की गई हैं उनकी रौशनी में इस तरह किया गया है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या किसी Report पर Government मजबूर और पाबन्द होती है कि उसकी सिफारिशात को मान ले या खुद भी उन सिफारिशात पर तवज्जोह देती है ?

श्री प्रबोध चन्द्र : Sub-Inspectors और constables को जो allowance दिया गया है इस में फर्क है। मैं यह जानना चाहता हूँ क्या एक Sub-Inspector का घोड़ा ज्यादा खाता है और एक constable का कम ?

उप मंत्री : यहां पर किसी घोड़े के कम या ज्यादा खाने का सवाल नहीं। यह तो different categories of officials हैं और उनके status के मुताबिक उन्हें allowances दिये जाते हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब, मेरा सवाल यह है कि एक category को 30 या 40 रुपए, constable को 50 रुपए और एक Sub-Inspector को 60 रुपए घोड़े के लिये दिए जाते हैं तो मैं यह जानना चाहता था कि क्या constable का घोड़ा कम खाता है और Sub-Inspector का ज्यादा ?

श्री अध्यक्ष : इस का जवाब आ गया है। मुझे खुशी है कि आप पुलिस की नुक्ताचीनी करते करते अब उस से हमदर्दी करने लगे। (This question has already been replied to. It is gratifying to note that the hon. Member has begun to sympathise with the Police after being critical about it in the past.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ constables ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ T.A. ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : The Deputy Minister has already stated that the recommendations of the Pay Committee in this case have been accepted and implemented.

श्री राम प्यारा : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि जो Daily Allowance दस आने या 12 आने रखा गया है क्या इस चीज़ को ascertain किया गया है कि 10 आने रोज़ में कोई constable रोटी खा सकता है या नहीं ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

CASES OF THEFT IN AREA OF P.S. FATEHABAD DISTRICT HISSAR

***5100. Shri Mani Ram Godara :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the number of cases of theft that occurred in the area under the jurisdiction of P.S. Fatehabad, district Hissar since the present S.H.O. took charge of the Police Station ;

(b) the number of persons arrested in connection with the theft cases referred to above, the number of cases in which challans were put up in courts and the number of cases in which stolen prope ty was recovered;

(c) the number of cases of theft that occurred in village Bhattu Kalan, P.S. Fatehabad, district Hissar during the period mentioned in part (a) above and the number of cases in which the culprits were traced ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : The reply ad seriatim is given below :—

(a) 13

(b)

Number of persons arrested	Number of cases in which challans were put up in courts	Number of cases in which stolen property was recovered
8	3	6

(c)

Number of cases that occurred in village hattu Kalan	Number of cases in which culprits were traced
2	2

श्री मनी राम गोदाड़ा : क्या Deputy Minister फरमायेंगे कि भट्टू कलां में जब Commissioner साहिब tour पर गए तो लोगों ने शिकायत की कि चोरी की रिपोर्ट का केस Police Station पर register नहीं किया गया था और इस पर क्या कारवाई की गई ?

उप मंत्री : इस के लिये मुझे अलहदा notice चाहिये ।

CANCELLATION/SUSPENSION OF ARMS LICENCES IN HISSAR

***5101. Shri Mani Ram Godara :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of cases in which Arms licences were cancelled or suspended and subsequently restored by the District Magistrate, Hissar during 1959 and January, 1960 with the full details of the persons concerned ;

(b) whether before the cancellation/suspension mentioned in part (a) above any enquiry was held ; if not, the reasons for cancellation/suspension ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a-b) It is not in public interest to disclose the information asked for. However, any specific case brought to the notice of Government will be duly looked into.

श्री मनी राम गोदारा : क्या मैं जान सकता हूं कि licences को restore करने और cancel करने में क्या public interest हो सकता है ?

चौधरी इन्द्र सिह : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि cancellation और suspension of arms licences किसी Act के मातहत होता है या यह discretionary होता है ?

उप मंत्री : यह Act के मातहत होता है ।

चौधरी इन्द्र सिह : अगर यह किसी Act के मुताबिक होता है और इसकी copies public को मिल सकती हैं तो इस में public interest कैसे involve होता है ?

उप-मंत्री : आया copies मिल सकती हैं या नहीं यह तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता लेकिन यह जो administrative nature के orders होते हैं इनकी copies नहीं मिल सकतीं ।

GRANT OF ARMS LICENCES BY THE DISTRICT MAGISTRATE, HISSAR

***5102. Shri Mani Ram Godara :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of persons with their addresses to whom arms licences were granted by the District Magistrate, Hissar, during the years 1958, 1959 and January, 1960, without calling any report from the police authorities concerned ;

(b) whether any of the suspended arms licences were restored by the said officer during the above referred to period ; if so, the number of cases in which these were restored and the reasons therefor ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a and b) It is not in public interest to disclose the information asked for. However, any specific case brought to the notice of Government will be duly looked into.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि कितने ऐसे arms की restoration के cases हैं जहां पर पुलिस की तरफ से कोई report नहीं मांगी गई ; और licences क्यों cancel किए गए ?

Chief Minister : It is the right of the Government to cancel or grant a licence.

INCREASE IN WATER SUPPLY FOR IRRIGATION PURPOSES IN THE STATE

***4848. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the *Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the annual increase in water-supply for irrigation purposes in the State during the period form 1952-53 to 1959-60

(b) the additional expenditure incurred for the said increase in water-supply ?

Shri Mohan Lal : (a)

Year		*Increase in water Supply*
1952-53	..	6,34,190 Cs. Days
1953-54	..	3,59,785 ,, ,,
1954-55	..	2,69,967 ,, ,,
1955-56	..	10,87,100 ,, ,,
1956-57	..	1,32,928 ,, ,,
1957-58	..	3,30,794 ,, ,,
1958-59	..	2,53,234 ,, ,,
1959-60	..	1,93,552 ,, ,,

(up to December, 1959)

(b)

Rs. 4817 Lacs (From 1952-53 to 31st December, 1959)

श्री अध्यक्ष : Starred Questions No. 5049 और 5050 एक ही subject पर होने के कारण यह दोनों सवालात इकट्ठे कर दिए गए हैं इस लिये इन के जवाब इकट्ठे ही आयेंगे । (The starred question Nos. 5049 and 5050 being on the same subject, have been put together and will be answered together. The supplementaries may be asked on both of them.)

REPRESENTATION FOR REDUCTION IN BETTERMENT LEVY

***5049. Sardar Umrao Singh** (Asputed by Sardar Atma Singh) : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have received any representations for the reduction of Betterment Levy in the State ; if so, the names of persons or parties from whom representations have been received along with the contents of these representations ?

Shri Mohan Lal : Yes. The time and trouble involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Note *The Minister for Irrigation and Power being away, all the questions. Standing in his name were replied to by the Minister for Industries Shri Mohan Lal.

APPOINTMENT OF A COMMITTEE TO CONSIDER THE QUESTION OF REDCUTION OF BETTERMENT LEVY

***5050. Sardar Umrao Singh** (asputed by Sardar Atma Singh) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government have appointed any Committee to consider the question of reduction of Betterment Levy in the State ; if so, the names of the members of such Committee and its terms of reference ;

(b) whether any meeting of the above said Committee has been held so far ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. A statement is laid on the Table of the House.

The Committee will consider the various suggestions made in regard to the quantum of Betterment Levy and will make recommendations in respect thereof keeping in view the financial requirements of the State for future development.

(b) No.

Statement showing names of the Members of the Committee to consider the question of reduction of Betterment Levy in the State.—

1.	S. Darbara Singh, M.L.A.	.. Chairman
2.	Chaudhri Sahib Ram, M.L.C.	.. Member
3.	Shri Karnail Singh, ex-M.L.A., V. Habiana, district Hissar	.. Do
		.. Do
4.	Shri Surjeet Singh, Tohana	.. Do
5.	Ch. Shri Chand, M.L.A., Rohtak	.. Do
6.	Prof. Sher Singh, M.L.A., Rohtak	.. Do
7.	Shri Jagdish Chand, M.L.A., Karnal	.. Do
8.	S. Bhagwant Singh, Advocate, Patiala	.. Do
9.	S. Harchand Singh, M.L.A., Patiala	.. Do
10.	S. Rajinder Singh, M.L.A., Sangrur	.. Do
11.	Shri Albel Singh, ex-M.L.A., Sangrur	.. Do
12.	Shri Pritam Singh Maufar, Bhatinda	.. Do
13.	Shri Harcharan Singh, M.L.A., Ferozepur District	.. Do
14.	Ch. Balram of Panj Kosi, Ferozepur District	.. Do
15.	S. Ajmer Singh, M.L.A., Ludhiana	.. Do
16.	S. Harbans Singh, village Karnana, district Jullundur	.. Do
17.	Shri Suraj Bhan, Bhatinda	.. Do
18.	Shri Kartar Singh Sahi Kapurthala	.. Do
19.	Com. Harkishan Singh Surjeet, C·P.I., Jullundur	.. Do
20.	S. Jagjit Singh Lyallpuri, Kisan Sabha, Jullundur	.. Do
21.	Shri Gurbachan Singh, Radio of Amritsar	.. Do
22.	Shri Mehr Chand Ahuja, Chandigarh	.. Do
23.	Jamadar Prabhu Singh, Bhawani Khera, district Hissar	.. Do
24.	Shri Kanahya Lal Poswal, Advocate, Gurgaon	.. Do
25	Dr Lekh Raj, Jullundur	.. Do

Shri Prabodh Chandra : Sir, the question is whether any representation for the reduction of betterment levy has been received. May I know how the question of time and trouble is involved in this case ?

Minister for Industries : Sir, it is not the question of giving the number of representations received by the Government but of giving the names of persons or parties from whom representations have been received together with the contents of each representation. It does involve enough of time.

श्री प्रबोध चन्द्र : यह जो इस का part (b) है कि whether any meeting of the above said committee has been held so far.

Mr. Speaker : No please, this is not the question.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ committee ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ appoint ਕੀਤੀ ਗਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦਾ notification ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ; 30 ਦਸੰਬਰ, 1959 ਨੂੰ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ; ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ......(*Interruptions*)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : No please, ਹੁਣ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛਡੋ । ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । (No, please. The hon. Member may leave the topic of Gurdwaras. It is over now.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ convener ਕੌਣ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : इस कमेटी की अपनी Report शाया करने में अभी कितना वक्त लगेगा ?

मंत्री : अभी इन्हों ने meeting नहीं की ; जल्दी ही इस पर विचार करके अपनी Report देंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ Notification 30 ਦਸੰਬਰ, 1959 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ date ਅਜੇ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਓਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि पंजाब Government ने Central Government को कोई चिट्ठी betterment levy में कमी करने के बारे में लिखी ? अगर ऐसा हो तो उस में क्या कुछ लिखा है ?

Mr. Speaker: This question does not arise. It is not relevant.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ Cabinet ਦੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ appoint ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? (The hon. Member is now happy. What is need for a reply ?)

PERSONS CHALLANED FOR USING THE BANK ROADS OF GREY CANALS

*5065. **Sardar Gurwaryam Singh** (asputed by Shri Balram Das Tandon) : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of persons challaned under section 70 of the Northern India Canal and Drainage Act (No VIII of 1873) in respect of the Grey Canals in Ferozepur District with the amount of fine imposed on them as well as recovered during the period from September, 1959 to-date ?

Shri Mohan Lal :

			Rs
1.	Persons challaned	..	1.00
2.	Fine imposed	..	10.00
3.	Fine recovered	..	10.00

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मिनिस्टर साहिब ने यह verify कर लिया है कि एक ही आदमी का challan हुआ है ?

उद्योग मंत्री : मिनिस्टर साहिब के पास जो information collect हो कर आई है, यह जवाब उस के मुताबिक है ।

श्री बलराम दास टण्डन : यह, स्पीकर साहिब, एक आदमी का चालान नहीं हुआ बल्कि बहुत से आदमियों का हुआ है और उन को fines भी हुए हैं ।

Mr. Speaker : I will not allow such an explanation. Only supplementary qusetions should be put.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, इस बात के हमारे पास proofs मौजूद हैं । उन के चालान हुए हैं और उन के पास रसीदें मौजूद हैं ।

Mr. Speaker : The hon. Member may send to me the information in his possession which shows that the information given by the hon. Minister is contradictory to the facts.

FIDAVAH CANAL OF GREY CANAL SYSTEM

*5066. **Sardar Gurwaryam Singh** (asputed by Shri Balram Das Tandon) Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date when water started flowing in the Fidavah Canal of the Grey Canal system in district Ferozepore ;

(b) whether any compensation has been paid to those land owners whose land was covered by the course taken by the said canal; if so, what and if not the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : (a) 13th May, 1959

(b) No land has been acquired for the said canal. Hence, the question of compensation does not arise.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिस फिदावा कैनाल में पानी का चलना बताया गया है कि 13 मई 1959 को चालू हुआ था। इस में तो पिछले 50 साल से पानी चल रहा है। 13 मई 1959 को क्या चालू किया गया ?

श्री अध्यक्ष : जब आप को पता है कि वहां पिछले 50 साल से पानी चल रहा है तो इस question के लाने की ज़रूरत क्या थी। (When it is in the knowledge of the hon. Member that the water is flowing for the last 50 years then what is the use of putting this question?)

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब, मेरा मतलब यह है कि जब पहले 50 साल से पानी चल पड़ा था तो उस का उस वक्त से Compensation क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : यह बात मेरी समझ में तो नहीं आई। (Addressing the hon. Minister) आप ही बतायें कि इस में बात क्या है ? (I have not been able to follow the hon. Member. (Addressing the hon. Minister) He may kindly tell what the matter is.

उद्योग मंत्री : इस में, जनाब, दरअसल इन को ग़लतफहमी हुई है। फदावा नहर एक कदीम है और एक जदीद है। (*Interruption*)

चौधरी इन्द्र सिंह : इसमें जदीद कहां से आ गई। फदावा minor तो एक ही है।

Minister : I am still giving the information. I am stating how the confusion has arisen in the mind of the honourable Member.

Under Bhakra Nangal Project the remodelling of above channel was not proposed and as such no action was taken.

On receiving demand of the Zamindars this channel was opened on 13th May, 1959, and on further investigation it has been proposed by the Executive Engineer to the Superintending Engineer to remodel the channel. The proposal of remodelling is with the Superintending Engineer who is examining this issue.

SINKING OF TUBE-WELLS IN THE STATE

***5098. Chaudhri Chambel Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State whether there is any scheme under the considera-tion of Government to sink more tubewells in the State in the near future; if so, the number out of them likely to be allotted to Karnal District ?

Shri Mohan Lal : There is no proposal to sink any more State Irriga-tion tubewells. There is, however, a proposal to sink State antiwaterlogging shallow tubewells but for want of detailed investigations Districtwise figures are not available.

[Minister for Industries]

In addition there is also a proposal to get private Irrigation Tube-wells sunk through Zamindara Co-operatives by advancing them loans and their districtwise break-up is also not yet ready for want of detailed investigations.

CONSTRUCTION OF PACCA DRAINS FOR GOVERNMENT TUBEWELLS

***5099. Chaudhri Chambel Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to construct pacca drains for Government tubewells in the State ?

Shri Mohan Lal : No.

श्री राम प्यारा : क्या government ने इस House में कोई Assurance नहीं दी थी कि Tube-wells की नालियां पक्की कर दी जायेंगी ?

उद्योग मंत्री : मुझे ज़बानी याद नहीं ।

श्री राम प्यारा : जनाब, मेरी यह इलतजा है कि Government इसे अभी pending ही रखे ; इस का जवाब परसों को दे दे ।

Mr. Speaker : If the hon. Member knows the date when the assurance was given, he should tell the same. All the assurances go to the Committee on Government Assurances and are printed in its report. The hon. Member can trace and bring the same to my notice.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ tube-wells ਹਨ ਜਿਥੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ drains ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; separate notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

चौधरी चम्बेल सिंह : क्या गवर्नमैंट को यह इल्म है कि जो drains पक्की बनी हुई हैं, वह बिल्कुल टूट चुकी हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह supplementary नहीं है [This is no supplementary]

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: क्या वज़ीर साहिब, बतायेंगे कि जो नालियाँ बनाई थीं, वह साबित हैं या टूटी-फूटी ?

मंत्री : इसके लिये दरियाफ्त करना पड़ेगा । मुझे पता नहीं किस हालत में हैं । I will have to enquire.

HOSPITALS SELECTED FOR PROVIDING AID BY U.N.I.C.E.F.

***4826. Shri Rup Singh Phul :** Will the Chief Minister be pleased to state the number and names of the Hospitals in the State selected for providing aid by the U.N.I.C.E.F., the details of the aid given or proposed to be given in each case and the amount thereof ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : 11 Hospitals have been selected in this State for providing aid by the U.N.I.C.E.F.

1. Ajnala, district Amritsar.
2. Charkhi Dadri, district Mohindergarh.
3. Sirsa, district Hissar.
4. Rupar, district Ambala.
5. Sonepat, district Rohtak
6. Nabha, district Patiala.
7. Fazilka, district Ferozepore.
8. Moga, district Ferozepore.
9. Ludhiana .
10. Batala, district Gurdaspur.
11. Rewari, district Gurgaon.

Hospital equipment released by the U.N.I.C.E.F. comprises of essential imported articles like Refrigerators, Sterilizers, Examination tables, metal instruments, Rubber and plastic goods, instruments for diagnostic and operative purposes etc.

The cost of equipment for each Hospital is :—

		Rs
1.	Ajnala	.. 2,244.84
2.	Charkhi Dadri	.. 2,861.46
3.	Sirsa	.. 3,092.59
4.	Rupar	.. 2,954.75
5.	Sonepat	.. 2,625.98
6.	Nabha	.. 2,534.82
7.	Fazilka	.. 1,194.04
8.	Moga	.. 1,595.52
9.	Ludhiana	.. 2,530.48
10.	Batala	.. 2,767.888
11.	Rewari	.. 3,221.69

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ selection ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਯਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : U. N. I. C. E. F. ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ hospitals recommend ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ accept ਕਰ ਲਏ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਕੀ ਸਨ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : U.N.I.C.E.F. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ।

PRIMARY HEALTH CENTRES

*4827. **Shri Rup Singh 'Phul'**; Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Primary Health Centres sanctioned in the State during the current financial year ;

[Shri Rup Singh Phul]

(b) the number of centres referred to above which are proposed to be located in Kangra District and the names of places where these are proposed to be located ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deptuy Minister) : (a) 27.

(b) 3. (at Jawalamukhi , Palampur and Banjar)

CONVERSION OF PRIMARY HEALTH CENTRES INTO REFERAL HOSPITALS

***4828. Shri Rup Singh Phul :** Will the Chief Minister be pleased to state the number and names of Primary Health centres in the State proposed to be converted into Referal Hospital during the current or next financial year along with the number and names of such hospitals proposed to be located in Kangra District ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : Nil.

TREATMENT OF T. B. PATIENTS IN DHARAMPUR HARDINGE SANATORIUM

***5016. Dr. Bhag Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that every T. B. patient other than a Government employee under treatment in the Dharampur Hardinge Sanatorium is discharged from the Sanatorium after one year;

(b) whether it is also a fact that Government employees are discharged only after cure;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above are in the affirmative the reasons for the difference?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : (a) Under the existing rules regarding admission of T. B. patients the operative and bilateral cases are not allowed to stay in a Sanatorium for more than the stipulated period of 6 to 9 months, respectively irrespective of the fact whether they are Government servants or not. This period is, however, extended upto one year only in exceptional cases by the Medical Superintendent of the institution concerned.

(b) As (a) above. No discrimination in the matter of discharge of T.B. patients from T. B. Hospital/Sanatorium is made.

(c) Question does not arise in view of (a) and (b) above.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या डिप्टी मिनिस्टर यह बतायेंगे कि जब T. B. Sanatorium में दाखिल होने के बाद मरीज़ को आराम नहीं होता तो गवर्नमैंट उनको हटाने के लिये क्या करती है ; ऐसी कोई बात है ?

उप मंत्री : जिन cases में डाक्टर यह देखते हैं कि वे cure होने वाले नहीं हैं, तो उनको discharge कर दिया जाता है। और दूसरे मरीज़ों को जो deserving होते हैं, chance दिया जाता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : कोई टाइम रखा है कि certain period तक उसका इलाज किया जाएगा ?

उप मंत्री : एक साल के बाद patient को discharge कर दिया जाता है और दूसरे को chance दिया जाता है।

पंडित श्री राम शर्मा : जो मरीज़ discharge कर दिये जाते हैं क्या उनको और कहीं रखने का इंतज़ाम है ?

उप मंत्री : उनके लिये outdoor का इंतज़ाम किया है, वहां इलाज कराते रहते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ correct **ਹੈ ਕਿ** T.B. sanatorium **ਵਿਚ** beds **ਦੀ** acute shortage **ਹੈ ?**

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ correct **ਹੈ ।**

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਹ acute shortage **ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ** steps **ਲਏ ਹਨ ?**

श्री राम प्यारा : क्या सरकार के नोटिस में ऐसी कोई इत्तला है कि beds मिलने से पहिले कुछ मरीज़ मर भी गए ? (हँसी)

श्री **श्री** कृष्ण शास्त्री वैद्य : क्या उप मंत्राणी जी बतायेंगी कि एक मरीज़ को एक महीने में कितने injections लगाए जाते हैं ?

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਹ, ਜਨਾਬ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਆ ਮੁਖ ਮੰਤਰਾਨੀ ਜੀ ਬਤਲਾਇੰਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ।

श्री श्री कृष्ण शास्त्री वैद्य : जनाब, मैं ने उप मंत्रानी कहा है । अगर सभा बिना पढ़े लिखों की हो तो मेरा क्या दोष ?

श्री अध्यक्ष : उन्हें मंत्री कहते हैं । (She is called mantri)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ beds **ਵਧਾਏ ਜਾਣ ?**

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਬੇਹਦ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ । ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir, स्पीकर साहिब एक hon. Member ने कहा था कि अगर यह सभा अनपढ़ों की हो तो मैं क्या करूँ। क्या वह ऐसा कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगर वह hon. Member गलत कहते हैं तो वह अनपढ़ हैं और अगर उन की बात को कोई गलत समझता है तो वह भी अनपढ़ है। House का इस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। (If hon. Member mentions a thing the designation of the Deputy Minister) wrongly, then he is illiterate and if somebody else misunderstands him then he too may be considered as illiterate. The House is hardly concerned with it).

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या Deputy Minister, Health यह बतायेंगी कि government ने Doctors की कोई ऐसी Committee बनाई हुई है जो इस बात की खोज करती हो कि T. B. के cases क्यों ज़्यादा हो रहे हैं ?

उपमंत्री : हां जी, इस तरह की Committee बनाई हुई है और वह साल में दो तीन बार meet करती है और वह सलाह देती है कि लोगों की Heath को improve करने के लिये कौन कौन से measures adopt करने चाहियें।

INCREASE IN THE PRODUCTION OF ELECTRICITY IN THE STATE

***4847. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the annual increase in the production of electricity in the State during the years from 1952-53 to 1959-60;

(b) the annual increase in the expenditure during the said period?

Shri Mohan Lal : A statement showing the annual increase in the production of Electricity and working expenses during the years 1952 to 1960 is laid on the table of the House.

(a) *Production of Electricity*

Year		Units generated	Annual increase
1952-53	..	157,530,090	—17,824,110
1953-54	..	157,188,090	—342,000
1954-55	..	190,323,400	33,135,310
1955-56	..	329,482,570	139,159,170
1956-57	..	453,456,448	123,973,878
1957-58	..	630,548,922	177,092,474
1958-59	..	671,589,370	41,040,448
1959-60	..	As the year is still in progress, the information is not yet available.	

(b) *Expenditure—Working expenses*

Year		Maintenance proper	Increase
1952-53	..	1,635,083	508,028
1953-54	..	2,646,100	1,011,017
1954-55	..	2,514,617	—131,483
1955-56	..	10,836,337	8,321,720
1956-57	..	12,839,452	2,003,115
1957-58	..	23,399,948	10,560,496
1958-59	..	25,783,366 up to March, 1959	2,383,418
1959-60	..	As the year is still in progress, the information is not yet available.	

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब वज़ीर साहिब ने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : यह financial year तो अभी चल रहा है। वज़ीर साहिब आप को जवाब कैसे दें। (This financial year is still continuing. How can the Minister give you a complete reply.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो उन्होंने खर्च बताया है वह State Government के खज़ाना से ही किया है या Centre की तरफ से जो इमदाद मिलती है वह भी शामिल है ?

उद्योग मंत्री : जो different schemes हैं भाखड़े की, for instance Kotla की scheme है, गंगूवाल की scheme है, उन पर जो Centre से loan वगैरह लिया जाता है उस में से भी खर्च किया जाता है। As the year is still in progress, the information is not yet available.

SUPPLY OF ELECTRIC ENERGY IN THE STATE AND TO OTHER STATES

*5051. **Sardar Umrao Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the quantity of energy expected to be generated after the completion of the Left Bank Power House at Bhakra;

(b) the quantity of electric energy mentioned above proposed to be supplied in the State and to other States separately?

Shri Mohan Lal : (a) 2,12,000 KW (Firm Power).

(b) (i) Delhi State—40,000 KW.

[Minister for Industries]

(ii) Nangal Fertilizer Factory—1,60,000 KW.

(iii) The balance available, after meeting with the common pool commitments, would be shared between Punjab and Rajasthan in the ratio of 84.78 and 15.22 per cent respectively.

LOAN GIVEN TO MESSRS HAMIRA SUGAR MILLS

*4948. **Shri Prabodh Chandra :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the amount of the loan given by Government to the Hamira Sugar Mills ;

(b) whether the re-payment of loan by the said Mill is in accordance with the terms of the loan; if not, the steps taken to realise the outstanding loan?

Shri Mohan Lal : (a) Government have not advanced any loan to this Mill, but have purchased debentures of the value of Rs. 20 lakhs, which bear interest at 6 per cent per annum and are redeemable in fifteen years.

(b) No. As the Company has failed to pay the amount of interest due to Government on debentures, steps are being taken to recover the amount of loan etc. through sale of mortgaged property.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि first instalment of interest कब due थी ?

उद्योग मंत्री : मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि Government ने different dates पर debentures लिये थे। इस लिये उन के interest की भी different dates हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं पूछना चाहता हूँ कि जो debentures पहले लिये गए थे उन का interest कब due था।

मंत्री : इस के लिये आप separate notice दें।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Government ने इस Mill के fail होने की वजूहात जानने की कोशिश की है या नहीं ?

Mr. Speaker : The Mill has not failed but it has failed to make the payment.

Shri Dev Dutt Puri: Will the Minister for Industries be pleased to state whether it is a fact that the assets mortgaged as security in debentures have been sold; if so, whether the consent of the Punjab Government has been obtained?

Minister : The sale is being finalized and the formalities are being completed.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह debentures पंजाब Government ने कब लिये और क्यों लिये ?

मंत्री : यह debentures तीन different dates पर लिये गए थे। 13 नवम्बर, 1954 को 10 लाख के लिये गए थे, 20 नवम्बर, 1954 को पांच लाख के लिये गए थे और 20 मई, 1955 को पांच लाख के लिये गए थे। यह erstwhile Pepsu Government ने industry को encourage करने के लिये खरीदे थे।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ debentures ਖੀਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ interest ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

मंत्री : हां जी, अब तक एक लाख 25 हज़ार रुपया interest का वसूल किया गया है।

RAID BY S. H. O. ABOHAR ON VILLAGE DHANI SABHA SINGH DAKHLI TEHSIL ABOHAR, DISTRICT FEROZEPORE

***5017. Dr. Bhag Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any raid was conducted by the S. H. O. Abohar, district Ferozepore, along with the Sub-Inspector Excise on 29th November, 1959 in village Dhani Sabha Singh Dakhli, tehsil Abohar in connection with illicit liquor.

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the number of persons arrested/challaned and their names;

(c) whether any illicit liquor was recovered as a result of the said raid?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

REPRESENTATION OF PUNJAB DENATURED SPIRIT DEALERS ASSOCIATION

***5081. Shri Inder Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether Government have recently received any representation from the Punjab Denatured Spirit Dealers Association asking for the abolition of sales tax on spirit; if so, the action, if any, taken thereon?

Dr. Gopi Chand Bhargava : Yes, Sir. A representation dated the 25th December, 1959 was received from the Punjab Denatured Spirit Licensees Association, Yamuna Nagar and it was rejected as it was considered to be without any basis.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि वे कौनसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर उनकी representation को reject किया गया है ?

वित्त मंत्री : उनकी representation यह थी कि जब Motor Spirit पर duty लगती है तो spirit पर sales tax नहीं लगना चाहिये । हम ने कहा है कि Motor spirit पर तो duty लगती है लेकिन denatured Spirit पर नहीं लगती है इस लिये sales tax लेना जरूरी है क्योंकि schedule में जो exemption है वह उन चीज़ों पर है जिन पर duty लगाई जाती है। sales tax उन्हों ने खुद नहीं देना है, वह तो consumers से ले कर ही देना होता है ।

GOVERNMENT FINISHING CENTRE, PANIPAT

***4915. Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the Government owned Finishing Centre, Panipat is in working order; if so, the details of work done at this centre during the period from 1957 to December, 1959;

(b) whether any private firms have applied to the Industries Department for permission to start their own Finishing Centres at Panipat; if so, the names of such private firms; the dates of submitting the applications and the action which Government have taken or propose taking thereon.

(c) the amount of profit earned or loss sustained by Government yearwise on the said centre during the period referred to in part (a) above?

Shri Mohan Lal : (a) The Government Woollen Industries Development Centre is working satisfactorily. A statement containing details of work done by the Centre for the period from 1957 to the end of 1959 is laid on the table of the House.

(b) No party has so far applied for the grant of a license under the Industries (Development and Reg.) Act for the establishment of a Finishing Plant at Panipat.

(c) A statement is laid on the table of the House.

(a) Year	Cloth produced	Dyed and finished	Designs introduced	Sale proceeds	Number of persons benefited	Cloth Calendered
1	2	3	4	5	6	7
	Yards	Yards		Rs		Yards
1957-58 ..	7,603	1,62,890	21	83,997	292	..
1958-59 ..	7,997 900 (Sq. ft. Munj Tats)	1,64,717	42	98,303	194	17,394
1959-60 .. up to 31st December, 1959	3,374	128,213	36	61,535	370	29,933

(b) Year		Profit earned
		Rs
1957-58	..	5,926
1958-59	..	6,597
1959-60 up to 31st December 1959	..	3,954

डाक्टर परमानन्द : जनाब, यहां बताया गया है कि 1957-58 में 7,603 गज़ कपड़ा produce हुआ और 1959-60 में सिर्फ 3,374 गज़ हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस कमी का क्या कारण है ?

मंत्री : कौनसी figures आप बता रहे हैं ? मुझे तो समझ नहीं लगी ।

श्री राम प्यारा : जनाब, सवाल यह है कि जब वह work centre satisfactory तौर पर चल रहा है तो 1958-59 के मुकाबले में वहां 1959-60 में production कम क्यों हुई है ?

मंत्री : आप देखें 1957-58 में 7,603 गज़ और 1958-59 में 7,997 गज़ कपड़ा बना। तो इस में कमी कहां हुई है ?

श्री राम प्यारा : मैं 1959-60 की बात कर रहा हूँ कि इस साल सिर्फ 3,374 गज़ कपड़ा बना। इस कमी का क्या कारण है हालांकि आप कहते हैं कि काम तसल्लीबख्श हुआ है ?

मंत्री : यह figures दिसम्बर तक हैं। अभी तीन महीने और बाकी पड़े हैं ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि 1958-59 के मुकाबले में 1959-60 में मुनाफा कम क्यों हुआ है ?

मंत्री : अभी साल चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। यह तो दिसम्बर तक की figures हैं।

PALM GUR CENTRES STARTED IN THE STATE DURING THE YEAR 1959

***5082. Chaudhari Inder Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total number of Palmgur Centres started in the State during the year 1959, districtwise and the amount given by Government to each centre as aid;

(b) the total number of persons employed at present in the said centres?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) and (b) A statement containing the information is laid on the table of the House.

PALM GUR CENTRES (1959-60)

Name of District		Total number of Palm Gur Centres	Financial Aid		Number of persons employed
			Grant Rs	*Laon*	
Ambala	1. Chamkaur Sahib	1	2,861.01	..	12
	2. Panch Kula	1	700	..	4
Karnal	Radaur	1	1,100	..	8
Gurgaon	Tilpat	1	900	..	15
Jullundur	Urmar Tanda	1	..	..	3
Gurdaspur	Jhakulari	1	1,050	..	5
Kangra	Mangowal	1	..	..	3
Amritsar	Baga	1	1,500	700	3
Patiala	Patiala	1	1,300	..	7
Total		9	9,411.01	700	60

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब यह statement तो मुझे नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष : जरूर मिली होगी मगर आप भूल गए होंगे. . . .यह देखें मेरे पास आपके हस्ताक्षर मौजूद हैं कि मिल गई है (हँसी)

(I think, the hon. Member must have got it but it has gone out of his mind...........Here I have got his signatures with me which show that he has got it (*Laughter*).

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन दो सैंट्रों को कोई aid नहीं मिली है उसकी क्या वजह है ?

वित्त मंत्री : मंगवाल सैंट्र जो जिला कांगड़ा में है उसका काम एक institution को दिया हुआ है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड जो यह काम करता है उसको यह मिली है। तो यह aid उसमें शामिल होगी।

चौधरी इन्द्र सिंह : जब यह सैंट्र मौजूद है तो क्या वजह है कि यह काम Board को दिया हुआ है और यह aid उनको क्यों नहीं मिलती है ?

मंत्री : मैं समझ नहीं पाया हूँ कि आप क्या चाहते हैं लेकिन मैं इनकी working explain कर देता हूँ। जब यह सैंट्र शुरू किया तो कमीशन के जो आदमी थे वह यह काम societies की मारफत चलाते थे । अब Board ने यह काम अपने ज़िम्मे ले लिया है और वह आगे societies को देता है। कुछ co-operative societies बनी हैं और कुछ training का काम Board खुद करता है ।

SCHEMES OF IMPROVEMENT TRUSTS OF AMRITSAR AND JULLUNDUR

*5069. **Shri Balram Dass Tandon** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the details of the schemes finalized by the Improvement Trust of Amritsar and Jullundur and approved by Government during the last three years;

(b) the total area acquired by the Trusts under each of the schemes referred to in part (a) above separately from the Rahabilitation Department and from the public;

(c) whether any compensation for the land acquired mentioned in part (b) above has been paid; if so, what;

(d) whether the area referred to in part (b) above is being sold by the Trusts to the Public; if so, at what rate?

Shri Mohan Lal : (a), (b), (c) and (d) A statement has been placed on the table of the House.

STATEMENT

Amritsar Improvement Trust

Serial No-	Name of the Scheme	Total evacuee area in square yards	Total non-evacuee area in square yards	Total area in square yards	Total Compensation paid to Rehabilitation Department	Total Compensation paid to non-evacuees	Total Compensation	Whether land sold if so, the rate per square yards
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.					Rs	Rs	Rs	
1	Bazar Tokerian Development Scheme	949	64	1,013	5,694.00	1,296.50	7,590.50	There is no saleable area
2	Islambad area Development Scheme	9,594	7,288	16,882	15,114.10	29,956.19	45,070.00	Sold at Rs 8 per square yard
3	Katra Mohar Singh ..	4,941	878	6,739	81,888.00	..	81,888.00	Sold from Rs 30 to Rs 125 per square yard
4	Katra Sher Singh, No. 2 area	13,208	3,452	19,958	2,38,841.00	1,75,569.00	4,14,410.00	Sold from Rs 30 to Rs 150 per square yard
5	Kucha Tewarian ..	3,269	205	4,414	42,856.00	7,013.00	49,869.00	Sold at Rs 20 per square yard
6	Chowk Katra Baghian ..	97	71	378	1,455.00	..	1,455.00	No saleable area
7	Portion Bazar, Katra Kanahyan	..	52	52	..	..	..	Ditto
8	Kucha Nimwala ..	..	57	57	..	..	..	Ditto
9	Katra Moti Ram area ..	21,983	11,281	48,544	..	..	..	Sold at Rs 25 and Rs 30 per square yard

10	Area situated Opposite Ram Lal Eye Hospital	..	20,700	20,700	..	40,788.00	40,788.00	Not sold
11	Area outside Ram Bagh Gate	368	2,318	7,878	11,020.00	74,744.00	85,764.00	Ditto

II. The Trust framed 23 Schemes out of which 10 has been approved by the Government., 2 are under objections and remaining schemes are at various stages of finalisation.

Jullundur Improvement Trust

(I) Following 9 Schemes have been framed by the Trust out of which one has been sanctioned by Government viz. No. 1.

(1) Development Scheme of 73.5 acres on Model Town Road.
(2) Development Scheme of 14.0 acres on G. T. Road, opposite Police Lines Road, Jullundur.
(3) Development Scheme of 18.0 acres on G. T. Road, opposite Omnibus Head Office.
(4) Development Scheme of 23.0 acres on Bastiat Road.
(5) Development Scheme of 84.0 acres behind Civil Hospital.
(6) Development Scheme of 8.0 acres on Ladowali Road.
(7) Supplementary Development Schemes of 8.05 acres, 0.98 acres and 3.5 acres on Model Town Road.
(8) Development Scheme of 33.0 acres between Kapurthala Road and Bastiat Road continguous to the Boundary of the Development Scheme of 79 acres on Basti at Road.
(9) Development Scheme of 112.8 acres on Model Town Road, behind Deputy Commissioner's Bungalow.

Details of one Scheme sanctioned is as under :—

Total area	Evacuee Land	Non-evacuee Land	Compensation for evacuee Land	Compensation for non-evacuee land	Rate of sale to public
73.5 acres	About 70 acres	About 3 acres	Rs 14,15,000	Acquisition proceedings yet to be initiated	Under consideration

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि पिछले तीन साल में कितने मील सड़कें और कितनी drains बनी हैं ?

उप मंत्री : आपने सड़कों और drainage के बारे में पूछा नहीं था ।

श्री बलराम दास टण्डन : मैं ने तो सारी details of schemes पूछी हुई हैं । details में यह सब कुछ आता है ।

उद्योग मंत्री : schemes का मतलब यहां पर drainage और roads से नहीं होता है । schemes का मतलब यहां पर उन सारी सकीमों से होता है जो town improvement trust की तरफ से उस locality को develop करने के लिये बनाई जाएं । सड़कों और drainage की सारी details इसमें नहीं आती हैं ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब आप कहते हैं कि schemes का मतलब सारी development सकीमों से है तो क्या सड़कें और drains इन में नहीं आती हैं ? यह कैसे exclude हो जाती हैं और किस कानून के ज़ेर यह development में नहीं आती हैं ?

मंत्री : सड़कों और drainage की details का separate question होना चाहिये । अगर आप schemes की बात पूछते हैं तो उनका मतलब यहां पर उन स्कीमों से है जो किसी town की improvement के लिये town improvement trust के मातहत चल रही हों ।

श्री बलराम दास टण्डन : तो development के लिये सड़कें और drainage भी तो बनती हैं ।

मंत्री : इस के लिये separate notice चाहिये ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि rates में जो इतनी variation है—8 रुपए से लेकर 150 रुपए तक—इस का क्या कारण है ?

मंत्री : यह हर locality पर अलग २ तौर पर depend करता है । जहां development charge ज्यादा होते हैं वहां rate ज्यादा होता है और जहां कम होते हैं वहां कम होता है । यह rate गवर्नमैंट मुकर्रर नहीं करती है; town improvement trust करता है । तो इस में यह देखना पड़ता है कि कितनी compensation देनी पड़ेगी, कितनी development charges होंगी वगैरह वगैरह और उसके मुताबिक rate fix होता है ।

Mr. Speaker : The Question Hour is now over.

श्री बलराम दास टण्डन : अभी supplementaries करने की इजाज़त होनी चाहिये । सोमवार को यह चलने चाहिये ।

Mr. Speaker : I think, sufficient number of supplementari s has been put

श्री बलराम दास टण्डन : नहीं जनाब, अभी एक दो बातें पूछनी रह गई हैं, इस लिये इजाज़त दें ।

श्री अध्यक्ष : चलो फिर कर लेना । (All right he may put)

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SURPLUS LAND GIVEN TO LANDLESS TENANTS

2329. Chaudhri Sunder Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state the total area of surplus land so far acquired by Government and area out of this that have been given to the landless tenants for cultivation in each district of the State?

Giani Kartar Singh : *Part first.*—Nine hundred and forty-nine standard acres in erstwhile Pepsu.

Part second.—The scheme for the resettlement of eligible tenants is being finalized. Only the tenants which are liable to ejectment under the relevant provisions of the Act will be settled first.

PERMITS FOR CUTTING WOOD IN GURGAON DISTRICT

2380. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the names of persons who were granted permits for cutting wood in Gurgaon District during the years 1958-59 and 1959-60 respectively together with the quantity in maunds in each case for which the permits were issued;

(b) the dates on which the said permits were issued?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) and(b) The requisite information is given below :—

Serial No.	Name of person in whose favour permit for cutting wood in Gurgaon District was issued	Date of issue of permit	Number of trees/maunds
1	2	3	4
	1958-59		
			Trees
1	Sultan Singh of Rewari ..	2-4-58	36
2	Shri Niranjan Lal, son of Gordhan Dass, of Gurgaon	5-7-58	2
3	Shri Madho Singh, son of Ranjit Singh, of village Bhondsi	14-7-58	5
4	Shri Tota Ram, son of Shri Chabu Ram Pahari, tehsil Rewari, district Gurgaon	10-10-58	28
5	Sarpanch, Panchayat Bahin ..	22-10-58	336
6	Shri Kartar Singh of Gurgaon ..	3-11-58	35
7	Attorney-General for H. H. Nawab of Pataudi	12-12-58	44
8	Balwant Singh, Secretary, Co-operative Farming Society, Rewari	20-12-58	32

[Minister for Agriculture and forests]

Serial No.	Name of person in whose favour permit for cutting wood in Gurgaon District was issued	Date of issue of permit	Number of trees/maunds
1	2	3	4
	1958-59 concld		
			Trees
9	Shri Net Ram-Shebu Mal, Kiryana Merchant of Gurgaon	31-12-58	1
10	Jugal Kishore, son of Gulab Singh, of village Gurgaon	5-1-59	2
11	Shri Purdherman Singh,-Hami Singh, Narain Singh of village Bhanawas, tehsil Rewari, district Gurgaon	9-1-60	82
12	Sarpanch, Panchayat Barera, tehsil and district Gurgaon	21-1-59	22
13	Shrimati Jiwant, w/o Milkhi Ram, Constable of Gurgaon	4-2-59	1
14	Sarpanch, Panchayat Mandnaka ..	6-2-59	421
15	Shri Chand, son of Jarran, of village Bohka, district Gurgaon	13-2-59	5
16	Shri Siri Chand, son of Chiranjit Lal, of village Bohka, district Gurgaon	13-2-59	5
17	Shri Hilasi Ram, son of Tilok Chand, of village Hodel, sub-tehsil Bawal	16-2-59	17
18	Shri Suraj Mal, son of Nand Lal, village Bohka, post office Kund, tehsil Rewari, district Gurgaon	24-2-59	4
19	Shri Jagram, son of Sardar Singh of Bhondsi, tehsil Rewari, district Gurgaon	24-2-59	5
20	Shri Ram Singh, Sarpanch, Kalwari, post office Tauru, tehsil Nuh, district Gurgaon	6-3-59	34
21	Shri Nand Kishore, Sarpanch, of village Mahamad pur, tehsil Rewari, district Gurgaon	7-3-59	80
22	Shri Korya Ram, son of Khasita Ram, Sarpanch, Panchayat Baghanki	15-3-59	28
	1959-60		
1	Shri Sohan, son of Gurdyal of Gujjar Bawas, tehsil Rewari, district Gurgaon	4-4-59	11
2	Shri Data Ram, son of Chander Ram, of Nek Pur, tehsil Ballabhgarh, district Gurgaon	4-4-59	35
3	Shri Jadu Singh of Meer Pur, tehsil Rewari, district Gurgaon	4-4-59	73
4	Shri Bhop Singh, son of Ram Parkash, of Balawas, tehsil Rewari, district Gurgaon	18-4-59	2

Serial No.	Name of person in whose favour permit for cutting wood in Gurgaon District was issued	Date of issue of permit	Number of trees/maunds
1	2	3	4
	1959-60—*contd*		
5	Shri Sat Narain, Reader to Naib-Tehsildar, Gurgaon	18-4-59	3 trees
6	Shri S. C. Verma, Engineer, Supervision Telegraph, New Delhi	22-4-59	10 „
7	Shri Umda Ram, son of Tej Ram, of village Meerpur, tehsil Rewari, district Gurgaon	1-5-59	2 „
8	Shri Ami Lal, son of Kesar Ram, of Biswasan, sub-tehsil Pataudi, district Gurgaon	7-5-59	Not quoted
9	Sarpanch, Village Panchayat Shahwajpur, tehsil Bawal, district Gurgaon	7-5-59	23 trees
10	Shri Sher Singh, son of Shri Rakha Ram, post office Rewari, tehsil Rewari, district Gurgaon	26-5-59	5 „
11	Shri Inder Singh, son of Richpal Singh, post office Rasgan, tehsil Rewari, district Gurgaon	26-5-59	10 „
12	District Engineer, District Board, Gurgaon	4-6-59	69 „
13	Shri Bohru Ram, son of Ganga Sahai of Kishan Garh, tehsil Rewari, district Gurgaon	7-6-59	5 „
14	Shri Faqir Chand, son of Shri Gopal Singh, of Mauza village Sohna, tehsil and district Gurgaon	10-6-59	75 „
15	Chairman, District Board, Gurgaon ..	13-6-59	112 „
16	Sarpanch Roada Ram, Panchayat Palahwas, district Gurgaon	15-6-59	26 „
17	District Engineer, District Board, Gurgaon	22-6-59	17 „
18	District Agriculture Officer, Gurgaon ..	15-7-59	3 „
19	Shri Kanheya of village Tehara, tehsil Rewari, district Gurgaon	21-7-59	20 „
20	Manager, Gurukul Inderprast, post office Tuglakabad	23-7-59	To cut trees within width of 24′ on D. M. Road
21	Shri Amar Singh, Panch, Manesar Panchayat, tehsil and district Gurgaon	17-8-59	9 trees
22	Shri Bhup Singh, Subedar, village Tint, post office Thani, district Gurgaon	11-8-59	250 maunds
23	Secretary, Delhi Pinjrapole Society, Gaushala, Delhi-6	13-8-59	660 trees

[Minister for Agriculture and Forests]

Serial No.	Name of person in whose favour permit for cutting wood in Gurgaon district was issued	Date of issue of permit	Number of trees/maunds
			Trees
	1959-60—*contd*		
24	Shri Kanhaya Lal, 74, Reghupura, Karol Bagh, Delhi	1-9-59	3,000 maunds
25	Sarvshri Nanak Chand, Shankar Chand, Puran Sumer of Jharsa, district Gurgaon	1-9-59	15 Trees
26	Shri Bhosa Ram, Sarpanch, Panchayat Sodhani, sub-tehsil Bawal, district Gurgaon	1-9-59	11 trees
27	Shri Bharat Singh, son of Bhagwan Singh of Shikohpur, tehsil and district Gurgaon	4-9-59	6 ,,
28	Sarpanch, Panchayat, Manesar ..	4-9-59	127 ,,
29	Shri Shiv Lal, son of Amroo, of Dahiba, and Shri Dol Ram of Milakpur	7-9-59	9 ,,
30	Shri Piare Lal, Sarpanch, Panchayat Bhagola, tehsil Ballabgarh, district Gurgaon	16-9-59	90 ,,
31	Shri Bodh Raj, son of Tulku Ram, of Hussanpur, tehsil Ballabgarh	5-10-59	4 ,,
32	Shri Shoji Ram, Sarpanch, Panchayat Dhundahera, tehsil Gurgaon, district Gurgaon	5-10-59	15 ,,
33	Shri Madhu Ram of Bhondsi, tehsil and district Gurgaon	5-10-59	3 ,,
34	Shri Dhip Ram, son of Sarta, Jat of Jharsa ..	19-10-59	10 ,,
35	Shri Gangal, son of Bohru and Manian, son of Sharma, of Gadiapur	27-10-59	20 ,,
36	Shrimati Indra Vati of Gurgaon ..	28-10-59	10 ,,
37	Shri Dalip Singh, Attorney of Rajkumari Sumittra Devi of Rampur, tehsil Rewari, district Gurgaon	4-10-59	40 ,,
38	Shrimati Indra Vati, Gurgaon Cantt. ..	5-10-59	15 ,,
39	Shri Singh Ram, Sarpanch, Panchayat Mauzamabad, tehsil Rewari, district Gurgaon	6-11-59	75 ,,
40	District Engineer, District Board, Gurgaon	13-11-59	41 ,,
41	Sarpanch, Panchayat Naichana, sub-tehsil Bawal, tehsil Rewari, district Gurgaon	27-11-59	15 ,,
42	Shri Yad Ram and Dal Chand of Rai Daska, tehsil Palwal, district Gurgaon	2-12-59	9 ,,
43	Sarpanch, Panchayat Palahwas, tehsil Rewari, district Gurgaon	7-12-59	26 ,,

Serial No.	Name of person in whose favour permit for cutting wood in Gurgaon District was issued	Date of issue of permit	Number of trees/maunds
1	2	3	4
	1959-60—*concld*		
44	Shri Mittar Sen, son of Ram Kanwar, of Gurgaon	18-12-59	20 trees
45	Shri Korya Ram, son of Channa, of Mauza Manesar, tehsil and district Gurgaon	18-12-59	9 ,,
46	Shri Kamta Parshad, son of Kalka Parshad Khatri of Mohalla Khatri Wara, Faridabad	8-1-60	12 ,,
47	Sarpanch, Panchayat Kadapur ..	20-1-60	Extraction of roots
48	Shri Shishpal Singh, Lambardar, village Khol, tehsil Rewari, district Gurgaon	28-1-60	25 trees
49	Sarpanch, Panchayat Sadhana, tehsil Rewari, district Gurgaon	28-1-60	16 ,,
50	Shri Jaswant Singh, President, Co-operative Marketing Society, Saharwas, tehsil Rewari, district Gurgaon	30-1-60	70 ,,
51	Shri Dev Karan, son of Budha of Kamalpur, tehsil Rewari, district Gurgaon	14-2-60	7 ,,
52	Sarpanch, Panchayat Khera Sarain, tehsil Palwal, district Gurgaon	15-2-60	36 ,,
53	Shri Basti Ram, son of Bhagat, post office Garrakhnagar, tehsil and district Gurgaon	15-2-60	14 ,,
54	Shri Bharat Singh Sharma, village Noorgarh, tehsil Rewari, district Gurgaon	15-2-60	10 ,,

KHARIF CROPS IN IMPROVED SEED FARMS IN DISTRICT GURGAON

2331. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the details of the Kharif crops produced in the Improved Seed Farms in Gurgaon District during the year 1959-60;

(b) the details of the expenditure incurred on the said farms during the period referred to in part (a) above;

(c) the quantity of seeds sown in each of the said farms during this period?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) and (c) Statement 'A' is enclosed.

(b) Statement 'B' is enclosed.

STATEMENT 'A'

Serial No.	*Name of Seed Farm*		*Details of Kharif crops, 1959-60*			*Quantity of seed sown*	
	Village	Tehsil	Name of crop	Area sown in acres	Yield obtained in maunds	Name of crop	Quantity
							Seers
1	Sarurpur	Ballabgarh	Bajra	1.83	8.63	Bajra	5
			Bajra	4.37	2.85	Jowar	18
2	Bhupani	"	Jowar	4.0	6.0	Bajra	8
3	Rampura	Rewari	Bajra	7.0	18.37	Bajra	20
			Jowar	5.0	(Crop failed due to continuous heavy rains)	Jowar	20
4	Tehna	"	Bajra	10.0	66.0	Bajra	20
			Jowar	0.4	0.15	Jowar	3
5	Dulera Kalan	"	Bajra	6.0	48.0	Bajra	10
			Ground-nut	0.7	6.37	Ground-nut	30
6	Ferozepore-Jhirka	Ferozepore Jhirka	Bajra	3.28	8.81	Bajra	7.8
			Guara	3.0	13.80	Guara	20
7	Nuh	Nuh	Bajra	5.94	4.50	Bajra	20
			Jowar	4.56	(Crop failed due to continuous heavy rains)	Jowar	1.75 maunds

STATEMENT 'B'

Statement (b) showing the details of expenditure incurred during Kharif 1959-60

Serial No.	Name of Seed Farm — Village	Name of Seed Farm — Tehsil	Expenditure incurred during Kharif 1959-60		Amount Rs	Total Rs
1	Sarurpur ..	Ballabgarh	1.	Contingencies ..	6.97	60.97
			2.	Cost of Fertilizers	54.00	
2	Bhupani ..	"	1.	Contingencies ..	5.00	374.00
			2.	Pay of staff ..	369.00	
3	Rampura ..	Rewari ..	1.	Contingencies	12.00	401.10
			2.	Other charges ..	1.10	
			3.	Pay of staff ..	369.00	
			4.	Cost of seeds	19.00	
4	Tehna ..	"	1.	Contingencies	10.86	567.90
			2.	Other charges	9.15	
			3.	Pay of staff	369.00	
			4.	Cost of seed	108.70	
			5.	Fertilizer cost ..	36.00	
			6.	Cost of Kerosene Oil	14.38	
			7.	Cost of Torch and Lanterns	19.81	
5	Dulehra Kalan	Rewari ..	1.	Cost of Fertilizer ..	36.00	416.00
			2.	Contingencies	11.00	
			3.	Pay of staff	369.00	
6	Ferozepore-Jhirka	Ferozepore-Jhirka	1.	Contingencies ..	5.00	5.0
7	Nuh ..	Nuh ..	1.	Contingencies ..	5.00	5.0

CASES OF THEFT/BURGLARY REGISTERED WITH POLICE STATION SULTANPUR, DISTRICT KAPURTHALA

2333. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any complaint of theft or burglary relating to village Jabbowal, district Kapurthala was registered with Police station Sultanpur, during 1958-59 or the current year; if so, when;

[Sardar Atma Singh]

(b) whether the said theft has been traced; if not, the reasons therefor and the concrete steps, if any, taken by the police in this respect?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. Case F.I.R. No. 47, under section 457, IPC, was registered at police station Sultanpur on 9th September, 1959.

(b) No. The suspects were interrogated by the police and the C. I. A. staffs but the case could not be worked out as yet. However, the case is still under investigation.

ANTI-WATERLOGGING MEASURES IN VADALA KHURD AND PHIALI AREAS OF KAPURTHALA DISTRICT

2334. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state with reference to the reply to unstarred question No. 1945 printed in the list of question for 14th December, 1959 whether any scheme for taking anti-waterlogging measures in Wadala Khurd and Phiali areas of Kapurthala District has been finalized; if so, the details thereof?

Rao Birendar Singh : Previous question referred to was 1954 and not 1945.

Proposal to construct Wadala drain is under investigation.

ALLOTMENT OF COAL DEPOTS

2335. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Industries be pleased to state the names of persons with their addresses who were given coal depots in the State during the month of January, 1960 with the reasons therefor in each case?

Shri Mohan Lal : A list showing the names of persons with their addresses who were allotted coal depots in the State during the month of January, 1960 with reasons for such allotment is attached herewith.

List showing the particulars of the persons/parties allotted Coal depots in the Month of January, 1960

Serial No.	Name and address	Place where coal depot allotted	Reason for allotting the coal depot
1	2	3	4
1	Shri Raghbir Singh Gupta, tehsil Nuh, village Tauru, district Gurgaon	Tauru	No coal depot existed at this place already and there was a demand from the inhabitants for opening one.
2	Shri Arya Muni, son of Mukhi Narain Dass, village Sohna, district Gurgaon	Sohna	Ditto
3	Shri Shyam Sunder Sharma, son of Pt. Banarsi Dass, village and post office Beri, district Rohtak	Beri	Ditto

Serial No.	Name and address	Place where coal depot allotted	Reason for allotting the coal depot
1	2	3	4
4	(i) Sarvshri Ram Kumar and Bodh Raj, village and post office Meham, district Rohtak (ii) Shri Om Parkash, son of Shri Lakhpat Rai, village and post office Meham, district Rohtak	Joint Meham	No coal depot existed at this place already and there was a demand from inhabitants for opening one.
5	Bawa Daljit Singh-Gurbax Singh, Beas, district Amritsar	Beas	Ditto
6	Shri Ram Gopal, c/o M/s Sanghan Lal-Sham Lal, Furniture Dealers, Durga Parshad Road, Ambala Cantt.	Babyal	Ditto
7	Shri Sadhu Ram Goel, Barara, district Ambala	Mustafabad	Ditto
8	The Sewa Yogi Ashram Multipurposes Co-operative Society, Ltd., Barara, district Ambala	Barara	Ditto
9	Shri Balkishan Dass Malhotra, c/o M/s Balkishan Dass-Manohar Lal, Morinda, district Ambala	Chamkaur Sahib	Ditto
10	Major Dina Nath, c/o Radha Kishan Flour Mills, Jullundur Cantt.	Jullundur	To meet the increasing demand of the consumers for coal/coke
11	Shri Ved Parkash, son of Shri Lahori Mal, Nawan Shahr, district Jullundur	Nawan Shahr	Ditto
12	Shri G. C. Dev, Gun Rama Art Press, Santokhsar, opposite Kotwali, Amritsar	Amritsar	Ditto
13	M. L. Keral, c/o L. Sukhdyal Dewan Chand, Guru Ke Mahal, Amritsar	Amritsar	Ditto
14	Shri Hans Raj Dheman, Chowk Kaseran, Patiala	Patiala	Ditto
15	Com. Gulzar Singh, President, Mandal Congress Committee, Amritsar	Amritsar	Ditto
16	Shri Ranga Singh Pandhi, Editor, Quami Jiwan, Tarn Taran	Tarn Taran	Ditto
17	Shri Uttam Singh, ex-Editor, the daily Akali, c/o Shri Atam Sarup Singh, Assistant, Punjab University, Chandigarh	Ludhiana	Ditto
18	Shri Gurcharan Singh Bindra, B-IX, 693, Brown Road, Ludhiana	Ludhiana	Ditto
19	M/s Maghar Mal & Sons, Nangal Dam, Plot No. 15, Giani Market, Nangal Dam	Nangal	Ditto

BAD CHARACTERS IN AMRITSAR DISTRICT

2337. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Chief Minister be pleased to state the names of bad characters as per records of the Police in Amritsar District during the years 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 and 1960 and the names of those among them who were removed from Register No. X in each of these years?

Sardar Partap Singh Kairon : The relevant record of the Police Department is of confidential nature. As such it is not in the public interest to disclose the information asked for in the question.

CONSTRUCTION OF METALLED ROADS UNDER THE SECOND FIVE-YEAR PLAN

2338. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Public Works be pleased to state the length of metalled roads built, district wise; in the State and the amount spent thereon during the Second Five-Year Plan period?

Chaudhri Suraj Mal : A statement showing the requisite information is enclosed.

Statement showing expenditure incurred and physical targets achieved on Roads during the Second Five-Year Plan

Serial No.	Name of District		Physical targets achieved in miles up to November, 1959 (Plan roads)	Targets achieved on roads other than Plan roads (miles)	Total achievements up to November, 1959	Expenditure incurred on Plan roads upto 31-3-59 (Rs. in lakhs)
1	Gurgaon	..	76.92	42.26	119.13	32.14
2	Rohtak	..	13.04	18.77	31.81	6.52
3	Hissar	..	203.27	31.65	234.92	82.77
4	Karnal	..	101.69	46.20	147.89	30.22
5	Ambala	..	26.97	25.06	52.03	22.07
6	Ludhiana	..	13.50	2.74	16.24	17.64
7	Ferozepore	..	64.06	61.85	125.91	37.08
8	Jullundur	..	22.00	28.66	50.66	12.86
9	Hoshiarpur	..	25.92	28.01	53.93	26.43
10	Amritsar	..	21.02	15.29	36.31	21.31
11	Gurdaspur	..	31.41	5.89	37.30	20.22
12	Kangra	..	11.00 M 16.00 UM	26.59 M 28.00 UM	37.59 M 44.00 UM	19.43
13	Simla	..	..	..	..	..
14	Patiala	..	21.15	5.28	26.43	15.73
15	Sangrur	..	74.29	32.96	107.25	48.20
16	Kapurthala	..	15.25	2.75	18.00	8.27
17	Mohindergarh	..	43.90	25.44	69.34	14.92
18	Bhatinda	..	25.99	69.36	95.35	32.65
	Total	..	791.38 16.00 UM	468.76 28.00 UM	1,260.14 44.00 UM	448.46

Note :—Replies to unstarred questions No. 2336, 2350 received late from the Government are printed in annexure 'A' at the end of this debate dated 26th February, 1960.

TACCAVI FOR INSTALLING TUBE WELLS/PUMPING SETS GIVEN IN GURGAON DISTRICT

2340. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of persons to whom taccavi was given for installing tube-wells and pumping sets in district Gurgaon during the year 1959-60 ;

(b) the names of persons who utilized the said taccavi for the purpose for which it was given and the names of those who did not, together with the action taken against the latter ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) A list showing the names of the loanees is enclosed as Annexure I.

(b) *Part I.*—A list showing the names of the loanees who have utilized the loans is enclosed as Annexure II.

Part II.—A list showing the names of the loanees who have not utilized the loans is enclosed as Annexure III.

Part III.—The loanees are required to complete the tube-wells and pumping sets within a period of 12 months from the date of the receipt of the loans. As the loans were advanced during the months of October, November, December, 1959 and January, February, 1960 the loanees have not yet completed the tube-wells and pumping sets. Necessary action is, however, being taken to see that the loanees complete the tube-wells and pumping-sets within the prescribed period.

Annexure I

List showing the names of the loanees who have been given tube-well and pumping set loans in Gurgaon District

Serial No.	Names	Purpose
1	Shri Om Pal Singh of village Bhondsi ..	Pumping set
2	Shri Gokal Chand of Sohna ..	Ditto
3	Shri Sadna, Gurdial, etc., of Wajarabad ..	Ditto
4	Shri Ganpat of Lakhnola ..	Ditto
5	Shri Raghbir Singh of Jakupur ..	Ditto
6	Shri Vasudev of village Raipur ..	Ditto
7	Shri Sukh Ram of village Gurgaon ..	Ditto
8	Shri Lachhi, Liaqe Ram ..	Ditto
9	Shri Amolak Chand of Chhansa ..	Ditto
10	Shri Khushali of Bhagupur ..	Ditto
11	Shri Ram Kishan of village Mohna ..	Ditto
12	Shri Ram Sarup of village Sihi ..	Ditto
13	Shri Raghunandan of Sohna ..	Tube-well
14	Shri Ranga Ram of village Pingore ..	Do
15	Shri Idal Singh, Tejhpal Singh, etc., of village Agwanpur ..	Do
16	Shri Nathi Singh, son of Mohar Singh, village Hodel ..	Do
17	Shrimati Daulat Kaur, w/o Shri Kanshi Ram; Narinder Singh and Ranbir Singh, village Dharuhera	Do
18	Shri Ram Sarup, adopted son of Lachho, Brahmin ..	Do
19	Shri Ram Lal, son of Udhey Ram; Walati Ram, Bela Ram of village Chhaunsa	Do

[Minister for Agriculture and Forest]

Annexure II

Name of loanees who have utilized the loans for tube-wells and pumping sets in the Gurgaon District

Serial No.	Name	Purpose
1	Shri Ram Sarup, adopted son of Lachho, Brahmin ..	Tube-well
2	Shri Ram Lal, son of Udey Ram; Shri Walaiti Ram, Bela Ram of village Chhaunsa	Do

Annexure III

Names of loanees who have not utilized the loans for tube-wells and pumping sets in the Gurgaon District

Serial No.	Name	Purpose
1	Shri Om Pal Singh of village Bhondsi ..	Pumping set
2	Shri Gokal Chand of Sohna ..	Ditto
3	Shri Sadna, Gurdial, etc., of Wajarabad ..	Ditto
4	Shri Ganpat of Lakhnola ..	Ditto
5	Shri Raghbir Singh of Jakupur ..	Ditto
6	Shri Vasudev of village Raipur ..	Ditto
7	Shri Sukh Ram of village Gurgaon ..	Ditto
8	Shri, Lachhi Liaqe Ram ..	Ditto
9	Shri Amolak Chand of Chhemsa ..	Ditto
10	Shri Khushali of Bhagupur ..	Ditto
11	Shri Ram Kishan of village Mohna ..	Ditto
12	Shri Ram Sarup of village Sihi ..	Ditto
13	Shri Raghunandan of Sohna ..	Tube-well
14	Shri Ranga Ram of village Pingore ..	Do
15	Shri Idal Singh, Tejhpal Singh, etc., of village Agwanpur ..	Do
16	Shri Nathi Singh, son of Mohar Singh, village Hodel	Do
17	Shrimati Daulat Kaur, w/o Shri Kanshi Ram, Narinder Singh and Ranbir Singh, village Dharuhera	Do

LEASE FOR CATCHING FISH IN THE FIELDS SUBMERGED UNDER RAIN-WATER OR FLOOD WATER

2341. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether any leases for catching fish which lived in the fields of land owners which were submerged under rain-water or flood-water in the State were given by Government; if so, the authority under which these leases were given and the details thereof, district wise;

(b) whether any compensation in respect of the leases mentioned in part (a) above was given to the land owners concerned; if so, the amount thereof in each case?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) No.

(b) Question does not arise.

LAND GIVEN ON LEASE IN DISTRICT GURGAON

2342. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Revenue be pleased to state the area of Government land in tehsil Nuh, district Gurgaon, which was given on lease during the year, 1959-60 and the amount for which it was given on lease?

Giani Kartar Singh : Thirty-nine acres for Rs. 485.

TACCAVI FOR TRACTORS

2343. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the names of persons, district-wise, who have been given taccavi for tractors during the period from 1956-57 to 1959-60 together with the area of land in possession of each of the said person;

(b) the names of persons out of those referred to in part (a) above, if any, who did not utilise the taccavi for the purpose for which it was given and the action teken against them?

Sardar Gian Singh Rarewala : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the Member.

LAND ACQUIRED UNDER THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS ACT, 1949

2344. Shri Ram Piara : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of those land-owners in the State who own lands less than fifty standard acres and a part of whose lands has been acquired by Government under the East Punjab Utilisation of Lands Act, 1949, together with the area, in acres, which has been acquired and further leased out in the State, district-wise;

[Shri Ram Piara]

(b) whether any lands allotted to displaced persons in the State have also been acquired under the said Act; if so, how much in each district;

(c) whether any representation from the displaced persons were received by Government for the release of their land because no notice was served on them before thel and was acquired;

(d) whether Government received any representations from persons owning less than 30 standard acres of land whose lands were acquired for the release of their lands together with the details of the representations;

(e) if the answer to parts (c) and (d) above be in the affirmative, the action taken by Government on the said representation?

Giani Kartar Singh : It is regretted that the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

LOANS GIVEN UNDER THE LOW INCOME GROUP HOUSING SCHEME IN KARNAL DISTRICT

2347. Shri Ram Piara : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total amount of loan given under the Low Income Group Housing Scheme during the year 1958-59 in Karnal District;

(b) the names of the persons to whom the said loans were given, the villages to which they belonged and the amount of loan given in each case;

(c) whether the Government or the D. C., Karnal received any representations from persons belonging to the Khaddar and the flood affected areas in the said district asking for preferential treatment in the matter of granting such loans; if so, the action, if any, taken thereon?

Chaudhari Suraj Mal : (a) Rs. 2,56,500.

(b) A statement is laid on the Table.

(c) No.

STATEMENT

Tehsils Karnal and Thanesar

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Name of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and Flood affected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No. 5 is in affirmative, action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Rs		Rs			
1	1,61,100	Shri Sunder Singh of Karnal	2,100	No such representation was received		
2		Mula Singh of Rampura	1,500	Ditto		
3		Mehtab Singh of Karnal	1,950	Ditto		
4		Naranjan Parshad of Karnal	4,000	Ditto		
5		Jagjit Kaur of Karnal	2,800	Ditto		
6		Pritam Kaur of Kurukshetra	600	Ditto		
7		Gurdas Singh of Dabkheri	600	Ditto		
8		Avtar Singh of Karnal	600	Ditto		
9		Hakim Rai of Thanesar	400	Ditto		
10		Sahib Dittamal of Karnal	800	Ditto		
11		Suchet Singh of Karnal	400	Ditto		
12		Des Raj of Karnal	800	Ditto		
13		Mohinder Singh, of Nilokheri	1,000	Ditto		
14		Banarsi Lal of Karnal	800	Ditto		
15		Bhagirath Singh of Ajranakalan	600	Ditto		
16		Gurdial Singh of Karnal	800	Ditto		
17		Ganesh Dass of Karnal	2,000	Ditto		
18		Dhaja Singh of Karnal	1,000	Ditto		
19		Milkhan Singh of Thanesar	600	Ditto		
20		Suraj Bhan of Karnal	600	Ditto		
21		Hari Prem of Karnal	1,000	Ditto		

[Minister for Public Works Department]

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Name of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and Flood affected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No. 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Rs		Rs			
22		Jiwan Dass of Kurukshetra	400	No such representation was received—*contd*		
23		Nand Lal of Nilokheri	400	Ditto		
24		Punnun Ram of Karnal	600	Ditto		
25		Bishamber Dutt of Karnal	600	Ditto		
26		Mehr Singh of Thanesar	600	Ditto		
27		Ram Gopal of Karnal	600	Ditto		
28		Champawati of Karnal	600	Ditto		
29		Mulakh Raj of Karnal	600	Ditto		
30		Siri Ram Sharma of Karnal	400	Ditto		
31		Jagat Singh of Karnal	600	Ditto		
32		Chhohal Singh of Ajrana-kalan	600	Ditto		
33		Roshan Lal of Nilokheri	1,500	Ditto		
34		Deep Chand of Karnal	500	Ditto		
35		Bindraban of Karnal	600	Ditto		
36		Gian Singh of Karnal	500	Ditto		
37		Hukam Singh of Karnal	600	Ditto		
38		Krishan Gopal of Karnal	800	Ditto		
39		Telu Ram of Karnal	600	Ditto		
40		Piara Lal of Kurukshetra	400	Ditto		
41		Atma Ram of Karnal	600	Ditto		
42		Uttam Chand of Karnal	400	Ditto		
43		Devi Chand of Karnal	400	Ditto		
44		Amar Nath of Karnal	400	Ditto		

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Name of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and Flood affected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No. 5 is in affirmative, action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Rs		Rs			
45		Madan Lal of Karnal	600	No such representation was received—*contd*		
46		Ajit Kumar Singh of Niawal	800	Ditto		
47		Baldev Ram of Karnal	600	Ditto		
48		Jaimal Singh of Karnal	800	Ditto		
49		Jagir Singh of Karnal	800	Ditto		
50		Manohar Lal of Karnal	600	Ditto		
51		Siri Ram of Karnal	600	Ditto		
52		Ajit Singh of Shahabad	1,000	Ditto		
53		Bholi Devi of Thanesar	600	Ditto		
54		Satnam Singh of Karnal	600	Ditto		
55		Sunder Singh of Karnal	400	Ditto		
56		Amir Chand of Karnal	600	Ditto		
57		Bhagwati of Karnal	400	Ditto		
58		Hardayal Singh of Karnal	800	Ditto		
59		Ganeshi Lal of Karnal	600	Ditto		
60		Megh Nath of Thanesar	600	Ditto		
61		Kandhara Singh of Nissang	800	Ditto		
62		Tehl Singh of Karnal	800	Ditto		
63		Jatinderpal Singh of Karnal	800	Ditto		
64		Kesar Singh of Karnal	800	Ditto		
65		Bal Krishan of Karnal	1,000	Ditto		
66		Ramsaran Dass of Karnal	1,500	Ditto		
67		Hari Chand of Karnal	600	Ditto		
68		Phula Singh of Shahabad	800	Ditto		

[Minister for Public Works Department]

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Name of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and Flood affected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No. 5 is in affirmative, action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Rs		Rs			
69		Bhagat Singh of Karnal	800	No such representation was received—*contd*		
70		Telu Ram of Karnal	600	Ditto		
71		Gurcharan Singh of Karnal	400	Ditto		
72		Amar Singh of Karnal	800	Ditto		
73		Nathu Ram of Karnal	600	Ditto		
74		Hans Raj of Karnal	600	Ditto		
75		Ram Nath of Karnal	400	Ditto		
76		Kartar Singh of Karnal	600	Ditto		
77		Labh Singh of Karnal	400	Ditto		
78		Sohal Singh of Thanesar	600	Ditto		
79		Harsa Singh of Karnal	600	Ditto		
80		Kharaiti Lal of Shahabad	600	Ditto		
81		Birbal Singh of Karnal	800	Ditto		
82		Amar Singh of Karnal	800	Ditto		
83		Ranjit Singh of Karnal	800	Ditto		
84		Gobind Singh of Sonkra	600	Ditto		
85		Prithipaul Singh of Karnal	800	Ditto		
86		Amar Singh of Karnal	600	Ditto		
87		Sucha Singh of Karnal	600	Ditto		
88		Savinder Singh of Karnal	600	Ditto		
89		Gian Singh of Shahabad	3,500	Ditto		
90		Malkh Raj Kapur of Karnal	600	Ditto		
91		Dev Raj of Radaur	600	Ditto		

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Name of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and Flood affected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No. 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
			Rs			
92		Kehar Singh of Bansa	800	No such representation was received—*contd*		
93		Murti Devi of Karnal	600			
94		Mam Chand of Karnal	600			
95		Sohan Lal of Shamgarh	600			
96		Anand Pal of Radaur	600			
97		Dev Paul of Radaur	600			
98		Ram Parkash of Karnal	600			
99		Pritam Singh of Sonkra	1,000			
100		Ram Chander of Kailash	400			
101		Sonu Ram of Karnal	500			
102		Rameshwar Dass of Jharauli Kalan	600			
103		Lajwanti of Ramana Ramani	600			
104		Balkar Singh of Karnal	800			
105		Babu Ram of Karnal	400			
106		Sunder Singh of Dachar	800			
107		Kartar Kaur of Karnal	800			
108		Joginder Kaur of Ramana Ramani	800			
109		Sawan Singh of Jaroli Kalan	600			
110		Bhagwan Singh of Karnal	400			
111		Jangir Singh of Ganju Garh	600			
112		Iqbal Chand of Kurukshetra	600			
113		Asa Harijan of Karnal	600			

[Minister for Public Works]

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Name of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and Flood affected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No. 5 is in affirmative, action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Rs		Rs			
114		Dharam Chand of Karnal	800	No such representation was received—*contd*		
115		Sardar Singh of Thanesar	400			
116		Kabir Singh of Nilokheri	400			
117		Bija Singh of Thanesar	400			
118		Gurdial Singh of Manchuri	600			
119		Kadara Singh of Amritpur Khurd	600			
120		Roshan Lal of Karnal	800			
121		Attar Singh of Karnal	750			
122		Lehna Singh of Karnal	600			
123		Ram Kishen Dass of Karnal	600			
124		Karam Singh of Ramana Ramani	800			
125		Piara Lal of Karnal	800			
126		Bhim Sen of Karnal	600			
127		Jog Dhian of Ladwa	500			
128		Sunder Singh of Ladwa	600			
129		Bant Singh of Karnal	600			
130		Mohar Singh of Karnal	600			
131		Gumani Singh of Ladwa	600			
132		Sardha Ram of Rampur	400			
133		Giani Balwant Singh of Salaru	400			
134		Bikhu Ram of Haraunda	600			
135		Sardara Singh of Thanesar	800			
136		Chotta Jamadar of Karnal	200			
137		Saligram of Karnal	800			

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Names of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and Flood effected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No. 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
			Rs			
138		Gurbachan Singh of Manchuri	800	No such representation was received		
139		K. L. Narang of Shahabad	400			
140		Thakar Singh of Manchuri	600			
141		Jai Dev Parshad of Karnal	600			
142		Balbir Singh of Chhapar	600			
143		Santokh Singh of Karnal	600			
144		Tikaya Ram of Karnal	600			
145		G. S. Dara of Karnal	600			
146		Balwant Singh of Karnal	400			
147		Duli Chand of Karnal	800			
148		Surjit Singh of Jundla	400			
149		Badlu Ram of Thanesar	400			
150		Avtar Singh of Karnal	600			
151		Mange Ram of Manpura	800			
152		Miss Krishna of Karnal	1,500			
153		Hari Chand of Karnal	600			
154		Baldev Raj of Karnal	1,500			
155		Naranjan Singh of Sheikhupura Manchuri	600			
156		Jagdish Ram of Ladwa	500			
157		Kishori Lal of Shahabad	800			
158		Sadhu Singh of Ladwa	500			
159		Ramji Lal of Karnal	600			
160		Bihari Lal of Karnal	200			
161		Rup Chand of Karnal	400			

[Minister for Public Works]

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Names of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and flood effected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No. 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Rs		Rs			
162		Daropti Devi of Karnal	400	No such representation was received		
163		Des Raj of Shahabad Mandi	800			
164		Gurbachan Singh of Thanesar	600			
165		Bhagwan Singh of Karnal	600			
166		Sabu of Kailash	200			
167		Jugal of Karnal	200			
168		Mam Chand of Thanesar	800			
169		Duli Chand of Karnal	200			
170		Parshadi of Karnal	200			
171		Shilawanti of Karnal	600			
172		Dayal Dass of Karnal	400			
173		Amar Nath of Karnal	800			
174		Jiwan Dass of Karnal	600			
175		Jagan Nath of Karnal	600			
176		Jewa Ram of Kailash	200			
177		Ram Chander of Karnal	200			
178		Sant Ram of Karnal	200			
179		Gurcharan Singh of Niwarsi	600			
180		Durga Devi of Karnal	600			
181		Gopal Dass of Karnal	600			
182		Baldev Raj of Karnal	600			
183		Sukh Ram of Mangalpur	600			
184		Radha Kishan of Karnal	600			

Serial No	Total amount of loan advanced in 1958-59	Name of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and flood affected areas in the district of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column no. 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
185		Sant Ram of Karnal	400	No such representation was received.		
186		Kartar Singh of Rambha	600			
187		Amar Kaur of Karnal	600			
188		Bahadur Chand of Karnal	1,000			
189		Kishen Singh of Kurukshetra	400			
190		Nand Lal of Karnal	1,500			
191		Sohan Singh of Karnal	800			
192		Sukhdev Kumar of Karnal	500			
193		Mittar Sain of Kunjpura	600			
194		Qimiti Lal of Nilokheri	600			
195		Gurdial Singh of Karnal	1,500			
196		Neki Ram of Karnal	400			
197		Tara Chand of Salpani Kalan	800			
198		Anokh Singh of Karnal	1,000			
199		Sadhu Ram of Karnal	400			
200		Piara Ram of Karnal	200			
201		Ajit Singh of Karnal	600			
202		Sham Lal of Karnal	400			
203		Ram Narain of Gharaunda	400			
204		Kapur Singh of Gharaunda	400			
205		Lachhman Dass of Karnal	600			
206		Megh Raj of Karnal	600			
207		Devi Dass of Karnal	2,000			
208		Avtar Singh of Karnal	600			
209		Jindo Bai of Jor Majra	600			

]Minister for Public Works]

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Names of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and flood affected areas in the district of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No. 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
210		Labh Singh of Kalsora	600	No such representation was received		
211		Jaswant Singh of Shahabad	600			
212		Atma Ram of Kurukshetra	800			
213		Harcharan Singh of Shahabad	600			
214		Ram Narain of Karnal	600			
215		Ram Kishan of Karnal	600			
216		Dalbir Singh of Karnal	600			
217		Harbans Singh of Karnal	800			
218		Kartara Singh of Jani	400			
219		Bhola Nath of Jani	400			
220		Satnam Singh of Jani	600			
221		Hari Chand of Faridpur	600			
222		Ram Piari of Karnal	600			
223		Biru Ram of Tangore	60			
224		Jhangi Ram of Karnal	600			
225		Arjan Dass of Thanesar	600			
226		Surinder Singh of Karnal	800			
227		Rukmani Devi of Tarori	800			
228		Ranbir Singh of Karnal	800			
229		Chandu Lal of Darar	200			
230		Amar Singh of Karnal	800			
231		Iqbal Singh of Karnal	600			
232		Lala Ram of Karnal	800			
233		Des Raj of Karnal	800			
234		Lila Wati of Karnal	600			
		Total	1,61,100			

S/d. .....
for Deputy Commissioner,
Karnal.

Sub-Division Panipat

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Names of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and flood affected areas in the district of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
	Rs		Rs			
1	29,100	Kanwal Singh of Samalkha	800	No such representation was received.		
2		Ravi Singh of Seank	400			
3		Jagan Nath of Panipat	400			
4		Chaman Lal of Panipat	500			
5		Dalip Singh of Panipat	400			
6		Mohan Lal of Panipat	300			
7		Shib Dayal of Samalkha	800			
8		Gopal Singh of Samalkha	800			
9		Shri Jai Dayal of Atawala	500			
10		Narain Dass of Panipat	800			
11		Gobind Lal of Hain	500			
12		Kishan Chand of Panipat	800			
13		Suraj Bhan of Mehrana	600			
14		Girdhari Lal of Panipat	600			
15		Jairam Dass of Panipat	500			
16		Davinder Nath of Panipat	800			
17		Mam Chand of Uklana Kalan	400			
18		Narain Dass of Asan Kalan	600			
19		Jai Singh of Asan Kalan	340			
20		Seetal Dass of Asan Kalan	600			
21		Tota Ram of Panipat	360			
22		Mohan Lal of Samalkha	400			
23		Jagan Singh of Marana	500			
24		Chander Bhan of Kawana	500			
25		Nihal Chand of Asan Kalan	800			

[Minister for Public Works]

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Names of the Loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and flood affected areas in the district of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column No. 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
			Rs			
26		Harpul Singh of Ahar	600	No such representation was received.		
27		Khairati Lal of Panipat	300			
28		Ram Kishan of Panipat	600			
29		Daya Nand of Samalkha	500			
30		Tirlok Chand of Samalkha	800			
31		Nand Lal of Patti Kalyana	500			
32		Mela Ram of Panipat	800			
33		Sat Ram Dass of Panipat	600			
34		Lachhman Dass of Panipat	600			
35		Girdhari Lal of Panipat	600			
36		Balwant Singh of Panipat	600			
37		Giani of Samalkha (deceased)	300			
38		Nand Lal of Panipat	1,000			
39		Dewan Chand of Panipat	600			
40		Kanwar Bhan of Panipat	300			
41		Parma Nand of Panipat	1,000			
42		Bhawan Singh of Panipat	400			
43		Hans Raj of Panipat	1,000			
44		Moola Ram of Patti Kalyana	500			
45		Mai Chand of Manana	300			
46		Jaswant Singh of Panipat	1,000			
47		Lakhmi Chand of Panipat	500			
48		Nihal Chand of Asan Kalan	2,000	(as his second instalment at S. No. 25)		
		Total	29,100			

S/d. ....
Sub-Divisional Officer,
Panipat.

Tehsil Kaithal

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Names of the loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and flood affected areas in the district of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column 5 is in affirmative, action taken thereon	REMARKS
	2	3	4	5	6	7
	Rs		Rs			
1	66,300	Shri Raghunath Rai, son of Ram Chand, Kaithal	5,600	Nil	Nil	
2		Shri Sham Lal, son of Shanker Dass, Kaithal	1,600			
3		Shri Jagan Nath, son of Tulsi Dass, Kaithal	2,800			
4		Krishan Lal, son of Girdhari Lal, Pehowa	400			
5		Shri Kundan Lal, son of Dewan Chand, Pehowa	600			
6		Shri Devi Dayal, son of Bela Ram, Pehowa	400			
7		Shri Pishori Lal, son of Jagan Nath, Pehowa	400			
8		Om Parkash, son of Daryai Lal, Pehowa	600			
9		Shri Karam Chand, son of Lal Chand, Pehowa	600			
10		Shri Man Singh, son of Jawahar Singh, Gumthla-garhu	1,200			
11		Shri Dasonda Singh, son of Sohan Singh, Pehowa	600			
12		Shri Kartar Singh, son of Labh Singh, Pehowa	600			
13		Shri Hans Raj, son of Haveli Ram, Murtzapur	600			
14		Shri Tirlok Singh, son of Sulakhan Singh, Murtza-pur	600			
15		Shri Rattan Singh, son of Maru Singh, Sarhada	600			
16		Shri Dewan Singh, son of Supetor, Rajaund	400			
17		Shri Sardara, son of Mai Lal, Harsola	200			
18		Shri Kali Ram, son of Bhora, Harsola	200			

[Minister for Public Works[

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Names of the loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and flood affected areas in the district of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
			Rs			
19		Shri Surat Singh, son of Sat Ram, Kathwal	400	Nil	Nil	
20		Shri Tooti, son of Telu Mohna	200			
21		Shri Ram Sarup, son of Duni Chand, Kaithal	2,100			
22		Shri Mool Chand, son of Yara Ram, Assandh	700			
23		Shri Niraml Singh, son of Ran Singh, Keorak	1,400			
24		Shri Bullaqa Singh, son of Jawand Singh, Kaithal	1,200			
25		Shri Bije Singh, son of Dai Ram, Chandana	800			
26		Shri Shisha Singh, son of Mangal Singh, Sillakheri	400			
27		Shri Assu Ram, son of Nathu Ram, Kaithal	400			
28		Shri Anokh Singh, son of Amar Singh, Assandh	400			
29		Shri Jit Singh, son of Sura Singh, Gairarsi	400			
30		Shri Prabh Dayal, son of Kanshi Ram, Pehowa	600			
31		Shri Banwari Lal, son of Nanak Chand, Kaithal	1,400			
32		Shri Ramkishan, son of Lajja Ram, Shangal	200			
33		Shri Khusi Ram, son of Neki Ram, Arana	400			
34		Shri Harbans Lal, son of Ganesh Dass, Kaithal	1,000			
35		Shri Ram Lal, son of Boota Ram, Barot	400			
36		Shri Bela Ram, son of Assa Nand, Kaithal	1,000			
37		Shri Duni Chand, son of Gurdial Mal, Mohna	600			

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Names of the loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and flood affected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
			Rs			
38		Shri Jati Ram, son of Kanshi Ram, Pundri	400	Nil	Nil	
39		Shri Chander Bhan, son of Ram Singh, Uplana	800			
40		Shri Ram Lal, son of Mohri Ram, Kaithal	1,000			
41		Shri Vir Singh, son of Natha Singh, Kherisaraf Ali	2,100			
42		Shri Bakshish Singh, son of Mundar Singh, Kherisaraf Ali	2,800			
43		Shri Gopal Singh, son of Kala Singh, Kherisaraf Ali	2,800			
44		Shri Mohan Singh, son of Lachhman Singh, Mandhwala	2,100			
45		Shri Punnu, son of Radha Ram, Kaithal	400			
46		Shri Jagdish, son of Anant Ram, Rajaund	400			
47		Shri Bhartu, son of Raja Ram, Phaphrana	400			
48		Shri Man Singh, son of Faqiriya, Phaphrana	400			
49		Shri Chitru, son of Devtia, Kotra	200			
50		Shri Arjan, son of Prem Singh, Rasola	200			
51		Shri Hetu, son of Mam Raj, Harsola	200			
52		Shri Kishna, son of Matu, Bakal	200			
53		Shri Chandi Ram, son of Ishar Dass, Barot	1,400			
54		Shri Ujagar, son of Megha, Chandana	100			
55		Shri Partap Singh, son of Sunder Singh, Andhli	600			

[Minister for Public Works]

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Name of the loanees and the villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and flood affected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
						7
			Rs			
56		Shri Baldev Raj, son of Dharam Chand, Kaithal	800	Nil	Nil	
57		Shri Mange Ram, son of Jug Lal, Phaphrana	400			
58		Shri Puran, son of Raja Ram, Phaphrana	400			
59		Shri Amar Singh, son of Jaman Singh, Kaithal	400			
60		Shri Abnash Chander, son of Hari Ram, Kaithal	1,000			
61		Shri Surat Singh, son of Suba, Kaithal	200			
62		Shri Ram Dia, son of Chelu Ram, Kasan	200			
63		Shri Hari Singh, son of Hans Raj, Kheri Sher Khan	300			
64		Shri Ram Singh, son of Kanihya, Neemwala	200			
65		Shri Amin Lal, son of Singha, Neemwala	200			
66		Shri Hazara Singh, son of Banta Singh, Kaithal	600			
67		Shri Churi, son of Chhaju Ram, Kaithal	200			
68		Shri Ranjit Lal, son of Dai Ram, Kaithal	200			
69		Shri Darya, son of Jumma Kasan	200			
70		Shri Surju Ram, son of Chhoto, Sarhada	200			
71		Shri Ram Kishan, son of Duni, Sarhada	100			
72		Shri Gharibu, son of Wazira, Sarhada	200			
73		Shri Shankara, son of Shiboo, Sarhada	200			
74		Biru, son of Kirpa, Sarhada	100			

Serial No.	Total amount of loan advanced in 1958-59	Names of the loanees and the Villages to which they belong	Amount of loan advanced	Whether any representation from persons belonging to Khadar and flood affected areas in the District of Karnal for grant of preferential treatment was received	If reply to column 5 is in affirmative action taken thereon	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
			Rs			
75		Shri Hira Nand, son of Matwal Chand, Kaithal	800	Nil	Nil	
76		Shri Ram Dhari, son of Bichha Lal, Kasan	200			
77		Shri Rama, son of Matu, Kaithal	200			
78		Shri Avtar Singh, son of Man Singh Mehmal	600			
79		Shri Khazan Singh, son of Kura Ram, Serhada	400			
80		Shri Ran Singh, son of Jai Lal, Serhada	1,200			
81		Shri Badlu, son of Siri Chand, Serhada	100			
82		Shri Bhagwan Singh, son of Dayal Singh, Kaithal	1,200			
83		Shri Santokh Singh, son of Hakim Singh, Kaithal	800			
84		Atna Ram son of Jodhan Dhand				
85		Shri Nand Lal, son of Bhagwan Dass, Kaithal	300			
86		Shri Piara Lal, son of Liau Ram, Pundri	200			
87		Shri Anant Ram, son of Ramji Lal, Kaithal	200			
88		Shri Vir Singh, son of Bhag Singh, Kaithal	800			
89		Shri Jarnail Singh, son of Hazara Singh, Assandh	600			
90		Shri Kurukshetra Lal, son of Roop Ram, Kaithal	2,400			
		Total	66,300			

ROUTE PERMITS FOR BUSES AND TRUCKS GRANTED IN 1958-59

2348. Giani Kirpal Singh Shant : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether applications for the grant of route permits for buses and trucks are invited by Government ; if so, the manner in which the public are informed so that applications may be submitted ;

(b) the number of buses and trucks region-wise plying on the routes sanctioned during the year 1958-59 in the State ;

(c) the total number of applications for permits for buses and trucks received by Government from the Harijans during the period referred to in part (a) and the number of route permits allotted to them ?

Rao Birendar Singh : (a)Yes. The applications for the grant of route permits for buses to be operated by the private operators are invited by the Regional Transport Authorities, through the Director, Public Relations, who releases the official notice in the Transport Weekly Papers. As regards operation by the State Transport Undertaking no applications are invited. It is not necessary to invite applications for the issue of permits for trucks.

(b) The number of buses and trucks region-wise plying on the routes sanctioned during the year 1958-59 in the State is as under :—

Category	*Jullundur Region*	*Ambala Region*	*Patiala Region*
Buses ..	40	28	18
Trucks ..	104	23	28

(c) It is very difficult to ascertain the actual number of applications received from the Harijans , as the prescribed application forms do not contain any column for castes, etc. Some of the applicants have mentioned that they are Harijans. The number of such applications is as under :—

Category	*Period*	*Applications received*	*Number of route permits allotted*
Buses	1958-59	8	1
Trucks	1958-59	5	5

FINAL SANCTION OF BUDGET SUMS BY FINANCE DEPARTMENT

2349. Giani Kirpal Singh Shant : Will the Minister for Finance be pleased to state the time within which final sanctions are ordinarily conveyed by the Finance Department after the enactment of the Appropriation Act to the various departments ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : Grants are communicated by the Finance Department to the Heads of Departments immediately after the Appropriation Act has received the assent of the Governor. The Appropriation Act for the year 1959-60 was received in the Finance Department with Governor's assent thereon on the 26th March, 1959 and the grants were communicated to the various Department on the 30th and 31st March, 1959, 27th to 29th being holidays.

ARREARS OF LAND REVENUE, ETC., IN VILLAGE BHAROWAL, TEHSIL TARN TARAN

2351. Sardar Jangir Singh Comrade : Will the Minister for Revenue be pleased to state :

(a) the number and names of persons belonging to village Bharowal, in police station Verowal, tehsil Tarn Taran, against whom arrears of land revenue and taccavi for tube-wells are still outstanding ;

(b) the total amount referred to in part (a) which is still outstanding, the names of the persons against whom it is outstanding and the period for which it has been outstanding ;

(c) whether any steps are being taken to effect recoveries of the outstanding amounts ; if so, what ?

Giani Kartar Singh : (a) and (b) (1) Shri Surain Singh, Lambardar and his sarbrah Shri Phuman Singh. Rs 4,457.87 up to Kharif, 1958.

(2) Shri Harbans Singh, temporary lambardar, Rs. 7,789.98 for Rabi, 1959.

(3) Shri Harbans Singh, Rs 2,484.31 since Ist July, 1956.

(4) Shri Harmohinder Singh, Rs 2,484.31 since Ist July, 1956.

Yes, by issuing warrants of arrest and attachment, notice etc.

RESERVATION OF LAND FOR HARIJANS IN VILLAGES IN TEHSIL AMRITSAR

2352. Sardar Jangir Singh Comrade : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total number of villages in tehsil Amritsar in which land was reserved for Harijans at the time of consolidation of holdings ;

(b) the area of land reserved for the Harijans in villages Manawala Kalan, Mana-Wala Khurd, Nizampur, Jhite, Mehna, Pandori, Tarsika, Rasulpur and Devidaspur situated within the jurisdiction of Police Station Jandiala ;

(c) the number of villages referred to in part (a) above which are within the jurisdiction of the Jandiala Police Station ?

Rao Birendar Singh : (a) 128.

(b) Consolidation of Holdings work has not yet been completed in villages Nizampur and Tarsika. The Scheme of Villages Manewala Kalan,

[Minister for Irrigation and Power]

Manawala Khurd, Jhite and Rasulpur have been published and a provision for the reservation of land for Harijans has been made therein. The exact area reserved cannot be ascertained at present but can be communicated after the confirmation of the scheme, if considered necessary. The following area has been reserved in the villages noted below :—

			K	M
1.	Mehna	..	2	0
2.	Pandori	..	7	10
3.	Devidaspur	..	7	10

(c) 43.

WATER RELEASED FROM DADUPUR AND INDRI REGULATING STATIONS

2353. Shri Ram Piara : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the quantity of water, in cusecs, released from Dadupur and Indri Regulating Stations during the year 1958-59 in those months when supplies are in full and in those months when supplies are short ;

(b) the quantity of water released distributary-wise from Dadupur to Munak Regulation Centre during the months mentioned in part (a) above ;

(c) whether it is a fact that there is a lot of seepage in the main Western Jamna Canal from Indri to Munak ; if so, how much approximately ?

Rao Birendar Singh : (a)

Name of months		Quantity released at Dadupur	Quantity released at Indri
During the months of full supplies :			
		cft	cft
July, 1958	..	198,584	186,687
August, 1958	..	128,183	120,838
September, 1958	..	126,052	111,214
During the months of short supplies			
		cft	cft
April, 1958	..	91,565	72,094
May, 1958	..	86,105	57,194
June, 1958	..	91,518	75,528
October, 1958	..	70,814	54,640
November, 1958	..	160,818	101,656
December, 1958	..	116,440	777,143
January, 1959	..	125,934	96,098
February, 1959	..	35,014	15,838
March, 1959	..	108,005	78,559

(b) As per statement.

(c) Seepage losses are not abnormal and are as they should be in unlined channel. The seepage losses from Indri to Munak are of the order of about 200 cs.

Statement showing the Quantity of water Released Disty. wise From Dadupur to Munak Regulation Centre During the Months Mentioned in Part 'A'

Month	Sirsa Branch	Ghautang Feeder	Nardak	Budha Kher No. I		Karnal Depot	Basida	Goli	Kheri	Ghogripur	MUNAKS Delhi Branch	Gohana Feeder	Hansi Branch
FULL SUPPLIES													
July, 1958 ..	5,275	3,675	10,299	480	182	295	2,832	806	187	123	59,806	6,801	91,5 97
August, 1958 ..	633	5,513	8,993	323	25	151	1,939	531	410	282	25,764	3,280	76,591
September, 1958 ..	10,613	9,600	9,647	469	70	237	1,901	666	349	303	23,127	2,170	68,120
SHORT SUPPLIES													
April,1958 ..	16,411	..	4,561	247	99	186	1,551	588	..	..	32,175	3,352	26,285
May, 1958 ..	26,493	..	5,070	230	97	120	1,157	513	..	..	21,147	2,334	21,514
June,1958 ..	9,802	..	4,428	187	70	145	1,281	465	..	..	27,482	3,342	31,692
October, 1958 ..	11,134	410	4,398	48	7	14	645	..	..	18	11,363	104	34,797
November, 1958 ..	42,938	..	7,383	200	98	168	912	228	58	6	22,647	870	67,821
December, 1958 ..	34,122	..	7,524	184	119	152	993	29	..	..	28,079	1,642	36,048
January, 1959 ..	27,441	..	7,294	192	126	128	750	165	..	..	32,284	1,311	53,621
February, 1959 ..	14,819	..	1,834	27	..	6	..	..	..	..	852	..	9,741
March, 1959 ..	18,961	..	3,844	249	129	126	10,51	355	..	..	22,259	2,732	34,055

TUBEWELLS ALONG THE WESTERN JUMNA CANAL

2354. Shri Ram Piara : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether all the tubewells along the Western Jumna Canal Main Branch from Indri to Munak were in working order during the year 1958-59 ; if not, the number of tubewells which worked and the number of those which did not work;

(b) the quantity of water which was poured into the Western Jumna Canal from the tubewells at different places with the quantity in cusecs in each place ;

(c) the quantity of water which each of the said tubewells is capable of pumping out in a full working day ?

Rao Birendar Singh : (a) No.

Number of tubewells which did not work	122
Number of tubewells which worked	3

(b) The quantity of water poured into Western Jumna Canal at different places is given below—

	cusecs
(i) Reach IV outfall at Kheri Man Singh left	15,622.28
(ii) Reach V-A outfall at Kheri Man Singh (Right)	8,027.20
(iii) Reach V-B Group I outfall at Ramba	2,006.46
(iv) Reach V-B Group II outfall at Dadupur	2,192.38
(v) Reach V outfall at Gagsina	6,125.77

(c) 2 Cusecs.

CASES NOT SENT TO COURTS

2355. Shri Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases registered in each Police Station in the State during the period from 1st April, 1958 to 31st December, 1958 which have not been put up to the courts so far for trial and the reasons therefor in each case ;

(b) the sections under which, and the names of persons against whom, each one of the said cases was registered ;

(c) whether any of the cases mentioned in part (a) above were put up to the courts and referred back by the courts to the police for further enquiry, if so, the names of such cases, policestation-wise in the State ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a), (b) and (c) A statement containing the requisite information is enclosed.

Statement showing number of cases pending investigation from 1st April, 1958 to 31st December, 1958

(a)				(b)		(c)
District	No. of cases pending investigation	Police Station	Reasons for not putting up the case in court	Section under which the case was registered	Names of persons against whom the case was registered	Whether any of the cases mentioned in part (a) above were put up to the court and referred back by the court to the police for further enquiry ; if so, the names of such cases police station-wise in the State.
1	2	3	4	1	2	1
Hissar ..	1	Narnaud ..	Result of the Chemical examination awaited	9 Opium Act ..	Madan Lal of village Kheri Galib	..
	1	Sirsa ..	Result of enquiry by Vigilance Department awaited	406/408/409, IPC	Not known	..
	1	Railway Hissar	Result of departmental enquiry awaited	5(2) Prevention of Corruption Act	1. Bhola Nath, Station Master 2. S. S. Sodhi, Assistant Station Master 3. Bhagwan Dass, Leave Reserve Station Master	..
Gurgaon ..	1	Ferozepur-Jhirka	Documentary proof against the accused persons is being collected	420 IPC ..	1. Dayal Singh .. 2. Malha Singh 3. Karam Singh 4. Jabar Singh 5. Charan Singh 6. Bhagwan Singh	..

(a)				(d)		(c)
District	No. of cases pending investigation	Police Station	Reasons for not putting up the case in court	Section under which the case was registered	Names of persons against whom the case was registered	Whether any of the cases mentioned in part (a) above were put up to the court and referred back by the Court to police for further enquiry; if so, the names of such cases police station-wise in the State.
1	2	3	4	1	2	1
Gurgaon—*concld*						
Karnal ..	1	Gharaunda ..	Report of Hand-writing Expert awaited	7/10/55, E. C. Act	Jia Lal	..
	1	Samalkha ..	Government Sanction to the prosecution of the accused awaited, as the case has been delayed for more than 1 year due to late receipt of the Chemical Examination result	61/1/14 Excise Act	Kartar Singh	..
	3	Sr. Karnal ..	(i) Report of Hand-writing Expert awaited	420, IPC ..	1. Kehar Singh 2. Sulakhan Singh 3. Jahangir Singh ..	..
			(ii) The challan of the case was prepared and sent to the Prosecuting Agency for checking. They raised some objections, which are being complied with	429/420, IPC ..	1. Shambu Datt 2. Satya Bhushan 3. Baru Ram 4. Shiv Narain 5. Lakshmi Chand 6. Hakam Chand 7. Balbir Singh	

			(iii) The case was sent to court for being filed as untraced for want of sufficient evidence against the accused, but the court returned the same for re-investigation by a Senior Police Officer	420, IPC ..	1. Zila Singh 2. Hari Singh 3. Randhir Singh	..	Yes
	2	City Karnal ..	(i) Result of enquiry by the Vigilance Staff is awaited	5/2/47, PC Act ..	Ram Narain, Patwari		...
			(ii) Challan of the case was prepared and sent to Prosecuting Agency for checking. They raised some objections, which are being complied with	409/436, IPC ..	Ram Dhari	..	..
	1	Thanesar ..	Result of enquiry by the Vigilance Staff awaited	5/2/47, C. Act ..	S. I. Parkash Chander	..	..
	1	Pehowa ..	Ditto ..	Ditto	Puran Parkash, Patwari	..	..
Ambala ..	1	Naraingarh ..	Result of departmental enquriy is awaited, as the accused at first is being dealt with departmentally	5(2) C. Act ..	Ram Parkash, Linesman, Electricity Branch		..
Simla ..	1	Sadar Simla ..	Case under investigation with C. I. D. Punjab, Responsibility on the persons responsible for commission of the case could not yet de fixed	380, IPC ..	..		..
Hoshiarpur	1	Hajipur ..	The challan of this case was prepared and sent to the Prosecuting Agency for checking. They raised some objections, which are being complied with	409/408, IPC ..	Resham Singh	..	..
	2	Garhshanker ..	(i) Ditto ..	406/420, IPC ..	1. Rattan Singh 2. Teja Singh	..	..
			(ii) Ditto ..	409 IPC ..	Kharaiti Ram	..	..

(a)				(b)		(c)
District	Number of cases pending in vestigation	Police Station	Reasons for not putting up the case in court	Section under which the case was registered	Names of persons against whom the case was registered	Whether any of the cases mentioned in part(a) above were put up to the court and referred back by the court to the police for further enquiry ; if so, the names of such cases police station wise in the State
1	2	3	4	1	2	1
Hoshiarpur—*concld*	2	Anandpur Sahib	(i) The Challan of this case was preparred & sent to Procecuting Agency for chacking. They raised some objections which are being complied with. ..	363/366/368/376, IPC	1. Battan Singh 2. Bakshish Singh 3. Sampuran Singh 4. Lachhman Singh 5. Jeet Singh 6. Bishna 7. Sadhu Singh 8. Gurnam Singh 9. Surjit Singh 10. Puran Singh 11. Jaimal Singh	..
			(ii) Certain documents, which are necessary for the finalization of investigation are being obtained from the Postal Department.	406/420, IPC ..	1. Kalyan Parshad .. 2. Bhairon Lal 3. Madan Lal	..
Ludhiana ..	3	City Ludhiana	(i) Certain record is being obtained from the High Court for the completion of investigation of the case.	409/406, IPC ..	Dharam Datt	..

			(ii) Certain record of different branches of a firm in South India has to be examined in this case for the completion of its investigation.	408, IPC ..	Sohan Singh	..	..
			(iii) This case relates to forged passports and is being investigated by the C.I.D.	406/420, IPC ..	Mehnga Ram	..	..
Kapurthala	1	Sadar Kapurthala	Certain documents are being obtained from Kapurthala Treasury for completion of investigation	409 IPC ..	Avtar Singh	..	..
Ferozepur	1	Fazilka ..	The accused was dealt with departmentally and dismissed from service. A report from the department is awaited as to whether or not the accused is to be judicially prosecuted.	5/2 C. Act ..	Krishan Lal, Patwari	..	..
	1	City Ferozepur	Ditto ..	Ditto	Bhagwan Singh, Patwari		..
Patiala ..	5	Civil Lines, Patiala	(i) Certain records and documents are being scrutinized with a view to complete investigation	409/420 IPC ..	Padam Parkash	..	..
			(ii) Ditto ..	Ditto ..	Karam Chand	..	..
			(iii) Ditto ..	Ditto	Aya Singh and Tarlok Singh	..	..
			(iv) Ditto ..	Ditto ..	Jagir Dass	..	..
			(v) Ditto ..	Ditto ..	Hans Raj, Puran Dass	..	..
	1	Banur ..	The accused was dismissed by the Department in a departmental enquiry. The case is being sent to court as untraced.	5(2) P.C. Act ..	Jagdish Rai, Patwari	..	..

(a)				(b)		(c)
District	Number of cases pending investigation	Police Station	Reasons for not putting up the case in court	Section under which the case was registered	Names of persons against whom the case was registered	Whether any of the cases mentioned in part(a) above were put up to the court and referred back by the court to the police for further enquiry ; if so, the names of such cases police station-wise in the State.
1	2	3	4	1	2	1
Patiala—*concld*	1	Sirhind ..	The case has been kept under investigation on some technical grounds. The decision of a connected case under section 384, IPC in Karnal District is awaited	19 Arms Act ..	Roshan Lal ..	..
Sangrur ..	2	Dhuri ..	(i) Result of enquiry by Vigilance staff awaited	5(2) P.C. Act ..	Megh Raj, Patwari ..	..
			(ii) The opinion of the Chemical Examiner was received after a period of one year. The case has, therefore, been referred to the Punjab Government for according necessary sanction to the prosecution of the accused.	61/1/14 E. Act ..	1. Bashambar Mal 2. Jaspat Mal ..	..
	1	Longowal ..	Ditto ..	Ditto ..	Piara Singh, son of Mangal Singh of Qila Bharian	

	1	Narwana ..	Certain evidence required for the completion of case is being collected.	409 IPC ..	Jagdip Singh, Ex-Sectional Officer	..
	1	Jind ..	Result of enquiry by Vigilance Staff awaited	5(2) P.C. Act ..	Bhagwant, Patwari ..	..
	1	Sherpur ..	Original documents from the department concerned being obtained.	409 IPC. ..	Lal Chand, Mail Peon ..	..
Bhatinda ..	5	Phul ..	(i toiv) Sanction to the prosecution of accused from the State Government applied for as the result of chemical examination was received after a period of one year	61, Excise Act ..	1. Arjan Singh 2. Karnail Singh 3. Hakam Singh 4. Gurmal Singh	..
			(v) Sanction of D. N. to the change of jurisdiction applied for	19 Arms Act ..	Bant Singh of Dayalpura Bhaika	..
	3	Kotwali Bhatinda	(i) Result of enquiry by Vigilance staff awaited	5(2) P. C. Act ..	Roshan Lal, T. S. I., Bhatinda	..
			(ii) Ditto ..	Ditto ..	Kartar Singh, Reader to Tehsildar, Bhatinda	..
			(iii) Report of the Handwriting Expert awaited	419/420 IPC ..	1. Inder Singh of village Rori 2. Bhag Singh of village Gill 3. Bakhsish Singh of village Maudpur	..
Mahendragarh	1	Narnaul	Result of enquiry by Vigilance Staff awaited	5(2) P.C. Act ..	Dr. Amarjit Singh, Dental Surgeon, Civil Hospital, Narnaul	..
	1	Dadri ..	Ditto ..	Ditto ..	Rulia Ram, Reader to M.I.C., Dadri	..
	1	Ateli	Efforts to find out clue of of culprits afoot	380 IPC ..	Not known	..

(a)				(b)		(c)
District		Police Station	Reasons for not putting up the case in court	Section under which the case was registered	Names of persons against whom the case was registere	Whether any of the cases mentioned in part (a) above were putup to the court and referred back by the court to the police for further enquiry ; if so, the names of such cases Police station-wise in the State.
1	2	3	4	1	2	1
Rohtak ..	1	Meham ..	One of the accused was sentenced to death in another case and he filed an appeal to the Supreme Court, Decision of that Court is awaited.	392/397 IPC ..	1. Chander Bhan, Lohar of village Juwa 2. Sube, son of Dharman of village Jasia	..
	1	Baroda ..	Sanction to the prosecution of the accused applied for to the State Government as the result of chemical examination was received after a period of one year	61/1/14 Exicse Act	Lachhman , Jat of Nurankheda	..
	1	Bahadurgarh ..	Sanction to the prosecution of accused from the Head of Department awaited	5(2)47 C. Act ..	Khushi Ram, Jat of Asodha	..
	1	Sonepat ..	Report of Handwriting Expert awaited	420 IPC ..	Om Parkash, Cashier, Sub-Treasury, Sonepat	..

Kangra ..	1	Jowala Mukhi	Departmental action is at first being taken by department concerned and the result awaited	5(2)47 P.C. Act	Dr. K. R. Bhatia	..	..
	1	Sujanpur ..	Statement of one witness of Army Department is to be recorded. The accused is also yet to be arrested	409 IPC ..	Hari Singh		..
	1	Kulu ..	Pass being closed due to snow fall during winter, Challan will be put up shortly.	3 Rice Movement Control Order	1. Chheeling 2. Rangrup		..
Jullundur ..	1	Banga	Investigation of this case involved examination of large number of witnesses and certain queries from Co-operative Department	409 IPC ..	Ram Kishan		..
	2	City Jullundur	(i) Investigation of this case involved examination of large No. of witnesses residing at different and distant places	420 IPC ..	Daulat Singh	..	..
			(ii) Sanction of State Government was to be obtained	295/297 IPC ..	Not known	..	..
	1	Cantt. Jullundur	Ditto ..	420 IPC ..	Amar Nath	..	..
	1	Rahon ..	Ditto	Ditto ..	1. Pheru 2. Mehnga Ram		
	1	Adampur ..	Sanction of State Government to prosecution of accused being obtained	409 IPC ..	Thakar Singh, Sarpanch	..	..
	1	Phillaur ..	Original National Savings Certificates are being obtained from Department concerned	5(2)47 Corruption Act	Nantu	..	..
	1	Nakodar ..	Investigation of this case involved scrutiny of huge record and examination of large number of witnesses	409 IPC ..	Ved Parkash		..
	1	G.R.P.S. Jullundur	No clue of the accused has been traced so far	302 IPC ..	Not known		..

CASES REGISTERED WITH THE POLICE BEFORE 1ST APRIL, 1958

2356. Shri Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any cases registered in any of Police Stations in the State immediately before Ist April, 1958, are still pending with the police for enquiry ; if so, their number together with the names of the Police Stations where they were registered ;

(b) the sections under which the cases referred to in part (a) above were registered, the names of those against whom these were registered and the reasons for not putting each one of them up to the courts for trial ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) Yes. A statement containing the requisite information is enclosed.

Statement showing the cases registered immediately before 1st April, 1958 in which investigation is still pending with the Police.

Part 'A'			*Part 'B'*		
District	No. of cases pending investigation	Name of Police Station	Section under which the case was registered	Names of persons against whom the case was registered	Reasons for not putting up the case in Court
1	2	3	1	2	3
Hissar ..	9	Hissar ..	1. Under section 5 (2) Prevention of Corruption Act	Shiv Dev Raj of Rohtak, Reader to Land Acquisition Officer	The accused, at first, is being dealt with, departmentally and the case is pending for want of result of depatmental enquiry.
			2. Under section 9/1/78, Opium Act	Amin Lal of Slimpur	For want of result of Chemical Examination
		Tohana ..	Under section 7, E.S.T.P., Act	1. Sita Mal of Jakhal Mandi 2. Kesar Chand of Moonak 3. Nathu Ram of Tohana 4. Lal Chand of Moonak	For want of some record of the Irrigation Department, which is with special Police Establishment Staff.
		Sadar Hissar	Under section 5(2) P.O.C.	Not known ..	Under investigation with Vigilance Staff
		Dabwali ..	1. Under section 61, E., Act 2. Ditto .. 3. Under section 4/5, Explosives Act,	Sawant Singh, Bazigar of Bhatinda Lacchu Ram of Mansa Bachittar Singh of village Ganga, police station Dabhwali	Sanction for the prosecution of the accused from State Government is awaited, as the result of chemical examination was received after a period of more than one year
			4. Under section 9, Opium Act	Dalbara Singh of village Ganga, police station Dabhwali	Result of chemical examination awaited
		Tosham ..	Under section 419/420, IPC	1. Santokh Singh 2. Uttam Singh 3. Tara Singh of village Nakerian police station Sadar Fazilka	Actual claimants being not known, efforts are afoot to trace them.

Part 'A'			*Part 'B'*		
District	Number of cases pending investigation	Name of Police Station	Section under which the case was registered	Names of persons against whom the case was registered	Reasons for not putting up the case in court
1	2	3	1	2	3
Rohtak ..	2	City Rohtak	1. Under section 409, IPC	1. Mohan Lal of Dera Dun 2. Amar Nath of Kangra	The challan of the case was prepared, but the Prosecution Branch raised some objections and sent back the papers to the police station for further investigation.
			2. Under section 5/(2)47 C. Act	Shri Hans Raj, Excise and Taxation Inspector, Rohtak	Result of inquiry from the Vigilance staff awaited
Gurgaon ..	..	..	..	..	..
Karnal ..	5	Thanesar..	Under section 5(2) Corruption Act, Under section 409/420 and 120-B, IPC	Various officers of the P.W.D. (Irrigation Branch of Narwana Circle) are involved in this case	All these cases are under investigation with the Vigilance Staff
			Under section 419/420 IPC	Sharam, Gurmukh Singh, Mohinder Singh, Sangat Singh, Bhan Singh, Kirpal Singh, Fauja Singh and 7 others	The challan of this case was prepared and sent to the Prosecution Branch for checking, before submission to court. They raised some objections, which are being complied with.
Ambala ..	..	..	..	..	..
Simla ..	1	Sadar Simla	Under section 409/468/477-A, 420 IPC	Ved Pal of Basti Sheikhan, Jullundur City	Certain documents from Pakistan authorities awaited

Kangra ..	2	Kangra ..	(i) Under section 5/2/47, P.O.C. Act (ii) Ditto ..	Chaudri Ram, Clerk of Court of Sub-Judge, Kangra Tota Ram, Patwari	The accused in this case is at first being dealt with departmentally. The result of the departmental enquiry is awaited
Hoshiarpur	3	Mukerian	(i) Under section 406/409, IPC	Faqir Chand, Patwari, Halqa Daggon, police station Mukerian	For want of original Dhal Baachh from the department concerned, on the basis of which the amount was collected and misappropriated
		Anandpur Sahib	(ii) under section 409, IPC	Balraj Grover, ex-Mechanical Overseer, Nangal Township	Non-availability of the accused
			(iii) Under section 5/2, P.O.C. Act	Jagdish Chander, Overseer ..	The accused at first is being dealt with departmentally. The result of departmental enquiry is awaited
Ludhiana	..	..	..	..	..
Kapurthala	1	City Kapurthala	Under section 379/420, IPC	S. Bishan Singh, Tehsildar ..	Result of enquiries by the Vigilance Staff is awaited
Ferozepur Amritsar Gurdaspur	..	..	..	..	..
Patiala ..	7	City Nabha	Six under section 420/409/406/467, and One Under section 467/471/409, IPC	Not known	Result of enquiries by the Vigilance Staff awaited
Sangrur ..	4	Dhuri ..	Under section 5(2), P.O.C., Act	Sewak Singh Sodhi, Ex-Patwari of Dhuri ..	Result of enquiry by the Vigilance Staff awaited
		Sehna ..	Under section 5(2) P.O.C., Act	Man Singh, Patwari of Raya Hari Parkash, Sub-Inspector	Result of departmental enquiry being conducted by M.I.C., awaited
		Barnala ..	Under section 408, IPC	Shamsher Singh of Phul Mandi ..	For want of original documents from the department concerned

Part 'A'			*Part 'B'*		
District	Number of wages pending investigation	Number of Police Station	Section under which the case was registered	Names of persons against whom the case was registered	Reasons for not putting up the case in court
1	2	3	1	2	3
		Jind ..	Under section 406/420, IPC	Ram Sarup, Petition Writer of Jind ..	For want of original documents from the department concerned
Bhatinda ..	2	Kotwali Bhatinda	Under section 20/21/22, F.O.Act	Mohan Lal, Rup Chand, Ram Kumar, Rattan Lal, Kalwant Rai, Ranjit Singh, Kidar Nath, Chanan Ram, Bansi Dass, Piare Lal, Jaswant Singh, Ramji Dass, Assa Ram, Kundan Lal, Radhey Shayam, Ghania Lal, Prem Singh, Prabh Dayal, Shiv Bhagwan, Banarsi Dass, Babu Ram and Labhu Ram	Advice of Commission of Forward Committee awaited
		Maur ..	Under section 5/2, P.O.C., Act	Madai Dass, A. M. O., Maur ..	Result of enquiry by Vigilance Staff awaited
Mahendragarh	3	Kanina ..	Under section 5/2, P.O.C., Act	Balbir Singh ..	Ditto
		Narnaul	Under section 5/2, P.O.C., Act	Tarpas Ram ..	Ditto
		Nangal Chaudhry	Under section 5/2, P.O.C., Act	Mahadev Vaid ..	Ditto
Jullundur	2	Nurmahal	Under section 61/1/14, E Act	Pritam Singh ..	Result of Chemical Examination awaited
			Ditto	Ram Parkash ..	Ditto

GARDENS AND GARDEN COLONIES IN THE STATE

2357. Shri Ram Piara : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the total area under gardens and the area under garden colonies districtwise in the State at present ;

(b) whether the areas reserved or allotted for Gardens have been developed into Gardens ; if not, the reasons therefor ;

(c) whether any preferential treatment in connection with the supply of canal waters to the Gardens colonies is given ; if so, what ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Statement is attached.

(b) *Part I.*—No.

Part II.—On account of water-logging in some colonies and also lack of irrigation facilities in others, areas have not been fully developed in Gardens. There is also lack of interest on the part of allottees. Since the allottees have been given proprietary rights, Government have no power to compel the colonists for completing the remaining plantations.

(e) No.

District-wise area under gardens and garden colonies in the year 1957-58

Serial No.	Name of the district		Estimated area under gardens	Estimated area under garden colonies
1	Kangra	..	2,606	..
2	Gurdaspur	..	1,882	119.40
3	Hoshiarpur	..	4,615	190.00
4	Amritsar	..	4,892	309.75
5	Kapurthala	..	80	..
6	Jullundur	..	746	269.00
7	Ludhiana	..	1,338	465.25
8	Ferozepur	..	9,354	814.75
9	Bhatinda	..	1,355	..
10	Sangrur	..	1,751	..
11	Hissar	..	4,239	448.12
12	Rohtak	..	2,234	464.86
13	Karnal	..	2,285	300.50
14	Gurgaon	..	491	..
15	Mohindergarh	..	1,983	..
16	Ambala	..	9,097	186.20
17	Patiala	..	5,935	..
18	Simla	..	361	..
	Total	..	55,244	3,567.75

GRANT-IN-AID GIVEN TO ISLAMIA MIDDLE SCHOOL, MALERKOTLA

2359. Sardar Jasdev Singh Sandhu : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether the Islamia Middle School, Malerkotla, is on the grant-in-aid list of the Education Department ; if so, the amount sanctiond for it annually ;

(b) whether the grant-in-aid to the said school for the years 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58 and 1958-59 has been paid ; if not, the reason therefor ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) In erstwhile pepsu all recognised schools were given grant-in-aid . So there was no standing list. Grant for each school was sanctioned from year to year.

(b) The school was paid as grant Rs. 925-6-0 in the year 1953-54 and Rs 912-5-0 during the year 1955-56.

Certain conditions were imposed by the Examiner, Local Fund Accounts, Punjab, Jullundur, before grant for the year 1954-55 could be released. The matter is still under examination in consultation with the Examiner, Local Fund Accounts. The papers regarding the payment of grantin-aid for the year 1956-57, 1957-58 and 1958-59 have been received now and are under scrutiny. The grant for these years will be paid to the school during the current financial year after the verification report is received from the Local Fund Accounts, Punjab, Jullundur.

MEETINGS OF THE HEALTH ADVISORY COMMITTEE FOR PATIALA DIVISION

2360. Sardar Jasdev Singh Sandhu : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of meetings held, and the recommendations made by the Health Advisory Committee for the Patiala Division from the date on which the present Chairman, i.e., the Commissioner of Patiala Division took over ;

(b) the date on which the last meeting of the said Committee was held.

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Nil.

(b) 6th May, 1959.

BRIDGES ON KOTLA BRANCH OF SIRHIND CANAL

Sardar Jasdev Singh Sandhu : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state ;

(a) the names of villages, the foot-bridges of which on the Kotla branch of the Sirhind Canal, were demolished to make wider bridges, and the dates on which each of these bridges was demolished.

(b) whether the wider bridges mentioned in part (a) above have so far been constructed, if not, the reasons therefor ?

Rao Birendar Singh : (a) Ten Bridges on Kotla Branch of Sirhind Canal detailed below were demolished in the years 1956-57 for the villages shown against each with dates—

Serial No.	R.D. of bridge	Name of village	Date of demolishing
1	4950	Jabomajra	21st January, 1957
2	54418	Banbhora	3rd February, 1957
3	116252	Rajomajra	8th February, 1957
4	136741	Hassanpur	23rd January, 1956
5	169580	Bhaini Maharaj	2nd February, 1956
6	204500	Bugra	8th February, 1957
7	209942	Mandher	February 1956
8	353000	Maur Charat-Singh Wala	31st January, 1956
9	359000	Mari	30th January, 1956
10	411000	Mahi Nangal	April, 1956

(b) Out of Ten Nos. Bridges, eight have since been reconstructed. The remaining 2 No. Bridges at R.D. 54418 and 116252 are yet to be reconstructed. Their design is under check and scrutiny.

CRIMES COMMITTED IN DISTRICT ROHTAK IN 1959

2363. Shri Mangal Sein : Will the Chief Minister be pleased to state the details of the crimes committed within the jurisdiction of each of the police station in district Rohtak during the year 1959 ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the requisite information is enclosed.

Details of crime committed in each police station of district Rohtak during the yaar 1959

Offences	City Rohtak	Sadar Rohtak	Kala-naur	Sampla	Jhajjar	Bahadur-garh	Beri	Salhawas	Sonepat	Ghanaur	Rai	Gohana	Meham	Baroda	Railway Karnal	Railway Jind	Railway Rewari
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Murder (302 IPC) ..	..	3	1	4	2	3	1	1	2	3	2	4	4	1	..	1	..
Robbery (392/394 IPC) ..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	2	1	1	..	..
Hurt (324/325/326 IPC) ..	16	6	5	9	8	8	3	10	8	3	12	9	6	3	..	..	..
Rioting (147/148/149 IPC) ..	1	4	..	..	4	3	1	..	3	4	2	4	2	3	..	..	..
Unlawful Assembly (143 IPC)	5	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
Burglary (454/457/458/459/460 IPC) ..	23	8	13	18	14	10	6	6	24	12	15	10	14	8	..	..	..
Theft (379/380/381 and 382 IPC) ..	49	11	8	14	13	16	7	7	40	20	7	12	11	8	8	7	..
171 IPC ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
307 IPC ..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	3	1	..	1	..	..	..
304 IPC ..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	1	..	1	..	2	..	..	..
376 IPC ..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	2	..	..	1	..	..	..	..
317/318 IPC ..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
309 IPC ..	2	1	..	1	1	..	2	..	1	..	..	1	2	..	1	4	..
64/366/369/371 IPC ..	3	2	..	1	1	1	..	..	5	1	1	1	..	1	..	..	..
3/332 IPC ..	..	1	..	1	1	..	..	1	3	..	1	1	2	..	1	..	..

186 IPC	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
354 IPC	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	1	2	1	..	..	..
304-A/338 IPC	8	5	..	3	4	9	..	1	1	1	1	1	1	..	..	1	..
430 IPC	..	1	1	4	..	2	2	..	2	2	..	..	5	1	..	..	..
435/436 IPC	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..
420 IPC	8	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	1	..	..	1	..
342 IPC	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
336 IPC	7	2	..	4	2	1	..	..	1	5	2	1	..	..	..	..	..
406/409 IPC	5	1	3	..	2	..	1	1	4	..	..	..	2	2	..	..	..
377 IPC	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
328 IPC	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
429 IPC	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13/3/67 Gambling Act	28	1	..	2	..	2	5	..	30	..	..	6	..	..	..	..	..
61/1/14 Excise Act	41	27	10	26	26	33	36	17	31	13	11	29	30	27	..	1	..
19/11/78 Arms Act	4	5	2	9	1	6	5	1	3	4	2	1	5	4	..	..	..
9/1/78 Opium Act	13	2	2	3	11	16	11	..	12	1	..	2	5	7	..	..	..
7/10/55 E. C. Act	3	..	..	5	..	7	1	..	8	19	3	..	..	2	6	2	..
5/2/47 Corruption Act	..	..	..	1	3	..	..	..	1	4	..	..	1	..	..	..	..
165-A, Corruption Act	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Railway Act	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	1
506 IPC	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..

Offences	City Rohtak	Sadar Rohtak	Kalanur	Sampla	Jhajjar	Bahadurgarh	Beri	Salhawas	Sonepat	Ghanaur	Rai	Gohana	Meham	Baroda	Railway Karnal	Railway Jind	Railway Rewari
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Indian Passport Act ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Foreigners Act ..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
411 IPC ..	4	3	..	1	1	2	1	2	12	5	..	1	4	1	..	..	..
171/F ..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Fishes Act ..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Representation of People Act	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Explosive Act ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Instrument of Noises Act ..	2	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
216 IPC ..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
215 IPC ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
447/448 IPC ..	6	..	1	..	..	..	..	..	4	..	2	2	1	..	..	..	..
279 IPC ..	..	1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..
224 IPC ..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Total) ..	232	85	49	112	99	127	85	52	205	105	68	89	101	75	23	26	1

REPAIRS TO BUILDINGS OF PROVINCIALIZED PRIMARY, MIDDLE AND HIGH SCHOOLS

2365. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state separately—

(a) the amount allotted for the repairs of the provinicialized Primary, Middle and High School Buildings in the State during the year 1958-59 and 1959-60 ;

(b) the dates when the decisions to make the said allotments were taken ; and the dates when the sanction in respect of these allotments were conveyed ;

(c) the amounts out of the said allotment spent on repairs during each of the years mentioned above ?

Shri Amar Nath Yidyalankar :

		Year 1958-59.	*Year 1959-60*
(a)	Primary Schools in Rural areas. ..	Rs 10,00,000	Rs 10,00,000
	Primary Schools in Urban area and Middle, High and Training Institutions in the State. ..	Rs 10,00,000	Rs 10,00,000

(*b*) *Sanction received from Government.*

(*1*)	Primary Schools in Rural areas. ..	7.1.59	28.9.95
(2)	Primary Schools in Urban area and Middle, High and Training Institutions in the State. ..	30.12.1958	*3.12.1959

Sanction conveyed

Primary Schools in Rural area. ..	21.2.1959	18.1.1960
Primary Schools in Urban area and Middle, High and Training Institutions in the State. ..	20.2.1959	*8.1.1960

(c) Information is being collected from the Chief Engineer, P.W.D. (B and R), Patiala and Deputy Commisssioners.

*Sanctions were accorded to individual estimates received from the Chief Engineer (B and R.)

SCHOOLS TAKEN OVER BY EDUCATION DEPARTMENT FROM THE COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCKS

2365. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of primary, middle and high schools taken over by the Education Department from the Community Development Blocks in the State during the year 1957-58, 1958-59 and 1959-60 ; and

(b) the dates when the Education Department was asked by the different B.D.Os to take over the said schools and the dates when these schools were actually taken over and the dates when the salaries of the teachers in these schools were paid for the intervening periods ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) and (b) . A statement is laid on the Table of the House.

Statement showing school taken over by Education Department from the Community (Projects) Development Blocks

Serial No.	Year		C. P. Schools taken over by Education Department				The dates when Block Development Officer's asked for taking over the schools
			High	Middle	Lower Middle	Primary	
1	2		3	4	5	6	7
1	1957-58	..	12	49	..	297	The Deputy Secretary, Development Department, referred the matter to the Education Department on 30th December, 1956
2	1958-59	..	..	..	..	..	..
3	1959-60	(A)	1	4	5	11	(a) The schools taken over were of Bhadson and Moga Blocks. In regard to Bhadson Block, complete information was supplied by Development Commissioner on 13th February, 1958 and for schools in Moga Block on 21st May, 1958
		(B)	..	8	..	47	(b) Complete information was supplied by the Development Commissioner on 31st August, 1959

	The dates when actually taken over		*The dates when the salaries of the teachers in these schools were paid for the intervening period*
1	The sanction for the taking over was issued on 18th June, 1957 ..	1.	The payment of arrears were made during the period from July, to October, 1957
2	Nil	2.	Nil
3	(a) The sanction was communicated on 29th June, 1959 .. (b) The sanction was communicated on 24th December, 1959 ..	3.	The payment to most of the teachers have been made and arrangements for the settlement of the rest of the claims are being made. The exact date on which the payment has been made to each individual is not available

STAFF UNDER THE ERADICATION OF INDISCIPLINE SCHEME IN THE STATE

2367. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the strength of the staff, and their names, appointed in connection with the Eradication of Indiscipline Scheme ;

(b) the date of appointment of each of the said staff and the salary etc. paid to each ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) and (b) The required information is enclosed.

STAFF AT HEADQUARTERS

Name and Designation	Date of appointment	Salary etc. paid
1. Shri Prithvi Singh, Officer-In-charge	18th December, 1957	Rs 800 fixed
2. Mrs. Prithvi Singh, Youth Welfare Officer for Girls	25th February, 1959	Grade of Rs 250/750, P.E.S.II
3. Shri Shiv Charan Gupta, Stenographer	13th March, 1959	Grade of Rs 100/175
4. Shri Janmeja Singh, Clerk ..	1st April, 1959 ..	Grade of Rs 60/175
5. Nand Lal, Peon ..	23rd September, 1959	Grade of Rs 30—½—35
6. Shri Shankar Dass, Driver ..	2nd May, 1958	Grade of Rs 50—3—80

STUDENTS IN GOVERNMENT AND IN PRIVATELY-MANAGED SCHOOLS AND COLLEGES IN THE STATE

2368. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the total number of students studying in the privately-managed schools and colleges and in the Government schools and Colleges (other than Anglo-Indian Schools) in the State, separately during the years 1958-59 and 1959-60 and the expenditure incurred thereon by Government, respectively ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : A statement giving the requisite information is enclosed.

Statement

1958-59

1.	Number of Students in Government Arts and Science Colleges ..	15,946
2.	Number of Students in Non-Government Arts and Science Colleges	38,295
3.	Total direct expenditure on Government Arts and Science Colleges from Government Funds	Rs 25,07,614

4. Total direct expenditure on Non-Government Arts and Science Colleges from Government Funds — Rs 7,80,233
5. Number of Students in Government Schools for General Education (excluding Anglo Indian Schools) — 14,23,002
6. Number of Students in Non-Government Schools for General Education (excluding Anglo Indian Schools) — 4,44,764
7. Total direct expenditure on Government Schools for General Education (excluding Anglo-Indian Schools) from Government Funds — Rs 5,47,50,135
8. Total direct expenditure on Non-Government Schools for General Education (excluding Anglo-Indian Schools) from Government Funds — Rs 15,24,819

1959-60

Figures for the year 1959-60 will be collected after the end of the year.

SITTING OF THE ASSEMBLY

पंडित श्री राम शर्मा : एक अर्ज़ यह है कि सोमवार को हाउस ९ बजे सवेरे की बजाए दो बजे बाद दुपहर को meet करना चाहिये क्योंकि मेम्बर साहिबान बाहर से आएंगे ।

10 a.m.

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई एतराज़ नहीं । House सोमवार, २९ तारीख को ९ बजे की बजाए २ बजे बाद दुपहर को meet करेगा । (I have no objection. The House will meet at 2 p. m. instead of 9 a.m. on monday the 29th instant)

PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR ACHHAR SINGH CHHINNA

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : On a point of personal explanation, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ refer ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਬਾਹਰ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ explain ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ...... (*noise and interruptions*)

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ । ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ । .... (*noise*)

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਉ (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲ ਹੋਈ । ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ points ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ agitation ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ ; ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਦਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ explanation ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

श्री अध्यक्ष : मैं ने भी आप के कहने पर आप को अपील की थी (ज़ोर की हंसी) I too had made an appeal to the Hon'ble Member at his instance) (*loud laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ complication ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ (ਹਾਸਾ) ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ action ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਪ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਕਢੀ ਕਿ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ? (ਹਾਸਾ) (These newspapers often write so many things why does he worry ? (*Laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਜ਼ੇਰ ਗੌਰ ਹੈ (*loud laughter and cheers*) ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ party affairs ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਨਾ discuss ਕਰੋ। (The hon. Member need not discuss the party affairs here.)

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ practical commitment ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਹਾਸਾ)

PRESENTATION OF BUDGET FOR THE YEAR 1960-61

डा० गोपी चन्द भार्गव (वित्त मंत्री) : श्रीमन्, मैं साल १९६०-६१ का बजट पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ ।

आर्थिक स्थिति

२. सब से पहले मैं माननीय मैम्बरों के सामने राज्य की आर्थिक हालत से मुतल्लका कुछ अहम बातें रखना चाहता हूँ । पिछले कुछ सालों से देश में थोक कीमतों का जो रुझान चढ़ाव की ओर रहा है वह १९५९, में भी जारी रहा । थोक कीमतों के अखिल भारतीय औसत सूचक आंकड़े, १९५२-५३ को आधार मानते हुए, १९५९ में ११६ थे जबकि ये १९५८ में १११ थे । पंजाब के ग्राम सूचक आंकड़े भी इसी रुझान को ज़ाहिर करते हैं । अक्तूबर-दिसम्बर को आधार मान कर ये आंकड़े, जो १९५८ में १०४ थे, १९५९ में बढ़ कर ११२ हो गए ।

साल १९५९-६० में इस राज्य में एक अजीब बात यह हुई कि बावजूद इस बात के, कि पिछले साल अनाज की पैदावार में खास इज़ाफा हुआ, खेती से पैदा होने वाली वस्तुओं की कीमतें बहुत चढ़ गईं । संतोष की बात है कि राज्य सरकार ने इस बारे में जो कोई एक पग उठाए, उन की वजह से कीमतों में चढ़ाव के इस रुझान पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है । यह बात खेती की वस्तुओं के थोक-कीमतों के इन सूचक आंकड़ों से ज़ाहिर हो जाती है । ये आंकड़े जो नवम्बर, १९५८, में १२५ से बढ़कर, फरवरी, १९५९ में १४३ हो गए थे, घटते-घटते पिछले दिसम्बर में १०९ रह गए, जबकि ये १९५८ के दिसम्बर मास में १२६ थे । थोक कीमतों का यह रुझान मज़दूर तबके के लिये उपभोगी कीमतों के सूचक आंकड़ों (वर्किंग क्लास कन्ज़्यूमर प्राइस इण्डैक्स नम्बर) से भी ज़ाहिर होता है । ये आंकड़े, लुधियाना में, १९४९ को आधार मानते हुए जनवरी से मार्च, १९५९ के अर्से में बढ़कर १०६ हो गए थे, लेकिन अक्तूबर, १९५९ में ये घटकर ९९ यानी उसी सतह पर आ गए जोकि इससे पहिले साल के इसी अर्से में थी ।

इन हालात पर काबू पाने के लिये जो कई एक कदम उठाए गए उन में से खास-खास ये हैं । गेहूँ और चावल को राज्य से बाहर भेजने पर पाबन्दी लगा दी गई, गेहूँ से तैयार होने वाली चीज़ों के उत्पादन पर बंदिश लगा दी गई, गेहूँ और खांड की कीमतों और उन की तकसीम पर जुज़्वी बंदिश लगा दी गई और इस काम के लिये सस्ते अनाज की दुकानें खोली गईं, और राज्य की मुख्तलिफ मंडियों में हर रोज़ जितना माल आता है उस सारे को या उसके एक हिस्से को खरीदने के अधिकार हासिल करके अनाज का ज़खीरा किया गया ।

विदेशी मुद्रा की कमी, और इसकी वजह से मशीनरी और कच्चा माल बाहिर से कम आने के कारण पेश आने वाली कठिनाइयों के बावजूद पिछले साल की निसबत इस साल देश की सनअती अर्थ-व्यवस्था में काफी तरक्की हुई । दर असल इन कठिनाइयों की वजह

[वित्त मंत्री]

से ही यहां पर ज्यादा माल तैयार करने का माहौल पैदा हुआ और मुकामी तौर पर सामान तैयार कर लेने की लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली। यहां की सनअतों ने राज्य की आम मांगों को भली भांति पूरा किया ; न सिर्फ यहां की सनअती पैदावार में आम बढ़ती हुई बल्कि कई नई सनअतें भी जारी हुई। इंजीनियरिंग की छोटी सनअतों के क्षेत्र में नुमायां तरक्की हुई और अलमूनियम कास्टिंग्स, बैल्ट कन्वेयर्ज़ और एक हॉर्स पावर से कम ताकत की मोटरें तैयार करने वाले नए कारखानों ने पिछले साल के दौरान सामान तैयार करना शुरू किया। टिशू पेपर, रौशनी के लिये बिजली का सामान, पानी के मीटर, फोटो फ्लैश बल्ब और कई दूसरी फुटकर चीज़ों के कारखानों की तकमील में भी काफी तरक्की हुई ।

साल के दौरान राज्य की बड़ी सनअतों के सामान की पैदावार में भी काफी सुधार हुआ। राज्य की सूती कपड़े की मिलों ने ६०८ लाख गज़ कपड़ा और ११६ लाख पौंड सूत तैयार किया जबकि इससे पहिले साल में इन्होंने ५७६ लाख गज़ कपड़ा और ११२ लाख पौंड सूत तैयार किया था। खांड की पैदावार लगभग ७७ हज़ार टन से बढ़कर ८० हज़ार टन हो गई। ऊनी तागे की भारी तंगी के बावजूद हौज़री की चीज़ों का उत्पादन ३.५० करोड़ रुपए से बढ़कर ३.७० करोड़ रुपए हो गया। मशीनी आलों और खेती-बाड़ी के औज़ारों के उत्पादन में लगभग २० फीसदी की और बाईसिकलों व बाईसिकलों के पुर्ज़ों और साईंस के सामान के उत्पादन में १६ फीसदी की बढ़ती हुई। राज्य की सीमेंट, शीशा, बिजली की मोटरें, पानी के नल और इससे मुतल्लका सामान, गन्दा बरोज़ा और तारपीन वग़ैरा की दूसरी कई अहम सनअतों के उत्पादन में भी बढ़ती हुई।

राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शुरू की गई स्कीमों के फलस्वरूप खादी उद्योग और दूसरे कई ग्राम-उद्योगों ने काफी तरक्की की। खादी के उत्पादन में भी काफी बढ़ती हुई। १९५७-५८ में इस का उत्पादन ३२.९८ लाख वर्ग गज़ था जो १९५८-५९ में बढ़कर ७०.९० लाख वर्ग गज़ हो गया है। इसी अर्से में खादी के मंज़ूरशुदा अदारों की बिक्री ७५ लाख से बढ़कर १२१.४६ लाख रुपए हो गई। अम्बर-चर्खा के प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में भी काफी तरक्की हुई। खादी बोर्ड की तरफ से दी जाने वाली टैक्नीकल और माली मदद की वजह से गुड़, खांडसारी, हाथ के बने कागज़, शहद, और खाने के काम में न आने वाले तेलों से तैयार होने वाले साबुन का उत्पादन भी बढ़ा है।

३. जैसा कि रिवाज है मैं हॉऊस के सामने १९६०-६१ के बजट अनुमान पेश करने से पहले, सरसरी तौर पर १९५८-५९ और १९५९-६० की माली तस्वीर पेश करूँगा।

बजट

माननीय मैम्बर इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये फाईनैंस सैक्रेटरी का मुफस्सल मैमोरेंडम देखें।

साल १९५८-५९

४. साल १९५८-५९ के लेखे (अकाउंट्स) से पता चलता है कि साल के शुरू में २१,४० लाख रुपए का कुल बकाया था जो साल के आखीर में २४,१० लाख रुपए हो गया। इस तरह इस बकाए में २७० लाख रुपए की बढ़ती हुई जिसका ब्यौरा यह है :—

		(लाख रुपयों में)
आगम लेखा (रैविन्यू अकाउण्ट)	..	+८,०५
पूंजीगत खर्च (शुद्ध) (कैपिटल एक्सपैंडीचर) (नैट)	..	—१२,२०
सरकार द्वारा दिए गए कर्ज़े और पेशगियां (शुद्ध)	..	—२,८७
लिये गए कर्ज़े (शुद्ध) (पब्लिक डैट) (नैट)	..	+८,१९
कंटिंजैंसी फण्ड	..	+२
किसी मद में न आने वाला कर्ज़ा (शुद्ध) (अनफण्डिड डैट) (नैट)	..	+३९
जमा रकमों और चुकती रकमों के लेनदेन, जिन में लगाई गई पूंजी शामिल नहीं (डिपाज़िट्स एण्ड रिमिट्टैंस ट्रांज़ैक्शन्ज़ (एक्सक्लूडिंग इनवैस्टमैंण्ट्स)	..	+१,१८
जोड़	..	+२,७०

इस साल के आखीर में लगाई गई पूंजी (इन्वैस्टमैंट) की रकम १५,७३ लाख रुपए थी जबकि साल के शुरू में यह १८,२६ लाख रुपए थी। इस तरह इस में २,५३ लाख रुपए की कमी हुई है लेकिन दूसरी तरफ नकद बकाए में ५,२३ लाख रुपए का इज़ाफा हुआ है।

साल १९५९-६०

आगम लेखा (रैविन्यू अकाउंट)

५. विधान मण्डल में पेश किए गए १९५९-६० के बजट अनुमानों के अनुसार आगम प्राप्तियों (रैविन्यू रिसीट्स) का ५२,८८ लाख और आगम खर्च (रैविन्यू एक्सपैंडीचर) का ५३,२० लाख रुपए का अनुमान था। इससे ३२ लाख रुपए का घाटा ज़ाहिर होता था। यह अंदाज़ा लगाया गया था कि मोटर स्पिरिट की बिक्री पर और मोटर गाड़ियों से सफ़र करने वाले मुसाफिरों और ढोए जाने वाले माल के किराए और भाड़े पर टैक्स की दरों को और बढ़ाने से, जिसकी कि पिछले

[वित्त मंत्री]

साल के बजट में घोषणा की गई थी, यह घाटा ४० लाख रुपये की बचत में बदल जाएगा। बाद में यह फैसला किया गया कि किराए और भाड़े पर टैक्स की दरें न बढ़ाई जाएं। इस तरह साल १९५९-६० के अन्त में २० लाख रुपए के आगम घाटे के बने रहने की आशा थी लेकिन अब दोहराए गए अनुमानों के अनुसार आगम-प्राप्तियों के ५६,८९ लाख रुपए और आगम खर्च के ५१,१७ लाख रुपए होने के कारण ५,७२ लाख रुपये की बचत होगी।

आगम प्राप्तियों और आगम खर्चों में खास-खास घटा-बढ़ियां ये हैं :—

आगम प्राप्तियां		(लाख रुपयों में)	आगम खर्च	(लाख रुपयों में)
केन्द्रीय आबकारी ड्यूटियां		+९	ज़मीन का लगान	—३६
रेल भाड़ों पर टैक्स		+१८	ब्याज	—४६
अस्टाम (स्टैम्प)		+९	कर्ज़ा	+२२
जंगलात		+१९	शिक्षा	—४९
बिक्री टैक्स		+६८	चिकित्सा (मैडिकल)	—१५
दूसरे टैक्स तथा ड्यूटियां		+८	लोक-स्वास्थ्य (पब्लिक हैल्थ)	—२०
सिंचाई—			पशु-पालन	—१५
कुल वसूलियां	+३८		बहुमुखी नदी योजनाएं	—१,२२
चालन खर्च	—३२	+७०	अकाल	+२६
ब्याज		+५७	पैंशनें	+५१
शिक्षा		—२०		
खेती-बाड़ी		+३६		
बहुमुखी नदी योजनाएं		+३४		
फुटकर (मिस्लेनीयस)—				
यातायात (ट्रांसपोर्ट)	—१०			
अन्य	+३८	+२८		
सहायता अनुदान		+१८		
सामुदायिक योजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं (एन-ई-एस) तथा स्थानीय विकास कार्य		+४०		

६. दोहराए गए अनुमानों के मुताबिक पूंजीगत खर्च मूल बजट में रखी गई २१, १४ लाख रुपए की रकम के मुकाबले में २०, २९ लाख रुपए हैं। इस तरह ये आंकड़े खर्च में ८५ लाख रुपए की कमी दिखाते हैं। ये कमी इन मदों में हुई है (१) सिंचाई कार्य (७८ लाख रुपए), (२) चंडीगढ़ राजधानी (५२ लाख रुपए), (३) भाखड़ा नंगल योजना (१०२ लाख रुपए), (४) सिविल वर्क्स (४४ लाख रुपए), और (५) पैंशनें (२ लाख रुपए)। ये मदें पूंजीगत खर्च में २,७८

पूंजीगत लेखा (कैपीटल अकाउण्ट)

लाख रुपए की कमी दिखाती हैं, लेकिन कुछेक कामों पर १,९३ लाख रुपए की बढ़ती हुई है, जिसकी तफ़सील यह है––(१) खेती-बाड़ी का सुधार और इस सम्बन्ध में खोज (७ लाख रुपये), (२) बस-सर्विसें (१८ लाख रुपए), (३) सरकारी व्यापार (१६७ लाख रुपए), और (४) रेलों तथा सड़क यातायात में तालमेल की स्कीम (१ लाख रुपए)।

कर्ज़ों और पेशगियों की दिशा में मूल बजट में पेशगियों के लिये १३,३५ लाख रुपए की रकम रखी गई थी और वसूलियों का अनुमान ५०८ लाख रुपये लगाया गया था। इससे मूल बजट की इस मद में ८,२७ लाख रुपये का शुद्ध घाटा (नैट डैबिट) ज़ाहिर होता था। किन्तु दोहराए गए अनुमानों के मुताबिक पेशगियों की रकम १५, ४२ लाख रुपए है और वसूलियों की रकम, ५,१६ लाख रुपए। इससे १०,२६ लाख रुपये का शुद्ध घाटा (नैट डैबिट) जाहिर होता है। इस शुद्ध घाटे में १,९९ लाख रुपए की बढ़ती के बड़े कारण ये हैं–– (१) फसल की कटाई के समय गेहूँ खरीदने के वास्ते तीसरे और चौथे दर्जे के सरकारी कर्मचारियों को दी गई पेशगियां (७५ लाख रुपये), (२) पूंजीकृत (कैपिटलाइज्ड) ब्याज चुकाने के लिये बिजली बोर्ड को कर्ज़ा (८० लाख रुपये), और (३) कम आमदन वाले लोगों के लिये मकान बनाने की योजना के अधीन कर्ज़े (४० लाख रुपये)।

दोहराए गए अनुमानों के अनुसार कर्ज़े, जमा रकमें, और चुकती रकमों के लेन देन ५,२९ लाख रुपए का घाटा (डैबिट) ज़ाहिर करते हैं जबकि मूल बजट में ७,०६ लाख रुपये की बढ़ती (क्रैडिट) दिखाई गई थी। १२,३५ लाख रुपये की इस कमी के कारण ये हैं––५,५० लाख रुपये के ट्रेयरी बिल जिन्हें मूल बजट में वापिस निकलवाने का अनुमान था लेकिन जो भुनाए नहीं गए; चालू साल में ट्रेयरी बिलों में ५,८१ लाख रुपये और लगाये गये; तथा डिपाजिट की दूसरी मदों में पहले से ज़्यादा घाटा (डैबिट) हुआ।

साल १९६०-६१

७. अब मैं १९६०-६१ के बजट प्रस्तावों की तरफ आता हूं। इस साल के मुख्तलिफ लेखा-खातों का विवरण १९५९-६० के दोहराए गए अनुमानों के मुकाबले में इस प्रकार हैं––

बजट प्रस्ताव

		दोहराए गए अनुमान १९५९-६० (लाख रुपयों में)	बजट अनुमान १९६०-६१ (लाख रुपयों में)
(१) साल के शुरू में बकाया––			
(क) लेखा पुस्तकों के मुताबिक	..	८,३७	८०
(ख) लगाई गई पूंजी	..	१५,७३	२१,३८
(२) आगम लेखा––			
(क) आगम प्राप्तियां	..	५६,८९	५९,४२
(ख) आगम खर्च	..	५१,१७	५७,७३

[वित्त मंत्री]

(ग) बढ़ती	..	+५,७२	+१,६६
(३) पूंजीगत खर्चा	..	२०,२६	३०,०६
(४) कर्जे और पेशगियां—			
(क) पेशगियां	..	१५,४२	१५,३६
(ख) वसूलियां	..	५,१६	६,०४
(ग) शुद्ध	..	—१०,२६	—६,३५
(५) कर्जे (शुद्ध)	..	२२,५५	३०,६२
(६) किसी मद में न आने वाला कर्जा (शुद्ध)	..	५७	६८
(७) जमा रकमें और पेशगियां तथा चुकती रकमों के लेन देन	..	—५,८६	+६,०६*
(८) खाता बंद करते समय बकाया—			
(क) लेखा पुस्तकों के मुताबिक	..	८०	४१
(ख) लगाई गई पूंजी	..	२१,३८	१५,१८

*इस में ५,५० लाख रुपये के ट्रेयरी बिलों का वापिस निकलवाना (री-डिस्काऊंटिंग) शामिल है।

इस प्रकार आगम लेखों से पता चलता है कि प्राप्तियों की रकम ५६,४२ लाख रुपए है और खर्च की रकम ५७,७३ लाख रुपए। इस तरह इस में १,६६ लाख रुपए की बचत हुई (तालियां)। इन आंकड़ों से ज़ाहिर होता है कि चालू साल के दोहराए गए अनुमानों के मुकाबले में प्राप्तियों और खर्च, दोनों में काफी बढ़ती हुई है। आगम प्राप्तियों में २,५३ लाख रुपये की बढ़ती नीचे लिखी मदों से ज़ाहिर होती है :—

		(लाख रुपयों में)
आमदनी पर टैक्स	..	—१,१६
ज़मीन का लगान	..	+६४
राज्य आबकारी ड्यूटियां	..	+२५
बिक्री टैक्स	..	+८
अन्य टैक्स तथा ड्यूटियां	..	+२०
सिंचाई	..	—८८
ब्याज	..	+४२
जेलें	..	+६
लोकहितकारी महकमे	..	+६
सिविल वर्क्स	..	+१४

फुटकर—

यातायात +५५ } अन्य +३४ }	..	+८९
ग्रांटें	..	+१,२९
असाधारण प्राप्तियां	..	+९
सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, और स्थानीय विकास-कार्य		+३५

इन घटाबढ़ियों का फाइनैंस सैक्रेटरी के मैमोरैंडम में तफसील से ज़िक्र किया गया है।

आगम खर्च में ६,५६ लाख रुपए की बढ़ती नीचे लिखी अहम मदों में हुई :—

		(लाख रुपयों में)
ज़मीन का लगान	..	+२९
सिविल प्रशासन	..	+७४
लोकहितकारी महकमे	..	+४,०८
सिविल वर्क्स	..	—७
फुटकर— यातायात ३७ } अन्य ५४ }	..	+९१
सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं और स्थानीय विकास कार्य		+६०

८. पूंजीगत खर्चे के लिये ३०,०९ लाख रुपये रखे गए हैं। १३,७९ लाख रुपए की वसूलियां इस से अलग हैं जो खर्चे में कमी के तौर पर दिखाई गई हैं। चालू साल के दोहराए गए अनुमानों के मुकाबले में पूंजीगत खर्चे में ९,८० लाख रुपये की बढ़ती हुई। यह बढ़ती इन मदों पर हुई है—सिंचाई (८,१८ लाख रुपए), सिविल वर्क्स (७९ लाख रुपये), सरकारी व्यापार (३३ लाख रुपए), सनअती तरक्की (२६ लाख रुपये), भाखड़ा-नंगल योजना (१७ लाख रुपए) और चंडीगढ़ राजधानी (७ लाख रुपये)।

पूंजीगत लेखा

पेशगियों के लिये १५,३९ लाख रुपए की तजवीज़ की गई है जिस के मुकाबले में ६,०४ लाख रुपए की वसूलियों का अनुमान है। पेशगियों की मदें इस प्रकार हैं—काश्तकारों के लिये पेशगियां (३,९० लाख रुपए), मकान बनाने के लिये कर्ज़े (९२ लाख रुपए), नैशनल वाटर-सप्लाई तथा सफाई के लिये (७० लाख रुपए), बिजली बोर्ड को कर्ज़े (७,५५ लाख रुपए), सरकारी कमचारियों को कर्ज़े (२३ लाख रुपए), हथखड्डियों को बिजली-खड्डियों में बदलने के लिये (३० लाख रुपए) और दूसरे फुटकर कर्ज़े (१,७९ लाख रुपए)।

[वित्त मंत्री]

९. योजनागत स्कीमों के लिये बजट में ३६.३४ करोड़ रुपए के कुल खर्च की तजवीज है। जैसा कि पिछले साल बजट पेश करते हुए मैं ने कहा था नए (इण्टैग्रेटिड) पंजाब की योजना पर १६२.६८ करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव था। योजना के पहले तीन सालों में योजनागत मुख्तलिफ स्कीमों पर ८१.१७ करोड़ रुपए खर्च किए गए। चालू माली साल के लिये योजना का दोहराया गया खर्च ३४.६० करोड़ रुपए है। इस तरह इस साल के आखीर तक योजनागत स्कीमों पर खर्च का अनुमान ११६.०७ करोड़ रुपए है। आने वाले साल के लिये योजना कमीशन ने ३५.८८ करोड़ रुपए का खर्च मंज़ूर किया था लेकिन हम ने मुख्तलिफ महकमों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये ३६.३४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। योजना का खर्च चलाने के लिये केन्द्र से १६.५० करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है और बाकी खर्चा अपने वसीलों से ही पूरा किया जाएगा। इस तरह योजना के १६२.६८ करोड़ रुपए के कुल खर्च के मुकाबले में योजना के अन्त तक १५२.४१ करोड़ रुपए खर्च हो जाने की उम्मीद है।

योजनागत स्कीमें

माली तस्वीर का खाका खेंचने के बाद अब मैं मुख्तलिफ सरकारी महकमों की सरगर्मियों का ज़िक्र करना चाहूँगा और आपको यह बताऊँगा कि इन्होंने अपने प्रोग्रामों को पूरा करने में कितनी कामयाबी हासिल की है और ये आगे क्या कुछ करना चाहते हैं।

१०. खेती-बाड़ी की पैदावार को बढ़ाने की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साल, १९६०-६१ के आखीर तक के लिये जो निशाने रखे गए हैं उन के मुताबिक ५६.४१ लाख टन अनाज, ७.८ लाख टन गन्ना, कपास की १०.५० लाख गांठें और १.८५ लाख टन तिलहन पैदा किए जाने हैं। ये आंकड़े पहली योजना की पैदावार के आंकड़ों से अनाजों के बारे में ३२ फीसदी, कपास के बारे में ७० फीसदी, गन्ने के बारे में ४० फीसदी और तिलहन के बारे में २४ फीसदी की बढ़ती दिखाते हैं। दूसरी योजना के पहले तीन सालों में, कपास के सिवाए, जिसकी पैदावार पर ग़ैर-मुआफिक मौसमी हालात का बुरा असर पड़ा, इन फसलों की पैदावार में तसल्ली-बख्श इज़ाफा हुआ। साल १९५८-५९ में ६०.७६ लाख टन अनाज, कपास की ७.११ लाख .गांठें, ७.२५ लाख टन गन्ना और २.२२ लाख टन तिलहन पैदा हुए। इस तरह १९५५-५६ की पैदावार के मुकाबले में अनाज की पैदावार में ३४ फीसदी, कपास की पैदावार में १८ फीसदी, गन्ने की पैदावार में ३५ फीसदी और तिलहन की पैदावार में ५० फीसदी की बढ़ती हुई। ये आंकड़े इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि जहां तक अनाज और तिलहन का ताल्लुक है हम अपने निशानों को पहले ही पार कर चुके हैं। (तालियां)

खेती-बाड़ी

चालू साल में विकास प्रोग्राम के मातहत ६२ कौमी विस्तार सेवा ब्लाकों में १४ हज़ार एकड़ खेती-योग्य बंजर भूमि का सुधार हुआ है, ६२२ कुएं खोदे गए हैं, १०२ ट्यूब-वैल और २४६ पम्पिंग-सैट लगाए गए हैं, ७० बीज फार्म कायम किए गए हैं, ४२ हज़ार टन कीमयायी खाद तकसीम की गई है, लगभग ६० लाख टन मिस्सी खाद तैयार हुई है और खाद के मुकामी वसीलों का विकास किया गया है। सिंचाई की छोटी स्कीमों के विकास,

बग़ीचे लगाने और ट्रैक्टर खरीदने के लिये लोगों को ५४ लाख रुपए के कर्ज़े दिए गए हैं। इन सभी साधनों से और इनके साथ साथ बढ़िया बीजों की सप्लाई, कीमयायी खाद के इस्तेमाल, फ़सलों की बीमारियों की रोकथाम और खेती-बाड़ी के नये तरीकों को अपनाने के लिये चलाई गई तहरीकों के नतीजे के तौर पर पैदावार में खातर-खाह इज़ाफ़ा होगा।

मैं इस बात का भी ज़िक्र कर दूं कि महेन्द्रगढ़ ज़िले के सूखे इलाकों में सिचाई के लिये कुएं खोदने के काम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले साल के बजट में ३० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है (तालियां)। यह रकम ३,००० रुपए फ़ी कुएं के हिसाब से कर्ज़े के तौर पर दी जाएगी। कर्ज़ा लेने वाला व्यक्ति यदि कर्ज़ा लेने की तारीख से एक साल के अन्दर अन्दर कुआं बना लेता है तो कर्ज़े का २५ फीसदी उसे राज्य की तर्फ से सहायता (सबसिडी) के तौर पर दिया गया समझा जाएगा। (तालियां)

कुदरत के कहर से होने वाली किसानों की तकलीफों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य में फसल के बीमे की, तजुर्बे के तौर पर, एक स्कीम चालू करने की तजवीज़ की गई है (तालियां)। इस स्कीम के मुताबिक शिमला को छोड़कर हर ज़िले में लगभग १०० गांव वाला केन्द्र चुना जाएगा जिस में दो अहम फसलों का बीमा किया जाएगा। इंतज़ामिया सहूलतों को ध्यान में रखते हुए जहां तक मुमकिन होगा इन केन्द्रों का क्षेत्र विकास-ब्लाकों के क्षेत्र के मुताबिक ही होगा। शुरू के सालों में सारी फसल के खराब हो जाने की सूरत में, प्रीमियम की वसूलियों से बीमे की अदायगी की उम्मीद नहीं हो सकती, इसलिये किसी सम्भावित संकट का सामना करने के लिये लगभग ७५ लाख रुपए का एक रिज़र्व फण्ड बनाया जाएगा (तालियां)। इस फण्ड को पूरा करने में कई साल लगेंगे। अगले साल के बजट में इसके लिये इलामती तौर पर एक लाख रुपए की यकमुश्त व्यवस्था की गई है। इस स्कीम पर बुनियादी कार्रवाई अगले साल शुरू की जाएगी।

तीसरी पांच साला योजना में टैक्नीकल आदमियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये इस बात की तजवीज़ की गई है कि एग्रीकलचरल कालेज लुधियाना में फ़र्स्ट ईयर में दाखल होने वाले विद्यार्थियों की गिनती जो १९५९ में १०३ थी अब १९६० में २५० कर दी जाए (तालियां)। लुधियाना में एक एग्रीकलचरल युनिवर्सिटी कायम करने की तजवीज़ भी है और अगले साल के बजट में उसकी कुछेक इमारतें बनाने के लिये ५ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है (तालियां)। इस युनिवर्सिटी के मुख्य-उद्देश्य ये हैं— देहाती इलाकों के लोगों को उनकी ज़रूरतों और रुचियों से सम्बन्धित विषयों की शिक्षा देना, खोज का काम हाथ में लेना और इस खोज के परिणामों द्वारा, विस्तार और दूसरे शिक्षा-प्रोग्रामों की मदद से, देहात की समस्याओं को सुलझाना। (*Hear hear*)

जैसा कि माननीय मैम्बर जानते हैं दिल्ली में भारत कृषक समाज द्वारा संगठित विश्व-कृषि मेले में पंजाब राज्य ने भी एक मण्डप बनाया है। इस में खेती-बाड़ी, पशु-पालन, जंगलात, लोक सम्पर्क, सामुदायिक विकास, सहकारिता, उद्योग, बिजली और सिंचाई के महकमों ने अपने अपने कामों के सम्बन्ध में मॉडल बग़ैरा दिखाए हैं। यहां पर

[वित्त मंत्री

कीट-शास्त्र (एंटोमालोजी), रसायन, जीवरसायन (बायो कैमिस्ट्री) और अनाज, कपास गन्ना, फलों और सब्जियों से मुतल्लका खेती-बाड़ी के सभी पहलुओं को पेश करने के साथ साथ राज्य में इस्तेमाल किए जा रहे और यहां पर तैयार होने वाली खेती-बाड़ी सम्बन्धी मशीनरी को भी बड़ी अच्छी तरह से और मुकम्मल तौर पर पेश किया गया है। जहां तक दूसरे महकमों द्वारा दिखाई गई चीज़ों का सम्बन्ध है वे मोटे तौर पर वही हैं जिनका खेती-बाड़ी से ताल्लुक है। यहां लगभग २,००० चीज़ों की नुमायश की गई है, जो दूसरे सरकारी मण्डपों के मुकाबले में सब से ज़्यादा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दर्शकों द्वारा हमारे मण्डप की बहुत सराहना हुई है। (तालियां)

पशु पालन

११. पशु विकास की ओर भी, जो खेती-बाड़ी का एक बहुत अहम अंग है, उचित ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी पांच साला योजना के अधीन पशुपालन के क्षेत्र में भेड़ों, ऊन और मुर्ग़ीखानों के विकास, सलोत्री शिक्षा, बीमारियों की रोकथाम, डेयरी और दूध सप्लाई और मछली पालन की दिशा में काम हो रहा है। १७ पशु-सुधार केन्द्र खोले गए जिन में कृत्रिम गर्भाधान (आर्टिफिशल इनसैमिनेशन) की सहूलतों की व्यवस्था है। इन केन्द्रों को इस लिये खोला गया है कि बढ़िया किस्म के पशुओं की नसल-वृद्धि, खुराक, उन की बीमारियों की रोकथाम और उनकी खरीदो-फ़रोख्त के नए नए तरीकों को अपना कर दूध की पैदावार और पशुओं की काम करने की ताकत को बढ़ाया जाए। आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिये ज़िला कांगड़ा में नूरपूर के पास तत्तल वन में एक नया गोसदन खोला गया है। आस पास के इलाकों के नाकारा पशुओं को पकड़ कर इस गोसदन में रखा जाता है ताकि ऐसे पशुओं की गिनती न बढ़ने पाये। १२ गोशालाएं कायम की गई हैं, जिन्हें नसल विकास और दूध-उत्पादन-केन्द्रों में बदला जाएगा। भेड़ों और मुर्ग़ीपालन से प्राप्त हो सकने वाली वस्तुओं की पैदावार बढ़ाने के लिये राज्य में मुख्तलिफ स्थानों पर १४ पोल्ट्री और ३२ भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्र खोले गए हैं। मुर्ग़े-मुर्ग़ियां और अण्डे वग़ैरा लोगों को रियायती कीमतों पर दिए जा रहे हैं। पशु रखने वालों को वक्त पर और कुशल सलोत्री-सहायता देने के लिये ३८ नई सलोत्री डिस्पैन्सरियां खोली गई हैं और ४१ वर्तमान डिस्पैन्सरियों को बाकायदा सलोत्री हस्पतालों में बदल दिया गया है (तालियां), और इन्हें योग्य सलोत्री-सहायक सर्जनों के चार्ज में रखा गया है। इसके इलावा पशुओं, भेड़ों, बकरियों, सूअरों और मुर्ग़े-मुर्ग़ियों की पेचीदा बीमारियों की जांच-पड़ताल करने के लिये कई और खोज-स्कीमें शुरू की गई हैं।

अगले माली साल के अन्त तक चण्डीगढ़ में दूध सप्लाई की स्कीम चालू हो जाएगी और अमृतसर में दूध से कई तरह की चीज़ें तैयार करने का एक प्लांट (कम्पोज़िट मिल्क प्लांट) काम करना शुरू कर देगा। गवर्नमैंट लाइवस्टाक फार्म, हिसार में एक पेस्चूराइज़ेशन प्लांट लगाया जा रहा है। जब ये प्राजैक्ट पूरी तरह से काम करने लग जायेंगे, तो आशा की जाती है कि इन नगरों के निवासियों को खालिस, ताज़ा और सेहतमंद दूध सप्लाई करने की समस्या बिल्कुल सुलझ जाएगी और साथ ही इस से राज्य में डेयरी-विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

राज्य में मछलियों की पैदावार को बढ़ाने के लिये जौहड़ों वग़ैरा में मछलियां पालने का काम हो रहा है। इस के साथ ही गोबिन्द सागर और चण्डीगढ़ झील में मछलियों की पैदावार को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। इस मकसद से इन दोनों स्थानों पर बुनियादी काम शुरू करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की गई है। मछलियों को गलने-सड़ने से बचाने के लिये लुधियाना में एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट लगाया गया है। जल्दी ही ऐसे चार और प्लांट सोनीपत, कपूरथला, पटियाला और चण्डीगढ़ में भी लगाये जा रहे हैं।

चकबंदी

१२. चकबन्दी के मामले में हमारा राज्य देश भर में सब से आगे है। नए (इंटैग्रटिड) पंजाब में कुल २१६.५० लाख एकड़ ज़मीन में चकबन्दी होनी है। इस में से ६१.८० लाख एकड़ ज़मीन की पहली पांच साला योजना में दोबारा बांट हो चुकी थी। दूसरी पांच साला योजना के पहले तीन सालों के लिये ८६ लाख एकड़ का निशाना रखा गया था पर ३४.८८ लाख एकड़ ज़मीन की ही दोबारा बांट की गई। मूल योजना के निशाने ज़रूरत से कुछ ऊँचे दिखाई दिए। इस लिये उन पर फिर से विचार करके पहली अप्रैल, १९५९ से एक नई स्कीम जारी की गई है ताकि काम तेज़ी से हो सके। इस स्कीम के मातहत चालू साल में २०.६४ लाख एकड़ ज़मीन की चकबन्दी का निशाना रखा गया। दिसम्बर, १९५९ तक १२.३७ लाख एकड़ ज़मीन की दोबारा बांट की गई। इस तरह २१६.५० लाख एकड़ के कुल रकबे में से १०९.०५ लाख एकड़ की दोबारा बांट की जा चुकी है। यह काम राज्य की २० तहसीलों में ख़त्म हो चुका है तथा ३९ तहसीलों में तेज़ी से जारी है। दूसरी पांच साला योजना में अब तक चकबन्दी पर ४,११.६५ लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, इस में १९८.५२ लाख रुपए महकमे की वसूलियों से तथा बाकी खर्च ग्रांटों से पूरा किया गया। मौजूदा प्रोग्राम के मुताबिक सारे राज्य में यह काम सितम्बर, १,९६४ तक ख़त्म होने की उम्मीद है। इस पर ६,०१ लाख रुपए खर्च होंगे, जिस में से ३,८४ लाख रुपए महकमे की वसूलियों से तथा २,१७ लाख रुपए ग्रांटों से पूरे किए जायेंगे।

सहकारिता

१३. हॉऊस को याद होगा कि दूसरी पांच साला योजना के तकरीबन आधा पूरा हो चुकने पर राष्ट्रीय विकास परिषद् (नैशनल डिवैल्पमैंट कौंसल) ने एक अहम करारदाद पास की थी। इस में राष्ट्र की भावी अर्थ-व्यवस्था की तरक्की में सहकारी-आन्दोलन को बहुत ही अहम करार दिया गया था, और यह उम्मीद प्रकट की गई थी कि आज़ादी और सामाजिक ज़िम्मेदारी के आधार पर सहकारी संस्थाओं क विकास और उन्हें एक कौमी तहरीक के रूप में संगठित करने से लोगों की तामीरी ताकत को देश के पुनर्निर्माण के काम में लगाया जा सकता है। इस नीति को सामने रखते हुए सहकारी विभाग की सरगर्मियां बहुत बढ़ा दी गई हैं। अब यह विचार किया जा रहा है कि तीसरी पांच साला योजना के आख़ीर तक हर देहाती परिवार को सहकारिता के दायरे में लाया जाए, और उन की पैदावार तथा ख़रीदो-फरोख़्त सम्बन्धी सारी ज़रूरतें सभी तरह की सहकारी संस्थाओं का जाल बिछा कर पूरी की जाएं।

[वित्त मंत्री]

दूसरी पांच साला योजना के पहले चार सालों में राज्य में सभी तरह के सहकारी आन्दोलन ने अहम तरक्की की। सहकारी-समितियों की संख्या २८,००० से भी ज़्यादा है, जिन से राज्य के ८५ फीसदी गांव तथा ५० फीसदी देहाती आबादी लाभ उठा रही है। यह उम्मीद की जाती है कि १९६०-६१ के अन्त तक इन की तादाद ३०,००० से ज्यादा हो जाएगी। इन समितियों की चालू पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पहले ही ५७ करोड़ से बढ़ चुकी है।

राज्य का ज़मीन-रहन बैंक (लैंड-मॉर्टगेज बैंक) इस लिये स्थापित किया गया ताकि लम्बे अर्से के लिये उधार दिया जा सके। उस ने जून, १९५९ तक १४ लाख रुपए कर्जे के रूप में बांटे हैं। आशा की जाती है कि आहिस्ता -आहिस्ता यह बैंक ज़मीन-सुधार, सिंचाई-सहूलतों आदि के लिये लम्बे-अर्से के कर्ज देकर ज़रायती पैदावार बढ़ाने में खास इमदाद देगा। इस साल की एक और अहम बात यह है कि ३,००० सेवा-सहकारी-समितियां (सर्विस कोआपरेटिव्ज़) कायम की गईं तथा उम्मीद की जाती है कि १९६०-६१ में ४,००० समितियां बनाई जाएंगी। उधार-सहूलतों के साथ-साथ सहकारी आधार पर ज़रायती मार्किटिंग (एग्रीकलचरल मार्किटिंग) को खास तरजीह दी गई। ११८ मार्किटिंग तथा मार्किटिंग एवं प्रोसैसिंग समितियां कायम की गईं, इस तरह राज्य की प्रायः सभी अहम मंडियां इनके अधीन आ गई हैं। इन प्राइमरी मार्किटिंग समितियों के काम में तालमेल और सहूलत लाने के लिये एक स्टेट फेडरेशन बनाई गई। देहाती इलाकों में खाण्ड बांटने और मण्डियों में गेहूं हासिल करने के बारे में राज्य व्यापार के लिये सहकारी सोसाइटियों की इमदाद हासिल करने में हम देश भर में सब से आगे रहे हैं। सारे राज्य में विलायती खाद बांटने के साथ साथ इस फैडरेशन ने अक्तूबर, १९५९ तक २.३८ करोड़ रुपए की कीमत की खांड की २ लाख से ज्यादा बोरियां बेचीं। मार्किटिंग सहकारी समितियों को ३६ मंडियों में सरकार के लिये खरीद के पूरे अधिकार दे दिए गए तथा दूसरी २२ मंडियों में इन्हें हफ्ते में दो दिन माल की खरीद की इजाज़त दी गई। इस से सहकारी तहरीक को असली मानों में मज़बूत करने में काफी मदद मिली है। लाहौल तथा स्पिती के इलाके में कुठ तथा दूसरी चीज़ों की मार्किटिंग के लिये एक समिति बनाई गई, इस से यहां के लोग वह मुनाफ़ा भी कमा सकेंगे जो कि दलाल लोग ले लेते हैं।

सहकारी मार्किटिंग के काम में सहूलत के लिये एक स्टेट वेअर-हाऊसिंग कार्पोरेशन कायम की गई ताकि स्टोर करने की सुविधा मिल सके। जगरांव के गोदाम के इलावा चालू साल में भी तीन और गोदाम बनाए जा रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि १९६०-६१ के आखीर तक कार्पोरेशन के पास ८ गोदाम हो जायेंगे।

श्रम, निर्माण, खेती तथा सिंचाई, घरेलू-दस्तकारी तथा स्त्री-सहकारिता आदि दूसरे क्षेत्रों में भी सहकारी तहरीक की तरक्की बड़े अच्छे ढंग से हो रही है। नवम्बर, १९५९ तक ८०७ श्रम सहकारिताएं, ७७३ खेती समितियां, २,५९९ सनअती सहकारिताएं, तथा ६९६ सहकारितायें कायम की गई।

साल १९६०-६१ में सहकारिता का बड़े पैमाने पर विकास करने की तजवीज़ की गई है। यह बात सहकारी उन्नति की योजनाओं के लिये रखी गई ६९ लाख रुपए की रकम से ज़ाहिर हो जाती है। १५.७२ करोड़ रुपए उधार देने का प्रोग्राम बनाया गया है और सहकारी उधार देने वाले अदारों को इस योग्य बनाने के लिये कि वे ज़रूरत के मुताबिक उधार दे सकें, सरकार उन की शेयर पूंजी को ३९ लाख रुपए की इमदाद देकर मज़बूत करने की तजवीज़ रखती है। सहकारी विभाग तथा संस्थाओं में ट्रेंड कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिये अगले साल ५७६ उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देने का विचार है। इस मकसद के लिये पटियाले की ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट का विस्तार किया जा रहा है ताकि वहां पहले से ज़्यादा लड़के दाखिल किये जा सकें। इसके इलावा अगले साल हरियाना के क्षेत्र में किसी जगह एक ऐसा 'एड-हॉक' स्कूल भी खोला जाना है जिसे बाद में तीसरे बाकायदा स्कूल में बदल दिया जाएगा।

इस साल की एक और अहम बात यह है कि सहकारी कानूनों और नियमों को सरल बनाने के लिये एक कानून-समिति कायम की गई। यह कमेटी जल्दी ही अपनी सिफारशें पेश करेगी।

सहकारी समिति कानून, १९५४ के मुताबिक हिसाब-किताब (ऑडिट) की पड़ताल का काम निगरानी करने वाले अमले से स्वतन्त्र होना चाहिये। हिसाब-किताब की पड़ताल को निगरानी से अलग करने का काम १० ज़िलों में पूरा हो चुका है और बाकी ज़िलों में इसके अगले साल तक पूरा हो जाने की आशा है। इंस्पैक्टरों की सतह तक ऑडिट और निगरानी अमले का पूरी तरह अलग अलग करने की तजवीज़ है। इस से हिसाब-किताब की अच्छी तरह जांच हो सकेगी और ग़बन, पैसों के ग़ैर-मुनासिब इस्तेमाल तथा दूसरी बेकायदगियां कम हो जाएंगी। यह संतोष की बात है कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के कहने के अनुसार सभी केन्द्रीय कोआपरेटिव बैंकों के हिसाब-किताब की पड़ताल मुकर्ररा समय पर पूरी कर ली गई है। ऑडिट फीस वसूल करने तथा हिसाब किताब का वक्त पर ही जायज़ा लेने के लिये मुनासिब कार्यवाही की गई है। इस तरह अब जायज़ा लेने और रुपए की वसूली का काम समय पर ही हो सकेगा और वह इकट्ठा नहीं होता रहेगा। इस तरह यह उम्मीद की जाती है कि अगला साल हमारी कौमी अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में एक सहकारी समाज स्थापित करने में एक अहम स्थान रखेगा।

सिंचाई और नौआबादकारी

१४. जैसा कि माननीय मैम्बरों को मालूम है, २१ अगस्त, १९५९ को महान् भाखड़ा डैम के हायस्ट चैंबर में एक बड़ा हादसा हुआ। उसके नतीजे के तौर पर जमा किए गए पानी की सप्लाई पर थोड़ी देर के लिये काबू नहीं रहा और बाएं किनारे के बिजली घर में पानी भर गया। उस में से पानी निकालने का काम २५ अक्तूबर, १९५९ को कामयाबी से पूरा किया गया। उस के बाद बिजली पैदा करने वाली मशीनों को फिर तेज़ी से लगाया जा रहा है। अब सब से बड़ा मसला दाईं सुरंग को बन्द करना है। इस के लिये देश-विदेश से बेहतरीन सलाह ली गई। सुरंग हमेशा के लिये बन्द करने से पहले इस के ऊपर वाले मुंह पर बन्ध लगाना ज़रूरी था

[वित्त मंत्री]
ताकि सुरंग में से कम से कम पानी रिसे। स्थल और नौ सेना ने जो बड़ी कीमती मदद दी उस से सुरंग के ऊपर के मुंह को बन्द करने में बड़ी ठोस सहायता मिली है (तालियां)। अब यह दिखाई देता है कि मरम्मत का काम जून, १९६० के अन्त तक यानी मौनसून के आने से पहले ही कामयाबी के साथ पूरा कर लिया जाएगा (तालियां)। इस तरह बांध के पूरा होने के प्रोग्राम पर कोई खास प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। भाखड़ा के हादसे के कारण गोबिन्द-सागर से वक्त से पहले निकले पानी को रबी की फसल के लिये इस्तेमाल किया गया। इस के लिये एक खास रबी मुहिम चलाई गई और इस के अधीन आरज़ी मोघे खोले गए तथा नवम्बर, १९५९ तक रजवाहों में १० फीसदी और पानी दिया गया। भाखड़ा की नहरों से, १९५९-६० की रबी फसल के दौरान दिसम्बर, १९५९ तक पिछले साल के मुकाबले में सिंचाई के अधीन ६८,००० एकड़ ज़मीन की बढ़ती हुई है।

राज्य द्वारा चलाई गई मुख्तलिफ सिंचाई योजनाओं से बटवारे के बाद सिंचाई के अधीन खेती-योग्य रकबा सौ फीसदी बढ़ गया है। पश्चिमी जमना क्षेत्र में, जिस में रोहतक, करनाल, अम्बाला, हिसार ज़िलों का बड़ा हिस्सा तथा गुड़गांव का कुछ हिस्सा शामिल है, सिंचाई की बेहतर सहूलतों का प्रबन्ध करने के लिये कई योजनाएं चल रही हैं। इनमें मौजूदा रजवाहों को सुधारा जा रहा है तथा कई नए रजवाहे बनाए जा रहे हैं। इन स्कीमों के पूरा होने पर ७.५ लाख एकड़ नए रकबे को सिंचाई सुविधाएं मिल सकेंगी। खुश्क इलाकों में सिंचाई की सहूलतें पहुँचाने के लिये सरकार ने अपनी ओर से अब तक १,२२३ ट्यूब-वैल लगाए हैं, इनमें १,२१७ ट्यूब-वैलों को बिजली दी गई है और वे अब चल रहे हैं।

राजस्थान नहर की तामीर का काम पूरे ज़ोर से हो रहा है। यह नहर हरीके बैरिज से शुरू होती है। इस की ४२५ मीलों की कुल लम्बाई में से पंजाब में इस की ११०.८ मीलों की लम्बाई की तामीर सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही है। इस हिस्से पर २२ करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह हिस्सा मार्च, १९६३ तक बन कर तैयार हो जाएगा। आशा है कि सरहिंद फीडर प्राजैक्ट का काम मार्च, १९६० तक समाप्त हो जाएगा। इस पर ६.७१ करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ब्यास नदी पर एक बहुमुखी प्राजैक्ट के निर्माण की एक बड़ी योजना बनाई गई है और केन्द्रीय सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत चल रही है। लाहौल-स्पिती के अनुसूचित इलाकों और कांगड़ा वादी के लिये सिंचाई की कई एक छोटी स्कीमें बनाई जा रही हैं। अगस्त, १९५९ में कार्डिंग कूल्ह की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया था। लाहौल वादी में यह एक कठिन काम था। इसी इलाके में मूरिंग कूल्ह की तामीर का काम भी अगली गर्मियों में मुकम्मल हो जाएगा।

राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ और सेम से प्रभावित है। राज्य सरकार इस खतरे पर काबू पाने के लिये हर मुमकिन कदम उठा रही है। दूसरी पांच साला योजना में बाढ़ों पर काबू पाने और निकास नालियां बनाने की स्कीमों के लिये भारत सरकार ने ३.९४ करोड़ रुपए कर्ज़े के तौर पर हमें देने हैं। अगले साल ऐसी स्कीमों पर १.८३ लाख रुपए खर्च करने की तजवीज़ है। इस साल अमृतसर, हांसी, संगरूर, फाज़िलका और ज़ीरा के

बुरी तरह प्रभावित इलाकों में उथले टयूबवैलों, नहरों को पक्का करने और सेम की रोक-थाम के लिये कुछेक आरंभिक स्कीमों पर ४१ लाख रुपए की एक और रकम खर्च किये जाने की तजवीज़ है। सेम और बाढ़ों के कहर से पंजाब को बचाने के लिये एक विशाल प्रोग्राम बनाया गया है, जिस के मुताबिक तीसरी पांच साला योजना में २१ करोड़ रुपए बाढ़ों पर काबू पाने और नालियां बनाने पर खर्च होंगे और १४ करोड़ से ज़्यादा रकम सेम की रोक-थाम के दूसरे पगों पर खर्च होगी।

हम चोओं के मार्ग को काबू में रखने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। होशियारपुर के नज़दीक नसराला चो पर इस काम का बड़ा हिस्सा मुकम्मल होने वाला है।

भाखड़ा नंगल से फायदा उठाने वाले इलाकों में मंडियों के विकास की स्कीम की तरक्की जारी रही। साल के दौरान में गुहला, आदमपुर, दबवाली, एलनाबाद, दाखा, मुल्लांपुर और गढ़शंकर में मंडियों के विकास का काम शुरू किया गया था। उन मंडियों में जहां कि नीलामी में प्लाटों की मांग कम पाई गई विकास के काम बन्द करने पड़े ताकि सरकार को घाटा न उठाना पड़े। ज़मीनें प्राप्त करने से सम्बन्धित कार्यवाहियां सिवाए नौ मंडियों के बाकी सभी मंडियों में मुकम्मल हो चुकी हैं। इन नौ मंडियों के लिये ज़मीन प्राप्त करने का काम अगले साल किया जाएगा।

बिजली

१५. जैसा कि मैंने पिछले साल अपने भाषण में कहा था, इस राज्य में पंजाब स्टेट बिजली बोर्ड की स्थापना पहली फरवरी, १९५९ को हुई। बिजली (सप्लाई) कानून १९४८ की धारा ६० के मुताबिक ऊहल नदी और भाखड़ा नंगल की स्कीमों से सम्बन्धित पंजाब सरकार की सभी लेन-दारियां और देन-दारियां इस बोर्ड के ज़िम्मे आ गई हैं। पूंजीगत कामों (कैपिटल वर्क्स) पर होने वाला खर्च, बोर्ड द्वारा पंजाब सरकार से प्राप्त होने वाले कर्ज़े से पूरा किया जाता रहेगा और आगम खर्च उस आमदनी में से पूरा किया जाएगा जो बोर्ड को बिजली की बिक्री से प्राप्त होगी। अगले वर्ष में पूंजीगत कामों के लिये बोर्ड को ७२१.२९ लाख रुपए के कर्ज़े देने की तजवीज़ है। गंगूवाल और कोटला के दोनों बिजलीघरों की, जिन में से हर एक की बिजली पैदा करने की ताकत ४८,००० किलोवाट है, बिजली पैदा करने की ताकत में इज़ाफा करने के लिये दो और जैनरेटिंग सैट लगाए जा रहे हैं, ये सैट २९-२९ हज़ार किलोवाट बिजली पैदा कर सकेंगे। अगले साल के अन्त तक भाखड़ा के बाएं किनारे वाले बिजलीघर में पांच और यूनिट लगाए जाने हैं। ऐसे हर यूनिट की ताकत ९०,००० किलोवाट होगी। इस तरह दूसरी पांच साला योजना के अन्त तक लगभग ३,५०,००० किलोवाट ठोस बिजली हासिल होगी, यह मिकदार बटवारे से पहले की बिजली की मिकदार से दस गुना ज़्यादा है। इस से राज्य में खेतीबाड़ी और उद्योगों की तरक्की के लिये बहुत मदद मिलेगी। बिजली से लाभ उठाने वाले कसबों और गांवों की संख्या १९५९-६० के अन्त में १,९५० और अगले साल के अन्त तक और बढ़ कर २,५५० हो जाएगी।

[वित्त मंत्री]

१६. चालू साल के दौरान सनअतों के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है उसका एक बड़ा कारण यह है कि सनअतों के विकास से मुतल्लका योजना की स्कीमों को बड़ी कामयाबी से अमलीजामा पहनाया जा सका। इन स्कीमों का उद्देश्य यह है कि प्राइवेट सैक्टर में मुख्तलिफ किस्मों की सनअतों का विकास किया जाए और लम्बे तथा दर्म्यानी अर्से के कर्ज़े देकर, सामान्य सुविधा सेवा जुटा कर, कारखानों के लिये जगह का प्रबन्ध करके, निश्चित मियार के मुताबिक माल तैयार करने और तकनीकी अमले को ट्रेनिंग देने वग़ैरा की बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाएं। साल १६५६-६० के लिये की गई १२६.३३ लाख रुपए की व्यवस्था के मुकाबले में १११.२५ लाख रुपये खर्च होने की उम्मीद है। इस रकम का बड़ा हिस्सा यानी ६८.६८ लाख रुपए छोटे पैमाने की सनअतों पर खर्च होने थे। आशा है कि इस चालू साल के अन्त तक इस काम पर ६० लाख रुपए से ज़्यादा रकम खर्च हो जाएगी। योजना में हथखड्डी की स्कीमों के लिये नियत ६.८५ लाख रुपये की रकम के पूरे का पूरा खर्च हो जाने की उम्मीद है। बड़ी और दर्म्यानी सनअतों के लिये पंजाब फाइनैंशल कार्पोरेशन द्वारा सनअती कर्ज़े दिये जाते रहे हैं जबकि राज्य सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्य सहायता उद्योग कानून के मातहत उधार की उदार सहूलतें दी हैं। सनअती बस्तियां कायम करने का काम भी तसल्लीबख्श तरक्की कर रहा है। लुधियाना में सनअती बस्ती का पहला मरहला जुलाई, १६५६ में ५२ वर्कशापों का निर्माण करके और वहां पर काम चालू करके, तय किया गया था। इसके इलावा, इस बस्ती में १०८ और वर्कशापें भी मुकम्मल होने वाली हैं। बटाला, मालेरकोटला, सोनीपत और नीलोखेड़ी में सनअती बस्तियों के लिये ज़मीन हासिल कर ली गई है और यहां निर्माण का काम जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। इन सभी बस्तियों को १६६०-६१ में तैयार कर लेने का प्रोग्राम बनाया गया है। इन बस्तियों में प्राइवेट सनअतों के लिये ३३६ नये कारखाने होंगे। इन स्कीमों के पूरा होने से न केवल राज्य का वर्तमान सनअती ढांचा मज़बूत होगा बल्कि नये सनअती कामों को भी बढ़ावा मिलेगा (तालियां)। सनअतों के लिये ज़रूरी तकनीकी अमले को ट्रेनिंग देने के लिये सरकार लड़कों के २० सनअती स्कूल, लड़कियों के २२ डिप्लोमा स्कूल अदारे और दस्तकारों के १५ सनअती ट्रेनिंग अदारे चला रही है। इन के इलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के मैम्बरों को तकनीकी शिक्षा देने के लिये १० नये सनअती ट्रेनिंग केन्द्र कायम किये गए हैं। चालू साल में इन तमाम अदारों में लगभग ५,७७० विद्यार्थी मुख्तलिफ व्यापारों और पेशों की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं।

उद्योग तथा श्रम

सनअतों में दिन-बदिन होने वाले विकास और मज़दूरों में बढ़ रही चेतना के कारण सनअती अमन कायम रखने की समस्या और भी उलझ गई है। इस समय राज्य में ५१५ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनें काम कर रही हैं जबकि पिछले साल इनकी तादाद ४७४ ही थी। नतीजे के तौर पर सनअती झगड़ों की तादाद भी जो १६५८ में १,०११ थी, १६५६ में बढ़कर १,४३६ हो गई। राज्य के समझौता कराने वाले अधिकारी झगड़ों को आपसी बातचीत द्वारा सीधे सुलझाने पर ज़ोर देते रहे ताकि मुकदमे बाज़ी या सम्बन्धित पार्टियों

द्वारा सीधी कार्रवाई करने की नौबत ही न आए। इन कोशिशों के फल स्वरूप सुलझाए जाने वाले ऐसे झगड़ों की फीसदी तादाद जो १९५८ में ४९ थी, १९५९ में बढ़कर ५३ हो गई।

सनअती मज़दूरों के दिलबहलाव के लिये इस समय राज्य के मुख्तलिफ सनअती नगरों में १५ मज़दूर भलाई-केन्द्र काम कर रहे हैं। चालू साल के दौरान पठानकोट, जगाधरी, हिसार और रोहतक में चार ऐसे नए केन्द्र खोले जा रहे हैं और अगले साल के दौरान दो और केन्द्र खोले जाएंगे। इस तरह इन केन्द्रों की संख्या बढ़कर २१ हो जाएगी, जिससे दूसरी पांच साला योजना में रखे निशानों की सौ फीसदी पूर्ति हो जाएगी।

ज्यादा से ज्यादा मज़दूरों के लिये, उजरत की कम से कम दरें, मुकर्रर कर देने की नीति के मुताबिक चालू साल में पांच किस्म के और मज़दूरों की, कम से कम उजरत निश्चित की गई। आठ किस्म के अनुसूचित रोज़गारों में छोटे से छोटे ग़ैर-हुनरमंद मज़दूर के लिये उजरत ४५ रुपए से बढ़ाकर ६० रुपए फी माह कर दी गई है।

सड़कें और ट्रांसपोर्ट

१७. योजना के दौरान सड़कों पर किया जाने वाला कुल खर्च ९,५९.८५ लाख रुपया है। इस में से ७,११ लाख रुपये योजना के पहले चार सालों में खर्च हो जाने की उम्मीद है। अगले साल के लिये १,९५ लाख रुपए का इंतज़ाम करने से पांच सालों में कुल ९,०६ लाख रुपए खर्च होने का अन्दाज़ा है। यह खर्च योजना के अर्से में इस काम के लिये मन्ज़ूर कुल खर्च का ९४ फीसदी है। चालू साल के अन्त तक ९८० मील लम्बी सड़कें तैयार हो जाएंगी और ३२० मील लम्बी और सड़कें अगले साल बनाई जाएंगी (तालियां)। इससे दूसरी पांच साला योजना में बनाई जाने वाली कुल १,४४२ मील लम्बी सड़कों में से १,३०० मील लम्बी सड़कें पूरी हो जाएंगी। राज्य की योजना के अन्तर्गत बनाई जाने वाली सड़कों के इलावा लोक कर्म विभाग ने भी राजपथों, अन्तर्राज्यीय (इंटर-स्टेट) सड़कों और अनुसूचित इलाकों की आमदोरफ्त से मुतल्लका विकास की स्कीमें चालू की हैं। कुछ एक खास पुलों पर भी काम शुरू किया गया है। जैसे कि देहरा गोपीपुर के स्थान पर व्यास पर, होशियारपुर-ऊना-नंगल सड़क पर स्वां पर, पलवल-सोहाना-रेवाड़ी-सड़क पर साहिबी नदी पर, बराड़ा-सधौरा-कालाअम्ब सड़क पर सधौरा पर और सरदूलगढ़ में घग्गर पर।

राज्य की सरकारी रोड ट्रांसपोर्ट की बसों में अगले साल १३५ बसें और बढ़ा दी जाएंगी। इससे ये बसें ४६,००० मील की जगह हर रोज़ ६२,००० मील चला करेंगी। उम्मीद है कि प्राइवेट आपरेटरों के साथ ५० : ५० की निसबत से समझौते पर अमल होने से अब बसें ६६,००० मील हर रोज़ चला करेंगी।

राज्य में किराया बढ़ाए बिना छः अहम रूटों पर एक्सप्रैस नॉन-स्टाप बसें चलाई जा रही हैं। चंडीगढ़-जालन्धर, चंडीगढ़-अमृतसर, अमृतसर-फिरोज़पुर, अम्बाला-शिमला, तथा देहली-नंगल के दर्म्यान डीलक्स-बसें चलाई गई हैं। यह विचार है कि चालू माली साल के दौरान में लुधियाना, चंडीगढ़, होशियारपुर, गुड़गांव तथा करनाल के बस-अड्डों में जनता

[वित्त मंत्री]
के लिये सभी मुनासिब सहूलतों की व्यवस्था की जाए। राज्य की बढ़ रही अर्थ-व्यवस्था तथा सनअतों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये सरकार ने माल की बारबरदारी के मामले में लाईसैंस देने की नर्म नीति अपना ली है।

राजधानी चंडीगढ़

१८. यह सन्तोष की बात है कि राजधानी चंडीगढ़ का विकास अब तेज़ी से हो रहा है। चालू योजना के पहले चार सालों में ८,४७ लाख रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं और इस पर अगले साल २,४६ लाख रुपए और खर्च करने की तजवीज़ है। इस तरह यह रकम दोहराए गए निशाने की १३,२०.५६ लाख रुपए की रकम के मुकाबले में १०,९३ लाख रुपए बैठती है। जिन प्रमुख बिल्डिगों पर इस वक्त काम हो रहा है वे ये हैं :—असैम्बली चैम्बर, जनरल हस्पताल, हाईकोर्ट की सहायक बिल्डिग, कचहरी, टाऊन हाल, कांजी हाऊस और ज़िबहखाना।

राजधानी में कारखाने लगाने के काम को बढ़ावा देने के लिये यहां के सनअती इलाके में २५ प्लाट आपसी बातचीत द्वारा रियायती दरों पर बेचे गये। जो कारखानादार अलाटमैंट की तारीख से एक साल के अन्दर अन्दर तामीर मुकम्मल कर लेंगे, उन्हें कीमत में २५ फीसदी की छूट दी जायेगी। (तालियां)

प्राईवेट क्षेत्र में भी इमारतें तामीर करने के काम में तरक्की हुई। नगर के कुछ हिस्सों में ज़मीनों की कीमतें और किराए बढ़ने लगे हैं। राज्य सरकार चण्डीगढ़ को रेलवे की मेन लाईन पर लाने के लिये भरसक कोशिशें कर रही है।

सामुदायिक विकास

१९. देहाती इलाकों को हर पहलू से विकसित करने के लिये चालू किए गए सामुदायिक विकास प्रोग्राम का दायरा बढ़ता रहा। विकास सम्बन्धी महकमे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये गांव से लेकर ऊपर के सभी स्तरों पर सरगर्म कोशिशें कर रहे हैं। सामुदायिक विकास संगठन में एक और अहम काम यह किया गया है कि क्षेत्रीय और हैडक्वाटर स्तर पर पंचायत विभाग को सामुदायिक विकास विभाग में मिला दिया गया है। खुराक की पैदावार को बढ़ाने, पंचायतों, सहकारी समितियों और स्कूलों वगैरा बुनियादी देहाती अदारों को मज़बूत बनाने, और लोगों तथा उनके नुमाइन्दों को सामुदायिक विकास के काम में मुनासिब ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

विकास ब्लाकों को खोलने के बारे में जो एक सिलसिलेवार प्रोग्राम बना हुआ है उसके मातहत चालू साल के दौरान १४ विस्तार-पूर्व (प्री-एक्सटैंशन) ब्लाक खोले गए जिन से १,२६७ गांव और वहां की ८ लाख से ज़्यादा आबादी लाभ उठाएगी। इनके इलावा ६ विस्तार-पूर्व ब्लाकों को पहली स्टेज के ब्लाकों में बदला गया। इस समय यह काम मुख्तलिफ श्रेणियों के १५३ ब्लाकों (हिन्दी प्रदेश में ७७ और पंजाबी प्रदेश में ७६) में चल रहा है, इसके अंतर्गत १९,७७२ गांव और लगभग १०४ लाख की आबादी अर्थात् राज्य की कुल देहाती आबादी का लगभग ८० फीसदी हिस्सा आ जाता है। उम्मीद है कि दूसरी पांच साला

योजना के आखीर में राज्य में १७१ ब्लाक काम करने लगेंगे जबकि १९६३ तक कुल २२८ ब्लाक हो जायेंगे। अब तक लोगों ने इस प्रोग्राम में नकदी, जिन्स तथा श्रमदान के तौर पर ६,३२ लाख रुपए की इमदाद दी है, जबकि सरकार ने ग्रांटों और कर्जे के रूप में ८,९९ लाख रुपए खर्च किये हैं।

२०. सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में स्वास्थ्य-सेवाओं का अहम स्थान है। दूसरी पांच साला योजना में सेहत-सम्बन्धी कामों के लिये ६,६३ लाख रुपए रखे गए हैं और इससे सम्बन्धित बहुत सी स्कीमों के निशाने पूरे किए जा रहे हैं।

सेहत

बीमारियों के इलाज और उनकी रोक-थाम के कामों को इकट्ठा करने की नीति के अनुसार राज्य में १४५ प्राइमरी सेहत-केन्द्र खोले जा चुके हैं और अगले साल १४ केन्द्र और खोलने की तजवीज़ है। आयुर्वेदिक विभाग भी मुख्यत. राज्य के देहाती इलाकों में मुफ्त देसी इलाज की सुविधाएं जुटाता रहा है। मजदूरों के लिये जारी की गई सरकारी बीमा स्कीम के मातहत बीमा-शुदा लोगों के परिवारों को डाक्टरी मदद देने की रियायत खासा और धारीवाल में भी लागू की गई है और उम्मीद है कि अगले साल गोबिन्दगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत, फगवाड़ा, कपूरथला और हिसार में भी यह रियायत दी जाएगी।

स्वर्गीय लाला लाजपत राय की जन्मभूमि होने के कारण फ़िरोज़पुर ज़िले के ढुढीके गांव को एक खास अहमीयत हासिल है, जिस के मद्देनज़र वहां की ज़िला बोर्ड सिविल डिस्पैंसरी को प्राइमरी हैल्थ यूनिट में बदला जा रहा है (तालियां)। इस उद्देश्य से यहां पर एक इमारत बनाने के लिये एक लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। यह इमारत लाला लाजपत राय जन्मभूमि स्मारक समिति को दे दी जायेगी।

पटियाला में मानसिक रोगियों के लिये एक हस्पताल खोलने की तजवीज़ है (तालियां)। इसमें २०० रोगियों को रखने का इन्तज़ाम होगा। इस हस्पताल की तामीर के लिये अगले साल के बजट में एक लाख रुपए की व्यवस्था की जा रही है।

गांवों में अच्छी सेहत सेवाओं का प्रबन्ध करने और प्राइमरी सेहत केन्द्रों के काम को सुधारने के लिये सिविल असिस्टैंण्ट सर्जन, क्लास २ (नान-गज़ेटिड) की ११४ असामियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें पी०सी०एम०एस क्लास २ (गज़ेटिड) में बदल दिया गया है और आगे के लिये ऐसी असामियों पर एम०बी०बी०एस डिग्री वाले डाक्टरों को ही लगाने की तजवीज़ है। देहाती सेहत सेवाओं और खास तौर पर प्राइमरी सेहत केन्द्रों के विकास के लिये 'हू' (वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइज़ेशन) और 'यूनिसेफ' जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अदारे भी इमदाद देते रहे हैं। दांतों की हिफाज़त, स्कूलों के बच्चों की सेहत और परिवार नियोजन जैसी विशेष सेवाओं को भी बढ़ावा दिया गया है।

बीमारियों की रोक-थाम के मुख्तलिफ प्रोग्रामों को ठीक ढंग से चलाने के लिये, अगले साल राज्य में एक व्यापक-रोग-विज्ञान ब्यूरो (एपिडेमियोलॉजीकल ब्यूरो) खोलने की

[वित्त मंत्री]

तजवीज़ है। यह ब्यूरो फील्ड स्टाफ़ को टैक्नीकल रहनुमाई करने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम के लिये ज़रूरी खोज का काम करेगा। सेहत प्रोग्रामों में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिये १९६०-६१ में एक स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो बनाने की भी तजवीज है।

टैक्नीकल कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिये चण्डीगढ़ में एक पोस्ट-ग्रेजुएट मैडीकल और रिसर्च इन्स्टीच्यूट खोली जा रही है, जिस का बुनियादी काम पहले ही शुरू हो चुका है। डाक्टरी शिक्षा की और सहूलतें देने के विचार से अगले साल रोहतक में एक नया मैडिकल कालेज खोला जा रहा है। (तालियां)

शहरों और गांवों में पीने के पानी की सप्लाई और सफाई सम्बन्धी स्कीमों का विकास और सुधार, सेहत-प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। दूसरी योजना के पहले चार सालों में ऐसी बहुत सी स्कीमों पर शहरों में १,९६ लाख रुपए और गांवों में ८३ लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। देहाती इलाकों में पानी सप्लाई करने की स्कीमें तरक्की पर हैं। ये ३० गाँवों में पूरी हो चुकी हैं और दूसरे १३० गाँवों में इन पर तेज़ी से काम हो रहा है। इन स्कीमों के मातहत ज़िला होशियारपुर के दरेहड़ा में, कांगड़ा जिला के चड़यार के गाँवों में और कालका के आस पास के गाँवों में नुमायां तरक्की हुई है। प्राजैक्ट के पहले दौर के रूप में भिवानी के इलाके के १६ गाँवों में एक बड़ी पानी सप्लाई स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया है। इसी इलाके के पानी की बहुत तंगी वाले ७८ गाँवों को इस स्कीम से लाभ पहुँचेगा।

२१. शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य विस्तार तथा पुनर्निर्माण की अपनी स्कीमों को पूरा कर रहा है। चालू साल में सभी दर्जों पर विस्तार हुआ है और तीन सौ साठ प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। हाऊस को यह जानकर खुशी होगी कि पंजाब में ६ से ११ वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले लड़कों की संख्या देश के दूसरे राज्यों के इसी आयु के स्कूल जाने वाले लड़कों की गिनती का आसानी से मुकाबला कर सकती है। हां, पंजाब में स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या तसल्लीबख्श नहीं हालांकि इनके लिये शिक्षा की सुविधाएं काफी बढ़ाई गई हैं। इसलिये कोशिश की जा रही है कि लड़कियों के लिये जितने अधिक हो सकें स्कूल खोले जाएं और ऐसे स्कूलों में केवल अध्यापिकाएं ही रखी जाएं, क्योंकि गांवों और पिछड़े इलाकों के लोग अपनी लड़कियों को लड़कों के स्कूलों में भेजने में हिचकिचाते हैं। लड़कियों को ऊंची शिक्षा की और सुविधाएं जुटाने के लिये इस साल गुड़गांव और रोहतक में लड़कियों के दो सरकारी कालेज खोले गए हैं। (तालियां)

शिक्षा

पढ़े लिखे लोगों में बेरोज़गारी कम करने के विचार से भारत सरकार ने इस साल जो ७२० अध्यापक राज्य सरकार को दिए, उन में से ३६० अध्यापकों को नये खोले गए एक-एक अध्यापक वाले स्कूलों में लगाया गया है और बाकी अध्यापकों को उन स्कूलों में लगाया गया है जिन्हें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण एक-एक अध्यापक वाले

स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर दो-दो अध्यापक वाले स्कूलों में बदल दिया गया है। इसके इलावा १०० स्कूलों को बेसिक ढंग के स्कूलों में बदलने के लिये उन्हें दस्तकारियों का ज़रूरी सामान दिया गया।

इस साल लड़कों के पन्द्रह सरकारी मिडल स्कूलों और लड़कियों के १३ सरकारी मिडल स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया। इकत्तीस लोअर मिडल और तेरह प्राइमरी स्कूलों को भी मिडल स्कूल बना दिया गया है। हाई स्कूलों को हायर सैकण्डरी स्कूलों में तेज़ी से बदलने की इच्छा रखते हुए भी सरकार निश्चित निशाने पर नहीं पहुँच सकी। इस का कारण कुछ तो माली मुश्किलें और कुछ ज़रूरी योग्यता और ट्रेनिंग वाले अध्यापकों की कमी थी।

जैसा कि माननीय मैम्बर जानते हैं, हम ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सातवीं जमात तक शिक्षा मुफ्त कर दी है। सरकार ने यह फैसला किया है कि इन स्कूलों में अब यह रियायत अगले साल से आठवीं जमात तक कर दी जाए (तालियां)। कुछ और बाढ़-पीड़ित इलाकों में मैट्रिक तक मुफ्त शिक्षा कर दी गई है। इन इलाकों में गुरदासपुर ज़िले का नरोट जैमल सिंह, फीरोज़पुर ज़िले की ज़ीरा तहसील के बाढ़-पीड़ित इलाके और ज़िला कपूरथला शामिल हैं। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा शुरू करने से प्राइवेट स्कूलों को होने वाली मुश्किलों को कम करने के ख्याल से मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों को ४ लाख रुपए की ग्रांटें दी गई।

इस साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को अपनी बिल्डिंग बनाने के लिये १० लाख रुपए की एक खास ग्रांट दी गई। यह ग्रांट उस की आम ग्रांट के इलावा है। आग्ज़िलरी कैडट कोर और नैशनल कैडट कोर के काम में भी प्रगति हुई है। अमृतसर में एयर ट्रूप शुरू करने के इलावा पटियाला और लुधियाना में इलैक्ट्रीकल और मकैनीकल यूनिट भी चालू किए गये हैं।

अगले साल नाभा में एक सैनिक स्कूल खोला जा रहा है। इस के लिये १० लाख रुपए की ग्रांट की व्यवस्था की जा रही है।

इस साल ३,२३.११ लाख रुपए की लागत की और स्कीमों पर भी काम हो रहा है और आने वाले साल में योजना की स्कीमों के लिये ३,३४.८२ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

तकनीकी शिक्षा की दिशा में दूसरी योजना के अन्त तक डिग्री कोर्स के लिये ५००, डिप्लोमा कोर्स के लिये १,६५० और ड्राफट्समैन कोर्स के लिये ३५५ विद्यार्थी दाखल करने का निशाना रखा गया था। डिप्लोमा कोर्स को छोड़ कर ये निशाने पूरे कर लिये गये हैं। सिरसा, ज़िला हिसार, बटाला, ज़िला गुरदासपुर, झज्जर, ज़िला रोहतक और हमीरपुर, ज़िला कांगड़ा में चार नए पौलिटैक्निक खोलने की तजवीज़ की गई है (तालियां)। इस तरह अगले साल के अन्त तक ११ ज़िलों में पौलिटैक्निक कायम हो जायेंगे।

[वित्त मंत्री]

मुस्तहिक ग़रीब विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का फायदा पहुँचाने के मकसद से हम उन्हें कर्ज़े दे रहे हैं। ये कर्ज़े उन से बाद में वसूल किये जाएंगे। चालू माली साल में इस मकसद के लिये ६ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई थी। अगले साल के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है।

खुराक और सप्लाई

२२. केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि राज्य सरकारें अनाज के थोक व्यापार को धीरे धीरे अपने हाथ में ले लें ताकि कीमतों को ऐसी सतह पर रखा जा सके जो अनाज पैदा करने वालों और खपतकारों, दोनों के लिये ही मुनासिब हों। इसी नीति पर अमल करते हुए पंजाब सरकार ने मई १९५९ के मध्य में गेहूँ का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया। भारत सरकार ने पंजाब के लिये १.२० लाख टन गेहूँ जमा करने का जो निशाना निश्चित किया था उसे भारत सरकार द्वारा मुकर्रर कीमतों पर ही खरीद कर कामयाबी से पूरा कर लिया गया। इस के मुताबिक दड़ा गेहूँ १४ रुपए फी मन और बढ़िया गेहूँ १५ रुपए फी मन के हिसाब से खरीदा गया। इस के इलावा ४३,००० टन और गेहूँ, आटे की मिलों के लिये टैंडरों द्वारा खरीदा गया, क्योंकि मुकाबले को कम करने के लिये मिलों को मंडी से सीधा गेहूँ खरीदने की इजाज़त नहीं थी। उन शहरों में, जहां ये मिलें लगी हुई हैं, मिल के आटे की परचून कीमत १६ रुपए फी मन रखी गई और दूसरे स्थानों के लिये १६ रुपए फ़ी मन की इस कीमत में ट्रांसपोर्ट वग़ैरा का खर्चा भी जोड़ दिया गया था। इस तरह पिछले साल के मुकाबले में इस बार गेहूँ की कीमतें स्थिर रहीं। गेहूँ सम्बन्धी राज्य व्यापार की यह स्कीम अगले साल भी चालू रहेगी और इस मकसद के लिये बजट में जरूरी व्यवस्था की गई है।

पंजाब सरकार लैवी स्कीम के मातहत भारत सरकार की ओर से चावल खरीदती रही। चालू साल में जनवरी के अन्त तक ९०,००० टन चावल खरीदा गया जबकि १९५८-५९ में ८५,००० टन चावल खरीदा गया था। उम्मीद की जाती है कि इस फसली साल के अन्त तक की खरीद पिछले साल के मुकाबले में काफी ज्यादा होगी।

अनुसूचित इलाके और पिछड़ी जमातें

२३. लाहौल और स्पिती के अनुसूचित इलाकों में रहने वाले अनुसूचित कबीलों की भलाई के लिये भारत सरकार की सलाह से राज्य सरकार उन इलाकों के इन्तज़ामिया ढांचे में बुनियादी तबदीली करने की तजवीज़ रखती है। इस वक्त इस सारे इलाके की एक ही सब-तहसील है जिसके नायब-तहसीलदार का दफ्तर केलांग में है। यह नायब-तहसीलदार कुल्लू के सब-डिवीयनल अफ़सर के मातहत काम करता है। नई स्कीम के मुताबिक एक डिप्टी कमिश्नर-एवं-कलैक्टर, जिस के पास व्यापक अधिकार होंगे, मुकर्रर किया जा रहा है। इसके हैडक्वार्टर केलांग में होंगे (तालियां) इस अफसर की मदद के लिये दो सब-डिवीयनल अफ़सर मुकर्रर किए जायेंगे, एक लाहौल में केलांग के स्थान पर और दूसरा स्पिती में। हर सब-डिवीयनल अफ़सर के अधीन एक तहसीलदार, एक नायब-तहसीलदार

ग्रौर दूसरा ज़रूरी स्टाफ रखा जाएगा (तालियां)। साथ ही केलांग की मौजूदा सब-ट्रेयरी के इलावा स्पिती में एक ग्रौर सब-ट्रेयरी खोली जाएगी। इस वक्त लाहौल वादी में जो विकास ब्लाक काम कर रहा है उसके इलावा स्पिती की वादी में एक ग्रौर विकास ब्लाक खोला जाएगा। दो पुलिस थाने खोलने की भी तजवीज़ है—एक केलांग में ग्रौर दूसरा स्पिती में। यह सारा इलाका डिप्टी सुपरिटैंडैंट, पुलिस के मातहत होगा। डिप्टी कमिश्नर के पास डिप्टी इन्स्पैक्टर जनरल, पुलिस के भी इख्तियारात होंगे ग्रौर सभी विभागों की सरगर्मियों में तालमेल पैदा करने का काम भी इसी के ज़िम्मे होगा। ग्रनुसूचित कबीलों की सामाजिक बेहतरी के लिये राज्य के मुख्तलिफ विभाग, यातायात, खेती, सिंचाई, जंगलात, सनग्रत, शिक्षा, पंचायत, सेहत ग्रौर पानी सप्लाई के विकास की बहुत सी स्कीमों को पूरा कर रहे हैं। दूसरी योजना के पहले चार सालों में राज्य की स्कीमों पर १२ लाख रुपए ग्रौर केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों पर ३० लाख रुपए खर्च किए गए। ग्रगले साल राज्य सरकार की योजनाग्रों के लिये ८.२६ लाख रुपए ग्रौर केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई योजनाग्रों के लिये २८.५७ लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

ग्रनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों ग्रौर दूसरी पिछड़ी जमातों की हालत को सुधारने के लिये कई एक स्कीमें जारी हैं। इन के ग्रनुसार इन लोगों के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिये वज़ीफ़े दिये जाते हैं। उन्हें रिहायशी मकान बनाने, ज़मीन, बीज, बैल ग्रौर खेती के ग्रौज़ार खरीदने के लिये माली मदद दी जाती है। उन के लिये पीने के पानी की सप्लाई की सहूलतें जुटाई जाती हैं ग्रौर उन्हें वकालत, डाक्टरी, इंजीनियरिंग ग्रौर खेती-बाड़ी वगैरा के पेशों को ग्रच्छी तरह ग्रपनाने के लिये बिना सूद के कर्ज़े दिये जाते हैं। दूसरी योजना में हरिजन बच्चों के लिये वज़ीफ़े ग्रौर दूसरी रियायतें देने के लिये १६५ लाख रुपए रखे गए हैं जिस से ३ लाख से ग्रधिक विद्यार्थी फायदा उठाएंगे। मकान बनाने की योजना के ग्रधीन ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर विमुक्त जातियों के लग भग ३,३०० परिवारों के लिये मकान बनाए जाएंगे, जिन पर २२ लाख रुपए का खर्च होगा। (तालियां)

रेविन्यू ग्रौर सिविल प्रशासन

२४. जनवरी, १९६० में भारत-पाक सम्मेलन में हुए फैसलों के मुताबिक पश्चिमी पाकिस्तान ग्रौर हमारे राज्य के दर्म्यान सरहदों की निशान-दही का काम ग्रप्रैल १९६० के ग्रन्त तक पूरा किया जाना है। इन दोनों देशों का जिन इलाकों पर मुखालफ़ाना कब्ज़ा है, उनको ये ग्रगले ग्रक्तूबर के मध्य तक दूसरे देश को, जिसका कि इन पर ग्रसली हक है, लौटा देंगे। इसलिये उस भारतीय भूमि पर, जो कि पाकिस्तान के मुख़ालफाना कब्ज़े में है, लोगों को फिर से बसने में सहायता देने के लिये १५ लाख रुपये की व्यवस्था ग्रगले साल के बजट में की गई है। इस के साथ ही हमें एक सहायक बंध बनाना पड़ेगा जिस पर मोटे तौर से १०.५० लाख रुपए खर्च होंगे। चालू साल में इस बंध पर ५०,००० रुपए खर्च किए जाएंगे ग्रौर ग्रगले साल के लिये इसी बंध पर १० लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

[वित्त मंत्री]

अदालतों में मुकदमों से मुतल्लका कानूनी चाराजोई में सुधार लाने के इरादे से सरकार ने राज्य में पूरे समय के पब्लिक प्रोसीक्यूटरों की एक नियमित सेवा जारी करने का फैसला किया है। इस सेवा का नाम पंजाब डिस्ट्रिक्ट अटार्नीज़ सर्विस होगा। इस में दर्जा १ और दर्जा २ के ज़िला अटार्नी और असिस्टैंट ज़िला अटार्नी होंगे। ये आमतौर पर ज़िला कचहरियों और सैशन जजों तथा एडीशनल ज़िला और सैशन जजों की अदालतों में मुकदमों की पैरवी करेंगे। इस सेवा के मैम्बरों पर नियमित सेवा नियम लागू होंगे। इसके मुताबिक इन्हें बाकायदा वेतन-क्रम मिलेगा तथा इन्हें पैन्शन और दूसरे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सहूलतें भी मिलेंगी। उन ग़रीब लोगों को कानूनी मदद देने के लिये भी एक स्कीम बनाई गई है जो कि मुजरिमाना हमले का शिकार होंगे या कत्ल होने वाले लोगों के रिश्तेदार होंगे, ताकि वे दीवानी कानून के सहारे मुआवज़ा हासिल कर सकें।

इन्तज़ामी काबलियत बढ़ाने और सरकारी काम को बिना देरी से निपटाने के लिये मुख्तलिफ तरीके अपनाए गये हैं। चीफ सैक्रेटरी की इन्तज़ामी देख रेख में पांच असैसमैंट यूनिट कायम किये गये हैं। ये यूनिट समय समय पर राज्य के मुख्तलिफ दफ़्तरों का मुआयना करके काम में देरी का पता लगाते हैं और उसे दूर करने के तरीके बताते हैं।

रिश्वतखोर कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग (विजिलैंस डिपार्टमैंट) ने अपनी कार्यवाही जारी रखी। चालू साल में ११६ गज़ेटिड और ७४६ नान-गज़ेटिड सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच पड़ताल की गई। जांच के लिये आए हुए केसों को जल्दी से निपटाने के लिये दोनों जांच एजंसियों का पुनर्गठन करके इन्हें डी-आई-जी, सी-आई-डी के मातहत कर दिया गया है। इस अफसर की मदद के लिये एक एडीशनल डी-आई-जी, सी-आई-डी (विजिलैंस) भी होगा।

इस बात के बावजूद कि पंजाब किसान सभा ने खुशहाली फीस के खिलाफ आन्दोलन ज़ोरों से चलाया था और इसकी वजह से पुलिस पर अमन और कानून कायम रखने के लिये बड़ा बोझ पड़ा, फिर भी अपराध सम्बन्धी स्थिति अच्छी तरह से काबू में रही। डकैती, राहज़नी, सेंध और चोरी की वारदातों में कमी हुई। बिना लाइसैंस के हथियारों और नाजायज़ शराब की वारदातों का पता लगाने और इन्हें कब्ज़े में लेने की कार्रवाई के इलावा चुने हुए पुलिस थानों में बदमाशों को सुधारने के लिये एक तहरीक चलाई गई। इसके नतीजे के तौर पर २३४ बदमाशों ने प्रतिज्ञा की है कि आगे से वे अमनपसन्द और शरीफ शहरियों की तरह ज़िन्दगी बितायेंगे। जनता को जल्दी से पुलिस की मदद पहुँचाने और उन में विश्वास की भावना पैदा करने के इरादे से जालन्धर, अमृतसर, अम्बाला, लुधियाना और पटियाला के ज़िलों में फ्लाईंग स्क्वैड कायम किए गए हैं।

पंजाब की हथियारबंद पुलिस देश की सरहद की चौकसी बड़ी होशियारी से करती रही। इनकी मौजूदगी से वहां पर रहने वाले लोगों का हौसला बुलंद रहा। चोरी छिपे माल ले जाने वालों के खिलाफ आन्दोलन ज़ोरों से जारी रखा गया। नतीजे के तौर पर

चोरी छिपे माल ले जाने वाले २,६१८ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और २६ लाख रुपयों का सोना, अफीम, और नकदी पकड़ी गई।

सरकार देहाती इलाकों के विकास के काम को बहुत अहमीयत देती है। ग्राम पंचायतें अब इंतज़ामियां मशीनरी का एक ज़रूरी अंग बन चुकी हैं और ये गांवों की समाजी ज़िन्दगी को नया जीवन देने के लिये मज़बूत बुनियादों पर काम कर रही हैं। इस समय राज्य में १२,६७६ पंचायतें कायम हैं। ये पंचायतें बालिग़ मताधिकार के आधार पर न्यायपूर्ण ढंग से चुनी गई हैं। पिछले साल इन्होंने ३२,७०५ दिवानी और फौजदारी मुकदमों का फैसला किया और इन्होंने १६१ लाख रुपयों के विकास-कार्य मुकम्मल किए। साल १९५८-५९ में जहां पंचायतों की आमदन १७५ लाख रुपया थी वहां अब चालू साल में यह बढ़ कर १९६ लाख रुपए हो गई है। राज्य की पंचायतों को कुछ मुनाफ़ाबख्श काम हाथ में लेने के योग्य बनाने के लिये २३ लाख रुपये के कर्ज़े दिये गये हैं। ये काम हैं:—तेल और लकड़ी चीरने की मिलें लगाना, छोटे उद्योग कायम करना और ट्यूब-वैल व पम्पिंग-सैट लगाकर तथा ट्रैक्टर खरीद कर, वृक्ष लगाना तथा शामलात ज़मीनों का विकास करना। कर्ज़ों की इस रकम पर उनसे कोई सूद नहीं लिया जाएगा। अगले साल में इस मकसद के लिये ४१ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

समाज कल्याण और खेलें

२५. दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में समाज कल्याण की मुख्तलिफ स्कीमों पर २६ लाख रुपए से ऊपर खर्च किया गया है। इनके अधीन कंडाघाट और तारादेवी में बच्चों के लिये दो हौलीडे-होम्ज़, अपराधियों और वेश्यावृत्ति की शिकार औरतों के लिये तीन राज्य आश्रम और दो ज़िला आश्रम और अनाथ व निर्धन बच्चों को पढ़ाने और ट्रेनिंग देने की एक रिहायशी संस्था खोली गई है। अंधे बच्चों के लिये पानीपत में जो अदारा खुला हुआ है उसको अब एक अच्छे ढंग के रिहायशी स्कूल में बदल दिया गया है। अमृतसर और अम्बाला में अन्धे बच्चों के लिये जो अदारे खुले हुए हैं, हम उन्हें भी माली इमदाद देते हैं। अमृतसर में नारी निकेतन के लिये एक भवन भी खरीदा गया है। चालू साल में बाल-कल्याण की साकेत परिषद को ३१,८०० रुपए सहायता ग्रांट के रूप में दिये गए।

खेलों में भी राज्य पीछे नहीं रहा। खेलों का एक अलग महकमा खोला गया है ताकि वह तालमेल पैदा करने वाले, हालात का सही जायज़ा लेने वाले और पालिसी तय्यार करने वाले अदारे के रूप में काम कर सके और राज्य की खेलों से मुतल्लका मुख्तलिफ़ सरगर्मियों की ठीक ढंग से रहनुमाई कर सके। चालू साल में ६ लाख रुपए से अधिक खर्च की स्कीमें जारी की गई हैं। इन योजनाओं के अनुसार, खेलों के वैज्ञानिक तरीकों की ट्रेनिंग देने के लिये खेल ट्रेनिंग कैम्प लगाने, देहाती और शहरी इलाकों में खेलों के मैदान बनाने, चंडीगढ़ में पानी की खेलों और मनबहलाव की सहूलतें जुटाने के उद्देश्य से किश्ती (यॉट) क्लब शुरू करने और सिविल आबादी को शिकार और आत्मरक्षा के हेतु बन्दूकें वग़ैरा चलाने की ट्रेनिंग देने के लिये राइफ़ल शूटिंग क्लब खोलने की दिशा में भी काम हो रहा है। ज़िला

[वित्त मंत्री]
और राज्य की कई एक स्पोर्ट्स संस्थाओं को उनके अपने योगदान के मुताबिक माली इमदाद दी गई है। इस के इलावा एक Military Training School नाभे में अगले साल खोला जाएगा।

२६. उखड़े लोगों को दोबारा बसाने का काम लगभग आखरी दौर में पहुँच चुका है और अब यह महकमा अपनी सरगर्मियों को समाप्त करने की ओर ध्यान दे रहा है। इस

पुनर्वास और गृह निर्माण

सिलसिले में राज्य सरकार ने राजपुरा टाऊनशिप का इन्तज़ाम पहले ही संभाल लिया है और फरीदाबाद टाऊनशिप का इन्तज़ाम सम्भालने के बारे में बातचीत हो रही है।

बेज़मीन मुज़ारों खास कर हरिजनों की हालत सुधारने के लिये तथा उन लोगों को फिर से बसाने के लिये जिनकी भूमि रावी और सतलुज नदियों के रास्ता बदलने के कारण बह गई है, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अमृतसर, फिरोज़पुर और गुरदासपुर के सरहद्दी ज़िलों की अलाट न की गई खेती-योग्य निकासी ज़मीनें और राज्य भर की घटिया निकासी ज़मीनें खरीद ली हैं। ४६,८८३ एकड़ बंजर क़दीम निकासी ज़मीन ५ रुपए फी एकड़ की बराए नाम दर से और ३६,१३२ एकड़ ग़ैर-मुमकिन ज़मीन १०० रुपए की अलामती कीमत पर खरीद ली गई है। इन घटिया ज़मीनों को इस्तेमाल में लाने के लिये एक योजना बनाई गई है जिसके अनुसार यह ज़मीन बराये नाम दरों पर और उन्हीं शर्तों पर पट्टे पर दी जाएगी। जिन पर बंटवारे से पहले पंजाब में सरकारी बंजर ज़मीनें पट्टे पर दी जाती थीं।

पाकिस्तान से अदला बदली हुई ज़मीनों में कुछ लोगों को बसाने के लिये १५ लाख रुपया खर्च किया जाना है। (तालियां)

राज्य में मकानों की कमी को दूर करने के लिये थोड़ी आमदनी वाले लोगों के लिये बनाई गई गृह-निर्माण योजना के मातहत अपने लिये मकान बनाने वाले लोगों और सहकारी गृह-निर्माण समितियों को २,८२ लाख रुपए कर्ज़े के तौर पर दिये गए हैं और अब तक दूसरी योजना के समय में ८,६७० मकान बन कर मुकम्मल हो चुके हैं तथा ४,७७६ और बन रहे हैं। राज्य के अहम शहरों में सनअती वर्करों के लिये २,५४८ मकान बनाने के लिये ७४ लाख रुपए खर्च किये जा चुके हैं। देहाती इलाकों में मकानों की हालत को सुधारने के लिये वहां के निवासियों को देहात-मकान-प्राजैक्ट-योजना के अधीन ८.५० लाख रुपए की माली मदद दिये जाने का अनुमान है।

अब तक दर्म्यानी आमदन वाले लोगों को मकान मुहय्या करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था लेकिन अब लाईफ़ इंशोरेंस कार्पोरेशन आफ़ इंडिया से मिलने वाली कर्ज़ा सहायता से ६,००० से १२,००० रुपए तक की सालाना आमदन वाले लोगों को भी मकान बनाने के लिये कर्ज़े दिये जायेंगे। उम्मीद है कि चालू साल में इस काम के लिये ज़िलों को २८ लाख रुपये की रकम अलाट की जाएगी।

२७. जैसा कि माननीय मैम्बर जानते हैं सरकार अपने कर्मचारियों के तनखाह-स्केलों और अलाऊँसों आदि को बढ़ाने के लिये समय समय पर कई तरह की रियायतें देती रही है। तनखाह के साथ आधा मंहगाई भत्ता मिला देने पर भी चौथे दर्जे के सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा रोज़ाना भत्ते का वह फायदा नहीं पहुँचा था जोकि दूसरे कर्मचारियों को मिलता है। अब चौथे दर्जे के कर्मचारियों की रोज़ाना भत्ते की दर को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके मुताबिक भत्ता बढ़ाकर साधारण जगहों पर ६२ नये पैसे से १ रुपया (तालियां), दिल्ली और मद्रास में ७५ नये पैसे से १ रुपया २५ नये पैसे, और बम्बई और कलकत्ता में १ रुपये से १ रुपया ६२ नए पैसे कर दिया गया है। ये दरें पहली अप्रैल, १९६० से लागू होंगी। इससे इस राज्य के चौथे दर्जे के कर्मचारी इस बारे में भारत सरकार के चौथे दर्जे के कर्मचारियों के बराबर आ जाएंगे (तालियां)। मार्किट में सप्लाई कम होने के दिनों में गेहूँ के भाव बढ़ जाने के कारण राज्य के तीसरे और चौथे दर्जे के सरकारी कर्मचारियों को संभावित तंगी से बचाने के लिये उनको कर्ज़े दिये गए ताकि वे अपनी ज़रूरत का गेहूँ फसल की कटाई के दिनों में ही खरीद लें। इन सरकारी कर्मचारियों को गेहूँ की खरीद के लिये पेशगी के लगभग ७५ लाख रुपए कर्ज़े के रूप में दिये गए (तालियां)।

कर्मचारियों को रियायतें

राज्य कर्मचारियों के लिये ज़िलों और सब-डिवीयनल हैडक्वार्टरों पर रिहायशी जगह की सख्त कमी को ध्यान में रखते हुए अगले साल के बजट में २० लाख रुपए का प्रबन्ध किया गया है, ताकि गज़ेटिड और नान-गज़ेटिड सरकारी कर्मचारियों के लिये मुनासिब ढंग पर मकान बनाये जा सकें। इस के इलावा पुलिस कर्मचारियों के लिये रिहायशी जगह जुटाने के उद्देश्य से १० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

२८. जैसा कि पहले बताया जा चुका है अगले वर्ष के आगम लेखे में १६६ लाख रुपये की बढ़ती है। सरकार ने फैसला किया है कि उन सनअती अदारों से बिजली ड्यूटी न ली जाए जिन्होंने अपने इस्तेमाल के लिये बिजली पैदा करने के अपने जैनरेटर लगा रखे हैं (तालियां)। इस फैसले से सरकार को आगम में ९ लाख रुपए का घाटा होगा, इससे यह बढ़ती १६० लाख रुपए रह जाएगी। इस तरह पूंजीगत लेखे में ५,१८ लाख रुपए का फर्क रह जाता है क्योंकि खर्चा ५१,४१ लाख रुपये है और उपलब्ध साधन ४६,२३ लाख रुपये के ही हैं। इस पर भी इस कमी को पूरा करने के लिये कोई नया टैक्स लगाने की तजवीज़ नहीं है (तालियां)। इस फर्क को ५,५० लाख रुपए के ट्रेयरी बिलों की रकम वापस निकलवा कर पूरा करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार उम्मीद की जाती है कि इस साल के अन्त में ३२ लाख रुपये का बकाया रह जाएगा।

वित्त के साधन

मैं यह भी जिक्र करना चाहता हूँ कि व्यापारियों को बिक्री टैक्स की ज़द में आने वाली कुछ चीज़ों की खरीद में पेश आने वाली तकलीफों के मद्देनज़र हम इस बारे में कुछ रियायत देने के सवाल पर भी ग़ौर कर रहे हैं। इससे हमारे बकाए (बैलैंसिज़) पर कुछ और असर पड़ेगा। (तालियां)

२९. अब जबकि हम दूसरी योजना के आख़री साल में कदम रख रहे हैं, अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं चाहता हूँ कि विकास तथा सामाजिक सेवाओं पर किये जाने वाले खर्च का मोटे तौर पर जायज़ा ले लिया जाए। पहली योजना के शुरू होने के पहले साल अर्थात् १९५०-५१ में इन सेवाओं पर हुआ खर्च

सामान्य

[वित्त मंत्री]

९,९८ लाख रुपये था। पहली योजना के आखरी साल अर्थात् १९५५-५६ में यह खर्चा २३,३३ लाख रुपये हो गया। साल १९५८-५९ के लिये खर्च के आंकड़े २५,२७ लाख रुपए हैं। चालू साल के लिये दोहराए गये अनुमानों के अनुसार खर्च २८,७५ लाख रुपये बैठता है और अगले साल के बजट में ३४,१९ लाख रुपये खर्च करने की तजवीज़ है। (तालियां) इससे यह ज़ाहिर है कि हम निश्चित रूप से अपने निशाने की ओर बढ़ रहे हैं, तथापि हमें अभी और आगे बढ़ना है। हमारी जरूरतें बहुत बड़ी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिये हमें बहुत ज्यादा कोशिशें करनी होंगी। तैयार की जा रही तीसरी पांच-साला योजना को पूरा करने के लिये ज़रूरी वसीले जुटाने की एक भारी समस्या हमारे सामने है। अगर हमें इस महान राज्य की नए सिरे से तामीर करने का निशाना पूरा करना है तो हमें इस चुनौती का सामना करना ही होगा। हमने राज्य के विकास के लिये मज़बूत बुनियादें तैयार कर दी हैं। हमें पूरी आशा है कि भगवान् की कृपा और माननीय मैम्बरों तथा जनता की इमदाद और सहयोग से हम अपने सपनों के नये पंजाब की तामीर कामयाबी के साथ कर लेंगे। (तालियां)

पिछले साल बजट पेश करते समय मानवीय मैम्बरों को "बजट एट-ए-ग्लांस" नामक एक अंग्रेज़ी फोल्डर भेंट किया गया था, जिस में राज्य की माली हालत का सरसरी ब्यौरा दिया गया था। इस बार हमने उसे एक पुस्तिका का रूप दे दिया है और उस में सरल-सुबोध रूप में बजट सम्बन्धी जानकारी देने वाले विवरण और चार्ट भी दिये गये हैं। मुझे भरोसा है कि यह पुस्तिका माननीय मैम्बरों के लिये कुछ फायदेमंद साबत होगी। राज्य के मुख्तलिफ सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के बारे में अंकड़ों सम्बन्धी आम जानकारी हासिल करने के लिये माननीय मैम्बरों को चाहिये कि "स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट, पंजाब, १९५९' देखें, जोकि जल्दी ही, प्रकाशित हो रहा है। इस का एक हिस्सा प्रकाशित हो चुका है, दूसरा हो रहा है।

३०. आखीर में मैं फाइनैंस डिपार्टमैंट के अफ़सरों और कर्मचारियों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सारा साल अपना कठिन और बड़ी ज़िम्मेदारी का काम सुचारु ढंग से निभाया है। मैं सरकार की ओर से इस राज्य के अकाउंटेंट-जनरल श्री आर० पी० रंगा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें बहुमूल्य मदद दी। इसके साथ ही मैं सरकारी प्रिंटिंग प्रैस के अफ़सरों और कर्मचारियों का भी आभारी हूँ जिनकी मेहनत और सावधानी के बग़ैर बजट के दस्तावेज़ वक्त पर छापना मुश्किल होता।

धन्यवाद

श्रीमन् अब मैं आपकी इजाज़त से १९६०-६१ का बजट पेश करता हूं।

जय हिन्द।

(ज़ोरदार तालियां)

Mr. Speaker: The House stands adjourned and will meet at 2 p.m. on Monday as already decided.

(The Sabha then adjourned till 2-00 P. M. on Monday, the 29th February, 1960).

8799 PVS—349—16-7-60—C.P. & S., Pb. Pb. Chandigarh

Annexure 'A'

[Please *see* foot-note at page (8)38 of this debate, dated 26th February, 1960].

EXPENDITURE INCURRED ON INDORA AND NURPUR BLOCKS

2336. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Community Development be pleased to state the expenditure on—

(i) the staff of the Indora and Nurpur Blocks, Jeeps and other contingencies such as furniture, cinema plants, etc. ; and

(ii) all the development schemes in the said blocks i.e., construction of roads, culverts buildings, subsidized fruit plants etc., during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-60 up to February 15, 1960 ?

Sardar Gurbanta Singh: The requisite information is given below :—

	Indora Block			*Nurpur Block*		
	1957-58	1958-59	1959-60 (up to February 15, 1960).	1957-58	1958-59	1959-60 (up to February 15, 1960)
(i)	21,290	32,186	29,684	76,338	43,696	30,974
(ii)	16,003	62,618	23,710	121,061	39,820	29,745

The figures in para (ii) however, pertain to the Block budget only. They do not present complete picture of the work done by the block as extension and service agency of all the Development Departments in the State.

MIDDLE SCHOOLS IN HISSAR DISTRICT

2350. Shri Ram Kumar Bidhat : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the names of middle schools in district Hissar at present ;

(b) the results of the middle examination of each of the schools mentioned in part (a) above for the years 1957, 1958, and 1959 ;

(c) that dates on which each of the said schools was inspected by an Inspector or Assistant Inspector of Schools in each of the years mentioned in part (b) above ?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a), (b) and (c). The information is enclosed.

STATEMENT

S. No	Name of school at present	Result, 1957		Result, 1958		Result, 1959		Date of Inspection		
		Appear-ed	Passed	Appear-ed	Passed	Appear-ed	Passed	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Government Girls Middle School, Jakhal	1	1	6	5	10	9	12-3-57	3-7-58	19-5-59
2	Government Girls Middle School,	6	4	11	9	16	14	11-11-57	*Nil*	25-9-59
3	Government Girls Middle School, Ladwa	..	..	..	..	..	..	(This school has been up graded ud to Middle after April, 1959)		
4	Government Girls Middle School, Khanda Kheri	13	4	4	4	6	6	..	..	..
5	Government Girls Middle School, Tosham	..	..	6	6	2	2	12-6-57	5-7-58	..
			Upgraded in 1958-59							
6	Government Girls Middle School, Siwani..	..	..	..	..	..	..	12-8-57	4-1-58 23-8-58	31-1-59
7	Government Girls Middle School, Loharu	..	..	..	..	..	..	(The school has been up graded recently).		
8	Government Girls Middle School, Sisai	..	..	..	..	..	..	19-6-57	*Nil*	15-9-59
9	Government Girls Middle School, Biwani Khera	..	..	..	..	..	..	..	20-10-58	..
10	Government Girls Middle School, Chautala	..	..	..	..	..	..	(The School has been recently upgraded)		
			Upgraded in 1958-59						8-6-58	
11	Government Girls Middle School, Kalan-wali	..	..	..	..	..	..	21-12-57	29-10-58	6-1-59
12	Government Girls Middle School, Saniana	..	..	..	..	..	..	18-9-57	17-1-58	9-9-59

13	Government Girls Middle School, Basti Bhiwan	..	.. Upgraded in 1958-59	..	..	..	..	15-1-57	..	..
14	Government Girls Middle School, Model Town Hissar	..	..	..	..	..	..	(The school has recently been upgraded)		
15	Government Girls Middle School, Rania	..	..	..	..	..	..	18-12-57	..	7-2-59
16	Arya Girls Middle School, Hissar ..	35	20	21	18	21	21	..	..	..
17	Mission Girls Middle School, Hissar ..	11	4	14	10	16	13	..	..	..
18	Jain Girls Middle School, Hissar ..	..	..	..	9	7	7	..	..	..
19	Guru Nanak Girls Middle School, Hissar	4	2	11	10	5	5	..	..	..
20	Jain Girls Middle School, Hansi ..	12	8	22	20	12	12	12-11-57	25-7-58	4-2-59
21	Arya Girls Middle School, Hansi ..	12	11	13	11	20	20	15-2-57	12-2-58	12-2-59
	Boys Schools									
1	Government Middle School, Landhori ..	19	11	25	14	12	12	..	10-2-58	23-1-59 15-9-59
2	Government Middle School, Barwala ..	44	37	41	36	62	49	..	..	9-5-59
3	Government Middle School, Balsamand ..	29	20	36	5	20	15	..	..	28-2-60 12-5-59
4	Government Middle School, Kheraralipur	11	9	13	11	23	19	..	..	9-2-60 8-8-59
5	Government Middle School, Satrod Khurd	16	13	13	13	16	16	9-9-57 15-11-57	23-10-58	10-2-60 7-1-59
6	Government Middle School, Adampur ..	10	9	6	4	10	9	9-9-57 15-11-57	..	5-3-60 17-11-59 22-9-59 12-5-59

S. No	Name of School at present	Result, 1957		Result, 1958		Result, 1959		Date of Inspection		
		Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Government Middle School, Hasangarh ..	30	8	23	14	25	22	9-9-57 15-11-57	..	..
8	Government Middle School, Harita ..	7	2	8	7	6	4	9-9-57 15-11-57	..	..
9	Government Middle School, Kalirwawan	17	10	14	7	15	14	9-9-57 15-11-57	17-1-58	21-9-59
10	Government Middle School, Pirthala ..	(Upgraded from 1-4-57) ..	..	10	9	16	15	9-9-57 15-11-57	..	..
11	Government Middle School, Modha Khora	(VIII Class added from 1-4-58) ..	..	..	..	7	7	9-9-57 15-11-57	..	..
12	Government Middle School, Chaudhariwas	(Upgraded from 1-4-57) ..	..	11	10	9	8	3-2-57	15-2-58	.. 4-2-59
13	Government Middle School, Siswal ..	(VIII Class added from 1-4-58) ..	..	..	..	16	13	..	..	..
14	Government Middle School, Saman	9	8	11	9	13	3	..	..	23-7-59 22-9-59
15	Government Middle School, Jakhod Khera	(VIII Class added from 1-4-58) ..	..	..	..	7	4	..	8-2-58	13-5-59
16	Government Middle School, Sarsod Bichpaari ..	(VIII class added from 1-4-58) ..	..	..	..	5	4	..	..	23-10-59
17	Government Middle School, Satrod Kalan	7	7	6	6	11	8	..	7-2-58	27-1-60
18	Government Middle School, Garan Pura	..	(Upgraded in 1958-59)			..	..	..	..	59-60
19	Government Middle School, Jamalpur Shokhan	..	(Upgraded in 1958-59)			..	..	Upgraded on 1-4-59	..	..

20	Government Middle School, Daulatpur ..	(Upgraded in 1958-59)			..	..	..	..	..	59-60
21	Government Middle School, Dinond ..	6	4	9	4	8	4	10-1-57 26-6-57	6-3-58	14-2-59 28-1-60 9-12-59 27-4-59
22	Government Middle School, Bapura ..	22	6	18	11	30	28	..	..	22-4-59
23	Government Middle School, Mithaihal ..	7	5	10	7	17	16	..	..	28-10-59 28-4-59
24	Government Middle School, Budhera ..	3	3	4	4	7	6	..	..	..
25	Government Middle School, Biswalwas ..	15	11	19	14	20	20	..	..	20-5-59
26	Government Middle School, Loghan ..	Upgraded on 1-4-57			..	14	10	..	..	23-12-59 25-4-59
27	Government Middle School, Sandwa ..	14	12	14	9	7	5	..	..	..
28	Government Middle School, Barwa ..	13	8	19	17	12	10	..	..	18-11-59 25-5-59
29	Government Middle School, Devsar ..	14	7	25	12	27	27	..	..	22-1-60 8-12-59
30	Government Middle School, Miran ..	3	2	9	7	14	14	..	..	..
31	Government Middle School, Sohansara ..	Upgraded on 1-4-57	..	8	8	8	8	..	..	20-5-59
32	Government Middle School, Kharakhari	3	3	15	10	19	19	21-8-57	..	..
33	Government Middle School, Kairu ..	VIII Class added from 1-4-58				3	2	..	..	..
34	Government Middle School, Gurea ..	5	3	12	10	12	11	..	..	27-2-59
35	Government Middle School, Bahal ..	Upgraded from 1-4-47			..	..	..	Upgraded as Middle in April, 1959-60		
36	Government Middle School, Rakshi Shahpur	Upgraded from 1-4-57			..	20	16	..	..	..

S. No.	Name of school at present	RESULT, 1957		RESULT, 1958		RESULT, 1959		DATE OF INSPECTION		
		Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Government Middle School, Malikpur No. 1	(VIII Class added from 1-4-59)				..	..	..	..	..
38	Government Middle School, Moth Rargran	Upgraded from 1-4-57			..	20	20	..	..	..
39	Government Middle School, Datta	Upgraded from 1-4-57		8	8	11	9	..	..	..
40	Government Middle School, Kharak Pnia	..	..	10	9	22	21	..	..	..
		Upgraded from 1-4-57								
41	Government Middle School, Ratera ..	7	7	13	11	21	20	..	..	28-11-59 2-5-59
42	Government Middle School, Madan Heri	5	3	7	5	15	15	..	..	21-8-59
43	Government Middle School, Kunger ..	5	..	9	5	11	11	15-5-57 14-8-57	..	..
44	Government Middle School, Nalwa ..	7	7	9	9	8	8	..	..	24-11-59 30-5-59
45	Government Middle School, Sorkhi ..	10	9	16	11	17	15	18-1-57 5-4-57 14-5-57 9-10-57	21-4-58 16-6-58 2-12-58 ..	..
46	Government Middle School, Khot Kalan	14	9	18	15	27	15	28-1-57	..	..
47	Government Middle School, Jamwari ..	11	10	6	6	14	14	..	..	..

48	Government Middle School, Bass ..	15	15	23	16	19	19	..	..	11-12-59
49	Government Middle School, Kapro ..	24	21	30	12	19	9	..	..	..
50	Government Middle School, Jamalpur ..	20	19	18	13	21	18	..	..	..
51	Government Middle School, Khanda Kheri	38	29	20	20	20	20	..	..	..
52	Government Middle School, Baliali ..	17	11	20	17	13	12	..	..	..
53	Government Middle School, Budhchhapar	Upgraded on 1-4-57			..	7	7	..	..	..
54	Government Middle School, Puthi Saman	Upgraded in 1958-59			..	..	..	..	13-8-58	11-59-60
55	Government Middle School, Gorakhpur ..	Upgraded from 1-4-57		9	9	16	12	..	..	..
56	Government Middle School, Kirrahan ..	Ditto		10	1	12	11	16-2-57	26-6-58	..
57	Government Middle School, Kuleri ..	8	8	9	6	22	20	..	..	..
58	Government Middle School, Kanoh ..	3	3	17	11	14	9	..	..	20-10-59
59	Government Middle School, Badopal ..	20	10	30	29	28	21	4-6-57 3-8-57	15-1-58	..
60	Government Middle School, Khairampur	16	6	18	14	8	6	24-1-57 8-4-57 25-9-57	10-2-58	..
61	Government Middle School, Battia ..	23	11	26	17	32	17	11-6-57	11-3-58 19-12-58 ..	13-3-59 8-8-59 23-9-59
62	Government Middle School, Ram, Sarai ..	Upgraded from 1-4-57			..	7	7	..	..	..
63	Government Middle School, Bhuna ..	.. Upgraded form 1-4-57				17	16	..	..	..
64	Government Middle School, Chamar Khera	(VIII Class added from 1-4-58)				11	8	..	..	..

S.No.	Name of school at present	RESULT, 1957		RESULT, 1958		RESULT, 1959		DATE OF INSPECTION		
		Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Government Middle School, Bhuttan Kalan	(VIII Class added from 1-4-58)				12	10	..	..	..
66	Government Middle School, Chauli Bhagiran	(VIII class added from 1-4-58)				..	..	..	..	..
67	Government Middle School, Bighar ..	Upgraded in 1958-59			..	..	..	..	..	20-1-60 28-5-59
68	Government Middle School, Ellenabad ..	17	12	16	15	11	11	..	..	..
69	Government Middle School, Nuhianwali	17	6	23	15	24	13	..	..	18-1-60 30-5-59
70	Government Middle School, Karriwali	Upgraded from 1-4-57 ..	..	3	2	7	7	..	..	..
71	Government Middle School, Bani ..	4	1	6	5	15	13	..	..	26-2-59 26-5-59
72	Government Middle School, Arrniwali ..	2	..	5	2	9	9	..	..	..
73	Government Middle School, Nakora ..	Upgraded from 1-4-57			..	8	8	..	..	..
74	Government Middle School, Ganga ..	Upgraded from 1-4-57		4	2	4	4	..	..	..
75	Government Middle School, Abubshahar	2	1	6	5	6	6	22-8-57	..	..
76	Government Middle School, Desujodhan..	Upgraded from 1-4-57		1	1	3	3	..	..	..
77	Government Middle School, Deshujodhan	(VIII class added from 1-4-57)				8	8	..	..	..
78	Government Middle School, Jagmolera ..	Middle Class started in 1959-60				..	..	..	..	1-3-60

79	Government Middle School, Baragodha ..	7	3	20	16	19	19	20-9-57	..	26-11-59
80	Government Middle School, Masitan ..	Upgraded from 1-4-59			..	..	..	..	10-5-58	27-11-59
81	Government Middle School, Phulkan ..	Upgraded in 1958-59			..	..	..	..	..	..
82	Government Middle School, Madho singana	Upgraded in 1958-59			..	..	..	..	..	15-9-59
83	Government Middle School, Maujdin ..	Upgraded in 1958-59			..	..	..	..	..	..
84	Government Middle School, Odhan ..	Upgraded from 1-8-59			..	..	..	..	..	..
85	D.P.A.V. Middle School, Hansi ..	20	15	28	9	17	9	..	..	..
86	Gurukul Middle School, Kanwari ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
				Recognized from 1-4-59						

8799 PVS—349 11-8-60—C. P. & S., Pb. Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

29th February, 1960.

Vol I—No. 9

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 29th February, 1960.

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab,
1960

Price Rs. 5.10 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. 1 NO. 9 DATED THE 29TH FEBRUARY, 1960.

Read	*for*	*on page*	*line*
remaining	ramaining	(9)6	6
converted	conve ted	(9)6	7th from below.
Departmental	Deparrtmental	(9)7	20th from below.
Superintendents	Supeintendents	(9)7	8th from below.
Inspector	Inspecttor	(9)7	3rd from below.
introduction	inntroduction	(9)9	6
experience	experi cnce	(9)16	2
cigarettes	cigartttes	(9)19	12
Katora	atora	(9)20	14th from below.
interview	interviews	(9)23	12 from below.
district	distric	(9)24	5
de-requisition	de-requision	(9)36	21
Add the word 'of' after the word 'names'		(9)46	4
Recovery	Reocevery	(9)69	8th from below
Add the figure "(4)" after the word "Sum"		(9)71	7th from below.
under	unde	(9)73	8
मौज़ूं	मौज़ा	(9)73	9th from below.
enquiries	enquries	(9)75	19
Premises	Prem ses	(9)75	10th from below.
गाढ़े	गाड़े	9)83	12
Superfluous	superflous	(9)85	15th from below.
Add the word 'की' after 'मुकद्दमें'		(9)90	4
पड़ता	पड़ाता	(9)95	8

Read	*for*	*on page*	
ਕੇਸ	ਕਿਸ	(9)100	3rd from below.
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ	ਗੁਰਦਾਸਤੁਰ	(9)102	last
तरफ नहीं	तरफन. हां	(9)104	2
सकते	कते	(9)109	25
suggestion	su gestion	(9)109	9

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 29th February, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 5069

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये जो दो areas हैं एक Ram Lal Eye Hospital और एक outside Rambagh Gate इन की कीमत फरोख्त क्या निकाली गई है ?

उप मन्त्री (श्री यशवन्त राय) : 25 से 150 तक ।

श्री बलराम दास टण्डन : आप तो 8 और 9 का जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो 10 और 11 नम्बर पर हैं क्या इन की कीमत फरोख्त तय की गई है ?

उद्योग मन्त्री : उस के बारे में हमारे पास information नहीं । यह तो उन से पूछने के बाद ही बताया जा सकता है ।

श्री बलराम दास टण्डन : जो इलाका evacuee property से लिया है और आम पब्लिक से लिया है उन की कीमत फरोख्त में फर्क क्यों रखा गया है ?

मन्त्री: ये figures तो town Improvement Trust के पास ही होंगी। जो information मांगी गई थी वह collect करके दे दी गई है। अगर कोई specific information चाहिये तो Town Improvement Trust से लेकर हो दे सकेंगे क्योंकि details हमारे पास नहीं हैं।

श्री बलराम दास टण्डन : इस की क्या वजह है कि किसी जगह तो कीमत खरीद दो दो रुपए है और किसी जगह 17 रुपए और उस के against जो कीमत फरोख्त है वह सवा रुपये से डेढ़ रुपए तक है ? इस फर्क की क्या वजह है ?

मन्त्री : मैं ने तो अर्ज कर दिया था कि मुख्तलिफ जगहों के development charges मुख्तलिफ होते हैं। किसी जगह पर parks और lanes बनाने हों तो उस से development charges में कुदरती तौर पर फर्क आ जाता है।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CHAIRMAN AND MEMBERS OF AMRITSAR AND JULLUNDUR IMPROVEMENT TRUSTS

*5070. **Shri Balram Dass Tandon :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the names of the Chairman and Members of the Improvement Trust of Amritsar and Jullundur with their full addresses and the basis on which these appointments were made ;

Note: Starred Question No. 5069 along with its reply appears in the PVS Debate, Vol. I, No. 8, dated 26th February 1960.

[Shri Balram Dass Tandon]

(b) the qualifications of the members of each of two trusts referred to in part (a) above ?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister) : (a) and (b) A statement showing the names of the Chairman and members of Improvement Trust Amritsar and Jullundur with their addresses and qualifications has been placed on the Table of the House.

No qualification has been prescribed under the Punjab Town Improvement Act, 1922 for the Trustees, but Government generally take into consideration the experience of persons to be nominated in the various fields of Public activities.

Names	Addresses	Qualifications
I. AMRITSAR IMPROVEMENT TRUST		
(1) *Chairman*		
Shri Sardara Singh Bhinder ..	92-H, The Mall, Amritsar	B. A., L.L.B., Advocate of ab out 22 years standing
(2) *Nominated Members*		
(i) Additional General Assistant	District Courts, Amritsar ..	Officer of P.C.S., cadre
(ii) Shri Parkash Chand Mehra	'Ratanvali', The Mall, Amritsar	Ex-Member of Municipal Committee, Amritsar for over 25 years
(iii) Shri Dharam Singh ..	18-A, Gopal Nagar, Amritsar	C.E., E.E., A.M.I.S.E., Engineer and Architect
(3) *Elected Members*		
(i) Shri R.S. Chopra ..	Gaggar Mall Road, Amritsar	Elected by the Municipal Committee, Amritsar
(ii) Shri Rachpal Singh ..	Chowk Baba Sahib, Amritsar	Elected by the Municipal Committee, Amritsar
(iii) Shri Darshan Singh ..	Fruit Market, Amritsar ..	Elected by the Municipal Committee, Amritsar
II. JULLUNDUR IMPROVEMENT TRUST		
(1) *Chairman*		
Shri Sardara Singh, Bhinder	92-H, The Mall, Amritsar	B.A., L.L.B., Advocate of about 22nd years standing
(2) *Nominated Members*		
(i) Shri Pearey Lal ..	Additional General Assistant to Deputy Commissioner, Jullundur	Officer of P.C.S. cadre
(ii) Shri Mool Raj Sharma ..	Ladowali Road, Jullundur	President Harijan Sewak Sangh
(iii) Vacant, vice Shri Yash who resigned	..	..

(3) *Elected Members*

No member has so far been appointed as the names of members elected by the Municipal Committee, Jullundur, have not been received by Government. The term of previous members expired on 3rd December, 1959.

श्री बलराम दास टण्डन : इस में लिखा है कि takes into consideration the experience । क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस किस्म के experience को आधार माना जाता है ?

उप मन्त्री : Social Service and public life वगैरह ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो आदमी लिए गए हैं उन के बारे में कोई list prepare करते हैं या और कोई procedure adopt किया जाता है ?

उद्योग मन्त्री : इसका procedure यह है कि लोकल अफसरों से recommendation मंगवाई जाती हैं और जो panel वे भेजते हैं उन में से नाम select करते हैं ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या उन्हें कोई ऐसी हिदायत है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के आदमियों के ही नाम भेजे जाएं ?

मन्त्री : ऐसी कोई हिदायत नहीं ।

श्री प्रबोध चन्द्र : जब गवर्नमैंट की यह policy है कि कोई भी आदमी जिस की एक से ज्यादा बीवियां हों न लगाया जाय तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप ने ये चेयरमैन जो लगाए गए हैं......

Mr. Speaker : This thing has come before this House many a time. Please leave it.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो recommendations Deputy Commssioners या Commissioners की तरफ से भेजी जाती है उन में से ही appointments की जाती हैं या बाहर से भी ?

मन्त्री : जहां तक Town Improvement Trust के सवाल का ताल्लुक है उन्हीं recommendations पर अमल किया गया है जो कि वहां से आई ।

श्री बलराम दास टण्डन : दोनों Improvement Trusts का चेयरमैन एक ही आदमी लगाने का क्या कारण है ?

मन्त्री : बहुत से कारण हैं। जिन में से एक कारण खर्च की बचत हो सकती है। एक आदमी और लगाएं तो उसे और तनखाह देनी पड़ेगी । इस लिये एक ही आदमी को लगाना मुनासब समझा गया ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ chairman ਦੀ appointment ਵੇਲੇ ਕੀ municipality concerned ਨੂੰ ਵੀ consult ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: Improvement Trust ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂਵਿਚ 7 ਵਿਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਤਖਿਬ ਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ nominees ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ chairman ਦੀ appointment ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਏ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या Improvement Trust, Amritsar के जो तीन मेम्बर कमेटी की तरफ से लिख कर बताए गए उन तीनों के नाम notify हो गए हैं ?

मन्त्री : मालूम नहीं ।

श्री बलराम दास टण्डन : यहां पर जो तीन नाम बताए गए हैं उन की information पूछी गई है या नहीं ?

मन्त्री : पूछी गई होगी। Consult किए बग़ैर कैसे कह सकता हूं ।

REFORMS IN JAILS

*4617. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government have taken any decision to introduce reforms in Jails of the State ; if so, the details thereof and the time by which these reforms are proposed to be introduced ?

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister) : The information with regard to the reforms introduced in the Jails so far, on the recommendations of the East Punjab Jails Reforms Committee appointed in 1948-49 and the erstwhile Pepsu Jails Reforms Committee appointed in 1950-51 , are laid on the Table of the House.

List of recommendations of Jails Reforms Committee in the erstwhile Pepsu, which have been implemented

1. The classification of convicts into A, B and C Classes was abolished.

2. The undertrial prisoners were divided into two classes, viz., A and B by abolishing Class C.

3. Raw vegetables like carrot, radish, tomato, cucumber, etc., when available from the jail garden, were allowed to the prisoners.

4. Half seer of milk daily to every juvenile prisoner under the age of 18 was allowed.

5. Half chhatak of mustered oil per head was allowed to all prisoners keeping keshas.

6. Issue of two utensils (one plate and one drinking vessel) to each prisoner was introduced.

7. The prisoners were allowed to supplement their diet and clothing in the following manner :—

   Diet.—(a) Convicts were allowed to supplement their diet from private resources up to a maximum of Rs 10 per mensem.

   (b) Unconvicted prisoners were permitted to supplement their diet without any limit under the supervision and with the approval of the Superintendent of the Jail.

   (c) All prisoners were allowed to take into their barracks up to one seer of sweets received at the time of interview.

Clothing.—(a) A and B Class prisoners were allowed to use their private clothes; provided these were made of plain cloth like that of the jail. They were also allowed to wear their own shoes.

(b) The convicts were allowed to use private clothes as under clothes to those supplied by the jails.

8. Separate kitchens were provided for every unit of prisoners up to 300.

9. Kitchens in the jails were fitted with fly-proof doors and windows.

10. Extra clothing and approns were supplied to the prisoners working as cooks. They were also supplied soap to wash their hands, before and after their work.

11. Cooks were awarded special remission to provide incentive for efficiency.

12. Sign Boards indicating scales of diet, clothing and other miscellaneous articles were displayed at appropriate places in all the barracks and ahattas.

13. Convicts were allowed one interview and two letters in a month.

14. Grant of 15 days release on parole, on adequate security, to visit relatives outside the jail was permitted to all convicts except those convicted under sections 302, 304, 307, 392 to 400.

15. Libraries for the benefit of prisoners were set up in all the jails.

16. Newspapers in adequate number were allowed to the prisoners for their reading.

17. Literate convicts were employed to supplement teaching arrangements.

18. Facilities were allowed for all convicts to appear in University Examinations.

19. Radio sets and loudspeakers were installed in all the jails.

20. A separate jail was opened for all long termers whose term of imprisonment exceeded 10 years.

21. Prisoners convicted of offences involving violence and those convicted under sections 379, 381, 382 and 447 to 462 were placed in separate wards.

22. The allowances of the Medical Officers of the Jails were revised.

23. Jail compounders were made liable to periodical transfers.

24. Stocking/issue of medicines in jails was liberally increased.

25. The male convicts selected to work as male nurses in the jail hospitals were required to be trained by the Medical Staff attached to the jail dispensary.

26. Juvenile prisoners were allowed to sleep in the open in the summer.

27. Fettering of juvenile prisoners was stopped.

28. A sum of Rs 5,000 was earmarked every year for the grant of loans to the released prisoners to enable their rehabilitation.

29. The prisoners released under the Pepsu Good Conduct Prisoners Probational Release Act, were employed with the employers approved by the Government.

30. The system of non-official visitors was introduced and regular committees for every jail were nominated for this purpose.

31. New important industries were introduced in the jails.

32. Panja labour beyond the jail precincts for the State Bungalows were stopped.

[Deputy Minister]

33. Roofed shelter was provided for the warders on duty.

34. Regular waiting rooms and interview sheds were provided at the jails.

35. Piped drinking water was arranged for the District Jail, Faridkot, by providing a tube well.

36. Recruitment to Deputy Superintendents and Superintendents Jails, was prescribed as 33 percent from outside and ramaining by promotion. Minimum qualification for direct recruitment to posts of Assistant Superintendents, Deputy Superintendents and Superintendents of Jails was fixed as graduate with preference for diplomas or decrees in Criminology, Penology and Psychology etc.

37. Executive staff of the jails was required to be transferred every 3rd year.

38. Recreation arrangements were provided at every jail for the jail staff.

List of Recommendations of the East Punjab Jail Department Committee, 1948-49 which have been implemented

Serial No.	Para of Jail Reforms Committee Report as per annexure I	REMARKS
1	Para 45(i) to (v)	.. Accepted. Government have framed Detenue Rules and has decided that their request be considered on merits as and when made.
2	Para 49 & 50	.. Accepted by Government in principle but to be given effect as and when practicable.
3	Para 51	.. Accepted. The Criminal Tribes Act has already been repealed by the Punjab Government.
4	Para 56	.. Accepted. A ward for leper prisoners has not been constructed so far. The matter regarding its construction at Central Jail, Ambala, is under correspondence with the P.W.D. It may, however, be stated that there is no leper prisoner confined in this State and there is thus no urgency about the matter.
5	*Deleted*	
6	Para 59	.. Accepted. Infectious wards are being raised in jails by and by when funds permit. At some jails such wards already exist.
7	Para 60	.. Accepted.
8	Para 69	.. Accepted. Post of P. A. to Inspector-General has been replaced by Deputy Inspector-General of Prisons (now Assistant Inspector-General of Prisons).
9	Para 70(ii)	.. Accepted. 11 Judicial Lock-ups have already been converted into sub-jails and in respect of appointment of clerks as Assistant Superintendent Jails this recommendation was fully kept in view.
10	Para 73	.. Accepted. One Conference of Superintendents of Jails was held in April, 1950 and the other in July, 1958.
11	Para 75(i) and (ii)	.. Accepted. The suggestions are being followed.

Serial No.	Para of Jail Reforms Committee Report as per Annexure I		REMARKS
12	Para 76	..	Accepted. The existing rules prescribe the minimum educational qualifications as a degree in Arts or Science or Agriculture or Commerce and this rule is being followed in practice.
13	Para 77	..	Accepted. The scale of pay of Assistant Superintendents Jails has been raised from 1st May, 1957 to Rs 100—10—200/10—300, i. e., more than the recommended grade.
14	Para 79	..	Accepted. The posts of Sub-Assistant Superintendents have already been created.
15	Para 80(i)(ii) Para 122	..	Accepted. The required provision is being made in the relative service rules and some posts of Sub-Assistant Superintendents have already been filled up from Clerical staff.
16	Para 85, 86 & 87	..	Accepted. Officers are being deputed in batches to the Jail Training School, Lucknow.
17	Para 88	..	Accepted provided funds are available and Government consider it desirable.
18	Para 89(i)(ii)	..	Accepted. It is being implemented and a suitable provision is being made in the service Rules.
19	Para 90	..	Accepted. The service rules duly contained a provision that all officers appointed to the posts of Superintendents of Jails shall receive training in the judicial line for one month and will be examined by the District Magistrate, on termination of training who will issue a certificate for the said training having been undergone. This is not, however, applicable to Superintendents of Jails recruited from P.C.S. cadre.
20	Para 91	..	The Assistant Superintendents Jail are required to pass Deparrtmental Examination in these subjects for promotion to Deputy Superintendents Jail as per Department Examination Rules for Superintendents, Deputy Superintendents and Assistant Superintendents which are now under the consideration of Government for approval.
21	Para 93(i) Para 121	..	Accepted. Sub-Assistant Superintendents are being provided at District Jail. Recommendation accepted and Record Keeper sanctioned for each Central and District Jails, Daftris' posts are also provided for Central Jails.
22	Para 93(iii)	..	Accepted. Proposal regarding abolition of the post of Deputy Supeintendents at 3rd Class District Jails, not accepted by Government.
23	Para 94(ii)	..	Accepted. Necessary instructions issued to Jails for compliance.
24	Para 96	..	As per remarks against para 97.
25	Para 97	..	The Inspecttor-General of Prisons, has been asked to take up the matter regarding training of warders at U.P. Jails, Training School, Lucknow.

[Deputy Minister]

Serial No.	Para of Jail Reforms Committee Report as per Annexure I		REMARKS
26	Para 99	..	Partly accepted. Government have accepted to abolish the provision of para 270 of Punjab Jail Manual regarding recruitment from particular classes and races. This is being implemented as far as possible.
27	Para 100	..	Accepted. Fully being implemented.
28	Para 101(i)	..	Accepted in principle.
29	Para 101(ii)	..	Regarding arrangements of duties it can only be done when scheme at (i) is fully implemented.
30	Para 105	..	Accepted. Is being implemented and some Head Warders have since been appointed as Sub-Assistant Superintendents.
31	Para 107	..	Accepted. Government have decided that present medical arrangement should continue till the economic position of the State improves.
32	Para 108	..	As per remarks against para 259
33	Para 109(1)	..	Accepted. A post of Superintendent Jail Industries has since been created. Steps are being taken to make appointment on this post.
34	Para 109(2)	..	Ditto
35	Para 110(2)	..	Accepted in principle.
36	Para 113	..	This recommendation stands accepted in principle.
37	Para 114, 115	..	Accepted in principle. To be implemented as and when funds are available.
38	Para 117	..	This recommendation has been accepted and included in the Schedule of New Expenditure.
39	Para 126	..	Accepted. Provisions of para 961 of Punjab Jail Manual are strictly enforced.
40	Para 131	..	This needs no action as punishment of whipping has been abolished already.
41	Para 132 and 133	..	Ditto
42	Para 134	..	Accepted. The recommendation was accepted in principle. Instructions have already been sent to Jails.
43	Para 135(i)(ii)	..	Provision already exists in para 757 of the Jail Manual. Instructions have been already issued to Jails.
44	Para 140	..	Partly accepted. Note under para 586 deleted and distinction between Indian and European prisoners done away with. Instructions issued to all Jails.
45	Para 156(i)(ii)	..	Accepted. Prisoners are already being given training in Agriculture in Jails gardens. More extensive training will be given after the opening of special Agricultural Jail Farms.
46	Para 158	..	Accepted. The matter regarding setting up demonstration Farms in certain big jails is being pursued in consultation with the Agricultural Department.
47	Para 160	..	This is covered by the Wage Earning Scheme dealt in paras 170 and 171.

Serial No.	Para of Jail Reforms Committee Report as per Annexure I	REMARKS
48	Para 165(i) ..	Accepted. Only in Ferozepur, Central Jail, power driven kohlu has been installed.
	Para 165(ii) ..	The question is linked with the inntroduction of Wage Earning Scheme dealt in para 170 and 171.
49	Para 166 ..	Accepted. This is to be examined by the Superintendent of Jail Industries when he is appointed.
50	Para 170, 171 and 173	Ditto
51	Para 176 and 177 ..	Ditto
52	Para 180 ..	Accepted in principle, but effect is to be given when funds permit. The Instructions have been issued to Jails.
53	Para 182 ..	Accepted. The instructions were issued to Jails.
54	Para 185 ..	This is covered by paras 226 and 227 of the Punjab Jail Reforms Committee Report.
55	Para 186 ..	Accepted. Necessary instructions issued to jails.
56	Para 187(i)(ii) ..	Accepted. This is being carried on in Jails.
57	Para 189 ..	Accepted. Already being carried on in Jails.
58	Para 190 ..	Accepted. Convict teachers on payment of Rs 5 per mensem are now being employed to assist paid teachers posted at each Central and District Jails.
59	Para 191(i) ..	Accepted. The instructions were issued to all jails for compliance.
60	Para 192 ..	Accepted. Libraries for prisoners at jails are provided.
61	Para 193 ..	Accepted. Women prisoners are being imparted training in mother crafts, etc.
62	Para 194(i) ..	Accepted, in principle. The paper has not started publication.
63	Para 194(ii) ..	Accepted. Cinema films and slides are being shown to prisoners in jails.
64	Para 195 ..	Accepted. Superintendents of jails were asked to arrange lectures in consultation with the Deputy Commissioners.
65	Para 196 ..	Accepted. Suitable lectures are being delivered on honorary basis.
66	Para 197 ..	Accepted. Instructions were issued to jails for compliance.
67	Para 200 ..	Accepted. Necessary instructions were issued to jails for compliance.
68	Para 209 and 210 ..	Accepted. Punjab Good Conduct Prisoner (Temporary Release) Bill, 1959 is under legislation.

[Deputy Minister]

Serial No.	Para of Jail Reforms Committee Report as per Annexure I		REMARKS
69	Para 211	..	Accepted. Prisoners have been allowed to smoke 4 cigarettes or 8 biries daily at their own expense after meals.
70	Para 212	..	Accepted. Well behaved prisoners have been allowed to sleep outside.
71	Para 215	..	Accepted. Necessary instructions have been issued to jails and are being carried out.
72	Para 216	..	Accepted. The recommendation is already covered by paras 936—38 and 938-A of the Punjab Jail Manual.
73	Para 218	..	Accepted. Has been included in the schedule of New Expenditure for the year 1960-61.
74	Para 219	..	Accepted in principle and is being adopted according to the availability of funds for the construction of additional buildings for kitchen units.
75	Para 224	..	Accepted. These are being provided in jails as and when funds become available.
76	Para 226	..	Accepted. Since implemented and necessary instructions issued to all jails.
77	Para 227(i) to (v)	..	Accepted. Since implemented and necessary instructions issued to all jails.
78	Para 229(i)(ii)	..	Accepted. Since implemented and necessary instructions issued to all jails.
79	Para 230	..	Accepted. Since implemented and necessary instructions issued to all jails.
80	Para 231	..	Accepted. It has been decided to issue sweet dishes on the Republic Day, included in the Schedule of New Expenditure for 1960-61 .
81	Para 232	..	Accepted. Since implemented and necessary instructions issued to all jails.
82	Para 233(i)	..	Ditto
83	Para 237	..	Accepted. This recommendation is already in force.
84	Para 239(i)	..	Accepted. Partly implemented as Government is sanctioning funds on year to year basis.
85	Para 240(i)	..	Accepted. The estimates and plans are being called for and the matter regarding construction of covered bath rooms is being pursued with Government for funds and P.W.D., for construction.
86	Para 240(ii) to (iv)	..	Accepted. Since implemented and necessary instructions issued to all jails.
87	Para 241(i)	..	Ditto

Serial No.	Para of Jail Reforms Committee Report as per Annexure I	REMARKS
88	Para 241(ii)	.. This recommendation can be considered and implemented when a separate woman jail is built. At present satisfactory arrangements in women section of each jail exist.
89	Para 243(i)	.. Accepted. The plans and estimates of the works have been called for from jails. In some jails flush latrines have been provided, in other jails these are being provided gradually on the availability of funds.
90	Para 243(ii)	.. This para has already been dealt with vide paras 170 and 171.
91	Para 246	.. Accepted. The over-crowding in jails has been eliminated as a result of construction of additional accommodation in various jails, construction of new District Jail, Amritsar and Central Jail at Tehar Delhi and District Jail, Sangrur. The position regarding prison accommodation has been further eased by the integration of Pepsu with Punjab. Further, the Jail at Bhatinda is at a fairly advanced stage of completion. A section in the District Jail, Ludhiana has been set apart as a women jail.
92	Para 249	.. Accepted. As per remarks against para 153.
93	Para 252	.. Accepted by Government in principle, but implementation has been deferred till better times. For the time being facilities available in Civil Hospitals are being utilized in cases where jail Hospitals are deficient.
93	Para 253	.. Government decided that the existing medical arrangement should continue.
94	Para 256(i)	.. Accepted. The recommendation is being acted upon already.
	(ii)	Accepted. The cooks and ward servants are already provided practically at the scale recommended from out of prison servants. However, a departmental order to this effect has been issued.
95	Para 257	.. Partly accepted.
96	Para 258	.. Accepted. Dispensers of the jail department have been amalgamated with the dispensers of the Medical Department.
97	Para 259	.. Partly accepted. Jail allowance @ Rs 10 per mensem for dispenser has been sanctioned.
98	Para 261	.. Accepted. Instructions issued to jails for compliance.
99	Para 262	.. As per remarks against para No. 58.
100	Para 257	.. Accepted. Children Act already passed. Its implementation has been entrusted to the Director of Public Instruction.
101	Para 277	.. As per remarks against para No. 158.

[Deputy Minister]

Serial No.	Para of Jail Reforms Committee Report as per Annexure I		REMARKS
102	Para 278(i)(ii)	..	The matter regarding construction of New B.I. & J.J., is being pursued. So far it is in the priliminary stage.
103	Para 281	..	Accepted. Government ordered that the suggestions be conveyed to State Congress Committee and public co-operation enlisted. This has been done.
104	Para 283	..	Accepted. Already provided under para 52, Punjab Jail Manual.
105	Para 284	..	The Central organization with the name of Provincial Crime Prevention Society has been formed for the Welfare of Prisoners for all matters including the one mentioned in this recommendation.
106	Para 287	..	Accepted. P.W.D. have been asked by Government to prepare standard plans and designs.
107	Para 288	..	Ditto
108	Para 289 and 290	..	Ditto
109	Para 291	..	Accepted. ..
110	Para 292	..	Accepted. Recommendation accepted in principle and being implemented progressively.
111	Para 293	..	As per remarks against para No. 224.
112	Para 294(i)(ii)	..	The matter regarding installation of flush latrines and Ever Clean Latrines is being pursued with Superintendent, Jail and P.W.D. Instructions have been issued to all Superintendents Jails to introduce trenching system.
113	Para 295	..	As per remarks against para No. 240.
114	Para 296(i)(ii)&(iii)	..	Accepted. Arrangements have been made to remodel the interview rooms. Necessary instructions conveyed to Jails.
115	Para 297	..	Accepted. Arrangements are being made.
116	Para 298	..	Accepted. Judicial Lock Ups at 11 places have already been converted into sub-jails.
117	Para 299	..	Accepted. Recently non-official visitor has been appointed for the Judicial Lock Up recently converted into sub-jails in Ferozepore District.
118	Para 300	..	Accepted. No action is required.
119	Para 304	..	Accepted. Since implemented and necessary instructions issued to all jails.

ANNEXURE I

Para 45

(i) The Committee supports the demand of the detenus for the grant of reasonable allowances to the families of those detenus on whose earnings alone these families are dependent.

(ii) The Government should supply in addition to one newspaper, one weekly and one monthly magazine for every ten detenus.

(iii) When a detenu has no private clothings of his own, he should be allowed to take away on release from jail the clothes he is wearing.

(iv) The Government should supply a reasonable amount of writing material to detenus to enable them to write Books or take notes.

(v) The Committee generally recommends that the Government should grant authority and power to Superintendents of Jails to spend money out of contingencies to meet special reasonable needs or wants of detenus.

Para 49

Among the casual convicts a further classification into star casual and ordinary casual is recommended.

Segregation of professional and confirmed habitual in separate wards of the same jail is recommended.

The present definition whereby a prisoner is classified as habitual merely on the score of his previous conviction or incidence of birth is not regarded as satisfactory.

Para 50

Conviction under section 109, Criminal Procedure Code, should not be regarded sufficient for classifying a convict as habitual.

Para 51

Members of the Criminal Tribes guilty of any offence should not be classified as habituals as a matter of routine.

Para 56

It will be desirable to have a separate ward for lepers in the Central Jail at Ambala.

Para 59

It is recommended that steps should be taken to provide separate accommodation for prisoners suffering from infectious diseases in every jail.

Para 60

European and Foreign Prisoners.—Now, with the advent of Swaraj in our country there is no place in our statutes or codes for any differentiation based on nationality or race. So the provisions relating to Europeans and foreigners should no longer disfigure our Jail Manual and should be abolished. All the same the committee thinks that in regard to diet and clothing of such prisoners, the rules should be in conformity with their peculiar needs and habits and that uniformity in regard to diet and clothing will not be desirable. We, therefore, do not propose any change in the dietary and scale of clothing laid down for this class of prisoners in the Jail Manual.

Para 69

The appointment of Assistant Inspector-General of Prisons is proposed in place of the present post of Personal Assistant.

[Deputy Minister]

Para 70 (ii)

(ii) Clerks working in the Head Office having requisite qualifications should also be eligible for executive posts in the Department.

Para 73

A Provincial Conference of all Jail Superintendents should be held periodically.

Para 75

(i) The minimum educational qualification in the case of direct recruits for the post of Deputy Superintendent should be the possession of a Degree in Arts or Science with Diploma or certificate in subjects like Penology, Criminology and Psychology.

(ii) Direct recruits to the post of Deputy Superintendent should work at least for one year as Assistant Superintendent.

Para 76

The minimum educational qualifications for an Assistant Superintedent should be raised from Intermediate Arts or Science to a Graduate in Arts or Science or Agriculture or Commerce.

Para 77

His scale of pay should be raised from Rs 120—7½—240 to Rs 150—10—270.

Para 79

New posts of Sub-Assistant Superintendents at the scale of pay of Rs 90—5—125 be created.

Para 80

(i) These new posts should be filled by promotion from amongst suitable members of the warder guard, clerical staff and store-keepers.

(ii) The appointment and dismissal of the incumbents of these posts should be made by the Inspector-General of Prisons.

Para 122

We have already recommended in paragraph 80 of this Chapter that clerks with suitable qualifications and aptitudes should be promoted to the Executive cadre as Sub-Assistant Superintendents. We have also recommended in paragraph 113 the provisions of quarters at every Jail for all jail employees.

Para 85

Jail officials should receive proper training in the technique and details of prison management.

Para 86 and 87

A Jail Training School should be started for the benefit of Assisant Superintendents, Deputy Superintendents and Superintendents in the East Punjab failing which other alternate arrangements are suggested.

Para 88

The Inspector-General of Prisons, the Assistant Inspector-General of Prisons and the Superintendents of Jails should be afforded opportunities for visiting jails in other Provinces and, if possible, in foreign countries.

Para 89

(i) Superintendents of Jails should be required to pass the Departmental Test in Criminal Law and Prison Act and the Jail Manual before appointment.

(ii) The above Test should include besides the above subjects, Criminology, Penology and Psychology.

Para 90

The Superintendent Jail should be required to receive training for one month in the Judicial line.

Para 91

All Assistant Superintendents should be required to take the Departmental test in Criminal Law, Jail Manual and Prisons Act to qualify for promotion to the post of Deputy Superintendent.

Para 93

(1) The following additional staff is recommended :—

(i) One Assistant Superintendent or Sub-Assistant Superintendent and Record Keeper	At every District Jail
(ii) A Record Keeper and a Daftri ..	For every Central Jail

(iii) Posts of Deputy Superintendents at III Class District Jails should be abolished.

Para 121

It was represented by the clerical staff that they had not fair scope for promotions, that their scales of pay were meagre and duty hours long and that there is no provision of residential quarters for them at the jail premises. In the interest of efficiency they wanted that a permanent record clerk and a daftri should be appointed at every District and Central Jail. We are of the opinion that the appointment of a Record Keeper at every office of a District Jail and a Record Keeper and a Daftri at a Central Jail will add to the efficiency and speed of office work and improve the state of office records and outturns. In this connection we have already made our recommendation in paragraph 93.

Para 94

(ii) Prisoners due for release on Jail holidays should be released a day earlier to enable the staff and the prisoners to enjoy the holiday at home.

Para 96

The subjects in which warders should receive training are suggested.

Para 97

A separate Jail Training School for the warder guard should be established at one of the Central Jails under the charge of a Deputy Superintendent, 1st Grade.

Para 99

(i) The provision of paragraph 270 of the Punjab Jail Manual requiring recruitment from particular classes and races should be eliminated.

Para 100

The maximum age limit in the case of the pensioned soldiers should be reduced from 45 to 40.

Para 101

(i) It is recommended that the strength of the warder guard should be increased by 25 per cent.

(ii) The duties and beats of warders should be so arranged as to ensure for each one of them at least complete rest for two nights in bed in a week.

[Deputy Minister]

Para 105

Warders with suitable qualifications and experiecnce should be considered eligible for promotion to the post of Sub-Assistant Superintendent.

Para 107

An Assistant Surgeon, Class I, in place of Sub-Assistant Surgeon should be posted as a Medical Officer at each I, II, and III Class District Jails and assisted by one or more dispensers.

Para 109

(i) The appointment of a responsible officer for the supervision and management of jail industries is stressed.

(ii) An Assistant Superintendent especially trained in industrial work be appointed at every District and Central Jail and should be designated as Industrial Supervisor.

Para 110

(ii) These instructors should also receive training in the jail training school in the technique of handling prisoners.

Para 113

All members of the Jail staff should be provided with quarters on or near the jails.

Para 114

Married warder quarters should be provided to the extent of 10 per cent of the strength.

Para 115

The accommodation provided in quarters for married warders should be increased.

Para 117

Common messes for unmarried warders should be provided at Government expense at each jail.

Para 126

Strict enforcement of the provisions of paragraph 961 of the Jail Manual is suggested.

Para 131

In the general opinion of the Committee flogging should be retained as a jail punishment for offences laid down in the Jail Manual at present.

Para 132

The maximum number of stripes awarded should not exceed 18.

Para 133

Boys under 16, if awarded this punishment, should receive it on the palms of their hands by way of school discipline and not on the buttocks. Paragraph 629 of the Jail Manual needs alteration in this respect.

Para 134

The frequent resort to the use of fetters under the plea of safe custody is deprecated.

Para 135

(i) No juvenile prisoner should be fettered on transfer by road and rail.

(ii) The types of prisoners who should be fettered on transfer from one jail to another are suggested.

Para 140

Paragraph 609(i) and note to paragraph 586 of the Jail Manual should be suitably modified.

Para 156

(i) Agriculture should be regarded as an appropriate and necessary form of jail industry.

(ii) No convict from the peasant class should leave the jail without having some training in the improved methods of agriculture.,

Para 158

Opening of agricultural jails for the training of convicts in the latest methods of agriculture is recommended.

Para 160

Cottage and suitable industries are recommended as suitable forms of alternate employment to agriculture.

Para 165

(i) Every District and Central Jail should have power-driven kharases and oil-presses to meet its own requirements for atta and mustard oil.

(ii) District Jails should have only cottage and smaller industries.

Para 166

Power-driven machinery should be installed in Jails for the operation of these industries, in order to train prisoners in the working of such machinery.

Para 170

Institution of an "Earning Scheme" is recommended to secure the maximum out-put of energy from convicts.

Para 171

The implementation of the scheme for paying wages to prisoners for extra work done is urged.

Para 173

Out of the amount so earned, a convict should be allowded to spend 1/4 on the purchase of eatables or cigarettes, 1/4 for remitting home to his dependents and 1/2 non-expendable to accompany him on his release.

Para 176

Training to convicts in artisan courses such as carpenters, shoe-makers, fitters, blacksmiths, mechanics, welders, etc., should be povided in consultation with the Industries Department.

Para 177

Exploitation of prisoners for the sake of commercial profits is strongly deprecated.

Para 180

Improvement in the environmental conditions of prisoners' life is suggested by providing good pictures and furniture in cells and barracks.

[Deputy Minister]

Para 182

The system of putting wooden tickets against the breast of the convicts should be discontinued.

Para 186

Daily bath should be made compulsory for all in morning except for those recommended by the Medical Officer for exception.

Para 187

(i) Indian physical games, such as wrestling, dozikama, Kabaddi, etc., should be permitted in jails.

(ii) Yogic exercises are recommended as the cheapest and simplest form of exercise.

Para 189

Adult education at least in 3 R's should be made compulsory for all prisoners staying in jail for at least four months.

Para 190

An increase in the number of teachers at present employed at Central Jails is recommended.

Para 191

(i) Wages to literate convicts assisting paid teachers in teaching other illiterate convicts and extra remission to such convicts as obtain literacy certificates are recommended.

Para 192

To maintain the habit of reading, a library enquipped with literature of a simple and suitable character subsidised by the Government should be provided at each jail and the head office.

Para 193

Elementary training in mother craft, nursing and domestic sciences is recommended for women convicts.

Para 194

(i) A fortnightly paper on the lines of the "Qaidi Sudhar" in Hindi and Gurmukhi should be started and prisoners be allowed and encouraged to contribute articles thereto.

(ii) As an additional stimulus, visual education through films on educational, industrial, agricultural and social topics is recommended.

Para 195

Instructions on the Fatherhood of God and Brotherhood of man and information in the beneficient nation-building activities of Government should be given in jails every week.

Para 196

The old system of paying Rs 5 per week to public religious instructors may be revived.

Para 197

Congregational prayers should not be permitted in Jails.

Para 200

Extension of the remission system to cover convicts sentenced to 3 months' rigorous imprisonment or more is recommended.

Para 209

Another privilege recommended is the grant of leave on furlough in the case of long term prisoners.

Para 210

More liberal use of the provision of section 401, Criminal Procedure Code, by the Local Government for the suspension of the sentence of a convict whose near relative was dying, is suggested.

Para 211

Male adult prisoners should be allowed to smoke at their own expense 4 cigartttes or 8 biris after meals every day.

Para 212

All casual prisoners including habituals with an unexpired sentence not exceeding 3 years may be allowed to sleep outside, with the exception of desperate and dangerous prisoners.

Para 215

The wholesome practice of associating of a non-official visitor with the Medical Officer and Superintendent Jail at the time of the supply of foodgarains should be revived.

Para 216

The Superintendent and Medical Officer should be charged with the special responsibility of personally supervising the issue and distribution of rations.

Para 218

Prisoners employed in cooking should be given one extra dress and an apron. A white overall to those put on distribution of food and soap and "parnas" to all engaged in cooking should be given.

Para 219

No single kitchen should be required to cook for more than 300 prisoners.

Para 224

Every sleeping barrack and workshed should be provided with a verandah to be used by prisoners for taking meals in case of rain and hot sun.

Para 226

Issue of seasonal vegetables and fruits such as carrots, cucumber, radish in raw form in quantity of about 4 chattacks is recommended. These should be supplied as often as available from the jail garden, and if not available, then once a week from the market.

Para 227

Te following changes in the prison diet are recommended —:

(i) Skimmed milk, 8 oz., or curd made out of it daily, both to labouring and non-labouring prisoners.

(ii) Sprouting gram instead of parched gram in the same quantity on alternate days.

(iii) Daily scale of Mustard Oil should be 1/2 chattack instead of 1/4 chattack.

[Deputy Minister]

(iv) About 1/32 chattack amla per head to be issued daily as an antiscarbutics by way of addition to or substitution for tamarind and amchur issued during summer months.

(v) Half chattack of gur be added to the diet of non-labouring prisoners as well as under-trials daily.

Para 229

(i) Reduction of quantity of ghee from 1½ chattacks to 1 chattack in the case of A and B class prisoners is recommended.

(ii) In the case of A and B class prisoners the following additional recommendations are suggested :—

(i) A class prisoners should be allowed to supplement their food for themselves only.

(ii) Eight chattacks of milk including milk for tea or curd made out of it be issued daily to vegetarians.

Para 230

The issue of tea for C class prisoners in lieu of milk is also suggested.

Para 231

A sweet dish of rice, *halwa* or *khir* or *phirni* should be given to prisoners as a supplement to the daily diet on religious festivals which are observed as Jail holidays and on such days, parched gram need not be issued.

Para 232

(i) One lemon per week per prisoner should be issued instead of half chattack of lime juice.

(ii) Onion, mangoes, galgols, and lemons raised in the Jail Garden should be issued to prisoners.

Para 233

(i) Well-behaved prisoners should be associated with the managment of kitchens.

Para 237

A class prisoners should be permitted to wear their own clothes.

Para 239

(i) Every prisoner should be provided with one *thali*, one *katora* and one *gadvi*.

Para 240

(i) Proper bath-rooms in sufficient number should be provided at all jails.

(ii) Half chattack of mustard oil per week and one comb every six months for every prisoner—Sikh and non-Sikh—is recommended.

(iii) One cake of soap for every Sikh prisoner once a month and for others after two months is recommended.

(iv) Soda ash in sufficient quantity in place of *Sajji* should be issued every week for washing of clothes.

Para 241

(i) Every woman prisoner should be provided with a looking glass and comb, 1 chattack of oil per week one soap cake every month and a charpoy.

(ii) A dining hall and closed bathrooms should be provided for women in women's jails.

Para 243

(i) Flush latrines should be provided at all jails.

(ii) Convict sweepers should be paid at the rate of free labour of this kind employed outside, after deducting charges for their maintenance in jails.

Para 246

To relieve chronic over-congestion in all the jails, the construction of the following new jails is recommended :—

(a) One Central Jail for casuals for	..	1,200
(b) One Borstal Institution for	..	500
(c) Extension of Amritsar District Jail to accommodate	..	500
(d) One special jail for	..	300
(e) Women Jail for	..	150
(f) Tuberculosis Jail for	..	100

Para 249

(i) The setting up of two agricultural jails—one at Hissar and one at Jullundur is advocated.

Para 252

Jail hospitals in Central Jails should have separate operation and dressing rooms while in District Jails there should be a combined room for these.

Para 253

(i) A whole-time Assistant Surgeon, Class I, should hold the charge of a District Jail instead of the Civil Surgeon of the district holding part-time medical charge of the jail. At Central Jails he should be assisted by two Assistant Surgeons, Class II.

(ii) A whole-time Assistant Surgeon, Class II, should be employed at Sub-Jails where the prison population is 200 or above.

(iii) There should be three Dispensers at Central Jail, and two at District Jails.

Para 256

(i) There should be two sweepers for Central Jails and one for a District Jail for hospital duty to serve bed-patients.

(ii) One cook and two ward servants in each hospital in District and Central Jails are recommended.

Para 257

As regards supervision and control of the men of the medical line, the Committee is of the opinion that the medical department should be in complete charge of supervision, control and superintendence over the activities of persons on the medical line in their capacities as medical men but in regard to their other activities the executive staff of the jail department should have the right of control and supervision. The medical officer in charge in Central and District Jails will be the principal executive officer in the medical line and will be responsible for the due discharge of the duties of those under him. He will be competent to write confidential reports of all the staff under him and these will be countersigned by the Superintendent. In regard to confidential reports of the medical officer, since it is proposed to eliminate the services of Civil Surgeons, it will be the function of the inspecting authority in the medical line to intimate the report to the Inspector-General of Prisons. These reports will be interchanged between the two departments. The Inspcetor-General of Prisons will have the power of transferring the persons of the medical line and the Superintendent will

[Deputy Minister]

have the right to report to the Inspector-General of Prisons, the wrong conduct of a medical officer after taking his explanation and the Inspector-General will decide what action is to be taken. He will have the power at his discretion to suspend the offending medical officer and report, after such enquiry as he deems proper to the Director of Health Services in regard to matters of conduct not connected with their professional duties, and the Director of Health Services shall pass the final orders. In regard to professional duties, the men of the medical line will be subject only to the control and supervision of the medical officers.

Para 258

Dispensers for jails should be recruited like other medical personnel by the Medical Department and loaned to the Jail Department like other medical officials.

Para 259

The allowance for medical officers should be Rs 100 for Assistant Surgeon, Class II, Rs 50 and for Dispensers Rs 20 per mensem in addition to their substantive pays.

Para 261

Arrangements for mental, ear, nose and throat treatment by specialists is suggested in certain conditions.

Para 262

A small special jail for tuberulosis patients is recommended at or near the hills.

Para 267

To prevent the committal to a prison of youthful offenders Children's Act on the lines of the Bombay Act is needed and is already on the anvil of the Provincial Legislature.

Para 277

The Committee suggests the provisions of two separate Borstal Institutions—one for the urban lads and the other for the rural lads.

Para 278

(i) One of the agricultural jails proposed to be set up should be earmarked for Borstal boys coming from rural areas.

(ii) In the other Borstal for boys from the urban community industries should be provided for the training of these lads.

Para 281

There should be two separate organizations—one to look after youthful offenders and the other adult offenders.

Para 283

Non-official visitors should visit the jails at least twice a month.

Para 284

Protection of released prisoners against unnecessary harassment by police is one of the main functions recommended for this organisation.

Para 287

A standard design of Central, District and Sub-Jails should be got prepared with the help and advice of experts in architecture and all future jail buildings should conform to that standard.

Para 288

Area of land required for a Central Jail is suggested to be 25 acres and for a district jail meant for 500 prisoners 10/2 acres.

Para 289

It is suggested that jails should not be situated very far from the towns and the police lines and have ample area and abundant supply of wholesome water available.

Para 290

The cells should be of improved type as constructed in the annexe of the Central Jail, Ferozepore.

Para 291

The size of sleeping berths should be increased from 6′—2′—1′ to 7′—2′—1/2′

Para 292

Almirahs in every barrack should be provided in sufficient number for the prisoners to keep extra articles of uniform, soap, oil, etc.

Para 293

The ventilation should be lateral and should admit free air, and the barracks should be provided with a verandah on one side which should be iron-grated so that it may be used both for making meals in rain and sun and also for sleeping there when necessary. These verandahs should also be useful for recreational purposes. Light should, therefore, be provided in every barrack and cell. It is after lock-up and between sleeping hours that time lays heavy on prisoners and many schemes and plots are hatched and reminiscenses of criminal adventures exchanged with resultant ill-effects. In these hours prisoners should in future be kept fully occupied with studies, recreation and discussions.

Para 294

(i) Latrines should be wider and the partition should ensure proper privacy.

(ii) The system of trenching be introduced in jails.

Para 295

Proper arrangement for bathing of prisoners should be provided.

Para 296

(i) Improvement in the system and arrangement of holding interviews by prisoners with their relatives is stressed.

(ii) Removal of metal mesh from the grating is recommended.

(iii) Alterations in the present interviews rooms to secure privacy and close range conversation is recommended.

Para 297

Provision of sheds at jails for interviews rooms to wait and water taps are recommended.

Para 298

The converting of all the 18 judicial lock-ups into sub-jails is recommended.

Para 299

Non-official visitors should be appointed for these institutions as in the case of sub-jails.

Para 300

Lock-ups situated in the precincts of courts and thanas should continue to be under the management and control of the local police and magistracy.

Para 304

Grant of lorry fare, in cash, instead of railway requisition forms in suitable cases for prisoners on release is recommended.

SMUGGLING OF FOOD-GRAINS IN THE STATE

***5029. Comrade Hukam Singh** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total number of cases of smuggling of food grains registered in the State so far, distric-wise ;

(b) the total number of persons involved in the cases referred to above and the total maundage of foodgrains seized so far ?

Shri Banarsi Dass Gupta (Deputy Minister) : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Serial No.	District		Total No. of cases of smuggling of food-grains registered	Total No. of persons involved	Total maundage of foodgrains seized		
					M.	S.	C.
1	Ambala	..	18	19	508	18	4
2	Karnal	..	45	78	1,518	1	12
3	Rohtak	..	26	41	822	17	0
4	Gurgaon	..	84	180	3,636	32	8
5	Mahendergarh	..	107	122	1,454	6	4
6	Hissar	..	63	70	4,554	2	0
7	Ferozepur	..	11	20	791	8	0
8	Gurdaspur	..	8	9	267	0	0
9	Amritsar	..	1	1	47	14	0
10	Sangrur	..	1	4	205	0	0
	Total	..	364	544	13,804	19	12

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ food grains ਦੀ smuggling ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਗ notice ਦਿਉ।

ADHOC GRANTS-IN AID TO PRIVATELY MANAGED SCHOOLS

***4784. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the

consideration of Government to pay *ad-hoc* grants-in-aid to those privately managed schools in the State which are giving free education : if so, the time by which the proposal is expected to be implemented and the rates at which such grants-in-aid are proposed to be given.

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : Yes. The grant-in-aid payable to a school will depend on the funds available and on the merits of the school. Necessary information is being collected for the purpose and efforts will be be made to release the amounts before the close of the current financial year.

PROVINCIALIZATION OF LOCAL BODY SCHOOLS

***4785. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the total number of Local Bodies Schools in the State which have been provincialized so far;

(b) the total amount being spent by Government on the said schools annually ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to return the said schools to the respective Local Bodies; if so, the reasons therefor, and the time by which the the proposal is expected to be implemented ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) 10248

(b) Rs. 5,58,41,210 approximately.

(c) No concrete proposal is at present under the consideration of the Government.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ provincialise ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

उप-मंत्री : हमारे पास कोई ऐसी मांग नहीं आई ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੇ Local Body Schools ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਲਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ grades ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?

उप-मंत्री : जो grades मुकर्रर हैं वह उन को मिल रहे हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ provincialise ਕੀਤੇ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ teachers ਨੂੰ government schools ਦੇ teachers ਦੇ grade ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

उप-मन्त्री : Grades एक ही हैं ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਪ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ local bodies ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜ਼ੇਰ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੁਰੁਸਤ ਹੈ ?

Mr. Speaker: The Deputy Minister did not say so.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या चोफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह फैसला कब तक कर दिया जाएगा कि जिन म्युनिसिपल कमेटियों नें स्कूल वापस लेने की दरखास्त की है उन्हें वह वापस कर दिये जाएं ।

मुख्य मन्त्री : यह मामला ज़ेर गौर है ।

REFUND OF AMOUNT OF RS. 9,000 DEPOSITED BY VILLAGES OF KOAR AND MAJRA RORAN OF DISTRICT KARNAL

***5097. Chaudhri Chambel Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that a sum of Rs. 9000. had been deposited with the District Board Karnal by the people of villages Koar and Majra Roran for the construction of the buildings of a Middle School, under the Model Scheme of the Education Department in the year 1954-55;

(b) whether Government is also aware of the fact that no school building has so far been constructed;

(c) whether Government have received any representation for the refund of the amount referred to in part (a) above together with the amount of Government's share ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) (a) Yes.

(b) Yes

(c) Yes. According to Government decision all such amounts constitute the revenues of the State. The Inspector of Schools, Ambala has been asked to get the refund of the amounts of donation and Government grants lying with District Board, Karnal. After these amounts have been refunded by this Board, steps will be taken to construct building for the Government Middle Schools for Kcar and Majra Roran.

REPRESENTATION FOR FIXING WAGES OF LADIES WORKING IN WOOLLEN FACTORIES AT PANIPAT

***4914. Dr. Parma Nand** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether Government or the Labour Department received any representations for fixing the wages of women working

in the woollen factories in Panipat town ; if so, the dates when the representations were received and the action taken thereon ;

(b) whether the Factory Inspector visited the Woollen factories in Panipat during the year 1959 ; if so, when and the report, if any, submitted by him ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : The requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) No.

(b) I. The Medical Inspector of Factories, Ambala, visited the following factories on the dates given against each :—

(i) Hariana Woollen and General Mills, Panipat, on .. 20-10-59

(ii) Swastika Woollen Mills, Panipat, on .. 21 10 59

(iii) Adarsh Woollen Mills, Panipat, on .. 21-10-59 and 22-10-59

(iv) Raj Woollen Industries, Panipat, on .. 23-10-59

II. The Labour Inspector, Yamuna Nagar, visited the following factories on the dates mentioned against each :—

(i) Raj Woollen Industries, Panipat, on .. 21-6-59

(ii) Swastika Woollen Mills, Panipat, on .. 23-6-59

(iii) Adarsh Woollen Industries, Panipat, on .. 23-6-59

(iv) Khadi Wool Weavers Co-operative Industrial Society Ltd., Panipat, on .. 27-8-59

(v) Swadeshi Woollen Mills, Panipat, on .. 27-8-59

III. The District Medical Officer of Health, Karnal, visited the following factories on the dates mentioned against each :—

(i) West Patent Press Co., Cotton and Wool Co., G.T. Road, Panipat, on .. 16-5-59

(ii) National Industrial Corporation, Panipat, on .. 16-5-59

IV. The Municipal Medical Officer of Health, Panipat, visited the following industries on the dates mentioned against each :—

(i) Raj Woollen Industries, Panipat, on .. 13-1-59

(ii) West Patent Press Ltd., G.T. Road, Panipat, on .. 23-2-59

(iii) Guru Nanak Woollen Finishing Works, Panipat, on .. 3-3-59

(iv) Haryana Woollen and General Mills, Panipat, on .. 20-3-59

(v) Amar Nath-Hukam Chand, G.T. Road, Panipat, on .. 10-4-59

Reports have already been submitted by the above-mentioned officers to the Chief Inspector of Factories (Labour Commissioner), Punjab, who has already taken suitable action thereon.

EXPLOSION IN PUNJAB CLOTH MILLS, BHIWANI

***5096. Shri Ram Kumar Bidhat** (asked by Shri Ram Piara) : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether Government are aware of the fact that an explosion of the steam Dyeing Cylinder has recently occurred in the Punjab Cloth Mills, Bhiwani, district Hissar, resulting in the death of a worker and serious injuries to another ;

(b) whether Government have made any enquiry about the cause of the said explosion ; if so, details thereof ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) The Government has made departmental enquiry, and action is being taken as prescribed under the law.

AMENDMENT OF THE PUNJAB SECURITY OF LAND TENURES ACT

***4615. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government are considering any proposal to amend the Punjab Security of Land Tenures Act so as to place a ceiling on land holdings before the end of this year; if so, the time by which this proposal is expected to be finalised ?

Giani Kartar Singh : Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, fixes a maximum limit on areas under self-cultivation which, indirectly, serves the same purpose as ceiling on land. It has also imposed, a ceiling on future holdings. No decision has been taken to impose a ceiling on ownership on existing holdings at present. A reference in this connection is , however, pending with the Planning Commission.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ Pepsu ਵਿਚ land ਉਤੇ ceiling ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ceiling ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

SETTLEMENT OF TENANTS ON SURPLUS AREA

***4616. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the estimated surplus area of land in the areas of erstwhile Punjab, and Pepsu separately ;

(b) the estimated number of tenants proposed to be settled on the surplus areas referred to in part (a) above, separately ;

(c) whether any financial assistance is proposed to be given to the tenant referred to in part (b) above ; if so, the estimated amount earmarked for the purpose ?

Giani Kartar Singh : (a) The estimated figures are as follows :—

		Standard Acres
(i) Erstwhile Punjab	..	350,000
(ii) Erstwhile Pepsu	..	100,000

(b) Estimated number of tenants, etc., proposed to be settled :—

Erstwhile Punjab	..	117,000
Erstwhile Pepsu	..	33,000

(c) *Part first.*—Yes.

Part second.—Nil.

Item of financial assistance	Amount proposed	REMARKS
1. Reclamation charges in the form of subsidy	About Rs 3,00,000	This much assistance is to be provided up to the end of the year 1960-61 according to the availability of funds. The amount of assistance to be given during the period of 3rd Five-Year Plan has not yet been finalized
2. Loans for irrigational facilities	About Rs 25,00,000	
3. Loans for construction of houses	About Rs 25,00,000	

श्री प्रबोध चन्द्र : वज़ीर साहिब ने जवाब देते हुए फरमाया है कि erstwhile Punjab में 350,000 एकड़ जमीन surplus निकलेगी और उस में 117,000 मुज़ारे बसाए जायेंगे । क्या गवर्नमेंट समझती है कि क्या tenant को बसाने के लिये तीन एकड़ ज़मीन economic unit है ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ।

श्री प्रबोध चन्द्र : आप ने फरमाया था कि 350,000 एकड़ ज़मीन erstwhile Punjab में surplus निकलेगी और उस में बसने वाले tenants की तादाद 117,000 बताई है । क्या गवर्नमेंण्ट मुज़ारों को बसाने के लिये तीन एकड़ ज़मीन को economic unit समझती है ?

Mr. Speaker : This is a question of opinion.

श्री प्रबोध चन्द्र : जब गवर्नमेंण्ट कम से कम पांच एकड़ ज़मीन को economic unit समझती है तो क्या वजह है कि तीन एकड़ ज़मीन मुज़ारों को बसाने के लिये दी जा रही है ?

Mr. Speaker : The question is not relevant.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि एक २ मुज़ारे को कितनी २ ज़मीन देने का इरादा है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

श्री प्रबोध चन्द्र : यह फैसला नहीं हुआ कि कितनी ज़मीन मुज़ारे को मिलेगी लेकिन surplus area अगर 350,000 एकड़ हो तो part (b) के जवाब में जैसे बताया गया है कि इस area में 117,000 मुजारे बसाए जायेंगे तो इस का यही मतलब है कि हर एक मुजारे को तीन एकड़ जमीन के करीब दी जाएगी ।

Mr. Speaker : I know it but the question is not relevant.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जब तीन लाख एकड़ ज़मीन पर एक लाख के करीब मुज़ारे बसाए जायेंगे तो गवर्नमेण्ट किस हिसाब से ज़मीन देने का इंतज़ाम करेगी ?

श्री अध्यक्ष : मौलवी साहिब ने इस के मुताल्लिक दरियाफ्त किया है और वजीर साहिब ने कहा है कि नोटिस चाहिये (Maulvi Sahib has already put this question and the Minister has replied that he wants notice.)

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं वज़ीर साहिब से पूछना चाहता हूं कि वह किस तरह से इतने मुज़ारे इस surplus area में बसा सकेंगे ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇਸ area ਵਿਚ ਵਸਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ surplus area ਥੋੜਾ ਹੈ । Naturally ਜਿਹੜਾ reserved area ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲ 15 ਜਾਂ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ surplus area ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ।

पण्डित श्री राम शर्मा : जवाब में बताया गया है कि एक लाख के करीब मुज़ारों को इस surplus area में बसाया जाएगा । मैं यह पूछना चाहता हूं किस २ category के मुज़ारों को यह ज़मीन दी जाएगी ?

मुख्य मन्त्री : एक वे मुज़ारे हैं जिन के पास एक एकड़ से ले कर 30 एकड़ तक ज़मीन है; एक वे हैं जो eject हो चुके हैं और उन्हें कोई ज़मीन नहीं मिली और तीसरे वे हैं जिन को courts में से eject किये जाने की संभावना है ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या इन तीन categories के मुज़ारों की तादाद एक लाख के करीब है ?

मन्त्री : यह तो एक rough estimate है । किसी मुजारे के पास 3 एकड़ ज़मीन है, कोई दो एकड़ पर काम करता है । यह सारी 5 एकड़ करने के लिये एक अंदाज़ा है । किसी को 2 एकड़ चाहिए, किसी को एक एकड़ चाहिए और किसी को 5 एकड़ चाहिए । जो उन की तादाद का rough estimate बनाया है वह इस के करीब 2 बनता है ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ।

ਮੰਤਰੀ : ਐਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ figures ਨਹੀਂ, ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ percentage ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਦਸਣਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ ?

डाक्टर परमा नन्द : क्या वज़ीर साहब बताएंगे कि जिन tenants को ज़मीन देनी है क्या उन को दरखास्तें लेने की कोई मियाद मुकर्रर की है ?

मन्त्री : उन को फेहरिस्तें बनाई जा रही हैं, इस लिये दरखास्त का कोई सवाल नहीं।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

SUB-REGISTRARS

***4632. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to abolish the posts of the Sub-Registrars in the State and get the registration work done on the pattern in which it is being done in the Patiala Division ?

Giani Kartar Singh : (a) No.

(b) Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बतलाया जा सकता है कि Patiala Division में क्या इंतज़ाम है ?

माल मंत्री : वहां Honorary Sub-Registrars नहीं, तहसीलदार हैं।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ: ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਹੀਂ । ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ?

Mr. Speaker: Does not arise.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहब बतलायेंगे कि Patiala Division में जो registration का काम हो रहा है क्या गवर्नमेंट ने दूसरे जगहों के साथ उस का मुकाबला कर के देखा है ?

मन्त्री : इसके लिए notice चाहिए।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या इस सवाल का जवाब देने से पहले Government को यह ख्याल आया है कि दोनों जगहों का मुकाबला कर के देखें और क्या गवर्नमेंट ने देखा है कि जहां honorary Sub-Registrars हैं वहां काम कैसे हो रहा है और जहां Honorary Sub-Registrars नहीं वहां पर यह कैसे होता है ?

मन्त्री : इस supplementary का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं।

पण्डित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. इस सवाल का सम्बन्ध है या नहीं यह फैसला Minister साहब करेंगे या स्पीकर साहब ?

श्री अध्यक्ष : आपस में ही कर लिया करें। (They may decide it among themselves.) (*Laughter*)

STARRED QUESTION NO. 5094

Sardar Bhupinder Singh Mann : On a point of Order, Sir. This Question (i.e., Starred Question No. 5094) asks for information in regard to the total area of land donated to Shri Vinobha Bhave in the State, the number of people to whom it was distributed, etc., etc. This does not relate to any activity of any Department of the State Government. I do not think that this question can be asked here.

Mr. Speaker : The information is available with the Government. There is an Act of the State Legislature on this subject.

श्री बलराम दास टण्डन : On a point of Order, Sir. आपने हुकम दिया था कि नाम के पहले comrade नहीं लिखा जाएगा। क्या यह जो Col. Rajadhiraj है इस पर भी गौर किया जा रहा है कि यह भी नाम के शुरू में न लिखा जाए ?

श्री अध्यक्ष : नाम ही अच्छा लगता है श्री महेश इंद्र सिंह। इस के पीछे राजा वगैरह लिखा करें। (It is better to have the name as Shri Mahesh Inder Singh and this may be followed by the title Col. Rajadhiraj, etc.)

पण्डित श्री राम शर्मा : यह खास चीज जो इस सवाल में पूछी गई है। इस सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई intimation नहीं आई कि इसे पूछने के लिये मेम्बर साहब ने किसे authorise किया है। (I have no intimation

as to who has been authorised by the questioner to ask this question.)

पण्डित श्री राम शर्मा : जो important हो उस के लिये आप इजाजत दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : जिस Member को अपने सवाल का खुद ख्याल नहीं उस का क्या हो सकता है। I cannot depart from the practice already established (What can be done regarding a question about which the hon. Member himself does not care. I cannot depart from the practice already established.)

PUBLIC CARRIER PERMITS IN PATIALA REGION

***5027. Shri Hukam Singh Comrade** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of permit holders of Public carriers in the Patiala Region, if any, who have been ordered to stop operations and whose permits have been withdrawn by the Secretary, Regional Transport Authority, Ambala, together with the reasons therefor ;

(b) whether any of the permits referred to in part (a) above have since been restored to the persons concerned ?

Shri Mohan Lal : (a) Under section 58 of the Motor Vehicle Act application for renewal of a public carrier permit is required to reach the Regional Transport Authority, two months before the expiry of the permit. R.T.A. has the discretion to condone delay up to fifteen days. Thus in no case should the application for renewal be filed beyond six weeks before the date of expiry.

In the case of 52 public carrier permits, in Patiala Region, the holders had not submitted applications for renewal within the stipulated period, with the result that they could not be entertained.

(b) Forty one of these have since been restored by the Regional Transport Authority, Patiala, on compassionate grounds.

Cases of permits are being examined by the Secretary, Regional Transport Authority, Patiala.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ reasons ਪੁਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ cancel ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਰਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ।

श्री प्रबोध चंद्र : जवाब में बताया गया है कि 52 public carrier permits renew नहीं किए गए। Part (b) में बताया गया है कि 41 permits compassionate grounds पर restore कर दिए गए हैं मैं जानना यह चाहता हूं कि यह distinction क्यों है कि 41 को दे दिए गए और बाकी को नहीं दिए ? इस की क्या वजह है ?

श्री अध्यक्ष : सवाल बड़ा vague है । Please put a definite question. (It is a vague question. The hon. Member may please put a definite question.)

Shri Prabodh Chandra : I want to know why permits have been issued to only 41 of those who did not apply in time and why the permits of the others have not been renewed. I want to know why this distinction has been made.

Minister for Industries : The Government does not make the distinction. It is theRegional Transport Authority which is authorised to condone delay in particular cases. They, having examined these cases on merits, thought it fit to condone the delay and they did it.

ROAD LINK BETWEEN HOLTA AND CHADIAR IN DISTRICT KANGRA

***5018. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the date on which the construction of the road link between Holta and Chadiar was started in district Kangra and the total amount so far spent on it ;

(b) whether it is a fact that the plying of passenger buses is not permitted on the said link ; if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Suraj Mal : (a)
December, 1958 Rs 1.20 lakh (approx

(b) No.

WATER-SUPPLY IN HISSAR CITY

***5083. Chaudhri Inder Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the water-supply scheme in Hissar City has already been completed ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether Government have received any complaints that notwithstanding the completion of the said scheme, a greater part of the city is still facing acute shortage of water ; if so, the action taken in the matter ?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister) :
(a) No.
(b) Does not arise.

श्री अध्यक्ष: मेरे ख्याल में यह बेहतर होगा कि अगर इस तरह की slips छपवा दी जायें और आप को दे दी जायें जिस में सवाल का नम्बर और जिस मेम्बर को आप उस के पूछने की authority देना चाहें, वह दिये हों । आप यह slips सीधी office में भेज दिया करें । (I think it would be better if such slips are got printed and made available to the hon. Members, which contain the Question numbers and the names of the

Members whom an hon. Member wants to authorize to ask that question on his behalf. The hon. Members may send these slips after filling them, to my office direct.)

पण्डित श्री राम शर्मा: अगर आप वैसे ही ज़बानी मान लिया करें तो ज्यादा अच्छा हो ।

Mr. Speaker : No please.

श्रीमती सरला देवी : नहीं स्पीकर साहिब इन्हें slips को पहले देना मुश्किल होगा क्योंकि कई दफा कई मैम्बरों को यहाँ House से फौरी तौर पर जाना पड़ जाता है ।

श्री अध्यक्ष: यह यहाँ भी हो सकता है । (This can be done even here.)

INSTRUCTIONS ISSUED TO DISTRICT BOARDS FOR GRANT OF INCREASE OF Rs 2 TO THEIR LOW-PAID EMPLOYEES

***4922. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any letter No. 2110-FR-54, dated 3rd May, 1954, was issued by Government for the grant of an increase of Rs. 2 to the low paid employees of the District Boards in the State ; if so, whether the District Board, Karnal, has sanctioned the said increase for its employees in the Health Department ;

(b) whether the District Medical Officer of Health, Karnal, or the D.B. Karnal have received any representations for the implementation of the instructions contained in the above said letter ; if so, when, from whom and the action taken thereon ?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) Yes. From the President, Vaccinators Association, on 6th July, 1959. An increase of Rs 2 was allowed by the District Board, Karnal with effect from 5th October, 1959, to the vaccinators.

श्री राम प्यारा मन्त्री जी ने फरमाया है कि District Board करनाल ने low-paid employees को इस increased rate पर 1959 में देना शुरू किया था और गवर्नमेंट की इस चिट्ठी के मुताबिक यह 1954 से दिया जाना था । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यह पाँच साल पहले क्यों नहीं दिया गया ?

उद्योग मन्त्री: बात यह है, स्पीकर साहिब, कि District Boards autonomous body हैं । गवर्नमैंट उन्हें किसी बात के लिये advise तो कर सकती है लेकिन उन्हें यह compel नहीं कर सकती । इस लिये जिस District Board ने इस के लिये मुनासिब date समझी उसी से यह increased rate शुरू कर दिया । यह उन का अपना काम है ।

श्री राम प्यारा: सवाल के जवाब में मिनिस्टर साहिब ने फर्माया है कि representations आई थीं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी representations उन के पास आई ?

मन्त्री: जो representations आई थीं उसके लिये मैं ने पहले बतला दिया है ।

REQUISITION OF ' MUKAT HOUSE ' AT AMRITSAR,

*4953. **Shri Parbodh Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the property known as ' Mukat House ' at Amritsar was requisitioned by Government ; if so, when and the reasons therefor ;
(b) the name of the persons to whom the said property was allotted at different times since its requisitioning ;

(c) whether the said property has been de-requisitioned ; if so, when ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. The lower portion of the Mukat House ' was requisitioned on 28th July, 1955 for the residence of Government servants—Doctor Y.S. Bawa, P.C.M.S., and Doctor S.S. Manchanda, P.C.M.S.

(b) The house was allotted to the Doctors mentioned in (a) above, and remained in their occupation during its requisitioning.

(c) Yes. The portion held by Doctor Y.S. Bawa, P.C.M.S., was de-requisitioned on 21st August, 1958, and the portion occupied by Doctor S.S. Manchanda, P.C.M.S., was de-requisitioned on 20th June, 1959.

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि मुकट हाउस जो de-requision किया गया है इस के de-requisiton करने की क्या वजूहात थीं ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਉਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ de-requisition ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यह मकान उन गवर्नमेंट servants के चले जाने की वजह से ही de-requisition किया गया था या उस के मालिक की representation पर यह derequisition किया गया था ?

मुख्य मन्त्री: Representations मालिक की औरत की तरफ से भी साथ साथ चलती रही थीं लेकिन यह de-requisition सिर्फ उन गवर्नमेंट employees के चले जाने की वजह से किया गया है । क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही थी ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि अमृतसर में जो मकान requisition किये गये हुए हैं, क्या उन तमाम् के लिये ऐसी practice नहीं बनी रहती कि यदि एक गवर्नमेंट employee जो उस मकान में रहता हो वहां से बदल कर चला जाये तो उस की जगह पर जो दूसरा employee आ जाता है तो वह उसी को दे दिया जाता है और de-requisition नहीं किया जाता ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ 125 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ 125 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 125 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ de-requisition ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूँ कि जो डाक्टर वहाँ से बदल कर चला गया था, तो क्या उस की जगह पर कोई दूसरा डाक्टर आया कि नहीं, और अगर आया है तो क्या उस को अभी कोई मकान मिला है या कि नहीं ?

Mr. Speaker : It does not arise.

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या मुख्य मन्त्री साहिब बतलायेंगे कि यह मकान जब de-requisition हो गया है तो इस में अब क्या कोई गवर्नमेंट employee रहते हैं या कोई और साहिब रहते हैं ?

Mr. Speaker : This question does not arise. The house has already been derequisitioned.

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि उस मकान के de-requisition हो जाने के बाद भी उस में कोई Government employee रहना चाहता है या कि नहीं ?

Mr. Speaker : When it is already in the possession of a private person, what can the Government now say about it ?

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि उस 125 रुपए माहवार वाले कराये के portion के लिए कोई representation किसी Government employee की तरफ से गवर्नमेंट के पास आई कि वह उस में रहना चाहता है ?

Mr. Speaker : After the house has been derequisitioned the Government is not expected to have such information about it.

श्री प्रबोध चन्द्र: मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से यह जानना चाहता हूँ कि जब वह मकान derequisition हुआ तो was the possession given to its landlord या किसी और आदमी ने ज़बरदस्ती उस पर कबजा कर लिया था ?

मुख्य मन्त्री: इस के लिये नोटिस दिया जाये ।

Mr. Speaker : He wants notice.

Shri Parbodh Chandra : Is it a fact that the house was forcibly occupied by the son of the Chief Minister ?

Chief Minister: No

श्री प्रबोध चन्द्र: चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि उन के बरखुरदार ने उस मकान पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं किया तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस मकान को de-requisition करने पर उस का कब्ज़ा उस के मालिक मकान को दिया गया था ?

Mr. Speaker : It is not relevant.

श्री राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बतलाया है कि चूंकि वह डाक्टर जो उस मकान में रहता था वहां से बदल गया था इस लिये उस मकान को derequisition कर दिया गया । तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सारे पंजाब के अन्दर ऐसे ही किया जाता है कि जहाँ मकान अफसरों के लिये requisition किये हुए होते हैं तो उनके तब्दील हो जाने पर उन मकानों को भी derequisition कर दिया जाता है ?

पण्डित श्री राम शर्मा: चीफ मिनिस्टर साहिब से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह मकान जिस की अब बात चीत चल रही है उस के de-requisition हो जाने के बाद क्या उस में चीफ मिनिस्टर साहिब के लड़के को आना जाना या ठहरना पड़ता है ?

मुख्य मन्त्री: यह तो अलग बात है । यह तो एक private मामला है । जब मकान उस के owners के पास चला गया तो उसमें चाहे कोई भी रहे । इस से गवर्नमेंट का क्या वास्ता ।

श्री अध्यक्ष: इस में पूछने की क्या बात है । जब मकान ही derequisition हो गया तो उस में चाहे कोई रहे उस से गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक । (What is there to be asked from the Government ? When the House has been derequisitioned, it may be occupied by anybody What has the Government to do with it ?)

मौलवी अब्दुलगनी डार: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि उस डाक्टर की तबदीली कब हुई और वह मकान de-requisition कब हुआ ?

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूँ कि आया गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी representation मालिक मकान की तरफ से आई कि उस के मकान के derequisition होने पर किसी और आदमी ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उस का कब्जा उसे नहीं दिया गया ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

श्री प्रबोध चन्द्र: उस मकान के derequisition हो जाने के बाद क्या चीफ मिनिस्टर साहिब के पास All-India Congress Committee की मार्फत मालिक मकान की कोई representation आई थी कि उस को उस मकान का कब्जा नहीं दिलाया गया ?

Mr. Speaker : The Chief Minister is not expected to be aware of all the representations.

मुख्य मन्त्री: इन्हों ने भेजी होगी लेकिन मेरे पास नहीं आई ।

GRANT OF INTEREST-FREE LOANS TO PERSONS BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES

***4967 Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount allocated during the years 1958-59 and 1959-60 for giving interest free loans to persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the State with the total amount disbursed, district-wise, to them separately for various purposes ;

(b) whether any official or non-official Advisory Committees, district-wise, for the disbursement of the said loans were appointed during the said period, if so, the names of the representatives of the Scheduled Castes and Backward Classes who were taken on each of these Committees ?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister) : (a) A sum of Rs. 1,00,000 was allocated during 1958-59. A statement showing its district-wise disbursement is laid on the table of the House. A similar allocation has been made for 1959-60 and its district-wise break up is also shown in the statement. The amount is yet to be disbursed.

(b) Formation of such Committees is not provided under the rules framed under the Punjab Backward Classes (Grant of loans) Act, 1957.

Statement showing district wise allocation of Funds for the Interest Free Loan 1958-59

Serial No.	Name of District	Amount disbursed	Scheduled Castes: Number of persons	Scheduled Castes: Amount	Backward Classes: Number of persons	Backward Classes: Amount	Purpose for which loan is sanctioned
1	Mohindergarh	2,000	3	1,000	1	1,000	Shoe-making, Leather Tanning
2	Patiala	5,500	13	5,200	1	300	Shoe-making, khadi work, Handloom-Ban-making.
3	Bhatinda	4,000	7	3,700	1	300	Aurvedic Practice, Fuel Wood. Leather, Flour Mill, Purchase of Sewing Machine, Trade in cotton, Hotel Business
4	Sangrur	7,500	20	6,500	Nil	Nil	Aurvedic practice Khadi Work, Fuel Wood, Soap, Making, Ban making, Hand Loom, Tanning Flour Mill
5	Gurgaon	5,500	7	5,500	Nil	Nil	Shoe-making, Tanning Furniture Rags, Carpenter, Cycle Dealer
6	Rohtak	7,500	7	6,550	1	950	Pig breeding, Leather industry, painting
7	Hissar	5,500	3	5,500	Nil	Nil	Medical profession, Legal Profession
8	Ambala	5,500	9	5,000	Nil	Nil	Shoe-making, Medical Profession, Soap making-Handloom, Painting, Ban-making
9	Ludhiana	5,500	9	5,500	1	500	Shoe-making, Legal profession, Shawl making, Cycle dealer, furniture-making, and Hosiery
10	Amritsar	8,000	3	8,000	Nil	Nil	Legal profession Medical Profession
11	Ferozepur	7,000	16	7,000	Nil	Nil	Hides and skins, shoe-making, Ban making, Manufacturing of Agricultural implements, Aurvedic practice Flour Mill, Timber and fire wood

[Deputy Minister]

Serial No.	Name of District	Amount disbursed	Scheduled Castes		Backward Classes		Purpose for which loan is sanctioned
			Number of persons	Amount	Number of persons	Amount	
12	Kangra	4,000	17	3,900	1	100	Shoe-making-Tailoring Wool business, Carpentry shop, Medical profession, Leather Business, Flour Mill, Bamboo Industry
13	Jullundur	9,500	16	9,300	1	200	Ban-making, Shoe-making, Tanning Industry, Manufacturing of Farmas, Printing Press, Sports goods, Darie making, Cycle repairs and Smithy, Surgical instruments
14	Hoshiarpur	7,500	15	6,500	1	1,000	Shoe-making, weaving, Tanning, Hikmat, Dry Cleaning, Ayurvedic
15	Karnal	4,000	7	4,000	Nil	Nil	Leather business, Shoe-making, Piggery, Bone Business, Cloth Business
16	Gurdaspur	4,500	8	4,500	Nil	Nil	Shoe-making, Legal Profession, Engineering Works, Saw Mills, Ayurvedic, Furniture-making
17	Kapurthala	2,000	4	1,300	3	700	Manufacturing of brass motor parts, purchase of raw material for preparing lime, purchase of Machinery for motor spare parts Wood selling, Barber shop, Earthen-pots, Wood work Industry
18	Lahaul and Spiti area	5,000	10 members belonging to Scheduled Tribes				Wool business, Agriculture, Shawl Industry, Khadi, Work and Hand loom

Statement showing District-wise break up of the total provision of Rs. One Lakh for the year 1959-60

District		Amount	District		Amount
1. Amritsar	..	8,000	11. Rohtak	..	7,500
2. Kangra	..	4,000	12. Narnaul	..	2,000
3. Lahaul and Spiti	..	5,000	13. Hissar	..	5,500
4. Gurdaspur	..	4,000	14. Ferozepur	..	7,000
5. Jullundur	..	8,000	15. Bhatinda	..	4,000
6. Hoshiarpur	..	7,500	16. Sangrur		7,500
7. Ludhiana	..	5,500	17. Patiala	..	5,500
8. Ambala	..	5,500	18. Kapurthala	..	2,000
9. Karnal	..	4,000	19. Simla		2,000
10. Gurgaon	..	5,500			
			Total		1,00,000

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੇ (b) part ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ advisory committee ਦਾ provision ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 2 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ interest free loans ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

उप-मन्त्री : इस के लिए दो आदमी फैसला करते हैं और वह है (i) District Welfare Officer और (ii) Deputy Commissioner.

DISCOURTEOUS BEHAVIOUR OF EXECUTIVE MAGISTRATES POSTED AT JULLUNDUR

***5031. Shri Hukam Singh Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the resolution of the Jullundur Bar Association passed on the 4th of January , 1960 against the discourteous behaviour of executive Magistrates towards the public in general and lawyers in particular has come to the notice of the Government ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon :

1st Part.—No Sir.

2nd Part.—Does not arise.

FAMINE CONDITION IN TEHSIL FEROZEPUR JHIRKA, DISTRICT GURGAON

***5032. Shri Hukam Singh Comrade :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that about fifty-six villages in the Ferozepur Jhirka, tehsil of Gurgaon District covering an area of 200 square miles are in the grip of famine ;

[Shri Hukam Singh Comrade]

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the reasons for the same and the steps so far taken by Government to meet the situation ;

(c) the relief, if any, so far given to the people affected by the said famine ?

Giani Kartar Singh : (a) (i) Yes.

(ii) Sixty two square miles.

(b) and (c) (i) Continued draught and late rains.

(ii) The following allotments of funds for rendering relief to the people of scarcity affected area have been made.

Construction of relief works

		Rs
(i) Digging of ponds		2,24,000
(ii) Construction of roads	..	11,16,000
Total	..	13,40,000
(iii) Taccavi Loans for fodder		3,20,500
(iv) Gratuitous Relief	..	20,000

RURAL CONFERENCE AT VILLAGE KHAMANON-KALAN, DISTRICT LUDHIANA

***5122. Shri Balram Das Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any Rural Conference was held by the State Public Relations Department in village Khamanon-Kalan, district Ludhiana during January, or February, 1960, if so, the purpose for which it was held and the names of the persons who addressed the said Conference ?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : Yes. The conference was held on 29th January, 1960 to explain Pilot Project Scheme, Service Co-operative and Development Schemes of the Illaqe and addressed by Sarvshri Ajmer Singh M.L.A. G.S. Gill, district Public Relations Officer, H.K. Dutt Rural Publicity Supervisor and Beero Ram Inspector Cooperative Societies, Machhiwara.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री साहिब बताएंगे कि Government Servants के अलावा जिन लोगों को बुलाया जाता है उन को किस basis पर बुलाया जाता है ?

चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री: जहाँ यह conferences होती हैं तो वहाँ के M.L.As. वगैरह को बाकायदा तौर पर महकमा की तरफ से निमन्त्रण जाते हैं । यहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से letter गया मगर उन में से एक ही M.L.A. तशरीफ लाए ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या ज़िला अमृतसर में भी ऐसा ही होता है ?

मुख्य मन्त्री: आप को इस से क्या ?

श्री बलराम दास टण्डन : हमें तो कभी निमन्त्रण नहीं आया । क्या सिर्फ़ कांग्रेस वालों को ही बुलाया जाता है ?

चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री: यह तो मैं पता कर के बता सकता हूँ ।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या यह बताया जा सकता है कि क्या ऐसी conferences और उनके लिए invitation सिर्फ उन्हीं ज़िलों में की जाती हैं जहाँ के तमाम M.L.As. कांग्रेसी हों और दूसरे ज़िलों को छोड़ दिया जाता है ?

चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री : नहीं ऐसी बात नहीं, यह तो सब ज़िलों में चलती हैं ।

मुख्य मन्त्री: अगर किसी मैम्बर की Party, Co-operatives के खिलाफ है तो उसको निमन्त्रण देने की क्या ज़रूरत है ? (हंसी)

पंडित श्री राम शर्मा: क्या पहले से ही lists तैयार कर ली गई है कि Co-operatives के खिलाफ कौन-कौन सी Parties हैं ?

मुख्य मन्त्री: यहां रोज़ इन के lecture सुनते हैं । इन के बयान भी होते रहते हैं । अगर Chief Parliamentary Secretary ने इस बात को समझ रखा है तो अक़ल की ही बात की है ।

पंडित श्री राम शर्मा: Chief Parliamentary Secretary साहिब ने क्या समझ रखा है ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष : जो कुछ आप हैं वही समझ रखा है । (हंसी) (He understands the hon. Member well.) (*laughter*)

श्री बलराम दास टण्डन : क्या Chief Parliamentary Secretary साहिब बताएंगे कि जो उन्होंने कहा है वह ठीक है या जो Chief Minister साहिब ने कहा है ?

आवाज़ें : दोनों ठीक हैं । (*Interruption*)

पंडित श्री राम शर्मा: दो मुख्तलिफ जवाब आए हैं । यह तो कहते हैं कि सब को बुलाते हैं और Chief Minister साहिब फरमाते हैं कि जो Party, Co-operatives के खिलाफ हो उस को हम नहीं बुलाते । (*interruptions*) तो इन में से किस की position सही है ? (*interruptions*)

श्री अध्यक्ष: मुझे इस बारे में clear होना पड़ेगा । अगर कोई Minister कोई statement देते हैं और उस को Chief Minister clarify करते हैं तो Chief Minister का जवाब final समझना चाहिए । (Let me clarify

[Mr. Speaker]

the position. Whenever a statement is made by a Minister, etc., and is later on elucidated by the Chief Minister then latter's statement is to be taken as final.)

पंडित श्री राम शर्मा: तो क्या पहली बात गलत थी ?

श्री अध्यक्ष: यह तो यही जानें । (This is for the Government to say.)

Chief Parliamentary Secretary : उन्हों ने कहा है कि न बुलाया जाए तो अच्छा होगा ।

श्रीमती सरला देवी: क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि Conference पर कितना खर्च हुआ और इस का असर कितना हुआ ?

श्री बलराम दास टण्डन : वज़ीर साहिब ने बताया है कि जिन के रवैये का पता है उन के बारे में न बुलाने की policy है, लेकिन जहाँ सारी Parties एक जैसे ही ख्याल रखती हों क्या उन cases में अफसरान उन्हें बुलाते हैं ?

मुख्य मंत्री : चाहिए ।

चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री: मेरे पास सबूत हैं कि लुध्याने के तमाम M.L.A.s को इत्तलाह मिली । यह श्री लाजपत राए से पूछ लें । मगर वह जाते नहीं ।

श्री अध्यक्ष : सवाल था लुध्याना बारे और आप सवाल करते हैं अमृतसर बारे । (While the question is about Ludhiana District, the hon. Member is now asking information about Amritsar.)

श्री बलराम दास टण्डन : इन्होंने क्योंकि generalise किया था, इस लिये यह सवाल खड़ा हुआ है ।

ARRESTS OF PERSONS IN CONNECTION WITH SMUGGLING OF GOLD, OPIUM AND FOODGRAINS

***4988. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be be pleased to state —

(a) the number of persons arrested and prosecuted in Courts, separately, in connection with smuggling of (i) gold, (ii) Opium and (iii) controlled foodgrains in the State, district-wise, during the period from January 1, 1959 to February 15, 1959 ;

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above decided by the Courts.

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

District	No. of persons arrested and prosecuted, in gold smuggling cases, from 1st January, 1959 to 15th February, 1960			No. of persons arrested and prosecuted in opium smuggling cases, from 1st January, 1959 to 15th February, 1960			No. of persons arrested and prosecuted in controlled foodgrains smuggling cases, from 1st January, 1959 to 15th February, 1960		
	Arrested	Prosecuted	Cases decided by courts	Arrested	Prosecuted	Cases decided by courts	Arrested	Prosecuted	Cases decided by courts
Hissar ..	..	..	..	20	10	9	129	90	39
Rohtak ..	..	..	..	7	5	1	69	49	34
Gurgaon ..	..	..	..	2	2	..	142	136	33
Karnal ..	..	..	..	1	8	1	78	58	32
Ambala ..	..	..	..	8	7	1	31	24	19
Simla ..	..	..	..	4	3	3	..	..	..
Kangra ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Hoshiarpur ..	..	..	..	5	3	2	..	..	..
Jullundur ..	..	..	..	30	13	7	4	1	1
Ludhiana ..	..	..	..	11	4	1	..	..	..
Kapurthala ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ferozepore ..	1	..	..	33	25	7	53	53	17
Amritsar ..	6	6	..	59	59	19	..	..	..
Gurdaspur ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Patiala ..	..	..	..	9	9	1	..	..	..
Sangrur ..	..	..	..	20	20	3	20	20	7
Bhatinda ..	..	..	..	24	1	1	..	..	..
Narnaul ..	1	..	..	..	..	..	158	115	88
Total	8	6	..	243	169	56	684	546	270

PROSECUTING INSPECTOR/SUB-INSPECTORS OF POLICE

*5060. **Chaudhri Baru Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names P.I.s, P.S.I.s in the State belonging to the Hindi and Punjabi Regions of the State separately ;

(b) the grades of pay of P.I.s and P.S.I.s ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to revise their pay-scales ;

(d) the minimum qualifications required for the promotion of P.S.I. to the Rank of P.I.s ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) The lists showing number and names of P.S.I.s and P.I.s in the State belonging to the Hindi and the Punjabi Regions of the State, separately, are placed on the table.

(b) the grades of pay of P.I.s and P.S.I.s are as follows :—

P.Is .. Rs 250—15—400/15—430—20—450 plus special pay of Rs 50 per mensem

P.S.I.s .. Rs 150—10—200/10—300 plus special pay of Rs 30 per mensem

(c) No.

(d) P.S.I.s who pass the P.S.I.s course with credit are eligible for promotion to the rank of P.I.s. The promotion from the eligible P.S.I.s is made on the basis of merit and selection tempered by seniority. Efficiency and honesty are the main factors governing selection.

List showing number and names of P.S.I.s in the State belonging to Hindi and Punjabi Regions separately.

Punjabi Region	Hindi Region
1. Shri Lekh Raj	1. Shri Mansa Ram
2. Shri Gurbax Singh	2. Shri Nirender Nath
3. Shri Santokh Singh	3. Shri Lekh Raj
4. Shri Prithvi Raj	4. Shri Bikram Parkash Singh
5. Shri Trilochan Singh	5. Shri Som Dutt
6. Shri Ram Parshad Kalia	6. Shri Vishwa Nath
7. Shri Jagmohan Singh	7. Shri Pran Nath
8. Shri Bhagwan Singh	8. Shri Man Mohan
9. Shri Waryam Singh	9. Shri Tilak Raj
10. Shri Surinder Nath	10. Shri Sarup Singh
11. Shri Naunihal Singh	11. Shri Kundan Lal Dhall
12. Shri Harbans Lal	12. Shri Mohinder Singh
13. Shri Ram Rakha	
14. Shri Mohinder Singh	
15. Shri Hans Raj	
16. Shri Prithi Pal Singh	
17. Shri Bachan Lal	
18. Shri Jagjot Singh	
19. Shri Vidya Sagar	
20. Shri Shambhu Ram	
21. Shri Ulfat Rai	

Punjabi Region
22. Shri Chambel Singh
23. Shri Gurcharan Singh Tulsi
24. Shri Ved Parkash
25. Shri Hari Singh
26. Shri Inder Sain Beri
27. Shri Harish Chander Kashyap
28. Shri Jaswant Singh
29. Shri Mukhtiar Singh
30. Shri Des Raj Singh
31. Shri Mohinder Singh
32. Shri Ranbir Singh Palta

List showing number and names of P.I.s in the State who neither **belong to Punjabi nor Hindi Region.**

1. Shri Amrit Lal .. Is a Refugee. Not yet settled anywhere.
2. Shri Harbans Singh .. Ditto
3. Shri Parkash Chand Sahney. Ditto
4. Shri Lajpat Rai .. Bilingual

List showing number and names of P.S. Is in the State belonging to Hindi and Punjabi Region Separately.

Punjabi Region	Hindi Region
1. Shri Madan Mohan Pal	1. Shri Gurmukh Singh
2. Shri Shidev Singh	2. Shri Kirti Raj
3. Shri Brahm Sarup	3. Shri Sohan Singh
4. Shri Sham Behari Lal	4. Shri S.K. Raina
5. Shri Balbinder Nath	5. Shri Vidya Sagar
6. Shri Ranbir Sahai	6. Shri Rama Kant
7. Shri Baldev Raj	7. Shri Chand Krishan
8. Shri Ram Pal	8. Shri Kanwal Nain
9. Shri Surjit Singh	9. Shri Gobind Ram
10. Shri Bishamber Dev	10. Shri Narinjan Singh
11. Shri Ravi Datt	11. Shri Om Parkash
12. Shri Pindi Dass	12. Shri Dharam Paul
13. Shri Malkiat Singh	13. Shri Siri Chand
14. Shri Manjit Singh	14. Shri Ram Avtar Singh
15. Shri Karnail Singh	15. Shri Lekh Raj
16. Shri Rai Inder Nath	16. Shri Yash Paul
17. Shri Radha Kishan	17. Shri Tehla Ram
18. Shri Sat Pal	18. Shri Hari Krishan
19. Shri Yashvir Yakmi	19. Shri Bharat Bhushan
20. Shri Yesh Dev	20. Shri Hari Singh
21. Shri Amarjit Singh	21. Shri Chander Bhan
22. Shri Amrjit Singh Giani	22. Shri Madan Mohan
23. Shri Baboo Lal	23. Shri Kali Ram
24. Shri Jasbir Singh	24. Shri Atam Parkash
25. Shri Jaswant Singh	25. Shri Narinder Nath
26. Shri Bhagwant Singh	26. Shri Shiv Kumar
27. Shri Gurcharan Singh	27. Shri Anand Parkash
28. Shri Jaswant Singh	28. Shri Jaswant Singh
29. Shri Om Parkash	29. Shri Kartar Singh
30. Shri Om Parkash	30. Shri Jugraj Singh
31. Shri Sukhdev Raj	31. Shri Lachhman Dass
32. Shri Hardial Singh	32. Shri Piara Lal
33. Shri Dewan Chand	33. Shri Om Parkash
34. Shri Surrinder Singh	34. Shri Jai Narain
35. Shri Sohan Lal	35. Shri Mela Ram Mindha
36. Shri Inder Sain	36. Shri Shamsher Kumar
37. Shri Ashwani Kumar	37. Shri Naubat Singh
38. Shri Balwant Singh	38. Shri Parkash Chand
39. Shri Kanwar Singh	39. Shri Partap Singh
40. Shri Jatinder Kumar Khurana	40. Shri Gurnam Singh
41. Shri Brij Mohan	41. Shri Rajinder Lal
42. Shri Madan Mohan	42. Shri Ajit Singh
43. Shri Jiwan Lal	43. Shri Madan Singh
44. Shri Ajaib Singh	44. Shri Bahadur Chand

[Deputy Minister for education]

Punjabi Region

45. Shri Mohinder Lal
46. Shri Ram Lal
47. Shri Gian Chand
48. Shri Opinder Krishana
49. Shri Basant Singh
50. Shri Sukhdev Kohli
51. Shri Parshotam Lal
52. Shri Om Parkash
53. Shri Manohar Lal
54. Shri Kasturi Lal
55. Shri Harcharan Singh
56. Shri Nasib Ch and
57. Shri Sat Pal
58. Shri Vinod K umar
59. Shri Sukhbans Singh
60. Shri Narinder Singh
61. Shri Balbir Singh
62. Shri Raj Kumar
63. Shri Surinder Singh
64. Shri Harbant Singh
65. Shri Raghu Nath Singh
66. Shri Gurdial Singh
67. Shri Jawand Singh
68. Shri Davinder Singh
69. Shri Nanak Chand
70. Shri Chaman Lal
71. Shri Tilak Raj
72. Shri Balbir Singh
73. Shri Shiv Raj Singh
74. Shri Balbir Sain
75. Shri Brahm Kumar
76. Shri Tilak Raj
77. Shri Jagdish Chander
78. Shri Satya Parkash
79. Shri Prem Paul Pandit
80. Shr Padam Nabh Pathak
81. Shri Tarlok Singh
82. Shri Arjan Singh
83. Shri Lajpat Rai
84. Shri Sat Parkash
85. Shri Dharam Pal
86. Shri Balbinder Singh
87. Shri Madan Lal
88. Shri Shiv Mohan Singh
89. Shri Jagan Nath
90. Shri Pritam Singh
91. Shri Surjit Singh
92. Shri Prithvi Raj
93. Shri Pritam Singh
94. Shri Dilbagh Singh
95. Shri Madan Lal
96. Shri Harbans Singh
97. Shri Harbans Lal
98. Shri Narinjan Singh
99. Shri Gurpartap Singh
100. Shri Tirlok Singh
101. Shri Kundan Lal
102. Shri Ram Kumar Jahnji
103. Shri Darshan Singh
104. Shri Harnek Singh

List showing number and names of P.S.I.s in the State **who neither belong to Hindi nor Punjabi Region.**

1. Shri Rajinder Singh .. Belongs to Ganga Nagar
2. Shri Sohan Dutt Vohra .. Not yet settled anywhere

3.	Shri Bharat Mittar	.. Bilingual
4.	Shri Hari Krishan	.. Belongs to Delhi
5.	Shri Sushil Chander	.. Ditto
6.	Shri Swaran Singh	.. Ditto

चौधरी बारू राम: यह जो list मुझे दी गई है इस में P.I.s का जिक्र है मगर क्या इस से मुराद Prosecuting Inspectors से है या Police Inspectors से ?

मुख्य मन्त्री: यह फर्क बड़ा बारीक है, फिर सवाल करेंगे तो बता दूंगा ।

पण्डित श्री राम शर्मा: On a point of order, Sir. सवाल तो पहले से ही मौजूद है । अगर heading गलत दिया गया है तो मालूम करना चाहिए कि यह किस की गलती से हुआ । देखना चाहिए कि गलती दफतर की है या किसी और की । (*interruptions*) क्या यही गवर्नमैंट की efficiency है ?

उद्योग मन्त्री: इस में तो जिक्र Police Inspectors का है, Prosecuting Inspectors कहाँ से आ गए ?

पण्डित श्री राम शर्मा: इस में तो Prosecuting Inspectors लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष: जब इस में जिक्र Police Inspectors का है तो Prosecuting Inspectors कहाँ से आ गए ? (The information has been asked for about the Police Inspectors etc. Then how do the Prosecuting Inspectors, come in ?)

Chaudhri Baru Ram : Sir, in the printed list of Questions, it has been stated—

"Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names of Police Inspectors, Police Sub-Inspectors in the State...."

The reply given by the hon. Deputy Minister is not quite clear....

Mr. Speaker : There seems to be some confusion. The Heading of the Question is about the Prosecuting Inspectors /Sub-Inspectors of Police.

Chaudhri Baru Ram : Sir, I have got the original copy of the question with me. Here it has been stated "P.I.s /P.S.I.s....."

श्री बलराम दास टण्डन: On a point of order, Sir. जनाब इस सवाल के heading में लिखा है Prosecuting Inspectors और नीचे जो question है वह relate करता है Police Inspectors को । There is some variation in the question.

Mr. Speaker : The hon. Chief Minister will please make the position clear.

Chief Minister : I will verify and then make the position clear.

Mr. Speaker : The question seems to be confusing. Supplementaries on this question will be allowed later on.

RETRENCHMENT OF SKILLED WORKERS OF BHAKRA AND NANGAL

***4626. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to pay any retrenchment gratuity to those workers at Bhakra and Nangal who are likely to be retrenched at the time of their retrenchment, if so, the details thereof ;

(b) whether Government have received any proposal from the said workers for the investment of the amounts of their said gratuities in an industry which Government might start on a cooperative basis, with a view to provide them with employment ; if so, the details thereof ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to absorb the said retrenched skilled hands in any other project in the State ; if so, the details thereof.

Shri Mohan Lal : (a) Yes. The retrenched workmen are entitled to retrenchment compensation at the rate of fifteen days average pay for every completed year of service, under section 25 F and 25 F F F read with section 2 (oo) of Industrial Dispute (Amendment) Act (Copy attached), provided the conditions prescribed therein are fulfilled.

(b) Yes. A demand was received from an Anti-Retrenchment Committee of Mazdoor Union (un-recognised) that workers of Bhakra Project were willing to forego their retrenchment compensation provided this amount was used in building a Factory for their employment.

(c) Yes. On Dams on River Beas when work is taken up there.

EXTRACT FROM THE INDUSTRIAL DISPUTE ACT

Section 2 (00)

" retrenchment" means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include—

(a) voluntary retirement of the workman : or

(b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf ; or

(c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health ;

Section 25F

Conditions precedent to retrenchment of workman.—No workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—

(a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:

Provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specifies date for the termination of service ;

(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen day's average pay for every completed year of service or any part thereof in excess of six months ; and

(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government.

Section 25FFF

Compensation to workman in case of closing down of undertakings.—(1) Where an undertaking is closed down for any reason whetsoever, every workman who has been in continuous service for not less than one year in that undertaking immediately before such closure shall, subject to the provision of sub-section (2) be entitled to notice and compensation in accordance with the provisions of section 25 F, as if the workman had been retrenched Provided that where the undertaking is closed down on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer, the compensation to be paid to the workman under clause (b) of section 25F shall not exceed his average pay for three months.

PONG DAM

***4829. (1) Shri Rup Singh Phul (2) Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the progress so far made in connection with the construction of Pong Dam.

(b) the details of the areas and population likely to be effected as a result of the construction of the said Dam and the place or places selected for the resettlement of the oustees ?

Shri Mohan Lal : (a) According to the latest thinking, the Pong Dam Scheme has become part of an integrated scheme for the exploitation of the irrigation and power potential of the River Beas, which has been designated as the Beas Project. There are two units of the Project, Unit No. I being the Beas-Sutlej Link with Suketi Reservoir and Unit No. II being the Pong Dam. A comprehensive note about the Beas Project has been submitted to the Government of India, who propose to call an inter-State conference in March, 1960 at which it is hoped that it will be possible to take broad decisions on some of the basic issues involved. The taking up of construction of the Pong Dam scheme will depend on the decisions taken at the conference. Meanwhile further geological investigations are being continued in respect of this scheme.

(b) The total area that would go under the reservoir is estimated at 57,970 acres and is classified as below—

		acres
Culturable	..	28,084
Non-culturable	..	28,848
Government Land	..	1,038
Total	..	57,970

9,400 families would also be affected by the Pong Reservoir. Details for settlement of oustees will be worked out after the Project has been sanctioned.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि जो inter state conference Union Government की तरफ से बुलाई जा रही है उसमें कौन-कौन सी States को invite किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्री : यह तो नहीं बतलाया जा सकता कि Union Government किस किस State को बुलाना मुनासिब समझे लेकिन ख्याल है कि जो affected States हैं उन्हें बुलाया जाएगा जिस तरह पंजाब, राजस्थान और हिमाचल हैं ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : वज़ीर साहिब ने अभी-अभी कहा है कि conference होने वाली है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब dam बनाने का फैसला हो चुका है तो क्या वहाँ से उठाए जाने वाले लोगों को बसाने की स्कीमें भी पहले से ही तैयार कर ली गई हैं ?

मुख्य मन्त्री: फैसला तो अभी हुआ नहीं तो लोगों को बसाने की स्कीम पहले से कैसे तैयार की जा सकती है ?

श्रीमती सरला देवी शर्मा : जनाब भाखड़ा के लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है कि scheme पहले से तैयार न होने की वजह से वह अभी तक नहीं बस पाए ।

मुख्य मन्त्री: यह गलत बात है । वह बसे हुए हैं ।

श्री बलराम दास टण्डन: क्या इस scheme के बारे में Pakistan Government की तरफ से कोई protest हमारी सरकार को मिला है ?

मुख्य मन्त्री: इतने समझदार हो कर आप इस तरह का सवाल पूछते अच्छे नहीं लगते । इस में पाकिस्तान का क्या सवाल ?

RETRENCHMENT OF SKILLED AND UNSKILLED LABOUR AT BHAKRA

***4830 Shri Rup Singh Phul, Dr. Parma Nand** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of skilled and unskilled labourers separately at Bhakra Dam who have so far been retrenched together with the number of those who are proposed to be reduced during the next year.

(b) the steps taken or proposed to be taken by Government for the re-employment of the labourers referred to in part (a) above ;

Shri Mohan Lal :

(a) Skilled labourers retrenched so far	..	1,132
Unskilled labourers retrenched so far	..	1250
Skilled labourers proposed to be retrenched during the financial year 1960-61	..	3270
Unskilled labourers proposed to be retrenched during the financial year 1960-61		1,265

(b) (i) An Employment Exchange has been opened at Nangal to secure alternative jobs for the retrenched workmen.

(ii) The retrenchees of Bhakra are given preference in the matter of appointment in various Government and semi-Government organisations. Private employers have also been requested through the Press to give preference to Bhakra Dam retrenchees.

(iii) It will be possible to employ Bhakra workers on other Irrigation and Power Projects in the Punjab, viz. Beas Dam and Sutlej-Beas Link, if these are approved by the Government of India.

श्री राम प्यारा: क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि जो workers retrench हो चुके हैं उन्हें वापस बुलाया जाएगा या जो आइन्दा retrench होंगे उनके बारे में भी यही जवाब है जो अब दिया गया है ?

उद्योग मन्त्री: यह जवाब दोनों के लिए हैं ।

श्री राम प्यारा : क्या यह बताया जा सकता है कि जो workers employment exchange की तरफ से आए हैं क्या उन में से कुछ तादाद employ कर ली गई है या नहीं ? क्या इनके पास इस बारे में कोई report आई है ?

मन्त्री: Reports तो आती रहती हैं ।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SURPLUS AREA OF LAND ACQUIRED BY GOVERNMENT IN 1959

2075. Sardar Dhanna Singh Gulshan : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of persons in the state who were served with notices to reserve 30 standard acres of land in the year 1959 ;

(b) the area of land which was acquired by Government as surplus from persons referred to in part (a) above during the said period ;

(c) the number of persons to whom the land referred to in part (b) above was allotted ?

Giani Kartar Singh : (a) There is no provision in the relevant acts or rules for issuing notice to any person to reserve 30 standard acres of land.

(b) and (c) Question does not arise.

ARREARS OUTSTANDING AGAINST LESSEES OF LAND

2370. Shri Ram Piara : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that large amounts of arrears are outstanding against those persons to whom lands acquired by Government under the East Punjab Utilization of Land Act, 1949 were leased out ; if so, the steps so far taken to recover these arrears ;

(b) the names of the lessees referred to in part (a) above from whom arrears of Rs. 200 or more are due and the date since when these arrears have been due ?

Giani Kartar Singh : It is regretted that the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

OCTROI AND OTHER TAXES REALISED BY MUNICIPAL COMMITTEES IN KARNAL DISTRICT

2371. Shri Ram Piara: Will the Minister for Industries be pleased to state the amount of octroi and other taxes, separately, realised by each of the Municipal Committees in Karnal District during the period from 1st April, 1958 to date, month-wise ?

Shri Mohan Lal : A statement containing the requisite information is enclosed.

[Minister for Industries]

MUNICIPAL COMMITTEE KARNAL

Statement showing income realized from octroi and other taxes from 1st April 1958 to 31st January, 1960

Month		Octroi	House Tax	Cycle Tax	Tax on Building application
		Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.
April, 1958	..	37,184.31	1,790.64	2,772.00	212.00
May, 1958	..	46,649.90	1,849.93	346.00	262.00
June, 1958	..	40,117.82	2,822.14	444.00	182.00
July, 1958	..	31,873.07	6,328.81	206.00	264.00
August, 1958	..	24,511.26	14,344.00	160.00	268.00
September, 1958	..	25,656.05	14,086.56	374.00	234.00
October, 1958	..	37,251.06	8,942.53	529.00	284.00
November, 1958	..	41,320.00	8,797.94	292.00	196.00
December, 1958	..	39,191.10	5,585.75	344.00	160.00
January, 1959	..	34,579.79	2,636.54	159.00	222.00
February, 1959	..	32,222.82	1,002.55	304.00	148.00
March, 1959	..	39,128.65	1,653.62	54.00	354.00
April, 1959	..	35,197.60	2,381.92	1,638.00	216.00
May, 1959	..	47,252.38	2,156.90	1,708.00	218.00
June, 1959	..	48,381.58	1,616.88	1,006.00	292.00
July, 1959	..	44,313.21	5,430.01	822.00	474.00
August, 1959	..	32,079.85	5,294.65	554.00	316.00
September, 1959	..	33,859.36	10,452.37	448.00	238.00
October, 1959	..	46,736.56	8,773.94	372.00	252.00
November, 1959	..	47,301.54	7,983.93	264.00	130.00
December, 1959	..	53,120.23	8,962.28	165.00	262.00
January, 1960	..	40,565.83	4,465.50	128.00	286.00

MUNICIPAL COMMITTEE KAITHAL (KARNAL)

Statement showing the income derived from octroi and other taxes from April, 1958, to January, 1960

Name of month and Year		House Tax	Octroi	Toll Tax	Vehicle Tax	Building application Tax
1		2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
April, 1958	..	459	45,496	1,045	791	259
May, 1958	..	2,791	57,175	1,378	262	276
June, 1958	..	2,298	46,405	927	75	259
July, 1958	..	6,617	31,427	234	69	353

Name of month and year		House Tax	Octroi	Toll Tax	Vehicle Tax	Building application Tax
1		2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
August, 1958	..	5,535	21,159	84	102	253
September, 1958	..	3,917	25,464	94	208	409
October, 1958	..	2,709	29,590	109	187	404
November, 1958	..	3,104	36,947	455	146	436
December, 1958	..	2,153	43,397	1,077	29	404
January, 1959	..	1,808	39,805	913	145	392
February, 1959	..	473	32,049	732	101	395
March, 1959	..	1,232	39,689	934	13	465
April, 1959	..	428	47,344	850	636	379
May, 1959	..	129	76,055	1,389	402	451
June, 1959	..	2,836	61,660	1,477	172	402
July, 1959	..	5,918	54,624	623	236	273
August, 1959	..	7,370	27,402	133	239	381
September, 1959	..	1,869	28,689	120	95	402
October, 1959	..	3,409	38,300	359	125	228
November, 1959	..	3,670	49,502	751	127	131
December, 1959	..	2,089	54,831	1,359	115	260
January, 1960	..	1,267	41,815	920	161	204

MUNICIPAL COMMITTEE SHAHABAD

Statement showing the amount of octroi and other taxes realized during the period 1st April, 1958 to 31st January, 1960

Name of month		Octroi	House Tax	Toll Tax	Cycle Tax	Other Taxes
1		2	3	4	5	6
		Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.
April, 1958	..	10,371.90	45.79	672.37	1,348.47	4.00
May, 1958	..	13,624.51	..	979.09	533.25	34.00
June, 1958	..	11,768.27	..	753.58	245.25	26.50
July, 1958	..	7,564.40	1,226.82	355.30	49.50	25.00
August, 1958	..	4,300.06	1,067.19	289.11	22.25	27.00
September, 1958	..	6,270.40	103.97	359.52	24.75	36.00
October, 1958	..	9,524.20	205.53	816.33	16.75	17·00
November, 1958	..	10,187.46	4.96	758.58	6.75	19.00
December, 1958	..	11,097.14	8.00	856.38	2.25	21.00

[Minister for Industries]

Name of month	Octroi	House Tax	Toll Tax	Cycle Tax	Other Taxes
1	2	3	4	5	6
	Rs. nP.	Rs. nP	Rs nP	Rs nP	Rs nP
January, 1959 ..	8,363.73	12.60	684.41	247.50	9.00
February, 1959	7,233.71	46.58	517.33	197.50	12.00
March, 1959 ..	9,097.00	6,607.47	630.41	66.00	32.75
April, 1959 ..	9,654.70	3,704.94	635.18	1,869.75	42.00
May, 1959 ..	11,729.80	421.04	859.85	145.50	42.00
June, 1959 ..	13,646.99	200.61	961.53	76.00	37.00
July, 1959 ..	11,437.06	238.69	670.73	463.75	29.50
August, 1959 ..	5,866.30	150.68	423.86	60.75	44.50
September, 1959 ..	7,741.60	13,723.57	464.47	10.25	35.00
October, 1959 ..	10,479.12	2,850.25	806.09	11.50	25.50
November, 1959 ..	11,947.52	178.78	1,090.11	..	19.00
December, 1959 ..	12,950.14	795.74	1,161.80	190.25	22.00
January, 1960 ..	9,761.70	372.42	761.79	143.00	20.50

MUNICIPAL COMMITTEE LADWA (KARNAL)

Statement showing the income realised from octroi and other taxes from 1st April, 1958 to 19th February, 1960.

Month		Octroi Tax	Toll Tax
		Rs	Rs
April, 1958	..	8,086.70	801.83
May, 1958	..	9,980.04	993.12
June, 1958	..	9,381.25	792.03
July, 1958	..	5,065.69	320.93
August, 1958	..	2,347.67	121.86
September, 1958	..	3,497.84	302.30
October, 1958	..	5,322.61	438.29
November, 1958	..	7,308.32	690.20
December, 1958	..	7,154.77	722.97
January, 1959	..	4,938.18	487.08
February 1959		5,194.14	461.03
March, 1959	..	6,708.46	511.28
April, 1959	..	7,206.19	542.76
May, 1959	..	8,021.92	667.28
June, 1959	..	10,819.18	797.27
July, 1959	..	5,525.97	382.87
August, 1959	..	3,567.50	133.83
September, 1959	..	3,225.76	159.13
October, 1959	..	6,321.38	434.12
November, 1959	..	10,023.37	946.63
December, 1959	..	11,550.36	1,014.06
January, 1960	..	6,611.22	528.09
19th February, 1960	..	5,133.12	401.68

MUNICIPAL COMMITTEE PANIPAT (KARNAL)

Statement Showing the income from taxes from 1st April, 1958 to 31st January, 1960.

Month		Octroi Tax	Toll Tax	House Tax	Water Tax	Tax on building application
		Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
April, 1958	..	26,561	931	3,396	1,472	429
May, 1958	..	32,839	1,205	2,493	103	156
June, 1958	..	28,522	1,139	2,864	38	347
July, 1958	..	25,084	921	1,270	10	334
August, 1958	..	22,952	797	1,945	33	210
September, 1958	..	27,471	937	1,241	125	405
October, 1958	..	31,472	1,046	384	825	249
November, 1958	..	29,914	994	1,091	946	137
December, 1958	..	33,134	1,143	996	2,817	186
January, 1959	..	29,616	896	804	3,519	150
February, 1959	..	27,369	752	905	4,888	137
March, 1959	..	31,841	911	2,461	7,265	260
April, 1959	..	32,535	930	705	417	228
May, 1959	..	34,314	1,087	666	848	212
June, 1959	..	40,784	1,295	838	457	265
July, 1959	..	44,892	916	1,842	63	138
August, 1959	..	30,241	747	1,850	41	116
September, 1959	..	32,676	747	4,938	1,233	156
October, 1959	..	35,576	821	2,875	784	112
November, 1959	..	38,359	1,130	3,563	1,481	126
December, 1959	..	44,434	1,068	4,042	2,618	154
January, 1960	..	34,112	855	5,827	2,161	110

MUNICIPAL COMMITTEE THANESAR (KARNAL)

Statement showing Octroi and other taxes realised from 1st April, 1958 to 19th February, 1960

Name of month		*Nature of tax and amount realised month wise*			
		Octroi Tax	Toll Tax	Cycle Tax	Building Tax
		Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.
April, 1958	..	17,169.72	683.66	38.00	14.00
May, 1958	..	16,691.41	949.94	..	20.00
June, 1958	..	12,035.94	735.46	4.00	29.00
July, 1958	..	6,213.78	482.74	..	29.00
August, 1958	..	5,120.47	438.85	..	14.00
September, 1958	..	5,557.87	395.44	..	67.00
October, 1958	..	9,591.75	673.89	..	37.00
November, 1958	..	14,203.46	936.33	..	26.00
December, 1958	..	12,029.97	700.12	..	20.00
January, 1959	..	7,116.20	509.97	..	21.00
February, 1959	..	6,438.21	462.79	..	51.00
March, 1959	..	7,828.95	571.02	..	36.00
April, 1959	..	9,296.48	637.53	68.00	30.00
May, 1959	..	16,541.89	951.41	18.00	16.00
June, 1959	..	14,892.44	880.72	2.00	34.00
July, 1959	..	11,524.94	677.57	..	38.00
August, 1959	..	5,721.05	522.36	..	48.00
September, 1959	..	7,880.61	564.81	..	36.00
October, 1959	..	12,377.27	891.19	2.00	26.00
November, 1959	..	17,189.86	1,217.31	..	18.00
December, 1959	..	17,984.57	1,135.01	..	35.00
January, 1960	..	12,115.49	826.07	..	30.00
February upto 19th February, 1960		9,305 21	512.10	..	39.00

[Minister for Industries]

MUNICIPAL COMMITTEE GHARANDA (KARNAL)

The tax octroi (without refunds) has been imposed by the Punjab Government with effect from the 15th March, 1960 and the Municipal Committee is recovering Cycle Tax with effect from the 1st January, 1960.

Name of Month	Cycle Tax	Other Tax
	Rs. nP.	
January, 1960	72.00	No other tax has been levied
February, 1960	45.75	

MUNICIPAL COMMITTEE, PEHOWA (KARNAL)

The Municipal Committee has not started the work. Therefore, no tax has been realized.

MUNICIPAL COMMITTEE RADAUR KARNAL

Statement showing the octroi and other taxes realized from 1st April, 1958 to 19th February, 1960

Month		Octroi Tax	Toll Tax	Cycle Tax	House Tax
		Rs.	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.
April, 1958	..	3,349.20	..	..	..
May, 1958	..	4,041.59	..	..	..
June, 1958	..	3,045.83	..	..	..
July, 1958	..	1,769.09	..	..	..
August, 1958	..	1,295.44	..	..	..
September, 1958	..	1,482.05	..	..	..
October, 1958	..	2,794.98	..	..	..
November, 1958	..	3,712.30	..	..	..
December, 1958	..	2,700.84	643.31	..	..
January, 1959	..	1,707.25	521.67	..	..
February, 1959	..	1,806.52	533.13	..	..
March, 1959	..	2,023.22	589.78	..	..
April, 1959	..	2,612.78	450.78	506.00	1,698.85
May, 1959	..	4,427.84	502.07	208.00	220.41
June, 1959	..	3,169.40	489.59	18.00	1,744.79
July, 1959	..	2,192.83	417.38	12.00	747.84
August, 1959	..	1,625.59	253.60	14.00	151.78
September, 1959	..	1,773.27	303.98	48.00	335.08
October, 1959	..	3,036.57	326.46	26.00	37.80
November, 1959	..	4,241.52	463.33	74.00	..
December, 1959	..	4,416.94	693.73	6.00	20.79
January, 1960	..	2,416.41	561.90	4.00	94.50
February, 1960 (1st to 19th)	..	1,539.76	349.47	..	..

MUNICIPAL COMMITTEE PUNDRI (KARNAL)

Statement showing the income realized from octroi and other taxes from April 1958 to February 1960

Period		Octroi	Toll	Personal Town-rate	House Tax
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
April, 1958	..	2,142.01	342.55	12.00	..
May, 1958	..	1,613.00	250.48	..	..
June, 1958	..	1,288.80	163.18	16.00	..
July, 1958	..	1,016.34	94.06	..	..
August, 1958	..	748.21	66.98	..	..
September, 1958	..	1,106.42	106.00	..	..
October, 1958	..	1,317.05	134.03	..	..
November, 1958	..	1,333.02	137.85	..	..
December, 1958	..	1,397.23	234.35	..	..
January, 1959	..	1,082.21	145.56	..	..
February, 1959	..	982.06	92.35	..	..
March, 1959	..	927.90	112.11	..	..
April, 1959	..	2,057.05	299.03	..	37.69
May, 1959	..	2,197.69	328.45	..	51.37
June, 1959	..	1,585.83	157.33	..	29.62
July, 1959	..	1,164.05	115.28	521.11	18.25
August, 1959	..	807.69	6,107.00	141.97	520.26
September, 1959	..	915.45	83.04	..	..
October, 1959	..	1,416.21	138.13	..	117.97
November, 1959	..	1,188.95	176.45	..	35.36
December, 1959	..	1,401.41	203.46	..	966.45
January, 1960	..	1,158.98	99.31	..	843.44
February, 1960	..	1,120.34	72.41	..	380.41

SALES TAX REALISED FROM KARNAL DISTRICT

2372. Shri Ram Piara : Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount of sales tax realised by Government from within the area of each Municipal Committee in Karnal District from April, 1958 to date, quarter-wise ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : A statement containing the requisite information is enclosed.

Statement showing the amount of sales Tax realised from within the area of each Municipal Committee Karnal District from April, 1958 to date

Names of Municipal Committee

Quarter	Karnal	Panipat	Shahabad	Kaithal	Thanesar	Pundri	Ladwa	Pehowa	Gharaunda
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
30th June, 1958 ..	91,664.45	86,421.28	14,818.50	52,023.32	14,818.50	12,899.23	9,879.00	..	..
30th September, 1958..	1,04,823.44	99,685.26	18,531.00	54,280.92	18,531.06	13,528.25	12,354.00	..	..
31st December, 1958 ..	1,23,655.92	1,17,185.05	20,560.20	57,613.29	20,560.20	14,402.73	13,706.80	..	..
31st March, 1959 ..	1,39,594.88	1,17,802.99	25,482.00	72,324.33	25,482.00	17,783.59	16,988.00	..	..
30th June, 1959 ..	1,38,987.73	1,20,185.88	23,856.00	72,809.23	23,856.00	18,213.24	15,904.00	..	..
30th September, 1959	1,51,708.26	1,37,317.09	31,944.30	73,213.24	31,944.30	18,294.17	21,296.20	..	..
31st December, 1959	1,18,383.27	1,16,114.64	20,582.10	62,889.28	20,582.10	15,779.24	13,7210.40	..	..
1st January, 1960 to date ..	1,25,856.17	1,10,137.77	25,122.15	77,585.29	25,122.15	19,381.11	16,748.10	9,065.00	7,921.37

N.B.—The Municipal Committees of Pehowa and Gharaunda started functioning in the last quarter and as such the previous figures have not been worked out.

REALISATION ON ACCOUNT OF AUCTION OF LIQUOR SHOPS ETC.

2373. Shri Ram Piara : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the amount realised on account of auction of liquor shops in the State from April, 1957 to date, districtwise and year-wise ;

(b) the amount realised on account of Bhang, Charas and Opium contracts auctioned during the period referred to in part (a) above districtwise and year-wise ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) and (b). A statement containing the requisite information is laid on the Table . The possession of Charas is totally prohibited in this State.

STATEMENT

Showing the amount of license fee realized district wise in the State on various intoxicants during the year 1957-58, 1958-59 and 1959-60 (Upto 30th November, 1959) as a result of their auction.

	Liquor			Opium			Bhang		
	1957-58	1958-59	1959-60 (From 1-4-59 to 30-11-59)	1957-58	1958-59	1959-60	1957-58	1958-59	1959-60 (From 1-4-59 to 30-11-59)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Hissar ..	11,53,056	17,94,152	12,21,667	4,14,475	1,89,935	..	16,096	16,972	22,443
2. Rohtak ..	..	..	...	1,18,160	79,300	..	15,471	20,451	2,643
3. Gurgaon ..	3,86,524	5,38,940	4,02,573	49,318	32,435	..	27,166	29,251	22,904
4. Karnal ..	4,83,775	7,16,276	5,08,810	1,54,610	93,530	..	9,460	9,325	11,207
5. Ambala	15,92,077	17,74,458	15,12,766	2,79,978	1,49,397	..	6,595	10,680	10,389
6. Simla ...	2,59,239	2,44,915	3,17,263	11,295	5,875	..	2,650	2,050	1,664
7. Kangra ..	5,43,848	5,71,437	4,29,021	30,302	13,765	..	..	..	..
8. Hoshiarpur ..	8,04,186	9,71,670	6,92,779	3,29,051	2,01,012	..	..	..	..
9. Jullundur ..	9,66,902	12,04,553	8,86,516	5,25,293	3,26,828	..	9,455	12,725	16,965
10. Ludhiana ..	16,09,564	21,14,261	15,36,466	6,41,307	2,81,261	..	12,185	15,910	22,375
11. Ferozepur ..	27,15,028	37,38,879	24,16,517	14,77,180	8,10,824	..	25,567	28,588	38,412
12. Amritsar ..	19,80,659	23,61,121	17,04,288	8,08,675	4,54,742	..	17,760	18,085	17,503
13. Gurdaspur ..	9,18,902	10,87,184	7,64,989	2,43,185	1,34,702	..	5,292	4,447	4,325
14. Kapurthala ..	4,04,835	5,14,194	3,60,879	2,55,913	1,23,265	..	1,085	2,805	4,025
15. Patiala ..	27,18,349	29,30,266	19,51,295	7,50,564	3,35,256	..	8,524	14,300	21,626
16. Bhatinda ..	47,23,300	61,29,109	35,12,615	15,34,930	9,97,060	..	8,154	6,700	12,408
17. Sangrur ..	30,63,544	36,08,417	24,39,237	11,56,718	6,21,390	..	6,760	10,965	17,064
18. Mohindergarh	4,62,197	5,28,828	3,54,918	46,365	33,605	..	4,255	8,934	10,466

Notes.—(1) The license fee given under the head liquor including license fee from Country spirit, foreign spirit and beer.

(2) Figures in respect of the year 1959-60 are available upto 30th November, 1959.

LOANS UNDER LOW-INCOME GROUP HOUSING SCHEME IN SANGRUR CITY

2374. Sardar Rajinder Singh : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names and addresses of persons to whom loans under the Low-Income Group Housing Scheme were sanctioned in Sangrur City (District Sangrur) during the years 1957-58, 1958-59, 1959-60 (up to January 31, 1960) and the dates when the amount of the loans were disbursed to them ;

(b) whether any cases of misuse of the said loans have come to the notice of Government; if so, the details of misuse in each case and the action, if any, so far taken thereon ;

(c) the total amount of loan, if any, repaid by the loanees in each case and the names of the persons who have not repaid even the first instalment of the said loan and the action ; if any, taken against them ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) , (b) and (c). A statement is enclosed.

Statement regarding loans under the Low Income Group Housing Scheme in Sangrur City for the year 1957-58

Serial No.	Name and address of loanee	Amount of loans sanctioned	Date /dates of disbursement of loans	Whether the loan was properly used if not, details of misuse and the action taken against the loanee	Total amount repaid by the loanee	If the loanee has not paid even the 1st Instalment, state the action, if any, taken against each	Remarks
		Rs.	Rs.		Rs.		
1	Shri Naranjan Singh, D.C's Office, Sangrur	2,000	3-12-57, 600 31-1-58, 1,500 15-3-58 900	Yes	136	..	
2	Shri Ajit Singh, s/o Shri Basant Singh, Sangrur	5,000	18-1-58,1,000 30-3-58, 1,500 15-3-58, 1,000 20-3-59, 1,500	Do	325	..	
3	Shri Gurdial Kaur, w/o Shri Jiwan Singh, Sangrur	2,500	18-1-58, 500 1-3-58, 700 15-3-58, 500 19-3-58, 750	Do	..	Recovery is being made through the Tehsildar, Sangrur	
4	Shri Gurdev Singh, s/o Shri Wazir Singh, Sangrur	5,000	1-3-58, 1,000 7-3-58, 1,500 14-4-58, 1,000 14-7-58, 1,000 4-9-59, 500	Do	...	Ditto	
5	Shri Gurdev Singh, s/o Shri Puran Singh, Sangrur	3,000	15-3-58, 600 14-4-58, 1,500 5-7-58, 900	Do	..	Ditto	
6	Shri Naranjan Lal, s/o Shri Babu Ram, Sangrur	3,000	28-3-58, 600	Do	..	Ditto	
7	Shri Kalwant Rai, s/o Shri Kundan Lal, Sangrur	5,000	15-3-58, 1,000 3-4-58, 2,500 4-7-58, 1,500	Do	235	..	

8	Shrimati Harbans Kaur, w/o Shri Bhadwa Singh, Sangrur	2,000	18-3-58, 400 17-4-58, 1,000 21-3-58, 600	Do	..	Recovery is being made through the Tahsildar, Sangrur
9	Pt. Babu Ram, s/o Shri Kishna Ram, Sangrur	2,000	18-3-58, 400 16-7-58, 1,000 30-6-58, 600	Do	130	..
10	Shri Daya Sagar , s/o Shri Kunj Behari Lal, Sangrur	3,000	30-3-58, 600 29-12-58, 1,000 26-10-59, 500	Do	..	Recovery is being made through the Tahsildar, Sangrur
11	Shri Baldev Singh, s/o Shri Madan Singh, Sangrur	5,000	28-3-58, 1,000 5-7-58, 2,500 21-3-59, 1,500	Do	..	Ditto
12	Shri Lachhman Dass, s/o Shri Atma Ram, Sangrur	3,000	31-3-58, 600 28-10-59, 1,500	Do	..	Ditto
13	Shri Gurbax Singh, s/o Shri Narain Singh, Sangrur	5,000	12-4-58, 1,000 30-6-58, 2,500 24-12-58, 1,000 21-3-58, 600	Do	..	Ditto
14	Shrimati Raj Kaur, w/o Shri Sewa Singh, Sangrur	5,000	21-3-58, 600 29-12-58, 1,000 22-3-58, 500 5-10-59, 900	Do	..	Ditto
15	Shri Ram Kishan, s/o Shri Ram Saran Dass, Sangrur	3,000	18-3-58, 600 10-4-58, 1,500 20-3-59, 900	Do	..	Ditto
16	Shri Tehal Singh, s/o Shri Sant Singh, Sangrur	3,000	18-3-58, 600 14-4-58, 1,500 8-7-58, 900	Do	..	Ditto
17	Shri Baraat Singh, s/o Shri Wazir Singh, Sangrur	3,000	29-3-58, 600 8-7-58, 1,500 19-1-60, 900	Do	199.56	Ditto

Serial No.	Name and address of loanee	Amount of loan sanctioned	Date/dates of disbursement of loans	Whether the loans was properly used if not, details of misuse and the action taken against the loanee	Total amount repaid by the loanee	If the loanee has not paid even the 1st Instalment, state the action if any taken against each	Remarks
18	Shri Amar Singh, s/o Shri Harnam Singh, Sangrur	2,000	25-3-58, 400 27-6-58, 1,000 19-11-58, 600	Do	..	Recovery is being made through the Tahsildar	
19	Shri Arjan Singh, s/o Shri Nathu Singh	1,000	26-3-58, 200 30-6-58, 500 11-12-58, 300	Do	65.00	..	
20	Shri Ganda Singh, s/o Shri Harbans Singh, Sangrur	2,000	19-3-58, 400	Do		Recovery is being made through the Tehsildar	
21	Shrimati Bhagi w/o Shri Sohan Singh, Harigarh	1,500	26-3-58, 300 30-6-58, 750 19-11-58, 450	Do	..	Ditto	
22	Shri Barkat Ram, s/o Shri Baru Ram, Sangrur	1,500	4-3-58, 300 20-6-58, 750 11-12-58, 450	Do	100.55	..	
23	Shri Bhagu Ram, s/o Shri Bachan Singh, Sangrur	1,500	27-3-58, 300 30-6-58, 750 11-12-58, 450	Do	..	Recovery is being made through the Tahsildar	
24	Shri Sher Singh, s/o Shri Mohan Singh, Sangrur	1,500	26-3-58, 300 17-4-58, 750 19-4-58, 450	Do	100.95		
25	Shri Kartar Singh, s/o Shri Sada Singh	3,000	20-3-58, 600 30-6-58, 1,500 11-12-58, 900	Do	..	Recovery is being made through the Tahsildar	

26	Shri Ajit Singh, s/o Shri Bishan Singh, Sangrur	3,000	31-8-58, 600 - -58, 1,500 2-3-58, 900	Do		Ditto
27	Shri Khazan Singh, s/o Shri Sohan Singh, Sangrur	2,000	31-6-48, 600	No	648.50	Full Recovery made
28	Shri Dewan Singh, s/o Shri Sohan Singh, Sangrur	2,000	31-8-48, 600	Do	648.50	Ditto
29	Shri Gianinder , s/o Shri Ranauq Ram, Sangrur	3,000	31-3-58, 600 5-7-58, 1,500 17-9-59, 900	Do	195.05	..
30	Shri Mangat Ram, s/o Shri Gulzari Lal, Sangrur	1,500	12-4-58, 300 30-6-58, 750 11-12-58, 450	Do	100.05	..
31	Shri Jangiri Lal, s/o Shri Ram Nath, Sangrur	4,000	12-4-58, 800 5-7-58, 2,000 19-3-59, 1,200	Do		Recovery is being made through the Tahsildar

(Sd)

Deputy Commissioner,

Sangrur

STATEMENT

Regarding loans under the Low Income Group Housing scheme in Sangrur city for the year 1958-59

Serial No.	Name and address of the loanee	Amount of loan	Date/Dates of disbursement of loan	Whether the loan was properly used. If not, details of misuse and the action taken against the loanee	Total amount repaid by the loanee	If the loanee has not paid even the 1st instalment state the action, if any, taken against each	Remarks
		Rs.					
1	Shrimati Savitri Devi, w/o Shri Kasturi Lal of Sangrur	1,000	23-3-59, 300 22-9-59, 750 23-2-60, 450	Properly utilized	..	Recovery not yet due	
2	Shri Jagdish Behari Lal, s/o Shri Basant Sarup, Sangrur	3,000	19-3-59, 600 23-3-59, 1,500 13-10-59, 900	Ditto	..	Ditto	
3	Shrimati Jit Kaur, w/o Shri Tek Singh of Sangrur	3,000	23-6-59, 60 5-10-59, 150		..	Ditto	
4	Shri Narpinder Singh, s/o Shri Harnam Singh of sangrur	3,000	23-3-59, 600 30-9-59, 1,500 24-2-60, 900	Ditto	..	Ditto	
5	Shri Ram Nath Sharma, s/o Shri Ram Gopal of Sangrur	3,000	23-3-59, 600 29-9-59, 1,500 22-2-60, 900	Ditto	..	Ditto	
6	Shri Mehar Singh, s/o Shri Kartar Singh of Gobindpura, Sangrur	3,000	27-3-59, 600 29-9-59, 1,500	Ditto	..	Ditto	
7	Shri Harbans Lal, s/o Shri Dawarka Dass of Sangrur	2,000	1-4-59, 400 29-9-59, 1,000 23-2-60, 600	Ditto	..	Ditto	
8	Shri Partap Singh, s/o Shri Kirpal Singh of Sangrur	2,000	22-3-59, 400 29-9-59, 1,000	Ditto	..	Ditto	

9	Shri Hari Chand Pleader, s/o Shri Bansi Ram, Sangrur	5,000	23-3-59, 1,000 24-9-59, 2,500 18-2-60, 1,500	Ditto	..	Ditto
10	Shrimati Bhani, w/o Shri Lilla Ram of Sangrur	1,000	22-3-59, 200 25-9-59, 800	Ditto	..	Ditto
11	Shri Gurdial Singh Kaushal, s/o Pt. Sohan Lal, Sangrur	3,000	31-3-59, 600 24-9-59, 1,500 23-2-60, 900	Ditto	..	Ditto
12	Shrimati Tej Kaur, w/o Shri Manjit Singh of Sangrur	2,000	22-3-59, 400 22-9-59, 1,000 24-2-60, 600	Ditto	..	Ditto
13	Shri Rajinder Singh Pleader, s/o Shri Kartar Singh, Sangrur	4,000	20-3-59, 800 22-9-59, 2,000 19-2-60, 1,000	Ditto	..	Ditto
14	Shri Gurbax Singh, s/o Shri Amolak Singh, Sangrur	2,000	23-3-59, 400 22-9-59, 1,000 22-2-60, 600	Ditto	..	Ditto
15	Shri Amar Nath, s/o Shri Walaiti Ram of Sangrur	2,000	20-3-59, 400 22-9-59, 1,000 19-2-60, 600	Ditto	..	Ditto
16	Shri Lachhman Singh, s/o Shri Dawarka Singh of Sangrur	2,500	25-3-59, 500 6-1-60, 1,250	Ditto	..	Ditto
17	Shri Sukhbir Singh, s/o Shri Sohan Singh of Sangrur	3,000	26-3-59, 600	Not properly utilised	..	Reocovery is being made in lump sum
18	Shri Sohan Singh, s/o Shri Gurbux Singh of Sangrur	3,000	20-3-59, 600	Ditto	..	Ditto
19	Shri Devi Dutta, s/o Shri HariChand of Sangrur	3,000	31-3-59, 600	Ditto	..	Ditto
20	Shri Surinder Singh, s/o Shri Diwan Singh of Sangrur	2,500	31-3-59, 500	Ditto	..	Ditto

(Sd) . . .
Deputy Commissioner, Sangrur

NON-PAYMENT OF CARRIAGE BILLS OF CONTRACTORS OF THE P.W.D. ELECTRICITY BRANCH

(1) Giani Bakhtawar Singh Rai
***2375 (2) Sardar Gurdit Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any bills of carriage contractors of the P.W.D. Electricity Branch are pending since 1955 ; if so the names of the contractors concerned, the number of bills pending and the reasons therefor ?

Rao Birendar Singh : The required information is given in the enclosed statement.

Statement showing particulars of carriage Bills pending since 1953

Serial No	Name of Carriage Contractor	Number of Bills pending	Date since when pending	Reasons for being pending
1	Shri Harnam Singh	Two	December, 1959	This relates to erstwhile Pepsu administraion. The original bills were untraceable. Duplicate copies were received in December, 1959, on which action is proceeding.
2	Shri Lotoo Ram	One	June, 1953	This relates to erstwhile Pepsu Administration. Entries of the work done, do-not exist in the Measurement Book and due to this reason verification of bill is held-up. Steps are being taken to make out a case to obtain sanction of the competent authority to make payment in the absence of record entries in the Measurement Book.
3	The Sohana Co-operative Labour and Construction Society	Eighteen Three**	July to December, 1956, February, 1958**	Payment of these bills was suspended temporarily as the Society was not carrying out the work of constructing Switch House Building at Rewari, which work had been let out on contract to the Society. Orders to release payment have since been issued.** Payment of three bills was suspended temporarily for effecting recovery due from the Society. Orders to release payment have since been issued.
4	Shri Udho Ram Pathania	One	January, 1958	The matters under correspondence with the Contractor.
5	The Thana Co-operative Labour and Construction Society	One	November, 1958	Measurements of the work do not exist in the Measurement Book and due to this reason it is not possible to verify the bill. The matter is under investigation.
6	M/s J.D. Kohli and Brothers	One	December, 1959	Contractor's accounts are in the course of scrutiny.
7	Shri Sohan Lal	4	1950	Due to recovery of a sum of Rs. 1,211.31 which is due from the Contractor as pointed out by the Audit.
8	M/s Amritsar Central Co-operative Society Amritsar	2	July, 1958	Rates claimed are disputed. Bill returned to the Society for certain adjustments.

Serial No.	Name of Carriage Contractor	Number of Bills pending	Date since when pending	Reasons for being pending
9	Shri Vidya Sagar Contractor	Three	April, 1955 and March, 1955	No work order was issued to the contractor. He has, however, been asked to produce, if any, document in support of his claim. For want of entry of the carriage in Measurement Book.
10	Shri Man Dass, Contractor	One	July, 1957	Ditto
11	Shri Mela Ram Tandon	Three	August, 1954 and October, 1954	Due to non-availability of relevant record in the Moga Division. The contractor has been asked to produce copies of work orders and other authentic record in support of his claim.

LEASE MONEY FOR LANDS IN KARNAL DISTRICT

2376. Dr. Parma Nand : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total amount of lease money in arrears in respect of lands which have been leased out under the East Punjab Utilization of Lands Act 1949, tehsil-wise and village-wise in Karnal District ;

(b) the dates when lands were leased out in tehsil Panipat unde the said Act and the amount of arrears against each lesser. at present ;

(c) the amount of lease money for the land referred to in part (a) above per year and the total amount so far paid in respect of it ?

Giani Kartar Singh : It is regretted that the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

श्री बलराम दास टण्डन: स्पीकर साहिब, मेरे 2 short notice questions थे वह नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष: यह Government ने जवाब देने के लिये माने नहीं हैं थे । वह यहाँ पर कोई नहीं है । (These are not here. Government did not agree to reply them at a short notice.)

श्री बलराम दास टण्डन: मगर इनका जवाब मुझे नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष: यह आपको पहुँच जायेंगे । (The replies will reach him in due course.)

ADJOURNMENT MOTIONS

Mr. Speaker: Notices of two adjournment motions have been received No. 1 reads thus—

"Dr. Bhag Singh, M.L.A., and Sardar Achhar Singh Chhina, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, auction of evacuees' agricultural lands in possession of eligible tenants of Narnaul area despite notification of the Government to extend the last date for pay ment of purchase price of such unallotted lands, thus resulting into eviction of hundreds families of the poor tenants."

आप को पता होना चाहिये कि यह मामला Government of India से ताल्लुक रखता है उनका यहाँ एक महकमा है जिस के तहत यह कार्रवाई हुई है । इस लिये यह मामला adjournment motion का मौज़ नहीं बन सकता । यह out of order है ।

The other Adjournment Motion has been given notice of by Shri Mangal Sein, M.L.A., which reads:

"To ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the strike going on for the last two days against the policy of the Government in levying sales-tax on the utensils made of copper and brass, as a result of which dis-satisfaction prevails in some parts of the State".

[Mr. Speaker]

यह मामला बजट की discussion के दौरान में उठाया जा सकता है। बजट पर परसों बहस शुरू हो रही है। उस में आप को काफी मौके मिलेंगे। आप उस वक्त जो कुछ कहना हो कह सकते हैं।

The adjournment motion is therefore ruled out of order.

(Notices of two adjournment motions have been received. No. 1 reads thus—

"Dr. Bhag Singh, M.L.A., and Sardar Achhar Singh Chhina, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, auction of evacuees' agricultural lands in possession of eligible tenants of Narnaul area despite notification of the Government to extend the last date for payment of purchase price of such unallotted lands, thus resulting into eviction of hundreds of families of the poor tenants."

The hon. Members should know that this matter relates to the Government of India. They have got a department here under whose directions this action has been taken. So this matter cannot form subject of an adjournment motion. This is ruled out of order.

The other Adjournment Motion has been given notice of by Shri Mangal Sein, M.L.A., which reads—

"To ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a difinite matter of urgent public importance, namely, the strike going on for the last two days against the policy of the Government in levying sales-tax on the utensils made of copper and brass, as a result of which dis-satisfaction prevails in some parts of the State."

This matter can be raised during the discussion on the Budget which is commencing day after tomorrow. The hon. Member will have ample opportunities and he can say whatever he likes on the subject. The adjournment motion, is therefore, ruled out of order.)

श्री मंगल सेन : इस तरह से जनाब उन का बहुत नुक्सान हो रहा है।(*interruptions.*)

श्री अध्यक्ष: वैसे adjournment motions Budget के दिनों में नहीं आनी चाहियें। (*interruptions*) अगर श्री मंगल सैन की अवाज़ को वह नहीं सुनेंगे जिन को कि यह सुनाना चाहते हैं तो इन के बोलने का फायदा ही क्या है ? वह क्या फायदा उठा पायेंगे। I can not allow it. Ordinarily adjournment motions can not be admitted during the Budget Session (*interruptions*) If the voice of Shri Mangal Sein is not heard by those whom he wants it to be heard, then what is the use of his making a speech ? What benefit will accrue to them ? I cannot allow it.)

QUESTION OF PRIVILEGE

Mr. Speaker : There is also question of Privilege given notice of by Dr. Bhag Singh, M.L.A., and Pandit Ram Kishan Bharolian. M.L.A. which reads :

> **" To ask for leave to raise a question of privilege, namely, curtailment of our privileges to have mass contact with the public as Members of this august House, through strict surveillance by C.I.D. of our activities in Vidhan Sabha premises as well as our Residential Flats Nos. 15 and 17".**

श्री अध्यक्ष: इसके मुताल्लिक पहले मुझे आप Government से facts verify कर लेने दें, फिर मैं फैसला करूँगा । (Let me first verify the facts from the Government. Then I shall give my ruling.)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ House ਵਿਚ ਫਰਮਾ ਚੁਕੇ ਹੋ ਕਿ Government ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ।

श्री अध्यक्ष: आपका भी तो फर्ज़ था कि आप इस तरह की motion ना लाते । आप मुझे बता देते मैं पता कर देता । अब आप House में लाये हैं इस का जवाब भी बाकायदा verification के बाद दे दिया जायेगा । (It was equally the duty of the hon. Member not to have raised this question. He should have brought the matter to my notice in my Chamber and I would have made enquries about it. Now that he has raised it on the floor of the House, the decision will be given after the facts have been duly verified.)

पण्डित श्री राम शर्मा: इस privilege motion के मुताल्लिक जब भी चाहें आप Government से पूछ सकते हैं । इस में क्या रुकावट है ?

श्री अध्यक्ष: मैं ने कह जो दिया है कि Government से पता करूँगा । (I have already stated that I would make enquiries from the Government.)

पण्डित श्री राम शर्मा: अब भी यहाँ Government बैठी हुई है । यह जवाब दे सकते हैं ?

Mr. Speaker : I will make enquiries about it before giving my ruling on the motion.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ premses ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Before raising the matter by way of a question of privilege, it should have been brought to my notice also in my Chamber. I shall make an enquiry about it and inform the Members.

पण्डित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. जब इस privilege motion में साफ तौर पर लिखा हुआ है तो rules के मुताबिक.... (*interruption*)

श्री अध्यक्ष: चूंकि यह मामला House में आया है, इस लिए इस का जवाब भी House के अन्दर ही उसी तरह से treat करके दिया जायेगा । (Since the matter has been raised in the House the decision will be given here after it has been properly dealt with).

पण्डित श्री राम शर्मा: जनाब मेरी गुज़ारिश यह है कि आप उनको यहां पर ही जवाब देने के लिये कहें ।

Mr. Speaker : As already stated, I will first ascertain the facts and then take up this issue.

चौधरी धर्म सिंह राठी: यह, जनाब, बड़ा ही serious मुआमला है । हमारे Chief Minister साहिब तो ever-ready हैं । पहले जनाब उन से पूछ लिया जाये वह अभी जवाब देंगे । (हंसी)

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER REG. THE LANGUAGE POLICY

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) :Sir , the Punjab Government has decided that it is of crucial importance, for both the long-term and short-term interests of the State, that we should finally settle and decide on our language policy and programme. I need not elaborate to members of this House as to the many and various ways in which progress and planning is retarded by continued uncertainty and debate in regard to language. Most important of all, uncertainty affects not only the existing administrative and other programmes but the education of the younger and growing generation. In 1958, my Government appointed a two-man Committee of Shri Jaichand Vidyalankar and Sardar Jodh Singh, both eminent scholars, to consider the matter, in consultation with the various views held on this subject in the State. Protracted and useful work done by these gentlemen,who came to be known as the Good Relations Committee, is available, and should be made use of to the maximum extent possible in settling this problem. In order to achieve this,we have decided to set up a Representative Committee to go into the problem. I am glad to be able to announce that our Governor has agreed to be the Chairman of this Committee which, besides him, will comprise the following—

Two representatives of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee.

Two representatives of the Shiromani Akali Dal.

Two representatives of the Chief Khalsa Diwan.

Two representatives of the Sikh Educational Conference.

Two representatives of the Arya Pradeshik Pratinidhi Sabha.

Two representatives of the Arya Pratinidhi Sabha.

Two representatives of the D.A.V. College Managing Committee.

Two representatives of the Sanatan Dharm Pratinidhi Sabha.

Shri Jai Chand Vidyalankar and S. Jodh Singh, who were Members of the Good Relations Committee.

Four Ministers (which term may include a Deputy Minister) to be appointed by the State Government.

Two representatives of the Punjabi Regional Committee and two representatives of the Hindi Regional Committee.

The Secretary to Governor will act as Secretary to the Committee.

The terms of reference of this Committee will be broad and practical so as to give them a free hand to make constructive suggestions regarding the language problem. These terms are—

(1) to consider the recommendations of the Good Relations Committee and

(2) to make recommendations to the State Government regarding the measures necessary for a satisfactory solution of the language problem and to suggest a programme for implementing these recommendations.

The Governor is personally addressing the various organisations to be represented and is inviting them to start on the work of the Committee sometime soon after the middle of March, 1960. It is hoped that thereafter the Committee will meet from day to day so as to be able to consider the subject in both a concentrated and urgent manner.

We all very much hope that this Committee should be able to put before us constructive solutions devised in a spirit of the fullest co-operation, practical compromise and goodwill. I am sure all Members of the House will join with me in wishing their labours the greatest success.

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ representation ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ।

Mr. Speaker : No comments on it after the Chief Minister has made a statement.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Deputy Minister for Education (Shri Yash Pal) : Sir, I beg to lay on the Table the notification issued under sub-section (1) of section 5 of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958, as required under sub-section (2) of section 5 ibid.

REPORT OF THE *Ad-Hoc* COMMITTEE ON RULES

Deputy Speaker : (Chaudhri Sarup Singh) : Sir, I beg to move—

"that the time fixed for presenting the Report of the *Ad-hoc* Committee on Rules constituted on the 23rd December, 1959, to consider the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly in so far as they relate to the number of Members required for leave being granted to discuss adjournment and no-confidence motions when in order, be extended by one month i.e. upto the 29th March, 1960.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time fixed for presenting the Report of the *Ad-hoc* Committee on Rules constituted on the 23rd December, 1959, to consider the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly in so far as they relate to the number of Members required for leave being granted to discuss adjournment and no-confidence motions when in order, be extended by one month i.e. upto the 29th March, 1960.

Mr. Speaker : Question is—

That the time fixed for presenting the Report of the *Ad-hoc* Committee on Rules constituted on the 23rd December, 1959, to consider the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly in so far as they relate to the number of Members required for leave being granted to discuss adjournment and no-confidence motions when in order, be extended by one month i.e. upto the 29th March, 1960.

The motion was carried.

SUPPLEMENTARY ESTIMATES (THIRD INSTALMENT) 1959-60

1. DISCUSSION ON THE ESTIMATES OF THE EXPENDITURE CHARGED ON THE REVENUE OF THE STATE

(*No member rose to speak specifically on the charged items*).

Mr. Speaker : Since no hon. Member appears to be anxious to speak specifically on the charged items they may speak on them during the course of discussion on the voted items whenever they so desire, but there will be no voting on the charged items.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS

9—STAMPS

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,26,980 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 9—Stamps.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,26,980 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 9—Stamps.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,26,980 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 9—Stamps.

The motion was carried.

10—FORESTS

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,67,070 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 10—Forests.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,67,070 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 10—Forests.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਫਾ 3 ਤੇ pay of establishment and travelling allownces ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ—

"Pay of Establishment—Rs 25,000 —Due to revision of pay scales of Government servants enforced with effect from 1st October, 1958"

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

"Travelling Allowance —Rs. 25,000 —Owing to more and more cuts imposed on Travelling Allowance allotment of the Department from year to year, the position now is that it is no longer possible for the staff to inspect and control the works properly"

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਤਰਫ਼ ਤਾਂ allowances ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ supplementary demands ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ Government ਆਪਣੀ policy ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

राजा रघुवीर सिंह (कुल्लू 'जनरल') : जनाब स्पीकर साहिब, item No. 2 पर एक supplementary demand है 2 लाख रुपए की, लेकिन इसके reasons जो दिए हैं वे हैं—

"(i) better out turn of timber departmentally for the market and increased demand of smaller sizes at higher rates in the market;

(ii) for more collection of resin...."

जनाब, forest की working planned तरीके से होती है। जहाँ पर exploitation होनी चाहिए वह शुरू साल में ही प्रोग्राम बन जाता है। अगर smaller size की timber चाहिए थी तो बाहर से कोई माहिर बुलाया जाना चाहिए था लेकिन जब ऐसी कोई बात नहीं थी तो उसके लिए तो वही स्टाफ काम कर सकता था जो पहले से ही वहां पर काम कर रहा है। जो छोटी साइज़ की लकड़ी है जिसको हेकड़ा कहते हैं उसके लिए भी वही स्टाफ काम कर सकता है जो पहले से मौजूद है। इसी तरह से अगर उसकी मार्किटिंग के लिए भी कोई एजेंसी की बात हो वह भी नहीं है। इस लिए अगर इस में सिर्फ यह होता कि एक नई किस्म की लकड़ी तैयार करनी है तब तो यह extra demand हो सकती थी लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर मुताल्लिका या फाइनैंस मिनिस्टर इस पर रोशनी डालें कि इस के लिए इतना रुपया क्यों estimate किया जाए। यहाँ पर head of the department बैठे हैं लेकिन उन्होंने उस वक्त अन्दाजा नहीं लगाया जिस वक्त कि Budget Estimates मुकर्रर की थीं। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई improvement की हो जिससे कोई खास फर्क आमदनी में आया हो वह तो कोई नजर नहीं आता। बजट भी सामने आ चुका है और उसमें कोई फर्क नज़र नहीं आता कि दो लाख रुपए लगा कर महकमें के revenue को बढ़ाया हो। बस मैं इसके मुताल्लिक इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ।

एक बात और है। वह यह कि जो आइटम नम्बर 4 है जिसमें यह है कि fuel plantation जो railway lines पर, canals पर, सड़कों के दोनों तरफ

[राजा रघुबीर सिंह]
हो रही है वह हर चलने वाले के नोटिस में आती है कि क्या plant किया जा रहा है। जहाँ तक देहात का ताल्लुक है वहां पर तो सिर्फ फयूल के लिए ही इतनी अच्छी प्लैनिंग नहीं होगी जितनी कि साथ-साथ timber wood की plantation का होना है। और इसके लिए ऐसा मालूम पड़ता है कि यह कहीं उचित ढंग की नहीं हो रही है। बहुत जगह stunted tree देखे जाते हैं। बस इतना कह कर मैं खत्म करता हूँ।

श्री मुनी लाल कामरेड (शिमला): स्पीकर साहिब, soil conservation के लिए यह जरूरी है कि काफी अच्छी रकम सरकार खर्च करे ताकि भाखड़ा की उम्र ज्यादा बढ़ सके। और पहाड़ी इलाका से मिट्टी बह कर भाखड़ा को पुर न कर सके। इस लिए यह रकम जितनी ज्यादा रखी जाए उतनी अच्छी है। लेकिन, जनाब, एक बात जिसकी तरफ मैं वज़ीर साहिब का और आपके द्वारा इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि महकमा जंगलात की plantation का काम तसल्लीबख्श नहीं है। जो चैक डैमज़ बनाए जाते हैं, वह effective साबित नहीं हुए। कई जगह यह कोशिश की गई है कि इतनी plantation होनी चाहिए लेकिन figures तो पूरी कर ली गई, in practice काम नहीं हुआ। यह मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। महज़ figures पूरा कर लेने से काम नहीं चल सकता.......

राजा रघुबीर सिंह: वह किस item पर बोल रहे हैं ?

श्री मुनी लाल कामरेड: मैं Bhakra catchment areas में जो trees लगाने की scheme है उसके बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ कि पहाड़ी इलाकों में अगर fruit trees लगाए जाएं तो बेहतर होगा।

Raising of fuel plantation का काम जो Railway, P. W. D. और road sides पर होता है उस से लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। वहाँ पर forest department वाले लोगों को अपने मवैशी ले कर नहीं गुज़रने देते और उन को grazing के लिए बहुत दिक्कत होती है। चंद दिनों की बात है वहां पर Forest Department वालों ने लोगों को इतना तंग किया कि उन्हें अपने मवैशियों को grazing के लिए अपने खेतों में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। Forest Department वाले सड़कों पर बड़ी सख्त पाबंदी लगा देते हैं। उस से लोगों को बहुत ज्यादा difficulty का सामना करना पड़ता है। मैं अर्ज़ करूँगा कि Forest Department वाले बेशक वहाँ पर trees लगाएँ मगर उन्हें वहाँ के आस पास रहने वाले लोगों के साथ इतनी सखती नहीं करनी चाहिए।

इस के इलावा मैं Minister साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जो trees लगाए जाते हैं उन की maintenance नहीं होती, कोई उनको पानी नहीं डालता। जिस का नतीजा यह होता है कि 80 प्रति शत या 90 प्रति शत trees ज़ाया हो जाते हैं। इस तरह से हमारे खज़ाने का loss होता है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह जो जबरदस्ती करने का तरीका है इस की बजाए अगर आप लोगों को समझाएँ कि इस scheme का हमें फलाँ-फलाँ फायदा है तो मेरे

ख्याल में यह scheme ज्यादा successful हो सकती थी और ज्यादा फायदा हो सकता था। मगर हमने देखा है कि लोगों में धड़ेबंदी करवाई जाती है और इस तरह से उनकी जमीनें ली जाती हैं। लोगों के अंदर यह spirit पैदा करनी चाहिए कि forestation के कितने फायदे हैं। फिर forestation ज्यादा हो सकती है।

वित्त मन्त्री: (डा० गोपी चन्द भार्गव): स्पीकर साहिब, इस demand की दो तीन items पर एतराज किया गया है। चौधरी बलबीर सिंह की तरफ से एतराज किया गया है कि इस को budget में लाया जाना चाहिए था। इस के लिए supplementary demand क्यों पेश की गई है। काम करने के वक्त अगर कोई और फायदे की बात निकल आए जिस को Budget बनाते वक्त foresee नहीं किया जा सकता था तो उस काम को थोड़ा सा और खर्च करके लिया जाता है। तो फिर उस के लिए House का vote लेना ज़रूरी होता है इस लिए उस को supplementary demand की शक्ल में पेश किया जाता है। हम ने Budget बनाते वक्त तो cut लगाया था लेकिन बाद में काम करते करते यह महसूस हुआ कि T.A. की amount न होने की वजह से जितनी काम की inspection होनी चाहिए उतनी वह officers नहीं कर सकते। इस लिए हमने इजाज़त दे दी कि वह खर्च करें। मैं यह भी अर्ज़ कर दूं कि जिस वक्त cut लगाया गया था उस वक्त भी forest department वालों ने कहा था कि वह cut नहीं लगाया जाना चाहिए। हम ने उस वक्त उन्हें कहा था कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम फिर वह amount खर्च करने की इजाज़त दे देवेंगे। जनाब जो schemes बनाई जाती हैं वह काम करने के लिए बनाई जाती हैं। जो trees काटने और plantation का काम होता था वह आमतौर पर tender invite करके दिया जाता था। यह demand इसलिए आई है कि Forest Department खुद इस चीज़ को करे। हम जो timber काटते हैं उस में छोटी लकड़ी की ज्यादा demand आई है। इस लिए वह काम department को खुद करना पड़ेगा। मैं मेम्बर साहिबान को बताना चाहता हूँ कि जब एक तरफ खर्च होता है तो उस से income भी होगी। यहाँ पर एतराज़ किया गया है कि जो income होगी वह इस में नहीं दिखाई गई। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो चीज़ Budget में आई न हो उस के बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि इस से इतनी आमदनी होगी। Budgeting का तारीका है कि ऐसी schemes के लिए expenditure ज्यादा रखते हैं और income कम दिखाते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा exploitation करेंगे तो वह रुपया ज़ाया नहीं होगा। फिर हमारी income बढ़ेगी, वह तो एक investment है और उस को करना ज़रूरी है। Resin की demand दिन बदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम ज्यादा बरोज़ा पैदा करेंगे तो हमारी आमदनी ज्यादा बढ़ेगी।

तीसरा एतराज़ 4(i) और 4(ii) पर किया गया है। कहा गया है कि जो roadsides पर या railway line के आस पास trees लगाए जाते हैं उन से फायदा कोई नहीं होता है। फिर यह कहा गया है कि वहां पर fruit trees या दूसरी किस्म के trees क्यों नहीं लगाए जाते। एक Member साहिब ने कहा है कि जब roadsides पर forestation की जाती है तो फिर cultivators को grazing के

[वित मंत्री]

लिए बड़ी difficulty पैदा होती है । मैं उन साहिबान को बताना चाहता हूँ कि जब forest खड़ा किया जाए तो उस को protection देनी भी ज़रूरी होती है, नहीं तो वह forest नहीं बच सकता । इसलिए मवैशियों वगैरह की वहां पर restriction करनी ही पड़ती है । कहा गया है कि Budget बनाते वक्त यह provision क्यों नहीं की गई । मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम ने देखा कि Forest Department ने कितना काम किया है और बाकी वक्त में यह कितना और ज्यादा कर सकता है तो फिर हम ने महसूस किया कि अगर इन्हें और रुपया दे दिया जाए तो यह बहुत काम कर सकते हैं । इसलिए हम ने उन को दो लाख रुपया दे दिया ।

इसके इलावा भाखड़ा catchment के लिए जो soil conservation की scheme है उस के बारे में एक मेम्बर साहिब ने फर्माया है कि गढ़े खोद दिए जाते हैं लेकिन trees नहीं लगाए जाते । मुमकिन है ऐसा हो क्योंकि मैं ने खुद तो वहाँ पर जाकर देखा नहीं । लेकिन जहाँ तक उस scheme का ताल्लुक है वह बहुत ज़रूरी है । उस काम को हमारी पंजाब State ही नहीं कर रही बल्कि उस के लिए पंजाब और हिमाचल दोनों मिलकर काम करते हैं । दोनों Governments की consultation होती हैं । Forest Officer और agriculture वाले सब मिल कर scheme बनाते हैं । फिर Government of India ने उन को finance करने का वायदा किया है । उसके लिए सारा रुपया Government of India देगी और काम हम खुद करेंगे । भाखड़ा के complete होने से पहले पहले हमें यह काम मुकम्मल कर लेना चाहिए । इस लिए इस financial year के जो months रहते हैं उन के लिए 4.50 लाख रुपए की demand की गई है । जब 1960-61 का financial year आएगा तो हम फिर देखेंगे कि क्या करना चाहिए । यह रुपया जो दो तीन महीने रहते हैं उन में खर्च करने के लिए रखा है । हम supplementary demands सूबे के फायदे के लिए लाते हैं । इस लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि इन demands को पास किया जाए ।

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 9,67,070 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 10—Forests.

The motion was carried.

12—TAXES ON VEHICLES, 12-A-SALES TAX AND 13—OTHER TAXES AND DUTIES

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 6,26,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 12—Taxes on Vehicles, 12-A—Sales Tax and 13—Other Taxes and Duties.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 6,26,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 12—Taxes on Vehicles, 12-A—Sales Tax and 13—Other Taxes and Duties.

श्री मंगल सेनः (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह सप्लीमेंट्री डीमांड न० 3 पेश की है और वह हम से चाहते हैं कि हम उन्हें इस बात की इजाज़त दे दें कि वह 626,750 रुपया इस मद्द में खर्च करें । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को ग़लत तौर पर पैसा खर्च करने की आदत पड़ गई है । उन्होंने मेजर हैड 12 की मद्द में कहा है कि क्योंकि स्टाफ बढ़ गया है इसलिए और स्टाफ कारें खरीदने की ज़रूरत है और दूसरे जो पुरानी vehicles हैं उन की टूट फूट पर भी पैसा लगाना है, Publication वगैरह पर भी खर्च करना है । Publications की हालत यह है कि गुड़गाँव ज़िला में एक 'मेवात' नाम का अखबार निकलता है उनको भी पैसा देना है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह अखबार सरकार की ग़लत बातों, ज्यादतियों और अन्धेर गर्दियों पर पर्दा डालता है, नाजायज़ चापलूसी करता है, वज़ीरों की तारीफ के पुल बान्धता है इसलिए ऐसे अखबारों को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस item का कड़े शब्दों से विरोध करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा टैक्सों के ज़रिए से ले कर बेरहमी और बेदर्दी के साथ स्टेट के मुफाद के लिए खर्च न करके पार्टी के मुफाद के लिए नहीं खर्च करना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस मद्द का विरोध करता हूँ ।

चौधरी धर्म सिंह राठीः (सम्भालका): स्पीकर साहब, सब से पहले मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस डीपार्टमेंट के अन्दर बड़ी अन्धेरगर्दी हो रही है । जो अच्छे आदमी हैं उन्हें इस महकमा से निकाला जाता है और गन्दे आदमियों को रखा जाता है । इस लिए मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि appointments करते वक्त किसी का रिश्तेदार होने का criterian नहीं होना चाहिए बल्कि यह देखना चाहिए कि यह आदमी वाकई काम कर सकता है या नहीं । किसी खास आदमी को लगाने के लिए ट्रांस्पोर्ट कंट्रोलर या डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कंट्रोलर की condemn किया जाता है । यह नहीं होना चाहिए । मैं इस का सख्त विरोध करता हूँ । स्टाफ कारें और दूसरे vehicles पर जो खर्च किया जाता है उसके बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम रोज़ाना देखते हैं कि ये कारें private purpose के लिए इस्तेमाल होती हैं, रिश्तेदारों को दूसरी जगह छोड़ने के लिए जाती हैं और इसके अलावा और कई सरकारी काम नहीं करतीं ।

इसके इलावा, स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि publications के लिए जो पैसा गवर्नमेंट देती है यह उन अखबारों को देती है जो सरकार की चापलूसी करते हैं । कोई अखबार किसी खास अदमी का हो और वह मर रहा हो तो उसमें नई ज़िन्दगी डालने के लिए उसे इश्तहार दे दिए जाते हैं । ट्रांस्पोर्ट के मिनिस्टर साहब यहां नहीं हैं । शायद देहली चले गए हैं । वह मेवात अखबार को अच्छी तरह से जानते हैं । इस अखबार की हालत यह है कि तीन तीन चार-चार महीने के बाद निकलता है और वह भी अगर कोई इश्तहार मिल जाए तो । इसे खास मकसद से बनाया गया है । किसी पर कीचड़ उछलवाना हो, ग़लत बातें लिखवानी हों, झूठी वकालत करवानी हो तो इस अखबार को इस्तेमाल किया जाता है । हाउस के किसी मेम्बर से पूछ लो । गुड़गाँव के भाई बैठे हैं उन से पूछ लो, राओ गजराज सिंह या मौलवी साहब से पूछ लो कोई इस चीज़ के हक में नहीं है कि इसे पैसा दिया जाए । मेवात अखबार को कोई हैसियत नहीं, कोई सर्कुलेशन नहीं इस लिए कोई वजह नहीं कि इस अखबार को पैसा दिया जाय । इन अलफाज़ के साथ मैं यह कहूँगा कि स्टाफ कारों और

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

दूसरी गाड़ियों में जो ड्राइवर या कंडक्टर रखे जाते हैं उन में हरियाना के आदमियों को नहीं लगाया जाता और महकमा में इतनी अन्धेरगर्दी मची हुई है कि जो रद्दी बसें पंजाबी रिजन से condemn हो कर आती है वह हिन्दी रिजन में भेज दी जाती हैं । इन अलफाज़ के साथ मैं इस मद्द की पुरज़ोर मुखालिफत करता हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ page No. 8 ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੰ: 10 ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker: It does not come under this demand.

वित्त मन्त्री: यह सारा इसी में आएगा ।

Mr. Speaker: No, it will not come under this demand.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਜਨਰਲ') ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ demand ਵਿਚ Sales Tax Depertment ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ Supplementary Estimates ਦੇ ਸਫ਼ਾ 6 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ staff ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1959-60 ਵਿਚ sales tax ਦੇ cases ਜਿਹੜੇ arrears ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ Sales Tax Department ਦੀ efficiency ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਨੀ ਕੁ ਤਵਜੁਹ cases ਦੀ disposal ਵਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 1959 ਤਕ 21,534 cases pending ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4,375 cases ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ dispose of ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17,159 cases 21-3-59 ਤਕ pending ਹਨ । Sales tax ਦੇ cases ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ sales tax ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਓਹ appeal ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ lengthy process ਹੈ । ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ appeal ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ additional staff ਰਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ supplementary demand ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਫਸਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ cases ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ । 17159 cases 31-3-59 ਤਕ pending ਸਨ ਤੇ 1959-60 ਦੇ cases ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ add ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ hardship ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ justice delayed is justice denied । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ staff permanent basis ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ cases ਦੀ disposal speedy ਹੋ ਜਾਏ । ਇਸ ਨਾਲ trader community ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ recently ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ Arhti Association ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ । ਇਹ demand Budget Estimates ਵਿਚ include ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਹ supplementary demand ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ staff ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ assessment ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ cases ਨੂੰ dispose of ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਨਾਂ ਸਮਾ ਲਗੇਗਾ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ vehicles ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ wear ਔਰ tear ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਨਾ, ਦਖਣ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ grant No. 10 Demand No. 3 ਥਲੇ ਹੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker: This is a charged item. I will allow the hon. Member when these items are taken up.

Sardar Ram Dayal Singh: Sir it comes under the same demand—Demand No. 3.

Mr. Speaker: Wherever it is relevant the hon. Member can make a reference to it. I will not object.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ respect ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ constitutional head ਹਨ । ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ office ਲਈ ਹੋਰ assistants ਤੇ clerks ਰਖਣ ਲਈ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ development ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਰ assistants ਜਾਂ clerks ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ understandable ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਇਸ staff ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ superflous ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰੁਪਿਆ development ਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ office ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ 34,200 ਰੁਪਿਆ contingency ਦੀ ਮਦ ਹੇਠ provide ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ extensive tours ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ petrol ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ 39,000 ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ provision ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ constitutional head ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ extensive tour ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ office State exchequr ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ।

Mr. Speaker It is not unconstitutional if the Governor goes on tour. He can go anywhere.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ Prime Minister ਆਪਣੀਆਂ speeches ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ buildings ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ development ਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰਚ ਸਾਨੂੰ curtail ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker : The Governor represents the Rashtrapati in a State and he has to convey so many things to him (the President). Therefore, he has to move about in the State. I would request the hon. Member that he should not debate upon this aspect.

श्री सुमेर सिंह: (हसनपुर): स्पीकर साहब, इस demand में गाड़ियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि वहाँ पर काफी पैसे publication के लिए दिए गए । यह जरूरी था कि मुकामी paper Mewat में advertise किया जाए ताकि लोगों को पता लगे कि बसें चलने लगी हैं । Punjab Roadways गुड़गाँव का station खोल दिया गया है और वहाँ से मुख्तलिफ समितों को बसें जाती हैं । उनकी advertisement करना निहायत जरूरी था ताकि मुकामी लोगों को मालूम हो जाए कि बसें चलने लगी हैं ।

Advertise हुआ कि कलर्कों की पोस्टें खाली हैं । यह advertise करना जरूरी था । इस लिए जो राठी साहब ने फरमाया है यह ठीक नहीं, बल्कि यह निहायत जरूरी था ।

इसके इलावा मैं एक बात और stationery के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूँ । सन् 1947 से पहले जिस कदर stationery ज़िला वालों को या थाना वालों को दी जाती थी आज भी वही stationery दी जाती है । अगर कोई थाने में report दर्ज करवाने जाता है तो उसे कहते हैं कि एक दस्ता कागज़ लाओ । जब कचहरी में कोई मुकद्दमा पेश होता है तो उस वक्त भी reader वगैरह कहते हैं कि एक दस्ता कागज़ लाओ (विघ्न) Demand No. 3 discuss हो रही है ।

एक माननीय सदस्य : Stationery की demand तो आगे है ।

वित्त मन्त्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव): जनाब स्पीकर साहब, जहाँ तक Governor साहब की charged amount पर ख्यालात का इज़हार किया गया है एक बात बताने वाली है, और वह यह कि पहले Governor साहब tours के लिए saloon इस्तेमाल करते थे । अब वह car में travel करते हैं । अगर कहीं बाहर rail गाड़ी में जाना हो तो First Class Air Conditioned Coupe reserve करवाते हैं । इस लिए अब saloon के लिए provide करने की जरूरत नहीं ।

अब सवाल आता है उनके staff का । इस साल के 4 महीनों के लिए staff provide करना है । यह 4 महीनों की Demand आ रही है । उनके staff के लिए हम ने अंदाज़ा नहीं लगाना । यह अंदाज़ा हम ने नहीं लगाना कि उनको कितना staff चाहिए । जब वे फरमाएं कि काम ज्यादा है तो हम ने और staff provide करना है । इस लिए इस पर एतराज़ करने का सवाल पैदा नहीं होता ।

जहाँ तक transport की vehicles का सवाल है जो चीज़ relevant है मैं उसका जवाब दूंगा । Irrelevant का नहीं दूंगा । अगर वहाँ पर कोई Transport Controller रखा है वह general discussion में आना चाहिए । Staff car के मुताल्लिक कहा गया । Staff car का इस्तेमाल होता है । Staff car की ज़रूरी demand है । यह कहा गया है कि staff car पुरानी हो गई है, इस लिए ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं ।

इसके इलावा गुड़गाँव वाला सवाल है । इसका जवाब तो चौधरी सुमेर सिंह ने दे दिया है । यह भी कहा गया कि discarded गाड़ियां जो हैं वे वहाँ भेज दी जाती हैं । मैं तो सवालों के ज़रिए सुनता हूँ, यहाँ रोज़ कहा जाता है कि गुड़गाँव वाली गाड़ियाँ नई हैं । पुरानी गाड़ियाँ नहीं हैं । यह कहना ठीक नहीं । गुड़गाँव में 45 buses नई भेजी गई हैं और जो आदमी गुड़गांव में recruit किए गए हैं वे गुड़गाँव, रोहतक और हिसार Districts से किए गए हैं । नामालूम यह क्या सवाल उठाया गया कि वहाँ Punjabi Region के आदमियों को भेजा गया । हर एक चीज़ को तंगदिली से देख कर ठीक वाकफ़ियत हासल न करके एतराज़ करना दुरुस्त नहीं । ठीक है, मेरे दोस्त अगर चाहते तो इसके लिए सवाल पूछ सकते थे और सवाल के मुताल्लिक इत्तलाह ले कर फिर एतराज़ करते तो ज्यादा अच्छा था ।

एक और सवाल staff vehicles के मुताल्लिक उठाया गया । हम ने इसके मुताल्लिक ध्यान रखा था । सोच समझ कर इस के लिए provision किया था । उनकी inquiry हुई । उसके लिए जो officer appoint करना था वह नया officer appoint हुआ ।

चौधरी बलबीर सिंह ने एक सवाल publication bills के मुताल्लिक उठाया और यह कहा कि ऐसी रद्दी अखबारों में इश्तहार दिये जाते हैं । इसका जवाब चौधरी सुमेर सिंह ने दे दिया है। मुझे तो वहाँ की ज्यादा वाकफियत नहीं। Publication के मुताल्लिक यह है कि वह उन अखबारों को दी जाए जो उसको अच्छी तरह छापें, जिनके मुताल्लिक पता हो कि वे इसे अच्छी तरह देंगे । जो अच्छी चीज़ के भी खिलाफ लिखें उसको publication करने का मौका कैसे दिया जा सकता है । मकसद तो यह है कि लोगों के पास अच्छी चीज़ पहुँचे । जो गुड़गाँव में buses चली हैं उसके मुताल्लिक ऐसे अखबार में देना था जो गुड़गाँव में लोगों को इत्तलाह दे दे ।

इसके बाद sales tax के बारे में कहा गया । sales tax की appeals की बात कही गई । Appeals के लिए कहा गया कि appeals के हकूक पंजाब में क्यों नहीं लाए । मैं याद कराऊँ कि पंजाब में appeals का provision मौजूद है, हम लाते हैं । हम ने Additional Deputy Commissioner सिर्फ arrears को साफ करने के लिए रखा है । लेकिन मालूम हो कि अभी भी arrears पड़े हैं । Additional Assistant Commissioner की post create की गई है । अगर काम रह गया तो उसको और extend कर लिया जाएगा । मेरी ही तजवीज़ है । Finance Department की concurrence के लिए भेजा हुआ है । हम चाहते हैं कि appeals के फैसले फौरन हों । Appeals arrears में पड़ी

[वित्त मंत्री]

रहती हैं । हर तरफ काम arrears में पड़ा रहता है । जब तक appeal का फैसला न हो कितनी बड़ी भारी amount arrears में पड़ी रहती है । हम चाहते हैं कि जल्दी फैसला हो । जितने staff की हमें इस वक्त ज़रूरत महसूस हुई उतने के लिए ही हम ने कहा है और उसी के लिए यह माँग लाए हैं ।

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 6,26,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 12—Taxes on vehicles, 12-A—Sales Tax and 13—Other Taxes and Duties.

The motion was carried.

27—ADMINISTRATION OF JUSTICE

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,36,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 27—Administration of Justice.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,36,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 27—Administration of Justice.

चौधरी धर्म सिंह राठी:(सम्भालका): स्पीकर साहिब, हमारी पंजाब गवर्नमैंट नें

4 p.m.

पंजाब के अन्दर बड़े काबिल काबिल Public Prosecutors रखे हुए हैं और बड़े काबिल Advocate-General और Assistant Advocate General रखे हुए हैं लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस बात के बावजूद कि Advocate General की post को Punjab Public Service Commission के purview से भी निकाल लिया हुआ है, और उस का चुनाव भी यह गवर्नमैंट खुद करती है फिर भी यह आम देखा जाता है कि जो private legal practitioners होते हैं उन को यह सरकार खास केसों की पैरवी के लिये अपना counsel engage करती है । यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इस की खास वजूहात हैं और खास वजह एक तो यह है कि यह उन लोगों को engage करती है जिनको यह खास वजह से oblige करना चाहती है । मिसाल के तौर पर आप करनाल murder case को देख लीजिये । उस case में मिस्टर गरेवाल के खिलाफ Mr. Johar को सिर्फ इसी लिए engage किया गया था और इतनी ज्यादा daily रकम पर किया हुआ था क्योंकि वह चीफ मिनिस्टर साहिब के लड़के की तरफ से एक private complaint में काम करता रहा था, और जिस के लिये पता नहीं कि फीस भी उसे दी गई थी या कि नहीं दी गई थी । मैं ने उस शख्स की सालाना आमदनी के बारे में पता किया है । उस की सालाना आमदनी जो कि Income Tax के लिये assess हुई थी सिर्फ 12 हज़ार रुपए थी । लेकिन जैसा कि यहाँ एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि हमारी सरकार ने उसे उस case के लिए 27 हज़ार और 30 हज़ार रुपए के दर्मियान दिया था । यह इतनी बड़ी रकम उस

counsel को दी गई। स्पीकर साहिब, उस वकील की काबलियत के बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ कि उस case में मैं ने खुद उस के arguments को सुना है और सच कहता हूँ कि उसके बारे में उस Sessions Judge ने भी कहा था.....

Minister for Finance : On a point of order, Sir. The case is sub-juddice.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, मैं उस case के बारे में कुछ नहीं कह रहा। मैं तो उस counsel के बारे में कह रहा हूँ जिस को उस case में engage किया गया था।

Mr. Speaker : Is the counsel also *sub judice* ?

Minister for Finance : The hon. Member should not refer to the case which is *sub judice.*

श्री अध्यक्ष : आप ने जो point of order उठाया है क्या आप का ख्याल है कि उस counsel के बारे में कुछ कहने से भी मुकद्दमें पर असर पड़ेगा। (The hon. Minister has raised this point of order. Does he think that anything said about that counsel would prejudice the case?)

वित्त मन्त्री: नहीं, स्पीकर साहिब, यह कहने लगे थे कि Sessions Judge ने यह बात कही थी।

श्री अध्यक्ष: अभी तो उन्होंने वह बात कही ही नहीं कि उस ने क्या कहा। Let him first clear this point. (The hon. Member has not yet stated as to what the Sessions Judge had said. Let him first clear that point.)

चौधरी धर्म सिंह राठी: स्पीकर साहिब मैं बता रहा था कि जब यह counsel arguments कर रहा था तो उस Judge को उसे कहना पड़ा था कि किसी चीज़ के कहने के लिए तुम evidence को शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हो और आखीर तक पढ़ते चले जाते हो।

श्री अध्यक्ष: तो इस में क्या खास बात हुई ? (Then what is there which requires special note ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी: मेरे कहने का मतलब यह है कि वह सिर्फ ज्यादा वक्त लगाने के लिये ही सारी evidence को पढ़ते थे क्योंकि इस से ज्यादा दिन लग सकते थे जिस से उन्हें फायदा होता था, क्योंकि वह daily फीस के हिसाब से उस मुकद्दमें में काम कर रहे थे।

Mr. Speaker : The hon. Member should not make any reflections on the members of his own profession.

Sardar Ajmer Singh : On a Point of Order, Sir. Can the conduct of aperson, who is not present in the House, be discussed here, much less the ability of a lawyer ?

श्री अध्यक्ष : यह इस तरह कर के सिर्फ अपनी ability बताना चाहते हैं। (हंसी) (By doing so he simply wants to show his own ability.) (*Laughter*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस आदमी को उस case में सिर्फ इस लिये engage किया गया था क्योंकि उसने Chief Minister साहिब के लड़के के एक private case में काम किया था और उस के लिये शायद उसने पैसे भी नहीं लिये थे । इसी वजह से उसे उस मुकद्दमें पैरवी के लिये इतनी भारी रकम दी गई थी ।

इसके अलावा, जब गवर्नमैंट के पास इतने बड़े काबिल Advocate-General और Assistant Advocate-General हैं और इतने काबिल Public Prosecutors हैं तो फिर क्यों गवर्नमैंट उन की services का फायदा नहीं उठाती और इस तरह ऐसे मुकद्दमों के लिए क्यों यह private counsels को इतनी भारी रकम पर engage करती है? क्या यह समझती है कि इसके Public Prosecutors और Advocate-General और Assistant Advocate-General में से कोई भी इतना काबिल आदमी नहीं है जितना कि वह counsel था जिसे Sessions Judge की court में उस मुकद्दमें की पैरवी करने के लिये engage किया गया था ? हालाँकि हम देखते हैं कि जितने cases भाखड़ा नंगल पर काम करने वाले अफसरों पर चलाये जाते रहे हैं उन के लिये Government Services में से ही कुछ आदमियों को चुन कर P. P. लगाया जाता रहा है । तो क्या इस मुकद्दमें की पैरवी के लिये इस की services में से कोई भी इतना काबिल आदमी नहीं था जो इस की पैरवी कर सकता ? फिर जो private counsel High Court और Supreme Court में एक मुकद्दमें में पेश होने के लिये engage किया गया है उस के बारे में भी आप सुन कर हैरान होंगे कि उसे इन्हें क्यों engage करना पड़ता है। कपूर साहिब के case में इन्हों ने श्री जैय गोपाल सेठी को इस लिये engage कर लिया है जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने उस दिन यहाँ पर बतलाया था कि जिस आदमी को Leader of the Opposition खराब बताते हैं और जिस पर यह एतराज़ करते हैं उसी को यह गवर्नमैंट काबिल समझती है । इस वजह से सेठी साहिब को इस case के लिये engage किया गया है और उसे 50 हज़ार रुपया देना किया गया है । तो मैं पूछता हूँ कि क्यों public के रुपये को इस तरह से ज़ाया करते हो । क्यों नहीं श्री सेठी को ज्यादा तनखाह दे कर ही Advocate General मुकर्रर कर लेते जब कि पहले Advocate-General आप के पास रहना नहीं चाहते क्योंकि आप उसे consult ही नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष : आप अपने से बातें बना कर और अपनी मर्ज़ी की बातें ले आते हैं ।

How does the hon. Member know that the Advocate-General or the Assistant Advocate-General has not been consulted in this case ?

(The honourable Member invents certain facts of his choice and then brings them in the debate. How does he know that the Advocate-General or the Assistant Advocate-General has not been consulted in this case?)

(एक आवाज़: यह चीज़ तो contradict की जा चुकी है ।)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह cotradict तो इसी लिए किया गया है क्योंकि उनका resignation अभी accept नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष: यह जो demand है इस का जो explanatory note है यह बड़ा vague सा है । इस से पता नहीं चलता कि आप का point इस में आ जाता है कि नहीं । (The explanatory note to this demand is vague and it is not clear. whether the point raised by the hon. Member is covered by it or not.)

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Then, Sir, I come to the item—

> "*Other Contingencies*—The excess under this unit is due to the purchase of Court-fee stamps, telephone charges and payment of fees to private legal practitioners for the conduct of criminal and civil cases in the High Court and Supreme Court during the current financial year....."

तो यह इन्हीं दो cases, यानी Supreme Court में जो कपूर साहिब का case गया हुआ है और High Court में श्री गरेवाल का जो case गया हुआ है उन में जो private counsels engage किये गये हैं, के लिये हैं । तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि यह private counsels क्यों engage किये गए हैं । श्री जैय गोपाल सेठी को सिर्फ इस लिये engage किया गया है क्योंकि Mr. Sethi के भाई ने इन के कहने पर कपूर साहब पर इस्तगासा दाइर किया था । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह जमूहरी हकूमत है जिस में ऐसी चीजें की जाती हों ? इस के बावजूद हमारे वित्त मन्त्री इस चीज को defend करने के लिये खड़े होंगे ।

फिर एक और चीज़ इस में है जिस को देख कर मुझे बड़ी हैरानगी हुई है । वह चीज़ यह है कि इस में telephone के बारे में कुछ रकम माँगी गई है । इस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह रकम ऐसे तमाम telephone calls पर खर्च की गई है जो जायज़ हों या नाजायज़ हों यानी किसी अफसर को इन्हों ने बुलाना हो और कहना हो कि तुम ने यह काम करना है और इस तरह से करना है । ऐसी चीज़ों पर यह खर्च किया जाता है जिस का सरकारी काम से ज़रा भी ताल्लुक न हो । यानी किसी case की progress के बारे में private तौर पर पूछा जाये, या कहा जाये कि फलां आदमी को भेज दो या कहा जाये कि कपूर साहिब के मुकद्दमें के कागज़ात फलां P.P. के पास पड़े हैं, वह भेज दो । इस तरह से telephones का सारे का सारा misuse किया जाता है ।

इसके बाद, स्पीकर साहिब, एक और चीज़ के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ और वह इस के बारे में है जो यहाँ expenditure on establishment के बारे में दिया हुआ है । नीचे की अदालतों में भी private counsels engage कर लिये जाते हैं जब कि Public Prosecutor यह कह देता है कि मैं फलां case में avilable नहीं हूँगा । इस तरह से जो private वकील engage किये जाते हैं उन के लिये कोई regular system नहीं रखा हुआ । इस के लिये कोई बाकायदा system होना चाहिये । कोई qualification उनके नाम छांटने के लिये रखी जानी चाहिये । या इनके लिये कोई list बना ली जाये और by rotation सब को बारी से काम दिया जाये । लेकिन होता क्या है, जो इनके दोस्त होते हैं और जिन्हों ने कांग्रेस की elections में इन की मदद की होती है, उन्हीं को यह engage कर लेते हैं और फीसें दिलाते हैं और फीसें भी बड़ी मोटी-मोटी दिलाते हैं । और यह कहना कि उनके अन्दर इतनी काबलियत नहीं होती और वे अच्छीतरह से

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

case नहीं कर सकते, यह काबिले मुज़म्मत है। इस तरीके से गरीब किसान और छोटे दुकानदार का खून पसीना एक करके कमाया हुआ पैसा इस तरह बेदर्दी से खर्च करना अफसोसनाक है । यह रुपया अपने दोस्तों में लुटाया जा रहा है, किसी को 50,000 किसी को 30,000 और किसी को 20,000 । (विघ्न) यह तो बेचारे कुछ नहीं कर रहे, सारे पंजाब में वाहिद एक आदमी सब कुछ कर रहा है । डाक्टर साहिब तो सिर्फ गलत बातों की वकालत ही करते हैं ।

Mr. Speaker : No please.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : I do not attribute any motives. मैं तो इन की इस बात की दाद देता हूँ कि इस बात को महसूस करते हुए भी कि यह गलत बात कर रहे हैं, यह उस बात को बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं । आखिर में मैं यह कहूँगा कि यह जो रुपया मांगा जा रहा है यह misuse और mis-appropriate किया गया है और यह माँग पास नहीं की जानी चाहिए ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ, 'ਜਨਰਲ') ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ speech ਵਿਚ ਕੁਝ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸੇ lawyer ਨੂੰ consult ਕਰਨ ਲਈ concerned officer ਜਾਂ Minister ਨੂੰ ਇਤਨੀ discretion ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ । ਇਸ discretion ਨੂੰ fetter ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਿਹਾਇਤ objectionable ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕ respected member of the Cabinet ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ is highly objectionable on his part. ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Cabinet ਦੇ ਇਕ senior member ਤੇ reflection cast ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ seriously ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ । (ਯਾਸਾ) If Shri Rathi says anything nobody takes him seriously.)

(*Laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ confidence ਨਾ ਹੋਵੇ । ਕਿਸੇ lawyer ਨੂੰ case ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਤੇ confidence ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ enquiry ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ case ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ topsy turvy ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2, 3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਫਲਾਣੇ lawyer ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਇਹ wastage ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਇਕ ਮੁਸੱਲਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਕਿ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਾਬਲ

ਵਕੀਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ criminal law ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ engage ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ profession ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ gentleman ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੇ attack ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ House ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ profession ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਂ ਹੈ ।

(*Hear, hear*)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਜਨਾਬ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ case ਵਿਚ ਇਕ counsel ਨੂੰ engage ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 27,000 ਰੁਪਿਆ ਸਿਰਫ 2, 3 ਮਹੀਨੇ ਇਕ case ਨੂੰ conduct ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ 12,000 ਰੁਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਤਨੇ P.Ps ਹਨ, Assistant Advocate-General ਹੈ, Additional Advocate-General ਹੈ, Advocate-General ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਪ case ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ cases ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ Supreme Court ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ case ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। (So many things are being said which may affect the case.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: Case ਦੇ merits ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੜੀ ਬਰੀਕ border line ਹੈ । [But the border line is extremely thin.]

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ cases ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ routine ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ P.Ps ਨੇ conduct ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ departure ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦਾ misuse ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ election petition ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ Advocate-General ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Administration of Justice ਔਰ ਕੀਤਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ injustice ਹੈ । House ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦਾ custodian ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਕੀਲ ਲਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ tax-payer ਦਾ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ? ਕਿਉਂਕਿ Chief Minister ਵਲੋਂ election petition ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ Additional Advocate-General ਬਣਾ ਦਿਤਾ ।

Sardar Ajmer Singh : This is too much.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ।

Sardar Ajmer Singh : You are irrelevant.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ House ਨੂੰ ਇਹ pass ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਉਹ ਰੁਪਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ demand ਰਾਹੀਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਇਕ ਲਾਇਕ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ Punjab Government ਦੇ cases ਨੂੰ conduct ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਲਾਇਕ ਹਨ ਤਾਂ Assistant Advocate-General ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ cases ਨੂੰ regularly conduct ਕਰਿਆ ਕਰਨ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । Advocate General ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਪਰ ਕਾਇਦੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ Additional Advocate-General ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ principle ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ principles ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਜੋ ਕਾਇਦੇ established ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ appointment ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । Extra amount ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ prestige ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ । ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ demand ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

श्री सुमेर सिंह (हसनपुर): जनाब स्पीकर साहिब, मैं इसके बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि न तो राठी साहिब ने इस demand को अच्छी तरह से पढ़ा है और न ही दूसरे बोलने वाले भाई साहिब ने पढ़ा है । इसमें साफ लिखा है—

'Government pleaders for the conduct of Criminal and Civil cases ?

जो मुकद्दमें Government के खिलाफ़ किए जाते हैं उनकी पैरवी सरकारी वकील की तरफ से करवाई जाती है (*Interruptions*) और अगर दीवानी दावे Public prosecutor से करवाए जाएं तो schedule के मुताबिक P.P. को महन्ताना अदा किया जाता है। न तो गलत payment का सवाल है और न ही किसी सरकारी prestige का सवाल है। लेकिन इन्होंने तकरीर फरमा दी बगैर इस बात को जाने कि procedure क्या है। District level पर जो मुकद्दमें दायर किए जाएं उन पर Advocate-General पेश नहीं होते। उन cases की पैरवी P.P. करता है और वह रुपया सरकारी खज़ाने से जाता है जो additional charge Government को देना पड़ाता है।

इसके इलावा 302 के मुकद्दमों के अन्दर जहाँ पर मुलज़म किसी वजह से अपना वकील न कर सकता हो तो वहाँ पर सरकार की तरफ से वकील मुकर्रर किया जाता है ताकि वह उस मुलज़म की तरफ से पैरवी करे। इसके मुताल्लिक भी additional charges अदा किए जाते हैं। इस लिए जो तकरीरें इन दोनों मेम्बर साहिबान ने फरमा दी हैं उनका सम्बन्ध न इस demand से है और न इस demand के तहत किए जाने वाले खर्चों से है। इस लिए, स्पीकर साहिब, मेरी आपसे दरखास्त है कि इस demand को पास कर देना चाहिए।

श्री मंगल सेन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, सरकार की बाकी बातों को छोड़ कर केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बात कह कर कि जो साहिब अपने आपको defend करने के लिए हाउस में नहीं है और जो जवाब नहीं दे सकता उस के conduct और दूसरी बातों को discuss करना ठीक नहीं, इस बात को टाल दिया गया है। यह बात कही गई कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सरकार का विश्वास पात्र होता है और ऐसी ज़िम्मेदारी किसी ऐसे आदमी पर छोड़ी जा सकती है जिस पर सरकार को confidence हो। तो मेरा निवेदन यह है कि क्या Advocate-General या दूसरे ज़िम्मेदार आदमी जो इस काम को आजकल निभाते हैं वह इस काबल नहीं थे ? क्या वह सरकार के विश्वास पात्र नहीं थे कि उन्हें यह काम दिया जाता उन्हें यह काम सौंपा जाता। स्पीकर साहिब, यह तो ठीक है कि जो इस काम को अच्छी तरह निभा सकें उनपर सरकार को एतबार हो, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि Treasury Benches पर बैठने वाले और सरकार को अन्धा धुंद support करने वाले असलियत को ध्यान में नहीं रखते। आज, स्पीकर साहिब, पंजाब में बेचैनी है। यह नहीं कि हमने यहाँ पर debate कर दी और किस्सा खत्म हो गया, बात समाप्त हो गई। यह अपने दिल टटोल कर देखें कि पंजाब में कानून किस तरह का चल रहा है। किस तरह के केसों में सरकार उलझ कर रह जाती है। पिछले वर्ष जो दिल्ली की अदालत में case हुआ और जिस के लिये Supreme Court तक जाने के लिए और वकील करने के लिए पैसा माँगा जा रहा है उसके बारे में, स्पीकर साहिब, सोचने वाली बात है।

हमारे पास Public Prosecutors हैं और हमारी छोटी courts के अन्दर वे cases को conduct करते हैं और अगर वह वहाँ सरकारी cases को conduct कर सकते हैं तो High court में भी कर सकते हैं। अलग वकील मुकर्रर करने की क्या आवश्यकता है ?

[श्री मंगल सेन]

मेरी समझ में नहीं आता कि यह बुर्दबार, पाक पवित्र और above board कहलाने वाली सरकार को क्या ज़रूरत पड़ती है इस तरह के इखराजात करने की । लोगों के अन्दर इनके खिलाफ जज़बा है कि अपने पुत्र के केस में appeal दायर की और वकील को सरकारी resources से फीस दिलवाने की यह कोशिश है । चाहिए तो यह कि इस तरह की अगर कोई चीज़ नहीं तो इसकी सम्भावना और गुंजाइश को भी खत्म किया जाए । लोगों की भावनाओं को चूर करके मतंग हो कर जनता की बात को ठुकरा कर अपनी मनमानी करने के लिए इस तरह की रकम मंज़ूर नहीं की जानी चाहिए । अगर किसी रकम पर हाउस में opposition हो तो उसे हाउस में मंज़ूर नहीं करना चाहिए ।

आज तक हमारा अनुभव यह है कि कदम-कदम पर सरकार गलत कार्रवाई करती है और बात टाल देती है । जहाँ पर भी आप देखें । हर महकमें में गड़बड़ की जाती है । मैं डाक्टर साहिब से निवेदन करूँगा, जो कि कोश के रक्षक हैं और जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखें हैं, कि वह असलीयत को देखें । अगर उन्हें यह बात रोशन है तो फिर वह दल्लेरी के साथ पंजाब के इतिहास में यह एक मिसाल आज कायम कर दें और इस तरह की नाजाइज़ demand को वापिस ले लें ।

वित्त मन्त्री: (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव): जनाब स्पीकर साहिब, जो एतराजात इस demand पर किए गए हैं उनका जवाब देने के लिए मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ । जिस तरह से काम चलता है मुझे वह बतलाने की ज़रूरत है ।

पहली बात कही गई है कि हम से कोई पूछता नहीं और बैठ कर कार्रवाई कर ली जाती है । तरीका यह है कि जब किसी भी महकमें का सवाल हो जिसमें कोई financial implication हो वह case Finance Department की concurrence के बगैर नहीं हो सकता । पहले Finance Department की consent लेनी पड़ती है और हरेक माँग पर पूरी तरह जाँच की जाती है । और मेरे पास हरेक case आता है क्योंकि मैं Finance Department का incharge हूँ और यहाँ मेरी ज़िम्मेवारी के बगैर कोई चीज़ नहीं आती ।

दूसरी बात जो यहाँ कही गई वह यह है कि एक Advocate-General है, एक Additional Advocate-General है और Assistant Advocate-General, तो फिर बाहर के वकीलों को फीस देने की ज़रूरत नहीं है । मैं स्पीकर साहिब के ज़रिए यह बतलाना चाहता हूँ कि High Court में भी Advocate-General, Additional Advocate-General और Assistant Advocate-General होने के बावजूद एक state list होती है जिस के मुताबिक Advocate-General पेश होता है और दूसरे वकील पैरवी करते हैं । इसके बाद हरेक case को Advocate-general नहीं करता । दो Assistant Advocate General हैं जिनमें से एक Vigilance Department के मुकद्दमों को conduct करता है और दूसरे को बाकी काम दिया जाता है । Addtional Advocate-General से administrative matters म और important cases में पैरवी करवाई जाती है । वह दूसरे cases में नहीं जा सकते ।

इस लिये State list पर कुछ ऐसे आदमी हैं जिन को कुछ काम दिया जाता है। ऐसे कामों के लिये वैसे हमारे पास, बेशक Public Prosecutor मौजूद हैं मगर इन के पास काम ज्यादा होता है, इस लिये इनके इलावा दूसरे वकील भी include किये जाते हैं। Cases की जितनी ज्यादा importance होती है उसके मुताबिक मौजूदा staff के इलावा दूसरे आदमियों को भी रखना पड़ता है और उन को fees देनी पड़ती हैं। Consultation fees अलहदा देनी पड़ती है और अगर civil courts में जाना हो तो अलग कोशिश करनी पड़ती है। मसलन अगर हमारा कोई case देहली में हो तो हमारे Advocate General या और कोई अफसर Sessions courts या और courts में जा कर उस मुकद्दमें की निगरानी नहीं कर सकते इस लिये कोई दूसरा वकील करना ही पड़ता है। Fees हर किसी को उस की काबलियत के मुताबिक ही दी जाती हैं। जिस तरह की उस की practice हो उसी तरह का उस को fees का खर्चा दिया जाता है। यह तो वही बात है जैसे कि एक मरीज़ हमेशा qualified doctor से ही इलाज करवायेगा, unqualified से नहीं या जहाँ पर उसका एतकाद हो वहां करायेगा। इसी तरह से लायक और qualified वकील के पास जाने का सवाल है। फिर इस तरह के comparison करना या यह समझना कि मैं ही सब से ज़्यादा लायक हूँ, मेरे से ज्यादा कोई है नहीं, यह ठीक नहीं। यह ठीक है कि Opposition का काम oppose करना होता है। मगर देखना यह चाहिये कि वह कहाँ तक इसको oppose करने में हकबजानब हैं। बीमार जिस डाक्टर के पास भी जायेगा वह डाक्टर तो कहेगा ही कि मैं सब से ज्यादा लायक हूँ। मगर यह तो मरीज़ ने देखना है कि उसे कहाँ तसल्ली है। दुनिया में हर कोई अकल वाला आदमी है। हरेक अपने आप को अकलमंद कहलाता है; देखना यह है कि दरअसल सही कौन है। हमारी local courts में काम इतना ज्यादा होता है कि हमारे आदमी बाहर का काम ले ही नहीं सकते। वह खुद वकील हैं और वह इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं मगर वह भी अगर इस तरह के एतराज़ करें तो क्या किया जा सकता है। खाह कोई बात हो मगर उस में मेरा नाम ज़रूर आ जाना चाहिये ! पहले मैं समझता था कि मैं इन मैंबर साहिबान में सिर्फ एक के लिये red rag था मगर आज मालूम हुआ है कि मैं एक के लिये नहीं बल्कि दो के लिये red rag हूँ। यह मेरी बदकिस्मती है। मैं ने और भी चंद एक तकरीरों में सुना, बेशक मुझे सुनता ऊँचा ही है लेकिन मैं ने यह ज़रूर सुना है कि इस demand में telephone के खर्चे शामिल किये गये हैं, और भी बहुत से नाजाइज़ अखराजात शामिल किये गये। इस में telephones के खर्चों का कोई ज़िक्र नही है। (*interruptions*)

Mr. Speaker : Order please. No Interruptions.

वित्त मन्त्री : इतना कहते हुए मैं जनाब बैठता हूँ। मुझे इस पर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस Demand को ज़रूर पास किया जायेगा।

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,36,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 27—Administration of Justice.

[Mr. Speaker]

After ascertaining the votes of the House by voices Mr. Speaker said 'I think the Ayes have it." This opinion was challenged. The division bells were then sounded Mr. Speaker after ascertaining the votes of the Members present rising in their places declared that the motion was carried.

The motion was carried.

29—POLICE

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 21,54,140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 29—Police.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 21,54,140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 29—Police.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, demand No. 5 ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ major head 51-A Interest on capital Outlay on Multipurpose River Scheme ਦਰਜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 31,45,490 ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ non-votable item ਹੈ। ਇਹ ਅਲੈਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਫੇਰ ਵਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੈਠ ਜਾਉ (Addressing Pandit Ram Kishan Bharolian) (This is a non-votable item and quite a separate matter. I will give him time later on. For the present he may resume his seat.)

चौधरी धर्म सिंह राठीः (सम्भालका): स्पीकर साहिब, इस Demand के अन्दर जो item 18 नम्बर पर दर्ज है मैं इस के मुताल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूँ । इस में जो excess expenditure under T. A. on account of Butana Murder Case in Karnal District दिखाया गया है जहाँ तक अफसरान का ताल्लुक है इन में बहुत से अफसरान ऐसे थे जिन का इस case के साथ कोई संबंध नहीं था लेकिन वह भी गये और खाहमखाह T.A. charge करते रहे। बुटाना Murder Case दिल्ली में चल रहा था लेकिन मैंने देखा है कि police के 5—6 अफसरान ऐसे हैं जिन का इस Case के साथ कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन वह कहते रहे हैं कि हमारा इन के साथ संबंध था। उनका भी इसके अन्दर T.A. शामिल किया जा रहा है । वह रोज़ाना देहली जाते रहे हैं और करनाल वापस आ जाते थे, रात को वहाँ रह कर फिर वापस देहली चले जाते थे । तो, स्पीकर साहिब, हमने यह देखा है कि रोज़ाना इस तरीका से गवर्नमेंट की गाड़ियाँ और रुपया misuse किया जाता है और उस जगह पर भी किया

गया। जनाब स्पीकर साहिब, कई ऐसे अफसरान थे जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं था, वह भी T.A. वगैरह लेते रहे। यह कहा जाता है कि रेडियो implements की कमी हो गई है। कमी तो हो जाना लाज़मी था, जनाब ! उसकी वजह यह है कि यहाँ का रेडियो सेट हो लेकिन वह बगैर लाइसेंस के दिल्ली में चलाया जाए । मैं सरकार से और चीफ मिनिस्टर साहिब से यह पूछना चाहता हूँ कि जिस अफसर ने वाइरलैस और रेडियो सेट बगैर लाइसेंस के दिल्ली ले जाकर चलाया, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई ? नहीं की गई । मुझे पता है । करते भी कैसे ? बुटाना murder case की जो फिक्र थी । तो रेडियो सेट तो चलाया जाए नाजायज़ तौर पर लेकिन उसका बोझ डाला जाए हमारे ऊपर, पब्लिक के ऊपर, यह कहाँ का इंसाफ है और कहाँ तक जायज़ है ? मैं यह जानता हूँ कि यह सारी चीज़ें हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब की knowledge में हैं लेकिन कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई ।

इसके अलावा, स्पीकर साहब, मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आइटम नम्बर 6 में cost of heavy repairs of vehicles of Police Department दिया हुआ है मैं ने देखा है। कि यह गाड़ियाँ नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल होती हैं। चाहे किसी का तबादला हो या कहीं किसी ने प्राइवेटली जाना हो सब जगह यह गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं । यह कहते हैं कि बाकायदा ड्राइवरों को लाग बुक दी हुई है और वह लिखते हैं सारी चीज़ें उसमें । इसके बारे में, स्पीकर साहिब, सबको पता है कि क्या करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं । इसके अलावा नवीं आइटम है Payment of Pending Petrol Bills. इसके बारे में मैंने मालूम किया है कि यह वे बिल्ज़ हैं कि जहाँ पर किसी अफ़सर को खासतौर पर भेजा गया, जिसका कोई काम नहीं था और उसने जो काम करना था वह चीफ मिनिस्टर का private काम था ।

श्री अध्यक्ष: यह कहाँ है ? (Where is it indicated ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी: जनाब, यह चीज़ें मैंने मालूम की हैं। इसके लिए मेरा अपना ज़रिया है। तो, जनाब, इनके अन्दर वह पेट्रोल बिल्ज़ हैं जो कि किसी अफसर को सरसे या किसी को काँगड़ा भेजा गया । और जिनके लिए चीफ मिनिस्टर साहिब को खर्च करना चाहिए था . . . (घंटी)

श्री अध्यय: ज़रा मेरी भी बात सुन लें। क्या आपका ख्याल है कि जारी रखे रहने से आप मुझे avoid कर लेंगे । यह किस जगह लिखा है ? (The hon. Member may please listen to me also. Does he think that by continuing in this way he can avoid me ? Where is it mentioned ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी: मैं ने तो, जनाब, आप को अर्ज़ किया है कि हमारा अपना ज़रिया है। अच्छा, जनाब, एक बात और है Special repairs to Sub-Jail, Amritsar used as interrogation centre जिस के लिए तीन हज़ार नौ सौ पैंतालिस रुपए रखे गए हैं । मुझे तो पता नहीं है । यह तो टण्डन साहब ही बताएँगे कि यह क्या है लेकिन इतना ज़रूर है कि यह बात लोगों को तंग करने की दिखाई देती है। इसलिए मैं इस डिमाँड की पुरज़ोर

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

मुखालिफत करता हूँ । बस आखिर में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर डाक्टर साहब डाक्टरी और दवाई की बात करें तो ठीक है लेकिन अगर वह कानून की बात करें तो मैं नहीं मानता ।

श्री अध्यक्ष: राठी साहब अपने आप को बड़ा expert समझते हैं । एक बात कह दूं कि पौने छ: बजे रूल्ज़ के मुताबिक गिलोटीन एप्लाइ करेंगे । उसके बाद मिनिस्टर या कोई मैम्बर स्पीच नहीं कर सकेगा । इसलिए मुख्तसिर स्पीच करें तो ज्यादा बोल सकते हैं ।
(Shri Rathi considers himself to be an expert. I may tell him one thing that according to rules guillotine will be applied at 5—45 p. m. After that no Minister or an hon. Member can speak. Therefore if the hon. Member makes brief speech then many others can participate in the debate.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਜਨਰਲ,) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ Address ਤੇ ਹੋਈ discussion ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀਸ ਉਥੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਜਨਾਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਰਚ ਫਾਲਤੂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ Item No. 17 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

(xvii) Extra expenditure under "T.A., Other Allowances and Honoraria and Contingencies" on account of entertainment of additional staff,—Rs 2,35,16 9.

ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ, 2,35,169 ਰੁਪਏ ਦੀ । ਇਹ extra staff ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਲਾਇਆ । ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 21,54,140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਉ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ misuse ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ । Misuse ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੀ 21,54,140 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਤਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਤੇ ਇਤਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸੋ ਕਿ ਕੀ ਬੁਟਾਨੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਕੁਆਰੀਆਂ

ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 54 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਕਮ ਸਿਰਫ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿਫਰੇ ਵਾਧੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨਣ ਵਿਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਕ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਸ ਖਰਚ ਦਾ ਰੀਜ਼ੱਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ criticise ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਆਵੇ । ਜੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ । ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ । ਬਾਕੀ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਥੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਟੈਲੀਅਨਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਬਚਾਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਕੇ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਗ਼ੌਰਮਿੰਟ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਸੁਤੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ਼ੌਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ fool proof ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਜਣ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਕੈਤ ਫੜਨ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਟਾਣੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ? ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗ਼ੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਰਚ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ । ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ gospel truth ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ action ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ । ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਗ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਬਾਲ ਬਾਲ ਸੁਟਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਟਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਅਜੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 21,54,140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 29—Police.

The motion was carried.

54—FAMINE

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 15,06,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 54—Famine.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 15,06,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 54—Famine.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗ਼ੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ—

"With a view to implementing the following decisions of Emergency Committee on Flood Relief, additional expenditure of Rs 4,40,234 is required to be incurred."

Under this demand, it is also stated :

"(iii) remission of tution fees in respect of students in Zira Tehsil of Ferozepore District and in Narot Jaimal Singh, district Gurdaspur (Rs 51,600)."

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 1958 ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ flood affected areas ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ

ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ implement ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 21 ਸਤੰਬਰ 1957 ਦੀ emergency committee on flood relief ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ :—

"F.C. should make his recommendations after discussion with S. Atma Singh, for free education facilities to be provided in Kapurthala District to all villages whose lands have been regularly flooded for the last th ree or four years."

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅਲੁਕ ਰਖਦੀ ਹੈ । (This supplementary demand relates to Gurgaon District only.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਏਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ relevancy ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਔਰ ਨਰੈਣ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ implement ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ Emergency Committee ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 1957 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ implement ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ।

श्री मुनी लाल कामरेड (शिमला): स्पीकर साहिब, यह जो demand No. 6 में Major Head Famine के तहत Government ने रकम माँगी है मैं समझता हूँ इसकी आपोज़ीशन और Treasury Benches की तरफ से कोई भी मुखालिफत नहीं करेगा क्योंकि मुसीबत के वक्त लोगों की मदद करना सरकार की ज़िम्मेदारी है । इसमें सिर्फ एक ही चीज एतराज़ वाली है कि सिर्फ गुड़गाँव ज़िला के बारे में ही गवर्नमैंट हरकत में आई है जबकि महेन्द्रगढ़ और सूबा के दूसरे हिस्सों में भी floods के साथ

5.00 p.m.

बहुत ज्यादा नुकसान हुआ । एक जगह पर सिर्फ इस लिए गवर्नमेंट के हरकत में आ जाने से गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती । गवर्नमेन्ट को चाहिए कि वह तमाम सूबे के रुपए को यकसाँ तौर पर खर्च करे । पिछले दिनों सरकार ने एलान किया था कि flood affected areas में दसवीं जमात तक तालीम मुफ्त कर दी जाएगी । लेकिन वह तालीम सिर्फ अमृतसर और गुरदासपुर में ही मुफ्त रही । इस से मालूम होता है कि रुपया बांटते वक्त हमारे मिनिस्टर साहिबान सिर्फ अपने ही हलकों का ध्यान रखते हैं । इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो तकसीम की जाय यह लोगों की जरूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ही की जानी चाहिए । सूबे में और भी बहुत से इलाके हैं जहाँ गुड़गांव से भी ज्यादा floods से नुक्सान हुआ लेकिन सरकार की तवज्जुह उधर नहीं गई । इस लिए मैं समझता हूँ कि सरकार

[श्री मुनी लाल कामरेड]

का यह कदम socialistic pattern of society की तरफ नहीं क्योंकि तमाम सूबा का पैसा चन्द मंजूरे नजर लोगों की खुशी के लिए खर्च करना एक गलत बात है। मैं चाहूँगा कि हमारे वित्त मन्त्री इस की वजाहत करें कि क्या तमाम famine सिर्फ गुड़गाँव में ही रह गया था। और किसी जगह पर भी ऐसे हालात वाक्या हुए ?

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): डिप्टी स्पीकर साहब, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि गुड़गाँव के 58 गाँवों को relief दिया गया है मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं बल्कि मैं यह चाहूँगा कि यह रुपया ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ, कि यह जो रुपया दिया गया है यह कम है क्योंकि वहाँ की हालत यह है कि डंगर भूखे मर रहे हैं और चारे का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं अभी परसों वहाँ हो कर आया हूँ, वहाँ अब भी डंगरों के लिए कोई चारा नहीं। उन की बुरी हालत है। वहाँ पर कोई अनाज का डिपो नहीं खोला गया। यह ठीक है कि 58 गाँवों की थोड़ी बहुत मदद कर दी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि महेन्द्रगढ़ ज़िला में दादरी के पास भी ऐसा गाँव है जहां कहत के हालात नमूदार हो गए हैं, रोहतक की तहसील झज्जर के गाँव नहाड़ में भी यही हाल है। 58 गाँव के लिए इस लिए provision कर दिया कि Revenue Minister वहाँ के थे लेकिन दूसरे गाँवों की हालत भी काफी खराब है, वहाँ भी ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि इन लोगों को मदद देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए लेकिन मुझे ताज्जुब है कि जिन देहात में इस से भी ज्यादा floods आए उन को over look कर दिया गया क्योंकि उन इलाकों का न कोई वज़ीर है और न कांग्रेस का प्रधान है। मैं समझता हूँ कि democracy के अन्दर यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप को यह देखना चाहिए कि सही तौर पर किन की मदद की जानी चाहिए, कौन दुखी है और कहाँ floods आए हैं। पिछले दिनों में मेरे इलाका के अन्दर 40-50 गाँवों में पानी खड़ा रहा। असलाना से मुहिम तक पानी ही पानी रहा लेकिन वहाँ पर कोई मदद नहीं की गई इस ख्याल से कि यह हलका राठी का है इसे मदद मत दो। इस तरह की distinction नहीं होनी चाहिए कि फलाँ हलका Opposition का है, फलाँ dissidents का है, इसकी इमदाद मत करो, बल्कि देखना यह चाहिए कि सही माँग किन की है और कौन वाकई deserve करता है। इस लिए, डिप्टी स्पीकर साहब, जो किया गया है उसकी दाद देता हूँ लेकिन जो नहीं किया गया उसके लिए कोई political consideration नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक ख्याल से मदद नहीं होनी चाहिए।

श्री सुमेर सिंह (हसनपुर): डिप्टी स्पीकर साहब, इन 58 गाँवों में न किसी मिनिस्टर का हलका है और न किसी डिप्टी मिनिस्टर का बल्कि यह मिओं का हलका है। (एक आवाज़: वज़ीर तो है उस इलाका का) बल्कि ये गाँव मुहम्मद यासीन खाँ के हलके के हैं जो असेम्बली के पुराने मेम्बर हैं। मैं यह कहूँगा कि ये socialistic pattern of society की बात कर रहे हैं; मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने मुसलमान मिओं की मदद करके अपने फर्ज़ में

कोताही नहीं की । इस लिए मैं कहूँगा कि मित्रों की मदद करके सरकार ने कोई काबले एतराज़ बात नहीं की । एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ । वह यह कि इस इलाका के लड़के अपनी फीस अदा नहीं कर सकते क्योंकि यह वह इलाका है जहाँ एक तिनका भी हरा भरा नहीं मिलता इस लिए यहां पर हाई स्कूल के सब लड़कों की फीस माफ होनी चाहिए ।

पण्डित भागीरथ लाल शास्त्री (पठानकोट): डिप्टी स्पीकर साहब, इस समय जिस डीमाँड पर चर्चा चल रही है इस में गुरदासपुर के नरोट जैमल सिंह की भी बात आई । नरोट जैमल सिंह वह इलाका है जहाँ इस वक्त भी कोई कार तो क्या जीप भी नहीं ले जाई जा सकती । सात हिस्सों में बटा हुआ दरिया बहता है। उन को पार करके फिर नरोट जैमलसिंह आता है । वहाँ के हाई स्कूल की building पिछली बाढ़ के अन्दर सारी वह गई थी, एक भी कमरा नहीं बचा था और कई दिनों तक बच्चे नहीं पढ़ सके और अब भी अगर मैं गलती नहीं करता तो इसकी क्लासें rest house में लगती हैं । यह बार बार कहा जाता है कि गुरदासपुर में यह हो गया, वह हो गया । मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग यह कहते हैं कि गुरदासपुर में बड़ी रियायतें हैं वह इस बात को क्यों नज़र अन्दाज़ कर देते हैं कि हम बार्डर पर बैठे हैं । नरोट जैमल सिंह पाकिस्तान से तीन मील की दूरी पर है, वहाँ कोई रहने नहीं देता । अगर सहूलत नहीं देगें तो वहाँ रहेगा कौन जहाँ से तीन मील border है, परली तरफ जवान बैठे हैं, हर वक्त गोलाबारी होती है, एक मिनट भी सुख का साँस नहीं लेना मिलता । जिन लोगों को, डिप्टी स्पीकर साहिब, यह ख्याल है कि वह इलाका अच्छा है हम उन्हें दावत देते हैं कि वे वहाँ आयें और रिहायश अख्तेयार करें । मैं राठी साहिब को खास तौर पर दावत देता हूँ कि वह वहाँ तशरीफ लाएँ । (आवाजें: ले जाइये इन्हें--वह इन के लिये अच्छी जगह है) डिप्टी स्पीकर साहिब, इस वक्त आप जा कर देखें, वहाँ गंदम नहीं बोई गई । बारिश न होने की वजह से कोई फसल भी वहाँ नहीं बोई गई । वहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से अपना वक्त गुज़ार रहे हैं । इसके बावजूद यहाँ बार बार गुरदास्पुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा जाता है कि यह रियायत मिल गई, वह रियायत मिल गई । अंग्रेजों के ज़माने में Lora Lai जैसे border के इलाके को करोड़ों रुपये की इमदाद मिलती थी लेकिन गुरदासपुर ज़िले को यह रियायत मिली है कि उसके एक स्कूल में फीस माफ कर दी गई है। (*Interruptions*) डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरे दोस्त बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं ।

Mr. Deputy Speaker: No interruptions, please.

पण्डित भागीरथ लाल शास्त्री: डिप्टी स्पीकर साहिब, गवर्नमेंट सीमा प्रांत में लोगों को सहूलियात देने में करोड़ों रुपये खर्च करती है । मैं गवर्नमेंट के यह बात गोश गुज़ार करना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों की हालत अच्छी नहीं, न वे आज़ादी के साथ चल फिर सकते हैं और न उन को खाने के लिये कुछ मुयस्सर होता है । अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सीमा के इलाके में लोग बसे रहें तो उसे वहाँ के लोगों को जरूरियाते जिन्दगी मुहैया करने के साधन अख्तियार करने चाहियें । अगर ऐसे इकदमात न किये गये तो मुझे अंदेशा है कि वहाँ के लोग तंग आ कर वहाँ से निकलना शुरू कर देंगे । इसी तरह से गुड़गाँव जिला में न चारा है, न दाना है और न पानी है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यह कहा जाता है कि Cabinet में गुड़गाँव का

[पंडित भागीरथ लाल शास्त्री]

मिनिस्टर होने की वजह से उस इलाके को कई रियायात दी गई हैं । वहाँ मुसलमान आबादी है गरीब लोग हैं लेकिन फिर भी उन की इमदाद करते वक्त हमारे दोस्तों के पेट में दर्द उठता है । इन अलफ़ाज़ के साथ मैं हाउस से अपील करूँगा कि वह इस demand को खुशी से पास करें । (*Cheers*)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਤ ਭਗੀਰਥ ਲਾਲ ਐਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਅਲਾਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ facilities ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਅਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, floods ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕੀ । ਉਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । Bet area ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਕ floods ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਬਿਨੈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ facilities ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ facilities ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ।

वित्त मन्त्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव): डिप्टी स्पीकर साहिब, इस डिमाँड के मुतअल्लिक कुछ गलतफहमी सी पैदा हो गई है । यह flood relief works नहीं है, यह तो famine relief measure के तौर पर इमदाद दी गई है । इस सिलसिले में यह कहना कि फलाँ-फलाँ जगह floods आये थे वहाँ इमदाद नहीं दी गई यह ठीक मालूम नहीं होता । जिस वक्त floods आये थे तो flood relief दी गई थी । Famine होने की वजह से जो relief works start किये गये उनके लिये provision किया गया है । इस demand की मुखालिफत तो किसी ने नहीं की बल्कि यह कहा गया कि यह रुपया और ज्यादा होना चाहिये । जब बजट पर discussion होगी तो उस वक्त कहा जा सकता है कि इस के लिये ज्यादा provision करना चाहिये । Supplementary Demand पर general बातें करना एक ग़ैर वाजिब बात है और ऐसी बातों का इस मौके पर जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है । मेरे माननीय दोस्त सरदार आत्मा सिंह ने यह एतराज़ कर दिया है कि कपूरथला डिस्ट्रिक्ट को यह इमदाद क्यों नहीं दी गई क्योंकि यह उन की constituency है । इसके मुतािल्लक जो action लिया गया होगा वह Education Department ने लिया होगा । इस Demand में तो जो famine के सिलसिले में elecricity charges के remission के वाइदे किये गये थे या non-Government schools को aid देने का वाइदा किया गया था जिन्हें फीस न मिलने की वजह से नुक्सान हुआ उन्हें relief दिया गया है । कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस में गवर्नमेंट की तरफ से कोई lapse हो गया हो । मेरे

दोस्तों को हर चीज़ को jaundiced eye से नहीं देखना चाहिये बल्कि उसे right perspective में देखना चाहिये । इन अलफाज़ के साथ मैं हाउस से दरखास्त करूँगा कि इस demand को पास किया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

> That a Supplementary sum not exceeding Rs 15,06,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 54—Famine.

The motion was carried.

55—SUPERANNUATION ALLOWANCES AND PENSIONS

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

> That a Supplementary sum not exceeding Rs 44,73,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 55—Superannuation Allowances and Pensions.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

> That a Supplementary sum not exceeding Rs 44,73,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 55—Superannuation Allowances and Pensions.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Pension ਦੇ cases ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ retire ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ pension cases ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ decide ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । Superannuation Allowances and Pensions ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਲੀਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ retirement ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ re-employ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ pets ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ retirement ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । Superannuation ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

उद्योग मंत्री : बड़ी वाकफियत का इज़हार किया है ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਅਕਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ interrupt ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ interrupt ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ Naib Tehsildars ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । Pension ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । Pension ਦੇ cases ਜਲਦੀ decide ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ retire ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਬਾਰਾ service ਵਿਚ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ planned scheme ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

वित्त मन्त्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव): जनाब Deputy Speaker साहब, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे साथियों को जरूर बोलना है, जरूर कुछ कहना है, यह इनकी आदत हो गई है, इस लिए जरूर बोलते हैं। अगर इन्हों ने इसका note पढ़ा होता कि यह demand किस चीज़ की है तो वह यह न कहते। Note में लिखा है :-

"The excesses are due to larger trend of actuals as reported by the Accountant General, Punjab, coupled with the fact that the original figures furnished by the Accountant General, Punjab, did not include the estimates of grant of relief to low-paid pensioners which accrued to them during 1958-59 and 1959-60..."

इस लिए जिन को pension देते हैं और pension देने के लिए जो demand हुई, जो पैसा देना है वह A. G. ने भेजा था। इस में pension देने या न देने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। Hon. Member को पता होना चाहिए कि pension के rules बने हुए हैं। कायदे के मुताबिक चलते हैं। गो यह relevant नहीं लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि एक ad-hoc committee बनी हुई है ताकि जिन की pension के cases record पूरा न होने की वजह से नहीं बनें वे जल्दी बनें। हर एक department में एक एक officer लगा है ताकि उनके pension cases को जल्दी मुकम्मल किया जाए। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एतराज़ जरूर करना है कि pension का कायदा बनना चाहिए। कायदे तो बने हुए हैं। इसमें कहा गया है कि A.G. के हिसाब में, accounts में पैसा नहीं। इस लिए accounting के लिए पैसा दरकार है। इस लिए मैं दरखास्त करूंगा कि इस demand को pass किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That a Supplementary sum not exceeding Rs 44,73,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 55—Superannuation Allowances and Pensions.

The motion was carried.

57—STATIONERY AND PRINTING

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 11,64,340 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 56—Stationery and Printing.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 11,64,340 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 56—Stationery and Printing.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : Deputy Speaker साहिब, बात यह है कि श्री मोहन लाल जी चाहते हैं कि stationery वाला बोले, लेकिन बोलने के लिये मैं खड़ा हो गया हूँ। मैं इस लिए बोल रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट, जिस तरफ यह बैठे हैं, ना तो अपने employees को stationery देती है और न ही pencils के लिए पैसा देती है। इस का

नतीजा यह होता है कि जो कोई थाने में report लिखवाने के लिए जाता है उसको कहते हैं पहले कागज़ लाओ, pencil लाओ, उसके बाद तुम्हारी कारगुज़ारी करेंगे और फिर कोई बात होगी। कागज़ों को अपने पास रख लेते हैं, जो छपे हुए forms हैं उन पर report लिख देते हैं और नकल वगैरह भेज देते हैं। अदालतों में भी यही होता है। Reader के पास कागज़ नहीं होता। लिखने के लिए कलम दवात तक भी नहीं होती। वे मुकद्दमें वालों को कहते हैं, कभी वकील को कहते हैं कि नकल तब मिलेगी पहले कागज़ लाओ। गवर्नमेंट इस तरीके से काम चला रही है। एक तरफ तो अदालतों में चंदे मांगते हैं। दूसरी तरफ कागज़, stationery भी मांगते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का tax लगाने का ताल्लुक है tax पूरा वसूल करते हैं। यहाँ पर भी ज़िक्र आ जाता है। इसके मुताल्लिक हमें तो पता नहीं कि stationery जाती कहाँ है। दफ़्तरों में stationery नहीं, अदालतों में stationery नहीं। मैं एक Assistant Secretary के पास गया। उसने बताया कि कागज़ की, stationery की बड़ी कमी है। इस लिए, Deputy Speaker साहब, ये जो चीज़ें हैं बंद होनी चाहिएँ। Stationery पूरी देनी चाहिए ताकि वे लोगों को तंग न करें। इसका मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए ताकि कोई मुलाज़म तंग न कर सके।

यह जो printing वगैरह है, जो private presses से छपवाने का काम है अब मैं इसके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो 50,000 रुपये की रकम से private presses से printing करवाई गई है इस के बारे में मैं बड़े ज़ोर से कहना चाहता हूँ। आए साल आपका इतना काम होता है। आप अपने Printing Press को extend करके उसको बढ़ाएँ। आए साल जो यह हज़ारों रुपया बाहर के प्रैसों को जाता है यह न जाए। हर साल हम लाखों रुपया private presses को देते हैं। क्या वजह है कि हम अपना press नहीं लगा सकते? यह political considerations हैं। Private presses को पचास पचास हज़ार रुपये का काम दिया जाता है। यह खास-खास अपने presses को दिया जाता है। जिन को छापने के लिए कोई काम नहीं देता उन को हमारी गवर्नमेंट पालती है। यह कहते हैं कि उन बेचारों का भी कुछ भला होना चाहिए। जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, market में compete नहीं कर सकते उनका गवर्नमैंट ने ठेका ले रखा है कि हम उन्हें ज़िन्दा रखेंगे, जो मुकाबले में, competition में नहीं ठहर सकते उनका बोझ गवर्नमैंट उठाती है कि तुम्हारी मदद हम करेंगे। उन पर socialistic pattern of society का असूल लागू होता है। Press को छपाई का काम देने के लिए डाक्टर साहब वाला काम चलता है। Socialistic pattern of society का—बराबर रखने का काम करते हैं। यह कहते हैं कि इन को भी कुछ दें। यह नहीं होना चाहिए। ये जो बातें हैं बंद होनी चाहिएं। मैं ने electoral rolls का छापा देखा है। एक आदमी vote देने के लिए चला गया; आगे जा कर देखा तो उसका नाम पढ़ा ही नहीं जाता था। मैं ने पूछा क्या बात है। तो कहने लगे कि नाम ही नहीं पढ़ा जाता। यह छापाखाना ऐसा खराब है। सरकारी press से छपवाते तो पढ़ा जाता। यह तो छपवाया है ऐसे press से जहाँ का छपा हुआ पढ़ा ही नहीं जाता। यह ऐसी-ऐसी जगह से छपवाते हैं। मैं अपनी गवर्नमैंट से कहना चाहता हूँ कि यह बातें छोड़ दे, यह इस किस्म की

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

बातें करना छोड़ दे। यह अच्छी जगह से छपवाएं। और अच्छी जगह की बजाए भी मैं कहता हू अपना press लगाएं। Government basis पर सारी चीजें होनी चाहिएं, दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिएं। इन इलफाज़ के साथ मैं इसकी मुखालिफत करना चाहता हूँ और डाक्टर साहब को कहना चाहता हूँ,जो गाँधी जी के पैरो हैं, उन्होंने गाँधी जी के साथ काम किया है, वह कम-अज़-कम ऐसा काम न करें कि पढ़ा ही न जा सके। यह ऐसी जगह से छपवाते हैं कि कोई पढ़ ही न सके। क्योंकि यह कहते हैं कि अगर कोई पढ़ लेगा तो पता लग जाएगा। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसे काम होते हैं, अंधेर गर्दी मची हुई है। ऐसा काम करें कि लोग आपके कारनामों को पढ़ भी सकें।

श्री मंगल सेन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं Demand No. 8 के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार का कोई काम ऐसा नहीं जिसमें सूझ के साथ, समझ के साथ, विचार के साथ काम किया गया हो। यह मामूली सी बात है। Stationery and Printing के Major Head में डाक्टर गोपी चंद भार्गव साहिब 11,64,340 रुपये चाहते हैं कि यह House उन्हें इस बात की इजाज़त दे दे कि वह खर्च कर सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारी कागज़ों को print करने के लिए सरकार ने सरकारी छापाखाना खोल रखा है। उसमें काफी लोग रखे हुए हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि उनके इलावा भी उनके पास काम रह जाता है जिस के कारण बाहर के presses को काम दिया जाता है और उन्हें पैसे दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो मन्जूरे नज़र हैं, जिन्हें चुनाव के दिनों में इस्तेमाल करना है या जो इस्तेमाल हुए हैं उनको compensate करना है ताकि किसी तरीके से उनका पेट भरा जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँगा। जिस demand को हमारे वित्त मन्त्री साहिब यहाँ पास कराना चाहते हैं उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष 1959 में जब यह बात हुई कि पंजाब की नगर पालिकाओं के elections होंगे तो हम ने Local Bodies के मिनिस्टर साहबि से जा कर कहा कि नगर पालिकाओं के electoral rolls तो अभी तैयार नहीं हुए, आप इनके elections कैसे करायेंगे। इस पर यह कहने लगे कि क्योंकि आप नगर पालिकाओं की elections कराने से डरते हैं इस लिये ऐसी बातें कर रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है। Electoral rolls की क्या बात है वे तो हम एक मिनट में तैयार करा लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोहतक की बात कह रहा हूँ। (उद्योग मन्त्री: यह क्या relevant बात कर रहे हैं?) उपाध्यक्ष महोदय, यह इस लिए मुझे बोलने नहीं दे रहे क्योंकि मैं इनका पोल खोल रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि जो lists विधान सभा के चुनावों के लिये इनके पास बनी पड़ीं थीं इन्होंने अपने स्टाफ को चुपके से हुकम कर दिया कि वे इन लिस्टों के पहले वर्क को जिन पर विधान सभा लिखा था उतार दें और उस की जगह नगर पालिका लिख दें.....

उपाध्यक्ष महोदय : इसके साथ इस demand का क्या ताल्लुक है? (How is this relevant to this demand ?)

श्री मंगल सैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस लिये relevant है क्योंकि यह इस demand के ज़रिये 50 हज़ार रुपये की मंज़ूरी माँग रहे हैं जो कि private printing प्रेसों से print कराने पर व्यय किये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: यह आप को मालूम होना चाहिये कि यह demand additional quota के बारे में है और Electoral Rolls का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। (The hon. Member should know that this demand relates only to additional quota and has no concern with the Electoral Rolls.)

श्री मंगल सैन :लेकिन इस में purchase of stationery और छापा खाने के लिए अलग item दर्ज है ।

श्री सुमेर सिंह (हसन पुर): डिप्टी स्पीकर साहिब, यह जो demand हैं मैं इस को support करता हूँ । लेकिन इस के साथ ही मैं यह अर्ज़ भी करना चाहता हूँ कि प्रान्त में थानों को, तहसीलों को और अदालतों को ज्यादा stationery दी जानी चाहिये । इस वक्त थानों को, तहसीलों को और अदालतों को जो stationery दी जाती है वह कम होने के कारण लोगों को बहुत तकलीफ होती है । जब लोग थानों में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उन्हें कागज़ अपने पास से लाने के लिये कहा जाता है । फिर अब तो मौजूदा कानून के मुताबिक किसी case में जितने documents होते हैं उन की नकल पेश करनी पड़ती है लेकिन पुलिस वालों के पास कागज़ होते ही नहीं इस लिए जो आदमी report दर्ज कराने उनके पास आता है उसे कागज़ मंगवा कर देने पड़ते हैं । इसी तरह तहसीलों और अदालतों में होता है । उन्हें stationery ज़रूरत के मुताबिक दी जानी चाहिये ताकि वे लोगों से न मांगते फिरें । इस तरह से लोगों से वे मांगते हैं जिस की वजह से लोगों को इन्साफ भी ठीक नहीं मिलता । वैसे यह demand बिल्कुल ठीक है । मैं तो कहूँगा कि क्योंकि 1947 के बाद तहसीलों और अदालतों में काम बहुत बढ़ गया है और stationery का quota उतना ही मिलता है इस लिये इस काम के लिये इन्हें ज्यादा रुपया मांगना चाहिये था ताकि उस से यह quota बढ़ा सकते । जितनी रक्म इस demand में मांगी गई है यह थोड़ी है । इतना कह कर मैं इस demand को support करता हूँ ।

वित्त मन्त्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव): डिप्टी स्पीकर साहिब, इस में उन चीज़ों को देखा जाता है जो इस के मुताबिक होती हैं और जो चीज़ें इस के मुताबिक नहीं हैं उनको देखा भी नहीं जा सकता। इस demand में जो रक्म हम ने माँगी है यह उस कागज़ के लिये है जो हम ने मिलों से माँगा था और इस के लिये Government of India ने भी कहा लेकिन मिल वालों ने हमें नहीं दिया जिस की वजह से हमें इस के लिये जो रुपये लिय हुए थे वे surrender करने पड़े थे। अब Government of India ने उन्हें फिर कहा है। यह सिर्फ printing के कागज़ की बात है। इस में महकमा stationery की बात है और printing के कागज़ की बात है । इस लिए इसी चीज़ का ज़िक्र इस वक्त होना चाहिये । मैं समझता हूँ कि जिस item का supplementary demand में ज़िक्र आया हुआ हो उसी बात को यहाँ आना चाहिये दूसरी को नहीं । यह बात इस वक्त नहीं आनी चाहिये कि अदालतों को कागज़ नहीं मिलता, क्योंकि यह demand तो केवल printing के कागज़ के लिये है। हां जो बात stationery के बारे में कही गई है उसके लिये मैं department

[वित्त मंत्री]

को कहूँगा कि stationery के लिये जो demands नीचे से आती हैं उन को वह meet करे। इन चीज़ों को Controller of Printing and Stationery देखता है। मैं उसे हिदायत करूँगा कि अगर कोई आदमी नीचे से तवज्जुह नहीं देता तो उसे वह खुद देखे।

फिर printing के बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ कि कुछ printing का काम हमें बाहर से भी कराना पड़ता है क्योंकि इतनी forms होती हैं जिन को छपवाना पड़ता है जिन के लिये कागज़ भी दरकार होता है और छापने के लिये वक्त भी दरकार होता है इस लिये जो ज़रूरी और जल्दी दरकार होती है वह वहाँ छपवा लेते हैं। जो हमारा अपना press जल्दी नहीं छाप सकता वह बाहर से छपवा लेते हैं। बाहर से छपवाने के लिए यह su gestion दिया गया है कि अपने press को बढ़ा लो। इस के लिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि building चाहिये, प्रेस भी चाहिये और फिर workers भी चाहियें। इन सब चीज़ों के लिये बहुत काफी पैसा चाहिये और इतना पैसा अभी गवर्नमैंट नहीं दे सकती। यह तो हो नहीं सकता कि development के कामों से रुपया निकाल कर प्रेस पर लगा दें। फिर उस वक्त प्रेस की machinery मिल गई थी, ले ली गई थी वरना जब partition हुआ था तो हमारी पंजाब गवर्नमैंट के पास एक भी प्रेस न था। शिमला में Government of India के प्रेस से काम कराते थे। अब भी हम 24 हज़ार रुपये का काम शिमला के Government of India के प्रेस से कराते हैं। चुनांचि उस के लिए भी demand है।

फिर कहा गया है कि हम छपाई का काम उन private प्रेसों को देते हैं जिन को हमने support करना होता है। यह इन को मालूम होना चहिये कि जो काम private presses को दिया जाता है उसके लिये tenders लिये जाते हैं और फिर printing के charges मुकर्रर होते हैं और उनके मुताबिक tender ले कर काम दिया जाता है। हरेक चीज़ का तरीका होता है। इस में यह नहीं देखा जा सकता कि हम ने किस को support करना है जब कि tender लेकर काम देना होता है। हर वक्त इन के दिल में यही ख्याल बैठा रहता है। लेकिन अगर यह काम के करने के तरीके को देखकर एतराज़ करें तब तो मुनासिब बात है लेकिन बगैर किसी चीज़ को गौर से देखे एतराज़ कर देना ठीक नहीं होता।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

> That a Supplementary sum not exceeding Rs 11,64,340 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 56—Stationery and Printing.

The motion was carried.

57—MISCELLANEOUS

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to move—

> That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960 in respect of 57—Misllaneous.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

> That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 57—Miscellaneous.

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ demand ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸਾ item ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ special staff ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ election ਲਈ ਰਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲਈ 12,950 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1953 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਏਹ 1956 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ merger ਹੋਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬੇ ਇਕਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ election ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1959 ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ elections ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ elections ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੋ ਅਡ ਅਡ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ bogus ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ D.Cs. ਦੀ meeting ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 22, 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : (सम्भालका): डिप्टी स्पीकर साहिब, यह जो आइटम नम्बर 6 है मैं इस के बारे में चंद एक अलफाज़ कहना चाहता हूँ। यह माँग एक क्लब के लिए है। जनाव, उधर गुड़गाँव, रोहतक और महेन्द्रगढ़ के इलाकों में तो लोग भूखे मर रहे हैं, कहत पड़ा हुआ है, पीने को पानी नहीं मिलता और यहाँ फिक्र हो रहा है कि क्लब खोलो। दो यह कहते हैं कि पहले ही हैं और तीसरी अब और खोल रहे हैं। मैं ने कहा कि नाहड़ा में लोग भूखे मर रहे हैं तो कहते हैं उसके लिए बाद में बजट में देखेंगे मगर क्लब के लिए अभी रुपया चाहिए। बड़ी अजीब बात है। एक तरफ तो सोशलिस्ट पैटर्न की बातें करते हैं, गाँधी जी का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ ऐसे खर्च करते हैं। गाँधी जी तो क्लबों के खिलाफ थे मगर उन के यह नाम लेवा कहते हैं क्लब के लिए पैसा दो। कल को नाच घर खोलेंगे और पता नहीं क्या-क्या खोलेंगे।

फिर मैं आइटम नम्बर 7 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं अपने वज़ीर साहिब को दाद देता हूँ कि पिछले बजट सैशन में जब यह सवाल हाउस में आया तो हमारे वज़ीर साहिब ने कहा कि अब की चुनाव ज़रूर हो जाएंगे। इन से कहा गया कि अभी आप ने एक कानून नहीं बनाया, अभी अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग कानून हैं तो इन्होंने कहा कि कोई परवाह नहीं, पंजाब में पंजाब के कानून के मुताबिक और पैप्सू के इलाके में पैप्सू के कानून के मुताबिक इलैक्शन्ज़ हो जायेगी (घंटी)। आठ महीने तक सारा खर्च करते रहे और एक सुबह उठे सरदार गुरबन्ता सिंह साहिब और कहा कि दोनों कानून एक होने चाहिएं तब यह चुनाव होंगे।

[चौधरी धर्म सिंह राठी]
अफसरों को उन दिनों के लिए बाकी काम से छुट्टियाँ तक दे दी गई कि वह इन दिनों में और काम न करें, यही करें मगर सब कुछ करने के बावजूद चुनाव न करवाए गए। खर्च बाकायदा सारा होता रहा है और जितना खर्च होना था वह हो चुका मगर चुनाव नहीं हुए और अब जब यह होंगे तो फिर उतना ही खर्च होगा। (घंटी) और ज्यादा न कहता हुआ आखिर में मैं इतना कहूँगा कि इस माँग को मंजूर न किया जाए।

(पंचायत मन्त्री जवाब देने के लिये उठे परन्तु उपाध्यक्ष महोदय ने गिलोटीन लगा दी और उन्हें बोलने न दिया।)

Mr. Deputy Speaker : It is 5.45 p.m. now, therefore, the guillotine will be applied.

Mr. Deputy Speaker ; Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 57—Miscellaneous.

The motion was Carried

LOANS TO LOCAL FUNDS PRIVATE PARTIES, ETC. AND LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 2,04,25,460 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of Loans to Local Funds, Private Parties, etc., and Loans to Government Servants.

The motion was carried.

XVII—IRRIGATION WORKING EXPENSES AND 18—OTHER REVENUE EXPENDITURE FINANCED FROM ORDINARY REVENUE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of XVII—Irrigation Working Expenses and 18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenue.

The motion was carried.

40—AGRICULTURE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 40—Agriculture.

The motion was carried.

50—CIVIL WORKS

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 50—Civil Works.

The motion was carried.

68—CONSTRUCTION OF IRRIGATION, NAVIGATION AND ENBANKMENT OF DRAINAGE WORKS

Mr. Deputy Speaker : •Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 68—Construction of Irrigation, Navigation and Embankment of Drainage Works.

The motion was carried.

81—CAPITAL ACCOUNT OF CIVIL WORKS OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1960, in respect of 81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow.

5-50 p.m.

(*The Sabha then adjourned till 9.a.m. on Tuesday the 1st March,* 1960)

8800/PVS—349—1-8-60—C.P.S. Pb. Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

1st March, 1960

Vol. I, No. 10

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 1st March, 1960.

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1960

Price Rs. 4.75 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 10, DATED THE 1ST MARCH, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
been	benn	(10)15	5 in col. 13
Delete the words "against him"		(10)25	3 in col. 14
Add the word "of" after the word "instalment"		(10)29	3 in col. 13
Singh	Sinạh	(10)42	22
Add the word "in" after the word "is"		(10)43	10th from below
misuse	misure	(10)47	2 in col. 9
Add the word 'of' after the word "Instalment"		(10)49	3 in col. 13
2nd	2	(10)50	5
3rd	3	(10)50	5
Sultanwind	Sultanward	(10)50	2nd from below in colum No. 4
शर्मा	शर्म	(10)63	8th from below
(10)77	(10)7	(10)77	Heading
दी	वी	(10)83	9
देना	डेना	(10)87	5
उन	उस	(10)88	8
water-logged	water-loged	(10 92	17
Delete the words "इस बात की तरफ" after the word "तवज्जुह"		(10)98	19
societies	socities	(10)103	3 and 9
Chairman	Chariman	(10)108	7
Floor	Flour	(10)111	7

at S
in t

La

We
tan
sinc
the

d th
soil
the
ed
er

Jal
ne

20
set
58,
fou
sid
ed

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 1st March, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh at* 9.00 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

LAND PURCHASED FOR HARIJANS IN VILLAGE JALANVIRAN, DISTRICT KARNAL

*4917. **Shri Ram Piara** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) with reference to the reply to Starred Question No. 4440 printed in the list of questions for 14th December, 1959, whether any enquiry in respect of the representations made by the Harijan Societies of Village Jalanviran, tehsil and district Karnal has been made; if so, the name of the Officer who is conducting the enquiries and the stage of the enquiry at present ;

(b) the names of the Officers who have visited the land in question for the purpose of conducting the enquiry together with the report, if any, submitted by them so far;

(c) whether any land expert has also visited the said land ; if so, when and the contents of the report, if any, submitted by him?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) & (b) Yes. The Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes and the Revenue Assistant, Karnal, visited the village in connection with the enquiry, which has since been completed by the Director and the D.C., Karnal. A copy of their report is laid on the table of the House.

(c) Yes. The soil Chemist of the Agriculture Department had visited the land before its purchase. After dividing it into four blocks, he took soil samples from each block. Finally, land in 3 blocks was purchased on the basis of his report. Only 6 acres of land of the fourth block was purchased as it was considered good in consultation with the representatives of the beneficiaries.

REPORT

The question regarding alleged irregularities in the purchase of land in village Jalala Viran, district Karnal, for the settlement of Harijan beneficiaries has been examined by us.

2. During the months of May to July, 1958, steps were taken for the purchase of about 209 acres of land belonging to Dewan Iqbal Nath of Karnal at a cost of Rs. 1,44,000 for settling 32 Harijan families who were selected for the financial years 1956-57 and 1957-58. The land was approved by the District Land Selection Committee consisting of four officers of the Revenue, Agriculture, Co-operative and Welfare Departments, besides the representatives of Harijan beneficiaries. The local M.L.A. from the reserved seat was also associated with the committee.

[Deputy Minister]

3. The whole of the land, except 12 acres was canal irrigated with 50 per cent *haq abpashi* instead of the usual percentage of 33 per cent in the neighbouring villages. The land was found to be all-right by the visual examination and also from the Soil Chemist's report. The Soil Chemist took various samples from the land after dividing it into four blocks. Block Numbers 1, 2 and 3 were declared by him to be capable of growing normal agricultural crops with usual manuring practices. Block No. 4 was declared unsuitable on account of high alkalinity and conductivity of water soluble salts. This block was not purchased except for about six acres of land which were added with the consent of the beneficiaries.

4. When the land was purchased, it was reported by the District Land Selection Committee that the table of the sub-soil water was not high. Now the water-table has come up to about 7 feet below the surface of the soil. The rise in the sub-soil water has been caused by heavy rains and the excessive supply of water in the canals in the recent past. The result of the abnormal rise in the water-table is that a good part of this area has become *kallar* infested. This information has been got verified by the District Agriculture Officer.

5. Both of us are of the opinion that a part of the land purchased has been rendered unfit for cultivation and that it will have to be reclaimed by adopting reclamation measures and also that the land which is still culturable will have to be saved from the infestation of *kallar* and the rise of subsoil water.

6. The deterioration in the condition of the soil is not peculiar to this village alone, but has been caused in 100 or more villages of this district during the last two years owing to the fact that this district got heavy rainfall and was also subjected to water-logging on account of seepage of water caused by the flow of canals to Sangrur, Rohtak, Hissar and Gurgaon districts. This particular village received these ill-effects from the Sirsa Branch, Hansi Branch and the Nardak Distributary, which flow within 2 to 5 miles of the land purchased. The second reason of the deterioration of the quality of land was that some of the area allotted to the beneficiaries was not cultivated by them and they left it without embankments (*vatbandi*) with the result that the salt of the neighbouring areas flowed into this unprotected land and got concentrated on the surface.

7. The rapid deterioration in the condition of this land can be stopped by adopting general anti-waterlogging measures. Unfortunately, the present allottees of the land have neither the financial resources to wait till the land has been reclaimed nor the staying power which is required in such conditions. Moreover they have also come into contact with certain unreasonable critics of the administration who are trying to make a political game of this affair by misleading these people. They are thus not likely to co-operate with any scheme for the reclamation and improvement of the land. If however, some of the benficiaries desert this land, it can be made over to some other landless Harijans, who can be organised into a co-operative farming society.

8. Another question is regarding the price paid for the land. The Revenue authorities reported that the 5 years' average of the price of the land in the neighbouring village was Rs. 621 per acre but they recommended a price of Rs. 800 per acre for this land on account of the fact that the area for which the 5 years' average had been taken was subject to flooding and the irrigation rights were for 33 per cent of the area, against 50 per cent for village in which the land was to be purchased. The owner was willing to accept Rs. 750 per acre and the Director of Welfare Department reduced the price further to Rs. 700 per acere for the canal irrigated area and Rs. 500 per acre for the barani land, after personal inspection of the land. The owner gave six acres of land free of cost for the construction of a colony and for other common purposes of the settlers. The price paid for the land was not excessive considering the condition of the land at the time of the transaction.

9. It is rather interesting to note that, excepting 2-3 persons who leased out their land to others, most of the beneficiaries had accepted the land in August, 58 and remained silent for 1½ years till some politics got super-imposed upon the natural phenomenon of the development of *Kallar* due to water logging.

10. The District Welfare Officer was no doubt negligent in not getting the jungle area under bushes (about 15 acres) cleared before full price was paid to the vendor. The owner had given it in writing that he would clear the jungle. There will be no difficulty in getting this area cleared within a specified time.

Sd/—	Sd/—
Director, Welfare Department, Jullundur	**Deputy Commissioner, Karnal**

श्री राम प्यारा : यह जो report मुझे दी गई है उसमें लिखा है कि the local M.L.A. from the reserve seat was also associated with the committee. तो क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि इस local Harijan M.L.A. ने इस को approve किया और इस पर दस्तखत किए ?

उप मंत्री : उन्हें इस में associate किया गया था।

श्री राम प्यारा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस जमीन की खरीद के बारे में approval दी ?

उप मंत्री : जब मैं ने अर्ज़ किया कि उन्हें associate किया गया था तो उनकी approval भी साथ ही है।

श्री राम प्यारा : जो report में beneficiaries के representatives बतलाए गए हैं क्या ज़मीन की approval के बारे में जिन के दस्तखत किये गये क्या वे वहां पर मौजूद हैं ?

उप मंत्री : मैं पूछ कर बता सकता हूं; every thing is contained in the report.

श्री राम प्यारा : क्या जिन को वहां पर ज़मीन दी गई है वह वहां पर मौजूद हैं ?

उप मंत्री : जी हां।

श्री राम प्यारा : क्या उन्हें इसी गांव जलालनवीरां में ही ज़मीन दी गई है या नहीं ?

उप मंत्री : जी, दी गई है।

Shri Ram Piara : Sir I challenge this statement.

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि उन के पास कोई ऐसा record मौजूद है या कोई ऐसी चीज़ है जिस से यह पता चल सके कि जिस हरिजन M.L.A. को associate किया गया वह इस ज़मीन की purchase पर सहमत है ?

उप मंत्री : Report जो Director के पास से आई है वह हमारे पास मौजूद है।

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या उस हरिजन M.L.A. की approval के बारे में तहरीर इन के पास है ?

उप मंत्री : इस तरह की reports District Welfare Officer के पास रहती हैं।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਉਪ-ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ beneficiaries ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ unfit ਹੈ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਨਹੀਂ ।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि चूहड़ चक में जो जमीन है वह approved चक में है ?

उप मंत्री : मैं पूछ कर बता सकता हूं। I have already visited the place.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ unfit ਹੈ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਸੀ ।

श्री राम प्यारा : Report में कहा गया है कि July-Agust' 1958 में ज़मीन खरीद की गई तो इसे 1½ साल तो आज तक नहीं हुआ। तो इन्होंने कैसे यह बता दिया कि 1½ साल हुआ शिकायत मिली थी ?

उप मंत्री : आप गिन लीजिए कि कितने दिन बनते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक बात नहीं कि आप इस तरह arguments में उलझ पड़ें। Only definite supplementaries should be put. These arguments can be given in speeches. (It is not desirable that the hon. members should enter into arguments like this. Only definite supplementaries should be put. These arguments can be given in speeches.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਜਦੋਂ ਕੋਈ Hon. Minister mis-statement ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ information ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਗਲਤ information ਦੇਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ warning ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ।

श्री राम प्यारा : इस report में जो मुझे supply की गई है यह कहा गया है कि a good part of this area has become *Kallar* infested.

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 209 एकड़ में से कितनी ज़मीन में कलर है।

उप मंत्री : दो तीन beneficiaries की ज़मीन के बारे में शिकायत आई है, उन्होंने बाटें नहीं लगाई थीं और इसी side से पानी आकर जमां हो गया और ज़मीन खराब हो गई।

श्री राम प्यारा : जनाब, good part के क्या माने हैं ?

उप मंत्री : मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो तीन ब्लाक की ली है और एक ब्लाक की 6 एकड़ ली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खराब हुई होगी। (*interruption*)

Mr. Speaker : No more supplementaries please.

श्री राम प्यारा : जनाब, इस में हज़ारों रुपया का embezzlement हुआ है। उस के बारे में अभी supplementaries पूछने हैं।

Mr. Speaker : No please. Next question.

VISIT OF DIRECTOR OF HARIJANS WELFARE, PUNJAB TO VILLAGE JALALAN VIRAN, DISTRICT KARNAL

*4960. **Shri Ram Piara** : Will the Chief Minister be pleased to state with reference to the reply to starred question No. 4440 printed in the list of questions for 14th December, 1959 whether the enquiry referred to therein has been completed by the Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes ; if so, the details of the report, if any, submitted by him ?

Mr. Speaker : As regards starred question No. 4960, this has been combined with the previous starred question No. 4917 to which a reply has already been given.

श्री राम प्यारा : जनाब, इस पर supplementaries करने की इजाज़त तो होनी चाहिए ।

Mr. Speaker : No please.

(At this stage the hon. Member, Shri Ram Piara staged a walk-out.)

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब ने अभी यह फरमाया कि यह combined सवाल है लेकिन जो मेम्बर walk-out कर गया है क्या वह यह समझें कि जवाब जो Government ने दिया है वह पहले का था और वह अपने इस सवाल पर फिर supplementary पूछ लेंगे ?

Mr. Speaker : यह तरीका नहीं । मैं ने पहले ही कह दिया है कि यह दोनों सवाल और इनके जवाब combined हैं, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी । No supplementaries should be put on the second question. (That is not the procedure. I have already stated that these two questions and the replies thereto have been combined. The matter should, therefore, have ended there. No supplementaries should be put on the second question.)

PAYMENTS OF COMPENSATION IN LIEU OF LAND CAME UNDER RAJBAHA DHYANPUR AND ITS MINORS IN TEHSIL GURDASPUR

*5023. **Sardar Harbans Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether compensation for the land which came under the Rajbaha Dhyanpur and its minors of the U.B.D.Canal in Gurdaspur Tehsil has been paid to the owners thereof ; if not, the reasons therefor ;

(b) whether any crop was standing on the said land at the time when its possession was taken and whether any compensation for the said crop was also paid ; if so, the amount thereof ;

(c) the total amount of compensation and the amount of interest thereon which the Government will have to pay under the rules;

(d) whether any land revenue in respect of the said land has been realised from the previous owners of the lands, after its acquisition ; if so, the reasons therefor ?

Rao Birendar Singh : (a) Not yet. The reason for delay in payment is that the award was announced by the Collector, Gurdaspur and conveyed to the Irrigation Department very late. It was then found that the award was extremely heavy as compared with the rates supplied by the Civil Department originally. The matter has, however, now been decided finally. The payment of compensation is expected to be made to the shareholders within the next 2 to 3 months.

[Minister for Irrigation and Power]

(b) The information is being collected.
(c) (i) Amount of compensation—Rs. 93,271
(ii) Information regarding interest charges is being collected.
(d) Necessary information is being collected.

COMPENSATION FOR LAND UNDER DHUSSI BUND

*4770. **Bawa Harnam Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the area of agricultural land from village Tahli to village Ahli Kalan in district Kapurthala which has come under the Dhussi Bund ;
(b) whether any compensation for the area referred to in part (a) above has so for been paid ; if not, the time by which it is expected to be paid ;

(c) the market rate per acre of the land referred to in part (a) above and the rate at which compensation therefor has been assessed ?

Rao Birendar Singh : (a) 323 acres.

(b) No compensation has so far been made. Part payment is likely to be made within the next years.

(c) The statement showing the market rate per acre of land referred to in part (a) above, is placed on the Table of the House . Compensation has not been assessed so far.

Statement

(a) The market rate for the following villages—

(1) Chak Som ;
(2) Chak Dum ;
(3) Mand Mankalan ;
(4) Mand Maini Bhagpur ;
(5) Chak Kama ;
(6) Chak Mand Hussainpur ;
(7) Mand Nangal Lavan ;
(8) Mand Dhakran ;
(9) Mand Kamalpur ;
(10) Mand Ravan ;
(11) Mand Talwandi Kuka Ibrahimwal ;
(12) Mand Sandi Khalwal ;
(13) Mand Ibrahimwal (taraf Ishad Khan)
(14) Mand Ibrahimwal (taraf Ghulam Nabi) ;
(15) Mand Habitwal ;
(16) Mand Raipur Ghakuwal ;

are given below—

		Rs
Raiz (1)	..	600
Raiz (2)	..	400
Raiz (3)	..	200
Banjar Jadid	..	200
Nokhez	..	200
Banjar Qadim	..	100
Ghair Mumkin	..	50

The rate for Chahi land in village Dum is Rs, 1,200/- per acre. The rates for different kinds of land in different villages is as under :—

RAIPUR PARAN

		Rupees (per acre)
Chahi (1)	..	1,200
Chahi (2)	..	1,000
Chahi Mustal	..	900
Brani (1)	..	600
Brani (2)	..	400
Brani (3)	..	200
Raiz (1)	..	600
Raiz (2)	..	400
Raiz (3)	..	200
Nokhez	..	200
Banjar Jadid	..	200
Banjar Kadim	..	100
Ghair Mumkin	..	100

MAND CHAHUKI

Chahi (1)	..	600
Chahi (2)	..	500
Chahi Mumtal	..	500
Raiz (1)	..	500
Raiz (2)	..	300
Raiz (3)	..	350
Nokhez		150
Banjar Jadid	..	150
Banjar Kadim	..	75
Ghair Mumkin	..	50

CHAUKI

Chahi (1)	..	1,300
Chahi (2)	..	1,000
Mustal	..	500
Bran (1)	..	500
Bran (2)	..	400
Bran (3)	..	200
Raiz (1)	..	500
Raiz (2)	..	400
Raiz (3)	..	200
Nokhez	..	200
Banjar Jadid	..	200
Banjar Qadim	..	100
Ghair Mumkin	..	50

KOTLI

Chahi (1)	..	1,200
Chahi (2)	..	1,200
Raiz (1)	..	800
Raiz (2)	..	600
Raiz (3)	..	400
Nokhez	..	300
Banjar Jadid	..	200
Banjar Qadim	..	100
Ghair Mumkin	..	500

BADALA

Chahi (1)	..	1,600
Chahi (2)	..	1,300
Mustal (3)		1,000

[Minister for Irrigation and Power]

BADALA—concld

	Rupees (per acre)
Brani (1) ..	800
Brani (2) ..	600
Brani (3) ..	400
Raiz (1) ..	800
Raiz (2) ..	600
Raiz (3) ..	400
Nokhez ..	300
Banjar Jadid ..	200
Banjar Qadim ..	100
Ghair Mumkin ..	50

DHILWAN

Chahi (1) ..	1,600
Chahi (2) ..	1,200
Mustal ..	1,000
Brani (1) ..	900
Brani (2) ..	800
Raiz (1) ..	800
Raiz (2) ..	600
Raiz (3) ..	400
Nokhez ..	200
Banjar Jadid ..	200
Banjar Qadim ..	100
Ghair Mumkin ..	50

MAND DHILWAN

Raiz (1) ..	800
Raiz (2) ..	600
Raiz (3) ..	400
Nokhez ..	200
Banjar Jadid ..	200
Banjar Qadim ..	100
Ghair Mumkin ..	50

DHALIWAL BET

Chahi (1) ..	1,500
Chahi (2) ..	1,200
Mustal ..	900
Brani (1) ..	600
Brani (2) ..	400
Raiz (1) ..	800
Raiz (2) ..	600
Raiz (3) ..	400
Nokhez ..	200
Banjar Jadid ..	200
Banjar Qadim ..	100
Ghair Mumkin ..	50

MAND

Same as for Dhariwal Bet.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ compensation pay ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ compensation pay ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

मंत्री : यह पुराने cases हैं । छ: महीने में compensation देने का फैसला बाद में किया गया था ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूं कि आया जो ऐसे पुराने cases हैं, यह कोई अलग items हैं जिन पर कि कोई पाबन्दी आयद नहीं होती ?

मंत्री : इन cases के मुताल्लिक मैं अर्ज़ कर दूं कि इन की payment 6 महीनों के अंदर अंदर कर देने का फैसला हुआ था। लेकिन यह आज तक नहीं हुई। यह बहुत ही पुराने cases हो गये हैं। इन की तहकीकात के लिये कुछ अफसर लगाये गये हैं। Government का इस तरफ पूरा पूरा ध्यान है कि यह जल्द अज़ जल्द मुकम्मल हो जायें और इन की payment हो जाये।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं वज़ीर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि जब Government का यह फैसला था कि Government compensation की payment 6 महीनों के अंदर अंदर कर देगी तो ऐसे कौन से cases थे जिन पर यह फैसला आयद नहीं हुआ और जो अभी under consideration हैं ?

मंत्री : इन पुराने cases की वजूहात की enquiry करवाई गई है और उन को बहुत जल्दी expedite किया जा रहा है।

LOANS GRANTED UNDER THE LOW INCOME GROUP HOUSING SCHEME IN AMRITSAR CITY

*4875. **Shri Balram Das Tandon** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names and full addresses of the persons to whom loans have been granted under the Low Income Group Housing Scheme in Amritsar City so far and the dates when the loans were disbursed to them ;

(b) whether any cases of misuse of the said loan have come to the notice of Government; if so, the details thereof and the action taken in the matter ;

(c) the total amount of loan repaid by the loanee in each case and the names of the persons who have not repaid even the first instalment of the loan and the action, if any, taken against them?

Chaudhri Suraj Mal : A statement is laid on the Table.

[Minister for Public Works]

Statement regarding loans granted under the Low Income Group

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	*Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise*		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
1	56/1	Sh. Surjit Rai Kapur	34, Hassanpura (West) Amritsar	15-6-55 Rs. 1,500	25-11-55 Rs. 1,500	..
2	709/2	Sh. Jagan Nath	House No. 252/3, Bhushanpurd, L/S, Sultanwind Gate, Amritsar	21-6-55 Rs. 600	11-7-55 Rs. 2,100	15-9-55 Rs. 900
3	118/1	S. Bawa Singh, *alias* Harnam Singh	Mohan Nagar, outside Sultanwind, Amritsar	28-6-55 Rs. 300	11-7-55 Rs. 750	6-8-55 Rs. 450
4	438/5	Sh. Ram Nath	C/o 'Nai Taleem' Monthly, Mohan Nagar, Sultanwind, Amritsar	28-6-55 Rs. 500	28-7-55 Rs. 1,250	22-10-55 Rs. 750
5	923/7	S. Hartharn Singh	H. No. 2032/12, Katra Sher Singh, Amritsar	2-6-55 Rs. 600	335 Rs. 1,500	29-3-55 Rs. 900
6	9/105	S. Gurmej Singh	House No. 97, Model Town, Rani-ka-Bagh, Amritsar	11-7-55 Rs. 1,250	6-8-55 Rs. 1,250	..
7	1229/11	The Amritsar Azad House Building, Azad Nagar, Singh Street	Magar Co-op. Society, Master Daulat, Amritsar	21-7-55 Rs. 3,400	28-12-55 Rs. 1,29,540	15-1-57 Rs. 68,540
8	147/12	S. Joginder Singh	Azad Nagar, Putligarh, Amritsar	22-7-55 Rs. 600	15-12-55 Rs. 1,500	28-12-58 Rs. 900
9	44/15	Sh. Dhanpat Rai	111, Gopal Nagar, Amritsar	25-7-55 Rs. 600	22-8-55 Rs. 1,500	4-11-55 Rs. 900
10	136/17	Sh. Gian Chand	Pan and Cigarette Contractor District Courts, Amritsar	10-8-55 Rs. 560	19-8-55 Rs. 1,400	27-9-55 Rs. 840
11	891/19	Sh. Karnail Singh	Son of Ganga Singh, 2589, Uttam Nagar, Sultanwind Gate, Amritsar	22-8-55 Rs. 500	15-9-55 Rs. 1,250	1-10-55 Rs. 750

Housing Scheme in Amritsar City

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to the notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan referred in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
Nil	No	Nil	Nil	747.35	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	427.63	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	287.32	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	633.59	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	286.11	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	483.40	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	5,000.00	Part payment	Action to recover the loan due, by issuing co-ercive process being taken by the Tahsildar, Amritsar
Nil	No	Nil	Nil	436.00	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	Nil	No	Proceedings to recover the loan in lump sum are in progress
Nil	No	Nil	Nil	357.08	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	643.56	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Date when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.			
12	999/20	Sh. Mohan Singh	House No. 347/5, Chowk Moni, Katra Ram-garhian, Amritsar	22-8-55 Rs. 500	12-9-55 Rs. 1,250	30-9-55 Rs. 750
13	4/22	S. Lal Singh ..	Son of Jewan Singh, Wasan Singh Building, Guru Nanak War near Khalsa College, Amritsar	13-9-55 Rs. 800	13-10-55 Rs. 2,000	11-2-56 Rs. 1,200
14	500/23	Sh. Kasturi Lal	House No. 223, Tehsilpura, Amritsar	15-9-55 Rs. 600	23-1-57 Rs. 1,500	27-3-57 Rs. 900
15	103/25	Sh. Parshotam Datt	Gali No. 7, Hari-pura, Amritsar	17-9-55 Rs. 600	29-9-55 Rs. 1,500	20-11-55 Rs. 900
16	41/26	Sh. Malkiat Singh	663, Krishan Garh, inside Chatiwind Gate, Amritsar	17-9-55 Rs. 1,500	13-10-55 Rs. 1,500	..
17	210/27	Sh. Harnam Dass	Now at 235, Model Town, Panipat	26-9-55 Rs. 1,500	11-10-55 Rs. 1,500	..
18	582/29	S. Bishan Singh	48-CL, Lawrence Road, Amritsar	29-9-55 Rs. 900	22-10-55 Rs. 2,250	10-1-56 Rs. 1,350
19	819/30	Sh. Inder Singh	Shop No. 962/11, Chowk Pasarian, Amritsar	29-9-55 Rs. 700	13-10-55 Rs. 1,750	11-11-55 Rs. 1,050
20	675/32	Sh. Sham Lal	Plot No. 4, Chowk Farid, Amritsar	1-10-55 Rs. 500	12-3-56 Rs. 1,250	29-3-56 Rs. 750
21	336/34	Sh. Rattan Singh	House No. 8/9, Gali No. 4, Nai Abadi, Bhagtan-wala, Amritsar	11-10-55 Rs. 700	31-1-56 Rs. 1,750	15-5-56 Rs. 1,050
22	415/35	Sh. Ishwar Dass	C/o M/s Isher Dass Co., Egerton Road, Amritsar	11-10-55 Rs. 3,000	30-11-55 Rs. 3,000	.. ..

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to the notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
Nil	No.	Nil	Nil	643.14	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	747.66	Yes	Nil
Nil	Nil	Nil	Nil	226.00	Yes	The action to recover the loan in lump sum on account of default in payment of overdue instalments are in progress
Nil	Nil	Nil	Nil	764.18	Yes	Nil
..	Nil	Nil	Nil	775.26	Yes	Nil
..	Nil	Nil	Nil	194.89	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	Nil	No	The recovery certificate for recovery of the whole amount in lump sum has been issued and the proceedings are in progress
Nil	No	Nil	Nil	901.38	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	503.90	Yes	No
Nil	No	Nil	Nil	852.05	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	151.65	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.			
23	824/36	Sh. Haveli Ram	House No. 873, Chowk Pasarian, Kucha Dhobian, Amritsar	13-10-55 Rs. 540	20-10-55 Rs. 1,350	25-11-55 Rs. 810
24	899/37	Sh. Pritam Singh	Plot No. 62, Bazar Bakarward, back-side Improvement Trust Office, Amritsar	*13-10-55* Rs. 900	13-2-56 Rs. 2,250	11-1-57 Rs. 350
25	858/40	Sh. Bahadur Singh	C/o Gian Singh, Katra Dal Singh near Bazar Atta Mandi, Amritsar	13-10-55 Rs. 1,250	30-11-55 Rs. 1,250	.. ..
26	1017/41	Sh. Amar Singh	Katra Ghanian, Kucha Arorian, Amritsar	13-10-55 Rs. 750	25-11-55 Rs. 750	..
27	217/42	Sh. Chanan Singh	Shop No. 1566/1, Katra Jaimal Singh, Amritsar	13-10-55 Rs. 520	22-10-55 Rs. 1,300	16-11-55 Rs. 780
28	340/45	Sh. Jai Gopal	House No. 1760/10, Dhab Khatikan, Circular Road, Amritsar	20-10-55 Rs. 1,200	21-3-56 Rs. 3,000	24-3-56 Rs. 1,800
29	101/47	Sh. Mota Singh	Kot Harnain Dass, Sultanwind Road, Amritsar	20-10-55 Rs. 1,500	17-12-55 Rs. 1,500	..
30	820/50	Sh. Gurbax Singh	Gali No. 4, Uttam Garh near Baba Bhoriwala, Amritsar	22-10-55 Rs. 750	22-5-56 Rs. 750	..
31	555/53	M/s Padam Parkash-Prem Parkash	Maheshwary Mansion, Katra Jaimal Singh, Amritsar	22-10-55 Rs. 1,600	21-12-55 Rs. 4,000	3-2-56 Rs. 2,400
32	1106.54	Shrimati Janak Devi	W/o Brij Mohan, Kucha Kaur, Hissar, Nimak Mandi, Amritsar	1-11-55 Rs. 560	12-12-55 Rs. 1,400	2-2-56 Rs. 840

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to the notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has benn paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
Nil	No	Nil	Nil	521.45	Yes	Nil
Nil	No	Nil	Nil	473.09	Yes	Nil
..	He has repaid the full amount of the account since stands closed 2,786.95					
..	No	Nil	Nil	Nil	No	The certificate to recover the amount of loan in lump sum has since been issued and the recovery proceedings are in progress
..	No	Nil	Nil	503.78	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	289.81	Yes	Nil
..	..	..	..	8,318.35	..	He has since repaid the amount of loan in full and the account stands settled
..	No	Nil	Nil	368.50	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	973.51	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	710.09	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
33	900/58	Sh. Joginder Singh	Plot No. 63, Bazar Bakar waid back side Improvement ment Trust, Amritsar	1-11-55 Rs 1,100	5-1-56 Rs 2,750	15-5-56 Rs 1,650
34	165/59	Sh. Ranjit Singh	House No. 704, Gali Kamboan, Chowk Lachmansar, Amritsar	1-11-55 Rs 1,750	16-11-55 R 1,750	..
35	247/62	Sh. Banarsi Dass	C/o M/S Ram Rakha Mal-Raman Kumar, Cloth Merchants, Bengali Kt. Ahluwalia, Amritsar	8-11-55 Rs 1,240	12-3-56 Rs 3,100	26-7-56 Rs 1,860
36	10/64	Sh. Madan Lal	House No. 2528/12 Gali Mochian, Amritsar	8-11-55 Rs 640	1-3-56 Rs 1,600	15-5-56 Rs 960
37	120/66	Sh. Gurparshad	Kucha Buta Khatik, I/S Lohgarh Gate, Amritsar	8-11-55 Rs 1,600	4-1-56 Rs 4,000	26-7-56 Rs 2,400
38	119/67	Sh. Om Parkash	C/o Om Parkash-Amrit Lal, Bazar Kathian, Amritsar	8-11-56 Rs 1,200	24-1-55 Rs 3,000	26-7-56 Rs 1,800
39	209/70	Sh. Vishwa Nath	Accountant, Amritsar Improvement Trust, Amritsar	10-11-55 Rs 1,000	25-11-55 Rs2,500	23-1-56 Rs 1,500
40	639/71	Sh. Gopal Chand	Gali No.3, Kot Atma Singh, Amritsar	10-11-55 Rs 1,000	19-11-55 Rs 2,500	6-1-56 Rs 1,500
41	74/73	Sh. Guru Dutt	Kot Ghandya Lal, O/S Sultanwind, Gate, Amritsar	16-11-55 Rs 960	7-2-56 Rs 2,400	17-3-56 Rs 1,440
42	329/74	Sh. Hans Raj	Accountant Municipal Committee, Amritsar	18-11-55 Rs 3,750	27-12-55 3,750	..
43	781/76	Sh. Gurcharan Singh	Plot No. 33, Katra Sher Singh, Amritsar	19-11-55 Rs 960	27-2-56 Rs 2,400	27-7-56 Rs 1,440

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to the notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
..	No	Nil	Nil	646.65	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	680.15	Yes	Nil
4-12-57 Rs 1,800	Nil	Nil	Nil	1,136.93	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	783.09	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,433.06	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	687.89	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	958.31	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,279.84	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	884.92	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	2,420.79	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,166.81	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
			Rs			
44	47/80	Sh. Raghbir Singh	C/o The Amritsar Music House, 365/1, Hall Bazar, Amritsar	21-11-55 Rs 960	16-12-55 Rs 2,400	12-3-56 Rs 1,440
45	7/82	Sh. Nehal Singh	Principal, Punjab Gyani College, Amritsar	25-11-55 Rs 1,400	30-11-55 Rs 3,500	6-11-56 Rs 2,100
46	75/84	Sh. Bachan Singh	Kot Baba Dap Singh, Bazar No. 7, Sultanwind Gate, Amritsar	25-11-55 Rs 800	19-3-56 Rs 2,000	16-5-56 Rs 1,200
47	5/58	Sh. Om Parkash	Kucha Beli Misr, O/S Hathi Gate, Amritsar	25-11-55 Rs 640	30-11-55 Rs 1,600	13-12-55 Rs 960
48	988/86	S. Fauja Singh	Bagh Rama Nand, Gali No. 5, Guru Nanak Pura, Amritsar	25-11-55 Rs 800	1-12-55 Rs 2,000	21-12-55 Rs 1,200
49	884/87	S. Mehar Singh	Ranjit General Store, Cooper Road, Amritsar	25-11-55 Rs 800	21-12-55 Rs 2,000	31-1-56 Rs 1,200
50	140/95	Sh. Puran Singh	C/o District Medical Officer of Health, Amritsar	30-11-55 Rs 2,250	23-1-56 Rs 2,250	..
51	1584/96	Sh. Chanan Singh	Clerk, D. C.'s Office, Amritsar	1-12-55 Rs 600	8-2-56 Rs 900	29-2-56 Rs 1,500
52	1554/103	Sh. Basant Singh	House No. 837/ III-14, Kucha Mehnd Singh, Kt. Jallianwala, Amritsar	2-12-55 Rs 750	15-2-56 Rs 750	..
53	1547/106	S. Gurdip Singh	House No. 2035, Chowk Karoir, St. Kahan Singh, Kt. Ramgain, Amritsar City	3-12-55 Rs 1,500	15-12-55 Rs 600	23-1-56 Rs 900
54	457/107	Sh. Pritam Singh	House No. 1295/5 Kucha Nedhalian, Chowk Lannd Singh, Amritsar	3-12-55 Rs 600	17-12-55 Rs 900	23-1-56 Rs 1,500

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
..	No	Nil	Nil	594.17	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,352.02	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	466.36	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	621.14	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	514.44	Yes	Nil
..	Nil	No	Nil	509.59	Yes	Nil
..	Nil	No	Nil	1,160.16	Yes	Nil
..	Nil	No	Nil	562.56	Yes	Nil
..	Nil	No	Nil	290.36	Yes	Nil
..	Nil	No	Nil	777.92	Yes	Nil
..	Nil	No	Nil	382.56	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
55	337/109	Sh. Sohan Singh	Sub-Instructor, Amritsar Kutchery, Amritsar	3-12-55 Rs 1,800	23-1-55 Rs 1,800	..
56	1164/161	Sh. Savi Ram	69, Mewa Mandi, Amritsar	13-12-55 Rs 1,600	16-5-55 Rs 1,600	..
57	503/171	Sh. D. M. Verma	House No. 3, Line No. 3, Azad Nagar, G. T. Road, Amritsar	13-12-55 Rs 2,000	26-7-56 Rs 2,000	..
58	970/172	Sh. Sukh Dyal	C/o Imperial College, Chowk Regent Talkies, Amritsar	13-12-55 Rs 800	4-2-56 Rs 2,000	8-3-56 Rs 1,200
59	833/182	S. Mohinder Singh	Plot No. 25, New Colony, Katra Sher Singh, Amritsar	15-12-55 Rs 800	31-12-55 Rs 2,000	22-3-56 Rs 1,200
60	1154/185	Smt. Krisha Joshi	70, Gopal Nagar, Amritsar	15-12-55 Rs 700	22-5-56 Rs 1,750	9-2-57 Rs 1,050
61	712/188	S. Balwant Singh	Sarwarpura, Chowk Tohli, outside Sultanwind Gate, Amritsar	15-12-55 Rs 900	3-3-56 Rs 2,250	29-3-56 Rs 1,350
62	770/194	S. Surat Singh	Plot No. 7, Katra Sher Singh, Amritsar	15-12-55 Rs 840	17-3-56 Rs 2,100	29-3-56 Rs 1,260
63	713/195	Sh. Raj Kumar	C/o Dr. Badri Nath and Sons, opposite V. J. Hospital, Amritsar	15-12-55 Rs 900	3-3-56 Rs 2,250	29-3-56 Rs1,350
64	658/198	S. Sham Singh	House No. 1145/2, Chowk Farid, Amritsar	16-12-55 Rs 360	2-2-56 Rs 900	7-3-56 Rs 540
65	1548/201	S. Harbhajan Singh	House No. 997/5, Gali Phatwali, Amritsar	17-12-55 Rs 1,250	9-1-56 Rs 500	22-2-56 Rs 750
66	1567/202	Sh. Dharam Singh	H. No. 1590/3, street Kahan Singh, Chowk Karoir, Amritsar	17-12-55 Rs 1,500	23-2-55 Rs 600	3-2-56 Rs 900
67	1064/208	Sh. Madan Lal	2212 Kt. Sher Singh, Amritsar	17-12-55 Rs 900	27-2-56 Rs 2,250	23-3-56 Rs 1,350

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details, thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
				Rs		
..	No	Nil	Nil	Nil	No	The proceedings to recover the loan in lump sum are in progress
..	No	Nil	Nil	803.00	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	Nil	No	The action to recover the loan in lump sum is being taken
..	No	Nil	Nil	513.05	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1 025.92	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	820.55	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	841.66	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	480.85	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	841.66	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	458.72	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	483.11	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	778.44	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	551.53	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
				Rs		
68	163/218	Sh. Mohinder Singh	4-Kothi Putlighar, Amritsar	17-12-55 Rs 1,000	3-1-56 Rs 2,500	1-8-56 Rs 1,500
69	69/220	Sh. Ganga Ram	H. No. 4501/9, Katra Khazanu, Amritsar	17-12-55 Rs 1,320	15-3-56 Rs 3,300	19-5-56 Rs 1,980
70	68/221	Sh. Gian Chand	H. No. 3283, Kucha Dyal Singh Katra Bagion, Amritsar	17-12-55 Rs 1,000	3-2-56 Rs 2,500	15-3-56 Rs 1,500
71	986/226	Sh. Man Mohan Krishan	C/o Bank of India Ltd., 29, Gopal Nagar, Amritsar	17-12-55 Rs 1,100	9-1-56 Rs 2,750	29-2-56 Rs 1,650
72	152/227	Sh. Chander Kishore	Kucha Lalewali, Katra Ahluwalia, Amritsar	17-12-55 Rs 800	23-3-56 Rs 2,000	1-8-56 Rs 1,200
73	151/229	Sh. Jugal Kishore	Ditto ..	17-12-55 Rs 1,000	23-3-56 Rs 2,500	1-8-56 Rs 1,500
74	1026/230	Dr. Kesho Ram	Bazar Khilonian, Amritsar	17-12-55 Rs 1,220	3-2-56 Rs 3,056	28-3-56 Rs 1,830
75	328/236	Sh. Amar Nath	C/o M/s Waryam Singh and Sons, Hide Market, Amritsar	21-12-55 Rs 2,850	27-1-56 Rs 2,850	..
76	942/239	Sh. Tejinder Singh	Sorter, R.M.S., Amritsar	21-12-55 Rs 1,750	14-3-56 Rs 1,750	..
77	411/240	Sh. Baldev Sharma	12-Gopal Nagar, Amritsar	21-12-55 Rs 1,200	10-2-56 Rs 3,000	15-5-56 Rs 1,800
78	501/261	Sh. Krishan Kumar	H. No. 802/8-4, Gali Gosain, Katra Sant Singh, Amritsar	21-12-55 Rs 700	22-5-56 Rs 1,750	5-1-57 Rs 1,050
79	682/266	Sh. Kartar Singh	H. No. 2126/2, Gali Kambo, Kt. Jallianwala, Amritsar	22-12-55 Rs 600	8-2-56 Rs 1,500	12-3-56 Rs 900
80	859/277	Sh. Dyal Singh	C/o Diamond Furniture Co., Kt. Sher Singh, Amritsar	25-11-55 Rs 800	21-12-55 Rs 2,000	5-1-57 Rs 1,200

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to the notice of Goverment	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
..	No	Nil	Nil	923.79	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	786.19	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	948.52	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,315.19	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	456.14	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,237.79	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,550.44	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,476.66	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	894.80	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,513.00	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	824.47	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	569.61	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	758.37	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				Ist	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
				Rs		
81	356/286	Sh. Partap Singh	1144/12, Chowk Farid, Amritsar	26-12-55 Rs 820	24-3-56 Rs 2,050	28-3-56 Rs 1,230
82	831/293	Sh. Tara Singh	H. No. A-930, Guru Nanakwara, near Khalsa College, Amritsar	26-12-55 Rs 800	19-3-56 Rs 2,000	26-7-56 Rs 1,200
83	519/308	Sh. Lal Chand	Plot No. 123, Mori Ganj, Amritsar	26-12-55 Rs 740	14-3-56 Rs 1,850	28-3-56 Rs 1,110
84	1062/310	Sh. Mulkh Raj	H. No. 90, Katra Sher Singh, Amritsar	26-12-55 Rs 800	3-8-56 Rs 2,800	16-1-57 Rs 1,200
85	1688/312	S. Tara Singh	Karampura, New Purani Jail, Amritsar	27-12-55 Rs 250	24-1-56 Rs 100	6-2-56 Rs 150
86	747/321	Sh. Mohan Lal	Katra Karam Singh, Amritsar	28-12-55 Rs 1,350	..	..
87	849/322	Sh. Sohan Lal	Bhatid, Advocate, Nimak Mandi, Amritsar	28-12-55 Rs 2,750	23-1-56 Rs 2,750	..
88	631/323	Sh. Nagar Mal	1169/1, Katra Bagian, Amritsar	29-12-55 Rs 700	19-3-56 Rs 1,750	15-5-56 Rs 1,050
89	633/324	Sh. Bishambar Nath	1169/1, Katra Bagian, Amritsar	29-12-55 Rs 700	19-3-56 Rs 1,750	15-5-56 Rs 1,050
90	1592/325	Sh. Jagan Nath	H. No. 112/4, Kucha Qazian, Charausti Attari, Amritsar	29-12-55 Rs 700	6-7-55 Rs 1,050	1-8-56 Rs 1,750
91	1132/329	Sh. Ram Lal	C/o M/s Balmakand-Cheman Lal, Kt. Ahluwalia, Amritsar	31-12-55 Rs 460	17-3-56 Rs 1,150	28-3-56 Rs 690
92	807/330	Sh. Sucha Singh	Sukh Niwas, Guru Nanakwara, P.O. Khalsa College, Amritsar	31-12-55 Rs 700	10-2-56 Rs 1,750	23-3-56 Rs 1,050
93	182/337	Sh. Hans Raj	Newan Bazar, Bagh Jallianwala, Amritsar	2-1-56 Rs 1,200	2-2-56 Rs 3,000	6-3-56 Rs 1,800

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him against him
8	9	10	11	12	13	14
3-9-56 Rs 900	Nil	Nil	Nil	Nil	No	Action to recover the amount in lump sum is being taken
..	No	Nil	Nil	723.11	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	3,700.00	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	663.25	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	149.59	Yes	Nil
..	..	..	..	..	..	Action to recover the amount in lump sum is being taken
..	No	Nil	Nil	714.34	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	422.67	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	422.67	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	698.56	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	573.47	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	901.56	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	7,066.40	Yes	He has deposited the loan and the account stands settled

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
94	182/337	Sh. Arjan Singh	H. No. 1928/3, Gali Mac Ratto inside Sultan-wind Gate, Amritsar	3-1-56 Rs 2,000	31-1-56 Rs 800	17-3-56 Rs 1,200
95	735/392	Sh. Durga Dass	H. No. 2116/10, Katra Buloo, Bazar Bahian, Amritsar	6-1-56 Rs 800	1-8-56 Rs 2,000	19-1-57 Rs 1,200
96	498/402	Sh. Ram Rattan Kapahi	Plot No. 36, Ranika Bagh, Amritsar	6-1-56 Rs 1,200	20-3-56 Rs 3,000	22-5-56 Rs 1,800
97	280/407	Sh. Kishan Chand Metha	Plot No. 54, Katra Sher Singh, Amritsar	6-1-56 Rs 2,750	18-5-56 Rs 2,750	..
98	148/411	S. Hardit Singh	Plot No. 3, Katra Jaimal Singh, Amritsar	9-1-56 Rs 1,300	25-7-56 Rs 3,250	8-8-56 Rs 1,950
99	914/412	Sh. Surinder Kumar	137-Gopal Nagar, Amritsar	9-1-56 Rs 1,000	27-2-56 Rs 2,500	17-3-56 Rs 1,500
100	1061/422	Sh. Ram Narani	Gopal Nagar, Amritsar	9-1-56 Rs 1,750	22-2-56 Rs 1,750	..
101	1577/437	Sh. Mool Chand	H. No. 236/XVI-4, Durgiana, Amritsar	9-1-56 Rs 1,000	22-3-56 Rs 1,000	..
102	1678/456	Sh. Om Parkash	Kucha Arorian, Katra Karam Singh, Amritsar	13-1-56 Rs 200	4-2-56 Rs 300	2-3-56 Rs 500
103	1039/460	Sh. Lal Chand	Street No. 3, Kot Atma Singh, Amritsar	19-1-56 Rs 500	31-1-56 Rs 1,250	23-2-56 Rs 750
104	2396-A/466	Smt. Iqbal Kaur	H. No. 2450, Cheel Mandi, Mahan Singh Gate, Amritsar	19-1-56 Rs 1,500	28-3-56 Rs 600	25-5-56 Rs 900
105	589/469	S. Gurbachan Singh	H. No. 1940/5, Chowk Baba Sahib, Amritsar	23-1-56 Rs 700	3-3-56 Rs 1,750	20-3-56 Rs 1,050

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
				Rs		
..	No	Nil	Nil	771.08	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	927.59	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,505.87	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,390.67	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,141.49	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,277.39	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	676.93	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	383.12	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	257.25	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	648.17	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	Action to recover the loan in lump sum is being taken
..	No	Nil	Nil	897.44	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full Address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
106	706/481	Sh. Rattan Lal	H. No. 5048, Kucha Bagh Chowdhery, Kt. Khazand, Amritsar	24-1-56 Rs 2,250	12-3-56 Rs 2,250	..
107	1022/482	Sh. Rameshwar Dass	Plot No. 66, Bazar Bakarwand, Amritsar	24-1-56 Rs 3,750	15-3-56 Rs 3,750	..
108	1378/483	Sh. Pyare Lal Kakkar	Plot No. 102, Kt. Sher Singh, Amritsar	24-1-56 Rs 3,000	6-2-56 Rs 3,000	..
109	1864/491	S. Bhagwan Singh	157, Tahsilpura, Amritsar	25-1-56 Rs 4,000	27-7-56 Rs 1,600	14-1-57 Rs 2,400
110	76/504	S. Manmohan Singh China	39, Lawrance Road, Amritsar	30-1-56 Rs 2,650	18-5-56 Rs 2,650	..
111	665/505	Sh. Harish Chand	H. No. 750/5, Chowk Kareri, Amritsar	30-1-56 Rs 3,500	6-3-56 Rs 3,500	..
112	1521/508	Sh. Atma Ram	S/o Moti Ram, H. No. 320/W-4, Bazar Kaserian, near Boongd Hanuman Amritsar	30-1-56 Rs 300	29-3-56 Rs 300	..
113	1699/512	Sh. Harbans Singh	H. No. 2031/3, Katra Jalianwala, Amritsar	30-1-56 Rs 1,500	14-2-56 Rs 600	19-3-56 Rs 900
114	17/521	Sh. Dukh Bhajan	Majitha Road, Amritsar	31-1-56 Rs 1,200	6-3-56 Rs 3,000	28-3-56 Rs 1,800
115	252/522	Sh. Kundan Lal	Plot No. 136, Katra Sher Singh, Amritsar	31-1-56 Rs 3,000	6-3-56 Rs 3,000	..
116	835/523	Sh. Shashi Parkash Bhalla	Bhalla Boot House, Karmon Deori, Amritsar	31-1-56 Rs 700	28-3-56 Rs 1,750	31-3-56 Rs 1,050
117	943/524	Sh. Rattan Chand	H. No. 1957/2, Katra Mahan Singh, Amritsar	31-1-56 Rs 1,750	5-3-56 Rs 700	14-3-56 Rs 1,050
118	1435/526	S. Ram Singh	Rehn. Basere, The Mall, Amritsar	31-1-56 Rs 600	28-2-56 Rs 900	14-3-56 Rs 1,500

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
				Rs		
..	No	Nil	Nil	577.34	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,448.17	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,174.37	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	898.50	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,002.03	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	448.44	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	139.52	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	582.66	Yes	Nil
29-3-57 Rs 2,000	..	Nil	Nil	Nil	No	Action to recover the loan in lump sum is being taken
..	No	Nil	Nil	1,555.23	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	665.75	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	451.14	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	382.44	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full Address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
119	454/558	Sh. Goverdhan Lal Chopra	Near Telephone Exchange, Amritsar	4-2-56 Rs 2,750	27-7-56 Rs 2,750	..
120	971/559	Sh. Romesh Chand	Woodlands, The Mall, Amritsar	4-2-56 Rs 3,600	..	..
121	972/560	Sh. Muni Lal	Woodlands, The Mall, Amritsar	4-2-56 Rs 3,600	..	..
121	1103/561	S. Narinder Singh Sethi	Plots Nos. 13 and 14, St. Atma Singh outside Ram Bagh Gali, Amritsar	4-2-56 Rs 1,950	23-3-56 Rs 1,950	..
122	1302/567	M/s Kartar Singh-Mohinder Singh-Balwant Singh	Gali Kamboan, Katra Jallianwala, Amritsar	6-2-56 Rs 1,300	17-2-56 Rs 1,950	17-3-56 Rs 3,250
123	1664-A/596	Sh. Ram Nath, Vishwa Nath, Devinder Nath	H. No. 2350/III-28, Bagh Rama Nand, St. No. 13, Amritsar	9-2-56 Rs 400	12-3-56 Rs 600	28-3-56 Rs 1,000
124	1269/600	Sh. Karam Chand	1668/3 Inside Sultanwind Gate, Amritsar	10-2-56 Rs 1,500	25-2-56 Rs 600	14-3-56 Rs 900
125	1427/610	Sh. Mulkh Raj	Outside Sultanwind Gate, Amritsar	11-2-56 Rs 400	17-3-56 Rs 600	15-5-56 Rs 1,000
126	822/626	S. Mohan Singh	H.No. 1470/XIV-22, Chowk Putlighar, Amritsar	14-2-56 Rs 2,950	18-5-56 Rs 2,950	..
127	1697/632	S. Ram Singh	H. No. 2050/5-13, Gali Kahan, Chowk Karori, Amritsar	15-2-56 Rs 2,000	17-3-56 Rs 2,000	..
128	18-HRS/633	S. Swan Singh	Chowk Pragdass, Gali Wadha Weowali, Amritsar	18-2-56 Rs 2,000	8-3-56 Rs 2,000	..

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details, thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
				Rs		
..	No	Nil	Nil	1,007.22	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	3,690.00	Yes	The Account stands settled now
..	No	Nil	Nil	3,802.00	Yes	Ditto
..	No	Nil	Nil	752.69	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	Nil	No	Action to recover the loan in lump sum is being taken
..	No	Nil	Nil	383.80	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	584.19	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	377.53	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,122.03	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	257.92	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	520.42	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Serial No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
129	7482/634	Model Co-operative Society Ltd., Chawal Mandi, Amritsar		15-2-56, Rs 19,200	11-6-56, R s 48,000	11-8-56, Rs 28,800
130	162/635	S. Mehar Singh	Jahangir Kothi, Nanakwara, P.O. Khalsa College, Amritsar	17-2-56, Rs 1,200	2-3-56, Rs 3,000	31-7-56, Rs 1,800
131	1373/637	S. Mehar Singh	Plots Nos. 43-44, Bakarwana Bazar, Amritsar	17-2-56, Rs 400	17-3-56, Rs 1,600	28-3-56, Rs 2,400
132	2112/639	Smt. Jaswant Kaur	H. No. 2289/V-14, Kucha Mohra Kambo, Chowk Mohra Singh, Amritsar	17-2-56, Rs 600	17-3-56, Rs 240	31-3-56, Rs 360
133	294/640	Shri Dev Parkash	Headmaster, S.D. High School, Amritsar	22-2-56, Rs 1,500	26-7-56, Rs 3,750	7-8-56, Rs 2,250
134	1413/643	Shri Piara Lal	16, Daya Nand Nagar, Amritsar	22-2-56, Rs 3,000	14-3-56, Rs 3,000	..
135	556/653	S. Balwant Singh	Plot No. 83, Kt. Sher Singh No. 1, Amritsar	23-2-56, Rs 2,600	14-3-56, Rs 2,600	..
136	977/665	S. Kartar Singh Bagga	Plot No. 83, Kt. Sher Singh, Amritsar	27-2-56, Rs 3,250	14-3-56, Rs 3,250	..
137	1003/666	Sh. Roshan Lal Sikri	H. No. 139/140, Gali No. 1, Islamabad, Amritsar	27-2-56, Rs 600	2-8-56, Rs 1,500	8-8-56, Rs 900
138	1304/668	Sh. Dharam Pal	H. No. 2828/IX-17, Kt. Karam Singh, Amritsar	27-2-56, Rs 1,500	17-3-56, Rs 600	28-3-56, Rs 900

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
..	..	..	..	Recovery proceedings were started against this society	No	The repayment of loan in this case has been postponed under the orders of Government in Housing Department conveyed in their memo No. 8316-4Hg-59/19553, dated 24th December, 1959, addressed to this office.
..	No	Nil	Nil	1,12 4.41	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,540.93	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	232.59	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,333.56	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	Action to recover the loan in lump sum is in progress
..	No	Nil	Nil	676.91	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,274.27	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	331.32	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	584.56	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Serial No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalment-wise		
				Ist	2	3
1	2	3	4	5	6	7
139	1763/670	Shri Gluldo Ram	Kucha Naian Havdi Jamadar, Amritsar	27-2-56, Rs 100	12-3-56, Rs 150	21-3-56, Rs 250
140	1851/671	Smt. Dip Kaur	H. No. 986/5, outside Sultanwind Gate, Kucha Phatwala, Amritsar	27-2-56, Rs 300	12-3-56, Rs 450	23-3-56, Rs 750
141	168/683	Smt. Shila Wanti	H. No. 2079/12, Katra Sher Singh, Amritsar	28-2-56, Rs 750	14-3-56, Rs 300	21-3-56, Rs 450
142	759/685	S. Sham Singh	H. No. 4107/XV-32/Bazar No. 4, Kot Baba Deep Singh, Amritsar	28-2-56, Rs 2,500	1-8-56, Rs 1,000	9-1-57, Rs 1,500
143	281/696	S. Harbans Singh Mogi	Kt. Jallianwala, Amritsar	29-2-56, Rs 1,100	29-3-56, Rs 2,750	22-5-56, Rs 1,650
144	282/697	S. Sudarshan Singh	Katra Jallianwala, Amritsar	29-2-56. Rs 1,100	29-3-56, Rs 2,750	22-5-56, Rs 1,650
145	168/721	S. Iqbal Singh	Katra Karan Singh, Amritsar	2-3-56, Rs 3,000	20-3-57, Rs 3,000	..
146	185/722	S. Atar Singh	Timber Merchant, Kt. Karam Singh, Amritsar	2-3-56, Rs 1,350	17-3-56, Rs 1,350	..
147	512/723	Shri Om Parkash Kapli	Vijay Nagar, Batala Road, Amritsar	2-3-56, Rs 800	17-3-56, Rs 2,000	21-5-56 Rs 1,200
148	646/724	S. Mohan Singh	Azad Nagar, Gali No. 1, Putligarh, Amritsar	2-3-56, Rs 440	1-8-56, Rs 1,100	16-1-56, Rs 660
149	1009/725	Shri Harbans Lal	H. No. EA/240, Lalgarh Gate, Amritsar	2-3-56, Rs 1,250	20-3-56, Rs 1,250	..
150	1613/728	S. Balwant Singh	H. No. 2051/5-XIII, Chowk Karori, Amritsar	2-3-56, Rs 750	12-3-56, Rs 300	22-3-56, Rs 450
151	575/734	S. Sardul Singh	Katra Karam Singh, Amritsar	3-3-55, Rs 680	21-3-56, Rs 1,700	4-8-56, Rs 1,020

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
				Rs		
..	No	Nil	Nil	97.12	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	291.37	Yes	Nil
..	Nil	Nil	Nil	Nil	No	Action to recover the loan in lump sum is in progress
..	No	Nil	Nil	572.83	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	692.89	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	692.89	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,024.18	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	427.91	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	769.59	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	38.66	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	488.28	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	293.22	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	635.23	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Serial No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
				Rs		
152	576/735	S. Hardit Singh	Gali Maqbad, Kt. Karam Singh, Amritsar	3-3-56, Rs 680	20-3-56, Rs 1,700	31-7-56, Rs 1,020
153	604/736	S. Terlok Singh	Ditto	3-3-56, Rs 700	20-3-56, Rs 1,750	31-7-56, Rs 1,050
154	777/737	Smt. Ram Raki	Katra Mit Singh, Chati Khui, Amritsar	3-3-56, Rs 1,300	8-2-56, Rs 1,300	..
155	1001/738	Dr. Dorga Das	'My Nest', Gopal Nagar, Amritsar	3-3-56, Rs 860	29-7-56, Rs 2,150	1-8-56, Rs 1,290
156	1433/748	Shri Harcharan Singh	82, Katra Sher Singh, Amritsar	5-3-56, Rs 900	15-3-56, Rs 1,350	16-5-56, Rs 2,250
157	467/758	Bawa Amar Nath	Abadi Bawa Ishar Dass, Railway Road, Amritsar	6-3-56, Rs 1,240	28-3-56, Rs 3,100	15-5-56, Rs 1,860
158	561/767	Col. Makhan Singh	Ditto	7-3-56, Rs 2,500	2-8-56, Rs 1,000	7-8-56, Rs 1,500
159	2264/768	S. Gurbux Singh	H. No. 1296/5, Ch. Nand Singh, Amritsar	7-3-56, Rs 500	14-3-56, Rs 750	31-3-56, Rs 1,250
160	2717/776	S. Surjan Singh	Fatehabdian St. opposite Baba, Atal, Amritsar	7-3-56, Rs 1,000	16-5-56, Rs 400	27-7-56, Rs 600
161	518/778	S. Gian Singh	Abadi Guru Nanak Ward, Amritsar	8-3-56, Rs 620	23-3-56, Rs 1,550	28-3-56, Rs 920
162	557/779	Shri Tirlok Nath	Plot No. 63, Kt. Sher Singh, Amritsar	8-3-56, Rs 900	21-3-56, Rs 2,250	28-3-56, Rs 1,350
163	716/780	Shri Krishan Chand	No. 65, Kt. Sher Singh, Amritsar	8-3-56, Rs 2,500	22-3-56, Rs 1,000	28-3-56, Rs 1,500
164	1247/781	Sh. Natwar Lal	C/o M.S. Shal Color and Chemical Merchant, Katra Hari Singh, Amritsar	8-3-56, Rs 1,100	27-7-56, Rs 2,750	13-8-56, Rs 1,650
165	2493/792	S. Gian Singh	H. No. 1722, Gali Punjab Singh, Katra Ramgarian, Amritsar	8-3-56, Rs 150	1-8-56, Rs 225	22-3-56, Rs 375

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details there of	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
				Rs		
..	No	Nil	Nil	638.44	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	438.88	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	282.48	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	489.53	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,153.28	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	406.23	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	599.11	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	323.22	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	240.97	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	·603.72	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	877.50	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	976.70	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	269.19	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	132.27	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
166	1635/796	Smt. Satya Wati	Kucha Kuti Vehra Bazar Garbha Singh, Amritsar	12-3-56, Rs 800	28-3-56, Rs 320	22-5-56, Rs 480
167	2979/807	Shri Dwarka Nath	1880, Kucha Ghanda Singh, Chowk Baba Atal, Amritsar	12-3-56, Rs 400	18-3-56, Rs 600	25-7-56, Rs 1,000
168	3927/810	Shri Chajju Ram	Kucha Badri Nath, Bazar Mori Ganj, Amritsar	20-3-56, Rs 600	24-3-56, Rs 900	28-3-56, Rs 1,500
169	1262/813	Shri Bashamber Dass	63, Rani-Ka-Bagh, Amritsar	22-3-56, Rs 1,500	2-8-56, Rs 1,500	..
170	2507/815	Shri Dayal Chand Bedi	H. No. 2134/III-27, Kucha Kamboan, Katra Jallianwala, Amritsar	23-3-56, Rs 100	24-3-56, Rs 150	28-3-56, Rs 250
171	7205/817	S. Mohinder Singh	H. No. 1143/12, Chowk Farid, Amritsar	23-3-56, Rs 2,000	28-3-56, Rs 800	29-3-56, Rs 1,200
172	1590/818	S. Balbir Singh	Plot No. 51, Katra Sher Singh, Amritsar	24-3-56, Rs 2,500	31-3-56, Rs 2,500	..
173	7890/823	Shri Durga Dass	Kot Mahant Ram Saran Das, Amritsar	24-3-56, Rs 1,500	28-3-56, Rs 600	31-3-56, Rs 900
174	265/825	Shri Balwant Rai Sharma	C/o M/s M.R. Sharma and O/S Hall Gate, Amritsar	28-3-56, Rs 3,000	26-7-56, Rs 3,000	..
175	801/826	S. Surjit Singh	5-A, Lal Devi Bldg, Melord Road, Amritsar	28-3-56, Rs 1,100	29-4-56, Rs 2,750	13-8-56, Rs 1,650
176	1591/833	S. Ranjit Singh Batra	Cheel Mandi, Mohan Singh Gate, Amritsar	28-3-56, Rs 2,000	31-7-56, Rs 800	7-8-56, Rs 1,200

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details, thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
				Rs		
..	No	Nil	Nil	309.25	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	363.86	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	195.00	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	531.73	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	65.58	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	Nil	No	Action to recover the loan in lump sum is being taken.
..	No	Nil	Nil	5,595.23	Yes	The account stands settled.
..	No	Nil	Nil	588.48	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,121.83	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	1,041.32	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	3,940.00 222.95	Yes	The account stands settled.

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
177	1299/895	S. Mohinder Singh Virk	Kot Baba Deep Singh, Gali No. 3, Amritsar	29-3-56, Rs 1,500	31-7-56, Rs 600	16-1-57, Rs 900
178	1163/924	S. Lal Singh	Ramdas Nagar, G.T. Road, Amritsar	31-3-56, Rs 2,000	1-8-56, Rs 2,000	..
179	199/930	S. Sarmukh Singh	Baba Ajit Singh Nagar, o/s Sultanwind Gate, Amritsar	22-2-57, Rs 4,200	24-1-57, Rs 1,800	..
180	975/932	S. Mubarak Singh	Rani Bazar, Sharif pura, Amritsar	2-1-57, Rs 1,200	10-1-57, Rs 3,000	8-2-57, Rs 1,800
181	264/933	Shri Piara Lal	Badwal Katra Jaimal Singh, Amritsar	7-1-57, Rs 1,000	20-2-57, Rs 2,500	25-3-57, Rs 1,500
182	1231/936	Shri Jia Lal	C/o Lakhshmi Store General Merchants, The Mall, Amritsar	7/22-1-57, Rs 1,300	23-1-57, Rs 3,250	11-2-57, Rs 1,960
183	1395/941	Sh. Sohan Lal	C/o The Bank of India Ltd., Amritsar	20-2-57, Rs 2,800	18-3-57, Rs 1,120	23-3-57, Rs 1,680
184	1604/951	S. Prabh Singh	H. No. 1288/5, Kucha Nawaban, Amritsar	9-3-57, Rs 750	19-3-57, Rs 350	25-3-57, Rs 460
185	1348/959	Shri G. S. Randhawa	Bagh Rama Nand, Amritsar	18-3-57, Rs 2,000	27-5-57, Rs 800	3-6-57, Rs 1,200
186	1461/965	S. Jit Singh	Kucha Kamboke, Kt. Jallianwala, Amritsar	19-3-57, Rs 600	22-3-57, Rs 900	8-5-57, Rs 1,500
187	3218/988	S/S Tajinder Singh Harinder Singh, Baldev Singh, Mangat Singh	H. No. 2259/16, Gali Bhatwali, near Sultanwind Gate, Amritsar	21-3-57, Rs 1,200	28-3-57, Rs 1,800	29-3-57, Rs 3,000
188	1248/990	Shri Devi Dass	Plot No. 111, Islamabad, Amritsar	21-3-57, Rs 1,120	28-3-57, Rs 2,750	9-5-57 Rs 1,630

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of the loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
				Rs		
..	No	Nil	Nil	195.00	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	747.09	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	421.07	Yes	Nil
9-9-57 Rs 1,800	No	Nil	Nil	445.61	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	397.87	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	7,415.28	Yes	The account since stands settled.
..	No	Nil	Nil	725.63	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	195.97	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	Action to recover the amount in lump sum is in progress.
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	710.09	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
189	608/997	S. Mohinder Singh	H. No. 2469, V. Maqbulpura, Amritsar	22-3-57, Rs 1,000	28-3-57, Rs 2,500	9-5-57, Rs 1,500
190	644/1017	Sh. Madan Lal	Katra Sher Singh, Opposite New Telephone Exchange, Amritsar	25-3-57, Rs 1,200	28-3-57, Rs 1,800	17-5-57, Rs 3,000
191	184/1022	S. Balbir Singh	Katra Karam Singh, Amritsar	25-3-57, Rs 1,350	28-3-57, Rs 1,350	..
192	389/1023	S. Hira Singh	H. No. 1547/6, Chand Mandi, Amritsar	26-3-57, Rs 1,000	7-5-57, Rs 2,500	11-7-57, Rs 1,600
193	1853/1024	Sh. Charan Das	Mohalla Balmiki, Gilwali Gate, Amritsar	26-3-57, Rs 750	24-5-57, Rs 300	10-7-57, Rs 450
194	7212/1025	S. Attar Sinah Gulzar Singh	Chowk Farid, Amritsar	28-3-57, Rs 4,000	24-5-57, Rs 1,600	4-7-57, Rs 2,400
195	83/1027	Sh. Mohan Lal	No. 2203-4/12, Kt. Sher Singh, Amritsar	28-3-57, Rs 1,400	29-3-57, Rs 3,500	15-5-57, Rs 2,100
196	49/1028	S. Mehar Singh	Editor Khalsa Advocate, G. T. Road, Amritsar	28-3-57, Rs 680	23-5-57, Rs 1,700	28-5-57, Rs 1,020
197	1228/1029	The Amritsar Omnibus Service Co-operative, House Building Society, Amritsar		28-3-57, Rs 15,600	28-3-57, Rs 39,000	24-5-57, Rs 23,400
198	7208/1030	S. Avtar Singh	Bazar Papranwala, Amritsar	28-3-57, Rs 4,000	31-3-57, Rs 1,600	5-9-57, Rs 2,400
199	7210/1033	S. Narain Singh	Majitha House, Amritsar	28-3-57, Rs 4,000	..	..
200	7208/1034	S. Sawarn Singh	Akali Market, Amritsar	28-3-57, Rs 4,000	31-3-57, Rs 1,600	10-10-58, Rs 2,400
201	7209/1035	Smt. Man Mohan Kaur	92, the Mall, Amritsar	28-3-57, Rs 4,000	..	..

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
				Rs		
..	No	Nil	Nil	645.89	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	765.79	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	354.66	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	296.45	Yes	Nil
..	No.	Nil	Nil	188.40	Yes	Nill
..	No	Nil	Nil	..	No	Action to recover the amount in lump sum is in progress.
..	No	Nil	Nil	906.45	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	419.78	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	6,226.66	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	Action to recover the amount in lump sum is progress.
..	No	Nil	Nil	4,375.34	Yes	He has since deposited total amount of loan with interest thereon and the account stands settled.
..	No	Nil	Nil	787.40	Yes	Nil
..	..	..	..	..	..	This cheque was not actually drawn and was cancelled.

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalment-wise		
				Ist	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
202	1,305/ 1041	Sh. Dewan Chand	H. No. 2811/IX-17, Ram Mohalla, Kt. Karam Singh, Amritsar	29-3-57 Rs 1,500	30-5-57, Rs 600	4-7-57, Rs 900
203	1190/ 1050	Sh. Mohinder Lal	Lecturer in Physics, Hindu College, Amritsar	7-5-57, Rs 1,040	8-7-57, Rs 2,600	6-11-57, Rs 1,560
204	435/1056	S. Bakhshish Singh	Supdt. LAO (Army), Amritsar Cantt.	27-5-57, Rs 1,300	3-6-57, Rs 3,250	12-8-57, Rs 1,950
205	2,797/ 1083	Sh. Sithu Ram	Kt. Sher Singh, Amritsar	5-7-57, Rs 1,000	17-7-57, Rs 400	12-8-57, Rs 600
206	15418/ 1207	The Azad Bharat House Building Society, Amritsar		2-1-58, Rs 8,400	17-1-58, Rs 21,000	31-1-58, Rs 12,600
207	16269/ 1208	The Ghee Mandi, House Building Society, Amritsar		2-1-58, Rs 14,400	28-1-58, Rs 36,000	17-2-58, Rs 21,600
208	10791/ 1213	S. Dalip Singh	Gujarpura, O/S Gilwali Gate, Amritsar	17-1-58, Rs 800	1-2-58, Rs 800	..
209	1216	Sh. Kirpa Ram	Chaurasti Attari, Amritsar	30-1-58, Rs 1,000	11-3-58 Rs 2,500	31-3-58, Rs 1,500
209-A	16511/ 1222	The Amritsar friends Co-operative House Building Society, Amritsar		10-3-58, Rs 16,000	17-3-58, Rs20,000	31-3-58, Rs 20,000
210	16512/ 1237	The Amritsar Bagh Rama Nand Co-operative House Building Society, Amritsar		31-3-58, Rs 12,000	16-8-58, Rs 30,000	30-12-58, Rs 18,000
211	1300/ 1268	S. Amar Singh	Katra Garbha Singh, Amritsar	21-3-58, Rs 1,750	22-12-58, Rs 700	26-6-59, Rs 1,050
212	1242/ 1299	Sh. Amrik Singh Randhwa	Municipal Commissioner, Amritsar	22-9-58, Rs 2,000	..	..
213	233/1300	Sh. Parkash Singh	Supdt. (Tax) M. C., Amritsar	22-9-58, Rs 2,300	9-10-58, Rs 920	24-10-58, Rs 1,380
214	18/1314	Sh. Devi Dass	Kishan Kot, Islamabad, Amritsar	2-1-59, Rs 400	23-1-59, Rs 1,000	5-2-59, Rs 600
215	223/1317	Sh. Khushi Ram	B-64, Gopal Nagar, Amritsar	5-2-58, Rs 500	4-2-59, Rs 1,250	7-8-59, Rs 750

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
..	No	Nil	Nil	377.64	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	623.52	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	831.47	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	Action to recover the loan in lump sum is in progress.
4-7-59 Rs 28,000	..	Nil	Nil	7,014.85	Yes	Nil
23-12-58 Rs 43,100	..	No	Nil	·12,788.46	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	104.86	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	306.78	Yes	Nil
24-7-58 Rs 24,000	No	Nil	Nil	..	No	Action to recover the instalment is in progress.
..	Nil	Nil	Nil	..	No	Action to recover the amount due is in progress.
..	No	Nil	Nil	169.30	Yes	Nil
..	No	..	..	..	No	Action to recover the loan in lump sum is in progress.
4-12-58 3,000	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nli	Nil	127.56	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	139.29	Yes	Nil

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
216	214/1321	S. Santokh	Kothi No. 52, Rani-ka-Bagh, Amritsar	6-1-59, Rs 2,000	7-2-59, Rs 2,000	..
217	216/1322	Sh. Raja Ram	1032, Islamabad, Amritsar	6-1-59, Rs 600	4-2-58, Rs 1,500	23-6-59, Rs 900
218	7/1325	S. Charan Singh	Clerk, D. C.'s Office, Amritsar	7-1-59, Rs 750	24-1-59, Rs 750	..
219	203/1333	S. Jarnail Singh	258/9, New Abadi Gali No. 4, Bhagtanwala, Amritsar	8-1-59, Rs 600	4-2-59, Rs 1,500	23-6-59, Rs 900
220	285/1338	S. Gurcharan Singh	Plot No. 54, Baba Ajit Singh Nagar, Amritsar	9-1-59, Rs 600	16-2-59, Rs 1,500	8-7-59, Rs 900
221	286/1339	S. Faqir Singh	Plot No. 4, Baba Ajit Singh Nagar, Amritsar	9-1-59, Rs 600	3-3-59, Rs 1,500	8-7-59, Rs 900
222	284/1340	S. Sardar Singh	Baba Ajit Singh Nagar, Amritsar	10-1-59, Rs 600	3-3-59, Rs 1,500	2-12-59, Rs 900
223	179/1341	S. Sunder Singh	Mohan Nagar, O/S Sultanwind Gate, Amritsar	10-1-59, Rs 600	24-1-59, Rs 1,500	8-3-59, Rs 900
224	194/1351	Sh. Surinder Nath	New Abadi, Ram Nagar, O/S Sultanwind Gate, Amritsar	12-1-59, Rs 600	13-3-59, Rs 1,500	4-7-59, Rs 900
225	213/1358	S. Bhajan Singh	2369/5, Kucha Jiwan Singh, Chowk Baba Sahib, Amritsar	12-1-59, Rs 2,000	23-6-59, Rs 2,000	..
226	25/1359	S. Kapur Singh	Maqbulpura, Amritsar	13-1-59, Rs 1,500	21-2-59, Rs 1,500	..
227	5/1360	Smt. Bimla Devi	Ram Nagar, O/S Sultanwind Gate, Amritsar	13-1-59, Rs 1,500	17-2-59, Rs 1,500	..

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misure of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment of loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
17-7-59, Rs 500	No	Nil	Nil	277.88	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	The loanee is being asked to show cause against lump sum recovery.
..	No	Nil	Nil	98.09	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	The loanee is being asked to show cause against lump sum recovery.
..	No	Nil	Nil	169.81	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	169.82	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	The loanee is being asked to show cause against lump sum recovery.
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	222.14	No	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	The loanee is being asked to show cause against lump sum recovery
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto

[Minister for Public works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and the amount of loan issued instalment-wise		
				Ist	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
228	78/1376	Sh. Dev Raj	Bara Mahar, Islamabad, Amritsar	19-1-59, Rs 800	25-6-59, Rs 2,000	21-7-59, Rs 1,200
229	27/1377	S. Gurbachan Singh	H. No. 458, Sharifpura, Amritsar	19-2-59, Rs 800	23-6-59, Rs 2,000	26-11-59, Rs 1,200
230	250/1379	S. Pritam Singh	Krishangarh, O/S Chatiwind Gate, Amritsar	20-1-59, Rs 800	10-2-59, Rs 2,800	4-7-59, Rs 1,200
231	16/1385	Sh. Saran Das	Gopal Nagar, Amritsar	20-1-59, Rs 2,000	23-6-59, Rs 2,000	..
232	32/1387	S. Santa Singh	Plot No. 14, Baba Ajit Singh Nagar, Amritsar	23-1-59, Rs 800	16-2-59, Rs 2,000	8-7-59, Rs 1,200
233	73/1392	S. Sarmuk Singh	Plot No. 192, Baba Ajit Singh Nagar, Amritsar	23-1-59, Rs 800	25-6-59, Rs 2,000	21-7-59, Rs 1,200
234	215/1398	Smt. Tej Kaur	Guru Nanak Nagar, Amritsar	27-1-59, Rs 800	3-3-59, Rs 2,000	25-6-59, Rs 1,200
235	15/1413	Sh. Ram Nath	Plot No. 9, Islamabad, Amritsar	7-2-59, Rs 600	13-6-59, Rs 1,500	18-1-60, Rs 900
236	141/1414	Sh. Harbans Lal	Plot No. 8, Islamabad, Amritsar	17-2-59, Rs 600	23-6-59, Rs 1,500	26-11-59, Rs 900
237	231/1426	Smt. Harbans Kaur	Kt. Karam Singh, Amritsar	16-2-59, Rs 800	22-6-59, Rs 2,000	18-7-59, Rs 1,200
238	12/1426	Sh. Roshan Lal	Gali No. 3, Model Town, Amritsar	17-2-59 Rs 600	4-7-59 Rs 1,500	26-11-59 Rs 900
239	168/1429	Smt. Lachman Kaur	Gali Arorian, Hall Bazar, Amritsar	20-2-59, Rs 800	23-6-59, Rs 2,000	4-7-59, Rs 1,200
240	149/1432	Sh. Des Raj ..	Plot No. 20, Bazar Baharward, Amritsar	20-2-59, Rs 800	..	..
241	183/1435	Sh. Ishar Das	Kt. Sher Singh, Amritsar	20-2-59, Rs 700	23-6-59, Rs 1,750	8-7-59, Rs 1,050
242	1234/1447	Sh. Satya Pal ..	H. No. 4119, Inside Khazana Gate, Amritsar	9-3-59, Rs 600	25-6-59, Rs 1,500	21-7-59, Rs 900

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
..	No	Nil	Nil	..	No	The loanee is being asked to show cause against lump sum recovery
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	233.38	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	244.33	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	The loanee is being asked to show cause against lump sum recovery.
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	206.47	Yes	Nil
..	No	Nil	Nil	..	No	No instalment is presently due from this loanee
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full Address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalment-wise		
				1st	2	3
1	2	3	4	5	6	7
243	64/1466	Sh. Rajinder Pal	New Abadi Brahm Nagar, Amritsar	13-3-59, Rs 3,850	23-6-59, Rs 3,850	..
244	476/1471	Sh. Gian Singh	H. No. 3026, Gali Kharaswali, Katra Mahan Singh, Amritsar	13-3-59, Rs 400	25-6-59, Rs 1,000	20-7-59, Rs 600
245	402/1471	S. Mohinder Singh	Batala Road, Amritsar	13-3-59, Rs 800	4-7-59, Rs 2,000	7-8-59, Rs 1,200
246	199/1479	S. Natha Singh	H. No. 502/1 Opposite Municipal Workshop, Amritsar	12-3-59, Rs 800	23-6-59, Rs 2,000	14-7-59, Rs 1,200
247	652/1482	Sh. Hari Kishan Khanna	24-B, The Mall, Amritsar	23-6-59, Rs 1,600	..	..
248	67/1484	Sh. Keshva Nand	New Brahm Nagar, The Mall, Amritsar	23-6-59, Rs 1,200	4-7-59, Rs 3,000	27-7-59, Rs 1,800
249	68/1490	Sh. Kuldip Singh	Kot Atma Singh, Amritsar	23-6-59, Rs 1,400	14-7-59, Rs 3,500	26-11-59, Rs 2,100
250	157/1492	S. Jamiat Singh	1653, Ranjitpura, Amritsar	23-6-59, Rs 800	27-7-59, Rs 2,000	1-12-59, Rs 1,200
251	1/1493	S. Hira Singh	H. No. 1243/7, Bhagatanwala Gate, Amritsar	23-6-59, Rs 3,500	8-7-59, Rs 3,500	..
252	35/145	Sh. Chaman Lal	Upplan Street, Guru Bazar, Amritsar	23-6-59, Rs 800	7-1-60, Rs 2,000	..
253	138/1501	Smt. Parkash Kaur	Rani-ka-Bagh, Amritsar	26-6-59, Rs 3,500	21-7-59, Rs 3,500	..
254	69/1505	Sh. Raj Pal	Plot No. 59, Katra Moti Ram, Amritsar	26-6-59, Rs 1,600	7-1-60, Rs 4,000	..
255	427/1507	Sh. Vir Bhan	Abadi Mohan Nagar, O/S, Sultanward Gate, Amritsar	26-6-59, Rs 400	14-7-59, Rs 1,000	27-7-59, Rs 600

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
..	No	Nil	Nil	..	No	No instalment is presently due from this loanee.
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
23-9-59, Rs 1,500	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
16-12-59, Rs 600	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
11-12-59, Rs 100	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto

[Minister for Public Works]

Sr. No.	Lef. No.	Name of loanee	Full address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalmentwise		
				Ist	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
			Rs			
256	91/1511	Sh. Sham Dass	54, Fruit Market, Amrisar	4-7-59, Rs 800	27-7-59, Rs 2,000	26-11-59, Rs 1,200
257	106/1518	S. Darshan Singh	Rani-ka-Bagh, Amritsar	4-7-59, Rs 800	21-7-59, Rs 2,000	27-11-59, Rs 1,200
258	108/1519	S. Ajaib Singh	Rani-ka-Bagh, Amritsar	4-7-59, Rs 800	21-7-59, Rs 2,000	27-11-59, Rs 1,200
259	107/1520	S. Makhan Singh	Ditto	4-7-59, Rs 800	21-7-59, Rs 2,000	27-11-59, Rs 1,200
260	383/1535	S. Chanan Singh	Baba Ajit Singh Nagar, O/S Sultanwind Gate, Amritsar	8-7-59, Rs 3,000	20-7-59, Rs 3,000	..
261	781/1536	S. Pritam Singh	Guru Nanakwara, Amritsar	8-7-59, Rs 400	20-3-59, Rs 1,000	27-11-59, Rs 2,000
262	3/1541	S. Mukhtar Singh	Rani-Ka-Bagh, Amritsar	9-7-59, Rs 3,000	26-11-59, Rs 3,000	..
263	196/1542	S. Mohinder Singh	Kucha Punjab Singh, Chowk Baba Sahib, Amritsar	9-7-59, Rs 3,000	14-7-59, Rs 3,000	..
264	46/1552	Sh. Daulat Singh	Plot No. 27, Kt. Sher Singh, Amritsar	14-7-59, Rs 2,750	7-8-59, Rs 2,750	..
265	52/1553	Sh. Dharam Chand	Plot No. 9, Kt. Sher Singh, Amritsar	14-7-59, Rs 1,400	7-8-59, Rs 3,500	26-11-59, Rs 2,100
266	38/1557	Sh. Sant Ram	Plot No. 64, Bazar Bakarwand, Amritsar	18-7-59, Rs 2,250	28-7-59, Rs 2,250	..
267	742/1558	Sh. Puran Chand	Mohan Nagar, O/S, Sultanwind Gate, Amritsar	18-7-59, Rs 1,500	22-7-59, Rs 1,500	..
268	20/1559	Sh. Panna Lal..	Plot No. 61, Bazar Bakarwand, Amritsar	18-7-59, Rs 1,200	28-7-59, Rs 3,000	26-11-59, Rs 1,800
269	509/1561	S. Tara Singh..	Plot No. 20, Bazar Bakarwand , Amritsar	20-7-59, Rs 1,400	7-1-59, Rs 3,500	9-2-60, Rs 2,100

Enhancement of loan with date and amount	Whether any cases of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	Whether the first instalment loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
..	No	Nil	Nil	..	No	No instalment is presently due from this loanee
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
7-10-59 Rs 1,170	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto

[Minister for Public Works]

Serial No.	Lef. No.	Name of loanee	Full Address	Dates when the loan was disbursed and amount of loan issued instalment wise		
				1st	2nd	3rd
1	2	3	4	5	6	7
270	510/1562	S. Inder Singh	Plot No. 20-A, Bazar Bakarwand	20-7-59, Rs 1,400	7-8-59, Rs 3,500	27-11-59, Rs 2,100
271	81/1563	S. Surinder Singh	Habibpura, Amritsar	20-7-59, Rs 1,500	26-11-59, Rs 1,500	..
272	39/1564	Sh. Raj Kumar	Plot No. 68, Shahid Bhagat Singh Road, Amritsar	20-7-59, Rs 1,200	28-7-59, Rs 3,000	26-11-59, Rs 1,800
273	161/1565	Smt. Kartar Kaur	Plot No. 24, Improvement Trust, Amritsar	21-7-59, Rs 1,200	14-12-59, Rs 3,000	14-1-60, Rs 1,800
274	10/1569	Sh. Babu Ram	Plot No. 114-115, Ganj Mori, Amritsar	27-7-59, Rs 3,000	26-11-59, Rs 3,000	..
275	630/1571	Sh. Harbans Lal-Madan Chand	Gali Lala Sukh Dyal-Mehana Singh Road, Amritsar	27-7-59, R s 2,250	27-11-59, Rs 2,250	..
276	906/1574	Sh. Kishan Chand	Manager, Chitra Talkies, Amritsar	7-8-59, Rs 4,000	26-11-59, Rs 4,000	..
277	207/1576	S. Karam Singh Lall	Burma Niwas, Mohan Nagar, Amritsar	7-8-59, Rs 3,500	27-11-59, Rs 3,500	..
278	2/1578	Miss Tajinder Kaur	53, Katra Sher Singh, Amritsar	8-8-59	..	..
279	958/1583	Sh. Jagdish Raj	M. M. Malvia Road, Amritsar	14-8-59, Rs 2,250	26-11-59, Rs 2,250	..
280	62/1586	S. Kuldip Singh	Court Road, Amritsar	26-8-59, Rs 3,000	12-10-59, Rs 3,000	..

Enhancement of loan with date and amount	whether any case of misuse of loan have come to notice of Government	If so, details thereof	Action taken in the matter	Total amount of loan repaid in each case	whether the first instalment loan has been paid or not	Action, if any, taken against him
8	9	10	11	12	13	14
..	No	Nil	Nil	..	No	No instalment is presently due from this loanee
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto
..	No	Nil	Nil	..	No	Ditto

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब Government की तरफ से जो मुझे जवाब मिला है वह अब मिला है । क्या इस पर supplementary सवाल करने के लिये मुझे कल अजाजत दे दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है अगर अब जवाब मिला है तो आप कल supplementary कर लें । (Yes, if the reply has been received by the hon. Member today, he may ask supplementaries on it tomorrow).

SUPPLY OF OPIUM TO ADDICTS

*5061. **Chaudhri Baru Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state what arrangements, if any, have been made by Government to supply opium to the addicts ; if none, the reasons therefor ?

Shrimati Parkash Kaur (Deputy Minister) : Opium is supplied to the addicts on permits issued by the Civil Surgeons.

PROVINCIALISATION OF KANGRA DISPENSARY

*5141. **Pandit Amar Nath Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it has been decided to provincialise the dispensary at Kangra, during the Second Five-Year Plan; if so, the time by which it is likely to be done ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : Yes, with effect from 1st April, 1960.

SURVEY OF MINERALS IN THE STATE DURING THE LAST TWO YEARS

*5085. **Chaudhri Inder Singh** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any survey of minerals in the State was held by Government during the last two years ; if so, the results thereof and the names of minerals available in the State along with their location ;

(b) whether applications for grant of mining leases for the exploration of the minerals referred to in part (a) above were invited by Government; if so, when and the number of applications received so far ;

(c) the manner in which the said minerals are being exploited at present ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes, through the Geological Survey of India. A statement indicating the field programme of the Geological Survey of India relating to the Punjab for 1957-58 and 1958-59 is laid on the Table, which indicates the actual survey reports received.

(b) Not yet.

(c) The most appropriate manner of their exploitation is under consideration.

List showing Mineral Surveys concerning Punjab included by Geological Survey of India in their field programmes for 1957-58 *and* 1958-59

1957-58—

1. Investigation of slates in the hills near the villages Basair and Babalheri, in tehsil Ferozepur-Jhirka.

2. Investigation of the quarries of limestone in the National Extention Service Block near Loharu, District Hissar, for the manufacture of cement.

3. Investigation of limestone between Tundapathar and Sherla, Ambala District, for the manufacture of calcium carbide.

4. Examination of occurrences of lead, copper, pyrites and limestone etc., in the Simla Hills (Pepsu).

5. Detailed investigation of the mineral deposits in the Hoshiarpur District.

6. Investigation of the lead, antimony, silver, copper, borax and sulphur occurrences in the Spiti Valley and near Shigri and other minerals in the Kangra District.

7. Continuation of the systematic mapping of the Dharmsala Mandi area, Kangra District.

8. Continuation of the systematic mapping of the Hoshiarpur and Kangra District.

9. Continuation of the systematic mapping in Pepsu.

10. Further investigation of the limestone occurrence in Dharmkot. P.F., Kangra District.

11. Investigation of the iron or deposits in Dhaoli Dhar, Kangra District.

1958-59—

1. Investigation of Kankar depostis in Gurgaon tehsil in order to determine their suitability for cement manufacture.

2. Examination of gravel deposits in the exploratory areas for gravels for shrouding.

Survey report received—

1. Survery report on the Dharamkot limestone for Portland cement manufacture, Kangra District, Punjab.

2. Report on the investigation of limestone (Kankar) quarries in the National Extention Service Block, Loharu, District Hissar, for manufacture of cement.

RISING PRICES OF FOODGRAINS IN THE STATE

***5152. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether he has received any complaints from the public regarding the recent soaring prices of foodgrains in the State ; if so, the steps, if any proposed to be taken to reduce these prices ?

Shri Banarsi Das Gupta (Deputy Minister): No. The following measures, *inter alia*, have been taken to reduce the high prices—

(i) Roller Flour Mills have been declared as 'Essential Services' and would be getting full supply of electricity.

(ii) The number of Fair Prices Shops have been increased from 1200 to 2000.

[Deputy Minister]

(iii) Abundant and regulated supplies of atta are being ensured at fair price shops.

(iv) In some places, arrangements have been made with the local chakkis to supply wholemeal atta to the consumers at reasonable rates.

(v) Wheat quotas of Roller Flour Mills are being increased and

(vii) the check on fair price shops is being intensified and issues to consumers from fair price shops have been ordered to be made on family cards to obviate the possibility of atta stocks getting into the hands of persons likely to sell it at higher rates.

(At this stage the Deputy Minister gave a Punjabi reading of the reply.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. यह जो कभी हिंदी कभी पंजाबी और कभी अंगरेज़ी में जवाब दिये जाते हैं यह वज़ीर साहिब की मर्ज़ी पर है या question put करने वाले का भी कोई ख्याल रखा जाता है ?

श्री अध्यक्ष : सब का ख्याल रखा जाता है। (Consideration is shown to every body in the matter.)

श्री मंगल सेन : मेरी प्रार्थना, स्पीकर साहिब, यह है कि इन से हिंदी अनुवाद करा दिया जाये।

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब, मैं वज़ीर साहिब से पूछना चाहता हूं कि क्या इन को कोई ऐसी instructions मिली हुई हैं कि हिंदी speaking area के Members को पंजाबी में जवाब दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : महाशा जी, अगर कल को किसी ने हिंदी में जवाब पूछा तो क्या आप तरजमा कर सकेंगे। (*Addressing the Deputy Minister*—If tomorrow any body asks the reply in Hindi, will he be able to translate it ?)

उप मंत्री : क्यों नहीं, लीजिये।

(At this stage the Deputy Minister gave the Hindi version of the reply).

श्री अध्यक्ष : (श्री मंगल सेन को सम्बोधन करके) क्या आप अपनी speech पंजाबी में करेंगे क्योंकि मैं पंजाबी अच्छी तरह से समझ सकता हूं। (Will the hon. Member make his speech in Punjabi as I can understand this language very well ?)

श्री मंगल सेन : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ मेरा मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि (हंसी) *(Interruption)*

श्री अध्यक्ष : इसी तरह से और साहिबान को भी दिक्कत है जैसे आप को है। इस लिये आप को किसी चीज़ को wrongly put नहीं करना चाहिये। (Similarly other Members also feel the same difficulty which is being experienced by the hon. Member. He should, therefore, avoid putting things in a wrong way.)

श्री मंगल सेन : मेरे सवाल के जवाब में मुझे बताया गया है कि 2,000 depots अनाज supply करने के सिलसिले में खोले गये हैं। मैं इन से यह पूछना चाहता हूं कि इन के खिलाफ क्या लोगों की शकायात Government को मिली हैं। और क्या लोगों की मांग पूरी भी हो रही है या नहीं।

मंत्री : मांग हमेशा रहती है क्योंकि इतनी तादाद की societies हैं लेकिन बात यह है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मंगल सेन : क्या शहर के इलावा और गांव में भी Government इन के खोलने का विचार रखती है।

मंत्री : जिन गांव में ज़रूरत होती है यह वहां पर खोल दी जाती हैं।

CONTROL ON SALE OF FOODGRAINS

*5153. **Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to impose any control on the sale of foodgrains in the State ; if so, when ?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister) : No.

SHORTAGE OF SUGAR

*5153. **Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether the quantity of sugar available for sale in the State has has increased or decreased recently ; if the latter whether there is any proposal to dicontinue its sale at the cheap grain depots ?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister) : There has been no change in the monthly quota of sugar available for sale in the State ; and there is no proposal to discontinue its sale at fair price depots.

श्री मंगल सेन : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि खांड के बाँटने के बारे में सस्ते अनाज के depot के अलावा भी बेचने का कोई विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : चलिए छोड़िए। (The hon. Member may leave it.)

"GROW MORE HARI" CAMPAIGN

*4625. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether Government have received any offer from the Punjab Kisan Sabha of help in the "Grow More Hari" Campaign ; if so, their response to the offer ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : *Part* I. No.

Part II. Question does not arise.

RATES OF LAND RECLAMATION IN ERSTWHILE PEPSU

*4627. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the rate per acre originally settled by Government with two private firms who undertook land reclamation work in the erstwhile Pepsu State, and the rate actually paid, together with the reasons for the increase, if any ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : *Part I*—At the rate of Rs. 75 per acre.

Part II—At the rate of Rs 97 per acre.

During the year 1953-54, the erstwhile Pepsu Government entered into contracts with two private firms, namely Messrs E.M. Allock and U.P.C.C. for reclaiming waste lands in the State and the rate was fixed at Rs. 75 per acre. Later on the said firms represented to Government for the increase in the rates of land reclamation due to heavy cost of various operations which could not be foreseen previously. The State Government appointed a committee consisting of Finance Secretary, Development Secretary, Revenue Secretary, Director of Agriculture and the Director, National Extension Service to look into the question of the revision of rates of the reclamation of land the said Committee considered the request of the firms keeping in view the various factors involved. Consequently on the recommendations of the committee the rates were revised by the Erstwhile Pepsu Government from Rs. 75 to Rs. 97 per acre with retrospective effect.

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜਦ ਕਿ Accounts Committee ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ companies ਬਾਰੇ remarks ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ contract ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?

उप मंत्री : यह फैसला पैप्सू गवर्नमेंट ने किया था इस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि यह गवर्नमेंट पेप्सू गवर्नमेंट के पिछले किये हुए कामों की ज़िम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है ?

मुख्य मंत्री : तैयार है ।

चौधरी इन्द्र सिंह : अगर तैयार है तो क्या वज़ीर साहिब बतलाने की तकलीफ़ करेंगे कि जो रेट्स के मुताल्लिक companies के साथ शरायत की गई थीं क्या वह उन्होंने पूरी कर दी थीं ?

उप मंत्री : Rates का फैसला भी पेप्सू गवर्नमेंट के वक्त हुआ और revision भी पेप्सू सरकार के वक्त ही हुई इस लिये इस वक्त यह सवाल पैदा नहीं होता ।

पंडित श्री राम शर्मा: स्पीकर साहिब, यह बात समझ में नहीं आती कि चीफ मिनिस्टर या उनकी सरकार पेप्सू गवर्नमेंट के वक्त हुए कामों की ज़िम्मेदारी लेती है तो फिर उप-मंत्री साहिब ऐसा जवाब क्यों देते हैं ?

उद्योग मंत्री : यह ठीक है ; यह Successor Government है और हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं ।

उप मंत्री : Revise करने के मुताल्लिक पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने वही गल्ती फिर की ।

श्री अध्यक्ष : उप मंत्री साहिब, आप यही कहें कि पैप्सू गवर्नमैंट ने जो फैसला किया था वह ठीक था । (The hon. Deputy Minister may say that whatever decision the erstwhile Pepsu Government took, was correct.)

चौधरी इन्द्र सिंह : मैं वजीर साहिब से पूछना चाहता हूँ कि revise करने के बाद agreement से कितना और ज्यादा रुपया दिया गया ?

मुख्य मंत्री: इसके लिये नोटिस चाहिये । लेकिन मैं आपकी information के लिये बतला दूं कि जो 75 रुपये का rate था, उस पर companies काम नहीं करती थीं, इस लिये ठीक ठीक और पूरा-पूरा काम करवाने के लिये यह rates revise किए गये ।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि पहले agreement करते वक्त यह बातें ध्यान में नहीं लाई गई थीं ?

मुख्य मंत्री : नहीं लाई गई । उस वक्त भी आपने सवाल किया ही होगा । उस वक्त शर्तें कुछ ऐसी थीं जो unreclaimed land के patches थे वह उनसे cover नहीं हो पाते थे इस लिये उन शर्तों के मुताबिक काम नहीं हो पाता था । लिहाजा rates revise करने पड़े ।

चौधरी इन्द्र सिंह : दूसरा agreement जो हुआ वह कितने दिनों के बाद हुआ ?

मुख्य मंत्री : इसके लिये नोटिस चाहिये ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 75 ਰੁਪਏ per acre ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ agreement ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ revise ਕਰ ਕੇ 97 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਫ਼ਾ agreement ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ party ਦੀ application ਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰ revise ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਪਹਿਲੇ agreement ਦੇ ਵਿਚ rate 75 ਰੁਪਏ per acre ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 10″ ਡੂੰਗੀ ਪੁਟਣੀ ਸੀ ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ rate 97 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 6″ ਤਕ ਪੁਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ।

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : ਪਹਿਲੇ survey ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੱਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ Government reclaim ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ exclude ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ survey ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ।

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ Government ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਉਪ-ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ responsibility Government ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ officers ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ recover ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 22 ਰੁਪਏ ਦੇ difference ਦੀ excess payment ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ Government ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि जो 97 रुपए वाला revised agreement हुआ था वह कब हुआ था।

उप मंत्री : उस के लिये आप notice दें। मैं बता दूंगा।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या यह अमर वाक्या है कि यह जो revised agreement हुआ था यह 30th November, 1956 को, जो कि last date of merger थी, हुआ था।

उप मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है, पहले भी बताया है कि कुछ ज़मीनें जो पहले survey न होने की वजह से उस में शामिल थीं बाद में वह exclude कर ली गई थीं। इस लिये वह rate revise हुआ था।

Mr. Speaker: Next question please.

PUNJAB PAVILION IN THE WORLD AGRICULTURAL FAIR DELHI

***4966. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether any enquiry was held by Government regarding the alleged wastage of public money in the construction of the Punjab Government's Pavilion at the World Agricultural Fair held at Delhi in December, 1959; if so, by whom together with the results thereof ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ Pavilion ਦੀ construction ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ Pavilion ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ . . . . (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : It is not relevant please.

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि जो इलज़ामात इस Pavilion के बारे में इस House में लगाए गए थे उन की कोई तहकीकात की गई ?

मुख्य मंत्री : यह तो लगाने वाले पर मुनहस्सर है । अगर तो hon. Member ने खुद लगाए थे तो enquiry की जरूरत ही नहीं ।

चौधरी बालू राम : On a point of order, Sir. Chief Minister साहिब ने फरमाया है कि अगर ऐसे इलजामात राठी साहिब की तरफ से हैं तो उन की enquiry की जरूरत नहीं । मैं पूछना चाहता हूँ कि वह कौन से members हो सकते हैं जिन के कहने पर enquiry हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : यह मैं ने नहीं सुना (I have not heard these words.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : अभी आप ने कहा था कि Treasury Benches की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ । लेकिन Chief Minister साहिब ने जिस तरह पहल की है वह सब ने सुन ही ली है ।

श्री अध्यक्ष : क्या कहा था Chief Minister साहिब ने (What did the hon. Chief Minister say ?)

चौधरी बालू राम : राठी साहिब ने फरमाया था कि जो इलजामात pavilion के बारे में लगाए गए थे क्या उन की enquiry की गई थी । उस के जवाब में Chief Minister साहिब की तरफ से बतलाया गया था कि अगर वह राठी साहिब की तरफ से लगाए गए हैं तो उस की enquiry करने की जरूरत नहीं ।

मुख्य मंत्री : जब मैं ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि क्या अलजामात लगाए गए थे तो मेम्बर साहिब ने खड़े हो कर तकरीर करनी शुरु कर दी कि यह हुआ वह हुआ । बात यह है कि यह natural है कि जब ऐसी बातें यहां हाउस में लाई जाती हैं तो हम यह देखते हैं कि कौन मेम्बर साहिब ऐसा करते हैं और किस वजह से करते हैं । अगर कोई आदतन अलजामतराशी करता है तो सच जानिए हम उसके पीछे पीछे नहीं भागते । हां अगर कोई seriously किसी बात को यहां कहता है और आदतन ऐसा नहीं करता तो हम जरूर पता लगाते हैं । लेकिन जो हाउस में इस किस्म के अलजामात लगाए जाते हैं, आप मुझे माफ करें अगर मैं यह कहूँ कि जो गलत किस्म का criticism होता है उसका जवाब यहां हाउस में ही मिल जाता है और मिल गया है । अब फिर यह उठ कर कह देना कि charges लगाए गए हैं और अब यह बताओ और वह बताओ तो यह चीज ठीक नहीं है । अगर कोई अलजामात किसी ने लगाए होंगे तो उनका जवाब भी हाउस में मिल गया होगा । अगर लिख कर जवाब चाहते हैं तो लिख कर पूछें कि क्या बात चाहते हैं । लेकिन यह तो कोई तरीका नहीं है ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. सवाल यह है कि क्या कोई मैम्बर including Ministers किसी दूसरे मैम्बर की नियत पर directly या indirectly हमला कर सकता है कि उसकी नियत ऐसी और वैसी है ? क्या यहां हाउस में यह कहा जा सकता है कि फलां मैम्बर की आदत ऐसी है और वह किसी गलत motive से काम करता है और इस तरह से किसी की नियत पर हमला करना जायज है । स्पीकर साहिब, यह तो आप मानेंगे कि ऐसी बातें Parliamentary रवायात के खिलाफ हैं और अगर आप इन बातों की इजाजत दे देंगे तो चाहे किसी की नियत अच्छी हो या बुरी तब इन बातों की हद नहीं रहेगी और एक दूसरे की तरफ से काफी कीचड़ उछलेगा । इस लिये

[पंडित श्री राम शर्मा]

मैं अर्ज़ करूँगा कि आप इस बात पर ज़रा रौशनी डालें कि क्या कोई मैम्बर, including Minister किसी की नियत पर हमला कर सकता है, अगर कर सकता है तो फिर आप देख लें कि यह बात कहां तक पहुँचेगी। बेशक मान लो कि किसी की नियत ठीक है या नहीं लेकिन हाउस में खड़े हो कर यह कहना कि फलां मैम्बर के लगाए गए अलज़ामात की तहकीकात इस लिये नहीं करेंगे क्योंकि उसे आदत पड़ गई है ठीक नहीं है। इस लिये आप ज़रा position clear कर दें ताकि आयंदा ऐसी बात न हो।

उद्योग मंत्री : मैं अर्ज़ करूँ कि नियत और आदत में बड़ा फर्क है। यहां पर किसी की नियत को challenge नहीं किया गया है। आदत तो नियत की खराबी के बग़ैर भी खराब हो जाती है (हँसी)।

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों तरफ से अर्ज़ करूँगा कि कम से कम मुझ पर ही रहम खा लिया करें (हँसी) अगर एक बात इधर से कही जाए और एक उधर से और बात बात पर मुझे ruling देना पड़े तो यह काम कैसे चलेगा। अगर आदत की बात करते हैं तो यह आदत आप दोनों को सुधारनी चाहिये मगर नियत पर शक वाली बात यहां हाउस में नहीं आ सकती है। अगर आप एक दूसरे का मज़ाक बरदाश्त नहीं कर सकते हैं तो न किया करें। (I would appeal to both sides of the House that, they should, at least, take pity on me. (*Laughter*). If for anything said from this side or from the other, I am required to give rulings at every step then how would the business of the House be carried on ? If there is a question of refor ing a habit then both sides of the House should do so butimputing of motives cannot be allowed in the House. If they cannot tolerate each other's remarks made in a lighter vein, then they should avoid it.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.........(*Laughter*)

श्री बलराम दास टंडन : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मैम्बरों ने Administrator को लिख कर शिकायतें दी हैं वह आपके नोटिस में आई हैं और अगर आई हैं तो क्या action लिया गया है ?

मुख्य मंत्री : मेरे पास तो कोई नहीं आई है। किस मैम्बर ने लिख कर शिकायत दी है ?

श्री बलराम दास टंडन : मैं ने, श्री कृष्ण लाल ने जब हम वहां देखने गए थे कुछ शिकायतें Adminstrator को लिख कर दी थीं।

Chief Minister : It has not come to my notice. I shall, however, find it out.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Agriculture Department की तरफ से भी कोई एतराज़ departmental constructions के बारे में आया है कि wastage हुई है ?

Mr. Speaker: This is a specific question. So please give a separate notice for obtaining this information. This question is not relevant.

REVISION OF NATIONALIZED TEXT-BOOKS IN THE STATE

***5030. Comrade Hukam Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to revise the nationalised text-books for schools in the state; if so, the stage at which the matter stands at present?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : Yes. The existing nationalized text-books will be replaced by stages beginning from the year 1961-62.

COMPLAINT AGAINST MANAGEMENT OF JANTA HIGH SCHOOL, BUTANA, DISTRICT ROHTAK

***5150. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 4490 printed in the list of questions for 17th December, 1959, whether final decision on the enquiry report has been taken by the Government; if so, what ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (i) Yes.

The following action has been taken. The management has been informed as follows—

(i) No recognition will be granted beyond 31st March, 1960, if the accounts are not cleared and maintained in a proper way.

(ii) All the grants will be recovered if no proper account of their utilization is submitted to the Department by 31st March, 1960.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं थोड़ी सी यह तफसील मालूम कर सकता हूँ कि education department के जिस अफसर ने मौका पर जा कर तहकीकात की वह किन किन शिकायतों के मुताल्लिक की और किन किन के बारे में उन्हें पता लगा है कि वे ठीक हैं?

उप-मंत्री : ज्यादा शिकायतें grants के खर्च के बारे में थीं जो अलग अलग और वक्त वक्त पर स्कूल को मिलती रही हैं वह ठीक तौर पर इस्तेमाल नहीं की गई हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बता सकते हैं कि इस "ठीक तौर पर इस्तेमाल न करने" का क्या मतलब ? यह तो बड़ा vague सा लम्बा चौड़ा जवाब है। यह तो छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। इस लिये आप ज़रा तफसील से बता दें कि कितना कितना रुपया किस किस grant के तहत किस २ काम के लिये दिया गया, कैसे वह खर्च हुआ और ठीक तौर पर खर्च न करने की ज़िम्मेदारी किस की है ?

उप-मंत्री : तफसील से अगर जवाब चाहते हैं तो अलग अलग सवाल पूछें कि किस किस grant के बारे में जानना चाहते हैं; फिर बतला देंगे। बाकी जो बात थी वह मैं ने अर्ज़ कर दी है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या सिर्फ यही एक अलज़ाम साबत हुआ है कि जो गवर्नमेंट से grants ली गई थीं वह properly खर्च नहीं की गई हैं या और भी कोई बात है ?

उप-मंत्री : एक आध शिकायत यह भी थी कि कुछ superannuated staff को बग़ैर इजाज़त जारी रखा गया ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि उस अफसर ने जो report दी है उसमें इस institution के बारे में क्या क्या और कितनी खराबियां साबित करके बताई हैं ?

उप-मंत्री : उसका जो idea है वह मैं ने बता दिया है ।

पंडित श्री राम शर्मा : आखिर वह idea क्या था, कोई मामूली मामला था या इस में कितनी लूट और ग़बन था, कुछ तो बताएं ?

उप-मंत्री : ग़बन की कोई इत्तलाह नहीं है ।

पंडित श्री राम शर्मा : अगर ग़बन नहीं तो जो कुछ है वही बता दें ।

उप-मंत्री : जो कुछ था वह बता दिया है (हँसी) ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस 'जो कुछ' के अलावा भी आपके इल्म में कुछ है ?

उप-मंत्री : इल्म में तो बहुत कुछ है और जो आप पूछेंगे बता देंगे । लेकिन अगर तफसील से पूछना है तो एक एक grant के बारे में लिख कर पूछें ।

पंडित श्री राम शर्मा : उप-मंत्री जी ने फरमाया है कि इल्म में है । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इल्म में है उसका कुछ idea इस हाउस में भी दिया जा सकता है कि उस अफसर ने जो मौका पर जा कर तहकीकात की उस में क्या बातें साबत हुई हैं ?

उप-मंत्री : जो साबत हुई वह मैं ने बता दी हैं कि grants ठीक ढंग से नहीं बरती गईं ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं मालूम करना चाहता हूँ कि कौन सी grants हैं, कितनी कितनी grants हैं और कब कब लीं और उन में क्या ठीक नहीं हुआ ? आखिर Education Department का अफसर उस institution में गया, enquiry हुई और उस ने report दी जिस से गवर्नमेंट को कुछ idea हुआ और फिर action लिया । तो मैं मालूम करना चाहता हूँ कि आखिर वह कौनसी grants हैं और कितना रुपया है जो ठीक खर्च नहीं हुआ ।

उप-मंत्री : किस ग्रांट के बारे में ?

पंडित श्री राम शर्मा : मैं उस ग्रांट के बारे में पूछना चाहता हूँ जो institution को मंज़ूर की गई जिस के बारे में गवर्नमेंट ने बतलाया कि इन स्कूलों के बारे में action लिया गया है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वह क्या बात थी जो गवर्नमेंट के notice में आई ?

श्री अध्यक्ष : मैं भी देख रहा था कि मैं काफी देर से out of picture ही बैठा हुआ हूँ । न वह सवाल करने से रुकते हैं और न आप सीधा जवाब ही देते हैं । अगर

आप जवाब देना ठीक नहीं समझते तो कह दें कि public interest में नहीं बतलाया जा सकता । [I find that for sometime I have been put quite out of the picture. Neither the hon. Member stops questioning nor does the hon. Deputy Minister gives straight replies. If he does not want to disclose this information in public interest he should say so plainly.]

उप-मंत्री : इस अवसर पर जितना मुनासब था वह बतला दिया गया है ।

REPORTS OF THE COMMITTEES APPOINTED TO REVISE THE MINIMUM WAGES OF EMPLOYEES

*4989. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the names of the trades in respect of which the reports of the Committees appointed by Government to revise the minimum wages of the employees have so far been received ;

(b) the date of the receipt of each report and the action, if any, taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

(a)		(b)	
Serial No.	Committees appointed for revision of minimum wages	Date of submission of report by the committees	Action taken
1	Employment in Oil Mills ..	27-8-59	Notification revising minimum rates of wages issued on 27th January, 1960
2	Employment in Tanneries ..	31-8-59	31st December, 1959
3	Employment in Local Authorities ..	19-10-59	1st February, 1960
4	Employment in Agriculture ..	24-9-59	1st February, 1960
5	Employment in Rice Mills, Flour Mills and Dal Mills ..	31-8-59	1st February, 1960
6	Employment in Public Motor ..	15-10-59	1st February, 1960
7	Employment in Woollen Carpet Making, or Shawl Weaving Establishments ..	31-8-59	Notification is being issued
8	Employments (1) on Road Construction or in Building operations and (2) in Stone Breaking or Stone Crushing	23-10-59	Ditto

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह statement हमें मुहैया कर दी जाया करे तो मेहरबानी होगी ।

Minister: This statement has already been issued.

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं यहां पर शिकायत नहीं करता लेकिन Press Department की गलती की वजह से 6 महीने से मुझे गज़ट ही नहीं मिला ।

मंत्री : आप ने जो इत्तलाह दी है उस को देखेंगे कि क्या वजह है ।

REVISION OF MINIMUM WAGES OF EMPLOYEES

*4990. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there are any trades in which the minimum wages of the employees working therein have not been revised in accordance with the terms of the Minimum Wages Act, if so, the details thereof ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : Notifications revising minimum wages in two employments, namely, (1) Woollen Carpet Making or Shawl Weaving Establishments and (2) Construction or maintenance of roads or in building operations and in stone breaking and stone crushing are being issued.

श्री राम चन्द्र कामरेड : कब तक issue हो जायेंगी ?

मंत्री : मेरा ख्याल है कि आज कल में issue हो गई होंगी ।

EXEMPTION FROM THE PUNJAB SHOPS AND ESTABLISHMENTS ACT

*5086. **Chaudhri Inder Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to grant exemption to business houses and small industrial units in the State from the provisions of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958, in the matter of their working hours in view of the great hardship caused by severe power cut, hindering their business and production ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : Yes.

REPRESENTATIONS FOR EXEMPTING COMPOUNDERS FROM THE PUNJAB SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS ACT, 1958

*5175. **Shri Lal Chand** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether Government have recently received any representation from the Medical Practitioners in the State to the effect that the compounders employed by them be exempted from the operation of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958; if so, the action, if any, taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : Yes. The matter was thoroughly examined and it was decided that no further relaxation was either called for or justified.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो medical services हैं क्या वे essential services में नहीं आतीं ?

Minister : It is a matter of opinion.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या किसी भी emergency के वक्त कोई भी डाक्टर अपनी क्लिनिक में बग़ैर compounder के काम कर सकता है ?

Minister : It is a matter of opinion.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो surgical काम है उस में एक डाक्टर के पास mid-wife है या कोई और assistant है तो क्या वह उन के बग़ैर काम कर सकता है ? This is not a matter of opinion.

Mr. Speaker : It is a matter of opinion.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमेंट ने इस को essential service नहीं माना हुआ ?

मंत्री : Labour Laws के एक्ट के अन्दर यह essential service की definition में नहीं आता।

श्री लाल चन्द : अगर lawyers के मुंशियों को exempt किया गया है तो डाक्टरों के compounders को क्यों नहीं किया गया ?

Minister : This is the law as passed by this House.

श्री लाल चन्द : वज़ीर साहब सोच कर बता दें कि असेम्बली ने पास किया था या rules में ऐसा किया गया ?

मंत्री : इस मामले में exemptions की list वैसी ही है जैसी हाउस ने पास की है। कुछ medical practitioners compounders को इस कानून से exempt करवाना चाहते थे इस लिये कुछ exemptions दी हैं लेकिन जिस हद तक यह चाहते थे उस हद तक exemptions नहीं दी गईं।

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब बार बार कानून की exemption का ज़िक्र कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह original Act में provide किया गया है या rules में ?

मंत्री : मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या गवर्नमैंट को इस बात का इल्म है कि compounders को exempt न करने की वजह से पंजाब के सब शहरों में रविवार के दिन medical practitioners को अपनी दुकानें बन्द रखनी पड़ती हैं जिस से लोगों को बहुत दिक्कत पेश आती है ?

मंत्री : Exemptions के बारे में एक consultative committee बनी हुई है। यह मामला भी उस के सामने आया था और उस के सामने इन की representation भी रखी गई थी लेकिन consultative committee ने unanimously compounders के बारे में इस demand को रद्द कर दिया था।

MASSAGE FROM THE GOVERNOR REGARDING MOTION OF THANKS

10.00 a.m.

Mr. Speaker : I have received letter No. 2465, dated the 26th February, 1960, from Shri N.V. Gadgil, Governor, Punjab, which reads as follows—

"I am in receipt of your demi-official letter No. 18/LA/60/8193, dated the 23rd February, 1960, together with a copy of the Motion of Thanks passed by the Punjab Vidhan Sabha on the 23rd February, 1960, for the Address I delivered to both the Houses on the 15th February, 1960.

I am grateful to the Punjab Vidhan Sabha for their Motion of Thanks."

THE PUNJAB APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1960

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to introduce the Punjab Appropriation (No. 4) Bill.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

यह Supplementary Demands जो पास की गई हैं उन के basis पर यह Appropriation Bill हाउस में पेश किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाउस इस को consider करेगा।

Mr. Speaker : Motion moved.—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill, be taken into consideration at once.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, supplementary estimates ਦਾ ਬਜਟ ਤੀਸਰੀ ਮਨਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ suggestions ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ Electrcity Board ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਪਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ Electricity Board ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਬਤੀਆਂ ਨੂੰ rehabilitate ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 4 ਲਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ report ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ Dalai Lama ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਖਚਰਾਂ ਤੇ ਲਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਲਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

(Interruptions)

Mr. Speaker : Order, please.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

श्री अध्यक्ष : मैं एक मिनट के लिये लिखने लग पड़ा था तो इस तरह से मैम्बर साहिब ने मौके का फायदा उठा लिया । मैं जानना चाहता हूं कि उन्हों ने क्या कहा था (I was busy in writing for one minute and the hon. Member took advantage of that opportunity. I would like to know as to what he had said.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤਿਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ provide ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ Mr. Dalai Lama ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਖਚਰਾਂ ਉਤੇ ਸੋਨਾ ਲਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ provision ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

Mr. Speaker : Which demand the hon. Member is referring to?

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ Demand No. 9 ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ 4,60,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ।

Mr. Speaker : Please don't make any reference to Dalai Lama.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਜਨਾਬ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ Farmers' Forum ਨੂੰ grant-in-aid ਦੇਣ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਐਸੀ society ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ । ਦੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ conference ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ farmers forum ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ policies ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ । ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ policy ਯਾਨੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ farmers forum ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ । ਦੂਜੇ Co-operative Farming ਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜੋ land ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ceiling ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ organisation ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ grant-in-aid ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ grant-in-aid ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ Kisan Sabha ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : The hon. Member has sought this opportunity for making propaganda in favour of the Kisan Sabha.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਸਹੀ ਮਾਹਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ Kisan Sabha ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : No such references please.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਇਕ ਆਪਣਾ ਰਸਾਲਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ production ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ Farmers' Forum ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ organisation ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ policies ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, landlords ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ. .

Mr. Speaker ; No party propaganda please.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜਦੋਂ Farmers' Forum ਵਾਸਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, इसके मुताल्लिक मैं बहुत सी बातें House को बता चुका हूँ । मैं ने कल भी इस House को convince करने की कोशिश की । मैं ने कल भी बताया था कि private companies को जो रकम दी जाती है इस का misuse होता है । जो यह इस शक्ल में Appropriation Bill ला रहे हैं यह Appropriation Bill नहीं है बल्कि Misappropriation Bill है । स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा House को दो चार बातें बताना चाहता हूँ । एक तो यह कि Farmers' Forum के लिये जो रकम मांगी गई है यह बड़ी भारी ज्यादती है । Farmers Forum Government की body है । उसमें कोई किसान नहीं हैं । कुछ आदमियों को वैसे पकड़ लिया है । वे किसानों के लिये कोई काम नहीं करते । जो फाज़ल member अभी बोले हैं उन्हों ने तो अपनी लाइलमी का इज़हार किया है । पता नहीं वहां कोई बात हुई या नहीं ; वह Farmers' Forum की बात कह देते हैं । यह कहना है कि किसान को बतौर एक नुमायंदे के पैसे मिलने चाहियें । किसान तो मासको वालों की जमात है । मासको वालों को हम कैसे पैसे दे दें ।

श्री अध्यक्ष : (पंडित राम किशन भड़ोलियां से) क्या यही कहलवाना था ? (Addressing Pandit Ram Kishan Bharolian : (This is what he wanted the other party to say ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मेरे दोस्त मासको वालों के लिये रुपया मांगते हैं । मैं तो कहता हूं कि Farmers' Forum को रुपया नहीं देना चाहिए । यह किसानों के लिये कुछ नहीं करते हैं । Minimum Wages Act के बारे में कुछ लोग किसानों की मुखालफत करते हैं । यह बड़े दुख की बात है । जहां तक local funds को loans वगैरह देने के सवाल का ताल्लुक है इस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह खास खास आदमियों को दिया जाता है, जिन को जरूरत है उन को नहीं देते । यह बड़े बड़े आदमियों को देते हैं ; छोटे को नहीं देते । ऐसे ऐसे आदमियों को ये loans दिए गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो Congress के बड़े active members

हैं। कई आदमी delegates भी हैं, उन्होंने ये loans लिए और, स्पीकर साहब, जिस purpose के लिये loans लिए गए उस purpose के लिये आज तक इस्तेमाल नहीं किये गए । D.C.s ने objections किए। उसके बारे में हिसाब मांगा। हिसाब नहीं दिया। उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जाती। अगर इस loan को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है, इसी तरह से misuse करना है और कोई कार्रवाई नहीं करनी क्योंकि वह Congress का delegate है, अगर यह licence है कि delegate के खिलाफ कोई action नहीं लेना, जिस तरह मर्जी आए उस तरह इस्तेमाल करे, हकूमत इनके हाथ में है, जैसे मर्जी है इस्तेमाल करें तो आने वाली नसलें, आने वाली गवर्नमैंट इन के इस कदम की सराहना नहीं कर सकती। इन के इस कदम की कोई सराहना नहीं कर सकता।

स्पीकर साहिब, इसमें State Trading का भी जिक्र है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की यह policy fail हो चुकी है। State Trading से बेचारे किसानों को बहुत नुकसान है। Country में free enterprise होना चाहिए। जो कोई काम करना चाहे करे। हमारे विधान में, Constitution में यह लिखा है कि उस के रास्ते में कोई रुकावट न हो। जो लाखों रुपया State Trading के लिए रखते हैं यह बड़ी भारी ज्यादती है । State Trading के ज़रिए ये अपनी societies को, co-operative societies को रुपया देना चाहते हैं। उनमें Managers मुकर्रर करते हैं, कुछ और आदमी लगाते हैं, उन को तनखाहें देने का सवाल है। बाकी सूबे में जैसे State Trading हो रही है यह तरीका ठीक नहीं। एक जगह एक society ने अनाज खरीद लिया। उस के बाद वह बेच दिया। कागज़ों में दर्ज नहीं करवाया। लेकिन वहां यह दिखाया कि यह अनाज खराब हो रहा है। उस के बाद नीलाम हो गया । सारा रुपया society का President और Secretary खा गए। और society की unlimited liability थी। और हम State Trading को बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीजों की State trading भी होती है। Fertiliser की या foodgrains की State Trading होती है। यह co-operative societies के ज़रिए चलाई जाती है। एक Co-operative Society को 75,000 रुपया दिया गया। कौन किस society का आदमी है, उसका पता नहीं चलता। पंजाब में State Trading इस तरह से होती है। चार पांच Trading Societies के आदमी होते हैं। उनको खाने के लिये रुपया दिया जाता है। यह सारे का सारा मुकर्रर किया हुआ है खास खास आदमियों को देने के लिये। इस लिये सही मानों में इस का कोई लाभ नहीं होता। State Trading की policy पंजाब में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में fail हो चुकी है। इस पर खर्च करना नाजायज है।

इस के आगे Civil Works की demand आती है। दो तीन दिन की बात है। आज हमारे चौधरी सूरज मल जी यहां मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि हरियाना के लिये यह हो गया, हरियाने के तीन Deputy Commissioners बना दिए, I. G. बना दिये। लेकिन उन्होंने खुद अपने महकमें के figures नहीं देखे। जब

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

उन से सड़कों के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि पंजाबी Region में 6,800 मील लम्बी सड़कें हैं और हिंदी Region में दो हजार मील से कुछ ऊपर सड़कें हैं और उन में से 1000 मील कांगड़ा में हैं।

Mr. Speaker : Order please. The hon. Member should know the scope of discussion on an Appropriation Bill in respect of Supplementary grants, which is very limited. The relevant Rule reads—

"225 (6) If an Appropriation Bill is in pursuance of a Supplementary Grant in respect of an existing service the discussion shall be confined to the items constituting the same and no discussion shall be raised on the original grant nor the policy underlying it save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular item under discussion."

चौधरी धर्म सिंह राठी : एक तो ज़िला फिरोज़पुर में मलोट-फाज़िलका सड़क के लिये रुपया मांगा गया है और एक रंगरीक में boarding house बन रहा है। हमारे वज़ीर साहब कहतें हैं कि हरियाना को तरजीह दी जायगी। Supplementary estimate आया तो उन जगहों के लिये आया, हमारे इलाका को छोड़ किया। हमारे भी boarding house बनना चाहिए।

स्पीकर साहिब, इस से आगे Demand No. 14 है। इस में drainage के के बारे में रुपया मांगा गया है। Sink drainage syphon के लिये एक लाख रुपया दिया है। मैं अपनी गवर्नमेंट को अर्ज़ करना चाहता हूं कि sink drainage syphon को जल्दी से जल्दी complete कर दें। स्पीकर साहब, साल 1958 में भी लोगों को बड़ी भारी दिक्कत हुई। इस की वजह से कई गांव तबाह हो गए, आस पास का इलाका तबाह हो गया। इस का बहुत से गांवों पर असर पड़ा। Syphon के न बनने से बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

आखीर में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि Gurdwara Elections के लिए भी कुछ रुपया रखा गया है। यह बड़ा अच्छा काम किया कि हमारी गवर्नमेंट ने Gurdwara Elections करवा दीं। हमारी गवर्नमेंट यह नहीं समझती थी कि Gurdwara Elections का result यह निकलेगा। Result उलटा निकल गया। अगर इन्हें यह पता होता कि इस का result यही निकलना है कि मास्टर तारा सिंह के हाथ में जाना है.........(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप मुझे दिखाएं कि यह कहां है। मैं भी बैठा हूं। आप इतने होशियार नहीं कि सब को बुद्धू बनाते चले जाएं। यह Demand कहां है? इस को कहीं से कहीं ले चले। [Let the hon. Member tell me as to where this is indicated. I am here to see to this. He should not consider himself too clever to hoodwink all. Where is this Demand ? He has twisted the matter to this length.]

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं यह कह रहा था कि Gurdwara Elections में जो रुपया खर्च हुआ वह रुपया भी इस में शामल है, जो कि अकाली दल के वर्करों को नाजायज़ तौर पर पीटा गया, नाजायज़ तौर पर हिरासत में रखा गया, नाजायज़ तौर पर कार्रवाई की गई। यह सारे का सारा इस में है।

श्री अध्यक्ष : कहां है वह ? पढ़ कर सुनाए। (Where is it? The hon. Member may please read it out.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : Gurdwara Elections Demand No. 9 में है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे बताएं कि अकाली वर्करों को पीटा गया कहां लिखा है। (The hon. Member may please point out as to where has it been mentioned that the Akali Workers were beaten ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह खर्च इस में रखा है।

श्री अध्यक्ष : कहां है ? यह बात गलत है। (Where is it? The hon. Member is saying a wrong thing.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : Page 20 पर है।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों pervert कर रहे हैं। (Why is the hon. Member perverting the issue ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : Perversion का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : मुझे बताएं कि कौन सी line में है (Let the hon. Member point out the line in which this is mentioned.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : Demand No. 9 page 20, item No. 8.

श्री अध्यक्ष : यह जो आप बता रहे हैं कि पीटा गया। यह कहां है। (The hon. Member is talking of beating of the Akali workers. Where is it indicated ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह पीटने वाली बात ही है जो यहां यह दिया हुआ है कि गुरद्वारा election पर खर्च किया गया। Elections के लिये इन्तज़ाम करने पर जो खर्च किया गया वहां यह आ जाता है कि उस इन्तज़ाम में लोगों को तंग किया गया और वहां अकाली workers को पीटा गया। जहां elections कराने के....

Mr. Speaker. Please resume your seat. At page 20 of the Supplementary Estimates, it is stated—

> " The extension of the provisions of the Sikh Gurdwaras Act, 1925, to the territories of erstwhile Pepsu area has resulted in the receipt of petitions for declaring certain Gurdwaras as Sikh Gurdwaras and counter-petitions for not declaring them as such. As no provision was made to meet the expenditure on the entertainment of the staff.........."

यह तो पैप्सू के गुरद्वारों के बारे में हैं। उन गुरद्वारों के managements ने गवर्नमेंट से कहा था कि हमारे गुरद्वारे भी Gurdwara Act के तहत declare किये जायें ताकि वे भी शिरोमणी कमेटी के नीचे आ जायें। इस रकम से यही देखने के लिये staff मुकर्रर किया गया था। यह आप देख लें कि इन के नीचे गुरद्वारा elections आ सकते हैं या नहीं।

Please resume your seat. At page 20 of the supplementary estimates it is stated—

> " The extension of the provisions of the Sikh Gurdwara Act, 1925, to the territories of erstwhile Pepsu area has resulted in thh receipt of petitions for declaring certain Guidwaras as Sikh Gurdwaras and counter-petitions for not declaring them as such. As no provision was made to meet the expenditure on the entertainment of the staff........"

[Mr. Speaker]

(This relates to the Gurdwaras of erstwhile State of Pepsu. The managements of those Gurdwaras approached the Government with a request that these Gurdwaras be declared as such under the Gurdwaras Act so that their management may also come under the jurisdiction of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee. With this amount, staff was appointed to look into their request. Now let the hon. Member himself judge as to whether or not the discussion of Gurdwara Elections is relevant to this demand.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि पेप्सु के गुरद्वारों के लिए जो बोर्ड बनाया गया है ....

Mr. Speaker : Please do not try to mislead the House.

चौधरी धर्म सिंह राठी : इन अल्फाज के साथ मैं इस Appropriation Bill की मुखालिफत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप ने हरेक बात irrelevant कही है। आप की speech most irrelevant थी । (The hon. Member has said everything irrelevant. It was the most irrelevant speech made by him.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ): ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, demand No. 12 ਜਿਹੜੀ ਕਿ Farmers' Forum, Punjab ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ grant ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਕ communist ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Formers' Forum ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Farmers' Forum ਇਕ non-political ਜਮਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ Chief Patron ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ president ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੋ ਹੀ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ignore ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ Constitution ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ demand ਵਿਚ ਕਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। (Addressing Sardar Kartar Singh Diwana : I have given him time to speak on the Krishak Samaj not because Comrade Ram Kishan had said something about the Kisan Sabha but because some amount has been provided for the Krishak Samaj in this grant.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ Agricultural ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ । ਅਮ੍ਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 90 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 42 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਪਿਆ Farmers' Forum ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ Forum ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ primary ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 400 life member ਹਨ। 110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 12 ਸੌ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਬਸ ਕਰੋ, Farmers' Froum ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ । (The hon. Member may leave it now. He need not make any more propaganda of the Farmers' Forum.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ: ਮੈਂ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ੨ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਬਣੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਤਸੀਲ ਅਤੇ ਹਰ block ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ organise ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੋ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ second prize ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਚੌਧਰੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮ੍ਰੀਕਾ ਦੀ 12% ਆਬਾਦੀ ਉਥੇ Farmers' Forum ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ Denmark ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ .....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। This should be avoided. (The hon. Member may please listen. The Member on my lef has made a mention of Moscow but he is repeating the name of America. This should be avoided.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੂਸ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ।

ਅਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ demand ਵਿਚ ਸੇਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਅਰਜ਼

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]

ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀਆਂ problems ਇਕੋ ਜੇਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੜਗਾਂਵਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀਆਂ problems ਇਕੋ ਜਹਿਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸੇਮ ਦੀ problem ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਥੇ State Trading ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ State Trading ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। State Trading ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ co-operative ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇਕਰ co-operative ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ.......*(Interruptions by a Communist Member)* ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ।

ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ Farmers Forum ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ Government ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ token demand ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਕਪੂਰਥਲਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ demand No. 2 ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ phenomenal changes ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ forest plantations ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ। ਇਸ plantation ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 1956 ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ, ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, backward classes ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ refugees ਨੇ 700 ਏਕੜ ਇਲਾਕਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਕੇ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਫਿਰ ਉਥੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ? (Where is it mentioned)?

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਰਸਵਤੀ Plantation ਦੇ Plot Nos. 11, 14, 8, 7 ਵਗੈਰਾ ਹਨ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ demand ਨੰਬਰ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਜਿਥੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । (I am enquiring about the number of the demand in which this finds a mention.)

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ Demand No. 2 ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ Forest ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Supplementary Demands ਤੇ discussion ਦਾ procedure ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ Demand specify ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੋ । (The procedure regarding discussion of supplementary Demands is different from that of the Budgetary Demands. Here the Demand has been specified and the hon. Member must confine himself to it.)

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਹ Plot Nos. 11, 14, 7 ਅਤੇ 8 ਹਨ । ਉਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਉਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ । ਇਸ 15,000 ਏਕੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਲਗਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ grow-more-food campaign ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਿਉ ।

Mr. Speaker: Order please.

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਦੂਜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ genuine Demand ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ Demand No. 6 ਹੈ। Flood Relief Measures ਦੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿਆ ਦੇ danger point ਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਤਸੀਲ ਵਿਚ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ embankment ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਉ । ਆਪ ਦੇ ਇਹ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ

[ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ]

ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਸੀਆਂ items ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ states ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ proceedings ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਾਂ ਬਜਟ discussion ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ । (The hon. Member may take pity on me. His reference to all these matters is of no avail because only those officers will read these proceedings, items of whose departments find a mention in this Bill. Morever, what will other states' people think about me when they see these proceedings. He may better discuss these matters during the discussion on the Budget.)

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਦੋ, ਚਾਰ ਪਿੰਡ embankment ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । 700 ਏਕੜ.......

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ? (How is it relevant to this Demand ?)

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਦਸੂਹੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਉਥੇ embankment ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ grant ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਿਵਲ ਲਾਇਨਜ਼) : ਸਪੀਕਰ, ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ item ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ wastage ਕਰਦੀ ਹੈ । Stationery ਦੇ item ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਲ Education Minister ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ programme ਨਾਲ ਇਕ note ਭੇਜਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ entertainment ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ।

'It is to be noted that the Education and Labour Minister, Punjab, will not be inclined to accept any entertainment (Tea, Lunch or Dinner) from or at the residence of any individual".

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ M.L.As. ਇਨੇ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹ entertainment accept ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ । (*interruption*) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੌਰੇ ਤੇ circular ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਇਹ ਬੜੀ insulting ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ wasteful ਵੀ ਹੈ । ਅਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ .....

" An organization, if desirous of arranging such public or private functions, must obtain previous consent from his Private Secretary. However, in all such cases, in order to strictly enforce austerity measures, the Minister desires it

to be known that he will decline to attend any tea, lunch or dinner even if arranged by an organisation with his Private Secretary's previous consent if the items of food in the Menu are not strictly limited to the following modest scale—

1. *Tea*

(1) Tea or cold drink and only one more item, whether sweet or saltish.

2. *Lunch or dinner*

(i) Chapati or rice (either of the two).

(ii). Dal or vegetable (either of the two).

(iii) If necessary Dahi (curd) may be added.

No other item will be included in the Menu..............."

ਜਨਾਬ ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਇਕਠੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ । (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ stationery ਦੀ criminal waste ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । Courts ਨੂੰ ਤਾਂ stationery ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ Station House Officers ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, Industrial Tribunal ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ stationery ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ entertain ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ stationery ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਅਜੇਹੇ circulars ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ Appropriation Bill ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ supplementary demand ਤੀਸਰੀ ਡੀਮਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਿਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਤੀਸਰੀ demand ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 61 ਲਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 890 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ dates ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਫਿਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ formalities ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੌ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ postpone ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਦ ਅਧੀਨ ਇਕ ਲਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 820 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਰਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਦ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਸਜਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ. ਏ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੋਰਨਾਂ important ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲਗਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਰਖ ਕੇ ਕਈ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ Supplementary Estimates ਦੇ ਸਫਾ 19 ਦੀ item No. 4 ਵਲ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਨੀ ਦੀ Municipal Committee ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ

ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਫਾ 20 ਤੇ item No. 11 ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ 258.75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਕੀ cost ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬਿਲ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ 213.75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਨੀ ਦੇਰ ਤਕ pay ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਖਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਸੀ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Supplementary Estimates ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ explanation ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ Estimates Committee ਨੇ ਇਸੇ ਗਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ strictures ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਫਸੀਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ Estimates Committee ਨੂੰ evade ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ explanation ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਛਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦੀ ਹਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਡੀਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿਚ 31 ਲਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਾ 32 ਦੀ ਪਹਿਲੀ item ਵਿਚ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ :

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

"The waterlogging in this area affecting the crops and the health of the people. Due to tight position of the loan assistance. This scheme was not provided in the original Budget wherein some schemes of more emergent nature had to be given preference. As the allocation by the Government of India has been increased. The immediate execution of the drain has been necessitated."

ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ emergent nature ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ preference ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। waterlogging ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਡਾ ਮਸਲਾ waterlogging ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਤਰ ਤੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਹੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। Grow more ਸਕੀਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਨੀ high handedness, ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਇਨੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟ ਕਰਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ token demand ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ saving ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਰਕਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬੀਨਟ ਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਟ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ ਹਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ supplementary estimates ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ Estimates Committee ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ Estimates Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Budget ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ Estimates Committee ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ details ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ objections ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਪਾਸੋਂ details ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ blackout ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 31 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਮਾਂਡ 15 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਲਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ precedent ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ cabinet ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ House ਵਿਚ ਇਸ August body ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲਿਆਕੇ approve ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ supplementary grant ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਗੈਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੀ 50,000 ਦੀ audience ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। (The voice of the hon. Member even without a loud speaker is sufficiently audible to an audience of 50,000.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ politics ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ Loudspeaker ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਉਚਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ regularised corruption ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ corruption ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Supplementary Grants ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਲ੍ਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ cases ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ step ਉਠਾ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 17,00,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ cases ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ pending ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੇ pending ਮੁਕਦਮੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿਣ । ਇਹ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ traders ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ supplementary grants ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Low Income Group Housing Scheme ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 39,48,540 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਕਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ cases ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ deserving persons ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ advisory ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ recommend ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਸੌ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ । ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਐਸੇ cases ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਲੀਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ । ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ advisory ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ।

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : स्पीकर साहिब, मैं कपूरथला के मैम्बर साहिब को इस सिलसिले में वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि उन्होंने जो ज़िकर किया है वह पहली housing scheme के मुताल्लिक है। मैं उन की वाकफियत के लिये यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि आप की जो Advisory Committee की शिकायत है वह आज से पहले ही दूर कर दी थी। Low Income Housing Scheme की जो Advisory Committee बनी थी इस में सिवाये Deputy Commissioner के और कोई रखा ही नहीं गया। यह चीज आज से 2 महीने पहले कर दी गई है। (स.आतमा सिंह जी की तरफ से तालियां) यह शिकायत Deputy Commissioner को भी थी कि यह Advisory Committee हमेशा गलत आदमियों के नाम तजवीज़ करती हैं, लेकिन रुपया देने की इस सरकार पर ज़िमेदारी होती है। मैं सरदार आत्मा सिंह जी को अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि यह Advisory Committee अब तोड़ दी गई हैं । (तालियां)

दूसरे आप ने एक बात यह भी कही कि पैसा गलत आदमियों को दिया गया है इस के मुताल्लिक मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि अगर वह हमारे notice में कोई ऐसा case लायेंगे कि जिस किसी को ग़लत पैसा तकसीम हुआ हो तो हम ज़रूर उस की तहकीकात करेंगे। मैं इन इलफाज़ के साथ बैठता हूं क्योंकि जो खदशात सरदार आत्मा सिंह जी को हैं वह अब दूर हो जाने चाहियें।

(*Shri Ram Piara rose to speak*)

श्री अध्यक्ष : आप तो walk out कर गए थे। (The hon. Member had staged a walk out.)

श्री रमा प्यारा : मैं वापिस आ गया था।

11-00 a.m.

श्री अध्यक्ष : मैं तो इसे सारे दिन का ही walk out समझ ता रहा। (I thought that hon. Member had walked out for the whole day.)

श्री लाल चन्द (जालन्धर शहर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) : स्पीकर साहिब, इस बिल में P.A.P. के मुताल्लिक एक बहुत बड़ी रकम इन्होंने लिखी है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों पर पी. ए. पी. का खर्च लादना मुनासिब नहीं है। इस का बोझ तो सारा का सारा सैंटर पर होना चाहिए क्योंकि यह Armoured Police का काम सारे देश का काम है। इस लिये मैं अपनी सरकार को अर्ज़ करूंगा कि इस मामले को सैंटर के साथ ज़रा जोर से लेना चाहिए ताकि हमारे लोगों के ऊपर जो बोझ पड़ता है वह बचाया जा सके। यह मैं समझता हूं कि इस में से कुछ हिस्सा सैंटर हमें देता है लेकिन proportionately काफी नहीं है। इस लिये यह रकम हमारे टैक्सों से पूरी न की जा कर सैंटर से वसूल करनी चाहिए।

[श्री लाल चन्द]

इसके साथ, स्पीकर साहिब, एक बात और जिस पर कि कल भी बहस चलती रही है उस के बारे में मुझे ऐसा नजर आता है कि जैसे किसी अमीर आदमी का कोई रिश्तेदार मर जाए लेकिन वह अमीर आदमी दिल में फिर भी यह ख्याल रखे कि शायद वह अब भी जिन्दा हो जाए और ऐसा ख्याल करके इंगलैंड से या अमेरिका से जहां भी ठीक समझता है वह डाक्टर बुलाने के लिये हवाई जहाज़ का खर्च बरदाश्त करता है और डाक्टरों की फीस और सारे खर्चे बर्दाश्त करता है हालांकि डाक्टर कहते हैं कि जब वह मर गया तो हम क्या करेंगे हम मजबूर हैं लेकिन उस पर वह बार बार जोर देता है और कहता है कि आप चल कर देख भर लीजिए तो तसल्ली हो जाएगी । और इस तरह से वह ज़िद कर के रुपया खर्च कर देता है तो ऐसे आदमी को न सिर्फ मैं बल्कि सभी लोग यही कहेंगे कि पागल है । तो स्पीकर साहिब, हू बहू यही हाल हमारी पंजाब सरकार का है । एक ऐसा आदमी जिस में जान नहीं है जो खत्म हो चुका है और जिस की बाबत सभी जानते हैं कि यह बिल्कुल बे जान है लेकिन हमारी सरकार ठीक उस अमीर आदमी की तरह जिस की मिसाल मैंने अभी दी, यह चाहती है कि शायद कोई आला से आला वकील इस केस में जान डाल दे इस लिये चाहे जितना खर्च करने के लिये तैयार हो जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार का यह रवैया या इस तरह की mentality ना मुनासिब है। मैं जानता हूं कि कई आदमी ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि किसी खास केस में बनना बनाना तो कुछ नहीं है लेकिन वे लोग वकीलों के पास जाते हैं और साफ कहते हैं कि हमें उम्मीद तो कोई नहीं लेकिन हमारा जहां रुपया खर्च होगा वहां दूसरे का भी तो होगा ही वह भी खराब ही होगा । यही हाल इस सरकार का मालूम होता है तो मैं यह कहता हूं कि इस तरह की जहनियत रखना सरकार के लिये बिलकुल वाजिब बात नहीं है और इस तरह से ज़िद को पूरा करना नामुनासिब है ।

कल हमारी तरफ से भी और उस तरफ से भी इस तरह की नुक्ताचीनी हुई कि फलां वकील अच्छा था एडवोकेट जनरल या ऐडीशनल ऐडवोकेट जनरल अच्छा था तो इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक वकीलों का सवाल है वे सभी एक जैसे हैं। यह तो एक वाकयात की बात है। दरअसल होता वही है जो केस का होना होता है। मैं जानता हूं कि इस मामले में सरकार की नीति गलत है। आम कायदा यह है जो कि वर्षों से चला आता है कि छोटी अदालतों में जो लोग पेश होते हैं उन के लिये 16 रुपए या 32 रुपए मुकर्रर होते हैं इसी तरह से जो हाईकोर्ट में ऐडवोकेट जनरल या ऐडीशनल ऐडवोकेट जनरल पेश होते हैं उन को भी मुकर्रर शुदा रकम मिलती है। तो यह चीजें कोर्ट को रखनी पड़ती हैं ताकि केसों को निपटा सकें और अदालतों का वक्त भी ज़ाया न हो। मगर जो important cases होते हैं उन में ऐडवोकेट जनरल या ऐडीशनल ऐडवोकेट जनरल खुद जाते हैं बाकी जो 389 या 452 के केसों में यह नहीं जाते । तो अगर सरकार यह समझती कि किसी खास अहमियत का केस है तो लाजिमी तौर पर ऐडवोकेट जनरल या ऐडीशनल एडवोकेट जनरल को लगाया जा सकता था। वैसे यह ठीक है कि सेठी साहिब लायक वकील हैं इसी तरह से और भी लेकिन इतनी बड़ी रकम

किसी lawyer को देना और ऐसी बात के लिये देना जिस का अंजाम सरकार खुद जानती है, पबलिक भी जानती है, मुलजिम भी जानता है, यह बिलकुल जाया करना है और किसी भी सूरत में मुनासिब बात नजर नहीं आती।

इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि पंजाब सरकार के या सैंटर के जो damages के सूट होते हैं वह सब मुकदमे default में जाते हैं। कोई पी० पी० उस की पैरवी नहीं करता और सरकार को पी० पी० को सैंकड़ों के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। पी० पी० criminal work को करता है मगर सिविल वर्क के लिये सरकार को अलहदा पैसा देना पड़ता है। लेकिन सरकार की यह पालिसी देखी गई है कि जिले में इतना **बड़ा** काम पड़ा है कि पी० पी० उस के लिये वक्त नहीं दे सकता मगर फिर भी सरकार उसे मजबूर करती है कि तुम्हीं करो। नतीजा यह होता है कि पी० पी० वक्त पर पहुंच नहीं पाता और अदालत का वक्त जाया होता है। और बाद में मैसेज आता है कि कोई और डेट मुकर्रर कर दी जाए और इस तरह से मुखालिफ पार्टी के वकीलों को भी वक्त जाया करना पड़ता है। और इन्तजार कर के वह भी अपने मुंशी भेज देते हैं कि तारीख मुकर्रर कर दी जाए। तो इस तरह से सरकार के जितने civil cases हैं उन का यह हश्र होता है। जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ लड़ना होता है वह बेचारे खर्च कर के अपने साथ गवाह लाए हुए होते हैं और सारा सारा दिन बैठ कर उन को उन्हें फिर वापिस ले जाना पड़ता है और उन को भी बहुत inconvenience होती है। इस लिये मैं suggest करूंगा कि Government एक lawyers की State list बनाए और जो civil cases होते हैं वह उन को दिये जायें। उस से cases भी अच्छी तरह लड़े जा सकते हैं और time भी बच सकता है। आज जो Government के खिलाफ लाखों रुपए की decrees होती हैं वह इसी लिये होती हैं क्योंकि इन का मुकद्दमें लड़ने का system गलत है। इस लिये मैं कहूंगा कि Government को इस system को बदलना चाहिए। Civil cases लड़ने के लिये उन्हें District level पर State list बनानी चाहिए और P.Ps. जिन के पास time नहीं होता उन्हें वह cases लड़ने के लिये मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर आप इस system को change नहीं करेंगे तो State के खिलाफ decrees भी होती रहेंगी, public और courts और दूसरे lawyers का कीमती time भी जाया होता रहेगा। अब मैं एक दो बातें और कह कर अपनी speech खत्म करता हूं। सरदार अजमेर सिंह की तरफ से कल कहा गया था कि client को जिस वकील पर भरोसा हो वह उसी से ही case करवाता है। उन्होंने वैसे तो Government की तारीफ करने की कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसा नजर आया है कि उन का कहने का मतलब यह था कि Government को अपने Advocate-General पर भरोसा नहीं था। उन्होंने वैसे तो अपनी speech में Government की तारीफ करने की कोशिश की है। लेकिन उस की मुझे समझ नहीं आई। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि Advocate-General की राए उस case के मुताल्लिक यह हो कि इस case में कुछ नहीं है और यह कामयाब नहीं हो सकता जो अच्छे वकील होते हैं, जिन को कोई लालच न हो वह ऐसा

[श्री लाल चन्द]

कह ही दिया करते हैं। इस लिये मेरे खियाल में उन्होंने कह दिया होगा कि यह case कुछ नहीं है इसलिये इसे किसी और Advocate से करवा लिया जाए । Government को उस की राए को मानना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि Government ने बज़िद हो कर दूसरे Advocate को engage किया है और फज़ूल रुपया ज़ाया कर रही है। एक बात मेरे दोस्त पंडित राम किशन ने तिब्बत से आए हुए जो refugees हैं उन के बारे में कही थी हालांकि उस के कहने का कोई occasion भी नहीं था । मुझे भी अब अच्छा मौका मिला है क्योंकि वह मेरे पास यहां नहीं बैठे हैं। जो refugees Tibet से आए हैं Central Government ने उन का सारा खर्च अपने जिम्मे लिया हुआ है और हम ने एक post office की तरह उस काम को निभा दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि तिब्बत से जो मुसीबत ज़दा refugees आए हैं हम उन की इस लिये मदद नहीं कर रहे कि हमें उन पर दया आ रही है बल्कि हम उन की इस लिये मदद करना चाहते हैं क्योंकि वह जमहूरियत का झंडा ले कर खड़े होते हैं। जो आदमी democracy के हित में लड़ाई करता है अगर उस को मुसीबत आती है तो हमारा इन्सानी और political फर्ज़ है कि हम उन की मदद करें। आज हमारी Government जमहूरियत के रास्ते पर चलना चाहती है—कहां तक चल पाई है यह तो और बात है—लेकिन हमारा विधान यह कहता है कि हम जमहूरियत के तरीके पर चलें। मैं तो कहता हूं कि China में अगर कोई जमहूरियत के नाम पर खड़ा हो और Chou-en-Lai साहिब उन को निकाल दें तो हमारे दरवाज़े उन लोगों के लिये भी खुले रहने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह बात हमारे दायरे में नहीं आती। (This matter does not come within our scope.)

श्री लाल चन्द : मैं यह जानता हूं । अगर centre वाले पंजाब में कुछ आदमी भेज देंगे तो हम उन को ले लेवेंगे। यह एक सीधी सी बात है। मेरे दोस्त को इस रक्म के लिये गिला नहीं होना चाहिए। जमहूरियत के लिये इन्सानियत के नाते अगर हमें किसी की हमदर्दी करनी पड़ती है तो हमें करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उन्हें तो दिलाई लामा पर गुस्सा था । वह उन्होंने निकाल लिया है (The hon. Member had a grouse against the Dalai Lama and that he has given vent to.)

श्री लाल चन्द : मेरे दोस्तों को खयाल होना चाहिए अगर कोई महमान हमारे पास आते हैं तो हमें उन की महमाननवाज़ी करनी चाहिए। अगर आप की किसी गैर देश के साथ दुश्मनी है तो उस का बदला यहां पर नहीं लेना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि Communist अगर religion को नहीं मानते तो वह इन्सानियत को तो मानते होंगे । मैं समझता हूं कि India के जो Communist हैं वह इन्सानियत का मादा रखते हैं। इस लिये उन्हें इस खर्च की मुखालफत नहीं करनी चाहिए जो उन को पनाह देने के लिये है जो लोग तिब्बत से बेघर हो कर यहां आए हैं।

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब 51,600 रुपए की supplementary demand के जरिए, जिला Ferozepore और Gurdaspur के इलाकों के लिये remission of tuition fee के सिलसिले में मन्ज़ूरी ली जा रही है। मैं कहता हूँ कि जो लोग गरीब हैं उन्हें ज़रूर इस किस्म की facility दी जानी चाहिए। लेकिन इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन से भी ज्यादा गरीब और उन से भी ज्यादा मुसीबत में फंसे हुए करनाल ज़िले के खादर area के लोग हैं। उन की तरफ Government का ध्यान नहीं जाता। अभी जो supplementary demands पेश हुई हैं उस में ढबकौली गांव के बारे में Government खुद मानती है कि वह खादर का area है और वह सब से बड़ा गांव है। वहां पर एक हज़ार के करीब पक्के मकान हैं। लेकिन वह गांव आधा wash off हो चुका है और जो बाकी रहता है उस को बचाने के लिये Government ने 80 हज़ार रुपया मांगा है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि दो साल हुए इसी House में कई दफा प्रार्थना की गई थी कि दरिया जमुना करनाल के साथ साथ बहता है। अगर उस के पक्के spurs न बनाए गए तो यह river करनाल और पानीपत के Model Towns के साथ साथ बहेगा। उस का कुछ असर न हुआ। फिर मजबूर हो कर मुझे एक सख्त तकरीर करनी पड़ी जिस को सुन कर राड़ेवाला साहिब ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं वहां चल कर मौका देखता हूं। जब उन्होंने वहां पर जा कर देखा तो दांतों के नीचे उंगली ली और उन्होंने खुद कहा कि यह तो बहुत ज्यादा मुसीबत है। इन्होंने एक और inspection का मौका बनाया। दोबारा जब inspection हुई तो उस में Chief Engineer, Superintending Engineer और X.E.N. और कुछ और officers भी गए। फिर मौका पर जाकर उस के लिये रुपया sanction हुआ। इस के बारे में कहा गया है कि यह scheme original budget में इस लिये नहीं आ सकी थी क्योंकि उस को Flood Control Board ने approve नहीं किया था। फिर बताया है कि अब Board ने 8th December, 1959 की meeting में इस बात की approval दी है कि इसे priority list पर रखा जाए। लेकिन अगर आप किसी को बुला कर पूछते तो हम बताते कि अगर आप इस वक्त 50 हज़ार रुपया इस काम के लिये नहीं देंगे या बनाने की इजाजत नहीं देंगे तो वहां 5 लाख रुपए की property तबाह हो जाएगी, हजारों लोग बेघर हो जायेंगे और गवर्नमैंट को बाद में इस तरह 80 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ेगा। ऐसा न करके दूसरे इलाकों की तरफ ध्यान दिया गया वहां की नहीं सुनी गई। तो मैं गवर्नमैंट का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमैंट को इस तरीके से काम करना चाहिए कि जिस से सारे पंजाब की भलाई हो और इस बात को सामने रख कर काम करना चाहिए कि पंजाब की सारी आबादी हमारी अपनी रियाया है। यह नहीं होना चाहिए कि अगर चीफ मिनिस्टर साहिब अमृतसर के हैं तो सारा ध्यान और रुपया उधर दे दियाजाए या अगर गुरदास पुर के मिनिस्टर साहिब हैं तो उन के लिये सब कुछ दे दिया जाए और बाकी affected इलाके छोड़ दिये जायें। जब यहां सवाल करते हैं कि water-logging

[श्री राम प्यारा]

कौन से जिला में ज्यादा है तो जवाब मिलता है करनाल में। जब पूछते हैं कि floods कौनसे जिला में ज्यादा आते हैं और कहां ज्यादा नुकसान होता है तो कहते हैं करनाल का जहां कि 82 मील का रकबा affected है। लेकिन जब रुपया की बात आती है तो preference दूसरों को मिल जाती है। मैं इन को बताना चाहता हूं कि सारे पंजाब की सारी आबादी आप की subject है कोई खास इलाका ही नहीं है। हम सब आप की रियाया हैं और इन्साफ के मुस्तहिक हैं। तो स्पीकर साहिब, आप देखें कि Demand No. 15 सफा 32 पर इसी तरह लिखते हैं और preference की बात करते हैं :

" ....where in some schemes of more emergent nature had to be given preference."

यानी सींख वाली स्कीम इस लिये बजट में छोड़ दी क्योंकि किसी और इलाका को preference देनी थी। मैं जनाब, अर्ज करना चाहता हूं कि सींख, पथरी वगैरा यानी बुटान ब्रांच के दाएं तरफ के गांव और बहुत सारा बाएं तरफ का जो इलाका है वह इतनी मुसीबत में है कि कोई मकान ऐसा नहीं है जहां 10 फुट तक सेम नहीं चढ़ गई है। वहां पर यह हालत हो रही है कि मकानात बैठने शुरु हो गए हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमैंट की तरफ से वहां preference उस वक्त मिलेगी जब कि सारा इलाका water-loged हो कर तबाह हो जाएगा। मेरा यह सब कुछ कहने का मतलब यह है कि मैं गवर्नमैंट को बताऊं कि यह डबकौली गांव ही नहीं और कुंजपुरा का बांध ही नहीं बल्कि आज सारा करनाल जिला खतरा में है और जमना उसे तबाह करती चली जा रही है। अगर सरकार ने उस तरफ इस वक्त ध्यान न दिया तो जिला का भारी नुकसान होगा। सारे जिला की पैदावार खत्म हो जाएगी और food problem पहले ही काफी है। अगर बजट में रुपया खर्च न कर के Supplementary बजट में ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं तो वह फजूल बात होगी। पंजाबी की मुझे एक कहावत याद आ गई है कि : "पंज नहीं सैंहदी पंजाह सैंहदी" यह सरकार भी वक्त पर पांच रुपए खर्च नहीं करती है मगर बाद में 50 कर देती है। इस लिये मैं यह बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर आप अभी वहां ध्यान नहीं देंगे तो जितना रुपया आज खर्च होना है बाद में उस से कहीं ज्यादा खर्च होगा और बहुत सारी ज़मीन नाकारा हो जाएगी।

स्पीकर साहिब, Stationery की मांग पर मुझे कोई खास एतराज़ नहीं और मुझे खुशी है कि सरकार इस पर खर्च कर रही है। अमृतसर के एक मैम्बर साहिब को थोड़ा एतराज़ यह है कि पंडित जी ने शायद पचास हज़ार circular छपा लिए हैं और जब दौरा पर जाना होता है तो चारों तरफ भिजवा देते हैं और इस तरह stationery waste की जाती है। मैं इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि थाने में जब कोई आदमी रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो वहां का मुहरर्र रिपोर्ट लिखवाने वाले से कहता है कि पहिले एक दस्ता कागज़ों का ला दो। थाने वाले भी खुद तंग हैं क्योंकि एक दो रुपए stationery के लिये महीने में मिलते हैं जो

दो चार दिन नहीं चलते हैं। मैं ने एक सवाल किया था कि कैथल के 420 के केस में कितने आदमी हैं तो जवाब से पता चला कि एक ही केस 33 आदमियों के खिलाफ था। जब इतने बड़े बड़े केस हों तो stationery पर ज्यादा खर्च ज़रूर होना हुआ। अगर थाने वाले कागज़ न मांगें तो और क्या करें। गरीब बिचारा जो रिपोर्ट लिखवाने जाता है उस पर एक मुसीबत और डाल दी जाती है कि पहले दो दस्ते कागज़ ले आओ। तो मैं अर्ज़ करूंगा कि जब हम और जगह इतनी stationery waste करते हैं तो थानों और दूसरे महकमें जो field में काम करते हैं उन को भी माकूल stationery मिलनी चाहिए ताकि यह न हो कि वह लोगों से कागज़ों के दस्ते मांगते फिरें। अगर नहीं दोगे तो मांगने पर ज़रूर मजबूर होंगे।

एक और Demand reimbursement of medical expenditure गवर्नमैंट ने पुलिस वालों के लिये रखी है। इस बारे में जनाब, मेरी यह अर्ज़ है कि यह हम यहां पर socialist निज़ाम बनाने चले हैं और फैसला किया है कि हम ने गरीब लोगों को ऊपर उठाना है। मैं ने यहां एक सवाल किया था कि इस साल medical reimbursement पर कितना रुपया खर्च किया और उस में से कितना रुपया gazetted अफसरों को मिला और कितना class IV को मिला। आप हैरान होंगे कि उस रकम का $\frac{7}{8}$ हिस्सा सारे 173 gazetted अफसरों को मिला और बाकी का $\frac{1}{8}$ class IV के 2,300 मुलाज़मीन को मिला। हमें इस रुपए पर कोई एतराज़ नहीं लेकिन इतनी प्रार्थना ज़रूर करनी चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि हम ने socialist निज़ाम बनाना है तो फिर इन class IV के मुलाज़मीन को जिन को पेट भर रोटी नहीं मिलती और गुज़ारा नहीं होता इतना कम हिस्सा क्यों मिलता है। जब जवाब-तलबी का वक्त आता है तो भी इन पर ही सारी मार पड़ती है। मैं ने एक सवाल के ज़रिए पूछा था कि शराब नोशी रोकने के लिये I. G. पुलिस ने जो पुलिस वालों को circular जारी किया है उस की खिलाफवर्ज़ी में किस किस के खिलाफ action लिया गया है। जवाब में मुझे एक list दी गई थी जिस में कि 90 constables थे और बड़ा कोई अफसर नहीं था। जनाब, मेरा यह charge है और चीफ मिनिस्टर साहिब को भी लिख चुका हूं कि अगर Additional I. G., Police का medical test कराया जाए तो पता चलेगा कि वह रोज़ाना शराब पीते हैं। मैं जनाब, अर्ज़ करूंगा कि medical charges का जो रुपया है वह ज्यादा गरीब और छोटे मुलाज़मीन के लिये होना चाहिए। Gazetted अफसरों की तनखाह काफी हैं और वह अपने पास से भी खर्च कर सकते हैं मगर यह गरीब लोग जिन का रोटी का गुज़ारा भी नहीं चलता और 70, 75 रुपए मिलते हैं वह मजबूर होते हैं और बीमारी पर खर्च नहीं कर सकते। अमीरों के हां तो बीमारियां भी कम होती हैं क्योंकि अच्छा खाते-पीते हैं मगर गरीब इतना afford नहीं कर सकते हैं। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि यह रुपया गरीब और छोटे मुलाज़मीन पर ज्यादा खर्च होना चाहिए और बड़े लोगों पर कम खर्च करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि बड़े लोगों पर खर्च न करें, rules के मुताबिक ज़रूर खर्च होना चाहिए लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटे लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

[श्री राम प्यारा]

फिर एक मांग सफा 11 पर T. A. के बारे में है। मेरी अर्ज़ यह है कि हमें T. A. देने में कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि आखिर जो अफसर दौरा पर जाता है उस ने T. A. तो लेना ही है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमैंट को यह बात तो देखनी चाहिए कि कोई अफसर दौरा पर जा कर क्या करता है। जो अफसर दौरे पर जाता है उस की पड़ताल भी होनी चाहिए कि वह क्या करता है। क्या कभी गवर्नमैंट ने पड़ताल की कि करनाल में जो पुलिस के अफसर जाते रहते हैं, Additional I. G. पुलिस वहां जाता रहता है किसी केस के ताल्लुक में गए हैं या immoral traffic करने गए हैं? यह मेरा charge है कि करनाल में Additional I.G. जब वह D.I.G. था तब भी और अब भी इस बुराई को करने जाता रहा है। यह बात इतनी बढ़ी कि इस का नतीजा यह हुआ कि जब लोगों को चीफ मिनिस्टर साहिब की खिदमत में अर्ज करने से भी कामयाबी न हुई तो उन्होंने गुस्से के तौर पर समझो या protest के तौर पर समझो एक public meeting की कि यह हमारी सब की बदनामी है कि एक Additional I.G. वहां करनाल में जाता है और immoral traffic करता है........

लोक कार्य मंत्री : On a point of order, Sir.....

Shri Ram Piara: I don't give way........

आवाजें : वह point of order पर है इस लिए बैठ जाएं।

Minister for Public Works (Chaudhri Suraj Mal) : Sir, I rise on a point of order. There is a precedent of this House as also of other Legislatures that nothing can be said against an Officer who is not here and who cannot defend himself. I would like to know whether that precedent is still there ; and if it is there, my hon. Friend should be asked not to speak against Officers who are not here.

Shri Ram Piara : Sir, I submit that I have not referred to any Officer by name. Under the rules, I can refer to Officers by designation or by rank.

श्री अध्यक्ष : इस में आम तौर पर convention यह है कि by name किसी अफसर पर charges नहीं लगाने चाहिएं। जहां तक by rank का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि आप लोगों को चाहिए कि जो शख्स हाउस में न हों उन के मुताल्लिक जिकर करने का कोई और तरीका होना चाहिए। (In this connection generally the convention is that the charges are not levelled against any officer by name, but as regards making of allegations against them by designation, I think the hon. Members should adopt some other method of referring to persons not present in the House.)

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मैं ने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : इस के बारे में Speakers' conference में बड़ी लम्बी-चौड़ी discussion हुई है और हम ने तकरीबन थोड़ा सा agree किया हुआ है कि इस का जिकर बहस में हो सकता है क्योंकि इस के लिए इस के सिवा और कोई forum

नहीं है लेकिन किस ढंग से कहा जाए इस के मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया। चौधरी सूरज मल जी ने जो point of order उठाया है वह हाउस में कई दफा आ चुका है। चौधरी साहिब, आप मुझे यह बताएं कि अगर एक मेम्बर किसी अफसर के खिलाफ किसी मामला के बारे charges लगाता है जिस का administration के साथ गहरा ताल्लुक है तो इस को आप avoid किस तरह कर सकेंगे। आप मेरे पास किसी वक्त आएं मैं आप को इस मुताल्लिक confidential documents पढ़ा दूंगा। (This matter was discussed at length in the Speakers' conference and to some extent it was agreed that this matter could be referred to in the debate because for this purpose there was no other forum except this. But so far as the mode of reference is concerned there has been no decision as yet. The point of order raised by Chaudhri Sahib (Minister for Public Works) has already come before the House many a time. I would like to know from Chaudhri Sahib as to how could he avoid charges being levelled against an officer by a Member on a matter which is deeply connected with administration. I shall show him confidential documents of the Speakers' conference if he meets me some time in my chamber.)

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मैं ने किसी का नाम नहीं लिया और मैं फिर वायदा करता हूं कि किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं कहता हूं कि चौधरी साहिब ने अखबारें तो पढ़ी होंगी। यह बात अखबारों में निकलती रही है कि करनाल वालों ने इस बात का सख्त protest किया। इसी तरह से भिवानी में एक जलसा हुआ जहां यह कहा गया कि फलां थानेदार अपनी औरत भेजता है।

श्री अध्यक्ष : मेरा दिल नहीं करता कि मैं आप को snub करूं लेकिन आप ज़रूर करवा कर रहते हैं। आखिर बात करने का कोई decent ढंग भी तो होता है आप तो बेपरवाही से बिल्कुल सीधे आ जाते हैं। (I have no mind to snub the hon. Member but he compels me to do so. After all there is some way of saying things with decency but he bursts forth without caring for it.)

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मिनिस्टर साहिब जब कहीं जाते हैं तो कारों में जाते हैं लेकिन जब हम field में जाते हैं तो हमें लोगों से गालियां सुननी पड़ती है। स्पीकर साहिब, public meetings में यह बात कही गई कि फलां शख्स फलां रात फलां जगह पर इसलिए आया (घंटी)।

अगर आप नाराज़ होते हैं तो मैं इस मांग को ही छोड़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब तो यह हाउस इस तरह होता जा रहा है कि एक एक लफ्ज़ पर चौकन्ना रहना पड़ता है। कभी तो relaxation होनी चाहिए। (Now this House is conducting itself in such a way that one has to be extremely vigilant at each word uttered by the Members. At least there should be some moments when one could relax.)

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, आप एक कमेटी बना दें और जो मेम्बर या मिनिस्टर ठीक स्टेटमेंट न दें वह कमेटी उस के खिलाफ action ले ।

श्री अध्यक्ष : रूल्ज़ बने हुए हैं, कमेटी की क्या ज़रूरत है ? (Where is the need for appointing a Committee when there are rules to guide ?)

श्री राम प्यारा : सफा 35 पर झुंडला ड्रेन के लिए 200 रुपया रखा गया है । झुंडला के मुताल्लिक गवर्नमेंट को कई दफा अर्ज़ की गई है लेकिन गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया । हकीकत यह है कि पिछले साल इस के सारे surroundings डूब गए । आज भी झुंडला के लोग यहां आए हुए हैं और वह मिनिस्टर साहिब के पास representation करना चाहते हैं लेकिन मिनिस्टर साहिब यहां नहीं हैं । कई बार गवर्नमेंट का ध्यान इस बात की तरफ दिलाया गया है कि झुंडला के मकान गिर रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया जिस का नतीजा यह होगा कि बाकी के मकान भी गिर जाएंगे । इस लिए मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस से भी ज्यादा रुपया मांगा जाए । इसलिए मैं सिर्फ इतनी बेनती करना चाहता हूं कि जहां जहां मुसीबत ज्यादा है उन की मुसीबत को देख कर रुपया अलाट किया जाए न कि आदमियों को देख कर कि फलां आदमी का हलका है । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जरूरी item है । अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो मुझे थोड़ा सा डर है कि हमें कोई और कदम उठाना पड़ेगा । इन अलफाज़ के साथ मैं यह कहूंगा कि ज़रूरतमन्द इलाकों के लिए ही रुपया अलाट किया जाना चाहिए ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ due ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ Act ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਲਈ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ special officer ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰੇ । Pepsu ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ elections ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਹਰਿਸਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਹਰਿਸਤ ਤੋਂ election ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਹਰਿਸਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਹਰਿਸਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ elections ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ । Pepsu ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ secret ballot ਨਾਲ election ਹੋਵੇ । ਪਹਿਲੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਔਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ election ਹਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ secret ballot

ਨਾਲ election ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਕਿ election ਦਾ procedure simple ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ notification ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ secret ballot ਨਾਲ 500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ election ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ hardship ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

(*At this stage Shri Lal Chand a member of the panel of Chairmen occupied the Chair*)

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ election ਦੀਆਂ dates ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ Act ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ—ਮਸਲਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ election ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ provision ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਨ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ scheduled caste ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ abolish ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ election ਦੀਆਂ dates ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ amending bill ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ elections ਨੂੰ postpone ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ election ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ 2,56,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 1,18,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ items ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ item ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ voters ਦੀਆਂ ਫਹਰਿਸਤਾਂ ਗਲਤ ਸਨ। ਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ elections ਕਰਾਈਏ ਤਾ ਫਹਿਰਿਸਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਖਰਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ Election Commissioner ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਕੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀ stationery ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤੇ ballot papers print ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 17,000 ਰੁਪਿਆ ਹੈ। 1,18,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ elections ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 17,000 ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2,56,000 ਰੁਪਿਆ elections ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 1,18,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 1,54,000 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1,18,000 ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ elections ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ 17,000 ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ elections ਕਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। Elections ਨੂੰ post-

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
pone ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ elections ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ । (voices: ਨਵੀਆਂ elections ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ) ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ।

श्री मुनी लाल कामरेड (शिमला) : मैं इस Appropriation Bill की मुखालफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस बिल में कई items of expenditure ऐसी हैं जिन पर एतराज़ की काफी गुंजाइश है । सब से पहले मैं सरकार की तवज्जुह Page 20 पर दी गई item No. 10 "Mountview Hotel" की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह हमारी सरकार का एक bad deed है। मैं यह महसूस करता हूं कि चन्डीगढ़ में ऐसे होटल की जरूरत थी । जब इस के बारे में lease deed sign करवाया गया तो मैं समझता हूं कि सरकार के किसी ज़िम्मेदार आदमी को कुछ interest जरूर था । इस में कुछ lacuna रखा गया और यह lacuna जान बूझ कर एक पार्टी को खुश करने के लिए रखा गया ।

वित्त मंत्री : On a point of order, Sir. इस बारे में हाई कोर्ट में जो writ petition दायर की गई है उस का अभी तक फैसला नहीं हुआ । यह *sub-judice* case है इस लिए इस के merits को discuss नहीं करना चाहिए ।

श्री मुनी लाल कामरेड : मैं, चेयरमैन साहिब, इस की details में नहीं जाना चाहता । मैं Supplementary Estimates के page 20 पर दी गई item No. 10 Exdenditure on running of Mountview Hotel at Chandigarh की तरफ सरकार की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि lease deed defective होने की वजह से case हाई कोर्ट में गया और सरकार का रुपया ज़ाया हुआ है ।

Mr. Chairman: The hon. Member may avoid discussing the matter which is subjudice.

श्री मुनी लाल कामरेड : चेयरमैन साहिब, इस के अलावा मैं सरकार की तवज्जुह page 21 पर दी गई Supplementary Demand—Provincial Schemes of Government Trading की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस में 10, 42, 350 रुपये की मांग की गई है । State Trading को कामयाब बनाने के लिए ज्यादा stock reserve में रखना बहुत ज़रूरी है । यह मांग जायज़ है । जब State Trading का मसला हमारे सामने आया तो हम ने अपने ख्यालात का इज़हार किया था कि State Trading की स्कीम अच्छी और फायदामंद है । इस तरह से अनाज के भाव नहीं चढ़ सकेंगे लेकिन हमें खदशात थे कि इस सिलिसिले में जो overhead charges होंगे यानी administrative machinery, अफसरान का काम करने का ढंग, sanctions में delay और इस की management में जो गलतियां होंगी उन की वजह से यह business महंगा पड़ेगा । यह काम हम ने experimental basis पर शुरू किया था लेकिन अखबारात में जो आजकल reports निकलती हैं उन से ज़ाहिर होता है कि जिस ढंग से administrative machinery चल रही है वह satisfactory नहीं है ।

इसी तरह Transport Department की मांग के बारे में है। दोनों बातें basically nationalisation से ताल्लुक रखती हैं। मैं समझता हूं कि इस demand में बहस का scope बहुत थोड़ा है। इस में staff cars के बारे में ज़िक्र आया है। एक तरफ तो officer class है जिन की fat salaries हैं। मैं समझता हूं कि Nationalisation का मकसद पूरा नहीं होता कि जो actual workers हैं वह dissatisfied रहें। एक तरफ तो सरकार enterprise को चलाने के लिये invest करती है दूसरी तरफ जो workers काम करते हैं यानी conductors और drivers उन का charter of demands बढ़ता जा रहा है। उन की wages बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। Overhead charges बहुत ज्यादा हो गये हैं और expenditure इतना बढ़ गया है कि उन की staff cars का खर्च महसूस होता है। Transport Department में काम बढ़ा, सरकार को नफा हुआ, लेकिन इस का ज्यादा हिस्सा Administration की high posts पर खर्च होता जा रहा है। छोटे workers की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जो nationalisation of transport का दम भरते हैं और true spirit में काम करते हैं। हमारी administration को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार socialistic pattern of society का दावा करती है, classless society की बात करती है। इसलिए उसे society में extreme disparity जो इस वक्त exist करती है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। यह छोटे दर्जे के workers हैं जो मेहनत से काम करते हैं।

Mr. Chairman: There is no mention of staff under this Demand.

श्री मुनी लाल कामरेड : जनाब आली, Demand No. 3 में staff cars के सिलसिले में expenditure का ज़िक्र किया गया है।

अब मैं सरकार की तवज्जुह State Trading की तरफ दिलाना चाहता हूं। Nationalisation के बारे में, यहां staff cars का भी खर्च है। मैं House का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। वे staff cars misuse होती हैं। जो class IV employees हैं उनका charter of demands increase हो रहा है और officers का यानी Deputy Transport Controller, Extra Assistant Transport Controller वगैरह वगैरह officers का एक बड़ा number increase किया जा रहा है। महज़ इस लिए कि उसमें scope है। इसमें सरकार justification समझती है कि Transport Department ने इतना रुपया कमाया है इसलिए officers की इतनी बड़ी फौज समा सकती है। यह नीति के खिलाफ है।

उसके बाद Loans to private companies या private individuals की Demand है। इस के मुताल्लिक हमारे Minister साहिब ने बड़ी दलेरी से यह बात कही कि यह जो housing के लिए loan है मैं इसकी तहकीकात करूंगा। मैं इस बात पर उनका बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने इस बात का वायदा किया है। चंडीगढ़ में जो house बनाने के लिए loan दिया जाता है इसके मुताल्लिक तो सरकार की नियत साफ है; जवाब साफ है कि चंडीगढ़ develop हो, लेकिन districts में जो ऐसा loan दिया

[श्री मुनी लाल कामरेड]

जाता है उसके बारे में सरकार सख्ती से काम ले कि यह रुपया मकान बनाने पर इस्तेमाल किया जाए। लोग वे कर्ज़े ले जाते हैं। मकान ज़रूर बनाते हैं, अपनी रिहायश के लिए नहीं बल्कि किराए पर देने के लिए। और कई लोगों को रिहायश के लिए मकान नहीं मिलता। इस से exploitation बढ़ती है। वज़ीर साहिब ने यकीन दिलाया है कि जिस काम के लिए loan दिया जाएगा उसी काम के लिए यह रुपया इस्तेमाल करवाया जाएगा। यह रुपया उस आदमी को मिले जिस के पास मकान नहीं है। जिस के पास मकान है उस को न दिया जाए, जो मकान बना कर किराए पर दे और exploit करे।

इसमें page 24 पर Electricity Board के लिए 64 लाख रुपये का हम ने कर्ज़ा दिया है। यह मुरत्तब किया था कि State Electricity Board बनाना है ताकि day-to-day administration में दखल न हो। इस Board के शुरू होने के बाद अकसर मैम्बरान को लोगों की तरफ से शिकायतें पहुंची हैं। Railway Board की तरह इसका budget भी House में पेश हो ताकि House को इसे discuss करने का मौका मिले। जब सरकार की तरफ से एक बड़ी रकम invest की जाती है तो इस House के मैम्बरान को उस पर अपने इज़हारे ख्याल का मौका मिलना चाहिए।

Chairman साहिब, page No. 20 पर item No. 9 में 'Settlement of Tibetan Refugees' के बारे में House में कुछ ले दे हुई। मुझे भड़ोलियां साहिब से इस मसले पर ज़रूर इख्तलाफ है। हम जमहूरियत के हामी हैं। जो लोग ताकत के हामी हैं, जो हमारे साथ इखतलाफ रखते हैं उनको अपनी राय का इज़हार करने का पूरा हक है। हमारे भड़ोलिया साहिब, जो communist दोस्त हैं उनका यकीन ताकत के राज में है। दुनिया में दो किस्म के ख्याल के राज हैं। एक इखलाक का राज और दूसरा ताकत का राज। इखलाक का राज जमहूरियत में है। हम इखलाक के राज में यकीन रखते हैं। जो ताकत के राज में यकीन रखने वाले हैं उन्हें पूरा हक है कि वे अपनी राय का इज़हार करें। मेरी समझ में नहीं आया कि पंजाब में Tibetans के बसाने के बारे में अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। मरकज़ी सरकार ने इस रकम को reimburse करना है। हमारी तो duty है कि खर्च कर के उन्हें बता दें। जो इस party के मैम्बर Parliament में हैं वे इस बारे में वहां कहते। क्या उनको वहां सांप सूंघ गया था?

श्री चेयरमैन : आप Parliament के Members के बारे में नहीं कह सकते। (The hon. Member cannot refer to the Members of Parliament.)

श्री मुनी लाल कामरेड : मैं अपने Communist भाइयों को यह कहता हूं कि वे ऐसी फरियाद किया करें जो कबूल हो सके और जो इनकी वफादारी है उनके साथ वह इस से पूरी ज़ाहिर हो रही है।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाब Chairman साहिब, बहुत सारी चीज़ें पर एतराज़ात हुए हैं लेकिन आम तौर पर general policy के मुताल्लिक ज्यादा एतराज़ हुए बनिस्बत उन items के जोकि इसके अन्दर लाए गए हैं। और स्पीकर साहिब ने कह दिया था कि हम किधर जा रहे हैं, हमको relevant बात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी

चूंकि यहां बातें कही गई हैं, एतराज़ात किए गए हैं, मेरे लिए जरूरी है कि मैं उनका जवाब दूं। पहली बात यह कही गई कि हम Electricity Board की मदद क्यों कर रहे हैं। Electricity Board बना, Electricity Act के मातहत बना और उस Act के मातहत ही उनका budget या account हमारे House में आएगा। हमें उस पर बहस करने का हक है लेकिन उस पर voting नहीं होगी। जो 65 लाख रुपया दिया गया, जब काम शुरू किया तो जितना रुपया concern में लगा था वह सब उनको दिया और उसके इलावा काम को बढ़ाने के लिए और रुपये की जरूरत भी होती है जो हमको देना है। यह 64 लाख रुपया interest का है। जो रकम दी गई वह कर्ज़ा था। वह कर्ज़ा भाखड़ा की construction में, गंगूवाल और कोटला में लगा। यह जो जोगिन्द्र नगर की scheme पर रुपया लगा वह सारे के सारे कर्जे का सूद उनको देना है। कुछ सूद वे अपनी आमदनी में से दे सकेंगे और कुछ सूद इन्हें capitalise करना पड़ेगा। उनके पास capital में इतना रुपया नहीं था कि capitalise करके उस capital में से दे सकें इसलिए उस सूद को जो capitalise किया गवर्नमेंट बतौर कर्ज़े के देती है। यह loan है जो Board को देना है। अगर हम इस तरीके से Board की मदद नहीं करते हैं तो Board चल नहीं सकेगा। Board इस लिए बनाया कि electricity को nationalise करें, न कि commercial concern बनाएं। और commercial concern के case में ऐसा करना होता है। यह कोई दान नहीं दिया गया, कोई subsidy नहीं दी गई, बल्कि रुपया advance दिया गया है। जैसे श्री मुनी लाल ने फरमाया है कि ठीक है हम Electricity Board की मदद करते हैं, हमको करनी चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ को nationalise इस तरह कर दें तो Board को free होना चाहिए कि वह काम कर सके। उनको इतनी freedom है। Absolute freedom तो दुनिया में किसी को भी नहीं होती। वह कानून के अंदर रह कर काम कर सकता है और हमें उसको काम करने के लायक बनाना चाहिए।

12.00 noon

फिर सवाल आया है Farmers Forum का कि क्यों इस को कुछ रुपया दिया गया है। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि Farmers Forum को organise करना और उस की मदद करना इस की स्कीम में है। यह इस लिये है कि जो भी institutions development के काम करती हैं गवर्नमेंट हमेशा उन की इमदाद करती है। पहले भी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस तरह की जो institutions बनाई जाती हैं, मसलन हमारे यहां scouting की institution है जो scouts की मदद करती है यह गवर्नमेंट उस की मदद करती है, उस को रुपया देती है ताकि वह चल सके। इसी तरह से यह पांच हज़ार रुपया की रकम जिसे आप token demand समझें Farmers' Forum को दी गई है। फिर इस के लिए यह कहा गया है कि यह गवर्नमेंट की policy के खिलाफ काम करती है तो इसे क्यों रुपया दिया गया है। यह सवाल इन का ठीक नहीं। यह सवाल इन का तब ठीक होता जब यह कहते कि यह गवर्नमेंट की policy पर चलने वाली है इसी लिये इस की मदद की जाती है बाकी institutions की मदद नहीं की जाती जो इस

[वित्त मन्त्री]

की policy के खिलाफ चलती है । लेकिन हमारी तो यह policy बनी हुई है कि जो institutes लोगों की मदद करती हैं उन को हमेशा गवर्नमेंट रुपया देती है और हमेशा यह सरकार देती रहेगी । इस सिलसिले में मैं एक चीज़ बतलाना चाहता हूं जिस का इस बिल के साथ तो ताल्लुक नहीं लेकिन मैं मिसाल के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि होशियारपुर के करीब विश्वेश्वरा नन्द institute है जो वैदिक research का काम कर रही है जोकि बड़ी अच्छी institute है । उस को भी हमारी सरकार मदद देती है ।

एक एतराज़ कल भी हुआ था और आज भी हुआ है । कल के एतराज़ को तो मैं refer नहीं करता लेकिन आज पुलिस के wireless radio station के बारे में जो कहा गया है उस के बारे में मैं अर्ज़ करता हूं कि पुलिस का जो wireless station है इस के लिए Government of India ने हमारी Government को licence दिया हुआ है और वह licence लेकर ही हमारी गवर्नमेंट wireless का काम करती है । यह इस लिये काम में लाया जाता है क्योंकि कई important messages अपने District headquarters को भेजने होते हैं । इस के लिए पुलिस department का अलग हिस्सा है जो इस काम को करता है । इस लिए यह जो additional equipment के लिए रुपया मांगा गया है यह जरूर देना चाहिए । यहां मैं यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि जब इस प्रान्त का partition हुआ था तो उस वक्त भी यह branch वहां से आई थी और जो इस branch के incharge थे उन्होंने यहां इसे organise किया और जो instruments वहां से आये थे उन्हें ठीक किया और उन्हें ठीक कर के यहां पर wireless station बना दिया । इन के इस एतराज़ से तो यही साबत होता है कि जब कोई चीज़ यह सुनते हैं या पढ़ते हैं उस पर इन के दिल में एतराज़ उठते हैं चाहे उन का कोई ताल्लुक उस चीज़ से हो या न हो ।

फिर यहां पर state trading की बात आई और इस पर न मालूम क्या २ राठी साहिब कह गये । अगर यह इन चीज़ों को देखते कि आया इन चीज़ों का ताल्लुक इस के साथ है या नहीं और फिर इस पर एतराज़ करते तब तो कोई माकूल बात होती । लेकिन बिना देखे समझे इस तरह एतराज़ कर देना ठीक बात नहीं होती । State trading के बारे में अर्ज़ करता हूं कि यह कामयाब रही है और इस के लिए यहां जो दस लाख रुपये की रकम मांगी गई है यह उस दो करोड़ रुपये का interest अदा करने के लिए है जिस का माल आज हमारे reserves में है । फिर यह रुपया जो interest के लिए लिया जा रहा है यह उस माल की कीमत पर पड़ेगा । यह तो है नहीं कि यह state trading कोई घाटा डाल कर करनी है, बल्कि एक तरफ जहां अनाज की कीमत को एक खास level पर रखने के लिए state trading करते हैं वहां दूसरी तरफ यह चीज़ करते हैं कि इस से गवर्नमेंट को घाटा न हो क्योंकि subsidize कर के कीमत काबू में रखने के कोई मायने नहीं होते । हम ने गंदम 120 हज़ार tons stock की थी अपने expenditure के लिए और 43 हज़ार tons tenders के ज़रिए mill owners को दिलाई है । इस तरीका से rates को हम ने बढ़ने से रोका है । हां अब कुछ बिजली के कम होने की वजह से कुछ तकलीफ हुई लेकिन उस तकलीफ को भी फौरन

दूर किया और पिछले साल की निस्बत अनाज की कीमत आम तौर पर कम रही है और यह state trading की ही वजह से हुआ है । इस बारे में यहां एक एतराज़ यह किया गया कि state trading co-operative socities की मारफत हुई और यह इस लिये हुई क्योंकि जिन की हम मदद करना चाहते थे यह काम उन को दिया गया । क्या अजीब बात है ? इस में हम ने क्या किसी की मदद की ? Co-operative societies ने माल खरीदा और हम ने वह माल उन से ले लिया और माल लेकर हम ने उन को उस की कीमत अदा कर दी । ऐसा तो है नहीं कि माल उन के पास रहा या उस के पैसे नहीं दिये । फिर अगर यही माल co-operative socities की बजाये किसी आदमी की मारफत खरीदा जाता और तब अगर यह यही बात कहते तब तो उस के कुछ मायने होते । Co-operative societies में तो co-operation का असूल काम करता है । इस में तो सब कुछ बट जाता है । सारा काम मिल कर किया जाता है और इस में जो बचता है वह भी सब को मिलता है और वह एक आदमी को नहीं मिलता । बजाये इस के लिये सरकार की policy की तारीफ करने के उल्टा इस पर एतराज़ किया गया है । फिर यह कहा गया कि फलां co-operative society पैसा ले कर खा गई इस लिये state trading खराब है । अगर वह पैसा ले कर खा गई तो उस पर मुकद्दमा चलेगा; इस से state trading खराब हो गई यह मेरी समझ में नहीं आया ।

फिर Housing loans के बारे में कहा गया और कई individual instances को सामने रख कर कहा गया । मैं कहता हूं कि individual interests को इस में लाना नहीं चाहिये । यह कह सकते हैं कि एक आदमी बेईमान हो गया । आखिर कोई बेईमान होता है तो इस में हमारी society की कमज़ोरी है । इस में तो कोई अक्ल की बात नहीं कि society की कमज़ोरी होने की वजह से कोई स्कीम बन्द कर दी जाये । हर इन्सान चाहता है कि अगर उसका मकान नहीं है तो वह बने । उसका दिल यह चाहता है । यह इस लिये कि आखिर रोटी, कपड़ा और रहने की जगह तो हरेक को चाहिये । इस के लिये loans दे कर मदद की जाती है । अगर loan लेने वाला बेईमान हो गया तो बेईमान को सज़ा मिलेगी । लेकिन उस के बेईमान हो जाने के लिये आप इस स्कीम पर एतराज़ नहीं कर सकते और न ही करना चाहिए ।

एक बात बाबा हरनाम सिंह ने कही कि ज़िला करनाल में एक खास स्कीम के मुताबिक जो forest लगाया जा रहा है वह न लगाया जाये । स्पीकर साहिब ने उन की तवज्जुह भी खैंची कि क्या बात कर रहे हैं कि इस में कहां forest लगाने की बात है । जो भी एतराज़ात आज किये गये वह general तौर पर किये गये जो कि इस बिल पर discussion के scope से बाहर हैं । यह एतराज general discussion of the Budget पर आने चाहियें । इस में forests का कोई ज़िक्र तक नहीं है लेकिन वह फिर भी फर्मा गये । मैं उस का क्या जवाब दूं । अगर general discussion of the Budget पर उन्होंने फिर

[वित्त मंत्री]
इस बारे में एतराज़ उठाया, तब या तो मैं जवाब दूंगा या उस महकमे के वज़ीर साहिब जवाब देंगे।

फिर Flood Relief के measures के बारे में कहा गया। इस में flood relief के measures का ज़िक्र नहीं है बल्कि famine relief के measures का है और मैं यह बता दूं कि Famine Relief Code बना हुआ है और उसी के मुताबिक relief work चलता है। जो relief works चलते हैं उन में जो wages दिये जाते हैं वे भी उसी Code के standard के मुताबिक दिये जाते हैं। इस में जितना इन्तज़ाम चलता है वह सारा उसी के मुताबिक चलता है। उस के मुताबिक काम करने में अगर कोई कमी रह जाये तब तो कोई बात हुई लेकिन ऐसे ही कह देना कि फलाने को मिला और फलाने को नहीं मिला ठीक नहीं। फिर, चेयरमैन साहिब, कहने को तो यह कह लेते हैं लेकिन उस का जवाब सुनने को बैठते नहीं और बाद में यह कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले यह कहा था लेकिन इस का मिनिस्टर साहिब ने जवाब नहीं दिया। यह कोई ठीक बात नहीं।

फिर एक साहिब ने कह दिया कि खादर area बड़ा खराब है, वहां पर स्कूल क्यों नहीं खोला गया और यह नहीं दिया वह नहीं दिया जब कि करार किया था। मैं उन्हें बताता हूं कि जिन के साथ करार किया गया था वह उन्हें दे दिया गया है और flood relief नहीं दिया। इन supplementary demands में flood relief के लिये तो कोई पैसा नहीं मांगा गया। अगर उस का पैसा होता तो कह सकते थे कि बाढ़ आई, यह क्यों नहीं दिया। जहां बाढ़ आती है वहां मदद दी जाती है और उस के लिये तरीके बने हुए हैं।

जनाब, इन के दिल में जो आता है वह कह जाते हैं। फरमाते हैं तमाम पंजाब सबजैक्ट है, रियाया है। मगर यह भूल करते हैं, पंजाब रियाया नहीं मालिक है, हम सेवक हैं, जितनी जरूरत हो और जितना वक्त हो उतनी सेवा हम करते हैं। पंजाब को रियाया यह समझते हैं, हम नहीं समझते।

फिर कहा कि जमुना की वजह से नुकसान होता है। तो, जनाब, इस के लिये एंटी फ्लड मैयर्ज़ किये जाते हैं जिन में ड्रेन्ज़ वगैरह बनाई जाती हैं, बंध बनाए जाते हैं। इस बारे सारी की सारी स्कीमें सैंट्रल वाटर एंड पावर कमिशन के पास जाती हैं। उन की एक जमुना कमेटी बनी हुई है। सारे मैयर्ज़ इन की मर्ज़ी से किये जाते हैं। जो स्कीम वह मन्ज़ूर करते हैं वही अमल में लाई जाती है।

फिर, जनाब, स्टेशनरी की बाबत मेरे एक भाई ने एतराज़ उठाया। मैं तो उन्हें भाई ही कहूंगा। हां, अगर उन्हें इस पर एतराज़ हो तो सरदार साहिब कह दूंगा मगर वह मेरे से उम्र में छोटे हैं तो मैं उन्हें भाई कहता हूं, यह कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। उन्होंने वज़ीरे तालीम के दौरे से सम्बन्धित एक चिट्ठी पढ़ कर सुनाई और कहा कि इस तरह से

स्टेशनरी खर्च होती है। यहां जो स्टेशनरी के लिये पैसा मांग रहे हैं वह किसी खास चीज़ के लिये मांग रहे हैं। कागज़ों की प्रिंटिंग के लिये, जो पिछले साल नहीं मिले और इस साल मिल रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। पिछले साल इस के लिये रखा पैसा lapse हो गया। जिस चिट्ठी के बारे इन्होंने एतराज़ उठाया वह तो तब issue की गई जब किसी ने इनको invite किया और लिखा कि हम ऐसा इन्तज़ाम करना चाहते हैं; तब इन्होंने यह चिट्ठी लिखी और कापी M. L. As. वगैरह को भेजनी होती है। उस का इन demands से ताल्लुक नहीं है। फिर कहा जाता है कि पुलिस वालों के पास report लिखने के लिये कागज़ नहीं होता। मगर उस के लिये तो पैसा मांगा ही नहीं। फिर Supplementary Demands में कहना कि पैसा ज़्यादा होना चाहिए यह बातें तो General Budget की discussion पर कही जाती हैं, इस वक्त नहीं।

मुझे सुन कर बड़ी हैरानी हुई कि इस Socialistic Pattern of Society में गरीबों को medical expenses की reimbursement कम हुई, दूसरों को ज़्यादा हुई है। तो क्या Socialism के मायने यह होते हैं कि गरीब ज़्यादा बीमार हों ? जो बीमारी पर रुपया खर्च किया जाता है वही re-imburse किया जाता है। यह कोई खुराक नहीं है; बीमारी के इलाज के लिये दवाई दी जाती है। इस में कोई allowance की बात नहीं है कि किसी से फर्क किया जा रहा है। अब तो हम ने यह तरीका भी बदल दिया है। अब तो डाक्टर नुस्खा लिख कर देगा और दवाई रखा करेंगे और वही मरीज़ों को मिल जाया करेगी।

जहां तक पंचायतों की elections का ताल्लुक है वह मेरे लायक साथी ने जवाब दे दिया है।

बहुत से एतराज़ staff cars पर हुए (विघ्न) कि इन पर बहुत रुपया खर्च करते हैं। हम ने कोई car खरीद नहीं की। मगर चूंकि यह कारें पुरानी थीं इस लिये इन पर पैट्रोल वगैरह पर ज़्यादा खर्च आया और इसी वजह से यह पैसा मांगा है। यह कारें तो पहले ही हैं और सिर्फ Transport वालों के पास ही नहीं बल्कि दूसरे अफसरों के पास भी हैं मगर Transport वालों के पास इन का charge रहता है। बाकी दौरों के वक्त देखा जाता है कि यह दौरा ठीक मतलब के लिये कर रहे हैं या नहीं। एक चीज़ यह कही गई **कि हम इस की administration** की top heavy बना रहे हैं। अगर यह इसे पढ़ते तो यह एतराज़ न करते। हम ने एक claims section खोला है कि अगर accidents हो जाएं तो एक अफसर फैसला करे कि किस को कितना मुआवज़ा मिलना चाहिए। यह पहले नहीं था। तो इस को रखने से क्या top heavy हो जायगी ?

एक बात रह गई, अगर आप की इजाज़त हो तो जवाब दूं। मैं कुछ awkward feel करता हूं इस लिये आप की इजाज़त चाहता हूं—

श्री चेयरमैन : जवाब जरूर दें। (He must give a reply.)

वित्त मंत्री : आप ने अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हुए कहा था कि P.A.P. का खर्च Centre को देना चाहिए । जहां तक मेरा इल्म है पहले P.A.P. का खर्च पंजाब गवर्नमेंट ही बर्दाश्त करती थी। लेकिन Finance Commission ने हमारे ज़ोर देने पर सब खर्चा distribute कर दिया । पहले उन्होंने नहीं माना। फिर इस वक्त Union Government ने इस बात को तसलीम कर लिया है और अब खर्चा उन पर पड़ता है । पहले सारा खर्चा हम को करना पड़ता था अब कुछ खर्चा हमें करना पड़ता है क्योंकि border का इलाका है और मैं समझता हूं कि कुछ खर्च हमें करना ही चाहिए ।

फिर तिब्बत के refugees के बारे में कहा गया। यह मसला प्रान्त की सरकार का नहीं Centre का है ।

Law officers की बात कही गई है। इस के बारे में मैं ने कल भी अर्ज़ किया था कि Advocate-General और Assistant Advocate-General hard pressed for time हैं। उन को यह कहना कि आप एक मुद्दत के लिये दिल्ली में जा कर बैठो और cases करो यह ठीक नहीं होगा । और उन की फुरस्त तक cases रोके नहीं जा सकते, इस लिये दूसरे वकील करने पड़े। दूसरे बड़े केसों के अन्दर जहां Advocate-General और Assistant Advccate-General पेश हो सकता हो वहां पर उन्हें काम दिया जाता है। यहां पर किसी एतबार का सवाल नहीं जैसा कि यहां पर कहा गया। अगर एतबार न होता तो हमें कौन सी रुकावट थी उन्हें हटाने में। हम उन्हें जवाब दे सकते थे कि हमें एतबार नहीं है ।

बाकी Advocate-General के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि Union Government ने canal dispute के लिये Attorney-General इन्हीं को depute किया था और फिर International Court में जाकर पेश हुए। इस के इलावा सारे भारत के Advocate-Generals को Sales-Tax Law बनाते वक्त दिल्ली में बुलाया गया तो हमें report भेजी गई कि हमारे Advocate-General ने सब से अच्छी तरह केस को put किया था। लेकिन जिस काम को वह खुद न कर सकते हों या इन के दूसरे काम का नुकसान होता हो तो फिर दूसरे वकील साहिबान रखने ही पड़ते हैं ।

आप ने तकरीर करते वक्त फरमाया था कि Moffusil Courts में और District Courts में ऐसा हो जाता है कि वकील ठीक नहीं भेजे जाते। यह ठीक है । कुछ वकील ठीक नहीं जाते होंगे। यह Legal Remembrancer को देखना है कि किस तरीके से अच्छे वकील भेजे जा सकते हैं और जो unprofessional बात करते हों उन के खिलाफ action लिया जाएगा अगर यह साबत हो जाए तो। बाकी जो important cases होते हैं उन में यह देखा जाता है कि कहां पर यकीन है । जहां ऐतबार हो इस बात का कि defend अच्छी तरह करेगा उस को ही पेश करने की कोशिश की जाती है। डाक्टरी के बारे में मैं जानता हूं कि जिस डाक्टर पर एतबार हो जाए, चाहे

वह डाक्टरी का कुछ जानता हो या न, मरीज़ उसी के पास आते हैं। लाहौर में एक जराह था। उस के पास abdominal cases भी पहुंच जाते थे हालांकि वहां पर Medical college में आला से आला surgeons मौजूद थे लेकिन एतबार की बात थी। बीमार आदमी को एतबार की जरूरत पड़ती है। और डाक्टर गरीब आदमी की back पर अमीर तक पहुंचता है। गरीब आदमी अगर फीस न भी दे तो भी वह आराम पाने पर किसी न किसी तरीके से डाक्टर की फीस अदा कर देता है। अच्छा होने पर तारीफ के पुल बांध कर उस की practice में इज़ाफा करता है। यही तरीका शायद litigant public में हो। मैं खुद वकील नहीं इस लिये कम जानता हूं। लेकिन मुझे याद है कि एक criminal lawyer हैं जो अब retire हो गए हैं। इन के बारे में आम कहा जाता था कि कतल कर दो, इस वकील को फीस देंगे और मुलज़म को बचा लेंगे। (*Interruptions*) न मालूम चौधरी बलबीर सिंह को इस वक्त एतराज़ करने की क्या सूझी। जब उन को time दिया गया था तो उन्हें हक्क हासल था कि जो चाहें कहें, चाहे वह out of order हो लेकिन इस वक्त उन्हें इस तरह interrupt करने की, चेयरमैन साहिब, इजाज़त नहीं होनी चाहिए।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस case की बाबत एतराज़ किया गया और जिस case को यहां पर refer किया गया उस case का ज़िक्र इस demand में नहीं है, न ही सेठी साहिब की फीस का ज़िक्र है। इस का सम्बन्ध तो दूसरे criminal और civil cases के साथ है। इसलिये मैं ने मुनासिब समझा कि इसका जवाब भी दे दूं क्योंकि एतराज़ किया गया है।

फिर मुझे sermon देने की कोशिश की गई है कि यह तरीका नहीं है supplementary demands को रखने का और दूसरा तरीका होना चाहिए। मैं एतराज़ करने वालों से पूछना चाहता हूं कि supplementary demands के माने क्या हैं। यह demands इसी लिए आया करती हैं कि House किसी Budget को पास करता है; अगर वह schemes किसी वजह से न चल सकें तो रुपया बरबाद नहीं होने दिया जाता। एतराज़ किया गया कि अगर हाऊस एक budget को पास कर दे तो Government को क्या अख्तियार है कि वह किसी खर्च को काट दे। मैं अर्ज़ करूं कि हाऊस जो बजट पास करता है वह स्कीम पास करता है। इस के बाद Cabinet का फर्ज़ होता है कि वह देखे कि scheme ठीक तरीके से चल सकती है या नहीं। अगर किसी वजह से न चल सकती हो तो रुपया बरबाद नहीं किया जा सकता। इस के साथ ही अगर कोई important चीज़ बीच में आ जाए तो उस को पहले take up करना पड़ता है। यही reappropriation के माने हैं। कहा गया कि यह misappropriation है लेकिन यह गलत है। Reappropriation के माने यह होते हैं कि अगर एक scheme पर खर्च न हो सके तो दूसरी item पर खर्च कर दिया जाए। और खर्च हो नहीं सकता जब तक Legislature से वोट न लिया जाए। यह तरीका है कानून के मुताबिक और यह बिलकुल मुनासिब

[वित्त मंत्री]
तरीका है कि vote of the Legislature लेकर इस को दूसरी items पर खर्च किया जाए। इस लिये मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि मैं ने तमाम एतराज़ात का जवाब दे दिया है इस consideration की motion को हाऊस पास करेगा।

Mr. Chairman : Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chariman : Now the House will proceed to consider the Bill Clause by Clause.

CLAUSE 2

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਆਲਕ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ (*interruptions*)......

Deputy Minister: Is the Hon'ble member speaking on the clause?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਲਾਜ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ scheme ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ supplementary grants ਦੇ ਮੁਤਅਲਿਕ schemes ਹਨ ਉਹ Estimates Committee ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ schemes ਕਢ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ House ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ House ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ House ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ scheme ਦਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਕ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ: ਸਾਰੀਆਂ Demands ਦੇ put ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ Government ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ use ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ rules clear ਹਨ। (When the demands are put to the vote of the House and are carried

it does not mean that the funds must be spent. There are clear rules on it.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: Chairman ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ House ਦੀ approve ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਫ਼ਾ 32 Demand No. 14 ਵਿੱਚ ...... (*interruption*)

ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ: ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ 3rd reading ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। (The hon. member may refer to these things during the third reading of the Bill as this is not the occasion for this)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਏਥੇ ਇਸ ਦੀ cláuse 3 ਵਿਚ ਖਰਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।.....

ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ: ਇਹ ਬਿਲ ਦੀ third reading ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। (The hon. member may say all these things at the third reading of this Bill.)

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : एक चीज़ मैं इस सिलसिला में कहनी भूल गया था वह यह है कि चौधरी साहिब को शायद यह मुगालता हो कि यह estimates वैसे ही आ गये हैं मैं अर्ज़ कर दूं कि यह estimates, Estimates Committee के approve शुदा है। पिछली report भी जो उन्होंने दी और आज तक की जो भी आई हैं वह सब approved हैं। मेरा इतना ही कह देना काफी है, इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि इस को पास किया जाये ?

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Chairman : Question is—

That Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Chairman : Question is—

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Chairman : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to move—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be passed.

Mr. Chairman: Motion moved—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be passed

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ Estimates Committee ਨੇ approve ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ estimates ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ schemes ਛਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ Estimates Committee ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ scrutinise ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ department ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਤਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਤਨੀਆਂ schemes ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ schemes ਛਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਤਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ schemes ਛਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ supplementary demand ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ schemes ਛਡੀਆਂ ਪਰ add ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੁਪਿਆ 2—4 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ clear ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

"The water-logging in this area is affecting the crops and the health of the people. Due to tight position of the loan assistance this scheme was not provided in the original budget..............."

ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ

"..Where in some schemes of more emergent nature had to be given preference."

ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ emergent nature ਦੇ works ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ preference ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੰਟ-ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ Budget Demands ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ House ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ schemes ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ emergent nature ਦੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਛਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ Advocate-General ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ benches ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ Treasury Benches ਤੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ faith ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ........(*interruption*).

ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ । (The Finance Minister had stated before hand that this had no concern with this Bill.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਫੇਰ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ?

श्री चेयरमैन : बात यह है जब वे कोई चीज़ on the flour of the House कह देते है तो यह चीज़ माननी पड़ती है कि उन का statement correct है । अगर आप उसे correct नहीं मानते तो इस के लिये आप और रास्ता अख्तियार करें । (The thing is that whenever anything is said by an hon. Minister on the floor of the House it has to be accepted as a correct statement and if the hon. Member does not agree with this he may adopt some other method.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ .ਇਸ point ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ignore ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ list ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਲਈ ।

श्री चेयरमैन : जो कहना चाहें वह आप कह लें लेकिन particular case को छोड़ दें । (The hon. Member may say what he wants to say but he should leave this particular case.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਗੱਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ decide ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ decide ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ?

श्री चेयरमैन : Supplementary demand specific item के लिये दर्ज होती है । आप जो बातें अब कहना चाहते हैं वह budget discussion के वक्त कह सकते हैं । आप ने जिस केस को लिया उस के बारे में तो उन्हों ने deny कर दिया, इसलिये उसे आप छोड़ दें । (A demand for supplementary grant is made for a specific item. The hon. Member may say all these things, which he wants to say now, during the discussion on the Budget. The case referred to by him has already been denied by the Minister. He may, therefore, leave it.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦਿਲੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ allowances ਵਗੈਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਉਹ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ faith ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚ faith ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ qualified ਹੋਵੇ ਜਾਂ unqualified ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ client ਉਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸਦਾ faith ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ faith ਦੀ ਗੱਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਕਿਸਤੇ faith ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ client ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ faith ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, contradiction ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ sum up ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : चेयरमेन साहिब, मुझ को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोने को तो जगाया जा सकता है लेकिन जो जागा हुआ हो उस को कैसे जगाया, कैसे समझाया जाए ?

एक कहावत मशहूर है । किसी आदमी नें अपने बच्चों के सामने एक आदमी को यह कहा कि अगर वह आदमी फलां काम कर दे, साथ ही मेरी तसल्ली हो जाए तो मैं इतने हज़ार रुपया दूंगा । बच्चे घबराए और कहने लगे उन बुजुर्ग से कि यह आपने क्या किया । यह काम तो बहुत छोटा है वह आदमी तो इसे आसानी से कर देगा । तब बुजुर्ग महाशय बोले कि काम चाहे जितना आसान हो लेकिन जब मेरी तसल्ली होगी ही नहीं तो रुपया कैसे दूंगा । मेरी तसल्ली बगैर रुपया कहां जा सकता है । तो जनाब इन का हाल भी उसी बुजुर्ग जैसा है । एक बात तो कहने वाली थी वह मैंने उन को स्पीच करते वक्त नहीं कही । वह कि वह हर वक्त irrelevant बोल रहे थे । अगर मैं बीच में यह बात कहता और आप की तवज्जुह दिलाता तो सिवाय इस के हाऊस का वक्त ज़ाया होता और कुछ नहीं हो सकता था । स्पीकर साहब भी कई दफा ध्यान दिलाते हैं लेकिन उनको तो जो कहना है वही कहना है । बस इस बारे में मैंने यही कहना था ।

Mr. Chairman. Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be passed.

The motion was carried.

(The Sabha then adjourned till 9.0 A.M. on Wednesday, the 2nd March, 1960.).

8784 PVS 16-6-60 C.,P. and S., Punjab, Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

2nd March, 1960

Vol. I No 11.

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 2nd March, 1960.

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Puniab
1960.

Price Rs. 2.10 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 11, DATED THE 2ND MARCH, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
is	s	(11)13	24
Manali	Man li	(11)13	24
Political	Polltical	(11)20	28
लेकिन	लेकि	(11)32	5
Licences	liences	(11)40	21
whatever	whatfever	(11)42	5th from below
Nevertheless	Neverthless	(11)43	16
regeneration	regen ration	(11)43	15th from below
have	ha	(11)44	6
shooks	shoks	(11)44	20
This	Thi	(11)44	34
sign	sig	(11)45	10
with	wih	(11)45	35
legislative	l gislative	(11)46	19
cultural	cutural	(11)46	3rd from below
ਕੋਲ	ਕੋਲੋਂ	(11)55	24
ਤਾਂ	ਤ੍ਰਾਂ	(11)55	30
ਜੋ	ਜੇ	(11)57	24
ਮਾਈਨਰ	ਮਾਈਨਚ	(11)61	5
starve	strave	(11)61	13
2	12	(11)61	19
ਵਾਲੀ	ਢਾਲੀ	(11)65	21
ਰਹਿੰਦਾ	ਰਹਿੰਦਾ	(11)65	6th from below
backward	backwrad	(11)76	25

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 2nd March, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, at* 9.00 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

SUPPLEMENTARIES TO STARRED Q. NO. 4875.

श्री बलराम दास टंडन : क्या Minister साहिब बतायेंगे कि Low-Income Housing Loan Scheme के तहत एक individual को या co-operative society को कितना loan दिया जाता है ?

लोक कार्य मंत्री : आठ हज़ार रुपया individual को दिया जाता है और co-operative societies का जितना असासा हो उस के मुताबिक दिया जाता है ।

श्री बलराम दास टंडन : क्या Minister साहिब बतायेंगे कि coercive तरीके से recovery की जाने से इन का क्या मतलब है ?

मंत्री : इस का मतलब है नीलामी करने की जरूरत हो तो उस तरीके से या warrants जारी करके ।

श्री बलरामदास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि अभी तक किसी party के खिलाफ action लिया गया है ?

मंत्री : मैं ने details दी हुई हैं, वह आप देख लें ।

श्री बलराम दास टंडन : वहां तो हरेक के आगे लिखा हुआ है 'action is in progress'. आप उस बात को clear कर के बताएं ।

मंत्री : आप किसी particular case के बारे में पूछना चाहें तो notice दें ।

श्री बलराम दास टंडन : मैं आप को specific case बताता हूँ । Serial No. 9 जो है उस के आगे लिखा है 'Proceedings to recover the loan in lump sum are in progress.'

Mr. Speaker : What is your point of view ?

श्री बलराम दास टंडन : मेरा point of view यह है कि जिन्हों ने एक भी instalment नहीं दी उन के against action ले कर उन से पैसे लेने की कोशिश नहीं की गई ।

मंत्री : अगर आप कोई specific case मेरे notice में लाएंगे तो मैं पता कर के action ले लूंगा ।

Note.—Starred Q. No. 4875 along with its reply appears in the P.V.S. debate Volume No. 10, dated 1st March, 1960.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि आज तक एक भी case में realization नहीं की और न ही मुनासिब कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की गई है जो loan वापिस नहीं करते ?

मंत्री : बहुत से cases में पैसे realize किए जा चुके हैं और अगर मेम्बर साहिब मेरे notice में लाएं कि फलां आदमी loan की रकम वापिस नहीं करता तो मैं action ले लूंगा ।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या किसी case में किसी आदमी को सज़ा दी गई है जिस ने पैसे वापिस न किए हों ?

मंत्री : सज़ा देने की क्या ज़रूरत है जब वह refund करवा रहे हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या कोई भी ऐसा case नहीं जिस ने loan refund न किया हो ?

मंत्री : Not to my knowledge.

श्री बलराम दास टंडन : जिन cases में Deputy Commissioner ने action लेना तजवीज़ किया था Amritsar में उन की recovery proceedings को Government ने क्यों postpone किया है ?

मंत्री : कुछ की वजूहात तो दी हुई हैं । बाकी आप specific case के बारे में पूछें तो मैं बता दूंगा ।

Shri Balram Das Tandon: Sir, in serial No. 129 of the Statement which has been supplied to me, it has been stated—

> "The repayment of loan in this case has been postponed under the orders of Government in Housing Department conveyed in their Memo No. 8316-Hg-59/19553, dated the 24th December, 1959......."

मैं पूछना चाहता हूँ कि जो चावल मण्डी अमृतसर में Co-operative Society बनी हुई है उस के खिलाफ जो action लिया जाना था उसे क्यों postpone कर दिया गया है ?

मंत्री : इस के लिये आप notice दें, मैं पता कर के बता दूंगा ।

श्री बलराम दास टंडन : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसी आदमी को या Co-operative Society को loan कितनी instalments में दिया जाता है ?

Mr. Speaker: You have asked about the names and full addresses of persons to whom loans have been granted under the Low-Income Group Housing Scheme.

It is not a relevant supplementary question.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मेरा सवाल relevant है, मैं जानना चाहता हूँ कि loan कितनी instalments में दिया जाता है ।

मंत्री : आप rules पढ़ लें, वहां से सब कुछ मालूम हो जाएगा ।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

LAND WITH THE PANCHAYATS

*4646. **Dr. Bhag Singh:** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the total area of land placed with the Panchayats in the State at present under the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953;

(b) the total income of the Panchayats from the said land during this year ;

(e) the total expenditure incurred by the Panchayats from the income referred to in part (b) above and the main items on which it was incurred?

Chaudhri Suraj Mal: (a) 1,553,108, acres........(upto 31st March, 1959).

(b) Rs. 37,88,377................(During 1958-59)

Information for 1959-60 is not available yet.

(c) (i) Rs. 1,60,62,931.

(ii) This amount was incurred on:—

1. Promotion of education, libraries, etc.
2. Public Works.
3. Development of Agriculture.
4. Public Health and Sanitation.
5. Veterinary Aid.
6. Industries.
7. Tree Planting.
8. Establishment and other contingencies.

CO-OPERATIVE SOCIETIES REGISTERED IN VILLAGE JUGIANA, DISTRICT LUDHIANA

*4965. **Sardar Atma Singh:** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the total number of Co-operative Societies registered in village Jugiana, district Ludhiana, the names of members of each Society and the year in which each of these Societies was registered;

(b) the total amount of loan and interest, in arrears, against each Society;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to write off or remit the loan of any Society; if so, the names of such Societies together with the reasons for such remission and the amount proposed to be written off/ remitted?

Note:—The Minister for Community Development being away, all the questions standing in his name, were replied to by the Minister for Public Works, Chaudhri Suraj Mal.

Chaudhri Suraj Mal: A statement is laid on the Table of the House.

(a) and (b) Two i.e. Jugiana Co-operative Garden Colony Society Ltd., Jugiana. and Chitra Co-operative Multipurpose Society Ltd. Jugiana. These were registered on 17th March, 1950 and 18th February, 1956, respectively. Names of the members of each Society are at Annexure A.

Rs. 12551 are due as principal from the Jugiana Co-operative Garden Society Ltd., Jugiana.

(c) No.

'ANNEXURE A'

List of Members:—The Jugiana Co-operative Garden Colony Society, Ltd., Jugiana, District Ludhiana.

Serial No.	Name of member
1	2
1	S. Labh Singh, son of Hazara Singh
2	S. Ram Singh, son of Sahib Singh
3	S. Himat Singh, son of Dewan Singh
4	General Mohan Singh, son of Tara Singh
5	S. Asa Singh, son of Gujjar Singh
6	S. Hamir Singh, son of Harnam Singh
7	S. Sahib Singh, son of Anup Singh
8	S. Takhat Singh, son of Sunder Singh
9	S. Bachittar Singh, son of Sunder Singh
10	S. Pritam Singh, son of Karam Singh
11	S. Kirpal Singh, son of Bir Singh
12	S. Kundan Singh, son of Arur Singh
13	S. Lal Singh, son of Bhagwan Singh
14	S. Dasaunda Singh, son of Narain Singh
15	S. Gurnam Singh, son of Karam Singh
16	S. Sardara Singh, son of Chattar Singh
17	S. Gurbachan Singh, son of Ran Singh
18	S. Ranjit Singh, son of Bishan Singh
19	S. Hari Singh, son of Ran Singh
20	Captain Naranjan Singh, son of Kishan Singh
21	S.B. Lal Singh, son of Sahib Singh
22	S. Surinder Singh, son of S.B. Lal Singh
23	S. Mohinder Singh, son of Kishan Singh
24	S. Beant Singh, son of Harbhajan Singh
25	S. Amaraj Singh, son of Harbhajan Singh
26	Shrimati Basant Kaur, w/o Asa Singh
27	S. Shamsher Singh, son of Dhan Singh
28	S. Bhag Singh, son of Gian Singh
29	Shri Bhagwan Dass, son of Siri Ram
30	S. Harpal Singh, son of Dhian Singh
31	Shri Harbans Lal, son of Saran Dass
32	S. Surinder Pal Singh, son of Dhian Singh
33	S. Nahar Singh, son of Sher Singh
34	S. Kehar Singh, son of Kishan Singh
35	S. Ajit Singh, son of Kishan Singh
36	S. Jaswant Singh, son of Gurdial Singh
37	Captain Rattan Singh, son of Rulia Ram
38	S. Gurmej Singh, son of Wadhawa Singh
39	S. Inderjit Singh, Tulsi, son of Mool Singh
40	S. Arjan Singh, son of Partap Singh

List of members of the Chitra Co operative Multipurpose Society, Ltd., Jugiana, District Ludhiana.

1 General Mohan Singh
2 S. Madan Gopal Singh, son of Ishwar Singh, P.C.S.
3 Captain Rattan Singh, son of Chaudhri Rullia Ram
4 Shri Bishan Swaroop Agnihotri, son of Shri Desraj Advocate
5 Shri Hari Raj Singh, son of Shri Kahan Singh P.C.S.
6 Shri Chitra Bahadur, son of Shri Bomb Bahadur
7 Shrimati Jaswant Kaur, w/o General Mohan Singh
8 Shrimati Satwant Kaur, w/o Captain Rattan Singh
9 Shrimati Urmila Agnihotri, w/o B.S. Agnihotri
10 Shrimati Prem Lata, w/o Shri P.Hari Raj Singh
11 S. Jaswant Singh, son of Gurdial Singh
12 S. Ajmer Singh, son of S. Gajjan Singh
13 S. Jarnail Singh, son of S. Harnam Singh

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12,551 ਰੁਪਏ ਦਾ loan ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਉਹ interest free ਹੈ ਯਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ ਵੀ loan interest-free ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਿਸ loan ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ society ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਰਨੈਲ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This question does not arise. This is a hypothetical question,

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या किसी society का कर्ज़ write off भी कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब main reply में आ चुका है। (Reply to this question has come in the main reply.)

मंत्री : मैं 'No' कह चुका हूँ ।

PAYMENT OF COMPENSATION FOR JAGIRS RESUMED

*5062. **Chaudhri Baru Ram:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the steps taken so far by Government to pay compensation for Jagirs which have been resumed under the Resumption of Jagirs Act?

Shri Mohan Lal: Instructions have been issued to all the Deputy Commissioners in the State from time to time to expedite submission of cases of compensation of the Jagirdars for sanction by Financial Commissioner, Revenue, with the result that more than two thousand claims have been passed. In order, however, to cut short the procedure, an amendment has been made in the Act. By this amendment, the Deputy Commissioners and Commissioners will have powers to decide compensation claims upto Rs. 1,000 and 5,000 respectively. The amendment is awaiting approval of the President.

MEETING HELD BETWEEN R.T.A. AMBALA AND OPERATORS

*4919. **Shri Ram Piara:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Regional Transport Authority, Ambala called the representatives of all the Passenger Bus Operators of Karnal District to Ambala during the months of November and December, 1959 and January, 1960, for fixation of the time-table for the running of buses; if so, the names of those who were present at that time together with the names of the companies, or individuals they represented;

(b) whether passenger buses are plying on all the routes permits for which were granted in Karnal District during the year 1959; if so, since when and on which routes;

(c) the names of the Co-operative Societies which have been given new kacha, pucca or kacha and pucca mixed pessenger's bus services routes in tehsils Karnal and Kaithal;

(d) the names of the members of the Co-operative Societies referred to in part (a) above;

(e) whether any complaints have been received by the Department in connection with the Passenger bus service permits recently issued in Karnal and Kaithal Tehsils; if so, the nature of the complaints the names of the persons from whom received and against whom?

Rao Birendar Singh: The answer is laid on the Table of the House.

(a) None was called for the purpose in November, 1959.

Only representatives of some of the Companies/Co-operatives were called in December, 1959 and January, 1960, as per detail below:—

Month	Name of the Company/Society	Name of the representative
December, 1959	(i) Karnal Co-operative Transport Society, Karnal	Shri Ram Rakha Mal
	(ii) Satnam Transport Company Rohtak	Giani Kesar Singh
	(iii) Gohana Bus Service, Rohtak	S. Jiwan Singh
	(For finalising joint time table on Panipat-Gohana route)	
January, 1960.	(i) Karnal Kaithal Co-operative Transport Society, Karnal	S.Gian Singh. S. Harnam Singh Baghi
	(ii) Karnal Co-operative Transport Society, Karnal	S. Tarlochan Singh. Giani Mehar Singh
	(iii) Dehati Janta Co-operative .. Society	Shri Jagdish Chander
	(iv) Kaithal Naguran Co-operative Transport Society	None was present.

Month	Name of the Company/Society	Name of the representative
	(For finalising the joint time-table on Karnal-H abri route).	
	(i) Indian Motor Transport company, Karnal	S. Ajmer Singh
	(ii) Jamna Bridge Bus Operators Union	Mirza Sabar Beg
	(iii) Punjab Roadways, Ambala	S. Naunihal Singh
	(For finalising the joint time-table on Jamna Bridge-Saharanpur route).	

(b) Stage carriage permits were granted to the following; during the year 1959 and the permit holders are operating services thereon from the dates shown against each:—

Serial No	Name of the permit-holder	Name of the route	Date of operation of bus-service
1.	Dehati Janta Transport Co-operative Society	Karnal-Habri via Pundri	23-12-59
2.	Kaithal Naguran Transport Co-operative Society	Karnal-Habri via Pundri	24-12-59
3.	Haryana Co-operative Transport Society	Kaithal-Thanesar	4-12-59
4.	Haryana Co-operative Transport Society	Kaithal-Tohana ..	13-10-59
5.	Haryana Co-operative Transport Society	Kaithal-Naguran ..	13-8-59
6.	Punjab Roadways Ambala	Karna-Karsa ..	3-7-59

(c) The following Transport Co-operative Societies were issued with stage carriage permits in Karnal and Kaithal Tehsils:—

Serial No.	Name of the Transport Society	Name of the route
1.	Haryana Co-operative Transport Society	Kaithal-Naguran Kaithal-Thanesar Kaithal-Tohana
2.	Dehati Janta Co-operative Transport Society ..	Karnal-Habri via Pundri
3.	Kaithal-Naguran Transport Co-operative Society	Karnal-Habri via Pundri

(d) Names of the members of the Co-operative Societies referred to in part (c) above are given below:—

M/s Kaithal Naguran Co-operative Transport Society Ltd., Kaithal.

1. Pandit Hari Chand, son of Lekh Raj.
2. Om Parkash, son of Shri Hari Chand.
3. Shri Raj Kishan, son of Hari Chand.
4. L. Birbhan, son of Nathu Mal.
5. Shri Narsingh Dass, son of Daulat Ram.
6. Daulat Ram, son of Nathu Ram Gujar.
7. Babu Ram, son of Nathu Mal.

[Minister for Irrigation and Power]

8. Narata Ram, son of Nathu Mal.
9. Mst. Sardhi Devi, wife of Daulat Ram.
10. Kamla Devi, wife of Om Parkash.
11. Shrimati Shanti Devi, wife of Raj Kishan.
12. Shrimati Mata Devi, wife of Hari Chand.
13. Shri Din Dayal, son of Parbh Dayal.
14. Amar Nath, son of Durga Dass.
15. Balak Ram, son of Chohar Ram.
16. Shri Jagdish Chand Batra, son of Shri Amir Chand.
17. Vasheshar Nath, son of Siri Ram.
18. Shri Chatar Singh, son of Atma Ram.
19. Shri Mohan Lal, son of Shri Hari Chand
20. Shri Pishwari Lal, son of Gul Shai.
21. Shri Gobind Singh, son of Bhagwan Singh.
22. Shri Ram Parkash, son of Goyal Chand.
23. Shri Girdhari Lal, son of Lakhmi Dass
24. Shri Lakhmi Dass, son of Kirpa Ram
25. Raghunath Sahai, son of Ishar Dass
26. Shrimati Shanti Devi, wife of Lala Ram.
27. Shri Shamsher Singh, son of Ram Chander
28. Shrimati Champa Devi, wife of Ladli Parshad.
29. Shrimati Shanti Rai, wife of S.P. Rai.
30. Shri S.P. Rai, son of L. Bhupat Rai.
31. Shri Ram Lubhaya, son of Kewal Ram.
32. Lala Ram, son of Jai Bhagwan Dass.
33. Shri mati Har Devi, wife of Ram Chander.

The Dehati Janta Transport Co-operative Society Ltd., Kurkshetra

1. Giani Mehar Singh, Thanesar
2. S. Harnam Singh, Garhi Roran, tehsil Kaithal.
3. Sri Nil Kanth, Pandit, Petrol Dealer, Pipli.
4. Pandit Lachman Das, Petrol Dealer, Thanesar.
5. Sri Phul Chand, Karnal, Executive Member.
6. Shri Banarsi Dass, Sadhu Mandi, Thanesar.
7. Shri Bhushan Lal, Karnal.
8. Shri Ved Parkash, Pehowa, tehsil Kaithal.
9. Pandit Hari Parshad, Petrol Deler Kaithal.
10. S. Piara Singh, Majha Farm, tehsil Kaithal.
11. Shri Madan Lal, Conductor Universal Transport, Ambala.
12. Pandit Shiv Kumar, Budhwala, Pehowa.
13. Shri Hans Raj, Sadhu Mandi, Thanesar.
14. S. Dalip Singh, farmer, Gurhi Roran, tehsil Kaithal.
15. S. Shangara Singh, Bhor Shehidan, tehsil Kaithal.
16. Ajit Singh Sadhu, Pehowa, tehsil Kaithal.
17. Santa Singh, near railway crossing, Thanesar.
18. S. Surat Singh, farmer Murtzapur, tehsil Kaithal.
19. S. Harnam Singh, Saw Mills, Pehowa.
20. Shri Prithvi Chand, Shahbad.
21. Shri Mohan Lall, Property Dealer, Pehowa.
22. Shrimati Wazir Devi, Ambala.
23. Shri Balak Ram, Pehowa.
24. Shri Madhu Ram, Namberdar, Thanesar.
25. Dr. Gurcharan Singh Captain, Singhpura, tehsil Kaithal.
26. Shri Ram Bhaj, Jotisar, tehsil Thanesar.
27. Shri Jagdish Chander, Karnal.
28. Mukhi Maghar Mal, Broker, Thanesar.
29. Shri Ishar Chander, Driver, Thanesar.
30. Ram Krishan, Driver, Thanesar.

Haryana Co-operative Transport Society Ltd., Kaithal.

1. Shri Dhalon Shah Sethi.
2. R.B.M.K. Sethi.
3. Shri Kapal Dev Sethi.
4. Rao Narsingh Dass, Kaithal.
5. Chaudhri Surjit Singh, Karnal.
6. Chaudhri Kidar Singh.

7. Mrs. Gian Patnaik.
8. Mrs. Hitlata Sethi.
9. Shri Kanad Dev Sethi.
10. Mrs. Shanti Sethi.
11. Bakshi Bodh Raj.
12. Shri Amrit Lal Sawhney.
13. Shri Sat Dev Sethi.
14. Shri Sakandar Shah
15. Mrs. Gargi Khosla.
16. Mrs. Bhag Sethi.
17. Mrs. Oma Lamba.
18. Shri Amolak Ram.
19. Shri Raghuvinder Singh.
20. Chaudhri Tajinder Pal Singh.
21. S. Rajinder Singh.
22. Shri Khem Raj Sawhney.
23. Shri Partap Chand.
24. Shrimati Balbir Kaur.
25. Chaudhri Kanshi Ram.

(e) No complaint has been received by the Secretary, Regional Transport Authority, Ambala, in connection with the passengers bus services recently issued permits in Karnal and Kaithal Tehsils, except one regarding request of Dehati Janta Co-operative Transport Society and Kaithal-Naguran Transport Co-opeative Society for use of the bus stand of Karnal Kaithal Co-operative Transport Society which has been referred to the District Magistrate, Karnal, by the Secretary R.T.A., Ambala.

श्री राम प्यारा : पार्ट E के बारे में क्या चीफ मिनिस्टर साहिब या ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहिब को कोई शिकायतें मिलीं और वह किन २ की तरफ से मिली हैं ?

मंत्री : मैं ने पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

श्री राम प्यारा : मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको कोई शिकायतें और representations मिलीं कि कुछ आदमियों ने उनको धमकी दी और उसकी बिना पर उन्हों ने चीफ मिनिस्टर साहिब को......

Mr. Speaker: This is not relevant.

श्री राम प्यारा : यह जो Transport Co-operative Society की list मुझे दी गई है क्या इन में कुछ मैम्बर चंडीगढ़ के रहने वाले भी हैं जो कि किसी दबाव के मातहत लिये गए हैं ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question. This is giving information.

श्री राम प्यारा : मैं ने जनाब इतना comprehensive सवाल पूछा हुआ है मगर जवाब में कुछ नहीं बताया है । यह कहते हैं कि......

Mr. Speaker : Please ask a straight question. It should not be suggestive.

श्री राम प्यारा : जनाब यह fact है कि चीफ मिनिस्टर साहिब के पास कारें आती रही हैं और......

श्री अध्यक्ष : यह बातें आप अपनी speech में कह लेना। अब यह relevant नहीं है। (The hon. Member may say all these things in his speech. It is not relevant now.)

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Karnal-Kaithal Co-operative Transport Society को जब permit मिल गया है तो फिर वहां बस क्यों नहीं चल रही हैं ?

मंत्री : आप ने तो Permits के बारे में पूछा था कि किस २ को मिला वह बता दिया है। यह बात पूछ कर बताई जा सकती है।

श्री राम प्यारा : मैं ने यह भी पूछा हुआ है कि बसें कौन से routes पर चल रही हैं और कौन से पर नहीं चल रही हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि गवर्नमैंट permit देने के बाद इस बात से भी कोई सरोकार रखती है कि उसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं ?

मंत्री : जी हां।

पंडित श्री राम शर्मा : तो इस मामले के अन्दर जैसा कि वह कहते हैं कि सवाल में भी पूछा हुआ है permit देने के बाद बस चली या नहीं चली इसके बताने में कौनसी दिक्कत है ?

मंत्री : नोटिस चाहिए।

पंडित श्री राम शर्मा : Part B में पूछा हुआ है अब और क्या नोटिस चाहिये?

मंत्री : इसके जवाब में कह दिया है कि ply कर रही हैं।

PAYMENT OF BONUS TO EMPLOYEES OF PUNJAB ROADWAYS

***5012. Dr. Bhag Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have decided to give a bonus to the employees of the Punjab Roadways; if so, the number of those who will receive the bonus for the year 1959 and the total amount there of likely to be received by each?

Rao Birendar Singh : No. However, generous cash reward scheme has been sanctioned which will embrace 20 per cent of the staff consisting of Drivers, Conductors and Technicians.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ operators ਨੂੰ bonus ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ?

मंत्री : इस मांग पर ग़ौर किया गया था मगर इसे मुनासिब नहीं समझा गया। किसी और State में भी bonus scheme लागू नहीं हुई है। यह ठीक है मुनाफा हो रहा है और operators मेहनत से काम कर रहे हैं। इसी लिये ही उनको generous cash rewards दिए जा रहे हैं।

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि bonus न देने का इस कारण के सिवाए कि दूसरी states में यह लागू नहीं है और कोई कारण भी है ?

BUS SERVICE BETWEEN SAMLATI AND ERLA IN KANGRA DISTRICT

***5140. Pandit Amar Nath Sharma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether permission to ply a bus Service on the route between Samlati and Erla in Kangra District has been given; if so, since when;

(b) whether any Bus Service has started operating on the said route; if not, the reasons therefor and the time by which a bus service is expected to start operating on the said route?

Rao Birendar Singh: (a) Samlati-Erla is a part of Nagrota-Bro-Erla route which was included in the Ist list of new and Katcha routes, released on 6th December, 1958 for the grant of regular permits.

(b) The operation of bus service on the said route has not started so far. The applications for the grant of stage carriage permits on this route were invited. The following Companies and individuals applied for the grant of permits but subsequently refused to take permits on this small route:—

1. New Valley View Transport (P.) Ltd., Pathankot.

2. New Bir Transport Company Ltd., Pathankot.

3. New Chiniot Transport Company (P.) Ltd., Pathankot.

4. Balwant Singh, son of Sunder Singh, village Palli Khiki, post office Palli Uchi, tehsil Nawanshehr.

5. Bindra Singh, son of Shiama, village Palli Khiki.

Applications have again been invited for allotment of permits and those will be issued after following the prescribed procedure.

PLYING BUSES ON JAWALAMUKHI ROAD KHUNDIAN

***5142. Pandit Amar Nath Sharma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any requests of the people of Kangra made to the Chief Parliamentary Secretary and the Minister for Industries been conveyed by them to Government to issue new route permits for plying buses on the Jawalamukhi-Khundian road and for extending the bus service between Hoshiarpur and Jawalamukhi up to this road, if so, the action, if any taken thereon?

Rao Birendar Singh: Yes. A representation by the Gram Panchayat, Khundian for extension of Hoshiarpur-Jawalamukhi route up to Khundian was received. A survey was got conducted which has revealed that Jawalamukhi can be connected with Khundian through two different road links. The shorter direct link is all kacha and extends over 6 miles. The other link via Kangra extends over 8 miles of metalled and 3 of unmetalled Road.

Assessment is being made as to which one of these links shall serve a larger population and decision is likely to be arrived at shortly.

VEHICLES TO BE PLIED ON MANDI-MANALI SECTION OF PATHANKOT-MANALI ROAD

***5146. Raja Raghuvir Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Mandi-Kulu Transport Corporation has placed an order for the purchase of Dodge Vehicles to be

[Raja Raghuvir Singh]

plied on the Mandi-Manali Sections of the Pathankot-Manali Road ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the number of vehicles, stage carriage and trucks that are being purchased by the said Corporation and the price being paid therefor;

(c) whether it is a fact that smaller wheel-base vehicles are proposed to be plied on the Mandi-Kulu Section of the said road; if so, the reasons therefor?

Rao Birendar Singh: (a) Yes.

(b) Stage Carriages	...	20
Trucks	...	20
Price being paid	...	Rs, 11,37,287.39 n P.

(c) Yes, because the road conditions do not permit safe operation of long wheel base vehicles.

Raja Raghuvir Singh: It has been stated that the Mandi Kulu Transport Corporation has placed an order for the purchase of Dodge Vehicles to be plied on the Mandi-Manali Sections of the Pathankot-Manali Road. May I know, Sir, whether the General Manager of the Corporation had any objection against the suitability of these vehicles?

मंत्री : मेरी इत्तलाह तो यह है कि कार्पोरेशन ने फैसला किया कि Dodge vehicles इस पर चलेंगी ।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Dodge का आर्डर place करने से पहले किसी और make का आर्डर दिया गया था जो बाद में कैंसल करके और किसी make का आर्डर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : आप तो information देने लग पड़ते हैं । (The hon. Member starts giving information.)

श्री प्रबोध चंद्र : स्पीकर साहिब, मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि आया यह अमर वाक्या है कि Dodge का आर्डर देने से पहले किसी और make का order दिया गया था ?

मंत्री : पंजाब गवर्नमैंट का इस के साथ कोई ताल्लुक नहीं । यह चीज़ तो कार्पोरेशन के हाथ में है जिस के चेयरमैन हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं । लेकिन कार्पोरेशन की तरफ से यह पालिसी follow की गई है कि जो vehicles पहले किसी डिपो में होते हैं उसी मेक के खरीद किए जाते हैं । चूंकि जो vehicles इस कार्पोरेशन को transfer किए गए वह सब Dodge vehicles थे इस लिये कार्पोरेशन ने Dodge खरीदने का ही फैसला किया । अगर आप इस से ज़्यादा दरियाफ़्त करना चाहते हैं तो कार्पोरेशन से दरियाफ़्त करके बता सकता हूँ ।

राजा रघुवीर सिंह : Part (C) में आप ने बताया है कि smaller type of vehicles इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन सड़क तो पक्की है तो फिर standard size के vehicles क्यों नहीं चलाए गए ?

मंत्री : पक्की कच्ची सड़क का सवाल नहीं। पहाड़ी सड़क है इस लिये छोटी मोटर चलती है।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो गाड़ियां मंगवाई गई हैं क्या इन के chassis ठीक आ गए हैं या रास्ते में ख़राब हो गए थे ?

Mr. Speaker : This is giving information.

मंत्री : मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं पहुँची कि वह ठीक नहीं पहुँचे।

Raja Raghuvir Singh: When broad wheel-base vehicles are being plied on other hilly roads, may I know why it is not possible to ply such vehicles on the Mandi-Kulu Section of the Pathankot-Manali Road, because the honourable Minister has stated that the road conditions there do not permit safe operation of long wheel base vehicles?

Minister: It is a matter of opinion.

Mr. Speaker: The Question Hour is meant for eliciting information and not for making a speech or giving an opinion.

श्री प्रबोध चंद्र : मिनिस्टर साहिब ने फ़रमाया है कि जो कुल्लू वैली ट्रांस्पोर्ट है उस के चेयरमैन हिमाचल प्रदेश के चीफ़ सेक्रेटरी हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह अमरे वाक्या है कि Dodge vehicles का आर्डर पंजाब के ट्रांस्पोर्ट कंट्रोलर की तरफ से place किया गया था ?

Mr. Speaker : It is not relevant.

श्री राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि Dodge vehicles खरीदने से पहले कार्पोरेशन के जनरल मैनेजर ने पंजाब गवर्नमैंट को advice दी कि Dodge vehicles न खरीदी जाएं ?

मंत्री : पंजाब गवर्नमैंट का इस से क्या ताल्लुक है। कार्पोरेशन खुद फैसला करती है।

Mr. Speaker : It has been stated that it is the Mandi-Kulu Transport Corporation, in which two or three States are partners, which is concerned with the purchase of vehicles.

Shri Prabodh Chandra : The hon. Minister has stated that the Punjab Government is not concerned with the purchase of these vehicles. I want to know whether the Provincial Transport Controller, Punjab, recommended to the Chairman of the Corporation, for the purchase of these vehicles?

PURCHASE OF BUSES/TRUCKS

*5148. **Pandit Shri Ram Sharma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:—

(a) the number of orders placed by Government for purchase of bus/truck chassis for the different Depots of the Punjab Roadways, since Ist January, 1958, together with the details of such orders;

(b) whether different makes of buses/trucks are used by the Punjab Roadways in their Amritsar, Jullundur, Ambala and Gurgaon Depots; if so, the reasons therefor;

(c) whether any of the orders referred to in part (a) above was cancelled subsequently; if so, the reasons therefor in each case;

(d) the names of the agents through whom said trucks/buses were supplied to the Government?

Rao Birendar Singh: (a) A statement is laid on the table of the House.

Yes, standardisation of one make in each Depot is extremely helpful for economical maintenance of fleet.

(c) An order for the supply of 66 Leyland Comet chassis (45 for Punjab Roadways, Gurgaon and 21 for Punjab Roadways, Jullundur) was placed with Messrs. Ashok Leyland Ltd., Madras during the year 1959-60. The order for 45 Leyland Comet chassis for Punjab Roadways, Gurgaon had to be cancelled because of inability of the firm to arrange supply within this financial year. The order for 45 Dodge/Fargo chassis was thereafter placed with Messrs. Premier Automobiles Ltd., Bombay, who agreed to make the supply within 30 days.

(d) 1. M/s. Tata Locomotive and Engineering Company Ltd., Jamshedpur.

2. M/s. Ashok Leyland Ltd., Madras.

3. M/s Premier Automobiles Ltd., Kurla, Bombay.

STATEMENT

Name of the Punjab Roadways Depot.	Total No. of orders placed since 1st January 1958.	No. of chassis for which order placed.	Make.
1. Punajb Roadways, Amritsar	9	52 1 Truck	Mercedes Benz.
2. Punajb Roadways, Jullundur.	7	53	Leyland Comet.
3. Punjab Roadways, Ambala.	5	92 1 Truck	Dodge/Fargo. Fargo.
4. Punjab Roadways, Gurgaon	2	45 7	Dodge/Fargo. Leyland.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं वज़ीर साहिब से दरियाफ्त कर सकता हूँ कि क्या गवर्नमैंट ने इस बात में कोई फायदा देखा है कि अमृतसर के लिये Mercedes, जालन्धर के लिये Leyland और अम्बाला और गुड़गांव के लिये Dodge और Fargo गाड़ियां खरीदी गई ?

मंत्री : यह फैसला बहुत पहले किया गया था जब लाला जगत नारायण जी Transport के मिनिस्टर थे और सच्चर साहिब चीफ मिनिस्टर थे । एक make की गाड़ियां इसलिये न खरीदी गईं ताकि एक firm की monopoly न हो जाए । इस ख्याल के पेशे नज़र मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां खरीदी गईं थीं ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या Mercedes और Leyland अच्छी गाड़ियां हैं और दूसरे make घटिया हैं और इसी वजह से Dodge की गाड़ियां अम्बाला गुड़गांव के ज़िलों को दी गई हैं या इस वजह से कि Dodge छोटी गाड़ी होने की वजह से इन इलाकों की सड़कों पर अच्छी तरह से घूम सकती हैं ?

मंत्री : Dodge गाड़ियां भी बड़ी होती हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह दुरुस्त है कि गुड़गांव के लिये भी Leyland गाड़ियों का order दिया गया था लेकिन उसे बाद में cancel कर दिया गया ?

मंत्री : इस का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ ।

पंडित श्री राम शर्मा : जब गुड़गांव के लिये Leyland का order दिया गया था तो क्या यह वज़ीर साहिब की मर्ज़ी पर है कि उसे बाद में cancel कर दिया जाए ?

मंत्री : Leyland की firm ने इनकार कर दिया कि वह गाड़ियां supply नहीं कर सकते । इस बात को मद्दे नज़र रखते हुए कि गाड़ियां फौरन खरीद करनी हैं इंतज़ार नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमैंट की आमदनी में फर्क पड़ता था इसलिये Dodge Vehicles खरीदने का फैसला किया गया ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस की क्या वजह है कि अम्बाला और गुड़गांव के इलाके को Leyland या Mercedes की बजाए Dodge make की घटिया गाड़ियां दी गईं ?

मंत्री : कोई घटिया या बढ़िया गाड़ी नहीं—सब एक जैसी होती हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Leyland, Mercedes और Dodge गाड़ियों में कोई फर्क है—उन की मज़बूती के लिहाज़ से या accommodation के लिहाज़ से ? यह क्या वजह है कि Leyland और Mercedes को companies भी prefer करती हैं ?

मंत्री : इस के मुताल्लिक makers ही अच्छी तरह से बता सकते हैं । हर एक म कोई अच्छे points होते हैं और बुरे points भी होते हैं । किसी को Dodge गाड़ी पसन्द आती है और किसी को Leyland । यह तो opinion का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे सवालों से मिनिस्टर साहिब से क्या निकालना चाहते हैं (What does the hon. Member want to extract from the hon. Minister by asking much questions ?)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, अम्बाला और गुड़गांव वालों को हर चीज़ घटिया मिलती है [*Laughter*]

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या Dodge और Leyland और Mercedes गाड़ियों की कीमतों में काफी फर्क होता है ?

श्री अध्यक्ष : कीमतों के बारे में यह कैसे बता सकते हैं (How can he give information about the prices of vehicles ?)

चौधरी भरत सिंह : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि गाड़ियां खरीदते वक्त गवर्नमैंट इस बात का ख्याल रखती है कि कहीं किसी कम्पनी की monopoly न हो जाए या स्टेट के मुफाद को मद्दे नज़र रखा जाता है ?

मंत्री : जहां तक स्टेट के मुफाद का ताल्लुक है, इस में कोई फर्क नहीं पड़ता ।

मौलवी अब्दुलग़नी डार : Dodge गाड़ियों के लिये कब आर्डर दिया गया और वह कब गुड़गांव के डिपों में पहुँच गईं ?

मंत्री : वह आर्डर देने के एक महीने बाद पहुँच गई थीं ।

श्री राम प्यारा : जब Leyland गाड़ियों के लिये order place किया गया था तो क्या उस फर्म से guarantee ली गई थी कि वह यह गाड़ियां जल्दी supply कर देंगे ।

मंत्री : जब order place किया गया था तो इस ख्याल से किया गया था कि वह यह गाड़ियां immediately supply कर देंगे लेकिन firm ने inability ज़ाहिर की कि वह नहीं दे सकते ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या firm ने इन्कार कर दिया था कि वह supply नहीं कर सकेंगे या गवर्नमैंट ने खुद अन्दाज़ा लगा लिया कि यह firm गाड़ियां supply नहीं कर सकेगी ?

मंत्री : जब तक मैं सारे facts study न कर लूं मैं इस के मुताल्लिक सारी details कैसे बता सकता हूँ । स्पीकर साहिब ऐसे सवालों का मैं कैसे जवाब दूं, फिर मेरे दोस्त यह सवाल करेंगे कि जब firm ने कहा कि हम supply नहीं कर सकते तो क्या गवर्नमैंट ने कोई enquiry की—उस के बाद यह सवाल पूछेंगे कि यह enquiry लिख कर की गई या telephone पर, फिर सवाल यह किया जाएगा कि enquiry दिन को की गई या रात के वक्त । यह सारी इत्तलाह मेरे पास नहीं है । Order place करने के बाद गवर्नमैंट की तरफ से enquiry की गई थी कि गाड़ियां कब मिल सकेंगी लेकिन उन्होंने लिखा कि इस Financial year में नहीं दे सकते ।

श्री बलराम दास टंडन: On a point of order, Sir. आप ने इस House में ruling दिया था कि Ministers को सवाल के सभी पहलुओं पर तैयार हो कर आना चाहिये, ग़ालबन इसी सवाल पर दिया था । आज भी उसी तरह जवाब दिए जा रहे हैं ।

श्री प्रबोध चंद्र : वज़ीर साहिब ने बतलाया है कि Dodge वालों को order देने से पहले यह इत्तलाह ली गई कि वे इतने दिनों में गाड़ियां देंगे, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या Leyland वालों को order place करने से पहले गवर्नमैंट ने firm से कोई guarantee ली थी कि गाड़ियां इतने दिनों में देंगे ?

मंत्री : मैं Transport के officer को lobby में बुला लूंगा, आप ने तसल्ली कर लेना ।

Shri Parbodh Chandra: Sir, is it the reply expected to be given by an hon. Minister in the House?

श्री अध्यक्ष : House में सवाल पूछने का मकसद यह है कि Member की तसल्ली होनी चाहिये । उस दिन पंडित राम किशन भड़ोलियां ने कहा कि बाहर C.I.D. वग़ैरह उन के पीछे लगी रहती है, मैं ने उनसे और Leader of the Opposition से भी कहा था । कि वे मेरे पास आएं मैं जो अपना officer भेज दूंगा । लेकिन वह नहीं आए । बल्कि उस चीज़ को House में ले आए । मेरा कहने का मतलब यह है कि जो information

House में दी जा सकती है वह तो दी जाएगी। मगर details नहीं आ सकतीं। मेरा ख्याल है कि Minister साहिब दुरुस्त कहते हैं कि वह officer मुताल्लिका को बुला देंगे, और आप जो कुछ पूछना चाहें पूछ लें। सवाल का जवाब तो काफी comprehensive है मगर जहां तक details का ताल्लुक है वह आप private तौर पर पूछ लें। Supplementary तो relevant और within the permissible scope of the question ही हो तो ठीक है। लेकिन जब आप House में बारीक बीनी में जाना चाहते हैं तो Minister साहिब ने यह offer कर दी है कि आप उनके office में आएं, तो और भी ज़्यादा information आपको दे दी जाएगी। और क्या चाहिये ?

(The object of asking a question in the House is that the hon. Member putting the question should be satisfied. The other day Pandit Ram Kishan Bharolian had complained that members of his party were being shadowed by the C.I.D. people outside. I told him and also the Leader of the Opposition to come to me and I would send an officer to find out the facts. They did not come, but instead the hon. Member raised this matter in the House. What I mean to say is that the information which can be furnished in the House would of course be given but the details cannot come here. As regards this question, I think the hon. Minister is right when he says that he would send for the officer concerned and the hon. Member may inquire whatever he desires. The reply to the question is sufficiently comprehensive but so far as the details are concerned, these may be inquired from the honourable Minister privately. It would be better if the supplementaries are relevant and within the permissible scope of the question, but if the honourable member wants to go into minute details then the honourable Minister has offered that he may come to his office, where even more information would be imparted to him. What more does the hon. Member want?)

श्री प्रबोध चंद्र : यह मासूम सा सवाल है। इसका मासूम सा जवाब दें। Minister साहिब अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे order दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या Leyland वालों से order देने से पहले guarantee ली गई कि वे 30 दिन के अन्दर गाड़ियां supply करेंगे या नहीं ? क्या गवर्नमैंट की यह policy है या नहीं कि कोई order place करने से पहले gaurantee ली जाए ?

श्री अध्यक्ष : राओ साहिब आपकी क्या policy है ? Guarantee लेते हैं ? (The hon. Minister may please tell as to what is the policy ? Is guarantee taken ?)

मंत्री : Guarantee का सवाल पैदा नहीं होता। जब कभी खास मौका हो, यह सूझ जाए कि यह चीज़ें जल्दी नहीं मिल सकेंगी तब यह सवाल पैदा होता है। Motor vehicles खरीदने में दिक्कत नहीं थी। बाज़ औकात ऐसा हो जाता है। इस case में order place करने के काफी अर्सा बाद पता लगा। इस लिये इस तरह करना पड़ा।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि इस दिक्कत को हल करने के लिये कि गाड़ियां वक्त पर मंगवाई जाएं क्या इंतज़ाम किया है ? क्या गवर्नमैंट इस बात में भी interest लेती है कि गाड़ियों की agency किसको दिलानी है, जैसा कि Chief Minister साहिब ने एक letter लिखा था कि गवर्नमैंट इस मामले में interested है ? कौन agent है ? गवर्नमैंट को agents से क्या मिलता है ?

मंत्री : गवर्नमैंट का agents से कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नमैंट sole dealers के ज़रिये order place करती है। उनके पास order जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ agents मुकर्रर किए हुए हैं। उनका गवर्नमैंट से क्या ताल्लुक ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब यह बतलायेंगे कि जब यह बात है कि Chief Minister साहिब ने कोई चिट्ठी लिखी है कि गवर्नमैंट को यह agent अच्छा रहेगा, इसका काम अच्छा है, मैं यह पूछता हूँ कि क्या वह गवर्नमैंट के Transport महकमें की working से ताल्लुक रखता है ?

मंत्री : जी नहीं।

श्री राम प्यारा : क्या Transport Minister साहिब बतायेंगे कि Transport Controller की duties में यह शामिल है कि वह इस तरह से गाड़ियां खरीदें ?

Mr. Speaker : It is a hypothetical question. It is not relevant.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि order देने से पहले गवर्नमैंट ने कहा कि एक महीने के अन्दर २ गाड़ियां मिल जाएं और Dodge गाड़ियां एक महीने के अन्दर 2 मिल गईं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस तारीख को order दिया गया और किस तारीख को गाड़ियां मिलीं ?

श्री अध्यक्ष : उन्हों ने कहा है कि financial year के अन्दर गाड़ियां नहीं मिलती थीं। इस लिये उन्हों ने order तो financial year के खत्म होने से पहले ही दिया होगा (वज़ीर साहिब से) आप date of order बता दें। (The hon. Minister has already stated that the vehicles were not available during the financial year. The order must have been placed before the conclusion of the financial year. (Addressing the hon. Minister) He may please tell the date of placing the order.)

मंत्री : इस वक्त मेरे पास date नहीं है। मेरी information है कि जिस वक्त Leyland के लिये order place किया गया उस में यह था कि हमें गाड़ियां financial year में चाहियें।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of order. जनाब, क्या यह कल बता देंगे कि किस तारीख को order दिया और किस तारीख को गाड़ियां आईं ?

श्री अध्यक्ष : आप इनके पास चले जाएं, वह आपको बता देंगे। (The hon. Member may see the hon. Minister in his office and the latter will give him the information.)

श्री प्रबोध चंद्र : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जो order place किया जाता है वह Controller की तरफ से किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो Leyland का order cancel करवाया और 45 का Dodge का order दिया गया Chief Minister ने अपनी कलम से पहला order cancel कर दिया ; ऐसा क्यों किया ?

Mr. Speaker: This is not admissible.

मंत्री : मेरे पास information आ गई है। Dodge के लिये 29 जनवरी को इसी साल order place किया गया और 20 फरवरी को supply हुई।

श्री हरभगवान मौदगिल : क्या Minister साहिब यह बतलायेंगे कि जिन गाड़ियों के छीने जाने का मसला मैम्बर साहिबान पूछते हैं उन मैम्बर साहिबान का इस company से कोई ताल्लुक है ?

मंत्री : मेरे इल्म में तो नहीं है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे. . . . (विघ्न)

श्री हरभगवान मौदगिल : क्या वज़ीर साहिब इस बात का पता लेकर बता सकते हैं कि इसका ताल्लुक है या नहीं ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि Leyland वालों को कब order दिया गया और कब सरकार को पता लगा कि वे मोटरें supply नहीं कर सकते ?

मंत्री : मैं दरियाफ्त करके बताऊँगा। अगर information यहां होगी तो officers से अभी आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष : अगर आप ने इस तरह half an hour एक सवाल पर supplementaries के लिये लेना है तो फिर यह नामुनासिब बात है। यह सवाल House में दोबारा कभी नहीं आएगा। मेरा ख्याल था कि आपकी तसल्ली हो गई होगी। (If in this way half an hour is to be taken by the hon. Members in asking supplementaries on a single question then this is not proper. This question will not be allowed to come before the House again. I thought that the hon. members must have been satisfied.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब फरमायेंगे कि Dodge में कितनी सीटें होती हैं और Leyland में कितनी ? Leyland में सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं और नुकसान होता है। यह ज़रा बता दें।

CHANDHIAR WATER SUPPLY SCHEME IN KANGRA DISTRICT

***5019. Dr. Bhag Singh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state the estimated cost of the Chadhiar Water supply Scheme in Kangra District.

Chaudhri Suraj Mal: The estimated cost of Chadhiar Water supply Scheme in Kangra District is Rs 5,83,918.

REPRESENTATION FROM SECRETARY, COMMUNIST PARTY, PHILLAUR, TO DEPUTY COMMISSIONER, JULLUNDUR

***4649. Dr. Bhag Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Deputy Commissioner, Jullundur received any representation from the Secretary of the Communist Party,

[Dr. Bhag Singh]

Phillaur, district Jullundur sent by him vide registered letter dated the 30th September, 1959 against some local officers; if so, the contents thereof;

(b) whether any action on the said representation has been taken ; if so, what?

Shri Mohan Lal: (a) Yes. A copy of the representation is laid on the Table of the House.

(b) Reports were called from the Tehsildar, Phillaur and the Secretary, Municipal Committee, Phillaur, by the Deputy Commissioner, Jullundur, who found that the complaint was baseless. The case has since been filed.

Copy of letter No. 7478-*M/LP, dated the* 30*th September,* 1959, *from the Secretary, Communist Party, Branch, Purana Bazar Phillaur, District Jullundur, to the Deputy Commissioner, Jullundur District, Jullundur and to Secretary, Municipal Committee Phillaur, etc. etc.*

I send you herewith a copy of the resolution adopted by a public meeting held under the auspices of the Communist party, Branch Phillaur on 29th September, 1959, presided over by Comrade Bakhshi Ram for your kind consideration and immediate action.

With the beginning of election activities of the Local bodies at Phillaur the interference of the ruling Congress Party in the public administration departments has taken a very serious turn, to the extent that the Tehsil Headquarter and the local Municipal office and their officials are functioning as the wings of the Congress party. One of the leading figures of the Local Congress party being a Sub-Registrar of the Registration Department (Local) functions in such a manner which pollutes the sanctity of the Government Departments as the institutions free from political considerations. The matter has gone to such a limit that the local congress people have a free excess to the official record of the Returning Officer (Tehsildar) concerning elections, thus violating the concept of free and fair elections.

"on 25th September, 1959 at the time of the withdrawal of the Nomination a paper about half a dozen local congress leaders examined the official files concerning elections with the consent of the Tehsildar in the presence of the representatives of the other opposition parties.To facilitate this they were provided * * the court room, thus showing political favouritism, on being objected to these gross legal violations the legal adviser of the Communist Party was threatened with a contempt case by the Tehsildar.

"It is a talk of the town that the nomination papers and other papers concerning elections were put at the disposal of the Local Congress Leaders by the Tehsildar one day prior to the scrutiny date, when they were able to plug the loopholes in the nomination papers of the congress candidates. Here an interesting discrepancy in the official record is worth noting. Whereas the Word 'Reserve' before his ward was missing on the official list of the candidate posted on the Board prior to the scrutiny date, before the name of Shri Chaman. From Ward No. 1, the position was otherwise on his two nomination papers (Shri Chanan was otherwise on his two nomination papers (Shri Chanan is a congress candidate). In the above back ground such a discrepancy is very serious.

"Similarly there is a general talk about the tampering with the official record of the Phillaur Municipal Committee, by these very congress leaders in league with the Secretary. Under these circumstances the chances of free and fair elections are very dim. This public meeting requests the election authority concerned to check these unconstitutional tendencies of favourtism towards the ruling party and discrimination against the other opposition parties on the part of the concerned officials so as to provide free and fair elections to the citizens of Phillaur"

* Not legible in the M.S reply received from the Government.

श्री अध्यक्ष जब कोई development या education का सवाल आता है तो मेम्बर मुतालिलका ही मौजूद नहीं होते । और अगर सवाल पूछा जाता है तो फिर supplementary कोई नहीं पूछा जाता ।
(Whenever any question about a development scheme or education comes up, generally the hon Member concerned is not present in the House. If, at all, the question is asked then no supplementary is put).

DEPOSITS UNDER NATIONAL SAVINGS SCHEME

*4855. **Maulvi Abdul Ghani Dar:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount deposited under the National Savings Scheme in the State during the period from 1st August, 1959 to 31st December, 1959, together with the amount withdrawn therefrom;

(b) the total amount of commission paid to the agents during the above mentioned period together with the amount of their commission, ifany along with the amount outstanding;

(c) the amount of expenditure incurred on the said Scheme during the period mentioned in part (a) above?

Sardar Partap Singh Kairon:—

(a) Amount deposited	Rs.	11,66,70,569
Amount withdrawn	Rs.	9,99,23,467
(b) total amount of commission paid.	Rs.	1,95,280

(c) the amount of expenditure incurred as follows:—

Publicity on Small Savings	.. Rs. 6,434.31 n.P	To be borne by Government of India in toto
(ii) Pay and T.A. to Director General Small Savings	.. Rs. 4,801.00 n.P	
(iii) Pay and T.A. of Establishment and contingencies in the office of D.G.S.S.	.. Rs. 9,386.00	To be borne by Governments of India and State on 50:50 basis.
(iv) Special pay of Rs 15 to an Assistant/Assistant Superintenden in each Deputy Commissioner's Offitce.		Ditto
(v) Pay & T.A. & contingencies incurred by Regional National Savings Officer. (A central organisation)	Rs. 75327 n.P	To be borne by the Government of India in toto.
Total	.. Rs. 97,027.31 nP.	

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कोई amount commission का ऐसा भी है जो कि अभी देना बाकी हो ?

मुख्य मंत्री : कोई apply करेगा तो फिर पता चल सकता है ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतना बड़ा amount with-draw करने का क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री : मुझे क्या पता है ?

WOMEN IN THE PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

*4970. **Sardar Atma Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state with reference to reply to starred question No. 3096, printed in the list of questions for 5th March, 1959 whether the post of Lady Assistant Tourist Officer has been advertised and appointment approved by the Punjab Public Service Commission; if not, the reasons therefor?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary): There does not exist any post of Lady Assistant Tourist officer in the Public Relations Department. Miss Jaswant Sahnee was appointed as Assistant Tourist Officer at Nangal subject to the concurrence of the Public Service Commission. The concurrence having not been given, her services were terminated. The vacancy has again been communicated to the Public Service Commission to be filled by direct recruitment.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ Miss Jaswant Sahnee ਨੂੰ Public Service Commission ਨੇ appointment ਦੀ concurrence ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ requisite qualifications ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ appoint ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

Mr. Speaker : The proposal was sent to the Public Service Commission but the Commission did not agree to that appointment.

श्री प्रबोध चंद्र : वह क्या reasons थीं जिन की बिना पर minimum qualifications से भी कम qualifications वाली लड़की को appoint किया गया ?

Chief Parliamentary Secretary: Sir, there is no question of any person not possessing the minimum qualifications. The person did possess the requisite qualifications but the Public Service Commission could not give concurrence for the continuance of that person for a period beyond 6 months. Now the post has been advertised and a person will be appointed shortly.

Mr. Speaker: It is simply a question of an individual appointment. It is not a matter of public importance.

DECLARING TEHSIL THANESAR AS SUB-DIVISION

*5063. **Chaudhri Baru Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that orders were passed by Government that Thanesar was to be created into a sub-division;

(b) whether it is also a fact that the orders mentioned in part (a) above have not been carried out; if so, the reasons therefor?

Shri Mohan Lal: (a) Yes.

(b) According to the phased programme, a sub-division at Thanesar will be created in the near future.

TOTAL ESTABLISHMENT OF THE PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT IN AMRITSAR DISTRICT

***5124 Shri Balram Dass Tandon:** Will the Chief Minister be pleased to state the total strength of the establishment of the Public Relations Department posted in Amritsar District, together with the names, qualifications and total emoluments of each of them?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary): A statement incorporating the required information is laid on the Table of the House.

(a) Total strength 16.

(b) Details of establishment of the Public Relations Department in Amritsar District—

Serial No.	Name	Designation	Educational qualifications	Monthly emoluments
				Rs
1	Shri Parkash Deva	District Public Relations Officer	B.A.	510
2	Shri Chattar Singh ..	Rural Publicity Supervisor	Giani	325
3	Shri Ranbir Seth ..	Ditto	M.A.J.D.	370
4	Shri Banwari Lal ..	Rural Publicity Organiser	B.A.	196
5	Miss Amrit Varsha ..	Ditto	B.A.	196
6	Miss Gurdarshan Ahluwalia	Ditto	M.A.	196
7	Shri Santosh Singh ..	Clerk	B.A.	135
8	Shri Om Parkash ..	Do	F.A.	120
9	Shri Bhupinder Singh ..	Do	Matric	·100
10	Shri Tek Singh ..	Operator	Matric	120
11	Shri Kundan Lal ..	Radio Mechanic	Matric, Diploma in Radio Mechanic, Radio Engineering	158 C
12	Shri Dewan Singh ..	Driver	Middle	120
13	Shri Sohan Singh ..	Cleaner	Can read and write Hindi	61
14	Shri Aroor Singh ..	Peon	Can read and write Gurmukhi	62.50
15	Shri Sant Ram	Peon	Can read and write Urdu	61
16	Shri Bal Krishan ..	Chowkidar	..	61

THEFT OF COPPER WIRE FROM JAGADHRI-CHHACHRAULI ROAD, AMBALA DISTRICT

*4630 **Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the chief minister be pleased to state—

(a) the total quantity of copper wire recently stolen from the Jagadhri Chhachrauli Road, Ambala District, and the value thereof;

(b) whether any cases relating to the theft mentioned in part (a) above have been registered; if so, the number of persons so far arrested;

(c) the measures proposed to be devised by Government to check the recurrence of such thefts?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) Nil.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

SUKAHAR AND SIDHARATHAHAR CANALS

*4832. **Shri Rup Singh 'Phul':** (asked by Shrimati Sarla Devi Sharma): will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the amount so far spent on the construction of the Sukahar and Sidharathahar Canals in District Kangra, separately together with the date when the construction of each was started;

(b) the area of land expected to be irrigated by each of the canals referred to in part (a) above and the area that is being irrigated at present;

(c) whether the canals referred to in part (a) are functioning as expected; if not, the reasons therefor?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister):

		Amount spent	Date when construction was started
		Rs.	
(a) Sukahar Canal	..	6.12 lacs	1952-53
Sidharthahar Canal	..	25.5 lacs	1951-52

		Area expected to be irrigated	Area actually Irrigated
(b) Sukhahar Canal	..	2,381 acres	142 acres
Sidharthahar Canal	..	7,500 acres	8 acres

(c) No. The reasons are as under:—

Sukhahar Canal

The Canal is complete and running at site as far as the Department is concerned. The local inhabitants have not shown any keen desire to utilize the water and have not even constructed the required number of water courses.

Sidharthahar Canal.

The canal was first opened for trial running in June, 1958 but was heavily damaged by slips and debris from the hill sides during the rainy season of 1958. Repairs were carried out, but no irrigation could be done because winter rains of 1958-59 again damaged the canal and further heavy damages have taken place during the monsoon of 1959.

श्री रामचन्द्र कामरेड : मैं पूछना चाहता हूँ कि जब Sukhahar canal की capacity 2,000 एकड़ को सेराब करने से भी ज्यादा है तो क्या वजह है कि सिर्फ 142 एकड़ भूमि को ही अभी तक पानी दिया गया है ; क्या लोग पानी लेना नहीं चाहते ?

उप मंत्री : इस के कई कारण हैं । लोगों में उत्साह नहीं है । वे water courses खुद नहीं बनाते । उन की ख्वाहिश है कि गवर्नमैंट water courses बना कर दे । जब तक water courses ही न हों तो पानी कैसे चलेगा । दूसरा कारण यह भी है कि वहां पर बारिश ज्यादा होती है इसलिये लोगों को पानी की ख्वाहिश भी ज्यादा नहीं है ।

श्री रामचन्द्र कामरेड : क्या यह अमर वाक्या है या कि नहीं कि वहां के मकामी लोगों ने बारहा शिकायत की है कि पानी वक्त पर नहीं मिलता और जब मिलता है तो वह काफी नहीं होता ?

Mr. Speaker: It is not a supplementary question.

श्रीमती सरला देवी शर्मा : उन्होंने फरमाया है कि लोगों में पानी लेने के लिये उत्साह नहीं है । मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या irrigation के officers ने लोगों को वहां पर इकट्ठा किया और उन में उत्साह पैदा करने का यत्न किया ? उन को समझाने की कोशिश की ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : हर मुमकिन कोशिश की जाती है । अगर उन्हों ने details लेनी हो तो नोटिस दे दें ।

राजा रघुवीर सिंह : जब 1952-53 में काम शुरू हुआ तो क्या उस से पहले survey किया गया था ? इस में कामयाबी क्यों नहीं हो रही ?

उप मंत्री : Survey के बिना तो कोई काम नहीं किया जाता ।

राजा रघुवीर सिंह : फिर भी यह सवाल पैदा होता है कि estimated cost से इतना ज्यादा खर्च क्यों हुआ है ?

Mr. Speaker: The Question Hour is over now. The supplementaries to this question will be allowed tomorrow.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

TOUR BY DEPUTY MINISTER FOR LOCAL BODIES IN JANUARY, 1960.

2377 Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Deputy Minister for Local Government stayed in the Rest House at Jagraon, District Ludhiana from 8th January, 1960 to 11th January, 1960 and then from 14th January, 1960 to 18th January, 1960; if so, the purpose of his stay;

(b) The names of places visited by him during the said visits;

(c) the total amount of Travelling Allowance and Dearness Allowance, if any, drawn by him for the said tours and the quantity of petrol and mobil oil consumed in his staff car during the period mentioned in part (a) above;

(d) whether he hired any private vehicle during the said visit; if so, the reasons therefor and the amount paid as hire money for the said vehicle ?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes, the stay was private.

(b) No official visit was paid to any place during the stay.

(c) No Travelling Allowance or Dearness Allowance for private stay was drawn. The question of quantity of petrol and mobil oil consumed does not arise, as the visit was private.

(d) No.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of order, Sir. मेरी यह अर्ज़ है कि पीछे मेरा एक सवाल था जिस का नम्बर 4849 था। उस के बारे में आप ने फरमाया था कि वज़ीर साहिब फाईल देख कर आयेंगे तो फिर इस पर supplementaries कर लेना। यह सवाल 19 तारीख की list में है। चीफ मिनिस्टर साहिब उस वक्त हाउस में नहीं थे इस लिये इस का जवाब डिप्टी मिनिस्टर साहिब श्री हरबंस लाल ने दिया था।

10-0 a.m

श्री अध्यक्ष : कल या परसों वह सवाल फिर आ जायेगा। (That question will again come before the House either tomorrow or a day after.)

उप मंत्री : परसों रख लें।

Mr. Speaker: I have been told that there is no Supplementary outstanding on that question.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : एक supplementary पूछा था और उस का जवाब यह नहीं दे पाये थे। फिर आप ने फरमाया था कि यह फाइल देख कर आयेंगे तब इस का जवाब दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : क्या supplementary था जो रह गया था ? (What was that supplementary which was left unanswered?)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : वह सवाल यह था कि उस case की कौन कौन से अफसर enquiry करने वाले थे ?

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि मैं ने इस की इजाज़त दी थी। (I think that I had allowed it.)

Now we proceed with the next item on the agenda. The Leader of the Opposition will initiate the discussion on the Budget.

GENERAL DISCUSSION CN THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, हमारे वित्त मंत्री जी ने 26 तारीख को इस सदन में जो बजट पेश किया वह बुरा तो नहीं लेकिन उसे अच्छा भी कहने की कोई बात नज़र नहीं आती। बात यह है कि यह एक routine बजट है क्योंकि जो आमदनी हुई वह बतला दी और जो खर्च करना हुआ वह बतला दिया। पिछली दफा तो 25 लाख रुपए का खसारा या नुकसान दिखाया था और इस दफा इस बजट में कहते हैं कि 170 लाख रुपये के करीब बचा है। तो यह जो बजट है यह एक routine बजट है। लेकिन एक बात जो हमारे इस बजट के मुतल्लिक में चली आ रही है वह यह है कि गवर्नमैंट के जो अन्दाज़े होते हैं वह बहुत ही ग़लत निकलते हैं। पिछली दफा 32 लाख रुपये का खसारा या नुकसान दिखा कर यह रास्ता निकाला गया था कि tax बढ़ाये जायें क्योंकि खसारा बहुत हुआ है लेकिन शुक्र की बात है कि गवर्नमैंट पर कुछ यहां पर वावेले करने का और कुछ public की कोशिशों का असर हुआ और जो tax लगाये जाने का इरादा था वह पूरा नहीं किया गया। लेकिन यह खुशी की बात है और ताज्जुब की भी बात है कि जहां 32 लाख रुपये के नुकसान का ख्याल था वहां 572 लाख रुपये की बचत हो गई। अगर यही बात यों ही कायम रहे और यह रिवाज पड़ जाये तो क्या हम अन्दाज़ा कर सकते हैं कि जो नुकसान की बजाये उस से 18 गुना बचत दिखाई गई है, इसी हिसाब से आयन्दा भी बचत बढ़ जायेगी। इस दफा कोई tax Government नहीं लगा रही। अच्छी बात है। पिछली दफा tax लगाने का बहाना भी था लेकिन इस दफा यह भी नहीं है। खैर, मैं इस बात के लिये इस बजट का गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल करता हूं।

अब देखने वाली बात यह है कि यह जो 5.70 करोड़ रुपए की बच्चत हुई है तो क्या इस से लोगों को जो आराम और फायदा पहुँचना चाहिये वह पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। वित्त मंत्री जी को और आप को याद होगा कि जब हम अभी शुरू २ में Assembly में चुन कर आये थे तो उस वक्त हम गवर्नमैंट से यह मांग किया करते थे कि पांच बीघे या पांच बीघे से थोड़ी ज़मीन के जो मालिक हैं उन छोटे ज़मींदारों से मालगुज़ारी वसूल न की जाए और थोड़ी आमदनी वालों पर taxes न लगाये जायें। तो मैं वित्त मंत्री जी से पूछता हूँ कि अब जब कि पौने छः करोड़ रुपये की बच्चत हुई है तो क्या अब मौका

[पंडित श्री राम शर्मा]

नहीं आया और क्या गवर्नमैंट इस बात में पहल नहीं कर सकती कि 4 या 5 बीघे ज़मीन के मालिक जो ज़मींदार हैं उन्हें मालगुज़ारी की छूट दी जाये। लेकिन इतनी बड़ी बच्चत के होते हुए भी इस गवर्नमैंट का ध्यान इस तरफ नहीं गया हालांकि यह अच्छी तरह जानते भी हैं कि अनाज की पैदावार किसान की खुशहाली पर निर्भर करती है। अगर इन छोटे मालिकों को मालगुज़ारी देने की छूट दी गई होती तो मुझे बड़ी खुशी होती।

दूसरी खुशी इस बात की होती अगर इस इतनी बड़ी बच्चत के हो जाने पर इस में से दो या चार करोड़ रुपया village industries यानी ग्राम उद्योग पर खर्च किया जाता। हालांकि हमारे वित्त मंत्री जी तो हैं भी इस ढंग के ख्यालों के मालिक ; लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया। फिर यहां पर हम भिलाई और रूड़केला के steel plants जैसे कारखाने तो कहां लगा सकते हैं, वह या तो कोई रूस ने दे दिया या जर्मनी ने दे दिया है। यहां तो cottege industries ही हम चला सकते हैं जिस के लिये महात्मा गांधी जी भी बड़े ज़ोर से कहते रहते थे और हमारे वित्त मंत्री जी भी इन कामों में दिलचस्पी रख रहे हैं। मुझे खुशी होती अगर दो या चार करोड़ रुपया इस ढंग से सर्फ किया जाता ताकि इस से यहां छोटी दस्तकारियां और cottege industries फैलतीं और बढ़तीं।

तीसरी बात जो बजट के मौके पर सोचने की थी वह यह है कि आज जो आम लोगों के खाद्य पदार्थ हैं वह कितने महंगे और मिलावट वाले होते जा रहे हैं। गवर्नमैंट को इस बारे में सोचना चाहिये था और उसको सस्ता और अच्छा करने के लिये इस पौने छः करोड़ रुपये की रकम में से कुछ हिस्सा लगा लिया जाता ताकि इस पौने छः करोड़ रुपये की रकम, जो हमारी गवर्नमैंट ने बचाई है, से आम आदमियों को भी कोई फायदा पहुँचता। लेकिन मैं देखता हूँ कि इससे न तो किसानों को और छोटे २ ज़मींदारों को मालगुज़ारी में छूट ही दी गई है, न ग्राम उद्योगों के फैलाने पर खास तौर पर ज़ोर लगाया गया है जो इस बच्चत की बिना पर किया जा सकता था और न ही आम लोगों के खाद्य पदार्थों को सस्ता और अच्छा बनाने के लिये कुछ किया गया है बल्कि हम देखते हैं कि sugar के अन्दर भी हमारी गवर्नमैंट अब भी अपनी दुकानें खोल रही है। यह तो चाहती है कि sugar में कमी बेशक हो जाये लेकिन यह इससे कमा ज़रूर ले। अगर इस पौने छः करोड़ रुपये की बच्चत में से छोटे २ ज़मींदारों को मालगुज़ारी में छूट दी गई होती, ग्राम उद्योगों को बढ़ाया होता और आम लोगों के खाद्य पदार्थ उन्हें सस्ते देने के लिये कुछ किया गया होता तो मैं समझता हूँ कि Opposition में होते हुए भी मुझे यहां खड़ा हो कर इस बजट का इस्तकबाल करने में ज़रा भी झिझक न होती। इस बजट को बुरा तो मैं अब भी नहीं कहता क्योंकि इस में कुछ हिसाब किताब कर के कुछ बच्चत दिखाई गई है और नये taxes लगाने के लिये नहीं कहा गया।

अब एक बात मैं और कह दूं कि इसे श्री गणेश कहूँ या मौलवी साहिब का बिस्मिल्ला कहूँ ; वह भी गलत है। इस के पहले सफे पर ही लिखा हुआ है—

Introducing the Budget Estimates for the year 1960-61 to the Punjab Legislature . . .

डाक्टर साहिब तो पुराने parliamentarian हैं और कई दफा इस काम से और इन बातों से इन का वास्ता पड़ता रहा है लेकिन फिर भी इन्हों ने यहां लिखा है कि वर्ष 1960-61 के बजट अनुमान पेश करते समय पंजाब विधान मण्डल के समक्ष यानी Legislature के सामने हालांकि जब हमारी Central Government का बजट पेश किया जाता है तो यह लोक सभा में किया जाता है, इसी तरह से England में यह House of Commons में पेश होता है और यहां विधान सभा में ही पेश होता है. . . .और जो अपर हाउस है उस में तो यह सिर्फ रखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। मैं हैरान हूँ कि हमारी सरकार ज़ाबते की इन बातों के होते हुए भी जो usage का तरीका है उस के मुताल्लिक ग़लत बातें क्यों सोचती है। इस बारे यह लिखा चाहे किसी ने हो मगर इस की ज़िम्मेदारी हमारी सरकार पर आती है, हमारे वित्त मंत्री पर आती है जो लैजिस्लेचर को बजट पेश कर रहे हैं जबकि यह पेश विधान सभा को होना चाहिये जो इस को मंज़ूर करती है, या जो तरमीम करने की मिजाज़ है।

एक बात पर मैं मुख्य मंत्री जी को, मुबारकबाद तो खैर बहुत भारी लफ्ज़ है नहीं देता, लेकिन इन के बारे यह कहता हूँ कि इन्होंने यह अच्छा काम किया है। और वह यह है कि 1,200 लाइनों के इस भाषण में सिर्फ 33 या 34 लाइनों में ही Law and Order या अमनो अमान की हालत के बारे ज़िक्र कर दिया है। यह तो खैर इन्होंने अच्छा ही किया कि इधर उधर की गुनाहे बे लज़्ज़त की बातें करने की बजाए और २ बातों की तरफ ध्यान दिलाया मगर सरकार को अगर किसी चीज के बारे सब से ज्यादा कुछ कहने की ज़रूरत होती है तो वह यही बातें होती हैं जिन को कि चंद एक लफ्ज़ों में ही गुज़ार दिया गया है। मुझे यह बात इस लिये खास तौर पर महसूस हुई क्योंकि पहले जो बजट पेश होते रहे वह तो शुरू ही administration की हालत से होते थे कि इस में क्या कुछ किया जा रहा है। मगर अब यह रिवाज पड़ गया है कि दूसरी चीजों से बात शुरू कर के इस का ज़िक्र बहुत ही थोड़ा किया जाता है। यह खास बात मुझे नज़र आई। यह वित्त मंत्री ने ठीक ही किया है मगर आम तौर पर ला ऐंड आर्डर की एक खास अहमियत होती है और इसे मामूली, फज़ूल और सरसरी सी चीज़ नहीं समझा जाता। इतना कम ज़िक्र या तो बहुत ही बढ़िया हालात में किया जा सकता है या फिर जब कि इस सिलसिले में बिल्कुल ही बेड़ा ग़र्क हो रहा हो। अब यह तो गवर्नमैंट ही जाने कि इस बार ऐसा क्यों किया गया है।

हमारी गवर्नमैंट ने बताया है कि 5 करोड़ 72 लाख की बच्चत है। यह बच्चत कैसे हुई ? एक करोड़ 31 लाख रुपये के तो टैक्स लगाए हैं। यह रुपया तो पंजाब के लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा और फिर तालीम, जिस की बाबत यहां रोज़ाना दुहाई दी जाती है, पर 46 लाख रुपया कम खर्च किया जाएगा। और हैल्थ और मैडीकल पर 35 लाख रुपया कम खर्च किया जाएगा। बस, तो ठीक है जो ज़रूरी करने की चीज़ें हैं उन पर खर्च कम करते चले जाओ और लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल करते चले जाओ, चाहे नए लगा कर या पुराने टैक्सों के शिकंजे को ही कसते चले जाओ तो बचत अपने आप हो जाएगी। आमदनी को खर्च करने में यह ख्याल रखा जाता है कि लोगों को क्या मिल रहा है। मैं ने पिछली दफा भी यह बात कही थी कि हमारी सरकार के जो अंदाज़े होते हैं वह तो बिल्कुल

[पंडित श्री राम शर्मा]

ऊटपटांग होते हैं। इन्होंने कहा कि मेरा अन्दाज़ा है कि 32 लाख का नुकसान होगा मगर एक साल बाद उसी बारे कहा कि हमें तो 5 करोड़ 72 लाख रुपया बच गया है। यह हैं इन के अन्दाज़े। इस बार Finance Secretary ने अपने memorandum में एक अकलमंदी की बात लिखी है। कहते हैं कि यह बात सिर्फ इसी गवर्नमैंट बारे नहीं है बल्कि यही हिसाब दूसरी सरकारों का भी है और आंकड़े दिए हैं बंगाल, मद्रास और बम्बई वग़ैरह के कि उन के अन्दाज़े भी इतने २ ग़लत थे। मैं कहता हूँ कि अगर वह भी आप जैसा नेक काम करते हैं तो वह भी आप के ही भाई हैं। मगर यह दलील तो ठीक नहीं। यहां कई बार ऐसा होता है कि साहब आप इस सूबे बारे क्या कहते हैं फलाने २ सूबे के Law and Order की हालत तो इस से भी खराब है। मैं कहता हूँ कि इस तरीके की बजटिंग ठीक नहीं कि रखा कुछ जाए और निकले कुछ और। फिर पंजाब की ऐसी हालत भी तो नहीं है कि इस किस्म की बातों के बावजूद हम बे फिकरी से बैठे रहें। आज हालत यह है कि इस सरकार पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज़ा है, उस पर हर साल 4 करोड़ सूद पड़ता है यानी 33 लाख रुपया माहवार या एक लाख रुपए से ज़्यादा रोज़ाना सूद पड़ रहा है। यह ठीक है कि सरकारें अच्छे कामों के लिये कर्ज़ा लेती हैं लेकिन जिस सरकार की यह हालत हो कि वह रोज़ाना कर्ज़ के नीचे दबती चली जाए उसे ज़रा होशियारी और ज़िम्मेदारी से हर बात को देखने की कोशिश करनी चाहिये। मगर यहां क्या होता है। हमारी सरकार ने एक Resources and Retrenchment Committee बिठाई। वह बैठी महीनों हिसाब किताब करती रही, उस के चेयरमैन ने खासी दिलचस्पी से काम किया और रिपोर्ट पेश की। मगर मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार ने उस के सुझावों से फायदा उठाया और अपनी आमदनी बढ़ाई या छांटी की। आम तौर पर यही किस्सा नज़र आता है कि महीनों काम होता है और जब रिपोर्ट आती है तो उस को उठा कर ताक पर रख दिया जाता है। वैसे अगर टैक्स लगाने की कोई बात हो तो सरकार का ध्यान उस तरफ जाता है लेकिन अगर कोई relief देना हो या wastage रोकनी हो तो सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। यह सरकार इतनी मकरूज़ है कि अगर यह सरकार बराबर पांच साल तक एक पैसा खर्च न करे और महज़ कर्ज़ ही उतारती जाए तो हिसाब बराबर ही रहता है। ऐसी हालत में तो इन की ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

जो मौजूदा बजट है इस से यह ज़ाहिर होता है कि सरकार की आमदनी पहले के मुकाबले में बढ़ गई है और काफी बढ़ गई है। पिछले साल का revised budget भी बढ़ा है और इस साल और भी ज़्यादा आमदनी है यानी 60 करोड़ के करीब। 65 लाख से ज्यादा खर्च होगा, 30 करोड़ capital खर्च है। 64 लाख मालगुज़ारी बढ़ी। मैं ने कई दफा कहा है कि transport खास आमदनी का ज़रिया है मगर उधर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं ने पिछली दफा कहा था कि यह ऐसा महकमा है कि अगर सरकार इमानदारी से इधर ध्यान दे तो अकेली transport से कई महकमों, जैसे Irrigation वग़ैरह, के बराबर आमदनी हो सकती है: चार पांच करोड़ रुपया इस से कमाई हो सकती है। मगर इन्होंने बताया है कि सवा करोड़ इस से कमाएंगे और 91 लाख खर्च करेंगे

यानी 34 लाख की आमदनी होगी। इस में यह जो 4 करोड़ रुपया कल्याणकारी कामों पर खर्च किया जा रहा है यह अच्छी बात है। जैसे मैं ने पहले भी कहा कि यह अदादो-शुमार बढ़े हैं और बढ़ते ही जायेंगे, उनके कम होने की कोई बात नहीं है। आमदनी बढ़ रही है, Government फैल रही है और Government की machinery फैल रही है। काम बढ़ रहा है और यह अच्छी बात है लेकिन यह ऐसी बात है जैसे कि किसी आदमी का जिस्म बढ़ रहा हो और दिल और दिमाग फेल होते चले जा रहे हों। आप ही अन्दाज़ा लगाएं कि ऐसे आदमी का हुलिया क्या होगा। Government का खर्च बढ़ रहा है और आमदन बढ़ रही है लेकिन इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कामचोरी बढ़ रही है और नाअहलियत बढ़ रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने, यह ठीक है, कहा था कि हमारे standard से भी काम तरक्की पर है, इमानदारी और Government की अहलियत बहुत बढ़ गई है। इसका सबूत पेश करते हुए इन्हों ने कहा है कि हमने दो हज़ार के करीब मुलाज़मों को नौकरी से हटा दिया है और administration में दरुस्ती कर दी है कि आइन्दा यह ग़लती न करें। मैं नहीं कह सकता कि इस से कहां तक इमानदारी और efficiency बढ़ी है। कहा गया कि hardwork की ज़रूरत है और काम ज़्यादा है इस लिये हमने office के काम करने के घण्टे बढ़ा दिए हैं। काम करने के घण्टे अगर बढ़ा दिये हैं तो काम भी बढ़ गया है लेकिन मैं यह कहता हूँ कि इसकी बुनियादी बातों में कहां तक इज़ाफा हुआ है या कमी हुई है। Budget speech में इन बातों की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। जनाब, चीफ मिनिस्टर ने ताबड़तोड़ से बतला दिया कि इमानदारी बहुत बढ़ गई है और efficiency बढ़ गई है। काम बहुत इमानदारी से हो रहा है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि सड़कें बन रही हैं, नहरें बन रही हैं। स्कूल और हस्पताल खोले जा रहे हैं। खेती के बढ़ जाने के बारे में भी figures दी गई हैं। Industry भी तरक्की पर है। यह सब बातें ठीक हैं, बढ़ गई हैं और बढ़नी भी चाहियें लेकिन इनकी तह में जो बुनियाद है वह भी अच्छी होनी चाहिये। बावजूद इस बात के कि आमदन बढ़ गई है बुनियादी तीन चीज़ें नहीं बढ़ पाईं। उनमें बराबरी घटती जा रही हैं। अगर यह सही है तो इस राज्य का, इस Government का हशर वह होगा जो उस आदमी का हो जिसके कपड़े अच्छे हों, जिस्म फूल रहा हो लेकिन उसका दिल और उसका दिमाग अन्दर से बेकार हो गया हो। मुझे डर है कि सरकार इस बात को ध्यान में नहीं रखती। उन moral values की आज क्या हालत है जिन पर महात्मा गांधी जीवन भर ज़ोर देते रहे और ज़ोर देते देते इस संसार से चले गए। हम इन बातों को भूल जाते हैं। मैं मानता हूँ सरकार का खर्च बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है और हर तरफ से तरक्की की जा रही है लेकिन इसके साथ उन चीज़ों को जिन पर इन सारी बातों का दारोमदार है, सरकार ध्यान में नहीं रख रही। इज़ाफा हो रहा है सरकार के कामों में लेकिन इसके साथ ही इज़ाफा हो रहा है उन खराबियों में जिनके मुताल्लिक महात्मा गांधी कहा करते थे। वह खराबियां भी बढ़ रही हैं।

इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ज़िक्र खुराक, industry और co-operation के बारे में करना चाहता हूँ। हमारे फिनांस मिनिस्टर साहिब ने अपनी तकरीर शुरू

[पंडित श्री राम शर्मा]

ही industry और खुराक से की है। यह ठीक है कि खुराक की हालत पंजाब में खासी काबू में है और Government को इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता और कहने की जरूरत भी नहीं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर बार यह कहा जाता है कि पैदावार बढ़ गई है लेकिन इसके साथ कीमतें भी बढ़ गई हैं। पैदावार के साथ साथ कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। कुछ महीनों में हालत यहां तक हो गई कि Government को इस बात को ध्यान में लाना पड़ा और इन्होंने कहा कि अनाज में इजाफा बहुत हुआ है लेकिन अनाज लोग मंडियों के अन्दर नहीं लाए। तीन, चार, पांच महीने तक यही हालत रही। यह हालत न बदली और फिर एक दम अचानक अनाज मंडियों में आ गया और कीमतें कम हो गई। ताज्जुब की बात हुई कि किस तरह अनाज मंडियों में आ गया और अनाज की position ठीक हो गई इसका मतलब यह नहीं कि इसका इनहसार अचानक हो जाने वाली बातों पर हो। इस तरह के अचानक इनहसार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह कोई stable, पक्की और मज़बूत चीज़ है। इन चीज़ों पर Government का इनहसार अच्छा नहीं कि एक दो महीने बाद हालत खराब हो जाए और फिर अचानक ही खुराक की हालत अच्छी हो जाए जब माल मंडियों में आए। आज position अच्छी है और पंजाब के अन्दर अनाज बढ़ गया है लेकिन सरकार जो काम करती है वह किसी stability पर based नहीं होता।

मुझे खास तौर पर एतराज़ यह है कि उन्हों ने जो Co-operative Department की रट लगा रखी है और हर तरह से co-operation की धुन लगा दी। हर समय किसी न किसी बात का fashion होता है, जैसे Socialism का। इसी तरह आज co-operative movement का fashion हो गया है। हर बात पर co-operative system को राइज करने की कोशिश की जा रही है। Co-operation के दरअसल मायने क्या हैं कि कुछ लोग इकट्ठे हो कर एक Co-operative Society बना दें और वह उससे फायदा उठाएं। जहां उन्हें पहले महंगी और खराब चीज़ें मिलती हैं वहां उन्हें सस्ती और अच्छी चीज़ें मिलें। Co-operative movement और Co-operative Department का मनशा यह है कि लोग किसी चीज़ के member बन कर इस बात का फायदा उठा सकें कि वह उन्हें अच्छी और सस्ती मिल सके। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहां पर Co-operative Department के ज़रिये दुकानें खोल दी गई हैं। कोई भाई co-operation का नाम लेकर दुकान खोल ले और दुकानदारी करनी शुरू कर दे। खेती करने वालों को कहा जाता है कि वह दुकानें खोल लें, उन्हें इस में बचत होगी। Co-operative Farming और Co-operative Industry और Co-operative Stores बना कर न मालूम कितनी ऐसी दुकानें खुलवाई गई हैं और जहां पर नाजाइज़ तरीके से कुछ खास आदमियों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। बदइन्तज़ामी बहुत है और हरेक co-operative society में एक दो चलते पुर्ज़े होते हैं जो ऐसी societies के रुपए को खा पी जाते हैं। इस तरह बात नहीं चलती जब कि किसी महकमे में ऊपर से नीचे तक इस तरह की बातें की जाती हों। अफसरान से मिल कर co-operative societies बना दी गई, पैसा दे

दिया गया और Co-operative Department के सहारे लोगों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। Co-operative के महकमें का काम है लोगों को साथ मिलाना और उन्हें इमदाद देना लेकिन अगर ऊपर से नीचे तक सही control न किया जा सके तो जिन्हें इस तरह की इमदाद की ज़रूरत है वह महरूम हो जाते हैं और दूसरे दुकानें खोल लेते हैं। Co-operative Societies के बन जाने से लोगों की दिक्कतों में इज़ाफा हुआ है, लोगों को अनाज आसानी से नहीं मिलता, sugar दिक्कत से मिलती है। हमारे जैसा मेम्बर भी जब तक हाथ पांव न मारे बेहतर सलूक नहीं किया जाता। इस लिये Co-operative Societies पर कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है।

Food के बारे में गुज़ारिश करूँ, स्पीकर साहिब, कि Food के Minister ही Industry के Minister भी हैं। वह कहते हैं कि फलां महकमे के अन्दर corruption नहीं है। मैं पूछता हूँ कि कहां पर corruption नहीं है। Industries Department के अन्दर corruption की कोई कमी नहीं। Bogus कारखाने कायम किए गए हैं और जिसका कोई न हिसाब न किताब। एक कसबे के अन्दर जो हमारे ज़िले में ही है कई अफसर जाते हैं लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक हर जगह corruption होने पर भी वह नहीं पकड़ सकते। कहीं permit हैं तो कहीं essential goods certificates दिए जा रहे हैं, कहीं पर quota दिया जा रहा है। कई ऐसे कारखाने बने हुए हैं कि जहां सालहा साल गुज़र गए steel का quota मिल रहा है; वह सीधा Calcutta से Delhi के बाज़ार में black market में बिक जाता है और इस तरह black में ही 16 लाख कमा लिया गया है। इन्हों ने कहा मुझे केस बताओ। मैं ने लिख कर भेजा कि फलां महकमे में corruption है लेकिन जवाब आ गया कि वहां पर कोई corruption नहीं। जब अफसर वहां पर जाते हैं वह भी कुछ खा पी कर अपनी रिपोर्ट कर देते हैं। Industry की development की काफी ज़रूरत है। Industry बढ़ रही है लेकिन इसके साथ खराबियां भी बढ़ रही हैं। Industry तो public men के हाथों भी बढ़ सकती है। आप मुंदरा और दालमिया को अगर यह काम सौंप दें तो वह भी इसको बेहतर तरीके से चला सकेंगे लेकिन corruption का क्या होगा जो ऊपर से नीचे तक चली आ रही है। मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि इस में corruption बहुत है। मेरे कहने का या दोहराने का कोई फायदा नहीं जब तक कोई Judge बैठ कर फैसला न करे। मैं ने कह दिया और इन्हों ने report छाप दी। जब हम जाकर चीफ मिनिस्टर साहिब से कहते हैं या Ministerial level पर कोई बात कहते हैं तो वह कहते हैं कि Government इस बात पर सोच रही है, मगर करते कराते कुछ नहीं। दरअसल बात यह है कि हमें इस Government पर अब कोई एतबार ही नहीं रहा और न ही अब इन पर कोई एतबार करने का सवाल ही पैदा होता है। न Government के किसी वज़ीर पर और न इन के अफसरों पर कोई एतबार है। इस की वजह यह नहीं कि हमें इस के अफसरों से कोई शिकायत है या हमें इन के मातहतों से कोई गिला है। और न ही कोई और बात है। दरअसल बात यह है कि इन महकमों के अन्दर बहुत ज्यादा corruption है

[पंडित श्री राम शर्मा]

और खास तौर पर Industry के महकमा में बहुत ज्यादा दिक्कत है इस में बहुत बुरी तरह से corruption फैली हुई है। इन के यहां एक essential certificate हासल करना होता है। यह इस लिये कि अगर कोई बाहर के मुल्कों से कोई चीज़ मंगवाये तो वहां से चीज़ सस्ती मिल जाती है और यह certificate इस से पहले हासल करना जरूरी होता है। मगर मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि यह जो essential certificates जारी किये जाते हैं इन में से 60—70 फी सदी bogus होते हैं। ऐसे आदमियों को issue होते हैं जिन का कोई concern नहीं। आप इस महकमा में जाकर देखें कि किस तरह इन की भीड़ लगी हुई है। लाईनें लगी हुई हैं। लोग Minister साहिबान का नाम लेकर इन को हासिल करते हैं या उन के खास आदमियों को मिलते हैं। अफसरों के हवाले telephone पर दिये जाते हैं और यह सब मामले telephone पर ही तह कर दिये जाते हैं। Industry हो या Agriculture या कोई और महकमा हो, सब में Corruption पाई जाती है। साबुन बनाने वाले हों या कोई parts बनाने वाले मगर बात एक ही है, यह कोई न कोई corruption का रास्ता निकाल ही लेते हैं। Industries Department और Co-operation में तो यह सब को मात कर गये हैं। यह बात ठीक है कि सब में co-operation हो। यह भी co-operation ही co-operation पुकारते हैं मगर इन पर अमल नहीं होता। हमारे ज़िला की अपनी एक Co-operative Society है। इस का न कोई हिसाब किताब है और न ही कोई इस का record है। अगर आमदनी को देखा जाये तो इन की आमदन 25,000 रुपये की है मगर सब खाने पीने का मामला है। अगर किसी के भी खिलाफ हम शिकायत करें तो वह अफसरों का हवाला देता है, वजीरों का हवाला देता है और कहता है कि चंडीगढ़ जाता हूँ; सिफारशें करने वालों ने अपना ही तरीका अपना रखा है। चंडीगढ़ का नाम ले कर सब को दबाया जाता है। दुनियां भर के काम कराये जाते हैं। आप लोगों का नाम लेकर नाजायज़ फायदे उठाये जाते हैं, इन से अगर यह कह दिया जाता है तो कहते हैं कि मेरे दुश्मन भी मेरा नाम लेकर फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ का नाम लेकर और खास तौर पर कैरों साहिब का नाम लेकर वह लोगों को डराते रहते हैं और कहते हैं कि अच्छा हम चंडीगढ़ जाते हैं। यह मैं जानता हूँ कि यह बात यह कहेंगे कि यह इन की ज़िम्मेवारी नहीं हैं मगर अगर यह ऐसी बातें करते हैं तो लोग जरूर कहते हैं। यह तो state of affairs हैं इन की Administration के, अगर इस का कोई इलाज न किया गया तो यह और भी ज्यादा खराब होते चले जायेंगे। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि इस चीज़ की ज़्यादा ज़िम्मेवारी Government पर है। खास तौर पर मैं Chief Minister साहिब को मुखातिब करके कहता हूँ कि ऊपर से नीचे तक जितनी interference या मदाखलत Government affairs में खतरनाक मालूम देती है इतनी और कोई चीज़ नहीं है। रिश्वत के मुकाबला में भी मुदाखलत ज़्यादा serious और खतरनाक है। यह एक तरीका बन गया है कि जिस किसी ने भी कोई काम करवाना हो वह चिट्ठी लिखवायेगा या phone करवायेगा या कोई और तरीका अख्तियार करेगा। इस के सिवाये इनके पास और

कोई तरीका नहीं है। यह corruption ज्यादा तर ऊपर के level पर है। Ministers के दफतरों में जो भीड़ लगी रहती है यह मैं कहूँगा कि यह Government के लिये एक तरह का जहरे कातल है। यह चीज मानी हुई है कि दुनियां के जो भी democratic countries हैं वहां पर वज़ीरों के पीछे भीड़ नहीं लगी रहती। मगर यहां पर क्या हो रहा है कि वज़ीरों के पीछे दफतरों में और घरों में लोग तांते लगाते हुए चले रहते हैं। आगे आगे वज़ीर होते हैं और पीछे पीछे इन के लोगों की भीड़। ऐसा होना Government के दीवालियापन की निशानी है। Ministers के पीछे लोगों का आना ही यह काफी सबूत है कि यह Government खत्म हो चुकी है, गिर चुकी है वरना अगर ठीक तरीके पर काम चल रहा हो तो वज़ीर के पास किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। इन के पीछे अगर भीड़ है तो इस का यह मतलब नहीं कि यह कोई popularity की निशानी है। इस के लिये मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप यकीन रखिये कि जहां इतनी भीड़ हो इस के यह मायने हैं कि यह Government के दीवालियापन की निशानी है, और कोई बात नहीं है या बदइन्तज़ामी है जिस के लिये लोगों को जगह जगह दौड़े फिरना पड़ता है। बेहतर काम की यह निशानी है कि किसी आदमी को दफतर में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो सरकारी काम हों वह अपने आप ही होते चले जायें। यह जो तरीके सिफारिशों के अख्तियार किये गए हैं इस से Government के काम चलने वाले नहीं हैं। इस लिये मैं Government का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वह अपनी पालिसी को तबदील करें।

इसके अलावा जो Community Development का काम हो रहा है इस की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ क्योंकि यही एक चीज़ है जिस पर Government ने अपना सारा ज़ोर लगाया हुआ है, जिस पर कि अंधा धुंध पैसा खर्च किया जा रहा है और कहते हैं कि हम development कर रहे हैं, Blocks बना रहे हैं, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं दरअसल यह पैसे खाने का बहाना है। यह कहते हैं कि Opposition के आदमी हैं, इन्हों ने तो कहना ही है। एक और चीज़ जो, स्पीकर साहिब, आप ने देखी होगी वह यह है कि जो लोग ज्यादा सवाल करते हैं वह सब रफता रफता दरवाज़ा के करीब पहुँचते जाते हैं। इन के सामने या इस तरफ कोई भी आप को ऐसा मैम्बर नहीं मिलेगा जो कि ज्यादा सवाल करने वाला हो। ऐसा यहां का इंतज़ाम बढ़िया है कि ऐसे सभी उधर किनारों पर बैठे हुए हैं। (हँसी) (*Interruption*) Development के लिये मैं, जनाब, यह कहता हूँ कि Government ने Community Blocks के लिये जो Valuat'on Committees बनाई हुई हैं इस के मुताल्लिक मैं Government की position वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। इस committee के मुताल्लिक जो राये इन के अपने आदमियों की है वह यह है कि एक Hon'ble Member जो साध संगत Board के General Secretary भी हैं, और एक वज़ीर साहिब के खास मनज़ूरे नज़र भी हैं और इस के इलावा Chief Minister साहिब के अक्सर दायें बायें रहते हैं उन्होंने यह Community Blocks देखे हैं और इन के मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट दी है। Government ने अव्वल तो इसे अच्छी तरह से पढ़ ही लिया होगा, अगर नहीं

[पंडित श्री राम शर्मा]

पढ़ा तो मैं House की वाकफियत के लिये यह अर्ज़ कर दूं कि Valuation Committee अब तक इस नतीजा पर पहुँची है कि यह Block बिल्कुल ही bogus शकल में चल रहे हैं। इन के अन्दर इन्होंने कोई नई चीज़ पैदा नहीं की और अगर मैं ग़लती नहीं करता तो मुझे इस बात का थोड़ा बहुत अन्दाजा ज़रूर है कि Community Development Blocks अब तक बिल्कुल ना-अहल और बेमौज़ूं साबत हुए हैं। यह मैं नहीं कहता, यह तो मिनिस्टीरियल बैंचों पर के एक खास आदमी जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी रिपोर्ट है कि community development के लिये नाअहल स्टाफ की भरती होती है; ब्लाकों में मुआयना ठीक से नहीं किया जाता। देहात में अवामी ज़िन्दगी को बेहतर सतह पर लाने में कम्युनिटी डिवलपमैंट का काम बुरी तरह से नाकामयाब रहा है। और नापसन्दीदा अफसरों की भरमार है और जो चालचलन है उसकी जांच होनी चाहिये। इस में अब यह कहने की गुंजायश नहीं रहती कि यह आपोज़ीशन वालों का काम है कि नुक्ताचीनी की जाए बल्कि यह तो उन्हीं की मुकर्ररशुदा कमेटी के चेयरमैन की रिपोर्ट है। अभी सिरीचन्द जी ने फरमाया था कि यह डिवलपमैंट हो रही है, वह डिवलपमैंट हो रही है। अब इस रिपोर्ट को देख लें और समझ लें कि क्या डिवलपमैंट हो रही है। अब अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस कम्युनिटी डिवलपमैंट के काम पर चार करोड़ रुपया खर्च किया और जिस के बारे गवर्नमैंट के अपने आदमी की राय है, जिस पर कतई शक नहीं किया जा सकता तो फिर अपोज़ीशन वालों से कौन सी तारीफ सुनना चाहते हैं। सात साल के अर्से में गवर्नमैंट ने 899 लाख रुपया खर्च किया और लोगों ने 932 लाख रुपया दिया और इतना खर्च होने के बाद भी जो काम की valuation हुई वह आपके सामने है, जो पंजाब गवर्नमैंट की वैल्यूएशन कमेटी की राय है। अब मैं समझता हूँ कि इसके बाद कोई दलील या बहस की ज़रूरत नहीं रहती। और यह महकमा पंचायत कभी कभी काम का नज़र आता था जिसको कि डिवलपमैंट में डाल दिया, वह भी खराब हो गया है। मेरा ख्याल है कि पंचायतों की वजह से पार्टीबाज़ी तो पहले ही बढ़ रही थी और अब पार्टीबाज़ी के अन्दर भी बेईमानी और लूटखसोट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यह गवर्नमैंट है जो कि डिवलपमैंट के नाम पर ढोल पीटती है कि यह हो रहा है वह हो रहा है और यही नहीं, कभी रूस के प्रीमियर श्री ख्रुश्चेव को तो कभी अमेरीका के प्रेज़ीडैंट आइज़नहौवर को बुला कर डिवलपमैंट दिखाती है और कभी शाह ईरान को यह काम दिखाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस काम की डींगें तो बहुत मारी जाती हैं मगर जो कुछ हो रहा है वह इस रिपोर्ट से ज़ाहिर है और अच्छा हो कि यह रिपोर्ट भी शाया करा कर उन लोगों को भेज दी जाए और बतला दिया जाए कि हमारे यहां के लोगों की तो इसके बारे में यह राय है, तुम्हारी जो राय हो वह मुझे बतला दो।

इसके बाद मैं अब Law and Order की बात करता हूँ। यह चीफ मिनिस्टर साहिब का खास subject है। पिछले दिनों इन्होंने अदादोशुमार बता कर यह ज़ाहिर कर दिया कि डाके, चोरी, robberies यहां पर कम हो गए हैं और जो मामूली जरायम हैं उनको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि smuggling, जेबकतरी, बदचलनी या

अगवा वग़ैरह उनकी नज़र में मामूली जरायम हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अदादोशुमार गिनाने से काम नहीं चलता। हकीकत तो यह है कि law and order की हालत सुधरी नहीं है। और अभी आपकी ही पार्टी के मैम्बर साहिबान जो अदादोशुमार लिखे बैठे हैं अगर उनको मौका मिला तो बतायेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो कहा था वह सिर्फ मदारी का खेल था। जैसा उन्होंने बताया कि फलां ज़िले में इतने डाके कम हुए और फलां में इतने murders कम हुए तो क्या किसी एक दो डकैती या murders के कम हो जाने से law and order improve हो गया समझा जाएगा ? कैसी अजीब बात है। कानून और अमन की बात सिवाय चीफ मिनिस्टर के इस स्टेट में और कोई आदमी मानने के लिये तैयार नहीं है। हां, प्राइम मिनिस्टर मान सकते हैं कि यहां कानून और अमन की situation better है; और तो कोई नहीं मान सकता जो यहां पंजाब में रहता हो। न तो यहां independent tribunal है और न election में लोग अपनी सही राय दे पाते हैं क्योंकि वहां तो न जाने क्या क्या issues खड़े किए जाते हैं जिससे लोगों को पता नहीं रहता कि किसको वोट दिया जाए किसको न दिया जाए। हां, तो मेरे कहने का मकसद यह है कि यहां law and order की हालत सुधरी नहीं है। इसके बारे में चीफ मिनिस्टर से नहीं बल्कि एक औसत आदमी से पूछना चाहिये जिसे इससे रोज़मर्रा काम पड़ता है और जिसके ऊपर law and order effect करता है।

इसके बाद मैजिस्ट्रेसी और अदालतों की हालत जो यहां है वह किसी से छिपी नहीं है। यह अदालतें इस कदर नीचे दर्जे पर चली गई हैं कि किसी को उम्मीद नहीं रही कि यह ऐतबार करने के काबिल हैं भी। यानी लोगों का यकीन ही उठ गया है और पब्लिक की तो जैसी तैसी खुद मैजिस्ट्रेटों को अपने ऊपर ऐतबार नहीं है क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं कि किस वक्त इंसाफ करते वक्त कौन आदमी चंडीगढ़ से किसी की सिफारिश या हुक्म ले कर उनके पास पहुँच जाए और कहे कि मैजिस्ट्रेट साहिब इस केस का फैसला इस तरह नहीं इस तरह से करो। मैं इस कांग्रेस की ही बात करना चाहता हूँ कि जब 1885 में यह कांग्रेस कायम हुई तभी से इसने इस बात का नारा लगाया था कि judiciary और executive अलग अलग होनी चाहियें और 1885 में इसी कांग्रेस ने resolution पास किया था लेकिन अब 1960 में कैरों साहिब की गवर्नमैंट ने अपनी डिक्शनरी खोल कर judiciary और executive के मानी ही नए निकाल दिये जो दुनियां में कहीं नहीं मिलेंगे। वह क्या मायने हैं कि कुछ मैजिस्ट्रेटों को कह दें जो कि इनके मातहत हैं कि तुम अदालतों का काम करो, कुछ को कह दें कि तुम इंतज़ामिया काम करो। तो जिस बात के लिये कांग्रेस उस वक्त से पुकार पुकार कर कह रही है कि यह दोनों अलग अलग होने चाहियें उसको उन्होंने इस तरीके से अलग कर दिया कि कुछ मैजिस्ट्रेट अदालत का काम करें, कुछ डिप्टी कमिश्नर जैसा कहें उसके मुताबिक इंतज़ामियां काम करें और उनकी तरक्की और तनज़्ज़ली का काम इनके सुपुर्द हो। आज, जनाब, इंसाफ तो कोई चीज़ ही नहीं रहा। मुझे कई मैजिस्ट्रेट अंग्रेज़ों के वक्त के रिटायर्ड मिले जिनके ज़रिये मालूम हुआ कि वह आज की निस्बत बहुत independent थे। लेकिन आज कोई आदमी पंजाब के अन्दर ऐसा नहीं मिल सकता कि जो अपनी मर्ज़ी से इंसाफ कर सके क्योंकि अगर करता

[पंडित श्री राम शर्मा]

है तो जो हशर होगा उसको पता है। जब यह हालत मजेस्ट्रेटों की है तो law and order कैसे कायम होगा।

एक बात पुलिस की मैं कहना चाहूँगा कि क्या हाल है इसका। नम्बर एक : अगर आप थाने में रिपोर्ट कराने जाएं और आप मामूली आदमी हैं तब तो कोई पूछेगा ही नहीं; चाहे जितना मर्जी आप ज़ोर लगाएं लेकिन रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो सकती और कोई खासुलखास आदमी है तब भी बड़ी कोशिशों के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती और हां, अगर किसी वज़ीर या किसी खास मैम्बर के दस्तखत कराएं और फिर जाएं तो रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। और दूसरी बात यह कि पुलिस का मार-पीट का गाली-गलोच का रवैया वैसा ही बना है, इसमें कोई कमी नहीं आई। चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि उन्होंने action लिया। मुझे भी पता है कि दो तीन केसिज़ में उन्होंने ऐक्शन लिया और एक केस में एक वज़ीर की ड्यूटी लगाई थी तो उन्हें भी उस केस का तलख तजुरबा हो गया। रिश्वत की कोई कमी नहीं हुई। एक A.S.I. या S.I. जिस को आप 1½ सौ या दो सौ रुपए देते हैं क्या वह इस तरह से रह सकता है जैसे रहता है? थानों में आज कल यह हालत है कि वहां पर बग़ैर पैसे लिये Reports नहीं लिखी जातीं, और third डिगरी के methods इस्तेमाल होते हैं। मैं बहुत सी examples दे सकता हूँ लेकिन वक्त इतना नहीं है कि मैं इतनी details में जा सकूं। पुलिस की हालत यह हो गई है कि वहां पर discipline का नामोनिशान भी नहीं रहा। एक constable जो है वह थानेदार के हुक्म की भी परवाह नहीं करता। अगर कोई थानेदार उसे कुछ कहे तो वह फौरन धमकी देता है कि मैं Chandigarh में जा कर transfer करवा लूंगा। Magistrates की जो हालत है वह मैं अभी बयान कर चुका हूँ। आज पंजाब के अन्दर law and order का बहुत बुरा हाल हो चुका है। मैं Chief Minister साहिब से request करूँगा कि अगर वह कुछ काम करते हों तो उसे ज़रा छोड़ कर मेरी बातों को सुन लें। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हर District Headquarter पर कुछ आदमी political ताल्लुकात की वजह से shadow Deputy Commissioner, shadow Tahsildar और shadow Superintendent of Police बने बैठे हैं और वह officers को कहते रहते हैं और उन के लिये ऊपर से भी कहा जाता है कि अगर service में रहना है तो जो shadow men हैं उन की बातें मानते रहो। Officers के लिये उन्हों ने मुश्किल बना रखी है। मैं कहता हूँ कि इस मौजूदा वज़ारत के अन्दर हर जिले में एक D.C. और एक S.P. नहीं बल्कि उन के साथ shadow D.C. और shadow S.P. भी मुकर्रर किए हुए हैं। Corruption कम होने की बजाए उस के दरवाज़े और ज़्यादा खुल गए हैं। जब कोई Minister किसी जगह पर दौरे के लिये जाता है तो उस जगह पर corruption और बढ़ जाती है। स्पीकर साहिब, आप को सुन कर अफसोस होगा कि एक brick kiln वाले का licence इस वजह से cancel हो गया कि उस ने कायदे कानून के ख़िलाफ बातें की हुई थीं। किसी ने उस को कहा कि Chief Minister साहिब Delhi आ रहे

हैं, आप एक party arrange करें, मैं सारा काम ठीक करवा दूंगा। चुनांचि देहली के नज़दीक एक जगह थी वहां पर दावत हो गई, नाच और गाने हुए। बस फिर क्या था अगले ही दिन सब officers उस भट्ठे वाले के पास पहुँचे और कहने लगे कि अपना licence ले लो, हमें पता नहीं था कि आप इतनी approach कर सकते हैं। फिर एक जगह जमना के किनारे जलूस निकाला। वहां भी नाच गाने की हद नहीं रही। जिस आदमी ने हाथी पर बैठाया था उस के बारे में सब officers ऊपर से ले कर नीचे तक सोचने लगे कि यह आदमी इतना करामाती हो सकता है तो इस को कैसे नाराज़ किया जा सकता है। एक थानेदार ने दो trucks चावलों के पकड़े। वहां पर भी इसी तरह arrange किया गया और जलूस निकाला गया। चंद दिनों के बाद उस थानेदार के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई और वह जो trucks का मामला था वह खुर्द बुर्द हो गया। मैं Chief Minister साहिब को challenge तो नहीं कर सकता लेकिन दरखास्त करता हूँ कि उन्हें इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये। आज मामला इस हद तक पहुँच चुका है कि इस को ठीक करना बहुत लाज़मी है। Chief Minister साहिब के मुताल्लिक मेरी राए वैसी नहीं जैसा कि लोग समझते हैं। उन के अन्दर मैं समझता हूँ कुछ खूबियां भी हैं। उन के पास ज़ाती तौर पर रुपए की कमी नहीं है लेकिन जहां तक बदइन्तज़ामी का ताल्लुक है उस की कोई हद नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वह ज़ाती तौर पर अच्छे आदमी नहीं हैं। लेकिन जब लोगों की यह आम आवाज़ हो कि बेइन्साफियां हो रही हैं, corruption हो रही है तो फिर क्या उस के साथ इन का सम्बन्ध नहीं है ? आप जानते हैं कि दूसरे democratic countries के अन्दर वज़ीरों पर बाकायदा courts में मुकद्दमें नहीं चलाए जाते। इस लिये Minister साहिबान यह न समझें कि जब तक High Court या Supreme Court में उन के खिलाफ़ charges साबत न हो जाएं तब तक वह ज़िम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूँ कि उन के खिलाफ लोगों का यही कहना काफी है कि आज इस Government के अहद में कोई काम भी वग़ैर सिफारिश और रिश्वत के नहीं होता। जनता की आवाज़ कोई मामूली चीज़ नहीं होती। आज law and order की हालत बहुत खराब है। मैं जानता हूँ कि आप उट कर कह देंगे कि हमारे सूबे में U.P. से बढ़िया काम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप wind up करें अब। (The hon. Member may please wind up now.)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, House of Commons में यह तरीका है कि वहां पर Leader of the Opposition को और Prime Minister को बराबर वक्त दिया जाता है और बाकी जो Members हों उन को कुछ कम मिलता है। आप पंजाब के नाम का कुछ time काटना चाहते हैं तो काट लीजिए।

इस पंजाब के अन्दर सब से बड़ी बात यह है कि जो हमारी services हैं उन को demoralise ही नहीं बल्कि बेजान कर दिया गया है। आज उन के अन्दर dis-contentment फैली हुई है। हर वक्त Government उन्हें political purposes serve करने के लिये कायदे और कानून के खिलाफ काम करने के लिये मजबूर

[पंडित श्री राम शर्मा]

करती है। यहां पर जो काबल officers थे उन में से बहुत ज़्यादा इसी तकलीफ की वजह से बाहिर चले गए हैं और जो बाकी रहते हैं वह भी मौका मिले तो जाने के लिये तैयार हैं। आज हालत यह है कि पंजाब के अन्दर कोई भी honest और efficient officer रहना नहीं चाहता। अंग्रेज़ के राज में Government efficient थी क्योंकि वह officers के कामों में नाजायज़ मदाखलत नहीं करते थे। France में Government बदलती रहती थी लेकिन वहां की services efficient थीं। यहां पर services को यह समझा जाता है जैसे कि वह चंद आदमियों के private employees हैं। इस के लिये बहुत सी चीज़ें count करती हैं। हमें देखना चाहिये कि हम officers के साथ किस तरह बोलते हैं; उन के साथ किस तरह behave करते हैं। स्पीकर साहिब, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन तमाम खराबियों की तह में

11 a.m.

जिन का नकशा मैं ने अभी खींचा है जो बुनियादी खराबी है वह है political corruption। तीन चार साल से मैं यह बात कहता आ रहा हूँ कि political corruption बहुत बढ़ती जा रही है। मैं नहीं जानता कि यह political corruption के क्या मायने लेते हैं और बाकी लोग क्या मायने लेते हैं लेकिन मैं यह समझता हूँ कि administration से नाजायज़ काम कराना और मुफाद उठाना जिस से ताकत बनी रहे, political corruption है और यह हर शकल के अन्दर होती है। Public Service Commission के purview से services निकाल ली जाती हैं, permits, licences, कोटे और जहां तक कि arm licences political basis पर दिए जाते हैं। जब कोई सवाल पूछते हैं कि भाई कुछ बताओ तो सही कि यह arm licencses का क्या मामला है तो जवाब मिलता है कि यह बताना कि किस २ को licence दिया है public interest में नहीं है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि यह तमाम चीज़ें, गवर्नमैंट से लेने देने की इस तरह से की जा रही हैं जैसे कोई हलवाई की दुकान हो और जिस पर खुश हुए तो जो जी चाहा इनाम में दे दिया। मैं कहता हूँ कि दुकानदार भी ऐसा नहीं करता है। वह भी ठोंक बजा कर पैसे लेता है तो सौदा देता है मगर यह सारी चीज़ें बगैर देखे सुने जिस पर खुशी आ गई बांटे जा रहे हैं। आखिर यह क्या तमाशा है।

थोड़ा सा ज़िक्र मैं एक और बात का भी कर देना चाहता हूँ और वह यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने ज़िक्र किया था कि Gurdwara elections जो हुए हैं उन में politics का कोई ताल्लुक नहीं है और इनका और इनके साथियों का भी इन से कोई ताल्लुक नहीं और यह तमाम मज़हबी मामला है। मैं इस बारे में क्या कहूँ कि ताल्लुक था या नहीं मगर पंजाब के $1\frac{1}{2}$ करोड़ लोग यह जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिब, उनके वुज़रा साहिबान और उनकी पार्टी ने क्या कुछ किया। मैं ही नहीं कहता, सारी दुनिया कहती है कि Gurdwara elections मज़हबी elections नहीं थे बल्कि 101 फीसदी political elections थे। दोनों फरीक अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की दौड़ में थे कि कुछ रुपया और कुछ आदमी और एक अमीर institution हाथ आ जाए। एक वज़ीर साहिब जो बड़ी आन बान से गए बुरी तरह हारे। लेकिन अब उनको

खूब बढ़िया महकमा मिल गया है और जिस साहिब ने यह बोर्ड खड़ा किया था वह राज्य-सभा में जा रहे हैं। तो लोग यह सब कुछ देख सुन रहे हैं, किसी ने आंखें तो बन्द नहीं की हुई हैं।

आखिर में, जनाब, मैं एक बात चीफ मिनिस्टर साहिब से कह कर खत्म करता हूँ। इन्हों ने पीछे अपनी तकरीर में फरमाया था कि tribunal तो मुकर्रर नहीं करूँगा लेकिन वजारती सतह पर और ministerial level पर आपस में बैठ कर बात चीत करके अगर तसल्ली न हो तो कोई गैरजानबदार अफसर या independent tribunal मुकर्रर करके उन अलजामात की जो अपोजीशन लगाए तहकीकात करने के लिये तैयार हूँ। इन्हों ने साथ में party meeting का नाम इस लिये लिया होगा कि जो साहिबान इनकी पार्टी के होते हुए शिकायतें करते हैं, अलजामात लगाते हैं वह अन्दर पार्टी में बैठ कर बात करें। मैं नहीं कह सकता कि Editor Tribune को इस बारे में कुछ मुग़ालता हुआ है या नहीं लेकिन उन्हों ने भी यही बात समझी और लिखी जो मैं ने समझी कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा कि अपोजीशन जो अलजामात लगाए और जो शिकायतें करे उनके बारे में ministerial level पर बात करेंगे और बात करने के बाद अगर तसल्ली न हो तो एक ऐसा tribunal, जिस पर अपोजीशन को भी एतमाद हो, मुकर्रर करेंगे जो कि यह तहकीकात करे। अगर अखबार वालों ने और मैं ने भी उनकी इस तकरीर का सही मतलब समझा है तो मैं उन की इस पेशकश को मंजूर करता हूँ। मैं यह कसम नहीं खाता कि यह अलजामात सारे ग़लत हैं या सही हैं क्योंकि मेरे साथ तो कोई यह बात बीती नहीं है लेकिन हम इमानदारी से और sincerely यह महसूस करते हैं कि यहां corruption हो रही है और खराबी हो रही है जिसका कि चारों तरफ इतना शोर है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर साहिब इन तमाम शिकायतों और अलजामात की बिना पर ministerial level पर बात चीत करने और उसके बाद जैसी सूरत हो हमारी तसल्ली के मुताबिक कोई independent agency या tribunal मुकर्रर करने को तैयार हैं जो सारी तहकीकात करके report करे और उस report का हशर वही न हो जो आम तौर पर Government reports का होता है तब तो मैं अपोजीशन की तरफ से बड़ी एहसान मन्दी के साथ और बड़ी नम्रता के साथ आपकी इस पेशकश को मंजूर करता हूँ लेकिन अगर यह महज़ political propaganda है जैसा कि political लोग करते हैं. . . .

Chief Minister : I accept it. आप मुझे दो चार दिनों में सब कुछ लिख कर दे दें।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं वही कुछ करूँगा जो देशमुख साहिब प्राईम मिनिस्टर साहिब से कर रहे हैं अगर आप दिल से चाहते हैं कि यह corruption बन्द हो। लेकिन देखने में जो कुछ आ रहा है वह यह है कि party consideration की बिना पर consciously या unconsciously दिल में यह बात होती है कि परदा पड़ा रहे और कोई रास्ता निकल आए। इस लिये मैं अर्ज करूँगा कि अगर वह यह मंजूर करते हैं तो corruption के इस मामले के अन्दर अपोज़ीशन पूरा तुआवन देने के लिये तैयार है। आप ने आखिर में अपील की थी कि जब मुखालिफत के बावजूद गवर्नमैंट बहुत तरक्की

[पंडित श्री राम शर्मा]
कर रही है तो अगर आप तुआवन दें तब तो बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। हम तो तुआवन देने के लिये तैयार बैठे हैं लेकिन आप भी ज़रा, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, gangsterism के खिलाफ, जैसा कि आम लोगों की शिकायतें हैं, ज़रा हरकत में आएं और इस को कम करना शुरू कर दें और बन्द करना तो शायद अभी एक दम आपके लिये मुश्किल होगा। अपोज़ीशन आपके साथ है और हम आपको उस हद तक तुआवन देने के लिये तैयार हैं जिस हद तक democracy के अन्दर एक decent अपोज़ीशन को एक decent गवर्नमैंट को देना चाहिये। (*Cheers and thumping from the Opposition*)

Shri Dev Dutt Puri (Sadhaura): Mr. Speaker, Sir ,I have listened very carefully to the speech delivered by the hon. the Leader of the Opposition. Sir, my belief was that our Leader of the Opposition is an experienced parliamentarian and his criticism would have a bearing upon all the problems of the State, but I am sorry to say that this is not so. Even in his criticism he has conceded that this is a good budget. Probably he did not find it as good as he wanted it to be.

As a matter of fact, it is a bad budget from the point of view of finding fault with it. From that point of view, of course, it is an extremely bad budget. It does not levy any fresh tax and it has shown an unanticipated surplus. The Budget also gives some relief though it is small, but it does move in the direction of giving tax relief.

Now, Sir, 9/10th of the time taken by my hon. Friend was devoted to discussing the Law and Order in the State. Sir, Law and Order is very important and I do concede its importance ,but I think that on an occasion like this he might have expressed his views on the budgetary and taxation policy of the Government, the economic trends in the State and might have reserved this fire for the occasion when we take up General Administration and Police. The House has really missed that benefit, which I think the House should have in hearing him on the economy of the State and the taxation policy.

Sir, the brunt of the tirade is against Law and Order, for the discussion of which, as I have already submitted, other occasions would be available. This is the only fault that he seems to have found with the budget.

First of all he took up the Transport Department. Sir, I do not know where the Leader of the Opposition got mixed up with his figures. My figures show that the Department gives a return of near about 56 lakhs on a total outlay of 136 lakhs which comes to 43 per cent. Sir, if he has said that there was a case for giving relief to the passengers, reduction of fares, etc. I could have understood that. But to say that this department, which is giving 43 per cent return, is not being run properly and on economical lines,is quite contrary to the facts. Sir, he has tried to attack us at the strongest rampart of our citadel.

Then, Sir, he has delivered a tirade against the Co-operation because he does not like some of the co-operative societies as they are being run at present. His general attitude seems to be that if there is any good he finds with the province, it is inspite of the Government and whatfever bad there is, is because of the Government. This I submit, Sir, is the very negation of a constructive approach, is not like the one I had expected from the Leader of the Opposition, and more particularly from our friend, the present Leader of the Opposition.

Sir, it is really a budget, on which one cannot help congratulating the Finance Minister and the Government.

One point that the hon. the Leader of the Opposition has raised is very important. He said that in the course of the last financial year, while the production in foodgrains was going up steadily, the prices were also going up. This is a very interesting question and this is a question to which we must address ourselves very seriously, Sir, the explanation is very simple. Punjab is not a separate country. It is not an isolated State. It is not walled up on all sides. So our economy is not confined to the four walls of our State. We are a part of a country whose general economy is under pressure of inflation which is bound to effect us also in all matters whether at the foodgrains front or industrial production front. This inevitably must reflect itself in the cost of living to which the Budget Speech has rightly given so much attention. Sir, we know more and more currency is in circulation year after year and it is due to deficit financing at the Centre. It is justified for our progressing economy. Neverth less the effect is there. Even in the Budget for the year 1960-61 at the Centre they have left a gap of 153 crores uncovered; which means more inflationary pressures are in store during the next financial year. It is, therefore, necessary that every measure of taxation must be examined in the light of the question whether it would contain or add to inflationary tendencies in the country. If we do not give attention to this aspect of the question, a rise in the standard of living that our hard work and these plans might be able to bring about, may be over taken by the rise in cost of living.

I am very happy to be able to say that the present Budget, as it has been presented by the Finance Minister, in my humble opinion contributes towards stabilising the economy of the State and is by far the best budget in the life of the present Legislature. (*Cheers*)

Sir, there comes a time in all progressing countries when economies become regenerative. They generate their own growth and the rate of this growth tends to accelerate by its own momentum. I do not for a moment concede that the economy in the Punjab has already reached that stage, of being regenerative. But the budget is inevitably a step in this direction.

I would readily concede at my command that some relief has been given to the tax payer as no new tax has been levied. Sir, the break in ever increasing taxation as evinced by this Budget will take the Punjab a step forward and nearer our cherished goal.

Sir, relief has been given on the duty on self-generated electricity used by industrial concerns. It is a very welcome step and I believe it will make its own contribution towards strengthening the industry in the State. It does not go far enough. In my view, the duty on electricity should be abolished altogether.

Sir, electricity to-day is not a luxury. It is not used only by the upper classes. It is the very life breath of the community. Today electricity is used both in industry and agriculture. It is the responsibility of the Government that like God's free air, electricity should be plentiful and cheap in the State.

[Shri Dev Dutt Puri]

Sir, Industry of this State, as I have stated again and again, is highly taxed. We suffer from very many disadvantages in competing with Industry in other States. We are at one end of the country and principal raw materials come from the other end of the country. We have to incur railway freight on the principal raw materials, like coal, steel and so on. Our finished goods after meeting the local demands ha to travel back. Our Industrial products suffer from a freight disadvantage twice over. With the increase in Railway freight and the increasing cost of road transport as a result of the increased duty on Diesel Oil and Motor trucks, this disadvantage will become more and more pronounced and create further difficulties for our industrial products. Therefore, it is all the more reason that taxation relief should be given and industry should be kept in view.

Sir, the Budget Speech holds out some promise of relief in the Purchase Tax on industrial raw-materials. I sincerely trust that the hopes raised in the budget speech will materialise. I will, Sir, very briefly mention one or two instances to illustrate this point. The manufacture of shooks—packing cases—has developed sizeably in the face of enormous difficulties and disadvantages. It is heartening to know that the shooks manufactured in the Punjab rank among the best in the country and some of the biggest and most discriminating users use shooks made in the Punjab. Tata Oils, Lever Brothers, Imperial Tobacco, Bata Shoes, and other important customers purchase our shooks. The product incurs heavy freight charges and still holds its own against competition from places much nearer the consuming centres. This, Sir, is a tribute to the initiative and farsightedness of the Punjab manufacturers, particularly the refugees who run this industry almost entirely as a cottage industry on low profit margins. This tax, if continued, would drive the industry out of Punjab, if not entirely out of existence. I sincerely hope that the Finance Minister will give his earnest attention to this aspect of the matter.

There are many other welcome features of the Budget. If I were to enumerate them, I would probably have to cover the entire Budget speech. I wish some words of appreciation had fallen from the lips of the Leader of the Opposition. We are going to start an Agricultural University at Ludhiana. Thi is a step in the right direction and I believe it is a very important step. Our neighbouring State, i.e., Uttar Pradesh is also trying such an experiment. I really wish that we had taken this step much earlier. Any how, I believe that this is a step in the right direction and I sincerely hope that sufficient funds will be placed at the disposal of the University to make it a success because that is the primary need of the State.

We are going to have a new Medical College in Rohtak. This also is a step in the right direction.

Then, Sir, a Crop Insurance Scheme is going to be introduced. That is still another progressive step which is very necessary (*Cheers*). I believe that this will, if it is handled properly, ameliorate the condition of the cultivators. We will be leading the country; we will be showing the way to the other States. My only regret is that a paltry sum of Rs. 1 lakh has been provided for this purpose in the Budget. This provision, in my opinion, is wholly inadequate and may be swallowed up by preliminary expenses without providing even an humble base for creating a fund to take care of natural calamities. I, therefore, take it that this is a token provision.

Now I will come to the figures. I do not want to get lost in a forest of data. I will give a brief summary of the figures so as to bring out certain outstanding tendencies of the Budget.

The 1959-60 financial year seems to be closing in a much better shape than we thought it would at the time when the budget estimates were prepared. The year would be closing with a surplus of 572 lakhs instead of the anticipated revenue deficit of Rs. 20 lakhs. This is accounted for by an increase of Rs. 401 lakhs in revenue and reduction of Rs. 203 lakhs in expenditure.

Sir, I feel that insofar as we save in expenditure on the beneficent departments, it is not a healthy sig . This means that we have not been able to carry out the beneficent activities to the extent we could afford them or to the extent sanctioned and authorised by this House. Sir, we must be very careful in this matter. This is not a thing for which we can claim credit. However, I take heart—I am glad—to see that the 1960-61 budget attempts to take care of the past lapse by providing Rs. 21.77 crores against the current year's 17.77 crores. an increase of 23 per cent, which if carried out, would be a long step forward in our progress. I do believe that Government will be able to gear the machinery properly to utilize this money and will not come back to the House, and, again,show an un-anticipated surplus at the expense of the beneficent activities.

Sir, the Leader of the Opposition referred to the comment of the Finance Secretary in his Memorandum that it is traditional not only in Punjab but all over the country to under-estimate the income and over-estimate the expenditure. It is sound budgetary practice to be conservative in estimating revenues and liberal in estimating expenditure figures. But this conservatism can be carried too far sometimes. With due deference to our financial experts, I think that we have gone too far in this direction. For 1959-60, for instance, we under-estimated our revenue by Rs. 4 crores, which is 8 or a little less than 8 per cent and over-estimated the expenditure by Rs. 2 crores, which is nearly 4 per cent. Sir, even if half these margins are protected over the 1960-61 figures, i.e., 4 per cent increase in revenue and 2 per cent decrease in expenditure, the revenue receipts will go upto Rs. 61.77 crores and the expenditure down to Rs. 56.58 crores yielding a surplus of about Rs. 5 crores. Sir, I do believe that unless there is an unforeseen calamity, we will end the next financial year wi h a surplus of at least 4 crores, if not 5 crores. So, when I talk of increased allotment to the University and about more and more tax relief, I do so with the conviction that we can afford that comfortably.

Sir, I now turn to the Plan and I would like to make a very brief observation in this respect. The total expenditure (including Revised Estimates for 1959-60 and budgeted provision for 1960-61) that we expect to incur if we spend every penny of what we budget for 1960-61, will be 152 crores against planned figure of Rs. 162 crores. Thus, there will be a shortfall of 6 per cent which is serious enough. The break-up of this 6 per cent throws up some very startling figures. The shortfall in expenditure on industry works out to 46 per cent and on general and technical education to 22 per cent. Even on development of agriculture the shortfall is 17 per cent . This is, Sir, a very serious state of affairs and it means that the administrative machinery is not geared up or is not ready to carry out the programmes with the funds that the tax payer was going to place at its disposal to be spent in the undertakings of these development programmes.

Shri Dev Dutt Puri]

On the Chandigarh Capital Project we have spent 70 per cent in excess of the outlay. This is a serious matter because expenditure on the Capital Project is unproductive. Building up Chandigarh at the cost of agricultural and industrial development and at the cost of technical education is a retrograde step and contrary to the economic necessities of the State.

Sir, I would like to speak briefly on one or two small matters more. I must make a reference to 'State Trading'. I am not against State Trading. When State Trading is resorted to, it is to prevent the middleman playing havoc with the producer on the one hand and the consumer on the other. It is quite correct that there is no other way but to resort to State Trading. It is inevitable in those circumstances.

As you know, Sir, there is rationing of sugar. It is distributed through licensed dealers and co-operatives. But, Sir, in the fixation of price, a sizeable slice goes to the State Exchequer. I maintain that it is unjustified. One could understand Government profiting by departmental trading although even that would not be justified in necessity of life like sugar. But to raise money in the manner in which it is being raised at the expense of the consumer and without any benefit to the grower or the industry, amounts really to levying a tax without proper l gislative sanction whatever be the legal squibbles. I think, Sir, sugar is no more an article of luxury.

Mr. Speaker: Please wind up your speech.

Shri Dev Dutt Puri : Sir, before I resume my seat I want to make a brief reference to the progress that we have made on the food front. I will, Sir, compare the figures of production of some of the commodities of the year 1958-59 with the figures of 1955-56.

1958-59

Foodgrains	..	60.76 lakh tons—34 per cent over 1955-56 level.
Cotton	..	7.11 lakh bales– 18 per cent over 1955-56 level.
Sugarcane	..	7.25 lakh tons—35 per cent over 1955-56 level.
Oilseeds	..	2.22 lakh tons—50 per cent over 1955-56 level.

In the last analysis, this is the only touchstone on which the economic progress of the State can be justified. I dare say that if other States could show equal or even comparable progress, the problem of food supply in the country would be solved once and for all.

Sir, I want to say a word about our services. I maintain, Sir, that the services are the backbone of any administrative set up. So far as our services are concerned, I must pay a warm tribute to their loyalty, efficiency and mental adjustment to the changing pattern of our Society and administration.

The State has made progress. This cannot be denied. This has not been denied even by the Opposition. Our finances are sound. Our agricultural production is progressing by leaps and bounds. What greater tribute can one pay, Sir, to the Congress Party and to the robust leadership of the present Chief Minister? (*Cheers.*)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਟਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸਾਡੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 169 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ surplus ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ happy sign ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ economy shelter ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ deficit ਤੋਂ surplus ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ budget surplus ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ relief ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬੜੇ deserving cases ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਬੱਜਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ relief ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ Leader of the Opposition ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ owners ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਜਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ income ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤਕ income tax ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ facility ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ income ਘਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ land revenue ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕੁਝ surplus ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ relief ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਨਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿਸਾ contribution ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ । ਸਾਡੇ ਦੇਹਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ land revenue ਦਾ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਜਾਂ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜੋ duty ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ duty, ਜੋ ਬਿਜਲੀ agriculture ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤੀ

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]
ਜਾਏ । ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ agricultural purposes ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ duty ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਇਹ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਹੈ । Electricity duty ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ education cess ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ agricultural ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ education cess ਲਾਉਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ! ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ domestic purposes ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ domestic purposes ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ duty ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, production ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ relief ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰੀਨ ਤੇ excise duty ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪਾਵਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਚ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ duty ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਏਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪਾਵਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ duty ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ relief ਮਿਲ ਸਕੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Security of Land Tenure Bill ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ guarantee ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, rights ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਅਜ ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ tenants ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ rights ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮਗਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ Finance ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ tenants ਨੂੰ relief ਮਿਲ ਸਕੇ । ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ relief ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ sources ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ existing sources ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ । 1952 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ special assessment land revenue ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ non-agricultural purposes ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਏਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ, ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ special charges ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ charges ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਢਾਲ ਬਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ income ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ । Special assessment ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਫ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਰ ਸਾਲ 10 ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਟਾਫ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, notification ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, special assessment ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ income ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ finance ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ alcohol ਤੇ excise duty ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ । ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਈ ਲੋਕ private ਤੌਰ ਤੇ ਭਠੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ Excise Inspector ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ strict vigilance ਕਰੇ । ਮੈਂ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 5 ਜਾਂ 10 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪਕੜੀ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ finance ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ duty ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ । ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਗੈਰ duty ਤੋਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਨੂੰ Excise Department ਦੀ ਅੱਖ ਵੇਖੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਭਗਤ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ rates high ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਛ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜੇ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ sales tax ਦੀ evasion ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ sale tax ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਜੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ, ਵਹੀਆਂ ਵਿਚ entry ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ vigilance

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟ finance ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ income ਹੈ ਉਸ income ਵਿਚ ਵਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ income ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। (ਘੰਟੀ)

Sports ਦੇ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 20 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ sports ਲਈ ਡੇਢ੍ਹ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਕੀ, ਫੁਟਬਾਲ, ਕਰਿਕਟ ਲਈ ਡੇਢ੍ਹ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ। Sports ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ yacht club ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ski-ing ਲਈ ਰਕਮ ਰਖੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ski-ing ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ski-ing ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੇਢ੍ਹ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ luxuries ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ National, National ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ International Competition ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ national games ਉਪਰ, ਕਬੱਡੀ ਉਪਰ, wrestling ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ positions ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ gold medals ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। International Games ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ Crop Insurance Scheme ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ Assembly ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਉਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਕ dark ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ cautious ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ scheme ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ scheme ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ Secretariat ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ interest ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ legislators ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ 'ਪ੍ਰੇਮ' (ਰਾਜਪੁਰਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ tax ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਗਲ ਉਪਰ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ points ਬਜਟ ਵਿਚ raise ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ points ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਿ Pepsu ਦੇ ਜਿਹੜੇ employees ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ integration ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ Address ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ "with speed combined with efficiency and justice" ਹਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ exaggeration ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਨਾਂ speed ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ efficiency ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ justice ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ cases ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ integration ਵਿਚ equation with post to post ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ, equation person to person ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ senior ਆਦਮੀ junior ਹੋ ਗਏ ਹਨ। Integration cadre to cadre ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ Senior Sub-Judges, Sub-Judges ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ Head-Assistants, Assistants ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ rule ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਥੇ Adhoc basis ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ rule ਨੂੰ 90 ਤੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਮਹਿਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Pepsu ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ Advisory Committees Government of India ਨੇ Gazetted ਅਤੇ Non-Gazetted ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ accept ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਪੀਲਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, promotions ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ promotions ਰੋਕ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ records ਖਰਾਬ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ record ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ appeals ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ records ਖਰਾਬ ਹਨ।

Agrarian Reforms ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬੜੀ speed ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ 'ਪ੍ਰੇਮ']

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ speed ਦਾ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ Assemblies ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਾਰ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ implementation ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਲਗਾ ਆਮੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। Pepsu ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ Patiala Division ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, Land ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ problem ਸੀ। ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, preliminary ਗਲਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲਤ ਸਗੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਲਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ landless ਜਾਂ ਹਰੀਜਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ landless Harijans ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋਹ cottage industry, ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਦੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ cottage industry ਜਾਂ Gram Udyog ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਖੱਦਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜ ਕਰੋੜਾਂ ਗਜ਼ ਖੱਦਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(*At this stage Khan Abdul Ghaffar Khan a member of the Panel of Chairmen, occupied the chair*).

ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ credit ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ Address ਤੇ motion of thanks ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਤਨੱਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ programme ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ policy underneath ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ request ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ landless ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵਜੋਹ cottage industry ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਵਲ ਦਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਾਂ irrigation ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ irrigation ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਖੜੇ ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ hoist chamber ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਖਰਾਬੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਲੇਕਿਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ acquire ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ acquire ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਹਾਣਾ, ਹਸਾਲਾ, ਪੀਰ ਮਛਾਲਾ ਔਰ ਮਨਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ੍ਹਨ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋਹ ਦਿਲਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ individual villages ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ civilized ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ individual cases ਤਾਂ ਕੀ individual ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ Democracy ਵੱਲ ਅਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਕ dam ਬਣਾਉਣ ਦੀ provision Third Five-year Plan ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ dam ਬਨਾਉਣਾ ਬੜਾ . . . . (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼)

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਵਿਸਾਤਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ erstwhile ਕਲਸੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਛੇਰਾ ਬੱਸੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ erstwhile ਕਲਸੀਆ ਸਟੇਟ ਵੇਲੇ ਕੂਲ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ merger ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੂਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ 'ਪ੍ਰੇਮ']

ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ erstwhile ਕਲਸੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਉਹ ਆਬਿਆਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਬਿਆਨਾ ਮਾਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੂਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ refund ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਬਿਆਨਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ erstwhile ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ merger ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉ, ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ Cabinet ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ department ਦੀ ਸੀ। What a subtle distraction ? ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੈਪਸੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ Secretary ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 9 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਨੂੜ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ 15, 15 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਵੁਹੀ ਕਾਤਲ, ਵੁਹੀ ਸ਼ਾਹਦ ਵਹੀ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਠਹਿਰੇ,
ਅਕੱਰਬਾ ਮੇਰੇ ਕਰੇਂ ਕੱਤਲ ਕਾ ਦਾਵਾ ਕਿਸ ਪਰ।

ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੁਛੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ smuggling ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਫੀਮ ਦੇ smuggling ਦੇ cases ਦੀ investigation ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲੇਹਤ ਹੈ। ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਅਫੀਮ

prohibit ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ smuggling ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ agency ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਕ retired S. P. ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਫੀਮ ਦੀ smuggling ਦੇ case ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ S. P. ਨੂੰ investigate ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ efficiency ਦਾ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਉ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਅਫੀਮ ਦੀ smuggling ਦੇ case ਵਿਚ ਪਕੜੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਕਾਰ ਉਸ S. P. ਪਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ । ਉਸ S. P. ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ certificate ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ car ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਫੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਕਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇਂ chamber ਵਿਚੋਂ ਅਫੀਮ ਪਿਘਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਲਗ ਗਈ । ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਫੀਮ ਕਢ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਪਕੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ । ਇਹ ਹੈ ਹਾਲਤ ਉਸ agency ਦੀ efficiency ਦੀ ਜਿਸ ਪਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮਸਲੇਹਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਹ investigation ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ township ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ control centre ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ township ਦਾ control centre ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਉਥੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ control ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ State ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ control ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਹ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਚੁੰਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ Central Government ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗੀ ਹੋਈ । ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਉਥੋਂ ਦੇ refugee ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੁੰਗੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੁਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ agricultural produce ਤੇ ਮਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਚੁੰਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ business ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ agricultural produce ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ business ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । (ਘੰਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼) ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਉ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ । ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ।

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ 'ਪ੍ਰੇਮ']

ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ meeting ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ Board centre ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ I. A. S. ਅਫਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ grade ਦਾ ਇਕ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ township ਨੇ ਹਾਲੇ ਬੜੀ importance ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ industrial town ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਥੇ cable industry ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ foundation stone ਰਖਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ grade ਦਾ ਇਕ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਥੇ P.C.S. ਦੇ cadre ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਬਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ।

श्री चेयरमैन : एक के बाद दूसरी तो नहीं आयेगी। (I hope that after this the hon. Member will not bring any other point.)

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ 'ਪ੍ਰੇਮ' : ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਕਲ੍ਹ co-operation ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ co-operative system ਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ co-operative ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ societies ਦੇ register ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ procedure ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ defective ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ co-operative societies register ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ society register ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ co-operative societies ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Co-operative Society ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ register ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ problem ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। (ਘੰਟੀ)

12.0 noon

ਬਸ ਜੀ ਇਕ ਹੀ ਗਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। Leader of the Opposition ਦੀ ਇਹ ਗਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗਲ

ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇ । ਹੁਣ ਵੀ Leader of the Opposition ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਮੋਤਰਿਜ਼ਾ ਸੀ । ਤਾਂ Chairman ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਅਜ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ basic ਚੀਜ਼ ਦੇ against ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ democracy ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ decentralisation of power ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ centralisation of power ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ democracy ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਵਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ fascist tendency ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਸਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਬੜੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ Financial Commissioner, Commissioner, Deputy Commissioner ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ subordinates ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ । Financial Commissioner ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜ ਹੀ ਆਪਣੇ subordinate staff ਨੂੰ ਪੁਛਾਂਗਾ । ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ staff ਨੂੰ suspend ਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ Administration ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ democracy ਦਾ ਇਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । (ਘੰਟੀ)

Mr. Chairman : No more please.

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਰਲ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ Budget ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਡੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹਨ । ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ Agricultural University, Beas Project, Techno-Economic Survey ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਦੌਲਤ ਹੈ । ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ crop insurance ਦੀ scheme ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੰਗੇ features ਭੀ ਹਨ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਐਬ ਵੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਪਵਾਂਗਾ । ਇਕ ਨੁਕਸ ਜੋ ਇਸ Budget ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ beneficiary departments ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ starve ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ non-productive plans ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ Opposition ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਕ ।

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਚੀਜ਼ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸ਼ਵੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਏ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ Language Committee ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ Goodwill Committee ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੀ report ਦਿਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। Government ਨੇ development of national and regional languages ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ concerned ਇਕ party ਯਾਨੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ party ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ compulsory ਨਾ ਹੋਵੇ। Voluntarily ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ Good Will ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ report ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਰੀਹਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ natural ਅਤੇ scientific ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਆਵੇਗਾ (*interruptions*) ਇਸ language ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ Session ਵਿਚ ਬੜੇ different views ਆਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ 13 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ—ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ—ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਦੋ—ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ । ਇਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋ—ਜਹਿਦ invite ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ । ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ fight ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਰਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਤੱਈ ਗਲਤ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ । ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ਖਾਲਸਤਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੇ ਲੇਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਰੋਲ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ scientific basis ਤੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ figures ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਖ ਵਧੇਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ carve ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ dominance ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ scientific ਅਸੂਲਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ scientific ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

automatically ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਹਨ । ਇਕ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ)

ਮੈਂ ਬਜਟ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ bare outlines ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ । ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਚੰਗੇ points ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ budgeting ਦੇ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ । Plan scheme ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ Plan schemes ਤੇ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 152 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ Union Government ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖਰਚ 48 ਅਰਬ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਅਰਬ ਤਕ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ Union Government ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲਿਓਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਲ 50 ਫੀ ਸਦੀ । ਕੁਲ ਖਰਚ ਦਾ ਅੱਧਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ । ਅਸਾਡੀ speed ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ bureaucracy ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ bottlenecks ਹਨ । 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ allocation ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ lapse ਹੋ ਜਾਏਗੀ । 46 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 152 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ 66 ਕਰੋੜ ਦੇ Short fall ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ beneficiary departments ਤੇ cuts ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ starve ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । Agricultural worker ਦੀ resettlement ਲਈ 1 4

ਲਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਕ ਪਾਈ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ plans ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Agriculture ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ allocation ਵਿਚੋਂ 75 ਲਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਨਡਸਟ੍ਰੀਅਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਅਤੇ Development ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਈ allocations ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਤੇ ਲੇਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਵਧਾਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ beneficiary departments ਨੂੰ strave ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ cost ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਖਰਚ ਵਧਾਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ surplus ਦਸਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ surplus ਹੈ। 1957-58 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ anticipated surplus 2 ਕਰੋੜ 57 ਲਖ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ actual 7 ਕਰੋੜ 53 ਲਖ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ figures ਲੈ ਲਉ, ਇਸ ਵਿਚ deficit anticipate ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਕਰੋੜ 8 ਲਖ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ deficit ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ 5 ਲਖ ਦਾ surplus ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ deficit ਵਿਖਾਏ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ routine ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਤੁਸੀਂ 1958-59 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੋ, ਘਾਟਾ 208 ਲਖ ਦਾ ਦਸ ਕੇ 243 ਲਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ deficit ਵਿਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ deficit ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 32 ਲਖ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ deficit 5 ਕਰੋੜ 72 ਲਖ ਦਾ surplus ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ bad budgeting ਰਾਹੀਂ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ point ਨੂੰ ਮੈਂ amplify ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ five year plan ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜਾ huge surplus ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੋਈ 21 ਕਰੋੜ 23 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ surplus ਹੈ ਇਹ ਭੀ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ 69 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ surplus amount ਉਹ show ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ relief

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]
ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ।

श्री चेयरमैन : डाक्टर साहिब, ग्राप मेहरबानी करके बैठ जाइये । ग्राप ने बहुत वक्त ले लिया है । (The hon. Member may please resume his seat. He has already taken sufficient time.)

श्री मुलतान सिंह (घरौंडा) : चेयरमैन साहिब, चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो बजट पेश किया है इस के लिये मैं उन को वधाई देता हूँ क्योंकि partition के बाद यह सब से पहला बजट है जो surplus है । जब हम Government की Taxation ग्रौर economic policy को देखते हैं या discuss करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि ग्राया इस का ग्राम masses पर क्या ग्रसर हुग्रा है ।

ग्राप Education का मामला लें ग्राप देखेंगे कि जहां पहले सातवीं क्लास तक free education थी इस साल ग्राठवीं जमात तक free education कर दी गई है । तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिस से exploitation को खत्म किया जा सकता है । जूं जूं तालीम फैलती है exploitation खत्म होती जा रही है । इस लिये मैं सरकार को खास तौर से वधाई देता हूँ । हिन्दुस्तान में जब कि ग्रौर भी बहुत सूबे हैं लेकिन ग्रभी तक किसी सूबा ने ग्राठवीं जमात तक free education नहीं की है । इस चीज़ का पंजाब को ही फखर हासिल है ।

इस के इलावा हमारे इलाका के लिये चंद एक Demands हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं । सब से पहले तो हमारे इलाका का Agricultural problem है जो सब से ज़्यादा ज़रूरी है । इस चीज़ के लिये यहां पर कोई Agricultural Institute का खोला जाना बहुत ज़रूरी है । हरियाणा के इलाका में ना कोई Technical College है ग्रौर न ही वहां पर कोई Medical College है । ग्राज जब कि करोड़ हा रुपया इस तरह की शिक्षा के प्रबन्ध पर खर्च किया जा रहा है तो इस तरह के Colleges खोल कर सरकार को हरियाणा की Demand को पूरा करना चाहिये । यह बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब सरकार इस साल महेन्द्रगढ़ ज़िला के ग्रन्दर 30 लाख रुपया गांव की development पर खर्च कर रही है जो खर्च की जाने वाली रकम का 25 per cent है । इस के इलावा State Trading Schemes ग्रौर Crop Insurance Schemes जो हैं वह ग्रभी initial stage पर हैं । मगर जो काम भी हमारे इलाका के लिये किये जा रहे हैं इन के लिये मैं ग्रपनी सरकार को वधाई दिये वगैर नहीं रह सकता । ग्रगर यह schemes कामयाब हो जाती हैं तो इस में सारे इलाके का भला है खास तौर से small peasants का, जो कि एक ऐसी class है जो half fed ग्रौर half naked है । इस के इलावा Land Mortgage Banks ग्रौर Ware Houses Schemes की provision भी हमारे इलाका के लिये इस बजट में है ।

पिछले दिनों Hindi Regional Committee में कहा गया था कि बजट का ज़्यादा खर्च हरियाणा के इलाका में किया जा रहा है । यह ठीक है जो statement कोई

Minister इस House में दे उसे ग़लत तसव्वर नहीं करना चाहिये लेकिन इस के साथ साथ मैं चंद एक वजूहात दे सकता हूँ जिस से यह ज़ाहिर होता है कि इस इलाका को पूरा share दिया नहीं जा रहा। Services पर इस बजट का 25 फीसदी खर्च किया जाता है, अगर दोनों की services का ख्याल किया जाये तो 3 फी सदी से ज़्यादा इस Region में खर्च नहीं होता यह खास तौर से Punjabi Region पर खर्च किया जाता है। Services की आजकल यह हालत है कि हर बात में competition का सवाल है। हमारे इलाका के लोग backward हैं competition में आना इन के लिये और भी मुश्किल है। यह ज़माना competitions का है इन के लिये आयंदा और भी मुश्किल हो जायेगी। इसलिये अगर इस इलाका की तकसीम को रोकना है तो सब से पहला और अहिम सवाल यह है कि वहां के लोगों के जो जायज़ हकूक हैं वह उन को ज़रूर दिये जायें। अगर हमारा हक किसी लिहाज़ से 40 फीसदी पहुँचता है तो पूरा नहीं तो 20--25 फीसदी दे दिया जाये मगर services में हमारा यह हाल है कि हमारी position, services में 3 फीसदी से ज़्यादा नहीं है। इस इलाके का जिस तरह से ढांचा बनाया जा रहा है वह भी हम जानते हैं। आज अगर इस इलाके पर पूरा खर्च किया जाये तो यह ऊपर उठेगा। आज जो पंजाब की तकसीम की बातें होती हैं, इस के बारे में मैं अर्ज़ कर दूं कि पंजाब की तकसीम मास्टर तारा सिंह के कहने से नहीं होगी, इस की तक्सीम तब होगी जब हरियाणा का नारा लगेगा। मगर अभी तक हम ने कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। हम पंजाब के साथ रहना चाहते हैं। मैं Centre और High Command को बता देना चाहता हूँ कि अगर इस backward इलाका को ऊँचा न उठाया गया तो इस की ज़िम्मेवारी आप पर होगी, आप इस को रोक नहीं सकेंगे, हरियाणा प्रांत अलग बन जायेगा। आज अगर पंजाबी सूबे का नारा लगाया जाता है तो महज़ political concession हासिल करने के लिये लगाया जाता है, हमारे backward इलाका को और पीछे डालने के लिये लगाया जाता है। अगर आप इस इलाका को इन के पूरे हकूक दे देंगे तो यह नारा अपने आप ही ख़त्म हो जायेगा।

आप बजट उठा कर देखें कि पंजाब की जितनी Irrigation Schemes हैं इन में से इस इलाका के लिये बड़ा कम खर्च हुआ है। इस इलाका में न कोई Medical College है और ना ही कोई Agricultural College है, इस लिये इन चीज़ों को इस इलाका को देने के लिये आप ज़रूर ग़ौर करें।

जहां तक drains का ताल्लुक है इस बजट में 21 करोड़ रुपया की Schemes हैं मगर इस इलाका को उनके हिस्सा के मुताबिक share नहीं दिया गया। इस के इलावा जो initial stages की Development plans हैं वह भी इस इलाका को दी जानी चाहियें।

जो लोग यह कहते हैं कि हमारा इलाका जिस इलाका के साथ लगता है उस के साथ मिला दिया जाये, या राजस्थान के साथ मिला दिया जाये इस में कोई सचाई नहीं है They are playing to the gallaries. इस से बेहतर तो यह है कि हमारे इलाके की जो कमी है वह दूर की जाये। इस इलाके की education की ज़रूरत है इन की यह कमी पूरी की जाये। जहां आठवीं जमात तक free education करके सूबे के लोगों को satisfy किया गया है वहां मैं कहूँगा कि इस इलाका की Services को भी

[श्री मुलतान सिंह]
satisfy किया जाये । Education के महकमा में हमारी कोई नुमायंदगी नहीं है लेकिन इस के बावजूद भी इन लोगों की हमारे साथ कम अज़ कम हमदर्दी ज़रूर होनी चाहिये ।

आज अगर यह कहा जाता है कि सरकार का महकमों पर कोई effective control नहीं है या इसी तरह से Co-operative Department के मुताल्लिक कहा जाता है कि उस में scandals होते हैं, ऐसी आवाज़ें जमहूरियत के ज़माना में उठा ही करती हैं। यह भी हम नहीं कह सकते के वहां पर ग़लितयां नहीं होतीं, ग़लतियां भी होती हैं मगर उन को दूर करना हमारा फर्ज़ है। इस के साथ यह भी ज़रूरी है कि वहां पर effective control किया जाये ।

Leader of the Opposition ने इस सूबे में Law and Order की चर्चा की । Law and Order की पोज़ीशन इस सूबे में खराब नहीं है । बल्कि Law and Order की position पहले की निसबत बेहतर है। Services पर पहले Control होता था Administrators का, मगर अब Ministers का और खास तौर पर Chief Minister का control है जो कि effective control है। आज I.A.S. या I.P.S. का Services पर control नहीं है, पहले इन services की privileged position समझी जाती थी मगर आज masses की आवाज़ को भी सुना जाता है और अगर इन की आवाज़ वज़नदार हो तो privileged position वालों के खिलाफ action लिया जाता है। जहां जनता की आवाज़ होती है वहां मुखालिफत भी होती है ।

जहां तक हकूक का ताल्लुक है मैं हरियाणा के मुताल्लिक कह सकता हूँ कि इस Ministry में हमारे इलाका का Minister भी नहीं है। हमारे साथ ठीक सलूक नहीं किया जा रहा हमें हमारे हकूक मिलने चाहियें ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਨਰਲ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ development ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ development ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ Punjabi Speaking Area ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ । ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੀ development ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਹੈ ਇਸ development ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਕ ਰਾਜ਼। ਜੇ development ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ । ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਰੁਪਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਾ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ । ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ development ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ election ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸੇ issue ਉਤੇ 98 ਫੀ ਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ 22 ਫੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 45 ਫੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ 'ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਲੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ 136 ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹੈ ।

ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ । ਪਰ ਇਹ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ।

श्री चेयरमैन : इस में दशमेश दल का ज़िक है क्या ? (Has any mention of Dashmesh Dal been made in the Budget ?)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ election ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਹੀ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । Sadh Sangat Board ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ lead ਦਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ follower ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਿਖ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ]
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ character ਬਣਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ character ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣ । ਇਹ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਂ ਨਹੀਂ । ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ character ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਖ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ (*character*) ਹੈ ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ । ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਾਰ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੀ agitation ਹੋਈ ਸੀ । ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ vernacular ਪੇਪਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛਡ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਆਪ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਜੀਏ । (The hon. Member may please wind up now.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਦੇ convener ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ

ਮੂਲ ਬੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਸਾਰੀ ਸਿਖ ਕੌਮ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

श्री चेयरमैन : आप उन के लिए गद्दार का लफज इस्तेमाल कर रहे हैं फिर वह भी आप को ऐसा ही कहेंगे । (The hon. Member is using the word "traitor" for them. They may also pay him in the same coin.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਗ਼ੱਦਾਰ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ । ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਏ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਪੀ ਠੋਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ under hand means ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

चौधरी चम्बेल सिंह (बुटाना) : चेयरमैन साहिब, सब से पहले मैं Finance Minister साहिब को इस surplus budget की वधाई देता हूँ । खुशी की बात यह है कि इस साल बावजूद इस के कि बड़ी २ schemes चल रही हैं लोगों पर नए tax नहीं लगाए गए । आम तौर पर लोगों का ख्याल budget पेश होने से पहले यह होता है कि कहीं उन्हें नए taxes न देने पड़ें । मगर हमारे Finance Minister साहिब ने यह budget पेश कर के कमाल की बात की है कि इतनी बड़ी बड़ी schemes चलने के बावजूद कोई नया Tax तजवीज़ नहीं किया । पेश्तर इस के कि मैं कुछ और कहूँ मैं अपने फाजिल दोस्त सरदार हरगुरनाद सिंह की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ । उन्हों ने कहा है कि budget का बेहतरीन हिस्सा हरियाणे पर खर्च होता है । मैं इस बात को नहीं मान सकता । पता नहीं उन्होंने कैसे कह दिया है कि हरियाणे के पांच छः ज़िलों पर सारा budget खर्च कर दिया जाता है । Hariana वाले तो कहते हैं कि हमें मिलता ही कुछ नहीं है । फिर उन्हों ने कहा है कि हरियाणा के इलाके के ऊपर इसी साल ही नहीं

[चौधरी चम्बेल सिंह]

बल्कि पिछले साल भी ज़्यादा खर्च किया गया था। उन की इस बात से ज़ाहिर होता है कि उन्हों ने इस साल के budget को पढ़ा ही नहीं। करनाल के ज़िले के लिये सिवाए Drain No. 2, एक Polytechnic के जो कि नीलोखेड़ी में होगा और दो तीन मील सड़क के टुकड़े के और कुछ नज़र ही नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या करनाल हरियाणा में नहीं है। वहां पर waterlogging का मसला बहुत शिद्दत पकड़ गया है और वहां कोई Government College भी नहीं है। फिर भी कहा जा रहा है कि वहां पर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। इस किस्म की दलीलें दे कर उन्होंने कहा है कि पंजाबी सूबा बन कर रहेगा। मैं कहता हूँ कि अगर वह चाहते हैं कि पंजाब तरक्की करे तो उन्हें इस किस्म का मुतालबा नहीं करना चाहिये। अगर वह पंजाब का भला नहीं चाहते तो बेशक पंजाबी सूबे का या खालस्तान का मुतालबा करते जाएं। उस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणे वाले जो हरियाणा प्रांत मांगते हैं वह भी ग़लती पर हैं। Further division पंजाब की बहुत नुक्सानदेह होगी और शायद एक ऐसा वक्त आए कि यह सूबा ही खत्म हो जाए। इस लिये यह मुतालबा नाजायज़ है। आप को सूबे पर रहम करना चाहिये। इस को इसी तरह ही चलने दीजिए।

चेयरमैन साहिब, इस बात में शक नहीं कि हमारे सूबे की तरक्की नहीं हो रही। यह भी नहीं कहा जा सकता कि Government ग़लती नहीं करती। Government के कामों में ग़लतियां होती हैं और जहां पर democracy हो वहां तो अकसर ग़लतियां होती ही रहती हैं और उन पर एतराज़ भी होते रहते हैं। फिर वह ठीक भी होती रहती है।

दो तीन दिन हुए मुझे एक सवाल के जवाब में वज़ीर साहिब ने बताया था कि सूबे के अन्दर tube-wells और ज़्यादा नहीं लगाए जाएंगे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर waterlogging को रोकने के लिये Tube-wells लगाने ज़रूरी हैं। वहां पर irrigation purposes के लिये भी tube-wells चाहियें। पहले जो हैं वह बहुत थोड़े हैं जो कि लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। अगर Government चाहती है कि ज़्यादा अनाज पैदा हो और food problem हल हो तो फिर वहां पर tube-wells लगाने चाहियें। तीन चार साल से हमारे इलाके में एक थानेसर नहर बनी हुई है। मैं ने इस के बारे में दो दफा सवाल पूछा है। वज़ीर साहिब ने जवाब दिया था कि वह चल रही है। मैं ने उन की statement को challenge किया और कहा था कि वह papers पर ही चल रही है। वह minor अभी तक नहीं चली और जिन लोगों की ज़मीनें ली गई थीं उन को अभी तक कोई compensation नहीं दिया गया बावजूद इस बात के कि Minister साहिब ने Assurance दी थी। तो मैं अपने Irrigation Minister साहिब से दरखास्त करूँगा कि वह इस चीज़ की तरफ ध्यान दें और यह जो minor irrigation schemes हैं इन को ज़रूर ख्याल में रखें। फिर इस बजट के अन्दर एक करोड़ 83 लाख रुपया water-logging को दूर करने के लिये provide किया गया है। यह जो सेम का मसला है यह बहुत ही important मसला है और इस की तरफ फौरी तवज्जोह देने की

ज़रूरत है। सेम की बीमारी यहां तक बढ़ गई है कि आप यह सुन कर हैरान होंगे कि जिन खेतों में हम ने कभी सेम नहीं देखी थी और हम कहते थे कि क्या कभी यहां भी सेम हो सकती है वहां इस साल बहुत ज्यादा सेम नज़र आ रही है। मेरे अपने गांव में पहले यह बीमारी नहीं थी और न कभी सुनी थी लेकिन इन दो सालों में वहां बहुत ज्यादा हो गई है और लोगों की काफी ज़मीन थूर और सेम के अन्दर आ गई है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस मसले की तरफ और इस बीमारी को रोकने के लिये top priority देनी चाहिये। यह ठीक है कि तीसरे प्लान में इस काम के लिये 20 करोड़ रुपया रखा है लेकिन तीसरा प्लान तो अभी काफी देर के बाद आएगा और उस वक्त तक तो इतनी सेम आ जाएगी कि शायद गवर्नमैंट उसे control भी न कर सके। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि इस तरफ अभी फौरी तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं चन्द अल्फाज़ community development के बारे में भी कहना चाहता हूँ। मेरे साथियों ने community projects की working के बारे में कुछ एतराज़ किए हैं। लेकिन इस बात को भी माना है कि सड़कें बनी हैं, अस्पताल बने हैं, स्कूल काफी तादाद में खुले हैं, और भी कई दूसरे काम हुए हैं। तो जब वह यह चीज़ मानते हैं कि यह यह बातें हुई हैं तो उन में अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो इस पर कोई खास एतराज़ वाली बात नहीं थी। यह ठीक है कि figure work बहुत होता है और मैं भी इस बात को मानता हूँ। मैं ने पिछले साल भी एतराज़ किया था कि जितना काम show rooms में यानी दफातर में दिखाया जाता है दरअसल उतना काम देहात में नहीं हुआ है और figure work ज्यादा है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि हुआ कुछ नहीं है। हुआ ज़रूर है और कम से कम देहात के लोगों को यह एहसास तो ज़रूर हो गया है कि हकूमत हमारे लिये काफी कुछ कर रही है और करना चाहती है और अगर हम तुआवन देंगे तो और ज़्यादा काम हो सकता है। गांव की गलियां पक्की हो गई हैं और स्कूल काफी तादाद में खुल गए हैं जिस से तालीम बढ़ गई है। लेकिन मैं यह बात कहूँगा कि हमारी तालीम उन्हीं पुरानी लाइनों पर है जिसकी हम नुक्ताचीनी किया करते थे और आज भी कोई इस तरफ सही सुधार नहीं हुआ है। मैं मौजूदा तालीमी ढांचे से इत्तफाक नहीं करता। मैं इस किस्म के स्कूलों को अच्छा नहीं समझता जहां से पाई गई तालीम से practical life में कोई फायदा न हो। मैं अपनी सारी उम्र इस तालीम के काम में रहा हूँ और तकरीबन 20, 25 साल मिडल और हाई स्कूलों में हैडमास्टर रहा हूँ। मैं अपने तजरुबा की बिना पर कह सकता हूँ कि जब तक यह educational system overhaul नहीं होगा और आप इस में radical change नहीं लाएंगे तब तक इन ज़्यादा स्कूलों के खोल देने से भी कोई फायदा लोगों को नहीं होगा और यह सारा खर्च waste जाएगा। यह बड़ी अच्छी बात है कि आठवीं जमात तक full fee concession दिया जा रहा है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बात को भी नहीं ओझल किया जा सकता कि यह प्राइवेट स्कूलों के साथ जुल्म और अन्याय होगा। हमारे वज़ीरे तालीम और सारा हाउस इस बात को जानता है कि सूबा के अन्दर जो तालीम आज हम देख रहे हैं, चाहे अच्छी है या निकम्मी, वह सारी की सारी नहीं तो 50, 60 फीसदी से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की वजह से है। प्राइवेट स्कूलों की तादाद गवर्नमैंट स्कूलों से बहुत ज़्यादा है और

[चौधरी चन्द्रभान सिंह]
लड़कों की तादाद प्राइवेट स्कूलों में बहुत है। जब यह हालत है कि 70 फीसदी लड़के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो यह जो आप गवर्नमैंट स्कूलों में concession दे रहे हैं इस का क्या credit ले सकते हैं। गवर्नमैंट स्कूलों में तो बड़े अमीर लोगों के बच्चे ही जा सकते हैं या जो competition में आ सकते हैं। इस के इलावा गांव वाले कोई फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि गवर्नमैंट स्कूल शहरों में ही होते हैं। इस के अलावा मैं अर्ज़ करूँगा कि लड़कों को ऐसी तालीम देनी चाहिये जिस से वह स्कूल से निकलने के बाद अपना रोज़गार कमाने के काबिल हो सकें। हम पहले कहा करते थे कि अंग्रेज़ जो तालीम देते हैं वह सिर्फ क्लर्क पैदा करने के लिये देते हैं लेकिन अब आप क्या पैदा करने के लिये वही तालीम दे रहे हैं? वही सारा तालीमी ढांचा है, वही इम्तहान हो रहे हैं और वही सारा सिलसिला है। हां, इतना फर्क ज़रूर है कि कुछ polytechnic institutions खुली हैं। यह बड़ी अच्छी चीज़ है और हम चाहते हैं कि यह और खुलनी चाहियें।

मैं एक चीज़ और डाक्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूँ क्योंकि वह खादी ग्रामोद्योग में काफी दिलचस्पी रखते हैं। Cottage industries का शोर हम हर बजट में सुनते हैं मगर हमें नज़र नहीं आई है कि यह कहां हैं। कहते हैं कि ज़मींदारों को फालतू वक्त में काम देने के लिये cottage industries लगाई जानी चाहियें ताकि उन का मयारे ज़िन्दगी बुलन्द हो। इस में शक नहीं है कि standard of living बढ़ा है और पैदावार बढ़ी है लेकिन cottage industries जिन का इतना नाम लिया जाता है वह देहात में नज़र नहीं आती हैं। जितना रुपया है वह शहरों में खर्च होता है और जो beneficent departments का रुपया है वह ज़्यादा शहरों पर खर्च होता है और देहातों को कम मिलता है। देहातों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिये क्योंकि बेश्तर आबादी देहातों में बसती हैं। अगर वहां की तरफ ध्यान नहीं देंगे और मुनासिब रुपया बजट में देहातों के लिये नहीं रखेंगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकेगी।

बजट में यह भी कहा गया है कि class IV के employees का D.A. 62 नए पैसे से बढ़ा कर एक रुपया कर दिया है। मैं समझता हूँ कि यह कोई खास relief की बात नहीं जिस पर कि कोई खास खुशी का इज़हार किया जा सके। मैं कहता हूँ कि किसी भी छोटे मुलाज़म की तनखाह 100 रुपए से कम नहीं होनी चाहिये। आजकल के महंगे ज़माने में इस से कम रुपए से किसी सूरत में किसी का गुज़ारा नहीं हो सकता है। जब हम यह कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं और लोगों का मयारे ज़िन्दगी बढ़ा रहे हैं तो इन गरीब लोगों का भी ध्यान होना चाहिये। इस काम के लिये बेशक बड़े अफसरों की तनखाह जो ढाई तीन हज़ार रुपया लेते हैं कम कर देनी चाहिये और छोटे लोगों को relief मिलना चाहिये। अगर हम Socialistic Pattern of Society का असूल अपनाना चाहते हैं तो उस का मतलब तो यह है कि पिछड़े हुए, गरीब और कमज़ोर लोगों को ऊपर ले जाएं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इस socialist निज़ाम का शोर मचाने से लोगों की तसल्ली नहीं होगी और न कोई फायदा होगा क्योंकि practical side देखनी चाहिये कि असल में क्या हो रहा है। फिर 20 लाख रुपए की रकम Gazetted

और Non-Gazetted मुलाज़मीन को house building loan देने के लिये रखी गई है। यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि छोटे employees को यह ज़रूर मिलना चाहिये ताकि वह अपने रहने के लिये मकान तो बना सकें। बड़ों को अगर न भी मिले तो कोई एतराज़ वाली बात नहीं है क्योंकि वह तो खुद बना सकते हैं और ज़रूरत छोटों को ही होती है। और भी अच्छा हो अगर इस relief के इलावा और कुछ भी उनको दिया जाए। (घंटी) एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नमैंट अपनी आमदनी बढ़ाने के ज़राए तो सोचती है मगर खर्च पर काबू रखने वाली बात नहीं सोचती । यह ठीक है कि आमदनी बढ़ानी चाहिये क्योंकि यह जो इतने बड़े बड़े development के काम हो रहे हैं वह रुपए के बग़ैर नहीं हो सकते, लेकिन मेरी अर्ज़ यह है कि खर्च पर भी कोई check होना चाहिये। यह मेरा गिला रहा है कि जितना check expenditure पर होना चाहिये उतना हो नहीं रहा है। इसलिये सरकार को फजूल खर्चों को कम करना चाहिये। मैम्बर साहिबान पूछेंगे कि फजूल खर्च किस को कहते हैं। मैं हर उस रकम को फजूल खर्च समझता हूँ जिस के खर्च करने से जितना फायदा होना चाहिये उतना न हो यानी जिस मकसद के लिये खर्च किया जाए वह पूरा हल न हो और खर्च के मुकाबले में फायदा कम हो। अगर चार हज़ार रुपए खर्च करने के बाद एक हज़ार का फायदा हो तो यह फजूल खर्च है। (घंटी) ऐसा खर्च करना चाहिये जिस से फायदा हो। चेयरमैन साहिब, थोड़ा वक्त और मिलना चाहिये क्योंकि मैं relevant बोल रहा हूँ। एक बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे बजट में 5 लाख 81 हज़ार रुपया कुरुक्षेत्र University की building के लिये रखा गया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र मकाम के लिये... (घंटी).... अच्छा अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर बैठ जाता हूँ।

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ (ਜੈਤੋ) : ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਰਖਣੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਉਹ law and order ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਤਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਤਲ ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ fire ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੂੰ shoot ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ

[ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ]

ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ law and order ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ shoot ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ courts ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਕਰ ਗੋਲੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਚਿਆਂ ਉਪਰ ਲਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਪਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ S.P. ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆ । ਪਹਿਲੇ S.P. ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ S.S.P. ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਾਢੂ ਬਣੇ ਸਨ । ਹੋਰ ਉਸ 'ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ । ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੈਤੋ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ double murder ਹੋਇਆ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਲਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ, ਘਰ ਸੱਦ ਲਿਆ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ double murder ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਾਗਾ ਸਰਾਂ ਵਿਚ 20—25 ਕਾਤਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6—7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ । (*shame, shame*).

ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ : ਬਕਵਾਸ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : On a Point of order, Sir. ਚਾਹੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ interrupt ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ withdraw ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ । (ਆਵਾਜ਼ਾਂ : withdraw ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।)

(*At this stage there was noise in the House*)

Mr. Chairman : Order please. Why is all this noise being made? The hon. Members should listen to me.

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order. चेयरमैन साहिब, बकवास का लफ्ज parliamentary है या unparliamentary ?

Mr. Chairman : This word has already been declared unparliamentary on earlier occasions. The hon. Member, who used this word should withdraw it.

ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ : ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ withdraw ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ।

श्री सभापति : झूठ का लफ्ज़ unparliamentary है । मैं महसूस करता हूँ कि शेम शेम का नारा लगाने से हाउस का decorum कायम नहीं रह सकता । जब चीन का मामला आ जाए तब तो सब चुप के चुप रहें लेकिन जब चीफ मिनिस्टर साहिब का जिक्र आ जाये तो उस वक्त शेम शेम के नारे लगाना कोई बायसे फख़र बात नहीं । It has been observed that some hon. Members indulge in cries of 'shame, shame' on some occassions. Why is that done? If there is anything to be ashamed of it is for the whole of the State, including everybody, the hon. Members and myself. Nobody can escape from that. (The word "Jhoot" is unparliamentary. I feel that cries of shame do not help maintain the decorum of the House. It is not a matter of pride to raise cries of shame when something is said about the Chief Minister and keep mum when the issue of China is raised. It has been observed that some hon. Members indulge in cries of shame, shame on some occasions. Why is that done? If there is anything to be ashamed of, it is for the whole State, including every body, the hon. Members and myself. Nobody can escape from that.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप ने झूठ का लफ्ज़ unparliamentary declare कर दिया है । उन्हें कहें कि वापस ले लें ।

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਬਰਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ law and order ਦੀ ।

ਮੈਂ ਹੁਣ education ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹਾਂ । ਜੈਤੋ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ building ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਤੋ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ school ਦੀ building ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ evacuee property ਦੇ ਇਕ ਬੜੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਛਤ ਡਿਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗਰੀਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਈ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁਟ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੈਤੋ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ building ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । Ladies ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ backward ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ

[ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ]

ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਥਲਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ provincialise ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। Private schools ਤੇ colleges ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੁਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਚ actresses ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Cultural programmes ਤੇ dramas ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ dances ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ sports ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਉਹ Tennis, Badminton ਖੇਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਵਲ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਤਾਦਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਯਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਸਿਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜ ਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ—ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ attack ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ manners, etiquette ਜਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ educational institutions ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, Basic High School ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ Headmistress Rabinder Kaur ਨੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਢ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਕੰਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਰਵੀ ਕਾਂਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ warden ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਤੇ ਖਰਾਬ character ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਖ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਬੇਚਾਰੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਗੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੰਜ ਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਨੀ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਗੋਡਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦਸਦੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰਖਣੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਚੇਤਨ ਦੇਵ ਉਸ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਰਖਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਲੀਡਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਜਲੂਸ ਕਢੋ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੂਸ ਨੂੰ lead ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਕਿ "ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ।" ਛੇ ਘੰਟੇ ਮੁਹਿਮ ਲੜੀ।

ਐਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੋ। ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉੱਕਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ।

ਮੈਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ Gurdwara Elections ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ seats ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ bogus ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਨੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ allowance ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ Treasury ਗਈ ਤੇ ਉਥੇ Inspectors ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ S. P. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ Lady member ਜਿਹੜੀ royal family ਨੂੰ belong ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਸਨ। ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਲ 23 ਵੋਟਾਂ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ who is he, he has already voted. Why is he in the premises? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। (ਘੰਟੀ) ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ? (ਘੰਟੀ) ਇਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਓ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ ਮੋੜ ਹੈ ਖਰਾਬੜੇ, narrow, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਓਥੇ ਬੜੇ ਹੀ accidents ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਇਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਓਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜੀਪ ਉਲਟ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ policemen ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਬੜੇ ਹੀ murders, ਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, accidents ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋੜ ਚੌੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

[ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ]

ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਥੇਹ ਦੇ ਕੋਠੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਔਰ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਥੇਹ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ । ਇਕ ਅੱਡਾ ਢਿਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਪਿੰਡ ਥੇਹ ਦੇ ਕੋਠੇ ਹਨ ਓਥੇ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ । ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ।

ਬੀਬੀ ਹਰਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਜਗਰਾਓਂ): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਲਈ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ । ਏਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਓਧਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ Second Five Year Plan ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ industry ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ development ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ backward areas ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ backwrad areas ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤ ਦੀ development ਔਰ education ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਏਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ low-income houses ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੌਵਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ agriculture ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ researches ਹੋਣਗੀਆਂ । ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ efficiency ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ education ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਯੂਬ-ਵੇਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਾਰੀਗਰ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ efficiency ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਓਧਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕ ਗਿਆ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਰਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ, ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚ surplus ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੇਂਜੂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੱਗੇ ਰਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ education ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। Municipal Committees ਔਰ District Boards ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ provincialize ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਾਬਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਏਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ individual ਤਵੱਜੁਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਤਵੱਜੁਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ advertisment ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 2700 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। (The Lady Member was still in possession of the House when it adjourned.)

1.30 p.m.

(The Sabha then adjourned till 9. A..M on Thursday the 3rd March, 1960)

8786P.V.S.—349—16-7-6CC.P. & S., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

3rd March, 1960.

Vol. I No. 12

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 3rd March, 1960

CHANDIGARH :

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab

1960

Price Rs. 5.25 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 12, DATED THE 3RD MARCH, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
questions	question	Title	8
MALAKWALA	MALKWAWA	(12)5	12th from below
Vaccinators	Vaccinatiors	(12)7	7th from below
नहीं	नहा	(12)24	9th from below
ਫਰਮਾਇਆ	ਫੲਮਾਇਆ	(12)25	1
Add the word "ਹਨ" after the word "ਲੈਂਦੇ"		(12)88	last
ਕੰਮ	ਕੰਪ	(12)89	14
ਖੇਤੀ	ਖੇ ੀ	(12)89	14
ਬਣੀ	ੲਣੀ	(12)89	19
ਇਕੱਠ	ਇਕੱਠੇ	(12)89	2nd from below
1951	1251	(12)102	7
ਧੋਖਾ	ਬੋਖਾ	(12)107	26
तथा	तया	(12)108	14
नहीं	नहां	(12)108	26
Add the word "intending" after the word "Cultivators"		(12)113	Heading
ਪਿਛੜੀ	ਪਿਛੜੇ	(12)113	9th from below
evacuee lands	evacuees land	(12)115	5
मुझे	मुझ	(12)115	23, 29
खुशी	खशी	(12)115	23
बुरी	बरी	(12)115	24
ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ	ਜ਼ੰਗੀਰ ਸਿੰਘ	(12)121	6
ਭਲਾਈ	ਭਲਾਇ	(12)121	14
ਸੋਚਦੇ	ਸਚਦੇ	(12)121	11th from below
ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ	ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ	(12)122	left hand side margin
unparliamentary	unparlimentary	(12)128	4th from below
talk out	talkeout	(12)130	4

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 3rd March, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 9.00 a. m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 4849*

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि श्री मदन लाल सेठी ने अपनी शिकायत चीफ मिनिस्टर को दी या डिप्टी इन्स्पैक्टर जेनरल को दी या आई० जी० को दी ?

उप-मंत्री (श्री हरबंस लाल) : Original record तो Supreme Court में है। इस वक्त तक जो इत्तलाह मिली है वह यह है कि application I. G. को दी गई थी और रूल्ज़ के मुताबिक कंवर शमशेर सिंह जो उस वक्त Additional I. G. थे उन्हों ने उस पर आर्डर किए।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि I.G. Police ने उस शिकायत को लेने से इनकार कर दिया ?

उप-मंत्री : यह बात ग़लत है। स्पीकर साहिब, आप ने फरमाया था कि सिर्फ एक ही सवाल की इजाज़त देंगे।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब, अगर मैं ने पहले supplementaries न किए हों तो आप बेशक इजाज़त न दें। और अगर मैं ने सवाल पूछे हों और उन्हों ने जवाब दिया हो तो इन को जवाब देना चाहिये।

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस केस में किन किन अफसरों ने तफतीश की ?

उप-मंत्री : Chief Investigating Officer सरदार हरदयाल सिंह, D.S.P., C.I.D., अमृतसर थे और जहां जहां ज़रूरत महसूस हुई उन के साथ junior officers लगाए गए थे।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब, इन्हों ने फिर अधूरा जवाब दिया है। सरदार हरदयाल सिंह के साथ जो अफसर वक्तन फवक्तन लगाए गए उन का क्या क्या नाम था ?

उप-मंत्री : सरदार दरयाओ सिंह, D.I.,C.I.D., करनाल, सरदार हरजीत सिंह, D.I.,C.I.D., गुड़गांव, सरदार लाभ सिंह A.S.I., जालन्धर, सरदार अजायब सिंह, A.S.I., और सरदार प्रीतम सिंह Head Constable उन के साथ लगाए गए थे। बाद में कपूर साहिब से जो स्टेटमैंट मांगी थी वह सरदार जागीर सिंह S. P., अमृतसर ने ली थी।

**Note*.—Starred Question No 4849 along with its reply appears in the P.V.S. Debate, Vol. I No. 7 dated 4th February, 1960.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : यह तफ़तीश कब मुकम्मल हुई और चीफ मिनिस्टर साहिब के पास रिपोर्ट कब पेश हुई ?

Mr. Speaker : It is not a supplementary question.

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 4832.*

राजा रघुबीर सिंह : मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि जब इन दोनों नहरों का survey हुआ था उस वक्त इस चीज़ का पता नहीं लगा कि यहां का soil खराब है और जब पानी चलेगा तो erosion होगा ?

उप-मंत्री (चौधरी दलबीर सिंह) : वहां का soil तो defective नहीं है।

राजा रघुबीर सिंह : इस का क्या कारण है कि 31 लाख रुपया खर्च हो चुका है लेकिन estimated मिकदार पानी की अभी तक भी नहीं पहुँची ?

उप-मंत्री : इस का जवाब मैं ने कल दे दिया था।

राजा रघुबीर सिंह : इन्हों ने जवाब दिया था कि erosion होने की वजह से पानी पहुँचने में देर हो गई है। मैं पूछता हूँ कि जब सन 1952 से काम शुरू है तो पानी को मुकम्मल मिकदार में पहुँचाने के लिये क्यों नहीं कोशिश की जा रही ? इस का क्या कारण है ?

उप-मंत्री : इस का जवाब मैं ने कल detail में दे दिया था।

राजा रघुबीर सिंह : इन्हों ने फरमाया था कि चूंकि erosion बहुत होता है इस लिये पानी नहीं पहुँच रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्हों ने यह बात survey करते वक्त नहीं मालूम की ? सात साल का अरसा हो गया है और 31 लाख रुपया खर्च हो गया है।

Mr. Speaker : The hon. Member has started making a speech. He should put a direct supplementary question.

राजा रघुबीर सिंह : इन्हों ने कहा है कि erosion की वजह से पानी नहीं पहुँचता। मैं पूछना चाहता हूँ कि survey के वक्त यह चीज़ क्यों detect नहीं हुई ?

Deputy Minister: This was not my reply, Sir. जैसे कि मैं ने कल भी अर्ज़ किया था लोगों में पानी लेने के लिये enthusiasm नहीं है। वहां पर बारिश भी ज़्यादा होती है। इस लिये भी वे ज़्यादा पानी लेना पसन्द नहीं करते। फिर वे लोग खाल वगैरह भी नहीं खोदते जिन में पानी आगे जा सके। इस तरह से कई वजूहात हैं पानी न जाने की।

राजा रघुबीर सिंह : कल इन्हों ने फरमाया था कि सात साल का अरसा हो गया काम शुरू हुए और 31 लाख रुपया खर्च हो चुका है। पानी इस लिये नहीं पहुँच रहा क्योंकि erosion होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात survey के वक्त नहीं detect हो सकी ? यह रुपया और वक्त क्यों waste किया गया ?

---

* *Note*—Satrred Question No. 4832 along with its reply appears in the P. V. S. Debate Vol. I No. 11, dated 2nd March, 1960.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : यह बात किसी ने नहीं कही कि चूंकि erosion हो रहा है इस लिये पानी आगे नहीं जाता। बरसात की वजह से कूल्हों को नुकसान होता है। 1958 में भी कुछ कूल्हों को damage हुआ। एक कूल्ह को मुरम्मत भी किया जा चुका है। उस में पानी भी चल रहा है। दो कूल्हों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। वह slip की वजह से हुआ है न कि erosion के कारण हुआ है। पहाड़ी इलाकों में slips भी ज़्यादा होते हैं। लोग खाल भी नहीं खोदते। इस से water courses नहीं बनते और न ही पानी आगे चलता है।

राजा रघुवीर सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब survey किया गया तो उस वक्त जो निशान लगाए गए थे. उन को change किया गया है या नहीं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : इस के लिये अलहदा नोटिस चाहिये।

श्री राम चन्द्र कामरेड : स्पीकर साहिब, डिप्टी मिनिस्टर साहिब और राओ साहिब ने फरमाया है कि वहां पर पानी न पहुँचने की दो वजूहात हैं एक तो यह कि लोग खाल नहीं बनाते और दूसरे यह कि वहां पर बारिश ज़्यादा होती है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अगर यह हकीकत है कि वहां पर बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वहां पर नहरें खोदने की ज़रूरत ही नहीं थी तो वहां पर नहरें क्यों खोदी गईं ? और अगर बारिश कम होती थी और नहरों की ज़रूरत थी तो दूसरा सवाल यह पैदा होता है......

Mr. Speaker: It is not a supplementary question. It is a hypothetical question.

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं डिप्टी वज़ीर साहिब से यह दरियाफत करना चाहता हूँ कि सवाल के जवाब में उन्हों ने जो यह फरमाया है कि क्योंकि वहां पर बारिश ज़्यादा होती है इस लिये लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं होती, अगर यह ठीक है तो वहां पर नहर बनाने की तकलीफ ही क्यों की है ?

श्री अध्यक्ष : वज़ीर साहिब ने तो यह जवाब दिया है कि बारिश की वजह से slips हो जाती हैं और क्योंकि पहाड़ी इलाका है बारिश भी ज़्यादा होती है। फिर नई नहर है इस लिये slips तो हो ही जाती हैं। (The hon. Minister has stated that slips occur due to rainfall and since it is a hilly area, it is subject to heavy rains. Besides this, it is a new canal; the slips usually occur there.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं मिनिस्टर साहिब से यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि जो नहर सुखाहार है जिस के बारे में उन्हों ने यह फरमाया है कि लोग उस से पानी नहीं लेते, तो क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि लोग उस नहर का पानी इस लिये नहीं लेते क्योंकि उस में पानी कम होता है ? फिर मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि अगर लोग बारिश ज़्यादा होने की वजह से इस नहर का पानी नहीं लेते तो यह नहर बनाई क्यों थी ?

Mr. Speaker : I do not allow this supplementary.

श्री राम चन्द्र कामरेड : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि पिछले साल सिद्धार्थ नहर में कुछ slips हुईं तो उन से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि इस सिद्धार्थ नहर का जो पहला estimate बना था वह आठ लाख था लेकिन अब तक इस पर 30 लाख के करीब खर्च हो गया है ? अगर यह ठीक है तो इतना खर्च इस पर कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इस का जवाब original सवाल के जवाब में बता दिया गया है। (This has already been stated in the reply to the original question.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि इस नहर के बनाने का पहले शुरू में जो estimate था वह क्या था और बाद में इस पर कितना खर्च हुआ ? और अगर यह ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री: पहले estimate के मुताबिक इस पर 26 लाख के करीब खर्च होना था लेकिन 28 लाख 23 हज़ार रुपए इस पर खर्च हुए हैं।

श्री राम चन्द्र कामरेड: On a point of order, Sir. मैं challenge करता हूँ कि जो information वज़ीर साहिब ने इस बारे में दी है यह correct नहीं दी।

Mr. Speaker : Order, order.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि यह जो 26 लाख रुपए का estimate था क्या यह बिल्कुल original था या यह revise हुआ हुआ था ?

मंत्री : इस के लिये notice चाहिये।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of order जनाब, मेरा सवाल था कि उस नहर का शुरू में क्या estimate था लेकिन इस के लिये अब यह notice मांग रहे हैं और पहले ग़लत जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : इन्हों ने कह तो दिया है कि notice दे दिया जाये। इस में हर्ज ही क्या है ? (The hon. Minister has asked for fresh notice for it. What is the harm in it?)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

WATERLOGGED AREA

***4854. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total area of water logged land in the State at present;

(b) the total area of waterlogged land in the State during the year 1956-57;

(c) the extent of increase in the waterlogged area during the year 1959-60?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) According to the data collected by the Irrigation Branch in 1958, the area where the depth of the subsoil water is 5' or less, is 3,520,007 acres. Figures for 1959-60 have not yet been collected.

(b) 2,075,692 acres.

(c) Figures are not yet available.

डाक्टर परमा नन्द : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि State के कौन से ज़िले में सब से ज़्यादा area waterlogged है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो इस में पूछा ही नहीं गया । (This has not been asked in the original question.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि 1956 में कुल water-logged area 2,075,692 एकड़ था और 1958 में यह 3,520,692 एकड़ हो गया तो इतना ज़्यादा waterlogged area 1958 में क्यों हुआ है ?

Mr. Speaker : There can be no reasons for it.

SURVEY OF CHHAUNHII KHAD IN KANGRA DISTRICT

*4991. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have made any survey of the Khad Chhaunchh in tehsil Nurpur, district Kangra, and prepared any scheme for the construction of a dam with a view to avoid annual erosion of land on its banks and destruction of crops and houses and utilise the waters for Irrigation purpose?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : Yes, a preliminary survey to investigate the possibility of constructing a check dam on Chhaunchh Khad for impouding water for Irrigation purposes was carried out in June, 1958, but no suitable site for the dam was found and the proposal was dropped.

MALKWAWA KUHL IN NURPUR TEHSIL, KANGRA DISTRICT

*4992. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have received the survey report regarding the construction of Malakwal Kuhl in tehsil Nurpur, district Kangra; if so, what further action is contemplated for the execution of the said scheme?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : Yes, the scheme for construction of Malakwala Kuhl in tehsil Nurpur, district Kangra, was duly investigated but had to be abandoned due to high capital costs and running expenses involved.

The scheme was found to be wholly unproductive, hence no further action to execute the scheme is contemplated at present.

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या Deputy Minister साहिब बतलायेंगे कि unproductive से उन की क्या मुराद है ? वहां आठ हज़ार एकड़ ज़मीन पानी मिलने पर बाग़ात की शक्ल इख्तियार कर लेगी जिन से लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : आप को यह बात जान लेना चाहिये कि question hour जो है वह question hour ही होता है। The question hour is not a suggestion hour. (The hon. Member should bear in mind that a question hour is always a question hour. The question hour is not a suggestion hour.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Deputy Minister साहिब बतलायेंगे कि क्या उन को इस स्कीम पर काम शुरू हो जाने के बाद इस बात का पता चला कि यह unproductive स्कीम है या काम के शुरू होने से पहले पता लगा था ? इस चीज़ का पता कब लगा ?

उप-मंत्री : पहले इस की investigation हुई और investigation हो जाने पर पता लगा कि यह scheme un-productive है ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस स्कीम की मंज़ूरी कब हुई और कब इस बात का पता लगा कि यह scheme un-productive है और कब तहकीकात के लिये गवर्नमैंट का इरादा हुआ ?

श्री अध्यक्ष : बग़ैर survey वग़ैरा किये कैसे पता लग सकता है कि कोई स्कीम productive है या un-productive है। (Without survey etc., how can it be possible to ascertain whether a scheme will be productive or un-productive.)

पंडित श्री राम शर्मा : तो इस का मतलब हुआ कि अभी इस स्कीम का सिर्फ survey ही कराया गया है ।

श्री अध्यक्ष : जो साहिबान अपने नाम से पहले 'Comrade' का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वह अपने सवाल Assembly को भेजते समय बराये मेहरबानी अपने नाम के पीछे कामरेड लिख कर भेजा करें। (Those hon. Members, who use the word "Comrade" before their names, may kindly write it after their names, while sending their questions to the Assembly Secretariat.)

CONSTRUCTION OF SPURS AT BHADPUR AND INDORA

***4993. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it has come to the notice of the Government that for the last about five years, the Irrigation Department has been constructing the spurs at Bahadpur and Indora to save that part from erosion by floods in the river Beas;

(b) whether it is a fact that the spurs are carried away by the floods of the river each year; if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative; whether Government have enquired into the causes of this damage?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) and (b) Two spurs were constructed at Indora before the floods of 1957 and a third spur before the floods of 1958.

The down stream spur came into severe flood action in 1957 and was badly damaged. The spur was restored before the next floods but part of it was washed off. The remaining portion, however, remained in tact during the floods of 1959.

There was no damage to the upstream spur in 1957-58 but owing to the development of a deep creek and heavy river action in 1959 part of it was damaged.

The third (central) spur also came under heavy action in 1959 but it was saved.

Only one small spur was constructed at Bhadpur in 1957 and this remained in tact.

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या मैं डिप्टी वज़ीर साहिब से यह दरियाफ्त कर सकता हूँ कि यह जो information बहादरपुर के spur के मुताल्लिक इन्होंने अब दी है क्या यह इन्हों ने अपने डिपार्टमेंट से दरियाफत कर के बताई है ?

उप-मंत्री : यह जवाब महकमे की तरफ से ही आया है ।

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं डिप्टी वज़ीर साहिब से दरखास्त करता हूँ कि वह इस सवाल के जवाब के बारे में अपने महकमे से फिर तसल्ली कर के इस का जवाब फिर दें क्योंकि उन्हें यह information ठीक नहीं दी गई ।

उप-मंत्री : आप फिर सवाल कर दें, इस का फिर जवाब दे दिया जायेगा ।

DEMANDS OF THE SANITARY SUB-INSPECTORS-CUM-VACCINATORS IN THE STATE

***5089. Chaudhri Inder Singh** (asked by Dr. Bhag Singh) : Will he Chief Minister be pleased to state—

(a) whether an assurance was given on the 18th June, 1959, by the then Health Minister to Sanitary Sub-Inspectors-cum-Vaccinatiors in the State when they met him that their demands would be conceded;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the steps so far taken or proposed to be taken to implement the said assurance?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) Does not arise.

COMPLAINT AGAINST OFFICERS OF THE HEALTH DEPARTMENT

*5170. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have received any complaint about the mis-behaviour of officers in the office of the Director of Health Services, Punjab, Patiala; if so, the action, taken thereon?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes. The enquiry held in the matter has revealed that the allegations made in the complaint were incorrect. The matter has, therefore, been filed.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि enquiry किस ने की और वह इल्ज़ामात क्या थे ?

मुख्य मंत्री : यह कि वह बदसलूकी से पेश आता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : उल्लू का पठा कहता है ?

मुख्य मंत्री : लफ्ज़ तो मुझे याद नहीं मगर दिल करता था कि इस enquiry से कुछ निकले । मैं ने भी सुन रखा था कि वह mis-behave करता है मगर जिन 4 अफसरों ने शिकायत की थी उन्हों ने लिख के दे दिया कि हमें तो कुछ नहीं कहा गया ।

पंडित श्री राम शर्मा : यह बताना आप भूल गए कि enquiry किस अफसर ने की थी ?

मुख्य मंत्री : Director of Health service ने ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस मामले में उन्हें पहले ही कुछ शक था तो क्या वह इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आया यह under duress तो लिख कर नहीं दिया ?

मुख्य मंत्री : इस में आप को मदद चाहिए । आप contact कीजिए मुझे वह कुछ नहीं बतायेंगे ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करना नामुनासब होगा जिन्होंने खुद ही शिकायत कर के बाद में कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है ?

मुख्य मंत्री : मैं भी चाहता हूँ मगर helpless हूँ ।

EXEMPTIONS FROM SALES TAX AND PURCHASE TAX

*5087. **Chaudhri Inder Singh** (asked by Dr. Bhag Singh) : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to exempt the ready-made garments from the levy of Sales Tax in the State;

(b) whether Government intend to exempt raw materials from the levy of purchase tax, if so, the date from which this exemption is likely to be made effective;

(c) whether Government have received any representation from the Punjab Beopar Mandal in connection with exemptions referred to in parts (a) and (b) above, if so, when and the action taken thereon?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) No, Sir.

(b) There is no purchase tax on raw material except on some goods mentioned in Schedule 'C' appended to the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

(c) *First Part.*—Yes, Sir.

Second Part.—The representation was received on the 23rd January, 1960, and it was considered in the meeting of the State Advisory Committee of beoparies held on the 25th January, 1960, wherein it was explained to them that these proposals could not be accepted.

LOCAL BODIES MINIMUM WAGES COMMITTEE

*4924. **Shri Ram Piara** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any Local Bodies Minimum Wages Committee was constituted by the Government in the year , 1959, if so, the names of the members of the said committee and the number of meetings so far held by it;

(b) whether the said committee had made any proposals or recommendations; if so, what and the action, if any, taken or proposed to be taken by Government thereon?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) (i) Yes.

(ii) Names of members of the said Committee.—

I. *Government nominees*—

(a) The Labour Commissioner, Punjab (Chairman).

(b) Shri Prithvi Singh Azad, M.L.C., Kharar.

(c) Dr. Parma Nand, M.L.A., Panipat.

II. *Employees representatives*—

(a) Shri J. D. Bakshi, Working President, Punjab Subordinate Services Federation, Ambala Cantt.

(b) Prof. V. S. Goswami, M.A.,LL.B., President, Municipal Power House Workers Union, Simla.

(c) Shrimati Anjana Devi, Ludhiana.

(d) Comrade Piara Singh, Secretary, Punjab Trade Union, Congress, care of Yamuna Nagar Mazdoor Committee, Yamuna Nagar.

III. *Employers' representatives*—

(a) Shri Balwant Singh, Secretary, District Board, Kangra.

(b) Executive Officer, Municipal Committee, Amritsar.

[Minister for Education and Labour]

(c) Administrator, Municipal Committee, Ludhiana.

(d) Executive Officer, Municipal Committee, Sunam.

(iii) The Committee held four meetings in all.

(b) The Committee submitted its report to Government in the month of October, 1959, and notification in this regard has already been issued.

AUCTION OF LEASES OF THADOGARH AND PARBANO FORESTS NEAR KALKA

***4628. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether the auction of the lease of the Thadogarh and Parbano Forests near Kalka fixed for 20th October, 1959, was held on that day as notified—*vide* notice No. 2960, dated 15th October, 1959, issued by the Divisional Forest Officer; if not the reasons therefor;

(b) whether the forests referred to in part (a) above have been leased out by private negotiation to some contractor; if so, the reasons therefor?

Bakhshi Partap Singh (Deputy Minister) : (a) No. The auction was not held on 20th October, 1959, as notified, because on a representation from a contractor, Government had allowed him exploitation of bamboos in Thadogarh and Parwanno Forests to compensate him for the loss suffered by him on account of unforeseen natural calamity of sporadic flowering of Banoi Bargudam bamboo Forests on lease with him in the year 1958.

(b) Covered by reply to para (a) above.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ?

उप मंत्री : उस ठेकेदार ने गवर्नमैंट के पास represent किया तो उस पर गवर्नमैंट ने फैसला किया और उस तारीख को auction न हो सकी ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या यह गवर्नमैंट की policy है कि अगर किसी contractor का unforeseen वजुहात से नुकसान हो जाए तो उस की इस तरीके से मदद की जाती है ?

उप मंत्री : कुदरत और गवर्नमैंट का मुकाबला नहीं हो सकता अगर नुकसान हो तो मदद दी जाती है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : This is not a fact. इन्हों ने कहा कि अगर नुकसान हो तो मदद की जाती है but the policy of the Government is quite the reverse.

श्री अध्यक्ष : अगर आप को पता है तो आप क्यों पूछते हैं ? (If the hon. Member is in the know of it, then why does he ask for it ?)

श्री प्रबोध चन्द्र : This is a mis-statement. उस आदमी को गवर्नमेंट की policy के खिलाफ मदद क्यों दी गई ?

Mr. Speaker : When the Deputy Minister says that that is the policy of the Government, how can the hon. Member question the statement?

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब ने कभी House में बयान दिया कि पिछले से पिछले साल contractors की करोड़ों रुपए की लकड़ी बह कर पाकिस्तान चली गई। अगर ऐसा हुआ तो क्या उन contractors को मुआवज़ा दिया गया ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

Shri Parbodh Chandra : When it is the policy of the Government to Compensate for natural calamities तो मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह जो करोड़ों रुपए की लकड़ी का जिन का नुकसान हुआ क्या उन को compensation दी गई ?

उप मंत्री : इस के लिये नोटिस की ज़रूरत है। यह इस में से पैदा नहीं होता।

Shri Prabodh Chandra : Sir, may I know whether it is for the Deputy Minister to say whether a supplementary question arises out of a reply or it is for the Chair to decide that question.?

श्री अध्यक्ष : मैं ने जो पहले कह दिया वही इन्हों ने repeat कर दिया ? (He has merely repeated what I had said before.) (*laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ?

उप मंत्री : उस का नाम लछमन सिंह है।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ .... (ਹਾਸਾ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: Order please. ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ) (Order please. Is it the same hon. member who puts every question keeping gurdwaras in view ?) (*laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ . . . (*interruption*)

राजा रघुबीर सिंह : यह जो private negotiations से श्री लछमन सिंह को lease दी गई है क्या यह सिर्फ इस वजह से दी गई है कि उस को घाटा पड़ा या कोई और वजह भी थी ? (*interruptions*) यह contract किन private negotiations और considerations पर दिया गया ?

जरायत तथा जंगलात मंत्री : Private negotiations कोई नहीं हुई। उन का representation पेश हुआ कि natural calamity की वजह से नुकसान हो गया। इस लिये उसे compensate किया गया।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, it has been stated that the contract was given to him. May I know whether this contract was given by auction or through negotiations?

श्री अध्यक्ष : Open bid होती है। (The auction is done through open bidding.)

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਇਸ contract ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ private ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

Mr. Speaker : It does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਲਾਮੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि बग़ैर नीलाम के जब ठेका दिया गया और यह कहा गया कि उसे compensate करना था तो क्या इसके नफे का अन्दाज़ा लगा कर ठेका दिया गया ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया कि auction की date मुकर्रर की गई थी। इस के बाद इस आदमी की representation आई और इस representation पर यह फैसला किया गया कि कुछ अर्सा के लिये इसी पार्टी को forests lease पर दिए जाएं।

पंडित श्री राम शर्मा : सवाल यह था कि यह कहते हैं कि उसको compensate करना था क्योंकि उसका नुकसान हुआ था। तो यह नुकसान नीलामी की तारीख मुकर्रर करने से पहले या बाद में हुआ और वह किन teıms पर lease दिया गया ?

मंत्री : यह तो उसकी representation आने पर पता चला कि उसे नुकसान हुआ है और वह भी उसका कसूर नहीं था, natural calamity की वजह से हुआ और यह समझा गया कि वाकई उसका नुकसान हुआ है। इस लिये उसे ठेका दिया गया।

Mr. Speaker : I am unable to understand the public importance involved in this question.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, it involves Government property.

पंडित श्री राम शर्मा : यह कहते हैं कि बग़ैर auction के उसे forest ठेके पर दे दिया गया। तो क्या lease पर देने से पहले यह देख लिया गया था कि नुक्सान पूरा हो जाएगा या नहीं ?

मंत्री : इस बात का इतमीनान कर लिया गया था।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो private बात-चीत से ठेका दिया गया इस में 10 हज़ार की रकम offer की गई थी ?

सरदार भूपेन्द्र सिंह मान : यह कहा गया है कि उस ठेकेदार को compensate करने के लिये private negotiations के जरिये ठेका दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले साल से कितना सस्ता ठेका दिया गया ?

Mr. Speaker : This is not a relevant question.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, may I know the extent of loss in consideration of which the contract has been given to this contractor through private negotiations? May I know the profit that was expected during the last year?

Mr. Speaker : Please give a separate notice of this question.

सरदार भूपेन्द्र सिंह मान : जनाब यह सवाल इस लिये पैदा हुआ कि जब इन्होंने कहा कि unusual तौर पर नुकसान हुआ तो मैं ने यह पूछा कि नुकसान का अंदाजा क्या था। यह एक perfectly legitimate सवाल था।

Mr. Speaker . Please give a separate notice for it.

जरायत तथा जंगलात मंत्री : स्पीकर साहिब, यहां पर इसके बारे में misunderstanding डालने की कोशिश की गई है। दरअसल बात यह है कि auction की एक date मुकर्रर की गई तो इसके बाद एक representation गवर्नमेंट के पास आई और मालूम हुआ कि उस आदमी का इतना नुकसान हुआ है। उस ने लिखा कि हमारा कसूर नहीं यह नुकसान natural calamity की वजह से हुआ। इस representation पर गौर हुआ और तसदीक की गई तब यह फैसला किया गया कि इसको कुछ अर्सा के लिये ठेका दिया जाए।

सरदार भूपेन्द्र सिंह मान : क्या मैं जान सकता हूँ कि कितना नुकसान हुआ ?

मंत्री : इसके लिये आप separate notice दें।

Mr. Speaker : It cannot be expected of a Minister to come prepared with all the yearly accounts.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ?

मंत्री : उनकी तरफ से representation आने पर ही पता लगा था।

FERTILIZERS GIVEN BY GOVERNMENT

*4853. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the quantity of fertilizers given by Government annually to the farmers or the Government Farms in the State during the period from 1952-53 to 1959-60;

(b) the number of cases, if any, wherein the Government could not recover the price thereof due to the non-availability of the addresses in each of the said years?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) A statement containing the required information is laid on the Table.

(b) The information is not readily available. It will be supplied to the member concerned when the same is collected.

Statement showing the quantity of fertilizers given by Government annually to the farmers or the Government Farms in the State during the period from 1952-53 *to* 1959-60

Serial No.	Year		Nitrogenous Fertilizers (Tons)	Phosphate Fertilizers (Tons)
1	1952-53	..	4,478	..
2	1953-54	..	18,693	396
3	1954-55	..	23,762	473
4	1955-56	..	17,584	250
5	1956-57	..	29,693	447
6	1957-58	..	35,699	687
7	1958-59	..	33,096	1,098
8	1959-60 (Up to September, 1959)	..	20,157	517

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि अखबारात में जो report आई है कि 90 लाख fertilizers का scandal हुआ है और चंद अफसरान parties से मिले हुए थे, क्या यह सही है ?

उप मंत्री : अखबारात में जो reports आई हैं वह misleading हैं । जो bogus permits थे उनके मुतािल्लक investigation हो रही है । पूरी information आने पर hon. member को दी जा सकती है ।

BASIC TRAINING SCHOOLS FOR THE TRAINING OF TEACHERS

***4925. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of Government Basic Training Schools in the State at present, together with the number of units in each such school;

(b) the date when each of the said Basic Training School was started together with the number of trainees on roll in each unit of each school;

(c) the number of teachers in each of the Basic Training School in the State at present?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : The required information is laid on the table.

STATEMENT

Serial No.	Name of Government Basic Training School	Number of units allotted	Date when started	Number of trainees on roll	Number of teachers	REMARKS, IF ANY
1	2	3	4	5	6	7
1	Government Girls Normal School, Gurdaspur	2	1956	80	12	Converted into Basic Type
2	Government Basic Training School, Sarhali	2 plus 1 (two admitted in 1958, one in 1959)	14-3-58	80 in 1958 40 in 1959* *120 in all	13	
3	Government Girls High and Normal School, Jullundur	1	1956	40	2	J. B. T. Class attached to High School
4	Government Basic Training School, Dholbaha	2	March, 1955	80	7 (including Headmaster)	It was started at Gurdaspur in October, 1952, as emergency Basic Training School and later on it was shifted to Dholbaha in March, 1955
5	Government Girls High and Normal School, Hoshiarpur	1½	1956	60	2	Converted into Basic Pattern
6	Government High School, Kulu	½ plus ½	21-6-56	46	3	
7	Government Basic Training School, Hamirpur	2	25-10-56	100	10 (including Headmaster)	
8	Government Girls Basic Training School, Naura	1	1954	40	3	This School was previously run by the D. B. Jullundur and it was provincialised by Government with effect from 1st October, 1957, along with other Local Body Schools

Serial No.	Name of Government Basic Training School	Number of units allotted	Date when started	Number of trainees on roll	Number of teachers	REMARKS, IF ANY
1	2	3	4	5	6	7
9	Government Basic Training School for Girls, Dharamsala	2	1-11-56	60	10 (including Headmistress)	
10	Government High School, Ferozepur ..	1	9-10-52	40	2	Started as amergency Basic Training Class, in 1952
11	Government High School, Fazilka ..	1	1952	40	2	Ditto
12	Government Girls High and Basic Training School, Ferozepur	1	1954	40	4	Ditto
13	Government Girls High and Basic Training School, Fazilka	1	1956	40	2	Converted in the Basic Pattern
14	Government Basic Training School, Jagraon	2	1949	80	10	
15	Government Girls High School, Ludhiana	1	1955	40	3	Girls unit shifted from Jagraon
16	Government Basic Training School, Naraingarh	2	October, 1956	120	12 (including Headmaster)	
17	Government Basic Training School for Women, Chandigarh	2	March, 1957	80	13 (including Headmaster)	
18	Government Normal School, Karnal ..	3	1955	114	10 (including Headmaster)	Converted into the Basic Pattern in 1955
19	Government Girls High and Normal School, Karnal	1	1952	402	2	Ditto
20	Government High School, Dujana ..	1	1956	40	2	Started as emergency training class in 1952

21	Government Girls High and Normal School, Rohtak	1	1956	50	2	Converted into Basic Pattern
22	Government Basic Training School for Girls Rewari	2	16-11-56	60	6	
23	Government Nai Taleem Teacher Training Institute, Faridabad	2—(One for boys and 1 for (girls	...1956	40	7	Taken over from Hindustani Taleem Sangh, on 1st October, 1957
24	Government Basic Training School, Pabra	2	1950	80	6	Started as emergency Basic Training Class
25	Government Girls High School, Hissar ..	1	13-10-52	40	2	
26	Government Basic Training School, Nabha	2	August, 1953	80	9	
27	Government Junior Basic Training Institute for Men, Faridkot	2	July, 1955	80	6	
28	Government Junior Basic Training Institute, for Women, Faridkot	2	1-6-55	81	6	
29	Government Junior Basic Training Institute, Kunga Kothi (Jind)	2	August, 1952	76	9	Converted in 1955
30	State College of Education, Patiala ..	2 for Girls	1957	72	1	Other members of the College staff also take part in its training

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जिन जगहों पर students ज़्यादा हैं वहां teachers कम हैं और जहां पढ़ाने वाले ज़्यादा हैं वहां students कम हैं, इसकी क्या वजूहात हैं ?

उप मंत्री : आप किस किस स्कूल के बारे में पूछते हैं ? आप बतायें तो पता करके बता सकता हूँ ।

श्री राम प्यारा : करनाल में तीन units हैं लेकिन पढ़ने वाले कम हैं और कई जगहों में दो दो units हैं वहां पर staff ज़्यादा है । तीन units के लिये भी उतने ही teachers और दो के लिये भी उतने ही teachers रखने की वजह क्या है ?

उप मंत्री : जहां पर teachers कम हों वहां पर और भेजे जा सकते हैं ।

COMPLAINTS AGAINST LADY A. D. I. OF SCHOOLS, GURDASPUR DISTRICT

*4969. **Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether the Chief Minister received any representation regarding certain irregularities alleged to have been committed by the lady A. D. I. of Schools, district Gurdaspur; if so, when and from whom;

(b) the details of the irregularities mentioned in the said representation;

(c) whether any enquiry into the said allegations was held; if so, by whom, when and the result thereof ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Yes; complaints against the lady A. D. I.S., Gurdaspur, were received by the Chief Minister during July, 1959.

(b) (1) She drew bogus T. A. from 1st October, 1958, onwards when she took her M. A. Examination. She showed herself on tour to Batala whereas she actually was at Jullundur to take her M. A. Examination in Hindi.

(2) She placed an order for Rs 18,000 with her brother Shri Dev Raj of Dina Nagar in connection with the purchase of furniture for various schools. The furniture received was of worthless quality and did not exceed the value of Rs 9,000.

(3) She also drew bogus T. A. when she was appointed as Superintendent in Mission School, Pathankot, during April, 1959. Every day she used to come to Gurdaspur for marking certificates for Middle Standard Examination in the office of the District Inspectress of Schools, Gurdaspur.

(c) Yes, by the Inspectress of Schools, Jullundur Division, during September, 1959, and by the District Inquiries Agency during September, 1959, and October, 1959. The reports received from them are under the consideration of Government and it is not in public interest to disclose the findings arrived at therein. As an interim measure, Shrimati Bimla Beri was transferred from Gurdaspur to Dharamsala as Additional Assistant District Inspectress of Schools.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਸਵਾਲ ਦੇ part (a) ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 'from whom the representation was received' ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ?

उप मंत्री : एक social worker की तरफ से शिकायत आई है।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਜੋ action ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਣਾ public interest ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ public interest ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ?

उप मंत्री : मैं ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा।

चौधरी धर्म सिंह राठी : Deputy Minister साहिब ने बताया है कि social worker की तरफ से शिकायत आई है। तो उस worker का नाम क्या है ?

उप मंत्री : उसका ओहदा जो बता दिया गया है।

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या यह ओहदा government की तरफ से मिला हुआ है ?

उप मंत्री : लोगों की तरफ से दिया हुआ भी ओहदा ही होता है।

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह तो बतला दिया कि आदमी है। यह बताने में क्या हर्ज है कि उसका नाम क्या है ?

उप मंत्री : उस का नाम Om Parkash है।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ Deputy Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਨੇ serious charges ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ suspend ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ?

उप मंत्री : मैं ने अर्ज़ कर दिया है कि उन को transfer कर दिया गया है और बाकी action जैसा मुनासिब होगा ले लिया जाएगा।

Chief Minister : Sir, I would request you to establish a healthy convention in this respect in the House. Complaints do come and they are investigated.

When complaints under investigation are referred to on the floor of the House by way of questions and answers, the persons complained against come to know of the details of the complaints. It is desirable that this should be avoided.

I would, therefore, suggest . . . . .

Mr. Speaker : The Minister should give the reasons to the Speaker.

If the Minister concerned had made any such request, I would have given my decision.

Chief Minister : My request is that in such cases we should send the papers to you for decision as to whether the complaint should be placed on the Table of the House or not.

श्री बलराम दास टण्डन : On a point of order, Sir. मैं पूछना चाहता हूँ कि जब किसी के खिलाफ कोई charge लगाया जाता है तो क्या उस को charge-sheet नहीं दी जाती ?

श्री अध्यक्ष : Charge-sheet तो दी जाती होगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी nature की होती हैं जिन के लिये कोई ऐसा procedure बना लिया जाए तो अच्छा है। (The charge-sheet might have been given but there are certain things for which it would be better to evolve such a procedure.)

डा: बलदेव प्रकाश : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि जो अभी तक enquiry हुई है उस के मुताबिक कोई *prima facie* case establish हो चुका है ?

उप मंत्री : मैं ने पहले भी अर्ज़ की है कि इस से ज्यादा details नहीं बताई जा सकतीं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इस case में जब शिकायत ज़ेरे ग़ौर है तो transfer ही क्यों की गई है ? Suspension किन हालात में की जाती है ?

मुख्य मंत्री : कई दफा हमें यह देखना पड़ता है कि जो Report की गई है वह किस nature की है। अगर तो उस से कुछ public पर immediately असर न पड़ता हो तो हम ऐसे cases में transfer कर देते हैं और अगर किसी case में कोई बात फौरन नज़र आ जाए या यह समझा जाए कि उस को suspend न करने से enquiry पर असर पड़ेगा तो फिर हम suspend कर देते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि किसी को कांगड़ा में transfer करना light punishment देने के बराबर समझा जाता है ?

मुख्य मंत्री : हां जी, कभी ऐसा समझा जाता था। पहिले यह practice थी कि जब किसी के खिलाफ शिकायतें आती थीं तो उसे कांगड़ा या महेन्द्रगढ़ transfer कर दिया जाता था और इसे light punishment में शुमार किया जाता था।

GRANT-IN-AID TO NEW PRIVATE SCHOOLS

*5145. **Pandit Amar Nath Sharma :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to bring any new private schools in the State on the permanent grant-in-aid list; if so, the conditions, if any, prescribed for the purpose?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : Yes. Only such schools which are permanently recognised by 1st April, 1960, will be considered for the purpose.

REPRESENTATION REGARDING LAND ACQUIRED FOR BHARAT TEK KANYA PATHSHALA IN ROHTAK TOWN

*5151. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state with reference to the reply to starred question No. 4491 printed in the list of questions for 17th December, 1959, whether the decision into the matter has been taken; if so, what?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : Yes. It has been decided to find out and acquire an alternative land for the Bharat Tek Kanya Pathshala, Rohtak, which should be sufficiently cheap and also not far off from the town. If no other land is found to be available, then the land already proposed is to be acquired on certain conditions. The Deputy Commissioner, Rohtak, has been asked to implement the Government decision.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह Government की policy में शामिल है कि जो private schools हों उन के लिये भी यह ज़मीन acquire कर के देवे ?

उप मंत्री : हां जी, Government की यह policy है कि जो लोग Education के काम में सरकार का हाथ बटायें उन की जहां तक हो सके मदद की जाए ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह ज़मीन acquire करने से पहले लोगों को एतराज़ करने का मौका दिया था ?

उप मंत्री : वहां के prominent publicmen ने जब हमें कहा था तो उस वक्त तक कोई एतराज़ नहीं आया था लेकिन बाद में जब हमें मालूम हुआ कि हो सकता है इस में लोगों के साथ बेइन्साफी हो तो फिर हम ने उस कार्यवाही को रोक दिया था ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इस case में लोगों को एतराज़ देने का मौका दिया गया था ?

मुख्य मंत्री : एतराज़ तो हर वक्त किया जा सकता है । जब notification होती है तो उस वक्त भी एतराज़ आते हैं । बाकी इस case के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं कि उन को पहले मौका दिया गया था या नहीं तो उस के लिये आप notice दें ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह बात शिक्षा मंत्री जी से पूछ सकता हूँ कि क्या यह ठीक है कि यह सारे notifications बिला एतराज़ का मौका दिए साथ साथ जारी हुए ?

शिक्षा तथा श्रम मंत्री : जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि जब कुछ prominent publicmen किसी चीज़ को करने को कहते हैं कि यह बहुत जरूरी है और public interest में है और बार बार उसका तकाजा करते हैं तो उस सूरत में जल्दी में भी कोई काम करना मुनासिब होता है। इस मामला में भी बहुत से public-men की तरफ से कहा गया और काफी देर तक इस चीज़ का चर्चा चलता रहा लेकिन उस वक्त तक जब कार्यवाही की गई कोई एतराज़ नहीं आया। लेकिन जिस वक्त मालूम हुआ कि इस कार्यवाही से कुछ लोगों के साथ नाइन्साफी हुई है तो उसे फौरन रोक दिया गया।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री जी बता सकते हैं कि वह कौनसे prominent publicmen हैं जिनकी वजह से यह सारी hasty कार्यवाही की गई और किसी को एतराज़ करने का मौका तक नहीं दिया गया ?

मुख्य मंत्री : एतराज़ तो हर सूरत में आ जाते हैं। Notification एक दफा चार के तहत होता है, एक दफा 6 के तहत होता है और भी होते हैं। आखरी वक्त पर भी एतराज़ आ जाते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस खास मामला के अन्दर शिक्षा मंत्री जी तो यह कहते हैं कि जल्दी के मारे notification कर दिए और एतराज़ न लिये जा सके।

मंत्री : मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैं ने कहा है कि किसी ने एतराज़ किया नहीं है। मैं ने यह अर्ज़ किया है कि काफी देर से इस बात का चर्चा चला आ रहा था लेकिन हम ने जिस वक्त कार्यवाही की उस वक्त तक किसी का कोई एतराज़ नहीं आया। जू ही एतराज़ आया हम ने कार्यवाही रोक दी।

पंडित श्री राम शर्मा : मेरा point यह है....

श्री अध्यक्ष : वह कहते हैं कि notification किया था मगर एतराज़ नहीं आया। और आप क्या चाहते हैं ? अब छोड़ें। (The hon. Minister says that a notification was issued but no objection was received. What more does the hon. Member want to know ? He may please leave it now.)

पंडित श्री राम शर्मा : नहीं स्पीकर साहिब, यहां बात ही और है। Notifica-tions दो तरह के होते हैं। एक तो यह होता है कि हम acquire करना चाहते हैं और फिर दूसरा होता है कि हम ने acquire कर ली है। इस दरमियानी वकफा में एतराज़ देने के लिये वक्त दिया जाता है। लेकिन यहां पर तो यह हुआ है कि दोनों notifications एकदम एक ही दिन इकट्ठे जारी कर दिए कि हम acquire करना चाहते हैं और कर भी ली है।

श्री अध्यक्ष : यह तो legal interpretation की बात है मगर आपने तो हाउस में इसे बड़े लम्बे चौड़े supplementaries का मौज़ू बना लिया है। इस में

तो legality की बात है जो कि court में ले जाई जा सकती है। (This is a question of legal interpretation, but the hon. Member has made it a subject of lengthy supplementaries. It involves a legal point and it can be contested in a court of law.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : Land Acquisition Act ਦੇ ਮਾਤਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਾ ਚਾਰ ਦਾ notice ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ 6 ਦਾ notice ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਏਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਹ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਲ ਲਈ ਤਾਂ notice ਦਿਉ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਫਾ ਚਾਰ ਦਾ notification ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਫਾ 6 ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

Mr. Speaker : If there is a dispute about legal questions, it may be taken to a court of law.

Pandit Shri Ram Sharma : That is not the thing.

Mr. Speaker : It is a question of legal interpretation.

Pandit Shri Ram Sharma : No, Sir, it is not a question of legal interpretation.

श्री अध्यक्ष : आप ने question किया है और गवनमैंट ने अपना point of view दे दिया है। अगर आप कहते हैं कि notification नहीं हुआ है या कानून के मुताबिक नहीं हुआ है तो यह तो legal interpretation की बात है जिसका फैसला court ही कर सकती है। इसलिये अब छोड़ें। (The hon. Member asked a question and the Government has given its point of view. If he maintains that no notification has been issued or that it has not been issued according to law then it becomes a matter of legal interpretation which can be decided by a court. He may, therefore, leave it now.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं ने तो कोई legal बात नहीं पूछी है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि आया यह दफा 4 और दफा 6 के notifications एक ही दिन जारी हुए हैं या नहीं ?

DEVELOPMENT BLOCKS IN THE STATE

***4629. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the total number of development blocks started in the State so far and the manner in which the progress of their work is watched;

[Pandit Ram Kishan Bharolian]

(b) the total number of development blocks proposed for the State up to 1963?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) The total number of the Community Development Blocks in operation in this State upto date is 153. The progress of the work in the Blocks is watched in the following manner:—

(i) The Blocks are inspected by Sub-Divisional Officers (Civil), District Development Officers, Deputy Commissioners, Commissioners and the Officers of the Headquarters of the Community Development Organisation at the rate prescribed by Government in this behalf. The Development Commissioner and the Community Development Minister also pay periodical visits to the blocks for the same purpose.

(ii) The Deputy Commissioners, the Commissioners and the Heads of the Development Departments concerned are required to submit Reviews of the work done in the Blocks every six months or annually.

(iii) A Quarterly Progress Report on a comprehensive *pro forma* is submitted by the Blocks which is analysed and the result of the analysis conveyed to all concerned for taking appropriate action.

(b) Seventy-five.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ development block ਦੇ ਨਾਲ concerned ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਦਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬਲਾਕ visit ਕਰਨੇ ਹਨ ?

उप मंत्री : ऐसी कोई limit तो मुकरर्र नहीं है लेकिन यह ज़रूर है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाक visit करने चाहियें ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ Development Commissioner ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਤਨੇ ਬਲਾਕ visit ਕਰਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ: ਐਸਾ ਕੋਈ order ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ Evaluation Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ consider ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ rules ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1963 ਤਕ 75 ਬਲਾਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ erstwhile Pepsu Government ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੀ ਬਲਾਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ: ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

श्री बलराम दास टंडन: क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि Evaluation Committee की रिपोर्ट पर आप कब तक final action लेंगे ?

मुख्य मंत्री: यह बात पूछने वाली नहीं होती है (हंसी) ।

राजा रघुबीर सिंह : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो 75 नए ब्लाकस खोलने हैं इन से पंजाब का सारा area cover हो जाएगा ?

मंत्री : जी हां ।

श्री निहाल सिंह : यह जो 75 नए ब्लाकस खोले जाएंगे इन में से मौजूदा साल में कितने खोले जाएंगे ?

उप मंत्री : यह इस प्रकार खोले जाएंगे :

1960-61	.. 18
1961-62	.. 22
1962-63	.. 29

डाक्टर बलदेव प्रकाश : उप मंत्री जी ने बताया है कि development blocks का काम देखने के लिये मंत्री और उप मंत्री भी जाते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस साल मंत्री और उप मंत्री ने कितने blocks की जांच की है ?

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

COMPENSATION FOR LAND ACQUIRED FOR KAPURTHALA-FATTU DHINGA ROAD

2378. **Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names of land-owners of village Fattu Dhinga, district Kapurthala, whose cases are pending with the Land Acquisition Officer, Patiala, for the payment of compensation at enhanced rate for the land acquired from them for the Kapurthala-Fattu Dhinga Road;

[Sardar Atma Singh]

(b) the dates since when the cases referred to in part (a) above have been pending, and the reasons for the delay, if any, in deciding them ;

(c) the steps now being taken to decide the said cases and the time by which these are expected to be decided?

Chaudhari Suraj Mal : (a)

1. Shri Lal Chand, son of Shri Labhu Ram.
2. Shri Chuhar Mal, son of Shri Labhu Ram.
3. Shri Ishar Chand, son of Shri Mela Singh.
4. Shri Milkha Ram, son of Shri Ganda Mal.
5. Shri Ruldo, son of Shri Ganda Mal.
6. Shri Puran Singh, son of Shri Buta Singh.
7. Shri Jet Singh, son of Shri Buta Singh.
8. Shri Hazura Singh, son of Shri Sulkhan Singh.
9. Shri Bela Ram, son of Shri Chandu Mal.
10. Shri Teja Singh, son of Shri Mangal Singh.
11. Shri Jawand Singh, son of Shri Hari Singh.
12. Shri Mela Singh, son of Shri Mehar Singh.
13. Shri Kartar Singh, son of Shri Amar Singh.

(b) and (c) 9th December, 1958, in cases of items 1 to 10 above and 23rd December, 1958, in case of items Nos. 11 to 13 to (a) above. It is being investigated whether any payment was received by the parties without any protest in the first instance and immediately after this information is obtained, reference will be made to the District Judge, Kapurthala, under section 18 of the Land Acquisition Act, 1894, for decision in case payment was received by the land-owners under protest.

ARREARS OF LOCAL TAXES AGAINST GOVERNMENT SERVANTS

2380. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any taxes payable to the Municipal Committees in the State are in arrears;

(b) whether any of arrears mentioned in part (a) above are payable by Government servants; if so, the amount thereof during the last ten years, year-wise?

Shri Mohan Lal : (a) and (b) The time and expense involved in collecting the information will not be commensurate with any benefit likely to be derived from the answer.

WORK CENTRES AND VOCATIONAL TRAINING CENTRES, ETC.

2381. Shri Ram Piara : Will the Minister for Industries be pleased to state--

(a) the number of work centres, vocational centres, training centres and other such centres opened by the Industries Department in the State from 1949 to date and the names of places where each was located;

(b) the date when each of the said centres was started, the functions of each and the investment made by Government in the case of each;

(c) the number of centres referred to in part (a) above which have been closed down, sold or otherwise disposed of together with the date when this was done in each case, the amount for which it was sold or disposed of and the name of the party/parties to whom it was sold;

(d) the terms and conditions on which the said centres were sold/ disposed of;

(e) the number of centres which are at present working together with their location in each case and the details of work being done in these centres;

(f) the amount of profit or loss in the case of each of the said centres from the date when it started working up to now or the date when it was closed down/sold/or otherwise disposed of?

Shri Mohan Lal : The time and labour to be spent on the compilation of the information would not be commensurate with any benefit that is likely to accrue therefrom.

REPRESENTATIONS FROM THOSE WHO PURCHASED WORK CENTRES FROM GOVERNMENT

2382. Shri Ram Piara : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the Industries Department has received any representations from any one of those who purchased any of the work centres from the Government during the period from 1957 to date; if so, their number together with the names of the parties from whom these were received;

(b) the dates when the said representations were received, the contents thereof and the action, if any, taken thereon;

[Shri Ram Piara]

(c) whether any amount of interest outstanding against any of the said purchasers has been written off by Government; if so, how much when, and the details of such cases?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. Nineteen representations were received from M/s Panchshila Industrial Co-operative Society Ltd., New Delhi, to whom Government General Engineering and Foundary Work Centre, Panipat, was sold during the period from 1957 to date.

(b) The dates of receipt of the representations along with their contents and action taken are given as under :—

Serial No.	Date of receipt	Contents	Action taken
(i)	14-9-57	The Society asked for grant of extension of time for arranging admissibility certificates in respect of goods kept under double-lock in the factory premises	Extension of time allowed
(ii)	14-9-57	The Society wanted reconsideration of agreement terms in respect of period for charing interest	Request rejected
(iii)	5-11-57	Ditto	Ditto
(iv)	15-11-57	The Society represented for the fixation of quota for the controlled items, execution of pending orders, payment interest on the balance amount, release of goods under double-lock and in respect of sale of sheds and land	The matter regarding quota/orders is under consideration. The request for interest rejected. Goods under double-lock since released under Bank guarantee. Sale of sheds and land is under consideration
(v)	2-9-57	The Society asked for revision of terms in respect of orders pending for execution with the Work Centre at the time of sale	Rejected
(vi)	18-10-58	Representation regarding release of goods lying in double lock	Since released

Serial No.	Date of receipt	Contents	Action taken
(vii)	20-11-58	Representation regarding release of goods lying in double lock	Since released
(viii)	4-2-59	Ditto	Ditto
(ix)	2-5-59	The Society represented for adjustment of verified claims against balance sale price through R. S. C. Patiala ..	Adjustment made
(x)	6-7-59	The Society represented for refund of Rs 7,000 on account of the supplementary electric installations	The matter is under consideration of Government
(xi)	27-7-59	Ditto	Ditto
(xii)	11-8-59	The Society represented for revision of interest terms	Rejected
(xiii)	8-10-59	Ditto	Do
(xiv)	27-11-59	The Society requested for adjustment of further claims against sale price and for the finalization of the total amount inclusive of interest, due	The case is under consideration of Government
(xv)	1-12-59	Ditto	Ditto
(xvi)	7-12-59	Ditto	Ditto
(xvii)	10-12-59	Ditto	Ditto
(xviii)	23-12-59	Ditto	Ditto
(xix)	29-12-59	Ditto	Ditto

(c) No.

QUOTA OF IRON GIVEN IN AMRITSAR DISTRICT

2383. Dr. Baldev Parkash : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of persons/parties/industrial concerns with their full addresses in Amritsar District getting quotas of various types of iron since 1957 to date;

[Dr. Baldev Parkash]

(b) the quantity of quota sanctioned during the said period and the date of sanction in each case;

(c) the details of products manufactured with the quota mentioned above?

Shri Mohan Lal : The time and labour involved in collecting the information (which is going to be voluminous) is not commensurate with the object to be achieved.

INDUSTRIAL LOANS GRANTED IN AMRITSAR DISTRICT

2384. Dr. Baldev Parkash : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of Industrial concerns in Amritsar District to whom industrial loans were granted by Government since 1957, together with the amount granted in each case;

(b) whether the loanees referred to above are paying back the instalments of the loans regularly; if not, the names of the defaulters and the amount of arrears due from them;

(c) the names of the proprietors of the concerns referred to in part (a) above with full addresses?

Shri Mohan Lal : It is not in public interest to disclose the names of loanee concerns/defaulters.

ISSUING OF ARMS LICENCES IN THE STATE

2386. Shri Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the District Magistrate, Karnal, issued any arms licences during the period from January, 1956 to 31st January, 1960 without obtaining any reports from the police; if so, the reasons therefor;

(b) the total number of arms licences issued in the State, district-wise, from January, 1956 to January, 1960 in which the report of the Police Authorities concerned were not obtained together with the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon : It is not in public interest to disclose the information asked for. However, any specific case brought to the notice of Government will be duly looked into.

NUMBER OF THEFT AND BURGLARY CASES REGISTERED IN THE STATE

2388. Shri Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases of theft and burglary registered in the State in each of the Police Station during the period from 1st April, 1957 to date, Police Station-wise, together with the number of cases in which the stolen or burgled property has been recovered;

(b) the total number of cases referred to in part (a) above which have remained untraced police station-wise;

(c) the number of cases referred to above which have been put to the courts for trial?

Sardar Partap Singh Kairon: (a),(b) and (c) A statement containing the requisite information is enclosed.

N.: BThe **Unstarred** question No. 2387 and its reply received late from the **Government,** therefore, it is printed as an annexure at the end of this debate dated **3rd March,** 1960.

STATEMENT

Number of theft and burglary cases registered in the State

Police Station	(a) THE TOTAL NUMBER OF CASES OF THEFT AND BURGLARY REGISTERED IN THE STATE IN EACH OF THE POLICE STATIONS DURING THE PERIOD FROM 1ST APRIL, 1957 TO DATE, POLICE STATION-WISE, TOGETHER WITH THE NUMBER OF CASES IN WHICH THE STOLEN OR BURGLED PROPERTY HAS BEEN RECOVERED				(b) THE TOTAL NUMBER OF CASES REFERRED TO IN PART (a) ABOVE WHICH HAVE REMAINED UNTRACED POLICE STATION-WISE		(c) THE NUMBER OF CASES REFERRED TO ABOVE WHICH HAVE BEEN PUT UP TO THE COURTS FOR TRIAL	
	Number of cases registered		*Number of cases in which stolen property recovered*		*Number of cases remained untraced*		*Cases put in Court for trial*	
	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary
SANGRUR DISTRICT								
Sangrur ..	80	54	20	14	52	37	20	14
Bhawanigarh ..	44	49	12	4	29	42	12	4
Dirbha ..	16	24	5	5	10	16	5	5
Sunam ..	67	80	17	6	33	66	17	6
Longowal ..	17	27	..	9	15	14	..	9
Lehra ..	31	37	5	6	23	31	5	6
Monak ..	41	42	9	6	29	31	9	6

Narwana ..	70	66	22	10	45	53	22	10
Kalyat ..	24	39	7	6	14	31	7	6
Jind ..	66	65	28	6	33	54	28	6
Jullana ..	36	43	12	5	21	36	12	5
Safidon ..	42	36	12	6	26	26	12	6
Barnala ..	45	49	11	15	24	24	11	15
Mahal Kalan ..	11	18	2	2	8	13	2	2
Dhanaula ..	23	37	5	6	13	19	5	6
Bhadaur ..	16	11	5	2	7	6	5	2
Sehna ..	25	34	7	6	18	20	7	6
Jind GRP ..	60	2	29	..	19	2	29	..
Sangrur GRP ..	83	..	35	..	30	..	35	..
Malerkotla ..	65	62	18	18	41	40	18	18
Dhuri ..	55	34	12	6	38	27	12	6
Amargarh ..	21	26	4	3	14	21	4	3
Sherpur ..	22	29	4	6	13	23	4	6
Ahmedgarh ..	25	48	3	5	16	39	3	5
				JULLUNDUR DISTRICT				
Sadar Jullundur ..	127	122	42	16	72	92	40	21
City Jullundur ..	794	346	241	49	455	232	229	64
Cantt. Jullundur	141	40	46	8	77	26	40	7

Police Station	(a) THE TOTAL NUMBER OF CASES OF THEFT AND BURGLARY REGISTERED IN THE STATE IN EACH OF THE POLICE STATIONS DURING THE PERIOD FROM 1ST APRIL, 1957 TO DATE, POLICE STATION-WISE, TOGETHER WITH THE NUMBER OF CASES IN WHICH THE STOLEN OR BURGLED PROPERTY HAS BEEN RECOVERED				(b) THE TOTAL NUMBER OF CASES REFERRED TO IN PART (a) ABOVE WHICH HAVE REMAINED UNTRACED POLICE STATION WISE		(c) THE NUMBER OF CASES REFERRED TO ABOVE WHICH HAVE BEEN PUT UP TO THE COURTS FOR TRIAL?	
	No. of cases registered		*No. of cases in which stolen property recovered*		*No. of cases remained untraced*		*Cases put in Court for trial*	
	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary
				JULLUNDER DISTRICT—*concld*				
Kartarpur ..	55	66	22	16	29	45	21	19
Adampur ..	73	82	35	15	35	60	33	16
Banga ..	81	79	38	20	36	48	37	20
Rahon ..	56	42	26	9	25	27	25	9
Phillaur ..	74	52	23	12	46	34	23	15
Nurmahal ..	51	77	18	24	26	41	16	27
Nakodar ..	62	90	29	27	23	53	26	32
Shahkot ..	37	46	14	16	19	24	12	17
Jullundur GRP ..	262	4	141	2	106	2	141	2
				ROHTAK DISTRICT				
City Rohtak ..	122	63	66	24	41	35	64	23
Sadar Rohtak ..	36	32	14	11	24	19	14	11

Kalanaur	..	25	30	9	6	12	22	8	6
Sampla	..	38	45	14	15	22	25	11	15
Jhajjar	..	41	42	16	12	21	21	15	15
Bahadurgarh	..	56	40	24	9	25	27	22	9
Beri	..	15	18	8	5	7	10	6	5
Salhawas	..	22	27	6	7	11	18	7	8
Sonepat	..	103	71	50	32	46	31	47	34
Ghanaur	..	40	40	22	9	14	30	23	9
Meham	..	30	42	18	11	8	35	18	14
Baroda	..	17	15	6	3	5	8	7	4
					KANGRA DISTRICT				
Dharamsala	..	38	59	18	17	16	33	18	16
Shahpur	..	22	52	6	25	8	23	5	25
Kangra	..	38	63	23	15	12	42	23	15
Nurpur	..	24	35	12	7	8	22	12	7
Indaura	..	21	13	13	4	6	6	12	4
Haripur	..	16	72	4	21	8	46	4	21
Jawalamukhi	..	18	49	6	10	10	35	6	10
Hamirpur	..	30	44	18	12	10	24	18	12
Barsar	..	8	19	5	5	2	12	5	5
Palampur	..	46	75	22	27	15	35	20	25

Police Station	(a) THE TOTAL NUMBER OF CASES OF THEFT AND BURGLARY REGISTERED IN THE STATE IN EACH OF THE POLICE STATIONS DURING THE PERIOD FROM 1ST APRIL, 1957 TO DATE, POLICE STATION-WISE, TOGETHER WITH THE NUMBER OF CASES IN WHICH THE STOLEN OR BURGLED PROPERTY HAS BEEN RECOVERED				(b) THE TOTAL NUMBER OF CASES REFERRED TO IN PART (a) ABOVE WHICH HAVE REMAINED UNTRACED POLICE STATION-WISE		(c) THE NUMBER OF CASES REFERRED TO ABOVE WHICH HAVE BEEN PUT UP TO THE COURTS FOR TRIAL	
	No. of cases registered		*No. of cases in which stolen property recovered*		*No. of cases remained untraced*		*Cases put in Court for trial*	
	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary
				KANGRA DISTRICT—*concld*				
Sujanpur ..	12	14	10	3	2	8	9	3
Kulu ..	36	39	21	16	14	20	20	16
Seraj ..	6	7	2	3	1	3	2	3
				HISSAR DISTRICT				
City Hissar ..	120	66	66	37	42	21	42	21
Sadar Hissar ..	54	57	24	32	23	22	23	22
Barwala ..	34	46	21	28	9	10	9	10
Tohana ..	46	29	27	17	12	8	12	8
Hansi ..	134	109	64	56	52	41	52	41
Narnaund ..	39	55	17	35	14	17	14	17
City Bhiwani ..	57	49	21	24	33	21	33	21

Sadar Bhiwani ..	19	27	8	20	8	6	8	6
Tosham ..	17	14	6	7	10	6	10	6
Siwani ..	13	16	6	5	5	8	5	8
Loharu ..	20	12	8	7	10	1	10	1
Fatehabad ..	37	37	19	24	9	11	9	11
Ratia ..	27	17	12	9	11	6	11	6
Bahuna ..	27	24	7	18	15	4	15	4
City Sirsa ..	59	36	31	19	19	13	19	13
Sadar Sirsa ..	24	29	11	14	10	15	10	15
Rania ..	39	31	19	17	16	12	16	12
Baragudha ..	16	29	6	16	8	11	8	11
Dabwali ..	40	46	14	27	19	15	19	15
Hissar GRP ..	122	..	63	..	56	..	63	..
				BHATINDA DISTRICT				
City Bhatinda ..	69	61	25	13	25	13	38	47
Sangat ..	10	10	5	3	5	3	5	6
City Faridkot ..	28	22	14	10	14	10	11	12
Sadar Faridkot	27	21	12	9	12	9	13	11
Kot Kapura ..	31	29	12	14	12	14	17	13
Jaitu ..	22	23	5	10	5	10	14	10
Nehianwala ..	9	18	7	8	7	8	2	10

Police Station	(a) THE TOTAL NUMBER OF CASES OF THEFT AND BURGLARY REGISTERED IN THE STATE IN EACH OF THE POLICE STATIONS DURING THE PERIOD FROM 1ST APRIL, 1957 TO DATE, POLICE STATION-WISE, TOGETHER WITH THE NUMBER OF CASES IN WHICH THE STOLEN OR BURGLED PROPERTY HAS BEEN RECOVERED				(b) THE TOTAL NUMBER OF CASES REFERRED TO IN PART (a) ABOVE WHICH HAVE REMAINED UNTRACED POLICE STATION-WISE		(c) THE NUMBER OF CASES REFERRED TO ABOVE WHICH HAVE BEEN PUT UP TO THE COURTS FOR TRIAL	
	No. of cases registered		*No. of cases in which stolen property recovered*		*No. of cases remained untraced*		*Cases put in Court for trial*	
	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary
				BHATINDA DISTRICT—*concld*				
Raman ..	22	16	9	8	9	8	9	6
Kot Fatta ..	11	5	3	1	3	1	7	3
Maur ..	12	11	5	3	5	3	7	7
Mansa ..	19	29	7	13	7	13	8	13
Bhikhi ..	19	13	4	4	4	4	12	8
Baretta ..	21	17	4	2	4	2	17	14
Boha ..	6	9	3	6	3	6	3	2
Sardulgarh ..	13	11	4	2	4	2	6	9
Balianwali ..	2	3	1	1	1	1	1	2
Budhlada ..	18	17	5	2	5	2	10	12
Phul ..	12	21	5	6	5	6	4	14
Dayalpura ..	9	20	5	4	5	4	4	14

Nathana ..	12	15	6	4	6	4	6	10
Bhatinda GRP ..	111	..	50	..	48	..	50	..
				FEROZEFORE DISTRICT				
Ferozepore City..	38	31	16	10	18	20	16	11
Ferozepore Cantt	90	48	29	10	46	27	29	11
Ferozepore Sadar	61	40	18	13	37	23	18	13
Nathana ..	11	7	5	2	5	4	5	2
Mamdot ..	26	30	12	5	12	23	12	5
Ghall Khurd ..	42	25	10	7	25	14	10	7
Moga ..	92	54	44	8	35	35	44	10
Nihalsinghwala ..	16	17	6	7	9	8	6	7
Mehna ..	23	14	10	2	6	8	10	2
Baghapurana ..	33	18	13	4	15	11	13	4
Zira ..	28	27	14	5	12	16	14	6
Dharamkot ..	25	24	10	5	11	16	10	6
Makhu ..	28	10	8	2	13	7	8	2
Mallanwala ..	31	18	6	1	17	15	6	1
Muktsar ..	79	45	40	9	29	31	40	11
Kot Bhai ..	47	26	21	6	19	17	21	6
Guru Har Sahai	25	23	16	8	7	12	16	8
Jalalabad ..	32	29	16	10	14	16	16	11

Police Station	(a) The total number of cases of theft and burglary registered in the State in each of the Police Stations during the period from 1st April, 1957 to date, Police Station-wise, together with the number of cases in which the stolen or burgled property has been recovered				(b) The total number of cases referred to in Part (a) above which have remained untraced Police Station-wise		(c) The numier of cases referred to above which have been put up to the Courts for trial	
	No. of cases registered		*No. of cases in which Stolen property recovered*		*No. of cases remained untraced*		*Cases put in Court for trial*	
	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary
Fazilka City ..	24	38	12	9	12	25	12	10
Fazilka Sadar ..	31	31	20	13	7	17	20	13
Abohar ..	77	67	30	17	34	41	30	20
Khuyan Sarwar	36	31	20	9	12	18	20	9
Malout ..	26	37	16	12	16	17	26	14
Lambi ..	14	14	11	5	11	8	14	5
Ferozepore ..	79	2	35	..	25	2	35	..
PATIALA DISTRICT								
City Patiala	208	113	106	63	74	44	72	44
Civil Lines, Patiala	148	56	88	31	46	24	43	23
Sadar Patiala ..	109	53	61	36	38	12	37	11
Samana ..	50	44	24	28	21	12	20	11

Ghagga ..	43	17	12	7	26	7	24	6
City Nabha ..	25	14	7	7	11	4	8	4
Sadar Nabha ..	26	29	14	13	10	3	9	2
Bhadson ..	27	26	11	17	10	4	11	4
Julkan ..	27	21	10	12	13	7	13	7
Banur ..	33	27	18	20	8	2	9	2
Dera Bassi ..	11	11	5	6	3	3	2	3
Ghanaur ..	16	15	6	10	7	3	7	3
Rajpura ..	92	79	44	53	39	16	37	15
Lalroo ..	13	9	5	6	4	1	4	1
Sirhind ..	48	18	24	11	18	6	18	6
Bassi ..	26	13	11	8	14	4	12	3
Amloh ..	36	46	23	36	6	4	6	4
Mulepore ..	20	13	9	10	6	3	6	3
Payal ..	52	50	29	39	17	8	7	8
				HOSHIARPUR DISTRICT				
City Hoshiarpur	131	70	63	24	57	44	62	23
Sadar Hoshiarpur	64	83	24	15	34	60	23	16
Hariana ..	76	104	25	18	41	79	23	17
Tanda ..	48	83	21	22	22	53	19	18
Dasuya ..	45	45	24	14	19	28	24	13
Mukerian ..	24	62	15	23	9	31	15	16

Police Station	(a) The Total number of cases of Theft and Burglary registered in the State in each of the Police Stations during the period from 1st April, 1957 to date, Police Station-wise, together with the number of cases in which the Stolen or Burgled Property has been recovered				(b) The Total number of cases referred to in Part (a) above which have remained untraced Police Station-wise		(c) The number of cases referred to above which have been put up to the Courts for Trial	
	No. of cases registered		*No. of cases in which Stolen property recovered*		*No. of cases remained untraced*		*Cases put in Court for trial*	
	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary
Hajipur ..	21	27	9	8	12	19	9	8
Amb ..	33	53	20	3	11	39	20	6
Una ..	41	27	26	4	12	17	24	5
Anandpur Sahib	83	57	46	26	34	25	44	29
Nurpur ..	10	3	4	1	5	2	3	1
Balachaur ..	30	27	13	7	11	17	13	8
Garhshanker ..	27	37	12	12	12	16	12	13
Mahilpur ..	28	46	13	13	8	27	12	16
LUDHIANA DISTRICT								
City Ludhiana ..	658	250	217	101	317	123	217	101
Sadar Ludhiana ..	117	109	38	49	67	48	38	49
Dehlon ..	42	61	18	19	22	38	18	19

Sehnewal ..	43	36	18	12	21	22	18	12
Dakha ..	30	33	15	15	15	17	15	15
Sidhwan Bet ..	14	21	6	7	4	12	6	7
Jagraon ..	74	67	28	23	37	38	28	23
Raikot ..	28	31	12	13	14	16	12	13
Khanna ..	72	82	43	39	27	35	43	39
Samrala ..	26	29	15	10	11	17	15	10
Machhiwara ..	10	10	6	4	4	6	6	4
Khamanon ..	12	17	10	7	4	6	10	7
Ludhiana GRP ..	195	..	99	..	77	..	99	..
MAHENDRAGARH DISTRICT								
Narnaul ..	32	25	12	3	15	15	12	4
Mahendragarh ..	16	12	7	1	4	8	8	
Satnali ..	13	8	4	3	8	4	1	3
Nangal Chaudhri	17	11	10	1	6	5	10	2
Kanina ..	16	5	6	1	5	2	6	1
Dadri ..	50	44	15	9	36	28	13	9
Ateli ..	22	16	6	4	12	8	5	4

Police Station	(a) THE TOTAL NUMBER OF CASES OF THEFT AND BURGLARY REGISTERED IN THE STATE IN EACH OF THE POLICE STATIONS DURING THE PERIOD FROM 1ST APRIL, 1957 TO DATE, POLICE STATION-WISE, TOGETHER WITH THE NUMBER OF CASES IN WHICH THE STOLEN OR BURGLED PROPERTY HAS BEEN RECOVERED				(b) THE TOTAL NUMBER OF CASES REFERRED TO IN PART (a) ABOVE WHICH HAVE REMAINED UNTRACED POLICE STATION-WISE		(c) THE NUMBER OF CASES REFERRED TO ABOVE WHICH HAVE BEEN PUT UP TO THE COURT FOR TRIAL	
	No. of cases registered		*No. of cases in which Stolen property recovered*		*No. of cases remained untraced*		*Cases put in Court for trial*	
	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary
				AMRITSAR DISTRICT				
'A' Division Amritsar	62	21	32	3	29	16	32	3
'B' Division Amritsar	35	25	13	12	21	13	13	12
'C' Division Amritsar	30	26	17	13	13	12	17	12
'D' Division Amritsar	58	45	27	21	30	22	25	21
'E' Division Amritsar	145	48	62	12	79	34	60	12
Civil Lines	213	62	73	20	127	41	63	20
Sadar Amritsar ..	121	95	52	48	64	47	51	45
Lopoke ..	20	31	12	15	8	16	11	14
Ajnala ..	18	38	12	19	6	19	10	19

Ramdas ..	23	21	9	9	12	12	8	9
Majitha ..	25	40	12	10	13	30	12	9
Kathunangal ..	29	25	14	9	15	16	14	9
Jandiala ..	56	70	26	16	29	54	26	16
Beas ..	41	56	16	13	23	42	16	13
Verowal ..	34	51	16	14	18	37	14	13
Sirhali ..	54	77	20	21	32	56	16	19
Sadar Tarn Taran	25	34	12	9	12	24	12	9
City Tarn Taran	70	44	35	19	35	22	35	19
Jhabal ..	19	38	9	13	10	25	9	11
Gharinda ..	23	14	8	2	14	11	6	2
Patti ..	51	36	27	16	24	20	25	14
Valtoha ..	29	33	20	13	9	20	19	13
Bhikhiwind ..	16	20	7	6	9	14	7	6
Khalra ..	13	18	8	7	5	11	8	7
Amritsar GRP ..	182	5	80	2	73	3	80	2
KAPURTHALA DISTRICT								
Kotwali Kapurthala	50	18	17	3	27	13	17	3
Sadar Kapurthala	13	6	2	..	10	5	2	..
Phagwara ..	73	57	15	20	51	30	15	20
Sultanpur ..	19	17	6	1	9	9	6	1

Police Station	(a) The total number of cases of Theft and Burglary registered in the State in each of the Police Stations during the period from 1st April, 1957 to date, Police Stationwise, together with the number of cases of which the stolen or burgled property has been recovered				(b) The total number of cases referred to in Part (a) above which have remained untraced Police Station-wise		(c) The number of cases referred to above which have been put up to the Court for Trial?	
	No. of cases registered		*No. of cases in which Stolen property recovered*		*No. of cases remained untraced*		*Cases put in Court for trial*	
	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary
Dhilwan ..	25	9	6	1	13	6	6	1
Bholath ..	16	13	5	2	5	7	5	2
SIMLA DISTRICT								
Sadar Simla ..	83	37	36	9	28	21	39	9
East Simla ..	21	23	9	10	5	11	10	9
West Simla ..	25	22	5	5	12	15	6	5
Kandaghat ..	15	22	8	7	7	12	6	13
Dharampore ..	22	24	10	13	8	11	9	10
Kasauli ..	13	8	4	2	7	6	7	5
Sairi ..	8	1	7	..	1	1	2	1
KARNAL DISTRICT								
Sadar Karnal ..	173	88	60	29	56	27	96	53
City Karnal ..	97	49	51	14	46	13	37	31

Gharaunda ..	44	38	20	11	19	10	19	22
Indri ..	27	26	10	10	7	9	12	14
Butana ..	58	34	23	10	21	9	28	20
Nissing ..	47	25	25	11	23	11	16	13
Sadar Panipat ..	85	48	40	11	39	10	35	31
City Panipat ..	77	53	39	16	38	15	28	33
Samalkha ..	45	29	17	11	16	11	19	16
Urlana ..	31	27	16	14	16	14	12	12
Thanesar ..	52	34	20	6	20	6	29	25
Shahabad ..	49	26	14	9	13	9	28	16
Ladwa ..	28	17	15	4	15	4	13	10
Radaur ..	20	14	6	6	6	6	13	8
Thaska Miranji	31	19	7	3	6	3	20	13
Kaithal ..	98	59	55	19	51	16	28	31
Guhla ..	28	17	11	5	10	5	9	9
Karnal GRP ..	139	..	69	..	60	..	69	..
Pehowa ..	53	28	20	7	19	7	28	17
Rajaund ..	35	29	15	10	15	10	15	15
Assandh ..	32	24	20	7	20	7	9	16
Pundri ..	50	45	20	15	19	14	25	25

Police Station	(a) The Total number of cases of Theft and Burglary registered in the State in each of the Police Stations during the period from 1st April, 1957 to date, Police Station-wise, together with the number of cases in which the Stolen or Burgled property has been recovered				(b) The Total number of cases referred to in Part (a) above which have remained untraced Police Station-wise		(c) The number of cases referred to above which have been put up to the Courts for Trial	
	No. of cases registered		*No. of cases in which Stolen property recovered*		*No. of cases remained untraced*		*Cases put in court for trial*	
	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary
Gurgaon District								
City Rewari ..	47	37	30	19	14	14	29	19
Sadar Rewari ..	52	70	23	11	25	51	22	10
Khol ..	24	19	7	3	9	14	5	3
Jatusana ..	27	22	13	10	9	8	13	10
Sadar Gurgaon ..	144	100	43	30	80	58	42	27
Farukhnagar ..	22	26	6	3	11	19	6	3
Sohana ..	48	32	19	8	17	19	19	7
Ballabhgarh ..	34	47	9	14	18	29	9	13
Faridabad ..	89	63	29	17	46	35	29	17
Chhansa ..	23	24	11	5	7	16	11	5
Palwal ..	76	66	36	16	28	47	35	16
Hassanpur ..	40	35	12	14	25	18	12	14

Ferozepore Jhirka	17	28	10	9	5	13	10	10
Punhana ..	22	26	11	7	9	14	11	7
Nuh ..	35	25	19	4	11	15	19	4
Tauru ..	15	15	8	3	4	9	8	3
Hathin ..	28	32	14	9	9	15	12	9
Pataudi ..	26	18	7	3	13	13	6	3
Bawal ..	18	33	7	6	8	21	7	6
Rewari GRP ..	178	..	78	..	69	..	88	..
				GURDASPUR DISTRICT				
Sadar Gurdaspur	111	70	30	25	78	43	30	25
Dina Nagar ..	36	35	17	16	16	18	17	16
Kalanaur ..	17	20	8	7	8	13	8	7
Dhariwal ..	58	71	24	17	31	52	24	17
Kahnuwan ..	33	33	10	13	22	20	100	13
Pathankot ..	160	122	63	39	90	80	63	39
Dalhousie ..	19	32	11	7	8	24	11	7
Narot Jaimalsingh	18	26	8	11	7	15	8	11
City Batala ..	79	57	38	21	38	36	38	21
Sadar Batala ..	102	118	42	40	57	76	42	40
Sirihargobindpur	44	61	20	27	24	39	20	21
Dera Baba Nanak	32	30	15	11	14	19	15	11

Police Station	(a) THE TOTAL NUMBER OF CASES OF THEFT AND BURGLARY REGISTERED IN THE STATE IN EACH OF THE POLICE STATIONS DURING THE PERIOD FROM 1ST APRIL, 1957 TO DATE, POLICE STATION-WISE, TOGETHER WITH THE NUMBER OF CASES IN WHICH THE STOLEN OR BURGLED PROPERTY HAS BEEN RECOVERED				(b) THE TOTAL NUMBER OF CASES REFERRED TO IN PART (a) ABOVE WHICH HAVE REMAINED UNTRACED POLICE STATION-WISE		(c) THE NUMBER OF CASES REFERRED TO ABOVE WHICH HAVE BEEN PUT UP TO THE COURTS FOR TRIAL?	
	No. of cases registered		*No. of cases in which stolen property recovered*		*No. of cases remained untraced*		*Cases put in Court for trial*	
	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary	Theft	Burglary
Fatehgarh Churian	33	28	10	9	23	18	10	9
Gurdaspur GRP	74	..	37	..	22	..	37	..
AMBALA DISTRICT								
Ambala Cantt ..	283	119	111	33	167	61	109	32
Ambala City ..	125	90	47	21	70	39	45	21
Ambala Sadar ..	120	75	34	16	76	30	34	16
Mullana ..	61	60	25	13	30	32	23	13
Jagadhari ..	224	167	102	45	117	88	97	45
Chhapar ..	40	20	9	2	35	14	9	2
Bilaspur ..	36	34	16	4	13	23	16	4
Chacharauli ..	18	15	12	4	3	7	12	4
Raipur ..	19	20	11	3	5	11	11	3

Sadhura ..	29	25	19	7	7	13	19	7
Naraingarh ..	42	29	21	4	16	19	21	4
Rupar ..	62	40	23	13	35	13	22	13
Morinda ..	32	41	14	10	28	23	14	10
Chamkaur Sahib	22	13	8	3	10	9	8	3
Nalagarh ..	11	12	6	5	3	3	6	3
Kharar ..	53	61	25	19	24	35	25	18
Mubarikpur ..	19	32	9	5	6	17	9	5
Chandi Mandir	51	67	21	14	30	35	20	14
Chandigarh ..	345	178	89	51	222	106	88	51
Kalka ..	16	25	11	11	4	8	11	11
Pinjore ..	12	10	4	4	5	2	4	3
Ambala GRP ..	259	2	145	1	100	1	145	1
Kalka GRP ..	37	..	19	..	12	..	19	..

NAZOOL LAND CO-OPERATIVE SOCIETIES IN THE STATE

2389. Shri Ram Piara : Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the number of Nazool Land Co-operative Societies in the State, district-wise, together with the total membership of each society;

(b) the number of Harijan Societies amongst those referred to in part (a) above;

(c) the total amount of loans and grants so far granted by Government to each society mentioned in part (a) above from the date of its registration up to now;

(d) the total area of land with each of the said societies, the date when it was given to each and the conditions on which it was given?

Sardar Gurbanta Singh : (a) There are 557 Nazool Land Co-operative Societies in the State. The district-wise break-up is as under :—

1.	Kapurthala District	..	29
2.	Sangrur District	..	186
3.	Patiala District	..	159
4.	Mohindergarh District	..	54
5.	Ambala Division	..	9
6.	Simla District	..	4
7.	Bhatinda District	..	116
	Total	..	557

Membership of each society has been given in the enclosed list of Societies.

(b) All these 557 Societies are of Harijans.

(c) The required information has been incorporated in the list referred to against para (a) above.

(d) The total area of land with each of the said societies has been given in the list referred to against part (a) above. The date when the land was given to each society is not available in all cases. It has been given only in case of Societies of Bhatinda District.

The land has been given to these Societies on the following conditions :—

(i) The Societies should pay 90 times the land revenue of the land given to the Societies in 20, six monthly instalments;

(ii) Where such land is not assessed to land revenue, the Societies shall pay 90 times of land revenue payable on equal area of land of lowest quality in the village in twenty six monthly instalments.

District-wise list of Nazool land Co-operative Societies

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grant given by Government — Loan	Grant	Total area of land with the Society
	KAPURTHALA DISTRICT—*contd.*				
1	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kapurthala	144	..	..	1,514 Acres
2	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ratra	50	..	..	190 "
3	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sidhwan	13	..	..	Society is stand still
4	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mandfazla Bad	70	..	..	455 "
5	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khiran Wali	Record is not available			18 Acres
6	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kishan Pur	17	..	..	18 "
7	The Scheduled Caste Land Owning Society, Burn	12	..	..	38 "
8	The Scheduled Caste Land Owning Society, Birdhandoli	23	..	..	133 "
9	The Rawal Pindi, Scheduled Caste Land Owning Society	20	..	..	150 "
10	The Bishan Pur Land Owning Society	12	..	..	122 "
11	The Wazida Bad Scheduled Caste Land Owning Society	10	..	..	75 "
12	The Chachoki Scheduled Caste Land Owning Society	20	..	..	24 "
13	The Phagwara Scheduled Caste Land Owning Society	11	..	..	14 "
14	The Karpal Pur Scheduled Caste Land Owning Society	24	..	..	48 "
15	The Pram Pur Scheduled Caste Land Owning Society	18	..	..	75 "
16	The Derwesh Pind Co-operative Scheduled Caste Land Owning Society	11	..	..	12 "
17	The Malik Pur Scheduled Caste Land Owning Society	37	..	..	242 "

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government — Loan	Grant	Total area of land with the Society
	Kapurthala District—*concld.*				
18	The Pandori Co-operative Scheduled Caste Land Owning Society	96	..	..	610 Acres
19	The Sangat Pur Scheduled Caste Land Owning Society	76	..	..	146 "
20	The Dhak Baral Scheduled Caste Land Owning Society	41	..	..	281 "
21	The Khuram Pur Scheduled Caste Land Owning Society	10	..	..	14 "
22	The Khalwara Scheduled Caste Land Owning Society	18	..	..	425 "
23	The Dhak Chair Scheduled Caste Land Owning Society	11	..	..	120 "
24	The Amrit Pur Scheduled Caste Land Owning Society	96	..	..	Nil
25	The Mansoorwal Scheduled Caste Land Owning Society	36	..	..	216 Acres
26	The Mubarak Pur Scheduled Caste Land Owning Society	34	..	..	300 "
27	The Sulamat Pur Scheduled Caste Land Owning Society	24	..	..	111 "
28	The Kot Karar Khan Scheduled Caste Land Owning Society	62	..	..	25.6 "
29	The Chuhar Wal Scheduled Caste Land Owning Society	11	..	..	72.6 "
	DISTRICT SANGRUR				
1	The Scheduled Caste Land Owning Society, Baroda	19	..	..	377 Bighas
2	The Scheduled Caste Land Owning Society, Budian	21	..	..	572 "
3	The Scheduled Caste Land Owning Society, Balu	45	..	..	82 "
4	The Scheduled Caste Land Owning Society, Batta	16	..	..	151 "
5	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bidhrana	38	..	..	301 "
6	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bithmara	39	..	..	1,049 "

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Loan	Grant	
	District Sangrur—*contd.*				
7	The Scheduled Caste Land Owning Society, Basakeri Kh.	21	..	..	.71 Bighas
8	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chusala	12	..	..	477 "
9	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhablain	13	..	..	109 "
10	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhano Khera	33	..	..	293 "
11	The Scheduled Caste Land Owning Society, Danoda Khurd	15	..	..	249 "
12	The Scheduled Caste Land Owning Society, Durjanpur	27	..	..	331 "
13	The Scheduled Caste Land Owning Society, Gogrian	21	..	..	302 "
14	The Scheduled Caste Land Owning Society, Gurthali	41	..	..	283 "
15	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jhool	20	..	..	524 "
16	The Scheduled Caste Land Owning Society,Khutkar	72	..	..	1,010 "
17	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kabarcha	42	..	..	198 "
18	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kalta	25	..	..	154 "
19	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kamalpur	11	..	..	225 "
20	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kalron	16	..	..	681 "
21	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kalauda Kalan	11	..	..	147 "
22	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kalyat	14	..	..	331 "
23	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kharak Pandwan	12	..	..	334 "
24	The Scheduled Caste Land Owning Society, Karsindu	14	..	..	674 "
25	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mukhand	17	..	..	293 "

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government — Loan	Grant	Total area of land with the Society
	District Sangrur—*contd.*				
26	The Scheduled Caste Land Owning Society, Phulian Kalan	11	..	..	165 Bigas
27	The Scheduled Caste Land Owning Society, Surbrah	19	..	..	240 "
28	The Scheduled Caste Land Owning Society, Simla	25	..	..	123 "
29	The Scheduled Caste Land Owning Society, Shoegarh	15	..	..	394 "
30	The Scheduled Caste Land Owning Society, Tarkha	18	..	..	140 "
31	The Scheduled Caste Land Owning Society, Uchana Kalan	14	..	..	350 "
32	The Scheduled Caste Land Owning Society, Udhepur	12	..	..	77 "
33	The Scheduled Caste Land Owning Society, Farain Kalan	14	..	..	156 "
34	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhanauri	42	..	..	590 "
35	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhamtan	48	..	..	74 "
36	The Scheduled Caste Land Owning Society, Garbi	14	..	..	381 "
37	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kalwan	32	..	..	283 "
38	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ujhana	14	..	..	119 "
39	The Scheduled Caste Land Owning Society, Assan	25	..	..	33 "
40	The Scheduled Caste Land Owning Society, Anupgarh	10	..	..	97 "
41	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bibipur	53	..	..	458 "
42	The Scheduled Caste Land Owning Society, Brah Kalan	10	..	..	73 "
43	The Scheduled Caste Land Owning Society, Budha Khera	47	..	..	356 "

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government — Loan	Grant	Total area of land with the Society
	District Sangrur—*contd.*				
44	The Scheduled Caste Land Owning Society, Budha Dehar	11	..	..	125 Bigas
45	The Scheduled Caste Land Owning Society, Burana	14	..	..	306 "
46	The Scheduled Caste Land Owning Society; Butani	58	..	..	73 "
47	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bambewa	44	..	..	214 "
48	The Scheduled Caste Land Owning Society, Budha Kher Lather	15	..	..	350 "
49	The Scheduied Caste Land Owning Society Dorar	15	..	..	61 "
50	The Scheduled Caste Land Owning Society, Didwara	110	..	..	67 "
51	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dalanwalal	47	..	..	50 "
52	The Scheduled Caste Land Owning Society, Daroli	15	..	..	160 "
53	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dighana	47	..	..	148 "
54	The Scheduled Caste Land Owning Society, Darayawala	32	..	..	93 "
55	The Scheduled Caste Land Owning Society, Garwali	21	..	..	79 "
56	The Scheduled Caste Land Owning Society, Gangoli	68	..	..	175 "
57	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jhamola	15	..	..	323 "
58	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jai Jaiwanti	12	..	..	101 "
59	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khernti	56	..	..	248 "
60	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kerela	20	..	..	479 "
61	The Scheduled Caste Land Owning Society, Karsindu	12	..	..	102 "
62	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kharanti	20	..	..	411 "

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Loan	Grant	
	District Sangrur—*contd.*				
63	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khokhri	15	..	..	64 Bigas
64	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kheri Taloda	19	..	..	229 "
65	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ludana	45	..	..	431 "
66	The Scheduled Caste Land Owning Society, Lajwana Khera	10	..	..	53 "
67	The Scheduled Caste Land Owning Society, Malvi	55	..	..	56 "
68	The Scheduled Caste Land Owning Society, Manoharpur	23	..	..	62 "
69	The Scheduled Caste Land Owning Society, Nidana	26	..	..	237 "
70	The Scheduled Caste Land Owning Society, Memnabad	47	..	..	276 "
71	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ram Rai	52	..	..	200 "
72	The Scheduled Caste Land Owning Society, Rupgarh	63	..	..	146 "
73	The Scheduled Caste Land Owning Society, Shamlu Kalan	14	..	..	..
74	The Scheduled Caste Land Owning Society, Shahpur	38	..	..	133 "
75	The Scheduled Caste Land Owning Society, Lakhmirwala	18	..	..	183 "
76	The Scheduled Caste Land Owning Society, Andana	23	..	..	72 "
77	The Scheduled Caste Land Owning Society, Banarsi	29	..	..	705 "
78	The Scheduled Caste Land Owning Society, Balran	112	..	..	170 "
79	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhullan	17	..	..	263 "
80	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhutal Khurd	44	..	..	250 "

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Loan	Grant	
	District Sangrur—Contd				
81	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhutal Kalan	41	..	..	197 Bigas
82	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bushera	24	..	..	599 "
83	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bangan	22	..	..	79 "
84	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhunder Bhaini	15	..	..	356 "
85	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chandu	10	..	..	312 "
86	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhindsa	34	..	..	116 "
87	The Scheduled Caste Land Owning Society, Doodian	60	..	..	221 "
88	The Scheduled Caste Land Owning Society, Delha	32	..	..	126 "
89	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khandauri Kalan	26	..	..	597 "
90	The Scheduled Caste Land Owning Society, Moonak	81	..	..	169 "
91	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mandvi	45	..	..	812 "
92	The Scheduled Caste Land Owning Society, Nawan Graon	12	..	..	789 "
93	The Scheduled Caste Land Owning Society, Phallaud	10	..	..	297 "
94	The Scheduled Caste Land Owning Society, Saleemgarh	32	..	..	248 "
95	The Scheduled Caste Land Owning Society, Aloarkh	12	..	..	95 "
96	The Scheduled Caste Land Owning Society, Balad Kalan	19	..	..	56 "
97	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhamabaddi	24	..	..	107 "
98	The Scheduled Caste Land Owning Society, Balwar Kalan	10	..	..	50 "
99	The Scheduled Caste Land Owning Society, Badrukhan	38	..	..	228 "

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Loan	Grant	
	District Sangrur—Contd				
100	The Scheduled Caste Land Owning Society, Deh Kalan	18	..	..	84 Bigas
101	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghabdan	12	..	..	50 "
102	The Scheduled Caste Land Owning Society, Gharachon	18	..	..	210 "
103	The Scheduled Caste Land Owning Society, Gehlan	20	..	..	41 "
104	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kheri	12	..	..	69 "
105	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kular Khurd	23	..	..	62 "
106	The Scheduled Caste Land Owning Society, Lidran	19	..	..	132 "
107	The Scheduled Caste Land Owning Society, Majha	12	..	..	165 '
108	The Scheduled Caste Land Owning Society, Uppli	12	..	..	131 "
109	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ubhawal	33	..	..	320 "
110	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bir Kalan	41	..	..	126 "
111	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chatha Nanhera	40	..	..	50 "
112	The Scheduled Caste Land Owning Society, Cheema	35	..	..	128 "
113	The Scheduled Caste Land Owning Society Jakhepal	25	..	..	175 "
114	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kanakwal	12	..	..	111 "
115	The Scheduled Caste Land Owning Society, Longowal	49	..	..	671 "
116	The Scheduled Caste Land Owning Society, Majowal	11	..	..	93 "
117	The Scheduled Caste Land Owning Society, Nilowal	12	..	..	98 "
118	The Scheduled Caste Land Owning Society, Satauj	38	..	..	95 "

Serial No.	Name of Society	Member-ship	Loan and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Loan	Grant	
	District Sangrur—Contd				
119	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sheron	18	..	..	68 Bigas
120	The Scheduled Caste Land Owning Society, Shahpur	28	..	..	95 "
121	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bharpur	24	..	..	422 "
122	The Scheduled Caste Land Owning Society, Balyal	67	..	..	253 "
123	The Scheduled Caste Land Owning Society, Batrain	12	..	..	234 "
124	The Scheduled Caste Land Owning Society, Basiarkh	10	..	..	113 "
125	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bizal Puri	10	..	..	237 "
126	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chhahar	57	..	..	150 "
127	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chaneri	61	..	..	59 "
128	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhanodli Kalan	45	..	..	93 "
129	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghanaur Jattan	26	..	..	139 "
130	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khanal Kalan	26	..	..	78 "
131	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khetla	24	..	..	205 "
132	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kohrian	46	..	..	167 "
133	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khangarh	20	..	..	49 "
134	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kapyal	11	..	..	75 "
135	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mohlan	25	..	..	59 "
136	The Scheduled Caste Land Owning Society, Rogla	75	..	..	583 "
137	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ratlon	12	..	..	62 "
138	The Scheduled Caste Land Owning Society, Rampura	10	..	..	46 "

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of Society	Member-ship	Loan and grants given by Government — Loan	Grant	The Total area of land with the Society
	District Sangrur—Contd				
139	The Scheduled Caste Land Owning Society, Shadiheri	11	..	..	632 Bigas
140	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sunam	18	..	..	504 "
141	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sihal	24	..	..	525 "
142	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ubhia	17	..	..	88 "
143	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bunga	20	..	..	279 "
144	The Scheduled Caste Land Owning Society, Cheema	20	..	..	119 "
145	The Scheduled Caste Land Owning Society, Amir Nagar	15	..	..	101 "
146	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jalwana	20	..	..	75 "
147	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jitwala Kalan	21	..	..	52 "
148	The Scheduled Caste Land Owning Society, Barri	10	..	..	133 "
149	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghanauri Kalan	23	..	..	249 "
150	The Scheduled Caste Land Owning Society, Hamiddi	14	..	..	85 "
151	The Scheduled Caste Land Owning Society, Hassanpur	21	..	..	130 "
152	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kanjila	23	..	..	366 "
153	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kumberwal	46	..	..	80 "
154	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kheri Kalan	13	..	..	180 "
155	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mulowal	12	..	..	60 "
156	The Scheduled Caste Land Owning Society, Tibba	14	..	..	173 "
157	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bahadaur	197	..	..	2,580 "

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government — Loan	Grant	Total area of land with the society
	DISTRICT SANGRUR—contd		Rs	Rs	
158	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chiniwal	23	..	..	136 Bighas
159	The Scheduled Caste Land Owning Society, Gehal	14	..	..	86 "
160	The Scheduled Caste Land Owning Society, Gongian	34	..	..	476 "
161	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghunus	10	..	..	75 "
162	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jalaldiwal	43	..	..	122 "
163	The Scheduled Caste Land Owning Society, Klal	12	..	..	51 "
164	The Scheduled Caste Land Owning Society, Pakho	16	..	..	237 "
165	The Scheduled Caste Land Owning Society, Raisar	11	..	..	69 "
166	The Scheduled Caste Land Owning Society, Raiya	26	..	..	77 "
167	The Scheduled Caste Land Owning Society, Tappa	20	..	..	85 "
168	The Scheduled Caste Land Owning Society, Tajoke	50	..	..	370 "
169	The Scheduled Caste Land Owning Society, Talewal	52	..	..	252
170	The Scheduled Caste Land Owning Society, Talwandi	22	..	..	382 "
171	The Scheduled Caste Land Owning Society, Barnala	31	..	..	687 "
172	The Scheduled Cate Land Owning Society, Bazidke Khurd	17	..	..	67 "
173	The Scheduled Caste Land Owning Society, Hadiaya	26	..	..	122 "
174	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khudi Kalan	21	..	..	108 "
175	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kasba Bharal	24	..	..	128 "
176	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kurar	44	..	..	339 "
177	The Scheduled Caste Land Owning Society, Pharwahi	52	..	..	157 "

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government — Loan	Grant	Total area of land with the society
	DISTRICT SANGRUR—concld.		Rs	Rs	
178	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mehal Kalan	34	..	..	570 Bighas
179	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sanghera	97	..	..	970 "
180	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sekha	26	..	..	74 "
181	The Scheduled Caste Land Owning Society, Uppli	52	..	..	66 "
182	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ratriana	75	..	..	601 "
183	The Scheduled Caste Land Owning Society, Lehra	23	..	..	187 "
184	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghorenab	41	..	..	416 "
185	The Scheduled Caste Land Owning Society, Arkwas	11	..	..	59 "
186	The Scheduled Caste Land Owning Society, Gaga	12	..	..	68 "
	PATIALA DISTRICT				
1	The Scheduled Caste Land Owning Society, Manauli	11	..	..	$13\frac{3}{4}$ "
2	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chhat	11	..	..	18 "
3	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bahermajra	12	..	..	22 "
4	The Scheduled Caste Land Owning Society, Wazirabad	10	..	..	20 "
5	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhagrana	12	..	..	32 "
6	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khalora	17	..	..	22 "
7	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dadumajra	12	..	..	6 "
8	The Scheduled Caste Land Owning Society, Gharolian	11	..	..	14 "
9	The Scheduled Caste Land Owning Society, Birumajri	12	..	..	34 "
10	The Scheduled Caste Land Owning Society, Manauli	12	..	..	35 "

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government: Grant	Loan	Total area of land with the society
	PATIALA DISTRICT		Rs		
11	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jholankalan	12	..		The possession has not been delivered to the Society
12	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhadanpur	16	..	..	16 acres
13	The Scheduled Caste Land Owning Society, Raimajra	25	..	..	29 "
14	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jolankhurd	12	..	..	67 "
15	The Scheduled Caste Land Owning Society, Hamayunpur Tasimbli	12	..	..	12¼ "
16	The Scheduled Caste Land Owning Society, Antala	10	..	..	18 "
17	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mahlan	10	..	..	20 "
18	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sarseeni	12	..	..	13 "
19	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kasauli	15	..	..	13 "
20	The Scheduled Caste Land Owning Society, Tiwarah	11	..	..	24 "
21	The Scheduled Caste Land Owning Society, Batauli	18	..	..	51½ "
22	The Scheduled Caste Land Owning Society, Hasanpur	18	..	..	The possession has not been delivered to the Society
23	The Scheduled Caste Land Owning Society, Basauli	26	..	..	171½ acres
24	The Scheduled Caste Land Owning Society, Handesra	11	..	..	35 "
25	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jaraut	12	..	..	38 "
26	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhallabpur	14	..	..	25 "
27	The Scheduled Caste Land Owning Society, Pabri	12	100	..	35 "
28	The Scheduled Caste Land Owning Society, Harpalpur	12	..	..	54 "
29	The Scheduled Caste Land Owning Society, Abdulpur	19	100	..	74 "

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the society
			Grant	Loan	
	PATIALA DISTRICT				
			Rs	Rs	
30	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghumana	12	100	..	30 acres
31	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mandauli	12	..	..	27 "
32	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ugani	14	..	..	17½ "
33	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chandumajra	15	..	..	17½ "
34	The Scheduled Caste Land Owning Society, Aluan	29	..	..	60½ "
35	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhateri	14	..	..	20 "
36	The Scheduled Caste Land Owning Society, Uksi	11	100	..	14 "
37	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jabumajra	15	100	..	76 "
38	The Scheduled Caste Land Owning Society, Faridpur Jattan	11	..	..	12 "
39	The Scheduled Caste Land Owning Society, Nanheri	11	100	..	34 "
40	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhandarsi	19	100	..	56 "
41	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mardanpur	14	100	..	13½ "
42	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jakhepal	11	100	..	17 "
43	The Scheduled Caste Land Owning Society, Onthsar	19	100	..	78 "
44	The Scheduled Caste Land Owning Society, Harpala	23	..	..	34 "
45	The Scheduled Caste Land Owning Society, Saraimghal	21	..	..	21½ "
46	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jand Manghauli	11	..	..	1½ "
47	The Scheduled Caste Land Owning Society, Lohsimbly	28	100	..	39 "

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government — Grant	Loan	Total area of land with the Society
	PATIALA DISTRICT—*contd*		Rs	Rs	
48	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jhugian	12	..	..	21 Acres
49	The Scheduled Caste Land Owning Society, Seel	11	..	..	34 "
50	The Scheduled Caste Land Owning Society, Lachhrukhurd	15	100	..	60 "
51	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sanolian	24	..	..	572 bighas 19 biswas
52	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ulana	11	100	..	295 " 12 "
53	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kami Kalan	30	100	..	724 " 7 "
54	The Scheduled Caste Land Owning Society, Lachhru Kalan	16	100	..	434 " 13 "
55	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghanaur	10	..	..	49 " 16 "
56	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chhapar, tehsil Rajpura	17	100	..	60 acres
57	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sialu	10	100	..	16 "
58	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khairpur Jattan	25	100	..	21 "
59	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mirzapur	29	100	..	67 "
60	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mohi Kalan	12	100	..	35 "
61	The Scheduled Caste Land Owning Society, Thuha	42	..	..	30 "
62	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghardi Nagar	12	..	..	..
63	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kalwanu Teh	20	..	..	39 acres
64	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dedna	34	..	..	31 "
65	The Scheduled Caste Land Owning Society, Rajra	11	..	..	19 "
66	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chupki	12	..	..	54½ "

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of Society	Membership	*Loan and grants given by Government* Grant	Loan	Total area of land with the Society
	PATIALA DISTRICT—*contd*		Rs	Rs	
67	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kakrala	21	..	..	8 acres
68	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhular	11	..	..	13 "
69	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dodra	11	..	..	11 "
70	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghagga	43	..	..	135 "
71	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mablishapur	11	..	..	16 "
72	The Scheduled Caste Land Owning Society, Shatrana	15	..	..	36 "
73	The Scheduled Caste Land Owning Society, Lalwa	15	..	..	20 "
74	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bras	12	..	..	29 "
75	The Scheduled Caste Land Owning Society, Hario Khurd	11	..	..	12 "
76	The Scheduled Caste Land Owning Society, Hamjheri	28	..	..	35 "
77	The Scheduled Caste Land Owning Society, Patran	11	..	..	15 "
78	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dutal	11	..	..	..
79	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khang	11	..	..	22 acres
80	The Scheduled Caste Land Owning Society, Fateh Garh Chhana	66	..	..	26 "
81	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kulran	66	..	..	55 "
82	The Scheduled Caste Land Owning Society, Fateh Majri	19	..	..	38 "
83	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bahmna	18	..	..	100 "
84	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhaneri	19	..	..	43 "
85	The Scheduled Caste Land Owning Society, Malu Majra	11	..	..	..

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Grant	Loan	
	PATIALA DISTRICT—*contd*		Rs	Rs	
86	The Scheduled Caste Land Owning Society, Madho Majra	12	..	..	60 acres
87	The Scheduled Caste Land Owning Society, Randhirpura	12	..	..	18 "
88	The Scheduled Caste Land Owning Society, Wazidpur	14	..	..	23 "
89	The Scheduled Caste Land Owing Society, Badugarh	11	..	..	2 "
90	The Scheduled Caste Land Owing Society, Majri Akalian	13	..	..	64 "
91	The Scheduled Caste Land Owning Society, Janherian	12	..	..	46 "
92	The Scheduled Caste Land Owning Society, Daun Khurd	15	..	..	46 "
93	The Scheduled Caste Land Owning Society, Daun Kalan	12	..	..	..
94	The Scheduled Caste Land Owning Society, Upalan, tehsil Nabha	11	..	..	12 acres
95	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhandral Kharaur	16	..	..	11 "
96	The Scheduled Caste Land Owning Society, Simbhru, tehsil Nabha	12	..	..	11 "
97	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhanauri	10	..	..	28 "
98	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khokh	16	..	..	13 "
99	The Scheduled Caste Land Owning Society, Gobindpur	12	..	..	18 "
100	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhorey	30	..	..	39 "
101	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kakrala	11	..	..	35 "
102	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chhintanwala	40	3,020	..	287 "
103	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhamot kalan, tehsil Sirhind	33	..	..	111 "
104	The Scheduled Caste Land Owning Society, Pael	16	..	..	18 "

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government — Grant	Loan	Total area of land with the society
	PATIALA DISTRITC—*contd*		Rs	Rs	
105	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bouni	35	..	..	24 acres
106	The Scheduled Caste Land Owning Society, Rajgarh	18	..	..	..
107	The Scheduled Caste Land Owning Society, Jargari	93	..	..	14.42 acres
108	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mannpur	12	..	..	12½ "
109	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ishar Hail	14	..	..	42 "
110	The Scheduled Caste Land Owning Society, Harna	15	..	..	42 "
111	The Scheduled Caste Land Owning Society, Rajindergarh	19	..	..	35 "
112	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kotla Bajwara	13	..	..	26 "
113	The Scheduled Caste Land Owning Society, Makaru Pur	28	..	..	..
114	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mahadipur, tehsil Patiala	11	..	..	14 acres
115	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mehan	35	..	..	132 "
116	The Scheduled Caste Land Owning Society, Tajalpur	16	..	..	101 "
117	The Scheduled Caste Land Owning Society, Train	21	..	..	28 "
118	The Scheduled Caste Land Owning Society, Binjer	11	..	..	18 "
119	The Scheduled Caste Land Owning Society, Randhawa	13	..	..	30 "
120	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kamalpur	10	..	..	29 "
121	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bilaspur	11	..	..	..
122	The Scheduled Caste Land Owning Society, Akaut	11	..	..	23 acres

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the society
			Grant	Loan	
	PATIALA DISTRICT—*contd*				
123	The Scheduled Caste Land Owning Society, Kachhwa, tehsil Patiala	19	..	..	51 acres
124	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chauhat	17	..	..	58 "
125	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dulwa	11	..	..	51 "
126	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bathaui Kalan	15	..	..	56 "
127	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ishar Heri	11	..	..	10 "
128	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ibrahimpur	12	..	..	31 "
129	The Scheduled Caste Land Owning Society, Karhali	12	..	..	16 "
130	The Scheduled Caste Land Owning Society, Batta	11	..	..	13 "
131	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khana Heri	10	..	..	..
132	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khansian	11	..	..	..
133	The Scheduled Caste Land Owning Society, Khudda	11	..	..	23 acres
134	The Scheduled Caste Land Owning Society, Tora	11	..	..	21 "
135	The Scheduled Caste Land Owning Society, Noor Kherian	16	..	..	19 "
136	The Scheduled Caste Land Owning Society, Roshanpur	11	..	..	17 "
137	The Scheduled Caste Land Owning Society, Raipur	43	..	..	38 "
138	The Scheduled Caste Land Owning S ociety, Moosar Kalan	15	..	..	..
139	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bahel	10	..	..	14 acres
140	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghaura	10	..	..	..
141	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ballan	11	..	..	29 acres

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government — Grant	Loan	Total area of land with the Society
	PATIALA DISTRICT—concld		Rs	Rs	
142	The Scheduled Caste Land Owning Society, Puner Heri	15	..	..	36 acres
143	The Scheduled Caste Land Owning Society, Tassalpur	12	..	..	13 "
144	The Scheduled Caste Land Owning Society, Malikpur, tehsil Sirhind	12	..	..	..
145	The Scheduled Caste Land Owning Society, Lang	20	..	..	72 acres
146	The Scheduled Caste Land Owning Society, Harbanspura	12	..	..	17 "
147	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sangatpur	35	..	..	31 "
148	The Scheduled Caste Land Owning Society, Malini Kalan	22	..	..	57 "
149	The Scheduled Caste Land Owning Society, Oacha Rehna	18	..	..	64 "
150	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sahora	11	..	..	31 "
151	The Scheduled Caste Land Owning Society, Shamashpur	26	..	..	15½ "
152	The Scheduled Caste Land Owing Society, Kapurgarh	22	..	..	43¼ Acres
153	The Scheduled Caste Land Owning Society, Tanghrala	12	..	..	55 "
154	The Scheduled Caste Land Owning Society, Batali	23	..	..	47 "
155	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ajnali	17	..	..	18 "
156	The Scheduled Caste Land Owning Society, Rattan Palon	16	..	..	14 "
157	The Scheduled Caste Land Owning Society, Majra Mana Singh Wala	15	..	..	19 "
158	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghatine	17	..	..	17 "
159	The Scheduled Caste Land Owning Society, Asamra, tehsil Patiala	11	..	..	19 "

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Grant	Loan	
	MAHENDRAGARH DISTRICT—*contd.*				
1	The Scheduled Caste Land Owning Society, Aun	30	..	..	21 acres
2	The Scheduled Caste Land Owning Society, Baund Kalan	17	..	..	60 "
3	The Scheduled Caste Land Owning Society, Handole	15	..	..	13 "
4	The Scheduled Caste Land Owning Society, Manneru	13	..	..	11 "
5	The Scheduled Caste Land Owning Society, Mirch	17	..	..	12 "
6	The Scheduled Caste Land Owning Society, Nangal	23	..	..	49 "
7	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sanga	14	..	..	12 "
8	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sanjarwas	52	..	..	53 "
9	The Scheduled Caste Land Owning Society, Sakrod	25	..	..	50 "
10	The Scheduled Caste Land Owning Society, Umrawat	11	..	..	10 "
11	The Scheduled Caste Land Owning Society, Abindpura	19	..	..	40 "
12	The Scheduled Caste Land Owning Society, Godhra	17	..	..	12 "
13	The Scheduled Caste Land Owning Society, Charkhi Dadri	66	..	..	33 "
14	The Scheduled Caste Land Owning Society, Patuwas	17	..	..	21 "
15	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bhagvi	44	..	..	35 "
16	The Scheduled Caste Land Owning Society, Achina	22	..	..	22 "
17	The Scheduled Caste Land Owning Society, Bogowa	29	..	..	30 "
18	The Scheduled Caste Land Owning Society, Ghikara	17	..	..	18 "
19	The Scheduled Caste Land Owning Society, Imolota	27	..	..	16 "

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the society
			Grant	Loan	
	MOHINDERGARH DISTRICT—*contd.*		Rs	Rs	
20	The Scheduled Caste Land Owning Society, Vharkhi	17	..	..	22½ acres
21	The Scheduled Caste Land Owning Society, Birhi Kalan	30	..	..	22 ”
22	The Scheduled Caste Land Owning Society, Barsana	13	..	..	10 ”
23	The Scheduled Caste Land Owning Society, Chhapar	28	..	..	38 ”
24	The Scheduled Caste Land Owning Society, Narsinghwas	13	..	..	41 ”
25	The Scheduled Caste Land Owning Society, Dhoki	26	..	..	11 ”
26	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Harodi	16	..	..	24 ”
27	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Haluwas	46	..	..	46 ”
28	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Pachopa Khurd	20	..	..	14 ”
29	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Dagroli	17	..	..	13 ”
30	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Mandola	39	..	..	43 ”
31	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Ghasola	15	..	..	32 ”
32	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Mahra	15	..	..	23 ”
33	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Oadiwana Nandkaran	11	..	..	18 ”
34	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Pichopa Kalan	10	..	..	21 ”
35	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Gudhana	13	..	..	31 ”
36	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kaliana	61	..	..	9 ”
37	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Todi	12	..	..	16 ”

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the society
			Grant	Loan	
	MOHINDERGARH DISTRICT—*concld*		Rs	Rs	
38	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Karirpura	10	..	..	62 acres
39	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Umarwas	12	..	..	21 ,,
40	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society, Ltd., Karimod	14	..	..	18 ,,
41	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Karidas	11	..	..	19 ,,
42	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Karidharni	16	..	..	72 ,,
43	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Nimar	11	..	..	24 ,,
44	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Bhopali	11	..	..	9 ,,
45	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kakroli Hukmi	15	..	..	6 ,,
46	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Jagramwas	12	..	..	15 ,,
47	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Mandi Haria	25	..	..	31 ,,
48	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Lahorda	20	..	..	20 ,,
49	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Bucholi	20	..	..	11 ,,
50	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Bhojawas	31	..	..	29 ,,
51	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd,, Sohri	10	..	..	30 ,,
52	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Patharwa	15	..	..	15 ,,
53	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Madhogarh	45	..	..	86 ,,
54	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Dalanwas	41	..	..	42 ,,

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of society	Membership	Loan and grants given by Government — Grant	Loan	Total area of land with the society
	AMBALA DISTRICT		Rs	Rs	
1	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Maranwala	22	..	..	..
2	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Panjore	21	..	..	..
3	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Nanakpur	12	..	..	..
4	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Chikni	13	..	..	..
5	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Dolsara	13	..	..	..
6	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Patta	13	..	..	..
7	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Rajoli	13	..	..	..
8	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Lambi Dohri	13	..	..	..
9	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Tappriana	13	..	..	..
	SIMLA DISTRICT				
10	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Banjni	11	..	..	..
11	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Sair Charag	11	..	..	..
12	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Patti Kolian	11	..	..	15 ,,
13	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Massiria Majhgoan	13	..	..	17 ,,
	BHATINDA DISTRICT				*Date when the land was given*
1	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Bajakhana	62	..	..	20 ,, (5-5-56)
2	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Malla	37	..	..	36 ,, (6-7-59)
3	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Khara	21	..	..	38 ,, (16-1-57)

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government		Total areas of land with the Society
			Grant	Loan	
	BHATINDA DISTRICT—*contd*		Rs	Rs	
4	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Koharwala	21	..	..	..
5	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Dhaipai	30	..	..	22 Acres (16-1-57)
6	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Romana Albel Singh	24	..	..	..
7	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Behbal-Kalan	27	..	..	..
8	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Burj Harika	29	..	..	21 Acres (1956)
9	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society, Ltd., Bargari	25	..	..	..
10	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Panjgarainkalan	21	..	..	15 Acres (19-1-57)
11	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kothkapura	270	..	..	250 ,, (19-1-57)
12	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Matta	60	..	..	..
13	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kasam Bhatti	30	..	..	..
14	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Bhamekhurd	29	..	..	13½ Acres (16-6-58)
15	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Khiali Chahlanwali	13	..	..	56 ,, (9-12-57)
16	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Chainewala	24	..	..	49 ,, (28-4-58)
17	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Denewala	14	..	..	30 ,, (10-12-57)
18	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Koriana	20	..	..	51 ,, (25-6-58)
19	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Nangala	19	..	..	13 ,, (13-12-57)

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government: Grant	Loan and grants given by Government: Loan	Total areas of land with the Society
	BHATINDA DISTRICT—*contd*		Rs	Rs	
20	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Beron	11	..	..	27 Acres (9-02-57)
21	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Hireke	12	..	..	18 ,, (27-3-59)
22	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Mirpur Kalan	15	..	..	10 ,, (19-2-57)
23	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society, Ltd., Phus Mandi	20	..	..	12 ,, (19-1-57)
24	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Karandi	11	..	..	11 ,, (9-4-58)
25	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Allupur	13	..	..	40 ,, (29-4-58)
26	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Ghandekhurd	18	..	..	47½ ,, (19-1-57)
27	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Sangha	33	..	..	96 ,, (23-12-57)
28	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Sardulgarh	14	..	..	..
29	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Hiron Kalan	93	..	..	23 Acres (19-1-57)
30	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Matti	63	..	..	22 ,, (19-1-57)
31	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Joga	76	..	..	46 ,, (19-1-57)
32	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Atla Kalan	31	..	..	36 ,, (19-1-57)
33	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Dharampura	29	..	..	37 ,, (19-1-57)
34	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Randhrial	13	..	..	28 ,, (19-1-57)
35	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Saidewala	13	..	..	32 ,, (19-1-57)
36	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Gorakh Nath	12	..	..	15 ,, (19-1-57)

Serial No.	Name of Society	Membership	Loans and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Grant	Loan	
	BHATINDA DISTRICT—*contd*		Rs	Rs	
37	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Baretta	17	..	..	56 Acres (19-1-57)
38	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Birewala Dogra	12	..	..	30 „ (19-1-57)
39	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Maghania	10	..	..	17 „ (19-1-57)
40	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Barah	29	..	..	44 „ (19-1-57)
41	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Boha	14	..	..	44 „ (19-1-57)
42	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Hakimwala	12	..	..	36 „ (19-1-57)
43	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Joean	17	..	..	5 „ (19-1-57)
44	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Budhlada	60	..	..	26 „ (19-1-57)
45	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Phaphre Bhaike	33	..	..	13¾ „ (19-1-57)
46	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society, Ltd., Ablu	77	..	..	298 „ (19-1-57)
47	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Goniana Khurd	40	..	..	35 „ (19-1-57)
48	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Goniana Kalan	14	..	..	11½ „ (19-1-57)
49	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Jida	23	..	..	15 „ (19-1-57)
50	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Jandanwala	30	..	..	22 „ (19-1-57)
51	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Mehma Serja	30	..	..	50 „ (15-9-56)
52	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Hari-raipur	44	..	..	18 „ 19-4-57)
53	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kot Shamri	24	..	..	53 „ (16-6-56)

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Grant	Loan	
	BHATINDA DISTRICT—*contd*		Rs	Rs	
54	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Naruana	36	..	..	119¼ Acres (16-6-56)
55	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Virk Kalan	30	..	..	40 ,, (18-9-56)
56	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd, Bhatinda	53	..	..	130 ,, (2-10-56)
57	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society, Ltd., Gill Patti	14	..	..	43 ,, (2-10-56)
58	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Bhokhra	40	..	..	55 ,, (14-1-57)
59	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Khiali-wala	23	..	..	13 ,, (19-1-57)
60	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Bagga	36	..	..	35 Bighas (19-1-57)
61	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Shergarh	34	..	..	46 ,, (13-9-56)
62	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kaile Bander	33	..	..	38 ,, (2-10-56)
63	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Gehri Butter	22	..	..	42 ,, (13-9-57)
64	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Ghudda	41	..	..	90 ,, (2-10-56)
65	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kot Bakhtu	23	..	..	26 Acres (2-10-56)
66	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Gehri Bhagu	45	..	..	100 ,, (2-10-56)
67	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Pathrala	16	..	..	126 ,, (16-6-56)
68	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Balian-wali	11	..	..	10 ,, (18-1-57)
69	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Dhadde	13	..	..	25 ,, (18-1-57)
70	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Maiser-khana	37	..	..	13 ,, (18-1-57)

Serial No.	Name of Society	Membership	Loan and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Grant	Loan	
			Rs	Rs	
	BHATINDA DISTRICT—*contd*				
71	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Jahnduke	15	..	..	26 Acres (13-9-56)
72	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Ubha	100	..	..	23 ,, (19-1-57)
73	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Dikh	17	..	..	64 ,, (13-9-56)
74	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Thamangarh	20	..	..	..
75	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Mandi Khurd	13	..	..	18 Acres (10-9-59)
76	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Pacca	90	..	..	86 ,, (19-1-57)
77	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Pipli	20	..	..	8 ,, (31-1-58)
78	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Bhagthala Kalan	13	..	..	4 ,, (19-1-57)
79	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Dholuwala	17	..	..	60 ,, (16-6-57)
80	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Balbir Basti, Faridkot	39	..	..	90 ,, (10-5-56)
81	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Faridkot	77	..	..	100 ,, (16-6-56)
82	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kauni	46	..	..	60 ,, (16-6-56)
83	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Jhotiwala	14	..	..	69 ,, (16-6-56)
84	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Sadhuwala	10	..	..	84½ ,, (16-6-56)
85	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Baguwala	35	..	..	76 ,, (16-6-56)
86	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Saideke	34	..	..	257½ ,, (16-6-56)
87	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Burj Masta	10	..	..	5 ,, (19-1-57)

[Minister for Community Development]

Serial No.	Name of Society	Membership	Loans and grants given by Government: Grant	Loan	Total area of land with the Society
	BHATINDA DISTRICT—*contd*		Rs	Rs	
88	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Hassan Bhatti	36	..	..	18 Acres (19-1-57)
89	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kabulwala	23	..	..	18 ,, (19-1-59)
90	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Dallewala	14	..	..	14 ,, (19-1-57)
91	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Arianwala Kalan	29	..	..	40 ,, (19-1-57)
92	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Nathalwala	10	..	..	18 ,, (14-10-58)
93	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Qila Nau Nathalwela	10	..	..	123 ,, (16-6-58)
94	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Basti Manjit, Inderpur	29	..	..	36 ,, (16-6-56)
95	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Rattirori	14	..	..	23 ,, (19-1-57)
96	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Daggo Romana	30	..	..	16 ,, (2-10-56)
97	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Machaki Mal Singh	16	..	..	37 ,, (16-6-56)
98	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Mazhbi Sikhan, Faridkot	86	..	..	70 ,, (19-1-57)
99	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Bhana	17	..	..	10 ,, (19-1-57)
100	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Chambeli	12	..	..	10 ,, (16-6-56)
101	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Deviwala	13	..	..	461 ,, (16-6-56)
102	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Deep Singhwala	97	..	..	88 ,, (16-6-56)

Serial No.	Name of Society	Membership	Loans and grants given by Government		Total area of land with the Society
			Grant	Loan	
	BHATINDA DISTRICT—*concld*		Rs	Rs	
103	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Mani Singhwala	16	..	..	80 Acres Not available
104	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Hamirgarh	60	..	..	75 ,, Not available
105	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kothagurur	60	..	..	25 ,, Not available
106	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Kesar Singhwala	13	..	..	60 ,, (Not available)
107	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Maluka	19	..	..	..
108	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Salbrah	38	..	..	..
109	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Gumti Kalan	15	..	..	85 Acres (Not available)
110	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Phul	64	..	..	23 ,, (19-1-57)
111	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Phulokhari	27	..	..	71 ,, (16-6-56)
112	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Behman Jassasingh	33	..	..	44 ,, (19-1-57)
113	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Raman	13	..	..	86 ,, (16-6-56)
114	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Giana	67	..	..	(Newly registered)
115	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society, Ltd., Jatana Kalan	17	..	..	22 Acres registered)
116	The Scheduled Caste Co-operative Land Owning Society Ltd., Jalaliana	18	..	..	(Possession has not been given to the Society)

SANCTIONING OF NEW MANDIS IN THE HINDI REGION OF THE STATE

2390 Shri Ram Piara : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether Government sanctioned any new mandis in the Hindi Region of the State during the period from April, 1954 to-date; if so, the number, their location and the names of those wherein work has been started and the names of those where the work has not been started so far and the reasons for the latter;

(b) the details of work so far done in each of the mandis where work has started, together with the period during which this work was done;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to discontinue any of the mandis which have been sanctioned; if so, their names and the reasons for discontinuing them?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes, 20 at places given below :—

1. Sirsa
2. Kalanwali
3. Ellenabad
4. Adampur
5. Tohana
6. Barwala
7. Fatehabad
8. Bhattu Kalan
9. Dabwali
10. Hissar
11. Hansi
12. Bhawani Khera
13. Ding
14. Uklana
15. Guhla
16. Pehowa
17. Kaithal
18. Kurukshetra
19. Narwana
20. Kalayat

Development works at Nos. 1 to 4, 6 to 8, 12, 15 and 17 have been started. Reasons for not srtarting the works at the remaining places given below are noted against each :—

Tohana	..	There were some hurdles in the purchase of evacuee land. The matter has now been finalised. Development works will be taken in hand after test auctions have proved successful.
Dabwali	..	Failure of test auctions held in September, 1959.
Hansi	..	Possession of the land is yet to be taken.
Ding-Uklana	..	Projects at these places have been abandoned.
Pehowa	..	Possession of the land is yet to be taken.
Kurukshetra	..	The project has been deferred for the present.
Narwana	..	Acquisition proceedings are in hand.
Kalayat	..	Ditto
Hissar	..	Ditto

(b) *Name of mandi*		*Works executed together with the period.*
Sirsa	..	Roads in the mandi and residential area have been constructed. Pipe lines have also been laid. Underground sewerage is being constructed. Works started and continued since 1956-57
Fatehabad	..	Ditto
Kalanwali	..	Roads in the mandi area have been constructed. Storage and sedimentation tank has been constructed. Pipe lines have been laid. Water supply is being arranged. Works started and continued since 1956-57.
Bhattu Kalan	..	Ditto
Ellenabad	..	Roads in front of the portion of the area sold have been taken up for construction. Work started only recently.
Adampur	..	Two auctions held at this place were not successful. Some plots were, however, sold in the auction held in September, 1959. Development of roads in front of the plots sold is being taken up.
Barwala	..	Roads in the mandi area have been constructed. Further development works have been stopped on account of cold response in subsequent auctions. Development works started in 1956-57 and stopped in 1958-59.
Bhiwani Khera	..	Roads in the mandi area completed. Storage and sedimentation tank constructed. Pipe lines also laid. Works started in 1956-57 and stopped in 1958-59 on account of failure of auctions.
Guhla	..	1st auction was held in September, 1959. Construction of roads in front of the plots sold is being taken up.
Kaithal	..	Roads in the mandi area have been constructed. Pipe lines have been laid. Tube-well for water-supply has been installed. Works started in 1956-57 and stopped in 1958-59 on account of failure of auctions.

(c) No.

Mr. Speaker : The question hour is now over.

BILL (LEAVE TO INTRODUCE)

10.00 a.m.

THE PUNJAB PRE-EMPTION (AMENDMENT) BILL, 1960

Shri Harbhagwan Maudgil (Ludhiana, North) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill.

The leave was granted.

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, I beg to introduce the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill.

RESOLUTION(S)

I. REGARDING APPOINTMENT OF A COMMITTEE TO ENQUIRE INTO THE WORKING OF THE MINIMUM WAGES ACT, 1948, AND TO SUGGEST AMENDMENTS FOR BEING APPLICABLE TO AGRICULTURAL LABOURERS IN THE STATE (RESUMPTION OF DISCUSSION)

Mr. Speaker : The House will now resume discussion on the resolution, namely:

"This Assembly recommends to the Government to appoint a Committee including representatives of all Sections of the House and Agricultural Workers to enquire into the working of the Minimum wages Act, 1948, and to suggest suitable amendments there to with a view to making it applicable to agricultural labourers in the State".

moved by Pandit Ram Kishan Bharolian on the 18th February, 1960.

Shri Bhala Ram, who was in possession of the House, when it adjourned on that day, may resume his speech.

श्री भला राम (जींद, रिज़र्वड) : श्रीमान जी, मैं पंडित राम किशन भड़ोलियां के रेज़ोल्यूशन की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आज सारे पंजाब में खेत मज़दूर बेकार होता जा रहा है जिस की कई वजुहात हैं। पहली वजह यह है कि सेम दिन बदिन बढ़ती जा रही है और पंजाब में 93 लाख एकड़ ज़मीन में सेम पड़ गई है। जिस से लेबर को नुकसान पहुँचता है। दूसरी वजह यह है कि ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तीसरी वजह यह है कि population बढ़ने की वजह से भी लेबर बढ़ती जा रही है जिस से बेरोज़गारी फैलती है। यह जो प्रस्ताव भड़ोलियां साहिब ने रखा है मैं समझता हूँ यह बहुत अच्छा काम किया है। कुछ मेम्बरान ने इस की मुखालफत भी की है इस ख्याल से कि इस से ज़मींदारों को नुकसान पहुँचेगा। मैं उन के साथ सहमत नहीं हूँ क्योंकि यह किसी को भी ख्याल नहीं

होना चाहिये कि इस से किसी को नुकसान पहुँचेगा। चूंकि यह उन ग़रीबों से ताल्लुक रखता है जिन के पास आज खाने को रोटी नहीं है, वे बेरोज़गार हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते, जरूरियाते जिन्दगी अपने परिवार के लिये मुहैया नहीं कर सकते। इस लिये इस अहम मसले पर सारे हाउस को संजीदगी के साथ ध्यान देना चाहिये। आज देहात में यह हालत है कि मालक मज़दूरों के साथ इतना बुरा सलूक करता है कि सारा दिन काम करवा कर उन्हें 12 आने देता है। इस लिये इस बात की सख्त ज़रूरत है कि उन की कम से कम उजरत अढ़ाई रुपए मुकर्रर की जाए। अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाज़ा लगाएं कि इन 12 आनों से ग़रीब मज़दूर किस तरह अपने परिवार का पेट पाल सकता है। इस प्रस्ताव के साथ मैं ने एक amendment भेजी है कि पंजाब के अन्दर सीरियों का मसला भी बहुत अहम है। रोहतक, करनाल, फीरोज़पुर और बठिंडा के अन्दर मज़दूर का फसल में पांचवां हिस्सा होता था और मज़दूर का मालक के साथ agreement होता था। वह अपने परिवार का काम चलाने के लिये कुछ रुपया advance ले लेता था लेकिन आज ऐसी हालत होती जा रही है कि Pepsu Tenancy Acts और दूसरे ऐक्टों के पास होने की वजह से ज्यादा surplus area न निकलने के कारण सीरीं बेकार हो गए हैं इसलिये वे खेत मज़दूर के तौर पर काम करने लगे हैं। उन का मसला ध्यान देने योग्य है। आज उन की हालत यह है कि उन्हें मालक छटा या सातवां हिस्सा देते हैं, चारे में उन को कोई हिस्सा नहीं मिलता। इसलिये वे घर में पशु नहीं रख सकते। पशु से जो आमदनी होती थी वह भी खत्म हो गई है, वे अपने बच्चों को दूध मुहैया नहीं कर सकते, खुराक मुहैया नहीं कर सकते। सारे परिवार में एक ही कमाने वाला हो तो छटे या सातवें हिस्से से सब का गुज़र कैसे हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर Minimum Wages Act इन पर लागू किया जाए तो इस के अन्दर सिरीं तो नहीं आते लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस से खेत मज़दूर को बहुत फायदा होगा और वह गांव में इज्ज़तदार ज़िन्दगी बसर करने के काबल हो सकते हैं।

Mr. Speaker : Order please. The hon. Members should not indulge in talking. If they want to do so they should go to the lobbies.

श्री भला राम : मैं कहता हूँ कि गवर्नमैंट इन का इन्तज़ाम करे लेकिन मुझे यह बताते हुए अफसोस होता है कि गवर्नमैंट कोई तवज्जुह नहीं दे रही। इस का एक और असर पड़ता है कि देहात के अन्दर जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी वह आज शहरों ने ले ली है। ग्राम उद्योग और co-operative societies ने शहरों के अन्दर सेन्टर खोल दिए हैं। जो देहात की industry थी वह खत्म होती जा रही है क्योंकि जो जूतियां पहले देहात में बना करती थीं वह काम अब शहरों में शुरू हो गया है। गवर्नमैंट भी जितनी facilities देती है वह शहरों में देती है। इस तरह से देहात में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। जोलोग कुछ वक्त में किसी जगह काम करते थे और फालतू time में छोटी २ दस्तकारियों का काम करते थे वे अब बेकार होते जा रहे हैं। गवर्नमैंट को इस की तरफ

[श्री भला राम]

संजीदगी से ध्यान देना चाहिये। यह प्रस्ताव पेश कर के ग़रीब परिवारों के लिये बहुत अच्छा और नेक काम किया गया है; दूसरे provinces में Minimum Wages Act पहले ही लागू है। इस के लागू करने से किसी को नुक्सान नहीं होगा। मेरे दोस्त राठी साहिब ने फरमाया है कि इस ऐक्ट के लागू होने से ज़मींदारों को नुक्सान पहुँचेगा। मैं राठी साहिब को बता देना चाहता हूँ कि इस से किसी को नुक्सान नहीं हो सकता। जहां ग़रीबों का फायदा होता हो उस में किसी को मुखालफत नहीं करनी चाहिये। और उसे किसी दूसरे point of view से नहीं देखना चाहिये। मैं जानता हूँ कि हमारी गवर्नमैंट यह कहेगी कि हम ने पहले ही इस के मुतअल्लिक कमेटी मुकर्रर कर दी है और उस की रिपोर्ट आ गई है और हम उस पर अमल कर रहे हैं लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस कमेटी में खेत मज़दूरों और हरिजनों के नुमायंदे नहीं थे। उस कमेटी के बनाने का क्या फायदा है जिस के मुतअल्लिक आज तक किसी को पता नहीं कि उस ने क्या क्या सिफारिशें की हैं। इसलिये मैं गवर्नमैंट से दरखास्त करूँगा कि वह कमेटी की सिफारिशों पर ग़ौर कर के उन्हें लागू करने की कोशिश करे। इन अलफाज़ के साथ, स्पीकर साहिब, मैं अपनी जगह पर बैठता हूँ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬ ਇਹ resolution ਜਿਹੜਾ ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ resolution ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਹਾਂ ਕਿ agriculture ਦੀ economy ਬੜੀ planned ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੂਆਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ market ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ labour ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੋ ਘਟ ਕਿੰਨੀਆਂ wages ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸਕ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ minimum ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ steps ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ minimum wages ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ exploit ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ protection ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ wages ਦਵਾ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ means ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤੇ Civil Suit ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ

ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ representatives ਹੋਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ pros and cons ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ production ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ Grow More Food ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਕ ਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ production ਦੇ ਜਿੰਨੇ factors ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ wages ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ agriculture ਦੀ economy planned basis ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਜੂਆ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਜਕਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਔਸਤ ਕਢੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ part time ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੋ ਘਟ wages ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ resolution ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ resolution change ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ position ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, price index ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ recommendations ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ socialistic pattern of society ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਅਜ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ neglected ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ unions ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ resources ਨੇ ਉਹ ਇਕ ਥਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ demand ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਨਹੀਂ । ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ organisation ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ trade union ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਹਾਊਸ ਏਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਅਤੇ ਏਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ sections ਦੀ, ਹਰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਏਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ economy ਵੀ planned basis ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਣ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: Convention ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ inside the House exist ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ uniform policy follow ਕਰਨ । Opposition ਦੇ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ opposition ਦੀ recognition ਬਾਰੇ revise ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । (There is a convention that the Members of a party which has been recognised in the House should follow a uniform policy. Some of the Members of the Opposition are against the policy underlying the resolution while others are in favour of it. But towards the end of the speech they suddenly support it. The Opposition should follow some procedure, otherwise I shall have to revise my decision regarding its recognition.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਹਿਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : I do not recognise you as a separate member of the Parja Socialist Party ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਦੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ (I do not recognise the hon. Member as a separate member of the Praja Socialist Party. This is not posible. He can not have both ways).

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ individual ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਏਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : The Members of your party speak against each other. I expect that you work inside the House by following a uniform policy otherwise I will have to reconsider my decision regarding the recognition of the Opposition.

श्री बलराम दास टण्डन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, जो प्रस्ताव आज House के सामने उपस्थित है मैं इसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहिब, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम यह देखने की कोशिश करें कि अपने देश में आज जीवन का स्तर किस तरफ जा रहा है। और उसके साथ दूसरी बात देखने की यह है कि आज चीज़ों की कीमतें किस तेज़ी से बढ़ रही हैं। स्पीकर साहिब, अगर इन दो बातों को सामने रखा जाए तो यह देखना निहायत ज़रूरी बन जाता है कि इस देश में रहने वाले हर बाशिन्दे को कम से कम minimum कुछ खाने पीने के लिये मिले जिस से कि वह खुद और अपने परिवार की ज़िन्दगी आराम से चला सके। यह ठीक है कि congress ने अपने सामने और देश के सामने यह असूल रखा कि हम एक welfare state बनाना चाहते हैं। और उसके साथ ही साथ उन्हों ने यह कहा कि हम एक socialistic pattern of society, एक बराबरी का ढांचा इस मुल्क को दिखाना चाहते हैं। तो सवाल यह खड़ा होगा कि इस हिन्दुस्तान में एक तरफ ऐसे इनसान हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं और दूसरी तरफ ऐसे इनसान हैं जो उनकी फैंकी हुई जूठ, जो खाने की चीज़ें वे ग़ैरज़रूरी समझ कर गिरा देते हैं, उस को उठा कर खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन बातों को सामने रख कर इस मुल्क का ढांचा चलाने की कोशिश की जाती है वह सिवाए लफ्ज़ी नाअरों के कुछ नहीं। स्पीकर साहिब, कितनी अजीब हालत है। देहात में जो आदमी खेतों में काम करता है उसे मज़दूरी में कुछ नहीं मिलता। कई जगहों पर 12 आने और कई जगहों पर रुपया सवा रुपया दिहाड़ी लेने वाले इनसान से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह सही सोचने की शक्ति रखे या अपने बच्चों को सही तालीम दे सके जो परिवार के ढांचे को सुधारने में सहायक हो सके। वैसे सरकार ने यहां पर कहा कि हम चाहते हैं कि सब लोग शिक्षा लें और शिक्षा भी हम free देना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि free शिक्षा तो इस निम्न स्तर के लोगों तक पहुँचती नहीं क्योंकि प्रायः गवर्नमैंट स्कूलों में बच्चों को दाखल नहीं किया जाता। वह ग़रीब आदमी जो 12 आने दिहाड़ी कमाता है, रोज़ाना जिसको इतनी कम आमदनी होती है उसको तो यह भी फिक्र है कि वह भर पेट रोटी भी खा पायेगा या बच्चों को दे सकेगा। उसके पास मामूली कपड़ा पहनने के लिये भी पैसे नहीं। इन लोगों की हालत देखनी चाहिये। हिन्दुस्तान के और पंजाब के गांव में आज ऐसी हालत है। यहां पर बैठ कर आंकड़े दे देते हैं और सरकार बड़े तमतराक से कहती है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में जो तखमीना रखा था उसको हम ने एक साल पहले ही पूरा कर लिया है। इतनी पैदावार ज़्यादा की है। मगर जिन लोगों के ज़रिये पैदावार होती है, जो लोग पैदा करने वाले हैं, जो धर्ती पर खून पसीना बहा कर पैदावार बढ़ाते हैं क्या हमने उनके लिये सोचने की कोशिश की कि उन्हें खाने को मिलता है या नहीं। 30 या 40 रुपए महीने में तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। इतने से तो वह रोटी भी नहीं खा सकता। उसके लिये रोटी खानी मुश्किल है। अपने परिवार को—बच्चों को रोटी खिलानी मुश्किल है। वह 12 आने दिहाड़ी में कैसे गुज़ारा कर सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इसकी तरफ पूरा ध्यान दे। जैसे दूसरे spheres में लागू करने

[श्री बलरामदास टण्डन]

के कानून पास किए गये हैं इसी तरह इन पर भी Minimum Wages का कानून लागू करने की कोशिश करें। Central Government ने 1948 में इसके बारे में States को हिदायतें दीं थीं और कहा था कि इसको जल्द अज़ जल्द लागू करने की कोशिश की जाए। 1948 को आज 12 साल हो चुके हैं अभी तक यह पूरे तौर पर लागू नहीं हुआ। स्पीकर साहिब, ऐसे हालात में जो चीजें खास तौर पर करने वाली हैं वे देखने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हर चीज़ को देखना होता है। यहां वे आदमी भी रहते हैं जो दूसरे लोगों का खून चूसना चाहते हैं। अगर किसी की आमदनी 10,000 रुपया है तो वह चाहता है कि किसी तरीके से 15,000 रुपया हो जाए, 16,000 रुपया हो जाए। कई भाई बेचैनी में फिरते हैं और इसी संघर्ष में रहते हैं। उनका दृष्टिकोण ही ऐसा रहता है। इस House में बोलते हुए कई मेम्बरान ने भी ऐसी बातें कहीं, House में इस तरह का सोचने का नज़रिया रखा। वे ग़रीब आदमियों को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करते। वे यह समझते हैं कि इस तरह उनके अधिकार पर चोट लगती है और वे तिलमिला कर खड़े हो जाते हैं। अगर उनके ही मुफाद को ध्यान में रख कर चला जाए तो कोई आम जनता की भलाई का अच्छा काम नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान में जो labour कारखानों में काम करती है उसका तो कोई आधार है। गवर्नमेंट के जो क्लास III और क्लास IV employees हैं वे अपने unions बनाते हैं और कभी भूख हड़ताल के तरीके से और कभी किसी तरीके से सरकार को मजबूर करते हैं। जब ऐसी बातें लाखों की तादाद में मुलाजिम करते हैं तो public opinion उन के साथ हो जाती है। Railway Department strike पर जाने वाला है, Telegraph Department भी सारे का सारा strike पर जाने वाला है। इन को देख कर दूसरे लोग भी सोचते हैं कि यह ठीक ही बात है कि सौ सवा सौ रुपये में क्लर्क के कपड़े भी नहीं बनते, उस के बाल बच्चों की रोटी का काम भी नहीं चलता है। इस लिये वे भी उन की आवाज़ में आवाज़ मिला कर कहते हैं कि उन को कुछ देना चाहिये ताकि वे भी ठीक तरीके से अपनी जिन्दगी बसर कर सकें। यह कहना ठीक नहीं है कि उन लोगों की कोई आवाज़ नहीं है, कोई union नहीं है। अगर हम जन साधारण के प्रतिनिधि के नाते हाउस में बैठ कर इस बात को भुलाने की कोशिश करें तो यह ठीक नहीं होगा। स्पीकर साहिब, आप देखें कि आज़ादी मिलने के बाद चीज़ों की कीमतों में कितना फर्क पड़ा है। आज से पन्द्रह बीस वर्ष पहले जो घी रुपए सवा रुपए सेर बिकता था वही घी आज छः रुपए सेर बिक रहा है। दालों की कीमतें भी इसी निस्बत से बढ़ गई हैं। जो गन्दम चार पांच रुपए मन बिकती थी वह आज 17 से 20 रुपए मन बिक रही है। पिछले वर्ष तो 28, 30 रुपए मन बिकती रही है। खांड जहां पहले साढ़े तीन आने, चार आने सेर बिकती थी आज सरकार उसे खुद एक रुपए सेर बेचती है। दूर दराज गांव में जहां सरकारी खांड नहीं पहुँच पाती या कम पहुँचती है वहां पर ग़रीब लोगों को एक सेर के लिये डेढ़ दो रुपये देने पड़ते हैं। क्या करें वे ग़रीब लोग। यह dire necessity की चीज़ें हैं, इन के बिना जीवन एक कदम भी नहीं चल सकता। कपड़े की तो यह हालत है कि वही कपड़ा जो आज से दस पन्द्रह वर्ष पहले पटड़ियों पर रख कर लोग आवाज़ें लगाया

करते थे कि डेढ़ आना, दो आना या अढ़ाई आना गज़ ले जाओ आज बारह आने या चौदह आने गज़ से कम मिलता नहीं है। जब ऐसी हालत लोगों की हो तो मैं नहीं समझता कि कोई भी State welfare State कहला सकती है, या कहलाने की हकदार है? जब ग़रीब लोग खेतों में जान की बाज़ी लगा कर काम कर रहे हैं, पटरियों पर बैठे मज़दूरी कर रहे हैं और देश के अन्दर नया जीवन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको यथार्थ रूप में देखने की कोशिश न की जाए तो हम उन के साथ बे इनसाफी के मुर्तकिब होंगे। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहिब हाउस में इस बात को दरगुज़र करने की कोशिश नहीं करेंगे और इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि यह प्रस्ताव आपोज़ीशन की तरफ से आया है और इस को किसी न किसी तरीके से talk out कर दिया जाए या यह कि हमारे पास मेम्बरान की ताकत है, मेम्बरान के हाथ ज्यादा हैं और उन की मदद से इस को किसी न किसी तरीके से vote out कर दिया जाए इस बिना पर कि इस में कुछ खामियां हैं। खामियां तो हमेशा हर काम में रह जाती हैं। देश में जो कानून बनते रहते हैं उन सब की खामियां दो दो और तीन तीन sessions के अंदर दूर होती रहती हैं हालांकि उन कानूनों पर Legal Remembrancer, Advocate General और experts की legal opinion ली जाती है। इन सब की राए लेने के बाद भी जो कानून सरकार बनाती है उन के अन्दर भी खामियां रह जाती हैं। मैं नहीं समझता कि यह बात कहना ठीक है कि इस प्रस्ताव के अन्दर हाउस के सारे नुमाइंदों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, भिन्न भिन्न ख्यालात वाले किस नतीजे पर पहुँचेंगे। यह बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी मुखालिफत करने वाला भी है तो वह भी कमेटी के अन्दर रहना चाहिये ताकि वह भी दूसरे लोगों का नज़रिया सुने। दूसरों को भी उस के views सुनने का मौका मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रस्ताव में ऐसी वैसी खामीं बता कर talk out करने की कोशिश करना मुनासिब नहीं है। स्पीकर साहिब, इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि मिनिस्टर साहिब उन लोगों का ख्याल करेंगे कि जिन के पास सरदी के मौसम में तन पर एक कपड़ा भी नहीं होता, सरदी से ठिठुर ठिठुर कर हमेशा के लिये अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उन की हालत सुधारने के लिये इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे। उन लोगों को जरूरयाते जिन्दगी मुहैया करने के लिये, जिन का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उन की हालत सुधारने के लिये सरकार एक कमेटी बनाएगी जो कि सरकार को सिफारिशात करेगी। जब तक उन लोगों का standard of living ऊँचा नहीं होता और एक आम आदमी यह नहीं महसूस करता कि हिन्दुस्तान में आज़ादी आई है तो हमें यह नहीं समझना चाहिये कि हम आज़ाद हो चुके हैं। बड़े बड़े जागीरदारों और बड़े बड़े industrialist के कहने से, जिन को कि जीवन की ज़रूरयात सब मुहैया हो जाती हैं, हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ नहीं समझना चाहिये। यदि हमारी सरकार socialistic pattern of society कायम करना चाहती है तो सब से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि एक आम आदमी का जीवन स्तर ऊँचा किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि वे इस प्रस्ताव को

[श्री बलराम दास टन्डन]
स्वीकार करेंगे और इन ग़रीबों का standard of living ऊँचा करने की कोशिश करेंगे ।

ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾਨੰਦ (ਪਾਨੀਪਤ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ minimum wages ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ resolution ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ । ਤਦ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ resolution ਵਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਵਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ resolution ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ resolution ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ smuggling ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ President ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰਫ ਸਾਡੇ Labour Minister ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ Labour Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Minimum Wages Act, Factory Act ਔਰ Labour Code ਆਦਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ labour ਦੇ ਉਸ ਹਿਸੇ ਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹ resolution ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 12 ਆਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ wages ਹਨ । ਕਿਤੇ ਇਹ 12 ਆਨੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ । ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ wages ਬਾਰੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਜਕਲ ਪਿਆਜ਼ ਬੀਜਣ

ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਆਜ਼ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹੋ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਅਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਪਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਇਕਠਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਬੁਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ survey ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲੀਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਦਸੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ self cultivation ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, 30 standard ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਵਿਖਾਣ ਲਈ, ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਸਲ ਭਾਵੇਂ ਮਰਚਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਯਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਤੇ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੋਨੋ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ transport ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕੱਰਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 60 ਰੁਪਏ । ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਜਾਂ $1\frac{1}{2}$ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ

[ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾਨੰਦ]

ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਂ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਪਏ ਜਾਂ $1\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਜਾਂ 14 ਆਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ resolution ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੜਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਪਾਸ 5 ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 30 ਏਕੜ ਜਾਂ 25 ਏਕੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਚਾ ਦੀ ਗੁਡਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੁਡਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ । ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਖੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਹਿਸਾਰ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾਲ ਔਰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਮੱਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਤਕ ਦੀ ਗੁਡਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਡਾਈ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ । ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕ ਤਬਕਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲੇ 55 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ 65 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ wages ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ implement ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ wages ਦੇਣ ਦੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । West ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸੀਰੀ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਲ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਕ ਬੈਲ ਉਸ ਸੀਰੀਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੀਰੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਬੈਲ ਤੇਰਾ ਇਕ ਬੈਲ ਮੇਰਾ । ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਲ ਜੋ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਾਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ । ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ । ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ security ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੋ ਬੈਲ ਮਾਲਿਕ ਲੈਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨ

ਲੈਕੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। (ਘੰਟੀ) ਅਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ survey ਕਰੇ। (ਘੰਟੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ working hours ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ fix ਕਰੇ.........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ repeat ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਉ। (The hon. Member has repeated these very points a number of times. He should now resume his seat.)

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਨੂਰਮਹਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, House ਵਿਚ ਜੋ ਮਤਾ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜੋ sentiment ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ speech ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ pattern ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵਧਣ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦਾ resolution ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1950 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ recommendations ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਇਸ ਨੌਈਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ report ਜਨਵਰੀ 1960 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ wages ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ wages ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਮਾਇੰਦੇ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ reasons ਦੇ ਕੇ ਦਸਣ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ pattern ਬਦਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ exploitation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਦਿ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ recommendations ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ implement ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਉ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਹਲਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਟੰਡਨ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਤਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ implementation ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ national problem ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ unemployment ਵਧੀ ਹੈ। Industry ਦਾ provision ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੋ resolution ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਏ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

11. 0-0. a.m.

ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਉ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। wages ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਲਟੀ unemployment ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ problem ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ

ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ problem ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੀਏ । ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਨੂੰ constructive proposals ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿਧ ਹੋਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ suggestions ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਭੇਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ । ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਣ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਦੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ complaints ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ।

Sardar Ram Dayal Singh : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

शिक्षा तथा श्रम मंत्री (श्री अमर नाथ विद्यालंकार) : यह जो Resolution हाऊस के सामने आया है इस के बारे में इस वजह से मुखालिफत करना और यह कहना कि यह मुखालिफ पार्टी की तरफ से आया है ऐसा मेरा अकीदा नहीं । हमें किसी भी सुझाव के पीछे जो भावना हो उसकी कदर करनी चाहिये । मैं इमानदारी के साथ कहता हूँ कि जहां तक इसकी भावना का सम्बन्ध है मैं इसकी कदर करता हूँ और इसकी मुखालिफत इस लिये तो नहीं करता कि यह opposition की तरफ से आया है बल्कि इस लिये मुखालिफत करता हूँ कि इसमें कोई substance नहीं है, कोई सार नहीं है । यह एक ग़ैर ज़रूरी Resolution है । मुझे इस बात का अफसोस है कि जितने भी दोस्त यहां पर बोले हैं, काफी समझदार हैं और पूरी ज़िम्मेवारी के साथ बोले हैं, लेकिन अकसर यह देखा गया है कि हम बोलते समय इस बात का इज़हार करते हैं कि हमें अमुक मामले में दिलचस्पी है लेकिन जब कोई वज़ीर उनकी बातों का जवाब देने लगे तो वह बैठते ही नहीं । स्पीकर साहिब, हमारी बदकिस्मती यह है कि जो कुछ वह कहना चाहते हैं बोल कर चले जाते हैं और इस तरह पता चलता है कि जैसे पत्थर फैंक कर चले जाते हैं । यानी चोट कर देना और भाग जाना । हमें इस हाऊस में अच्छी tradition कायम करनी चाहिये । यह कोई बहादुरी की बात नहीं कि जो कुछ कहा जाए उसके जवाब का इन्तज़ार न किया जाए । इस लिये मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूँ कि उन्हों ने जिस नावाकफियत की वजह से

[शिक्षा तथा श्रम मंत्री]

और जिस तरह कानून से भी नावाकफियत दिखा कर यह Resolution पेश किया है और इस पर बोलें हैं मैंने ऐसी चीज़ मुश्किल से ही इससे पहले देखी होगी।

हाऊस के सामने minimum wages का सवाल रखा गया और प्रस्ताव में यह अल्फाज़ रखे गए जो मैं आपकी मारफत पढ़ कर सुनाता हूँ :

This Assembly recommends to the Government to appoint a Committee including representatives of all sections of the House........

यह इस Resolution का operative part है। यह ठीक है कि यह चाहते हैं कि agricultural labour पर Minimum Wages लागू हों लेकिन इन्हों ने आगे चल कर इसी प्रस्ताव में लिखा है :—

to enquire into the working of Minimum Wages Act, 1948. and to suggest suitable amendments thereto.

लेकिन इसके साथ कोई amendments इस में suggest नहीं की गई। फिर किस मतलब के लिये यह मांग रखी गई है :—लिखा गया है—

with a view to making it applicable to agricultural labourers in the State.

अब आप देखें कि इस Act को agriculural labour पर लागू करना और इस Act में amendment पेश करना इस से ज्यादा ग़ैर जरूरी resolution और कोई नहीं हो सकता क्योंकि यह act तो पहले से ही लागू है। फिर इस में amendment पेश नहीं हो सकतीं। इसके बारे में मैं अर्ज़ करूँ कि Minimum Wages Act Centre का है जिस में दो Schedules हैं। Schedule No. 1 में industrial labour के बारे में दर्ज है और Schedule No. 2 के part B में agricultural labour के बारे ज़िक्र है। इन दोनों पर यह Act पहले से ही लागू है। कुछ State Governments ने इसको अपनी State में लागू नहीं किया लेकिन मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि सन् 1951 में पंजाब स्टेट की सरकार ही थी जिसने part B को लागू किया था और इस schedule को लागू करके minimum wages मुकर्रर किए थे हालांकि दूसरी Governments ने इस schedule को लागू नहीं किया था। इसके बाद सन् 1952-53 में amendment होती रहीं और वह यही कि इसे फलां तारीख तक लागू कर दिया जाए। सन् 1954 तक दूसरी Government ने इसे लागू नहीं किया। मैं यहां पर इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त भड़ोलियां साहिब ने केरल की Communist Government का जिक्र किया कि उन्हों ने लागू किया है पंजाब Government ने नहीं किया। वहां सन् 1951 में क्या rates थे ? उनके rates आज भी कम हैं और उस वक्त भी कम थे। इस लिये यह यहां पर with a view to make it applicable लाया गया हो नहीं सकता क्योंकि यह पहले ही लागू है। तो यह एक ग़ैर जरूरी resolution है। इसी लिये मैं इसकी मुखालिफत कर रहा हूँ। सन् 1951 में जो rates मुकर्रर हुए और जो notification 12 मार्च, 1951 को हुआ फिर 6 फरवरी, 1953 को Pepsu Government ने जो wages मुकर्रर किए वह आप rates स्पीकर साहिब, देखें। वह 2 रुपए रोज़ का rate था। मुख्तलिफ

categories के लिये अलग अलग rates थे । इन में दो groups बना दिए गए हैं एक बग़ैर खुराक के दो रुपया रोज़ का और दूसरा खुराक समेत 1½ रुपया रोज़ का । इस तरह 60 रुपए एक agricultural labourer के minimum wages मुकर्रर हैं । इसी तरह industrial labourer के minimum wages मुकर्रर थे । वह भी 60 रुपए से कम थे । 45 से शुरू हुए थे फिर 50 रुपए हुए । इसका ज़िक्र Governor Address में और Budget speech में भी किया गया । Industrial labourer को 60 रुपये महीना या दो रुपए रोज सन् 1957 से चलता आ रहा है । minimum Wages Act के अन्दर यह provide किया गया है कि 5 साल के बाद इसे review किया जाए । हम किसी वजह से इस पर अमल नहीं कर सके । यह हमारी ग़लती समझिए या सुस्ती । पांच साल के बाद review होना था पर हम नहीं कर पाए । अब industrial labourer के बारे में notification हो चुका है अगर मेरे दोस्त उस notification को पढ़ते तो इस तरह की तकरीरें न करते, । सन् 1957 में ऐसी labour के लिये 2 रुपए minimum wages मुकर्रर था । अब 1 फरवरी, 1960 से revise किया गया है और 2½ रुपए कर दिया है जिस की वजह से 75 रुपए minimum wage मुकर्रर हुआ । इसी तरह agricultural labour के पैसे भी बढ़ा दिए हैं । अब मैं हैरान हूँ कि आप नई कमेटी बना कर क्या चाहते हैं । क्या आप उन्हें 75 रुपए से भी आगे ले जाना चाहते हैं ? मैं यह नहीं कहता कि एक सौ चाहिये या दो सौ चाहिये । ज्यादा से ज्यादा चाहिये लेकिन इसके साथ ही जो realities हैं और जो असलियतें हैं उन्हें भी देखने की ज़रूरत है । Government अपनी तरफ से कुछ नहीं करती । कमेटी पहले ही बनाई गई थी । इसमें Government की तरफ से Labour Department के आदमी, employers और employees के बराबर बराबर नुमाइन्दे और union के नुमाइन्दे और communist भाइयों के नुमाइन्दे लिये गए । उन्हों ने अपनी सिफारिशात दीं और जो कुछ इस कमेटी ने unanimously तय किया उसे मान लिया गया है । किसी मैम्बर साहिब ने कहा कि उस committee में किसानों का नुमायंदा कोई भी नहीं था । बहुत से ऐसे साहिबान भी हैं जिन्हें यह भी मालूम नहीं कि committee बनी भी थी या नहीं । इस committee का 24 July, 1959 को ऐलान हुआ था और यह resolution उस के बाद दिया गया है । Mover साहिब को भी नहीं मालूम था कि यह committee कब बनी और किस तरह बनी । अगर वह Gazette को पढ़ते तो उन को पता लग जाता कि उस committee के members कौन कौन थे । उस committee में सरदार दरबारा सिंह, Labour Commissioner थे जिन का किसानों के साथ काफी ताल्लुक है । फिर चौधरी देवी लाल member थे । डाक्टर भाग सिंह भी उस के member थे जो कि भड़ोलियां साहिब के पास बैठे हुए हैं और उन की party के हैं । वह अगर उन को ही पूछ लेते तो शायद उन्हें इस तरह की बातें कहने की ज़रूरत न पड़ती । फिर हम ने उस कमेटी में employers का representative नहीं लिया बल्कि employees का representative लिया है । उन का

[शिक्षा तथा श्रम मंत्री]

नाम मास्टर हरी सिंह है जो कि Communist Party के काफी अहम कारकुन रहे हैं और किसानों में काफी काम करते हैं। इस के इलावा मास्टर तेग़ राम जी भी member थे जोकि मुज़ारों के लिये काम करते रहते हैं। इस के इलावा लाला मोहन लाल जी उस committee के member थे। वह agrarian question पर काफी लिखते रहते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस committee ने unanimous तौर पर अपनी राए दी थी। जो 1251 के minimum wages थे हम ने उन को बढ़ा कर 75 रुपए के करीब किया है। Agricultural और industry के हालात को देख कर जितना हम कर सकते थे उतना हम ने उन के गुज़ारे के लिये कर दिया है। इस लिये मैं समझता हूँ कि और committee बनाने का कोई फायदा नहीं हो सकता। 1951 में worker की सालाना आमदनी का minimum अंदाज़ा 300 रुपया रखा था लेकिन हम ने उस को 4 सौ रुपया सालाना कर दिया है।

कहा जाता है कि जो कानून बनाया जाता है उस के ऊपर अमल नहीं होता। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारा एक economic adviser है जिन की तरफ से हर हफ्ते agricultural labour के wages के बारे में और agricultural commodities के बारे में statistics निकलते हैं। उन को अगर आप देख लें तो आप को पता लग सकता है कि हम अमल करते हैं या नहीं। हम ने ploughing के लिये without meals 2 रुपये 8 आने रोज़ाना मज़दूरी fix की है और अगर कोई साथ खुराक लें तो उस को 2 रुपए per day मिलेंगे। इस के लिये जो highest prevalent rate है वह 3 रुपये 75 नये पैसे है। Sowing के लिये भी हम ने यही rate fix किया है जब कि highest prevalent rate 3 रुपये 75 नये पैसे है। फिर weeding के लिये हम ने 2 रुपये without meal और 1 रुपया आठ आने with meals fix किया हुआ है और highest prevalent rate Rs. 3 रुपये 75 नये पैसे है। इसी तरह harvesting के लिये एक भरी unthrashed wheat plants की रोज़ाना या उस के equivalent cash या 1/20th of the harvest wheat as minimum wage हम ने fix किया है। इस के लिये जो highest prevalent rate है वह 3 रुपये per day है। इसी तरह कपास की picking के लिये पुराना rate एक आना per seer था लेकिन हम ने 50 नए पैसे per seer fix किया है। Prevalent rate जो आदमियों के लिये चल रहा है वह 2 रुपए per day for men है और औरतों के लिये 1 रुपया 8 आना per day है। इस के इलावा जो other operations हैं उन के लिये 2 रुपये rate मुकर्रर किया था लेकिन prevalent rate 2 रुपये 8 आने चल रहा है। Blacksmith के लिये Rs 3.50 fix किया है और जो rate इस वक्त चल रहा है वह 5.75 रुपये है। Carpenter का rate भी इतना ही है।

(At this stage Sardar Ajmer Singh, a Member of the panel of Chairmen, occupied the Chair.)

हमारे पंजाब में सिर्फ एक या दो जगहें ऐसी हैं जहां पर prevalent rates कम हैं। एक तो रोहतक के अन्दर सुन्दरपुर जगह है जहां पर Rs. 2.44 per day rate है। एक जगह होशियारपुर में सतौर नाम की है जहां पर carpenter को Rs 3.75 NP. per day देते हैं। महेन्द्रगढ़ में एक Sehrapur जगह है जहां पर carpenter को Rs 3.75 NP. का rate है। सो यह तीन चार जगहें हैं जहां पर prevalent rates हमारे rates से कम हैं। बाकी के जो prevalent rates हैं, statistics के मुताबिक वह जो rates हम ने fix किए हुए हैं उन से ज़्यादा है। अब आप बतायें कि नई committee बनाने का क्या फायदा हो सकता है। जो हम ने minimum wages मुकर्रर किए हैं वह हम ने पहले से बढ़ाए हैं और वह industrial labour से ज़्यादा हैं। मुझे समझ नहीं आती कि उन को अब यह revise कर के कैसे बढ़ा सकते हैं। आज जितनी भी बातें कही गई हैं वह जज़्बे में आ कर कह दी गई हैं और कोई ठोस proposal नहीं पेश की गई। न तो वह कानून को पढ़ते हैं और न ही statistics को देखते हैं जिस की वजह से इस किस्म की बातें की जाती हैं। राठी साहिब ने भी बहुत कुछ कहा था। वह वकील हैं। उन्हों ने कहा था कि Minimum Wages Act लागू नहीं होना चाहिये लेकिन उन को यह मालूम नहीं था कि यह लागू तो 1951 से है। मेरे दोस्त भड़ोलियां साहिब ने इस को दूसरी तरफ ठेल दिया। Communist भाई जब बात करते हैं तो वह एक किस्म का शक पैदा करते हैं। उन की बात को सुन कर लोगों के दिलों में शक पैदा होता है और वह समझते हैं कि पता नहीं कि हमें किधर ले जाना चाहते हैं। यह उन की party का असूल है इस लिये मैं उन पर गिला नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि उन को किसी बात की वाकफियत नहीं है बल्कि मैं कहता हूँ कि वह सब कुछ जानते हुए भी चीज़ को इस तरीके से पेश करते हैं जिस से लोग भूल भलैयों में पड़ जाएं और confusion पैदा हो।

जहां तक इस की implementation का ताल्लुक है मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उस Act के section 20 में लिखा हुआ है कि अगर किसी आदमी को पूरे wages नहीं मिलते तो जो authorities हम ने appoint की हुई हैं वह उन के पास जा सकता है। इस के इलावा वह employee खुद अदालत में भी जा सकता है। या किसी वकील की मारफत पेश हो सकता है। इस के इलावा Trade Union का कोई भी office-bearer अदालत के अन्दर जा कर कह सकता है कि फलां worker को पूरे wages नहीं मिले।

अब चेयरमैन साहिब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भड़ोलियां साहिब हैं जिन्हों ने यह प्रस्ताव पेश किया और जो इनके कामरेड हैं जो All-India Trade Union का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम मजदूरों के लीडर हैं, उनके सेवादार हैं और इस resolution को ला कर बड़ा शोर मचाते हैं कि मजदूरों के साथ यह हो रहा है, वह हो रहा है, इन्हों ने जब से यह कानून लागू किया है कभी आ कर यह नहीं कहा कि फलां जगह फलां आदमी को

[शिक्षा तथा श्रम मंत्री]

पूरी मजदूरी नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिये । मैं अर्ज करता हूँ कि गवर्नमेंट ने तो पहले ही कानून लागू किया हुआ है और उस पर अमल हो रहा है लेकिन आप की जो इतनी बड़ी Trade Union बनी है उस ने इस तरफ क्या काम किया है और मजदूरों की कितनी रहनुमाई इस काम में की है? आप की union के किसी मैम्बर ने या official ने आज तक कोई ऐसा case अदालत में नहीं पहुँचाया कि फलां जगह किसी मजदूर को wages कम दी गई हैं और over time नहीं दिया गया । मुझे किसी ऐसे case का पता नहीं । हां अगर यह कोई ऐसा case अदालत में ले कर गए हैं तो मुझे बता दें । दरअसल बात यह है कि wages पहिले ही ज्यादा हैं और पूरी मिल रही हैं । हां कुछ छोटी छोटी जगहें हैं जैसे ज़िला महेन्द्रगढ़ है वहां कुछ wages कम हैं लेकिन हमारे यह दोस्त वहां जाते नहीं हैं । इस लिये मैं समझता हूँ कि यह चीज़ ग़लत तौर पर यहां ठेल दी गई है और सारी बातें sentimental basis पर चलती रही हैं । मेरे दोस्त चौधरी श्री चन्द जी ने भी time के बारे में कहा था कि किसानों के ऊपर time की पाबन्दी नहीं लग सकती है कि 8 घण्टे काम करो। मेरा ख्याल है कि यह बात भी उन्हों ने नावाकफियत की वजह से की है । पहले ही कानून में यह है कि 9 घण्टे उनके लिये रखे गए हैं और State Government को powers दी गई हैं कि ज़रूरत के मुताबिक time के बारे में जो modification करनी हों कर लें । हम ने खेती के काम की nature और काम करने वालों की खास ज़रूरत को देखते हुए यह एलान किया जिसे मैं पढ़ देता हूँ । यह कोई नई चीज़ नहीं है । यह 1951 की बात है ।

"The number of working hours per day and quality of meals to be given to the labourers will be according to the local practice".

यानी जो पहले से practice चल रही है उस के मुताबिक अगर time में आगा-पीछा करने की ज़रूरत हो तो करते हैं । फिर खुराक की बात हो सकती है कि इस किस्म की दी जाती है, किसी को सूखी रोटी दे दी किसी को अच्छी दे दो । तो इस में भी यह बात कर दी है कि यह भी local practice पर होगा । अगर कोई मामला उठेगा तो local अदालत उसका फैसला कर सकती है । शायद यह बात चौधरी श्री चन्द जी के इल्म में नहीं थी इस लिये कह दी कि किसानों को नुकसान होगा और यह होगा वह होगा । दरअसल यह चीज़ तो 1951 से ही है, कोई नई बात नहीं है । चेयरमैन साहिब, यह बात ठीक होगी अगर मैं यह कहूँ कि यह काम दरअसल trade unions और दूसरी जत्थे-बन्दियों का है कि वह देखें कि मजदूरों को पूरी चीज़ मिल रही है या नहीं । यह ठीक है कि कानून को लागू करना गवर्नमैंट का फ़र्ज़ है लेकिन जब गवर्नमैंट किसी को अख्तियार दे देती है कि वह implementation देखे और गवर्नमैंट को बताए तो उसका भी यह पहला फर्ज़ हो जाता है कि वह देखे कि आया मजदूरों को पूरा फायदा मिल रहा है या नहीं । अगर कहीं पूरा फायदा नहीं मिलता है तो उस बारे आवाज़ उठाए । अगर हमें कोई बताए तभी हमें पता लग सकता है और हम action ले सकते हैं । हम खुद भी पता लगाते हैं और सारी कार्यवाही करते हैं लेकिन practical तौर पर यह काम हम को नहीं करना चाहिये क्योंकि यह काम ऐसा है जिसे public bodies, trade unions और ऐसी ही दूसरी जत्थेबंदियों को करना चाहिये कि अगर prevalent wages मजदूरों को

नहीं मिलती हैं तो वह specific cases नोटिस में लाएं। वैसे तो मैं ने बताया है कि prevalent wages पहले ही ज्यादा हैं। हो सकता है ठीक कि कहीं किसी जगह कोई बड़ा जमींदार किसी ग़रीब आदमी की मज़दूरी मार लेता होगा या उसे over time नहीं देता होगा लेकिन ऐसे case का तरीका यह है कि वहां की जो union हो, जत्थेबंदी हो जो बड़ा दावा करते फिरते हैं कि हम किसानों मज़दूरों के सेवादार हैं वह उनका cause आगे ले जाएं और हमें बतायें। ज़बानी जमां खर्च से तो काम नहीं चलेगा। कुछ practically करके भी दिखाइये। हम तो तब आपकी बात को सही मानते अगर आपने कभी कोई ऐसा case हमें दिया होता कि फलां गांव में फलां आदमियों को कम उजरत मिल रही है। लेकिन दरअसल बात यह है कि अगर कहीं ऐसा होता तभी तो यह कुछ करते। मुझे भी कम से कम इस सेवा को संभाले हुए तीन साल हो गए हैं मगर मेरे पास कभी भी मेरे इन दोस्तों ने जिन्हों ने यह resolution पेश किया है यह नहीं कहा कि फलां जगह ऐसा हो रहा है और फलां लोगों को कम पैसे दिए जा रहे हैं। मुझे कभी कोई बात तो बताई नहीं लेकिन अब महज़ propaganda की खातिर यह resolution ला कर रख दिया है। मैं समझता हूँ कि यह मज़दूरों के cause के साथ सिवाए गद्दारी के और कुछ नहीं हो सकता है। महज़ propaganda की खातिर और sentiments में आकर यह सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन practically कुछ नहीं करते हैं। अगर आप मज़दूरों के उतने ही सेवादार हैं जितना कि आप शोर मचाते हैं तो फिर कुछ करके दिखाएं। आखिर यह काम तो trade unions और workers का है कि वह ऐसे cases सामने लाएं। हम तो इतने inspectors नहीं लगा सकते हैं कि वह घर घर में जाकर देखें और पता लगाएं। मैं कहता हूँ कि कोई भी दुनिया की गवर्नमैंट ऐसा नहीं कर सकती है कि इतने inspectors लगा दिए जाएं जो घर घर में जाएं। अभी आपकी अपनी हकूमत केराला में थी। उन्हों ने भी inspectors नहीं लगा दिए थे जो घरों में जा जा कर पूछते फिरते थे कि किस को कितनी wages मिलीं और किस को नहीं मिलीं। यह काम तो मज़दूर जत्थेबंदियों और trade unions का है। लेकिन इनको agitation से ही फ़ुरसत नहीं मिलती। कोई न कोई agitation खड़ी कर देते हैं कभी Betterment Levy की है और कभी कोई और है। मैं समझता हूँ कि मज़दूर भी सच्चे हैं और जो हरिजन भाई बोले हैं वह भी सच्चे हैं क्योंकि उनको पूरी वाकफियत नहीं थी और वह मैं ने अब दे दी है कि असली चीज़ क्या है। चेयरमैन साहिब, हम ने जो कमेटी बिठाई थी उसे हम ने यह काम भी दिया था कि जब से यह कानून लागू किया है यह review किया जाए कि कैसे इस पर अमलदरामद हुआ है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हमें दे दी है जिस में उन्हों ने खास तौर पर कहा है कि :

> The Committee is of the view that in the beginning emphasis should be laid more on persuation rather than on prosecution.

इस कमेटी ने जिसमें डाक्टर भाग सिंह जी और मास्टर हरी सिंह शामिल थे कहा कि prosecution न करो, persuation से काम लो। हमारी पालीसी यही है कि अगर बहुत

[शिक्षा तथा श्रम मंत्री]

लोग हों जो Act की खिलाफ वर्जी करते हैं और पूरी wages नहीं देते हैं तो समझाने बुझाने की बात ठीक होती है और अगर थोड़े हों और समझाने से काम न बने तो prosecution भी होती है। दरअसल बात यह है कि हमारी जो मौजूदा wages हैं वह ज्यादा ही हैं और उन की खिलाफवर्ज़ी नहीं होती है। मैं इन भाइयों से और दूसरे भी तमाम मैम्बरान से अर्ज़ करता हूँ और दावत देता हूँ कि जिन के दिल में मजदूरों के लिये दर्द है वह आगे आएं और जहां कानून पर अमल नहीं होता है वह cases हमें बतायें। हम persuasion से भी काम लेंगे और अगर persuasion से नहीं मानेंगे तो prosecution भी करेंगे।

एक बात यहां और कही गई थी जिस के करने से किसान और मज़दूर में बड़ा भेद पैदा किया गया है। कहा गया कि यह ऐसे कानून से किसानों को तंग करेंगे। खास तौर पर राठी साहिब ने यह बात कही थी और चौधरी श्री चन्द जी ने भी इस का ज़िक्र किया था कि अगर हम किसान पर Wages Act लागू करते हैं तो उस पर ज़ुल्म करते हैं। दरअसल किसान और मज़दूर में कोई अन्तर नहीं है। जो किसान है वह जब ग़रीब हो जाता है ज़मीन से गुज़ारा नहीं होता है तो मज़दूर बन जाता है। आप चेयरमैन साहिब खेती से भी और लुध्याना के industrial area से भी वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि majority of workers कारखानों में काम करती है। आखिर वे कौन हैं? वह शहरों के बसने वाले नहीं। ज्यादातर किसान हैं जो माली मुश्किलात की वजह से और ज़मीन की कमी और उस पर गुज़ारा न होने की वजह से शहर में आ कर मज़दूरी करते हैं। जो भाई किसान और मज़दूर का सवाल पैदा करते हैं वह ठीक नहीं करते। इस सवाल को इस नुक्ता से देखना ग़लत है। दोनों ही मेहनत से काम करते हैं और देश के लिये दौलत पैदा करते हैं। किसान ज़मीन से दौलत पैदा करता है और जब वह शहर में जाता है तो कारखानों में दौलत पैदा करता है। खेती के मज़दूर और कारखाने के मज़दूर में कोई फर्क नहीं। दोनों ही सख्त मेहनत करके देश के लिये दौलत पैदा करते हैं इस लिये उनकी मुनासिब उजरत होनी चाहिये। हम उनको ऊपर उठाना चाहते हैं चाहे वह कारखानों में काम करते हैं, चाहे खेती का काम करते हैं। मेरे एक Communist भाई ने कहा कि trade union ने यह पास किया कि किसी को 100 रुपया और 150 रुपये माहवार से कम नहीं मिलना चाहिये। मैं कहता हूँ कि 500 रुपए से कम नहीं मिलना चाहिये। लेकिन कह देने से तो बात नहीं बनती है। आखिर यह भी तो देखना है कि हम पैदा क्या करते हैं। जो पैदा करेंगे वही बांटेंगे बाहर से तो कुछ ले नहीं आएंगे। मास्को से या अमरीका से नहीं लाएंगे। बल्कि हम यह पता करेंगे कि आया यह ठीक है या नहीं और यह देखेंगे कि उन को मनासब हिस्सा मिले। लेकिन अगर वह ज्यादा पैदावार न करे तो फिर उसे इस से ज्यादा नहीं दे सकते। हमने जो minimum wages मुकर्रर किए वह तमाम economic हालत को देख कर, industry की capacity को देख कर, किसान की capacity को देख कर economic statistics को देख कर, prevalent rates को देख कर तमाम चीज़ों को सामने रख कर rates मुकर्रर किए और मैं समझता हूँ कि ये rates मुनासब हैं और ऐसा कानून लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी

फरवरी में हम ने नए rates लागू किए हैं इस लिये इस को बदलने की ज़रूरत नहीं। अगर अनाज का भाव बढ़ जाता है तो गवर्नमैंट को इख्तयार है कि यह किसी वक्त भी rates तबदील कर दे लेकिन उस में उसे तीन महीने का नोटिस देना पड़ता है। अब भी हम ने जो तबदीली की है कानून के मुताबक तीन महीने का notice दिया है और तीन महीने के बाद नए rates लागू होंगे। चेयरमैन साहिब, मैं ने sentiments की कोई बात नहीं कही। महज़ sentimental होने, कीचड़ उछालने और छींटे फैंकने में मैं नहीं पड़ता। अगर वह कोई दलील दे कर मुझे कायल करते तो और बात थी। क्योंकि मुझे इस बात का कोई ख्याल नहीं कि यह चीज़ अपोज़ीशन की तरफ से आई है इस लिये इसे न माना जाए बल्कि मैं यह समझता हूँ कि यह resolution ग़ैर ज़रूरी है और इस की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। इन शब्दों के साथ चेयरमैन साहिब मैं इस की ज़बरदस्त मुखालफ़त करता हूँ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਉਨਾਂ) : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਗੁਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ resolution ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ (Laughter) ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਉਜ਼ਰਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ 1951 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ notification ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1953 ਔਰ 1954 ਵਿਚ due ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ revise ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1956-57 ਵਿਚ revise ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ 1960 ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1951 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 1960 ਤਕ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜੇ ਤਕ set ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੇ ਕੁ ਹਮਦਰਦ ਹਨ। 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ resolution ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ minimum wages Act ਗਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ resolution ਦੇ ਇਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1951 ਤੋਂ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਸਜਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ 1970 ਤਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ fore front ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

लोक कार्य मन्त्री : आप का मुद्दा हल हो गया—

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ।

उद्योग मन्त्री : यह तो महज़ propaganda है।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : Propaganda ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ? (when did the hon. Member not doubt its intention ?)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ।

शिक्षा तथा श्रम मन्त्री : On a point of order. चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब ने रूलिंग की थी कि किसी की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता लेकिन इन्होंने फिर शब्द इस्तेमाल किए हैं। इन्हें withdraw करने के लिए कहा जाए।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਂਦੇ ਹਨ !

Mr. Chairman : You should have raised objection at that time. You are a very senior and sober member of the House. You should know that imputing motives is not allowed in the House.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

शिक्षा तथा श्रम मन्त्री : मैं ने तो पार्टी के मुतल्लिक कहा था person के मुतल्लिक नहीं।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ dishonesty ਹੈ।

Mr. Chairman : There should be no further controversy when I have given my ruling that imputing motives in the Hose is not allowed.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕਠੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਗਲ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ resolution ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਇਸ resolution ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਸ ਹਊਸ ਵਿਚ ਤੇ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ Revenue Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 standard acres ਤੋਂ ਵਧ $4\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ surplus ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ $1\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਭੂਮੀ-ਹੀਨ ਕਿਸਾਨ ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਲੱਖ ਜ਼ਰਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ $1\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ੇਰ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ waterlogging ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰੀ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ Resolution ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ! ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਗਲ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਾ resolution ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸਚਮੁਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਇਕ ਗਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ resolution ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ? ਜ਼ਰਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੌਣ employ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਵਡੇ ਵਡੇ landlords ਜਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ big farms ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ rich peasants ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ engage ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਕ ਅਜੀਬ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ resolution ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰਈ ਮਜ਼ਦੂਰ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਧੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ । ਮੇਰਾ resolution ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਰਾਠੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲ ਕਿਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਨੂੰ ਰਾਠੀ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ।

ਫੇਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਬ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਾਵਾਕਫੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਨਾਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ । ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੀ monopoly ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਂਵੇ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਐਂਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ minimum wage ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ effective machinery ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

ਦੂਸਰਾ ਸੁਝਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਕੋਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, Thana-wise ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ । ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Public Relations Department ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਇਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਨਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਣੀਆਂ

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ meetings ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ Communist Party ਉਤੇ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ।

(*At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.*)

ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦੀ implement ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਲੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਸ ਮੈਂ ਏਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ।

Mr. Speaker : Question is—

In line 2 till end for "to appoint a Committee..............in the State" substitute "to accept and implement recommendations of Minimum Wage Committee for Agricultural Workers appointed by the Government in August-September, 1959, together with necessary improvements".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

At the end add

"and to suggest suitable steps for protection of interests of siris".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

At the end add

"and to make suitable provision for safe-guarding the interests of the agricultural labourers working on Sajha (Partnership) and 'Siris' basis".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

At the end add

"and to suggest suitable steps for protection of interests of siris".

The motion was lost

Mr. Speaker : Question is—

This Assembly recommends to the Government to appoint a Committee including representatives of all sections of the House and agricultural workers to enquire into the working of the Minimum Wages Act, 1948, and to suggest suitable amendments thereto with a view to making it applicable to agricultural labourers in the State".

The Assembly then divided:

Ayes 12

Noes .. 47

The motion was declared lost.

AYES

1. Baldev Parkash, Dr.
2. Balram Das Tandon, Shri
3. Bhag Singh, Dr.
4. Bhala Ram, Shri
5. Hukam Singh, Shri
6. Inder Singh, Shri
7. Jagat Narain Chopra, Shri
8. Jangir Singh, Comrade
9. Karam Chand, Shri
10. Muni Lal, Shri
11. Ram Kishan Bharolian, Pandit
12. Sahi Ram, Bishnoi, Chaudhari

NOES

1. Abhai Singh, Shri
2. Ajmer Singh, Sardar
3. Amar Nath Vidyalankar, Shri
4. Atma Singh, Sardar
5. Baloo Ram, Shri
6. Balwant Singh, Sardar
7. Benarsi Das Gupta, Shri
8. Bakhtawar Singh Rai, Gyani
9. Bhule Ram, Chaudhri
10. Chambel Singh, Chaudhri
11. Chanda Singh, Sardar
12. Chander Bhan, Chaudhri
13. Charan Singh, Sardar
14. Dalbir Singh, Shri
15. Dasondha Singh, Chaudhri
16. Dhanna Singh Gulshan, Sardar
17. Hans Raj Sharma, Shri
18. Harbans Lal, Shri
19. Harbhagwan Maudgil, Shri
20. Harnam Singh, Sardar
21. Jagat Ram, Shri
22. Joginder Singh, Sardar

23. Kartar Singh, Gyani
24. Kesara Ram, Shri
25. Mehar Singh, Thakur
26. Mohan Lal, Shri
27. Narinjan Singh, Sardar
28. Niranjan Singh Talib, Sardar
29. Om Prabha Jain, Shrimati
30. Parkash Singh, Sardar
31. Partap Singh, Bakshi
32. Rajinder Singh, Sardar
33. Devi Lal, Chaudhri
34. Ram Dayal Singh, Sardar
35. Ram Kumar Bidhat, Shri
36. Ran Singh, Sardar
37. Roshan Lal, Shri
38. Sadhu Ram, Chaudhri
39. Sneh Lata, Shrimati
40. Sarla Devi Sharma, Shrimati
41. Shri Krishan Shastri, Shri
42. Sohan Singh, Sardar
43. Sumitra Devi, Shrimati
44. Suraj Mal, Chaudhri
45. Waryam Singh, Sardar
46. Waryam Singh, Sardar (Dera Baba Nanak)
47. Raghubir Singh, Raja

II. REGARDING DISTRIBUTION OF NAZOOL AND SURPLUS LANDS AMONG SCHEDULED CASTES, BACKWARD CLASSES AND LANDLESS OR CULTIVATORS INTENDING

Sardar Narijan Singh (Tarn Taran 'Reserved') : Sir, I beg to move—

12 00 noon

This Assembly recommends to the Government to take steps so that the Nazool land and land in excess of 30 acres with the landlords in the State at present is given to those belonging to Scheduled Castes/Backward Classes and to landless cultivators or intending cultivators only.

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਾ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੁਖੇ ਤਿਹਾਏ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਦੇ ਬਾਦ ਲਖਾਂ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਉਥੇ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ 5, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ D. S. P. ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਪਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਠਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ]

ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਸ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਡਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ appeal ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

Mr. Speaker : Motion moved—

This Assembly recommends to the Government to take steps so that the Nazool land and land in excess of 30 acres with the landlords in the State at present is given to those belonging to Scheduled Castes/Backward Classes and to landless cultivators or intending cultivators only.

I have received notices of the following amendments to this Resolution from various hon. Members. These amendments will be deemed to have been read and moved :

Pandit Ram Kishan Bharolian,
Shri Bhala Ram,
Dr. Bhag Singh,
Chaudhri Hukam Singh, Comrade,
Sardar Jangir Singh, Comrade.

(1) In line 3 between "Nazool Land" and "and" insert "unallotted culturable evacuee lands, cultivable Government lands".

(2) In line 5 for "those" substitute " agricultural workers and poor peasants".

(3) At the end add

"The Assembly further recommends that the above be implemented within the period of a year".

(4) At the end add

"The Assembly further recommends to the Government to take steps to apply ceiling to ownership of land in case of Punjab Tenancy Act, also as in the case of Pepsu Act."

Chaudhri Dharam Singh Rathi.

(5) In lines 3 and 4 for "and land in excess of 30 acres with the land lords" substitute "other Government lands and all common lands vested in the Panchayat".

(6) In the end for "only" substitute "and also to small land owners and other non-proprietors without any rent".

Sardar Dhanna Singh Gulshan.

(7) In line 4 between "land lords" and "in" insert "and the unallotted muslim evacuee lands after fixing compensation therefor at Rs 5 per acre".

Chaudhri Bharat Singh :

8. In line 3 between "land" and ,,and" insert unallotted evacuees land, Government owned lands."

9. At the end add "and ejected tenants, peasants having holding less than 5 standard acres."
10. At the end add "it further recommends that this whole operation be finished by the end of 1960".

Shri Ram Piara :

11. In line 7 between "cultivators" and "or" insert," ejected tenants and those land owners who own land less than five acres."

Sardar Bhag Singh :

12. In line 8 *delete* "intending cultivators".

Gyani Kirpal Singh 'Shant':

13. At the end add "at the rate of Re 1 per standard acre."

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू (होशियारपुर जनरल) : स्पीकर साहब, यह जो प्रस्ताव हाउस में पेश है और जिस के द्वारा यह मांग की गई है कि यह सदन सरकार से यह सिफारिश करता है कि जो नजूल लैंड और लैंड लार्ड्ज़ के पास in excess of 30 acres है उस को Scheduled Castes/Backward Classes and to landless cultivators or intending cultivators को दिया जाए, मैं इस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मुझे खुशी है कि इस प्रस्ताव का मुद्दा उन लोगों को ऊपर उठाने का है जो कि सदियों से पिछड़े हुए हैं, पसमांदा हैं और जिन को समाज ने बहुत बुरी तरह से कुचल कर रख दिया है। उन को हर प्रकार से exploit कर के demoralized किया हुआ है। मैं इस रेज़ोल्यूशन की पुरज़ोर हिमायत करता हूँ। इस प्रस्ताव में "Scheduled Castes,/Backward Classes and to landless cultivators or intending cultivators" सब को शामिल किया गया है। चाहिये यह था कि हरिजनों को ज़मीन देने के बारे में प्रस्ताव लाया जाता। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बावजूद इस बात के कि एक ऐसा कानून इस हाउस ने पहले पास किया हुआ है कि तीस standard acres से ज़्यादा जो ज़मीन ज़मींदारों के पास हो उस को surplus declare कर दिया जाए और उस को हरिजनों को दे दिया जाए, surplus land ही दिखाई नहीं देती। इस बात से यह मालूम होता है कि landlords और बड़े बड़े ज़मींदार ऐसा करने के लिये तैयार नहीं हैं। इस चीज़ से यह भी साफ ज़ाहिर होता है कि आज हमारे रहनुमा जो कि Treasury Benches पर भी बैठे हुए हैं उन के हाथों से हरिजनों का भला नहीं हो सकता। मैं हाउस को वाज़ेह करना

[चौधरी कर्म चन्द सिद्धू]

चाहता हूँ कि अगर वे हरिजनों का भला करना चाहते हैं तो कोई ऐसा रेज़ोल्यूशन ज़रूर पास करें जिस से कि उन की हकतलफी बच सके। वे ग़रीब लोग आज महंगाई के ज़माने में पिस रहे हैं, उन के पास कोई रोज़गार नहीं है। अगर कोई इस से बेहतर प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता तो इस प्रस्ताव को ही पास किया जाए। स्पीकर साहिब, इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करूँगा कि जो ज़मीन अभी तक unallotted पड़ी हुई है, हकूमत को चाहिये कि वह तमाम हरिजनों को दे दे। वह ज़मीन जो Village Common Lands Act के मुताबिक पंचायतों के पास है वह ज़मीन भी हरिजनों को दी जानी चाहिये। लेकिन उस के लिये अभी तक कोई provision उस कानून में नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ कि उस ज़मीन को भी कोई मनासिब तरीका अपना कर हरिजनों को दे देना चाहिये। लेकिन आम तौर पर हम यहां देखते हैं कि जिस वक्त यहां हरिजनों का कोई मसला पेश होता है तो इन के जज़बात के साथ खेलने की कोशिश की जाती है और हंसी और मखौल उड़ाये जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं। हरिजनों की आबादी पंजाब में कोई कम नहीं। यह तकरीबन 30 या 35 लाख के करीब है और 35 या 36 नुमायंदे इन के यहां चुन कर आये हुए हैं। और इन लोगों की नुमायंदगी करने वाले 35 या 36 M.L.A.s में से कुछ मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर भी हैं। मगर मुझे अफसोस है कि उन्हें मिनिस्टरी में ले कर सरदार प्रताप सिंह कैरों ने उन के मुंह बन्द किये हुए हैं और इसी तरह से दूसरे जो कई हरिजन M.L.As. हैं उन्हें और कई तरीकों से accommodate किया हुआ है जिस कर के उन की ज़बान भी बन्द है। बल्कि मैं अगर यह कहूँ तो ग़लत न होगा कि चार चार या पांच २ हरिजन M.L.As. और दूसरे M.L.As. वज़ीरों की कारों में बैठ कर आते हैं क्योंकि हरेक वज़ीर अगर इस तरह से उन्हें अपने साथ न रखे तो उसे अपनी मिनिस्टरी का डर रहता है। वह समझता है कि मिनिस्टरी में अपनी जगह बनाये रखने के लिये उसके साथ पांच या छः M.L.As. ज़रूर हों। स्पीकर साहिब, मैं कहूँगा......

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : राठी साहिब, कौन सी बात ठीक कह रहे हैं? हरिजनों वाली या resolution वाली बात। (Addressing Chaudhri Dharam Singh Rathi) Which fact is he stating correctly regarding Harijans or the resolution ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जी दोनों ठीक कह रहे हैं ?

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू : तो स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह लोग जो यहां हरिजनों की नुमाइंदगी करने के लिये इस हाउस में आये हुए हैं इन्हें चाहिये कि यह वज़ारत को इस बात पर मजबूर करें कि यह जो नज़ूल lands हैं यह तमाम हरिजनों को दे। ज़मीन का मसला एक बड़ा अहम मसला है। हिन्दुस्तान में और इस सूबे में रहने वाला हर इनसान यह चाहता है कि उसे ज़मीन मिले और इस के लिये कोशिश करता है। लेकिन अगर यहां कोई इस किस्म का resolution पेश किया जाता है तो उसे यह कह

कर कि इस की wording ठीक नहीं है या यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है टाल दिया जाता है। अभी हरिजन मज़दूरों की minimum wages के मुकर्रर करने का जो resolution यहां आया था उसे रद्द कर दिया गया है। अब इस resolution का भी जो के नज़ूल lands के बारे में हैं, मुझे शक है, शक ही नहीं बल्कि विश्वास है वही हश्र होगा। या तो इसे पास नहीं होने दिया जाएगा या इस को वापस ले लिया जायेगा। फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि हरिजनों की हालत अब भी ठीक नहीं हैं। उन्हें कहीं भी पूरी तादाद में representation नहीं दी जाती यहां तक कि उन्हें संसद में भी पूरी नुमाइंदगी हासिल नहीं है। यह लोग इस सूबा में भी इसी तरह से दबे हुए हैं। न इन के पास कोई रोज़गार है, न इन्हें तालीम देने का कोई तसल्ली बख्श इंतज़ाम है और न इन्हें रोटी ही अच्छी मिलती है और बेरोज़गारी उन्हें भूखे मरने तक के लिये मजबूर करती है। इस लिये मैं हाउस से यह दरखास्त करूँगा कि इस resolution को पास कर के हरिजनों को नज़ूल lands ज़रूर दी जायें।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ resolution ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆਈ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਥੇ resolution ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਗਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਧਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਸਲੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ implementation ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ landless tenants ਨੂੰ ਕੋਈ relief ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ surplus area ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਵੀ ਇਥੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ surplus area ਛੇਤੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ landless tenants ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ੂਲ lands ਦਾ resolution ਆਇਆ ਹੈ। ਨਜ਼ੂਲ land ਲਖਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ effective ਗਲ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ resolutions ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ

[ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਗਲ effective ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ Backward classes ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । backward ਜਾਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ economically backward ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਜ socialistic pattern of society ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ justified ਸਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ—

> "I do not want to be re-born. But if I have to be born again, I should be born as an untouchable so that I may share their sorrows, sufferings and affronts levelled on them in order that I may endeavour to free myself and them out of their miserable condition. I, therefore, pray that if I should be born again, I do so not as Brahmana, Kashatria, Vaish or Shudra but as an Atishudra."

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ :

"ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ ।"

ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹਥ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ resolution ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ resolution ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ । ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਮੈਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਜ਼ਤ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਛ ਲਉ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ :

'ਸ਼ਹਿਰੀਂ ਵਸਣ ਦੇਵਤੇ, ਨਗਰੀਂ ਵਸਣ ਮਨੁਖ,
ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਈਂ ਭੂਤਨੇ ਪੁਟ ਪੁਟ ਸੁਟਣ ਰੁਖ ।' (ਹਾਸਾ)

ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮਿਨਟ ਵਿਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ differ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ practical ਕੰਮ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਅਜ ਜ਼ਮਾਨਾ practical ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ । ਕੀ untouchability ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ untouchability ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਉ ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਵਿਵੇਕਾ ਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

"No man can get his right by requests. Rights are wrested from unwilling hands."

ਇਹ ਸਿਧਾ ਅਸੂਲ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ । ਜੈ ਹਿੰਦ ।

ਚੌਧਰੀ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ resolution ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ੂਲ land ਹੈ ਜਾਂ 30 standard ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ, backward classes ਅਤੇ landless cultivators ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋ ਲਫਜ਼ 'landless cultivators' ਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ । ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੋ 4 ਜਾਂ 5 ਲੜਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ landless cultivators ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਹਰੀਜਨ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸੀਲਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ landless cultivators ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ backward classes ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਰਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਲਾਵੇ

[ਚੌਧਰੀ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ]

ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੋਲੋਂ ਤੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ਤ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਗਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ । ਪੰਜਾਂ ਏਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਇਜ਼ਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਤਾੜਦੇ ਹਨ । ਚੌਧਰੀ ਕਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਘਰ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਪੇਟੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । (Hear, hear) ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ resolution ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ । (*interruption*) ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ Opposition ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਭਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । (*interruption*) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਜ਼ੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੇਜ਼ੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰੇ । ਇਹ ਮਤਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਨਤੀ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਚਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਅਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਹਨ । ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿਸਾ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ

ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਸਕਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਣ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ (ਧੂਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਜ ਅਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ । ਇਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆ ਜਾਣ । ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਧਾ ਸਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਇਥੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਈਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ । ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ :—

ਗਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀਂ ਬੁਰੀਆਂ
ਮਨੋ ਕਸੁਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਟਵੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਸਨ ਪਰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ।

[ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ]

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਝਤੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮਤਾ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਖ ਤੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਚੁਕ ਸਕਣ । ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਗਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀਂਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਕ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਖੇ ਭਾਣੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਰੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ :—

ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁਖ ।

ਸੈ ਭਰਾਓ (ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਕਿ ਸੀਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਲ ਫੜ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਮੂਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਖ ਵਲ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦੀ ਮਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ।

ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਹ ਆਤੁਰ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਵਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ । ਉਸ ਸੀਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ । ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ । ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ ਵਿਚ ਡੰਗਰ ਚਰਾਂਦੀ ਵੇਖੀ । ਮੈਂ ਸਾਇਕਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਪ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈਂ ਕੀ ਗਲ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਭਰਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ । ਘਰ ਦੇ ਸਤ ਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਨਿਕਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲਗਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਏਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਡਮੁਲਾ ਅੰਗ ਹਨ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਹ ਚੁਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ ਅਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਕਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਜ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

[ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'or intending cultivators' ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਕਰੋੜ 65 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਕੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ । ਏਥੇ industries ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ hold ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ । ਅਜ ਕਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ । ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ character democratic ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸਮਝਾਈਏ ਔਰ class ਦੇ basis ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ । ਏਥੇ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਚ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੀ ਸੋਚਾਂ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਨੋਭਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ultimately ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਰਅਸਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਏਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਏਥੇ 1953, 1954, 1955, 1956 ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ

ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਸੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਥੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ supreme ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Politbureau ਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ relevant ਬੋਲੋ । (The hon. Member should speak to the motion.)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ basic ਬੀਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ life ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ ਘਟ ਲਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੋ ਚਾਲਾ ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, इस House को और आप को यह सुन कर हैरानगी होगी कि मैं इस resolution की हिमायत कर रहा हूँ। जब पिछली बार भी resolution आया था कि हरिजनों को ज़मीन दी जाए तो उस वक्त भी हम ने उन के हक में vote दिया था। हम चाहते हैं कि उन को ज़मीन दी जावे और जो नज़ूल land के बारे में resolution आया है यह ज़रूर पास कर दिया जाना चाहिये। कांग्रेस Government जो है यह आज से नहीं बल्कि 1947 से ऐलान करती आ रही है कि हम हरिजनों को ज़मीनें देंगे लेकिन हैरानगी की बात है कि आज तक किसी हरिजन को ज़मीन नहीं दी गई।

आवाज़ें : ग़लत, ग़लत ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : जैसे मैं कहता हूँ वैसे कोई ज़मीन नहीं दी गई । मैं कहता हूँ कि बग़ैर पैसे के और बग़ैर rent के उन्हें ज़मीनें दी जानी चाहियें । मेरी इस में दो amendments हैं । वह यह हैं ।

1. In lines 3 and 4 for "and land in excess of 30 acres with the landlords" substitute "other Government lands and all common lands vested in the Panchayat"

2. In the end for "only" substitute " and also to small land owners other non-proprietors without any rent".

तो स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक मेरी पहली amendment का ताल्लुक है मैं उस के ज़रिए 30 स्टैंडर्ड एकड़ वाली चीज़ delete कराना चाहता हूँ । इस का कारण यह है कि हरिजन मैम्बरान भी यही कहते हैं और दूसरे सब मैम्बरान भी अच्छी तरह जानते हैं कि सही मायनों में आज पंजाब के अन्दर किसी के पास 30 स्टैंडर्ड एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है ही नहीं । पहले ही सारी ठिकाने लग गई है । इस लिये मैं समझता हूँ कि यह अलफाज़ Redundant हैं क्योंकि जब ज़मीन ही नहीं मिलनी है तो इनके लिख देने का क्या फायदा है । अगर कहीं से थोड़ी बहुत मिलेगी भी तो भी इस में एक खामी रह जाती है क्योंकि यहां यह नहीं लिखा है कि उसमें से ejected tenants का क्या बनेगा और उनको क्या मिलेगा । इस resolution के ज़रिये तो आप उन tenants का ही रास्ता बंद कर रहे हैं । जो छोटा owner है जिस बचारे के पास दो तीन बीघे ज़मीन है वह eject हो कर कहां जाएगा । उसको तो ज़मीन मिलेगी नहीं क्योंकि उसका नाम तो इस resolution में आता नहीं है । तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर surplus मिल भी जाएगी तो यह रुकावट पड़ेगी । वह ज़मीन तो जो surplus मिलेगी security of land Tenures Act के मातहत ejected tenants को मिलनी है और मिलनी चाहिये चाहे वह किसी तब्के के हों । इसी लिये ही मैं ने यह पहली amendment दी है ताकि यह खामी दूर हो । दूसरी तरमीम इस लिये दी है कि इस नजुल लैंड से जो यहां है आप क्या बनाएंगे । मैं अर्ज़ करता हूँ कि जितनी नज़ूल ज़मीन है अगर वह इन तमाम तब्कों को जिनका यहां ज़िक्र है बांट कर दी जाए तो एक २ आदमी को सिर्फ पांव रखने के बराबर ही मिलेगी । एक मैम्बर साहिब इधर से बड़ी शान से बोले कि जब हरिजनों को यह ज़मीन मिल जाएगी तो उनकी हालत तबदील हो जाएगी, मयारे ज़िन्दगी बढ़ जाएगा और न जाने क्या २ हो जाएगा । मैं अपने उस दोस्त से पूछना चाहता हूँ कि आपने यह पता भी किया है कभी कि यह ज़मीन है कितनी जिस के मिलते ही काया कल्प हो जाएगी । जिस ज़मीन को आप कहते हैं कि हरिजनों को दे दो, landless लोगों और intending cultivators को दे दो वह आखिर है कितनी ? मैं कहता हूँ कि एक आदमी के हिस्सा इतनी ज़मीन भी नहीं आती कि जिसमें वह अपना चूल्हा भी बना सके । मगर यह फरमाते हैं कि मयारे ज़िन्दगी बढ़ जाएगा, हरिजनों के लड़के पढ़ने लग जाएंगे, कालिज चले जाएंगे और वलायत चले जायेंगे (हंसी) मैं कहता हूँ कि नज़ूल लैंड से काम नहीं चलेगा इस लिये common land भी इन लोगों को दो और इस के इलावा और जो दूसरी ज़मीन गवर्नमैंट के पास है और जो Land Utilisation Act के

मातहत लेनी है वह भी दो तब भी इतना काम चलेगा कि बेचारे सब्ज़ी वग़ैरह लगा लेंगे ग्रौर थोड़ी गोभी ग्रालू खा लेंगे (हंसी) फिर हमारे एक दोस्त कहने लगे कि rent लगा लो। मैं पूछता हूँ कि rent क्यों लगा लो ग्रौर मुफ्त क्यों न दो? मैं चाहता हूँ कि यह ज़मीन मुफ्त मिलनी चाहिये (*cheers from the opposition*) कोई rent नहीं होना चाहिये ग्रौर कोई compensation नहीं होनी चाहिये। यह चाहते हैं कि rent का नाम ले कर हरिजनों को डरा दो क्योंकि इतना Rent लगा देंगे कि कोई लेने की हिम्मत नहीं करेगा ग्रौर फिर वही चंद ग्रादमी ले लेंगे जो ग्रागे ले लेते हैं। हम ने पंचायतों की ज़मीन का हाल देखा है, बोली बोलते हैं मगर हरिजनों के पल्ले नहीं पड़ती है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि ग्रगर ज़मीन देनी है तो वग़ैर rent ग्रौर compensation के दो। फिर यहां कहा गया है कि यह ज़मीन सिर्फ हरिजनों को ही मिलनी चाहिये। मैं कहता हूँ कि गांव के ग्रन्दर हरिजनों से भी ग़रीब तबके मौजूद हैं जो खेती करना चाहते हैं। कई छोटे land-owners ग्रौर ग़ैर मालिक ऐसे हैं जिनकी हालत हरिजनों से भी बदतर है ग्रौर मालगुज़ारी, नहरी रेट तक नहीं दे सकते। उनका भी हक है ग्रौर उनको भी यह ज़मीन मिलनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि कोई भी ग़रीब तब्का चाहे शहरों में रहता है चाहे दिहात में जो खेती करके गुज़ारा करना चाहता है उसे ज़मीन दो। ग्रभी हमारे चौधरी सुन्दर सिंह साहिब बोले मगर उन्होंने कोई ग्रच्छी बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि हाउस के ग्रन्दर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। उन्होंने कहा कि विनोबा जी सूबा में ज़मीन मांगते फिरे पर किसी ने ज़मीन नहीं दी है ग्रौर उनको पता नहीं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मैं कहता हूँ कि यह बात ग्रपने दिमाग़ से निकाल दो, चाहे यह बात चौधरी सुन्दर सिंह के दिमाग़ में हो चाहे ग्रौर किसी के दिमाग़ में हो कि पंजाब का ज़मींदार लातों से ग्रापको ज़मीन देने वाला है। ग्राज पंजाब में ग्रापके इस रोग्रब में ग्राकर कोई ज़मींदार ज़मीन देने वाला नहीं है। हम डरने ग्रौर घबराने वाले नहीं हैं। हम ज़मीन देने के लिये तैयार हैं मगर जो सरकारी ज़मीन है वह भी लो, हम ग्रापके साथ हैं। ग्राप हमारे बेशक 10 ग्रँगूठे यह ग्रौर 10 ग्रँगूठे वह बीसों लगवा लो लेकिन यह ग़लतफहमी दिल से निकाल दो कि लातों से ज़मींन लेनी है। इस सिलसिले में मैं एक ग्रर्ज़ यह करना चाहता हूँ कि यह ज़मीन ऐसे लोगों को न दें जो बेचारे कुछ कर न सकें ग्रौर ज़मीन ही खराब कर दें। पहले भी एक ऐसा वाकया हुग्रा है जो मैं ग्रापको बता देता हूँ। हमारी तहसील पानीपत में एक गांव कवी है। वहां कुछ ज़मीन ऐसे हरिजनों को दे दी जिन को कुछ पता नहीं था कि ज़मीन किस बला का नाम है। इधर उधर से देहली वग़ैरा से इकट्ठे कर लिये ग्रौर उनकी co-operative society बना कर उनको ज़मीन दे दी कि जाग्रो बीजो, खाग्रो ग्रौर मज़े करो। स्पीकर साहिब, उनको खाक बोना ग्राता था, न बीज का न हल का पता ग्रौर न जोतने का पता। नतीजा यह हुग्रा तीन साल के ग्रन्दर ग्रन्दर 25 हज़ार रुपया लगान का हो गया ग्रौर ग्रामदनी दो सौ की न हुई (*interruptions*) यह सच्चर साहिब के ज़माने की बात है। नौबत यहां तक पहुँची कि उन्होंने ग्राकर उनकी कोठी के ग्रागे भूख हड़ताल कर दी कि हमारा लगान

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

माफ कर दो, हम मर गए। यहां काम न बना तो वह देहली की तरफ भागे और पंडित नेहरू जी की कोठी पर पहुँच गए और कहा कि हम पर 25 हजार रुपया लगान का हो गया है मगर आमदनी कोई नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे आदमियों को जमीन न देना जो बाद में भूख हड़ताल करते फिरें। इस के इलावा लगान नहीं होना चाहिये और उनको मुफ्त जमीन दो ताकि अगर कोई कमा न सके तो कम से कम लगान से तो बचा रहे और नुकसान हो जाए तो बाद में थोड़े दिनों बाद कमा ले। इस चीज का खास ख्याल रखा जाए।

आखीर में, मैं यह कहूँगा कि मैं इस अमैंडमैंट के साथ इस resolution की पुरज़ोर ताईद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह हकूमत जो बहुत दिनों से महात्मा गान्धी का नाम लेती है और उस बरादरी का नाम लेती है जिसे महात्मा गान्धी ने create किया, हरिजन बनाया, पहले पता नहीं क्या नाम था, उन की मदद करेगी। इन अलफाज़ के साथ मैं इस resolution की ताईद करता हूँ।

10-00 p.m.

चौधरी बारू राम (रजौंद) : जनाब स्पीकर साहिब, इस किस्म का रेज़ोल्यूशन हम ने हिन्दी रिजनल कमेटी में पास किया था और उस वक्त जो बातें उस पर कही गई थीं वे हाउस के मैम्बरान को भली भांति मालूम हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि ज़मीन का जो आज एक मसला चला हुआ है वह जैसे मेरे फाज़ल दोस्त ने पहले बताया था एक political stunt है और इस ज़मीन के बहाने से voters को hypnotize किया हुआ है ताकि वे उन के इशारा के मुताबक डुगडुगी पर नाचें और उस के मुताबक वोट दें। एक तरफ यह नारा लगाया जाता है कि ज़मीन उस को दी जाए जो cultivate करना जानता हो जिस से मुलक को फायदा हो। आज अनाज की समस्या कितना भयंकर रूप बनाए हुए देश के सामने खड़ी है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम हरेक चीज़ को मज़ाक का मज़मून बनाए हुए हैं। इधर एक तरफ हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मज़ाक उड़ाना चाहते हैं। Economics में पढ़ा था कि जितनी small पैमाने पर holding होगी उतनी ही uneconomic होगी। अगर आप 30 standard एकड़ की सीलिंग लगाते हैं तो जिस शख्स के पास 30 standard acre ज़मीन है उस के पांच लड़के हैं तो क्या उन पांच लड़कों को खस्सी कर दिया जाएगा ?

चौधरी इन्द्र सिंह : On a point of Order, Sir. : क्या लफ्ज़ 'खस्सी' parliamentary है ?

Mr. Speaker: What is unparliamentary in it ? When the word castration is not unparlimentary I do not find anything unparliamentary in its Hindi equivalent Khassi.

उद्योग मंत्री : Emasculation कानूनी जुर्म है और जो जुर्म हो वह स्पीच में इस तरह नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आप कह दें कि निकम्मा कर दिया जाए। (The hon. member may use the expression 'rendered unfit.')

चौधरी बारू राम : स्पीकर साहिब, मैं ने तो इस लिये अर्ज़ किया था कि अगर वाकई हमारी ग़रीबों से हमदर्दी है जिन की हालत आज शोचनीय है तो उस हालत में मैं यह कहता हूँ कि इस किस्म का resolution ला कर मासिवाय इस के कि उन के साथ फ़ुहश मज़ाक किया जाये और कुछ नहीं। क्योंकि स्पीकर साहिब, एक भूखे को टुकड़ा दिखा कर उस को दिया भी न जाए तो क्या यह मज़ाक नहीं उस की भूख का ? मैं तो यह अर्ज़ करता हूँ कि अगर सरकार देना चाहती है तो बड़ी खुशी से दे। नज़ूल लैंड के बारे में पहले ही रेज़ोल्युशन पास हो चुका है। इस में कौन सी रुकावट है। लेकिन स्पीकर साहिब जैसे मैं ने शुरू में कहा था कि जितनी small holding होगी उतनी ही uneconomic होगी मैं कहता हूँ 30 स्टैंडर्ड एकड़ की सीलिंग हो और पांच छः बच्चे हों तो वह देश के लिये क्या कुछ बचायेगा ? हरगिज़ नहीं। इस लिये मैं यह समझता हूँ कि 30 standard acres वाली बात बहुत हानिकारक है। मैं देखता हूँ कि गवर्नमैंट की हरेक पालिसी में मुतज़ाद चीज़ें मिलती हैं। एक तरफ कहते हैं कि सरकार की पालिसी है कि ज़मीन कम करो और दूसरी तरफ Co-operarive societies को लागू करना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ कि जब हरिजनों को ज़मीन देंगे तो क्या कोई ऐसी चीज़ आई है कि उसे co-operative basis पर हो चलाओ। हरगिज़ नहीं। मैं तो अर्ज़ करता हूँ कि हरिजनों को खुश करने के लिये यह एक अच्छा ढंग है। जैसे कि मेरे फाज़ल दोस्त भाग सिंह ने कहा था कि यह पुलिटीकल स्टंट है। मैं इस पुलिटीकल स्टंट में अपनी आवाज़ शामिल नहीं करना चाहता। इसके अलावा हमारी सरकार यह चाहती है, चाहे दिल से चाहती हो या न लेकिन ऐसा इरादा है कि classless society हो लेकिन साथ ही साथ एक का दूसरे के साथ फर्क पैदा किया जा रहा है कि यह हरिजन है यह backward है यह ऊँची जाति का है यह पसमान्दा जाति का। इस किस्म की class वाली society बनाई जा रही है। अगर ब्राह्मण क्षत्री का नाम नहीं लिया जाता तो दूसरे तरीके से ले लिया जाता है। इस तरह से एक नई क्लास पैदा की जा रही है। एक और सवाल मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूँ। वह यह कि Utilization of Waste Lands Act के तहत लाखों एकड़ ज़मीन मालकान से बग़ैर मुआविज़ा दिए छीन ली गई। मैं इन से पूछता हूँ कि इसमें से कितनी हरिजनों को दी गई, कितनी उन्हों ने काश्त करके दिखा दी। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब इस किस्म की तालीम ही नहीं, समझ-बूझ ही नहीं तो वह कैसे काश्त कर सकते हैं। अगर मुझे कोई कहे कि दस्तकारी का काम करो तो मैं उस में नाकामयाब रहूँगा क्योंकि मुझे उस का इल्म नहीं। हां, आज अगर मुझे कोई खेती करने के लिये कह दे तो चूंकि मैं ने बज़ुर्गों को काम करते देखा है मैं कुछ न कुछ काम कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि बजाए इस के कि हरिजनों को ज़मीन का लालच देकर उन को hypnotise करके उन से वोट हासल किए जाएं। बेहतर यह होगा कि

[चौधरी बारू राम]

उन्हें वही काम करने दिया जाए जो कि वे जानते हैं और जो वे पुश्तों से करते चले आये हैं। इस में तालीम की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। एक अनपढ़ आदमी भी दस्तकारी में कामयाब हो सकता है। मैं अपने फाज़िल दोस्त से यह कहूँगा कि इस resolution को या तो वापस करवाया जायेगा या इस को यूंही talke out किया जाएगा। अगर इस से हरिजन भाइयों या पसमांदा जातियों का फायदा होता हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़मीन के छोटे २ टुकड़े होने से नुक्सान होगा। यहां पर 80/90 फीसदी लोगों का निर्भर काश्तकारी पर है। उन में से कितने अमीर आदमी हैं—मेरे ख्याल में उन में कोई अमीर आदमी दिखाई नहीं देता। इस लिये मैं अर्ज करूँगा कि जो ज़मीन के झगड़े हैं यह महज़ देश में बेचैनी फैलाने के लिये अच्छा तरीका है। इस तरह से हम कभी आगे नहीं जा सकते, देश की कभी भलाई नहीं हो सकती। स्पीकर साहिब, यह जो ज़मीन है यह किसान की छाती के नीचे एक डला है। इसे बगल की तरफ से, सिर की तरफ से घौंसे लगाए जा रहे हैं। इस तरह से इस डले को छोटा किया जा रहा है। आप जहां फायदा करना चाहते हैं दूसरी तरफ नुक्सान करने भी चले हैं। मैं इतनी मुखालफत नहीं करता लेकिन यह ज़रूर कहता हूँ कि अगर इस से देश का फायदा होता है या हरिजन भाइयों की भलाई होती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप उन्हें पढ़ाएं, आप उन्हें लिखाएं, दस्तकारी कराएं, आप उन्हें नौकरियां दें, उन की भलाई की बातें सोचें। डाक्टर भाग सिंह ने कहा था कि जितने measures पास किए जाते हैं अगर उन सब पर अमल किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। हम इतना ऊँचा उठ सकते हैं कि जिस का अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैं तो न इस प्रस्ताव की मुखालफत कर सकता हूँ और न ही इस की हिमायत कर सकता हूँ।

श्री राम प्रकाश (जगाधरी, रिज़र्वड) : स्पीकर साहिब, यह resolution हरिजन लोगों की बेहतरी के लिये लाया गया है। आप एक लम्बे अर्से से स्पीकर चले आ रहे हैं। इस हाउस में कई दफा इस किस्म के resolution पेश हुए और जो कुछ उन का हश्र हुआ उस से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह resolution हाउस में पास हो जाये तो इस से 25 फीसदी हरिजनों की इक्तसादी हालात दुरुस्त हो जायेगी। इस वक्त देश में अनाज का संकट है और बहुत सी ज़मीन सूबे में surplus और बेकार पड़ी हुई है। यह इन लोगों की मेहरबानी का नतीजा है जो हाउस में बैठ कर यह कहते हैं कि हरिजनों की भलाई न हो। यह लोग दर असल नहीं चाहते कि हरिजन तब्के की जो महात्मा गांधी को सब से प्यारा था भलाई हो। आज इन लोगों में से एक तब्का ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और यह लोग हरिजनों को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। आखिर, यह लोग भी इसी सूबे में पैदा हुए। आज ज़माना आगे जा चुका है और इन्हें भी ज़माने की रफ्तार के साथ चलना चाहिये और अगर यह दिल में यह ख्याल बिठाए बैठे हैं कि वे हरिजनों को उल्टे रास्ते पर चलाने के लिये आमादा करेंगे तो वे एक भूल में हैं—यह चीज बिल्कुल नामुमकिन है, यह नहीं हो सकेगी।

आज कांग्रेस सरकार हिन्दुस्तान में socialistic समाज कायम करना चाहती है। मैं समझता हूं कि इस pattern का समाज कायम हो कर रहेगा। हमारी सरकार ने जहां हरिजनों के लिये नौकरियों की facility दी है लेकिन अगर अब इन्हें surplus land दे दी जाए तो इन सब की हालत दुरुस्त हो सकती है।

स्पीकर साहिब, यह कहते हैं कि हरिजन खेती करना नहीं जानते और इन्होंने एक मिसाल पानीपत की दी। मैं इस सिलसिले में दावे से कह सकता हूं कि यह जमीन हमारे हवाले कर दें, जितनी पैदावार यह करते हैं उस से चार गुना पैदावार हम कर के दिखाएंगे। हम हमेशा मुल्क के वफादार रहे हैं और मुल्क के साथ जीयेंगे और मुल्क के साथ ही मरेंगे। हिन्दुस्तान में अनाज का संकट पड़ा हुआ है इस लिये हर एक political party का फर्ज है चाहे वे जन संघी हों, Communists हों, कि इस संकट को दूर करने की कोशिश करें। यह संकट तब ही दूर हो सकता है जब कोई जमीन बगैर काश्त के न रहे। मुझे देहात में जाने का मौका मिलता है मैं देखता हूं कि वहां के जमींदारों ने हरिजनों को तंग कर रखा है क्योंकि उन्हें खदशा है कि जब इन लोगों के पास जमीन आ जाएगी तो उन्हें काम करने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा। स्पीकर साहिब, यह कहा गया कि 30 standard acres वाले जमींदार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर करोड़ों इनसान बसते हैं, क्या उन की खाहिश नहीं कि उन की रिहायश के लिये मकान अच्छे हों उन की नौकरी अच्छी हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन की तोंदें बढ़ी हुई हैं और खाने पीने की फरावानी है। देहात में अगर देखा जाए तो यह हरिजन गरीब लोग भूखे हैं इन के पेट नजर नहीं आते। स्पीकर साहिब, जहां तक holdings का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि अगर हिन्दुस्तान में small holdings रहें तो अनाज की पैदावार में बहुत कमी हो जाएगी। दूसरे मुल्कों की मिसाल लें। स्पीकर साहब, आप foreign Countries में गए हैं। उन लोगों के पास small holdings हैं। वह एक एकड़ land से कितनी ज्यादा पैदावार करते हैं। वे एक एकड़ से सौ मन अनाज पैदा कर सकते हैं। हम एक एकड़ से सिर्फ 5 मन पैदा करते हैं। हम लोग खेती करना नहीं जानते। मेरे दोस्त राठी साहब इस बात का मुलाहज़ा करें। मैं उन का मुकाबला कर सकता हूं (घंटी) जब जिस्म के एक अंग में तकलीफ हो तो सारा जिस्म सुखी नहीं रह सकता। अगर यह चाहते हैं कि हिंदुस्तान में गरीब लोग भूखे मरें तो ये सुखी नहीं रह सकते, जिन्दगी दूभर हो जाएगी। स्पीकर साहिब, आखिर में मैं अपने Revenue Minister से और खास कर हरिजन Minister से, हुकूमत से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस Resolution को यह House पास कर दे तो मैं समझता हूं कि इस सूबे में 25 प्रतिशत हरिजनों को फायदा होगा, उनकी उन्नति हो सकती है। आखिर में मैं अपने Minister साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह इसे talk out करने की कोशिश न करें। इसे pass करें ताकि बाकी सारे हिंदुस्तान में इस House की शान रहे; हिंदुस्तान में पंजाब की शान रहे (घंटी) हिंदुस्तान की शान को और Congress की शान को ऊंचा रखें।

श्री राम प्यारा: (करनाल) : स्पीकर साहब, जो resolution भाई निरंजन सिंह ने पेश किया है मैं उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बेनती यह है कि आज हमारे देश में या पंजाब में जो गरीब आदमी हैं, जिन को रोटी नहीं मिलती, जिन के पास तन ढांपने के लिये कपड़ा नहीं, सिर छुपाने के लिये मकान नहीं उन्हें ऊपर उठाना है। तो हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि कैसे इन को उठाया जा सकता है। हमारे पंजाब में काफी सारी ज़मीन थी जो कि इस तब्के को दी जा सकती थी। मुज़ारे ज़मीन पर मज़दूरों के तौर पर काम करते थे। यह कभी २ बेकारी में चले जाते थे--एक दिन मज़दूरी मिल गई, 4 दिन न मिली। हकीकत यह है कि जब से Security of Land Tenures Act pass हुआ है उसकी तरमीमें होती चली जा रही हैं। अगर revenue record का मुताला किया जाए तो पता चलेगा कि जो tenants eject हुए उन की तादाद बढ़ती गई है। हकूमत बहुत कम tenants को rehabilitate कर पाई है। मैं हैरान हूं कि नजूल land भी पड़ी है। गवर्नमेंट ने ceiling भी मुकर्रर की हुई है कि 30 standard acres से ज्यादा ज़मीन कोई नहीं रख सकता। Land Utilisation Act के तहत भी गवर्नमैंट ने लाखों एकड़ ज़मीन acquire की। इस के बावजूद ejected tenants को, गरीब आदमियों को, land पर जो agricultural labourers हैं उन को सहूलतें नहीं मिलीं। मुझे एक बात याद आ गई। गांधी जी से लंदन में किसी ने पूछा कि तुम्हारे हिंदुस्तान में, तुम्हारी कांग्रेस में बहुत सारे vested interests हैं। वहां पर अमीर भी हैं, गरीब भी हैं और बड़े २ कारखानेदार भी हैं। अंग्रेज़ों के वहां से जाने के बाद आप क्या करेंगे। तो गांधी जी ने बगैर किसी hesitation के, बगैर एक second सोचे के कहा कि I will side with the poor and I will oppose the rich उन का मतलब यह नहीं था कि बड़े २ अमीर आदमियों को समुद्र में धक्का दे देना था। उन का मतलब था कि गरीब जिन को रोटी नहीं मिलती उन की मैं हिमायत करूंगा। अब उन चीज़ों को ले कर तमाम कोशिशें करनी चाहिएं। जो कानून बने हैं उन की theory और practice में ज़मीन और आसमान का फर्क है। Land Utilisation Act के तहत करनाल में 68,000 एकड़ ज़मीन acquire की गई। कुछ हरिजनों ने दरखास्तें दीं, कुछ बड़े २ कारखानेदारों ने दरखास्तें दीं, land lords और businessmen ने दरखास्तें दीं। जो हमीरा distillery के मालिक हैं, इस distillery के इलावा उन के और भी कारखाने हैं आप हैरान होंगे कि उस शख्स को उस land में से 939 एकड़ ज़मीन दी गई। हम से लोग पूछते हैं कि आप की गवर्नमैंट ने 30 standard acre की ceiling मुकर्रर की हुई है। जो displaced persons हैं वह कहते हैं कि गवनमैंट की तरफ से हमारी ceiling 50 एकड़ है। वे लोग हमेशा यह सवाल करते हैं कि यह क्या हो गया। जिन के बाप दादे या पड़दादे की ज़मीन है उस से तो 30 या 50 standard acres से ज्यादा ली जा रही है। मगर ज़मीन acquire की है वह एक कारखानेदार को इतनी ज्यादा दे रहे हैं। ऐसी एक ही मिसाल नहीं। ऐसी कई मिसालें हैं जहां 300, 400, 500, 700 या 800 एकड़ ज़मीन दी है। Co-operative Societies को भी ज़मीन

दी गई है। दिल्ली में कुछ आदमी रहते हैं। उन्होंने दिल्ली co-operative नाम की एक society बनाई हुई है। उन के नाम 1,000 एकड़ ज़मीन है उस इलाके में।

सामूहिक विकास मंत्री : उस society का नाम क्या है ?

श्री राम प्यारा: अपने महकमें से पूछें। जब आप का महकमा लाजवाब होगा तो मैं जवाब दूंगा। मेरे पास गवर्नमेंट का जवाब है। आप की ख्वाहिश होगी तो मैं सब कुछ statistics दूंगा, मिसालें दूंगा। मेरे पास गवर्नमैंट का जवाब है। यह हो सकता है कि वह society दिल्ली में registered हुई हो और अगर उस पर ज्यादा मेहरबान हुए हों। उस दिल्ली Co-operative Society को करनाल में ज़मीन दी है।

सामूहिक विकास मंत्री : क्या नाम है उस society का ?

श्री राम प्यारा : आप के record में नहीं मिलता तो मेरे से ले लें। गूहला सब तहसील में है।

श्री अध्यक्ष : क्या वजह है कि आप झगड़ा करते हैं। (Why do they quarrel)

श्री राम प्यारा: यह तो इन्होंने कहा है। मैं तो कहता हूं कि हम से लोग सवाल करते हैं कि आप की गवर्नमैंट यह claim करती है कि हम progressive हैं। क्या progressive के मायने यही हैं कि 50, 60 या 70 एकड़ वालों से ज़मीन ले ली जाए और एक आदमी को 900 या 1,000 एकड़ दे दी जाए ? यह progressive बात नहीं, retrogressive बात है ? मैं गवर्नमैंट से कहूंगा कि हमें जवाब दे दें ताकि ऐसी बदनामी से बचने के लिये हम लोगों को कह सकें। इस के साथ गवर्नमैंट ने यह कहा है कि अब हमारी surplus land निकाली गई है। मैं हैरान हूं कि गवर्नमैंट ने महकमा तो बना दिया है surplus land के लिये और 1953 से ज़मीनें निकाली जा रही हैं।

(Shri Ram Piara was still in possession of the House when it adjourned).

1-30 p. m.

(The Sabha then adjourned till 9 a.m. on Friday the 4th March, 1960.)

8809/PVS—349—4-8-60—C.P. and S., Pb., Chandigarh

ANNEXURE

(*Please* see *foot note at page* (*12*) *31 of the dabate Dated, 3rd March, 1960*)

RESETTLING OF EJECTED TENANTS IN THE STATE

2387. Shri Ram Piara: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Government are considering the question of settling/resettling the ejected tenants on nazool lands, surplus lands and lands acquired under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949; if so, the time by which the work of settling/resettling is expected to begin;

(b) the area of Nazool lands, surplus lands and acquired lands, separately, with the Government at present;

(c) whether Government have prepared any tentative list of ejected tenants who are proposed to be settled/resettled, if so, their number, tehsil-wise ?

Giani Kartar Singh :

	Nazool Land	Surplus area that is being assessed under the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 and the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955.	Cultural waste land acquired under the Eas Punjab Utilization of Lands Act, 1949.
(*a*) *part First*	No.	Yes.	No.
Part Second	Question does not arise.	The work of assessment of surplus area is in full swing all over the State and the lists of ejectable tenants eligible for resettlement thereon are also being prepared by the local officers. The work of resettlement of eligible tenants has since been started in some of the districts.	Question does not arise
(b)	About 38,355 acres	92144 standard acres of surplus area has been assessed by the end of May, 1960	30,819 acres.
(c)	Question does not arise	The work of preparation of lists of tenants eligible for resettlement is under progress.	Question does not arise.

Punjab Vidhan Sabha
Debates

4th March, 1960

Vol. I No. 13

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 4th March, 1960.

CHANDIGARH :
Controller of Printing and Stationery, Punjab
1960

Price : Rs. 5.05 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 13,
DATED THE 4TH MARCH, 1960.

Read	*for*	*on page*	*line*
above	aobve	(13)3	19
re-employed	re-emyloyed	(13)3	9th from below
technical	techincal	(13)4	4
forthwith	orthwith	(13)5	2nd from below
under	funder	(13)5	last
honourable	honouable	(13)10	10th from below
conducted	condnted	(13)16	4
ਮੰਤ੍ਰੀ	ਮਤ੍ਰੀ	(13)16	13
INCREASE IN CASES OF ILLICIT LIQUOR	INCREASE OF IN CASES ILLICIT LIQUOR	(13)19	7th from below
campaign	compaign	(13)21	7th from below
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ	ਗ੍ਰਿਫਤਾਚ	(13)21	13th from below
Registered	Regstered	(13)24	2
श्री राम प्यारा	श्री राम प्यार	(13)36	7
Winder	W nder	(13)47	1
Electroplator	Eleotroplator	(13)47	5
Factory	Factor	(13)47	9th from below
Education	Edncation	(13)60	1
ਲਗਾਈਆਂ	ਲਗਾੀਆਂ	(13)67	8th from below
Commercial	Commrcial	(13)75	1
धर्म	धंम	(13)76	20

Read	*for*	*on page*	*line*
10·61	1061	(13)81	12th from below
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ	ਪ੍ਰੋਜੈਕਟੇ	(13)84	14th from below
ਇਹ	ਵਿਹ	(13)85	15
ਵਿਚ	ਵਿਟ	(13)87	15
ਬੈਠਣ	ਥੈਠਣ	(13)87	18
circular	c rcu'ar	(13)87	19
ਤਨਖਾਹ	ਤਨਖਾਸ਼	(13)87	23
Add the word "ਸੀ" after the word "ਫਿਰਕਾ"		(13)103	1
Add the word "ਜਵ" after the word "ਕਟੇਗੀ"		(13)106	15th from below
ਨਾਗੁਫਤਾਬਿਹ	ਸ਼ਗੁਫਤਾ	(13)105	4th from below
in	on	(13)107	11
राजा रघुबीर सिंह	राजा रघुबीर सिह	(13)113	21
मज़बूत	मजबत	(13)114	8th from below

:low

·low

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 4th March, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

GRANT OF HILL ROUTE PERMITS FOR STAGE CARRIAGES ETC. ON BAIJNATH-KULU ETC. ROADS

low

›w

***5147. Raja Raghuvir Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any hill route permits for stage carriage, public carriers, private carriers, station wagons and jeeps have been granted to any person, concerns or Co-operative Societies for plying vehicles on the Baij Nath-Kulu, Baijnath-Manali, Aut-Kulu, Aut-Katrain, Bajaura-Kulu, Bajaura-Katrain, Bajaura-Manali and Katrain-Manali sections of the Mandi -Manali Road during the years 1958, 1959 and up to 31st January, 1960; if so, the full names and addreses of the recipients together with the details of their respective routes?

low

Rao Birendar Singh : Yes, one temporary public carrier permit valid up to 2nd April, 1960 was issued to Shri Jagan Nath Sharma of Katrain for Bajaura Manali route only. No permits were issued on any of the other routes.

श्री प्रबोध चन्द्र : यह जो route permit issue किया गया, आया यह Transport Controller ने खुद issue किया या prescribed authority ने issue किया ?

मंत्री : Public carrier का permit Transport Controller के हां से जारी होता है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह जो permit जारी किया गया किस बात को मद्देनज़र रख कर किया गया । क्या वे पहले road transport का काम करते थे, हरिजन थे या ex-armymen थे, वे किस category में आते हैं ?

मंत्री : जब लोगों की अर्ज़ियां आती हैं तो road transport की ज़रूरयात को मद्देनज़र रख कर सब को consider कर के किसी individual को permit दे दिया जाता है। यह ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स road transport में ही हो ।

श्री प्रबोध चन्द्र : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि उस की application आई थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस शख्स को Transport Minister से पता लगा या किसी और मिनिस्टर से मालूम हुआ या कि इसे खुद ख्वाब आ गया कि application दी जाए ?

मंत्री : Applications तो रोज़ाना आती रहती हैं। अब भी सात आठ सौ के करीब की लिस्ट publish हो चुकी है। इस बारे में सरकार की पालिसी liberal है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या इन अर्ज़ियों में इसी route permit के लिये किसी और पार्टी की भी अर्ज़ी आई थी ?

मंत्री : बहुत आती रहती हैं।

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि अर्ज़ियों को consider कर के जगन्नाथ को permit दिया गया क्या उन में किसी और की भी अर्ज़ी आई थी ?

Mr. Speaker : This question has already been replied to.

CONSTRUCTION OF BRIDGES ON TAL KHAD AND MANAK KHAD IN DISTRICT KANGRA

***5143. Pandit Amar Nath Sharma:** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether Government have received any representations from the public of Kangra or any recommendation from the Deputy Commissioner, Kangra in connection with the construction of bridges of Tal Khad, between Pror and Nauhru and on the Mand Khad in district Kangra; if so, the action taken thereon?

Chaudhri Suraj Mal : Yes. The sites of these bridges have been inspected and approximate costs worked out. However, there being no provision for these bridges in the Second Five-Year Plan, they are being considered for inclusion in the Third Five-Year Plan.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

मंत्री : जनाब, इन्होंने खुद गौर नहीं किया। मैं ने ठीक जवाब दिया है।

Mr. Speaker : The hon Member himself is not atttentive.

CHIEF ENGINEERS AND SUPERINTENDING ENGINEERS IN THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT

***5171. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the number and names of the Chief Engineers and Superintending Engineers in the Public Works Department (B&R) along with their regions of work;

(b) whether any of the officers referred to in part (a) above is re-employed; if so, since when, for how much period and the reasons therefore;

(c) the circumstances under which and the conditions on which the said officer/officers were re-employed;

(d) the place assigned to the said re-employed officer/officers in the list of seniority?

Chaudhri Suraj Mal : (a) There are two Chief Engineers in P.W.D. B&R Branch. Their names with their Circles are given below:—

	Name		*Regions/Circle*
1.	Shri G.C.Khanna	..	Jullundur and Amritsar Circles.
2.	Shri D.C. Sharma	..	Patiala, Hissar and Ambala Circles.

There are five Superintending Engineers. Their names with their Circle s are given below:—

	Name	..	*Circles*
1.	Shri Bikramjit	..	Patiala
2.	Shri B.M.Johri	..	Hissar
3.	Shri A.S.Dhillon	..	Ambala
4.	Shri Kulbir Singh	..	Jullundur
5.	Shri J.S.Marya	..	Amritsar

(b) Yes. Shri D.C. Sharma, Chief Engineer, for a period of two years with effect from 24th July, 1959. He was re-employed as none out of the Superintending Engineers working in B&R. Branch, was considered fit for promotion as Chief Engineer for the present.

(c) As explained in (b) aobve. The cases of the senior most Superintending Engineers were considered individually. For one reason or other none was considered fit for the post of Chief Engineer. Shri D.C. Sharma, was, therefore, re-employed for a period of two years from 24th July, 1959.

(d) Re-employment is against a particular post and no *inter se* seniority is assigned.

पंडित श्री राम शर्मा : जो लोग re-employ होते हैं उन की seniority बाकी लोगों के साथ किस तरह से गिनी जाती है ?

मंत्री : Re-emyloyed person Junior most होता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : अगर re-employ person junior most होता है तो क्या खास वजूहात थीं जिन की बिना पर शर्मा को re-employ किया गया और फिर chief Engineer भी बनाया गया ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया कि वे सब से ज्यादा काबिल थे। लेकिन अब seniority के लिहाज़ से वे सब के आखिर में हैं।

पंडित श्री राम शर्मा: आया उन को seniority की बिना पर या merits की बिना पर re-employ किया गया है ?

मंत्री : दोनों के हिसाब से ।

पंडित श्री राम शर्मा: Re-employment के बारे में सरकार की क्या पालिसी है, क्या हर एक को re-employ कर लिया जाता है या किसी खास खास केस में ही यह पालिसी बरती जाती है?

मंत्री : मैं ने पहले अर्ज़ किया है कि खास खास हालात में जब कि techincal persons की कमी हो और experienced आदमी न मिलते हों तो पुराने आदमी को re-employ कर लिया जाता है।

श्री राम प्यारा : क्या सरकार के नोटिस में कोई शिकायत ऐसी आई है कि जिस से यह मालूम हो कि शर्मा साहिब ने retire होने से पहले Executive Engineers को चंदा इकट्ठा करने के लिये कहा और उन के कहने पर चंदा इकट्ठा किया गया ?

Mr. Speaker : It is not a supplementary.

श्री राम प्यारा: Re-employment की वजह यही थी।

Mr. Speaker: Please resume your seat.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या इस अफसर को re-employ करने से पहले सरकार के पास शिकायत मौजूद थी ?

मंत्री : न तो सरकार के पास ऐसी शिकायत आई और न ही मेरे नोटिस में आई है।

श्री प्रबोध चन्द्र : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जो S.E.s पहले काम कर रहे हैं उन में से कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं था जिस को Chief Engineer promote किया जाता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई ऐसी provision की है कि उन को खास training दे कर इस काबिल बनाया जाए कि दो साल के बाद वे लोग Chief Engineer बनाए जा सकें ?

मंत्री : मैं ने 'for the present' कहा है। अगर उन का तजरुबा इतना हो जाएगा तो उन को Chief Engineer बनाने में कोई ममानअत नहीं होगी।

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या उन Superintending Engineers को कुछ additional qualifications हासल करने के लिये कहा गया है जो वे over sea जा कर हासल करें या उन्हें कोई और training यहां ही दी जायेगी ?

मंत्री : नहीं साहिब ।

Shri Prabodh Chandra : Will he become fit for promotion as Chief Engineer after 1½ years? What are the criteria for judging one's fitness for promotion as Chief Engineer?

मंत्री : उन्हें तजुर्बा हासिल हो जायेगा।

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि उन्हें डेढ़ साल या दो साल का और तजुर्बा हासल हो जायेगा। तो मेरा supplementary यह है

कि क्या उन का period of service बढ़ जाने पर वह Chief Engineer की post के लिये fit समझे जायेंगे ?

मंत्री : दो साल का अर्सा काफी लम्बा होता है। इस में यह देख कर फैसला कर लिया जायेगा कि आया वह इस के लिये fit हो गये हैं या कि नहीं।

CONTRACT WITH SENIOR ARCHITECT, CHANDIGARH CAPITAL

***4647. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether it is a fact that the contract with Mr. Jeanneret, Senior Architect, Chandigarh Capital, has been renewed; if so, on what terms and for what period?

Chaudhri Suraj Mal : Yes; it has been decided to renew the contract with Monsieur P.Jeanneret, Senior Architect, Capital Project, for a further period of two years with effect from the 19th February, 1960, on the terms of the previous agreement a copy of which is laid on the Table of the House.

EMBASSY OF INDIA,
PARIS.

MODEL AGREEMENT FORM NO. 1

(Initial agreement for recruitment outside India)

NOTICE

It must be understood that although the agreement as required by law is in form an agreement with the Governor of the Punjab, this appointment is made by the Government of Punjab. A person selected to fill it will be subject in all respects throughout his service to the orders of that Government. His pay and allowances and the Government contribution to his Provident Fund will be subject to the vote of the Punjab Legislative Assembly.

Articles of Agreement made the nineteenth day of December one thousand nine hundred and fifty *between* M.Pierre Jeanneret of 20 rue Jacob, Paris, of the first part and the Governor of the Punjab hereinafter called "the Government" and the party of the first part has agreed to serve the Government on the terms and conditions hereinafter contained.

NOW THESE PRESENTS WITNESS and the parties here to respectively agree as follows.

1. The party of the first part shall be provided with an air or sea passage to India and on being provided with such passage shall proceed thither within such time and by such vessel as may be prescribed by or on behalf of the Government.

2. The party of the first part shall on arrival in India forthwith report himself for duty without avoidable delay as directed by the officers of the Government and shall submit himself to the orders of the Government and of the officers and authorities under whom he may from time to time be placed by the Government and shall, from the date of the embarkation for India, remain in the service for the terms of three years subject to the provisions herein contained. He shall devote his whole time to his duties and at all time obey the rules, including the Government Servants Conduct Rules, prescribed from time to time for the regulation of the branch of the Public service to which he may belong and shall, whenever required, proceed to any part of India and there perform such duties as may be assigned to him.

3. If the party of the first part fails to proceed to India or to join his appointment there as ordered or if at any time during the said term of three years voluntarily quits the service without giving due notice and without the permission of the Government, he shall orthwith on demand repay to the Government the cost of the passage provided funder clause 1 thereof.

[Minister for Public Works]

(4) The service of the party of the first part may be terminated as follows:—

(1) At the end of the first year by either party without notice.

(2) At any time on three calendar months' notice in writing given to him by the Government if, in the opinion of the Government, the party of the first part proves unsuitable for the efficient performance of his duties during service under this agreement.

(3) By the Government without previous notice if the Government are satisfied on medical evidence that the party of the first part is unfit and is likely for a considerable period to continue unfit by reason of ill health for the discharge of his duties in India; PROVIDED always that the decision of the Government that the party of the first part is likely to continue unfit shall be conclusively binding on the party of the first part.

(4) By the Government or their officers having proper authority without any previous notice if the party of the first part shall be guilty of any insubordination, intemperance or other misconduct or of any breach or non-performance or of the provisions of these presents or of any rules pertaining to the Branch of the public service to which he may belong ;

(5) By six calendar months' notice in writing given at any time during service under this Agreement (except during the first year thereof) either by him to the Government or by the Government or their authorised officer to him without cause assigned.

Provided always that the Government may in lieu of any notice therein provided for give the party of the first part a sum equivalent to the amount of his pay for six months or shorter notice than six months if they pay him a sum equal to the amount of his pay for the period by which such notice falls short of six months. PROVIDED further that in the event of a notice being under sub-clause (2) of this clause the word "three" shall be read in place of the word "six" in the preceding proviso.

The term "pay" for the purpose of this clause shall mean the pay (including special pay, personal pay, if any, sterling overseas pay and technical pay if the Government servant is entitled to it under the terms of his contract), the party of the first part is receiving under these presents at the time, unless he is receiving officiating pay in which case it shall mean the pay (including special pay, personal pay, if any, sterling overseas pay and technical pay if the Government servant is entitled to it under the terms of his contract) of his substantive appointment.

5. If the party of the first part be suspended from duty during investigation into any charge of misconduct mentioned in sub clause (4) of clause 4 thereof, he shall not be entitled to any pay during such period of suspension but shall be entitled to receive subsistance grant at such rate as the Government may decide to allow him.

6. The scale of pay attached to the post of Senior Architect, Capital Project, Punjab, to which the party of the first part is appointed shall comprise the following monthly rates of pay in successive stages of twelve months services;

Stages	*Pay*
1. First	.. Two hundred and fifty pounds per month.
2. Second	Ditto
3. Third	Ditto

He shall from the date of his embarkation for India be granted pay at the rate of two hundred and fifty pounds sterling per mensem in the aforesaid scale and shall receive pay in the succeeding stages provided for in that scale in accordance with the provisions of the rules from time to time in force and applicable to his case, service in the stages reckoning from the aforesaid date. The pay from time to time payable to him under these presents shall be paid for such time as he shall serve under this Agreement and actually perform his duties commencing from the aforesaid date and ceasing on the date of his quitting service in India or on the date of his discharge therefrom or on the day of his death if he shall die whilst in service. If at any time the party of the first part proceeds on deputation out of India, pay during the period of his deputation shall be regulated by the ordinary rules regarding deputation.

7. The party of the first part shall be eligible, subject to the exigencies of the public service, for leave and leave salary under the rules contained in part II of Appendix 16 to the Civil Services Rules (Punjab), Volume I, Part II, as amended from time to time if on the date of this agreement he has his domicile elsewhere than in Asia, otherwise, under the rules in part I of that Appendix.

8. If the party of the first part is required to travel in the interests of the public service, he shall be entitled to travelling allowance on the scale provided for in the rules, framed by the Government from time to time in force and applicable to his case and similar travelling allowance shall also be payable to him in respect of his journey from the port of dis-embarkation to his station on first joining the appointment.

9. The party of the first part shall be eligible for any concession in relation to medical attendance and treatment that may be prescribed by the Government for the class of officers serving in the same station to which the Government may declare the party of the first part to correspond in status or conditions of service.

10. During his service under these presents, the party of the first*part shall be permitted to subscribe to the Punjab Contributory Provident Fund, and shall be subject to the rules of that Fund from time to time in force.

11.** If during his service under these presents the party of the first part becomes or continues to be insured as a voluntary contributor under the National Health Insurance Acts and Widows, Orphans and Old Age Contributory Pensions Acts for the time being in force, the Government shall pay one half of the combined contribution payable by him as such contributor during the first-five years of his service and thereafter one-half of the contribution payable by him as a contributor under the Contributory Pensions Acts only and in that event he shall authorize the Government to pay in France on his behalf the balance of such contribution and the surrender by the Government at the appropriate time of the duly stamped contribution card to his approved society or to the appropriate insurance Department shall be sufficient discharge in respect of any liability incurred by the Government under this clause.

12. In any payments made to the party of the first part in the United Kingdom or France under these presents the rate of exchange then applicable to the class of transaction concerned as decided by the GOVERNMENT from time to time shall be observed.

13. Notwithstanding anything hereinbefore contained, the party of the first part shall, unless otherwise decided by the Government be entitled to receive, in whole or in part, as may be authorised by the Government, the benefits of any improvement that may be sanctioned by the Government subsequent to the data of these presents in the terms and conditions of service of members of the branch of the public service to which he may for the time being, belong and the decision of the Government in respect of such improvement in the terms and conditions of service of the party of the first part shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.

14. All acts, authorised or required to be done by the Government may be done in France by the Indian Ambassador for India, acting on their behalf.

15. On the completion by the party of the first part of his full term of service under this agreement, or on his being allowed by Government to proceed on leave preparatory to his retirement on the expiry of that term, or on the determination of his service by Government under sub-clause (1),(2),(3) or (5) of clause 4 thereof the Government shall provide him with an air passage to Paris (or at his option with a passage to any other country at a cost not exceeding that of an air passage to Paris: Provided that he claims such passage and leaves India within three months of the completion of the said term or of the commencement of his leave or of the determination of his service, and that if his

---

*For Optional subscribers.

**For subordinate personnel only.

Note.—The inappropriate words should be struck out the time the agreement is entered into. The prospective employee should be given the option to accept either of the above alternatives, but he should be informed that unless he accepts the one providing for compulsory subscription, he will not be entitled to join the Sterling Branch of the Provident Fund.

[Minister for Public Works]
service is determined on account of ill health, such ill health has not been brought on by his neglect, carelessness or misconduct (of which the certificate of a medical officer nominated by the Government shall be conclusive).

16. Notwithstanding anything hereinbefore contained, the pay and leave salary admissible under these presents, whether payable in India or elsewhere, shall be subject to any emergency cut that may be ordered by the Government for the same period and on the same terms as for other officers under the administrative control of the Government.

17. In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement the provisions of the rules framed under clause (b) of sub-section (2) of section 241 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947, read with Articles 309 and 313 of the Constitution of India, shall apply to the extent to which they are applicable to the service hereby provided for and the decision of the Government as to their applicability shall be final.

18. Stamps duty, if any, on this instrument shall be borne by Government.

IN WITNESS WHEREOF THE party of the first part and the first Secretary, Embassy of India, Paris, on behalf of the Governor of the Punjab have hereunto set their hands the day and year first above written.

Signed by Pierre Jeanneret the party of the first part in the presence of Mr. V.V. Bhide, First Attache Embassy of India Paris.

Signed by K.V.Padmanathan, First Secretary Embassy of India, Paris on behalf of the Governor of the Punjab in the presence of, Mr. V.V. Bhide, Attache Embassy of India, Paris.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ stage ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ capital project ਦਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਸ stage ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ engineers ਜਾਂ architects ਨੂੰ relieve ਕਰ ਕੇ ਦੇਸੀ architects ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ?

मंत्री : इस वक्त Monsieur P. Jeanneret ही एक foreigner हैं जो यहां काम कर रहे हैं और वह इतनी सच्चाई से और दिल से काम करते हैं कि जिन के लिए मैं कह सकता हूं कि उन्हें एक तरह से एक हिन्दुस्तानी कहा जा सकता है । फिर मैं समझता हूं कि अगर एक चीज़ हमें न आती हो और दूसरे से मिल सकती हो तो इस में कोई हर्ज नहीं है ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ stage ਤੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ architect ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ architects ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

मंत्री : मैं तो यही समझता हूं कि अगर वह यहां रहें तो बेहतर होगा ।

CAPITAL PROJECT ORGANISATION AT CHANDIGARH

***4648. Dr. Bhag Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the Resources and Retrenchment Committee appointed by Government recommended the earliest winding up of the Chandigarh Capital Project Administration; if so, the date when this recommendation was made;

(b) whether it is also a fact that Government have decided to continue the said Administration for a further period; if so, for how long and for what reasons?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes; at the latest by the end of the Second Five Year Plan period. The Final report of the Committee was received on 1st June, 1959.

(b) This matter was considered in a meeting of the Chandigarh Capital Project Control Board and the Board decided not to abolish the Capital Project Organisation at the end of Second Five Year Plan. The P.W.D., B&R and Public Health Branches will not be able to carry the additional load on account of the works of the Capital Project without the provision of additional staff. This Organisation is to remain in position so long as the work load on the basis of the norms approved on the recommendations of the Cadre Committee permits.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ capital administration ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

मंत्री : ख्याल यही है कि अभी दो तीन साल यह और चले ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि इस मामला पर Resources and Retrenchment Committee ने यह recommendation की थी कि Capital Administration को wind up कर दिया जाये तो क्या उस कमेटी ने इस के लिये कोई reasons भी दिये थे जिन को गवर्नमैंट ने कबूल नहीं किया ?

मंत्री : वह reasons तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि वह report इस वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन उस पर विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अभी इस administration का चलाना जरूरी है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब से मैं यह पूछ सकता हूं कि गवर्नमैंट ने Resources and Retrenchment Committee की report पर विचार करने के बाद यह फैसला किया था या उस पर विचार करने से पहले यह फैसला किया था ?

मंत्री : उस report पर विचार कर लेने के बाद यह फैसला किया था।

पंडित श्री राम शर्मा: तो क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि जब वह report उन के सामने नहीं थी और अब भी नहीं है तो उस की recommendations पर विचार कैसे किया गया था ?

मंत्री : मैं ने यह नहीं कहा। उस वक्त तो वह report हमारे पास थी। लेकिन अब नहीं है। उस वक्त हम ने यही सोचा था कि अगर यह काम P.W.D., (BR) से कराया जाये तो भी हमें इस के लिये इतना ही staff रखना पड़ेगा और इस लिये खर्च में तो बचत होगी नहीं बल्कि काम इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा जितनी जल्दी अब इस के जारी रखने से हो रहा है। इस लिये इसे ही जारी रखने का फैसला किया गया था।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब को कोई idea है कि उस कमेटी की report क्या थी ?

Minister : I cannot say off hand.

पंडित श्री राम शर्मा : कुछ भी नहीं ?

ACQUISITION OF 'MUKAT HOUSE' THE MALL, AMRITSAR

***4858. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether a house known as the 'Mukat House' on the Mall, Amritsar, was requisitioned/acquired by Government, if so, when;

(b) whether the owner of the said house applied for its release; if so, when; and the date, if any, when it was released ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. On 28th July, 1955 only the lower portion of house was requisitioned.

(b) Yes, on 18th August, 1958. The portion occupied by Doctor Y.S. Bawa, P.C.M.S., was de-requisitioned on 21st August, 1958, and the portion held by Doctor S.S.Manchanda, P.C.M.S., was de-requisitioned on 20th June, 1959.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से दरियाफत कर सकता हूं कि इस मकान के de-requisition होने से पहले अमृतसर के Superintending Engineer को यह allot किया गया था या कि नहीं किया गया था ?

Mr. Speaker : No, this is not admissible.

श्री प्रबोध चन्द्र : नहीं, जनाब, गवर्नमेंट को उस मकान की जरूरत थी और यह मकान S.E. को allot भी किया जा चुका था ।

Mr. Speaker: This question had already been replied earlier in detail. The honouable Member wanted the dates of de-requisition which have been supplied now.

Shri Prabodh Chandra : Was the possession of this house given to the landlord after it was de-requisitioned ?

Chief Minister : I require notice to answer this question.

श्री प्रबोध चन्द्र : नहीं, स्पीकर साहिब; चीफ मिनिस्टर साहिब खुद वहां जा कर रहते हैं और इन के साहिबज़ादे भी वहां ही रहते हैं। इन्हें सब बातों का पता है but he is trying to conceal the facts from the House.

Chief Minister : Sir, if you permit to say what the honourable Member is stating is not a fact.

Shri Prabodh Chandra : I swear, Sir, that the Chief Minister has stayed in a part of the house a number of times, and I have gone there to see him. I take the fullest responsibility for my statement.

Sir, the honourable Chief Minister is denying the information which is in his possession, to the House.

Mr. Speaker : I don't think it is desirable to use such like expressions.

Shri Parbodh Chandra : Sir, what I have said is that he is denying the information to the House which he has got.

श्री अध्यक्ष : अगर वह उस मकान में रहते हैं तो क्या हुआ ? (What is the harm, if the Chief Minister stays in that house ?)

श्री प्रबोध चन्द्र : नहीं, जनाब, यह मकान तो वहां के S.E. को allot भी हो चुका था.....

श्री अध्यक्ष : No, every body has got a right. अगर मुझे घर की ज़रूरत पड़े तो मैं भी ले सकता हूं। (Even I can get a house if I stand in need of it.)

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब सरकार की policy है कि जब कोई house derequisition किया जाता है तो उस का possession landlord को दिया जाता है। Why this policy was flouted in this case?

Mr. Speaker : This is not relevant

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब, यह derequisition कर दिया गया तो.....

Mr. Speaker : He wants notice.

श्री प्रबोध चन्द्र: मेरी अर्ज़ यह है कि इन्होंने कहा है कि यह House 21st August, 1958 को derequisition किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार की यह वाज़ह policy है कि जब कोई house derequisition किया जाता है तो उस की possession गवर्नमैंट का अफसर landlord को देता है, why was this policy flouted in this particular case ?

Chief Minister : I require notice.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि House के इस portion को derequisition कर के किस को possession दिया गया?

Chief Minister: I hope that the Leader of the Opposition will appreciate that I cannot carry all these details in my head.

If a separate notice is given, I will certainly collect and furnish the information.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस मालिक मकान ने कब २ अर्जियां दीं कि यह House derequisition किया जाए ?

Chief Minister: How does this question arise ?

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहब, पहले ही सवाल में पूछ रखा है कि अर्जियां कब २ दीं। आप सवाल का (b) part देखें।

Mr. Speaker : He wants notice.

Maulvi Abdul Ghani Dar : This is already there in the question.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, नोटिस देने का तब सवाल पैदा होता है जब कोई बात सवाल में न पूछी गई हो। मगर यह तो (b) part में पूछी गई है ?

Chief Minister : Unfortunately my office has tagged with this question the same material which was attached to a similar question that I answered a few days ago.

If a fresh notice is given, I will furnish the information.

TOUR BY DEPUTY MINISTER

*5007. **Dr. Bhag Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the places visited by the Deputy Minister for Forests on tour during the year 1959 and the number of such visits paid to Kangra;

(b) the total amount of T.A. etc. received by the said Deputy Minister during the period referred to above;

Sardar Partap Singh Kairon : (a)&(b) A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Date of visit from Ist January, 1959 to 31st December, 1959		Places visited
Ist January, 1959	..	Dehragopipur
2nd January, 1959	..	Dharmsala
3rd January, 1959	..	Palampur
11th January, 1959	..	Ludhiana
12th January, 1959	..	Matewara, Jullundur
17th January, 1959	..	Patiala
20th January, 1959	..	Una
21st January 1959	..	Chowki Mania
22nd January, 1959	..	Sowari
23rd January 1959	..	Amritsar
25th January, 1959	..	Sohna
28th January, 1959	..	Nurpur Bedi
29th January, 1959	..	Palampur
30th January, 1959	..	Chadhiar

Date of visit from 1st January, 1959 to 31st December, 1959		Places visited
31st January, 1959	..	Dhandol, Sansai
1st February, 1959 to	..	Chobin, Bandian, Mahalpat
5th February, 1959	..	Paprola and Palampur
21st February, 1959	..	Dharmsala
22nd February, 1959	..	Indore
24th February, 1959	..	Sirsa
6th March, 1959	..	Chakki
7th March, 1959	..	Chakki
14th March, 1959	..	Indore
21st March, 1959	..	Mukerian
22nd March, 1959	..	Nagrota, Surian and Nurpur
23rd March, 1959	..	Dadh, Palampur
26th March, 1959	..	Jaisinghpur
27th March, 1959	..	Jawalamukhi
3rd April, 1959	..	Nangal
10th April, 1959	..	Jagadhri
11th April, 1959	..	Balaspur
12th April, 1959	..	Chhachhrauli, Jagadhri
13th April, 1959	..	Private
16th April, 1959	..	Tohana
17th April, 1959	..	Fatehabad
18th April, 1959	..	Chautala, Odham, Dabwali
22nd April, 1959	..	Palampur
24th April, 1959	..	Chadhiar
1st May, 1959	..	Khamanon Kalan
2nd May, 1959	..	Dharmsala
3rd May, 1959	..	Baijnath
12th May, 1959	..	Pachmarhi
16th May, 1959	..	Seoni
17th May, 1959	..	Kahna
18th May, 1959	..	Jabbalpur
23rd May, 1959	..	Palampur
1st June, 1959	..	Palampur
3rd June, 1959	..	Kulu
7th June, 1959	..	Baijnath
12th June, 1959	..	Palampur
14th June, 1959	..	Kulu
17th June, 1959	..	Palampur
22nd June, 1959	..	Hoshiarpur
8th July, 1959	..	Nurpur
9th July, 1959	..	Baijnath
10th July, 1959	..	Barot
13th July, 1959	..	Baijnath
16th July, 1959	..	Rupar, Kotla, Mindhwan
18th July, 1959	..	Machniwara, Khanna
19th July, 1959	..	Kandola, Chamkaur Sahib
20th July, 1959	..	Dhanot, Doraha
22nd July, 1959	..	Subathu, Barog
23rd July, 1959	..	Simla
6th August, 1959	..	Rohtak
7th August, 1959	..	Nahar, Fazilka
8th August, 1959	..	Jagroan
9th August, 1959	..	Ambala
12th August, 1959	..	Baijnath
13th August, 1959	..	Manali
14th August, 1959	..	Keylong
16th August, 1959	..	Sisu
17th August, 1959	..	Manali
18th August, 1959	..	Palampur
23rd August, 1959	..	Nangal
26th August, 1959	..	Kurukshetra
29th August, 1959	..	Raipur Majra, Khanna

[Chief Minister]

Date of visit from 1st January, 1959 to 31st December, 1959		Places visited
31st August, 1959	..	Palampur
11th September, 1959	..	Nabha
14th September, 1959	..	Dehragopipur
15th September, 1959	..	Kangra
24th September, 1959	..	Simla
29th September, 1959	..	Ambala Cantt.
3rd October, 1959	..	Jullundur
4th October, 1959	..	Dharmsala, Kangra
7th October, 1959	..	Nurpur
14th October, 1959	..	Kangra
15th October, 1959	..	Kulu
18th October, 1959	..	Palampur
24th October, 1959	..	Punian
28th October, 1959	..	Purkhali
29th October, 1959	..	Amritsar
30th October, 1959	..	Dunera, Dalhousie
31st October, 1959	..	Chakki
1st November, 1959	..	Palampur
2nd November, 1959	..	Sujanpur Tira
3rd November, 1959	..	Bharoli
4th November, 1959	..	Bhadel Thor, Jawali
5th November, 1959	..	Sunhi Dadh
6th November, 1959	..	Chichian
7th November, 1959	..	Paprola, Palampur
8th November, 1959	..	Private
9th November, 1959	..	Kaunsel
10th November, 1959	..	Palampur
11th November, 1959	..	Gath Jamula
12th November, 1959	..	Sulah
13th November, 1959	..	Dehra Gopipur
14th November, 1959	..	Gagret
27th November, 1959	..	Palampur
28th November, 1959	..	Sujanpur Tira
29th November, 1959	..	Karota, Lambagaon
30th November, 1959	..	Jalag
1st December, 1959	..	Molag
2nd December, 1959	..	Palampur
4th December, 1959	..	Dehra Gopipur
5th December, 1959	..	Hoshiarpur
7th December, 1959	..	Jullundur, Dehra Gopipur
8th December, 1959	..	Kangra, Shahpur
9th December, 1959	..	Nerti
13th December, 1959	..	Sidhar, Samrala
18th December, 1959	..	Dehra Gopipur
19th December, 1959	..	Palampur
20th December, 1959	..	Dehra Gopipur
26th December, 1959	..	Kalka
30th December, 1959	..	Dehra Gopipur
31st December, 1959	..	Mubal

(ii) Total number of visits to Kangra District .. 74

(b) A sum of Rs. 2107.87 as T.A. and D.A.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ visits ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ forests ਦਾ ਕੰਮ ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰੇ ਉਥੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਬਿਨਾ motive impute ਕੀਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਥੇ forest ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੈਣਗੇ । ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि इन का headquarter भी वहां बना दिया जाए ? (हंसी)

मुख्य मंत्री : अगर Leader of the opposition तजवीज़ करें तो इस में भी कोई हरज नहीं । (हंसी)

PROPOSAL TO BUILD CANTONMENT AT CHANDIGARH

*5227. **Sardar Bhupinder Singh Mann :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government have been approached by the Union Government to acquire any area of land around Chandigarh for the building of a Cantonment; if so, how much;

(b) whether the land proposed to be acquired for the purpose mentioned in part (a) above is already under occupation; if so, the number of persons likely to be ousted as a result of its being acquired;

(c) whether any proposal about the manner in which the oustees referred to in part (b) above are to be settled has been formulated; if so, the details thereof?

Chaudhri Suraj Mal : (a) No formal request has so far been received from the Union Government for the acquisition of land near Chandigarh for the building of a Cantonment. However, the Army authorities have been surveying certain areas in the neighbourhood of Chandigarh with a view to selecting one which would be the most suitable for the location of a Cantonment.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) Does not arise in view of (a) above.

ENQUIRY AGAINST SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE, PANIPAT, DISTRICT KARNAL

*5234. **Dr. Parma Nand :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any enquiry against the Sub-Divisional Magistrate, Panipat was ordered by Government; if so, the name of the Enquiry Officer appointed to conduct the enquiry;

(b) the date when the said enquiry was ordered and the date when it was started together with the result thereof, if completed?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) & (b) No, Sir; but an enquiry against Shri Hardyal Singh, until recently, Sub Divisional Magistrate, Panipat, was ordered by the Delhi Administration when he was on deputation in that State working as Resident Magistrate, New Delhi. The enquiry was conduted by Shri Hans Raj, then Secretary (Judicial) Delhi Administration. The enquiry was ordered on the 10th May, 1957 and actually started on 17th June, 1957. The Inquiry Officer in his report dated the 29th August, 1957 found Shri Hardyal Singh guilty. The Punjab Government imposed on the officer the penalty of stoppage of one increment with cumulative effect and censured his conduct.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ complaint ਕੀ ਸੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਲਈ notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि गवर्नमेंट की निगाह में क्या जुर्म साबत हुआ ?

मुख्य मंत्री : इस के लिये नोटिस चाहिए।

पंडित श्री राम शर्मा : सज़ा तो पंजाब सरकार ने दी है तो सारा मसला इन के सामने आया ही होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या खफीफ सा offence था जिस के लिये इतनी light punishment दी गई ?

मुख्य मंत्री : यह तो ठीक है मगर पूछ लेते तो बता देता।

डाक्टर परमा नन्द : क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस की enquiry पंजाब सरकार ने की है या दिल्ली गवर्नमेंट ने ?

श्री अध्यक्ष : यह तो यह पहले बता चुके हैं। (He has already given this information).

(*At this stage the Hon. Speaker called the next question*).

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इस अफसर ने एक लाख रुपये का नाजायज़ ....

Mr. Speaker : I am sorry. I have already called the next question.

SCHEDULED CASTE FAMILIES SETTLED ON LAND IN THE STATE

***5242. Shri Phul Singh Kataria Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of scheduled caste families settled on land in the State, district-wise during the year 1959 and the number proposed to be settled during 1960-61;

(b) the total amount of subsidy, if any, paid to the said families during 1959 and the total amount of subsidy earmarked for the purpose for the financial year 1960-61?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) The information is laid on the table of the House.

(b) Total amount paid during 1959 .. Rs. 5.325 lacs.
Total amount earmarked for 1960-61 .. Rs. 9.575 lacs

STATEMENT

(a) The total number of Scheduled Caste families settled on land during 1959 and proposed to be settled in 1960-61 is 213 and 383, respectively, as below:—

Name of the District		Number of families settled during 1959	Number of families proposed to be settled during 1960-61
Sangrur	..	..	22
Patiala	..	..	14
Bhatinda	..	..	12
Narnaul	..	..	6
Kapurthala	..	..	5
Simla	..	..	2
Karnal	..		23
Ferozepore	..	29	30
Jullundur	..	48	43
Hissar	..	20	24
Gurgaon	..	26	24
Ludhiana	..	30	21
Ambala	..	..	26
Amritsar	..	14	32
Gurdaspur	..	..	21
Rohtak	..	11	24
Kangra	..	20	20
Hoshiarpur	..	15	35
Total	..	213	383

CASES OF MURDERS IN RAILWAY TRAINS

***4857. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of murders reported to have been committed in the railway trains in the State during the period from 21st January, 1956 to 31st January, 1960;

[Maulvi Abdul Ghani Dar]

(b) the number of cases in which the Police succeeded in getting the culprits convicted;

(c) the punishment awarded to the culprits in each case?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Four cases.

(b) One case.

(c) Only one accused concerned in case FIR No. 96/58 under section 302, I.P.C. G.R.P.S. Ambala Cantt. was convicted and sentenced to death. Two of the remaining cases were filed as untraced, while the fourth case is still under investigation.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या Deputy वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Railways पर murders की बढ़ती हुई तादाद के मद्दे नज़र passengers की protection का कोई इन्तज़ाम किया गया है ?

(The Member repeated the above question on a request from the Deputy Minister).

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : 4 ਤਾਂ murders ਹੋਏ ਹਨ, ਵਾਧਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

श्री प्रबोध चन्द्र : साल ब साल murders में cent per cent increase हुई है......

उप-मंत्री : यह 1957 और 1958 के cases हैं। 1959 में कोई case नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : यह तो cent per cent कमी हुई है। (This indicates a cent per cent decrease in murders.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਨ੍ਹਾਂ 4 cases ਵਿਚੋਂ trace ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ?

Chief Minister : Sir, I would request you to ask the honourable Members to listen to the reply carefully before they put supplementaries.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिस साल cent per cent cases ही trace out न हों तो क्या measures लिये जाते हैं ? (हंसी) एक case हो और वही trace न हो तो क्या करते हैं ?

मुख्य मंत्री : अगर आप मदद करेंगे तो वह भी trace कर देंगे। (हंसी)

POLICE RAIDS IN KAITHAL AND KARNAL

***4890. Shri Ram Piara** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the police authorities made any raids in Kaithal and Karnal for searching or taking into possession the records of Transport Co-operative Society of Karnal District in the month of December, 1959, or January, 1960; if so, the premises which were raided, the dates on which these were raided and the names of the Transport Co-operative Societies involved ;

(b) whether any records have been seized by the Police and any cases registered ; if so, when and for what offences ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) During the investigation of case F.I.R. No. 11, dated 11th January, 1960, under section 420, I.P.C., police station Kaithal, premises of Messrs Haryana Co-operative Transport Society were searched on 11th January, 1960, at Kaithal.

(b) Cash Book and Ledger relating to the said Society were seized in the case mentioned above. Proceedings book of "the Laxmi Co-operative Transport Society', Karnal and the Register of Membership and the proceedings book of 'Haryana Co-operative Transport Society, which were produced by the Manager of Haryana Co-operative Transport Society, were also taken into possession.

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी वज़ीर साहिब बतायेंगे कि उन के खिलाफ कौन कौन से offences थे ?

उप-मंत्री : यह पहले ही बताया जा चुका है ।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि क्या यह enquiry चल रही है या वापस ले ली गई है ?

उप-मंत्री : इस के लिए अलग notice चाहिए ।

श्री राम प्यारा : क्या इस enquiry में कुछ सरकारी अफसरान भी involved है ?

उप-मंत्री : यह तो Co-operative Societies के record के मुताल्लिक case है ।

CORRESPONDENCE BETWEEN UNION AND STATE GOVERNMENTS REGARDING INCREASE OF IN CASES ILLICIT LIQUOR IN KARNAL DISTRICT

***4926. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Union Government wrote some letters to the State Government in the years 1954-55, 1955-56 and 1956-57 about the increase in cases of distillation of illicit liquor in district Karnal ; if so, the contents of such letters ;

[Shri Ram Piara]

(b) whether Government have written any letter or letters to the District Authorities of Karnal during the period from 1954 to December, 1959, in respect of the increase in cases referred to above in the said district ; if so, the contents thereof ; the dates when issued and the action if any; taken by the District Authorities concerned in the matter ;

(c) whether it is a fact that illicit liquor is exported from Karnal district to different places ; if so, what measures Government has adopted or proposes to adopt to check it ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) No such letter was received from the Government of India in the Excise and Taxation Department.

(b) No, Sir.

(c) There is no case of export of illicit liquor from Karnal District to different places.

ARRESTS IN CONNECTION WITH GURDWARA ELECTIONS

***4982. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of persons, if any, arrested in the State during December, 1959 and January, 1960 in connection with the Gurdwara Elections ?

Sardar Partap Singh Kairon : No arrests were made in connection with Gurdwara Elections. However, 83 persons were arrested apprehending breach of peace during the Election campaign in January, 1960. The names are given in the statement laid on the Table.

Statement showing names of persons arrested during January, 1960.

1. S. Harbanjan Singh.
2. S. Harbans Singh.
3. S. Santa Singh.
4. S. Bikar Singh.
5. S. Baga Singh.
6. S. Charan Singh.
7. S. Kabul Singh.
8. S. Mohan Singh.
9. Giani Harbhajan Singh.
10. S. Jarnail Singh.
11. S. Rajinder Singh.
12. S. Gulab Singh.
13. S. Rajinder Singh.
14. S. Makhan Singh.
15. S. Santokh Singh.
16. S. Kuldip Singh.
17. S. Mukhtiar Singh.
18. S. Balvinder Singh.
19. S. Inder Singh.
20. S. Kalyan Singh Nadharak.
21. S. Beant Singh.
22. S. Sohan Singh.
23. S. Balwant Singh.
24. S. Raghbir Singh.
25. S. Isher Singh.
26. S. Jagjit Singh.
27. S. Jagat Singh.
28. S. Partap Singh.
29. S. Kartar Singh.
30. S. Mangal Singh.
31. S. Khazan Singh alias Khaju
32. S. Atma Singh.
33. S. Amar Singh.
34. S. Partap Singh.
35. S. Gurbachan Singh.
36. S. Harnam Singh.
37. S. Tarlochan Singh.
38. S. Chanan Singh.
39. S. Raghbir Singh.
40. S. Mela Singh.
41. S. Sukhpal Singh.
42. S. Hakam Singh.
43. S. Gajan Singh Lambardar.
44. S. Jagir Singh.
45. S. Pal Singh.
46. S. Gulzara Singh.
47. S. Chattar Singh.
48. S. Sohan Singh.
49. S. Ram Singh.
50. S. Raunak Singh.
51. S. Hardev Singh.

52. S. Charan Singh.
53. S. Chattar Singh.
54. S. Joginder Singh.
55. S. Sunder Singh.
56. S. Inder Singh.
57. S. Narinder Singh.
58. S. Kulbir Singh.
59. S. Wazir Singh.
60. S. Anup Singh.
61. S. Amar Singh.
62. S. Joginder Singh.
63. S. Jagjit Singh.
64. S. Harnam Singh.
65. S. Wazir Singh.
66. S. Raja Singh.
67. Giani Ajmer Singh.
68. S. Pritam Singh.
69. S. Inder Singh.
70. Bedi Rachhpal Singh.
71. S. Avtar Singh.
72. S. Tara Singh.
73. S. Surjit Singh.
74. S. Lakhbir Singh.
75. S. Kundan Singh.
76. S. Bur Singh.
77. S. Harbhajan Singh.
78. S. Hazura Singh.
79. S. Harnam Singh.
80. S. Khazan Singh.
81. S. Hardyal Singh.
82. S. Ajit Singh.
83. S. Gurbachan Singh.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 83 ਆਦਮੀ ਜੋ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਈਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ breach of peace ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪੱਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਚ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਕਾਰਨ ਦਸ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਫਿਰ ਨੰਬਰ 67 ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ Secretary Shrimoni Akali Dal ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ election compaign ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker This question need not be answered.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Were all the persons who were arrested Akalis or were some of them non-Akalis ?

Chief Minister : We do not take into consideration such things when we arrest persons.

RAIDS BY KARNAL CITY AND PANIPAT CITY POLICE ON SATTA DENS AND SMUGGLERS, ETC.

***5236. Dr. Parma Nand :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of raids, if any, made by the Karnal City Police and the Panipat City Police on the Satta Dens, Opium smugglers and Gamblers, during the period from April, 1959 to date ;

(b) the dates when the said raids were made ;

(c) the quantity and value of opium, if any, recovered as a result of the said raids ;

(d) whether any cases as a result of the said raids were registered ; if so, their number, together with the number of those which were sent to the courts for trial and the date when each was thus sent up ;

(e) the names of persons arrested as a result of the said raids and the names of those who were challaned ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a), (b), (c), (d) and (e) A statement containing the requisite information is placed on the Table.

(a) No. of raids, if any, made by the Karnal City Police and the Panipat City Police on			*(b) The date when the raids were made*		
Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers	Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers
(i)	(ii)	(iii)	(i)	(ii)	(iii)
23	Nil	35	4-4-59	Nil	12-8-59
			6-4-59		13-8-59
			28-5-59		13-9-59
			28-5-59		20-9-59
			29-5-59		19-10-59
			13-6-59		29-10-59
			21-7-59		26-10-59
			24-8-59		26-10-59
			29-8-59		26-10-59
			1-9-59		26-11-59

(a) No. of raids, if any made by the Karnal City Police and the Panipat City Police on			(b) The date when the raids were made		
Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers	Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers
(i)	(ii)	(iii)	(i)	(ii)	(iii)
			3-9-59		5-12-59
			11-9-59		8-12-59
			18-9-59		30-12-59
			19-9-59		1-1-60
			19-9-59		14-1-60
			21-10-59		14-1-60
			3-11-59		12-4-59
			8-11-59		24-5-59
			8-12-59		29-5-59
			23-12-59		29-5-59
			26-1-60		28-7-59
			29-1-60		18-8-59
			29-1-60		3-9-59
					11-9-59
					25-9-59
					3-10-59
					4-10-59
					24-10-59
					25-10-59
					30-10-59
					14-11-59
					25-11-59
					6-12-59
					12-12-59
					3-1-60

[Deputy Minister]

(c) *The quantity and value of opium, if any, recovered as a result of the said raid*		(d) WHETHER ANY CASES AS A RESULT OF THE SAID RAIDS WERE REGSTERED, IF SO, THEIR NO. TOGETHER WITH THE NO. OF THOSE WHICH WERE SENT UP TO THE COURTS FOR TRIAL AND THE DATE WHEN EACH WAS THUS SENT UP					
Quantity	Value	*Cases registered*			*Cases sent up*		
		Satta Dens	Opium smuggling	Gamblers	Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers
(i)	(ii)	(i)	(ii)	(iii)	(i)	(ii)	(iii)
Nil	Nil	23	Nil	35	18-4-59	Nil	17-8-59
					7-4-59		17-8-59
					4-7-59		14-9-59
					30-6-59		21-9-59
					29-6-59		30-10-59
					28-6-59		24-10-59
					11-8-59		27-10-59
					11-9-59		27-10-59
					31-8-59		27-10-59
					21-9-59		28-11-59
					1-1-60		8-12-59
					2-11-59		10-12-59
					2-11-59		2-1-60
					1-1-60		4-1-60
					1-10-59		22-1-60
					7-11-59		22-1-60
					13-12-59		20-4-59
					3-2-60		1-6-59
							26-6-59
							30-5-59
							17-8-59
							7-9-59
							6-10-59
							10-11-59
							14-10-59
							26-10-59
							18-12-59
							2-11-59
							25-11-59
							16-11-59
							1-2-60
							7-12-59
							4-1-60

(e) NAMES OF PERSONS ARRESTED AS A RESULT OF THE SAID RAIDS AND THE NAMES OF THOSE WHO WERE CHALLANED

Names of persons arrested			*Names of persons challaned*		
Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers	Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers
(i)	(ii)	(iii)	(i)	(ii)	(iii)
Megh Raj	Nil	Daryai Lal	Megh Raj	Nil	Daryai Lal
Amar Singh		Hukam Chand	Amar Singh		Hukam Chand
Kapoor Chand alias Kapoori		Om Parkash	Kapoor Chand alias Kapoori		Om Parkash
Lajja Ram		Bodh Raj	Lajja Ram		Bodh Raj
Gian Sarup		Ajit Singh	Gian Sarup		Ajit Singh
Banoo Ram		Arjan Singh	Banoo Ram		Arjan Singh
Dina Nath		Sewa Singh	Dina Nath		Sewa Singh
Ram Kala		Sham Lal	Ram Kala		Sham Lal
Gokal		Jai Parkash	Gokal		Jai Parkash
Joti		Bal Kishan	Joti		Bal Kishan
Hukam Chand alias Kuki		Lachhman Dass	Hukam Chand alias Kuki		Lachhaman Dass
Karam Chand		Sat Pal	Karam Chand		Sat Pal
Kishan Chand		Kuldip Singh	Kishan Chand		Kuldip Singh
Tarlok Nath		Sham Sunder	Tarlok Nath		Sham Sunder
Kirpa Ram		Puran	Kirpa Ram		Puran
Surinder Singh		Barma	Surinder Singh		Barma
Rugh Nath alias Rugha		Prem	Rugh Nath alias Rugha		Prem
Maya Ram		Piara Lal	Maya Ram		Piara Lal
Anant Kumar		Manohar Lal	Anant Kumar		Manohar Lal
Atma Ram		Amrit Lal	Atma Ram		Amrit Lal
Nanak Chand		Brij Lal	Nanak Chand		Brij Lal
Mangal		Tara Chand	Mangal		Tara Chand
Hukam Chand alias Huki		Dharam Chand	Hukam Chand alias Huki		Dharam Chand
Surinder Singh		Mohan Lal	Surinder Singh		Mohan Lal

[Deputy Minister]

(e) NAMES OF PERSONS ARRESTED AS A RESULT OF THE SAID RAIDS AND THE NAMES OF THOSE WHO WERE CHALLANED—*contd*

Names of persons arrested			*Names of persons challaned*		
Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers	Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers
(i)	(ii)	(iii)	(i)	(ii)	(iii)
	Nil			Nil	
Gita Ram		Mangal Dass	Gita Ram		Mangal Dass
Chhattar Pal		Punnu Ram	Chhattar Pal		Punnu Ram
Kishan Lal		Narain Dass	Kishan Lal		Narain Dass
Mam Chand		Ladha Ram	Mam Chand		Ladha Ram
Gurcharan Singh		Jaswant Rai	Gurcharan Singh		Jaswant Rai
Maya Ram		Tara Chand	Maya Ram		Tara Chand
Sunel Chaudhry		Benarsi Dass	Sunel Chaudhry		Benarsi Dass
Chander Bhan		Lakhi Ram	Chander Bhan		Lakhi Ram
Hardwari		Ram Kishan	Hardwari		Ram Kishan
Jai Dayal alias Jai Lal		Lachhman	Jai Dayal alias Jai Lal		Lachhman
Om Parkash		Ram Diya	Om Parkash		Ram Diya
Phool Chand		Jita	Phool Chand		Jita
Dina Nath		Ghassi	Dina Nath		Ghassi
Tilak Raj		Dhalu Ram	Tilak Raj		Dhalu Ram
Hukam Chand alias Huki		Tara Chand	Hukam Chand alias Huki		Tara Chand
Kewal Krishan		Lachhman Dass	Kewal Krishan		Lachhman Dass
Ram Chander		Piara Lal	Ram Chander		Piara Lal
Jiwan Dass		Brij Lal	Jiwan Dass		Brij Lal
Phool Chand		Lekh Raj	Phool Cand		Lekh Raj
Gurcharan Singh		Jai Dayal	Gurcharan Singh		Jai Dayal
Nand Lal		Devi Ditta	Nand Lal		Devi Ditta
Chandgi		Ram Lal	Chandgi		Ram Lal
Mam Raj		Sat Pal	Mam Raj		Sat Pal
Mahesh Lall		Gurdial	Mahesh Lall		Gurdial
Kanwar Chand		Hargobind	Kanwar Chand		Hargobind
Parbhoo		Kashmiri Lal	Parbhoo		Kashmiri Lal

(e) NAMES OF PERSONS ARRESTED AS A RESULT OF THE SAID RAIDS AND THE NAMES OF THOSE WHO WERE CHALLANED—*contd*

Names of persons arrested			*Names of persons challaned*		
Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers	Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers
(i)	(ii)	(iii)	(i)	(ii)	(iii)
Mst. Shanti	Nil	Tara Chand	Mst Shanti	Nil	Tara Chand
Banoo Ram		Hari Chand	Banoo Ram		Hari Chand
Jai Kishen		Gurmukh Singh	Jai Kishen		Gurmukh Singh
Amar Nath		Raj Kumar	Amar Nath		Raj Kumar
Sewa Ram		Bahadur Chand	Sewa Ram		Bahadur Chand
Hukam Chand		Gurcharan Singh	Hukam Chand		Gurcharan Singh
Charanji Lal		Charan Dass	Charanji Lal		Charan Dass
		Rawel Dass			Rawel Dass
		Daulat Ram			Daulat Ram
		Sher Singh			Sher Singh
		Dharam Pal			Dharam Pal
		Mahesh Lal			Mahesh Lal
		Des Raj			Des Raj
		Chander Parkash			Chander Parka
		Mansa Ram			Mansa Ram
		Kishan Chand			Kishan Chand
		Om Parkash			Om Parkash
		Atma Ram			Atma Ram
		Phoola			Phoola
		Raja Ram			Raja Ram
		Telu Ram			Telu Ram
		Krishan Lal			Krishan Lal
		Harjinder Singh			Harjinder Singh
		Sohan Lal			Sohan Lal
		Bhagwan Dass			Bhagwan Dass
		Nathu Shah			Nathu Shah
		Rakha Singh			Rakha Singh

[Deputy Minister]

(c) NAMES OF PERSONS ARRESTED AS A RESULT OF THE SAID RAIDS AND THE NAMES OF THOSE WHO WERE CHALLANED—*contd*

Names of persons arrested			*Names of persons challaned*		
Satta Dens	Opium Smugglers	Gamblers	Satta Dens	Opium Smugglers	Gamblers
(i)	(ii)	(iii)	(i)	(ii)	(iii)
	Nil	Santokh Singh		Nil	Santokh Singh
		Bishamber			Bishamber
		Kesho Ram			Kesho Ram
		Nathi Ram			Nathi Ram
		Jitu Ram			Jitu Ram
		Chida Ram			Chida Ram
		Amar Singh			Amar Singh
		Chandan			Chandan
		Mithan Lal			Mithan Lal
		Kali Charan			Kali Charan
		Sham Lal			Sham Lal
		Sewa Ram			Sewa Ram
		Badloo Ram			Badloo Ram
		Kishori			Kishori
		Pokhar Dass			Pokhar Dass
		Mool Chand			Mool Chand
		Dharman			Dharman
		Matoli Ram			Matoli Ram
		Dhani Ram			Dhani Ram
		Dewan Chand			Dewan Chand
		Moti Ram			Moti Ram
		Kartar Singh			Kartar Singh
		Kuldip Rai			Kuldip Rai
		Chuni Lal			Chuni Lal
		Sham Lal			Sham Lal
		Mohan Lal			Mohan Lal
		Jangi Ram			Jangi Ram

(e) NAMES OF PERSONS ARRESTED AS A RESULT OF THE SAID RAIDS AND THE NAMES OF THOSE WHO WERE CHALLANED—*concld*

Names of persons arrested			*Names of persons challaned*		
Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers	Satta Dens	Opium smugglers	Gamblers
(i)	(ii)	(iii)	(i)	(ii)	(iii)
	Nil	Dharam Vir alias Dharam Singh		Nil	Dharam Vir *alias* Dharam Singh
		Harbhagwan			Harbhagwn
		Vasdeo			Vasdeo
		Baboo Ram			Baboo Ram
		Nanak Chand			Nanak Chand
		Om Parkash			Om Parkash
		Ram Parkash			Ram Parkash
		Ram Nath			Ram Nath
		Dharam Chand			Dharam Chand
		Joginder Nath			Joginder Nath
		Narinder Nath			Narinder Nath
		AmarNath			Amar Nath
		Bishan Dass			Bishan Dass
		Singh Ram			Singh Ram
		Karta Ram			Karta Ram
		Asa Ram			Asa Ram
		Chuni Lal			Chuni Lal
		Basdev			Basdev
		Nand Lal			Nand Lal
		Kirpal Singh			Bhola Ram
		Ram Kishan			Ram Lal
		Chander Bhan			Gurbux
		Sudershan Singh			Dev Raj
		Bhola Ram			Dewan Chand
		Ram Lal			Hari Chand
		Gurbax			Sohoo Ram
		Dev Raj			Jai Kishan
		Dewan Chand			Hari Kishan
		Hari Chand			Puran Chand
		Sohoo Ram			Brij Mohan
		Jai Kishan			Darshan Lal
		Lachhman Dass			
		Punnu Ram			
		Doola Ram			
		Bisheshar Dass			
		Hari Kishan			
		Puran Chand			
		Brij Mohan			
		Darshan Lal			

डाक्टर परमा नन्द : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि यह जो नत्थू शाह का नाम gamblers की list में दिया गया है क्या यह वही नत्थू शाह हैं जो पानीपत की marketing committee के Chairman हैं?

Mr. Speaker : Order please. This is not a supplementary question.

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जो लोग गिरफ्तार किए गए उन में से किसी एक ने S.H.O. को मौके पर कहा कि क्या तूं यहां पर नौकरी नहीं करना चाहता ?

Mr. Speaker: Order please. This is not a supplementary.

डाक्टर परमा नन्द : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि नत्थू शाह की तरफ से सरकार को approach हुई कि उस के खिलाफ case वापस ले लिया जाए ?

उप-मंत्री : मेरी अर्ज़ यह है कि इस बात के लिये separate notice चाहिए कि कोई case withdraw किया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आपने सिर्फ नत्थू शाह के लिए यह लम्बी चौड़ी information मंगवाई है? अगर ऐसी बात थी तो पहले ही नत्थू शाह का ज़िक्र कर दिया होता। (Has the hon. Member obtained this lengthy information for the sake of Nathu Shah only ? If this was the case then he should have straightway enquired about Nathu Shah alone).

Chief Minister : Would it not be proper if the Speaker on behalf of the House starts some classes where he may enlighten some of the Members as to how questions etc, should be asked ?

Pandit Shri Ram Sharma : Why not some of the Ministers also ?

NUMBER OF DEATHS UNDER TREATMENT IN GOVERNMENT HOSPITALS

***5190. Sardar Rajinder Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of persons who died in Government Hospitals in the State while under treatment during the period from January 1, 1959 to December 31, 1959, districtwise ;

(b) whether any enquiries were made by the Director of Health Services, Punjab, into each case of death mentioned in Part (a) above ; if not, the reasons therefor ;

(c) whether the Medical Officer-Incharge of each Government Hospital sends any report about the deaths in his hospital stating the causes of death in each case ; if not, the reasons therefor ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : (a) Information is not available.

(b) Enquiry into the causes of death in hospitals and dispensaries, in each case, is not conducted by the Director, Health Services, but in certain cases of special nature (complaints, etc.) causes of deaths are enquired into.

(c) Not in all cases. But all accidental deaths occuring in the hospitals and dispensaries in the State along with the causes of deaths are invariably reported to the Director, Health Services, by the Medical Officers of Government Hospitals and Dispensaries concerned. Deaths of patients who die in the operation room or due to anaesthesia are reported to the Police as well as to the Director, Health Services, Punjab.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ Deputy Minister ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ cases ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ for want of medicine or Surgeon ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

डाक्टर वलदेव प्रकाश : क्या Government के पास कोई ऐसी शिकायत आई है जहां पर कि doctor की negligence की वजह से कोई मौत हुई हो ?

उप-मंत्री : अगर आप कोई ऐसा case हमारे notice में लायेंगे तो ज़रूर enquiry की जायेगी ।

DISCHARGE OF T.B. PATIENTS FROM HARDINGE SANATORIUM, DHARAMPUR

***5208. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that T. B. patients are discharged from the Government Hardinge T. B. Sanatorium, Dharampur, after one year even if they are not cured or partially cured; if so, the reasons therefor ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the number and names of patients discharged from the said sanatorium on 3rd February, 1960?

Shrimati Dr. Parkash Kaur : (Deputy Minister) (a) & (b). The information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) According to the rules and regulations governing admission of T. B. patients in the T.B. Centre, Patiala, and T B. Sanatorium at Dharampur, Sangrur, Amritsar and Tanda, only the operative and bialateral cases are not allowed to stay for more than the stipulated period of 6 to 9 months, respectively, as they cannot be further benefited by prolonging their stay in the Sanatorium. This period is however, extended up to one year only in exceptional cases by the Medical Superintendent of the Institution. The patients in whom disease can be brought under control and as soon as becomes stabilized are discharged to continue their treatment in the nearby T. B. Clinics.

]Deputy Minister]

(b) The under-mentioned 12 patients have been discharged from Hardinge Sanatorium, Dharampur on 3rd February, 1960 :—

(1) Shrimati Bhagwanti Devi w/o of Shri Sarwan Singh.

(2) Shri Shingara Singh.

(3) Shri Kishan Chand.

(4) Shri Shibu Ram.

(5) Shri Gurmel Singh.

(6) Shrimati Ram Kali.

(7) Shrimati Sarla Devi.

(8) Shri Mast Ram.

(9) Shri Makhan Lal.

(10) Shri Bhagat Ram.

(11) Shri Amar Nath.

(12) Shri Gurdev Singh.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के और भी hospitals है जहां इस तरह की conditions नहीं हैं ?

उप मंत्री : वहां पर इसी तरह की conditions ही होती हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से कांगड़ा में Tuberculosis का hospital है या अमृतसर में T.B. hospital या संगरूर में है या कोई और है तो क्या वहां भी इस तरह की conditions लागू होती हैं जिस तरह कि धर्मपुर sanatorium में हैं ?

मुख्य मंत्री : होती तो वही हैं अगर कोई फर्क होगा तो दरियाफत कर लेंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि कुछ hospitals में discrimination का सलूक किया जाता है ?

मुख्य मंत्री : ऐसा नहीं है। अगर है तो आप कोई instance बतायें उस बारे में पूछा जा सकता है।

वित्त मंत्री : आप की वाकफियत के लिये मैं अर्ज कर दूं कि कांगड़ा में चेतरू एक ऐसा मुकाम है जहां पर displaced persons के लिये जो कि tuberculosis के मरीज़ हैं, एक hospital खोला हुआ है।

मुख्य मंत्री : एक चीज़ मैं और अर्ज़ कर दूं कि फौज वाले भी पैसे देते हैं ताकि उन के मरीज़ों को भी facilities दी जा सकें।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह अमरे वाक्य है कि कांगड़ा में चेतरू के मुकाम पर जो hospital है इस में जो displaced persons रखे जाते हैं वह साल के बाद discharge कर दिये जाते हैं ?

वित्त मंत्री : Displaced persons के लिये वह hospital है । और कोई नहीं लिया जाता । इन पर कोई ऐसी पाबन्दी नहीं है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन hospitals में displaced persons और non-displaced persons की तमीज़ क्यों पाई जाती है ?

वित्त मंत्री : मैं ने पहले ही अर्ज़ किया है कि यह hospital ही displaced persons के लिये खोला गया है । इन hospitals में मरीज़ दाखल करने के लिये कुछ कायदे बने हुए हैं जिस के मातहत यह दाखल किये जाते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : Displaced persons के लिये काम चलाने की Government की क्या limit हैं ? यह काम कब तक चलेंगे ?

मुख्य मंत्री : Displaced persons के नाम पर रियात ज्यादा देर तो रहेगी नहीं । यह हमेशा रहने वाली नहीं । जितनी देर चलेगी चलायेंगे ।

QUOTA OF IRON GRANTED FOR VARIOUS PURPOSES IN AMRITSAR DISTRICT DURING THE LAST THREE YEARS

***5126. Shri Balram Dass Tandon** : Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the names of the concerns and the names of their proprietors with their full addresses to whom quotas of iron, for purposes other than nail-making, have been recommended during the last three years by the District Industries Officer in Amritsar District, together with the quota recommended in each case ;

(b) the names of the concerns which applied for the grant of quotas but whose request was rejected during the period mentioned in part (a) above and the reasons therefor in each case ?

Shri Mohan Lal : The time and labour involved in collecting the information (which is going to be extremely voluminous) is not commensurate with the object to be acheived.

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, जो जवाब वज़ीर साहिब ने दिया है मैं अर्ज़ कर दूं कि वहां पर बहुत सी गड़बड़ है । District Industries Officer की मारफत बड़ी corrupt practice अख्तियार की जा रही है । ऐसे मालूम देता है कि जो इन को लिख कर दिया जाता है वह इसे पढ़ देते हैं । पड़ताल नहीं करते ।

उद्योग मंत्री : Hon. Member को पूरी information नहीं है । पिछले 3 साल से जो भी cases reject हुए हैं उन सब को reject करने के लिये reasons दिये जाते हैं । जो permits दिये जाते हैं उन को बाकायदा scrutinise किया जाता है फिर इजाज़त दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष : अगर आपके notice में कोई ऐसे cases आये हैं तो आप इन को सारी चीज भेज दें वह देख लेंगे। (If any such cases have come to the notice of the hon. Member, he may please send their particulars to the Government, who would look into them.)

श्री बलराम दास टण्डन : मैं और कुछ नहीं कह सकता मगर इतना जरूर जानता हूं कि अमृतसर शहर के अंदर अगर 100 आदमियों को quota दिया जाता है तो इन में से 50 आदमी ऐसे होते हैं जिन को bogus allotment होती हैं।

मंत्री : इस बात को जनाब, मैं नहीं मानता। अगर कोई specific instance है उसे आप मेरे नोटिस में लायें।

श्री बलराम दास टण्डन : बता तो हम रहे हैं मगर पकड़ें भी आप।

श्री राम प्यारा: मेरे इस तरह के कई सवालात आये हैं मगर Government ने, आज तक कोई information नहीं दी। आप कहते हैं कि कोई ऐसा case refer करें मगर मेरे refer किये गये cases के मुताल्लिक आज तक कोई information नहीं दी गई।

Mr. Speaker : No please, it has no concern with this question.

ENQUIRY REGARDING MISUSE OF REBATE ON HANDLOOM CLOTH SOLD IN 1956-57, ETC.

***5213. Shri Prabodh Chandra** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any enquiry was held with regard to the misuse of rebate on handloom cloth sold in the State during the years 1956-57, 1957-58 and 1958-59 ; if so, when ;

(b) the report of the said enquiry and the action, if any, taken thereon ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. In the year 1958-59 in regard to the sale of handloom cloth during the Third All-India Handloom Week celebrated in February, 1956 .

(b) The investigation of the case has been completed by the Vigilance Department but action to be taken against the officials involved is yet to be finalised.

Shri Prabodh Chandra : Sir it has been stated in the answer that the investigation of the case has been completed and the action to be taken is under consideration.

May I know, by what time the Government will be able to take action against the Officers ?

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि Government को Enquiry Committee ने Report कब दी थी ?

मंत्री : इस के लिये मेरे पास date तो इस वक्त नहीं हैं कि बता सकूं। दर असल बात यह है कि यह Report अभी Vigilance Department के ज़ेरेगौर है। जब यह वहां से आयेगी तो इस पर कोई final action लिया जायेगा।

श्री प्रबोध चन्द्र: जनाब इसी तरह से ही मुझे पिछले session में एक जवाब दिया गया था कि the matter is under consideration and the action is to be taken.

मंत्री : मैं इस वक्त इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस report की Vigilance Department के highest level पर enquiry हो रही है। Date मैं बता नहीं सकूंगा।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, may I know what is the result of the enquiry ? Have they come to the conclusion that the rebate was misused ?

Minister : Sir, it is not an appropriate stage to disclose the result of the enquiry. It is under examination at the highest level.

Mr. Speaker : The question is whether the rebate has been misused or not. Action to be taken is a different matter.

मंत्री : जब तक इस के मुताल्लिक कोई फैसला हो न जाये कोई बात कहना मुनासिब नहीं है। हां इतना कह सकता हूं कि इस रिपोर्ट की highest level पर enquiry हो रही है। फिर action लिया जायेगा।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of order, sir, यह फरमाते हैं कि action लिया जायेगा। जब कोई फैसला ही नहीं किया गया तो action क्या लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह point of order कैसे बन गया? कोई procedure तो adopt करना चाहिये। (How has this point of order arisen? The hon. Member should at least adopt some procedure for the purpose.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Minister साहिब बतायेंगे कि action Industry Department ने लेना है या दूसरे किसी और Department ने ?

मंत्री : Normal procedure यह है कि enquiry ही Vigilance Department करता है। जो भी charges लगाये जाते हैं उन की report office concerned के पास भेज दी जाती है। इस के बाद उस पर Administrative Department action लेता है। Final advice Vigilance Department देगा।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिरी फैसला कौन करता है ?

मंत्री : Administrative Department करता है ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, the hon. Minister has replied that the case is being examined at the highest level. Sir, may I know what does he mean by the highest level ?

Minister : It is being examined at the ministerial level.

श्री राम प्यार : क्या वज़ीर साहब बतलायेंगे कि misuse of rebate जो है वह under consideration है या punishment under consideration है ?

Mr. Speaker : No such question please.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आया उस report में यह भी कोई findings हैं कि people at the highest level are responsible for this racket?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने पहिले ही कहा है कि report is under consideration. How can he reply then ? (He has already stated that the report is under consideration. How can he reply then ?)

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि decision करने से पहिले इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि जिन के खिलाफ report की गई है उन के बारे में.... ?

Minister : There is a normal procedure of going into these enquiries and that procedure is being followed. This is perhaps an insinuation which is just the product of unimagination of the hon. Member.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब मैं इस के मुताल्लिक ......

Mr. Speaker : No more supplementaries.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब एक innocent supplementary है. . . ..

Sardar Bhupinder Singh Mann : On a point of Order, Sir. I would like to know whether you permit only innocent supplementaries or otherwise also.

श्री प्रबोध चन्द्र : मुझे पता है जनाब कि उस enquiry committee की जो findings हैं उस में यह Minister साहिब भी involved हैं...

श्री अध्यक्ष : आप को कैसे पता लगा ? क्या आप की सलाह ली गई ? (How did the hon. Member come to know about it ? Was he consulted ?)

श्री प्रबोध चन्द्र : यह तो पब्लिक को भी पता है ।

मंत्री : यह बातें जो insinuation के तौर पर कही जाती हैं, वे बिल्कुल ना मुनासिब हैं। मैं ने कहा था कि यह inquiry 1956 के मुताल्लिक है। उस से जो conclusion आप निकालते हैं वह निकाल लीजिये।

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब जवाब सचाई पर मबनी होने चाहियें......

FIRM FOR THE MANUFACTURE OF SYRINGES AT FARIDABAD

***5246. Shri Prabodh Chandra :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether any factory in collaboration with a Japanese firm, has recently been started at Faridabad for the manufacture of surgical syringes ; if so, the name of the factory, the names of its partners/proprietors ;

(b) whether any loan has been granted to the said factory by Government ; if so, the amount thereof?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. A factory under the name of Messrs Hindustan Syringes (Private), Limited, has been established by Indians in collaboration with a Japanese firm, for the manufacture of glass syringes. The names of the share-holders originally communicated to Government were—

(i) Shri Narinder Nath of Delhi ;
(ii) Shri Hardev Singh Sandhu of New Delhi ;
(iii) Shri B.B. Bhalla of New Delhi.

Subsequently some other persons are reported to have joined the firm.

(b) A loan of Rs 50,000 was granted to the firm on 23rd April, 1958 under the State Aid to Industries Act. The firm repaid the full loan on 6th November, 1958 and the interest on 10th March, 1959.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब स्पीकर साहिब, वज़ीर साहिब ने जवाब में फरमाया कि पहले यह थे share-holder और subsequently some more persons are reported to have joined the firm. तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन reported persons में से क्या मिनिस्टर साहिब के साहिबज़ादे भी हैं ?

Mr. Speaker : Is it a disqualification?

मंत्री : अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखिए पहिले। इस के मुताल्लिक मैं बतलाना चाहता हूं कि industrial concerns के partners के नाम Government के पास नहीं होते लेकिन my son is a partner there of और वैसे companies को loan की facilities मिलती हैं मगर इस company के loan. return होने का कारण भी यही है and they returned it to the Government.

श्री प्रबोध चन्द्र : Supplementary, Sir.

Mr. Speaker Now I will not allow any supplementary question on this.

ALLEGED SCARCITY OF PIG IRON IN LUDHIANA

***5260. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state :—

(a) whether he received any representation from the industrialists of Ludhiana regarding the hardships experienced by them due to the scarcity of pig iron ;

(b) whether any assurance was held out to the said industrialists that an enquiry into the causes of the said scarcity would be made ; and

(c) if the answer to parts (a) and (b) be in the affirmative, whether an enquiry has been made ; and if so, with what result ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes, in April, 1959.

(b) Yes.

(c) The position regarding supplies was found to be not very satisfactory and steps were taken to expedite deliveries of pig iron. Indeed, complaints regarding shortage of pig iron were general from all parts of the State at that time. As a result of the steps taken, the situation has eased very considerably, and there is now no shortage of pig iron at any place.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ representatives recently ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੀ shortage ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ Government ਦੀਆਂ efforts ਨਾਲ ease ਹੋ ਗਈ । ਪਰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ difficulty ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ remove ਕਰੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ shortage ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ assure ਕਰਾਇਆ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ production ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਭਿਲਾਈ, ਰੂੜਕੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ production ਤੇ depend ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

REVERSION/DISMISSAL OF EMPLOYEES IN BHATINDA DISTRICT

2391. Gyani Kirpal Singh Shant : Will the Chief Minister be pleased to state the number of Hindu, Harijan and Sikh employees of the Police Department in Bhatinda District who were reverted and dismissed, respectively together with their names and ranks and the reasons for their reversion/dismissal ?

Sardar Partap Singh Kairon : Statements containing the requisite information in respect of (i) dismissals and (ii) reversions in Bhatinda District for the year 1959 till 15th February, 1960, are attached.

STATEMENT 'A'

Community-wise statement showing dismissals of Police employees in Bhatinda District during 1959 and upto 15th February, 1960

Serial No.	Name with rank and No.	Religion	Punishment awarded with date	Reasons in brief
1	Head Constable Gurcharan Singh, No. 3964	Hindu ..	Dismissed on 20th January, 1959	For knowingly recording a false report No. 10, dated 1st September, 1958, in the D.D.R., police station Balianwalli and getting a case under section 353/342, I.P.C., registered.
2	Constable Rup Lal, No. 3666	Do	Ditto	For enticing away Mst. Shakuntla Devi an inmate of J. L. Bhatinda, under section 55/109, Criminal Procedure Code, when the defaulter was posted there.
3	Constable Tej Ram, No. 3703	Do	Dismissed on 19th January, 1959	For misbehaviour with Liloo and Hakam Singh school boys under the influence of liquor and getting the case registered falsely, under section 353/342, I.P.C., police station Balianwali.
4	Constable Kartar Singh, No. 3798	Jat Sikh ..	Dismissed on 6th June, 1959	For destroying opium (case property of case F.I.R. No. 6, dated 24th February, 1954, under section 9 Opium Act, police station Phul) after obtaining the order of Magristrate, 1st Class, with *mala fide* intention.
5	Constable Bhag Singh, No. 4029	Ditto	Dismissed on 12th June, 1959	For carelessness and gross negligence while on sentry duty in police station Kot Kapura, which resulted in the escape of Gurdev Singh accused of case F.I.R. No. 9, dated 9th March, 1959, under section 380 I.P.C., police station Kot Kapura from the police station lock-up.
6	Constable Charan Singh, No. 4151	Harijan ..	Dismissed on 26th October, 1959	For accepting Rs 400 as illegal gratification from one Darshan Singh, son of Bahadur Singh of village Bandar.
7	Constable Balwant Singh, No. 3653	Jat Sikh ..	Dismissed on 5th February, 1960	For complicity in accepting illegal gratification of Rs 400 by Constable Charan Singh, No. 4151 from Darshan Singh, son of Bahadur Singh of village Bandar Charan Singh has also been dismissed.
8	Constable Lekh Ram, No. 858	Hindu ..	Dismissed on 9th February, 1960	(1) Being found drunk while on sentry duty at about 10-45 p.m at police staton Kot Kapura. (2) Being found absent from police station later at night.
9	Constable Harbhajan Singh, No. 664	Jat Sikh ..	Dismissed on 15th February, 1960	For (1) extracting Rs 5 as bribe from Jarnail Singh Sarpanch of Gobindpura for taking the girders in a tractor (2) Immorality,
10	Constable Dev Raj, No. 597	Hindu ..	Ditto	For suffering escape of prisoner Chur Singh from his custody.

STATEMENT 'B'

Community-wise statement showing reversions of Police employees in Bhatinda District from 1st January, 1959 to 15th February, 1960

Serial No.	Name with rank and No.	Religion	Revrsion with date	From	To	Reasons in brief
1	Head Constable Gurbachan Singh, No. 3884	Jat Sikh ..	15-1-59	Officiating Head Constable	Selection Grade Constable	Having failed to maintain reasonable standard of efficiency.
2	Constable Kartar Singh, No. 3954	Ditto	15-7-59	Selection Grade Constable	Time Scale Constable	Lack of vacancy.
3	Constable Bhag Singh, No. 4385	Ditto	6-8-59	Ditto	Ditto	Ditto
4	Constable Joginder Singh, No. 3785	Ditto	14-8-59	Ditto	Ditto	Having failed to maintain reasonable standard of efficiency.
5	Head Constable Shiv Dayal, No. 68	Hindu Jat	22-1-60	Officiating Head Constable	Selection Grade Constable	Has got no good entry but nine bad entries.
6	Head Constable Bir Kishan Singh, No. 383	Sikh ..	22-1-60	Ditto	Time Scale Constable	Has got one good entry and 6 bad entries.
7	Head Constable Inder Singh, No. 48	Jat Sikh ..	22-1-60	Ditto	Selection Grade Constable	Has got 3 good entries but is untrained and his name does not exist on promotion List 'C'.
8	Head Constable Gamdoor Singh, No. 309	Ditto	22-1-60	Ditto	Time Scale Constable	Has 4 good entries and 2 bad entries and bad reputation.
9	Head Constable Gurnam Singh, No. 246	Ditto	22-1-60	Ditto	Selection Grade Constable	Has 3 good entries. At the time of inspection was found in-efficient and careless in his work. His record was in mess.

10	Head Constable Puran Singh, No. 506	Ditto	22-1-60	Ditto	Ditto	Ch. Roll not forth coming. Has bad reputation in the matter of honesty.
11	Head Constable Satwant Singh, No. 196	Ditto	22-1-60	Ditto	Ditto	Has got 3 good entries and 4 bad entries.
12	Head Constable Balwant Singh, No. 34	Ditto	22-1-60	Ditto	Ditto	Has got one good entry and 5 bad entries.
13	Sub-Inspector Roshan Lal, No. 158/PR	Hindu ..	22-1-60	Officiating Sub-Inspector	Assistant Sub-Inspector	Reverted by D.I.G., Patiala Range, Patiala, in furtherence of implementation of the recommendations of the Cadre Committee.
14	Sub-Inspector Rajinder Singh, No. 150/PR	Do	22-1-60	Ditto	Ditto	
15	Sub-Inspector Sadhu Singh, No. 61/PR	Jat Sikh ..	22-1-60	Ditto	Ditto	
16	Sub-Inspector Malkiat Singh, No. 53/PR	Ditto	22-1-60	Ditto	Ditto	
17	Sub-Inspector Bas Dev, No. 104/PR	Hindu ..	22-1-60	Ditto	Ditto	
18	Sub-Inspector Satwant Singh, No. 136/PR	Sikh ..	22-1-60	Ditto	Ditto	

AMOUNT SPENT ON DIGGING OF DRAINS AND TRAINING OF CHOS

2392. Chaudhri Dasondha Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the amount so far spent by Government in digging drains and training and canalising the Chos in the State out of the amount allocated for this purpose in the budget for the year 1959-60 ; and the reasons for not spending the balance ;

(b) whether any expenditure has been incurred on canalising the Tootu Muzaria Cho in tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur ; if so, how much ?

Rao Birendar Singh : (a) Rs 32 lacs have been spent on digging drains and training and canalizing chos in the State upto December, 1959 during the year 1959-60. Rs 16 lacs have been spent on flood control work upto December, 1959 during the current year 1959-60. The total amount provided for Flood Control and drainage work during the current year is 143 lacs. The remaining amount viz. 95 lacs is likely to be spent in full during the period January to March, which is the main working season of the year for flood control and Drainage works. No surrender on this account is expected.

(b) No expenditure has been incurred on canalizing Tootu-Muzaria Cho.

RECRUITMENT THROUGH EMPLOYMENT EXCHANGES

2395. Shri Balram Dass Tandon : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) the number of persons registered for each trade in each Employment Exchange in the State during the years 1955, 1956, 1957, 1958 and 1959 ;

(b) the number of persons recruited in each trade through the said exchange in the same period ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : As the information regarding the number of persons registered separately at each Employment Exchange in the State during the year is not maintained, the figures as these stood at the end of the year in the State are laid on the Table of the House.

N B.—The replies to the unstarred questions No. 2393 and 2394 received late from the Government are printed as an annexure at the end of this debate, dated 4th March, 1960.

STATEMENT

Trade	(a) *Applicants registered at the end of*					(b) *No. of persons recruited through Employment Exchanges in*				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Black-smith	85	77	20	103	109	44	74	64	157	98
Stamping-press Operator	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Hand Hammer-man	18	24	11	16	10	12	15	23	33	45
Foundry Fore-man	3	1	..	1	..	..	..	..	..	..
Moulder Foundry	39	33	3	14	36	12	25	5	3	4
Moulder-mate	4	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Sand Machine-man	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..
Machine Shop Foreman	..	2	1	..	2	..	..	1	..	1
Turner	74	63	2	60	117	41	54	26	18	21
Capstan Lathe Operator	..	1	..	..	..	..	3	..	..	..
Machine Tool-setter	1	1	1	..	2	..	..	..	..	..
Machinist	12	17	1	9	42	4	10	5	11	6

Trade	(a) *Applicants registered at the end of*					(b) *No. of persons recruited through Employment Exchanges in*				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pattern-Maker (Metal)	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Grinder (Metal)	..	..	2	1	1	3	..	..	..	..
Driller (Metal)	1	..	2	..	2	..	1	1	1	..
Mechanical Foreman	15	13	13	22	43	..	7	3	2	8
Fitter General	94	154	126	107	233	35	59	56	19	54
Fitter Air-craft	..	1	2	..	..	4	5	..	10	1
Electrical Fitter	3	1	..	..	37	5	..	28	..	10
Fitter Mechanic Textile	1	3	..	..	..	1	..	..	..	..
Fitter/Mechanic (Railway)	1	4	..	..	..	..	..	..	..	..
Fitter/Erector (Structural)	2	3	2	2	1	..	..	..	..	..
Fitter Air-craft	4	..	2	11	..	..	..	..	..	1
Mechanic Refrigrator	..	..	1	4	6	1	1	..	..	3
Mechanic Automobile	110	115	110	114	65	5	12	28	14	23
Mechanic Steam-Engine	24	14	13	11	47	6	..	5	14	11

Mechanic Instrument	..	4	3	1	4	..	..	..	1	1
Mechanic Cycle	6	4	4	2	1	2	..	1	..	1
Mill Wright General	17	11	13	11	16	..	10	1	1	5
Mechanic Tractor	9	9	6	4	1	..	..	..	..	..
Mechanic Telegraph	1	1	1	3	..	1	..	..	..	..
Mechanic Radio	32	28	46	52	57	12	4	16	11	11
Mechanic W/T. Equipment	1	2	..	..	..	2	2	..	9	..
Mechanic Printing Press	..	3	..	3	6	..	..	..	..	..
Erector Machinery	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Lock/watch Repairer	..	1	2	2	1	2	..	6	1	..
Fitters 'Mate'	29	14	24	22	22	4	13	9	7	15
Motor Cleaner	65	54	113	143	107	54	48	40	81	20
Motor Mechanic Mate	11	12	14	10	14	3	..	..	..	..
Tool Maker	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Die Sinker	..	2	..	..	..	..	1	..	1	1
Foreman Sheet-Metal	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tin Cooper Smith	17	12	18	21	22	5	5	1	..	2
Riveter	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Boiler Maker	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Welder	38	51	29	43	106	4	11	5	9	14
Welder Mate	1	..	3	3	1	..	1	1	..	..

Trade	(a) Applicants registered at the end of					(b) No. of persons recruited through Employment Exchanges in				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Crane Driver	3	1	..	1	6	..	..	..	..	..
Steam Engine Driver	4	5	4	1	2	18	1	1	..	..
I.C. Engine Driver	41	37	35	42	39	5	3	26	37	34
Stationery Engine Driver	2	1	2	1	..	..	3	2	..	..
Boiler-man	7	7	10	6	15	6	5	12	10	12
Cleaner	26	27	33	34	35	6	22	22	44	40
Liftman	..	..	1	1	..	..	..	3	5	6
Electrical Foreman	11	15	28	47	42	6	..	4	1	43
Linesman mate	35	50	7	106	39	25	25	118	121	266
Lineman	22	97	30	52	62	33	29	54	59	52
Wireman	59	40	41	55	107	42	34	50	104	56
Wireman mate	5	7	2	9	13	7	2	..	14	..
Electrician	92	140	118	117	216	71	66	52	72	79
Electrician-mate	4	4	11	14	12	1	2	4	28	10

Armature winber	4	1	3	..	2	1	1	..	..	..
Attendant Power-House	1	4	1	5	..	2	..	1	1	6
Battery-Attendant	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..
Electrical Meter Repairer	1	1	..	..	1	2	..	1	..	1
Eleotroplator	5	7	2	11	17	2	1	1	3	2
Galvaniser	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Metal Surface Finisher	..	..	4	1	..	..	..	..	9	3
Armourer	..	3	2	4	5	..	..	..	1	..
Draftsman Civil	3	64	108	151	127	20	30	28	23	36
Draftsman Mechanical	9	30	35	45	226	2	10	6	..	6
Draftsman Miscellaneous	..	..	1	..	..	..	..	..	6	..
Tracer	24	36	45	50	115	18	20	20	27	56
Manager Factorv	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Mechanical and Electrical Engineer	3	3	..	1	..	1	..	3	4	..
Mechanical Engineer	7	1	1	8	6	..	..	8	..	..
Electrical Engineer	11	4	4	3	3	18	1	2	1	..
Civil Engineer	1	1	3	1	8	..	..	1	..	..
Automobile Engineer	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Progress Supervisor	1	..	..	..	1	..	7	1	1	..
Overseer Civil	84	99	74	142	255	25	42	73	67	112

Trade	(a) *Applicants registered at the end of*					(b) *No. of persons recruited through Employment Exchanges in*				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub-Overseer Civil	7	16	18	33	32	..	25	18	14	160
Mistry Civil	30	35	31	62	66	18	21	26	36	93
Mason	107	148	131	173	174	159	154	174	267	132
Stone Mason	1	2	1	5	..	..	..	..	..	..
Plumber	21	2	33	48	57	32	25	27	60	109
Plumber mate	3	25	2	..	4	5	1	..	..	1
Glazier	..	..	..	13	..	..	..	..	..	..
Road Roller Driver	4	4	15	5	3	3	6	5	5	7
Road Roller Mate	..	1	1	..	..	..	..	..	1	2
Const. Machine Operator	1	7	4	..	8	..	5	1	..	2
Excavating Machine Operator	17	17	11	17	19	..	..	1	13	11
Driller Well Boring	11	17	9	3	1	..	..	..	..	1
Boring Toll Operator	3	3	1	1	..	1	..	..	1	..
Foreman Wood Works	..	..	3	4	21	..	1	1	2	..

Carpenter	197	250	262	251	317	194	209	221	309	245
Wood Sawyer	..	..	..	1	..	..	..	..	..	5
Mechinist Wood	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Pattern Maker Wood	..	2	2	..	3	..	1	..	..	1
Carpenter mate	4	2	3	1	1	..	..	..	1	..
Wood Polisher	9	8	7	7	18	1	27	2	7	7
Wood Sawyer (Hand)	2	1	1	4	..	2	..	..	5	1
Painter	63	64	85	61	70	74	42	97	81	68
Sign Writer	1	24	21	29	27	13	5	17	23	6
Upholster	6	5	5	6	21	10	7	11	10	7
Caner	3	..	8	15	31	5	10	9	16	16
Shot Firer	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Driller (Shot-firing)	..	2	..	1	1	..	..	2	3	3
Quarry-man	..	5	..	..	..	..	..	1	..	..
Trollery-man	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kiln Foreman	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Guard Railway	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Driver Locomotive	1	..	..	1	..	1	..	3	1	..
Fireman Locomotive	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Driver Diesel	..	3	2	2	..	..	..	..	1	1
Traffic Manager	3	2	2	..	..	1	..	3	..	19

Trade	(a) *Applicants registered at the end of*					(b) *No. of persons recruited through Employment Exchanges in*				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Checker Transport	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Conductor Bus	14	13	15	16	87	4	20	3	6	60
Driver Car	48	58	52	112	139	7	10	15	33	90
Heavy Vehicle Driver	541	671	539	738	872	51	96	99	93	160
Lascar	2	..	..	2	1	..	..	..	3	12
Boatman	..	..	..	2	10	2	..	2	2	9
Metallurgist	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Draw Frame Tenter (Textile)	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Spinner Mule (Cotton)	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1
Twister	..	1	1	..	..	..	7	..	..	..
Machine Tenter Cotton	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..
Wrapper Yarn Textile	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Wrapper Machine Textile	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
Jobber Cotton Weaving	..	..	1	2	..	..	..	3	..	..

Weaver Power-loom (Cotton)	3	5	1	2	..	1	..	..	..	..
Dyer Hand	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..
Dyer Machine	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cloth Checker	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Textile Technologist	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..
Spinning Master	..	..	1	1	6	..	..	..	..	1
Weaving Master Cotton	5	6	4	8	6	..	..	3	..	5
Master Dying and Bleach	..	1	..	1	..	..	..	1	1	2
Weaving Supervisor	3	4	4	1	5	..	..	1	..	1
Designer Textile	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Calico Hand Printing Textile	3	..	1	1	2	1	..	..	2	2
Weaver Hand Loom	12	11	12	24	24	6	3	2	4	6
Weaving Master	..	1	3	..	..	..	1	2	..	1
Knitter Sock Hand Machine	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Fabric Knitter	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Pressman Cloth	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
Cutter Cloth	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Button Mechanist	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Knitting Supervisor	1	..	1	4	1	..	..	..	1	2
Weaving Master Silk	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..
Jobber Weaving Silk	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..

[Minister for Education and Labour]

Trade	(a) Applicants registered at the end of					(b) No. of persons recruited through Employment Exchanges in				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10	11
Reeler	..	..	1	2	6	..	..	..	5	..
Weaver, Silk	3	..	1	..	2	..	..	..	..	..
Mud Attendant	..	..	..	2	9	..	..	..	..	9
Driller Oil, Well	2	..	..	..	..	7	6	4	..	..
Field Gangman	..	..	..	8	4	..	..	..	4	4
Manager, Mica mine	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mica miner	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..
Wireless Operator	24	17	15	17	16	..	..	7	..	..
Telephone Operator	47	52	48	62	50	16	15	25	4	10
Telegraphist	12	30	45	59	56	1	3	16	10	15
Telegraphic Operator	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..
Postman	248	207	121	104	88	34	30	70	9	5
Cinema Operator	8	14	12	8	11	3	6	10	6	4
Photographer	3	2	2	3	5	..	1	3	1	..

Photographer's Assistant	3	1	1	2	1	3	..	..	2	1
Photographist/Artist	..	..	3	1	1	..	..	..	..	..
Doctor, Allopathic	6	6	4	1	4	7	2	3	1	2
Dentist	..	..	..	3	..	..	..	..	2	1
Health Visitor	..	2	1	1	..	..	1	..	36	1
Sanitary Health Inspector	9	32	36	33	61	1	15	24	25	47
Vaccinator	8	31	44	27	52	5	33	44	27	31
Optician	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..
Vaid	21	19	43	45	55	7	5	35	14	9
Nursing Sister	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Nurse Mail	7	6	4	8	9	..	5	6	4	12
X-Ray Technician	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..
Dispenser	16	36	47	53	57	17	17	51	50	139
Midwife	194	16	354	494	358	30	99	119	142	141
Dresser	4	5	1	4	2	2	..	..	..	4
Ward Boy	132	86	128	138	82	174	114	83	170	178
Chemical Worker	..	..	..	3	3	..	..	4	..	16
Geologist	1	4	4	..	..	..	..	..	..	..
Chemical Engineer	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Chemist General	6	6	7	4	8	1	1	..	1	11

[Minister for Education and Labour]

Trade	(a) Applicants registered at the end of					(b) No. of persons recruited through Employment Exchanges in				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Biochemist	1	..	..	..	..	..	1	..	5	13
Laboratory Assistant	10	12	8	15	23	22	34	29	65	23
Veterinary Surgeon	1	4	1	1	2	..	1	..	..	..
Dresser Veterinary	2	2	11	11	8	..	..	42	51	45
Compounder, Veterinary	8	10	15	14	12	2	2	13	13	14
Stock-man	2	5	5	11	5	35	8	3	6	4
Process Worker	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Machine Operator (Rubber Works)	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
Process Worker (Rubber)	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Agricultural Officer	9	18	11	7	7	..	3	9	22	7
Fieldman	6	7	16	32	41	11	11	15	36	3
Tube-well Operator	41	29	48	62	117	39	54	15	175	107
Agriculture Machine Operator	57	55	34	49	44	12	19	18	14	7

Dairy Farm Supervisor	2	1	1	2	1	2	..	2	2	..
Dairy Farm Jemadar	2	7	18	11	25	13	11	8	35	73
Milkman	21	43	71	116	45	34	46	34	106	137
Horticulturist	1	..	4	..	..	..	..	..	1	1
Poultry Farmer	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..
Forester	..	1	16	31	..	5	1	3	15	..
Blower (Glass)	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Grinder and Polisher	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..
Professor	18	17	22	34	27	3	12	14	14	37
Research Fellow	12	2	5	2	10	..	3	5	11	25
Demonstrator	..	..	..	1	2	..	2	5	5	19
Head Master	3	5	7	2	1	3	2	21	70	..
Teacher, High School	74	249	745	898	887	37	139	128	305	522
Teacher, Middle School	138	18	137	95	40	9	53	58	572	77
Teacher, Elementary	1,307	1,235	5,287	2,849	4,225	2,948	2,311	2,084	3,705	1,768
Kindergarten Mistress	..	..	1	8	6	..	..	..	2	..
Language Teacher	144	130	402	418	591	40	95	83	189	237
Drawing Master	33	60	157	129	141	7	15	12	30	42
Manual Training Instructor	4	6	9	20	33	1	3	1	28	17
Physical Instructor	22	131	74	220	234	4	11	17	30	205
Needle works Teacher	36	63	135	198	290	17	25	55	87	225

Trade	(a) Applicants registered at the end of					(b) No. of persons recruited through Employment Exchanges in				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Librarian	..	1	2	6	3	6	..	9	13	3
Tutor	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..
Curator	..	1	1	..	..	..	..	1	1	..
Office Manager	41	36	15	14	7	..	3	1	2	9
Office Superintendent	10	3	6	3	4	5	7	1	1	..
Personal Officer	6	3	1	2	2	1	3	..	..	..
Social Welfare Worker	7	10	29	33	25	25	13	37	17	35
General Manager, Administration	3	5	1	1	..	4	3	..	4	5
Secretary	1	2	..	1	3	1	3	1	..	2
Clerk	6,223	6,929	9,377	10,076	13,162	1,044	1,822	2,000	1,504	1,853
Assistant (Clerical)	84	76	91	80	77	43	40	34	24	40
Translator	7	3	1	2	8	24	5	4	3	12
Economics Statistical Investigator	5	5	9	5	7	6	1	4	16	58

Statistician	1	3	1	2	..	..	..	..	..	2
Statistical Clerk	..	..	..	2	4	3	3	10	11	44
Typist	214	241	214	458	368	155	219	311	376	439
Store-keeper	60	78	63	76	94	23	66	54	86	93
Reader	2	2	..	..	..	2	..	..	..	..
Nazar	..	..	..	1	..	3	..	7	..	..
Stenographer	54	62	24	18	3	77	95	68	41	40
Auditor	9	13	14	10	23	11	5	23	17	28
Accounts Clerk	33	49	31	32	39	9	17	18	19	18
Cashier	3	2	1	1	5	..	2	..	..	2
Time-keeper	..	..	2	1	..	1	..	3	1	2
Comptometer Operator	..	..	..	1	19	..	..	..	..	..
Punch Operator	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Duplicating Machine Operator	1	..	..	..	1	..	1	..	..	22
Inspector-General	270	350	331	209	605	24	19	34	72	141
Co-operative Inspector	1	1	3	24	81	..	2	16	73	263
Daftry	232	208	196	117	177	29	50	49	49	75
Salesman, Retail	9	11	19	13	10	26	12	12	22	45
Salesman, Travelling	4	4	2	4	2	3	2	1	1	..
Insurance Inspector	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..
Manager, Hotel	..	2	2	1	4	1	3	..	..	2

Trade	(a) Applicants registered at the end of					(b) No. of persons recruited through Employment Exchanges in				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Steward (Dining room)	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..
Butler	..	..	1	..	2	..	..	..	..	7
Domestic Servant	24	24	44	31	80	27	59	32	40	37
Cook	275	284	322	275	229	387	440	417	307	341
Cook-bearer	2	2	5	5	7	..	2	4	4	8
Bearer	16	14	11	8	10	26	11	34	17	4
Halwai	..	3	..	1	..	..	1	..	..	1
Gardener	101	144	224	264	285	67	100	129	194	211
Waterman	323	198	280	243	478	916	550	627	700	853
Dhobi	78	88	81	82	127	82	158	74	253	75
Tailor	79	138	96	92	138	24	20	23	28	18
Sweeper Dry	223	52	173	72	31	17	21	1	48	118
Sweeper Wet	1,128	1,591	1,503	1,801	1,860	2,435	2,318	1,162	1,657	1,195
Ayah	44	76	65	76	132	9	18	22	17	42

Barber	48	81	59	85	71	61	79	47	68	50
Dry Cleaner	4	..	1	3	1	..	..	1	2	1
Sanitary Jemadar	1	9	10	29	58	163	177	93	230	466
Expeller Attendant	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Foreman (Soap-boiling)	1	..	..	..	9	..	..	..	..	1
Soap Boiler	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..
Soap Machine Attendant	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Moulding Press Operator	1	2	..	..	..	..	3	..	..	..
Foreman, Tannery	..	1	..	..	3	..	..	..	2	2
Machine Operator	..	..	4	1	..	..	..	2	..	..
Beam-Hand	..	2	..	..	..	..	..	4	..	..
Stuffer	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..
Finisher (Tannery)	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1
Leather Technologist	..	..	1	1	3	..	..	..	..	..
Foreman (Footwear manufacture)	..	..	2	..	2	..	..	..	2	5
Footwear repairer	59	42	54	59	106	15	32	20	13	35
Suitcase-maker	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
Bridle maker	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Fancy Leather Goods maker	2	1	1	..	..	..	..	..	..	1
Manager Printing	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Foreman Composing	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..

[Minister for Edncation and Labour]

Trade	(a) Applicants registered at the end of					(b) No. of persons recruited through Employment Exchanges in				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Operator, Monotype	1	..	1	2	7	..	..	..	..	..
Copy-holder	1	1	1	11	61	2	3	17	12	1
Compositor	50	70	99	108	101	..	23	11	7	106
Book-binder	22	27	24	54	87	2	1	23	7	7
Ware house-man	8	6	7	17	13	6	12	16	1	24
Machine Inker	18	5	14	23	18	5	4	7	..	5
Monotype Caster Attendant	1	4	..	1	2	..	..	3	16	2
Proof Press-man	1	..	..	..	..	1	1	2	..	..
Inker (Printing)	3	..	3	6	11	..	1	..	..	1
Type-caster	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..
Fly-boy (Printing)	2	1	7	10	32	..	..	8	16	2
Type-supplier	14	27	34	78	108	1	5	15	59	27
Treadleman	1	5	3	6	7	3	..	..	..	..

Block-maker	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Zinc Grainer	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Ground Surveyor	..	1	..	2	1	..	..	..	..	..
Chainman	3	11	1	1	2	4	6	..	..	10
Surveyor	11	35	17	14	43	16	14	9	5	39
Editor	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Publicity-man	..	..	1	1	..	1	..	4	1	..
Legal Practitioner	7	5	6	1	4	1	..	..	..	4
Machineman, Paper	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..
Security Officer	13	37	22	41	45	1	..	9	2	..
Scientific worker	..	2	1	2	1	2	1	2	..	2
Labour Supervisor	32	58	46	42	18	5	..	..	2	..
Gram Sewak	..	3	14	35	26	3	8	18	..	13
Musician	1	8	9	12	47	..	4	3	6	13
Entertainer	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Artist	2	4	..	5	4	..	..	..	..	2
Goldsmith	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Ivory carver	..	..	2	5	1	..	..	..	..	..
Sports Goods Maker	2	2	..	1	2	3	3	1	49	11
Fruit Preserver	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
Floor Mill Operator	1	2	..	1	..	..	..	..	1	..

[Minister for Education and Labour]

Trade	(a) *Applicants registered at the end of*					(b) *No. of persons recruited through Employment Exchanges in*				
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rigger	1	1	1	3	7	..	..	..	..	..
Handicraft worker	..	..	1	5	8	..	..	..	2	..
Packer	19	18	32	61	34	5	12	27	25	25
Fire-fighter	41	16	13	11	36	21	7	26	15	32
Driver—Animal	8	22	12	14	13	8	9	29	13	40
Jemadar (Engineering)	6	..	1	3	9	1	..	7	15	58
Unskilled worker (Engineering)	70	81	54	31	91	42	92	118	94	75
Jemadar, building	80	79	62	111	120	29	57	62	176	317
Unskilled worker building	524	747	289	1,019	881	1,515	848	1,024	1,908	2,452
Jemadar, Railway	2	1	2	14	..	29	10	10	16	6
Railway worker unskilled	437	300	41	283	85	1,240	776	325	313	306
Unskilled worker, Dock	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Unskilled metal worker	2	31	14	10	44	13	45	38	16	9
Unskilled worker oil field	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..

Jemadar Agricultural	2	4	4	11	19	3	..	31	86	63
Agricultural worker unskilled	50	50	89	164	175	75	69	98	70	180
Dafadar (Office)	21	13	17	4	..	8	6	4	23	11
Unskilled office worker	8,497	11,110	11,531	14,892	16,882	2,883	4,212	4,160	4,715	5,938
Unskilled worker leather works	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Unskilled worker (Printing)	14	38	22	24	79	10	23	13	3	8
Jemadar Miscellaneous	74	91	88	152	187	65	85	94	96	130
Unskilled worker Miscellaneous	4,266	3,621	4,330	5,613	10,677	4,576	3,241	4,301	5,453	6,731
Other Trades	20	43	..	..	346	..	..	..	..	391
Trade Apprentices	..	129	37	149	693	1	..	..	..	13
GRAND TOTAL	29,045	33,108	40,900	47,079	61,569	20,165	20,546	20,644	27,320	30,441

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब नोटिस है एक *calling attention का ।

10—00 AM.

श्री अध्यक्ष : यह तो किसी खास बात के लिये बना था लेकिन आप इसे किसी और ही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। (This was provided for some set purpose but the hon. Member is using it in a different way.)

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब, मैं ने इस लिये यह दिया है ताकि मिनिस्टर साहिब पूरी पूरी वजूहात दे सकें ।

Mr. Speaker : I have asked the Government to refer to it in the course of reply to the discussion on the Budget. I have not asked that a separate statement should be made about it. If this is done as the hon. Member wants, then there will be a notice for calling attention every day.

Chief Minister : Thank you, Sir.

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61 —(CONTD)

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the Budget. Bibi Harparkash Kaur, who was in passession of the House when it adjourned on the 2nd March, 1960, may resume her speech.

ਬੀਬੀ ਹਰਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਲ੍ਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ improve ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ improvement ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ

*Shri Balram Das Tandon, to ask for leave to move a Calling Attention Motion to raise an urgent matter of public importance, namely, the revised working hours of the shops in the State i. e., from 8 a.m. to 6.45 p.m. The time is quite odd and will bring a lot of sufferings to the shopkeepers of the State. There are many places which have electricity of their own. Moreover, when house light together with shops light is supplied from 5 p.m. to 10 p.m. the reason given for the shortage of electric supply is quite unfounded. If it is not revised the business in the State is likely to suffer a lot.

ਬਗੈਰ ਹਨ । ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ privately managed ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ private ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਰੁਪਿਆ ਰਖਦੀ ਔਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੀ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ approach ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਜਿਸ ਤਹ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲਖ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ । 250 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ, 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਔਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਪਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੇਡੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ men side ਵਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 15 ਅਫਸਰ ਮਿਲਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਕਈ Assistant Directors ਤੇ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਚਾਰ Class I ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੈਸ ਤੇ ਨਾ ਪਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ

[ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੈਸ girls' section ਦੀ ਇਨਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੇੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ministerial level ਤਕ approach ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਘਟਣਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਉਥੇ ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ extension ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਟੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਉਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ qualification F. Sc. ਸੀ, ਮਗਰ ਉਥੇ ਵਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਉਥੋਂ ਦੀ ਹੈਡਮਿਸਟਰੈਸ ਨੇ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਟੀਚਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ । ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ministerial level ਤਕ approach ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ transfer cancel ਹੋ ਗਈ । ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਹੈਡਮਿਸਟਰੈਸ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ । ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸ਼ੋਰ ਪਵਾਇਆ । ਸੋ ਉਸ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੈਸ ਔਰ Divisional Inspectress ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ education code ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ rules ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿ J.V. ਅਤੇ S.V. ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਅਜੇ ਤਕ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੇ grant earn ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਰੂਲਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 3,5,6 ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 16 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ grant earn

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਕਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਰੂਲਜ਼ grant earn ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਵਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ grant ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਉ.............

श्री अध्यक्ष: अब आप wind up करें (Please wind up now.)

ਬੀਬੀ ਹਰਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਅਛਾ ਜੀ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਾਟੇ ਪੁਰ ਘਟੋ ਘਟ 90 ਫੀਸਦੀ grant ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿਚ holiday homes ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ holiday homes ਹਰ district ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਵੀ enjoy ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਵਿਚ ਦੂਜੇ enjoy ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ drains ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੇਮ ਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਤੇ ਹੜਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਰਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ drains ਨਿਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ affected ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ approach ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਗਾ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ staff ਇਸ ਕੰਮ ਉਪਰ ਹੈ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ stick ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਾ ਦੇਣ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ।

श्री रला राम (मुकेरियां, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सब से पहले अपने वित्त मंत्री महोदय को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कई वर्षों के बाद इस सदन में surplus बजट पेश किया है। यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर बजा तौर हम अपनी सरकार को और अपने वित्त मंत्री जी को बधाई दे सकते हैं और उन का हार्दिक धन्यवाद कर सकते हैं। इस बजट के अन्दर एक दो और भी विशेष बातें

[श्री रला राम]

हैं जिन के लिये मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक यह है कि उन्होंने जो शिक्षा विभाग का बजट रखा है उस में आगे से भी बढ़ौतरी की है। गो यह बढ़ौतरी उतनी नहीं है जितनी कि इस विभाग के लिये होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी इस विभाग का बजट पिछले साल मे लग भग एक करोड़ रुपए बढ़ा है जो कि मैं समझता हूं कि यह ठीक दिशा की ओर प्रगति है और उन्नति की ओर कदम बढ़ा है। इस के लिये भी मैं उन्हें आप के द्वारा हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जहां तक शिक्षा विभाग का प्रश्न है इस में एक दो बातें हैं जिन की तरफ मैं समझता हूं कि काफी ध्यान नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि आज से नहीं बल्कि पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से हम लोग शिक्षा प्रणाली पर नुक्ताचीनी करते आ रहे हैं और अभी तक वह नुक्ताचीनी चल रही है और खत्म होने में नहीं आती है। मैं समझता हूं कि अब नुक्ताचीनी का मौका नहीं मिलना चाहिए जब कि सत्ता हमारे अपने हाथ में है। अब क्रियात्मक बातें करने का युग है नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी नुक्ताचीनी ही होती है और उस के मुकाबले में कोई constructive कदम नहीं उठाते हैं तो हमारे ऊपर यह एतराज़ आता है कि हम नुक्ताचीनी ही करते हैं मगर constructive कदम नहीं उठाते हैं। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है इस बात को हर व्यक्ति अनुभव ही नहीं करता बल्कि प्रयत्न भी करता है परन्तु यह बड़े खेद का विषय है कि जब कभी सुधार का मौका आता है और कोई कदम उठाने का समय आता है तो हम उतना प्रयत्न नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए। Higher secondary system of education इस लिए यहां चालू किया गया कि मौजूदा जो University education है उस के अन्दर कुछ दोष हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसी अवस्था में और ऐसी आयु में colleges में आ जाते हैं कि वहां जो उन को स्वतन्त्रता मिलती है उसका वे सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस लिये यह सोचा गया कि वे अगर स्कूल स्टेज पर एक साल और अधिक रहें तो उन के चरित्र निर्माण और दूसरी चीज़ों के लिये बहुत लाभदायक चीज़ है। तो इस शिक्षा सुधार के लिए यह higher secondary education देने का कदम उठाया गया है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय यह बड़े खेद की बात है कि हम उसे कामयाब बनाने के लिए वह कदम नहीं उठा पाए जो मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक हैं। आखिर इस का क्या परिणाम निकला? दो साल के बाद जब से यह प्रणाली चालू है अब स्थिति यह आई है कि बीसियों ऐसे स्कूलों की managements ने जिन्होंने higher secondary system अपनाया था फैसला किया है कि हम अब फिर matriculation system पर जाना चाहते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं अगर यह कहूं कि इस राज्य के अन्दर educational crisis है तो सही है। हम इतना चिल्लाते रहे कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए और हमें कोई ठोस constructive कदम उठाना चाहिए लेकिन जब वह कदम उठाया गया तो उस को कामयाब बनाने के लिये वह कार्यवाई हमारी सरकार नहीं कर पाई जो मैं समझता हूं बिल्कुल आवश्यक थी और है। इस crisis का बड़ा भारी कारण यह है कि जिन स्कूलों ने Higher secondary system अपनाया है हमारी सरकार ने उन की सहायता के लिये कोई विशेष कदम नहीं उठाया।

कुछ साल पहले multipurpose scheme के लिए सहायता दी गई थी जो कि बहुत थोड़े स्कूलों ने ली। अब जब यह higher secondary system चालू किया तो उसे कामयाब बनाने के लिये कोई विशेष सहायता का हाथ गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया और उसका नतीजा आज यह है कि बीसियों स्कूल जिन्होंने यह प्रणाली अपनाई है उन की managements ने फैसला किया है कि हम इस प्रणाली को छोड़ कर के फिर से उसी पुराने system पर जायेंगे। तो यह बड़े खेद की बात है कि हमारी नुक्ताचीनी केवल नुक्ताचीनी ही रह जाती है और कोई ठोस कदम उठाने की शकल अख्तियार नहीं करती। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपनी सरकार से और विशेष तौर पर अपने शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा और उन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस बात की तरफ ध्यान दें। यह ठीक है कि University ने फैसला किया है कि matriculation system 1970 तक चलेगा लेकिन वहां से बातचीत के ज़रिए जो बात मालूम हुई वह यह है कि इस का बड़ा भारी कारण यह है कि उन्हें सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास इतने resources नहीं हैं कि 1963 तक matriculation system खत्म करके higher secondary system जारी कर सकें।

इस लिये मैं यह समझता हूँ कि हमें वे कदम उठाने चाहियें और यह जो Educational crisis हमारी स्टेट के अन्दर आ रहा है उसे खत्म करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें। इस crisis का प्रभाव उन हज़ारों विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ेगा जिस का परिणाम यह होगा कि वे न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। Higher Secondary System के सफलता पूर्वक न चलने का बड़ा कारण यह है कि इस के लिये वैसा स्टाफ नहीं जैसा कि इस के लिये चाहिये इस लिये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को विश्वास के साथ हाथ बढ़ाना चाहिये था जो कि सरकार बढ़ा नहीं सकी। इस लिये यह बड़ा भारी educational crisis हमारी स्टेट के अन्दर आ रहा है। आप के द्वारा मैं आप की स्टेट का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वे विशेष कदम उठाएं ताकि Higher Secondary Education का pattern जो हमने इतने साल की consideration के बाद अपनाया है उस में State को कामयाबी हो और वह फेल न रहे। इस के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि privately-managed स्कूलों के लिये गवर्नमेंट को सहायता का हाथ विशेष तौर पर बढ़ाना चाहिये ताकि यह सिस्टम कामयाब हो सके। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने आठवीं जमात तक मुफ्त शिक्षा करने की घोषणा इस बजट में की है। यह कदम ऐसा है जिस के लिये मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ लेकिन उस दिल के साथ बधाई नहीं दे सकता जिस दिल के साथ यह कदम अगर सही तरीके से उठाया जाए तो यह बधाई दी जा सके। अभी तक ग़रीब वालदैन के लड़के और ग़रीब वालदैन हमारी सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कब यह मुफ्त तालीम की बरकत उन तक पहुँचती है। हमारे प्रान्त में आज privately-managed schools 66 % के लगभग हैं और गवर्नमेंट स्कूल्ज़ लगभग 33 %

[श्री रला राम]

और ये ज्यादातर शहरों और कस्बों में हैं। गरीब जनता इस बरकत की तरफ उसी तरह से देख रही है जिस तरह आज किसान मेघ की तरफ वर्षा के लिये देख रहे हैं। वे यह चाहते हैं कि यह बरकत उन तक पहुँचे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ। यह जो मुफ्त तालीम की बरकत है यह एक बड़ा अच्छा कदम है लेकिन उसे बिना किसी भेद भाव के ग़रीबों तक फैलाना चाहिये। यह बरकत शहरों तक और बड़े-बड़े लोगों के ही हिस्से में आई है। ग़रीब लोग इसके लिये तरस रहे हैं। (घंटी)

एक मिन्ट में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह कर बैठ जाऊँगा। जहां तक red-tapism का सम्बन्ध है मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि काफी कदम इस बारे में उठाए गए हैं लेकिन अभी तक यह लानत बहुत हद तक दूर नहीं हो पाई। इस लिये इस लानत को दूर करने के लिये गवर्नमेंट को हर तरह से कदम उठाने चाहियें। जहां तक रिश्वत का सम्बन्ध है अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को तसलीम करता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिये बड़े अहम कदम उठाए हैं लेकिन आप के द्वारा एक बात मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जहां तक आम जनता का सम्बन्ध है उन्हों ने इस बात को महसूस नहीं किया कि रिश्वत कचहरियों और दूसरे दफ्तरों के अन्दर कम हुई हो। इस का बड़ा कारण यह है कि अभी तक ऊपर के तबके जो हैं उन में यह लानत काफी हद तक पाई जाती है अगर वहां इसे रोकने का प्रबन्ध न किया गया तो नीचे भी इस में कामयाबी नहीं हो सकती। मैं इस बात को तसलीम करता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी दयानतदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं और उन्हें देवता भी कहें तो ठीक है लेकिन ऐसे भी मौजूद हैं जिन के standards बहुत घटिया हैं। जब तक हमारी गवर्नमेंट उन पर काबू नहीं पाती और उन में से corruption को root out करने का प्रयत्न नहीं करती तब तक अध्यक्ष महोदय यह बुराई उस हद तक नहीं मिटाई जा सकती कि आम जनता यह अनुभव करे कि यह बुराई कम हो गई है। इन शब्दों के साथ मैं अधिक समय के लिये आप का धन्यवाद करता हूँ।

श्री बलराम दास टण्डन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, यह जो आगामी वर्ष का बजट इस सदन के अन्दर पेश किया गया है इस को एक surplus budget बताया गया है और उसके अन्दर बहुत से रोचक. . . .

श्री अध्यक्ष : अपनी स्पीच दस मिनट में खत्म करें आज मैं ने strictly इस बात का ध्यान रखना है। (The hon. Member may please finish his speech within ten minutes. I have decided to enforce the time-limit strictly today.)

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, आप ने 15 मिनट fix किए हुए हैं। दस मिनट में इतने बड़े बजट को कैसे explain कर सकते हैं।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲਿਆਂ : ਦਸ ਮਿਨਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ explain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

श्री अध्यक्ष : आखर इधर वालों ने भी तो बोलना है। (After all I have to give time to Treasury Benches as well.)

श्री बलराम दास टण्डन . स्पीकर साहिब, उधर से तो मिनिस्टर साहिब नें जवाब देना ही होता है ।

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हाउस के सामने बजट की बड़ी सुहावनी तस्वीर पेश की गई है लेकिन जो असलियत इस बजट के पीछे छिपी हुई है उस के ऊपर एक बहुत बड़ा पर्दा डाल कर बाहर के लोगों को यह बताया गया है कि इस स्टेट की financial position बड़ी अच्छी है। स्पीकर साहिब, इस स्टेट की financial position कैसे अच्छी कही जा सकती है जिस की हालत यह है कि हर साल इस स्टेट के ऊपर कर्ज़ा बढ़ रहा है। जहां यह कर्ज़ा 1958-59 के अन्दर 2 अरब और 4 करोड़ रुपया था 1959-60 के revised budget में यह कर्ज़ा 2 अरब 44 करोड़ रुपया हो गया। उस के बाद आगामी वर्ष में यह कर्ज़ा 2 अरब 85 करोड़ तक जाने वाला है। अगर सारी स्टेट के फी आदमी का हिसाब लगाया जाए तो फी कस दो सौ रुपया कर्ज़ा बनता है। आप अन्दाज़ा लगाएं कि सिवाय इस के कि इसे self deception कहा जाए इस के सिवा कोई अलफाज़ इस बजट के बारे में नहीं कहे जा सकते। Top heavy administration का हाल यह है कि 57 करोड़ के लगभग सारा बजट बताया गया है जिस में से 37 करोड़ रुपया के लगभग केवल establishment के बारे में है जिस का मतलब यह निकलता है कि लग भग कुल आमदनी का 60—65 % standing establishment पर खर्च कर दिया है। एक कमेटी के अन्दर जहां establishment का खर्च 40 % से बढ़ जाए तो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि यह कमेटी क्या रफाहे आम का काम करेगी। जहां इतनी top heavy administration रखी है वहां इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि यह आदमी वाकई अच्छा काम कर सकता है बल्कि देखा यह जाता है कि यह आदमी किस का रिश्तेदार है। इस बात को देख कर vacancy create की जाती है कि फलां फलां qualifications हों। अगर जेल हो आया हो तो यह कह दिया जाता है कि partition से पहले अच्छा काम किया है इसलिये जेल के अन्दर गया है। तो इस के मुताबिक vacancy create की जाती है इस स्टेट में यह हालत है कि 60—65 फीसदी रुपया सिर्फ establishment पर खर्च किया जा रहा है। यह जो rosy picture इन्हों ने बजट की हमारे सामने रखी है यह सिवाय self deception के और कुछ नहीं। इस बजट के मुतअल्लिक बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि this is a budget which may be called a wage bill budget. यह तनखाहों का बजट है। स्पीकर साहिब, अजीब बात इस में यह है कि सरकार यह अन्दाज़ा नहीं लगा सकती कि उसे साल के अन्दर आमदनी कितनी होगी और खर्च कितना होगा। पिछले साल जो इस हाउस में बजट पेश किया गया था तो उस में 32 लाख का deficit बताया गया था लेकिन जब Revised Budget बनाया गया तो इस में 575 लाख का अज़ाफा दिखाया गया। Education की मद में 30 लाख रुपया मांगा गया और यह कहा गया कि सातवीं

[श्री बलराम दास टंडन]

जमात तक की फीसें माफ हो जाने की वजह से कमी हो गई जिसे वे anticipate न कर सके। मैं हैरान हूँ कि इस तरह की बातें कही जाती हैं। हालांकि Finance Minister साहिब ने बड़े तमतराक से यहां announce किया था कि सातवीं जमात तक फीस माफ किये जाने की वजह से हमें घाटा होने वाला है। हमें तो इस तरह की बातें सुन कर बजट बनाने वालों की नियत पर यह शक होता है कि वे जान बूझ कर पंजाब की जनता को धोखे में रखना चाहते हैं और सही तसवीर जनता के सामने नहीं रखना चाहते। यह तो कई बार देखने में आता है कि अगर किसी अफसर ने किसी वज़ीर साहिब के कहने पर अमल नहीं किया तो उस अफसर का फौरन explanation तलब किया जाता है और कोई कर्मचारी ग़लती का मुर्तकिब हो तो उसे warning दी जाती है और कहा जाता है कि he is not fit for promotion लेकिन यहां सदन में हर महकमे और हर शोहबे में तरक्की दिखाने के लिये बजट में बड़ी बड़ी रकमें रखी जाती हैं लेकिन उन funds को पूरे तौर पर utilise नहीं किया जाता और स्कीमें implement नहीं की जातीं। स्पीकर साहिब, मैं इस सिलसिले में आप को इस तसवीर की एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि different heads में कितनी saving हुई। Community Development और National Extention Service Blocks में साल 1958-59 में 10 फीसदी की saving हुई, Medical and Public Health में उस साल 15 फीसदी की saving हुई। P.W.D (B. and R.) में 16 फीसदी की saving हुई। Capital Outlay on Industrial Development में 19 फीसदी की Irrigation में 22 फीसदी, Education में 22 फीसदी हाउस में कहा जाता है, कि 11 करोड़ खर्च था और Education पर इतना खर्च किया है कि पंजाब को तरक्की की राह पर ले गये हैं और बच्चे बच्चे को पढ़ाई के साधन मुहैया कर रहे हैं। लेकिन आखिर में सारे का सारा रुपया खर्च नहीं हो पाता। हमारी निगाहों के सामने अच्छी अच्छी स्कीमें पेश की जाती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता। यहां कहा जाता है कि Beggars Home बनाने हैं लेकिन पता नहीं कि वह सारे का सारा रुपया कहां जाता है। रोचक बातें सामने ला कर लोगों को सब्ज़ बाग़ दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि यह यह स्कीमें जारी करनी हैं लेकिन वे सब धरी की धरी रह जाती हैं। मिनिस्टर साहिब यहां अपनी स्पीच खूबसूरत अलफाज़ में पढ़ देते हैं और फिर देखने की तकलीफ गवारा नहीं करते कि बजट में दी गई स्कीमों को बाद में क्या हशर होता है। क्या यह उन की ज़िम्मेदारी नहीं कि वह देखें कि उन schemes को implement करने में क्या क्या hitches और bottlenecks हैं। अगर उन में कोई technical hitches हों तो उन्हें दूर करने के लिये Secretariat हैं और दूसरे मिनिस्टर मौजूद हैं why these people should not be taken to task. अगर कोई खर्च sanction किया जाता है तो यह देखने की बात है कि वह खर्च क्यों नहीं होता इस के मुतअल्लिक अफसरों से दरियाफ्त किया जाना चाहिये। छोटी छोटी बातों पर तो उन के explanations तलब किये जाते हैं लेकिन वे अफसर जो ऐसे voted इख़राजात को न spend करने के जिम्मेदार

हैं क्यों न उन्हें dock में खड़ा कर के कहा जाए कि यह आरोप आपके सिर पर है । सिर्फ यही नहीं कि Education की मद में 22 फीसदी की saving है बल्कि Agriculture पर 26 फीसदी । Electricity schemes पर 32 फीसदी जिस के मुतअल्लिक यहां मेंम्बर साहिबान आये रोज चिल्लाते रहते हैं कि industry नहीं चलती । Industry में 36 फीसदी saving है, Civil works (Capital) में 30 फीसदी Civil works (General) में 43 फीसदी । इस तरह की बुरी हालत है जैसे hell is falling on the earth. Agriculture Research Improvement Trust में 54 फीसदी । इस के बाद, स्पीकर साहिब, आप सुन कर हैरान होंगे कि capital outlay on multi-purpose River Schemes to be met out of revenue इसमें 100 per cent saving है । इन हालात में क्या इन मिनिस्टर साहिबान को कचहरी में खड़ा कर के पूछना नहीं चाहिये कि कारें घुमाते फिरते हो क्या यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं what for they are there if they cannot satisfy the public. बजट जब प्रांत के एक एक व्यक्ति के सामने पेश किया जाता है तो किसी और शक्ल में होता है लेकिन खर्च होता है तो किसी और ढंग और शक्ल में । जिस वक्त मिनिस्टर साहिब बजट यहां पढ़ कर सुनाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वह एक rosy picture सामने पेश कर रहे हैं लेकिन अगर उस का मुकाबला साल के आखीर में पैदा-शुदा हालात के साथ किया जाए तो मालूम होगा कि यह काफी gloomy position है ।

स्पीकर साहिब, हमारे वजीर साहिबान और दूसरे मैम्बरान जो Treasury Benches पर बैठते हैं वे अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे they are custodian of public money लेकिन हालत यह है कि वह Resources and Retrenchment committee बनाते है जो अपनी रिपोर्ट पेश करती है कि 17 करोड़ रुपये की बच्चत हो सकती है अगर इन इन तरीकों को अपनाया जाए । इस कमेटी ने 1956 में रिपोर्ट पेश की लेकिन अभी तक उस पर decision नहीं हुआ कि गवर्नमैंट आयंदा क्या करना चाहती है ।

स्पीकर साहिब, यह सारी की सारी liability Ministry पर आती है । मैं चाहता हूँ कि वे इन बातों को House में रखें (घंटी) मैं ने तो अभी 10 मिनट लिये हैं । स्पीकर साहिब, थोड़ा सा समय और दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आप Governor's Address पर भी बोले । कई मैंबर्ज हैं जो Governor's Address पर भी नहीं बोले और Budget की general discussion पर भी नहीं बोले । उन्हें वक्त देना है । I am not going to allow this. (The hon. Member spoke on the Governor's Address as well. Some hon. Members could not speak on the Governor's Address and they have not so far spoken on the general discussion of the Budget even. They are to be given time to speak. I am not going to allow more time to the hon. Member.)

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, सवाल यह है कि आज पंजाब की अवस्था कैसी बनी हुई है। वैसे तो कहा जाता है कि law and order की हालत काफी हद तक हमारे हाथ में है It is well under control लेकिन जहां पिछले 2 साल में पहले सरकार ने इस मद में साढ़े चार करोड़ रुपया मांगा इस साल लग भग 5 करोड़ रुपयिा मांगा है। स्पीकर साहिब, अगर हालत दरुस्त है--- well under control है तो मैं नहीं समझता कि इस पर खर्च ज़्यादा बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। स्पीकर साहिब, ज़रूरत इस बात की है कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ होता है, Minister साहिबान उन बातों को देखने की कोशिश नहीं करते। जगह २ पर धांधली मची हुई है। आज पंजाब का एक आदमी भी अपने आप को safe नहीं समझता। आज़ादी उन लोगों की है, law and order उनका है या तो जो उन लोगों के फरज़ंद हैं, जो law and order को हाथ मे ले कर चलते हैं या उनके साथ मिलने जुलने वालों का, जो उनके साथ चलते हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं। बातें House में भी आई। पंजाब में public के दिल में भय है। Chief Minister के लड़के ने एक लड़की को उठाने की कोशिश की। Deputy Commissioner के पास इस House के member गए। 107/151 का case हुआ। Chief Minister साहिब के लड़के ने सड़क पर लड़की को उठाने की कोशिश की लेकिन ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ और न ही इन्हों ने कोई action लेने की कोशिश की। सड़क पर यह दंगा मचाने की कोशिश की। उन्हों ने कहा कि हम देखेंगे। कितनी हैरानी की बात है। ऐसी एक बात नहीं ; बहुत सी ऐसी बातें हैं। अगर समय दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ। (घंटी) स्पीकर साहिब, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : एक एक मिनट वाली बात छोड़ें। जब पहली घंटी बजे तो उसको समझिए कि एक मिनट ही रह गया। दूसरी घंटी पर बैठना पड़ेगा। (He need not ask for any more extension of time for a minute. When the first bell is sounded, it should be understood that one minute is left. At the sounding of the second bell the hon. member should resume his seat.

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, तीसरी पंच वर्षीय योजना शुरू होने वाली है। उसके लिये centre की सरकार ने कई बार कहा है कि जनता का सहयोग नहीं मिलता। मैं Finance Minister साहिब से कहना चाहता हूँ कि Third Five-Year Plan उसके मुताबक बनानी चाहये और जनता का सहयोग लेने की कोशिश करनी चाहिये। इसमें सारी पार्टियां सदस्य बन कर बैठें और देखें कि कौन से काम हुए हैं और कौन से रहते हैं। जो काम रहता है उसको Third Plan में पूरा किया जाए। (घंटी) स्पीकर साहिब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया है।

संत साधु सिंह (रोपड़ 'जनरल') : स्पीकर साहिब, Finance Minister साहिब ने यह जो budget House में पेश किया है मैं ऐसा Budget पेश करने पर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि कई साल के बाद यह पहला surplus budget है जो कि इस House में पेश हुआ है। स्पीकर साहिब, Budget पेश होने से पहले जनता

के बहुत से लोग, comm rcial people और आम तौर पर जनता इस फिक्र में रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर और taxes की भरमार हो जाए जो कि हर साल देखने में आती है। हर साल कोई न कोई नया tax और अजीब किस्म के taxes लगाये जाया करते थे। लेकिन मैं Finance Minister साहिब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हों ने जनता के दिल में जो यह डर पड़ गया था उस डर को दूर कर दिया है। यही नहीं जो एक निहायत ही नाजायज़ duty लगी हुई थी, जो Electricity Duty self power generated power पर थी उसको भी abolish किया है। इस से 9 लाख रुपए की आमदनी थी जो कि इन्हों ने abolish कर दी है। अब देखना यह है कि इस duty की वजह से industries को बहुत धक्का पहुँचा है, जो बहुत से छोटे २ industrial concerns थे उनको घाटा पहुँचा और अपना काम बन्द करना पड़ा। मगर इस duty के abolish होने से अब उनको थोड़ा हौसला हो गया कि वे अपने generators लगा कर काम करना शुरू कर देंगे। मगर अभी भी एक खतरा है। मैं Minister साहिब से यह दरखास्त ज़रूर करूँगा कि वह public का यह खतरा दूर करें कि generated electricity पर temporary तौर पर duty मुआफ नहीं की गई। Minister साहिब यह कहें कि यह जो duty मुआफ की गई है, abolish की गई है यह आयंदा जल्दी लगने वाली नहीं है। जनता के दिल में खतरा है कि यह duty बिजली सप्लाई कम होने के कारण abolish कर दी है मगर बिजली की सप्लाई बढ़ जाने से Government दूसरी बार duty न लगा दे। Minister साहिब ने इस Budget को surplus दिखाया है। जितनी important problems थीं उन को भी पीछे नहीं छोड़ा बल्कि Minister साहिब ने तमाम important problems हल कर दी हैं। अब गवर्नमैंट Purchase Tax पर भी कुछ relief देने के लिये सोच रही है। गो यहां पर गवर्नमैंट ने कोई definite programme तो नहीं रखा, मगर Minister साहिब से मैं यह दरखास्त करूँगा कि वह इस बात को भी clear करें कि वह sales tax पर क्या कुछ concession देना चाहते हैं। मैम्बर साहिबान ने education के मुताल्लिक अपने ख्यालात का इज़हार किया है। गवर्नमैंट ने आठवीं जमात तक Government स्कूलों में फीस मुआफ कर दी है। इस पर मैं Government को बधाई देता हूँ। जहां फूल होता है वहां खार भी होता है। आठवीं जमात तक फीस मुआफ करने से, जैसा कि मेरे एक hon. दोस्त ने यह बात गवर्नमैंट के notice में लाई है, इस का फायदा हर जगह नहीं पहुँचेगा। इसका फायदा सिर्फ उस जगह पहुँचता है जहां Government schools हैं। एक तहसील में सिर्फ एक या दो high school होंगे। आप ख्याल फरमायें कि उन दो स्कूलों में तमाम तहसील के आठवीं जमात तक के लड़के दाखल नहीं हो सकते। इस लिये मैं बेनती करूँगा कि private स्कूलों को भी कुछ इमदाद देनी चाहिये। या तमाम private schools को provincialise कर देना चाहिये ताकि यह जो रियायतें दी जा रही हैं इन से तमाम जनता फायदा उठा सके और जो ग़रीब जनता है, खास कर देहात में रहती है उन को भी इस से फायदा पहुँच सके।

[सन्त साधु सिंह]

मैं वज़ीर साहिब को इस बात पर भी बधाई देता हूँ कि इन्हों ने लुधयाना Agricultural University बनाने की तजवीज़ की है।

यह एक ऐसा step है जो कि पंजाब के लिये बहुत मुफीद है क्योंकि पंजाब एक ज़रायती सूबा है। यहां पर Agriculture University का होना निहायत ज़रूरी है। भारत में तो और किसी जगह ऐसी University नहीं है, मेरा ख्याल है कि शायद एशिया में भी इस किस्म की University और कहीं न हो। इस लिये मैं इस बात पर भी अपनी सरकार और मिनिस्टर साहिब को बधाई देता हूँ। मगर इस सम्बन्ध में जो provision budget में की गई है वह सिर्फ पांच लाख रुपये के लिये की गई है। इतने रुपए से University अच्छे scale पर चलने वाली नहीं है। इस लिये मैं मिनिस्टर साहिब से request करूँगा कि किसी और तरफ से निकाल कर और ज़्यादा रुपया इस काम में लगाया जाए ताकि जल्दी ही इस में कामयाबी हो। कहीं ऐसा न हो कि ज़बानी बातें ही रहें कि University बन रही है, बन रही हैं और सरकार कभी एक लाख, कभी दो लाख और कभी तीन लाख की provision कर दिया करे। इस पांच लाख रुपया से यह काम चलने वाला नहीं है। इस लिये मैं उन को दोबारा इस काम पर बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि किसी और side से रुपया निकाल कर इस काम को, जो कि निहायत ज़रूरी है, कामयाब बनाने की कोशिश करें।

मिनिस्टर साहिब ने अपने भाषण में यह बताया है कि पंजाब में सरकार ने बटाला, सिरसा, झज्जर और हमीरपुर में polytechnic खोलने का फैसला किया है। मैं देख रहा हूँ कि कहीं रोपड़ का नाम भी आएगा. . . .

चौधरी धर्म सिंह राठी : वह unimportant है।

सन्त साधु सिंह : रोपड़ को भी अपने दिल में रखें। कहीं रोपड़ का हाल वही न हो जो कि मल्लाह के हुक्के का होता है, उस में पानी ही नहीं होता। या चिराग़ तले अन्धेरे वाले ही बात न हो, कहीं रोपड़ Chandigarh के नज़दीक होने के कारण अन्धेरे में ही न रह जाए। वहां पर गत्ते का कारखाना बन सकता है, कागज़ का कारखाना बन सकता है। कई और technical schools खोले जा सकते हैं। इस लिये मैं उन से request करूँगा कि वे रोपड़ का भी ध्यान रखें।

चूंकि हमारे डाक्टर साहिब (Finance Minister) डाक्टरी के भी माहिर हैं उन्हों ने इस साल बजट में डाक्टरी के लिये निहायत अच्छी और शानदार provision की है। पटियाला में mental hospital का भी इन्तज़ाम किया है। Rohtak में medical college खोलने की भी provision की गई है। Chandigarh में एक Post-Graduate Mental and Research Institute खोला जा रहा है जिस के लिये मैं बधाई देता हूँ। एक और स्कीम जो उन्हों ने चलाई है वह निहायत ज़रूरी है और बड़े opportune time पर चलाई जा रही है उस का नाम है Crop Insurance Scheme। किसान छः महीने काम करता रहता था और उस के बाद ओले पड़ जाते थे तो उस की सारी फसल खराब हो जाया करती थी और वह निहायत

मुसीबत में पड़ जाया करता था। मुझे अपनी constituency की बात याद है। वहां धान की फसल तैयार थी लेकिन ऐन आखरी वक्त पर ओले पड़ जाने से धान का नामोनिशान तो मिटना ही था साथ ही बब्बर घास भी तबाह हो गया। इस लिये यह निहायत ही अच्छी स्कीम है इस को ज़रूर कामयाब बनाना चाहिये। Waterlogging को रोकने के लिये भी Budget से यत्न किया गया है। Government employees के साथ डाक्टर साहिब ने काफी रहमदिली का सलूक करने की कोशिश की है। लेकिन भला उन को 38 नए पैसे दे देने से उन का क्या भला हो सकता है? वे ग़रीब employees हैं, भूख से तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। उन की तनखाह बढ़नी चाहिये। Government से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी Government employee की तनखाह, basic pay एक सौ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। अब वक्त ऐसा नहीं है कि कोई आदमी साठ, सत्तर रुपए में अपना और अपने बाल बच्चे का पेट पाल सके। वे ग़रीब सुबह सात आठ बजे से ले कर शाम के छः सात बजे तक दफतरों में काम करते रहते हैं। उन को तकरीबन दस बारह घंटे काम करना पड़ता है। ये आप के ग़रीब employees हैं, ग़रीब जनता है इन की तनखाह में इज़ाफा करना चाहिये। 38 नए पैसे allowance बढ़ा देने से उन का कोई भला होने वाला नहीं है।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सड़कों के लिये जो लम्बी चौड़ी provision की गई है उस में कहीं रोपड़ sub-division का भी नाम शामिल कर लिया जाए। पिछले चार पांच साल के अर्से में वहां कहीं एक मील लम्बी सड़क भी नहीं बनाई गई। इस लिये मुझे आशा है कि मिनिस्टर साहिब आयंदा रोपड़ का भी ख्याल रखेंगे। इन अल्फाज़ के साथ मैं मिनिस्टर साहिब को बधाई देता हूँ और स्पीकर साहिब आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ने बोलने का वक्त दिया है।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह): स्पीकर साहिब, मैं वज़ीर खज़ाना को मुबारकबाद तो देता हूँ क्योंकि इन्होंने इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया! लेकिन मुझे आज बजाए तकरीर करने के सारे पंजाब की picture आप के ज़रिये अपनी सरकार के सामने रखना है कि आया हमारे चीफ मिनिस्टर को उन के साथी अफसरान जो हैं वे सही सलाह भी देते हैं कि नहीं।

श्री प्रबोध चन्द्र जी ने हाउस में एक सिफारिशी खत का ज़िक्र किया जिस में कि उन्हों ने H.K.Dass को मोटर ट्रक की एजेंसी दिलवाने के लिये लिखा था। उस पर चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने वह खत पढ़ कर सुना दिया और फरमाया कि यह तो एक certificate है उन की integrity के बारे में, उन की honesty के बारे में। उन्हों ने यह भी कहा कि वे उन को दस साल से जानते हैं, यह भी फरमाया कि पंडित जवाहर लाल जी भी अपना फैसला दे चुके हैं। उन के जवाब देने पर मैं यह समझा कि प्रबोध चन्द्र जी ने ऐसे ही सवाल उठाया है। लेकिन जब मैं ने हकीकत मालूम की तो पता चला कि जब सच्चर साहिब और कैरों साहिब की मिनिस्ट्री बनी तो उस की बिसमिल्ला ही ऐसे हुई। सरकार का टैक्स चुराने में उन की गिरफतारी हुई। कुछ देर हवालात में रहे। बाद में ज़मानत पर छूट गए। आखिर में कुछ technical points के कारण उन की रिहाई

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]

हुई। यह उस वक्त की बात है जब सच्चर साहिब चीफ मिनिस्टर थे और कैरों साहिब असल लीडर थे। उन्हों ने अपनी कारें और ट्रक सब अम्बाले में रखे हुए थे। जो मुहरें वे इस्तेमाल करते थे वह सोलन की बनी हुई थी और सोलन में फकत एक फट्टा (board) लगा रखा था। उन की मुहरें भी यहां पर पकड़ी गईं। सोलन में तो सिर्फ उन का एक फट्टा ही लगा हुआ था और बसें और ट्रक्क अम्बाला में ही रखे जाते थे और अम्बाला में ही फरोख्त होते थे, कालका में म्युनिसिपल रिकार्ड शायद हैं। मैं उन से दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि क्या इन हालात में वे भूल गए, क्या उन के साथी अफसरों ने उन को नहीं बताया कि वह ऐसा आदमी है जिस पर ऐसे इलज़ाम लगाए गए और वह फकत technical grounds पर बचा है। अगर सिफारिशी खत नहीं तो उस को certificate क्यों जारी कर दिया। इन्हों ने यह भी फरमाया कि पंडित जवाहर लाल ने बरी कर दिया है। मैं मानता हूँ कि वे लीडर हैं, दुनिया के सब से बड़े नेता हैं लेकिन जज नहीं हैं। जज होते तो इस बात के सारे aspects को समझते, सोचते। पंडित जी और सरदार प्रताप सिंह को अफसरों ने न बताया कि H.K. Dass कौन है? मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि एक ऐसे आदमी को मोटर ऐजेंसी दिलवाने के लिये सिफारिशी चिट्ठी कैसे लिखी जा सकती है। कहते हैं कि चिट्ठी लिखे जाने के बाद मेयर मोटर की डाज फार्गो की एजेंसी नैशनल मोटर्ज़ को मिल गई जो मुख्य मंत्री के सुपुत्र और अज़ीज़ों की है। खैर मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है।

अब, स्पीकर साहिब, जो figures उन्हों ने दी हैं मैं उन पर आता हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा है और मैं चाहता हूँ कि न आप को घंटी बजानी पड़े और न मैं परेशान हूँ। सच्चर साहिब की वज़ारत की जब इब्तदा हुई तो 1952-53 में जरायम की तादाद पंजाब में 32,522 थी और पैप्सू में 7,413 थी। जब सच्चर साहिब की मिनिस्ट्री 1955-56 में टूटी तो जरायम की तादाद पंजाब में 25,758 थी और पैप्सू में 4,544 थी। जब कैरों मिनिस्ट्री शुरू हुई तो 1956-57 में पंजाब में जरायम की तादाद 26,273 थी और पैप्सू में 4,365 थी। लेकिन आज जनवरी तक 1960 में जरायम की तादाद पंजाब में 26,613 और पैप्सू में 5,451 है। हालांकि अभी फरवरी और मार्च के महीने बाकी हैं। यानी

11.00 a.m.

बावजूद 9 या 10 साल काम होने के जिस में तीन साल सच्चर मिनिस्ट्री के थे और जिस में अभी दो महीने बाकी थे, फिर भी जरायम की तादाद बढ़ी है। आप ज़रा abduction और kidnapping की figures का मुलाहज़ा फरमायें। सच्चर साहिब की वज़ारत के आख़ीर में यानी 1955-56 में इन की तादाद 375 थी, 1956 में यह 408 थी और 1958 में इन की तादाद 398 हुई। यानी 1955 के मुकाबिले में यह बढ़े हैं।

फिर आप culpable homicide के cases को लें। इस में इन की वज़ारत के शुरू में 211 cases हुए थे लेकिन 1958-59 में यह 214 हो गए।

फिर आप smuggling के cases को लीजिए। यह 1956-57 में 107 थे, 1957-58 में 1,141, 1958-59 में 1,906 और 1959-60 में January तक यह 1,379 थे।

इस के बाद आप वे cases देखें जो पुलिस ने पकड़ कर छोड़ दिये—

1956-57 में 1
1957-58 में 707
1958-59 में 1,115
और 1959-60 में 751
(31 जनवरी तक)

अब लीजिए gold smuggling के cases की figures:

1956-57 में 71
1957-58 में 701
1958-59 में 1,112
और 1959-60 में 674 अभी दो महीने बाकी हैं।
(31 January तक)

अब opium smuggling के cases की तादाद को देखें—
सच्चर साहिब की Ministry के आखरी साल में यानी—

1955 में यह 52 थे
1956-57 में 55
1957-58 में 86
और 1958-59 में 211 थे ।

अब देखें नाजायज़ शराब के बारे में जो यहां पर खर्च हो रही है । इस से भी आप को सूबे की असली picture का पता चलेगा । जो नाजायज़ शराब पकड़ी गई उन के cases की तादाद है—

1956 में 4,474
और 1958 में 4,913

और जो भट्ठियां पकड़ी गईं, वे थीं—

1956 में 537
और 1958-59 में 590

इसी तरह जो लाहण पकड़ी गई उन cases की तादाद 1956-57 में 3,206 थी
और 1958-59 में 3,323

और मुलज़मों की तादाद भी देखिये । यह 1956-57 में 5,739 और 1957-58 में 5,846 हो गई । इस में भी इज़ाफा हुआ ।

इस तरह से तमाम जरायम की तादाद बढ़ती गई है । स्पीकर साहिब, यह थोड़ा सा नक्शा मैं ने यहां पर इस लिये पेश किया है ताकि हाउस को मालूम हो जाये कि सूबे में general administration की position क्या है । अगर मेरे पास ज़्यादा time होता तो मैं आप को बताता कि यहां Law and Order की पहले क्या position थी और अब क्या है । मैं इस बारे में तमाम figures पेश कर सकता हूँ ।

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

स्पीकर साहिब, दूसरी बात मैं ने यहां हाउस में पहले भी पेश की थी कि किस तरह से गवर्नमेंट के एक इशारे पर 80 हज़ार रुपये का एक मेम्बर साहिब को मुनाफा पहुँचा और इस चीज़ की यहां पर बड़ी चर्चा हुई। मुझ से मेम्बर साहिब का नाम पूछा गया और मैं ने उस के जवाब में उस का नाम बता दिया। इस के बाद मुझे जो पूछा गया वह मैं ने सब कुछ बता दिया और बाद में इन की तरफ से कह दिया गया कि कोई ऐसा मुनाफा नहीं हुआ। मैं ने इस पर एक सवाल में गवर्नमेंट से पूछा कि मुक्तसर में improved seed किस ने खरीद किये लेकिन उस का जवाब अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन एक बात का जवाब मेरे पास आया है और वह मैं हाउस के सामने रखता हूँ। उस में यह नाम दिया हुआ है कि सरदार हरचरण सिंह जी मुक्तसर वाले (सरदार हरचरण सिंह मानसा वाले नहीं) की ज़मीन गवर्नमैंट ने 900 रुपये फी एकड़ के हिसाब से खरीदी है और जब इस बारे में यह पूछा गया कि उस ज़मीन के इर्दगिर्द की ज़मीन किस कीमत पर बिकी है तो उस के जवाब में बताया गया है कि 725 रुपए फी एकड़ के हिसाब से वहां कीमत पड़ी है और इन की ज़मीन 900 रुपए फी एकड़ के हिसाब से गवर्नमैंट ने खरीद की है। तो इस तरह से पौने दो सौ रुपए फी एकड़ गवर्नमैंट के गये। (श्री प्रबोध चन्द्र—बड़े आदमियों की बातें भी बड़ी होती हैं, मौलवी साहिब।)

इस के बाद मैं एक और साहिब के बारे में यहां अर्ज़ करता हूँ जो यहां बड़े मारके की तकरीरें करते हैं। लेकिन, स्पीकर साहिब, वह खुद एक कमेटी के मैम्बर बन गए जिस ने गवर्नमैंट के लिये कुछ machinery खरीदनी थी। जहां से वह machinery खरीद की गई वह उस company के खुद agent बन गये और 2,900 ton machinery आनी थी। फिर इसी पर ही बस नहीं कि वह खुद उस company के agent बन गये और वह machinery as an agent उन्हों ने खुद supply की बल्कि क्योंकि वह उस कमेटी के ही करता धरता थे इस लिये जो machinery उन्हों ने supply करनी थी उस का काफी हिस्सा खुद manufacture करा के supply किया। बाकी यह काम कैसे हुआ और क्यों हुआ इस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त ऐसी कोई बात सदन में आती है तो समझना चाहिये कि पंजाब की position क्या है। किस तरह से अपने अज़ीज़ों को और अपने साथियों को नाजायज़ फायदा पहुँचाते हैं। स्पीकर साहिब, जितने भी बड़े बड़े देश होते हैं उन में यह बात खास तौर पर देखी जाती है कि इन रियायात में किस तरह से ज़्यादती हो रही है या कमी हो रही है।

फिर स्पीकर साहिब, इतना ही नहीं आप को यह देख कर हैरानी होगी। मैं ने पूछा था कि sugar mills पर गन्ने के लिये क्या २ cess लगाया गया है। तो उस के जवाब में बताया गया है कि जमुना नगर की sugar mill पर 1957-58 में 2,27,636 रुपए cess लगा लेकिन सच्चर साहिब के वक्त उसी mill पर 7,37,165 रुपए cess लगाया गया था। इस से आप शायद यह समझ लें कि शायद यह इस लिये कम लगाया गया हो क्योंकि गन्ना कम लिया गया हो। पर स्पीकर साहिब, मैं ने पूछा था कि कितने गन्ने पर यह cess लगाया गया था तो इस के जवाब में यह बताया गया है

कि सच्चर साहिब के वक्त वहां 9,064 हज़ार मन गन्ना आया था लेकिन इस साल 10,326 हज़ार मन गन्ना आया है। आप देखिये कि cess तो कम हो गया है हालांकि गन्ना ज़्यादा आया है। मैं ने यह मिसाल हाउस में इस लिये दी है ताकि हाउस को मालूम हो जाये कि किस तरह से यह रियायतें दी जाती हैं और किस तरह नाजायज़ मदद की जाती है। बाग्रज़ निकम्मे अखबारों को लाखों रुपया दिया गया है। मुझे शर्म आती है यहां यह बताते हुए कि एक अखबार जिस ने अपने निकम्मेपन का सबूत दे कर Parliament के मैम्बरों और इस Assembly के मैम्बरों के बारे में घटिया बातें लिखी थीं और इस की यहां पर चर्चा भी हुई लेकिन चर्चा और टक्कर से इस को सरकारी इश्तिहारात मिलने शुरू हो गये और फिर कहते हैं कि पंजाब में सब अच्छा है लेकिन असलियत यह है कि यहां की administration बहुत निकम्मी है और सिवाये अपने बेटों और अपने दोस्तों का पेट भरने के और उन्हें फायदा पहुँचाने के यहां और कुछ नहीं किया जाता। स्पीकर साहिब, आप हैरान होंगे कि यहां ज़रई ज़मीनों में भी कमी हुई है। यह ज़मीन 1957-58 में 21,588,224 एकड़ थी लेकिन 1958-59 में यह 18,403,183 एकड़ रह गई थी। तकरीबन 31 लाख एकड़ की 14 ज़िलों में कमी हुई है और सिर्फ तीन ज़िलों में यह बढ़ी है। आप देखें तो आप खुद इस चीज़ का अन्दाज़ा लगा सकेंगे कि जहां ज़मीन ही कम हो गई है तो पैदावार कैसे बढ़ सकती है। (एक आवाज़——यह ग़लत figures हैं।) मैं challenge करता हूँ कि यह figures बिल्कुल ठीक हैं और मेरे पास इन का record मौजूद है।

फिर आबपाशी की बड़ी चर्चा की जाती है और भाखड़ा की बड़ी चर्चा होती है। इस की position यह है। 1952-53 में कुल नहरी रक्बा 5,330,276 एकड़ था और 1955-56 में सच्चर साहिब की वज़ारत के आखरी साल में यह 6,391,930 एकड़ हो गया और इस में करीबन 10 लाख एकड़ की ज़्यादती हुई। उस के मुकाबला में ज़्यादा खर्च करने और ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी यह 1958-59 में 6,831,130 हुई। यानी जहां पहले 10 61 फीसदी ज़्यादती हुई थी वहां इन के वक़्त में सिर्फ 4.39 फी सदी ज़्यादती हुई है।

फिर, स्पीकर साहिब, आप देखें कि कुओं का क्या हाल है। सच्चर साहिब के वक्त में यानी 1955-56 में चाही का कुल रक्बा 2,802,700 एकड़ था लेकिन 1958-59 में यह 2,332,300 एकड़ हुआ है। यानी हज़ूर के वक्त में इस में 4.80,400 एकड़ की कमी हुई है। इस के मायने यह हुए कि जितनी यहां बढ़ी उतनी ही उधर कम हो गई। तो जनाब यह तो हुए दो नक्शे। अब लीजिए तीसरा नक्शा। (व्यवधान) मेरे पास तो थब्बे के थब्बे पड़े हैं।

एक दफा इन बातों का मैं ने ज़िक्र किया तो चीफ मिनिस्टर साहिब खफा हो गए और कहने लगे कि तेरी मौत आई है। खैर उस का तो मुझे रंज नहीं (हँसी) हिन्दुस्तानी देवियां कहती हैं कि अगर उन का जनाज़ा उन के पति के कन्धे पर निकले तो वह स्वर्ग में जाएंगी। मैं भी मैम्बर के रूप में इन की पत्नी ही हूँ (हँसी) इन के हाथ से मर कर जन्नत में जाऊँगा।

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

यहां कई दोस्त खड़े होते हैं कि यहां रोज़ नक्शे पेश करते हैं। मगर यह तो हर एक मैम्बर का फर्ज़ है, हर एक worker का फर्ज़ है कि सरकार के सामने सही हालात का नक्शा पेश करे कि कहीं अफसर आप को धोखा तो नहीं देते या कहीं आप तो अफसरों को धोखा नहीं देते....

सरदार प्रेम सिंह प्रेम : इन को वह पत्नी वाली बात वापिस लेनी चाहिये।

मौलवी अब्दुल गनी डार : तो जनाब सब से पहले भार्गव साहिब की वज़ारत थी और फिर सच्चर साहिब की वज़ारत आई तो इन्होंने खूब शोर मचाया और कहा कि भार्गव वज़ारत में 95 फीसदी अफसर corrupt हैं, और यह सरकार कांग्रेस सरकार है और इसी तरह की फिर बातें लेकर पंडित नेहरू के पास जा कर इन्होंने उन से कहा कि सच्चर वज़ारत जो कि कांग्रेस की ही वज़ारत थी, बड़ी नालायक है और इस ने land reforms की policy लागू नहीं की, ज़बान, रिजनल फारमूला, nationalisation और दूसरे बुन्यादी मसले हल नहीं किए हैं और कहा कि वज़ारत मकबूल नहीं है। खैर सच्चर साहिब की वज़ारत जाती रही। वह खुद चले गए या निकाले गए इस से बहस नहीं जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ। हम ने उस वज़ारत को निकाला तो उस की सज़ा हमें मिल रही है। खैर जब वह वज़ारत थी तो यह कहते थे कि ज़बान का मसला हल नहीं हुआ और हज़ारों मुज़ारे उखाड़ दिए गए हैं। मगर आज क्या हालत है? ज़बान का मसला और उलझ गया है, रिजनल फारमूला एक मरे हुए सांप की तरह हमारे गले पड़ा हुआ है, न जीता है और न चलता है। बाकी भी सारे झगड़े उसी तरह पड़े हुए हैं। किसी को दबाया जाता है तो किसी को उठाया जाता है। 20 हज़ार मुज़ारे उखाड़ रखे हैं। (घंटी) फिर ज़मीन की तरफ देखें। कैरों साहिब ने जब राज लिया तो उस वक्त 20 लाख एकड़ ज़मीन में सेम था अब यह रक्बा बढ़ कर 35 लाख एकड़ से ऊपर हो गया है यानी दोगुना हो गया है। (व्यवधान) अजी बारिश तो होती ही है मगर पानी के निकास का इंतज़ाम किया जाना चाहिये था। इन्हों ने आबपाशी पर दो अरब रुपया खर्च किया मगर सेम से बचाने के लिये सिर्फ 117 लाख के करीब रुपया खर्च किया और वह भी कैसे किया? अमृतसर पर 37,04,931 रुपया, फिरोज़पुर पर 33,88,054 रुपया और करनाल पर 32,25,923 रुपया खर्च किया और बाकी सारे पंजाब के लिये सिर्फ 14,48,130 रुपया खर्च किया गया। कहते हैं बारिशें होती हैं तो जनाब ड्रेनों का मुकम्मल इन्तज़ाम किया होता। (घंटी) बस जी अब थोड़ी सी बातें और रह गई हैं। यह बीच में जान बूझकर छेड़ देते हैं तो मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अब ज़रा culturable land के बारे देखें क्या हाल है। मैं ने पहले कह दिया कि seed farms के सिलसिले में बेज़ाबतगियां हुई हैं। किसी वज़ीर की धर्म पत्नी ने अपनी ज़मीन अपने भाई और पिता वग़ैरह के नाम कर दी और जो ज़मीन अच्छी थी वह तो अपने पास रख ली और जो निकम्मी थी वह पंजाब सरकार ने खरीद ली। और इस तरह सरकार का काफी रुपया मिट्टी में मिल गया। इन्हों ने seed farms पर 14,56,582 रुपया खर्च किया और नफा की बजाए 5,35,453 का नुक्सान दिखाया। अब ज़रा पैदावार की तरफ आएं।

मैं ने यह ज़ाहर कर दिया है कि ज़मीन कम हो गई है, सेम पहले से दुगनी हो गई है और आबपाशी की तरक्की नहीं हुई है। अब देखें कि पैदावार का क्या हाल है। मक्की के बारे में तो इन्हों ने खुद माना है कि जहां पहले सारी स्टेट के लिये 1,445 पौंड फी एकड़ पैदावार थी अब यह सिर्फ 905 पौंड रह गई है। गंदम के सिलसिला में तीन सब से बड़े ज़िले हैं, हिसार, लुध्याना और पटियाला। हिसार में गंदम की पैदावार 1956-57 में 1,266 पौंड फी एकड़ थी यह 1958-59 में घट कर 1,146 पौंड रह गई लुध्याना में यह आंकड़े 1,166 पौंड और 816 पौंड हैं और पटियाला में 1,072 पौंड और 1,040 पौंड हैं। यानी गंदम की पैदावार में कमी हुई है। अब चावल को लें। कांगड़ा में यह पहले 812 पौंड फी एकड़ थी जहां से घट कर यह 789 पौंड फी एकड़ रह गई है। हुशियारपुर में 916 से 736 पौंड रह गई, फिरोज़पुर में 906 पौंड से कम हो कर 883 पौंड रह गई अमृतसर में यह 1,100 पौंड से 800 पौंड फी एकड़ रह गई। फिर यह कहते हैं कि agriculture की तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं।

अब ज़रा nationalisation को देखें। इस बात को सब जानते हैं कि यह जान बूझकर उन रूट्स को nationalise नहीं करते जो M.L.As. के हाथ में हों या इन के अपने रिश्तादारों के हाथों में हों। जब हम यह कहते हैं कि यह सब कुछ अपने दोस्तों को फायदा पहुँचाने के लिये करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम झूठ बोलते हैं और इन बातों में कोई sense नहीं है। अब ज़रा यह figures देखें। 1952-53 में इन के पास 58 बसें थीं। अब 112 बसें बढ़ गई हैं। पहले कुल लागत थी 60,96,968.60 रुपए। तीन साल में . . . (व्यवधान) उन के वक्त में 49 रूट nationalise किए गए और इन्होंने सिर्फ 33 रूट nationalise किए हैं। उन्हों ने जालन्धर में 9 रूट किए थे इन्हों ने सिर्फ 3 किए हैं। अम्बाला में तो खैर 25 के मुकाबिला में 20 किए हैं और अमृतसर में 15 के मुकाबिला में 12 किए हैं मगर जालन्धर में सिर्फ 3 रूट nationalise किए हैं। इन के वक्त में लागत सिर्फ 14,20,253.53 रुपये थी। (व्यवधान) (घंटी)

श्री अध्यक्ष : फिर पति पत्नी की बात हो जाएगी। (हँसी) (The hon. Member may speak about this husband and wife affair on some other occasion.) (*Laughter*)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : हां जी वह तो हो जायेगी . . .

स्पीकर साहिब, मैं ने बहुत मेहनत की है और material इकट्ठा किया है अगर आप इजाजत दें तो बेहतर होगा अगर मेरी किसी figure को वह challenge करें तो मैं material देने को तैयार हूँ। (घंटी)

मैं एक ही मिनट में स्पीकर साहिब wind up करता हूँ।

मैं smuggling का ज़िकर नहीं करता कि जिस में करोड़ों रुपया कमाया गया, खाया गया चोरों ने खाया डाकुओं ने खाया अच्छों ने खाया, बुरों ने खाया लेकिन स्पीकर साहिब हैरानी होती है जब यह कहा जाता है कि हमने सिफारिशी चिट्ठी नहीं लिखी

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

एक certificate दिया है । मैं नहीं कहता कि न दो, जिसको चाहो certificate दो, लेकिन झूठा नहीं। मान साहिब ने बड़े ज़ोरों से कहा था कि dissidents को सहारा है किसी का (Grewal case में इशारा किया गया) मैं वाक्यात में नहीं जाना चाहता कि यह इलज़ाम चीफ मिनिस्टर पर आता है कि नहीं कि डायरियां फाड़ी गईं हैं और रोज़नामचे बदले गए हैं। और डाकुओं को बतौर गवाह पेश किया गया (घंटी) मसाला तो बहुत था लेकिन तवक्क़ुह करता हूँ कि मौका मिलेगा ।

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI D.D. PURI

Shri Dev Dutt Puri (Sadhaura): On a point of personal explanation, Sir. During the course of his fiery speech, Maulvi Sahib has made certain mis-statements. In one minute, Sir, I will explain the position with regard to the payment of the cess for the year 1957-58. I state here unequivocally and without any conditions attached, that every penny of the cess that was due from the Mill, with the management of which I have the honour to be connected, has been paid. I go a step further and say that it is the only Mill in the State which is not in arrears in the matter of cess. This cess was imposed with retrospective effect under a notification issued by the Government for a part of the season. The entire cess has since been paid.

When I see the transcript of Maulvi Sahib's speech I may seek another opportunity for personal explanation in greater detail.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਜਟ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਲੁਧਿਆਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ factories ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਦਿਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਸਨ 1957-58, 1958-59 ਅਤੇ 1959-60 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਲਗਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ

ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ 21 ਲਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਰੋੜ 59 ਲਖ ਪਰ 2 ਕਰੋੜ 99 ਲਖ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦੀ ਪਾਲੇਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਦਸਣ ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਰਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਲਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਅਜਿਹੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਅਲਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ 36 ਲਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ ਦਾ ਕੇਵਲ 46 ਪਰਸੈਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 4 ਕਰੋੜ 99 ਲਖ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ initiative ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤ-ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 15/20 ਲਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਤਰਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਣ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਖਰਚ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤਵਜੁਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ detail ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ tax ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਦੀ। Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ relief ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ relief ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Passenger Tax ਘਟਾਉ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਕੇ ਉਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਜ਼ਮੋ ਨਸਕ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ ਯਾ Law and Order ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਹੈ, Law and Order ਦੀ ਇਥੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਅਛੀ ਹੈ। ਇਹ Government ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਹਨ। (*Interruption*)

ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ: On a point of order, Sir. क्या वज़ीर साहिब के लिए ढंडोरची का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है ?

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਆਪ ਮੈਨੂੰ interrupt ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਢੰਡੋਰਚੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਥੋਂ ਤਕ Civil Administration ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ ਕਿ 1957-58 ਵਿਚ Genral Administration ਤੇ 8 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਹੈ, Law and Order ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ 87 ਲਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Law and Order ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ police ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ 3 ਕਰੋੜ 55 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 1960-61 ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ International ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ Law and Order ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ police ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ Law and Order ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਮਹਿੰਗਾਈ 1950-51 ਤੋਂ ਬਾਦ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। 1950-51 ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ, ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ relief ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1957-58 ਵਿਚ ਅਸੀਂ relief ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ relief ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ, ਭੰਗੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 60 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ 80 ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੋ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹਨ ; ਕਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਅਗਲੀ ਗਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਤਰਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੈਦ ਵਧੀ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ circular ਕਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਡਾ ਅਫਸਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਛੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਛੇ ਕਪੜੇ ਪਾਕੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਇਤਨੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਤਨੀ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਉਹ ਇਤਨਾ ਉਚਾ standard ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ socialistic pattern ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ 50—60 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਫਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਜ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 100 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖਾਹ 1,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ socialistic pattern ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕੇ । ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤਨ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ।

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲਿਆਂ]

ਤਹਿਸੀਲ ਊਨਾ ਵਿਚ 28 high school ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 24 private ਹਨ। ਇਥੋਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ degree college ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। (ਘੰਟੀ)

ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਰਖੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਊਨਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ via ਅੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸੜਕ ਦੌਲਤਪੁਰ ਨੂੰ ਊਨਾ ਤੋਂ via ਗਗਰੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਓਟਿਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। Motor ਅਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚਲਣਾ ਹੈ ਇਥੇ ਆਦਮੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਊਨਾ ਤੋਂ ਜੈਤੋਲੀ ਸੜਕ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਮਿਟੀ ਵੀ ਸਿਟੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਫ਼ਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ constituencies ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ facilities ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Water-logging ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੇਮ-ਨਾਲੀਆਂ ਕਢਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ plans ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ welcome ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਊਨਾ ਦੀਆਂ ਵਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ......

ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।

Mr. Speaker : Not at all, only one minute.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰਾ-ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਜਗਾਧਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ। (ਘੰਟੀ)

Mr. Speaker : Chaudhari Sumer Singh....

ਸਰਦਾਰ ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਏਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : Resume your seat please.

चौधरी सुमेर सिंह (हसनपुर) : मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहिब को बहुत बधाई देता हूँ....

श्री अध्यक्ष : यह बाद में दे देना। (The hon. Member may observe this formality afterwards.)

चौधरी सुमेर सिंह : अच्छा जनाब। तो मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलैक्शंज कई साल से नहीं हुए इस लिये देहात के लोगों को जो नुमाइंदगी का हक है वह नहीं मिल रहा है। अफसरान जैसा चाहते हैं वैसा करते जाते हैं और जिसको चाहे एम० एल० सी० बना दिया जाता है और जिसको चाहे मार्केटिंग कमेटी का मेम्बर बना दिया जाता है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि देहात के लोगों को सही नुमाइंदगी देने के लिये elections to District Boards जल्दी से जल्दी कराई जानी चाहियें ताकि देहात की सही नुमाइंदगी हो जैसा कि Constitution का मन्शा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ने अपनी Budget स्पीच के page 27 पर improvement of water-supply and sanitation in the urban and rural areas is another feature of the Health Programme के बारे में कहा है। लेकिन इसको पढ़ने से मालूम होगा कि एक करोड़ छियानवे लाख रुपया वाटर सप्लाई के लिये शहरों में खर्च किया गया है और 83 lakh रुपया सिर्फ देहातों के लिये। मेरा ख्याल है कि गवर्नमैंट को यह पता नहीं कि देहातों में पीने के पानी की कितनी तकलीफ है। वहां पर लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता और लोग परेशान रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं पर उनके लिये कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो शहरों की आबादी 15 फीसदी है और देहातों की 85 फीसदी है लेकिन रुपया ज्यादा से ज्यादा शहरों के लिये खर्च होता है और देहात की सेनीटेशन और वाटर सप्लाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं फिर कहना चाहूँगा कि देहात के लोगों के लिये मीठे पानी के लिये कोई न कोई इंतज़ाम जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिये। और जो एक करोड़ साठ लाख रुपया surplus है वह पानी मुहैया करने के लिये खर्च किया जाए ताकि पंजाब में जिस जगह पर खारी पानी है वहां मीठा पानी public को मिले।

तीसरी चीज़ मैं ऐजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। जहां तक ऐजुकेशन के Budget का सवाल है मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ लेकिन जहां तक improvement होनी चाहिये थी वह नहीं हुई क्योंकि जो पावर है उसको centralise किया गया है और सिर्फ D.P.I. या Joint Director के हाथ में ही सारी पावर दी हुई है। इसलिये

[चौधरी सुमेर सिंह]
लोगों को छुट्टी तक के cases में दिक्कत होती है। इसलिये मेरी दरखास्त है कि ऐजुकेशन मिनिस्टर इस चीज़ को देखें और ए० डी० आई० और D.Is. को अख्तियार देकर पावर को decentralize करें। स्कूलों की हालत कोई खास अच्छी नहीं है। मास्टरों को छुट्टी लेनी हो तो उन्हें Chandigarh आना पड़ता है और ग़ैर हाज़िर हों तो ए० डी० आई० कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उस को कोई powers of granting leave or punishment नहीं हैं। और न ही अच्छे काम करने वालों को कुछ तरक्की ही दे सकता है। इससे ऐजुकेशन में सुधार नहीं होने पाता। In view of these reasons powers of transfer and leave have to be decentralised.

अब मैं ट्रांस्पोर्ट का भी ज़िक्र कर दूं। गवर्नमेंट ने डि-लक्स बसें चला दी हैं जिन में सिर्फ 26 सीटें होती हैं और किराया ड्योढ़ा होता है। An ordinary bus carries 44 passengers and a de-luxe bus will bring income equal to 39 passenger fares. Thus there will be loss of 5 fares. आम ग़रीब लोग इससे फायदा नहीं उठा पाते और अमीर ही इसका फायदा उठाते हैं। इस से मालूम होता है कि सरकार ग़रीबों का तो कोई खास ध्यान नहीं रखती सिर्फ अमीरों के लिये ध्यान रखा जाता है। मेरी यह बिनती है कि डि-लक्स की बजाए ऐक्सप्रेस गाड़ियां होनी चाहियें जिनमें 44 सीटें होती हैं और किराया कम होता है और income ज्यादा होती है। इससे ग़रीब लोगों को फायदा हो सकेगा, सरकार को आमदनी ज़्यादा होगी और time कम होंगे। स्पीकर साहिब, budget speech के page 38 पर Government ने Electricity Duty उन लोगों की मुआफ की है जिन के पास अपने generators थे और ग़रीबों को कोई relief नहीं दिया। वहां पर लिखा है :

> Government have however, decided to abolish Electricity Duty in the case of industrial concerns which have installed their own generators for the production of power for their own use."

किसान जो खेती के लिये बिजली इस्तेमाल करते थे और जो industries चलाते थे उन की बिजली पर cut लगा दिया गया है मगर उन पर Electricity Duty बदसतूर है। उन का cut लगाने से बड़ा नुकसान हो रहा है। इस लिये मैं कहूँगा कि जब लोगों को खेती और दस्तकारी के लिये electricity नहीं दी जाती तो फिर उन की Electricity Duty जो है वह suspend कर दी जाए और इस period की वसूल की जाए।

इस के इलावा अगर Government food problem को हल करना चाहती है तो उन्हें लोगों को यह incentive देना चाहिये कि जो आदमी अनाज पैदा करेगा उस की मालगुज़ारी मुआफ कर दी जाएगी और जो लोग commercial or cash crops पैदा करें उन से बेशक मालगुज़ारी ले ली जाए। ऐसा करने से अनाज की पैदावार बढ़ेगी और ग़रीबों को खाने को अनाज मिलेगा। मुझे अफसोस है कि हमारी Government इस तरफ कोई तवज्जुह नहीं दे रही। किसान को यह कोई facility नहीं

देती और आए साल tax बढ़ते जाते हैं। गुड़गांव जिले के बारे में मैं एक बात (घंटी) और अर्ज़ करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप को मेरी तरफ से भी कुछ सुनाई दिया है या नहीं। घंटी बज चुकी है। (Has the hon. Member heard anything from my side or not? The bell has been sounded.)

चौधरी सुमेर सिंह : स्पीकर साहिब, आप ने मुझे पहले भी time नहीं दिया था। अब बड़ी मुश्किल से मेरा नम्बर आया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो थके हुए मालूम होते हैं। (The hon. Member seems to be tired.)

चौधरी सुमेर सिंह : मैं सिर्फ एक बात कह कर बैठ जाऊँगा। मेरे इलाके में सन् 1957 में District Boards की तरफ से वज़ीफे का examination हुआ था और जिन students के वज़ीफे लगे थे वह उन को अभी तक अदा नहीं किये गये। वह file Finance Secretary साहिब के मेज़ पर कहीं दबी पड़ी है। District Boards ने उन को scholarships दे देने थे लेकिन schools की provincialization हो जाने की वजह से उन के funds को freeze कर लिया गया था। इसलिये उन students को अभी तक वह scholarships जो उन्हों ने अपनी ल्याकत से हासिल किए थे अभी तक pay नहीं किए गए। मैं request करूँगा कि वह उन्हें मिल जाने चाहियें। इन अलफाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ने speech करने की इजाज़त दी।

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ (ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ, ਰੀਜ਼ਰਵਡ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਤਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ

[ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ]

ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਔਰ ਨੀਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਉਪਰੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਚੇ ਕੋਠੇ ਉਹ ਢਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਪਕੇ ਅਜੇ ਉਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਔਰ ਧੁਪ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਬਰ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੁਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 28, 29, 30, ਔਰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਜਿਤਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਉ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਿਤਨਾ ਬਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਲਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਖਰਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ ਦਾ ਖਰਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਉਪਰ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ procedure defective ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ shares ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਰੁਪਿਆ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਉ

ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ

12 noon

ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਛੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕਲੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥੋਂ ਰੁਪਿਆ ਗੁਆ ਬੈਠੇ । ਜੇਕਰ ਉਹੋ ਰੁਪਿਆ ਰਖਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ । ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਕਈ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ traffic ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚਾਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਣ ਵਧ ਹੀ ਲਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਭਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ business ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜੋ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ backward ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ

[ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ]

ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 21 ਫੀਸਦੀ reservation ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ figures ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ 1957, 58, 59 ਵਿਚ 72 Inspectors ਰਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 23 ਜਲੰਧਰ ਦੇ, 17 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, 11 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ, 4 ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, 3 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ, 11 ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ, 2 ਕਰਨਾਲ ਦੇ, ਇਕ ਇਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 102 Conductors ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 48, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 10, ਲੁਧਿਆਣਾ 2, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 25, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1, ਅੰਬਾਲਾ 6, ਕਰਨਾਲ 2, ਹਿਸਾਰ 2 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 3 ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ scheduled castes ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 12 ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਰ ਜਨਾਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 46 Cleaners ਰਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ 2, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 2, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 2, ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਇਕ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ 2, ਹਿਸਾਰ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ। Scheduled Castes ਦੇ 9 ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ 5 ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ reservation ਵੀ ਰਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ignore ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। Scheduled Castes ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਨ ਕਿਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ

ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ । ਐਸੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ Scheduled Castes ਲਈ ਵਖਰਾ provision ਨਹੀਂ ਹੈ ? (Has not the provision for the Scheduled Castes been made separately ?)

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ.... (*interruptions*) ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ backward classes ਵਿਚ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ backward classes ਵਿਚ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ.... (*interruptions*) ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ list ਮੈਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 2, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 2, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ 2 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ 2 ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 1959 ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ society ਨਹੀਂ register ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਖੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧੇੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਚੱਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵੀ ਖਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । Pepsu ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ]

ਵਿਚ Bill ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, questions ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਪਸੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਲਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ agenda ਔਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਨਵਾ ਲਓ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ । (Have the staff sanctioned and we will do the needful.)

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਜਿਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਸਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੇ ਆਈਨ ਵਿਚ provided 14 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿਨਟ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ।

Mr. Speaker: No please resume your seat.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, आज बजट पर बहस का दूसरा दिन है । कुछ मेम्बरान ने अपनी स्पीच के दौरान यह कहा है कि यह बड़ा अच्छा बजट है जबकि दूसरों ने कहा है कि यह अच्छा नहीं । असल बात यह है कि यह न तो surplus बजट है न deficit यह तो सिर्फ figures की jugglery है ।

आप की विसातत से मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह ग़लत बात है कि हमारे सूबा की financial position अच्छी है । हम ने देखना है कि आया हमारे ज़िम्मे कोई कर्ज़ा तो नहीं या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे घर के अन्दर कोई रुपया है या नहीं । जो मौजूदा financial हालत सूबा की होती जा रही है उस को देख कर हम यह नहीं कह सकते कि हम अच्छी तरह से खा पी सकते हैं । हमारी हालत उस नवाबज़ादे की तरह है जो कर्ज़े में डूबा हुआ है लेकिन ऐशो इशरत कर रहा है । वही हालत हमारे सूबा की है । हमारे पास कोई रुपया नहीं लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मज़े हैं, हमारा हाल अच्छा है । हमारे कर्ज़े में डूबने की वजह यह है कि हम waste बहुत कर रहे हैं । मैं ने Public Accounts Committee की रिपोर्ट देखी है । उस से पता चलता है कि reclamation के महकमें में गड़बड़ हुई है । इसी तरह से fertilisers में गोलमाल हुआ है । इस प्रकार के कई और स्कैंडल निकलते हैं अगर उन की तरफ तवज्जुह

दी जाए तो रुपया बचाया जा सकता है और वह बचाया हुआ रुपया beneficent departments पर खर्च किया जा सकता है। हर साल यह होता है कि जब plans हमारे सामने आती हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि बड़ी plans बन गई हैं लेकिन जब यह सुनते हैं कि actually खर्च कितना होता है तो हैरानी होती है कि लाखों रुपया unspent रह जाता है जो कि एक मुजरिमाना हरकत है। मैं हैरान हूँ कि इस गवर्नमैंट ने ऐजुकेशन जैसे महकमे के अन्दर 46 लाख रुपया की saving दिखाई है। यह सफाई पेश करते हैं कि स्कूलों को nationalize नहीं कर सके जिस से 25 लाख रुपया बच गया और इस प्रकार 21 लाख रुपया दूसरी स्कीमों से saving हो गई। इसी प्रकार मैडिकल कालेज खोल रहे हैं, Agricultural University बना रहे हैं। उन की तारीफ की जाती है लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इन में से कोई भी काम पूरा नहीं होगा। Agricultural University के लिये 5 लाख रुपए की provision की है जो कि बहुत थोड़ा है और मैं समझता हूँ कि उसका वही हाल होगा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हुआ है। जितना रुपया रखा गया है उस से इस का कुछ नहीं बनेगा। इसके इलावा, स्पीकर साहिब, Irrigation works के अन्दर 78 लाख की saving दिखलाई गई है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि गुड़गांव में कैनाल प्राजैक्ट पर रुपया खर्च नहीं किया गया, रिवाड़ी लिफ्ट स्कीम पर रुपया खर्च नहीं किया गया, Western Jamna Canal की भी remodelling होनी थी वह भी नहीं की, silt tanks बनाने थे वह भी नहीं बनाए गए। हमारे गुड़गांव के मुअज़िज़ मैम्बरान खुश होते हैं कि बड़ी plans आ गई हैं लेकिन मैं पूछता हूँ कि actually खर्च कितना हुआ। मैं समझता हूँ कि Irrigation works के अन्दर 78 लाख की saving मुजरिमाना हरकत है और महकमा पर negligence के लिये action लेना चाहिये। Civil works में 55 लाख की saving की है। यहां तक कि हस्पतालों में भी saving की है और उस की वजह यह बताते हैं कि डाक्टर नहीं लगा सके। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि किसी हस्पताल में दवाइयां नहीं मिलतीं, डाक्टर नहीं मिलते फिर ये कहते हैं कि administration बहुत अच्छा है। हमारा control ठीक है। यह है इन का कंट्रोल कि डाक्टर यह नहीं दे सकते, दवाइयां यह नहीं दे सकते। हमारा काम है बजट पास करना और हम ने बजट पास करके इन्हें रुपया दे दिया, लेकिन इन की efficiency देखिए कि रुपया मिलने के बाद भी खर्च नहीं कर सके। इस के बाद industries के अन्दर मुलाहज़ा फरमा लें कि 85 लाख की provision की थी। उस में से इन्हों ने 14 लाख की saving कर दी है। एक तरफ तो कहते हैं कि industries चलाओ लेकिन जब industries के लिये रुपया दिया जाता है तो उसे खर्च नहीं करते। फिर कहते हैं कि हम ने surplus बजट पेश किया है। अगर खर्च नहीं करोगे तो अपने आप ही surplus हो जाएगा।

स्पीकर साहिब, मैं ने अर्ज़ किया कि रुपया provide करते हैं लेकिन खर्च नहीं करते। अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये करते क्या हैं। अगर आप मुलाहज़ा फरमाएं तो आप को मालूम होगा कि आए साल पुलिस पर खर्च बढ़ता जा रहा है। पहले यह 4½ करोड़ का था और

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

अब 4.94 करोड़ है। Law and order के बारे में मौलवी साहिब ने सब कलई खोल कर रख दी है। उन्हों ने चोरी, डाके, कत्ल और स्मगलिंग हर किस्म के जरायम के बारे में facts and figures दिए हैं। उन्होंने साबत कर दिया है कि इन्हों ने distorted figures दिए हैं। यह वह figures हैं जो record में दर्ज हैं। स्पीकर साहिब, आप किसी थाने की मिसाल ले लें या जिस हलके से आप चुने गये हैं उस थाने की मिसाल ले लें तो आप को मालूम हो जायेगा कि 40 फीसदी जुर्म दर्ज ही नहीं होते। जरायम की रिपोर्ट न दर्ज करने का मकसद यह है कि कोई कह न सके कि सरदार प्रताप सिंह कैरों की हकूमत में जरायम की तादाद बढ़ गई है। अफसरों के नाम general instructions जारी हो गई हैं कि जुर्म कम दर्ज करो। एक आदमी थानेदार के पास रिपोर्ट दर्ज कराने गया। उस ने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, एक चोरी के तफतीश कर रहे हैं उसी के दौरान में तुम्हारे case की भी तफतीश कर लेंगे। चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं, रिश्वत का बाज़ार गर्म है, बेइमानी ज़ोरों पर है, नज़मो नसक में interference होती है, services में demoralization आ गई है। अगर बड़े २ अफसरों के पास जाओ और उन से इनसाफ की मांग करो तो जवाब मिलता है "राठी साहिब! कुछ दिन नौकरी कर लेने दो" यह हालत है, स्पीकर साहिब। आजकल सरकारी मुलाज़म रात को सोता है तो उसे डर होता है कि कल सुबह dismissal या suspension का हुक्म आ जायेगा।

स्पीकर साहिब, Treasury Benches की तरफ से कहा गया कि law and order की हालत तसल्लीबख्श है बल्कि यह कहा जाये कि राम राज्य आ गया है तो कुछ मज़ायका न होगा। मैं इस सिलसिले में चार पांच मिसालें देना चाहता हूँ। स्पीकर साहिब, पानीपत में एक S.D.O., P.W.D. हैं। उन्हों ने 27,000 रुपया एक cheque के ज़रिये निकलवा लिया। जब उस रकम की payment हो गई तो enquiry हुई और पुलिस ने चालान किसी दूसरे आदमी का कर दिया, हालांकि Handwriting Expert ने दस्तखतों का मुकाबला कर के यह रिपोर्ट दी कि उस पर S.D.O. के दस्तखत हैं। उसे आज तक मुअत्तल नहीं किया गया। वह case Sessions Court में गया और Sessions Judge ने decide किया कि वह दस्तखत S.D.O., P.W.D. के हैं। उस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वह चीफ मिनिस्टर साहिब के लड़के का दोस्त है। मौजूदा वक्त में जो आदमी चीफ मिनिस्टर के लड़के का दोस्त हो या किसी वज़ीर साहिब का दोस्त हो तो उस के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। इस के अलावा स्पीकर साहिब पानीपत के सदर थाना में चार murders हुए। स्पीकर साहिब, उस case में S.H.O. को चण्डीगढ़ में बुलाया गया और murder case की नई ज़िमनियां लिखवाई गईं और पुरानी ज़िमनियों को फूंक दिया गया। स्पीकर साहिब, आप को वकालत का खुद तजुरबा है। आप इस बात की अहमियत को समझ सकते हैं कि ज़िमनियों को जला देना कितना serious offence है। यही नहीं बल्कि 161 के बयानात तबदील कर दिये। यह सब चीज़ें चण्डीगढ़ में सरदार प्रताप सिंह कैरों की आंखों के सामने हुईं। जब यहां पर इस किस्म की बात छिड़ती है तो चीफ मिनिस्टर

साहिब कहते हैं कि कोई case बताओ लेकिन, स्पीकर साहिब, आप खुद ही बतायें कि जब ऐसी चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहिब की अपनी knowledge में हों तो इनसाफ की कैसे तवक्को की जा सकती है। यह ज़िमनियां इस लिये जलाई गईं क्योंकि वह सरदार प्रताप सिंह कैरों का दोस्त है और जब वह वहां जाते हैं तो उन के पास ठहरते हैं और उन के हां खाना खाते हैं। इस के अलावा, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि Mr. Grewal एक case में मुलज़िम थे और उन की ज़मानत सरदार प्रीतम सिंह ने दी थी। उसे इस लिये कत्ल कर दिया गया क्योंकि उस ने Mr. Grewal की ज़मानत दी थी। उस के कुनबे वालों ने दरखास्त दी कि फलां आदमी ने कत्ल किया है लेकिन कोई शुनवाई न हुई क्योंकि वह Mr. Grewal का ज़ामन था। क्या Grewal का ज़ामन बनना सरदार प्रताप सिंह कैरों की हकूमत में जुर्म है? इस सिलसिले में मैं एक और मिसाल देता हूँ। गरौंडे में एक कत्ल हुआ। उस case में जो मुलज़िम है वह दो तीन महीने से मफरूर है। बार २ कहा जाता है कि उसे गिरफ्तार करो। उस के whereabouts भी बताए हैं। S. P. को कई बार दरखास्त की गई है लेकिन कोई शुनवाई नहीं होती। उस मुलज़िम की मदद चीफ मिनिस्टर का दोस्त सरदार निशान सिंह जो करनाल में रहता है कर रहा है। मुलज़िम का चालान दफा 302 में हो गया है और वह मफरूर है और proclaimed offender है। जब चीफ मिनिस्टर करनाल में जाते हैं तो रोटी उस के घर खाते हैं। इस के अलावा जितने dissidents हैं उन्हें यह धमकी देते हैं कि उन्हें ठीक करवायेंगे। मौलवी साहिब को धमकी दी कि उन की मौत आ गई है और यह धमकियां हरकेश जैसे लोगों के वर्ते पर की जाती हैं। यह है, स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर साहिब का Law and Order.

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, मैं आप को बताना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर, करनाल के पास एक केस था। सरदार प्रताप सिंह कैरों का उस डिप्टी कमिश्नर को हुक्म पहुँच गया कि तुम उस मुकद्दमे में इस तरह कर दो। D. C. को कहा गया कि इस मुकद्दमे का चीफ मिनिस्टर साहिब को इल्म हो गया है इस लिये ऐसा कर दो। एक केस में 5 दिसम्बर, 1959, को Commissioner, Ambala Division को रोहतक बुलाया गया और मुकद्दमे के बारे में कहा गया। 7 दिसम्बर, 1959 को वह चीज़ उसी तरह हो गई जिस तरह कि चीफ मिनिस्टर साहिब चाहते थे।

(At this stage, Mr. Speaker sounded the bell indicating that the hon. Member should wind up his speech.)

स्पीकर साहिब, मैं गवर्नर साहिब के ऐड्रस पर भी नहीं बोला इस लिये मुझे दो तीन मिनट और दिये जाएं। स्पीकर साहिब, यहां पर ही बस नहीं, कुछ आदमियों का जो चीफ मिनिस्टर साहिब के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, administration में दखल है। वह जो कुछ करें उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। एक आदमी जो कि चीफ मिनिस्टर साहिब का दोस्त है उस के पास एक ठेला है जिस का नम्बर A SK 3012 है। वह उसे बग़ैर permit हासिल किए चला रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि उस का चालान कर सके।

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

उस को public carrier के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं लेकिन फिर भी वह public carrier के तौर पर किराये पर चला रहा है। यह आदमी एक गांव की पंचायत का सरपंच भी है और तीन साल से वहां पर बराबर आडीटर जा चुका है। वहां के हिसाब की कोई प्रवाह नहीं करता क्योंकि वहां गबन है। Higher authorities को लिख कर भेजा है लेकिन वहां कोई शुनवाई नहीं होती। यह हालत है इस पंजाब में। यही नहीं। मैं जनाब की तवज्जुह कहां तक दिलाऊँ। बड़ी तारीफ की जाती है कि हम ने तो अफसरान के लिये time मुकर्रर कर दिया है। Time बढ़ा दिया है, शनिवार और एतवार की छुट्टी कर दी है। इस पंजाब में किसी officer से दरियाफ्त कर लें इस से कोई खुश नहीं। High Court से मालूम कर लें। Districts और Tehsils में Bar Associations हैं, उनसे दरियाफ्त कर लें। यह इस किस्म की चीज़ है जो नाकाबले अमल है। High Court का time कुछ और है। शनिवार को civil courts खुली होती हैं और दूसरी courts में छुट्टी होती है। वकीलों को बड़ी दिक्कत होती है। अब तो यही करना बाकी है कि इतवार को Revenue Courts में काम होगा। स्पीकर साहिब, पंजाब में लोगों को यह पता नहीं कि किस दिन छुट्टी है और किस दिन नहीं है। तहवार की छुट्टी का पता नहीं, बगैर तहवार की छुट्टी का पता नहीं। काम बढ़ गया है। मैं वकील हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर Reader छुट्टी पर चला गया तो Steno की भी छुट्टी हो गई और अदालत की भी। Steno छुट्टी पर चला गया तो Reader की भी छुट्टी हो गई। अदालत की छुट्टी हो गई तो सब की छुट्टी हो गई। और फिर छुट्टी मुख्तलिफ तौर पर दी जाती है। अगर Reader हिन्दु हो, stenographer सिक्ख हो, और Magistrate जैनी हो या सनातन धर्मी हो तो वे अपने २ तहवार के दिन छुट्टी जायेंगे। स्पीकर साहिब, ये पंजाब में इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो सच कहता हूँ कि बस यही लोग ऐसी बातें कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। एक शेर है :—

"हर शाख पे उल्लू बैठे हैं
अंजामे गुलिस्तां क्या होगा।" (घंटी)

यह हालत है पंजाब में।

उद्योग मंत्री : इन से पूछिए कि उल्लू बैठे ही हैं या बोलते भी हैं।

चौधरी धर्म सिंह राठी : चोर की दाढ़ी में तिनका।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : Opposition ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

श्री अध्यक्ष : यह शेर किस का बनाया हुआ है? आप का बनाया हुआ है यह? (Who is the author of this couplet? Is the hon. Member himself author of it?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : इस administration में हमारा हिस्सा नहीं है। यह administration Treasury Benches की ही है, जिन की तारीफ होती है, जिनके कारनामें मैं इस House में बताता हूँ। यह मिसरा उन administration के मालकान के लिये है। आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कहा जाता है कि हमारे Chief Minister कितने popular हैं, उनकी बड़ी पूछ कही जाती है, कदर है। Sadh Sangat Board के ज़रिये उन को पता है पंजाब का हिन्दु इस से खुश नहीं, सिख खुश नहीं। उन्हों ने Gurdwara Election देख लिया है कि इनकी गवर्नमेंट का क्या बनेगा, क्या बुरी हालत बनाई है। सिख प्रताप सिंह कैरों को देख कर खुश नहीं, हिन्दु खुश नहीं, public खुश नहीं। Treasury Benches वाले कहते हैं कि बड़ा strong आदमी है। नाजायज़ कार्रवाई करने के लिये तकड़ा है। जायज़ बात और इनसाफ इस पंजाब में बिल्कुल नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ (ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਜਨਰਲ') ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ surplus ਬਨਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। Departments ਵਾਲੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਜਟ surplus ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ departments ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੈਬੀਨਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ Cabinet ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਪਿਛਲੇ 5, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਸਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। (There are so many masters.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ : ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਿਸਟਰ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ]

5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਵਾਏ ਕਮਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਉਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹਾੜੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਐਨੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੈਕਚਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਕਾਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਾਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਾਲੇ ਵਾਂਙ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ । ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਸਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੈਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਾਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾਏ । ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਸਕੇ । ਜਿਹੜੀ ਤਕਾਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 5, 7 ਸਾਲ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤਕਾਵੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ penalty ਵੀ ਵਸੂਲਣੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, assurance ਦਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਸਾਲ ਤਕਾਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, penalty ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ । ਇਹ case exmine ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ । ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ loans ਮਿਲੇ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ penalties ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ assurance ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਾਵੀਆਂ postpone ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ backward ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਇਹ assurance ਦਿਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਹਾਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਲਾਕਾ backward ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਏਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਪੁਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲੀਆਂ ਖੁਦਾਉਣ ਲਈ । ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੜ ਆਏ ਤਾਂ

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਟੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਏਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ press reporters ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Tribune ਤੇ Statesman ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਢੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ Ministry ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦੀ, D. C. ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। Representatives ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ cuttings ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ Ministry ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ backward ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ ਧਾਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਕੋਇਲਾ, ਸੋਨਾ ਤੇਲ ਆਦਿਕ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ agriculture ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ, forests ਆਦਿਕ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ industry ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਸੋਨਾ, ਨਾ ਲੋਹਾ, ਨਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੀਆਂ important ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਬਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਦਅਨਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ scope ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। Agriculture ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ agriculture ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੁਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। Agriculture ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ fraud ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦੇ। ਗਲਤ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਢਿਮਕਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਹਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

Industry ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ corruption ਹੈ, ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ]

ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ resign ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ (*interruptions*). Industry ਵਿਚ ਤਿੰਨ shifts ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ industry ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ shift ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ shift ਵਿਚ ਖਰਚ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਚ profit ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ industrial concerns ਨੂੰ ਚੋਵੀ ਦੇ ਚੋਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਕਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੋ ਦਿਨ factories ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, transport ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ Bank ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ industry ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ natural calamity ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਮਾਣ ਲਉ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ circuit ਬਹੁਤ ਬੜਾ circuit ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ State Board of Electricity ਵਾਲੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ criminals ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਦੇ contract ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ supply ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ feed ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ contract ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ penalities ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ supply cut ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ industry ਨੂੰ ਪੂਰੀ power ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ state ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ tax department ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ industry ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਨਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (*Interruptions*) (*Sardar Kartar Singh Dewana was talking to Sardar Rarewala*) ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ partners ਚਪੜਾਸੀ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ 592 ਰੁਪਏ

sales tax ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ industry ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ cash ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ under arrest ਸਮਝੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ ਕੋਈ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਲੈ ਆਈਏ ਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਉ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ union ਦਾ president ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ factories ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ material ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜ ਸਤ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਉ ਤੇ ਫਿਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਿਆ ਮਣ ਹੈ, ਚਾਰ ਮਣ ਪਿਤਲ ਵੇਚਕੇ 592 ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 592 ਰੁਪਏ ਦੀ recovery ਕਰ ਦਿਉ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ harass ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, factories ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਲਤ industry ਦੀ ਹੈ। (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਲਾਇਲ ਪੁਰ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ allotment ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ Central Government ਨੇ Revenue Officer ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ cases ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ allotments ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 4,000 families ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ cancel ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੇ ਤੌਰ ਤੇ allot ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਸਕਣ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ political sufferers ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ political sufferers ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ case ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ]
ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫੌਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ instances ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਦਸ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਲ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਰਿਵਾਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ political workers ਨੂੰ quotas ਦੇ ਕੇ ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ permit ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ support ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ morale ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਉ ਪਰ political workers ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਉ । ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਉ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ morale ਵਧੇਗਾ।

ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ Minister for Finance ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ Chief Parliamentary Secretary ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ list ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦ ਤਕ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ list ਚਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਟ ਨਾ ਦਿਤਾ ਕਰਨ।

ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ Panel of Chairmen ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜਨ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ Panel of Chairmen ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ advocates ਹੀ ਰਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਇਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਔਰ car drive ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। Members of the Penal of Chairmen must keep sitting in the House at least during the second half of the day. (I would like to request the Chief Parliamentary Secretary that he should allow the list of members, supplied to me, to continue till it is exhausted. The same unfinished list should continue on the next day till it is completed. He should not score out the names of those members from

the previous day's list who were left un accommodated.

Further, today I have been greatly inconvenienced as not a single member of the Panel of Chairmen has been present here. Generally I have to appoint the advocates as members of the Panel of Chairmen, but the difficulty is that they do not stick to their seats. Even the non-advocate member Khan Abdul Ghaffar Khan Sahib is not here. So today I have been put to a good deal of inconvenience because sitting constantly for four and a half hours is much more difficult than ploughing or driving a car.

Members of the Panel of Chairmen must keep sitting on the House at least during the second half of the day.)

श्री राम प्रकाश (जगाधरी 'रिज़र्वड') : स्पीकर साहिब, हमारी State की history में यह पहला बजट है जिस में कोई tax नहीं लगाया गया और यह surplus बजट है और यह practical budget भी कहा जा सकता है। इस के लिये मैं अपने Finance Minister साहिब को बधाई देता हूँ। इस बजट में मुख्तलिफ स्कीमों के लिये गवर्नमैंट ने करोड़ों रुपये रखे हैं और इस के साथ ही साथ जहां तक इस बजट का ताल्लुक है इस में मुख्तलिफ ज़िलों के अन्दर भी बहुत काफी स्कीमों के लिये रुपया रखा गया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब बजट को मैं ने देखा तो पता चला कि ज़िला अम्बाला के साथ सौतेली मां वाला सलूक किया गया है। सिवाये चण्डीगढ़ के Capital के लिये जो कि इस जिले में पड़ता है और इस सारे के सारे ज़िले की तरफ तवज्जुह नहीं दी गई। जहां तक इस ज़िले की सड़कों का सवाल है, बहुत कम सड़कें इस में बनी हैं। गवर्नमैंट ने काफी बड़ी मेहरबानी कर के अम्बाला-जगाधरी की main road बनाने की provision की हुई है। लेकिन इस के साथ ही साथ उस backward area के लोगों के लिये जहां न कोई tube-well है, न और कोई सिंचाई के साधन हैं, न लोगों के रोज़गार के लिये और कोई साधन है, जहां वे गरीब लोग कुछ रुपया कमा सकें, उन लोगों के लिये गवर्नमैंट ने जो यह 3 लाख से ज़्यादा रुपया की contribution अपनी तरफ से देने के लिये condition लगा दी है यह ठीक नहीं किया, क्योंकि वह लोग बड़े पिछड़े हुए हैं और उन के पास रुपया कमाने के भी कोई साधन नहीं यहां तक कि उन की जमीनों के लिये सिंचाई के भी साधन मुहैया नहीं। बहरहाल हमारे मिनिस्टर साहिब ने इस बारे में District Board, Municipal Committees और Marketing Committees से अपनी contribution के तौर पर रुपया मांगा है। इस बारे में, स्पीकर साहिब, Municipal Committee जगाधरी ने पहले एक resolution पास किया था कि वह committee इस सड़क के लिये 25 हज़ार रुपए की contribution दे। लेकिन इस के साथ ही मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है उस Municipal कमेटी के एक मैम्बर की कोशिश पर जिस की यह खाहिश थी कि वह resolution reject हो जाये, उस कमेटी ने अब दूसरा resolution पास कर दिया है कि Municipal Committee को रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। इस लिये, स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत अपनी गवर्नमैंट से यह निवेदन करूँगा कि यह सड़क बहुत ज़रूरी है और इन दो शहरों के बीच बहुत traffic रहता है इसलिये इस इलाका के लोगों कि

[श्री राम प्रकाश]
तरफ से contribution देने पर ज्यादा ज़ोर न देकर जो रुपया गवर्नमैंट ने देना किया हुआ है उसे बढ़ाया जाए।

इस के साथ साथ परमात्मा की कुछ मेहरबानी हुई है कि हमारे पंजाब के अन्दर कुछ बारिश नहीं हुई और बारिश न होने की वजह से अब मौजूदा फसलों से मुश्किल से 25% अनाज हासल होने की उम्मीद रह गई है। हमारे ज़िला अम्बाला में जहां सिंचाई के और कोई साधन नहीं वहां इस से किसानों की हालत खासतौर पर बुरी होती जा रही है। गवर्नमैंट ने उन्हें जो तकावी कर्ज़े दिए हुए हैं उन के लिये वह वापस करने भी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। इस वास्ते मैं अर्ज़ करूँगा कि जहां बारिश नहीं हुई और फसलें ख़राब हो गई हैं वहां के किसानों को मालगुज़ारी मुआफ कर दी जाये।

जहां तक हमारी पांच-साला योजना का ताल्लुक है उस में हमारी जाति के लिये जो रुपया रखा है उस के लिये मैं अपनी गवर्नमैंट का मशकूर हूँ लेकिन यह मुझे कहना पड़ता है कि जितना रुपया इसे इस के लिये रखना चाहिये था उतना नहीं रखा गया। जब यह गवर्नमैंट चाहती है कि जो लोग दबे हुए हैं, जिन को रोटी भी नसीब नहीं होती उन को ऊपर उठाया जाए और उन की हालत को खास तौर पर सुधारा जाये तो हरिजनों की हालत को सुधारने के लिये जो रुपया रखा गया है इस से तो मैं समझता हूँ कि अगर इस बारे में हमारी गवर्नमैंट की यही रफतार रही तो एक हजार साल में भी खास तौर पर हरिजनों की हालत ठीक नहीं हो सकेगी। इस लिये मैं गवर्नमैंट से कहूँगा कि Scheduled Castes के लिये और नहीं तो कम से कम उन को ज़मीनें देने के लिये काफी ज्यादा रुपया यह रखे।

1 p. m.

हमारी State में पिछले दिनों एक Land Mortgage Bank बना। उस का बड़ा नाम है मगर ग़रीबों को कोई फायदा नहीं पहुँचा। ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसा Bank बनाया जाता जिस से deserving लोगों को फायदा पहुँचता। मैं हैरान हूँ कि लोगों ने ग़रीबों ने 105, 105 रुपए के share खरीदे मगर मुझे नहीं उम्मीद कि यहां किसी भी ग़रीब को इस Bank से फायदा हुआ हो। गवर्नमैंट को चाहिये कि पंजाब के ग़रीब लोगों के फायदा के लिये एक बहुत बड़ा बैंक कायम करे। इस तरह शायद इन का कुछ भला हो सके। वरना पिछले 10 सालों में कानून तो हम ने कई पास किए हैं मगर इन लोगों को फायदा नहीं पहुँचा। Security of Tenants के लिये कितना कुछ बनाया गया है मगर आज तक इन ग़रीबों की बहाली की कोई स्कीम पाया तकमील तक नहीं पहुँची। 30 एकड़ से ज्यादा वाली surplus ज़मीन, नज़ूल ज़मीन, बंजर ज़मीन वग़ैरह लाखों एकड़ ज़मीन है और इन के लिये schemes भी हैं मगर अमल किसी पर न हो सका। ग़रीब हरिजनों को कुछ नहीं मिली। अब ज़रा तालीम की हालत देखें। लाखों रुपया इस महकमे पर खर्च होता है। कहते हैं हरिजनों के बच्चों को वज़ीफे देते हैं। मगर जो आदमी आज भूखा है उसे 6 महीने बाद रोटी मिले तो क्या फायदा। साल 2 के बाद इन बच्चों को वज़ीफे दिए जाते हैं। इसलिये Education के वज़ीर साहिब से कहूँगा कि वह देखें कि उन को वज़ीफे हर महीने मिलते हैं कि नहीं ताकि वह अपनी तालीम जारी रख सकें।

अब ज़रा reservation को लें। सरकार में ऐसे Officers हैं जो 21% की reservation को ignore करते हैं। अभी गुलशन जी ने बताया है कि Transport और दूसरे महकमों में हरिजनों से बेइनसाफी होती है, उन की percentage पूरी नहीं की जाती। यहां तक कि पंजाब Public Service Commission में आज कोई हरिजन नहीं है। ऐसे कमिशन से यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह हरिजनों के फायदे के लिये कुछ करेगा। इस बात का सबूत यह है कि आज कोई भी हरिजन I. A. S. नहीं है और न बनने की उम्मीद है। अगर Chief Minister साहिब हरिजनों से इनसाफ करना चाहते हैं तो इस कमिशन पर एक हरिजनों का representative लिया जाए।

गवर्नमैंट ने बड़ी मेहरबानी फरमा कर यह clear instructions जारी कीं कि जहां देहात में मुरब्बाबन्दी हो रही हो वहां जिन लोगों के पास मकान न हों, बाड़े न हों उन के लिये मकानों और बाड़ाजात का इन्तज़ाम किया जाए और जगह छोड़ी जाए। मैं ने यहां एक सवाल पूछा था तो मुख्य मंत्री जी ने बताया कि जितने हरिजन देहात में रहते हैं चाहे वह खेती-बाड़ी का काम करते हों या कोई दूसरा उन को मकानों और बाड़ाजात के लिये जगह दी जाएगी। मगर जब local authorities से पता लेते हैं तो वह कहते हैं कि गवर्नमैंट की कोई ऐसी instructions नहीं हैं। सिवाए agricultural labourers या मुज़ारों के किसी को बाड़ाजात वग़ैरह के लिये जगह नहीं दी जाती। आज बढ़ती हुई आबादी के पेशेनज़र सरकार ने जो instructions जारी कर रखी हैं उन को बदला जाए ताकि सब को ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन मिले।

पिछले दिनों सरकार ने ऐलान किया था कि 50 % constables और पटवारी हरिजनों में से भर्ती किए जायेंगे। मगर यह 50 फीसदी तो एक तरफ वह 21% जगहें भी हरिजनों को नहीं दी जातीं। फिर आज तक जो यह लोग constables लिये गए हैं उन में से एक को भी promotion नहीं दी गई। वजह यह है कि इन लोगों की approach नहीं होती, सिफारिश नहीं होती। इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। इन लोगों को भी promotion मिलनी चाहिये।

आज देहात के अन्दर landlords धड़ा धड़ ज़मीन बेच रहे हैं। जब खरीदने वाला कब्ज़ा लेना चाहता है तो पहले तो उस मुज़ारे को तंग करता है कि छोड़ जाए। जब वह कहता है कि मैं नहीं छोड़ता, कानून मेरे हक में है तो वह पुलिस में जा कर report दर्ज करा देते हैं कि फलां शख्स से नुक्से अमन का खतरा है और मुझे जान का खतरा है। तब पुलिस उन बेगुनाहों को जिन से नुक्से अमन का कोई खतरा हो ही नहीं सकता पकड़ लेती है और चालान कर देती है। मुज़ारे का 50, 50 और 60, 60 रुपए खर्च होना शुरू हो जाता है जो वह बरदाश्त नहीं कर सकता और तंग आ कर ज़मीन छोड़ जाता है। (घंटी) बहुत अच्छा जी, बाकी फिर सही। धन्यवाद।

चौधरी कर्म चन्द सिधू (हुशियारपुर, रिज़र्वड) : स्पीकर साहिब, आप के सामने जो 1960-61 का बजट पेश है यह निहायत ही मायूसकुन है और इस में एक बहुत बड़े तबके

[चौधरी कर्म चन्द सिधू]

के साथ नाइनसाफी की गई है। सरकार ने इस में दिखाया है कि 59,42,00,000 रुपया खर्च करना है। यह वह सरकार है कि जो अपने आप को गांधी भक्त और राम राज कायम करने वाली कहती है। इस के बनाए बजट में आप यह देख कर हैरान होंगे कि किस तरह हुकूमत करने वालों ने पंजाब में बसने वाले 36 लाख हरिजनों के साथ बेइनसाफी की है। इन्हों ने इस बजट में इन लोगों की बहबूदी और economic uplift के लिये 44,07,240 रुपया रखा गया है। इन लोगों में backward classes भी शामिल हैं और विमुक्त जातियां भी शामिल हैं। जनाब, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा धोका है और यह उस शक्ल में रखा गया है कि यह लोग समझ ही न पायें कि सरकार उन पर कितना रुपया खर्च कर रही है। तो इसके साथ जो रुपया sponsored schemes की शक्ल में Government of India ने दिया है वह रकम 13 लाख 53 हज़ार 914 रुपए है। यह इतनी छोटी सी रकम है जो इतनी भारी तादाद में बसने वाले हरिजन लोगों के लिये मुकर्रर की गई। इस सदन में बहुत से हरिजन M. L. A.s कांग्रेस के हैं उन की तरफ से भी निवेदन किया गया, मैं भी तीन साल से लगातार अपील कर रहा हूँ और निवेदन करता चला आ रहा हूँ कि हरिजनों की ओर ध्यान दें। मगर अफसोस की बात है कि सरकार ने इस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि एलान भी सरकार की तरफ से किए गए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इसकी ओर देंगे। यह हाल महात्मा गांधी के भक्तों का है, यह है socialistic pattern of society का नाम लेने वालों का सलूक हरिजनों के बारे में। मैं तो समझता हूँ कि हकूमत के दिमाग़ के screw ढीले हैं। और यह screw ढीले होने का कारण यह है कि इस हकूमत में landlords हैं, सरमायदार हैं और जागीरदार हैं। कभी वह Unionist Party के थे अब कांग्रेसी बन बैठे हैं। सब से बढ़ कर smuggling यहां पर है, favouritism यहां पर है और nepotism है, corruption है। यह जो socialistic pattern का नारा है वह कागज़ी है। मैं अर्ज़ करूँगा कि किस तरह लोगों के साथ जो पंजाब में रहते हैं जिन्हों ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, अपना खून बहाया और कुरबानियां कीं उनके साथ नाइन्साफी क्यों की जाती है इस लिये कि उनकी नुमाइन्दगी करने वाले इस हाउस में मौजूद हैं मास्टर गुरबन्ता सिंह जी वज़ीर और Deputy Minister भी दो हैं वह नुमाइन्दगी तो करते हैं लेकिन उनके मुंह बंद हैं, वह हरिजनों के लिये कुछ नहीं करना चाहते। पता नहीं उनके मुंह किस तरह बंद हैं, इसकी वजह यह है कि पंजाब की हकूमत एक बहुत मज़बूत आदमी के हाथ में है। वह अमरीका से Politics सीख कर आए हैं एक अच्छे Politician के सब हुनर सीख चुके हैं। कोई दूसरा आदमी जो कुछ बोले या आवाज़ उठाए तो एक छोटा सा injection उसे लगा देते हैं। उसे T. B. हो जाती है और वह हड्डियां रगड़ रगड़ कर स्यासी मौत मर जाते हैं। इसलिये इन हरिजनों की भलाई का ख्याल कौन रखे।

जनाब स्पीकर साहिब, मैं मिसाल दूं इन की तरफ से हरिजनों के साथ क्या सलूक किया जाता है। जानवरों को अच्छी तरह से रखने और इनकी अच्छी breed तैयार करने

श्रौर development करने के लिये 47 लाख रुपया रखा गया है श्रौर पंजाब के 36 लाख हरिजनों के लिये 44 लाख रुपया रखा गया है। इससे ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यह है गांधीवाद के नेताश्रों श्रौर गांधी भक्तों का हाल। सरकार तो जानवरों के लिये 47 लाख रुपया रख रही है श्रौर इन्सानों के लिये 44 लाख रखा गया। फिर यह कहते हैं कि हरिजनों का भला हम करते हैं। श्राप अन्दाज़ा लगाएं कि जानवरों की भलाई के लिये 47 लाख श्रौर इनसानों की भलाई के लिये 44 लाख रखा गया है। श्राप अन्दाज़ा लगाएं, स्पीकर साहिब, यह कितना भला करते हैं। यह socialistic pattern of society बनाने वाले कितना भला करते हैं। अब सवाल पैदा होता है इन्हें ज़मीन दे दो यह कहते हैं कि उन्हें ज़मीन दे दें तो वह काशत नहीं करते इसी तरह की बहुत सी बातें लोगों को exploit करने के लिये कह दी जाती हैं कि हम यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं लेकिन दरअसल किया कुछ नहीं जाता। स्पीकर साहिब, मैं श्रापके द्वारा इस सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि हरिजन भाई वह हैं जिन के पास रोज़गार नहीं। स्पीकर साहिब, श्राप भी गांव के रहने वाले हैं श्रौर श्राप जानते हैं कि गांव के रहने वालों के पास काम नहीं है। रोज़गार बिलकुल नहीं है, खड्डियों का रोज़गार था लेकिन इसे भी डाक्टर गोपी चन्द भार्गव साहिब ने खराब कर दिया है। तमाम खड्डियां बंद करवा कर खद्दर भंडार के हाथ में यह तमाम काम दे दिया है। श्रौर स्वर्ण जातियों को दे दिया है। यह हैं वह लोग जिनसे हमदर्दी का इज़हार किया जाता है। हरिजनों को बेरोज़गार बनाया गया फिर ज़िला हुशियारपुर में 75 हज़ार खड्डियां चल रहीं थीं अब केवल 5 हज़ार रह गई हैं तो श्राप अन्दाज़ा लगाएं कि यह कितना हरिजनों का भला चाहते हैं।

अब श्राप नौकरियों की हालत देखें। कहते हैं हमने इतने रखे हुए हैं। Constitution में भी provide किया गया है कि हरिजनों को services में representation दी जाए। इस हाउस में कई बार अपील की है श्रौर दरखास्तें दी हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है श्रौर gazetted श्रौर non-gazetted services में posts पूरी नहीं होतीं। अगर श्राप स्पीकर साहिब, अपने दाएं श्रोर बाएं देखें तो इन अफसरान में श्रापको एक भी हरिजन बैठा हुआ नज़र नहीं श्राएगा।

Mr. Speaker : They are not a part of this House. You should not make a mention about them.

चौधरी कर्म चंद्र सिधू : जनाब स्पीकर साहिब, जहां तक Secretaries Under-Secretaries श्रौर Directors श्रौर इस किस्म के दूसरे अफसरान हैं इन में अछूतों श्रौर हरिजनों का कोई भी नुमाइन्दा नहीं। पंजाब में जितनी भी services हैं इन में हरिजनों की Percentage पूरी नहीं। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूँगा कि वह एक कमेटी मुकर्रर करें या एक Commission मुकर्रर करें ताकि वह services में हरिजनों की representation को देखें श्रौर उनकी percentage को पूरा कर दें। मैं श्राप के द्वारा, स्पीकर साहिब, अपील करूँगा कि इस percentage को पूरा करें श्रौर यह ऐसी बात नहीं कि इसे पूरा करने में चार साल श्रौर निकाल दिए जाएं।

[चौधरी कर्म चन्द सिधू]

इसके बाद ज़मीन का मसला है। आपके सामने नज़ूल land का resolution आया कि ज़मीन हरिजनों को दी जाए। जब elections हुए थे तो पंजाब सरकार ने हरिजनों के साथ वायदा किया था कि हम आपको ज़मीनें देंगे लेकिन कुछ नहीं दी गई। इसी के मुताल्लिक Central Government की तरफ से एक scheme आई कि जिन्हें ज़मीन नहीं मिली उन्हें दो हज़ार रुपया फी आदमी subsidy के तौर पर दिया जाये लेकिन हुआ क्या कि बिलकुल नाकस किस्म की ज़मीन खरीद कर ली गई। Enquiry हुई, अफसरान suspend हुए, इस लिये मैं अपील करूँगा कि इस subsidy के लिये हरिजनों को Bank में न डालो, Bank से कर्ज़ लेने पर मजबूर न करो बल्कि individually हरेक को दो हज़ार रुपया दे दिया जाए ता कि वह अच्छी ज़मीन खरीद सकें। नज़ूल land और 30 standard acres से फालतू ज़मीन village common land से निकाल कर और evacuee property से जो अभी तक un-utilized पड़ी है वह भी लेकर इकट्ठी करके हरिजनों को दे दी जाए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाए ताकि यह बात हरिजनों के दिल में समा सके कि आप उनका भला सोच रहे हैं।

स्पीकर साहिब, consolidation के बारे में हालत यह है कि यहां पर कहा गया कि मुरब्बेबन्दी के वक्त इन लोगों के लिये टट्टियों के लिये ज़मीन छोड़ी जाएगी। Manure-pits के लिये ज़मीन छोड़ी जाएगी और इनकी आबादी के लिये ज़मीन छोड़ी जाएगी। लेकिन जब सवाल किया गया कि क्यों ज़मीन नहीं छोड़ी गई तो ज्ञानी करतार सिंह मिनिस्टर ने कह दिया कि मैं यहां पर बैठ कर कुछ नहीं कर सकता यह वहां के लोगों का मामला है वह ज़मीन दें या न दें यह वहां के लोगों का मामला है। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां पर मुरब्बेबन्दी हुई वहां पर इन बातों के लिये ज़मीन नहीं मिल सकी इसलिये मैं अपील करूँगा आप के द्वारा, स्पीकर साहिब, कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई notification जारी करे या कानून पास करे जिससे इस किसम का relief हरिजनों को मिल सके।

स्पीकर साहिब, Industry के लिये कोई खास रक्म मखसूस नहीं की गई। लोगों को कर्ज़ के तौर पर 600/700 रुपया दिया जाता है मगर इस के हासिल करने के लिये 6-6 महीने तक members के घरों में जाना पड़ता है। इन को कम अज़ कम 2,000 रुपया मिलना चाहिये। जितनी भी हरिजन Co-operative Societies बनी हुई हैं इन में से 75 फीसदी इसलिये fail हो गई हैं, कि इन में जितने भी लोग हैं वह Government के चहेते आदमी हैं। वह इन्हें अच्छी तरह से चला नहीं सके हैं। यही वजह है कि Government को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। इस लिये मैं अपील करूँगा कि Co-operative Societies के लिये ज्यादा से ज्यादा fund मुहैया किया जाये। और यह काम ऐसे लोगों के सुपुर्द किया जाये जो काम करने वाले हों।

स्पीकर साहिब, subsidies for the construction of new houses के लिये पंजाब सरकार ने 4 लाख 3 हज़ार रुपए की रकम रखी है। 750 रुपये फी आदमी इस में से दिया जाना है मगर यह एक collective scheme के तहत

दिया जाना है। इसलिये जो provision की जाती है वह खर्च नहीं होती और हर साल बहुत सी रकम lapse हो जाती है। इस लिये यह रकम individual तौर पर देनी चाहिये ताकि जो provision होती है वह सारी की सारी काम आ सके।

इस के इलावा, स्पीकर साहिब, एक मद्द interest free loan की है जिस के लिये 8,000 रुपये की रकम रखी गई है। अगर कोई 5-6 आदमी इस scheme के मातहत collectively काम करते हैं तो इस scheme से कोई फायदा नहीं है। इसलिये, मैं अपील करूँगा कि इस मद्द के लिये कम अज़ कम 2 करोड़ रुपया Government को रखना चाहिये ताकि इस पर पूरी तरह अमल हो सके।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जायें। दो दफा घंटी बज चुकी है। आप ने बहुत वक्त ले लिया है। (*At this the hon. Member resumed his seat*) देखिए जिन Member साहिबान ने इतनी देर wait किया है उन को यह फायदा हुआ है कि दो या तीन Member साहिबान जो रह गये हैं यह next day first number पर आयेंगे। Patience must be rewarded. (The hon. Member may now resume his seat. The bell has been sounded twice and he has taken sufficient time. (*At this the hon. Member resumed his seat.*) Those hon. members who have waited so long have derived this benefit. Those two or three members who have been left, will on the next day get the first opportunity to speak. Patience must be rewarded.)

राजा रघुबीर सिंह (कुल्लू 'जनरल') : अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश हुआ है इस के लिये मैं वधाई इस प्रकार देना चाहता हूँ कि इस के बनाने का जो ढंग है वह एक नया तरीका है। यह तरीका पिछले साल से शुरू हुआ और Finance Minister साहिब इस तरीका में खास तौर पर माहिर हैं। यह देखने की चीज़ है कि यह surplus budget है मगर इस को इस तरीके से खर्च किया जाये कि ज्यादा रक्म lapse न हो अगर surplus न हो तो इसलिये ऐसा किया जाता है कि जो Reserve Fund होता है उस में से कुछ खर्च कर दिया जाता है। इसलिये इस surplus बजट के पेश करने की मैं सरकार को वधाई देता हूँ।

मैं चूंकि पहाड़ी इलाका का नुमायंदा हूँ इस लिये मैं इस के मुताल्लिक ही अर्ज करूँगा। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा area जो कि पहाड़ी है Backward भी है। हमारी सरकार ने इस इलाके की सैरो-तफरीह के लिये Air service जारी कर दी है इस के साथ ही यह भी एलान किया है कि अगर यह service न चले और घाटा पड़े तो इस के लिये पंजाब सरकार 1,40,000 रुपये देगी। अव्वल तो घाटा पड़ने की उम्मीद नहीं अगर कोई ऐसी बात हो तो यह कमी पूरी हो सकती है। Regular Service के जारी हो जाने से, बहुत से लोग हर season में इस valley की सैरो तफरीह करके आनन्द प्राप्त करेंगे। मगर मुझे इस में इस बात की शिकायत है कि जो लोग इस service का काम करते हैं, वह इस इलाका से बाहर के लोग ही लिये जाते हैं। उन को इस इलाके की

[राजा रघुबीर सिंह]

कोई वाकफियत नहीं है। यहां तक कि जो guides वगैरह लिये गये हैं वह सब बाहर से ही लिये गये हैं। उन को इस इलाके की पूरी वाकफियत ही नहीं है। यह शानदार कुल्लू valley दूर दराज़ तक फैली हुई है लेकिन इन सारे इलाकाजात में सैरो-तफरीह कराने वाले लोग चंद एक ही मिल सकते हैं। इसलिये मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर हमारे इलाके के लोगों को चंडीगढ़ जैसे खुले मुकामात में जगह नहीं मिल सकी तो कम अज़ कम हमारे इलाके में तो हमारे अपने लोगों को ज़रूर employment दी जाए।

मैं इस चीज़ की भी सरकार को बधाई दूंगा कि आगे की निस्बत Forest Department को काफी बढ़ाया गया है। पहले wood-pulp और paper pulp की जो wastage होती थी इस से 80 फीसदी लकड़ी ज़ाया हो जाती थी, मगर अब ऐसा इन्तज़ाम किया गया है कि यह wastage अब नहीं होगी अब लकड़ी का बहुत सा हिस्सा इस्तेमाल किया जायेगा। लेकिन अब भी यह सारे का सारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस की वजह यह है कि लकड़ी की चराई दूर दराज़ जगहों पर जा कर होती है, अगर वहीं पर चराई करवाई जाये तो इस के लिये कारखानों की ज़रूरत है। वहीं पर बिजली पैदा हो सकती है और Hydro-Electric Power Plant वगैरह भी लगाये जा सकते हैं। Skins की accumulation भी की जा सकती है। यहां से wood pulp, paper-pulp वगैरह हासल करने और इस raw material को इस्तेमाल में लाने के पूरे साधन नहीं हैं। आप Switzerland जैसे मुल्कों को देखें कि जहां raw material भी नहीं मिलता वहां पर अब कारखाने लगे हुए हैं। हमारे यहां raw material है मगर फिर भी हम अभी तक यहां इस material को use में लाने के लिये कारखाने तैयार नहीं कर पाये हैं। यह माना कि हम इस तरफ जाने के लिये जद्दोजहद कर रहे हैं मगर इस के लिये काफी वक्त निकल चुका है। पहाड़ का निवासी चाहता है कि उसे अपने इलाके की industry को बढ़ाने की गरज़ से बाहर के मुलकों में training के लिये भेजा जाये। वह चाहता है कि उस का देश खुशहाल हो, क्योंकि पहाड़ का बसने वाला बहुत मेहनती और जफाकश है, वह मज़बूत इरादे का आदमी है, इस लिये वह हर मुश्किल काम आसानी से कर सकता है। इसकी मिसाल मैं, स्पीकर साहिब, इस तरह दे सकता हूँ कि जलौड़ी एक मुकाम 10,000 feet की height पर है जहां पर रात को कोई भी मैदान का आदमी नहीं रह सकता लेकिन हमारे 400—500 आदमी दिन और रात 3-4 November तक ठहरे क्योंकि वहां पर आलुओं की बरामद के लिये Jeep wagons लगी हुई थीं।

(The Sabha then adjourned till 2.00 p. m. on Monday, the 7th March, 1960.)

8811 PVS349 copies—10-8-60—C.,P.&S., Punjab Chandigarh

ANNEXURE

(Please see foot note at page (13) 42 of the Debate dated the 4th March 1960)

ARREARS OF ROAD TAX

2393. Sardar Gurwaryam Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the arrears of Road Tax and quarterly tax to be recovered from the owners of vehicles in the State, district-wise, from 1st April, 1957, to date with the amount so far recovered districtwise ?

Rao Birendra Singh : The information as regards the arrears of Road Tax and Quarterly Tax and the amount recovered, from 1st April, 1957 to 31st March, 1960 is given below district-wise :—

District		Arrears of Tax	Amount recovered
		Rs np.	Rs np.
1. Amritsar	..	5,648.20	3,730.25
2. Hoshiarpur	..	1,31,796.25	3,192.50
3. Ludhiana	..	59,291.00	22,759.00
4. Gurdaspur	..	12,577.00	9,489.25
5. Ferozepur	..	4,16,755.50	58,817.75
6. Jullundur	..	16,91,568.00	15,05,386.55
7. Kangra	..	6,580.00	2,401.25
8. Ambala	..	6,87,435.75	4,47,488.00
9. Rohtak	..	3,21,469.31	66,914.00
10. Hissar	..	55,937.25	27,378.25
11. Karnal	..	1,03,260.00	41,558.00
12. Gurgaon	..	1,946.50	..
13. Simla	..	10,320.00	..
14. Patiala	..	21,019.63	..
15. Bhatinda	..	9,522.75	..
16. Kapurthala	..	12,545.00	400.00
17. Sangrur	..	83,594.00	4,057.75
18. Mohindragrah	..	7,707.00	7,707 00

2. Large amounts of arrears on account of taxes etc. are shown against each district but as a matter of fact the whole amount is not in arrears as the records of the offices of the Registering/Licensing authorities are incomplete due to the following reasons :—

(i) This amount is being shown as arrears in respect of those vehicles for which tax has already been paid either in other districts of the State or in other States, in respect of which no intimation about payment of taxes have been received from the Licensing authorities concerned.

(ii) Non-receipt of intimation regarding re-registration of vehicles in other districts of the State or in other States.

(iii) Non-receipt of intimation from the owners pertaining to the sale of vehicles to Kabaries or other dealers as scrap.

(iv) Non-receipt of intimation regarding transfer of ownership.

HARIJAN CO-OPERATIVE SOCIETIES IN THE STATE

2394, Sardar Gurwaryam Singh : Will the Minister for Community Development be pleased to state :—

(a) the number and names of the Co-operative Societies formed by the "Harijans" in the State, district-wise ;

(b) the number of the share-holders of each of the societies referred to in part (a) above ;

(c) the amount given to the societies referred to in part (a) above as grant or loan by Government during the last three years ;

(d) the amount of the grant or loan mentioned in part (c) above which has been recovered so far, and the reasons for not recovering the balance, if any ?

Sardar Gurbanta Singh: (a) to (d) A statement showing the total number of Harijan Co-operative Societies district-wise, number of share-holders, amount of grant and loan advanced and amount of loan repaid is enclosed. The labour and time involved in collecting the name of each society and its membership and reasons for non-payment of loan in each case will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

2. So far as the grant is concerned, it is not recoverable from the societies, if the same is utilised for the purpose for which it is sanctioned. In the case of the following seven societies the amount of grants as noted against each has been got refunded as the same had not been utilised for the purpose for which it was sanctioned.

		Rs
1.	Bilga Daree Makers Co-operative Industry, district Jullundur ..	440
2.	Rahon Leather Co-operative Industrial Society district Jullundur ..	1,000
3.	The Wool Workers Co-operative Industrial Society Plach, district Kangra ..	400
4.	Shri Hargobindpur Weavers Co-operative Industrial Society ..	200
5.	Qadian Harijan Weavers Co-operative Industrial Society .	300
6.	Rampur (P.) Bhagatpur Co-operative Industrial Society ..	200
7.	Batala Mohalla Murgikhana Weavers Industrial Society ..	450

Serial No.	Name of district	No. of Harijan Co-operative Societies district-wise	No. of share-holders district-wise	Amount of grant Rupees	Amount of loan Rupees	Loans repaid Rupees
1	Ambala ..	236	5,339	70,930	14,725	167.00
2	Karnal ..	187	3,277	80,915	2,11,763	16,288.00
3	Hissar ..	161	3,327	64,136	7,225	500.00
4	Rohtak ..	159	5,877	..	2,500	2,500.00
5	Gurgaon	152	3,785	44,250	79,895	24,783.00
6	Jullundur	278	11,689	3,00,639	1,55,865	35,091.89
7	Hoshiarpur	239	9,706	2,21,380	54,570	5,367.00
8	Ferozepur	217	5,998	51,957	78,400	13,168. 0
9	Amritsar	27	400	80,000	18,000	4,250.00
10	Ludhiana	198	5,926	47,590	4,150	..
11	Kangra ..	80	1,427	19,500	39,200	13,120.00
12	Patiala ..	347	6,389	38,420	68,369	15,867.00
13	Kapurthala	118	3,430	12,480	34,200	1,050.00
14	Sangrur ..	459	13,535	73,196	32,436	9,00
15	Bhatinda	256	7,955	2,024	38,500	..
16	Mohinder-garh	95	1,884	8,130	30,810	4,350.00
17	Gurdaspur	134	2,875	94,534	10,555	15,330.00

8811 PVS—CP and S Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha

Debates

7th March, 1960

Vol. I—No. 14

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 7th March, 1960.

CHANDIGARH:
Printed by the Controller Printing and Stationery, Punjab,
1960.

Price Rs. 1.00

Price Rs. 4.00

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I. NO. 14, DATED THE 7TH MARCH, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
hilly	hily	(14)7	2nd from below
Add the word "which" before the word "it"		(14)11	8th from below
लिया	किया	(14)13	11th from below
electric	electrict	(14)14	5th from below
Indian	Ihdian	(14)15	7
Minister	Ministers	(14)19	last
Secretary	Secratary	(14)20	Left hand side margin
Add the word "to" after the word "belongs"		(14)22	2
Delete the word "in" before the word "which"		(14)23	8
Organisers	Organisors	(14)23	23
sentenced	senteneed	(14)30	9 and 10
bank	banck	(14)36	15th from below
dispensary	dispensaiy	(1'4)38	2
tube-wells	tube-wel	(14)41	13th from below
foundry	foundary	(14)43	15
वढवे	वठवे	(14)51	9
खरीदी	खरीदें	(14)64	12
वे जो	जे कर	(14)68	21
बडे	बड़ी	(14)84	last
delete the word "नज़र" after "ख़ूबी"		(14)85	11
tomorrow	to morow	(14)88	2nd from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 7th March, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, at* 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

REPRESENTATION SUBMITTED BY MUNICIPAL COMMITTEE NARWANA DISTRICT SANGRUR REGARDING DRAINS AND WATER WORKS SCHEMES

***5202. Chaudhri Inder Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether it is a fact that he paid a visit to Narwana in district Sangrur on 11th January, 1960;

(b) whether it is also a fact that he received representations from Municipal Committee, Narwana, regarding drains constructed by the said Committee and their Water Works Scheme; if so, the action, if any, taken thereon ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) (i) *Re. Water-Supply Narwana.*—The source of water-supply is being ascertained.

(ii) *Re. Drainage Narwana.*—No drains have been constructed by the P.W.D. Public Health Branch. However, an estimate amounting to Rs. 4,85,977 for sewerage scheme has been forwarded to the Committee for acceptance.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बताएँगे कि इस drain के मुतािल्लक ऐसी कोई शिकायत आई कि यह defective है ?

मंत्री : कोई शिकायत नहीं आई ।

EXEMPTION OF AGRICULTURAL PRODUCE FROM OCTROI DUTY

***5258. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government are considering any proposal to exempt all agricultural produce coming from the rural areas into the cities for sale from the payment of octroi charges ; if so, the time by which a final decision is expected to be taken ?

Shri Mohan Lal : No, but in pursuance of an assurance given on the floor of this House, Government have constituted a Committee comprising of M.L.A.s, M.L.C.s, and to examine the question of exempting agricultural produce from the payment of octroi.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਦ ਬਣੀ ?

मंत्री : Date याद नहीं ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣਗੇ ਕਿ ਇਸ committee ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ Chairman ਕੌਣ ਹੈ ?

मंत्री : सरदार गुरबचन सिंह बाजवा इस के Chairman हैं मैंबरों के नाम याद नहीं ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ meeting ਹੋਈ ?

मंत्री : जहां तक मुझे इल्म है, मीटिंग एक ही हुई । वैसे बाजवा साहब को ज़्यादा पता है ।

DAMAGE CAUSED BY FLOOD WATER TO VILLAGE GARTHOTA IN TEHSIL NURPUR, DISTRICT KANGRA

***4994. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government have enquired into the causes of damage to village Garthota in tehsil Nurpur by the spread of flood waters of Beas River near the Railway Dhussi, if so, the steps, if any, taken to prevent the said damage ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : There is no village Garthota, but there is a village Ghatota in tehsil Nurpur. There is threat to the village Ghatota due to the development of creeks of River Beas along left edge. A proposal of constructing small cross bunds in the creeks for arresting further development has been approved and is being implemented.

COMMISSION FOR PATIALA DIVISION

***5010. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether any Land Commission has been appointed for the Patiala Division ; if so, the reasons therefor, the date when it was appointed, the names of its members and the terms of their appointment ;

(b) the total number of cases pending before the said Commission, the number of cases decided so far and the number of meetings held so far ;

(c) the period within which the said Commission is expected to finish its work ?

Giani Kartar Singh : A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) *Part First.*—Yes.

Part Second.—The Commission is a statutory body and has been set up in accordance with the provisions of section 32-P of the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955.

Part Third.—25th November, 1959.

Part Fourth.—

(i) Shri Teja Singh retired Judge of the erstwhile Punjab High Court. *Chairman*.

(ii) Agrarian Reforms Officer-cum-Additional Secretary to Government, Punjab, Revenue Department, *Member*.

(iii) Shri Harbhagwan Singh, Advocate, Chandigarh, *Member*.

Part Fifth.—The terms of appointment of the Chairman as well as the Members of the Commission are given below—

(1) Shri Teja Singh Chairman	Rs 200 for each day on which the Commission meets or transacts business, provided that the total amount payable for a month shall not exceed the pay drawn by him immediately before retirement minus gross pension. In addition to the remuneration, he shall be paid Travelling Allowance and Daily Allowance at the rate admissible to a Judge of the High Court.
(2) Additional Secretary, Revenue, Member	Travelling Allowance and Daily Allowance as admissible to him under rules.
(3) Shri Harbhagwan Singh, Advocate, Member	Rs 100 for each day on which the Commission meets or transacts business provided that the total amount payable for a month shall not exceed Rs 1000. In addition to the remuneration, he shall be paid Travelling Allowance and Daily allowance as admissible to a First Class Officer of Punjab Government under the Civil Services Rules, Volume III.

(b) *Part First.*—For the time being only cases pertaining to exemptions claimed from ceiling under the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955 are being referred to and decided by the Commission. The number of such cases referable to the commission is about 4,000 and these will be sent gradually as soon as these are completed for reference to them.

Part Second.—The Commission has disposed of 121 cases so far.

Part third.—The Commission has held 14 meetings so far. The first few meetings were held for deciding a number of preliminaries.

(c) No specific period can be indicated for the present. The matter is, however, receiving attention of Government.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ statement ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ex-Chief Justice, Pepsu, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ Land Commission ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ appoint ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ minimum qualification ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਖੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ ਵਖਰੀ qualification ਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ Act ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इन मैम्बरों की appointment Public Service Commission से पूछ कर हुई ?

मंत्री : नहीं ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : इनकी appointment का criterion क्या रखा गया ?

मंत्री : आम तौर पर लियाकत और status का ख्याल रखा जाता है । और वही बात इस केस में रखी गई ।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या यह बात सरकार को पता है कि सरदार हरभगवान सिंह की माहवारी आमदनी 200 रु० से ज़्यादा कभी नहीं रही ?

मंत्री : मेरे इल्म में नहीं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ landlords ਦੇ interest ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ?

मंत्री : Act ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ Commission ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ particular interest ਲਈ ਨਹੀਂ ।

STATEMENT OF SURPLUS AREA OF LAND

***5136. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether while preparing statements of surplus area in the State 30 standard acres have been taken as equal to sixty ordinary acres ;

(b) whether Government have revised the statements referred to in part (a) above in cases where the value of land in terms of standard acres has subsequently increased due to the provision of irrigation facilities ?

Giani Kartar Singh : (a) For assessment of surplus area in accordance with sub-section (3) of section 2 of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, the holding of a person is converted into standard acres by application of the valuations prescribed for different kinds of lands given in Annexure 'A' to the Punjab Security of Land Tenures Rules, 1953, and in cases where 30 standard acres on conversion into ordinary acres exceed 60 ordinary acres, in ordinary acres. There may be certain cases where 30 standard acres of land on application of the said prescribed valuations are equal to 60 ordinary acres, but not in all cases.

(b) No. The base date for the assessment of surplus area being 15th April, 1953, the quality of land as it stood then has been taken into account.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Revenue Department ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜੋ mutations ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ surplus area of land ਵਿਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

FINANCIAL ASSISTANCE FOR DEVELOPMENT OF PLAY-GROUNDS

***4631 Pandit Ram Kishan Bharolian:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have so far issued any instructions to the district authorities in the State to help such sports institutions financially as have play grounds to enable them to develop such playgrounds; if so, the maximum amount of financial assistance that may be granted in any one case ?

Rao Birendar Singh : Yes. A grant up to Rs. 4,000 can be sanctioned to an institution on matching contribution basis.

NATIONALIZATION OF PRIVATE SCHOOLS IN KANGRA DISTRICT

***4835. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister of Education and Labour be pleased to state the names of private schools of different categories proposed to be provincialized during the current and the financial year in Kangra, District ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : The matter relating to the taking over of the privately managed schools is still under the consideration of Government. The question of indicating the names of private schools of different categories proposed to be provincialized in Kangra District does not, therefore, arise at the present stage.

श्री रूप सिंह फूल : यह provincialization का काम कब तक हो जाएगा ?

उपमंत्री : बहुत जल्दी हो जाएगा ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : इसके लिए कोई शर्त तो नहीं लागू की जाएगी ?

उपमंत्री : बहुत सारी शर्तें हैं ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : वह क्या क्या शर्तें हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए अलग question करें । (The hon. Lady Member may ask a separate question for it.)

DAMAGE BY FIRE IN THE BASIC TRAINING COLLEGE AT DHARAMSALA

***4836. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether any enquiry into the causes of fire that broke out recently in the Basic Training College at Dharamsala has been made, if so, the result thereof together with the extent of damage caused to the College building, furniture and records ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (1) The matter is under investigation by the Police.

(2) The estimate of the damage as assessed by the P.W.D. authorities is Rs. One lakh approximately for the building.

Regarding furniture, equipment and office records it is about Rs. 36,000 in respect of Basic Training College and about Rs. 42,700 for Government Higher Secondary School.

श्री रूप सिंह फूल : क्या इस मामले की departmental enquiry हुई थी ?

उपमंत्री : हां जी, departmental enquiry हुई थी और जब उस का पता नहीं चला था तो case police को दिया गया था ।

श्री रूप सिंह फूल : यह case कब police को दिया गया था ?

उप मंत्री : मुझे ठीक पता तो नहीं, rough अंदाजा है कि तीन चार महीने हो गए होगें ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह enquiry local police को दी गई थी या कि police की special committee बना कर उस को दी गई थी ।

उप मंत्री : Police को दी थी, special committee उस की कोई नहीं है ।

POSTING OF MALE TEACHERS IN GIRLS SCHOOLS

***4893. Shri Rup Singh Phul** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether any men teachers have been posted in the Girls Schools in the State ; if so, the reasons therefor ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : Yes. Lady teachers of certain categories are not available and so men teachers have to be posted.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ departmental rules ਇਹ permit ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ Girls Schools ਦੇ ਵਿਚ men teachers ਰਖੇ ਜਾਣ ।

उप मंत्री: Rules में कोई पाबंदी नहीं है ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕਈ ਜਗਾਹ lady teachers ਉਸ qualifications ਦੀਆਂ available ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ?

उप मंत्री: अगर आप किसी particular case के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूं ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि अगर उन को trained Lady Teachers की list दे दी जाए तो वह उन्हें रखने के लिए तैयार होंगे ?

उपमंत्री : हां जी अगर आप Drawing Teachers की या शास्त्रियों की list दें तो हम देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : Private schools में तो age limit कोई नहीं होती । अगर आप कोई बूढ़ी lady teacher ला देंगे तो उसे वह कैसे सरकारी मलाज़मत में रख लेंगे ? (There is no age limit in private schools. If the hon. Lady Member will bring some old teachress how will she be taken in Government service ?)

श्रीमती सरला देवी शर्मा : नहीं जी बहुत सी young teachresses भी हैं ।

MERIT SCHOLARSHIPS TO POOR STUDENTS

***5191. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the names with addresses of the students who have been awarded stipends under the scheme relating to to the grant of merit scholarships in the State to poor students, during the year 1959-60;

(b) whether selections for the award of the said merit scholarships were made during the said period with the help of any Advisory Committee ; if not, the reasons thereof ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) The Scholarships under the scheme of financial assistance to poor brilliant students are being awarded on the recommendations of the Punjab University during the current financial year. The awards are expected to be issued in respect of all the eligible candidates by the 15th March, 1960 at the latest and as such their names and addresses cannot be given at this stage.

(b) No. The scholarships under this scheme are awarded strictly according to prescribed regulations, on merit, adjudged by the number of marks obtained by the applicants in a particular income group, in the preceding University examinations and as such there seems to be no necessit y for any Advisory Committee in this regard.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣਗੇ ਕਿ ਇਹ scholarships ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ marks ਦਾ ਹੀ criterion ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

उप मंत्री : नहीं जी, उस में हम ने लिखा है Marks obtained by the applicant in a particular income-group.

CONSTITUTION OF A SEPARATE DEVELOPMENT COUNCIL FOR HILLY AREAS

***5181. Pandit Amar Nath Sharma :** Will the Minister for Community Development be pleased to state —

(a) whether Government have received any representation from the M.L.A.s representing hilly areas in the State fo r constituting a separate Development Council for the hilly areas with full powers with a view to developing the said areas;

[Pandit Amar Nath Sharma]

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the time by which the said Development Council is proposed to be constituted together with the details of the powers proposed to be given to it ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration and the final decision will take some time.

INTEREST CALCULATOR

*4690. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Community Development be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 2461 dated 12th September, 1958 whether any enquiry regarding the approval by the Registrar, Co-operative Societies of the book entitled "Interest Calculator" was actually held; if so, the result thereof ?

Sardar Gurbanta Singh : (i) Yes.

(ii) No such book was approved by the Registrar, Co-operative Societies

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 1958 ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਕ copy ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ approved by the Registrar Co-operative Societies and approved by the Registrar, Punjab University. ਮਗਰ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ produce ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ action ਲਵਾਂਗੇ । (Yes, the hon. Member had placed that book on the Table of the House and the hon. Minister promised to take action in that connection.)

ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਸਹੀ position ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ co-operative union ਸੀ । 1951 ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ chairman ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ approve ਕੀਤੀ ਸੀ । Registrar ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ approve ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ action ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ fact ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ House ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ approved by the Registrar, Co-operative Societies.

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ ।

चौधरी इन्द्र सिंह : अगर उस पर लिखा हुआ है approved by the Registrar Cooperative Societies तो Government उस author के खिलाफ action लेना चाहती है या नहीं ।

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ author ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਂ ਕਰੇ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ case police ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ।

SETTING UP SUGAR MILL AT HAMIRA

*5241. **Shri Phul Singh Kataria Comrade** : Will the Minister for Community Development be pleased to state whether any Co-operative Society was recently formed to set up a Sugar Mill at Hamira, distirict Kapurthala ; if so, when and the progress so far made by it i n this respehctect?

Sardar Gurbanta Singh : A Co-operative Society for the establi sment of a Sugar Mill at Hamira was registered on 15th April, 1958. Negotiations for the purchase of existing machinery have not materialised as it has not been possible to raise necessary share capital. If and when this is done, efforts will be made to negotiate for the purchase of suitable second hand machinery.

BLASTING OF BHAKRA COFFER DAM

*4856. **Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date when the decision to blast the coffer dam at Bhakra was taken ;

(b) the date when the said coffer dam was actually blasted ;

(c) the number of days after the blasting referred to in part (b) above when the accident to the Hoist Chamber of the Bhakra Dam occurred ;

(d) the period for which the construction of the left power-house at the Bhakra Dam has been delayed by the said accident and the main items of loss incurred due to the said delay ;

(e) the total amount of loss incurred on account of the said accident ;

(f) whether Mr. Slocum was consulted before blasting the Coffer Dam ; if so, the details of the opinion given by him ;

(g) the number of workers, if any killed in the said accident ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) There has been no proposal to blast the Coffer Dam at Bhakra.

(b) Does not arise in view of (a).

(c) Does not arise in view of (a).

[Deputy Minister]

(d) No material delay in completion of Left Power-House at Bhakra Dam due to the Hoist Chamber accident is anticipated.

(e) The estimated figure for the loss incurred on account of Hoist Chamber accident is as under :

		Rs. in lacs
Civil Works other than Power-House	..	120
Power House machinery	..	30
Civil Works of Power-House	..	5
Total	..	155

(f) Does not arise in view of (a).

(g) Ten lives were lost including that of a Sectional Officer.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह जो coffer dam है क्या इसे blast नहीं किया गया ?

उप मंत्री : नहीं जी ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि अगर blast नहीं किया गया तो क्या coffer dam अपने आप ही खत्म हो गया ?

उप मंत्री : कोई proposal blast करने की नहीं थी ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : आपने फरमाया है कि blast नहीं किया गया तो मेरा सवाल यह है कि अगर blast नहीं किया गया तो क्या वह खुद-बखुद खत्म हो गया ।

उद्योग मंत्री : उसकी blasting का सवाल ही पैदा नहीं होता वह तो पानी में submerge हो गया है ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि उसे submerge करने का फैसला क्यों किया गया ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष : आप पूछना क्या चाहते हैं ? (What does the hon. Member want to know?)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : इन्होंने फरमाया है कि पानी चढ़ गया और वह डूब गया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पानी को चढ़ने से रोकने की कोई कार्यवाई की ? (हंसी) (*Interruption*)

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ? (What is the question of the hon. Member ?)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब इनकी तरफ से कहा गया है कि पानी चढ़ गया इस लिए वह coffer dam submerge हो गया । तो मेरा सवाल यह है कि क्या उसे submerge होने से रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया ? वह डैम तो इस लिए बनाया था कि उस से कुछ मदद मिले और उस का यह मतलब तो नहीं था कि एक दम इतना पानी इकट्ठा किया जाए ।

मुख्य मंत्री: अगर उसको submerge होने से रोकने की कोशिश करते तो भाकड़ा डैम ही न बनता ?

श्री राम प्यारा : क्या यह बताया जा सकता है कि क्या Mr. Slocum ने गवर्नमैंट को यह सलाह दी थी कि फिलहाल इतना पानी store न किया जाए ?

उपमंत्री : नहीं ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या इतना पानी store करने से पहले यह इतमिनान कर लिया गया था कि इस से hoist chamber को कोई खतरा तो नहीं है ?

मंत्री : यह तो accident हुआ है। इस में पहले देखने या न देखने का सवाल पैदा नहीं होता है। यह तो एक unforeseen सी चीज़ हुई है ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : आपने फरमाया है कि यह unforeseen चीज़ है लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि जब इतना पानी store करने का फैसला किया गया तो क्या यह बात भी उस वक्त देखी गई कि इस से कोई खतरा तो नहीं पैदा हो जाएगा ? आखिर यह जो एक करोड़ 55 लाख ज़ाया हुआ इस की ज़िम्मेदारी किस पर है ?

उप मंत्री : पिछले साल भी इतना पानी store हो चुका था और उस वक्त यह चीज़ नहीं हुई थी ।

COMPLETION OF DHUSSI BUND IN KAPURTHALA DISTRICT

***4983. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the steps,if any, being taken by Government to complete the remaining part of the Dhussi Bund in Kapurthala District from Talwandi Chaudharian to Ahli Kalan and the time within it is expected to be completed together with the total amount provided for the same.

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : The project estimate amounting to Rs. 3.11 lacs for the extension of Dhussi Bund from Talwandi Chaudharian downstream for a length of six miles, has been prepared and is under examination.

Work in about one-third the length below Talwandi Chaudharian is likely to be completed during 1960-61 and remaining work during the 3rd Five-Year Plan, according to the availability of the funds.

SIDHARTHAHAR CANAL

***4995. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the construction of the Sidharthahar Canal is expected to be completed by the end of the current financial year ;

(b) the time by which irrigation facilities from the said canal are proposed to be given to the areas round about ; and

(c) the strength of the staff employed on the construction of the said canal?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) No.

(b) By Rabi 1960-61, provided there is no further damage by the rains.

(c) Sub-Divisional Officer .. 1
Sectional Officers .. 5

IRRIGATION OF THURL AREA IN DISTRICT KANGRA

*5158. **Pandit Amar Nath Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have prepared any scheme for irrigating the Thurl area in district Kangra ; if so, the details of the said scheme together with the time by which it will be finalised ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : A scheme for irrigating the Thurl Area in Kangra District is under investigation. The scheme is meant to provide irrigation to about 1,350 acres of land in tehsil Palampur. The discharge of the Kuhl will be 16.5 cuses. The scheme is expected to be very costly and unproductive, and thus requires very careful scrutiny before the Project Estimate is sanctioned.

REPRESENTATION FOR EXTENSION OF SHAMDO MINOR

*5203. **Chaudhri Inder Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether Government received any representations from the villagers of Shahpur, Kandela, Roopgarh, Jitgarh, Khera, Sarigaj, Jhanj, Kher Kheri, tehsil Jind, during the years 1957,1958 and 1959 for the extension of the Shamdo Minor ; if so, the action so far taken thereon ;

(b) whether Government are aware of the fact that 80,000 bighas of land of the villages mentioned in part (a) above are lying unirrigated; if so, the steps that are being taken by the Goverment for supplying water to them for irrigational purposes ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Yes. Some applications were received and a scheme for the extension of Shamdo Minor is under investigation.

(b) Yes. An area of about 8,000 acres (not 80,000 acres as stated in the Question) mostly high and uncommanded is lying outside the canal irrigation boundary. A scheme to provide canal irrigation to part of this area which can possibly be brought under command by extension of Shamdo Minor is under investigation.

चौधरी इन्द्र सिंह : यह जो 1957 से investigation हो रही है यह और कितने अर्सा तक होती रहे गी ?

उप मंत्री : पहले जो स्कीम थी वह tube-wells से irrigate करने की थी लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि tube-wells की बजाए flow irrigation से सैराब किया जाएंगा इस लिए कुछ delay हुई है ।

चौधरी इन्द्र सिंह : यह tube-well से irrigate करने वाली स्कीम कब drop की गई थी ?

उपमंत्री : अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब गवर्नमेंट की तसल्ली हो जाएगी कि यह स्कीम sound है या नहीं तब देखेंगे।

चौधरी इन्द्र सिंह : लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि यह स्कीम कब drop की गई थी ?

उपमंत्री : इस वक्त date बताना मुश्किल है। अब वाली स्कीम से पहले की गई थी।

EXTENSION AND EXCAVATION OF SULHRA MINOR IN NARWANA DIVISION

***5204. Chaudhri Inder Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether there was a proposal under the consideration of Government for the extension and excavation of Sulhra Minor in Narwana Division in 1956 ; if so, the details thereof together with the progress so far made in this behalf ;

(b) whether the proposal referred to in part (a) above is still in tact ; if not, the reasons why it has been given up ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Yes. A proposal for the construction of a New (Sulhra) Minor from Jalhera Branch(Dhamtan Distributary) to provide irrigation water to certain areas of villages Kalwan, Dhamtan and Sulhra was duly considered in the year 1957, but was not considered feasible. The villages concerned are already included in the irrigation boundary of Kalwan Minor and Jalhera Branch (Dhamtan Distributary) and are getting satisfactory irrigation.

(b) No, for reasons given in (a).

चौधरी इन्द्र सिंह : यह जो आपने फरमाया है कि कलवान और धमतान माइनर का रकबा ले किया गया तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह फैसला drop होने के बाद लिया गया था या पहले लिया गया था ?

उप मंत्री : यह फैसला drop होने से पहले लिया गया था।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या यह fact है कि जब यह Sulhra Minor की स्कीम 1957 में not feasible हो गई थी तो उसका estimate sanction हो चुका था ?

उप मंत्री : यह तो इस वक्त नहीं बताया जा सकता।

चौधरी इन्द्र सिंह : जब पहले वह रकबा ले लिया गया तो उसके बाद Sulhra Minor की तजवीज़ क्यों drop की गई ?

उपमंत्री : यह जो present system of irrigation adopt किया गया है इसे अच्छा समझा गया है इस लिए पहला छोड़ दिया गया है।

DRAINS IN DISTRICT LUDHIANA

***5215. Sardar Bhag Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names of drains, as an anti-water logging measure, com-pleted in Ludhiana District so far, the names of those which are pending completion and the time by which the latter are expected to be completed?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : The following drains in Ludhiana District have been completed and they would also serve as anti-water-logging measure —

1. Bassian Drain including Raipur link drain.
2. Rachin Drain.
3. Jassowal Drain.
4. Chichhrari Drain.
5. Jamalpur Drain.
6. Birmi Drain.
7. Daudhar Drain.
8. Badhni Drain.

Part length of Moga Drain and extension of Chichharari Drain in, about 4 miles length still remain to be completed. Works are in progress and are expected to be completed before the next monsoon season.

DRAINAGE CAPACITY OF KIRAN NALLAH IN GURDASPUR DISTRICT

***5220. Sardar Waryam Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that the drains constructed in Gurdaspur District, such as the Chikri Drain, the Vadala Banagar Drain and others, fall in the Kiran Nallah ; if so, the drainage capacity of the said Kiran Nallah ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : Chikri Drain and Vadala Banagar Drain have not yet been constructed.

The drainage capacity of Kiran Nallah has not yet been determined. It is under investigation.

NATIONALISATION OF ELECTRIC SUPPLY COMPANIES IN THE STATE

***5127. Shri Balram Dass Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Private Electric Supply Companies working in the State in the year 1948 and the total number of such companies working at present ;

(b) the quantity of electrict energy being produced by the said private companies at present ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to nationalise the companies referred to in part (a) above; if so. when and on what terms ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) (i) 29
(ii) 15.

(b) 11,06,650 units (during the current year from 1st April, 1959 to 31st January, 1960).

(c) No proposal at present is under the consideration of Government to nationalise the Private Electric Supply Undertakings. These will, however, be taken over under the Indian Electricity Act, 1910, as amended up to date on the expiry of the present term of their respective licenses.

श्री बलराम दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि आज कल के हालात के मुताबक मिनिस्टर साहिब ने यह जो बात कही है " taken over " क्या इनको extend करने का मौका दिया जायगा ?

उप मंत्री : नहीं देंगे । ज्यूं ज्यूं term expire होती जायगी लेते जाएंगे ।

CONSTRUCTION OF PACCA ROAD CONNECTING VILLAGE LONGOWAL WITH SANGRUR-BARNALA ROAD

***5189. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to construct a pucca road to connect village Longowal with Sangrur-Barnala Road at village Badber, district Sangrur;

(b) whether it is a fact that the residents of villages adjacent to the said road referred to in part (a) above have already done earthwork on the said road and that the villagers of Longowal have given a written undertaking to Government through the B.D.O. to maintain the said road for a period of 10 years.

(c) If the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the time by which the work on the said road is proposed to be started ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes.

(b) (i) whether earthwork done or not	.. Yes
(ii) whether written undertaking for 10 years' maintenance given or not	Not given to the Public Works Department.

(c) If the villagers agree to pay 1/4th cost of the road and also agree to maintain the same for 10 years after completion, the work on this road can be started during the currency of the 2nd Five-Year Plan.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ?

मंत्री: हमारे तक तो पहुंचा नहीं । मंगवा लेंगे ।

CONSTRUCTION OF ROADS BETWEEN RAIPUR AND GUJJARWAL AND LUDHIANA JAGRAON IN DISTRICT LUDHIANA

***5216. Sardar Bhag Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to construct pucca roads between Raipur and Gujjarwal and Ludhiana and Jagraon *via* Bhundri in district Ludhiana ; if so, the time by which the said roads are expected to be completed ?

Chaudhri Suraj Mal : Yes, Raipur-Gujjarwal-Road is included in the Second Five-Year Plan while Ludhiana-Bhundri-Jagroan road via Sidhwan is being considered for inclusion in the Third Five-Year Plan. Both these roads are likely to be completed during the Third Five-Year Plan.

CHANGE IN ALIGNMENT OF CHOWKI MANN RAILWAY STATION SIDHWAN KHURD-SWADDI-BHUNDRI ROAD IN DISTRICT LUDHIANA

***5259. Sardar Ram Dayal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the construction of the Chowki Mann Railway Station Sidhwan Khurd-Swaddi-Bhundri Road in Ludhiana District was provided in the Second Five-Year Plan of the State ;

(b) whether the alignment of the said road has been changed now ;

(c) if the answer to part (b) be in the affirmative the reasons for the change in the alignment.

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes.

(b) No.

(c) The question does not arise.

TERM OF EMPLOYMENT OF MONS. LE CORBUSIER

***4665. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state:—

(a) the date when the contract relating to the employment of Mons. Le Corbusier, Chief Architectural Advisor to the Government, for the construction of Chandigarh Capital was due to expire ;

(b) whether the contract with Mons. Le Corbusier has been renewed ; if so, on what terms and for what period ;

(c) the period of service so far completed by Mons. Le Corbusier;

(d) the total amount so far paid to the said Advisor during the period mentioned in part (c) above ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) 18th February, 1960.

(b) The contract has been decided to be renewed for a further period of two years with effect from 19th February, 1960, on the following terms:—

(i) Mons. Le Corbusier will be required to visit Chandigarh twice a year.

(ii) He is to be paid an honorarium of £ 2,000 per year ; and in addition £ 30 is to be paid as daily allowance for every day of his stay in India in connection with the work of the Capital Project ; subject to the maximum of £ 4,000 per year including the honorarium ;

(iii) Two return air passages per year from Paris to Chandigarh are to be paid to him ; and

(iv) Income-tax in India on his behalf is to be paid by the Government.

(c) Eight years, up to 18th February, 1959.

(d) Rs. 10,38,143.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ?

मंत्री : इस बात पर ग़ौर किया गया था । चूंकि तमाम प्राजेक्ट उनकी ज़ेरे निगरानी बनी है इसलिए मुनासब समझा गया कि उन्हें extension दी जाय। दूसरे अभी तक इतना बेहतरीन माहर यहां नहीं है।

CONSTRUCTION OF TUBE-WELL FOR CIVIL HOSPITAL AND GOVERNMENT POLYTECHNIC, AMBALA

5243. Shri Phul Singh Kataria Comrade : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to construct a tube-well for the Civil Hospital and the Government Polytechinic at Ambala; if so, when ?

Chaudhri Suraj Mal : Yes. The work will be started as soon as funds for the execution of the work are provided by the B. and R. Branch/Director of Health Services, Punjab.

ADVANCES RECEIVED FROM GOVERNMENT OF INDIA UNDER LOW INCOME GROUP HOUSING SCHEME

5247. Shri Prabodh Chandra : Will the Minister for Public Works be pleased to state, the amounts advanced by the Union Government to the State Government under low-income group housing scheme in the State during the year 1956-57,1957-58, 1958-59 and 1959-60 and the amounts actually disbursed by the Government so far,during the each of these years;

(b) whether any amounts remain unused; if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) and (b) A statement is laid on the Table.

Statement regarding advances received from Government of India under the Low-Income Group-Housing Scheme
(Rs in lacs)

Name of year with allocation from Government of India		Amount Spent	Balance
1		2	3
1. Unspent amount from 1st Five Year Plan	35.28		
Amount allocated during 1956-57	85.50	81.96	38.82
Total ..	120.78		
2. Unspent balance from 1956-57 ..	38.82		
Amount allocated during 1957-58 ..	66.75		
Total ..	105.57	56.96	48.61
3. Unspent balance from 1957-58 ..	48.61		
Amount allocated during 1958-59 ..	48.66	82.50	14.77
Total ..	97.27		
4. Unspent balance from 1958-59 ..	14.77		
Amount allocated by Government of India during 1959-60 (upto 31st December, 1959)	45.84		
Total ..	60.61	43.66	16.95

(upto 31st December, 1959)

(b) It follows from the above statement that the entire funds allocated in a particular year cannot be utilised in that very year as loans are given at stages as the construction progresses, with the result that the unspent balance left from that year is carried over for disbursement in the following year.

श्री प्रबोध चंद्र : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वे क्या खास वजूहात थीं जिन की वजह से जितना रुपया अलाट किया गया था वह utilize नहीं किया जा सका ?

उप मंत्री : कई दफा मौजूं आदमी नहीं मिलते । इस तरह की कई बातें हो जाती हैं ।

श्री प्रबोध चंद्र : असल बात बता दें ।

मंत्री : मेरे पास तो कोई असल बात नहीं । हर तरह से कोशिश की जाती है लेकिन उस के बावजूद भी कई formalities रह जाती हैं ।

श्री प्रबोध चंद्र : स्पीकर साहब, मैं ने यह अर्ज़ की थी कि लाखों रुपये एक तरफ से अलाट हुए लेकिन उस में से बहुत सा रुपया unused रह गया । सैंकड़ों की तादाद में applications pending हैं, लोग कर्ज़ा मांगते हैं लेकिन दिया नहीं जाता । इसकी खास क्या वजूहात हैं ?

Mr. Speaker : He has already replied to this question.

श्री प्रबोध चंद्र : जनाब, गोल मोल दिया है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, गोल मोल नहीं था। चौधरी साहब मन में कुछ नहीं रखते।
(No, it was not evasive. Chaudhri Sahib does not keep anything to himself.)

PUBLIC RELATIONS OFFICERS AT CHANDIGARH

*5002. **Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Public Relations Officers appointed at the Headquarters at Chandigarh at present and the details of duties assigned to each ;

(b) the average number of press notes being issued by the Public Relations Department at Chandigarh daily ;

(c) whether any measures have been or are being adopted to effect economy in the Public Relations Department if so, what ?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : A statement incorporating reply to the above question is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) There are seven Public Relations Officers posted at the headquarters of the Public Relations Department at Chandigarh. One out of these has been given the job relating to the production of literature, including preparation of dummy etc., composition of articles and other miscellaneous work assigned to him by the Director. The remaining six Public Relations Officers have been assigned the job of press publicity. Their duties are as follows—

Serial No	Name	Functions
1	Shri Niranjan Singh	.. Attends to the publicity work of agriculture Animal Husbandry, Fisheries, Forests, Game Preservation and development of Hilly and Backward areas. Keeps contacts with Shri Gian Singh Rarewala, Minister and Sarvshri Harbans Lal and Partap Singh Bakhshi, Deputy Ministers.
2	Shri A.K. Bhardwaj	.. Attends to the publicity work of Industries, Civil Supplies, Local Bodies (excluding Panchayats), Jails and Justice, Legislative Department, Public Works Departments (Building and Roads), Capital Project, Public Health Engineering and Housing Departments. Keeps contacts with Sarvshri Mohan Lal and Suraj Mal, Ministers and Sarvshri Benarsi Das and Niranjan Singh Talib, Deputy Ministers.
3	Shri Mulk Raj Aggarwal	.. Attends to the publicity work of Finance, Excise and Taxation, Planning and Statistics, Education, Labour, Printing and Stationery, and Language Departments. Keeps contacts with Dr. Gopi Chand Bhargava, Amar Nath Vidyalankar, Ministers and Shri Yash, Deputy Ministers

[Chief Parliamentary Secratary]

S. No	Name	Functions
4	Shri P.K. Nijhawan	.. Attends to the publicity work of Health, Irrigation, Power, Tourism, Revenue (Relief and Rehabilitation), Consolidation, Transport and Sports Departments. Keeps contacts with Sarvshri Partap Singh Kairon, Chief Minister, Birendar Singh, Minister and Dr. Prakash Kaur, Deputy Minister, Health.
5	Shri S.S. Saroj	.. Attends to the publicity work of General Adm inistration, Elections, Anti-Corruption and Political Sufferers Besides, he is required to prepare ' Press at a Glance '. Keeps contacts with Chief Minister and Chief Parliamentary Secretary.
6	Shri Rattan Prakash Kesri	.. Attends to the publicity work of Community Development, Panchayats, Co-operatives, Local Government, Scheduled Castes and Backward Classes and Welfare among Harijans. Keeps contacts with Shri Gurbanta Singh, Minister and Sarvshri Dalbir Singh and Yashwant Rai, Deputy Ministers.

(b) Average number of press notes being issued by the Public Relations Department daily is seven.

(c) Cadre of Public Relations Department has been fixed by the Government keeping into consideration the recommendations made by the Cadre Committee. No further steps to effect economy in the Department are under consideration.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ head quarters ਵਿਚ 7 Public Relations Officer ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੇਵਲ 7 Press Note ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ?

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेट्री: सिर्फ एक आदमी Press Note जारी करने के लिए है बाकी के 6 अफसरों के लिए अलग अलग काम मुकर्रर किए गए हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker: Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ Public Relation Officer attach ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ attach ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

Mr. Speaker : It is a suggestion for consideration.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ Resources and Retrenchment Committee ਨੇ ਇਸ Department ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PUBLICATION OF LISTS OF RESULTS OF EXAMINATIONS BY PUBLIC SERVICE COMMISSION, ETC.

*5137. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to publish the lists of candidates appearing in competitive examinations conducted by the Punjab Public Service Commission or the Subordinate Services Selection Board from time to time along with the marks obtained by the candidates in each subject?

Sardar Partap Singh Kairon : No, Sir.

PROGRESS REPORTS IN RESPECT OF WELFARE WORK DONE IN REGARD TO SCHEDULED CASTES/ TRIBES, ETC.

*5138. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have sent any quarterly progress reports to the Union Government regarding the welfare work done in regard to Scheduled areas and tribes, Scheduled castes and Backward Classes in the State during the years 1958-59 and 1959-60, if so, for which specific quarters ?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister) : (i) Yes.

(ii) For quarters ending June, September and December, 1958 and June, September and December, 1959.

POSTING OF MAGISTRATE ETC., IN THEIR HOME DISTRICTS

*5185. **Chaudhri Inder Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there are any instructions of Government in existence to the effect that District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates and other Magistrates may not be posted within their home districts ; if so, whether there are any officers of the said rank in the posts who are at present posted within their home districts ; if so, their names and the districts in which they are posted ?

Sardar Partap Singh Kairon : Government have issued instructions to the effect that gazetted officers, which include District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates and other Magistrates should not be posted in their home districts. There is no District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate or other Magistrate at present posted in his home district.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या यह हकीकत है कि जो magistrate I class निखाणा में लगा हुआ है He belongs that very district.

मुख्य मंत्री : पता कर के बता सकता हूं। जहां तक मेरी information है वह Home District में नहीं।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS

***5193. Sardar Rajinder Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any percentage has been fixed for giving Government advertisement to newspapers published in Punjabi Hindi, Urdu and the English languages ; if so, what ?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentray Secretary) : The following percentage has been fixed for giving Government advertisement published in Punjabi, Hindi, Urdu, and English languages—

		Percentage
1.	Newspapers in Punjabi	.. 17
2.	Newspapers in Hindi	.. 17
3.	Newspapers in Urdu	.. 17
4.	Newspapers in English	.. 49

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Regional languages ਵਿਚ advertisement ਦੀ percentage ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : पहले percentage बहुत कम थी अब बढ़ा के 17 percent की है और अब यह percentage और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

NEWSPAPERS PURCHASED BY PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT FOR FREE DISTRIBUTION

***5194. Sardar Rajinder Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of daily and weekly newspapers, separately, purchased by the Public Relations Department for free distribution in the State during the period from January 1st 1959 to December 31st, 1959, together with the amount paid therefor in each case;

(b) the manner in which the distribution referred to in part (a) above was made ?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement Shownig the details oj daily and Weekly Newspapers Purchased by the Public Relations Department for free Distribution in the state During the period From 1st Janurary 1959 to 31st December, 1959

Part (a) *Part (b)*

Serial No.	Name of daily Newspaper	Number of copies purchased	Cost paid	The manner in in which the distribution referred to in part (a) was made
		Copies	Rs	
1	The 'Akali Patrika', Jullundur (Anti-untouchability Supplement)	2,000	400.00	These were distributed through the agencies of Public Relations Department functioning in each district for the use of Supervisors, Organisors, Rural Publicity Workers, Local Institutions, Reading Rooms and Information Centres etc., in the State
2	The 'Ranjit', Patiala (Anti-untouchability Supplement)	2,000	513.60	
3	The 'Ajit', Jullundur City (Anti-untouchability Supplement)	2,000	500.00	
4	The 'Vir Bharat', Jullundur (Anti-Untouchability Supplement)	2,000	500.00	
5	The 'Vir Bharat', Jullundur— January, 1959 ..	10,340	1,416.20	
	February, 1959 ..	10,800	1,404.00	
	1st March, 1959 to 19th March, 1959, excepting 8th March, 1959	7,200	936.00	
6	The 'Parkash', Chandigarh ..	200	14.00	
7	The 'Ranjit', Patiala ..	165	16.50	
8	The 'Mewat', Urdu, Gurgaon (Metric System Supplement)	2,000	500.00	
9	The 'Vir Bharat', Jullundur (Metric System Supplement)	2,000	500.00	
10	The 'Ajit', Jullundur City (Metric System Supplement)	1,000	120.00	
11	The 'Samaj', Ludhiana (Small Savings Supplement)	800	200.00	
12	The 'Tarjman', Ludhiana (Small Savings Supplement)	800	200.00	
13	The 'Sadaquat', Ludhiana (Small Savings Supplement)	2,000	200.00	
14	The 'Khalsa Sewak', New Delhi (Small Savings Supplement)	800	80.00	

[Chief Parliamentary Secretary]

part (a) part (b)

Serial No.	Name of Weekly Newspapers	Number of copies pur-chased	Cost paid	The manner in which the distribution referred to in part (a) was made
		Copies	Rs	
1	The 'Savera', Delhi (Anti-untouch-ability Supplement)	800	200.00	These were distributed through the agencies of Public Relations Department functioning in each district for the use of Supervisors, Organisors, Rural Publicity Workers, Local Institutions, Reading Rooms and Information Centres, etc. in the State.
2	The 'Fateh', Delhi (Anti-untouch-ability Supplement)	2,000	519.00	
3	The 'Hindu', Jullundur (Anti-un-touchability Supplement)	800	304.56	
4	The 'Fateh', Delhi (State Plan Supplement)	500	255.00	
5	The 'Panchsheel Herald', Delhi (Punjab Food Supplement)	400	200.00	
6	The 'Delhi Times', Delhi ..	500	250.00	
7	The 'Punjab Congress Patrika', Urdu, Jullundur City (Co-operative Number)	500	250.00	
	(Special Supplements on Metric System)			
8	The 'Panchsheel Herald', New Delhi	1,000	500.00	
9	The 'Arya Gazette', Jullundur ..	800	200.00	
10	The 'Roshni', Sonepat ..	2,000	500.00	
11	The 'Punjab Congress Patrika', Chandigarh	1,350	499.50	
	(Special Supplements on Small Savings Scheme)			
12	The 'Lalkar', Dharamsala ..	1,250	200.00	
13	The 'Amrit', Karnal ..	800	200.00	
14	The 'Janam Bhoomi', Karnal ..	2,000	200.00	
15	The 'Naresh', Bhatinda ..	800	200.00	
16	The 'Doaba', Jullundur ..	1,600	200.00	
17	The 'Kisan', Ferozepore City ..	800	200.00	
18	The 'Nirbhai Yodha', Ludhiana ..	560	173.60	
19	The 'Mel Milap', Chandigarh ..	800	296.00	
20	The 'Chetna', Hissar ..	1,000	200.00	
21	The 'Mauji', Jullundur ..	800	200.00	
22	The 'Maha Punjab', Ludhiana ..	800	200.00	
23	The 'Jat Gazette', Rohtak ..	800	200.00	
24	The 'Hindu', Jullundur ..	534	197.58	

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ agency ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ untouchability ਬਾਰੇ ਜਾਂ plan ਬਾਰੇ ਕੋਈ supplement ਕਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ supplement ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

NUMBER OF I.A.S. AND P.C.S. OFFICERS BELONGING TO SCHEDULED CASTES IN THE STATE

***5217. Sardar Bhag Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of I.A.S. officers in the State belonging to the Scheduled Castes ;

(b) the number of P.C.S. officers in the State belonging to the Scheduled Castes who are working as Deputy Secretaries or Under Secretaries in the Civil Secretariat, or as Additional District Magistrates in the different districts.

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Two.

(b) Nil

PANEL FOR APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE GURDWARA JUDICIAL COMMISSION

***5011. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government have received from the outgoing Executive Committee of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, any panel of names for appointments on the Gurdwara Judicial Commission ; if so, what and when;

(b) whether Government have received any representation from the Shiromani Akali Dal, against the panel referred to in part (a) above ; if so, when the details of the representation and the action, if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. A proposal was received from the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee on 24th January, 1960 for replacing three names on the list maintained for the purpose of appointment of members of the Sikh Gurdwaras Judicial Commission.

[Chief Minister]

(b) Yes. A representation from the Shiromani Akali Dal was received on 27th January, 1960 requesting that the proposal referred to in part (a) should not be accepted. No action was called for on the representation because under the provisions of sub-sections (4) and (5) of Section 71 of the Sikh Gurdwaras Act Government had no option but to accept the proposal of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee after satisfying itself that the persons nominated by the said Committee were qualified as required by sub-section (2) of Section 70 of the Act.

ਇਕ Advocate ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ S.G.P.C. ਇਕ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ—ਇਕ ਤਰਫ removal ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ acceptance ਦੀ । ਉਸ ਨੂੰ examine ਕੀਤਾ । ਇਹ ਇਕ procedural ਗਲਤੀ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗਲਤੀ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ notification ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪੁੱਜਿਆ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਪਹਿਲੇ notification ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ representation ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਇਕ procedural ਗਲਤੀ ਸੀ । Advocate ਦੀ ਗਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ S.G.P.C. ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਕ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ।

REPRESENTATION REGARDING IRREGULARITIES IN GURDWARA ELECTIONS

*5139. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any section of the Sikhs has brought to his notice any irregularities committed by any party contesting the Gurdwara elections ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the nature of irregularities alleged and the action taken in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes Sir.

(b) *First part.* The following irregularities were alleged by the Sadh Sangat Board to have been committed by the Shiromani Akali Dal candidates—

(i) publication of false statements in respect of the personal character of the Sadh Sangat Board candidates ;

(ii) systematic appeals to the electors on grounds of religion and by using religious symbols ;

(iii) bribery ; and

(iv) procurement of assistance of persons in the service of Government.

Second part. No action was taken in the matter because the Sikh Gurdwaras Election Enquiries Rules do not contemplate the holding of a general enquiry into the conduct of the candidates of a party contesting the Gurdwara elections.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Gurdawara Act ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ rules ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ irregularities ਦੇ ਬਾਰੇ enquiry ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : He has already given a reply to this.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ rules ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ candidate ਦੇ conduct ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ enquiry ਕਰੇ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ rules ਦੀ interpretation ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ।

ARMS LICENCES ISSUED IN SUB-DIVISION JIND, DISTRICT SANGRUR

***5186. Chaudhri Inder Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any quota for the issue of licences for pistols, revolvers, guns and rifles for the Jind sub-division of district Sangrur was fixed during 1956-57, 1957-58, 1958-59 and 1959-60, if so, what ;

(b) the names of those who applied for the issue of the said licences during the said years and the names of those to whom licences for each kind of fire-arm were granted ;

(c) the number of applications mentioned in part (b) above which have been rejected and which are still pending separately during each of the years mentioned above ;

(d) the criteria kept in view while granting the said arms licences.

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) to (c). It is not in public interest to disclose the information asked. for. However, any specific case brought to the notice of Government will be duly looked into.

(d) No criteria is prescribed for the grant of arms licences. These are granted under rule 31 of the Indian Arms Rules, 1951, by the District Magistrates at their discretion to suitable persons.

चौधरी इन्द्र सिह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि इस में क्या public interest involved है ?

चीफ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : Public interest की बात है ।

चौधरी इन्द्र सिह : इस में कौनसी public intrest की बात है ? यह Arms licences मंजूर होते हैं और cancel भी हो जाते है तो इस में कौन सा public interest involved है ?

चीफ पार्लीमैंटरी सैक्रेटरी : यह executive matter है। Public interest की बात हो जाती है।

मुख्य मंत्री : हम ऐसी चीज़ों को मुशतिहर नहीं करना चाहते और पुराने convention पर stick कर रहे हैं।

श्री राम प्यारा : क्या कोई ऐसे cases भी हैं जहां पुलिस की रिपोर्ट मंगवाए बगैर licences दिये गये हों ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या यह रिवाज जो गवर्नमैंट कायम रखना चाहती है वह एक मैम्बर के हक से ज्यादा वुकअत रखता है ?

Mr. Speaker : It is a question of opinion. To ask for an opinion through a supplementary question is not admissible.

चौधरी इन्द्र सिंह : On a point of order. जनाब Rules of procedure बने हुए हैं और House ने pass किए हुए हैं। उनके मुताबक मुझे अख्तयार है कि मैं सवाल पूछूं। उस सवाल का जवाब public document में है। मैं जनाब का ruling लेना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामला में Government जवाब refuse कर सकती है कि इस में public interest involved है।

Mr. Speaker : To ask for an opinion is quite a different matter. It is, however, the privilege of a Member to ask for information contained in an official document.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या Chief Minister साहिब बताएंगे कि जो order pass किए जाते हैं क्या उनको copies मिल सकती हैं ?

मुख्य मंत्री : मुझे पता नहीं। अगर मिलने का कायदा होगा तो मिलती होंगी। एक आदमी जा कर लेता है मजमूई तौर पर नहीं।

चौधरी इन्द्र सिंह : अगर एक आदमी को copy मिल सकती है rules के मुताबिक तो क्या मजमूई तौर पर नहीं मिल सकती ?

मुख्य मंत्री : अगर मिलती है तो जा कर ले लें।

चौधरी इन्द्र सिंह : अगर मिल सकती हैं तो उसका public interest कहां है ?

मुख्य मंत्री : इसका रिवाज है, custom है। House में इसी तरह इत्तलाह दी जाती है।

श्री बलराम दास टंडन : जब rules के मुताबक एक आदमी को copy मिल सकती है तो क्या उस convention को ठीक करने के लिए तैयार हैं ?

मुख्य मंत्री : मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि Anti-social people can take advantage of it.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या Chief Minister साहब की knowledge में ऐसी बातें आई हैं कि Licences grant करते वक्त जो हकदार आदमी हैं उनको Licences grant नहीं किए जाते, जो conditions fulfil नहीं करते उनको किए जाते हैं ?

मुख्य मंत्री : नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है।

SCHEDULED CASTE PERSONS IN POLICE FORCE IN THE STATE

***5280. Chaudhri Sunder Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of persons belonging to the Scheduled Castes amongst the Constables, Head Constables, A.S.Is., S.Is., District Inspectors, D.S.Ps, A.S.Ps, and S.Ps, in the regular Police force as well as in the P.A.P. separately in the State?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : The number of persons belonging to the Scheduled Castes rank-wise in the Police Force in Punjab (other than P.A.P.) is Constables (1447), Head Constables (25), A.S.Is (11), S.Is (nil), Inspector (1), Deputy S.Ps. (2), A.S.P.s (3) and S.P. (1) and in the P.A.P. Constables (1019), Head Constables (48), A.S.Is (12), S.Is (6), Inspector (nil) D.S.Ps (nil) and S.Ps. (nil).

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ percentage ਬੜੀ low ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। (The hon. Member did not ask for this information in his original question.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ Deputy ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ percentage scheduled castes ਲਈ reserve ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ figures ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ?

उप मंत्री : उस के मुताबिक कम हैं। पूरा करने की कोशिश की जाती है। नई recruitment में कोशिश कर रहें हैं। जो पुरानी है उस के लिये हम कुछ नहीं कर सकते।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਨਵੀਂ recruitment ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

CASES OF MURDERS REGISTERED AT POLICE STATION BAHADURGARH, DISTRICT ROHTAK

***5326. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of murder cases registered at the police station Bahadurgarh, district Rohtak, during the year 1959 together with the number of cases in which the accused were awarded punishment ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): Three cases were registered at P.S. Bahadurgarh during the year 1959. Of these cases, in one case the accused was convicted and senteneed to five years rigorous imprisonment under section 201, I.P.C., by the Sessions Judge, Rohtak, one case is pending in the court of Sessions and the third is still under investigation with the Police.

श्री मंगल सैन : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि बहादुरगढ़ के थाने में 302 का एक गलत case दर्ज हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आपने तो murder cases पूछें हैं, इसके बारे में उन्हों ने बता दिया है। (The hon. Member has enquired the total number of murder cases and the hon. Deputy Minister has stated that.)

श्री अध्यक्ष : जो cases register हुए हैं उनमें कोई गलत भी हैं ?

श्री राम प्यारा : क्या Deputy Minister साहब बताएंगे कि जिन accused को पकड़ा गया क्या किसी accused को छोड़ दिया गया कि मुकद्दमा गलत दर्ज हुआ है ?

Mr. Speaker : I do not allow this. It is irrelevant.

CASES OF CORRUPTION REPORTED AGAINST GOVERNMENT OFFICIALS IN THE STATE DURING THE YEARS 1957 AND 1958, RESPECTIVELY

***5332. Shri Balram Das Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of cases of corruption reported against Government officials in the State, district-wise, during the years 1957 and 1958 respectively, and the name and rank of the persons against whom action has been taken together with the punishment awarded in each case ?

Sardar Partap Singh Kairon : The information regarding the total number of cases of corruption reported against Government officials in the State, district-wise, during the years 1957 and 1958 is given in the statement which is laid on the table of the House.

As regards the names and ranks of the officials punished, the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be derived.

Statement showing district-wise the total number of cases of corruption reported against Government Officials during the year 1957 and 1958

Serial No	District		Year 1957	Year 1958
1	Ambala	..	52	39
2	Karnal	..	45	50
3	Rohtak	..	47	36
4	Gurgaon	..	14	18
5	Hissar	..	44	35
6	Simla		2	9
7	Patiala	..	37	39
8	Bhatinda	..	31	41
9	Sangrur	..	21	32
10	Mohindergarh	...	20	13
11	Kapurthala	..	9	14
12	Jullundur	..	65	37
13	Amritsar	..	79	78
14	Ludhiana	..	60	22
15	Ferozepore	..	73	4
16	Hoshiarpur	..	66	38
17	Gurdaspur	..	65	26
18	Kangra	..	25	17
19	Delhi	..	..	5
	Total	..	746	603

श्री बलराम दास टंडन : क्या Chief Minister साहब बताएंगे कि उन लोगों के नाम इकट्ठे करने में और ranks वगैरह देने में ऐसी क्या खास दिक्कत थी ?

मुख्य मंत्री : Files में से ढूंढने पड़ते हैं, बहुत time लगता है।

श्री बलराम दास टंडन : जरूरत तो इस बात की है कि बड़े ranks के लोगों को कितनी सजा मिली है।

श्री अध्यक्ष : एक report press में चली आती है। उसमें कई नुक्स होते हैं। उनको एक जैसा ही न लें। (A report about a case appearing in the Press may be defective in many ways. Those cases should not be taken in that light.)

श्री बलराम दास टंडन : जिन को सज़ा मिली है मैं तो उनके बारे में पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : Cases register होते हैं । नाम बता दें । (The cases are generally registered. Let the hon. Member mention a particular case.)

श्री बलराम दास टंडन : Corruption के बारे में किन किन को सज़ा मिल चुकी है, यह बताया जाए ताकि पता चले कि किस किस rank के हैं ।

Mr. Speaker : The first part of the main question asked by the hon. Member is :

> " the total number of cases of corruption reported against Government officials in the State . . . ."

Whereas its second part is :

> " the name and rank of the persons against whom action has been taken together with the punishment awarded in each case "

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, डेढ़ सौ या दो सौ आदमी हैं जिन को सज़ा दी है जैसा कि Governor साहिब के address में बताया है । मैं ने उनके बारे में पूछा है कि वे कौन कौन rank के हैं ?

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल है आप इसे छोड़िए । (I think the hon. Member should leave it)

श्री बलराम दास टंडन : उन्होंने 180 बताए थे । तो हम जानना चाहते थे कि किस किस rank के आदमी को कितनी कितनी सज़ा मिली । छोटे आदमियों को सज़ा मिलती है और बड़े escape कर जाते हैं ।

Mr. Speaker : The question hour is over.

श्री बलराम दास टंडन : इस सवाल पर कल supplementaries की इजाज़त देंगे ?

Mr. Speaker : No.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ALLOTMENT OF LAND TO HARIJANS FOR MANURE-PITS AND CONSTRUCTING HOUSES IN TEHSIL MOGA, DISTRICT FEROZEPUR

2048. Sardar Sohan Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of those villages in tehsil Moga, district Ferozepur, where Harijans have been allotted land for manure-pits and constructing houses during the consolidation operations ;

(b) the names of those villages in the said tehsil where Harijans have not been allotted any land for the aforesaid purposes and the reasons therefor ;

(c) the steps now proposed to be taken to allot land to Harijans for manure-pits and constructing houses in villages mentioned in the part (b) above ?

Rao Birendar Singh : (a) A list of the villages where Harijans have been allotted land is enclosed.

(b) (i) A list of the villages where Harijans have not been allotted land is also enclosed.

(ii) The reasons for the non-allotment of such area is that these villages were consolidated before Government instructions for such a reservation were issued.

(c) In view of the reply to part (b) this does not arise.

List showing the names of villages where the Harijans have been allotted land for Manure-pits and constructing Houses during consolidation operations in Moga tehsil.

Serial No.	*Name of Village*	*Serial No.*	*Name of Village*
1	Thuthrana	45	Hariya Wala
2	Joga Wala	46	Nathu Wa la
3	Mehesri	47	Chhota Ghar
4	Ka liya Wala	48	Bara Ghar
5	Daulat Pura Uncha	49	Langiana Nawan
6	Daulat Pura Niwan	50	Langiana Purana
7	Khosa Pande	51	Jaima l Wala
8	Rania	52	Gajjan Wala
9	Ghall Kalan	53	Chand Nawan
10	Dunne Ke	54	Chand Purana
11	Dhalle Ke	55	Jai Singh Wala
12	Lande Ke	56	Gill
13	Bhughi Pura	57	Bagha Purana
14	Taiwandi Bhangerian	58	Kale Ke
15	Desnn ih	59	Gholia Ka lan
16	Rauli	60	Gholia Khurd
17	Mehna	61	Rania n
18	Chughawan	62	Buttar
19	Kekri Heran	63	Donohar West
20	Dapura	64	Lopon
21	Killi Chahlan	65	Badhni Kalan
22	Chuhar Chak	66	Rai Ke Kalan
23	A jit Wal	67	Manu Ke
24	Dhudhi Ke	68	Natho Ke
25	Madhe Ke	69	Rajiana
26	Takhan Wadh	70	Roda
27	Jhandiana	71	Natho Wa la
28	Matwani	72	Bhallur
29	Kokri Phu la Singh	73	Landa
30	Dala	74	Smalsar
31	Dhur Kot Kalan	75	Panj Garain Khurd
32	Mohron	76	Mal Ke
33	Bhona	77	Sibian
34	Khota	78	Bambia Bhai
35	S inghan Wala	79	Wandar
36	Bukan Wa la	80	Sukha Nand
37	Safu Wa la	81	Thath Bhai
38	Daroli Bhai	82	Sekha Kalan
39	Koera Ka lan	83	Vero Ke
40	Sosan	84	Kotla Mehr Singh Wala
41	Baghela Wala	85	Ladhai Ke
42	Mange Wala	86	Mari
43	Mehla Kalan	87	Dhilwan
44	Mehala Khurd	88	Tharaj

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of Village	Serial No.	Name of the Village
89	Kotla Rai Ka	107	Minian
90	Channu Wala	108	Kussa
91	Samdh Bhai	109	Rama
92	Raunta	110	Balas pur
93	Kishan Garh	111	Machhi Ke
94	Burj Hamira	112	Budh Singh Wala
95	Khai	113	Sandhuan Wala
96	Patto Hira Singh	114	Charik
97	Ransin Khurd	115	Nathu Wala
98	Ransin Kalan	116	Dada Hur
99	Nihal Singh Wala	117	Ramun Wala Kalan
100	Mehdev Ke	118	Ramun Wala Nawan
101	Saido Ke	119	Ramun Wala Harchoka
102	Himmat Pura	120	Budh Singh Wala
103	Takhtu Pura	121	Purana Wala
104	Dhur Kot Ransin	122	Kokri Kalan
105	Nangal	123	Daudhar East
106	Boda	124	Patti Sandhuan

List showing the names where Harijans have not been allotted any land for the Manure Pits and constructing Houses during the Consolidation Operations in Moge Tehsil

Serial No.	Name of Village	Serial No.	Name of the Village
1	Saho Ke	30	Malhian Wala
2	Chhida	31	Bishan Pura
3	Dalu Wala	32	Tatare Wala
4	Maur Nau abad	33	Khera Swadh (Be Chiragh)
5	Jita Singh Wala	34	Chak Bija sar (Be Chiragh)
6	Gulab Singh Wala	35	Dhul Kot Tahli
7	Sangat Pura	36	Dhul Kot Charat Singh
8	Bhagi Ke	37	Jhandiana
9	Gajiana	38	Nidhan Wala
10	Lohara	39	Saliana
11	Patti Diwana (Be Chiragh)	40	Dagru
12	Baro Wala	41	Nahal
13	Patto Jowahar Singh	42	Khota
14	Bir Badhni	43	Nawan Moga
15	Bir Rao Ke	44	Thaman Wala
16	Badhni Khurd	45	Dada Hur
17	Maliana	46	Pekha
18	Burj Duna	47	Sada Singh Wala
19	Phule Wala	48	Chuhar Singh Wala
20	Patto Didar Singh	49	Kahan Singh Wala
21	Didare Wala	50	Burj Sahiba
22	Demru Kalan	51	Chotian Kalan
23	Demru Khurd	52	Chotian Khurd
24	Sekha Khurd	53	Kina
25	Ugeke	54	Koera Khurd
26	Mohan Wala	55	Jhande Wala
27	Pathan Garh (Be Chiragh)	56	Moga Mehla Singh (Denotified).
28	Chotian Thuba	57	Moga Jit Singh (Denotified).
29	Mandiran Wala		

PERSONS ENTERED IN REGISTER 'B' OF POLICE STATIONS SHAHABAD AND THASKA MIRAN JI

2396. Shri Jagdish Chand : Will the Chief Minister be pleased to state the names of persons with their addresses whose names are entered in register 'B' of police stations Shahbad and Thaska Miran Ji, district Karnal.

Sardar Partap Singh Kairon : The relevant record of the Police Department is of confidential nature. As such it is not in the public interest to disclose the information asked for in the question.

SHAHABAD BLOCK

***2397. Shri Jagdish Chand :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the names of those villages in Shahabad Block (district Karnal) where all the drains have been made pucca ;

(b) the date when the said block was opened ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) (1) Atwan, (2) Bhusthala, (3) Sambhalki, (4) Harijan Colony of Charuni Jattan, and (5) Teora.

(b) 1st April, 1957.

TERMINATION OF SERVICES OF OFFICERS OF PUBLIC WORKS DEPARTMENT (BUILDING AND ROADS)

2398. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names of those officers of the P.W.D. (B. and R.) whose services were terminated during 1958-59 and the current year with reasons therefor in each case :

(b) whether the officers mentioned in part (a) above were duly charge -sheeted before the termination of their services ; if not, the rules/regulations under which their services were terminated ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) The Services of Sarvshri R.B.L. Bedi, and Y.R. Mohindroo, Temporary Assistant Engineers, were terminated on payment of one /three months' salary under the terms of their appointment during the year 1958-59 and current year. The services of the former were terminated due to irregularities committed by him and the latter on account of bad reports and careless work ;

(b) No charge-sheet is required to be served when the services are to be terminated under the terms of appointment.

---

3. 00 p.m.

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61 (CONTD)

Mr. Speaker : The House will now resume general discussion on the Budget. Raja Raghuvir Singh was in possession of the House when it adjourned the other day. He may resume his speech.

राजा रघुबीर सिंह (कुल्लू जनरल) : स्पीकर महोदय, मैं अर्ज़ कर रहा था कि वहां की backwardness को दूर करने के लिये potentialities हैं, वहां के लोगों के मन में त्साह भी है। इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल बता रहा था कि जलौड़ी में जो कि दस हज़ार फुट की बुलंदी पर वाक्या है जब एक heavy wagon पहुंचना

[राजा रघुवीर सिंह]
शुरू हुआ तो तमाम लोगों ने उस इलाका में आलू लगा दिये। बावजूद इस बात के कि वहां पर निहायत सख्त सरदी पड़ती है फिर भी लोग वहां रात को भी रहते थे। वे लोग अपने माल को market में पहुंचाने के लिये बहुत ज्यादा खाहिशमंद थे और मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। वे लोग अपने माल को मंडी में पहुंचाने के मुहताज हैं सरकार की तरफ से उन को proper guidance होनी चाहिये और जरूरी facilities मिलनी चाहियें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि वह कुल्लू के इलाके की backwardness को दूर करना चाहती है। नजदीक के इलाके में अफसर लोक और Ministerr जाते भी हैं लकिन दूर के इलाके में जहां की हालत देखने के काबिल है, जहां कि उन को पहुंचना चाहिये वहां पर न तो अफसर लोग ही जाते हैं न ही वहां पर पहुंचने के लिये मिनिस्टर साहिबान के पास फुर्सत होती है। इस में शक नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहिब की तवज्जोह साल में दो बार लाहौल के tribal area की तरफ जरूर जाती है। लेकिन चूंकि वह इलाका तिब्बत के बार्डर पर वाक्या है इस लिये उस तरफ अब खास तवज्जोह देने की ज़रूरत है। आज चूंकि वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा है इस लिये दो चार ज़रूरी बातें मैं निहायत नम्रता के साथ आप के द्वारा सरकार के गोशो गुज़ार करना चाहता हूं। अगर हमारी सरकार चाहती है कि उस इलाके की development की जाए तो सब से पहले उन्हें सड़कें बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिये। वहां पर सिर्फ एक सड़क बनी हुई है जो कि पठानकोट से मनाली तक जाती है। कुल्लू वैली में सत्तर फीसदी आबादी left bank पर है और तीस फीसदी आबादी right banck पर रहती है। वहां पर एक स्कीम बनी थी कि एक jeepable road बनाई जाए। लेकिन बाद में certain vested interest का clash पैदा हो जाने की वजह से उस को drop कर दिया गया।

लोक कार्य मंत्री : वह vested interest क्या हैं ?

राजा रघुवीर सिंह : जिस आदमी को वहां पर मोटर चलाने का licence मिलना होता है वह समझता है कि उस में उस को फायदा नहीं होगा। जिन लोगों को licence मिला हुआ है वे वहां पर बस चलाते नहीं हैं इस तरह से clash पैदा होता है। वे लोग P.W.D. के अफसरों से मिल जाते हैं और यह लिखा दिया जाता है कि this road is unfit for regular service इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि सब से पहले वहां पर सड़कों के बनाए जाने की ज़रूरत है। ताकि एक तो लोग खुद इधर उधर आ जा सकें और दूसरे उन का माल मंडियों में पहुंच सके।

स्पीकर साहिब, मैं इस के आगे यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि उस इलाके की तरक्की के लिये बहुत जरूरी है कि वहां की cottage industry को Gramudyog जैसी facilities दी जाएं। जिस प्रकार सरकार ग्रामोद्योग के बने हुए कपड़े

पर rebate देती है उसी प्रकार कुल्लू में घरों में जो चीजें बनती हैं उन पर सरकार को rebate देना चाहिये ताकि उस माल की खपत हो और वहां के लोग पेट भर कर खाना खा सकें। वहां पर घर घर में जोलाहे रहते हैं, spinning का काम उन को बखूबी आता है। घर घर में ऊन साफ करने और रंगने का सामान मौजूद है और लोग इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकफ हैं। घर घर में पटू और कम्बल आदि बनते हैं। परन्तु उन लोगों का माल बिकता नहीं है। उन लोगों ने बहुत कोशिश कर के एक Society बनाई। चौदह महीने का अरसा हो गया है लेकिन अभी तक उस को ग्रामोद्योग के साथ associate नहीं किया गया। माल उन के पास तैयार पड़ा रहता है। सरकार उस को certify नहीं करती कि यह शुद्ध खादी है और न ही उस पर rebate allow करती है। इस तरह से कदम कदम पर उन के रास्ते में रुकावटें पैदा होती हैं। इस का कारण यह है कि वे लोग politically awakened नहीं हैं, वे बहुत सादा लोग हैं। सरकार को उन की इस तकलीफ को दूर करने की तरफ जल्दी ही ध्यान देना चाहिये। Cottage industries को develop कर के वहां की economy को बढ़ाया जा सकता है। वह पंजाब का बेहतरीन से बेहतरीन potato producing area है। कुल्लू सब डिविज़न और पालमपुर का इलाका इस के लिये बेहतरीन है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस इलाके में एक भी सरकार का Potato Research Institute नहीं है जहां पर बढ़िया बीज पैदा होता हो। कुल्लू के लोग जानते ही नहीं हैं कि बढ़िया आलू कैसे उगाया जा सकता है। लोगों को इस सिलसिले में भी proper guidance देने की जरूरत है ताकि उस इलाके की तरक्की हो। (घंटी की आवाज़) जनाब मैं ने अभी बहुत सी बातें कहनी हैं। असल विषय जो है, बार्डर एरिया के बारे में मैं ने अभी कुछ नहीं कहा।

Mr. Speaker: Please wind up.

राजा रघुबीर सिंह: जनाब, मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि वहां के लोगों की आवाज़ पंजाब की विशाल राजधानी तक नहीं पहुंचती। मैं अर्ज़ करूं कि वहां पर एक Model Village बना हुआ था। Block Development वालों ने उस में कुछ नहीं किया था बल्कि उन्हों ने एक फट्टा ही लगा दिया था कि यह Model Village है। लोगों ने अपनी हिम्मत से ही उस गांव को बनाया था। नई तरज़ के मकान बनाए थे जिन में रोशनदान रखे गए थे। दुख की बात है कि वह गांव सारे का सारा जल गया। लेकिन अब जो मुआविज़ा वहां के लोगों को दिया जा रहा है वह बीस रुपया per family दिया जा रहा है। लोगों ने हजारों रुपये खर्च कर के मकान बनाए थे।

स्पीकर महोदय मेरे area में जगत सुख नाम का एक मशहूर गांव है। वहां से dispensary में से वैद्य को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वह इस महकमा के आला अफसर का एक रिश्तेदार था, जो यह चाहता था कि वह वहां न रहे। स्पीकर साहब, वह एक पहाड़ी इलाका है जहां आने जाने के साधन आप को पता है कि इतने ज्यादा नहीं। इसलिए किसी दिन वहां dispensary में कम लोग आते और किसी दिन ज्यादा।

[राजा रघुवीर सिंह]
लेकिन वह वैद्य महोदय क्या करते रहे ? जिस दिन दस आदमी आते उनमें से सिर्फ एक का नाम दर्ज करते और जिस दिन बीस आते तो दो। इस तरह वह उस dispensaiy का record बनाते रहे। इस तरह से हर दम उन की कोशिश यही रहती कि किस तरह से dispensary के अस्तित्व को sabotage किया जाए।

लोक कार्य मंत्री : चीफ मनिस्टर साहब वहां कई बार गए हैं।

राजा रघुवीर सिंह : वह तो गए लेकिन आपने तीन दफा वहां जाने के अपने programme को cancel किया।

लोक कार्य मंत्री : Director साहब वहां तीन बार जा चुके हैं।

राजा रघुवीर सिंह : जाते थे तो वह अपने उसी रिश्तेदार के लिए जाते थे जिस ने उस dispensary के record को ही ऐसे तरीके से बनाना शुरू किया ताकि उसको sabotage किया जाए (घण्टी) स्पीकर महोदय, अब थोड़ा सा बिजली के मुतअल्लक अर्ज़ करना चाहता हूं। ठीक है कि बिजली कुल्लू की वादी में पहुंच चुकी है और वह बजौरे के मुकाम से उस इलाके में दाखिल हुई है। वहां खम्बा लगा हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बावजूद इस बात के कि वह एक बड़ा important मुकाम है एक अच्छा गांव है, छोटा सा बाजार भी है, लेकिन उस जगह बिजली supply नहीं की गई। यदि यह कहा जाए कि चराग तले अन्धेरा तो असंगत बात न होगी। वहां तो बिजली दी नहीं गई लेकिन आगे चल कर दी गई है। यह switch over उस वक्त हुआ जब राड़ेवाला साहब Irrigation के मनिस्टर थे। मैं नहीं कहता कि उस से अगले गांव वालों को बिजली क्यों दी गई। जरूर देनी चाहिए। लेकिन यह बात समझ में नहीं आ सकती कि बीच के हिस्से को छोड़ दिया गया। इस तरह से department की working का काम चल रहा है। इस तरह से लोगों को सही तौर पर तसल्ली नहीं होती। चाहिए तो यह कि जिस काम की जरूरत पहले हो वह पहले किया जाए और जो जो बाद में शुरू हो उसे बाद में पूरा किया जाये लेकिन यहां पर उलटा ही सिलसिला चला। जो काम बाद में होने वाला था उसे पहले pursue किया गया। क्या यह इसीलिए कि उन लोगों के हितों को देखने वाला यहां कोई नहीं ? (घण्टी) स्पीकर साहब, मैं तो administration की बाबत अर्ज करने वाला था।

श्री अध्यक्ष : जब वह demand आएगी तो उस वक्त बोल लेना (He may discuss it when the relevant demand comes under discussion.)

राजा रघुवीर सिंह : जनाब मैंने cut motion का notice भी दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : बजट की general discussion पर cut motion का सवाल ही पैदा नहीं होता। (The question of giving notice of a cut motion does not arise during the course of general discussion of the Budget.)

राजा रघुवीर सिंह : जनाब, मैंने उस demand पर ही cut motion का notice दिया हुआ है। अगर आप मुझे उस वक्त बोलने का मौका देंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं वादा नहीं कर सकता। Cut motion का notice देने से इस बात के लिए आप का हक नहीं बन जाता कि आपको जरूर time मिले। (I cannot make any commitment. Merely giving of a notice of a cut motion to a demand does not confer on him the right to speak.)

राजा रघुवीर सिंह : बहर हाल स्पीकर महोदय, मैं आप का धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। आखिर में मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर पहाड़ी इलाका की economy को सही मायनों में ठीक करना है तो जरूरी है कि वहां के natural resources को exploit किया जाए। वहां की ज़मीन चाहे लोगों के लिए पूरी खुराक पैदा न करती हो लेकिन natural साधन वहां ऐसे हैं जो उनकी आमदन को बढ़ा कर उनके economic standard को ऊँचा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर herbs हैं-- मैं उनका जिक्र नहीं कर पाया, समय थोड़ा है उनकी खोज करके chemicals और medicines बनाई जा सकती हैं। Forest की wealth है। सरकार को चाहिए कि इन तमाम बातों का सही तौर पर और पूरी seriousness के साथ survey किया जाए और इस तरह उस backward इलाके को ऊपर उठाया जाए।

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖ਼ਿਆਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ circular ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ Drainage Department ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ drains ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਕਿ ਉਹ Third Five-Year Plan ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਡਰੇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ drain ਦੇ ਉਤੇ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ estimate ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਾਲ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚਾਲੀਂ ਬਨਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ link drains ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅਜ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗੜ ਡਰੇਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਥੋਂ department ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ voluntary basis ਤੇ ਇਹ drain ਖੁਦ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ information ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਖੁਦੀ ਹੋਈ drain ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 2 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ importance ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ seriousness ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ—ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ link drains ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨਪੁਰ ਰਾਜਬਾਹ ਹੈ, ਗੰਗੂਵਾਲੀ minor ਹੈ—ਉਥੇ Syphons ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਕਨੀ drain ਹੈ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ—ਭਾਵੇਂ officials ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ co-operate ਕੀਤਾ—ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ voluntary basis ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ voluntary basis ਤੇ ਸੇਵਾ acquire ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ drain ਬਣੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 16 ਮੀਲ ਲੰਬੀ drain ਵਾਸਤੇ 2 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਾਏ "ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣ" ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਡਰੇਨਾਂ—ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਡਰੇਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਨ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ drains ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ department ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ drains ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ area ਵਿਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ area ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ Radcliff Award ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਨਾ

ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉਪਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਧੁਸੀ ਬਨ੍ਹ ਟੁਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ Radcliff Award ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਧੁਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕਸੂਰ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟੀ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ drain off ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਥੇ ਸੇਮ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਢਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਬਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁਟਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜਬਾਹਾਂ ਦੀ survey ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫਤਿਹਨਗਰ ਤੇ ਰਣੀਆ ਰਾਜਬਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਅਗੇ ਹੀ ਸੇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਤੱਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹਾੜੀ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ drain off ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਥੇ ਹੋਰ ਰਾਜਬਾਹ ਪੁਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ seepage ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣੀਆਂ ਰਾਜਬਾਹ ਵਲ ਮੁੜ ਕੇ ਤਵਜੁਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 61 ਹਜ਼ਾਰ R. D. ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਾਂ survey ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਬਾਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ tube-well ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ tube-wells ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ connections ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ । ਫਿਰ ਜਿਥੇ connections ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਪਾਸ ਪੰਡਤ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ tube-wels ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ tube-well ਚਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਸੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ । ਉਥੇ perchance ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਹਫਤਾ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਮਿਲੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹਾਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ Board ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ supply ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ board ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਤਨੀ shortage ਹੈ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ actually ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ । ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ minimum consumption guarantee ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲ ਵਿਚ tube-wells ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Electricity Board ਅਗੇ ਸਿਫਾਰਸ਼

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ autonomous board ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ unity conference attend ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ minimum consumption guarantee ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਛਡ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਪਿਆ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ tube-wells ਦਾ ਗੇੜ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ industries ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਠੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਖਣ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ industries ਵਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ Minister for Industries ਨੇ ਗੁਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਿੰਜਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ liabilities ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਜਾਣਗੇ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ import licenses ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ essentiality certificates ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ certificate ਦੇ issue ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿਆਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੋਲ electric power ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੀ building ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ required machinery ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ production ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ essentiality certificate ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ records ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗੀ।

ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ firm ਨੂੰ essentiality certificate ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ application ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ machinery ਵਾਸਤੇ apply ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ certificate produce ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੀ electric power ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ District Level ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਹੀ essentiality certificate ਮਿਲ ਗਿਆ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇਕ firm ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਦਾ ਮੈਂ case ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ machinery ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ building ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ electric power ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ District Level ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ certificate ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਬਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ।

ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ Royal Foundary, Batala ਹੈ । ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ 16 ton alloy steel ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਆਬ ਲੋਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ import licence ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ 16 ton alloy steel ਦੀ ਕੀਮਤ 42,200 ਰੁਪਏ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ import licence ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ? ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ Minister for Industries, Director Industries ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਕਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਥੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫਰਮ ਲਈ import license ਬਣਵਾ ਲਿਆਏ ਸਨ । ਇਹ 16 ton alloy steel ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 42,200 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ challenge ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਆਪਣੀ foundry ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਇਤਨਾ alloy steel consume ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਹ licence ਕੇਵਲ ਇਸ 16 ton alloy steel ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੰਜੀਆਂ ਅਤੇ scrap iron ਲਈ ਵੀ import licence ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਕਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦਿਵਾ ਆਏ ਨੇ । ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ essentiality certificate ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਏ ਜਾਣ । ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਲ ਵੀ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ Demands ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ Address ਤੇ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ second chance ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਜੋ front benches ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਚੂੰਕਿ party ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ discrimination ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। (Those hon. Members who have already spoken on the Governor's Address will not get another chance to speak. But the case of the front benches is different as this has been conveyed to me in writing by their party. There will, however, be no discrimination.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा (जालन्धर शहर, दक्षिण-पश्चिम) : स्पीकर साहिब, मैं ने डाक्टर भार्गव के भाषण को बड़े गौर से पढ़ा है और राज्यपाल महोदय के भाषण को भी गौर से पढ़ा है। मुख्य मन्त्री जी ने जो शुक्रिये के प्रस्ताव पर तकरीर दी थी उस को भी गौर से सुना था। इन सब को सुन कर ऐसा मालूम होता है कि पंजाब State में सब अच्छा है। डाक्टर साहिब को गिला है कि मैम्बर साहिबान बजट के हुसनोकबाह पर कुछ नहीं कहते, और law and order पर ही बातें करते हैं। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि दो साल हुए इस वज़ारत ने एक कमेटी बनाई थी Resources and Retrenchment Committee उस ने साल हुआ कुछ सिफारिशें की थी। मालूम हुआ है. उन में 17 करोड़ रुपए की बचत करने के सुझाव दिए गए हैं मगर उस की Report को cold storage में रख दिया गया है। तो जब मैम्बर साहिबान ऐसी बातें सरकार की देखते हैं तो वह भी भला क्यों सरदर्दी करें जब किसी अच्छी बात पर अमल ही नहीं होता। खैर मुख्य मन्त्री फ़रमाते हैं कि State में सब अच्छा है। स्पीकर साहिब आप भी अपनी constituency को represent करते हैं। आप ने अपने इलाके में ही देखा होगा कि किस तरह चीनी का rationing है और तंगी है और बिजली भी नहीं मिलती। आज इस State में खांड permit पर लेनी पड़ती है, आटा permit पर लेना पड़ता है, विवाह शादी पर मैदे और दूसरी चीज़ों का permit लेना पड़ता है, loudspeaker, बिजली, कोयला permit पर लेना पड़ता है। soft coke बिल्कुल नहीं मिलता। अब तो यह नज़र आता है कि इनसानों को जिन्दा रहने के लिए भी इस वज़ारत से permit लेना पड़ेगा। मौलवी साहिब को तो उन्हों ने कह ही दिया था कि तेरी मौत आई है। इस तरह यह नज़र आ रहा है कि जो जिन्दा रहना चाहेगा, उसे मुख्य मन्त्री जी से permit लेना पड़ेगा। जो हालात आज यहां हैं वह आप के सामने हैं। जालन्धर में factories को 6, 7, दिन में सिर्फ 3 दिन के लिए 6, 6 घंटे के लिए बिजली मिलती है जिस की वजह से उन का कारोबार बंद पड़ा है। अब State में जो सब अच्छा है वह आप समझ सकते हैं।

फिर law and order की जो हालत है वह भी आप के सामने है । अभी आप के सामने यहां पर सवालों का जवाब नहीं दिया गया। एक लड़की जो जिन्दा थी उस को मुर्दा दिखला कर case चलाया गया। वह जब दिल्ली में दूसरा ही case चला तो यह राज़ अफशा हुआ। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं यहां। फिर, स्पीकर साहिब, आप को पता होगा कि आप के इलाके में elections से पहले एक डाका पड़ा तरण तारण में। डाकू रात को 2 बजे आए। जब डाकू मकान में दाखिल हुए तो उस आदमी को मार कर चाबियां हासिल करनी चाहीं। इतने में उस आदमी की नौजवान लड़की जो graduate थी उन के सामने आई। उस को उन्होंने वहीं ढेर कर दिया । डाकू माल लेकर चले गए। दो साल तक तफतीश होती रही। मुख्य मन्त्री जब elections पर वहां गए तो उन लोगों ने शोर मचाया तो इन्होंने कहा फिक्र न करो मैं ढूंडकर बताऊंगा और मुल्ज़िमों को सज़ा मिलेगी । elections गुज़र गई और इन को votes मिल गए। जब फिर गए तो कहने लगे मुझे तो नींद नहीं आती रात को। तब लोगों के दबाव डालने पर S.S.P. को बुलाया। उस ने D.S.P. को बुलाया और कहा कि तुम नादूशाह बने हुए हो, मुल्ज़मों का पता लगाओ और उन्हें गिरफ्तार करो। चुनांचि मुल्ज़म गिरफ्तार हो गए और मुकद्दमा चला। उन चार मुल्ज़मों में से एक ने जज के सामने ब्यान दिया कि मैं तो उस वक्त जेल में था जब यह case हुआ बताया जाता है। Sessions Judge ने यह कह कर कि सब गवाहियां झूठी हैं सब मुल्ज़मों को बरी कर दिया। इस तरह का law and order चल रहा है । फिर, स्पीकर साहिब, यह डाक्टर काली चरण, जो इन का अपना आदमी है, का अखबार 'महापंजाब' मेरे पास है। इस की अगर एक पर्चे की कापी उठा कर देखें तो आप देखेंगे कि उस में पुलिस के मुताल्लिक किस किस्म की सुर्खियां हैं और यह बताया गया है कि किस तरह की बातें सरे बाज़ार और खुले आम लुध्याना में की गई हैं । यह कोई पुरानी बात नहीं। यह पर्चा एक मार्च का है और इन के अपने आदमी का अखबार है, हिन्द समाचार नहीं है। और यह वह अफसर हैं जिन को करनाल case में strictures मिले हैं मगर उन पर किसी किस्म का curb नहीं और वह खुले बदों ऐसी बातें कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री यहां बैठे नहीं हैं मगर मैं उन्हें उस नुक्ते के बारे बताना चाहता जो श्री प्रबोध चन्द्र जी ने उठाया था कि metro motors को certificate दिया गया और बदले में इन के लड़के को agency दी गई । उन्हों ने इनकार किया। स्पीकर साहिब, मैं एक photo लाया हूँ आप को दिखाने के लिए। इस में आप देखेंगे कि यह जो मोटरों की दुकान है इस पर जहां metro motors का बोर्ड लगा हुआ है वहां उस के ऊपर national motors का बोर्ड लगा हुआ है। अगर, जनाब, आप जालन्धर जा कर देखें और दुकान खुली हो तो आप देखेंगे कि उस में कोई partition नहीं है । (*Interruption*) मगर यह शायद कहेंगे कि National motors का मेरे लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है । (*Interruption*) मेरे पास East Punjab Motion Pictures की वह चिट्ठी है जो वह हर महीने अपने आदमियों को भेजते हैं । जहां

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]
पहले इन्होंने motors की agency ली है अब film distribution का काम भी शुरू कर दिया है । इन की firm का नाम है M/s Gurdesh Film Distributors, Jullundur । उस के जो मालिक हैं उन के नाम हैं सरदार सुरिन्दर सिंह, सरदार गुरिन्दर सिंह और सरदार ऐशपाल सिंह । यह इन के पोते का नाम है । मैं जो बात यहां बताना चाहता हूँ वह यह है कि इस film कम्पनी को National motors की तरफ से 41,000 रुपए दिये गये । अगर यह इन की अपनी ही कम्पनियां न होतीं तो यह रुपया जमा कराने की जरूरत क्या थी ।

अगर, स्पीकर साहिब, आप इस cheque का नंबर जानना चाहें तो मैं वह भी आप की खिदमत में पेश कर सकता हूं । मैं पंडित मोहन लाल जी से दरखास्त करूंगा कि वह इस cheque का नंबर note कर लें । इस cheque का No. है 137561 drawn on Bank of Patiala by National Motors infavour of East Punjab Motion Pictures Association. यह है गुरदेश films के बारे में ।

वित्त मंत्री : यह documents जो लाला जी पेश कर रहे हैं files पर आने चाहिएं ?

श्री अध्यक्ष : इन्हें file पर लाने की ज़रूरत नहीं । Proceedings में जो आ चुके हैं । (It is not necessary to bring such documents on the files. These have already found a mention in the proceedings.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : **ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ** photo **ਅਤੇ ਬਾਕੀ** documents **ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।**

श्री जगत नारायण चोपड़ा : Passport scandal के बारे में सब जानते हैं और आपको भी, स्पीकर साहिब, इलम है । Passport scandal जिस में न सिर्फ अपने मुलक में बल्कि दूसरे मुलकों में और सारी दुनिया में पंजाब का नाम जिस तरह रोशन हुआ है वह सब जानते हैं ।

श्री अध्यक्ष : Passport तो Centre का मसला है । (Passport is a subject of the Central Government.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : जनाब, मैं Central Subject को refer नहीं करना चाहता । मैं तो सिरफ यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि passport racket में पंजाब की पुलिस ने किन लोगों को पकड़ा है । मैं किसी subjudice case के बारे में कोई बात नहीं करूंगा । मैं सिरफ इतनी अर्ज़ करना चाहता हूं कि corruption नीचे से नहीं चलती ऊपर से चलती है । मैं Ranjit Travel

Agency के एक invitation card को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो 19-5-59 को issue किया गया। ज़रा इसकी wording को गौर से सुनिए :—

"MESSERS RANJIT TRAVEL AGENCY,

requests the pleasure of————————————company on the auspicious occasion of the second anniversary of its Jullundur Branch
at Garden Party
at Ranjit Staff House near All-India Radio Station on Tuesday, the 19th May, 1959, at 5.00 p.m. sharp.

Hon'ble S. Partap Singh Kairon, Chief Minister, Punjab, has very kindly consented to grace the occasion."

यह नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहिब preside करेंगे या inaugurate करेंगे बल्कि लिखा है कि grace the occasion और फिर जो इसके करता धरता हैं श्री M.S. Johar वह तीन दफा गृफतार हो चुके हैं। और फिर यह वही हैं जिन्हों ने Deputy Minister के हां चीफ मिनिस्टर साहिब की Tea Party का सारा खर्चा बरदाश्त किया। मैं यह अपने पास से बातें नहीं बता रहा बलिक पुलिस के पास जो गृफतारी के warrants थे वह वहां पर ही serve हुए और इन्हों ने ज़िमनी report में जो ब्यान दिए उस में बताया कि मैं एक डिप्टी मिनिस्टर के घर में छुपा हुआ था और चाय का खर्चा मैं ने बरदाशत किया है। आप इसकी ज़िमनियां मंगवा कर देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि corruption ऊपर से चलती है। Scandals ऊपर से शुरू किए जाते हैं और उन लोगों की तरफ से जिन पर सूबे की बड़ी से बड़ी ज़िम्मेदारी है जिन के कंधों पर प्रांत का बोझ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी हालत में law and order किस तरह ठीक चल सकता है।

स्पीकर साहिब, Leader of the Opposition ने बहस का आगाज़ करते हुए मुख्य मन्त्री जी को certificate दिया है और कुछ हक में कहा। जब वह यहां से वापस गए और हम चार पांच आदमी बैठे तो उनसे पूछा कि सुनाओ आपने आज certificate दिया क्या बात है, कहने लगे कि किसी को मैं ने चीफ मिनिस्टर को रुपए देते नहीं देखा। इसके बारे में मैं अर्ज़ करूं कि पंजाब में एक महान त्यागी थे डाक्टर साहिब पंडित मोहन लाल और Chief Minister उन्हें अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने लाखों रुपया इकट्ठा किया और कई तरह की institutions चलाईं। उनकी बात यह थी कि जब दान लेने जाते थे तो लोगों को कहते थे कि मेरी चादर में बांध दो मैं इस माया को हाथ नहीं लगाता, यह तो कलेहनी है। वह दूसरों के लिए त्यागी थे। तो लोगों ने माया चादर से बंधवाते सुना था हाथ लगाते नहीं सुना था। हाथ से नहीं लेते थे। यहां पर आज वैसी ही हालत है। किसी ने लड़के के नाम पर ले लिया, किसी की wife लेती है। किसी ने लड़की के ज़रिए ले लिया, किसी ने इस कलेहनी को अपने कुड़म और सुस्र के नाम पर ले लिया और अगर कहीं पर दिक्त पेश आई तो किसी M.L.A. की मारफत या किसी को Director बना कर इस कलेहनी को ले लिया। हाथ नहीं लगाते। तो इस ढंग से corruption का सिलसिला जारी रहता है। (*Interruption*)

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

तो, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज वह बैठे हुए नहीं है, नहीं तो मैं उनकी याददाश्त ताज़ा करवाता । आप को, स्पीकर साहिब, याद होगा कि मुझ पर Leader of the Opposition और मौलवी अब्दुल ग़नी डार की तरफ से इलज़ामात लगाए गए जो आज Treasury Benches पर बैठे हैं । तो मुझे उस वक्त कहा गया था कि लाला जी आप Education का महकमा छोड़ दो । मैं ने उसी वक्त वह महकमा छोड़ दिया । लेकिन आज Treasury Benches की क्या हालत है । डाक्टर साहिब को छोड़ कर तीन बड़े वज़ीरों के केस तो High Command के पास हैं । Chief Minister, राड़ेवाला साहिब मुझे माफ करेंगे और Rao Birendar Singh—इनके Cases हाई कमांड के पास पड़े हैं और पंडित मोहन लाल जी जो परसों ब्यान देकर आए ह उसके बारे में अर्ज़ करूं कि किस तरह दूसरे के नाम पर licence दिया गया जिस में इनके लड़के का हिस्सा है । अगर आप चाहें, तो स्पीकर साहिब, मैं इसे पढ़ कर सुना सकता हूं । (*Interruption*)

उद्योग मंत्री : यह झूठ है, It is absolutely absurd.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मैं तो, स्पीकर साहिब, यहीं पढ़ कर बताना चाहता था कि यह permit इन्होंने दिए और किस तरह बीस हज़ार रुपया ऊपर ऊपर से ही ले लिया गया । (*Interruption*)

आप देख लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : Order please मैं आप को उसी Ruling की याद दिलाता हूं जो आपके वक्त में दी थी (I remind the hon. member of the same ruling which was given during his time as a Minister.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : जी मुझे याद है, substantive motion आनी चाहिए ।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि enquiry body का जो मशवरा इन्हें दिया गया है उसे case सौंप दो । मैं समझता हूं कि 9 में से तीन वुज़रा के cases तो High Command में पेश हैं और वह enquiry कर रहे हैं । बाकी मास्टर गुरबंता सिंह जी मुझे उम्मीद है माफ करेंगे कि इनके लड़के ने काफी ऊधम मचा रखा है । कुड़म के नाम पर और अपने लड़के के नाम पर जो ज़मीन इन्हों ने मुन्तकिल करवाई है वह सब जानते हैं ।

सामूहिक विकास मंत्री : मैं इसे challenge करता हूं ।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मैं अर्ज़ करूंगा कि एक Tribunal मुकरर कीजिए और इन charges की पड़ताल करवाईए । मुझ पर इलज़ाम लगाए गए थे । और High Command ने मुझे बरी कर दिया था । आप भी बरी हो लीजिए । हकूमत आपके हाथ में है । यह अफसरान आप के हाथ में हैं । Record आपके कबज़े में है । आप दे दीजिए इन allegations की enquiry किसी Agency को; मुझे भी पास बिठाइए तो आप को पता लग सकता है कि इन 9 वुज़रा में से कौन कौन

सच्चा है और कौन कौन झूठा। यह क्या हुआ कि वुज़राँ साहिबान के खिलाफ शिकायत हो और वही उस का इन्साफ करें। आपने, स्पीकर साहिब, कभी देखा और सुना है कि एक ही आदमी मुलज़म और मुनसफ हो। (घण्टी)

PERSONAL EXPLANATION BY THE MINISTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ): On a point of personal explanation, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜਮ ਦੇ ਨਾਂ transfer ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। (ਤਾਲੀਆਂ) (*Interruptions*)

PERSONAL EXPLANATION BY THE MINISTER FOR INDUSTRIES

Minister for Industries (Shri Mohan Lal): On a point of personal explanation, Sir. I also extend the same challenge to the hon. Member from Jullundur City, South West. If the charges levelled against me are proved, I will also retire from public life, otherwise he will be honourbound to do so.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ): ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ Discussion ਦਾ ਮਿਆਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਚੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਵੈਸੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾਰ ਕਢਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ for ਯਾ against ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ Finances ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Taxation ਦੀ Division ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ tax ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ taxable ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਬਾਰ commit ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ commitment ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 2,600 ਤੋਂ ਘਟ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਮੁਆਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ repeat ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਤਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਗਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ 5 ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਇਕ ਕੁਹਾੜ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੰਨਾਂ ਤੋਂ ਭੜੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਰਾਂਹੋਂ ਬਨਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਮੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਸ਼ੀਰਨੀ ਮੁੜ ਘਿੜ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਅਫਸੋਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ building ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੰਗਰ ਹੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਹੇ, ਡੰਗਰ ਗੋਹਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਘਰ ਸਾਫ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਰਖਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਫੇਰ merit ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਤਨੇ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ competition ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਲੀਮ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ economy ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਵੀ finances ਦੀ provision ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ development ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ position ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਨਜ਼ਰੀਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਏਦੂੰ ਵੀ ਵਡੇ ਮਹਾ ਮਹਾ ਪੰਸਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ Region ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ Region ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ Region ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ Center ਦੀ legislation ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਔਖਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 4/5 States ਦੇ ਮੁੜ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ Region ਦਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ economic ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ Region ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਤੱਈ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ political ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ important ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ reasons ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4 00 p.m.

ਜੇ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਇਕ ਵਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਥੇ 60 ਜਾਂ 70 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਖਾਸਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੱਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ induce ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। If I am convinced about its benefits, I will be for it. ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ area ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਰੌ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ character ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਨਾ ਬਾਣਾ ਕਦ ਤਕ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ If it is a new slogan, then I have nothing to say, and have no dispute about it. ਵੇਖਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਿਸ, ਕੀ services, All India Services, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸਾ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ and through Central Government Punjabis are everywhere in the world. ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

It is said that Punjabi Suba is inevitable, but all inevitable things are not good. For example, death is inevitable, but it is not a very much desired thing.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ Bombay ਦੀ death ਹੋਈ ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : Bombay ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ but no one could convince me that it would be for the good of the State. ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ— that there is no law and order in the State. It means that there is anarchy in the Province. There is no anarchy, but breaches

of law and order do take place, as it happens in every State. That is a normal feature, nothing unusual about it. ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ encounter ਹੋਈ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ blame ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ blame ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ Administration ਬਾਰੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ with force ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ—if there is corruption it should be suppressed with heavy and iron hands.

ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ crime has gone down very much. The number of criminal cases in the courts has considerably decreased. Crime that used to be before is not there now. ਲੇਕਿਨ corruption ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ special law ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ; ਇਕ special procedure ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੱਪਟ ਹਨ, special punishment ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ punishment ਸਿਰਫ class IV ਲਈ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

Sardar Ajmer Singh : A special procedure should be prescribed to deal with it. Corruption should be rooted out in every form wherever it exists. ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਵਖਰੇ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੋਤ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਧੂ, ਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗ਼ੈਰਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਹਮਣ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਤਹਜ਼ੀਬ, ਸਾਡਾ ਤਮੱਦਨ, ਸਭ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ there is no difference. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ separate ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਮੱਦਨ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਾਇਮ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ possible ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ economic prosperity ਕਾਇਮ ਰਹੇ । ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ, ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਇਥੇ ਦੀ economic condition ਦਾ ਉਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]
ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ । U.P. ਦੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ 'ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਗਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ' 'ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਦਾਣੇ ਉਸਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ' ਇਸਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ economically ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ State ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ Law and Order ਨਹੀਂ । ਅਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ figures ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ crime ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿੰਗਕੋਂਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ cover ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦਾ ਸੀ । ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ।

श्री प्रबोध चंद्र (गुरदासपुर, जनरल) : स्पीकर साहिब, आप की इजाज़त से मैं यहां खड़ा हुआ हूं। मेरी ज़बान पर बार बार एक शेयर आता है :

"सभी मुझ से कहते हैं कि नीची रख नज़र अपनी,
कोई उन से नहीं कहता कि न निकलो यूं अयां हो कर ।"

जनाब, आप ने जो मुझे Governor's Address पर बोलने का मौका दिया था उस वक्त मैं ने चंद बातें कहीं थीं। उस पर कुछ यहां बैठे दोस्तों ने और कुछ बाहिर के साहिबान ने शिकवा किया कि मैं सख्त बोला हूं। कई साहिबान ने यह कहा कि वह matter party discipline में आ जाता है। मुझे कहा जाता है कि तुम अपनी नज़र नीची रखो मगर उन से कोई नहीं कहता कि वह इतने अयां हो कर न निकलें। स्पीकर साहिब, आज कल मैं जो कुछ कहता हूं वह इस लिए नहीं कहता कि मुझे कुछ शौक है या मुझे वह चीजें अच्छी लगती हैं बल्कि मुझे पंजाब के करोड़ों लोगों की पुकार मजबूर करती है कि मैं वह बातें यहां पर कहूं, चाहे उस से कुछ लोग नाराज़ ही क्यों न हों। जनाब, Chief Minister साहिब ने फरमाया था कि Opposition

की तरफ से जो charges लगाए जाते हैं अगर उन में कुछ सचाई मालूम होती है तो वह मेरे पास आएं मैं उन को यकीन करवा दूंगा और अगर उन की satisfaction न हो तो किसी Independent Body से, जिस पर दोनों को विश्वास हो, फैसला करवा लिया जाए कि आए दिन जो charges लगाए जाते हैं वह ठीक हैं या ग़लत हैं। स्पीकर साहिब, अगर इन charges का ताल्लुक Chief Minister साहिब की ज़ात से होता तो हमें दुःख न होता। यह जो charges लगाए जाते हैं इन का असर बहुत दूर तक जाता है। अगर इस जमहूरियत के बच्चे ने पनपना है तो मैं समझता हूं कि यह जो इलज़ामात Opposition की तरफ से लगाए जाते हैं जिन को मेरे जैसे आदमी भी महसूस करते हैं कि वह ठीक हैं उन के बारे में एक बार फैसला हो जाना चाहिए, फिर इस बात का पता लग जाएगा कि वह इलज़ामात सियासी मकसद हल करने के लिए लगाए जाते हैं या वह दरुस्त हैं। Enquiry के बाद सब की नियत का पता लग जाएगा। कल हमारे Chief Minister साहिब ने कहा था कि मैं इस chair पर parachute के ज़रिये से तो नहीं उतर आया बल्कि 32 साल की सेवा के बाद मैं इस position पर पहुंचा हूं। मैं जो कहने लगा हूं उसे सुन कर शायद कुछ नौ मुस्लम वज़ीर यह कह दें कि मैं कुर्सी के लिए यह बातें कह रहा हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बेशक उम्र में मैं Chief Minister साहिब से छोटा हूं मगर मुझे भी इस public life में आए आज 33 साल हो गए हैं और मैं उस में एक ही दरवाज़े से, जो कि कांग्रेस का है, दाखिल हुआ था। न मैं ने मास्टर तारा सिंह की शरण ली है, न मैं डाक्टर गोपी चंद की गोद में बैठा हूं और न ही मैं ने लाला जगत नारायण की माता जी को कहा था कि मेरे और लाला जी के रूप ज़रूर दो हैं मगर जान हमारी एक ही है।

देखा जो तीर खा के कमींगाह की तरफ,
अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई।

स्पीकर साहिब, 33 साल से मैं वाहिद एक ही party का, Congress party का, वफादार रहा हूं।

चौधरी देवी लाल : आप की वफ़ादारी को सब जानते हैं।

श्री प्रबोध चंद्र : मैं आप को कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर झोटे को मार दिया जाए तो चमजुयें खुद बखुद मर जाती हैं। मैं जो कुछ कहूंगा उसे face value पर सोचा जाए। मुझे आज एक दो दोस्तों ने कहा कि चूंकि मुझे कुर्सी नहीं मिली इस लिए मैं charges लगाता हूं। जनाब, और कोई जाने या न जाने लेकिन Chief Minister साहिब जानते हैं कि मेरे लिए उस कुर्सी के पाने के लिए कोई लम्बी चौड़ी दीवार नहीं है। मैं जब Chief Parliamentary Secretary था तो मेरे इन के साथ कुछ इख्तलाफ हुए जिन की बिना पर मैं ने उसी वक्त resign कर दिया था। इस लिए कुर्सी वग़ैरह की जो बातें हैं वह बेबुनयाद हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन बातों से बड़ी बड़ी चीज़ें वाबस्ता हैं। आज जो कुछ कहा जाता है किसी न किसी तरीके से उस में पंडित नेहरू का नाम आता है जिन को दुनिया

[श्री प्रबोध चंद्र]

कहती है कि आप कैरों साहिब को क्यों support करते हैं। जनाब, सात आठ साल पहले मैं कैरों साहिब की बहुत इज्जत करता था क्योंकि उन दिनों में उन का सोचने का ढंग ठीक था लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि उन के ज़ाविए और सोचने के ढंग बिल्कुल बदल चुके हैं। आज पंजाब का बच्चा बच्चा कह रहा है कि पंजाब में शख़्सी हकूमत है और उन चंद आदमियों की हकूमत चल रही है जो Chief Minister साहिब के नज़दीकी रिश्तेदार हैं। आज जो लोग हमें ताने देते हैं जो कि इसी एवान में बैठे हैं मैं उन की बात बताता हूं। उन्हें कहा गया था कि सिर पर गांधी cap पहनो। उन्होंने कहा था कि मैं 303 की गोली खा लूंगा लेकिन टोपी नहीं पहनूंगा। वह लोग आज हमें ताने देते हैं जिन का Congress के मुताल्लक ऐसा विचार रहा है। मैं उन से अर्ज़ करूंगा कि हमें न कोई ज़ाती दुशमनी है, न कोई किसी किस्म की हिरस है और न किसी गद्दी की ज़रूरत है लेकिन जब यह इस किस्म की बातें होती देखते हैं और सुनते हैं तो मजबूर हो जाते हैं कि आपके notice में यह चीज़ें लाई जाएं। तो आज मैं, जनाब, उस offer को जो इस सदन में उनकी तरफ से की गई बग़ैर किसी लाग लपेट, hide and seek और आंख मचोली खेले कबूल करता हूं। इस के साथ ही उनके सामने यह बात भी रखना चाहता हूं कि आपके राज में smuggling, corruption and nepotism हद से ज्यादा बढ़ी। आपने अपने राज में अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने जी हज़ूरियों और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए स्यासी ताक्त का इस्तेमाल किया। फिर, जनाबेआली, आपने इस सूबा की पब्लिक ज़िन्दगी और उस के अखलाक को नीचा किया और आप इस रास्ता पर चले कि हर आदमी को जो पंजाब में कुछ है उसको उसकी कीमत दी जाए और उसे खरीद कर उसका मुंह बंद किया जाए। जनाब, लोगों को नौकरियां दी गइं, ट्रकों और कोयलों के permits दिए गए और यह सब फायदे इस लिए पंहुचाए गए ताकि अपनी स्यासी ताक्त को अपने हाथों में रखा जाए। मेरा दूसरा अलज़ाम यह है कि Public Service Commission के purview से कुछ नौकरियां इस लिए निकाली गईं कि उन में अपने चाहते आदमियों को रखा जाए। अपने इस सूबा में corrupt तरीन अफसरों को तरक्कियां दीं ताकि उन को अपने काम में इस्तेमाल किया जाए। आपने इन्साफ की राह में रोड़ा बन कर मासूम लोगों को लपेट में लिया और जो लोग फांसी के काबिल थे वह आज़ादी से दनदनाते फिर रहे हैं। आपने उन लोगों को, जो मासूम थे मगर बहादुर थे, तरह तरह के जाल बुन कर यह कोशिश की कि उनको एक ग़लत कानून के फंदे में फंसाया जाए। जनाबेआली, आज से दो दिन पहले यहां पर कहा गया कि जो certificate Mr. Dass को.... (घंटी) तो, जनाब, उस शख्स के बारे में यहां बताया गया कि वह certificate.....

Sardar Ajmer Singh : On a point of order, Sir. When you have already ruled that allegations against a particular Minister can only be levelled when there is a substantive motion before the House, can the hon. Member go on making all these allegations one after the other during this discussion ?

श्री अध्यक्ष : जो point मैम्बर साहिब ने उठाया है वह बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी मिनिस्टर या Ministry का conduct discuss करना चाहते हैं तो वह substantive motion के ज़रिए ही हो सकता है। यही बात मैं ने लाला जगत नारायण जी के वक्त में भी कही थी जब कि यह बातें होती थीं। आप discuss तो administration करते हैं लेकिन उस के साथ Ministers के conduct को भी जोड़ लेते हैं और discuss करना शुरू कर देते हैं। इस से बहुत confusion पैदा होती है। अगर आप किसी particular मिनिस्टर या मिनिस्टरी के खिलाफ बात लाना चाहते हैं तो उस का यह तरीका नहीं है जैसा आप कर रहे हैं। उसका तरीका वही है जो अभी मैम्बर साहिब ने point of order raise करके बताया है। यह बातें जो चल रही हैं यह मेरे लिए काफी परेशानी और सर दरदी पैदा करती हैं। तो मैं अर्ज़ करूंगा कि आप administration को discuss करते वक्त किसी Minister या Ministry के conduct को इस में शामिल ना करें।

(The point of order raised by the hon. Member is correct, namely, that if the conduct of a Minister or the Ministry is to be discussed this can be done through a substantive motion only. I had given this very ruling during the tenure of office of Shri Jagat Narain when such things were said on the floor of the House. The hon. member while speaking on the administration brings in the conduct of a Minister and starts discussing it. This creates a lot of confusion. If he wants to criticise a particular Minister or the Ministry, then this is not the way to do so as he is doing now. The way to discuss the matter is the same as has been pointed out by the hon. Member who raised the point of order. All these things which are going on, cause a good deal of worry and headache to me. I would, therefore, request that he should not criticise the conduct of a Minister or the Ministry while discussing the administration.)

श्री प्रबोध चंद्र : इसी लिए, जनाब, कि आपकी भी सिर दरदी खत्म हो जाए यह बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां अकसर यह कहा जाता है कि जो लोग अलज़ामात लगाते हैं वह खुदगर्ज़ हैं, जाती अग्राज की बिना पर ऐसा करते हैं और उनमें कोई सदाकत नहीं है। तो मैं उस सदाकत को देखने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो offer की है उसे मानता हूं और बखुशी accept करता हूं। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि जैसा कि आम रवायत है और उस रवायत पर अकसर अमल भी हुआ है कि जिस मिनिस्टर के खिलाफ कुछ charges हों उस से वह महकमा ले लिया जाता है। तो उसी बिना पर यह इन्साफ का तकाज़ा है कि पेशतर इस के कि यह मसला किसी independent शख्स या tribunal के सामने पेश किया जाए चीफ मिनिस्टर साहिब अपने ओहदे से असतीफा दें और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम law and order के महकमा को छोड़ दें। इसके साथ मैं, जनाब, अर्ज़ करूंगा कि अगर मेरे बारे में भी यह बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि मुझे भी इस तफतीश में शामिल कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : एक offer चीफ मिनिस्टर साहिब की तरफ से हुई और वह Leader of the Opposition ने मान ली । आप भी उस को accept करते हैं लेकिन उस का आसरा ले कर आप इसे काफी लम्बा ले गए । यह ग़लत चीज़ है । अगर आप उस को मानते हैं तो बहतर है कि आप बजाए इस बात को प्रचार की शकल में पेश करें आप कह दें कि लिख कर दे देंगे । (An offer was made by the Chief Minister and it was accepted by the Leader of the Opposition. The hon. Member also accepts that but taking shelter of it, he has stretched it too far. This is not right. And instead of putting these things in the form of a discourse, he should say that he would submit these facts in writing.)

लाला जगत नारायण चोपड़ा : On a point of order, Sir । अभी अभी चीफ मिनिस्टर साहिब ने चौधरी बलबीर सिंह को shut up कहा है । क्या यह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : मैं ने नहीं सुना है । (I have not heard it.)

लाला जगत नारायण चोपड़ा : हम ने सुना है । उन्हों ने यह कहा है । आप उन से ही पूछ लें कि कहा है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मैं ने नहीं सुना है । (I have not heard it)

(*At this stage official record was consulted.*)

श्री अध्यक्ष : यह चीज़ record में भी नहीं आई है । (This has not come on the record even.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਸ ਦੇਣ । (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : अगर आप आपस में बैठे बैठे बातें करें तो उसका क्या इलाज है ? एक मैम्बर साहिब तकरीर कर रहें हैं क्या मैं अपनी तवज्जह उनकी तरफ रखूं या यह देखता रहूं कि आप इधर से बैठे बैठे क्या कहते हैं और वह उधर से क्या कहते हैं । (श्री प्रबोध चन्द्र से) अब आपका वक्त खत्म हो गया है । (What is the remedy if they start talking while sitting in their seats? When an hon. Member is making his speech, should I devote my attention to him or to the remarks which he makes from his seat while sitting from this side or the hon. Chief Minister from the other.) (Addressing Shri Prabodh Chandra) (The time of the hon. Member is over now.)

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं, जनाब, एक मिनट में यह खत्म करता हूं और अर्ज़ करता हूं कि यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, चाहे आप Attorney General, Advocate General या और independent tribunal को लगाएं

लेकिन वह tribunal ऐसा हो जिस पर सब मुतफिक हों (घंटी)। इसके साथ ही अर्ज़ है कि कुछ वज़ीर साहिब ने मेरे बारे में कहा है तो उस बारे में मैं कहूंगा कि मुझे भी उस तफतीश में शामिल कर लिया जाए।

Mr. Speaker : What is the opinion of the hon. Member (Sardar Ajmer Singh) ? When it has already been brought before the House, would it now be necessary to bring it through a substantive motion ?

Sardar Ajmer Singh : I think so, Sir.

Mr. Speaker : But when it has already come in the House, I think the hon. Member has got a right to explain it. So far as condemnation is concerned, I disapprove of it.

चौधरी इन्दर सिंह (जींद, जनरल) : स्पीकर साहिब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी कुछ देर पहले बहुत सी झड़पें सुनी गई हैं। पता नहीं वह दिल का दरद था या दिल के फफोले थे जो फोड़े गए लेकिन जहां तक इस बजट का ताल्लुक है इस पर कोई रौशनी नहीं डाली गई। खैर, मैं इसे छोड़ता हूं। यह जो वित्त मन्त्री जी ने इस साल का बजट हाउस के सामने रखा है इस में एक करोड़ 69 लाख का मुनाफा दिखाया गया है। लेकिन अगर इसे गौर से देखा जाए तो इस में मुनाफा नहीं बल्कि घाटा है और यह घाटे वाला बजट कहलाना चाहिए। एक करोड़ 95 लाख की रकम 'जो Outlay on Multipurpose River Schemes' की थी वह 'Revenue Expenditure' में दर्ज नहीं की। इस के इलावा 5½ करोड़ रुपए की रकम treasury bills liquidate करा कर ली गई और इस तरह यह एक करोड़ 69 लाख का मुनाफा दिखाया है

इस के साथ मैं यह अर्ज़ करूं कि हमारे जो opening balances हैं और इस साल के जो हमारे closing balances हैं उन से हमारी पोज़ीशन कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती। इस सूबे की जो debt liabilities हैं वे 2 अरब 34 करोड़ 84 लाख के करीब हैं। इस में से 1 अरब 72 करोड़ और 8 लाख भाखड़ा नंगल प्राजेक्ट की हैं। जनाब स्पीकर साहिब, Second Finance Commission ने यह सिफारिश की है कि इस कर्ज़े का सूद 4 फीसदी से 3 कर दिया जाय। एक और expert मिस्टर सैली, जो रुड़की यूनिवर्सिटी के इंजनियर हैं, ने भी एक आर्टिकल में इस बात पर एतराज़ किया है। उन्होंने यह लिखा है कि यह कर्ज़ा मर्कज़ी सरकार को U.S.A. की तरफ से आता है और इस पर कोई सूद नहीं लगता। इस सूरत में मर्कज़ी सरकार को चार फीसदी सूद नहीं लेना चाहिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा administrative cost एक आध फीसदी charge करनी चाहिए। जब इस तरह की expert opinion है और Second Finance Commission इस बात की हिमायत करता है तो यह पंजाब सरकार का मुजरिमाना फेल है कि वह सेंट्रल गवर्नमैंट के ऊपर दबाव नहीं देती कि इस सूद को कम किया जाय। अगर यह कम हो जाय तो पंजाब के अवाम पर पैसे का बोझ कम हो सकता है। इस

[चौधरी इन्द्र सिंह]

के इलावा मैं जनाब के रूबरू बजट के कुछ redeeming features रखना चाहता हूं और redeeming features का on the whole नकशा वित्त मन्त्री साहिब के notice में लाना चाहता हूं। एक redeeming feature यह है कि कोई टैक्स नहीं लगाया। जेलों के अन्दर जो कैंटीन सिस्टम है, earning system जारी किया है यह बहुत अच्छा पहलू है। पंचायतों को जो interest-free loan दिया जायगा वह भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम ने देखना यह है कि बजट का over all effect क्या होता है। आज पंजाब में बेरोज़गारी मुंह फाड़े हुए हमारे सामने दिखाई देती है लेकिन अफसोस का मकाम है कि पंजाब सरकार इस मसले की तरफ alive नहीं है और आंखें मून्दे हुए है। Record में दरज जो registered unemployment है वह 14 लाख के करीब है और जो हमारे पंजाब की आबादी है वह 1 करोड़ 87 लाख 149 है जबकि पिछले साल 1 करोड़ 66 लाख 107 थी। इस तरह से बहुत इज़ाफा हुआ है। और, स्पीकर साहिब, अभी unemployed आदमियों को register करने के लिए Employment Exchange बहुत थोड़े हैं। अगर और ज्यादा होते तो इस से भी ज्यादा तादाद हो सकती है। इसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इस के साथ ही law and order के मुताल्लिक सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि position अच्छी हुई है। अपोज़ीशन की तरफ से और सरकारी बैंचों की तरफ से भी अदादो शुमार पेश करने की कोशिश की गई है लेकिन जो कुछ सरकार कहती है उस के मुताबक भी अगर देखा जाय तो भी यहां की हालत इतनी तसल्लीबख्श नहीं जितना कि सरकार दावा करती है। अगर तसल्ली बख्श होती तो आए साल पुलिस फोर्स में अज़ाफा क्यों होता और उस के खर्च में अज़ाफा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरा ख्याल है कि इस की वजह माकूल नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मन्त्री साहिब इस बात का जवाब देंगे कि पुलिस administration पर इतने अखराजात बढ़ाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। पुलिस फोर्स के बारे में मैं आप के सामने figures पेश करता हूं। 1949-50 में पुलिस फोर्स 25,218 थी और उस का खर्च 3,09,00,180 था। 1951-52 में 26,946 हो गई और इस का खर्च 3,44,77,472 हो गया। 1956-57 में जब हमारे मुख्य मन्त्री जी ने charge लिया तो उस वक्त पुलिस फोर्स 32,602 थी और खर्च 4,48,47,935 था लेकिन revised estimates में यह खर्च बढ़ कर 5,27,00,204 हो गया। 1960-61 में यह बढ़ कर 5,45,73,508 हो गया। हमने सुना था कि cold war के chances कम होने पर armaments में कमी होती है लेकिन पंजाब सरकार की बिल्कुल नई policy है। ये कहते हैं कि जरायम में कमी हुई है, law and order की problem तसल्लीबख्श तरीके से हल हुई है लेकिन इस के बरअक्स पुलिस फोर्स बढ़ती गई और खर्च में अज़ाफा होता गया। इस तरह से unproductive खर्च बढ़ता जा रहा है। Civil administration पर 1957-58

में 8,20,74,000 रुपया खर्च हुआ, 1960-61 में 9,87,18,000 रुपया खर्च हुआ। इस तरह से 1,66,44,000 रुपया का ज्यादा खर्च दिखाया है। आखिर कौन सी reasons हैं जिन की वजह से तरक्की हुई है। अखराजात बढ़े हैं और उन में किसी तरह से कमी वाक्या नहीं हुई लेकिन इस के अलावा surplus budget दिखाया गया है। अगर सरकार के पास पैसा बचा था तो जरूरत इस बात की थी कि deserving तबके को relief दिया जाता। अगर और किसी को relief नहीं दे सकते थे तो कम से कम low paid employees को तो relief देते। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितने I.A.S. अफसर centre से आए हुए हैं अगर उन को वापस भेज दिया जाय और उन की जगह P.C.S. cadre के आदमी लगाए जाएं तो काम अच्छी तरह से चल सकता है और उस सूरत में अखराजात का बहुत सा हिस्सा बच सकता है और इस तरह बचाया हुआ पैसा low-paid employees को दिया जाना चाहिए ताकि वे अच्छी तरह से गुजर कर सकें। इस महंगाई के ज़माने में जब कि भाव इतने चढ़ गए हैं उन के लिए गुज़र करना मुश्किल हो गया है।

इसके इलावा, स्पीकर साहिब, एक बात और है कि 13,50,000 रुपया उन land owners को देना था जिन की surplus land acquire करनी थी। वह एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया और पंचायतों पर 1,18,00,820 रुपए खर्च कर दिये जब कि कोई चुनाव नहीं करवाए गए।

इसी तरीके से privately-managed स्कूलों के लिए 25 लाख रुपया रखा था। उस में से एक पैसा नहीं खर्च किया। ये इस बजट के अन्दर inherent defects हैं। लाला जगत नारायण जी ने भी कहा था कि Resources and Retrenchment Committee की सिफारिशात पर अमल करना तो दरकिनार उस का ज़िक्र तक नहीं किया गया कि आया Government के under consideration है या नहीं। इस लिए ये सब बातें इस बात का इज़हार करती हैं कि सरकार ने इन की तरफ ध्यान नहीं दिया।

स्पीकर साहिब, अब मैं Language Committee का ज़िक्र करता हूं। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमैंट ने इस में जान बूझ कर शरारत करने की कोशिश की है और इस में उन आदमियों के नाम दिए गए हैं जो पंजाब के वायुमण्डल को खराब करने की कोशिश करते रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि वायुमण्डल को खराब करने वालों के नाम इस कमेटी में दे कर गवर्नर को इस का प्रधान बना कर सख्त गलती की है। गवर्नर सूबा के constitutional head होते हैं और उन्हें किसी controversial, communal या political issue में एक body का head मुकर्रर करना न सिर्फ उन के शान के शायां ही नहीं बल्कि derogatory to his status है। यह ठीक है कि गवर्नर साहिब एक political status के आदमी हैं और बहुत अर्से से कांग्रेस के लीडर चले आ रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर गवर्नर के ओहदों को

[चौधरी इन्दर सिंह]

abolish करने के हक में हूं। लेकिन इस वक्त इन्हें remove करने का सवाल नहीं, सवाल इस बात का है कि जो Language Committee बनाई गई वह दुरुस्त तरीके पर बनाई गई या नहीं। यह सोचने की बात है कि आया गवर्नमैंट के लिये यह advisable था कि गवर्नर को इस कमेटी का प्रधान नियत करती। इस कमेटी में मजहब और भाषा के नाम पर communal आदमियों को नुमायंदगी दे कर स्टेट को बहुत नुक्सान पहुंचाने की कोशिश की गई है। यह स्कीम जान बूझ कर बनाई गई है ताकि communalism जिंदा रहे क्योंकि इस के बगैर चीफ मिनिस्टर की कोई जगह नहीं रहती।

(*At this stage, Khan Abdul Ghaffar Khan a member of the Panel of Chairmen occupied the Chair*)

चेयरमेन साहिब, दो आदमियों की Good will Committee बनाई गई जो इस बात की रिपोर्ट करे कि आया पहले formula को बदला जाए या नहीं। मैं समझता हूं कि इस Good will Committee पर हज़ारों रुपये बरबाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह issue तकरीबन settled ही था। हरियाणा में पंजाबी की compulsion रखने की कोई वजह जवाज़ नहीं थी। मैं पंजाबी भाषा के खिलाफ नहीं हूं। एक नया issue खड़ा कर दिया है। हरियाणा की तरफ से इस पर कोई हमदर्दी का इज़हार नहीं किया गया। पंजाबी भाषा के साथ साथ National language भी पढ़ाई जानी चाहिये। फिर सवाल पैदा हुआ कि पंजाबी की लिपि क्या हो। भारत वर्ष को देखें तो पता चलेगा कि भाषा की एक लिपि होती है। लेकिन यहां पर ऐसी बातें खड़ी कर के पंजाब की फिज़ा को गंदा करने की मुनज्ज़म साजिश की गई। इस की जितनी मुज़म्मत की जाए उतनी कम है। जो उस में participants हैं अगर वे गवर्नर साहिब की invitation पर हाज़िर न हों तो what will be the position of the Governor. उस की पोजीशन awkward हो जाएगी। मैं समझता हूं कि यह अन्याय हुआ है और यह कमेटी कोई purpose serve नहीं करती।

चेयरमैन साहिब, अब मैं National Small Savings Scheme के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। यह स्कीम हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में लोगों की खाल उतारने के लिये जारी की गई है। स्कूलों में, तहसीलों में, गांवों में, थानों में, आप जा कर देखें तो Agriculture Inspectors, Co-operative Inspectors और पुलिस वाले Small Savings Scheme के लिये जबरी तौर पर रुपया जमा करने में मसरूफ रहते हैं। पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया था कि हम persuasion से रुपया जमा करना चाहते हैं लेकिन असल में यह बात नहीं। जबरी तौर पर Small Savings Scheme में रुपया जमा किया जा रहा है। पटवारियों को हिदायत है कि वे जबरी तौर पर चंदा जमा करें। चेयरमैन साहिब, मैं इस सिलसिले में एक मिसाल देना चाहता हूं। एक गांव में मुरब्बा बंदी की proceedings हुईं। एक आदमी ने दरखास्त

दी कि उस के नाम इंतकाल किया जाए। A.C.O. ने सीना तान कर जवाब दे दिया। कानूनगो ने इंतकाल पटवारी के पास भेजा। चेयरमैन साहिब, पटवारी ने जो रिपोर्ट दी वह मुलाहजा फरमाइये।

"ਸਾਇਲ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਿਆ National Saving Scheme ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਇਲ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਇਲ N. S. S. ਵਿਚ 200 ਰੁਪਿਆ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ।"

जनाब, चेयरमैन साहिब, इंतकाल दर्ज होने के सिलसिले में यह हालत है तो जब यह इंतकाल Consolidation Officer के पास तसदीक के लिये जाएगा तो फिर क्या हालत होगी। मैं असूली तौर Small Savings Scheme के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जिस हिटलराना अंदाज़ से यह रुपया जमा किया जाता है उस की जरूर मुखालफत करता हूं। With your permission I lay this paper on the Table of the House.

Administration के बारे में इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो administration run की जा रही है वह partisan pattern पर है। Advisory Committee बनानी हो, Co-operative Society बनानी हो, किसी को permits देने का सवाल हो तो अपने आदमियों को consider किया जाता है। छोटे अफसर से ले कर बड़े अफसरों तक हिदायतें जारी की गई हैं कि खद्दर के कपड़े पहना करें। खद्दर पहनना ruling party का symbol है। यह अफसर खद्दर के कपड़े पहन कर कांग्रेस पार्टी के लिये काम करते हैं। इस तरह से Congressmen का लिबास जो किसी वक्त इज्ज़त का चिन्ह था और British Imperialism के खिलाफ लड़ने के लिये एक कुर्बानी का निशान समझा जाता था अब political symbol of the ruling party बन गया है। यह कहना कि सरकार democratic तरीके से काम करती है बिल्कुल गलत है। हर level पर, चेयरमैन साहिब, आप को नज़र आयेगा कि फलां आदमी कैरों का आदमी है, फलां राओ साहिब का आदमी है, फलां राड़ेवाला का आदमी है और फलां चौधरी सूरज मल का आदमी है। यहां तक कि parallel हकूमत चलाई जा रही है। कोई हकूमत की प्रवाह नहीं करता। कांग्रेस कमेटियों के प्रधान बस्ता बे के गुंडे हैं। छः छः दफा सज़ाएं काट चुके हैं और पंजाब में हकूमत कर रहे हैं। यह सब बातें हमारी हकूमत पर एक बदनुमा धब्बा है। लाला जगत नारायण ने ठोस इलज़ामात लगाये हैं। इस सूरत में हमारी हकूमत का फर्ज़ हो जाता है कि एक tribunal मुकर्रर कर के enquiry कराए।

चेयरमैन साहिब, मैं law and order के मुतअल्लिक एक दो मिसालें देना चाहता हूं। इस वक्त हाउस में सिर्फ उद्योग मन्त्री जी बैठे हैं इस लिये मैं उन के गोश गुज़ार करना चाहता हूं। चेयरमैन साहिब, हम यह तो सुनते आये हैं कि कई आदमियों

[चौधरी इन्दर सिंह]

की caste तबदील की गई लेकिन इस राज में caste तो दरकिनार धर्म भी तबदील किये जाते हैं। ज़िला संगरूर में थाना शेरपुर में एक II year class का college student था जिस का नाम बलबीर सिंह है। उस के एक रिश्तेदार की senior police officer से बिगड़ी हुई थी। उन्हीं दिनों एक पटवारी की चोरी हो गई। उस ने थाने में रिपोर्ट की और उस सिलसिले में उस सिख II year student को थाने में बुलाया गया। पटवारी ने कहा कि जो मुलज़िम था वह सिख नहीं था। उस senior police officer की खुशनूदी हासिल करने के लिये उस लड़के के सिर के बाल कटवा दिये गये और उस case में फंसा दिया गया। तो इस राज्य में ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं ताकि अफसरों और वज़ीरों की खुशनूदी हासिल की जाए। संगरूर के एक senior officer के रिश्तेदार ने उकलाना मंडी में दुकानें खरीदें। वह आदमी S.P. का, senior officer का बाप था, उसने खरीदी हैं। वे खाली नहीं होती थीं। मेरे हलका के बिटमड़ा के दो लालों को पकड़ लिया जो लड़का और बाप थे। उन्होंने कहा कि दोनों दुकानें खाली कर दी जाएंगी। यह राज चलता है। यह सिलसिला है। यह कहते हैं कि हमारे हां कोई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता (*voices of shame shame from the Opposition Benches*) यह कहते हैं कि corruption का सवाल ही पैदा नहीं होता।

Mr. Chairman : Some hon. Members have just now uttered the words "Shame, shame". This is most objection able.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Shame, shame ਦੇ ਲਫਜ਼ ਹਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ Opposition ਵਿਚ ਸੀ, joint ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ un-parliamentary ਨਹੀਂ।

Mr. Chairman : There was no occasion for uttering those words.

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब, मैं Block Development के सिलसिले में अर्ज़ करने लगा था। Evaluation Committee के कुछ इकतसाबात आए। पता नहीं नीम सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर अखबारों में आए। हमारे House के एक hon. Member उसके प्रधान हैं। बड़ी शिकायतें की हैं कि Development Blocks में कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस department ने development को block कर दिया है : महकमें में तरक्की कैसे हो सकती है। (*Laughter by Minister for Community Development*) मैं यह अर्ज़ करूंगा कि development blocks में क्या तरक्की होती है। अब Minister साहिब हंस रहे हैं। दो साल हुए नरवाना

के लिए 42,000 रुपया रखा गया। वहां के Panchayat Officer, B.D.O. के खिलाफ शिकायतें हुईं। वज़ीर साहिब ने कोई फैसला नहीं किया। Vigilance Department ने inquiry की। महकमें ने वह inquiry police के हवाले करने की सिफारिश की। दो साल हुए वह Chief Minister साहिब के हाथ में उनके मेज़ पर रखी है क्योंकि B.D.O. Chief Minister का रिश्तेदार था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इनका क्या काम हो रहा है। (घंटी) मैं समझता हूं कि Development Blocks बदचलनी के अड्डे हैं। यहां सरकार दावा करती है कि हम बड़ा काम करते हैं, तरक्की करते हैं, सड़कें बनाते हैं, education देते हैं। लेकिन वहां क्या होता है? मैं आपके सामने यह photo रखना चाहता हूं। यह photo वहां का development का काम ज़ाहिर करती है। यह B.D.O. और L.S.E.O. की है। With your permission Sir I place it on the Table of the House. यह photo L.S.E.O. की है जिसका नाम श्रीमती बलवंत कौर है। Evaluation Committee की report से Development Blocks की working का पता चलता है। जब Working Committee वहां गई तो वह लड़की तो वहां न मिली। B.D.O. ने कहा कि वह कहीं गई हुई है।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : On a point of order. इन्होंने यह लड़की बलवंत कौर के बारे में कहा है। ऐसी बात नहीं हुई।

चौधरी इन्द्र सिंह : This is on record. उन्होंने कहा कि वह लड़की दिखाओ। B.D.O. साहिब ने Evaluation Committee को इत्तलाह दी कि मैं ने L.S.E.O. को बुलाने के लिए telegram दे दी है। जब telegram की नकल मांगी गई तो नकल नहीं दी गई लेकिन इस दौरान में उस L.S.E.O. का तबादला कर दिया गया। मुझे कहते हुए झिझक होती है कि इस में Chief Minister साहिब के Private Secretary या P.A., जिनका नाम सरदार महिंदर सिंह है, का हाथ है। मुझे तो Chief Minister साहब के पास जाने का सुभाग्य प्राप्त नहीं हैं। Chief Minister के इशारे से B.D.O. की तब्दीली करवाई है। यह cultural programme होता है। Development Blocks बदचलनी के अड्डे हैं। दावा किया गया है Governor's Address में कि इससे 80 फी सदी population covered है। 80 फी सदी का यह programme होता है। किसी जगह चले जाएं कोई काम नहीं हुआ। जब से PEPSU merge हुआ है Patiala Division में कोई सड़क नहीं बनी। अगर वज़ीर साहिब बता दें तो मैं मान जाऊंगा। (घंटी)

श्री चेयरमैन : आपने 15 मिनट ले लिए हैं। अब आप बैठें, तशरीफ रखें। (The hon. Member has taken 15 minutes. Now he may resume his seat.)

चौधरी इन्द्र सिंह : मैं wind up कर रहा हूं। जनाब, corruption की बाबत कई ऐसे ढौंग रचाए जाते हैं, मैं उस सिलसिले में यह अर्ज़ करूंगा कि यह administration किस तरह से चलती है। जनाब, अगर corruption कम है तो ज्यादा अफसरों के खिलाफ मुकद्दमें क्यों चलते हैं। अगर corruption कम है तो Vigilance Department क्यों चारों तरफ बढ़ाया जा रहा है। यह administration किस तरह से चलती है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। यह एक loudspeaker की मन्ज़ूरी है। यह statutory provision है कि इसको political purpose के लिए इस्तेमाल न किया जाए। यह photostat copy मैं Table पर रखता हूं ताकि वज़ीर साहबान को पता लग जाए कि loud speaker की मन्ज़ूरी कैसे दी जाती है। S.D.O. साहब बरनाला ने D.C. संगरूर को लिखा। मगर इसकी इजाज़त नहीं दी गई। तो उन्होंने लिखा—

"As they have assured that they won't propagate anti-Government, the permission is granted."

हालांकि कोई assurance नहीं। यह लिखना इस बात का सबूत है कि अगर आप गवर्नमैंट के हक में propaganda करोगे तो आपको इजाज़त है, अगर नहीं करोगे तो loudspeaker इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। इस तरह की administration चलती है। कहा गया है कि यह administration इन्साफ पर मुबनी है, यह अपने अगराज़ के लिए काम नहीं करती। (घंटी) सैंकड़ों, हज़ारों मिसालें ऐसी हैं। यह साक्षात और एक जीती जागती corruption की तसवीर है।

उद्योग मंत्री (श्री मोहन लाल) : चेयरमैन साहिब, मैं चाहता तो था उस वक्त बोलना जिस वक्त कि Leader of the Opposition हाउस में मौजूद होते ताकि उन की चंद एक बातों का जवाब दे सकता। वे आज बैंच पर नहीं, वे शायद आये भी नहीं। इसलिये मैं ने उन की अदम मौजूदगी में ही आज चंद एक speeches को सुन कर इस वक्त बोलने का फैसला किया। लेकिन फिर भी मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि पहले चंद एक उन बातों का ही जवाब दूं जो कि Leader of the Opposition ने शुरू शुरू में कहीं थीं। आप जानते हैं कि इस बजट debate का आग़ाज़ ही Leader of the Opposition ने किया। चूंकि जो बातें वे कहें वह हमेशा काबिले कदर होती हैं। उन पर हमें पूरा ध्यान और तवज्जोह देनी चाहिये और इसलिये भी कि वे Opposition की तरफ से जिम्मेदार होते हैं। मैं ने इसी लिये अर्ज़ किया है कि मैं पहले चंद एक बातों का जो उन्होंने कहीं थीं उन की अदम मौजूदगी में ही जवाब दूंगा और वह भी सिर्फ उन बातों का जो कि मेरे महकमें से ताल्लुक रखती हैं। आप मुझ से आशा नहीं रखेंगे कि मैं बाकी महकमों के मुताल्लिक कुछ कहूं। दो मेरे ऐसे महकमें हैं जिन के मुताल्लिक उन्हों ने कुछ कहा था। Industries Department के मुताल्लिक खासतौर पर बहुत कुछ कहा और Food and Supplies Department के मुताल्लिक भी कुछ कहा। उन्होंने Industries Department के मुताल्लिक तो खासतौर पर काफी इलज़ामात लगाए थे, जितने सख्त अल्फाज़ में वे लगा सकते थे उतने में ही उन्होंने लगाए। इस से पहले कि मैं उन बातों का जवाब

5 00 p.m.

दूं मैं उन की अदम मौजूदगी में भी कुछ हवाला देना चाहता हूं उन की याददाश्त को ताजा करने के लिये। पिछले सैशन में उन्होंने कुछ बहुत से remarks पास किये थे Civil Supplies Department के मुताल्लिक और यह बात कही थी कि इस महकमे में काफी corruption है। चुनांचि मैं ने फौरन बाद उन को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी की एक कापी आप को पढ़ कर सुनाता हूं। यह चिट्ठी मैं ने उन को 23 दिसम्बर को लिखी थी। मैं ने अगले दिन ही उन को लिखा था कि कल जो आप ने यह बात कही :

"While speaking upon the Appropriation Bill yesterday and while discussing the subject of State Trading you were pleased to observe that there was a widespread corruption in the Civil Supplies Department.

I shall be very much obliged if you could kindly let me know of any instances of corruption in the Civil Supplies Department which have come to your notice so that I may make the necessary enquiries."

मैं ने उन को अगले दिन यह चिट्ठी लिखी थी। उन का जवाब मुझ को आया था। मैं मुनासिब समझता हूं कि वह भी आप को पढ़ कर सुनाऊं। यह उन का जवाब चौदह जनवरी का है :

" You will excuse me for the delay which has occurred in my reply to your letter of the 23rd December. In my speech I had complained against the corruption in general in the Civil Supplies Department. I presume that you also feel that this Department under you is not free from corruption. Then there is a difference of degree, not of kind, between our views. As for specific instances, I shall be able to give you a few during the coming Budget Session."

अब मैं यह आशा रखता था कि जैसा उन्होंने मुझे लिखा था इस सैशन में, अगर अलहदगी में नहीं तो हाउस में ही कह कर कुछ बातें, कुछ ऐसे instances मेरे नोटिस में लाते जहां कि मेरे departments में कुछ corruption हुई हो। जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने दो important speeches कीं। गवर्नर के Address पर जब general discussion हुई तो उस वक्त भी उन्होंने Opposition की तरफ से practically wind up किया था और काफी वक्त लिया था। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी instance नहीं बताई। अब जब कि बजट पर general discussion शुरू हुई उस वक्त भी उन्होंने debate open किया। उन्होंने general अल्फाज़ में वही बातें दोहराईं। Civil Supplies Department के मुताल्लिक न सही अब Industries Department के मुताल्लिक उन्होंने कहा। लेकिन अब फिर मैं ने उन की सारी स्पीच को बड़े गौर से सुना। उन्होंने एक भी ऐसी instance नहीं बताई, न Civil Supplies Department के मुताल्लिक, न Industries Department के मुताल्लिक जहां वे बताते कि फलां अफसर ने या किसी और आदमी ने corruption की और जिस को वे मेरे नोटिस में या गवर्नमैंट के नोटिस में लाना चाहते हों। इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब यहां पर जनरल बातें होती हैं तो उन का जवाब भी जनरल तौर पर ही दिया जा सकता है। जब वह यह कहते हैं कि corruption है नीचे के level पर, दरम्यानी level पर

[उद्योग मंत्री]

और ऊपर के level पर तो सिवाए इस के मैं और क्या कहूं कि यह सारी बातें गैर जिम्मेदारी की कहते हैं। क्योंकि अगर कोई बात जिम्मेदारी से कहें तो हमें बताएं कि फलां आदमी ने, फलां अफसर ने फलां दफतर में या फलां शहर में कोई corruption का काम किया है। अगर कोई ऐसी मिसाल उन के पास है तो वह क्यों नहीं बताते ? अगर वे जनरल तौर पर बातें कहें और उन का जवाब भी जनरल तौर पर दिया जाए तो बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती । एक बात उन्होंने खास तौर पर कही थी, नाम तो उन्होंने नहीं लिया था लेकिन फिर भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि Essentiality Certificates जो कि Department की तरफ से issue होते हैं और जिन की बिना पर Government of India import licence देती है उन में बहुत corruption होती है। उन्होंने फरमाया था कि पच्चास साठ फी सदी ऐसे Essentiality Certificate issue होते हैं जो कि bogus होते हैं। और ऐसी बातें उन्होंने कहीं। इस पर भी उन्होंने कोई मिसाल तो नहीं दी। फिर भी मैं आप के द्वारा उन की वाकफियत के लिये अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस का प्रोसीजर क्या है। वे क्या वाक्यात हैं जिन की बिना पर Leader of the Opposition को यह बातें कहने की ज़रूरत महसूस हुई । इस चीज़ के लिये State Government की तरफ से Government of India को recommendations होती हैं। यह एक प्रोसीजरल बात है । दो किस्म के certificates issue होते हैं । एक तो वह जो existing units हों, काम करने वाली कोई factories हों, कोई कारखाने हों, उन को issue होते हैं। दूसरे वे certificates होते हैं जो कि नया काम करने वालों के लिये होते हैं। जहां तक पहली किस्म के certificates का सवाल है जे कर कारखाने काम करते हैं, manufacturing का, किसी किस्म का खास माल लें कर उस की कोई चीज़ बनाते हैं वहां पर कोई गुंजायश किसी corruption की नहीं, होती न कोई सवाल ऐसा पैदा होता है। क्योंकि यह देखा जाता है कितना काम उन्होंने किया, कितनी capacity है, कितना माल मंगवाया, कितना manufacture किया, इन सब की बिना पर उन को Essentiality Certificates issue होते हैं। State Government के department की तरफ से होते हैं। Procedure उसका यह होता है कि जो हमारा District Industries Officer होता है वह अपने district के उन कारखानों की बाबत, उन के काम की बाबत जो ज़रूरी बातें होती हैं Essentiality Certificate issue करने के पहले, वह उन की तस्दीक करता है। उसके बाद State के Industries Directorate की तरफ से Essentiality certificate issue किया जाता है । दूसरी category उन Essentiality Certificates की है जो कि काम करने वाले नए कारखानों के सम्बन्ध में issue होते हैं। यह ठीक है कि इन नए कारखानों के लिए ये certificates issue करने के लिए पहले यह देखना पड़ता है कि क्या उसमें machinery लगा ली गई है, क्या

उसकी building खड़ी हो गई है, क्या वह हकीकतन काम करना चाहते हैं या नहीं। ये चन्द बातें हैं जो ज़रूरी तौर पर इस तरह के Essentiality Certificates issue करने से पहले देखनी पड़ती हैं।

अब यह बात जिस तरह से चली, वह भी मैं आप को बताना चाहता हूं। इस दफा जो Essentiality Certificates issue होने थे वह जनवरी के आखिर तक होने थे। गालबन वह तारीख यानी last date 31 जनवरी थी। अब मैं आप से अर्ज़ करूं कि इस दफा रोहतक ही ऐसा ज़िला है जहां से भारी तादाद में Essentiality Certificates हासल करने के लिए applications आईं और यह भी शायद इतफाक की ही बात है कि इनमें से भी ज्यादा तादाद उन applications की थी जो सोनीपत से, जो कि Leader of the Opposition की अपनी constituency है, आईं। इस सिलसिले में कुछ complaints भी गवर्नमैंट के पास पहुंचीं कि जो applications आईं, उन का एक बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो कि genuine नहीं हैं। चुनांचि जब ऐसी शिकायात आईं तो हमने एक जिम्मेदार अफसर को Joint Director of Industries को, तहकीकात करने के लिए भेजा।

श्री राम प्यारा : सौदे बाजी इसी Director की ही मार्फत होती है। मैं इस बात के लिए challenge करता हूं। अगर आप कोई कमेटी मुकर्रर करें तो मैं साबत कर सकता हूं कि..........

उद्योग मंत्री : जरा सुन तो लो, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं कि challenge बाजी शुरू हो गई। (*Interruptions*)

श्री राम प्यारा : जो सोनीपत में defaulters हैं, उन्हीं के घर जाकर चाय पीते हैं ...... (*Interruptions*)

श्री चेयरमैन: आप यह क्या कर रहे हैं। House के decorum का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। (What is the hon. Member doing? After all maintenance of decorum in the House should also be borne in mind.)

उद्योग मंत्री : चेयरमैन साहब, अभी तो मैंने वाक्यात का बयान ही शुरू किया है कि इतनी घबराहट और बेचैनी आ गई। (*Interruptions*) (*Noise*)

Mr. Chairman: No interruption please. Nobody should interrupt him like that.

उद्योग मंत्री : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे एक अफसर इस Industries Department के यानी Joint Director of Industries वहां गए। इन तीनों जगहों पर यानी सोनीपत, बहादुरगढ़ और रोहतक में वह तीन बार गए। वहां मौके पर जाकर उन्होंने तहकीकात की (*Interruptions by Shri Jagat Narain Chopra*) अभी जबान बन्द रखिए लाला जी, आप की तरफ भी आता हूं। जरा हौसला रखिए। (*Interruptions*)

Mr. Chairman : Order please. No interruptions.

उद्योग मंत्री : तो सोनीपत, बहादुरगढ़ और रोहतक में वह गए । (*Interruptions*)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : अभी अभी कह डालिए जो कहना है ।

उद्योग मंत्री : मैं आप के दामाद का, आपके लड़के का, आप की लड़की का नाम नहीं लूंगा, आप हौसला रखिए ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਜਨਾਬ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਔਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ House ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Mr. Chairman : This is no point of order. The hon. Minister should carry on with his speech.

उद्योग मंत्री : तो जनाब चेयरमैन साहब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इन तीनों जगहों पर जाकर मेरे Joint Director of Industries ने तहकीकात की । उन्होंने 120 ऐसी factories का मुलाहिजा किया । यह 120 factories थी जिनकी तरफ से जो दरखास्तें आई उनकी तादाद 154 थी । इन सभी factories को जाकर उन्होंने inspect किया । इस तरह मौका पर inspection करने के नतीजा के तौर पर 67 ऐसी दरखास्तें थीं जिन को नामँजूर कर दिया गया । इससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि जहां जहां भी Government को information मिली कि किसी जगह से ऐसी नाजायज दरखास्तें की गई हैं जो कि मुस्तहक इशखास की नहीं, वहां गवर्नमैंट ने enquiry की और जितनी भी ऐसी bogus दरखास्तें थीं उनको नामँजूर किया गया । लेकिन चेयरमैन साहब, इस दौरान में क्या होता है ? हमारे पास उस Joint-Director की तरफ से written reports आई कि जब उसने factories को देखा, उनकी inspection की तो उसे threat किया गया उन लोगों की तरफ से जो उससे नाजायज़ काम करवाना चाहते थे । नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद समझ लीजिए कि वह कौन हो सकते हैं । वह किसी ढंग से नाजायज काम कराना चाहते थे, वह चाहते थे कि वह officer कोई inspection न करे वह चाहते थे कि वह यह न देखे कि वहां मशीनरी लगी हुई है या नहीं, building बनी हुई है या नहीं, काम चल रहा है या नहीं । जो लोग ऐसे काम करवाना चाहते थे उन्होंने उस Joint Director को threat किया ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : पंडित जी, हिम्मत करो, नाम भी तो लो ।

उद्योग मंत्री : मैं आप की तरह बात बात पर नाम लेने का आदी नहीं हूं । (*interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जिन की बाबत कह रहे हो उन के नाम भी लो ।

श्री चेयरमैन : एक जगह तो आप एतराज़ करते हो कि साहब नाम क्यों लेते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नाम लो। यह तरीका ठीक नहीं । I would not allow that. (On the one hand the hon. Members object to the mentioning of names of persons referred to and on the other they press for the names being disclosed. This is not proper. I would not allow that.)

उद्योग मंत्री : मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं इशारा भी नहीं करूँगा। यह मेरा काम नहीं है। (*interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : इस तरह हमारी तसल्ली नहीं होगी।

उद्योग मंत्री : आप की तसल्ली कभी भी नहीं हो सकेगी। मैं आप की तसल्ली के लिए बात नहीं कर रहा। मैं House की तसल्ली के लिए बात कर रहा हूं। आप जरा अपना मुंह बन्द रखें।

चौधरी बारू राम : On a point of order Sir. क्या जब कोई मैम्बर एतराज करे तो मनिस्टर साहब की तरफ से यह कहा जा सकता है कि मैं individual Member की नहीं, House की तसल्ली करना चाहता हूं। Is he not a Member of this House ?

Mr. Chairman : What the hon. Minister means to say is that he is speaking to satisfy the whole House.

Chaudhri Baru Ram : But is he not a part and parcel of the House ?

Mr. Chairman : But the Minister has to convince the whole House not one hon. Member.

मौलवी अब्दुल गनी डार : On a point of order, Sir. जनाब मेरी request यह है कि पंडित जी को नाम जरूर बताने चाहिएं। अगर वह किसी मैम्बर का नाम छुपाते हैं तो वह House के साथ इन्साफ नहीं करेंगे। उन को चाहिए कि बताएं कि फलां मैम्बर था जिसने धमकी दी।

Mr. Chairman : This is no point of order.

उद्योग मंत्री : चेयरमैन साहब, मैं आप के जरिए इन से अर्ज़ करता हूं कि इन्होंने अपनी बारी बहुत कुछ कहा। हमने कोई टोका टाकी नहीं की थी। इन को भी मेरी बात सुननी चाहिए और फिर जब मैं बगैर किसी का नाम लिए बात करता हूं तो इन को घबराहट और बेचैनी क्यों होती है? बहरहाल, मैं अर्ज़ कर रहा था कि Joint Director of Industries ने वहां से आकर उसी वक्त यह report की कि मुझे धमकियां दी गई। उसने आकर बताया कि न सिर्फ यह कहा गया कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। न सिर्फ यह कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं और जो अफसर लगे हुए हैं उनको बदनाम किया जाएगा बल्कि यह भी धमकी दी गई कि तुम्हारे बरखिलाफ अखबारों में भी propaganda किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि किस तरह से धमकियां दी गई या क्या हुआ लेकिन जो उसने आकर गवर्नमैंट को report की वह

[उद्योग मंत्री]
यही थी। अब यह एक हकीकत है कि उस अफसर के खिलाफ अखबारों में भी कुछ बातें छपीं। सारी बातों को यहां बयान करके मैं House का ज्यादा time नहीं लेना चाहता। (*interruptions*)

कुछ माननीय मैम्बर : अखबारों के नाम ही बता दो।

उद्योग मंत्री : एक तो "हरियाना तिलक" है। तारीख शायद 14 जनवरी, 1960, है। इस तरह से एक अफसर के खिलाफ जातीतौर पर बातें निकलती है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि गवर्नमैंट ने फैसला कर लिया है इसकी बिना पर prosecution करने का।

इस वास्ते मेरे लिये यह मुनासिब नहीं होगा कि मैं कोई ज्यादा बात इस किस्म की कहूं कि उस में से क्या निकला या क्या नियत थी या क्या बात थी। इसलिए सिर्फ इतना ही उन की वाक्फियत के लिये कहूंगा कि क्योंकि वहां जाती तौर पर उस अफसर के खिलाफ बातें कही गई हैं इसलिये prosecution का फैसला कर लिया गया है। तो चेयरमैन साहिब, आप अन्दाज़ा लगा लीजिये कि क्यों गवर्नयैंट पर यह इलज़ाम लगाये गये हैं। Leader of the Opposition ने भी यह इलज़ाम लगाया कि यों ही Essentiality Certificates जारी कर देते हैं। बल्कि उन्होंने तो 60 per cent तक झूठे certificates की बात कर दी थी। लेकिन आप अन्दाज़ा लगायें कि इस बारे में गवर्नमैंट कितनी strict verification इस बारे में कराती है कि गवर्नमैंट का एक बहुत बड़ा अफसर वहां मौके पर गया और उन का मुलाहिज़ा कर के बड़ी भारी तादाद में उन के लिये recommendations कीं और बहुत से cases reject किये और इसीलिये यह सारा मवाद निकला जो इस allegation के रूप में हाउस के सामने आया। इस बात के दो पहलू होते हैं। एक यह कि गवर्नमैंट का यह फर्ज़ होता है कि अगर उस के पास कोई नाजायज़ application आये और वह firm उस को सही तौर पर इस्तेमाल करना नहीं चाहती, जो माल मिले वह उसे black-market में बेचना चाहती है, मैं मानता हूं कि ऐसा होता भी है पर मैं एक बात बतला दूं कि जब ऐसा हो तो हमारा फर्ज़ हो जाता है उस को check करायें। इस का दूसरा पहलू है कि हम ने industries को बनाना है और इस के लिये देखना है कि वे raw material के लिये starve न करें। इसलिये हम इस चीज़ की verification करा के कि आया कोई firm उस माल से काम करना चाहती है या नहीं करना चाहती और सिर्फ मुनाफाखोरी करना चाहती है और उस माल को black-market में बेचना चाहती है, तब हम Essentiality Certificate के लिये हां या ना करते हैं। Essentiality Certificates की verification करना काफी टेढ़ी बात होती है।

इस के बाद एक अर्ज़ मैं कर दूं कि इस के बाद मैं और Director of Industries सोनीपत गये थे और इसी सिलसिला में गये थे और सोनीपत में उस area के industrialists को हम दोनों एक meeting में मिले थे। वहां मैं ने और मेरे Director ने उन industrialists से यह बात कही

कि अगर कोई भी ऐसा case Essentiality Certificate का या किसी चीज़ के qouta का उन के इल्म में हो तो वह हमें बतलायें मैं उस बारे में अपने Director of Industries को जो उस department की highest authority है उसे मौका पर भेज कर ऐसे case की पड़ताल कराऊंगा । आप सुन कर हैरान होंगे कि आप तक मेरे पास ऐसी कोई दरखास्त नहीं आई जिस से ऐसी हमें कोई इतलाह मिले हालांकि इस बात को हुए कोई एक या 1½ महिना हो गया होगा। ऐसी कोई दरखास्त हमारे पास नहीं आई कि किसी आदमी को या firm को नाजायज़ तौर पर Essentiality Certificate या qouta दिया गया है। हां इस तरह की दरखास्तें तो कई आई हैं कि जब हमारे Joint Director साहिब वहां पड़ताल के लिये गये थे उन्होंने हमारी दरखास्तें नामंज़ूर कर दी थी। लेकिन ऐसा कोई case हमारे notice में नहीं लाया गया जिस के लिये कहा गया हो कि उस case में जो Essentiality Certificate issue हुआ है वह नाजायज़ तौर पर हुआ है। फिर भी मैं यह claim नहीं करता कि कोई नाजायज़ certificate issue ही नहीं हुए होंगे । मैं यह मानता हूं कि यह हो सकता है कि अपनी किसी गर्ज़ से या नियत से किसी ने मिल मिला कर कोई गलत Essentiality Certificate जारी करवा लिया हो। तो मैं इतनी बात कह सकता हूं कि जहां तक गवर्नमैंट का ताल्लुक है, यह आज भी यही कोशिश करती है और पीछे भी करती रही है कि जब भी इस के notice में Essentiality Certificates की या quotas की कोई बात आये तो यह prosecute कराने को तैयार होगी। मैं आज भी मैम्बर साहिबान से request करता हूं कि आप मुझे बतलायें अगर आप के notice में कोई ऐसा case हो जब general तौर पर इस तरह के इलज़ाम लगाये जाते हैं तो इस से कोई फायदा नहीं पहुंचता। (*At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.*)

चौधरी बलबीर सिंह: जो बात सरदार वरयाम सिंह ने कही है उस का जवाब दें।

Mr. Speaker : Order please.

उद्योग मंत्री : मैं आता हूं अभी उस तरफ भी । Leader of the Opposition ने जो बातें iron and steel के quotas के मुताल्लिक कहीं थी उस के मुताल्लिक मैं ने बहुत कुछ नहीं कहना । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि iron and steel की position अब आगे से बेहतर है और ज्यादा quota मिलते हैं और हमारी State का quota दिन बदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिये हमारी State Government ने यह फैसला किया है कि जो industrial units 1956, 1957 और 1958 में नई लगी हैं उन को भी [इस purpose के लिये register कर लिया जाये और उन्हें भी quota दिया जाये । चुनांचि बहुत बड़ी तादाद में

[उद्योग मन्त्री]
applications हमारे पास आई और उन की verification हुई। और जिन के यह मिलना चाहिये था यह मिला और अब भी हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में applications हैं जिन की verification हो रही है। काफी.....

चौधरी लहरी सिंह : Time का भी ख्याल रखें।

Mr. Speaker : No interruption, please.

उद्योग मंत्री : 1959-60 में जिन applications की district land पर verification करवाई गई–(*interruptions*)

Mr. Speaker : Order, please.

चौधरी लहरी **सिंह** : स्पीकर साहिब, मैं निहायत अदब के साथ आप से दरखास्त करता हूं कि मैं आप के सारे order मानने के लिये तैयार हूं लेकिन इतनी गुजारिश करता हूं कि जहां interruptions के बारे में मिनिस्टर साहिबान का ताल्लुक हो तो आप....

श्री अध्यक्ष : आप को यह कहते अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि जब आप मिनिस्टर थे तो आप क्या किया करते थे। (This does not behove the hon. Member to say like this. I know what he himself used to do when he was a Minister.)

उद्योग मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया था कि iron and steel के जो कोटे लोगों को दिये जाते हैं उन की हम ने आम पड़ताल कराई है। 1959-60 में हम ने 4,437 quota-holders की पड़ताल कराई थी और इन में से 787 cases में बेज़ाबतगियां पकड़ीं। उन के मुताल्लिक जो action लिया गया वह मैं इस वक्त नहीं कहता। यह मैं claim नहीं करता कि जो कुछ हुआ वह perfect हुआ। इस में कोई चीज़ गलत भी हो सकती है। लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई बात हमारे notice में लाई जाये तो उस की जांच-पड़ताल करानी और उस के मुताल्लिक कोई action लेना यह हमारा काम बन जाता है। पेश्तर इस के कि आज जो बातें यहां कहीं गई हैं मैं उन का जवाब दूं मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं जिस के बारे में Leader of the Opposition ने कहा था कि यहां पर लोग इन quotas के लिये मिनिस्टरों के आगे पीछे भागे फिरते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप वक्त का भी अन्दाज़ा रखें। (The hon. Minister may also keep the time-limit in view).

उद्योग मंत्री : जितना वक्त आप देंगे मैं उतना ही लूंगा। लेकिन वक्त देते समय आप इस बात का ध्यान रख लें कि I have to touch so many points.

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि आप को बोलते 40 मिनट हो गये हैं। यह तो है नहीं कि सारा time ही मिनिस्टरों ने ले लेना है। अभी तो बहुत मैम्बर बोलने वाले रहते हैं। (I think it is about 40 minutes that the hon. Minister has been speaking and this cannot be that

the whole time is to be taken by the Ministers. Still a large number of Members are left who have to speak on the Budget.)

मंत्री : लेकिन इन 40 मिन्टों में कोई 20 मिन्ट तो interruptions ही होती रही हैं।

श्री अध्यक्ष : एक एक point को लेकर जल्दी खत्म कर दें। (He should touch each point one by one and finish off soon.)

उद्योग मंत्री : तो मैं अर्ज़ कर रहा था....

श्री मंगल सैन : जो बात सरदार वरयाम सिंह ने कही है उस का भी जवाब दें।

उद्योग मंत्री : ज़रूर दूंगा। मेरे दोस्त सरदार कर्म सिंह किरती जी ने यह बात बड़े ज़ोर से की थी कि बिजली की कमी की वजह से industry को बहुत बड़ा धक्का लगा है और Industries Minister इस हालत को सम्भाल नहीं सका इस लिए उस को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात का जवाब देना मेरा फर्ज़ बनता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि यह कितनी ज़िम्मेदारी की बात है। आखिर यह इसी बिना पर किस किस से इस्तीफा मांगेंगे? चूंकि tube-wells नहीं चलते इस लिए Agriculture के वज़ीर साहिब इस्तीफा दें, मेरे दोस्त श्री विद्यालंकार ने दुकानों का वक्त बदल दिया है चूंकि बिजली उन को नहीं दी जा सकती तो वह भी इस्तीफा दें और फिर जो बिजली के incharge मन्त्री हैं वह तो हैं ही बिजली के महकमे के इस लिए वह भी इस्तीफा दें। मगर शायद सब से बढ़ कर यह इस्तीफा परमात्मा वाहगुरु या God जिस को यह मानते हों, उस का मांगेंगे कि उस ने वक्त पर बारिशें क्यों नहीं कहीं और Hoist Chamber का accident क्यों हुआ। ऐसी ऐसी बातें होती हैं यहां पर कि उन में कोई ज़िम्मेदारी की बात दिखाई नहीं देती। फिर उन्होंने फरमाया कि जब हमारी अपनी industry starve हो रही है तो पाकिस्तान को बिजली क्यों दी जा रही है। जनाब यह है इन की वाकफियत का मियार! पाकिस्तान को 31st January, 1958, के बाद कोई बिजली नहीं दी गई, बंद कर दी गई मगर यह अब फरमाते हैं कि उन को बिजली देनी बंद कर दो। फिर कहते हैं राजस्थान को बिजली न दो। उन को 14 जनवरी से बिजली देनी शुरू हुई है और बंद कैसे की जा सकती है जब कि राजस्थान भी भाखड़ा नंगल योजना में एक बाकायदा हिस्सेदार है। इसी तरह फरमाया कि दिल्ली को भी बंद कर दो। कैसे यह सब बंद कर दें। दिल्ली ने तो खुद ही 25 फीसदी cut apply करना मान लिया है। इन बातों के और भी जवाब हैं मगर वक्त नहीं मेरे पास....

श्री अध्यक्ष : बहन सरला देवी मेरे Chamber में आई कि आप को बिठाऊं ताकि उन्हें time मिल सके। (हंसी) (The hon. Lady Member Shrimati Sarla Devi came to see me in my Chamber so that I may ask the hon. minister to wind up and resume his seat so that she may be able to get time to speak.) (*Laughter*.)

उद्योग मंत्री : बहुत अच्छा जनाब। मैं अब सिर्फ एक ही बात कहूंगा जिस को सुनने के यह मैम्बर साहिबान बड़े मुशताक हैं। स्पीकर साहिब, यह मैं तो समझता हूं कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमें यहां पर personal बातों का जवाब देना पड़ता है। बड़ी झिझक महसूस होती है कि यहां पर एक ऐसा वक्त आया जब कि इस किस्म की personal बातें करने पर मजबूर होना पड़ा। इस बात को मैं बड़ी झिजक के साथ reference कर रहा हूं। दो, तीन मैम्बर साहिबान ने मेरे लड़के के मुताल्लिक कहा। मैं जनाब, उन्हीं को नहीं बल्कि इस House के हर मैम्बर को invite करता हूं कि वह फरीदाबाद में 'Hindustan Syringes' नाम की फैक्टरी जिस में मेरा लड़का काम करता है जा कर देखें। आप सब खुद जा कर देखिए वह किस तरह से काम करता है, किस लिबास में काम करता है। यह भी पता लगाएं कि उस ने किस तरह foreign technicians से किसी A.B.C. से, किस तरह काम सीखा है। मैं यह सारी बात बड़ी झिजक से बता रहा हूं कि आज कल एक वज़ीर का लड़का होने में कितने handicaps हैं। मैं तो जनाब बड़ा मुहतात आदमी हूं, मुझे मालूम था कि यह सब बातें यहां होंगी। मेरा लड़का Military में था। उस को चोट लगी और वह discharge कर दिया गया। वह मेरे पास एक साल से ज़्यादा अर्सा रहा मगर चूंकि मैं वज़ीर था मैं ने उसे पंजाब में काम नहीं करने दिया, उसे कोई नौकरी तक नहीं ले कर दी। और पेशतर इस के कि वह उस firm में हिस्सेदार बनता मैं ने अपने Chief Minister को लिख कर दिया कि इस तरह से मेरा लड़का यह काम करना चाहता है, क्या आप की इजाज़त है? यही नहीं मैं ने High Command को भी यह सब कुछ लिख कर दिया (तालियां), बाकायदा कांग्रेस President को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के General Secretary को यह बात लिख कर दी कि वह Military से discharge हो कर आया है और इस तरह से काम करना चाहता है (*interruption*)। अब आप का क्या हुक्म है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का होना कोई जुर्म नहीं है। उस को काम करने दो, नौजवान को कब तक घर में बठाए रखोगे। इस के बावजूद मैं हरेक मैम्बर से कहूंगा कि आप को हर तरह से facility दी जायगी, आप वहां जाकर पूरी information हासिल करें। मैं यह बात साफ तौर पर यहां कहना चाहता हूं कि उस company को मेरे लड़के के उस में हिस्सेदार होने की वजह से State Government ने कोई facility नहीं दी और न वह लेगी। (तालियां) मेरे लड़के के उस में शामिल होने से पहले उस कम्पनी ने 50,000 रुपए का कर्ज़ लिया था जो हर कम्पनी लेने का हक रखती है। मेरा लड़का उस में शामिल तब हुआ जब वह कर्ज़ वापिस कर दिया गया। (तालियां) मैं challenge की बातें नहीं करता। ऐसी बातें किसी को भी शोभा नहीं देतीं। लाला जी ने चंद एक बातें कीं। मैं किसी के लड़के के मुताल्लिक बातें नहीं करूंगा और न ही इल्ज़ाम लगाऊंगा। यह मेरे लिए शोभा की बात नहीं होगी मगर ऐसी बातें किसी और के लिए भी शोभा की बातें नहीं हैं। मैं challenges में नहीं पड़ता मगर आप से

कहता हूं कि मेरा जो case है इसे example बनाओ और enquiry कराओ। (तालियां) लाला जी बनाएं, सरदार वरियाम सिंह बनाए.. (*interruptions by Shri Jagat Narain Chopra*) आप बात सुन लीजिए....

Mr. Speaker: No interruption please.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : Tribunal बनाओ।

श्री अध्यक्ष : जब आप बोलते हैं उस वक्त अगर *Interruption* हो तो आप तेज़ी में आ जाते हैं मगर जब आप की मर्ज़ी के मुताबिक बात नहीं होती तो आप को दुख होता है। मैं कोई *interruption* बरदाश्त नहीं करूंगा। (The hon. Member loses temper if he is interrupted while speaking but is piqued at any thing which is not palatable to him. I will not tolerate any interruption.)

उद्योग मंत्री : तो जनाब मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस रोज़ रोज़ की बात को खत्म करने के लिए मैं मिसाल बनने के लिए तैयार हूं। मैं इन से यह मांग करता हूं कि यह मेरे मुताल्लिक या मेरे लड़के के मुताल्लिक कोई बात लिख कर दें और उस की enquiry करवाई जाए। (तालियां) Chief Minister से, Prime Minister से या कांग्रेस के प्रैज़ीडैंट से। मैं यह दलेरी से offer करता हूं कि अगर कोई इल्ज़ाम मेरे खिलाफ साबित हो गया तो मैं मिनिस्ट्री से क्या public life से ही retire हो जाऊंगा (तालियां)। मगर जो इल्ज़ाम लगाएं अपने दस्तखतों के नीचे लगाएं, कायरों की तरह बात न करें। (तालियां) और यह लिख कर दें कि अगर यह इल्ज़ाम साबत न हों तो हम public life से retire हो जायंगे। मैं challenge तो नहीं करता मगर मेरी ज़मीर साफ है, मेरे लड़के की ज़मीर साफ है। जनाब, मैं क्या कहूं किसी की ज़ाती गर्ज़ों के बारे। मगर जो बातें इन चीजों की तह में हैं वह आप सुन कर हैरान होंगे कि किस level पर यह बातें की जा रही हैं। इस House को ज़ातियात का अखाड़ा बना कर बातें की गई हैं। जिन मैम्बर साहिबान ने यह बातें की हैं अगर मैं उन के बारे कुछ बताना शुरू करूं तो यह इस House की शान के शायां न होगा। इस तरह से ज़ाती बातों की बिना पर यहां यह बातें करना ठीक नहीं। इस से House का prestige गिरता है और यह दिन -ब-दिन गिर रहा है इसे सम्भालिये। किसी सूरत में भी मैम्बर साहिबान को इतने low level पर debate नहीं लाना चाहिए। Discussion तो बजट पर होती है पर कभी किसी वज़ीर के लड़के की बातें की जाती हैं, कभी किसी वज़ीर के भाई की और किसी और रिश्तेदार की। क्या किसी Minister का लड़का होना या रिश्तेदार होना ही जुर्म हो गया ?

अगर आज हम साबका Ministers के लड़के लड़कियों की बातें करना शुरू कर दें और फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दें तो और कोई काम न रह जाए। इस लिए मैं, स्पीकर साहिब, आप के ज़रिए तमाम मैम्बर साहिबान से निहायत नम्रता से प्रार्थना करूंगा कि इस House के वकार की और debate के level को

[उद्योग मंत्री]
परमात्मा के लिए हर हालत में चा ऊँरखिए। इस तरह की debate के level से इस House की शोभा नहीं हो रही। इतना ही कहता हुआ मैं, स्पीकर साहिब, आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मंगल सेन (रोहतक) : स्पीकर साहिब आज Budget पर बहस हो रही है। इस हाउस में आज गर्मा गर्मी रही। आज का विषय प्राय: माननीय मन्त्रियों के संबंधियों के बारे में कहने सुनने पर बीता है, प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में, प्रांत के law and order के बारे में और corruption के बारे में सारा समय लिया गया। इलजाम लगाए गए या उन इलजामात का जवाब देने में समय गुजरा, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता।

मैं बजट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने बड़ी हुश्यिारी के साथ इस Budget को पेश किया है। और उन्होंने इस तरह का Budget आने वाले इन्तखाबात की भूमिका के तौर पर पेश किया है। हकूमत का खर्च गरीब का खून पसीना चूस कर चलता है और चलाया जाता है। पिछले वर्ष इसी तरह किया गया, बाद में विचार किया गया और जब सारे हालत की revision की तो बचत कर दी गई। इस बार भी इन्होंने टोटे का Budget इस ढंग से मुनाफे में तबदील कर दिया कि सरकार की securities में से रुपया निकाल कर योजनाओं पर लगाए जाने का विवर्ण दिया। इस वर्ष भी बजट में बचेगा। लेकिन हकीकत यह है कि घर का पैसा हम खा रहे हैं। स्पीकर साहिब, हर साल वित्त मन्त्री अपना बजट पेश करते हैं और नई नई योजनाएं पेश करते हैं और उनकी भूमिका देते हैं। इस बार भी योजनाएं रखी हुई हैं परन्तु, स्पीकर साहिब, अवाम को इस बजट से निराशा होती है। उन्हें कोई उत्साह नहीं मिलता, प्रेरणा नहीं मिलती, स्फूर्ति नहीं मिलती। बजट पेश करते वक्त आंकड़े कुछ दिए जाते हैं और इन्हें तीन तीन बार revise किया जाता है। Supplementary Estimates तीन तीन बार आते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप जनता से आंख मचोली न खेलें। उन्हें भुलावा और पहेली में न डालें। कमज़ोरियों और गलतियों को छुपाना ठीक नहीं। किसी भी प्रदेश का बजट ऊंचा तब हो सकता है अगर उन के अन्दर शांती हो, प्रदेश में बसने वाली जनता आपस में भाई भाई बन कर रहे। किसी प्रकार का भी संघर्ष प्रदेश की उन्नति में बाधा बन जाता है। मैं, स्पीकर साहिब, इस संघर्ष की ओर संकेत कर रहा हूं। हमारे प्रांत के अन्दर संघर्षमयी समस्या है। यहां पर पहले से शासन करने वाले और party in power ने इस समस्या का हल ढूंडने के लिए एक कमेटी बनाई है। इस के अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल साहिब को बनाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी controversial issue और जटिल समस्या के अध्यक्ष राज्यपाल को बना दिया गया है। पंजाब के मुख्य मन्त्री ने अपने ही राज्य के राज्यपाल को इस कमेटी का Chairman मुकर्रर किया है। यह एक अनुचित बात है। Parliamentary system में इस तरह अगर एक पार्टी की हकूमत अपने ही राज्यपाल को इस तरह की समस्या को हल करने के लिए अध्यक्ष बना दे, तो यह अनुचित

बात है। इस तरह की बनाई गई भाषा समिति किस तरह इस समस्या का हल निकाल सकेगी। स्पीकर साहिब, आज ऐसी बात कही जा रही है परन्तु यह तो बबूल के कांटेदार वृक्ष तथा विषमई झाड़ी के समान समस्या जो खड़ी की गई है और भाषा का सवाल उतपन्न किया तो सच्चर साहिब ने तथा अन्य व्यक्तियों ने अपनी गद्दियों को बचाने के लिए खड़ा किया था। मुख्य मन्त्री ने और दूसरों ने एक दूसरे के टोले की टांगे खींचने के लिए गले मैं अंगूठा देकर गुरमुखी भाषा ठोंसने का फैसला किया था। अगर भाषा का मसला सच्चर फारमूला तैयार करने से पहले ही हल कर लिया जाता तो यह जोड़ तोड़ कैसे हो सकते थे। यह विषय बहुत गम्भीर है। इसका हल इस तरह से निकाला जाना कठिन है जिस तरह कि अभी इन्होंने एक समिति बनाई है। फिर यह कहा गया कि इसमें ऐसे शख्स लिए जाएं जो educationists हों। तालीम को बढ़ चढ़ कर फैलाने वाले इस समिति के नेता हों। यदि आपने राजनैतिक दल के नेता लेने हैं तो सारे पक्षों के इस समिति में क्यों नहीं लिए गए? यदि राजनैतिक दल लेने थे तो हरेक दल को लेना चाहिए था किसी एक पार्टी को नहीं लेना चाहिए।

स्पीकर साहिब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का इस समिति को बनाने का उदेश्य क्या है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं कि आज इस हाऊस के नेता एक राजनीतज्ञ हैं और वह इस तरह की समिति बना कर इस मामले को जान बूझ कर लटकाना चाहते हैं। इस से पहले तो सदभावना समिति बनाई गई थी। इस ने सारे पंजाब का दौरा किया, जगह जगह पर गए। पंजाबी भाषा तथा हिन्दी भाषा के प्रचार करने वालों से मिले इसके साथ ही राजनैतिक दलों के लोगों से मिले और जगह जगह दौरे करके अपनी report तैयार की परन्तु हमारे चीफ मिनिस्टर ने उस सदभावना कमेटी की report को cold storage में रख दिया। फिर शिक्षा मन्त्री एक दिन इस report के कुछ extracts table पर रखने को लाए थे तो पता चला है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने उन्हें डांट दे दी कि इसे हाऊस के table पर नहीं रखना चाहे extracts ही हों।

यह कहते हैं कि हमने भाषा समिति बनाई है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस से पहले की बनाई हुई सदभावना कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसका क्या बना है और उसे शाया न करने का क्या कारण है? अगर यह भाषा समिति ही बनानी थी तो इस कमेटी पर जो लाखों रुपया सरकार की ओर से खर्च किया गया है और ग़रीब जनता के खून पसीने की कमाई को खर्च किया गया है इसे बरबाद करने की क्या ज़रूरत थी? यह किसी मन्त्री महोदय के घर की कटौती तो नहीं थी कि जिस तरह चाहा कर दिया। (*interruption by an hon. Member*) इनके पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपको यह बात शोभा नहीं देती। (Please withdraw these remarks. It does not behove the hon. Member to utter such remarks. He may please withdraw them.)

श्री मंगल सैन : जनाब मैं इन इलफाज़ को वापस लेता हूं।

मैं निवेदन करता हूं कि कोई ऐसी समिति बनानी चाहिए जिसके ऊपर पैसा खर्च हो और जिसका प्रदेश के भविष्य के साथ संबध हो तो या तो सब से सलाह कर ली जाए या किसी भी दल के प्रतिनिधियों को न लिया जाए। परन्तु कठिनाई एक और है और वह यह कि यह भाषा का झगड़ा नहीं लिपि का संघर्ष है। इस के हल करने के बारे में जो समिति हो उस में सब के प्रतिनिधि लेने ज़रूरी हैं। नहीं तो सारी तपस्या और मेहनत और पैसा ज़ाया जाएगा और यह विवाद खत्म होने वाला नहीं।

दूसरी बात, स्पीकर साहिब, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि राज्यपाल जी ने भी और वित्त मन्त्री ने भी अपनी बजट speech में कहा है कि हम ने सहकारी समाज कायम करने के लिये इतनी इतनी Co-operative Societies खोली हैं ताकि अनपढ़ लोगों को फायदा पहुंचाया जाये। हम यह जानना चाहते हैं कि आज जो इस तरह की Societies बनी हुई हैं इसमें कितने लोग हैं जो इस से फायदा उठाते हैं। इन से वह लोग फायदा उठाते हैं जो चालाक लोग है या वह लोग हैं जो हकूमत करने वाल टोले के हवारी हैं। जिन के साथ इन का मतलब पड़ता है वह लोग ही सिर्फ फायदा उठाते हैं। जनता के नाम पर फायदा पहुंचाने की बातें होती हैं मगर जितने भी इनके अपने आदमी हैं उनको फायदा पहुंचता है आप जनता को नहीं। मैं दूर की बात नहीं सुनाता हमारे अपने शहर के अन्दर इस तरह का सिलसिला चल रहा है। हम ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार तो वहां के General Manager से ज़रूर मिलते हैं। हमारे वहां जाने से वह प्रसन्न होते हैं इस बात की पुष्टि सामने बैठे हुए मास्टर गुरबंता सिंह जी भी ज़रूर करेंगे। General Manager ने क्या कहा कि वहां के प्रबन्धकर्ता तो Director हैं।

श्री अध्यक्ष : आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई धर्म प्रचार कर रहा हो। (हंसी) (The hon. Member is speaking in such a manner, as if he is delivering a religious discourse.) (*Laughter*)

श्री मंगल सैन : धर्म प्रचार करना भी स्पीकर साहिब कोई बुरी बात नहीं है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं स्पीकर साहिब कि यह जो Development के नाम पर सरकारी योजनायें हैं यह सब bogus हैं। इन के मुताल्लिक Members ने जो अपनी Report दी है वह भी निराशा जनक है। यह बात भी तो आपके सामने आ ही गई है जो एक hon. Member ने इस House में आज एक Development Officer और एक ग्राम सेविका का चित्र पेश किया है। शायद यह आप तक पहुंच गया है। यह हाल है इन संस्थाओं का।

श्री अध्यक्ष : वह कोई खास चित्र नहीं है। चारपाई पर एक मर्द और एक औरत बैठी है। (There is nothing spectacular in that photograph. It shows a man and a woman sitting on a cot.)

श्री मंगल सैन : इस से आगे भी कहा जा सकता है, स्पीकर साहिब, और मैं क्या कहूं। आज सरकार हर बात पर शंका करती है और उस में अपने एक विचोले की तरह संबध रखना चाहती है। ज्यादा दूर ना जाइये आप चीनी की ही मिसाल ले लीजिये। जिस भाव आज चीनी मिलती है इस का भाव 1.15 nP. से लेकर 1.50 nP. तक का है। खाहमखाह बीच में नये नये टैक्स लगा कर यह rate बढ़ाया गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि आखर यह welfare state किस तरह की है। इस तरह से बीच में जनता पर taxes लगाने का आखिर क्या मतलब है।

समय ज्यादा ना हो जाये इस लिये मैं अब बहुत ज़रूरी ज़रूरी बातें करता हूं। स्पीकर साहिब रोहतक शहर के अन्धर एक Improvement Trust कायम किया गया। चाहिये तो यह था कि उस का कोई ऐसा शख्श Chairman बनता जिसे जनता चाहती मगर आज वह शख्श Chairman बनाया गया है जो जनता का दुतकारा हुआ है और चोर दरवाज़े से लाकर जनता की छाती पर बैठा दिया है। वह एक congress उम्मीदवार जो हार खा चुके हैं उन का सुपुत्र है इस लिये Chairman बनाया गया है। Trust के किसी member ने हालांकि इस के हक में कोई vote नहीं दी मगर फिर भी उसे ही बनाया गया है ताकि next elections तक असरो रसूख कायम करे क्योंकि यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आज इन की वहां पर क्या हालत है। आज इस तरह के Trust बना कर उन्होंने जनता की छाती पर अपने आदमी बिठाने का एक साधन बनाया हुआ है। Development जो हो रही है वह आपके सामने है। जहां जैसे ठीक लगता है अपने फायदे की बातें करते हैं कहीं कह दिया कि हमने colonies बसानी हैं या कोई और साधन बना लेते हैं। इस लिये स्पीकर साहिब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पण्डित मोहन लाल जी के सुपुत्र के मुताल्लिक इस House में कहां गया कि इन लोगों ने ऐसा किया है। इन्होंने कहा कि मैं challenge करता हूं आप कोई मिसाल सामने लाय। मैं और कुछ नहीं कहता मैं तो रोहतक के लोगों के मुताल्लिक ही कहता हूं कि वहां के Industrialists application ले कर गये थे ग़लती से मैं भी साथ था उस का क्या असर हुआ हकूमत पर और आज तक इन्होंने क्या किया है। इस लिये मैं रोहतक शहर के मुताल्लिक पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वह Industrial area के मुताल्लिक कोई घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : घोषणा के बगैर आप की क्या तसल्ली नहीं होती। (हंसी) (Will it not be possible for the hon. Member to be satisfied without "ghoshna"?) (*Laughter*)

श्री मंगल सैन : घोषणा के बगैर तो जनाब कोई बात नहीं बनती। इस का करना तो ज़रूरी है। हम इन के महकमा के पास गये, इन्होंने मौका पर जा कर विचार करने को कहा। जब मौका दिखाया गया तो कहने लगे कि सोचेंगे विचारेंगे। मगर आज तक कुछ नहीं किया गया। सही हालात की इन को कोई खबर नहीं मिलती इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि आप निचले staff को सावधान करें ताकि मामला ठीक तरह से चल सके।

[श्री मंगल सैन]

एक बात मैं वहां के Civil Hospital के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। इस के ग्रोर हालात मुख्य मन्त्री महोदय को बताये गये। मगर कुछ नहीं बना। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदमी का अपनी staff Nurse से व्यवहार अच्छा नहीं है। जब हम कोई बात कहते हैं तो मुख्य मन्त्री कहते हैं कि हमारे नोटिस में लाओ मगर इन के हवाले यह मामला किया गया जो आज तक लटक रहा है और कोई action नहीं लिया गया। इस के साथ ही मैं ने एक बात और कहनी है यह कह कर मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाये आप ने काफी वक्त ले लिया है। (The hon. Member has taken enough time. He may now resume his seat.)

श्रीमती सरला देवी शर्मा (हमीरपुर-जनरल) : स्पीकर साहिब जो हमारे वित्त मन्त्री जी ने आज हमारे सामने बजट पेश किया है इस को हालात के मुताबिक देखते हुये मैं अपने वित्त मन्त्री को धन्यवाद देती हूं। इस के साथ ही मैं अपने Chief Minister साहिब को भी वधाई देती हूं जिन्होंने इतनी दिलचस्पी दिखाई है और हालात को देखते हुये आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यह जो बजट surplus बना है। यह हमारी Cabinet के Members की और वित्त मन्त्री जी की वजह से ही है। इस बजट को देखते हुये हमें पता लगता है कि हमारे हां जो अनाज की समस्या थी वह हल हुई है और भी जितनी खाने पीने की समस्यायें थी वह हल हुई हैं। हर हालत में बढ़ौती ही हुई है कमी किसी बात की नहीं हुई। जब देश की partition हुई तो इस देश के दो टुकड़े हो गये मगर इस के बावजूद भी 10 गुना पैदावार पंजाब की बढ़ी है। देश के अन्दर पैदावार ज्यादा बढ़ाने का मतलब यह है कि हम ने गरीबी को दूर करना है।

6-00 p.m.

इसके साथ साथ ही हमारे देश के अन्दर इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई है। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कुछ बातें अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर साहिब के सामने रखना चाहती हूं कि हमारे कांगड़ा ज़िले में कोई इंडस्ट्री नहीं है जिससे वह बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब और दूसरे भाई व सरकार वहां की गुरबत को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ों को देखना चाहिए। अभी मैं ने सुना कि कांगड़ा ज़िले के लिए कह दिया गया कि चूंकि वहां पर अनाज पैदा नहीं हो सकता इसलिए कूहलों पर पानी के लिए ज्यादा पैसा नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं बतलाना चाहती हूं कि कांगड़ा जिले से बहुत सी चीजें मिल सकती हैं जिस में खास चीज़ लेबर भी है जो कि देश को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहां के मासूम बच्चे बाहर जा जा कर लोगों के बर्तन साफ करते हैं यदि उनकी तरफ देखा जाए तो कांगड़े में यदि कोई तरक्की का काम मुहैया किया जाए तो यह बच्चे जो जिस्म से बहुत मेहनत कर सकते हैं, उसके लिए लेबर के रूप में मिल सकते हैं। इसके इलावा मैं यह बतला देना चाहती हूं कि वहां पर और चीजें जैसे रीठा, कत्था वगैरह भी बहुत ज्यादा तादाद में मिल सकती है। धर्मसाला में यह बात देखी गई है कि वहां पर सीमेंट का

पत्थर बहुत ज्यादा मिल सकता है इस लिए अगर ग़ौर किया जाए तो सीमेंट फैक्टरी वहां आसानी से लगाई जा सकती है क्योंकि बिजली भी वहां पर तैयार होती है और पत्थर भी मिल सकेगा।

बजट देख कर मुझे बहुत खुशी हुई कि 1,29,33,000 रुपया इंडस्ट्री के लिए रखा गया और 1960-61 में 8,43, 98,000 रुपया खर्च करना है। लेकिन स्पीकर साहिब मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि कांगड़ा के लिए सिर्फ 8,100 रुपया ऊनी काम सीखने के लिए रखा गया है। मैं आपके ज़रिए सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहती हूं कि वहां पर ऊनी काम बहुत अच्छा होता है, शालें बनती हैं, कम्बल बनते हैं और इसी तरह से और भी चीजें। तो यह सिर्फ 8,100 रुपया वहां के लिए आंसू पोंछने के लिए भी काफी नहीं है मैं तो यही प्रार्थना करती हूं कि वहां के लिए एक स्पेशल फंड रखा जाना चाहिए।

कुदरत की तरफ से हमारे जिले के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ जो वहां के लिए हीरा है, मिला हुआ है और वह है वहां के जंगलात जो की बहुत घने है और 1959 में एक करोड़ 58 हज़ार और 240 रुपया की जो आमदनी हुई पंजाब को उसमें से 75 फीसदी रुपया कांगड़े जिला के जंगलों से मिला है। अगर यही रुपया हमारे यहां की तरक्की के लिए खर्च किया जाए तो बहुत अच्छी बात हो सकती है।

हाऊस में पिछले दिनों एक Village Common Land Act पास हुआ लेकिन उसमें देखने वाली बात है कि उसके तहत 4½ लाख एकड़ ज़मीन पंचायतों को दी हुई है लेकिन जिस ज़मीन पर दरख्त पैदा होते हैं और जिससे गवर्नमैंट को फायदा होता है वह हक किसानों को या पंचायतों को नहीं दिया गया इस लिए यह Village Common Land Act वहां के लिए अधूरा रह जाता है क्योंकि लोग दरख्तों से फायदा नहीं उठा सकेंगे।

एक बात और है और वह यह है कि कांगड़ा के लोगों को बरतन दिया जाता था जंगलात की तरफ से। लेकिन आज यह हालत है कि अगर वहां किसी का कोई आदमी मर जाता है तो उसे जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं मिल रही। लोग चिल्ला रहे हैं। हमारे डिप्टी मिनिस्टर जंगलात वहां के रहने वाले हैं वह पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं और उनके पास लोग representation भेजते हैं कि जो बरतन मिलता था वह मिलना चाहिए लेकिन वह मिल नहीं रहा।

स्पीकर साहब एक बात और मैं आपके ज़रिए गवर्नमैंट के पास तक पहुंचाना चाहती हूं कि जो चकबन्दी का काम हो रहा है वह इस तरह से हो रहा है कि खेतों को तबाह किया जा रहा है और उसका नतीजा जो होने वाला है वह यह कि जो वहां मकई पैदा होती है वह नहीं पैदा हो सकेगी और चावल तो पैदा होने से रहा। इस लिए इस तरफ पूरी पूरी तवज्जुह देनी चाहिए।

इसके बाद कुओं की बात है वह तो साफ है कि कांगड़े में बहुत कुएं नहीं बनाए जा सकते। हमें इसके लिए भी दुख नहीं है कि महेन्द्रगढ़ में, रोहतक में, गुड़गांव मे पानी वगैरह के लिए इतना काम क्यों किया गया या कि कालेज वगैरह क्यों इतने ज्यादा खोले

[श्रीमती सरला देवी शर्मा]
गए हैं लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूं कि हमारे यहां भी इन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर ने तहसील हमीरपुर के लिए एक पोलिटेकनिक स्कूल मंजूर किया था लेकिन सैंटर के वज़ीर श्री हुमायूं कबीर ने इस लिए इनकार कर दिया कि वहां बैजनाथ में चूंकि एक पोलिटैकनीक है इस लिए यहां नहीं खुलना चाहिए।

लोककार्य मन्त्री : यह तो बजट में दर्ज है।

श्रीमती सरला देवी : बजट में तो है लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है और यह ठीक है कि सैंटरल गवर्नमैंट ने ना मंजूर कर दिया है। इस लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से स्पीकर साहिब आपकी मार्फत यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि वह इसके लिए पूरी कोशिश करें और fight करके यह स्कूल ज़रूर खुलवाएं।

आज वहां के लिए हालत यह है कि चूंकि कुएं नहीं बन सकते इस लिए पानी के लिए पैसा नहीं मिलता है। फिर tractors वहां नहीं चल सकते इस लिए agriculture के लिए पैसा नहीं मिलता। तो मैं अर्ज करती हूं कि Cabinet को यह देखना चाहिए कि वहां के लिए किस तरह से रुपया निकाला जाए ताकि वहां के लोगों की तरक्की हो सके।

अब मैं एक बात की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहती हूं जिसकी यहां बड़े दिनों से चर्चा चल रही है कि पंजाबी सूबा बनना चाहिए। और इसी तरह हरियाना प्रान्त की आवाज़ उठाई जा रही है। मैं यह महसूस करती हूं कि यह पंजाब वही पंजाब है किसके पहले ही टुकड़े हो गए और आज हम फिर वही चीज़ दुहराने जा रहे है। चीफ मिनिस्टर ने यह कहा था कि हम पंजाबी सूबा नहीं बनने देंगे तो इस पर हमारे एक कम्युनिस्ट भाई ने जो आज यहां बैठे नहीं है कहा था कि बोली के आधार पर पंजाबी सूबा बना दो।

स्पीकर साहिब 1947 से पहले भी लोगों ने Pakistan का नारा बुलंद किया था और कहा था कि मज़हब के आधार पर Pakistan बनना चाहिए। उस के जो नतायज निकले वह सब के सामने हैं। सब ने देखा है कि कितने लोग बेघर हुए और कितने लोग मारे गए। जो पंजाबी सूबे का नारा लगाते हैं या हरियाना प्रान्त का नारा लगाते हैं वह महज़ अपनी leadership को कायम रखने के लिए ऐसी बातें कहते हैं वर्ना पंजाबी और हिन्दी भाषा को किसी तरह का खतरा नहीं है। आज हमें संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि हमारे देश की और पंजाब की कैसे तरक्की हो सकती है अगर देश के टुकड़े टेकड़े किए जाएगे तो हम तबाही की राह पर जाएंगे इस के इलावा मैं अर्ज़ करनी चाहती हूं, जैसा कि पण्डित मोहन लाल जी ने भी कहा था, कि House के अन्दर discipline होना चाहिए। (घण्टी)

श्री अध्यक्ष : अगर discipline की वात है तो फिर आप को बैठ जाना चाहिए। (If the hon. lady Member is anxious about the maintenance of discipline then she should resume her seat.

श्री मती सरला देवी : बहुत अच्छा स्पीकर साहिब मैं बैठ जाती हूं।

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री (पठानकोट) · स्पीकर साहिब मैं ने Finance Minister साहिब के भाषण को बड़ी गौर के साथ पढ़ा है। किसी चीज़ की परख करने के दो

तीन तरीके होते हैं। जिन घरों में रोटी बनती है वहां पर दो चीज़े इस्तेमाल होती हैं। एक तो छाज और दूसरी छाननी। छाज का काम होता है कि कूड़ा करकट निकाल देता है और अच्छी चीज़ एक तरफ करके रख लेता है और छाननी जो होती है उस में 666 सुराख होते हैं और वह बढ़िया आटे को फैंक देती है और कूड़े करकिट को बीच में रख लेती है। सो मैं ने तो इस Budget को छाज की दृष्टि से देखा है और Opposition वाले भाइयों ने इसे छाननी की दृष्टि से देखा है। हमें संसार के अन्दर बुराई की चीज़ों को छोड़ कर भलाई की चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। आप ने देखा है कि जो शहद की मक्खी होती है वह कांटेदार झाड़ियों को देखती हुई भी फूल के अन्दर घुस जाती है और शहद निकाल लेती है। मैं अर्ज करता हूं कि मैं शहद की मक्खी की तरह गुण ले लेता हूं। मुझे इस Budget में बहुत सी अच्छी चीज़ें मिली हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन को इस में खूबी नज़र न दिखाई दी हो। मैं एक दफा कशमीर में एक garden में गया वहां बड़े शानदार फूल लगे हुए थे मेरा एक दोस्त मेरे साथ था उसने न फूल देखे और न फल देखे और कहने लगा कि पण्डित जी यहां पर रूड़ियां पड़ी हुई हैं। मैं ने कहा कि आप रूड़ियां देखते जाएं मैं ने तो फूल और फल देखने हैं। स्पीकर साहिब मेरा ज्यादा तर शिक्षा के साथ प्रेम है और शिक्षा मेरे जीवन का लक्ष भी रहा है। इस बजट के अन्दर अगर मैं गलती नहीं करता तो सारे budget का पांचवा या सातवां हिस्सा education के लिए रखा गया है और आठवीं जमात तक बच्चों की fees भी मुआफ कर दी गई है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इस के साथ ही एक बात की तरफ मैं Minister साहिब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि यहां पर compulsory education होनी चाहिए। मैंने एक बच्चे को जिस की उम्र छः साल की थी बरतन साफ करते हुए देखा। मैं ने उस को कहा कि बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं। उस ने कहा कि हमें गरीबों को कौन पढ़ाने वाला है। उन के मां बाप के पास उन्हें पढ़ाने के साधन नहीं होते। इस लिए वह मजबूर हो कर अपने छः साल के बच्चे को बरतन साफ करने के लिए भेज देते हैं ताकि वह 5/7 रुपये लाए और वह अपना गुज़ारा कर सकें। इस लिए मैं समझता हूं कि compulsory education होनी चाहिए ताकि इस तरह के बच्चे भी पढ़ सकें। अभी अभी स्पीकर साहिब बीबी सरला देवी ने कहा था कि हमीरपुर में polytechnic schools नहीं खोला गया। मुझे खुशी है इस बात की उन्हें demand करनी चाहिए। मैं ने देखा है कि Hindi Region के अन्दर चार schools दिए गए हैं लेकिन पंजाबी region के लिए एक भी नहीं है। मुझे इस बात का ऐतराज नहीं कि Hindi Region को क्यों यह school दिए जा रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि जहां पर कमी हो वहां पर polytechnic schools खोले जाने चाहिए। मैं Minister साहिब को अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरे इलाके में Pathankot से लेकर डलहौज़ी तक 55 मील के area में कोई High Schools नहीं है। आप पठानकोट से चल पड़े और डलहौज़ी तक चले जाएं कोई हाई स्कूल नहीं हैं। एक स्कूल डलहौज़ी में है या एक स्कूल अब पठानकोट में लेकिन जो दरमियानी

[पंडित भागीरथ लाल शास्त्री]

55 मील का area है उस में कोई हाई स्कूल नहीं है। आखिर उस पिछड़े हुए पहाड़ी इलाके के साथ यह बेइन्साफी क्यों है? मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे पिछड़े हुए इलाकों की तरफ भी अपनी तवज्जुह दें। स्पीकर साहिब मैं आप के ज़रिए एक और अर्ज़ करना चाहता हूं। पठानकोट की पिछले वक्तों में यानी अंग्रेजी राज्य के समय में कुल आबादी 20 हज़ार होती थी लेकिन अब वहां की आबादी लग भग 80 हज़ार के करीब है। अब वह एक बहुत बढ़ा टाऊन बन गया है लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां पर बड़ा हस्पताल नहीं है। वही अंग्रेज़ों के वक्त का छोटा हस्पताल है जब कि वहां थोड़े मरीज़ आते थे लेकिन अब जब कि आबादी 20 से 80 हज़ार हो गई है मरीज़ों की तादाद बढ़ गई है तो अब वहां बड़े हस्पतालों की भारी आवश्यकता है। पिछले दिनों हमारी डिप्टी हैल्थ मिनिस्टर साहिबा वहां गई थी तो उन्होंने सारी हालत देखी और वादा किया था कि यहां पर जल्दी से जल्दी बड़ा हस्पताल बनाएंगे। तो, अब मैं यह बात उनके सामने कहना चाहता हूं कि वह इस बात की ओर जल्दी ध्यान दें क्योंकि इस की वहां बहुत भारी ज़रूरत है। फिर हमारे उस area में पानी की बड़ी भारी दिक्कत है यानी पीने को पानी नहीं मिलता है। पहाड़ी इलाका है जिस की वजह से चार चार सौ फुट गहरे कुएँ खोदने पर भी पानी नहीं मिलता है। हमारी सरकार ने पिछले दिनों वहां water-supply का कुछ प्रबन्ध किया था लेकिन वह चंद गांव में ही हुआ है। बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है और बहुत सारे गांव अभी तक बगैर पानी के हैं। इसकी तरफ जल्दी ध्यान दिया जाए। इस के साथ वहां पर अभी सड़कें भी नहीं हैं। छोटी मोटी सड़कों की तो मैं बात नहीं करता लेकिन जो गुरदासपुर ज़िला में बहुत ज़रूरी सड़कें थी वह भी नहीं बन सकी हैं। गुरदासपुर में पंडोरी का बड़ा भारी तीर्थ स्थान है। लाखों की तादाद में वहां लोग यात्रा के लिए जाते हैं लेकिन वहां के लिए सड़क नहीं बन सकी है। इसी तरह दीना नगर से बहराम गढ़ तक सड़क थी वह नहीं बन सकी है। इसी तरह से गुरदासपुर से हरदोशाई की सड़क है जिस की ओर मैं गवर्नमैंट का खास ध्यान दिलाना चाहता हूं। फिर पठानकोट के area में शाहपुर कंढी से पठानकोट तक 8 मील की सड़क है। रास्ते में पुलियां बगैरा तो बनी हैं लेकिन सड़क नहीं बनी है और उसकी तरफ मैं गवर्नमैंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं... (*interruptions*) स्पीकर साहिब जैसा कि मैंने पहले कहा हमारे हाऊस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दृष्टिकोण ऐसा है कि वह बुराई ही बुराई ढूंढ़ते हैं और उनको कहीं भलाई नज़र नहीं आती है और इसका नमूना हम ने अभी देखा है। ऐसे चंद ही आदमी होते हैं इस लिए घबराने की कोई बात नहीं है। उनका काम ही ऐसा होता है कि उन्होंने बुराई ही ढूंढ़नी है अच्छाई की तरफ नहीं जाना है मैं भी एक दफा कुछ ऐसे आदमियों की मजलस में जा बैठा था जिन्होंने फैसला किया था कि देखिए गल्त बातें कौन ज्यादा से ज्यादा कहता है। जहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर गल्त बातें कहने की दौड़ में लगे रहते हैं। एक भाई साहिब उठे और फोटो दिखाने लगे, एक दूसरे साहिब उठे वह कहीं से किसी चिट्ठी का नम्बर ही ले आए और फिर तीसरे ने कोई और राम कहानी छेड़ दी जिस का सिर पैर नहीं था। स्पीकर साहिब, पंजाब में 1½ करोड़ की आबादी है।

यहां पर नेक लोग भी बसते हैं और बुरे लोग भी यहीं बसते हैं। सभी अच्छे नहीं हैं और सभी बुरे नहीं हैं। अगर इतनी आबादी में चंद आदमी खराब भी निकल आएं तो यह कुदरती बात है और फिर किस किस के पीछे हर समय डंडा ले कर दौड़ा जा सकता है। यह तो मुल्क की बातें हैं हमारे घरों में क्या होता है ? मैं कहता हूं एक घर में सारे एक जैसे नहीं होते हैं। मैं इस हाउस में वह वह लोग बतला सकता हूं जो अपने घरों में अपने बेटे बेटियों पर काबू नहीं पा सकते हैं। यह तो $1\frac{1}{2}$ करोड़ की आबादी का मामला है और कहीं कहीं कोई बुराई आ जाना कुदरती है। कोशिशें की जाती है और दूर भी की जाती है लेकिन इस के बावजूद रह जाती है और यह बातें होती रहती हैं। फिर मैं एक और बात की ओर अपने शिक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों अखबारों में भी मैं ने पढ़ा और यहां हाउस में भी गुरदासपुर का furniture का मामला आया था। मैं भी चाहता हूं कि इस बात की पूरी enquiry की जाए कि furniture किस ढंग से बनवाया गया और खरीदा गया। मैं ने एक अलमारी देखी जो 130 रुपए में खरीदी गई लेकिन आम market में उसकी कीमत 70 रुपए थी। मैं ने पूछा कि ऐसा क्यों तो मुझे जवाब मिला क्या करें महाराज जिस ने order दिया था 33 फीसदी तो उसको ही देना पड़ा। अगर यह बातें हुई हैं तो इस चीज़ की पूरी enquiry होनी चाहिए मुझे भी पता है और काफी सुनने में आया है कि स्कूलों के लिए जो furniture बना है और अलमारियां बनी हैं उनके अन्दर बड़ा गोल माल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब गवर्नमैंट और दूसरे बड़े बड़े scandals पकड़ रही है तो इसे भी पकड़े और सारी enquiry होनी चाहिए ताकि असलियत लोगों के सामने आ जाए (घंटी) बस मुझे सिर्फ दो मिन्ट और दें। मैं अर्ज़ करता हूं कि गवर्नमैंट ने बड़ी कृपा की कि गुरदासपुर में एक गवर्नमैंट कालिज खोला है। उस के लिए हम ने भी एक लाख 25 हज़ार रुपया इकट्ठा करके दिया है। लेकिन एक बात का बड़ा खेद है कि जहां पहले वह एक स्कूल की building में खोला था अभी तक वहां पर ही है उसकी building का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। उस के लिए अभी तक कोई science rooms नहीं हैं। तो मैं यह बात उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस बात की तरफ ख्याल करें। फिर ऊना भी एक ऐसी जगह है जहां पर एक बहुत बड़ा सनातन धर्म हाई स्कूल और डी० ए० वी० हाई स्कूल है लेकिन वहां पर कालिज कोई नहीं है। वहां भी खुलना चाहिए। ऐसे कालिजों और स्कूलों की तरफ ज़रूर ध्यान दिया जाए। (घंटी) बस स्पीकर साहिब एक मिनट और दीजिए। तो मैं एक अर्ज़ अपने शिक्षा मन्त्री जी से और करना चाहता हूं वह यह है कि आपको पिछले दिनों प्राइवेट स्कूलों का एक बड़ा भारी deputation मिला था। मैं कहता हूं कि अगर आप प्राइवेट स्कूलों को ज़िन्दा नहीं रहने देना चाहते तो फिर उनको साफ कह दो कि भाई अपने स्कूल बंद कर दो। बस इतना कह दो और एक मिनट में यह सारी बात खत्म हो जाए गी पहली अप्रैल आ रही है हम स्कूलों को ताले लगा दें गे। लेकिन दुख की बात यह है कि गवर्नमैंट उनको ले भी नहीं सकेगी। हम आप से आशा रखते हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा grants दे कर

[पंडित भागीरथ लाल शास्त्री]

ज़िन्दा रखें। जैसा कि आपकी भी और चीफ मिनिस्टर साहिब की भावना है कि हर स्कूल को ज़िन्दा रखा जाए (घंटी) एक बात कह कर खत्म करता हूं। और यह बात बहुत ज़रूरी है। वह यह है कि आज यहां हिन्दी और पंजाबी की शिक्षा के बारे में बड़ा शोर मचाया जा रहा है। मैं गवर्नमैंट को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूं कि जितना सुन्दर प्रबंध हिन्दी पंजाबी पढ़ाने का पंजाब में है उतना किसी दूसरे प्रांत में दिखाई नहीं देगा (*Cheers*) मैं यह बात बता दूं कि मेरा शुरू से ही हिन्दी से बहुत प्रेम रहा है और हिन्दी मेरे जीवन का एक अंग है लेकिन मुझे हैरानी होती है कि हिन्दी का शोर आज वह लोग डाल रहे हैं जो कुर्सियों की वजह से नाराज़ हैं। ऐसे सज्जन जो अब हरियाणा प्रांत का शोर मचा रहे हैं पहले कांग्रेस से नाराज़ हुए तो हिन्दी रक्षा समिति बना ली। वहां से भी नाराज़ हो कर निकले तो अपना आर्य समाज बना लिया लेकिन वहां भी दाल न गली और कोई रास्ता न मिला तो अब हरियाणा प्रांत का नारा लगा दिया.....

(*interruptions*)

श्री अध्यक्ष : Order, order अब आप बैठ जाएं। (Order, order Now the hon. Member may please resume his seat.)

श्री मुनि लाल कामरेड (शिमला) : स्पीकर साहिब.......

6-30 p.m.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9-00 a.m, tomorow.

(*The Sabha then adjourned till* 9. *a.m. on Tuesday* , *the* 8*th March,* 1960)

8826P.V.S.—349—6-8-1960 C., P. & S., Pb Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha
Debates

8th March, 1960

Vol. 1 No. 15

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 8th March, 1860

CHANDIGARH :
Controller of Printing and Stationery, Punjab
1960

Price Rs. 4.35 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I NO. 15
DATED THE 8TH MARCH, 1960.

Read	*for*	*on page*	*line*
1960	1860	Title	7
addressed	addrssaed	(15) 2	1
officer	offcier	(15) 2	13th from below
Lady organiser	Lady organisor	(15) 2	10th from below
Assistant	Assitant	(15) 5	4th from below
Dining	Dinning	(15) 8	13th from below
total	toal	(15) 14	28
Date	dtae	(15) 21	1
interchangeable	inter chageable	(15) 21	23
Bhatinda	Bhitinda	(15) 28	2nd from below
work	works	(15) 37	11th from below
वकार	बकार	(15) 44	13
Read 'ਤਾਂ' after	'ਨਹੀਂ'	(15) 50	15
Evaluation	Evoluation	(15) 64	4
laboratory	laboratary	(15) 69	17
labour	lobour	(15) 72	17
speech	speach	(15) 73	2
रूपए में	में रूपए	(15) 73	18
beneficent	beneficient	(15) 75	2
Read " ; " after	"ਦੀ"	(15) 75	4
Co-operative	co-operating	(15) 82	15
Confidence	Confidance	(15) 88	28
Discussion	Disscusion	(15) 97	Heading

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 8th March, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh at 9.00 a. m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

RURAL CONFERENCES HELD IN AMRITSAR DISTRICT DURING 1959

***5123. Shri Balram Das Tandon:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any Rural Conferences arranged by Government were held in the year 1959 in district Amirtsar; if so, the places where these were held together with the names of persons who addressed them?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary): A statement containing the requisite infoimation is laid on the Table of the House.

Statement showing the places of Rural Conferences held in Amritsar District during 1959and persons who addressed these Conferences

S. No.	Date	Place	Persons who addressed the Conference
1	2	3	4
1	27th January, 1959	Bhure Gill	1. Dr. Parkash Kaur, Deputy Minister 2. District Public Relations Officer
2	12th February, 1959	Chahertta	1. District Public Relations Officer 2. Publicity Supervisor
3	16th February, 1959 & 17th February, 1959	Kohat Wind	1. Sarpanch. 2. Publicity Supervisor 3. Sardar Sohan Singh, M.L.A.
4	23rd February, 1959	Ram Bagh Amritsar	1. Shri Prithvi Singh, M.L.C. 2. District Public Relations Officer 3. Shri Charan Singh, M.L.A.
5	24th February, 1959	Joura	1. Professor Yashwant Rai, Deputy Minister
6	14th March, 1959	Jabowal	1. District Public Relations Officer 2. Sarpanch
7	27th March, 1959	Singh Bela	1. Ch. Suraj Mal, Minister 2. Sardar Sohan Singh, M.L.A. 3. District Public Relations Officer
8	28th March, 1959	Singh Bela	1. Master Gurbanta Singh 2. Sardar Karnail Singh 3. District Public Relations Officer

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No.	Date	Place	Persons who addrssaed the Conference
1	2	3	4
9	29th March, 1959	Singh Bela	1. Giani Kartar Singh 2. Sardar Sohan Singh, M.L.A. 3. District Public Relations Officer
10	11th April, 1959	Khassa	1. District Public Relations Officer 2. District Development Officer 3. Poets
11	12th April, 1959	Maqbul Pur	1. Sardar Amrik Singh, Municipal Commissioner 2. District Public Relations Officer 3. Publicity Organisers 4. Poets
12	18th May, 1959	Gohlwar	1. Chief Minister 2. Dr. Parkash Kaur 3. Sardar Narain Singh 4. Sardar Darbara Singh 5. District Public Relations Officer 6. Publicity Surpevisor
13	23rd May, 1959	Gaggo Mahal	1. Dr. Parkash Kaur 2. District Public Relations Officer 3. Giani Inder Singh
14	3rd June, 1959	Nag Kalan	1. Deputy Minister, Health 2. Publicity Supervisor
15	4th June, 1959	Mohan Bhandari	1. Deputy Minister, Health 2. Publicity Supervisor
16	5th June, 1959	Sohal	1. Speaker, Vidhan Sabha 2. Professor Yashwant Rai 3. District Public Relations Officer 4. Publicity Supervisor
17	19th July, 1959	Naushera Panuan	Publicity Supervisor
18	3rd August, 1959	Ekalgada	1. Chief Minister 2. District Public Relations Officer 3. Publicity Supervisor
19	19th August, 1959	Baba Bakala	1. Chief Minister 2. District Public Relations Offcier
20	31st August, 1959	Panj Graon	1. District Public Relations Officer 2. Publicity Supervisor 3. Lady Organisor
21	20th September, 1959	Verka	1. Chief Minister
22	20th September, 1959	Bohru	1. Deputy Minister Welfare 2. District Public Relations Officer 3. Publicity Supervisor
23	24th October, 1959	Jandiala	1. Shri Mohan Lal, Minister
24	25th October, 1959	Jandiala	1. Chief Minister 2. Shri Mohan Lal, Minister 3. Shri Manohar Lal, Secretary 4. District Public Relations Officer

Serial No.	Date	Place	Persons who addressed the Conference
1	2	3	4
25	3rd November, 1959	Mian Wind	1. Block Development Officer 2. District Public Relations Officer 3. Publicity Supervisor 4. Health Officer
26	4th November, 1959	Fateh-i-bad	1. District Development Officer 2. District Public Relations Officer 3. Head Master 4. Poets
27	5th November, 1959	Naushera Panuan	1. District Development Officer 2. District Public Relations Officer 3. Block Development Officer
28	7th November, 1959	Khalra	1. District Development Officer 2. Mahasha Banarsi Dass 3. District Public Relations Officer 4. Block Development Officer
29	8th November, 1959	Mehta	1. District Development Officer 2. District Public Relations Officer 3. Tehsildar 4. Sardar Sohan Singh, M.L.A. 5 Poets
30	9th November, 1959	Ajnala	1. District Development Officer 2. District Public Relations Officer 3. Publicity Supervisor 4. Poets
31	10th November, 1959	Ramdas	1. Deputy Minister, Health 2. Dr. Upkar Singh 3. District Public Relations Officer 4. Sardar Uttam Singh
32	11th November, 1959	Gandiwaind	1. Block Development Officer 2. District Development Officer 3. District Public Relations Officer
33	14th November, 1959	Ram Tirath	1. Mahasha Banarsi Dass 2. Rao Birendar Singh 3. Sardar Narain Singh 4. District Public Relations Officer
34	15th November, 1959	Bhakna Klan	1. Education Minister
35	20th November, 1959	Kotla Sultan Singh	1. Deputy Minister, Health 2. Dr. Upkar Singh
36	21st November, 1959	Tarpai	1. Deputy Minister, Health 2. Dr. Upkar Singh 3. District Public Relations Officer
37	7th December, 1959	Viram	1. Deputy Minister, Health 2. Dr. Upkar Singh 3. District Public Relations Officer 4. Publicity Supervisor 5. Lady Organisor
38	19th December, 1959	Ramdas	1. Deputy Minister, Health 2. Dr. Upkar Singh 3. District Public Relations Officer 4. Publicity Supervisor 5. District Medical Officer of Health
39	31st December, 1959	Bagha	1. Deputy Minister ,Health 2. District Public Relations Officer 3. Publicity Supervisor

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहब, एक मिनट पहले मुझे statement मिली है और चूंकि यह statement इतनी लम्बी चौड़ी है कि एक दो मिनट में नहीं पढ़ी जा सकती इस लिए इस पर supplementaries कल करने की इजाज़त दे दी जाए ।

श्री अध्यक्ष : आप को काफी पहले आना चाहिए था और आकर पढ़ना चाहिए था । [The hon. Member should have come earlier and studied the answers.]

श्री बलरम दास टण्डन : स्पीकर साहब, यह answer एक दिन पहले भी सप्लाई किया जा सकता था। यह ज़रूरी नहीं कि कुछ देर पहले दिया जाय। आखर इतनी लम्बी चौड़ी statement है एक दो मिनट में कैसे पढ़ी जा सकती थी ?

श्री अध्यक्ष : आप अभी पूछ लें। [He may ask supplementaries just now.]

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहब, जब तक देख न लूं क्या question कर सकता हूं। I shall not be able to do justice to this question.

श्री अध्यक्ष : मैं agree नहीं करूंगा। [No, I shall not agree to it.]

श्री बलराम दास टण्डन : क्या चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी साहिब बतायेंगे कि जो statement उन्होंने दी है उस में किसी अपोज़ीशन के मेम्बर को बुलाया हुआ नहीं बताया, इस की क्या वजह है ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : अपोज़ीशन के मेम्बर इस में interested नहीं हैं।

श्री बलराम दास टण्डन : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस के बारे में कभी अपो-ज़ीशन के उन मेम्बरों के ख्यालात पूछ कर बताने की कोशिश की गई जिन की कई बातें सरकार की policy से मिलती हैं ?

चीफ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : कई दफा पूछा है लेकिन वे तो interested ही नहीं हैं ।

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, यह गलत statement दी जा रही है। इन्होंने कभी नहीं पूछा ।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी तकरीर में कह देना। Questions are meant for eliciting information. [The hon. Member may refer to it in details in his speech. Questions are meant for eliciting information.]

श्री बलरम दास टण्डन : स्पीकर साहब, यह गलत बात कह रहे हैं। मैं इन से यह बात पूछना चाहता हूं कि ये जो सारे जलसे पब्लिसिटी के महकमें की तरफ से हुए जिन में

वक्तन फवक्तन मिनिस्टरों, M.L.Cs., M.L.As. और Chief Minister साहब को बुलाते रहे और अपोजीशन के मेम्बरों को नहीं बुलाते रहे तो इस से क्या मैं यह समझूं कि यह कांग्रेस की stage बनी हुई है ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : कांग्रेस की अलग stage है । यह तो पब्लिक रिलेशन्ज़ डीपार्टमेंट की stage है और वे तमाम लोग जो development में interested हैं preside भी करते हैं और लोगों को अपने ख्यालात भी बताते हैं ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो जलसे Public Relations Department की तरफ से organise किए गए हैं वहां दूसरे M.L.As. के नाम भी invitations भेजी गई हैं ?

चीफ पार्ली मेंटरी सैक्रेटरी : नोटिस दें तो पता कर के बता सकता हूं ।

ASSISTANT DIRECTOR, CONSOLIDATION, FOR PEPSU REGION

***5121. Shri Balram Das Tandon:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the name of the place where the office of the Assistant Director. Consolidation for the Pepsu Region, has been located;

(b) the total number of days for which the said Assistant Director held his court at his head quarters during the last three years;

(c) whether it is a fact that an allowance is paid to him in case he holds his court at a place other than his headquarters; if so, the total amount so far paid to him as allowances?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) Inside Quila Mubarik at Patiala.

(b) One day during the last three years.

(c) No special allowance is paid except Travelling Allowance as admissible under the rules. The total amount of Travelling Allowance and Daily Allowance drawn by the Assistant Director, Consolidation of Holdings, Patiala, during the last three years amounts to Rs. 6,319.57 nP.

श्री बलराम दास टंडन : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि क्या वजह है कि तीन साल के अन्दर सिर्फ एक दिन वहां पर गए और वहां जा कर भी लोगों को नहीं बुलाया ? लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि वे इस लिये जाते हैं कि T.A. मिल सके ।

उप-मंत्री : दो मील का T.A. कितना बनेगा ।

श्री अध्यक्ष : अगर वहां न जाएं तो public को नुकसान होता है, अगर जाएं तो आप कहते हैं T.A. लेते हैं । [If he (Assitant Director, Consolidation) does not go there, then public interest suffers, but if he goes, then the hon. Member complains that the officer does so simply to draw T.A.]

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहब, जो इलाके तीन चार मील पर हैं, वहां पर मैं गया हूं और लोगों ने मुझे शिकायत की कि तीन साल के अन्दर एक दिन भी नहीं मिले।

Chief Minister: It is regrettable.

SUPPLY OF FERTILIZERS BY WAY OF TACCAVI

***4872. Shri Ram Piara**: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) with reference to the replies to Starred Questions Nos. 3251 and 1291 printed in the lists of questions for 28th February, 1959 and 24th March, 1958 (list of postponed questions) respectively the number of loanees traced out so far, the amount recovered and the action taken by Government in respect of those who remain untraced so far;

(b) whether any enquiry in this connection is going on against some officers or officials; if so, the date when this was started and result thereof;

(c) the name of the Enquiry Officer, who is conducting the enquiries?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) 35 loanees have been traced out so far, and a sum of Rs. 10,564.86, nP recovered from them. Efforts are being made to trace out the remaining loanees.

(b) Yes. After finalising preliminary enquiry into doubtful cases by the Police, they are sent to the Court of law if sufficient evidence is available against the defaulters. Two cases against Government officials were registered by the Police in the Court during March and July, 1959, and are still pending trial.

(c) Shri Ram Singh, Sub-Inspector, Police, Karnal, is conducting enquiries into such cases in Karnal District.

श्री राम प्यारा : डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बताया है कि श्री राम सिंह enquiries कर रहे हैं। क्या वज़ीर साहब बतायेंगे कि enquiry आज कल नहीं कर रहे हैं और उन्हें transfer कर दिया गया है ?

उप-मंत्री : आप ने information दे दी है। आप का शुक्रिया।

श्री राम प्यारा : डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बताया है कि two cases against Government officials were registered by the police. क्या वे उन के नाम बता सकते हैं ?

Mr. Speaker: What have you to do with their names ?

श्री राम प्यारा : पूछ कर आगे question करूंगा।

Mr. Speaker: Please leave it.

श्री राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिन मुलाजमों को defaulters गरदाना गया है उन को preparatory to retirement छुट्टी दे दी गई है ?

Mr. Speaker : This question does not arise please. If yo' want to make a complaint you can refer to it in your speech.

श्री राम प्यारा : उस वक्त time इतना नहीं होता कि जितने facts हमारे पास होते हैं उन में से ¼ भी पेश कर सकें ।

Mr. Speaker : I am sorry. I have to follow rules regarding supplementary questions.

श्री राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि कितने cases और हैं जो untraced हैं ?

उप-मंत्री : जो untraced हैं उन के मुताल्लिक कैसे बताया जा सकता है ?

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि श्री राम सिंह कब तक enquiry करते रहे हैं ?

उप-मंत्री : जिस वक्त जवाब तैयार किया गया उस वक्त श्री राम सिंह enquiry कर रहे थे ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जवाब कब तैयार किया गया ? डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि आज पता नहीं कि कौन enquiry कर रहा है, जिस वक्त जवाब तैयार किया गया उस वक्त श्री राम सिंह enquiry कर रहे थे । इस लिये मेरा सप्लीमैंटरी है कि श्री राम सिंह कब तक enquiry करता रहा ।

उप-मंत्री : इस के मुतअल्लिक मेरे पास कोई record नहीं है । अलहदा नोटिस दें ।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि सवाल के पहुंचने पर उस Sub-Inspector को तब्दील किया गया या उस वक्त जब इस सवाल का जवाब तैयार हो चुका था ?

Mr. Speaker: The Deputy Minister has already said that he wants notice for this question.

FURNITURE PURCHASED BY LADY A.D.I. OF SCHOOLS, GURDASPUR DISTRICT

***4968. Sardar Atma Singh:** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether the Lady A.D.I. of Schools of Gurdaspur District got any furniture prepared in 1958 for schools; if so, from where, from whom and the amount paid therefor;

(b) whether any tenders for the purchase were invited; if so, the names of the tenderers with their quotations ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): (a) Yes. The furniture was purchased by the Assistant District Inspectress of Schools, Gurdaspur, during the year 1958 from the following firms for the amount given against each:

(i) The Batala Public Furniture Industries, Co-operative Society, Batala—Rs. 8,900.

(ii) The Dina Nagar National Furniture Co-operative Industrial Society Ltd., Dina Nagar—Rs. 17,980.

(b) Yes. The tenders were invited from the above-quoted firms. Quotations are placed on the Table of the House.

TO

THE DISTRICT INSPECTOR OF SCHOOLS,
GURDASPUR

The rates of the articles inclusive of sales tax are given as under, have been the samples of the articles and agree to supply the furniture per specimen and of the description approved by the A/R. The articles will be supplied f.o.r. destination:

Sr. No.	Description of the articles	Rs	A.	P.
1	Tables $3\frac{1}{2}' \times 2\frac{1}{2}'$ without drawers with 3/4″ thick shisham wood top 1″ thick shisham wood framing $1\frac{3}{4}'' \times 3/4''$ sisham wood legs complete with paint and varnish	17	0	0
2	Tables $4' \times 2\frac{1}{2}' \times 2\frac{1}{2}'$ without drawers with 3/4″ thick shisham wood top 1″ thick shisham wood framing $1\frac{3}{4}'' \times 3/4''$ shisham wood legs complete with paint and varnish	20	0	0
3	Office chairs with arms as per sample in the office double cane Baraelly seat and single cane back	13	0	0
4	Shisham wood patras as per sample in the office but with 12″ and height 6″ of shisham wood	7	0	0
5	Black Board with easel $3' \times 2\frac{1}{2}'$ (Black Board) easel H. of Deodar wood	17	0	0
6	Office table as per specimen in A.R. office ..	110	0	0
7	Dinning chairs ..	8	8	0
8	Easy Chairs folding ..	16	8	0
9	Benches ..	25	0	0
10	Stools ..	4	8	0
11	Waste Paper Basket ..	3	8	0
12	Tray ..	4	0	0
13	Comode with pot ..	15	0	0
14	Cycle stand for six cycles ..	25	0	0
15	Almirah size $5' \times 3' \times 1\frac{1}{2}'$ of deodar wood ..	85	0	0
16	Almirah size $6' \times 4' \times 1\frac{1}{2}'$ of deodar wood ..	120	0	0
17	Duel desk of deodar wood $3\frac{1}{2}' \times 2\frac{1}{2}'$ ..	26	0	0
18	Side racks of $3' \times 3' \times 12''$ of Deodarwood ..	30	0	0
19	Economy desks size $4' \times 12'' \times 15''$ ..	13	0	0

(Sd) . . .

The Dina Nagar National Furniture Ltd.
Co-operative Industrial Society Ltd.

FROM

THE BATALA PUBLIC FURNITURE INDUSTRIES,
CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.,
LAKKAR MANDI, BATALA

To

THE ASSISTANT DISTRICT INSPECTRESS
OF SCHOOLS, GURDASPUR

Subject: Quotation of furniture

			Rs.	
1	Office table size 3′×2½′×2½′ Deodar wood without drawers	..	22.00	each
	Office table size 3′×2½′×2½′ Deodar wood with Drawers one side		30.00	,,
2	Office Chairs shisham wood double seated back single with Bareilly cane		13.00	,,
3	Pattra size 6″×10″×6″′×10′	..	8.00	,,
4	Almirah size 6′×4′×1½′	..	120.00	,,
5	Black Board size 3½′×2¼′×1″	..	19.00	,,
6	Officer table size 5′×3′×2¼′ Two boxes, three drawers in each box. Top adjustable covered with rexion cloth deodar wood	..	158.00	

(Sd.) MEHAR SINGH,

SECRETARY,

The Batala Public Furniture Industries
Co-operative Society Ltd.,

Lakkar Mandi, Batala

Attested

(Sd.) J. GYAN SINGH,

District Inspectress of Schools,

Gurdaspur

16th February, 1960

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ A.D.I. Schools ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ?

उप मंत्री : पहुंची थी ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ?

उप मंत्री : इल्म नहीं ।

HOSPITALS/DISPENSARIES WITHOUT DOCTORS

***5009. Sardar Atma Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the Government dispensaries and hospitals in the State which are without doctors at present and the dates since when these have been without doctors;

(b) the names of Government dispensaries and hospitals where doctors have been appointed during the current year and the steps being taken to appoint doctors in the others?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Reply to part (a).

Government Hospitals and Dispensaries which are without doctors.

S. No.	Name of hospital or dispensary	Date from which vacant
	HISSAR DISTRICT	
1	Rural Dispensary, Uklana	.. January, 1960
2	Canal Dispensary, Hissar	.. 26th January, 1959
3	Canal Dispensary, Tohana	.. 1st March, 1958
4	Canal Dispensary, Punjuana	.. 24th September, 1954
5	Canal Dispensary, Kalanwali	.. 5th June, 1956
6	Canal Dispensary, Sorkhi	.. 12th August, 1954
7	Canal Dispensary, Narnaund	.. January, 1960
	ROHTAK DISTRICT	
8	Civil Dispensary, Dujana	.. 1st January, 1960
9	Rural Dispensary, Jakhauli	.. 20th November, 1959
10	Rural Dispensary, Machhrauli	.. 6th January, 1960
	GURGAON DISTRICT	
11	Rural Dispensary, Solra	.. 11th July, 1958
	KARNAL DISTRICT	
12	Canal Dispensary, Mundri	.. 9th November, 1957
13	Canal Dispensary, Binjhol	.. 25th October, 1959
14	Canal Dispensary, Pehowa	.. 10th February, 1959
	AMBALA DISTRICT	
15	Rural Dispensary, Morni	.. 27th November, 1958
16	Canal Dispensary, Morinda	.. 1st January, 1958
	KANGRA DISTRICT	
17	Civil Dispensary, Kangra	.. 14th January, 1960
18	Rural Dispensary, Sainj	.. 26th August, 1959
	HOSHIARPUR DISTRICT	
19	Rural Dispensary, Garhimansowal	.. 9th June, 1957
20	Rural Dispensary, Budhabar	.. 25th May, 1958
	JULLUNDUR DISTRICT	
21	Canal Dispensary, Nawanshehr	.. 22nd January, 1955
22	Rural Dispensary, Talwan	.. January, 1960
	LUDHIANA DISTRICT	
23	Canal Dispe nsary, Rampur	.. 5th September, 1958
	FEROZEPORE DISTRICT	
24	Rural Dispensary, Sitto Gunoo	.. 2nd April, 1959
25	Rural Dispensary, Sohangarh	.. January, 1960
26	Rural Dispensary, Kanianwali	.. 26th March, 1959
27	Canal Dispensary, Fazilka	.. 1st August, 1958

S. No.	Name of hospital or dispensary		Date from which vacant
	AMRITSAR DISTRICT		
28	Rural Dispensary, Baba Bakala	..	January, 1960
29	Rural Dispensary, Rajoke	..	6th March, 1957
30	Rural Dispensary, Jasroor	..	30th December,1959
31	Rural Dispensary, Subra	..	11th October, 1956
32	Rural Dispensary, Chawinda Devi	..	25th September, 1957
33	Rural Dispensary, Butala	..	15th December, 1959
34	Rural Dispensary, Vachoa	..	2nd June, 1959
35	Female Dispensary, Marimehga	..	26th May, 1957
	PATIALA DISTRICT		
36	City Dispensary, Patiala	..	1st February, 1960
37	Civil Dispensary, Raghomajra	..	8th December, 1959
38	District Jail, Nabha	..	15th July, 1959
39	Primary Health Centre, Kauli	..	9th February, 1959
40	Rural Dispensary, Kalayan	..	..
41	Rural Dispensary, Shatrana	..	..
42	Rural Dispensary, Chause	..	..
43	Rural Dispensary, Jogon	..	..
44	Rural Dispensary, Kularan	..	..
	SANGRUR DISTRICT		
45	Civil Dispensary, Hadiaya	..	30th May, 1958
46	Women Dispensary, Jind	..	January, 1956
47	Primary Health Centre, Kauharian	..	9th February, 1959
48	Primary Health Centre, Longowal	..	16th April, 1959
49	Rural Dispensary, Bhullerheri	..	..
50	Rural Dispensary, Fatehgarh	..	January, 1960
51	Rural Dispensary, Kalwa	..	10th February, 1960
52	Canal Dispensary, Ladda	..	..
53	Canal Dispensary, Harigarh	..	..
54	Canal Dispensary, Dayalpura	..	..
	BHATINDA DISTRICT		
55	Canal Dispensary, Bhatinda	..	22nd May, 1956
56	Canal Dispensary, Dhapai	..	13th April, 1956
	MOHINDERGARH DISTRICT		
57	Rural Dispensary, Nangal Chaudhrian	..	24th March, 1959
59	Rural Dispensary, Bhojwas	..	8th May, 1959

Reply to part (b):

Government dispensaries and hospitals where doctors have been appointed during January, 1960

1. Rural Dispensary, Jundla, District Karnal
2. Rural Dispensary, Bhullarai, District Kapurthala
3. Rural Dispensary, Thaska Miranji, District Karnal
4. Rural Dispensary, Tallewal ,District Sangrur
5. Rural Dispensary, Bhagal, District Karnal
6. Rural Dispensary, Bhauj, District Gurgaon
7. Rural Dispensary, Ellenabad, District Hissar
8. Rural Dispensary, Chutala, District Hissar
9. Rural Dispensary, Baragudha, District Hissar
10. Police Hospital, Ferozepore
11. Rural Dispensary, Farmana, District Rohtak
12. Rural Dispensary, Sanghi ,District Rohtak
13. Rural Dispensary, Ujina, District Gurgaon
14. Rural Dispensary, Biwan, District Gurgaon

[Deputy Minister]

15. Rural Dispensary, Bhawanikhera, District Hissar
16. Rural Dispensary, Ratia, District Hissar
17. Rural Dispensary, Odhan, District Hissar
18. Civil Dispensary, Kangra
19. Rural Dispensary, Dirba Kalan (District Hissar)
20. Rural Dispensary, Naru Nangal, District Hoshiarpur
21. Rural Dispensary, Sahiba, District Hoshiarpur
22. Rural Dispensary, Mudki, District Ferozepore
23. Rural Dispensary, Lambi, District Ferozepore
24. Rural Dispensary, Jallabad, District Amritsar
25. Rural Dispensary, Singhpura, District Gurdaspur
26. Civil Dispensary, Raghomajra, District Patiala
27. Rural Dispensary, Tandabada, District Patiala
28. Rural Dispensary, Mastuana, District Sangrur
29. Civil Dispensary, Uchana, District Sangrur
30. Rural Dispensary, Gollewala, District Bhatinda
31. Town Dispensary, Kapurthala
32. Rural Dispensary, Talwandi Chaudhrian, District Kapurthala
33. Canal Dispensary, Aliwal, District Gurdaspur
34. Police Hospital, Ludhiana
35. Rural Dispensary, Nandpur Kalaur, District Patiala
36. Women Hospital, Sunam, District Sangrur
37. Women Hospital, Mohindragarh
38. Women Hospital, Dehra Gopipur, District Kangra
39. Women Hospital, Nakodar, District Jullundur
40. Women Hospital, Ajnala, District Amritsar
41. Primary Health Unit, Patto Hira Singh, District Ferozepore
42. Primary Health Unit, Garyala, District Amritsar
43 Primary Health Unit, Dighal, District Rohtak
44. Primary Health Unit, Gharota, District Gurdaspur
45. Touring Dispensary, Mohindragarh
46. Ten-Bedded Clinic, Bhunter, District Kangra
47. T.B. Clinic, Narnaul
48. Primary Health Unit, Hambran, District Ludhiana
49. Primary Health Centre, Gopi, District Mohindragarh
50. Primary Health Centre, Thathi Bhai, District Ferozepore
51. Primary Health Centre, Shelog, District Mohindragarh
52. Primary Health Centre, Gohana, District Rohtak
53. Primary Health Centre, Kharar, District Ambala
54. Primary Health Centre, Garhshanker, District Hoshiarpur
55. School Health Service Clinic, Amritsar
56. School Health Service, Clinic, Karnal
57. School Health Service, Clinic Hissar
58. Primary Health Centre, Kahnaur, District Rohtak
59. Primary Health Centre, Bapuli, District Karnal
60. Primary Health Centre, Gangtha, District Kangra
61. Primary Health Centre, Haripur, District Kangra
62. Primary Health Centre, Kot Isa Khan, District Ferozepore
63. Primary Health Centre, Harpalpur, District Patiala
64. Primary Health Centre, Mahl Kalan, District Sangrur
65. Primary Health Centre, Shamlo Kalan, District Sangrur
66. Primary Health Centre, Sangat, District Bhatinda
67. Primary Health Centre, Sisai, District Hissar
68. Primary Health Centre, Anni, District Kangra
69. Primary Health Centre, Balanwali, District Bhatinda
70. Primary Health Centre, Guhla, District Karnal
71. Primary Health Centre, Machiwara, District Ludhiana
72. Primary Health Centre, Parli, District Hoshiarpur
73. Civil Hospital, Kulu, District Kangra
74. Rural Health Centre, Dhilwan, District Kapurthala
75. Primary Health Centre, Shahkot, District Jullundur
76. Primary Health Centre, Bahuna, District Hissar
77. Primary Health Centre, Mulana, District Ambala
78. Primary Health Centre, Tapa, District Sangrur
79. Primary Health Centre, Tosham, District Hissar
80. Primary Health Centre, Ballan, District Karnal
81. Primary Health Centre, Shahpur, District Kangra

82. Civil Hospital, Dalhosie, District Gurdaspur
83. Primary Health Unit, Sarhali, District Amritsar
84. Primary Health Unit, Julana, District Sangrur

Steps taken to appoint doctors in vacant dispensaries

(i) The Subordinate Services Selection Board, Punjab, has been requested to advertise the vacancies and to recommend the names of suitable candidates.
(ii) The Health Department is employing candidates on a three month basis.
(iii) Women doctors are employed on male cadres.
(iv) Retired and superannuated doctors are re-employed for a period of one year in the first instance and further re-employed up to the age of 60 years.
(v) Candidates possessing M.B.B.S. and L.M.S. with F.Sc. (Medical Group) qualifications are given a higher start of Rs. 200 per mensem in the scale of Rs. 150—380.
(vi) Candidates possessing post-licentiate and post-graduate qualifications like M.S.M.F., D.O.M.S., D.T.D., D.G.O., etc., are given two advance increments.
(vii) Doctors who join after a number of years of private practice are allowed one advance increment for every three years of private practice subject to a maximum of three increments.
(viii) Recently, 144 posts of Civil Assistant Surgeons Class II (non-gezatted) have been upgraded to P.C.M.S. Class II and suitable candidates have been recruited.
(ix) Government is also considering to—
(a) allow Public Health and Sanitation allowance of Rs. 100 per mensem to doctors serving in Rural and Backward areas;
(b) not to allow any Civil Assistant Surgeon Class II (N.G.) to cross first or second efficiency bar unless he/she has served in rural areas for at least three years;
(c) to unify two cadres of P.J.M.S. and P.C.M.S. Class II.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ dispensaries ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਥੇ ਬਗੈਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

उप मंत्री : यह हाउस को पता है कि डाक्टरों की कमी है । कई out of the way places हैं या backward areas हैं जहां कोई डाक्टर जाने के लिये तैयार नहीं था अगर कोई डाक्टर जाता है तो वह इस्तीफा दे देता है ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀਆਂ dispensaries ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

उप मंत्री : Dispensers चला रहे हैं ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀਆਂ out of the way ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ allowances ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ?

उप मंत्री : इस मामले पर गवर्नमैंट गौर कर रही है ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिबा फरमाएंगे कि जिन dispensaries में डाक्टर नहीं हैं क्या वहां से करीब तइनात हुए डाक्टरों को for the time being सरकार हिदायतें जारी करेगी कि वे उन dispensaries में भी काम करें ?

उप मंत्री : जो retired doctors हैं उन्हें re-employ किया जा रहा है ।

श्री बलराम दास टंडन : डिप्टी मिनिस्टर साहिबा ने बताया है कि जिन दूर उफतादा गांव में डाक्टर जाने के लिये तैयार नहीं वहां उन्हें allurement देने के लिये सरकार उन के allowances बढ़ाने के सवाल पर ग़ौर कर रही है । क्या वह बतायेंगे कि यह फैसला कब तक हो जायगा ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ grades ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ position gazetted ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ allowances ਵਿਚ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ।

RAIDS BY EXCISE STAFF IN TEHSIL PANIPAT, DISTRICT KARNAL

***5238. Dr. Parma Nand:** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the number of raids conducted by the Excise staff in tehsil Panipat during the period from the 1st April, 1958 to date, the quantity of illicit liquor, alcohol or other raw material for the distillation of liquor recovered in each case;

(b) the number of cases registered as a result of the said raids, the number sent up to the courts for the trial and the number of those which have not been sent up for trial together with the reasons for the latter;

(c) the result of those sent up to the courts for trial mentioned in part (b) above;

(d) whether any of the cases sent up to the courts for trial was subsequently withdrawn; if so, the reasons therefor?

Dr. Gopi Chand Bhargava: (a) The total number of raids conducted by the Excise Staff in tehsil Panipat from 1st April,1958 to date is 75. A statement indicating the quantity of illicit liquor or raw material etc. recovered in each case is laid on the Table.

(b) The toal number of cases registered is 118. All of these were sent up for trial.

(c) The results of cases which have been decided by the court are also mentioned in the statement.

(d) None of the cases sent up for trial was withdrawn.

STATEMENT

(a)				(b)			(c)	(d)
Total No. of raids conducted from 1st April, 1958 to date	Serial No.	*Quantity recovered in each case* Liquor	Lahan	*No of cases* Regd.	Sent up to court for trial	*Not sent up*	*Remarks of the cases* Fine	Cases with-drawn Conviction
		Ozs.						
75	1	39		118	118	..	..	Nil
	2	26						
	3	26						
	4	22						

(a)				(b)			(c)	(d)
Total No. of raids conducted from 1st April, 1958 to date	Serial No.	*Quantity recovered in each case*		*No. of cases Regd.*	Sent up to court for trial	*Not sent up*	*Remarks of the cases*	Cases with-drawn
		Liquor	Lahan				Fine	Conviction
		Ozs.						
	5	26						
	6	13						
	7	26						
	8	26						
	9	26						
	10	13						
	11 to 14	670	30 seers				200 } 200 }	each 6 months R. I.
	15	104					100	..
	16	26					25	..
	17	52					10	till rising of the Court
	18	26						
	19	100						
	20	52						
	21	26						
	22	26						
	23	26						
	24	26						
	25	13					10	
	26	26						
	27	26						
	28	46						
	29	24						
	30	38						
	31 to 37	121 Seers						
	38 to 48	176	100 Seers					

[Minister for Finance]

Total No. of raids conducted from 1st April, 1958 to date	(a) Serial No.	*Quantity recovered in each case* Liquor	Lahan	(b) *No. of cases Regd.*	Sent up to court for trial	*Not sent up*	(c) *Remarks of the cases* Fine	(d) Cases with-drawn Conviction
	49		30 Seers					
	50	..	36 ,,					
	51		5 ,,					
	52 to 54		129 ,,					
	55 to 56	..	55 ,,					
	57 to 58	..	40 Seers					
	59	13						
	60	26						
	61	24						
	62	20	22 Seers					
	63	..	16 ,,			15		
	64	52				..	One month	
	65	26						
	66	24						
	67	..	15 ,,			20		
	68	..	20 ,,					
	69	22						
	70	18						
	71	8						
	72	26	20 ,,					
	73	39	15 ,,					
	74 to 81	195	Maunds Seers 6 12					
	82	26						
	83	26						
	84	26						
	85	13						
	86	13						
	87	78					2 months R.I.	
	88	..	22 Seers					
	89	50						
	90 to 92	13				Rs 30		
	93	..	10 ,,					
	94	..	10 ,,					
	95	..	30 ,,					
	96	26						
	97	26						
	98	..	3 maunds					
	99	..	3 ,,					
	100	..	3 ,,					
	101	26						
	102	156						
	103	20						
	104	26						
	105	26						

	(a)			(b)			(c)		(d)
Total No. of raids conducted from 1st April, 1958 to date	Serial No.	*Quantity recovered in each case*		*No. of cases Regd.*	Sent up to court for trial	*Not sent up*	*Remarks of the cases*		Cases with-drawn
		Liquor	Lahan				Fine	convic-tion	
	106	..	22 Seers						
	107	52	..						
	108	..	15 Seers						
	109	52							
	110	78							
	111	26							
	112	26							
	113	13							
	114	26							
	115	26							
	116	26							
	117	..	22 Seers						
	118	52							

डाक्टर परमानन्द : क्या फाइनैंस मिनिस्टिर साहिब बतायेंगे कि 118 cases register किये गये, उन में से सिर्फ 9 को सज़ा मिली है, बाकियों को क्यों नहीं मिली ?

वित्त मंत्री : मैं इस के मुतअल्लिक क्या जवाब दे सकता हूं क्योंकि cases court में हैं ।

INSTALLATION OF A CYCLE MANUFACTURING PLANT IN ROHTAK

*4694. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether any Cycle Manufacturing Plant is being installed at Rohtak; if so, the time by which it is expected to start functioning?

Shri Mohan Lal: No. Government have, however, received information that a cycle factory located in Delhi State may shift to Rohtak District and start functioning sometime in 1960, if the proposal materialises.

GRANT OF IMPORT LICENCE IN THE STATE

*4891. **Shri Ram Piara** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of persons, firms, private Ltd. concerns, co-operative societies or any other such party in the State, which have been granted import licences on the recommendations of the State Government during the period from April, 1958 to date; together with the details of the amount for which import licences have been granted and the items for which granted;

(b) the place of business of the persons and firms, etc. referred to in part (a) above;

(c) whether the State Government before recommending the cases for import licences has verified the antecedents of the importers; if so, by whom in each case?

Shri Mohan Lal : The information is very voluminous and the labour involved will not be commensurate with the results to be achieved.

(a) and (b) This information, however, is published by the Government of India, Ministry of Commerce and Industry in Weekly Bulletins of Import and Export Trade Control.

(c) Yes; by Field Officers of the Industries Department, Punjab.

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि Government of India publish करती है। यह information तो इन्होंने नकल कर के ही दे देनी थी।

श्री अध्यक्ष : Document का question है; नहीं हो सकती होगी। [It is a question of securing the documents. Possibly the information could not have been collected.]

श्री राम प्यारा : हम ने तो Punjab Government से information मांगनी है।

उद्योग मंत्री : Import Licence Government of India देती है। Weekly Bulletin issue होता है। Government of India की publication है, उस को refer कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : जो accessible document है उस के बारे में सवाल नहीं होना चाहिये। [No question should be asked in respect of an accessible document.]

श्री राम प्यारा : Punjab Government ने कितने cases recommend किए और Centre ने उन में से कितने मन्ज़ूर किए ?

श्री प्रबोध चंद्र : On a point of order, Sir. आप ने फरमाया है कि जो accessible documents हैं उन के बारे में सवाल न पूछें। Convention यह है कि accessible documents उन को गिना जाता है which are not only public, but are also available to the public.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : On a point of order, Sir. May I know whether the recommendations of the Government for the grant of import licences are contained in accessible documents?

Mr. Speaker : The information asked for in the main question was about the names of persons, firms, etc., that have been granted import licences on the recommendations of the State Government. The honourable Minister has stated, in reply, that the information being very voluminous cannot be supplied.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : As these recommendations are not contained in accessible documents, I think the honourable Member is entitled to ask for the information.

Minister : The normal procedure for the grant of import licences is that the applications are forwarded to the Government of India through the State Government after verification by the Field Officers of the State Industries Department, of the antecedents of the applicants. The Government of India is the ultimate authority to grant such licences. Necessary information pertaining to the names of persons, firms etc., which have been granted import licences on the recommendations of the State Government, is published by the Government of India, in the form of Bulletins, which are available to the public.

श्री राम प्यारा : क्या Minister साहब बतायेंगे कि Punjab Government ने कितने cases में recommendations कीं और उन में से कितने cases में Union Government ने मन्जूरी दी ?

Mr. Speaker : The honourable Minister has already stated that the information being too voluminous cannot be supplied.

श्री राम प्यारा : क्या Minister साहब बतायेंगे कि जिन जिन cases में Punjab Governmnet ने recommendations कीं उन में से कितने cases Punjab Government की black list में थे ? Information बाहर नहीं आ रही ।

मंत्री : इस के लिये specific question करना चाहिए। Question करने के ढंग होते हैं। एक general question करने से कैसे जवाब दिया जा सकता है ।

श्री राम प्यारा : Police Department के 7,000 आदमियों का जो सवाल था वह तो जवाब आ गया, लेकिन Industries Department ने 600 का नहीं दिया। Industries Department ने एक तरीका ही बना लिया है।

DISTRICT INDUSTRIES OFFICERS

***4939. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the number and names of the District Industries Officers at present in the State together with the dates on which each one of them held the charge of districts where they are posted at present and also the names of the districts from which they had been transferred;

(b) whether any enquiries are pending against any of the said officers; if so, their number together with the dates when each said enquiry had been started and the name of the authority who is conducting the enquiries in each case;

(c) whether any amount of T.A. or transfer allowance has been charged by any of the said officers during the year 1959; if so, how much?

Shri Mohan Lal : (a) and (b) The information is laid on the Table of the House.

(c) It is not in the public interest to disclose this information.

ANNEXURE 'A'

Total Number of District Industries Officers........13.

Sl. No.	Name of the officer	*Transferred* From	*Transferred* To	Date of posting at the present station	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Shri R.L.Malohtra	District Industries Officer, Jullundur	District Industries Officer, Amritsar	27-4-59	..
2	Shri M.L.Bhoocher	District Industries Officer, Ambala	District Industries Officer, Jullundur	18-4-59	..
3	Shri Prehlad Singh	District Industries Officer, Ferozepur	District Industries Officer, Ambala	29-4-59	..
4	Shri Jagdish Rai	District Industries Officer, Panipat	District Industries Officer, Rohtak	22-4-59	..
5	Shri O.P.Jain ..	Assistant Director of Industries (Industrial Suplies)	District Industries Officer, Panipat (District Karnal)	14-4-59	..
6	Shri L.K. Sehgal..	Community Project Officer (Industries), Batala	District Industries Officer, Dharmsala (District Kangra).	5-10-59	He is a permanent District Industries officer. He was temporarily appointed as Community Project Officer, Batala.
7	Shri Inderjit Vohra ..	District Industries Officer, Panipat	District Industries Officer, Patiala	27-5-57	
8	Shri H.L.Walmik	Assistant Controller of Stores, Jullundur	District Industries Officer, Hissar	8-6-57	
9	Shri Maharaj Krishan Mehra	Assistant Director of Industries (Development), Chandigarh	District Industries Officer, Ludhiana	13-1-60	
10	Shri Baldev Singh	District Industries Officer, Batala	District Industries Officer, Ferozepur	27-1-60	

Sl. No.	Name of the officer	Transferred From	Transferred To	Dtae of posting at the present station	REMARKS
1	2	3	4	5	6
11	Shri Gora Lal Jindal ..	Assistant District Industries Officer, Kulu	District Industries Officer, Gurgaon	10-5-58	
12	Shri Bhagwant Kishore	Assistant Director of Industries (Technical Education), Chandigarh	District Industries Officer, Batala	22-1-60	
13	Shri Niranjan Singh	Assistant District Industries Officer, Kapurthala	District Industries Officer, Hoshiarpur	27-1-60	Appointed vice Shri Vidya Sagar Datta suspended

Note:—The posts of District Industries Officers, Assistant Directors of Industries and Assistant Controller of Stores carrying the grade of Rs. 250—750 in the P.I.S. (Class II) are inter-chageable with each other.

ANNEXURE 'C'

Sl. No.	Name of the officer		Amount of T.A. on transfer charged during the year 1959	Amount of T.A. on tour charged during the year 1959
			Rs nP.	Rs. nP.
1	Shri R.L.Malhotra	..	..	492.61
2	Shri M.L.Boocher	..	57.60	310.80
3	Shri Prehlad Singh	..	..	249.56
4	Shri Jagdish Rai	..	16.50	159.33
5	Shri O.P.Jain	..	109.75	185.16
6	Shri L.K.Sehgal	..	..	195.37
7	Shri Inderjit Vohra		..	504.85
8	Shri H.L.Walmik	..	..	582.49
9	Shri Maharaj Krishan Mehra	..	..	37.82
10	Shri Baldev Singh	..	..	1,272.10
11	Shri Gora Lal Jindal	..	..	655.39
12	Shri Bhagwant Kishore	..	..	108.75
13	Shri Niranjan Singh	..	..	106.02

श्री राम प्यारा : Part (b) के जवाब में Minister साहब कहते हैं कि यह information disclose करना public interest में नहीं। मेरे पास cases हैं। पिछले Session में इन्होंने बताया था कि फलां District Industries Officer के खिलाफ 7 inquiries हैं, फलां के खिलाफ 5 हैं।

Mr. Speaker : The hon. Member should not question the reply given. He should put a supplementary question.

श्री राम प्यारा : क्या Minister साहिब बतलाएंगे कि जो information District Industries Officers के खिलाफ inquiry के मुतािल्लक दी थी आज वह information देने में क्या रुकावट है ?

मंत्री : पिछले session में क्या information दी थी या नहीं दी थी, क्या question था, क्या जवाब था, मैं यह carry नहीं करता । अगर जानना चाहें तो इस बात का notice दें, पता कर के बतला दूंगा ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ public interest ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ industries officers ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ inquiry ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਆ public interest involved ਹੈ ਕਿ inquiry ਦੀ information ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ?

मंत्री : Public Interest बड़ी साधारण बात है । इस stage पर जब कि inquiries हो रही हों यह कह देना ठीक नहीं । जो informers होते हैं उन के मुतािल्लक क्या substance होता है—ये सारी बातें disclose करने से inquiry का मकसद खत्म हो जाता है। ऐसी stages होती हैं जब कि inquiry departmental ढंग से चलनी चाहिए ।

श्री राम प्यारा : इस statement में No. 9 पर Minister साहिब ने बताया है कि District Industries Officer की transfer हुई मगर उसे T.A. नहीं दिया गया। पहले D.I.O. charge लेने के लिये गया। इधर Minister साहिब ने order cancel कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : It is not allowed. आप किस तरह के supplementaries करते हैं ? ऐसी बातें न करें। (It is not allowed. What sort of supplementaries does the hon. Member put ? He should not say such things.)

BRICK-KILN LICENCES IN TEHSIL PANIPAT, DISTRICT KARNAL

***5237. Dr. Parmanand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of brick-kiln licences in tehsil Panipat at present together with the dates when each of these licences were issued;

(b) whether any licences were issued in the said tehsil in 1959-60; if so, to whom and on what basis;

(c) whether the antecedents of the persons to whom the said licences were issued were verified; if so, by whom and with what result in each case?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister) (a) Details regarding names of the brick-kiln licensees in tehsil Panipat together with dates of issue of licences to them are given in the statement placed on the Table of the House.

(b) No.

(c) Question does not arise.

STATEMENT

Sl. No.	Name of the Party		Date of issue
1	Messrs Mehar Chand-Jagdish Chander, Panipat	..	3-4-50
2	Messrs Mangal Sain-Chandgi Ram, village Samalkha	..	3-4-50
3	Messrs Matu Ram-Himmat Ram, village Bhapra	..	3-4-50
4	Shri Chandgi Ram, village Garhi Chaji		3-4-50
5	Shri Ram Sarup Tyagi, village Hathwala	..	3-4-50
6	Messrs Hardev Sahai Jain and sons, village Dehra		3-4-50
7	Messrs Ram Sarup-Rameshwar Dayal, village Naultha	..	3-4-50
8	Messrs Himmat Ram-Badri Parshad, Beopoli	..	13-4-50
9	Messrs National Bhatha Company, Panipat	..	18-4-50
10	Messrs Bhagmal-Khazan Chand, village Urakhsi	..	29-11-50
11	Messrs Tara Chand-Ram Narain, village Bursham	..	4-12-50
12	Messrs Phool Chand-Kartar Singh, village Itowala		8-12-50
13	Shri Gian chand Chawla, village Nimmri	..	11-12-50
14	Messrs Tara Chand-Ram Narain, village Mavana	..	18-12-50
15	Messrs Shugan Chand-Bhushan Chand, village Bajwa	..	19-12-50
16	Messrs Ram Sarup-Rameshwar Dayal, village Karad	..	2-1-51
17	Messrs Lal Singh-Chandgi Ram, village Atta	..	4-1-51
18	Messrs Mangal Sain-Chandgi Ram, village Samalkha	..	11-1-51
19	Messrs Mange Ram-Nathu Ram, village Jorasi	..	14-1-51
20	Messrs Hari Singh-Gopi Ram, village Beohli	..	14-1-51
21	Messrs Arjan Singh Sodhi & Sons, village Banjaul	..	20-3-51
22	Shri Phool Chand Thekadar, village Kiwana	..	26-4-51
23	Messrs Daya Nand, fine B/K Cont. village Naraina	..	26-4-51
24	Messrs Bhola Ram & Sons, village Dikadla	..	11-10-51
25	Messrs Sodhi Arjan Singh & Sons, village Siawa	..	5-11-51
26	Shri Gian Chand Chawla, village Eajakheri	..	21-1-52
27	Messrs Himmat Ram-Badri Parshad, village Lohani		18-2-52
28	Messrs Malik Bros Bhatha Company Kukhrana	..	28-8-52
29	Shri Harbans Lal, Panipat	..	21-10-52
30	Messrs Lal Singh-Chandgi Ram, village Dahar	..	18-3-53
31	Messrs Rameshwar Dass & Company, village Patti Kalyana		18-3-53
32	Messrs Shugan Chand-Bushan Chand, village Israna	..	26-5-53
33	Messrs Madlauda Bhatha Company., village Madlauda	..	7-9-53
34	Shri Ram Rachhpal, son of Shri Munadi Lal, village Samalkha	..	15-9-53
35	Messrs Bharat Bhatha Company, village Hathwala	..	21-10-53
36	Messrs Shugan Chand-Roshan Chand, village Dharamgarh		2-11-53
37	Messrs Karnal Kaithal Bhatha, Company, village Kaithal	..	10-12-53
38	Messrs Balbir Chand-Madan Lal, Panipat	..	15-2-54
39	Zimadara Bhatha Company, village Nizampur	..	18-2-54
40	Shri Ram Sarup, son of Ram Narain, village Chichrana	..	22-4-54
41	Shri Gian Chand Chawla, village Uchaji	..	18-6-54
42	Messrs Ram Narain-Roshan Lal, village Nahra	..	23-9-54
43	Messrs Khushi Ram-Ramji Mal, Karnal	..	8-11-54
44	Messrs Santokh Singh-Om Parkash, village Sheikhupura	..	1-3-55
45	Messrs Punjab Bhatha Company., village Puthaer		1-3-55
46	Messrs Dehti Bhatha Company, village Jathal	..	2-4-55
47	Messrs Sodhi Arjan Singh & Sons, village Assankhurd	..	4-11-55
48	Shri Chandan Lal, village Chamrara	..	13-2-56
49	Shri Satish Chander, village Kalra	..	13-7-56
50	Messrs Shugan Chand-Bushan Chand & Company, village Rai-Kalan		20-7-56
51	Messrs Dayal Singh-Puran Singh, Panipat	..	4-2-58
52	Shri Munna Lal Aggarwal & Company, Gharaunda	..	16-7-58
53	Messrs Santokh Singh-Om Parkash, village Kurar	..	25-1-54

COAL AND SUGAR DEPOTS IN PANIPAT CITY

*5239. **Dr. Parmanand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) The number of coal and sugar depots working at present in Panipat City and the names of persons, Firms or Co-operative Societies which are running the said depots;

(b) the criteria kept in view while granting the depots referred to in part (a) above?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister) :

COAL DEPOTS

(a) Five coal depots are working at present at Panipat. The names of the coal depot holders are given below:—

(1) Shri Narain Dass Bhatia.
(2) M/s Ram Lal-Tilak Raj.
(3) Shri Abnash Singh.
(4) Shri Siri Ram.
(5) Shri Dewan Chand Takkar.

(b) The selection of persons/parties for the allotment of coal depots was made from amongst political sufferers, previous Coal Depot Holders, Co-operative Societies, Harijans and other deserving persons etc. without any inter-se priorities to the best advantage of the area and the public.

SUGAR DEPOTS

(a) No. of sugar depots	*Name of persons and firms/Co-operative Societies running those depots*
8	1. Shri Ram Saran Bajaj.
	2. Shri Kundan Lal Lamba.
	3. Shri Parma Nand Yas Pal.
	4. M/s Pursharthi Co-operative Store, Ltd.
	5. Shri Din Dyal Jain.
	6. The Kashyap Rajputana Co-operative Society.
	7. M/s Nathu Mal Sohana Mal.
	8. M/s Radhey Sham Sant Lal.

(b) Preference was given to ex-depot holders and Co-Operative Societies recommended by the Co-operative Department.

डाक्टर परमानन्द : डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने डिपो के allottees के नाम बताए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इन का डिपो allot करने का criterion क्या है ?

उप मंत्री : यह जवाब पहले दिया जा चुका है।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जिन लोगों को अब डिपो दिए गए हैं क्या इन में से किसी का डिपो पहले शिकायत आने पर cancel भी किया गया था ?

उद्योग मंत्री : इस के लिये अलहदा नोटिस चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे supplementary questions पूछते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं उन को disallow कर दूं । (The hon. Member asks such supplementary questions as make me feel inclined to disallow them.)

BRICK-KILN LICENSES ISSUED TO M.L.A.S IN THE STATE

***5250. Shri Prabodh Chandra :** Will the Minister for Industries be pleased to state the names of members of the State Legislature who have been issued licenses for brick-kilns or coal depots during the last three years in the State ?

Shri Mohan Lal :

Brick-kilns.—

1	Patiala District ..	1. Shri Prem Singh Prem, M. L. A., Opposite Old Police Lines Samania Gate, Patiala.
		2. Shri Bhupinder Singh 'Mann', M.L.A. village Bara, tehsil Sirhind, district Patiala. (This license is under issue at present)
2	Ferozepur District ..	1. Shri Harcharan Singh, M.L.A., village Sarai Naga, tehsil Muktsar, district Ferozepur.

Coal Depots —

No coal depot has been allotted to any Member of the State Legislature during the last three years.

Sardar Bhupinder Singh 'Mann': When was the licence for a brick-kiln issued to Bhupinder Singh 'Mann' ? Is he holding any licence at all ?

उद्योग मंत्री : जो information मेरे पास थी वह मैं ने पढ़ कर सुना दी है कि licence is under issue.

Sardar Bhupinder Singh 'Mann': May I know, Sir, if the licence has since been issued ?

मंत्री : "Under issue" का मतलब है कि सवाल करने के बाद हो गया होगा ।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या यह बात मिनिस्टर साहिब के इल्म में है कि इन मैम्बरों के अलावा कुछ और मैम्बर साहिबान ने बेनामी कोले के डिपो या भट्ठे लिये हुए हैं ?

उद्योग मंत्री : मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। हां, अगर मेम्बर साहिब ने खुद छान बीन कर के कोई वाकफियत निकाली हो तो मैं नहीं कह सकता।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या यह अमर वाक्या है कि किसी मैम्बर या किसी मिनिस्टर के पास भट्टे का license था और उस ने वह license किसी और के नाम transfer कर दिया ?

मंत्री : मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या यह ठीक नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहिब के पास भट्टे का licence था उन्होंने उस को किसी भाई के नाम transfer कर दिया ?

मुख्य मंत्री : यह तो 1952 की बात है। उस वक्त शायद elections seek करने थे या हो चुके थे। उस वक्त वह licence छोड़ दिया था।

श्री प्रबोध चंद्र : छोड़ दिया था या भाई के नाम transfer कर दिया था ?

मुख्य मंत्री : ठीक है वह आदमी मेरी family का था लेकिन वह तो तीस साल की बात है।

(श्री प्रबोध चंद्र और सवाल करना चाहते थे लेकिन स्पीकर साहिब ने इजाज़त न दी।)

(Interruptions by Maulvi Abdul Ghani Dhar)

Mr. Speaker: Maulvi Sahib, please do not interrupt while sitting.

SHORTAGE OF PLAIN AND CORRUGATED SHEETS IN LUDHIANA DISTRICT

***5261. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that there has been an acute shortage of galvanised, plain and corrugated sheets in Ludhiana District for the last two years and for that reasons all developmental and construction programmes of Industrial establishments in the district have been held up ;

(b) whether the Industrialists of the said district have intimated to the District Industries Officer that their immediate requirements are in the neighbourhood of 7,000 tons of such sheets ;

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action taken if any, by Government in the matter ?

Shri Mohan Lal : (a) There has been a continuous shortage of sheets of all sorts not only in Ludhiana District, but throughout the State and Development and construction programmes of Industrial Establishments have been hampered to some extent by this shortage.

(b) No.

(c) Government have been in constant touch with the Government of India in this connection, and the quarterly allotments of sheets have been increased to cope with the growing demand. Arrivals have not, however, kept pace with allotments and the case is being pursued with the Government of India.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ shortage ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ Industries Minister ਕੋਲ ਕੋਈ representation ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ assurance ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ supply ਬਹਮ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ ?

मंत्री : यह जो galvanized sheets का question है बिल्कुल मुखतलिफ है । इस में overall shortage है । लेकिन अब steel plants के बनने से position कुछ improve हो रही है फिर भी इस commodity की allocation Government of India करती है । हम जोर लगा रहे हैं कि इस की allotment और बढ़ाई जाए ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ assurance ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

मंत्री : मेरे तो बस की बात नहीं है । मैं कैसे assurance दे सकता था । मैं तो Government of India से ही कह सकता हूं कि और ज्यादा allotment करो ।

BREAKDOWN OF ELECTRIC SUPPLY TO INDUSTRIES IN LUDHIANA

*5262. **Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether the industrialists of Ludhiana have brought to the notice of the Government the losses being suffered by them in consequence of the frequent break-downs and shut-downs of electric supply in Ludhiana; if so, the action proposed to be taken by Government inthe matter ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes.

(b) The Punjab State Electricity Board has been requested to reduce the break-down/shut-downs to the minimum in keeping with the power production.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ shortage ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ per cent industrial production ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ percentage ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਪਰ production ਕਾਫੀ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ hours fixed ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ supply ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ hours ਵਿਚ break down ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । I cannot help it.

OCTROI DUTY ON PIG IRON/CAST IRON SCRAP BY CERTAIN MUNICIPALITIES

***5263. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether it is a fact that octroi duty levied on pig iron and cast iron scrap, etc., by the Ludhiana Municipal Committee is 19 n.P. per maund;
(b) whether it is also a fact that octroi duty levied on pig iron and cast iron scrap, etc., by Batala and Karnal Municipal Committees is 6 n.P. per maund ;
(c) if the answer to parts (a) and (b) be in the affirmative the reason for the difference in the rates of octroi ;
(d) whether there is any proposal under the consideration of Government to make the rates of octroi on different commodities uniform for all the Municipal Committees in the State ?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister) : (a) and (b) Rates of octroi levied by Municipal Committees of—

		Ludhiana per maund	Karnal per maund	Batala per maund
Iron	..	0.19 n.P.	0.19 n.P.	0.19 n.P.
Iron scrap	..	0.12 n.P.	0.12 n.P.	0.06 n.P.

(c) The Municipal Committees are competent to reduce, with the sanction of the State Government, the rate of octroi on any specified articles according to the local conditions.

(d) No. But the Committees are advised to adopt the Model Schedule rates unless their local conditions warrant otherwise.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ pig iron ਅਤੇ cast iron scrap ਉਪਰ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ 6 ਪੈਸੇ octroi duty ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 12 ਪੈਸੇ octroi duty ਹੈ ਯਾਨੀ double ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ industry ਲਈ ਇਸ ਉਪਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ duty charge ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ instructions ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

उप मंत्री : गवर्नमैंट ने तो Schedule बना कर भेजा हुआ है लेकिन Municipal Committees अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस rate को घटा बढ़ा सकती हैं ।

LAND ACQUIRED FOR PUBLIC PURPOSES AT BHATINDA

***5209. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that land acquired for public purposes at Bhitinda is proposed to be sold by Government to some talkies, if so, the reasons therefor ;

(b) whether Goverment intend returning the said land to its previous owner at the price at which it was acquired from him ?

Giani Kartar Singh : (a) No.

(b) No.

CONSOLIDATION IN VILLAGES OF TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR

***5316. Shri Jangir Singh Comrade :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of those villages, Police-Station-wise in tehsil Patti, district Amritsar, where the consolidation of land holdings has been completed ;

(b) whether any land was reserved for the Harijans in the villages mentioned in part (a) above at the time of consolidation ; if so, whether the possession thereof has been given to the Harijans ; if not, the reasons thereof ?

Rao Birendar Singh : (a) The requisite information is embodied in the list I enclosed.

(b) (i) Land for the Harijans was reserved in 185 villages, the particulars of which are given in the list II enclosed.

(ii) Possession has been given in all cases.

List of Villages in tehsil Patti district Amritsar where the consolidation of holdings has been completed

Serial No	Name of village	H. B. No
	VOLTOHA POLICE STATION	
1	Kals	56
2	Dehl Nau	57
3	Mastgarh	58
4	Nurwala	59
5	Sankhra	60
6	Dholan	62
7	Kalia	61
8	Thathi Jaimal Singh	63
9	Dodipur	75
10	Lakhana	76
11	Dohlkona	78
12	Manawa	79
13	Bhoraha Karimpura	80
14	Bhoolah Kahana	81
15	Machhike	82
16	Asaluttar	83
17	Sarai Valtoha	84
18	Valtoha	85
19	Cheema	87
20	Mahmoodpura	88
21	Fatehpura	90
22	Jagatpura	91
23	Daodpura	92
24	Dalianwala	93
25	Babipura	94
26	Algon	95
27	Ponian	122
28	Varnala	123
29	Dasoowal	124
30	Ramkhara	125
31	Mann	126
32	Ghariala	127
33	Bahadar Nagar	198
34	Rattoke	201
35	Mahdipur	203
36	Rattewal	204
	PATTI POLICE STATION	
37	Dhariwal	154
38	Boparai	155
39	Dhagana	156
40	Shahid	157
41	Dubli	158
42	Jaur Singh Wala	159
43	Saido	160
44	Barwala	161
45	Umrebath	162
46	Chema near Patti	163
47	Chooslewal	164
48	Thakarpura	171
49	Bhagoopura	172
50	Sangwan	173
51	Asal near Patti	174
52	Saidpur	175
53	Bhathe Bhaini	176
54	Tong	177
55	Jandanwala	178
56	Nabipur	179

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of Village		H.B. No
57	Theh	..	180
58	Ratoke Guda	..	181
59	Thathian	..	182
60	Alipur	..	183
61	Burjpohla	..	184
62	Buraj Deva Singh	..	185
63	Marrer	..	186
64	Harike	..	187
65	Booh	..	188
66	Kirtowal	..	189
67	Sakhsa	..	190
68	Seto Nau Abad	..	19
69	Kaleke Uttar	..	194
70	Talwandi Subba Singh	..	195
71	Talwandi Mutsad Singh	..	196
72	Kot Budha	..	341
73	Sito Mai Jhugian	..	347
74	Doomni Wala	..	348

JHABAL POLICE STATION

Serial No.	Name of Village		H.B. No
75	Bhore	..	211
76	Sheikh	..	212
77	Sarai Diwana	..	213
78	Jhamke	..	215
79	Nurpur	..	223
80	Miani	..	224
81	Theh Brahmana	..	225
82	Ram Rauni	..	204
83	Malloowal	..	205
84	Piddri	..	209

SIRHALI POLICE STATION

Serial No.	Name of Village		H.B. No
85	Gulali Pur	..	228
86	Dial Raj putan	..	232
87	Shahbazpur	..	234
88	Koharke	..	238
89	Lohka	..	253
90	Nathu Chak	..	254
91	Kairon	..	255
92	Aboke	..	256
93	Bahmani Wala	..	258
94	Kariala	..	259
95	Sarhali Mandan	..	260
96	Nandpur	..	261
97	Khalra Rajputtan	..	262
98	Jowanda Kalan	..	263
99	Kheda	..	271
100	Mohan Pura	..	278
101	Sohawa	..	279
102	Warha	..	280
103	Thathian	..	281
104	Durgapur East	..	282
105	Durgapur West	..	283
106	Jalalwala	..	284
107	Shakria	..	285
108	Nathupur Toda	..	286
109	Nadohar	..	288
110	Zanardar	..	289
111	Pangota	..	290
112	Kot Data	..	292
113	Pangri	..	291
114	Doder	..	293
115	Rania	..	294
116	Khara	..	295
117	Chak Sarhali	..	296
118	Dhatal	..	297
119	Gandiwind	..	298
120	Nathupur	..	299
121	Joake	..	300
122	Mehrana	..	301
123	Roriwal	..	302
124	Sharli Kalan	..	303

KHALRA POLICE STATION

Serial No	Name of Village		H.B No.
125	Rajoke	..	64
126	Wan	..	65
127	Dal	..	66
128	Dalri	..	67
129	Mari Kamboke	..	68
130	Basarke	..	69
131	Handal	..	70
132	Hardo Chak Bambo	..	71
133	Madar Mathra Bhagi	..	72
134	Keshopura	..	73
135	Bhadal	..	74
136	Behrwal	..	89
137	Mari Udhoke	..	99
138	Mari Hegh	..	100
139	Mughal Chak ,	..	101
140	Amani Shah	..	102
141	Dode	..	103
142	Kalsian Khurd	..	104
143	Khalra	..	105
144	Theh Kallah	..	106
145	Gilpan	..	107
146	Narli	..	108
147	Sidhwan	..	111
148	Narla	..	112
149	Viram	..	113

BHIKHIWIND POLICE STATION

Serial No	Name of Village		H.B No.
150	Mari Nau Abad	..	96
151	Chung	..	97
152	Bhaini Massa Singh	..	98
153	Kotli Sur Singh	..	108
154	Pohlah	..	114
155	Pohuwind	..	115
156	Pehlwanke	..	116
157	Chela	..	117
158	Darajke	..	118
159	Mari Goranga	..	119
160	Bhagwanpura	..	120
161	Kalsian Kalan	..	121
162	Thatha	..	128
163	Margindpura	..	129
164	Theh Naushehra	..	130
165	Makhi Kalan	..	131
166	Quzi Chak	..	132
167	Mari sura	..	133
168	Sandpura	..	134
169	Sandhra	..	135
170	Kela	..	136
171	Bhihkiwind	..	137
172	Singhpura	..	138
173	Farandipura	..	140
174	Balehar	..	141

Serial No.	Name of Village		H.B. No.	Serial No.	Name of Village		H.B.
175	Bainka	..	142	191	Kulllah	..	167
176	Soga	..	143	192	Doballian	..	206
177	Fatehpur Soga	..	144	193	Musa	..	207
178	Ghurkhwind	..	145	194	Chachhriwal		208
179	Surwind	..	146	195	Tatle	..	210
180	Bhaini Gurmakh Singh	..	147	196	Chak Sikandar	..	214
181	Dial Pura	..	149	197	Wan	..	226
182	Bur Chand	..	148	198	Kamalpur	..	227
183	Theh Chahl	..	150	199	Lakhna	..	229
184	Manakpur	..	151	200	Tappa	..	230
185	Akbarpura	..	152	201	Bargari		231
186	Paragpura	..	153	202	Bua	..	235
187	Manihala Jai Singh	..	165	203	Bhigepur	..	233
188	Kacha Pacca	..	166	204	Mananke	..	236
189	Ahmed pura	..	167	205	Jemalpur	..	257
190	Mughal	..	168				

List of Villages in which the land has been reserved for the Harijans in Tehsil Patti

Serial No	Name of Village		Area reserve K—M	Serial No.	Name of Village		Area reserved
1	Machhike	..	14-1	42	Rajoke	..	24-0
2	Mastgarh	..	5-4	43	Wan	..	32-0
3	Manawan	..	14-10	44	Hardo Chak Bamba	..	15-0
4	Dhal Naul	..	2-7	45	Madar Mathra Bhagi	..	5-0
5	Kals	..	3-0	46	Algon	..	40-0
6	Bhura Karimpura	..	23-7	47	Kalsian Kalan	..	57-0
7	Bhura Kohna	..	22-7	48	Maman	..	1-10
8	Sankatra	..	14-0	49	Begepur	..	3-7
9	Asal Uttar	..	28-8	50	Bua	..	3-14
10	Rattoke	..	52-0	51	Lakhna	..	4-10
11	Mehdipur	..	26-12	52	Fatehpur Sugga	..	8-6
12	Dholan	..	14-12	53	Ahmadpur	..	11-6
13	Kalia	..	2-11	54	Ghurkwind	..	5-14
14	Duhal Kohna	..	11-13	55	Mugal	..	7-3
15	Cheema	..	10-17	56	Jamalpur	..	12-10
16	Thathi Jaimal Singh	..	4-0	57	Bargari	..	6-7
17	Varnala	..	51-8	58	Tapa	..	19-19
18	Poonia	..	19-2	59	Sarai Diwana		7-1
19	Ram Kh ara	..	1-10	60	Nur Pur	..	5-8
20	Mann	..	2-0	61	Tatle	..	5-14
21	Talwandi Musada Singh		4-6	62	Sugga	..	9-7
22	Talwandi Sobha Singh		16-0	63	Narli	..	36-8
23	Valtoha	..	69-7	64	Sidhwan	..	23-2
24	Dasuwal	..	10-10	65	Teheh Kalah	..	4-3
25	Bahadar Nagar	..	3-5	66	Gilpa	..	7-1
26	Sarai Valtoha	..	0-5	67	Poola	..	10-9
27	Thatha	..	17-17	68	Weerum	..	7-0
28	Gharyala	..	58-0	69	Narala	..	15-8
29	Bhagwanpura	..	42-18	70	Mughal Chak	..	13-11
30	Mari Nauabad	..	3-19	71	Khalra	..	5-0
31	Chung	..	12-18	72	Amin Shah	..	18-0
32	Fatehpur	..	4-0	73	Dode		10-15
33	Basarke	..	34-2	74	Kalsian Khurd	..	9-9
34	Bhaini Massa Singh	..	15-15	75	Dull	..	36-15
35	Jagatpura	..	4-0	76	Pahuwind	..	11-1
36	Balianwala	..	7-12	77	Darazke	..	4-0
37	Dibbi Pura	..	6-0	78	Mari Megha	..	42-10
38	Mahmudpur	..	24-10	79	Chela	..	6-18
39	Bhadal	..	16-14	80	Mari Samra	..	4-1
40	Beharwal	..	11-13	81	Pehalwanke	..	3-11
41	Lakhna	..	20-0	82	Mari Odhoke	..	9-0

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of Village		Area reserved	Serial No.	Name of Village		Area reserved
83	Mari Jaur Singh	..	25-1	134	Ratta Goda	..	8-3
84	Mari Kamboke	..	41-10	135	Pingri	..	24-17
85	Daleeri	..	4-14	136	Nadohar	..	11-4
86	Singhpura	..	11-15	137	Shakri	..	11-15
87	Farundpur	..	5-2	138	Jallowala	..	6-7
88	Baleher	..	27-8	139	Durg pur Garbi	..	6-6
89	Bainke	..	24-6	140	Mohanpura	..	16-7
90	Bhikhiwind	..	41-15	141	Sodawa	..	9-9
91	Kale	..	6-19	142	Wariah	..	21-3
92	Sandra	..	10-0	143	Kheda	..	8-18
93	Bur Chand	..	4-2	144	Nathupur Toada	..	11-16
94	Bhini Gurmukh Singh	..	8-0	145	Gandiwind	..	34-7
95	Sur Wind	..	9-0	146	Saidpur	..	17-14
96	Sandpur	..	4-16	147	Rooriwala	..	21-16
97	Makhi Kalan	..	15-16	148	Dhatal	..	6-0
98	Margindpur	..	49-0	149	Nathupura	..	16-15
99	Dialpur	..	24-0	150	Kot Data	..	18-5
100	Pragpur	..	3-2	151	Bathe Bhaini	..	14-0
101	Akbarpur	..	10-0	152	Sito Mai Jhugian	..	7-5
102	Harike	..	11-3	153	Kot Budha	..	11-6
103	Burj Deva Singh	..	2-6	154	Kamal pur	..	5-3
104	Burj Pohla	..	4-3	155	Malowal	..	4-0
105	Alipur	..	5-10	156	Sarhali Kalan	..	120-0
106	Thathian	..	9-12	157	Nand pur	..	35-1
107	Marhana	..	21-0	158	Sarhali Mandan	..	9-15
108	Kirtewal	..	17-19	159	Jawanda Kalan	..	5-5
109	Buh	..	14-12	160	Khaba Rajputan	.	6-5
110	Tung	..	6-9	161	Lokha	..	18-0
111	Sangwan	..	6-16	162	Sheikh	..	4-10
112	Sabhrai	..	55-11	163	Bhure	..	6-8
113	Baniala Jai Singh	..	32-0	164	Shabazpur	..	8-6
114	Kallah	..	21-3	165	Koharka	..	9-15
115	Kaccha Pacca	..	12-18	166	Wan	..	8-14
116	Chuslewar	..	24-5	167	Golali Pur	..	16-0
117	Dubli	..	19-11	168	Kairon	..	45-12
118	Asal	..	20-7	169	Nathu Chak	..	9-9
119	Cheema	..	22-7	170	Uboke	..	8-19
120	Kariala	..	3-13	171	Dial Rajputan	..	4-6
121	Bhagupura	..	23-13	172	Thathian Mahantan		18-16
122	Dhagana	..	13-3	173	Jhamake	..	17-5
123	Boparai	..	28-5	174	Padhri	..	23-16
124	Kaleke Uttar	..	13-17	175	Chak Sikandaer	..	6-19
125	Dhariwal	..	20-16	176	Ram Rauni	..	5-6
126	Barwala	..	20-18	177	Dublian	..	4-3
127	Jaur Singh Wala	..	6-19	178	Musse	..	11-7
128	Saido	..	6-12	179	Chichhrewal	..	3-16
129	Thakarpura	..	7-1	180	Doder	..	21-16
130	Shahid	..	12-15	181	Miani	..	4-6
131	Manakpur	..	12-7	182	Joneke	..	5-0
132	Pangota	..	19-9	183	Theh Brahamna	..	4-0
133	Nabipur	..	6-7	184	Mehrana	..	15-10
				185	Bhamni Wala	..	6-11

STARRED QUESTION NO. 4930

Mr. Speaker: Starred Question No. 4930 is postponed.

श्री प्रबोध चंद्र : On a point of order, Sir. जनाब ने बड़ी मेहरबानी से एक ruling दिया था कि अगर कोई सवाल postpone कराना हो तो गवर्नमैंट को उसके लिये खास तौर पर reason देने चाहिएं कि क्यों वह ऐसा कराना चाहते हैं। यहां पर सिर्फ़ एक गांव की बाबत पूछा गया है कि हरिजनों को जमीन दी गई है

या नहीं। इस में कोई खास मेहनत दरकार नहीं। गवर्नमैंट के पास इसका पूरा record है। For political reasons the information is being held up by the Government.

श्री अध्यक्ष : हमारे पास जो intimation गवर्नमैंट की तरफ से आई उस में सिवाए इस के कि इसे postpone किया जाए; और कुछ नहीं कहा गया। (The intimation which we have received from the Government states nothing except that the question may be treated as postponed.)

SUPPLY OF IMPORTED SEED FOR SEED FARM, RAMPURA, DISTRICT GURGAON

***4931. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the quantity of imported seed supplied to the Seed Farm at Rampura, tehsil Rewari, district Gurgaon, during 1959-60 together with the quantity thereof supplied for purpose of Grow-More-Food Campaign and intensive cultivation in the land purchased for settling Harijans at village Daro Hera, tehsil Rewari, during the said period ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : The following quantities of imported seeds were supplied to Rampura Seed Farm during 1959-60—

Bajra	Jawar	Barley	Gram	Sarson	Tara Meera
20 seers	20 seers	3 maunds	10 maunds	$12\frac{1}{2}$ seers	5 seers

Besides, 2 maunds of groundnut and 2.5 maunds of Bajra seed was supplied for Grow-More-Food campaign and intensive cultivation in the land purchased for settling Harijans at village Daro-Hera, tehsil Rewari of Gurgaon District.

श्री प्रबोध चंद्र : क्या डिप्टी मनिस्टर साहब फरमाएंगे कि जो बीज डाला गया उसके नतीजे के तौर पर फसल भी हुई या बीज भी ज़ाया हो गया ?

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि जो बीज दिया गया है यह गवर्नमैंट ने अपने ही आदमियों के जरिए से वहां किसी को दिया या सीधा बटाई करने वालों को दिया ?

उप मंत्री : यह बीज seed farm को दिया गया, cultivators को दिया गया जिन में हरिजन भी शामिल हैं।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या बताया जा सकता है कि यह seed farm गवर्नमैंट का अपना है या किसी और आदमी का ?

श्री अध्यक्ष : जब आपने seed farm की बाबत सवाल किया तो आप के दिमाग में किसी खास आदमी का नाम नहीं था। इसी तरह जब जवाब दिया गया है तो किसी खास आदमी की बाबत नहीं बताया गया। (There was apparently no individual in the mind of the hon. Member when he had given notice of this question regarding the seed farm. Similarly in the reply also no mention has been made of a particular person.)

Shri Prabodh Chandra : Sir, is this seed farm being run by the Government or is it owned by a private individual ?

RABI CROP SOWN IN VILLAGE DARO HERA, DISTRICT GURGAON

***4932. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the Khasra Nos. in which Rabi crop has been sown at present in village Daro-Hera district Gurgaon together with the number of such Khasra Nos. out of them, if any, which were purchased by the Government for the welfare and settlement of Harijans ?

Giani Kartar Singh : *Part* (a) A statement showing the Khasra Nos. in which Rabi crops have been sown at present in village Daro Hera, is laid on the Table.

Part (b) Nil.

Statement showing the Khasra numbers in which Rabi crops have been sown at present in village Daro Hera, district Gurgaon

(1) Khasra numbers in which Rabi crops have been sown at present in village Daro Hera	67P-703/71-76-776/71-78-707/80-708/8[illegible]-83-88-89/1 90P-117P-712/121-131-151-153-169-171-179P-715/188-716/188-717/188-190-191-193-194P-195-196P-197-199-201-202-204-718/205-719/205-206 207-209-210P-720/212-256-264-265-266 to 270-278-279P-286-287-288P-291-292-293-294-301-467P-470P-471P-748/474-499P-503P-509P-540-557-561-566P-574-575-576-577-578-589-610-611-612/1-612/2-619-773/620-630-644-646-647-775/650-777/652-780/662-779/662-664-665-781/666-782/666-667-669 to 671-673-808/674-812/677-685-813/688-814/688-689.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : सवाल के part (b) का जवाब देते हुए वज़ीर साहब ने Nil कहा है। क्या बताया जा सकता है कि जो बीज दिया गया था उस का क्या बना, वह कहां गया ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਜ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ (ਹਾਸਾ)

श्री राम प्यारा : वजीर साहब ने बताया है कि वहां पैदावार कुछ नहीं हुई। क्या बताया जा सकता है कि जो बीज supply किया गया, क्या वही नाकस था या जो ज़मीन गवर्नमैंट ने खरीद की, वह खराब थी ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਤੌਰ Revenue Minister ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬੀਜ ਦੇ ਉਗਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ notice ਦਿਉ Agriculture Minister ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

श्री प्रबोध चंद्र : जनाब, इस से पहले जो दारू हेड़ा की जमीन की बाबत सवाल पूछा था; उसका जवाब तो दिया नहीं गया; सिर्फ यह कहा गया कि इसे postpone कर दिया जाए। उसमें यह पूछा गया था कि कितनी ज़मीन हरिजनों को cultivation के लिये दी गई। लेकिन इस सवाल के part (b) का जवाब देते हुए यह बताया गया है कि हरिजनों को कोई जमीन नहीं दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हरिजनों के लिए कोई जमीन ली ही नहीं गई तो वह बीज कहां पड़ा है—क्या बंजर ज़मीन में पड़ा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : आप इस में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं ? (Why is the hon. Member evincing so much interest in this question?)

श्री प्रबोध चन्द्र : यह एक बड़े आदमी का गांव है। एक वज़ीर साहब का गांव है। (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੀਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? (ਹਾਸਾ)

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਵਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ (ਹਾਸਾ)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जो जवाब दिया गया उसमें वज़ीर साहिब ने बहुत से खसरा नम्बर बताए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि जो 250 एकड़ जमीन हरिजनों की भलाई के लिए ली गई उससे जरा सी भी फसल उनको ना मिली ?

ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ crops ਬੀਜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫੇਰ ਤੁਸਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ notice ਦਿਉ । Information ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Shri Prabodh Chandra : How does the hon. Minister reconcile these two replies ? (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : Order please. यह क्या मज़ाक बना रखा है ? Please resume your seat. (Order please. What is all this ? The hon. Member may please resume his seat).

श्री प्रबोध चन्द्र : On a point of order, Sir. मेरा point of order यह है कि सवाल नं. 4930 का जवाब देते हुए उस सवाल के जवाब के लिये गवर्नमैंट ने postponement मांगी है लेकिन इस सवाल के जवाब में बताया गया है कि हरिजनों की जमीन बेकार पड़ी है। तो यह दोनों जवाब मुतज़ाद हैं......

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दे दें। मैं इस बारे में दरियाफत कर लूंगा। (The hon. Member may give it to me in writing. I shall look into it.)

श्री निहाल सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि क्या यह fact नहीं है कि ज़िला गुड़गांव में बारिश के न होने की वजह से वह ज़मीन काश्त नहीं हो सकी और वह बीज इस्तेमाल नहीं हो सका ?

PRODUCTION OF FOOD GRAINS IN THE STATE

*5192. **Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forest be pleased to state—

(a) the total quantity of food-grains of different kinds produced in the State during the year 1959 ;

(b) the details of steps being taken, if any, by Government to step up the production of foodgrains in the State ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) The final estimates of Kharif, 1959 are not yet ready. The production figure of Rabi, 1959 are as under—

Crop		Production in '000' tons
Wheat	..	2,275
Barley	..	200
Gram	..	2,368
Rabi pulses	...	42
Total	..	4,885

(b) Following steps have been taken by the Government to step up production of food-grains :

(i) Reclamation of culturable waste land and consolidation of Holdings ;

(ii) Expansion of Major and Minor Irrigation Works ;

(iii) Supply of improved seeds and agricultural implements ;

(iv) Distribution of fertilizers ;

(v) Adoption of improved agricultural practices such as Japanese method of Paddy Cultivation, Plant Protection measures etc. ;

(vi) Organization of crop campaigns and crop competitions.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ State ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ reclamation ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

जरायत तथा जंगलात मंत्री : इस के लिए कोई date मुकरर्र करना निहायत मुश्किल है ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Second Five-Year Plan ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ target ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ target ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ State ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ production ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ programme ਦਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ plants ਦੀ production ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ plants ਦੀ protection ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ programme ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ jackals ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ bating ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਥੇ pests ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ insecticide spray ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : Production ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ culturable waste land ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ..

श्री अध्यक्ष : यह एक separate definite सवाल है । इस के लिए आप separate notice दें । (This is a separate definite question for which the hon. Member may give a separate notice.)

VACANT POSTS OF A.D.I.s

*4895. **Shri Rup Singh 'Phul'** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the number of posts of Assistant District Inspectors of Schools, both men and women separately, lying vacant in the State at present along with the reasons therefor ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : *Men side* 1. This is a vacancy of Assistant District Inspectors of Schools for P.T. It has not been filled as yet as no substitute for the Master to be appointed as Assistat District Inspector for P.T. is available. A requisition for P.T. Masters (B.A., D.P.E.) candidates has been sent to the Subordinate Services Selection Board whose recommendations are still awaited.

Women side.— 29. None of the experienced mistresses is prepared to works as A.D.I.Ss. A requistion has, therefore, been sent to Subordinate Services Selection Board to recommend candidates from open market.

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि औरतों की जो 29 सीटें खाली पड़ी हैं इन को पूरा करने के लिये गवर्नमैंट क्या कर रही है ?

उप-मंत्री : मैं ने इस का जवाब पहले दे दिया है ।

OPENING OF DEPOTS FOR THE SALE OF NATIONALISED TEXT BOOKS

*4896. **Shri Rup Singh 'Phul'** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether Government have opened any new Depots for the sale of Nationalised Text Books in the State recently ; if so, the names of the places where opened ;

[Shri Rup Singh 'Phul']

(b) whether it is a fact that no such depot has been opened in the Kangra District ; if so, the reasons therefor ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Does not arise in view of the reply at (a) above.

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या मैं पूछ सकता हूं कि किन वजूहात की बिना पर किसी खास मुकाम पर text books का depot खोला जाता है ?

उप-मंत्री : इस वक्त सारे पंजाब में दो depots खुले हुए हैं, एक चंडीगढ़ और दूसरा जालंधर में। अब गवर्नमेंट का विचार है कि कुछ और जगह पर भी ऐसे डिपो खोले जायें।

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या गवर्नमेंट ज़िला कांगड़ा में जो कि inaccessible area है और जहां transport की facilities भी पूरी मुहैया नहीं हैं, वहां भी कोई ऐसा depot खोलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री : हर ज़िले में तो depot खोला नहीं जा सकता। उस इलाके का ख्याल रखते हुए अब एक depot पठानकोट में खोलने का विचार गवर्नमेंट रखती है लेकिन इस बारे में अभी कतई फैसला नहीं हुआ। वैसे text books बेचने के agents हर जगह पर हैं ही।

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि इस बारे में क्या गवर्नमेंट के पास ज़िला कांगड़ा के लोगों की कोई representation आई है ?

Mr. Speaker : Please give a separate notice for this.

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि क्या गवर्नमेंट text books का कोई depot Hindi Region में भी खोलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री : हां, एक depot रोहतक में खोलने का विचार है।

GRANT OF RS. 50-100 GRADES TO J.V. TEACHERS

***5210. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether it is a fact that general question of allowing Rs. 50-100 grade to such J.V. teachers with retrospective effect as passed the J.V. examination before 15th September, 1953 was under the consideration of Government ; if so the decision if any taken thereon ;

(b) the total number of teachers likely to be affected by the said revision of grade ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) No.

(b) The question does not arise.

GRADES ALLOWED TO SHASTRIES, SANSKRIT TEACHERS AFTER THEY PASS M.A. EXAMINATION

***5313. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether those Sanskrit teachers who are Shastri, after they pass the M.A. exmination, are given the same grade of pay as other teachers who being graduates pass the M.A. examination subsequently ; if not, the reasons therefor ;

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : No. This is not admissible under the rules.

RE-APPOINTMENT OF MIDDLE PASS EX-PRIMARY TEACHERS

***5314. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the number and names of Middle pass ex-primary teachers in the State who not withstanding the fact that they have been granted special certificates in teaching have not been re-appointed ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : The question regarding re-appointment of middle pass ex-primary teachers at this stage does not arise, as all posts of teachers are filled in on the recommendations of the Subordinate Services Selection Board, Punjab, Chandigarh, for which minimum qualification for recruitment and age-limit have been laid down.

श्री राम कुमार बिधाट : क्या मिनिस्टर साहिब यह बतलायेंगे कि क्या हकीकत है कि उन middle पास ex-primary teachers को Subordinate Services Selection Board ने लिखा है कि उन की re-appointment Director of Public Instructions ने करनी है, उस बोर्ड ने नहीं करनी ?

श्री अध्यक्ष : जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है आप को उसे accept करना चाहिये । (The hon. Member may accept the reply which the Government gives.)

शिक्षा तथा श्रम मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं इन का सवाल समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने पूछा है कि क्या यह सत्य है कि middle pass ex-primary teachers की re-appointment Director of Public Instructions ने करनी है और Subordinate Services Selection Board ने नहीं करनी । (The hon. Member has asked whether it is a fact that the re-appointment of middle pass ex-primary teachers is to be made by the Director of Public Instructions and not by the Subordinate Services Selection Board.)

उप-मंत्री : नहीं जी ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ middle ਪਾਸ teachers ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Subordinate Services Selection Board ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ re-appointment Director of Public Instructions ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ?

उप-मंत्री : Selection बोर्ड करता है मगर appointment Director करता है ।

10 a. m.

Mr. Speaker : The question hour is now over.

PAPERS LAID ON THE TABLE
REPORT OF THE GOOD RELATIONS COMMITTEE

Minister for Education and Labour (Shri Amar Nath Vidyalankar) : Sir, I beg to place on the Table of the House, for the information of the Members a copy of the Report of the Two-Member Committee consisting of Bhai Jodh Singh and Shri Jai Chandra Vidyalankar, popularly called "Good Relations Committee". The House was informed the other day by the Chief Minister that this Report will be examined by a representative body to be invited by the Governor very shortly.

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61—(CONTD)

Mr. Speaker : The House will now resume discussion on the Budget.

श्री मुनी लाल कामरेड (शिमला) : स्पीकर साहिब, यह जो बजट पेश हुआ है इस पर वहम चल रही है । मैं ने इस का पूरी तरह से मुताल्या किया है और मैं सरकार को इस साल tax न लगाने पर मुबारकबाद देता हूं (तालियां) मगर साथ ही सरकार की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस बजट में सिवाए figure manipulation के और कुछ नहीं है । पिछले साल जो बजट यहां पेश हुआ उस में घाटा दिखाया गया । इस मरतबा यह दिखाने की कोशिश की गई है कि यह बजट surplus है लेकिन अगर figures का बगौर मुताल्या करें तो मालूम होगा कि जो economics के माहर हैं वह घोड़े को हाथी और हाथी को घोड़ा आसानी से बना सकते हैं । मैं House की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि 1958-59 और 1959-60 में जो बजट इस House में पेश हुए वह घाटे के बजट थे और उन में सरकार ने taxes लगाए लेकिन बजट का तजज़िया करने पर मालूम होता है कि सरकार ने tax लगा कर लोगों की मुश्किलात में इज़ाफा किया है । 1958-59 का बजट घाटे का बजट दिखाया गया था, रिवाइज्ड एस्टीमेट के मुताबिक 383 लाख रुपया की बचत हुई, मगर जब actuals की figures आईं तो बचत आठ करोड़ से ज्यादा थी । इसी तरह से 1959-60 में 32 लाख रुपये का घाटा बताया गया और सरकार ने यह बात कही कि हम 72 लाख के और टैक्स लगाएंगे लेकिन लोगों की साबका मुखालिफत से डर कर सिर्फ 12 लाख रुपए के टैक्स लगाए । इस तरह से 20 लाख रुपए का घाटा रहा । इस के बाद Supplementary Grants में 38 लाख और एक करोड़ 18 लाख की ग्रांट्स के बाद यह नक्शा सामने आया कि 176 लाख रुपए का घाटा है और जो लेटैस्ट आंकड़े हैं उन से 571 लाख का सरप्लस जाहिर हुआ और मैं समझता हूं कि actuals इस से भी ज्यादा होंगे ।

तो मैं इस बात की तरफ तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि सरकार पहले घाटा दिखा कर टैक्स लगा देती है। मैं ने इसी बिना पर सरकार को मुबारकबाद दी है कि सरकार ने इस बार यह बात नहीं की है। इस ने टेक्स लगाने की बजाए जो रकम जमा हुई हुई थी उस में से ही कमी को पूरा करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि यह bad budgeting है और ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं सरकार लोगों की नज़रों में सुरखुरू होने के लिए यह बातें करती है और कहती है कि हम ने टैक्स नहीं लगाए। इस के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ने जो दूसरी स्टेट्स की मिसाल दे कर यह कहा है कि इस किस्म का बजट सिर्फ हम ही नहीं बनाते दूसरे भी बनाते हैं यह अपनी बुराइयों पर इस तरीके से पर्दा डालने वाली बात है मगर इस दलील में कोई वज़न नहीं है। अगर कोई ख़राब बात दूसरी जगह की जाती है तो क्या हमें भी वैसा ही काम करना चाहिए ?

फिर, स्पीकर साहिब, बजट को स्टडी करने के लिये हमारे सामने कोई yard stick होनी चाहिए। इस में पहली बात तो यह देखने वाली होती है कि आया जो सरकार ने निशाने मुकर्रर किए थे वह पूरे हो गए हैं या नहीं। दूसरी बात यह देखने की होती है कि beneficiary departments के काम का क्या हाल है। इन के लिये जो रुपया रखा जाता है वह कुल खर्च का कितना हिस्सा है और जो रखा जाता है उस में से बचत तो नहीं कर ली जाती। तीसरी बात जो देखने वाली होती है वह यह कि मुल्क में जो बेकारी है उस पर अबूर पाया गया है या नहीं।

तो इन में से पहली बात तो है, जनाब, निशाने पूरे करने की। इस बारे में पंजाब सरकार ने यह दावा किया है कि इन्होंने पैदावार के लिहाज़ से निशाना वक्त से पहले पूरा कर लिया है। मैं इस पर मुबारकबाद देना चाहता हूं लेकिन सरकार को नहीं बल्कि पंजाब के बहादर लोगों को जिन्होंने अपनी मेहनत से यह काम सरंजाम दिया है। सरकार की Community Development के काम के बारे report के मुताबिक सरकार के 883 लाख रुपए खर्च के मुकाबिला में लोगों ने 932 लाख रुपये की contribution की है। जहां और जगह लोगों की कन्ट्रीब्यूशन 60 फीसदी है यहां के लोगों ने 104 फीसदी मदद दी। तो सरकार की बजाए लोग इस मेहनत के लिये मुबारकबाद के हकदार हैं। अब आप Agriculture के खर्च को देखिए। यह एक beneficiary महकमा है। इसने मुल्क से अनाज की कमी को खत्म करना है। अब यह देखना है कि सरकार ने अपने निशाने को पूरा करने के लिये जितना रुपया रखा क्या वह सारा इस काम पर खर्च किया ? हमारी सरकार ने 4.40 करोड़ रुपए के बजट में से 3.64 करोड़ रुपया खर्च किया यानी इस इतने ज़रूरी काम में से बचत की गई। इस लिये यह कहना ठीक ही है कि अगर पैदावार के लिहाज़ से निशाने पूरे हो गए हैं तो यह लोगों की मेहनत से हुए हैं न कि सरकार की मेहनत से।

इन महकमों के बजट को देखने से यह मालूम होता है कि जहां कैपिटल प्राजैक्ट के लिए 4.46 करोड़ रुपया रखा गया था वहां खर्च 7.55 करोड़ हुआ है और मैं समझता हूं कि राजधानी बनाने का काम इतना ज़रूरी नहीं है कि बजट में रखे रुपये से ज्यादा उस

[श्री मुनी लाल कामरेड]

पर खर्च किया जाए। इस के मुकाबिले में अगर उन महकमों को देखा जाए जिन से लोगों को हकीकी फायदा होना था तो पता चलता है कि उन महकमों को नज़रअंदाज़ किया गया है। पंचायतों पर एक करोड़ के बजट में 64 करोड़ खर्च हुआ है, सेहत पर 9.63 करोड़ में से 6.11 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। सरकार खुद यह बात तसलीम करती है कि 226 डिसपैन्सरीज़ ऐसी हैं जो बिना डाक्टरों के हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को सरकार नैगलैक्ट करती है। यही हाल दूसरे ऐसे महकमों का है जिन से लोगों को असल मायनों में फायदा पहुंचना था। भला चंडीगढ़ में झील बनी है तो लोगों को इस से कितना फायदा पहुंचा है। देखने की तो यह बात है कि लोगों की सेहत और तालीम वगैरह पर क्या कुछ खर्च किया गया है। अब ज़रा तालीम का हाल देखें। कहते हैं कि बजट में तालीम के लिये हम ने 12 करोड़ रुपया रखा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह figure manipulating नहीं तो और क्या है। यह सिर्फ प्रचार करने की बातें हैं कि देखो तालीम पर इतना खर्च किया जा रहा है कि हमारा बजट तीन करोड़ से बढ़ कर 12 करोड़ रुपए का हो गया है। मगर हालत यह है कि लोगों की तालीम बहुत ही नैगलैक्टिड है। ऐसी हालत में भी सरकार ने जितना रुपया इस महकमे पर खर्च के लिये रखा था उस से करीब तीन करोड़ रुपया कम खर्च किया है। लोकल बाडीज़ के स्कूलों को सरकार ने जो लिया है तो उन की हालत और भी खराब हो गई है। अपने बजट की फिगर्ज़ को बढ़ाने के लिये यह बात की गई है। मेरी तजवीज़ है कि इस मामले में false prestige को बीच में न आने दिया जाए। इन्होंने कोशिश की है कि उस्तादों की हालत बेहतर की जाए मगर स्कूलों की हालत बहुत बुरी हो गई है उन का यह इंतज़ाम नहीं कर सके हैं और तालीम को नुकसान पहुंच रहा है। बहुत जगह जहां उस्ताद हैं वहां सामान नहीं और जहां सामान है वहां उस्ताद नहीं हैं। मैं इन से कहना चाहता हूं कि यह कहने से कि 12 करोड़ तालीम पर खर्च करते हैं काम न चलेगा।

अब ज़रा सड़कों का हाल देखिए। हमारी सरकार ने एक बात कही कि हमारा जितना सड़कों का निशाना था वह हम ने पूरा कर लिया है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि यह पढ़ कर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कुछ सड़कें जो प्लैन में थीं उन को छोड़ दिया गया है और कुछ ऐसी सड़कें इस में शामिल कर ली गई हैं जो कि प्लैन में नहीं थीं। यह बात जमूहरियत के खिलाफ है।

इस हाउस में जो Demands पेश की जाती हैं जो plans रखे जाते हैं उन के बारे में हम मेम्बर साहिबान से राए लेने का मकसद यह है कि सरकार उन्हीं plans के अन्दर रह कर काम करेगी। यह नहीं कि अपने आदमियों को खुश करने के लिये या कुछ interests का ख्याल रख कर सरकार plan की schemes को छोड़ दे और वह सड़कें न बनाए जो plan में शामल की गई थीं बल्कि इस की जगह नई सड़कें बनाना शुरु कर दे। इस तरह नई सड़कों की तामीर शुरु करना सरीहन जमूहूरियत के असूलों की खिलाफवर्ज़ी है।

इस के बाद बेकारी की समस्या है। यह मसला पंजाब में ही नहीं बल्कि तमाम हिन्दुस्तान में एक भयानक मसला बन गया है। Employment Exchanges बने हुए हैं लेकिन तमाम आदमियों को अपना नाम register कराने का मौका नहीं मिलता। तीस ऐसे Exchanges हैं और इन की तरफ से जो report आई हैं उन से पता चलता है कि इस प्रदेश में 21 हज़ार 32 आदमियों का बेगारी में इज़ाफा हुआ है। यह हर रोज़ जो इतनी फौज बढ़ती जा रही है क्या यह planned economy है या यह socialistic pattern of society है ? ऐसी बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रदेश को करोड़ों रुपया कर्ज़ ले कर जकड़ दिया जाए यह planned economy नहीं हो सकती और इसे socialistic pattern of society नहीं कहा जा सकता। यह कौनसा नज़ाम है ? इसे capitalist State कहा जा सकता है। बेकारी को दूर करने की मद्द में और resettlement of landless workers की मद्द में जो रुपया रखा गया था वह खर्च नहीं कर सके। इस मद्द में, स्पीकर साहिब, 14 लाख 20 हज़ार की रकम खर्च नहीं हो सकी। इसी तरह industries की मद्द में 9.34 करोड़ की रकम रखी गई लेकिन 4.99 करोड़ खर्च हुई। अगर हम industrialisation नहीं कर पाए तो देश की बेकारी किस तरह से दूर होगी। यह बातें ऐसी हैं कि जिनका जवाब, मैं उम्मीद करता हूं, कि फिनांस और Industries Ministers ज़रूर देंगे कि वह किस तरह बेकारी के मसले को हल करना चाहते हैं।

एक और बात की तरफ मैं हाउस की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं और वह यह कि यहां पर इस हाउस में दो तीन दिन से corruption का चर्चा चल रहा है और मैं समझता हूं कि जो लोग treasury benches पर बैठे हैं वह भले ही ईमानदार हों लेकिन उन पर कोई संदेह न कर सके। Caesar's wife should always be above suspicion. Opposition के लोग एतराज़ करते हैं, ठीक है लेकिन इन की ईमानदारी को झुटलाया न जा सके। हमारे उद्योग मन्त्री साहिब ने कहा था कि मैं challenge करता हूं और उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस के लिये मैं उन्हें मुबारिकबाद देता हूं। उद्योग मंत्री ने यह मान कर कि अगर charges हों तो वह enquiry के लिये अपने आप को पेश करते हैं एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन मैं कहूंगा कि वह एक कदम और आगे बढ़ाएं। उस enquiry को जो Leader of the House या high Command करे एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे treasury benches के साथी इस बात को boldly लें और यह कहने के लिये तैयार हो जाएं कि enquiry करवा लो ताकि जो false charges हों और लोगों के दिलों में जो इस किसम की बातें हैं वह दूर हो सकें। इस enquiry पर कोई जज मुकर्रर हो तो आप का क्या हर्ज है। आप को इस तरह जज मुकर्रर करने से नहीं डरना चाहिए। इस का एक और फायदा यह भी होगा कि शिकायत करने वाले और charges लगाने वाले को भी डर होगा कि अगर इलज़ामात गलत साबत हुए तो सज़ा भी मिल सकती है। एक कदम आगे बढ़ना चाहिए ताकि लोगों में इस

[श्री मुनी लाल कामरेड]
तरह की बातों का कोई असर न हो सके और यह बेहतर भी होगा कि किसी जज को enquiry पर लगाया जाए (घंटी)

एक अर्ज़ मैं स्पीकर साहिब, hilly areas के बारे में करना चाहूंगा । और दो एक मिनट में ही wind up करूंगा। यह मसला ऐसा है कि जिस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। backward areas का ज़िक्र किया गया । वहां पर हालत यह है कि development के काम को neglect किया गया है। कांगड़ा और शिमला के इलाकों की development की तरफ कम ध्यान दिया गया है। कुछ एक मेम्बरों ने तारीफ की कि पहाड़ी इलाकों की development हुई है। लेकिन मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। Himachal Pradesh ने जिस pace से अपने इलाके की development की है उस के साथ comparison करने से पता चलेगा कि हमारी development कहीं कम है। इसका इलाज यही है कि इस को अलग करके इस की development की जाए । हमारे Finance Minister एक seasoned politician हैं । वह इसे प्रकार समझ कर एक issue न बनाएं । उन्होंने कहा था कि पंजाब की तकसीम हमारी लाश पर होगी। लेकिन यह बात जम्हूरियत के खिलाफ है। इन बातों को communal शक्ल नहीं देनी चाहिए । और न ही false economy बता कर उन्हें गुमराह किया जा सकता है। आज ज़माना बदल चुका है। हरेक महसूस करता है कि तरक्की होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह लोगों की भावनाओं की कदर करे। हरेक को आज आत्मनिर्णय का हक हासल है। वह कह सकते हैं कि हम आप के साथ नहीं रहना चाहते, हिमाचल प्रदेश में जाना चाहते हैं ताकि हम अपने इलाके की development कर सकें। वह इस तरह की मांग करने वाले। हक बजानब हैं फिनांस मिनिस्टर की तारीफ इस बात पर नहीं की जा सकती कि पंजाब की तकसीम उन की लाश पर होगी मैं तो कहूंगा कि development के pace को बढ़ाने के लिये पंजाब की तकसीम होगी, चाहे वह किसी शक्ल में हो। लोग मजबूर हैं और इसी लिये आवाज़ उठाए जा रहे हैं। तारीखें बदलती हैं लेकिन यहां पर जुगराफिया बदला जाएगा। एक तरफ पंजाबी सूबा और हरियाना प्रान्त और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश । यही एक रास्ता है जिस के ज़रिए हम तरक्की कर सकते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਸਾ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਅਜ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਗਾਂਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ beneficient departments ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ

ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ fundamental rights ਅਤੇ directive principles ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਅਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਅਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ morale ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਚਰਣ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ । ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ financial ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ financial loss ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ directive ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]
ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ nationalise ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ nationalise ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚਰਚਾ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੋ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਜ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫੀਮ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਔਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਹਰ ਥਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ Agriculture ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। Land Reforms ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ

ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ Land Reforms ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ । Agriculture ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, tenants ਨੂੰ ਅਤੇ landlords ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ position ਕੀ ਹੈ । Agriculture ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ agricultural implements introduce ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ facilities ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੜਾ ਮੇਹਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜਫਾਕਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਫੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ political tinge ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਸ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਖਾਸ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ interested ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ constituency ਵਿਚ interested ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ distribution ਸਨਅਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਸਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤ੍ਹਿਆਬਾਦ ਦਾ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ facilities ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਸਾ ਡਬਵਾਲੀ, ਰੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ electricity ਅਤੇ ਨਾ agriculture ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ administration ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ backward ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । Historical Facts ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਸਨ । ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੈਹਦਾ

ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ ਜਦੋਂ ਕਿ Regional Committees ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਦ ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ, ਕਈ hon. Members ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ Democracy ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਨੂੰ elections ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪਰਚਾਰ democratic ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਓ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਓਧਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਰਫਤ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ communal ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੰਨ ਸੰਘੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਕਿ ਸੰਨ 1947 ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਿਰਫ adjustment of boundaries ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ

ਨਹੀਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ corruption ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਕ Tribunal ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਨੇ ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਵਧੇ । ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ statement ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ exaggerate ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ enquiry ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕ ਰਫਾ ਹੋ ਸਕੇ । (ਘੰਟੀ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ Punjab Public Accounts Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਫਾ ਪੰਜ ਤੇ Agricultural scandal ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਹਾਊਸ ਵਿਚ questions ਵੀ ਆਏ ਸਨ । 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਕ question ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ suggest ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ enquiry ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਇਕ standard ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ resignation ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ stationery private use ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਇਕ standard ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ standard ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ convinced feel ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ services ਬਾਰੇ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹਨ ਅਤੇ Heads of the Departments ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ । ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ atmosphere create ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ Agriculture ਦੇ Administration ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ I.C.S. ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ । ਮੈਂ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ out look ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ fairly ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਜ਼ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਤਾਈਂ Heads of Departments ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ department ਦੀ ਤਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । (ਘੰਟੀ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ backward area ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ area ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ । ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ overwhelming majority ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ confidence ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਪਏਗੀ । (ਘੰਟੀ)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਖਣ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ discussion ਅਜ ਬਜਟ ਦੇ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ good points ਹਨ । ਇਹ tax free ਬਜਟ ਹੈ । Class IV ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ daily allowance central government ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । Crops ਦੀ insurance ਦਾ ਵੀ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ agricultural loans ਲਈ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਹੁਣ opposition ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ jaundiced eye ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਪਿਲੱਤਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, opposition ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਬਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ opposition ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ dishonesty ਹੈ, insincerity ਹੈ ਅਤੇ inefficiency ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਜ਼ਿਮੇਦਾਰਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੇ

ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਤਨਾ flourish ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ planned targets ਸਨ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ desert area ਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ approach ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮਗਰ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ approach ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ grievances ਨੂੰ redress ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ approach ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਲੇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ welcome ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ a few chosen ਆਦਮੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ approach ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ establishment ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ development ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ establishment ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ welcome ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ living standard ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ irresponsible ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ S. D. O. ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ S. D. O. ਨੂੰ suspend ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ information ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]
information ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਕੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਏਸ ਬਜਟ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ appreciate ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ condemn ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਏਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ condemn ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਜ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲਾਹੌਲ ਔਰ ਸਪਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖੋ, ਉਥੇ administrative set up ਬਿਲਕੁਲ change ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ development ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 2 ਸਬਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਥਾਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੋ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗ ਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰੋਹਤਕ ਔਰ ਗੁੜਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖੂਹ ਖੋਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ condemn ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ unskilled labourers ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ wages ਡੇਢੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਔਰ entertainment ਲਈ labour welfare centres ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ । State Insurance Scheme ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ satisfied ਹਨ । ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ strikes ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ ਹਨ । ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਾਧਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ industrial area develop ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ Industrial Estates ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ

ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜਾ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ industrial production ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬੇਬਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Industry ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ setback ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ economy ਨੂੰ setback ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ law and order ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ crimes ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। Smuggling ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ shooting on the border, thing of the past ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ corrupt ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤਵਜੁਹ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ action ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ hasty action ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ services ਵਿਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੌਫ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ services ਵਿਚ demoralisation ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ administration ਨੂੰ tone up ਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ actions ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ punishment ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ services ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਖੌਫ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ freely and independently ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ initiative ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਤਨਾ ਖੌਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ demoralisation ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ initiative ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ administration ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਪੁਜਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੁਝ consolidation ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਲ ਬਸਾਲ ਪਿਛੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ top-priority ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]
ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਯਤ date ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਛੇਤੀ ਤਵੱਜੁਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਕਲਾਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ consolidation ਦਾ ਕੰਮ pending ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 60/70 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ unauthorised ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ representation ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ cold storage ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਰ ਉਥੇ ਇਕ ਰੰਗੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤਰਫ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 6 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ sports department ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ holiday homes ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ, ਕੰਢਾ ਘਾਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੈਗਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ rural ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਕਿ sports ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ rural areas ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ sports ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏ ਪੁਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ sports ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ sports festival ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਲ ਤਵਜੱਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ stadium ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ sports ਦੀ prize distribution ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੋਸਟਸ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੋਣ, players ਅਤੇ sportsmen ਦਾ ਖਾਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ sportsmen ਬੜੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ sportsmen spirit ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ administration ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੂੰ implement ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ)।

ਬਾਕੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, rural ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਮੈਂ particularly ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੀ ਤਵਜੋਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ

ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ ਖਰਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ low-income group housing scheme ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ loan ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 85 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ health and sanitation ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਇਕ ਲਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬਾਕੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਘੰਟੀ) ਇਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫੇਰ, ਜਨਾਬ, ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ attend ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1st preference ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਲਾਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ (ਘੰਟੀ) ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री फूल सिंह कटारिया (झज्जर, रिज़र्वड) : स्पीकर साहिब, जो बजट हाउस के सामने पेश हुआ है इस में हरिजनों के लिये सिर्फ 44 लाख 75 हज़ार रुपए की रकम दर्ज है जो कि बहुत नाकाफ़ी है। फिर यह सारी की सारी रकम हरिजनों के लिये ही नहीं हैं। इस में से 30 लाख 42 हज़ार की रकम हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों, पिछड़े हुए इलाकों और जरायम पेशा जमातों के बच्चों को वज़ीफे और फीसें देने के लिये रखी हैं। मैं समझता हूं कि हरिजनों के इलावा जब इस में और कई classes शामिल हैं तो यह रकम बहुत थोड़ी है और इस से बहुत कम लोगों को और खास कर हरिजनों को बहुत कम फायदा मिलेगा। इस के इलावा वज़ीफों की रकम जो दी जाती है वह भी थोड़ी है और सिर्फ 6 रुपए 9th और 10th कलास में एक लड़के को मिलते हैं जो कि बहुत थोड़े हैं। मेरी अर्ज़ है कि यह रकम बढ़ाई जानी चाहिए। फिर 5 लाख 63 हज़ार रुपए हरिजनों के मकानों के लिये रखे हैं लेकिन जो उन की colony बनाने की स्कीम है वह गलत है क्योंकि उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं अपने इलाके की बात बताता हूं। हमारे एक दाबला गांव है। वहां पर यह स्कीम शुरू हुई मगर हुआ कुछ नहीं है। काफी देर से यह चीज़ चल रही है लेकिन अभी तक कोई मकान किसी को नहीं मिला है और न बना है। मकानों के लिये रुपया नकद दिया गया है और हर एक आदमी को

[श्री फूल सिंह कटारिया]
सात सात सौ रुपए दिए गए हैं। मकान बनाने की स्कीम तो मंजूर हो गई थी लेकिन मकान नहीं बनाए गए क्योंकि ज़मीन नहीं मिल सकी। मैं समझता हूं कि अगर उन गरीबों को मकान बना कर ही दिये जाते हैं तभी उन को फायदा हो सकता था क्योंकि वह रुपया जो उन को मकान बनाने के लिये दिया गया है वह उन के पास नहीं रहेगा। वे उस रुपए को इधर उधर खर्च कर देंगे और जिस मकसद के लिये वह रुपया दिया गया है वह पूरा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि यह रुपया अलग २ हर एक गांव को दिया जाना चाहिए। एक ही गांव को सारा फायदा नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भी मकान बनाना चाहे उसे रुपया मिलना चाहिए और अलहदा २ गांव को रुपया देना चाहिए।

इस के अलावा, स्पीकर साहब, 2 लाख 20 हज़ार रुपया सफाई के सेंटरों के लिये रखा है जिस में हरिजन भाइयों को गीत गाने सिखाने के लिये और खाना पकाने की ट्रेनिंग देने के लिये रखा है। मैं समझता हूं कि यह रुपया उन की खुराक पर खर्च करना चाहिए क्योंकि जब उन की हालत अच्छी हो जाएगी तो उस वक्त खाना बनाना खुदबखुद आ जायगा। इसी तरह गीतगानों की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ने उन्हें नाटक करने के लिये भरती नहीं करवाना। इस की बजाय अगर ज्यादा से ज्यादा खुराक का प्रबन्ध करेंगे तो नौकरी भी अच्छी मिल जायगी। क्योंकि आम तौर पर यह देखा जाता है कि जब कभी नौकरियों का सवाल उठता है तो हरिजन भाई इम्तहान में तो पास हो जाते हैं लेकिन जब medical के लिये जाते हैं तो unfit हो जाते हैं क्योंकि अगर उन की खुराक अच्छी होगी तो जिस्म भी अच्छा होगा और डाक्टरी मुआयने में वे अच्छी तरह से पास होंगे। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ कर दूं कि हमारे कुछ हरिजन भाई P.C.S. के competition में पास हो जाते हैं लेकिन medical में unfit हो जाते हैं। इस की वजह यह है कि उन को खुराक अच्छी नहीं मिलती। अगर उन का पालन पोषण अच्छा हो तो उन का मियार अच्छा हो सकता है। इस लिये मैं सरकार से बेनती करूंगा कि यह जो तीन लाख रुपया गीतों पर लगाया जा रहा है यह हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा खुराक देने पर लगाया जाय। तमाम पंजाब के कूओं के बनाने और मरम्मत के लिये 1,42,000 रुपया अलाट हुआ है। मैं अपने ज़िला की मिसाल पेश करता हूं कि रोहतक ज़िला में 750 कूएं हैं और हरिजनों के पास कोई कूएं नहीं हैं? अगर वहां का अन्दाज़ा लगाएं तो एक कूएं पर 7 या 8 हज़ार रुपया लगता है और, स्पीकर साहब, अगर एक गांव की आठ दस हज़ार की आबादी है तो वहां एक कुएं से गुज़ारा नहीं चल सकता। इस लिये 1,42,000 रुपए से काम नहीं चलेगा। इस के लिये ज्यादा रकम होनी चाहिए। नौकरियों के मुताल्लिक मैं यह अर्ज़ करूं कि हाउस में कितनी दफा हरिजन मेम्बर साहिबान बोलते हैं कि गज़ेटिड पोस्टों पर हरिजनों को नहीं लगाया जाता इस की वजह यह है कि हरिजन मिनिस्टर इस बात की तरफ ज्यादा तवज्जुह नहीं देते। अगर खुश किस्मती से एक आध scheduled caste का आदमी बड़ी नौकरी पर चला भी जाता है तो उसे खुद ही revert करवाने की कोशिश करते हैं। एक शख्स

11-00 a.m.

Training Institute, Jullundur का प्रिंसीपल था। उस को revert करवा दिया क्योंकि हरिजन मिनिस्टर उस में interested नहीं थे। इसके इलावा, स्पीकर साहब, उसने Law College join करने की इजाज़त मांगी तो उसको इजाज़त नहीं मिली क्योंकि महकमा वालों की उससे लगती थी। महकमा के दूसरे आदमियों को इजाजत मिल जाती है लेकिन उसे नहीं मिली। छोटे मुलाज़मों की भरती में यह होता है कि यह तो कह देते हैं कि हरिजन candidate चाहिएं लेकिन जब मिलते नहीं हैं या कोई न कोई defect निकल जाता है तो दूसरे आदमियों को रख कर seats पुर कर लेते हैं। स्पीकर साहब, मैं आप की विसातत से यह कहना चाहता हूं कि जब तक कोई हरिजन candidate न मिले seats vacant रहनी चाहिएं। इसी तरह से जब promotions और confirmations का सवाल होता है तो उस में भी इसी लिहाज़ से उन की percentage होनी चाहिए। हरिजनों के लिये रोज़ी का बहुत बड़ा मसला है। उन के दो तीन पेशे हैं। एक तो चमड़े का और दूसरा ऊन का। दोनों चीज़ों पर टैक्स लगा दिया गया है जिस से यह trade हरिजनों के हाथ से निकल गई है। Raw material पर टैक्स लगा दिया गया है। अमृतसर में इस के बड़े बड़े व्यापारी हैं जो 2 प्रतिशत के हिसाब से purchase tax लेते हैं। और चीजों पर purchase tax हटा दिया गया है, लेकिन इस पर नहीं हटाया गया। हालांकि डाक्टर साहब ने कहा भी था कि इस मामले पर गौर कर रहे हैं लेकिन अभी तक यह टैक्स वसूल किया जा रहा है। चमड़े पर 25 रुपए सैंकड़ा की आढ़त है। हरिजनों में इतनी हिम्मत नहीं कि वे इतना पैसा दे सकें, इस लिये यह काम दूसरे लोगों के हाथ में जा रहा है। चमड़ा अफगानिस्तान से आता है। मिनिस्टर इनचार्ज इंडस्ट्री ने कहा था कि goat skin और sheep skin का काम हम उन लोगों को देंगे जो consumers हैं। लेकिन स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से उन्हें बताना चाहता हूं कि licences उन आदमियों को दिए जाते हैं जो चमड़े का काम जानते भी नहीं और उसे touch तक भी नहीं करते। चमड़े की दूकानें, आप जानते हैं, मजीठ मंडी में हैं और raw चमड़ा G. T. Road पर मिलता है। मैं ने इस trade में बहुत दिन तक काम किया है और मैं आप की विसातत से कहना चाहता हूं कि जो चमड़े का काम करने वाले हैं, जो real consumers हैं उन्हें licence देना चाहिए। पहले लोग individually यह काम करते थे। अब गवर्नमेंट खुद ऐसा काम करती है और जो गवर्नमेंट को जानते हैं वे अमृतसर के अन्दर माल लेते हैं। आम तौर पर ये लोग dry fruits का काम करते हैं। ये licences उन्हें दिये जाते हैं जिन की Ministry में पहुंच है, जिस का नतीजा यह है कि एक भी हरिजन के पास यह काम नहीं रहा। ऊन का ज़्यादातर व्यापार पानीपत और फाज़िलका की मंडियों में होता है और टैक्स लगाने से ये मंडियां तबाह हो गई हैं। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि 4 प्रतिशत का टेक्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर एक आदमी दो अढ़ाई सौ रुपए का काम करता है और उस पर 4 प्रतिशत के हिसाब से टेक्स देना पड़े तो उन का गुज़ारा कैसे हो सकता है। पानीपत के अन्दर पांच हज़ार लेबर ऊन का

[श्री फूल सिंह कटारिया]

काम करती है। मरद और औरतें कांटे काढने का काम करती हैं, छपाई का काम करती हैं। इसी तरह से फाज़िलका में भी यही काम होता है और मुझे डर है कि इस टेक्स की वजह से दोनों की दोनों मंडियां तबाह हो जाएंगी। 1957-58 की टेक्स की वसूली अभी बाकी है। जब उन्हें 30-40 हज़ार रुपया देना पड़ेगा तो वहां की मंडियां खत्म हो जाएंगी। इस के अलावा खेत मजदूर के मसले को हल करने के लिये 14,20,000 रुपया रखा था लेकिन उन मज़दूरों को बसाने के लिये कोई यत्न नहीं किया गया और एक पैसा भी उन पर खर्च नहीं किया गया। स्पीकर साहब, हमारी झझर तहसील एक backward इलाका है और उस इलाका में इस साल वर्षा नहीं हुई इस लिये बहुत से लोग तबाह हो गये हैं। चीफ मिनिस्टर साहब पिछले साल वहां पर गए थे और वह इलाका देख आए थे। अब भी उस इलाका में पानी भरा हुआ है और बरसात में उन की फसलें तबाह हो गई हैं। इस लिए इस इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद देनी चाहिए। उस वक्त मग़रबी झझर के इलाके में कहत है। उस इलाके की इमदाद होनी चाहिए, अनाज के डिपो खोलने चाहिएं। इस इलाके में बहुत कम सड़कें हैं। गुडयानी से ले कर झज्जर तक 19 मील का फासला है। इस में 70 गांव को फायदा पहुंचता है। बादली से झज्जर तक कोई काम नहीं हुआ। सड़क बनाने की मंज़ूरी हो चुकी है लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हुआ।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, ढंडोरा पीटा जाता है कि लोगों को medical facilities दी जा रही हैं। झज्जर में गवर्नमेंट ने Dispensary take over की थी लेकिन वहां दवाई का नामोंनिशान नहीं और न ही वहां छः महीने से कोई dispenser है। मैं डायरैक्टर साहिब के पास गया और उन्हें बताया कि वहां पर न कोई dispenser है और न कोई दवाई। वह कहने लगे कि dispenser वहां भेज देंगे लेकिन आज तक वहां कोई dispenser नहीं गया। छः साल से गवर्नमेंट कोई तवज्जुह नहीं दे रही। तालीम की, स्पीकर साहिब, यह हालत है कि सारी तहसील झज्जर में कोई Girls High School नहीं।

Mr. Speaker : Please wind up your speech.

श्री फूल सिंह 'कटारिया' : स्पीकर साहिब, मैं हाउस से इलतजा करूंगा कि जो जो तकलीफें इस इलाके में हैं उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाए।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਜਟ ਤੇ general discussion ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਜ਼ਲੀ, ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ material ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ cost of Administration ਹੈ ਉਹ top heavy ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Establishment charges 60 per cent ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

Civil expenditure ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰ ਖਰਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ percentage ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ wasteful expenditure ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ Community Development ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ Employment Syndicate ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਿਚ ਇਕ breach ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ministry ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ interference ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ heat ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ heat ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਨ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਂਕ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਘੀਆ ਬਨ੍ਹਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ challenge ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੁਣਾਅ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸ਼ਖਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ vague allegation ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Betterment levy ਦੀ suspension ਦੀ announcement late ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ministry ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ direct interference ਕੀਤੀ ਹੈ। Secular State ਦਾ ਇਹ conception ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ State Government neutral ਰਹੇ। Article 26 ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹਰ ਇਕ community ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ interference ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ। Secular State ਦੇ concept ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ ਤੇ Constitution ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ministry ਨੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਰਨੈਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗੋ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬੁਢੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਲੈਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕਢਿਆ। ਬਾਬੇ ਬੁਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਮਲਬੂਸ ਕਰ ਕੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ elections ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਜੋੜੇ ਲਾਹ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਸੀ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ministry ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਖਲੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ benches ਦੇ ਕਈ members ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਹੈ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Linguistic States ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ states linguistic basis ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਸੂਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ address ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ :—

> "Language is a very important cohesive factor and though we should not allow a love of it to degenerate into a kind of narrow regional patriotism still there is nothing wrong in a people speaking the same language and having the same customs and manners coming together to administer themselves better.
>
> For one thing, a feeling of close association with their own administration in their own language will help to bring about a large amount of goodwill and co-operation among the people.
>
> The formation of the Andhra State in 1953 and the results it was able to achieve in three years have clearly demonstrated that a linguistic State can function very much better than a composite one and at the same time the patriotic ties towards a central citizenship will, if at all, be strengthened and not weakened"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ views ਹਨ ਕਿ linguistic states ਵਿਚ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, administration ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਸੂਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਏਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਏਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ unilingual state ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ convince ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿੱਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲਿਪੀ ਵੀ ਉੜਾ ਦਿਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਭਾਰੀ agitation ਹੋਈ। ਉਹ settlement ਛੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਏਸ

ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ; ਸਿਵਾਏ ਏਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ unilingual state ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੂਰ ਹੋਣ । ਅਗਰ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਲਿਹਦਾ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਥੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਹਨ । ਏਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਔਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ? ਜਿਹੜਾ ਏਸ ਦਾ via media ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਏਸ ਨੂੰ good bye ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ । ਏਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ unilingual state ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ।

ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਅਤੇ hon. member from the council, Deputy Minister for Education ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਕੋ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਨ ਸੰਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਯਾ ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਗ ਦੇ play back singer ਹਨ ਯਾ ਜਨ ਸੰਗ ਦੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਹਨ (ਹਾਸਾ) । ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਨ ਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਸਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ।

ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਏਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ । ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ compromise ਨੂੰ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ settlement ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਮਹੋਦਯ ਸਾਡੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨ (ਵਿਘਨ) ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, extra constitutional ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ।

Mr. Speaker: Please withdraw this. No reflection on the Governor.

Sardar Sarup Singh: I withdraw it.

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਏਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਿੱਪੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਜਿਹੜੀ language ਹੈ ਉਸ ਦਾ script ਹਿੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ script ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ script ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਏਤਮਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਏਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਵਧੇ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ): ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ agriculture ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ Agriculture universities ਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਏਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆਂ ਹਾਂ, ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ agriculture university ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ industrial ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ agriculture ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ crop insurance ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। agriculture college ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 103 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 250 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇਕਿ ਉਸ ਵਿਚ producers (ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਨਾਭੇ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ (thumping of treasury benches) ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਕ ਸਕੂਲ ਨਾਭੇ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੈਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਭੇ ਵਿਚ buildings ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਏਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਥੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੂਹਾਂ ਉਪਰ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ damage

ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ । (ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੱਲੀਆਂ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ) ਮੈਂ ਇਹ ਇਕ ਕਣਕ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਮੈਂ suggestion ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ mills ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ । ਉਹ mills ਤਾਂ April, May ਵਿਚ ਵੀ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁਖੇ ਮਰਨਗੇ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੜਫ ਉਠਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਕਣਕ ਵੀ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ । ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਿਉ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 75% ਫਸਲਾਂ ਬਾਰਾਨੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ Tube-well ਨਾਲ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ Thermal Plants ਉਪਰ ਜਿਹੜੀ levy ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 15% ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ agriculture ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ concession ਦਿੰਦੀ ? Opposition ਦੇ Leader Pandit Shri Ram Sharma ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ Co-operative Societies bogus ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਅਜ ਕਲ ਹਰ ਗੱਲ co-operative basis ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ co-operative societies ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ industrial purposes ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ industry ਕੁਰਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਲ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ Debt Conciliation Board ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਰਖ ਕੇ 15, 15 ਫੀਸਦੀ interest ਉਪਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਜੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਤਬੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਅਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਕਾਵੀਆਂ co-operative societies ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ state trading ਨੂੰ ਵੀ co-operative societies ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ।

ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ reserve ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਹਾਤੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂ

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]

ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਤੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਓ ।

Evoluation Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਗ੍ਹਾਂ ਵਧੂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਬਾਦ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ research ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ producers ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਉਹ ਉਥੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ difficulties ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । (interruptions) ਮੈਂ ਕੋਈ photo ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ । (interruptions) ਇਨ੍ਹਾਂ non producers ਨੇ debate ਦੇ level ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । Cane Commissioner I.A.S. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, Director, Agriculture ਵੀ ਇਕ I.A.S. ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ technical ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ debate ਵੇਖੇ ਹਨ, ਮੈਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 85 % ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਤੁਸਾਂ fruit specialist ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ technical ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ I.A.S. ਅਫਸਰ technical ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾ ਕਿ ਇਕ technical hand.

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ blood banks ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, food banks ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ manure pits ਬਣੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ bud wood banks (ਨਰਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਡਜ਼ ਰਖਣੇ) ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ buds ਨੂੰ preserve ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੰਮ fruit federation ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ fruit ਦੀ quantity ਅਤੇ quality ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ meeting ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਜਿੰਨੀ ceiling ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਲਗਾ ਲਓ । ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਅਸਾਂ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ march ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ banks ਹਨ, factories ਹਨ, ਵਡੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਉਪਰ ਵੀ ceiling ਲਗਾਉ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ land lord ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਕ ਮਕਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ, ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਅਤੇ ਸਭਰਵਾਲ ਹੋਰੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗੇ ਚਲਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦਿਲਾ ਸਕੀਏ । ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਦੀਵਾਨਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ? (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ Ford Foundation ਵਲੋਂ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ Agriculture ਦੀ development ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ centre ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ problem ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, Engineering ਦਾ, Agriculture ਦਾ ਅਤੇ Medical ਸਬੰਧੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਵਾਂ ਕਾਲਿਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ Thapar Engineering College ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ Guru Nanak Engineering College ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ treatment ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗਵਾਰੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 10 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਗਵਾਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ?

ਇਥੇ tractors ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ permits ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ :—

(1) ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਬਰਾਸਤਾ ਅਠੂਰ ।

(2) ਚਨਣਵਾਲ ਤੋਂ ਬਸੀਆਂ ਬਰਾਸਤਾ ਮੂਮ ।

(3) ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਭੀਖੀ ।

(4) ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਏਸਰ, ਚੰਨਣਵਾਲ, ਗੋਹਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । Stray cattle ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ), ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ Agriculture ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]

ਮੈਂ Education ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। Education Department ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ circular ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਔਰ ਬੀਵੀ (ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਾਣੀ) ਦੋਵੇਂ teachers ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ post ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ teachers ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। Integration ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ B. T. teachers ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਫੀ ਸਦੀ Pepsu ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 360 teachers B. T. grade ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ lecturers ਪੈਪਸੂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 250—750 ਦੇ grade ਵਿਚ merge ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ temporary ਹੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ Pepsu Service ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧਕਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ centres ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ Middle ਔਰ High Schools ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ centres ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਧੌਰ, ਮੂਲੇਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਣਾ, ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਅਮਹਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ centres ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦਿਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ Middle Schools ਅਤੇ High Schools ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ centres ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਚਿੱਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਾ ਰਖੇ। (ਘੰਟੀ)

ਫੇਰ, ਜਨਾਬ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ਼ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੁਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਆਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ relevant ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਪਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ June ਵਿਚ Sales Tax ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਲਗਿਆ ਅਤੇ Cotton ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗ ਗਿਆ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ High Court ਵਿਚ appeal ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ reject ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਪਰ

ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 6 ਲਖ ਗੱਠਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ Industries ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੋ । (ਘੰਟੀ)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50:50 ਦੇ basis ਤੇ ਕੀਤਾ; ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁਜੀ । ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁਜੀ । ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ । (ਘੰਟੀ) । ਬਸ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਉ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ । (I am quite helpless.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ! ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਐਨ. ਵੀ. ਗਾਡਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਗਪੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ :—

"ਹਮ ਗੈਰ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੇ, ਭੂਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੇ ਔਰ ਜਬ ਤਕ ਹਮੇਂ ਯਹ ਸਹੂਲਿਅਤ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤਬ ਤਕ ਨ ਖੁਦ ਚੈਨ ਲੇਂਗੇ ਔਰ ਨ ਔਲਾਦ ਕੋ ਲੇਨੇ ਦੇਂਗੇ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ :—

"ਗਾਂਵ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਹ ਇਨ ਤਮਾਮ ਸੁਖੋਂ ਸੇ ਮਹਰੂਮ ਰਹੇਂ"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ :—

"ਯਾ ਤੋ ਦੇਹਾਤੀ ਮੁੰਦਰਜਬਾਲਾ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਯਾਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੇਂ ਵਰਨਾ ਮਗ਼ਰਬੀ ਮੁਮਾਲਕ ਜੈਸੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰ ਏਕ ਗਾਂਵ ਕੇ ਮਸਾਇਲੇ ਏਕ ਜੈਸੇ ਹੈ" ਲੇਕਿਨ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਵਾਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗਾਡਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਗ ਤੋ ਔਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਦਬਾਵ ਡਾਲ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਮਗਰ ਦੇਹਾਤੀ ਲੋਗ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ । ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਮੇਂ ਚੁਪ ਬੈਠਨੇ ਸੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ । ਦੇਹਾਤਿਯੋਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤਬ ਸਭ ਕਾ ਧਿਆਨ ਇਨ ਕੀ ਤਰਫ ਮਬਜ਼ੂਲ ਹੋਗਾ ਔਰ ਦੇਹਾਤਿਯੋਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਲ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ।" ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਰ ਦੇਹਾਤੋਂ ਮੇਂ ਸੜਕੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਤੋ ਵੋਹ ਕੈਦਖਾਨਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਇਸ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਜਲਦ ਹੀ ਬਦਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ" ।

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]

ਸੋ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਫੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

"ਐ ਜੋਸ਼ੇ ਜਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਕੁਛ ਖਾਕ ਉੜਾ ਵੀਰਾਨੋਂ ਕੀ !

ਦੀਵਾਨਾ ਬਨਨਾ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਹੀ ਬਨਾ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਐਨਾ ਵਕਤ ਦਿਤਾ । ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗਾ ।

श्री अध्यक्ष : इस से पहले कि debate आगे चले मैं आप का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जो lights को न देखने और bell को सुन कर भी speech जारी रखने की आदत बन चुकी है यह ठीक नहीं । Front Benchers को preference देने का मतलब यह नहीं कि वह अपनी जिम्मेदारी का ख्याल भी न रखें । मुझे अफसोस है कि preference तो हासिल की जाती है लेकिन अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता । अगर back benchers ऐसा करें तो किसी हद तक tolerate किया जा सकता है लेकिन मैं front benchers से ऐसी तवक्को नहीं रखता । आखिर दूसरों ने भी अपनी अपनी बातें यहां कहनी हैं । (*Interruptions*) Order please. मेरा विश्वास है कि अब ऐसा नहीं होगा । (Before the debate is proceeded with, I would like to draw the attention of the hon. Members to the fact that the habit of continuing the speeches in utter disregard of the lights and of sounding of bell is not desirable. Preference given to the hon. Members occupying the Front Benches, does not mean that they should neglect their responsibility. I am constrained to observe that preference to speak is secured, but no attention is paid to the observance of their responsibility.

If the Back Benchers do like that, then it can be tolerated to some extent but I do not expect the Front Benchers to behave in that way. After all, others also have to express their views. (*Interruptions*) Order Please. I am sure that this will not happen in future.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : स्पीकर साहिब, जो बजट House के अन्दर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है और जिस पर चन्द दिनों से discussion हो रही है; अलग अलग नज़रिए सम्मानित सदस्यों ने पेश किए हैं । मैं समझता हूं कि अगर सरकार का काम इतना ही हो कि लोगों से taxes वसूल करके उन का कुछ हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की तन्खाहों पर और कुछ हिस्सा सड़कों वगैरा के निर्माण

पर खर्च करना हो तब तो सरकार को इस बजट के पेश करने पर धन्यवाद दिया जा सकता है या उस की सराहना की जा सकती है। लेकिन जिस सरकार ने अपनी नीति के अन्तर्गत, अपनी policy के अन्तर्गत कुछ विशेष लक्ष्य रखा हुआ हो; आदर्श रखा हुआ हो—जैसा कि हमारी सरकार ने रखा हुआ है कि इस देश के अन्दर समाजवादी ढांचे का निर्माण करना है और इस राज्य को एक welfare State यानी कल्याणकारी राज्य बनाना है—तो यदि इन दोनों नुक्तों पर, दोनों आदर्शों की कसौटी पर इस बजट को जांचें तो मैं समझता हूं कि इस बजट के पढ़ने वालों को इस से निराशा ही होती है। स्पीकर साहब, समय बहुत थोड़ा है इस लिये मैं ज्यादा विस्तार में तो नहीं जा सकता लेकिन अगर इन दो असूलों के आधार पर, दो आदर्शों के आधार पर जिन पर कि सरकार नए समाज की रचना करना चाहती है, इस बजट को देखें तो हम इस के अन्दर क्या पाते हैं? इस माली साल में सरकार 57 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इतनी बड़ी रकम खर्च करके सरकार अपने कर्मचारियों के अन्दर एक विशेष ढांचे का निर्माण करना चाहती है जिस का असर बाकी समाज पर पड़ता है। आप किसी भी department को ले लें। वह ऊपर के अफसर से शुरू होता है और नीचे चपड़ासी तक पहुंचता है। सरकार ने अपने इस समाजवादी ढांचे के अन्दर क्या असूल बनाया हुआ है? जो महकमे का chief है—यानी सब से बड़ा अफसर—उस की तन्खाह 3,000 रुपए मासिक है और सब से नीचे का जो कर्मचारी है—यानी चपड़ासी, दफतरी या laboratary assistant उस की तन्खाह 30 रुपए और कहीं कहीं 27 रुपए भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो समाजवादी समाज का नारा सरकार पिछले पांच दस सालों से लगा रही है, उस के पेशेनज़र क्या सरकार इस बात को असूलन मानती है कि इस समाजवादी ढांचे में जो existing disparity है वह वैसे ही रहेगी? छोटे और बड़े कर्मचारी की तन्खाहों में सौ गुना का फर्क है।

इस समय कम से कम तनखाह लेने वाले की तनखाह 30 रुपये है और ज्यादा से ज्यादा लेने वाला जो आदमी है उस की मासिक तनखाह तीन हज़ार या चार हज़ार है। अगर सरकार के समाजवादी ढांचे की रूप रेखा यही है तो जनता को स्पष्ट होना चाहिये कि यह सरकार यहां ऐसा समाजवादी समाज स्थापित करना चाहती है कि यहां कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तनखाह लेने वाले में disparity की limit यही होगी। जिस तरह का समाजवादी समाज यह सरकार लाना चाहती है उस के बारे में यह स्पष्ट रूप में जनता को बता दे कि इस में कम से कम लेने वाले में और ज्यादा से ज्यादा लेने वाले में यह फर्क होगा। अगर यह सरकार कम से कम लेने वाले और ज्यादा से ज्यादा लेने वाले आदमियों की तनखाहों में इतना ही फर्क रखना चाहती है तो इस का यह कहना कि यह यहां समाजवादी समाज स्थापित करना चाहती है इस का एक ढोंग है जिस में एक आदमी 30 रुपये मासिक लेने वाला है और दूसरा आदमी तीन हजार रुपये मासिक लेने वाला है।

तो, स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा हाउस के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि अगर सरकार यहां समाजवादी ढांचा कायम करना चाहती है तो इसे इस बात पर

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]
विचार करना चाहिये कि देश में किसी को कम से कम क्या मिलना चाहिये जिस से वह इस महंगाई के ज़माने में अपना गुज़ारा कर सके, और अपने बच्चों का पेट पाल सके । आज कल के इस महंगाई के ज़माने में जब कि गेहूं का भाव इतना ज़्यादा है और बाकी खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हैं तो क्या हमारे मंत्री महोदय यह समझते हैं कि 30 या 40 रुपया मासिक तनखाह लेने वाला एक कर्मचारी अपने परिवार के चार या पांच सदस्यों के साथ इस वेतन से जीवित भी रह सकता है ? अगर यह समझते हैं कि वह नहीं रह सकता तो इन का समाजवादी समाज क्या हुआ ?

दूसरी बात जो एक welfare State के बनाने के लिये सरकार को सोचनी पड़ेगी वह यह है कि लोगों से जो रुपया यह टैक्सों के रूप में इकट्ठा करती है उसे किस तरह से इसे खर्च करना है। इसे देखना होगा कि कौन से महकमों से लोगों का कल्याण होगा और कौन से महकमों से नहीं होगा । इसे उन महकमों पर खर्च करना होगा जिस से जनता का कल्याण होता है और उन पर खर्च नहीं करना चाहिये जिन का जनता के कल्याण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं ।

यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि सूबे में education की हालत तो यह है कि हमारी सरकार ने दो तीन साल पहले जो Municipal कमेटियों और District Boards के कुछ स्कूल अपने अधिकार में लिये थे, जिन में आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों की हालत देखी जाये, जो कि मंत्री भी जानते हैं और जनता का एक एक नागरिक भी अच्छी तरह से जानता है कि उन स्कूलों में से किसी की छत गिरी हुई है और किसी की दिवार गिरी हुई है और हमारी इस सरकार ने पिछले तीन सालों में उन की मुरम्मत पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया । जब कि इस बजट में civil works के लिये 8 करोड़ रुपये के करीब रक्म रखी हुई है, फिर भी उन स्कूलों की मुरम्मत पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया । यह उन स्कूलों का हाल है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं और जिन के बारे में पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने कहा है कि बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य है और हमारा हिन्दुस्तान उन के सहारे खड़ा होगा । एक तरफ तो उन के स्कूलों की मुरम्मत नहीं की जाती और दूसरी तरफ उन्हें यहां चंडीगढ़ में ला कर Assembly Hall दिखाया जाता है जो कि एक करोड़ रुपये के व्यय से निर्माण होने जा रहा है और उन्हें यहां lake दिखाई जाती है जिस पर लाखों रुपया खर्च किया गया है। तो इस से उन की आंखों के सामने इस कल्याणकारी राज्य का चित्र आ जाता है कि एक तरफ तो सरकार उन के स्कूलों की मुरम्मत पर एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही और दूसरी तरफ यह यहां lake बना रही है, Assembly Hall बना रही है, town hall बना रही है और सैर गाह बनाने पर खर्च कर रही है ।

मैं सिर्फ education के महकमे की बात नहीं करता बल्कि इस के साथ ही medical के महकमे के बारे में कुछ अर्ज़ करता हूं । यह इन चीज़ों पर जहां इतना भारी खर्च कर रहे हैं वहां medical के महकमे पर कम खर्च करते हैं । आप सूबे के अन्दर आज किसी भी हस्पताल में चले जायें तो आप वहां देखेंगे कि एक साधारण मरीज़

को हस्पताल में अपना इलाज कराने के लिये छः छः महीने और साल, साल, तक दाखिल होने के लिये ठहरना पड़ता है तब जा कर उसे जगह मिलती है। (एक आवाज़—छः, छः महीने?) हां छः महीने या साल तक उसे इन्तज़ार करनी पड़ती है। फर्ज़ करो कि किसी ने, जो कि चल फिर सकता है, हरनियों का operation कराना हो । उसे अमृतसर के हस्पताल में छः महीने से पहले दाखिल नहीं किया जाता और उस का उप्रेशन इस से पहले नहीं हो सकता। यह बात मंत्री महोदय जो कि Minister for Health हैं उन के notice में आ चुकी है। आप अमृतसर के हस्पताल में जाकर देखें तो आप को पता लगेगा कि बहुत सारे cases में जिन के ज़ख्म septic हो गये हुए हैं उन के लिये वहां bed नहीं हैं और उन्हें बरामदे में ज़मीन पर डाला हुआ है। अमृतसर में इस लोक कल्याणकारी राज्य के अन्दर अगर कोई जनता का नागरिक बीमार हो जाये तो उस के लिये हस्पताल में बिस्तर नहीं होता और उसे ज़मीन पर चटाई पर लिटाया जाता है। लेकिन इसी लोक कल्याण-कारी राज्य में चण्डीगढ़ के लिये lake बनी हुई है ताकि लोग boating कर सकें, उस पर सैर कर सकें। यानी यह सरकार, जनता से टैक्सों द्वारा इकट्ठा किया हुआ रुपया इस प्रकार खर्च कर रही है कि जिस से जनता को कोई लाभ न हो। उन के इलाज के लिये हस्पतालों में जगह का प्रबन्ध करने की तरफ तो ध्यान नहीं दिया जाता और यहां करोड़ों रुपये इस तरह से खर्च किये जा रहे हैं। आप Health Department पर हो रहे खर्च पर नज़र डालें कि किस तरह से उस पर खर्च किया जा रहा है और क्या उस से जनता का कोई कल्याण हो सकता है? गांव के लोगों के लिये इन्होंने mobile dispensaries बनाई हैं। एक jeep में एक डाक्टर अपने साथ एक lady डाक्टर को ले कर घूमता फिरता है। वह वहां जाता है जहां पर हस्पताल नहीं हैं। इस तरह से क्या वह लोगों का इलाज कर सकते हैं? अगर कोई मरीज़ जिस की हालत बड़ी serious हो चुकी हो उन के पास आये तो वह उस का इलाज नहीं कर सकते और सिवाये इस के कि वह उसे एक चिट लिख कर दे दें और कहें कि जाओ शहर के हस्पताल में orthopaedic surgeon के पास इलाज कराओ, और कुछ नहीं कर सकते। और जब वह शहर के हस्पताल में जाता है तो वहां उस के लिये जगह नहीं होती। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार यहां welfare state कायम करना चाहती है तो इसे उन departments की ओर अपना अधिक ध्यान देना चाहिये और उन पर अधिक व्यय करना चाहिये जिन से लोगों का कल्याण हो सकता है। इसे यह देखना चाहिये कि क्या नगरों के हस्पतालों में बिस्तर मिल सकते हैं या उन्हें बरामदे में फर्श पर ही लेटना पड़ता है। और अगर यह इन चीज़ों की तरफ ध्यान न देकर यहां एक करोड़ के करीब Assembly Chamber पर खर्च कर के उस का निर्माण करे और lake पर और सैर गाह बनाने पर खर्च करे तो इसे यह बात सोचनी चाहिये कि यह इस तरह से समाजवादी समाज का निर्माण नहीं कर सकती। यह एक सोचने का मसला है और यह एक असलियत है जिस की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। यही नहीं, स्पीकर साहिब, यहां पर अभी जो labour un-rest हुई और जो शोर मचा कि मज़दूर.....

श्री अध्यक्ष : आप Assembly Chamber के बनाने पर खर्च की बात कर रहे हैं लेकिन यहां हालत यह है कि Leader of the opposition को कमरा नहीं

[श्री अध्यक्ष]

दिया तो उन्होंने tent में जाने से इनकार कर दिया और वहां बैठने से इनकार कर दिया। (The hon. Member is criticising the expenditure provided for the construction of the Assembly Chamber, but here today the position is that the Leader of the Opposition refused to sit in a tent when he could not be given accommodation in the office building.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, अगर कमरा available हो तो उन्हें मिलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : तो क्या लोक कल्याण कारी राज्य में मिनिस्टरों के बैठने के लिये भी कमरे न हों और वे tents में बाहर बैठें। (Does the hon. Member mean that in a welfare state the Ministers should have no rooms to sit and work and should be accommodated in the tents ?)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं तो समझता हूं कि इन की निस्बत जनता का कल्याण ज्यादा आवश्यक है।

तो, स्पीकर साहिब, मैं बता रहा था कि जब labour problem यहां हाउस के सामने आया और मंत्री महोदय को यह पता चला कि labour की हालत बहुत बुरी है तो इन्होंने 10 लाख रुपये lobour को loan देने के लिये sanction किये। यह problem एक दो महीने से बनी आ रही है। जो मज़दूर पहले एक महीना में एक सौ रुपये कमाता था वह आज कल 25 या 30 रुपये भी नहीं कमा सकता। अब जब कि उन में un-rest हुई तो अब आ कर हमारी सरकार की आंखें खुली हैं और इन्होंने 10 लाख रुपया loan के रूप में उन्हें देना स्वीकार किया है लेकिन अब भी इस loan के, उन गरीब मज़दूरों को पहुंचने में एक या दो महीने लगेंगे क्योंकि उन्हें इस के हासल करने में अभी कई शरायत पूरी करनी होंगी। उन्हें कहा जायेगा कि तुम्हें फलां फार्म भर कर देनी होगी, फलां surety देनी होगी और फलां 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। तो इस तरह से दो तीन महीने में इस लोक कल्याणकारी सरकार की सहायता उन्हें पहुंचेगी। यह वैसी ही बात होगी जैसे एक बार पहले पटियाला रियास्त में हुआ था। वहां किसी के मकान को आग लग गई थी। आग के बुझाने के लिये सरकार से कहा गया और सरकार की तरफ से आग को बुझाने में मदद देने के लिये छः महीने लग गये थे जब कि उस जले हुए मकान की जगह नया मकान बन रहा था। इसी तरह से यह गरीब मज़दूर तो आज भूखे मर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से यह loan के रूप में सहायता उन्हें दो तीन महीने पश्चात पहुंचेगी। चाहिये तो यह कि यह सहायता उन्हें फौरी तौर पर दी जाये ताकि वे इससे लाभ उठा सकें।

अब मैं सदन का ध्यान Housing scheme की ओर दिलाता हूं। इस बजट में provision की गई है कि labour के लिये सूबा के अन्दर 1400 घर बनेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप wind up कर लें। (Now, the hon. Members should wind up his speach)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि हमारी सरकार यह चाहती है कि प्रान्त में हरेक को पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो। हरेक के पास रहने के लिये मकान हो और हरेक के पास रोटी और कपड़ा पाने के साधन हों। तो मैं इस से यह पूछना चाहता हूं कि जब कि हमारे प्रान्त की लगभग दो करोड़ आबादी है तो केवल 1,400 मकान बनाने की इतनी थोड़ी provision से क्या बनेगा ? यानी करीब 15,000 की आबादी के लिये एक घर का प्रोविज़न है जिस के बारे में सरकार इतना कुछ कहती है। (घंटी) ।

12.00 noon

तो खैर, स्पीकर साहिब, मैं एक ही बात और कहूंगा। इन्होंने पिछले दिनों सेल टैक्स उन व्यापारियों से मांगा है जिन्होंने कि अपनी ही ब्रांचों को माल बाहर भेजा है, बेचा नहीं। फर्ज़ करो एक फर्म जालंधर में है। अगर यह फर्म अपनी ही ब्रांच को स्टेट से बाहर माल भेजे तो सरकार ने इस कानून की यह interpretation निकाली है कि उस माल पर भी सेल टैक्स देना पड़ेगा। और कब से देना पड़ेगा ? पिछले दो सालों से। यह नोटिस चले गए हैं कि एक महीने के अन्दर २ जमा कराओ। किसी से 20,000 और किसी से 30,000 रुपया मांगा गया है। हम यह नहीं कहते कि टैक्स नहीं लेना चाहिए। जरूर लेना चाहिए मगर कोई असूल तो होना चाहिए। माल बेचा तो नहीं, अपनी फर्म को भेजा है। न कोई नोटिस दिया, न कुछ और बताया। अब एक फर्म है जो 20,000 में रुपये अपना काम चलाती है। दो साल में तो हो सकता है कि उन्होंने लाखों का माल अपनी ब्रांच को भेजा हो। अब अगर उस पर सेल टैक्स देते हैं तो उन का तो कारोबार बंद हो जाता है। सरकार को चाहिए था कि अगर उस कानून का यही मतलब निकालना है तो आगे के लिए ऐसा करते, न कि पिछले दो सालों से यह टैक्स लिया जाता। आगे के लिये यह बात की जाती तो वह जो माल बाहर अपनी ब्रांच को भेजते उसी के मुताबिक हिसाब किताब करके बताते और पैसे लेते। मगर अब जो हालत पैदा हुई है इस में न तो व्यापारी का कसूर है, न आढ़ती वगैरह का है; बल्कि गलती तो सरकार की है कि उन को यह बात पहले नहीं बताई कि वह उस माल पर भी सेल टैक्स वसूल करें। इस तरह यकदम उन को सारा हिसाब किताब बना कर देने से तो उन में बेचैनी बढ़ती है। और यह जो वैलफेयर स्टेट का नारा लगाने वाली सरकार है यह व्यापारी कम्यूनिटी को खत्म करने पर तुली हुई है (घंटी) मैं एक बात और कहना चाहता था........

श्री अध्यक्ष : बस जी । (No please.)

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : (Thumping by the Treasury Benches) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ position ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਥੇ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਲ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਉਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ House ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਵਧੇ, ਆਪਦਾ ਮਾਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਤੱਰਕੀ ਕਰੇ। (Hear, hear) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਦਿਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੰਦਾ ਉਬਾਲ ਕਢ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ speech ਇਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ speech ਹੈ ਜੋ ਤਦ ਤਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤੱਰਕੀ ਦੀਆਂ figures ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਤੱਰਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜੋ ਅਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ detail ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉਚਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ Resources and Retrenchment Committee ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ budget ਤੇ discussion ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ। ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ speeches ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ criticism ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਕੁ relevant ਸੀ। ਮੈਂ, ਜਨਾਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। 1950-51 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯਾਨੀ ਜਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 1960-61 ਤਕ development ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ per cent ਨਹੀਂ, 20 percent ਨਹੀਂ; 100 per cent ਨਹੀਂ, 200 ਜਾਂ 300 per cent ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 375 per cent ਤੱਰਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਤਾੜੀਆਂ) ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ impression ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨੇਰਗਰਦੀ, nepotism ਅਤੇ favouritism ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ State ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ complementary ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੱਰਕੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।

(ਤਾੜੀਆਂ) ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ beneficient departments ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ civilised ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਲ੍ਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ excise ਦੇ crimes ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ Persia ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ trickle ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰੇਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲਗ ਪਿਆ, ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ cycles ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਲਭ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਇਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। Veterinary ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ dispensaries ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ raise ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। Education ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, dignity of labour ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ vitality ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ industry ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ 2, 4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ incharge industries ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ industry ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ industry ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ figures ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਖਾਦੀ ਦੀਆਂ figures ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Small-scale Industry ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ industry ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰੇ ਭੰਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਉਂਕਿ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰੋੜ ਦੋ ਕਰੋੜ ਇਸ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਡਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ-ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਔਰ ਤੌਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਵੈਦ ਅਖਵਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਕੀਮੀ ਜਾਂ ਵੈਦਗੀਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 524 ਹੋਰ ਬਿਸਤਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅਤੇ 432 ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਲੈ, ਇਹ ਲੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ knife ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 523 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ।

ਇਹ ਬਜਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ movement ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਕੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲਟੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ constructive

criticism ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣ ਤੋਂ ਝਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੋ । ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿਉ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿਓ । ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । Expanding developmental economy ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ । ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ Betterment Levy postpone ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ । 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ । ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਉਗਰਾਹ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਗ੍ਰਾਹੀ ਤੁਰੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । Betterment Levy ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਆਖੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿੰਦਾ ਭਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ । Anti-Kairon agitation ਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ । ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਥੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ । ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਨਾਂਨਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 40, 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਖੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ । ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ communal ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਬਹੇ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁਗਜ਼ ਕਢਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਬੁਗਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ loyalty ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । Loyalty ਆਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪਾਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 30, 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਔਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) । ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ । ਅੱਜ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ communal ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੋ ਨਹੀਂ ਟਲੇ ।

ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ emergency ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ emergency ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕੋਈ stand by ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ emergency ਨੂੰ meet ਕਰਨ ਲਈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ thermal plant ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮ ਨਾ ਪਵੇ । ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਨਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ

ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ food grains ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਤਾੜੀਆਂ) ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਣਕ ਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੱਲੀ ਵਿਖਾਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ recovery ਘਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ । ਇਹੀ ਹਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ।.........(ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : 10 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ । ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ? ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ । ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੀਚਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ representative ਨੇ ਇਹ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਧ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੋ । ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਏਥੇ constructive ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਏਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਆਰਡਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂਬਰ irrelevant ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ debates ਲੋਕੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ । ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਕ ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ ਮਾਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ? ਇਕ ਅਫੀਮੀ ਮਾਲਕ ਨੇ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਣਾ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨਾ ਪਵੇ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਏਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਬੈਕਵਰਡ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ । ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ Betterment Levy ਦਾ concession ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤਨੇ ਕੁ ਤੇ ਹੀ ਬੱਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਕ ਹੋਰ hon. Member ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ । ਏਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਿਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਤਨੇ responsible ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ irresponsibility ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਨ, ਫੇਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਜੀ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਇਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆਫ਼ੀਸਰ ਵੀ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ Finance Department ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ retire ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਵੀ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਨ । ਇਤਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਏਥੇ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ । ਇਸ ਕਾਡਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 207 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 639 ਬਣਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਵੋ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਜੋ cadre to cadre integration ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ seniority ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸਤਰਾਂ senior ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਟਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ versus ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਕਦਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਬਿਨਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਮੀਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਉਥੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ State ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ । ਇਥੇ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਇਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । (laughter)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ । (laughter) ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾਈ ਫਿਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ । British Parliament ਦਾ Prime Minister ਚਰਚਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਤੋਂ retire ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ lady ਉਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ wife ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ divorce

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਦੇ ਦਿੰਦੀ । ਉਹ ਵੀ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ husband ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਰਚਿਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਤਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ । (*laughter*)

ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Opposition ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬੜੀ forcefull speech ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ speech ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ criticism ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ law and order ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । Transport ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ nationalize ਕਰ ਦਿੱਤਾ ; ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ co-operative ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ; ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ credit ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । Co-operating ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ criticism ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਡਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਬਣਨਗੇ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਉਹ Congress ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਉਸ ਵਕਤ । (*laughter*)

ਮੈਂ co-operative ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ industry ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ industry ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ Industry Minister ਜਾਂ Finance Minister ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Marketing Societies ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ । ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ manufacturing side ਲਈ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ decide ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ decide ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ manufacturing side ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸਦੀ surplus land ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ; ਸ਼ਰਤ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ industry ਚਲਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ।

ਇਥੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਜਟ ਵੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਲਈ, ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ provision ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ੮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ advantage ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ percentage ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ 23% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ 76% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ figures ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ department ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕੜੀ ਲੈਕੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ development ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ law and order ਦੀ position ਵੀ ਦੱਸਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਹ ਸਾਡਾ record ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ crime ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ individual ਘਰਾਂ ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ । ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਫੇਰ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ regime ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ efficient ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ action ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਡਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ । ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ State । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਮਾਮ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ efficient ਹਨ, honest ਹਨ ਨੇਕਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ, ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਿਹੜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ personally ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਵਾਵਾਂਗਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਡਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜੇ murders ਦੀਆਂ, dacoities ਦੀਆਂ, robberies ਦੀਆਂ ਅਤੇ thefts ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਘਟਾਇਆ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ crime ਦੇ total figures ਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲਗਿਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ detective ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਫੜੇ ਹਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜ ਸਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ । ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ detective cases ਫੜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੁਰਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ detective cases ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਜੁਰਮ ਵਧੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । Detective cases ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ trace out ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ appreciation ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਜੇ detective crime ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਾਂ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ । ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1954 ਦੇ ਵਿਚ crime ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 1954 ਦੇ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਤਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੌਂਵੀ ਹੈ । ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਦਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹਾਂ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ robberies ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ 1954 ਦੇ ਵਿਚ ਅਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ । Burglaries ਦੇ ਵਿਚ 1954 ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਰਵੀਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ordinary thefts ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੀਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਗਿਆਰਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ । Rioting ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ । ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Resources and Retrenchment Committee ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਰੀਪੋਰਟ F.M. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਇਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ Retrenchment Committee ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ discuss ਕਰਨਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਇਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ beneficent purpose ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ expenditure ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2400 ਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ । ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਏਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ Leader of the Opposition ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਸਜਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ script ਹੋ ਚਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਜਵਾਨ, ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਏਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ । ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ script ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ script ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ script ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ official capacity ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਰੇਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਉਥੇ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਗਾੜ ਪਾਉਣੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ । ਉਹ ਇਕ ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ exploit ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਦ ਤੋਂ ਟਪ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ protection ਦੇਵੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਚੁਪ ਚਾਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਸਬੱਬੀਂ, ਮੈਂ ਏਧਰੋਂ ਛਡ ਕੇ ਓਧਰ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਫਿਰ ਇਥੇ law and order ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ case ਵਿਚ interest ਲਿਆ, ਉਸ case ਵਿਚ interest ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ interest ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੇ-ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ । ਮੈਨੂੰ as a Chief Minister ਹਰ ਇਕ ਭਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ interest ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਗ ਡੋਰ ਸਾਂਭੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ absconders ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ crime ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ crimes ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਗੌੜੇ ਹਨ crime ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਦਫਾ ਜੇਕਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ crime ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ efficiency ਦਾ criteria ਇਹ ਰਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ absconders ਕਿਤਨੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ absconder ਖੁਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ

ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 2 absconders ਰਹਿ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ । ਤਾਂ, ਜਨਾਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ absconders ਦੀ ਤਾਦਾਦ 460 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 190 ਤਕ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਭੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ...................(noise)

श्री प्रबोध चन्द्र : वाह वाह, क्या कहने ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ absconders ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ murderers ਵੀ ਸਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪਕੜ ਲਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਘੋੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੌੜਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਿਛਾ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ vigilance ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਹੁਣ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ tea party ਦੇਣ ਲਈ invitation cards ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 5, 7 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ deputation ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲਉ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ deal ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਛਪੇ ਛਪਾਏ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ (cheers) ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗਲ ਨੂੰ ਉਘਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ National Motors ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਮੀਟਰੋ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਮੀਟਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਪੁਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ administration ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ law and order ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ corruption ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਗਈ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਕੌਣ ਦੁਕਾਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? ਫੇਰ ਫਰਮਾਉਣ ਲਗੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ industry ਵਿਚ investment ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ law and order ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ । ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਆ ਹੈ; ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਰੁੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਈਵੇਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ make ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰੋ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਥੇ ਸੱਟ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਭੋਲ ਹੁੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੇੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ agency ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਧਨਾਡ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ unseat ਕਰਨ ਲਈ, oust ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉਪਰ । ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ no confidance ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਸ agency ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1½ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ (shame, shame).......(*noise*)....

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं इसे contradict करता हूं । अगर यह साबत कर दें ....(*loud noise and interruptions*).........

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ certificate ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ in good faith ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ certificate ਦਿਤਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ, ਜਨਾਬ, ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਨਾ vested interest ਹੈ ਕਿ ਉਹ agent ਪੰਜਾਬ ਦੀ

ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਛਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ influence ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.........(shame, shame)

श्री प्रबोध चंद्रः यह बिल्कुल झूठ है ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੰਪਣੀ ਦੀ ਕੋਈ agency ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਖੁਸ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਦੀ agency ਖੁਸ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ politics ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੰਪਣੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪਾਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ sales agency ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਨਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੱਜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਤੁਸੀਂ, ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ DLZ ਦੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਚੱਕਰ ਕਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ....(*interruptions and loud noise*)

Shri Prabodh Chandra On a point of order, Sir........(*loud noise*)

Mr. Speaker : Order, order. Please resume your seat.

श्री प्रबोध चन्द्र : यह गलतब्यानी कर रहे हैं........(*loud noise*)

Mr. Speaker: Order, order.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ.........

श्री प्रबोध चन्द्र : On a point of order........(shouts of order, order)........ क्या आप सोने की smuggling करके अपनी बातें भूल गए.... (loud noise and shouts of order, order) ....

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ challenge ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ accept ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ Supreme Court ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪਵਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਏ ਪਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ? I take no note of such letters. ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ agency ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਲਾ ਕੇ coloured ਅਤੇ biased views ਛਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਛਪਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ loyalty ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਖਬਾਰੀ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ discipline ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੱਜਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁੱਜ ਲਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਪੰਜ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ welfare ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਢ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਘੁਸਦੇ ਹਨ।

1 P.M.

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਉੱਤੇ proud ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਔਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਧ ਹਨ, ਸੰਤ ਹਨ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, responsible ਆਦਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੨ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ efforts ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ । (*Loud applause*)

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI PRABODH CHANDRA

Shri Prabodh Chandra : On a point of personal explanation, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रबोध चन्द्र जी, जब दूसरे बोलते हैं तो आप भी तहम्मल से सुना करें । (*Addressing Shri Prabodh Chandra*: Now when others speak the hon. Member should have patience to hear them.)

Shri Prabodh Chandra : Sir I have a right to say a word on a point of personal explanation. (*interruptions*)

Minister for Industries : उन्हों ने किसी का नाम तो नहीं लिया ।

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब, इन्होंने फरमाया है कि किसी कम्पनी ने 80 हज़ार रुपया no-confidence motion move करवाने के लिए दिया है । मैं यह कहता हूं कि अगर यह बात prove कर दें कि मैं या मेरा कोई साथी इस तरह से no-confidence motion लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे लिये जो मर्ज़ी सज़ा तजवीज़ करें । ये खुद corrupt हैं और कारखानेदारों से लाखों रुपया लेते हैं और मेम्बरान को पांच पांच सौ रुपया देते हैं । इस लिये इन को ज़ेब नहीं देता कि ये ऐसी बातें कहें ।

RESUMPTION ON GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61

श्री निहाल सिंह (महेंद्रगढ़) : जनाब स्पीकर साहब, जो नए साल का बजट हमारे Finance Minister साहब ने हाउस में पेश किया है उस के लिये मैं उन को और पंजाब गवर्नमट को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह का बजट पेश किया है। इस बजट में हमें socialistic pattern of society को कायम करने की झलक नज़र आती है। इस बजट में पंजाब के किसानों के लिये, मज़दूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये प्रयत्न किया गया । इस सूबा को उन्नत करने के लिये, आमदनी के ज़राय बढ़ाने के लिये और खास तौर पर पंजाब के किसान के लिये यह बजट 'boon' है । इस में crop insurance की बात कही गई है जो कि पंजाब के किसानों के लिये बड़ी भारी अहमियत वाला कदम पंजाब गवर्नमेंट ने उठाया है । जब बजट पेश नहीं हुआ था तो उस से पहले मेरा यह ख्याल था कि हमारे Finance Minister साहब financial matters में tight और खुश्क हैं, dry हैं । लेकिन बजट

[श्री निहाल सिंह]
के पढ़ने से मालूम हुआ कि ये खुश्क नहीं हैं बल्कि इन्होंने महेन्द्रगढ़ जैसे खुश्क इलाके की खुश्की दूर करने के लिए, वहां पानी देने के लिए 30 लाख रुपया बजट में provide किया है। इस बात पर मैं महेन्द्रगढ़ के ज़िले की तरफ से चीफ़ मिनिस्टर साहब और Finance Minister साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट में इस सिलसिले में रुपया provide किया है। सब से बड़ी चीज़ यह की गई है कि आठवीं जमायत तक free education दी जा रही है। इस के इलावा इस बजट को देखने से पता चलता है कि जो services के बारे खर्च पर नुक्ताचीनी की गई है वह कहां तक दुरुस्त है। यह कहा गया है कि 60 फी सदी रुपया नौकरियों पर खर्च होगा। लेकिन, जनाब, इस बजट को पढ़ने से मैं ने ये figures निकाली हैं कि इस बजट की 77 प्रतिशत provision development के लिए है। Administrative services के लिए इस बजट में 14 प्रतिशत है, land revenue services पर 5 प्रतिशत है और दूसरी services पर सिर्फ 4 प्रतिशत खर्च होगा। कुल मिला कर इस बजट का 23 प्रतिशत हिस्सा services पर खर्च हो रहा है। बाकी का 77 फीसदी सूबा की भलाई के लिये खर्च किया जा रहा है। इस में से 6 प्रतिशत civil works पर खर्च कर रहे हैं 8 प्रतिशत agriculture और rural development पर खर्च हो रहा है। कुछ अपोज़ीशन के साथियों ने खास तौर पर राम किशन भड़ोलियां जी ने कहा और जब बजट पर criticism करने की गुंजायश नहीं रही तो उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा टैक्स हैं ये घटा देने चाहिएं। मैं समझता हूं कि इस बजट को criticise करने की कोई गुंजायश नहीं और चूंकि गवर्नमेंट को criticise करने के लिये कोई मसाला नहीं मिलता था इस लिये पंजाबी सूबा, हरियाना प्रान्त और विशाल हिमाचल का ज़िक्र करना शुरू कर दिया। इन बातों का ज़िक्र इस बजट पर बहस में आना इस बात की दलील है कि बजट में कोई नुक्स नहीं देख पाते तो इधर उधर चल कर दूसरी बातें कर देते हैं। स्पीकर साहब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि बजट में कोई कमी नहीं है लेकिन जो administrative department के lapses हैं उन के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। Education Department, जिस पर हमारे सूबे की आमदन का 20 प्रतिशत रुपया खर्च हो रहा है, उस की जहां quantity बढ़ी है उतनी quality बिल्कुल गिर गई है। System of education के बारे में मैं कुछ अर्ज़ नहीं करना चाहता कि ठीक है या ग़लत है। मुझे विश्वास है कि हमारे Education Minister या Deputy Education Minister का इस की तरफ पूरा ख्याल है लेकिन इस डिपार्टमेंट का जो administration है उस में कुछ नुक्स पैदा हो रहा है। इस department को यह मालूम नहीं कि वह कहां stand करता है, कितने स्कूलों में कितनी जगह खाली हैं कहां कहां teachers की demand है इस बारे में इस department को बिल्कुल पता नहीं और अगर पता है तो administration इस ओर कदम नहीं उठाती कि इस को कैसे बेहतर बनाया जाए। Schools under-staffed है, furniture बिल्कुल नहीं है। लोगों की शिकायतें आती हैं, 20-20 representations रजिस्ट्रियां करवा कर भेजते हैं लेकिन department वालों की तरफ से

representations करने वालों को कोई जवाब नहीं दिया जाता और उन की जो दिक्कतें हैं उन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसी तरह इम्तहानों का result स्कूलों में थोड़ा staff होने की वजह से खराब निकलता है। मैं महेन्द्रगढ़ की बाबत कह सकता हूं कि वहां High School का result below 30 per cent था। सरकार को चाहिये कि जिन स्कूलों का result खराब हो उन के Headmasters के खिलाफ action ले। मेरे नोटिस में एक ऐसा case है जहां result अच्छा दिखाने के लिये इम्तहान में नकल लगाने की खुली इजाज़त दी गई। अगर इस तरह नकल लगाने की इजाज़त दी जाए तो education का मयार और गिरता जाएगा। इसी तरह स्कूलों में staff के झगड़े होते हैं । Headmaster एक तरफ होता है और staff दूसरी तरफ। इस मामले में prompt action न लेने की वजह से बीमारी फैल कर लड़कों में चली जाती है। इस तरह से तमाम स्कूल का माहौल बिगड़ जाता है। इस तरफ भी सरकार को तवज्जुह देनी चाहिये। मैं इस सिलसिले में एक अर्ज़ करना चाहता हूं कि शिक्षा सम्बन्धी administration चंडीगढ़ headquarters में स्थापित है । उन को हम आचार्य मानते हैं। इन लोगों में सादगी होनी चाहिये ताकि आम जनता उन से मिल कर कोई लाभ उठा सके। अगर कोई आदमी Education Department के किसी अफसर से मिलता है तो उसे ऐसा महसूस करना चाहिये जैसे कोई मरीज़ डाक्टर के पास जा कर महसूस करता है। लेकिन Education Department में यह बात नहीं। इस महकमे में हर एक चीज़ लोगों से खुफिया रखी जाती है। अगर किसी अफसर से मिलने जाओ तो इस तरह बात करते हैं जैसे यह Home Department है। स्कीमें बनाते वक्त मेम्बर साहिबान को भी confidence में नहीं लेते । नारनौल में एक कालेज है लेकिन वहां कोई lecturer दो महीने से ज्यादा नहीं ठहरता। अगर गवर्नमेंट किसी कालेज को efficiently run नहीं कर सकती तो उसे disaffiliate कर देना चाहिये लेकिन आज तक उस की हालत को बेहतर बनाने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा सुझाव है कि Education Department में पुलिस rule कर देना चाहिए (Bell) स्पीकर साहिब, मुझे कुछ वक्त और दिया जाए । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि स्कूलों में inspection की तरफ भी पूरी तवज्जुह देने की ज़रूरत है। हमारे डिप्टी मिनिस्टर महाशय बनारसी दास जी ने 770 गांव का दौरा किया है और वहां speeches deliver की हैं। अगर inspection का काम उन के सुपुर्द किया जाए तो स्कूलों की हालत बेहतर हो सकती है।

अब मैं, स्पीकर साहिब, Famine के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। Famine की definition मुझे समझ में नहीं आई । जिस इलाके में floods आते हैं और फसलें तबाह हो जाती हैं उस इलाके को famine-stricken area समझा जाता है लेकिन अगर किसी इलाके में बारिश न होने की वजह से फसलें नहीं हुईं तो वहां famine तसव्वर नहीं किया जाता। जहां floods आये हों और फसलें न बोई गई हों तो ख्याल किया जाता है कि वहां famine पड़ गया है। महेन्द्र गढ़ में बारिश न होने की वजह से दो फसलें लगातार fail हो चुकी हैं लेकिन ऐसी हालत के बावजूद वहां

[श्री निहाल सिंह]
famine नहीं समझा गया। Famine relief का जो बजट में provision किया गया है वह आमतौर पर उन इलाकों के लिये है जहां मिनिस्टर खुद रहते हैं। (Bell) स्पीकर साहिब, हमारे ज़िले को कम से कम इतना famine relief दिया जाए कि वहां education free कर दी जाए। Second Five-Year Plan में जो schemes हैं उन्हें इसी साल शुरू किया जाए ताकि उन कामों के हो जाने से ऐसे हालात पैदा न हों। वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि महेन्द्रगढ़ में आयंदा के लिये वे अफसर नहीं भेजे जायेंगे जो किसी वजह से condemn हो गये हों लेकिन मैं तो कहूंगा कि वहां तो अफसर भेजे ही नहीं जाते। इस वक्त पोज़ीशन यह है कि P.W.D., B.R. का दफ्तर, Agriculture का दफ्तर, Executive Engineer का दफ्तर रोहतक में हैं। ज़िला महेन्द्रगढ़ उस के मातहत है। Public Health का दफ्तर हिसार में है, Forest का दफ्तर, District Medical Officer of Health का दफ्तर हिसार के साथ attached है, District Animal Husbandry Officer हमारे district में नहीं। हमारे कालेज का Principal जो अक्तूबर में retire हो गया था उस की जगह अभी तक कोई Principal appoint नहीं किया गया। District & Sessions Judge वहां संगरूर से आता है, Inspector of Industries दूसरे ज़िले में हैं, Electricity का दफ्तर रोहतक में है। पिछले कई महीनों से चार Blocks बगैर B.D.O.s के काम करते चले आ रहे हैं। आज हमारी गवर्नमेण्ट यह दावा करती है कि वह तरक्की की स्कीमें जारी कर के backward areas को फायदा पहुंचाना चाहती है लेकिन हमारे ज़िले की मौजूदा हालत यह है कि जिन कामों से रोज़ का वास्ता पड़ता है उन सब के दफ्तर दूसरे ज़िलों में हैं। (*Bell*) स्पीकर साहिब, आप मेहरबानी कर के दो-चार मिनट और बोलने के लिये मुझे दे दें। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हमारे ज़िले का और कोई मैम्बर मेरे बाद नहीं बोलेगा।

श्री अध्यक्ष : यह आप कैसे कह सकते हैं कि कोई नहीं बोलेगा ? (How can the hon. Member say that no other member of his district would speak ?

श्री निहाल सिंह : आप देख लीजिए। स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक Electricity का ताल्लुक है......

श्री अध्यक्ष : मैं तो काफी परेशान हूं। या तो मैं आप से तलख हूं या निकालने तक जाऊं। आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। 20 मिनट हो गए हैं आप को बोलते। इस House में 150 members में से आप की party के 40 members नहीं बोल सके। (I feel much annoyed. Either I should be harsh with the hon. Member or go to the extent of asking him to withdraw from the House. He is taking undue advantage of my leniency. He has been

speaking for the last 20 minutes. Out of 150 members of this house not even 40 hon. Members of his party have been able to speak.)

श्री निहाल सिंह : इसलिए मैं अर्ज़ करता हूं कि इस गवर्नमेंट को कोई न कोई policy बनानी चाहिए जिस से backward areas के लिये खास planning section खोलना चाहिए ताकि उन की तरक्की का भी ध्यान किया जा सके।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਕਲ Opposition Party ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ time ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ Treasuary Benches ਦੇ 120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। (I will not give time to the members of the Opposition Party tomorrow. Out of 120 members of the Treasury Benches not even 40 members have spoken.)

श्री हुकम सिंह कामरेड (राए) : स्पीकर साहब, Budget पर discussion चल रही है। आप ने भी देखा है और इस House ने भी देखा है कि Budget पर discussion इस तरह हुई, यहां पर House में इस तरह की बातें हुई कि कुछ इलज़ामात लगाये जाते हैं और personal explanations दिये जाते हैं। House जिस नतीजे पर पहुंचना चाहता है, जिस issue पर discuss करना चाहता है उस को side track कर दिया जाता है। स्पीकर साहब, जो Budget हमारे सामने पेश किया गया है उस के लिये मैं डाक्टर गोपी चंद साहब, जो कि हमारे Finance Minister साहब हैं, की होशियारी की दाद देना चाहता हूं। होशियारी इस लिए कि Budget के figures को इस तरह manipulate किया कि घाटे के Budget को surplus कर दिया। स्पीकर साहब, हम देखते हैं कि 25 करोड़ रुपये की तो हम security खो बैठे हैं। अढ़ाई अरब रुपये के करीब हमारे सूबे पर कर्ज़ा है। फिर कहा गया है कि Budget surplus है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमारा सूबा बहुत ऊंचा उठ रहा है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं यह बात अपने वित्त मंत्री से वाज़ह करना चाहता हूं कि यह जो beneficent Departments पर खर्च किया जाता है वह रुपया पूरा नहीं किया जाता। हर साल के Budget में कोई न कोई तखमीना दिया जाता है कि beneficent Departments में इस चीज़ पर रुपया खर्च किया जाएगा। उन का नतीजा यह होता है कि काफी से ज्यादा रुपया उन departments से lapse हो जाता है। स्पीकर साहब, इस के बारे में अभी हमारे Chief Minister साहब ने भी बताया है और यहां तक कहा कि Budget का 75 प्रतिशत रुपया देहात पर खर्च होता है। सिर्फ 25 प्रतिशत रुपया हमारे शहरों पर खर्च होता है। स्पीकर साहिब, उन्होंने यह कहा कि हम देहात में सब कुछ ले जाना चाहते हैं। मेरे ज़िले में रोहना देहात में, सोनीपत तहसील में, लड़कियों का high school है। उस high school की चहारदीवारी नहीं। वह school roadside पर है, लेकिन उस की चहारदीवारी नहीं। वहां उस हलका की लड़कियां पढ़ती हैं देहात में। न वहां boarding का इंतज़ाम है। स्पीकर साहब, उस के लिए

[श्री हुकम सिंह कामरेड]

मैं ने अपने Education Minister साहब को पिछले दिनों चिट्ठी लिखी। दो दफा reminders दिए। अपने Deputy Minister साहब को personally application दी; Chief Minister साहब को मिला। लेकिन इस के बावजूद जवाब क्या मिलता है ? हमारे Education Minister साहब की आदत है कि वह एक भाषण झाड़ दिया करते हैं। उन्होंने भाषण झाड़ दिया कि पंडित जवाहर लाल जी का ख्याल है कि हमारे यह होना चाहिए कि building के बगैर बच्चों को पढ़ाएं। मैं नहीं समझता कि बच्चों को बगैर building के पढ़ाया जा सकता है। सरकार यह समझती है, हम यह समझते हैं कि लड़कियों की तालीम जरूरी है। लेकिन वहां स्कूल की चहारदीवारी नहीं। वहां boarding house भी नहीं। लड़कियां स्कूल के कमरों में ही रहती हैं। वे लड़कियां रात को desks बाहर निकाल कर कमरों में चारपाइयां लगाती हैं। जब सवेरा होता है तो चारपाइयां निकाल कर desks लगाती हैं। Chief Minister साहब कहते हैं कि मेम्बर साहबान को कुछ आदत हो गई है, House में कहते हैं, हमें कोई बात लिख कर नहीं देते। इस के बारे में मैं ने आप को बताया है कि मैं ने सब कुछ लिख कर दिया; आज तक कोई सुनने के लिये तैयार नहीं हुआ। मैं अपने Education Minister साहब को दरखास्त करूंगा कि अब तो उस school की चहारदीवारी बना दें। कम अज़ कम roadside की तरफ तो compound wall बना दें ताकि बच्चियों को बाहर से जो लम्बी-चौड़ी traffic है उस से बचाया जा सके।

इस के बाद मैं corruption के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे Chief Minister साहब ने भी कहा है, और members की तरफ से भी काफी कुछ कहा गया है कि सूबे में corruption बिल्कुल खत्म होती जा रही है। मैं देखता हूं कि हमारा Anti-corruption Department या Vigilance Department हर साल बढता है। वह बज़ाते खुद इस बात का सबूत है कि सूबे में corruption बढ़ रही है। Vigilance Department या Anti corruption Department बना है। Corruption को इस से भी दूर नहीं रखा जा सकता। माहौल ही ऐसा है। पंजाब में क्या सारे हिंदुस्तान में material conditions ऐसी हैं कि corruption को रोका नहीं जा सकता। Anti Corruption Department की मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। वे खुद corrupt हो गए हैं। वे किसी की inquiry करते हुए corrupt हो गए हैं। पिछले दिनों भी मैं Governor के Address पर बताने लगा था। उसमें दो अफसर थे। एक school के Headmaster ने corruption कर ली थी। Department वाले खुद corrupt हैं। तमाम गांव की statement ली। वह बयान फाड़ कर दूसरे बयान लिखे गए। मैं कहता हूं कि जब तक सूबे की material condition तबदील और अच्छी नहीं होती तब तक corruption नहीं रोकी जा सकती। इसके लिये क्या करना चाहिए ? हमारी services में हमारे अफसरान की तनखाहें कम अज़ कम इतनी ज़रूर होनी चाहिएं जिन से

ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हों, जैसे Police Department है, बहुत सारे और महकमें हैं, तब वे corruption को रोक सकते हैं। उस पर तमाम ज़िम्मेदारी है। आज एक constable को क्या मिलता है ? एक constable को दो रुपये House allowance दिया जाता है। अंग्रेज़ों के राज में भी यह allowance 2 रुपये था । उस वक्त 2 रुपये House allowance fix किया था । अब भी दो रुपये दिया जाता है। जब कि दूसरी जगहों पर allowance बढ़ा दिया है तो एक constable ने क्या गुनाह कर दिया है कि उस का House allowance दो रुपये ही रहे ? उस को daily allowance 5 आने—यानी कि चाय का half set दिया जाता है। आप यह समझ सकते हैं कि जिस आदमी को 5 आने दिए जाएं वह सारा दिन इन से कैसे गुज़ार सकता है। एक constable जब यह देखता है कि बीवी बच्चों का गुज़ारा नहीं चलता, बच्चों को पूरी तरह तालीम नहीं दे सकता, अपनी बीवी को और घर को साफ-सुथरा नहीं रख सकता रोज़ाना ज़रूरत की चीज़ें नहीं ले सकता तो बदमाशी करने की बात होगी, उस का ध्यान उधर जाएगा। तो ऐसा माहौल कब हो सकता है ? ज़रूरी बात है कि वह इस किस्म की बातें करेगा । (घंटी)

श्री अध्यक्ष : आपने 10 मिनट तो ले लिए हैं; बस ठीक है। (The hon. Member has spoken for 10 minutes. That will do.)

श्री हुकम सिंह कामरेड : स्पीकर साहब, 5 मिनट कल ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं देखता हूं कि panel of Chairmen के members ने कसम खा रखी है कि यहां बैठना ही नहीं। Deputy Speaker भी कई बातों की वजह से बाहर गए हुए हैं। इस मुश्कल को हल करने के लिये मैं Panel में एक दो junior members appoint करने का विचार रखता हूं ताकि मुझे कुछ relief मिल सके। (I find as if the Members of the Panel of Chairmen have made it a point not to remain in their seats. The Deputy Speaker is also away due to certain reasons. To overcome this difficulty I am thinking of appointing one or two junior members on the Panel of Chairmen so that I may get some relief.)

1.30 *P.M.* *The Sabha then adjourned till 9.A.M. on Wednesday the 9th March,* 1960.

8827 PVS—349—10-8-60—C., P. & S., Pb. Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

9th March, 1960

Vol. I—No. 16

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 9th March, 1960

CHANDIGARH

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab

1960

Price: Rs. 3.75 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 16, DATED THE 9TH MARCH, 1960.

Read	*for*	*on page*	*line*
देखे	देखा	(16)7	12
Add the word "में इस की" after the word "Chandigarh"		(16)7	13
Delete "रोज़ाना" and "से" after "कर"		(16)8	2
waste	was e	(16)8	7
Read the word "ग्रौर" for "कि"		(16)8	25
Gazette	Gaztte	(16)10	4th from below
ਸਾਬਤ	ਾਬਤ	(16)11	8
"यानी" before	"ਕਾਂਗਰਸ"	(16)11	13
ਜਾਏ	ਜਾਟੇ	(16)20	23
रोटी	राटा	(16)21	22
गुप्ता	ग	(16)22	last
पट	पिंट	(16)24	10
ਵਿਚ	ਲਿਚ	(16)26	17
ਮੰਗਦੇ	ਮੰਗਦ	(16)31	21
Surplus	Su plus	(16)33	16
shyness	shynes	(16)45	7
ਕਿ	ਕੇ	(16)51	15
Add "ਕੀ" before "ਡਰ"		(16)51	2nd from below
ही	भर	(16)53	21
के	का	(16)54	18
बातें	बांतें	(16)56	13 and 22
Delete "प्रोफैसर" before "श्री"		(16)55	21
ਬਹੁਤ	ਬਹੂਤ	(16)56	8th and 11th from below
short fall	short full	(16)63	3

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 9th March, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

Shri Prabodh Chandra : Sir, I suggest that the Question Hour be dispensed with today.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, आप को याद होगा कि पिछले सैशन में Leader of the Opposition ने यह सवाल उठाया था कि No-Confidence Motion लाने के लिये रूल्ज़ में तबदीली होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : लाला जी यह बात तो Question Hour के बाद ही take up की जा सकती है । (This matter can be taken up after the Question Hour.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : वह तो आप dispense with करने वाले हैं ।

आवाजें : जनाब, आज बोलने वाले बहुत से हैं इस लिये Question Hour को dispensed with कर दिया जाए ।

Mr. Speaker: In order to accommodate the wishes of the hon. Members the Question Hour is dispensed with.

श्री अध्यक्ष : हम ने बजट की बहस के लिये पांच दिन मुकर्रर किये थे लेकिन चूंकि मिनिस्टर साहिबान ने भी अपने महकमों की बहस का जवाब देना था इस लिये मैम्बरों के लिये बजट को discuss करने के लिये चार दिन से भी वक्त थोड़ा रह गया । (We had fixed five days for the discussion of the Budget. But since the Ministers had to reply to the debate pertaining to the departments under their charge, the time left for the hon. Members to discuss the Budget was reduced to less than 4 days.)

उद्योग मंत्री : पांच दिन की बहस में कुदरती तौर पर मिनिस्टरों ने भी तो बोलना ही था । जब वक्त निश्चित किया गया था तो यह भी understanding थी कि मिनिस्टर भी बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आज किसी मैम्बर को पांच या सात मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा । ज्यादातर जो मैम्बर ट्रेज़री बेंचों पर बैठे हैं उन को वक्त दिया जाएगा क्योंकि आपोज़ीशन के मैम्बर साहिबान तो पहले भी काफी वक्त ले चुके हैं । (Today no hon. Member will be allowed to speak for more than 5 or 7 minutes. As the hon. Members belonging to the Opposition groups have already been given sufficient time,

[Mr. Speaker]

today most of the time will be given to the Members occupying the Treasury Benches.)

पंडित राम किशन भड़ोलियां : उन में से बहुत से ऐसे हैं जो कि बोलना ही नहीं चाहते। जो लोग बोलना नहीं चाहते उन को क्या ज़रूर बोलने के लिये मजबूर करना है ?

ADJOURNMENT MOTION

श्री अध्यक्ष : Adjournment Motions और No-Confidence मोशन move करने का प्रोसीजर *Ad-hoc* Rules Committee के under consideration है। लेकिन रूलिंग के मुताबिक और conventions के मुताबिक बजट सैशन में कोई Adjournment* मोशन नहीं आ सकती। (The procedure in respect of moving Adjournment and No-Confidence Motions is under consideration of the *Ad-hoc* Rules Committee. However, according to the conventions already established and rulings given, no adjournment motion can be allowed during the Budget Session

* * * * * * * *

* * * * * * * *

Expunged as ordered by the Chair.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. यह ठीक है कि Minister concerned को जवाब देने के लिये टाईम मिलना चाहिये लेकिन उस टाईम की कुछ limit भी तो होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जितनी देर वे चाहें बोलते जाएं।

श्री अध्यक्ष : चूंकि कुछ महकमों के बारे में नुक्ताचीनी की गई है इस लिये यह होना चाहिये कि उन महकमों के Ministers in-charge को जवाब देने के लिये समय मिले। (Since the working of some of the departments has been criticised it is desirable that the Ministers incharge of those departments should be given time to give a reply.)

उद्योग मन्त्री : स्पीकर साहिब, मेरी अर्ज़ है कि बहस में मैम्बर साहिबान ने हिस्सा लिया है और कई important points का ज़िक्र किया है अगर उन points का नोटिस न लिया जाए तो debate को proper respect नहीं show की जा सकती। इस लिये जब मिनिस्टर साहिबान जवाब देंगे तो naturally वे वक्त लेंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : उस टाईम की कुछ limit होनी चाहिये न कि कई कई घंटे वे बोलते रहें। अगर सारा वक्त वही बोलते रहेंगे तो मैम्बरों के लिये क्या वक्त बचेगा ?

मुख्य मन्त्री : अपोज़ीशन के लीडर इस बात को तसलीम करेंगे कि चूंकि बहुत से मैम्बर बोलते हैं तो उन सब के points का जवाब देने में मिनिस्टर को वक्त भी लगता है।

श्री बलराम दास टंडन : जिन मिनिस्टर साहिबान ने debate का reply देना होता है उन को चाहिये कि वे बाकी मिनिस्टर साहिबान की बातों को भी cover करें।

***Dr. Bhag Singh, M.L.A.**
Pandit Ram Kishan Bharolian, M.L.A., and
Sardar Achhar Singh Chinna, M.L.A., } to ask

for leave to make a motion for the Adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, total lock out of Textile and Powerloom Factories at Ludhiana against the declared policy of the Government, resulting into unemployment of over 5 thousand workers.

Mr. Speaker: The hon. Members should not waste time of the House

AMENDMENT OF RULES OF PROCEDURE

श्री जगत नारायण चोपड़ा : जनाब मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछली दफा आपोज़ीशन के लीडर ने आप की खिदमत में यह गुज़ारिश की थी कि No-Confidence Motion लाने के लिये रूल्ज़ में तबदीली होनी चाहिये। हाउस आफ कामन्ज़ में भी जहां कि मैम्बरों की तादाद बहुत ज़्यादा है ऐसी मोशन लाने के लिये मैम्बरों की तादाद सिर्फ चालीस है। पंजाब में बहुत ज्यादा तादाद रखी हुई है, इस रूल में जरूर तबदीली होनी चाहिये। आप ने यकीन दिलाया था कि इस बात पर विचार किया जाएगा।

पंडित श्री राम शर्मा : जब मैंबर साहिबान किसी मिनिस्टर के मुताल्लिक कुछ कहना चाहते हों तो आप कहते हैं कि substantive motion लाओ। लेकिन वे substantive मोशन कैसे ला सकते हैं। क्योंकि इस मतलब के लिये मैम्बरों की तादाद बहुत ज्यादा रखी हुई है। इस तरह से आप को भी दिक्कत पेश आती है। अगर कोई reasonable नम्बर रख दिया जाये तो आप को भी दिक्कत नहीं रहेगी। जब तक substantive motion न लाई जाए उस वक्त तक हम किसी की ज़ात के मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकते। इस लिये मेरी गुज़ारिश है कि इस चीज़ के लिये रूल्ज़ तबदील होने चाहियें।

श्री **अध्यक्ष** : जैसे कि हाउस को मालूम है इस चीज़ पर विचार करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की जा चुकी है। इस कमेटी की मीटिंग कल 11 बजे दिन के लिये मुकर्रर हुई है। जैसा उस कमेटी का फैसला होगा हम वैसे ही करेंगे। लीडर आफ दी आपोज़ीशन को पता ही है कि चूंकि उद्योग मन्त्री जो कि इस committee पर सरकार को re-present करते हैं, एक मीटिंग इस लिये न attend कर सके कि उस दिन कौंसिल का इजलास था और दूसरी मीटिंग इस लिये न attend कर सके चूंकि वे बीमार थे, यही वजह है कि इस बात का अभी तक फैसला नहीं हो सका। लोक सभा में adjournment motion को support करने के लिए जो percentage मुकर्रर की हुई है वह दस है लेकिन हमारे हां यह percentage बीस है। मैं अर्ज़ करूँ कि बाज़ दफा मुझ को भी दिक्कत पेश आती है proceedings को regulate करने के लिये क्योंकि मैम्बर साहिबान ऐसी बातें अपनी तकरीरों में लाने की कोशिश करते हैं जो कि substantive motion पर ठीक तरह से कही जा सकती हैं। लेकिन मैं अपनी personal opinion इस बात में नहीं दूंगा। *Adhoc* Committee में गवर्नमैंट के representatives भी हैं और आपोज़ीशन के भी हैं, यह मामला उस के ज़ेरेगौर है और जैसे वे फैसला करेंगे वैसे ही हम कर लेंगे। (As the House is aware a Committee has already been constituted to consider this matter. A meeting of that Committee has been fixed for to-morrow at 11 a.m. and we will carry out whatever decision is taken by that Committee. The Leader of the Opposition is already aware , that this matter could not be finalised because the Minister for Industries re-presenting the Government on that Committee could not attend one meeting due to a meeting of the Council and the second meeting due to his indis-position. The percentage of Members necessary to support an adjourn-ment motion in the Lok Sabha is 10 and in our case it is 20. I may state

[Mr. Speaker]
that sometimes I find it difficult to regulate the proceedings because the hon. Members try to bring such things in their speeches which could appropriately be said on substantive motions. Any way I will not give my personal opinion in this matter. The Ad-hoc Committee on which the Government and the Opposition are adequately represented is seized of this matter and we will do what is recommended by that Committee.)

पंडित श्री राम शर्मा : आप को खुद भी तो अख्तियार है ।

Mr. Speaker : I do not want to exercise my discretion in this matter.

PAPERS RE-LAID ON THE TABLE

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to relay on the Table the amendments (9 notifications) made in the Punjab Motor Vehicles Rules , 1940, as required under section 133 (3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61(CONCLD)

Mr. Speaker : Now general discussion on the Budget will be resumed. Yesterday, when the House adjourned, Shri Hukam Singh Comrade was still on his legs. He may resume his speech.

श्री हुकम सिंह कामरेड (राए) : स्पीकर साहिब, कल मैं आप की खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि अगर सूबे में से corruption को खत्म करना है तो जरूरी है कि सूबे की material conditions यानी social, इक्तसादी और political ढांचे में तबदीली करने की जरूरत को priority दी जाए । जब तक इन मूल हालात में तबदीली न होगी आप का Vigilance Department कुछ नहीं कर पाएगा, वह corruption को नहीं रोक सकेगा । कल भी मैंने एक मिसाल दी थी । आज फिर एक मिसाल आप के सामने पेश करता हूँ । वह है police के महकमे में constables के allowance के बारे में । जो वाकिया मैं बयान करने जा रहा हूँ वह यहीं Assembly के premises के अन्दर हुआ । तीन चार constables आपस में बातें कर रहे थे । उनमें से एक ने दूसरे से चार आने के पैसे बीड़ी सिगरेट के लिये उधार लिये । उसके बाद क्या हुआ ? दूसरे दिन जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने जवाब दिया कि जिस वक्त मेरा allowance मिलेगा तब मैं तुम्हारे पैसे वापस करूँगा । Allowance तो साल साल के बाद मिलता है ; मामूली सी बात के लिये आठ दस महीने का अर्सा लग जाता है । लिहाज़ा, उनमें आपसमें झगड़ा हो गया—जूताजाती और लाठीबाज़ी तक नौबत आ गई और उनका case यहां चण्डीगढ़ के थाने में दर्ज हुआ । जहां पर services की हालत यह है वहां, स्पीकर साहिब, आप imagine करें कि corruption कैसे दूर हो सकती है । ऐसा ही trend आम तौर पर आम public की तरफ भी है । यह देखा जाता है कि कोई भी आदमी इमानदारी से काम करने के लिये तैयार नहीं । हमारे वज़ीर साहिबान ने सूबे के अन्दर ढांचा ही ऐसा बना रखा है कि हर आदमी यह समझता है कि जब permit लेकर, quota लेकर या किसी और तरीके से अच्छा पैसा कमाया जा

सकता है तो मेहनत क्यों की जाये। एक मिसाल हमारे Leader of the Opposition ने भी दी कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब एक गांव में गए। इत्तफाक से वह गांव मेरी तहसील का है। वहां उनका जलूस निकाला गया और उस आदमी को black-market करने की खुली छुट्टी दे दी गई। जब वज़ीर साहिब पांच तारीख को सोनीपत गए तो G.T. Road पर उसी आदमी के साथ बैठकर चाय पी जाती है, खाना खाया जाता है। जब एक या दो आदमियों को corruption करने के लिये बढ़ावा दिया जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि corruption कैसे रुक सकती है।

इसके अलावा एक और tendency administration के अन्दर बुरी तरह से घुसी हुई है। वह यह कि हर महकमे के अन्दर दरखास्तों को delay करने का और उन पर action लेने के लिये approaches का एक ऐसा माहौल पैदा किया हुआ है कि corruption खुद ब खुद create होती है और पनपती है। इसी लिये तो मैं कहता हूँ कि जब तक material conditions को change न किया गया, corruption दूर नहीं की जा सकती। इत्तफाक से Education Minister साहिब इस वक्त यहां नहीं बैठे हैं। उन्हीं के महकमे की बात है। मैं नाम नहीं लेता उस आदमी का, वह Joint Director के पास गया। उसने वह काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि under rules यह काम नहीं हो सकता। वह मिनिस्टर साहिब के सामने भी शायद पेश हुआ। उन्हों ने भी इनकार कर दिया। लेकिन वही काम चार घण्टों के बाद एक शराब की बोतल के इवज़ हो जाता है। मैं Education Minister साहिब से दरखास्त करता हूँ कि बावजूद इस बात के कि वह शरीफ़ भी हैं, ईमानदार भी हैं लेकिन ज़रूरी है कि जो administration उनके नीचे काम करती है, उसे पाक और साफ रखा जाए। कितने अफसोस का मुकाम है कि जिस चीज़ पर Joint Director हुक्म देने से इनकार कर दें, वही काम एक छोटा सा Clerk या Assistant एक शराब की बोतल के इव्ज़ करने की हिम्मत कर सकता है। मैं गुज़ारिश करूँगा कि इस किस्म की बातों को रोकना चाहिये और पूरी सख्ती के साथ रोकना चाहिये। हमारे मंत्री साहिबान को चाहिये कि वह अपने अपने departments के अन्दर इन बातों की तरफ़ ध्यान दें।

चौधरी हरि राम (धर्मसाला) : स्पीकर साहिब, मैं आप का बड़ा मशकूर हूँ कि आप ने मुझे बोलने के लिये टाइम दिया है। मैं इस हाऊस का सन् 1952 से मैम्बर चला आता हूँ और हर साल गवर्नर साहिब के एड्रैस पर और बजट पर बहस सुनता चला आया हूँ और उस में हिस्सा लेता आया हूँ। इस साल से पहले गवर्नर साहिब के एड्रैस पर और बजट पर जो भी बहस होती रही है वह बड़ी wholesome और constructive हुआ करती थी। लेकिन इस दफा जो discussion गवर्नर साहिब के एड्रैस पर और बजट पर हुई है और जो supplementary estimates पर हुई है उसका मयार आम तौर पर इतना गिरा हुआ रहा है कि इस हाउस की respect लोगों की नज़रों में इस हद तक गिर गई है कि one feels shy of being known as a Member of Legislature in the public। इस हालत में वह कैसे पब्लिक के सामने आएं। मैंने देखा है कि ज्यादातर speeches जो इस तरफ के मैम्बर साहिबान और आपोज़ीशन की तरफ से की गई उन में सिवाए mud-slinging और mud-throwing के और

[चौधरी हरि राम]

कोई बात अपनी constituency या हलके के हित के लिये नहीं कही गई। हालांकि लीडर आफ दी हाऊस ने इन लोगों को हाऊस में ही open invitation दी थी कि आप उन को ज़रा भी शिकायत है तो बतायें, वह enquiry करके मुजरिम को सज़ा देंगे लेकिन यह कहां....इनका intention तो मिनिस्टरज़ को बदनाम करना है। Too much of everything is bad. People have now come to realise that it is altogether a false propaganda. स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करता हूँ कि मौजूदा financial year का जो बजट पेश किया गया है उससे यह रौशन है कि हमारी स्टेट ने हर पहलू में—economically, in agriculture, education, industry, transport, foodgrains—एक नुमायां तरक्की की है और बड़ा अच्छा, खूबसूरत बजट हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहिब ने हमारे सामने पेश किया है जिसके लिये मैं उन को और गवर्नमैंट को बधाई देता हूँ।

इस के साथ साथ, स्पीकर साहिब, मैं चन्द बातें suggest करूँगा जिनका सम्बन्ध मेरे पहाड़ी ज़िला से है। अव्वल बात तो यह है कि हमारे पहाड़ी इलाका में सब से बड़ी तकलीफ जो है वह means of communication की है। हालत यह है कि वहां की नदियों ने एक एक गांव को दो दो, तीन तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसका नतीजा यह होता है कि स्कूल या हस्पताल तो गांव के एक हिस्सा में है लेकिन बरसात के आठ नौ महीनों में जब कि नदियों में पानी के बहाव के कारण एक तरफ से दूसरी तरफ जाना नामुमकिन हो जाता है, एक गांव दो दो तीन तीन टुकड़ों में कट जाता है तो वहां के लड़के न स्कूल, जो दूसरी पार हों वहां जा सकते हैं और न ही दूसरे हिस्सों के लोग उस पार हस्पताल से दवाई हासिल कर सकते हैं। इससे लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और हर साल माली और जानी काफी नुकसान हो जाता है।

पिछले बजट में जिस वक्त हमारे Leader साहिब ने देखा कि ज़िला कांगड़ा को जो उस का proper हिस्सा Development में बनता था वह नहीं मिला तो उन्हों ने हमारे ज़िला के तमाम M.L.A.s की meeting बुलाई और दो तीन meetings बुलाने के बाद उन्हों ने बहुत सारी scheme में हमें एक भारी रकम देने का फैसला किया। हरेक M.L.A. ने जो अपनी २ स्कीमें पेश कीं उन में से बहुत सारी schemes Second Five-Year Plan में ही include करने का फैसला कर दिया। लेकिन उन के मुताल्लिक मैं अर्ज़ करूँगा कि उन में से जो means of communications की स्कीमें थीं उन पर महकमा P.W.D. ने आज तक कोई ग़ौर नहीं किया और न ही आज तक वहां कोई काम शुरू किया गया है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे हलके के लिये पांच Pedestrian bridges मंज़ूर हुई थीं, जिन में से एक घेरा गांव के पास गज खड पर बननी थी, दूसरी मौज़ा दरेणी में खौली नदी पार करने के लिये bridge मंज़ूर हुई थी। इन के अलावा तीन और बड़ी important bridges इस में include की गई थीं, एक मौज़ा बोह में खड बराहल पर, एक लंज गांव के पास खड गज और तीसरी मौज़ा गालियां में बनेर खड पर। यह सब ज़बरदस्त और खतरनाक

हैं और बरसात के दिनों में इन्हें अबूर करना बड़ा ना मुमकिन हो जाता है। लेकिन आज तक महकमाजात की तरफ से इन pedestrian bridges के बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। इस लिये मैं P.W.D. के मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूँगा कि यह काम जल्दी शुरू कराया जाये।

इस के अलावा एक बात और बड़ी ज़रूरी है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ और वह यह है कि पिछली बरसात के दिनों में जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब लाहौल Spiti की Advisory Council की meeting attend करने Dharmsala गये थे तो वहां रात को इतनी जोर की बारिश हुई थी कि उस से वहां की गज नदी में सख्त flood आया। इतनी भारी नदी है वह कि overflow कर गई और उस की वजह से उस के एक bank में breach हो गया। उस bank के बह जाने के कारण वहां बहुत सी अराज़ी भी बह गई और बरबाद हो गई और उस के साथ ही कुछ मकानात भी बह गये। उस दिन चीफ मिनिस्टर साहिब ने खुद मौके पर जा कर वहां हालात देखा और उन्हों ने मुझे फरमाया कि मुझे फौरन Chandigarh याद दिलाई जाये। सो मैं ने एक बड़ी लम्बी चौड़ी दरखास्त उन्हें भेजी जो कि इन्हों ने महकमा P.W.D. Irrigation के सपुर्द कर दी। उस महकमा की तरफ से एक चिट्ठी मुझे आई कि हम इस पर फौरन ग़ौर कर रहे हैं। लेकिन मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि आज तक वहां कोई कार्यवाई नहीं हुई। इसलिये मैं मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करता हूँ कि अगली बरसात से पहले पहले उस breach की मुरम्मत करा दी जाये नहीं तो वह तमाम गांव बह जायेगा और उस के साथ बहुत सारी ज़रखेज़ अराज़ियात भी बह जाएंगी और बहुत नुकसान होगा। और ज़िला का सब से बड़ा और ज़रखेज़ ilaqa बरबाद हो जायेगा।

दूसरी अर्ज़ मैं ने means of communication के बारे में करनी है। हमारे इलाका में जो चम्बी-धर्मसाला road है उस के बनाने के लिये कई बार कई साल से कहा जाता रहा। उस road को हमारे जो पहले P.W.D. के मिनिस्टर थे खुद मौके पर जा कर देख आये थे और चीफ मिनिस्टर साहिब और Chief Engineer ने भी वह मौका देखा है और हमारे जो मौजूदा मिनिस्टर साहिब हैं उन्हें भी उसे देखने के लिये कहा गया है। यह चम्बी-धर्मसाला road already moterable है लेकिन उसे remodel कर दिया जाना चाहिये। इस वक्त अगर पठानकोट से धर्मसाला आना हो तो via Gagal रास्ता है अगर चम्बी-धर्मसाला रोड remodel हो जावे तो Pathankot से धर्मसाला आने में 6 मील की बचत हो जाती है। चम्बी से धर्मसाला 6 मील है इस में से तीन मील तो बहुत अच्छी हालत में है और regularly military trucks वग़ैरह की आमद वरफत है। इस के आगे एक बड़ा पुल गिर गया हुआ था वह अब बन रहा है। इस से आगे 3 miles Dharmsala रह जाती है। यह फासला भी moterable है। थोड़ी remodelling की ज़रूरत है। अगर Chambi-Dharmsala road remodel हो जावे तो 6 miles फासला कम हो जाता है। धर्म साला से धर्मसाला Cantonment तक 50 vehicles रोज़ाना आती जाती हैं। बेशुमार money और time बच जाता है। धर्मसाला से आगे Yol Camp 5 miles पर है जहां regular motor service जाती है। लेकिन मौजूदा रास्ता Pathankot Yol

[चौधरी हरि राम]

camp चक्कर लगा कर रोज़ाना (53 miles) से जाता है। अगर Chambi-Dharmsala Road बन जावे तो आगे Yol camp वाला फासला 5 miles रह जाता है और पठानकोट से yol camp का रास्ता 8 miles कम हो जाता है। कम अज़ कम 70 vehicles का आना जाना रोज़ाना है। Chambi—Dharmshala road remodel होने से Dharmsala, Dharmsala Cantonment and Yol camp जाने के लिये तकरीबन 18 miles का फासला कम होता है और 3,000 रुपया और time का जो national was e हो रहा है बच जाता है। इतने बड़े daily national waste से State को बचाया जा सकता है।

अब स्पीकर साहिब, मैं कुछ education के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे प्रान्त में education की हालत बड़ी अच्छी है और हम ने इस में बड़ी तरक्की की है। लेकिन मैं यह अर्ज़ करता हूँ कि हमारे ज़िला Kangra में जो एक college है उसे ही कम अज़ कम full fledged college तो होना चाहिये। उस में M. A. classes जारी करने की हमारी बहुत मुद्दत से demand चली आ रही है। क्योंकि हमारे बच्चे नीचे Plains में आ कर M. A. की तालीम हासल नहीं कर सकते इस लिए उन के लिये बड़ा ज़रूरी है कि वहां M. A. classes खोल दी जायें। Kangra में सिर्फ एक ही college है, वहां B. Sc. Geology की classes तो हैं लेकिन M. Sc. Geology की classes नहीं हैं इस लिये वहां M. Sc. Geology की classes खोलने का इन्तज़ाम किया जाये।

फिर हमारे जिला में लड़कियों के लिये कोई college नहीं है जिस की बड़ी ज़रूरत है। वहां पर लड़कियों का सिर्फ एक हाई स्कूल है। Boarding house का इन्तज़ाम नहीं जिसके लिये उन्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिये वहां पर एक तो लड़कियों के लिये college खोलने का इन्तज़ाम किया जाये और दूसरा उन के लिये boarding house का इन्तज़ाम किया जाना सख्त ज़रूरी है।

एक अर्ज़ मैं ने health के महकमे के बारे में करनी है। कल यहां एक question के बारे ज़िक्र चल रहा था कि उस के जवाब में हमारे Deputy Minister for Health ने जवाब दिया था कि जब कभी हम किसी डाक्टर की transfer ज़िला कांगड़ा में करते हैं तो वह वहां जाने से इनकार कर देता है और यहां तक कि वह अस्तीफा दे देता है और वहां नहीं जाना चाहता। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस बजट में एक Medical College, Dharmsala जारी करने का या फिर 3rd Five Year Plan में हमारे ज़िला में एक Medical College खोलने का provision ज़रूर किया जाये ताकि हमारे बच्चे डाक्टरी पढ़ सकें।

अगर Medical कालिज का इस ज़िले में arrangement न हुआ तो हमारे पहाड़ी इलाका की यह तकलीफ हरगिज़ दूर न होगी।

बाकी demand के बारे में फिर अर्ज़ करूँगा। Thanks.

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ (ਕਰਨਾਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ Address ਅਤੇ ਬਜਟ speech ਤੇ discussion ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ production ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ propaganda ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਤਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤਲੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ fertilizer ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹੜੇ fertilizers ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ Sub-Inspector Police ਨੇ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ shortage ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ tube-wells ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਨਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ tube-wells ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। (*interruptions*) ਮੈਂ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ Challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਨਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ tube-well ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ water logging ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਮ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ class IV employees ਹਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਖਤਰਾ ਇਥੇ immoral traffic ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ building ਖਰੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ main points ਨੂੰ discuss ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ House ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ agency ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ cheque ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 41,000 ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਿਉ। (*interruption*) ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਹੇੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। (The hon. member is very cleverly proceeding in the wrong direction.)

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨ (ਹਾਸਾ) । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿਚ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ enquiry ਕਰਾਉ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁੱਕਰਰ ਕਰ ਦੇਣਾ । ਖੈਰ ਇਸ ਗਬਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ Advocate ਤੇ 420 ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿ 5000 ਰੁਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Secretary Sailor's and Soldiers Board ਨੇ ਲਿਖਿਆ that the case should be handed over to the police for prosecution. ਪਰ ਸਾਡੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ 'suggest some lesser punishment' ਉਹ lesser punishment ਵਾਲੀ ਗਲ ਵੀ ਖੁਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ । ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ major ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । (*interruption*) ਕਰਨਾਲ municipal ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ Magistrate ਲਾਇਆ । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, mal—administration ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ supersede ਕਰੋ । D.C. ਨੇ ਲਿਖਿਆ supersede ਕਰੋ, commissionor ਨੇ ਲਿਖਿਆ supersede ਕਰੋ, Deputy minister for Local self Government ਨੇ ਲਿਖਿਆ supersede ਕਰੋ ਪਰ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ dictatorial powers ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਦਾ ਹਾਂ । (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ Marketing Committee.....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ । (ਹਾਸਾ) ਕੋਈ positive ਗਲ ਕਰੋ । (I am surprised at the hon. Member's mode of speech (*laughter*). He should say something positive.)

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕਰਨਾਲ Marketing ਕਮੇਟੀ gazttee ਹੋ ਗਈ । D. C. ਨੂੰ order ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ circulate ਹੋ ਗਏ । ਪਰ Chief Minister ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਗਜ਼ਟ ਹੀ ਖਬਰੇ ਜਲਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਪੜਵਾ ਦਿਤਾ । ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ pending

ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡ ਦਿਉ । (ਹਾਸਾ) Industries ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ corruption ਵਿਚ joint director ਦਾ ਕੋਈ ਹਥ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ essentiality certificate ਜਗਾਧਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ enquiry ਕਰਾ ਦਿਉ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ Industry Minister ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ joint director ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁਟੀ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ enquiry ਕਰਨ । ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਰਖ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟ ਹੈ । (ਹਾਸਾ) ਫਿਰ Transport ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ permits political sufferers ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ permits ਦਿਤੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਥਾਨੇ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਖੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ Office Secretary, ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੰਬਲੀ Party ਦੇ Secretary ਨੂੰ 22 permits ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜੋ ਇਖਤਿਆਰਾਤ D. C. ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, S. P. ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ specially ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਤੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ । ਉਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਥ ਨਾ ਪਾਇਆਂ। (*interruption*) ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਜੀਪ ਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ । ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ enquiry ਕਰਨ ਦਿਉ । ਜੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂ corrupt ਅਫਸਰ ਦੀ corruption ਨੂੰ shield ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਕਲ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ Metro Motors ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ National Motors ਦਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ । ਉਹ 41,000/- ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੇ public ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਕੂਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਫਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਣ । (*interruption*) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ 'ਬਾਬਰ ਬ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕਿ ਆਲਮ ਦੋਬਾਰਾ ਨੇਸਤ' ।

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਸਤ । (ਹਾਸਾ) (The hon. member may wind up soon as the time at my disposal is rather short.)

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ water-logging ਦਾ ਹੈ। 1956 ਵਿਚ ਸੇਮ ਦਾ ਰਕਬਾ 20 ਲਖ ਏਕੜ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ 35 ਲਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ control ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ water-logging ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ 'ਮਗਰ ਮਰਜ਼ ਬੜ੍ਹਤਾ ਗਿਆ ਜੂੰ ਜੂੰ ਦਵਾ ਕੀ।' ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ that this Government has totally failed to combat this water-logging menace. ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਤੀਲੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ। ਆਪ ਪਿਛਲੇ 5, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ figures ਵੇਖ ਲਉ the rich have become richer, the poor have become the poorer. ਭਾਵੇਂ class IV ਦੇ employees ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਉ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਉ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ Ministers ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 190 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਕਾਨ, ਤਾਲੀਮ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ list essentiality certificates ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ enquiry ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ public statement ਦਿਤੀ ਸੀ....(ਵਿਘਨ)। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਂਉਦੀ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ challenge ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤੇ ਆਪਣੇ view ਦਸੋ। (The hon. member need not indulge in challenges or talk of litigation. He would express his views on the Budget.)

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : Tenants ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ laws ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ circular ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਤਹਿਤ 123 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਡਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 90 Constables, 20,

25 Head Constables ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ A. S. I.s ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਜੇ ਕਰ Additional I. G. ਦਾ medical examination ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ । ਅਗਰ ਇਹ circular ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ action ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਵਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ immoral traffic ਦੇ victims ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ agree ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ immoral character ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਖੇ ਜਾਣ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਆਚਾਰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਭੁਗਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ; ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਕਈ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਸ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਫਸਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ traffic ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ confusion will become worse confounded and the corrupt will become more corrupt.

PERSONAL EXPLANATION BY THE MINISTER FOR IRRIGATION AND POWER

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : On a point of personal explanation Sir, स्पीकर साहिब कामरेड राम प्यारा ने कुछ बातों के बारे में दीदा दानिस्ता गलत बयानी की है मैं उसके सिलसिले में तरदीद करना चाहता हूँ । इन्हों ने ज़मीन के सिलसिले में ग़लत बयानी की है कि seed farm के लिये और हरिजनों को बसाने के लिये मेरे गांव रामपुरा का नाम लिया है (*interruption*) और इसके साथ ही दारुहेड़ा गांव का नाम लिया और कहा कि वज़ीर के रिश्तेदारों ने नाकस ज़मीन कल्लर की ज़मीन 14 हज़ार रुपए में सरकार को बेच दी । जैसा कि मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ दीदा दानिस्ता इसमें ग़लत बयानी की गई है । और हकूमत के खिलाफ है ।

जहां तक स्पीकर साहिब रामपुरा गांव की ज़मीन का तअल्लुक है 25 एकड़ ज़मीन seed farm के लिये सरकार ने खरीद की । इसके लिये महकमा के अफसरान ने और

[सिंचाई तथा बिजली मन्त्री]

सरकार ने landowner को बारहा request करके यह ज़मीन ली । और इस लिये भी कि इसके इलावा उस ब्लाक में और कोई ज़मीन available न थी। और इस ब्लाक में दो साल से इस काम के लिये provide की गई रकम lapse हो रही थी। इस ज़मीन को बेहतरीन समझा गया क्योंकि यह शहर के नज़दीक है। यह कहा गया कि 14 हज़ार रुपया सरकार ने खर्च किया और आमदन कुछ भी नहीं हुई। यह वह ज़मीन है जिसमें दो फसलें मिलती हैं हालांकि यह बारानी है। यह suburban इलाके में है सड़क के किनारे है और शहर से सिर्फ आध मील दूर है। फिर जो 14 हज़ार रुपए खर्च किए गए उसकी तफसील मैं स्पीकर साहिब आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। 10 हज़ार रुपया Tube-well के लिये Government ने अलग रखा हुआ है जो अभी तक वहां के Agricultural Officer के account में पड़ा है। और 4 हज़ार रुपये Building पर खर्च हुए। एक फसल तो इसकी ली नहीं जा सकी क्योंकि tenants वक्त पर इसे आबाद न कर सके लेकिन रबी की फसल पर जहां 250 रुपए खर्च हुए सरसों और चने पैदा हुए इससे 16 हज़ार से ऊपर Government ने हासिल किये।

दूसरी ज़मीन दारुहेड़ा के बारे में, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करूँ कि इन्हें पता नहीं किस बात का गिला है। कामरेड राम प्यारा को दर्द है इस बात का कि इनके एक साथी M.L.A. अपनी ज़मीन जो बेहद नाकस थी सरकार के पास 12 हज़ार में बेचने की कोशिश करते रहे लेकिन जब सरकार ने ऐसी नाकस ज़मीन को खरीदने में माज़ूरी ज़ाहर की तो इन्हें दर्द होने लगा। 12 हज़ार की नाकस ज़मीन न लेकर अगर अच्छी और बेहतर ज़मीन development के लिये खास मेहरबानी करके किसी ने सस्ती दे दी तो इन्हें परेशानी होने लगी। स्पीकर साहिब उन M.L.A. साहिब की दरखास्त हमारे पास मौजूद है। इस में मैं नहीं समझता कि किस तरह से किसी वज़ीर का तअल्लुक जोड़ा जा सकता है।

बाकी रही दारुहेड़ा की ज़मीन। वहां पर जो ज़िमींदार है उसकी रिश्तेदारी तो शायद 10 पुश्तों से भी मेरे साथ नहीं मिलती हां हो सकता है उसने मुझे वोट दे दिया हो। वहां पर 250 एकड़ ज़मीन हरिजनों को settle करने के लिये ली गई। Landlord के पास काफी ज़मीन थी और surplus थी इसके साथ ही Harijan Social Welfare Board का एक तरीका है कि एक Committee मुकर्रर की जाती है उसमें Harijan M.L.A. भी शामल होता है। Beneficiaries भी शामल होते हैं और दूसरे लोग भी। फिर tenders invite किए जाते हैं और expert opinion ले कर lowest Tenderer से ज़मीन खरीद की जाती है। जो ज़मीन दारुहेड़ा में ली गई इसका किसी वज़ीर से या उसके रिश्तेदार से तअल्लुक नहीं। यह सरासर गलत बयानी है। यह ज़मीन 348 रुपए फी एकड़ के हिसाब से खरीद की गई। साही नदी के पास और सड़क के साथ यह ज़मीन है। यहां पर 10 फुट पर पानी मिला और अच्छा था जहां कि दूसरी जगहों पर 75—80 फुट पर पानी मिला वह भी खारी और बाकी की ज़मीन सैलाब ज़दा थी। इन के बारे में मौलवी साहिब ने एक सवाल किया था लेकिन ज्ञानी जी मालूमात पूरी न होने के कारण जवाब न दे सके। यह ज़मीन जो 348 रुपए फी एकड़ पर

खरीद की गई इस तरह की ज़मीन इतनी सस्ती नहीं मिल सकती। इस कीमत पर तो बंजर नहीं मिल सकती। यहां पर मैं यह भी अर्ज़ कर दूं कि हमारे एक M.L.A. ने दरखास्त दे रखी है कि वह ज़मीन फरोख्त करना चाहता है और यह कि 1,200 रुपए फी एकड़ में उसकी ज़मीन ले लो वह ऐसी ज़मीन है जहां पर पानी नहीं मिलता और निहायत नाकस है। अब आप ही बताएं कि गवर्नमैंट 1,200 रुपये फी एकड़ पर नाकस ज़मीन क्यों खरीद ले और 348 रुपए फी एकड़ पर उस से अच्छी ज़मीन क्यों न ले। ऐसी बातों को ज़ाती चीजें बना कर पेश करना ठीक नहीं। ऐसी बातों पर इनको दर्द नहीं होना चाहिये। ज़मीन महकमा खरीदता है इसके लिये वज़ीर ज़िम्मेवार नहीं ठहराए जा सकते। जो अफसरान खरीद करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। इससे किसी वज़ीर का तअल्लुक कैसे जोड़ा जा सकता है। अगर इस तरह के इलज़ामात लगाए जाएं तो अफसोस होता है, आखिर ज़मीन वही बेचेगा जिसके पास होगी। अगर यह outlook यह न बनाएं कि वज़ीर के रिश्तेदार के पास ज़मीन है या उसे कर्ज़ा दिया गया है तो साईकल के पंक्चर लगाते लगाते इन के पास इतना रुपया इकट्ठा न हो जाए और उनके पास ज़मीन इस तरह से नहीं आई जिस तरह से इनके पास आई है और फिर कौन इन की दुकान पर साईकल खरीदने जाए अगर यह तरह तरह के बे सिर पैर और बेबुनियाद अलज़ामात वज़ीरों या उनके रिश्तेदारों पर न लगाएं। (*interruption*) (*noise*)

Mr. Speaker : Order please.

श्री प्रबोध चन्द्र : On a point of order Sir, जनाब मेरा point of order यह है कि आया किसी मिनिस्टर को यह liberty है कि वह इतने bad taste में personal remarks किसी member के खिलाफ पेश करे। (*interruption*) (*noise*)

श्री अध्यक्ष : क्या मैम्बर साहिब इस तरह हाऊस की कार्रवाई को चलाना चाहते हैं। आप जो चाहें बातें यहां पर कहें और अगर उनकी तरदीद की जाए तो आपको दुःख होता है। I will not allow such interruptions, order please. (Does the hon. Member want the proceedings of the House to be conducted in this way ? He wants complete freedom to say any thing he likes but feels upset when he is contradicted. I will not allow such interruptions. Order please.)

श्री राम प्यारा : जनाब मेरे पास record मौजूद है। आप देख सकते हैं। (*Interruption*)

श्री अध्यक्ष : Order please मैं ने राओ साहिब की बातें सुनी हैं मैं convinced हो गया हूं कि आप ने जो बातें की हैं वह गलत हैं। (तालियां) (I have listened to the explanation made by Rao Sahib and I am convinced that whatever the hon. Member Shri Ram Piara has stated is not correct) (*Cheers*)

Maulvi Abdul Ghani Dar : On a point of order, Sir. (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : जो point of orders, point of personal explanation या information इस वक्त उठाये जा रहे हैं मैं उन को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। आप सब तशरीफ रखें। (I am not prepared to listen to any point of order, point of personal explanation or point of information which is being raised now. The hon. Members may all resume their seats.)

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61.(CONTD)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਜਨਰਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ Facts and Figures ਭੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਸ saturation point ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਜੇ 2nd five year plan ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ Industriousness, Hard work and physical strength, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿਚ count ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਰਕਮ provide ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਤਨੀ ਰਕਮ allocate ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ । ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ Agriculture ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ । ਦੂਸਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ 4,40,38,000 ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 50% ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚ 50% ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਇਤਨਾ surplus ਹੋਵੇ ਪਰ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਲਈ provision ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 30% ਖਰਚ ਕਰਦੇ

ਹਨ । ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ agricultural produce ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਕਿ—

"A budget provision of Rs 119.35 lakhs was originally made in the year 1959-60 which was subsequently reduced to Rs 100.60 lakhs and an expenditure of Rs 33.42 lakhs has been incurred from April, 1959 to December, 1959......"

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,19,00,000/-ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ reduce ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1,0060,000/- reduce ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ 33% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਰਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਅਜੇ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਫੇਰ Ruling Party ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ । ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਐਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ 9,39,16,000/- ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਦੂਸਰੀ Five Year Plan ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,83,66,000/-ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦਾ 33% ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਾ 67% ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਭਦਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਾਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਨਵੇਂ ਢੰਡੋਰਚੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨ । (ਹਾਸਾ) (The hon. Member is making a good speech. If asked, I would say that Chaudhri Balbir Singh was the only Member who spoke relevantly on the Budget) (*laughter*).

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਅਲਿਕ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਸਾਕ ਕਰਨ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸੁਣਾਉ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹਨ । (ਹਾਸਾ)

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, he should be asked to keep away from the mike.

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ silencer ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ । ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ । ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦਾ । ਤੁਸੀਂ Education ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ । ਇਸ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ "ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸੋ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ" ਵਾਲੀ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਓ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਮਹਿੰਦਰ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਥੇ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਥੇ Law and Order ਹੈ । Community Projects ਅਤੇ Development Blocks ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਦਿੱਲੀ Agricultural Fair ਤੇ ਇਕ ਲਾਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗਈ । 45 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਓਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ । ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੀ 45 passengers ਦੀ capacity ਰਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 13 ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ

10.00 a. m.

ਚਲੀ । ਕਿਉਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ Organizer ਸੀ ਉਸਨੇ ਸੁਸਰਾਲ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਜਗਰਾਉ ਲੈ ਜਾਈ ਗਈ । ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਨੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਲਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਸਨ 8 ਆਦਮੀ ਸਨ । ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 13 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ 45 ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਲਾਰੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਕ criminal wastage ਹੈ । ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 45 ਦੀਆਂ 45 ਸਵਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ Agriculture fair ਵਿਚ interested ਸਨ, ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ

agriculture ਵਿਚ ਕੀ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ Law and order ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।

"Jawans thrash Chief Minister's son for molesting Army officer's wife."

ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੇ defamation ਦਾ 10, 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ; ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਮਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਕ report ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ quote ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ figures ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਸ 302 ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ show ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਲੇਕਿਨ ਕਮਯੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਜਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ police ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ report ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਮੂਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Law and Order ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਇਕ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਿਸਨੇ magistrate ਦੇ court ਵਿਚ affidavit ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ torture ਕੀਤਾ, molest ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ; ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ man concerned ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ report ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ report ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਬਾਰੌਨਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੌਨੇ ਅੱਠ ਅਤੇ 9 ਬਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੋਰ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ report ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Law and Order ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਰਾਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਲੁਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਥੇ 3, 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੀ ਰੇਲ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। (ਘੰਟੀ)

ਬਸ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਕ ਮਿਨਟ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ Road Transport ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਫੋਜ ਗਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ order ਤਾਂ ਲੇਲੈਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੋਜ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ ਜਹੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਰਖਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਜ ਗਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ।

ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਭੱਠੇ ਦਾ licence ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ sales ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ 10 ਆਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ tax evade ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ It is not in the public interest.

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾ ਕੇ quota ਦਿਵਾਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋ ਦਫਾ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਕਤੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਸੋ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਗਈ .....

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਇਹ ਗਲ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੱਪਟ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮੇ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਉਹ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਦੀ ਏਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜੈਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। (ਸ਼ੋਰ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਸਪਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਸ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਉ ਹੁਣ। (The hon. Member may now please resume his seat).

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦੇ

ਵਿਚ ਡਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿਚ ਡਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਹੋ ।

PERSONAL EXPLANATION BY THE MINISTER FOR INDUSTRIES

उद्योग मंत्री : On a point of personal explanation, Sir. स्पीकर साहिब, चौधरी साहिब ने essentiality certificate का ज़िक्र किया था । मैं on the Floor of the House यह बात ईश्वर को हाज़र नाज़र जान कर कहता हूं कि मुझे पता नहीं था कि किसी को essentiality certificate मिला है या नहीं । । मुझे अभी पता लगा है जबकि यह कह रहे हैं ।

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61 (CONCLD)

श्री राम कुमार बिधाट (भिवानी) : स्पीकर साहिब यह जो budget ज़ेरे बहस है यह वैसा ही रसमी सा budget है जैसे कि पहले चलता आया है । इस में न कोई खास अच्छी बातें हैं न बुरी बातें हैं । अच्छा होता अगर इस में कुछ तब्दीलियां की हुई होतीं और फज़ूल खर्ची को कम किया जाता । Officers और Ministers के खर्चों को कम कर के छोटे मुलाज़मों को, जिन्हें कम तनखाहें मिलती हैं, relief दिया जाना चाहिये था । आप Police के constable को देखें उसे कितनी कम तनखाह मिलती है । वह बेचारा रोटी और कपड़ा भी अपने बच्चों को मुहैया नहीं कर सकता और तालीम देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । उन्हें जो मकानों के लिये किराया दिया जाता है वह न देने के बराबर है । देहली जैसे शहर के लिये भी उन्हें दो रुपया महीना मकान के किराये के लिये दिए जाते हैं । अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हिन्दुस्तान की राजधानी में दो रुपए महीना पर मकान मिल सकता है । इसी तरह खुराक के लिये इन को 12 आने per day दिए जाते हैं । इन पैसों से वह किस तरह दो वक्त पेट भर कर खा सकता है । जब उन का गुज़ारा नहीं होता तो मजबूर हो कर उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं । मैं अर्ज़ करूंगा कि government को इस बात पर ग़ौर करना चाहिये और जो low-paid employees हैं उन्हें relief देना चाहिये और जो फज़ूल खर्ची है उसे कम करना चाहिये ।

अब कुछ ज़रूरी मसले हैं उन की तरफ मैं house का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । उन मसलों को हल करने के बग़ैर हमारे जो development के काम हैं उन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं । आज सूबे में एक अहम मसला भाषा का है और दूसरा, है सूबे को linguistic

[श्री राम कुमार बिधाट]

basis पर बांटने का। भाषा के मसले को तै करने के लिये एक committee मुकर्रर की गई है। अच्छा हो अगर वह इस मसले को हल कर दे। लेकिन हमें आसार अच्छे नजर नहीं आते। एक तो मास्टर तारा सिंह जी ने उस committee का boycot कर दिया है और दूसरी बात यह है कि जो उस के members हैं उन में एक तबका तो वह है जिस की मादरी ज़बान हिन्दी है और दूसरा ऐसा है जिस की mother tongue हिन्दी नहीं है। वह इसे ज़बरदस्ती अपनी भाषा बनाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आती वह दोनों बैठ कर कैसे सही फैसला करेंगे। यह तो सौतीली मां और असली मां का बच्चे के लिये जो झगड़ा हुआ था वैसी बात है। सौतीली मां और असली मां का झगड़ा हो गया। एक कहने लगी मेरा बच्चा है दूसरी कहने लगी नहीं मेरा है। जब कोई फैसला न हो सका तो सौतीली मां कहने लगी कि बच्चे को आधा आधा कर के बांट दो। जो असली मां हो वह ऐसी चीज को नहीं सह सकती। मैं समझता हूँ कि इस मसले को हल करने के लिये भी एक सौतीली मां और एक असली मां बैठा दी गई है। इस तरह यह कैसे सही तरीके से हल हो सकता है। स्पीकर साहिब असली मामला जो है जिस का राज्य की किस्मत के साथ ताल्लुक है वह भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने का है। जहा तक पंजाबी speaking state बनाने का ताल्लुक है उस के लिये पंजाबी Region वाले जाने क्या करना है या क्या नहीं करना। वह अपना फैसला आप करें। लेकिन जहां तक हरियाणे का ताल्लुक है उस के बारे में जो गलत फहमियां फैलाई जाती हैं वह मैं दूर करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों की तरफ से कहा जाता है कि हरियाणे की मांग जो है यह आज नई की जा रही है। उन्हें शायद historical background मालूम नहीं हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वह इलाका महा भारत काल से देहली-आगरा के साथ रहा है। 1857 में चूंकि वहां के लोगों ने बग़ावत की थी इस लिये उन्हें तितर बितर करने के लिये अंग्रेजों ने उस इलाके के टुकड़े २ कर के कुछ उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिए थे, कुछ फुलकियां states को दे दिए और कुछ पंजाब के साथ मिला दिए। स्पीकर साहिब अगरचे हमें आगरा और मेरठ से जुदा किए सौ साल से ज्यादा हो गया है लेकिन हमारा खान पान, रहन सहन, हमारे रस्मोरवाज और हमारे रिश्तेनाते मेरठ, आगरा और U.P. वालों से हैं हमारा इलाका पंजाबी speaking वाले area के साथ किसी लिहाज़ से भी नहीं मिलता। इस लिये यह कहना कि हम हर लिहाज़ से पंजाब के साथ मिलते हैं ग़लत है। स्पीकर साहिब, सन् 1920 में congress ने यह फैसला किया था कि जब हमारे हाथ में स्वराज्य आएगा तो हम भाषा के आधार पर प्रान्त बनायेंगे। मैं सन् 1920 से Congress का मैम्बर हूँ। हम उस वक्त कहा करते थे कि भाषा के आधार पर सूबे बनने चाहियें। हरियाणा प्रान्त की मांग आज की मांग नहीं है बल्कि बहुत देर की मांग है। सन् 1924 में देहली में एक conference हुई। उस में चौधरी छोटू राम, पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री नेकी राम शर्मा वग़ैरह शामिल हुए थे। उस में भी यह मांग की गई थी कि हमें आगरा मेरठ के साथ मिला दिया जाए और हमारा भाषा के आधार पर प्रान्त बना दिया जाए। इस के बाद 1928 में एक और देहली बाकरा committee बनी जिस में श्री आसिफ अली, श्री देश बन्धु गुप्ता

वग़ैरह थे । उस वक्त भी हरियाणा प्रान्त बनाने की मांग की गई थी । उस के बाद साईमन Commission के पास यह demand आई । उस commission के पास भी यह मांग हुई कि हमें आगरा और मेरठ के साथ मिला कर सूबा बना दिया जाए । उस के बाद, स्पीकर साहिब, सन् 1932 में London में जो Round Table Conference हुई उस में भी हिन्दुओं और मुसलमानों के झगड़ों को खत्म करने का यही हल सामने आया था । उस झगड़े को खत्म करने के लिये Sir Geoffrey Gorbett ने यही scheme निकाली थी । जिसे जिन्नाह साहिब ने भी मनज़ूर कर लिया था । फिर महात्मा जी के कहने पर circulate किया गया था । लेकिन पंजाब के हिन्दू सिखों ने इस की मुखालिफत की क्योंकि वह चाहते थे कि हरियाणा प्रान्त न बने और हमारा मुसलमानों के खिलाफ balance बना रहे । इन लोगों ने उस वक्त हमें पासंग का बट्टा बना कर मुसलमानों के खिलाफ balance बनाए रखने के लिये अपने साथ बांध रखा । लेकिन हमारी माँग चलती रही । फिर 1945 में जब Parliamentary delegation आया तो उसके सामने भी हम ने यह मांग रखी और आज तक हमारी यह मांग जारी है । लेकिन बदकिस्मती यह है (घंटी) कि यह जो vested interests हैं हमारी इस मांग को ग़लतफहमी में डालते हैं और यह प्रापेगंडा करते हैं कि हमारी मांग अगर पूरी हो गई तो पंजाब के टुकड़े २ हो जाएंगे मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जब हिन्दुस्तान में इतनी और linguistic states बन चुकी हैं, बंगाल, बिहार, मद्रास, आंधरा बनी हैं और अभी बम्बई की दो स्टेट बन रही हैं तो अगर यहां भी linguistic State बन गई तो कौनसा खतरा पैदा हो जाएगा ? जैसे और प्रांत बन रहे हैं यह भी बनना चाहिये । लेकिन बात यह है कि हमारे भाई हमें अब भी पासंग का बट्टा ही बनाना चाहते हैं । स्पीकर साहिब चूंकि वक्त थोड़ा है इस लिये एक दो बातें अर्ज़ करके बैठ जाता हूँ । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कांग्रेस के प्रधान श्री संजीवा रैडी जी हैं उन्हों ने इस बारे में क्या फरमाया है :

> "The formation of the Andhra State in 1955, and the results it was able to achieve in three years have clearly demonstrated that a linguistic State can function very much better than a composite one, and at the same time the patriotic ties towards central citizenship will, if at all, be strengthened and not weakened."

श्री अध्यक्ष : अगर आपने सूबों की तशकील के बारे में बातें करनी हैं तो उसका proper method यह है कि आप इस बारे में resolution ला सकते हैं । इस का तरीका यह नहीं है कि आप बजट की general discussion की आड़ ले कर यह सारी बातें discuss करना शुरु कर दें । आप इस पर कोई बाकायदा मोशन लायें और discuss करें । जहां तक बजट की discussion का ताल्लुक है यह आपको इतनी मोटी किताब दी गई है और इसमें काफी items हैं उनकी बातें करें । लेकिन आपने बजट की एक बात नहीं की । (If the hon. Member wants to discuss the reorganisation of the States then the proper method for doing so is to bring a resolution on the subject. This is not the way that under the cloak of general discussion of the Budget he should start discussing

[श्री अध्यक्ष]

all these things. He may bring in some regular motion on the subject and have it discussed. So far as the general discussion of the Budget is concerned, he has got this volumenous book of the Budget with him. It contains lot of items on which he can speak. But I find he has not said anything on the Budget.)

श्री राम कुमार विधाट : जनाब, मेरी अर्ज़ यह है कि जब तक इस मामले का फैसला नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर सकेंगे इस बात का बजट से गहरा सम्बन्ध है। इस मामला के बारे में और इस के खिलाफ हमारे मुअज़िज़ वज़ीर साहिबान यह बात कह चुके हैं कि अगर ऐसा हो गया तो लाशें पिटजायेंगी।

श्री अध्यक्ष : उन्हों ने ही यह शुरु किया हुआ है इस लिये बरदाश्त कर रहा हूँ वरना मैं आपको बंद कर देता। (They have started this thing, that is why I am tolerating him otherwise I would have stopped him from saying all this.)

श्री राम कुमार विधाट : फिर जनाब मैं महात्मा गांधी जी की राए इस बारे में पेश करता हूँ वह भी आप सुन लें। यह राए उन्हों ने partition के बाद दी थी :

> "The Congress has already adopted the principle (of redistribution of the provinces on a linguistic basis) and has declared its intention to give effect to it constitutionally as soon as they come into power, as such redistribution would be conducive to the cultural advancement of the country. But such redistribution should not militate against the organic unity of India, Autonomy does not and should not mean disruption or that hereafter provinces could go the way they chose, independent of one another and of the Centre. If each province began to look upon itself as a separate, sovereign unit India's independence would lose its meaning and with it would vanish the freedom of the various units as well."

Then he further said:

> "I entirely endorse the suggestion....that what is proper to be done should not be delayed without just cause, and that what is improper should not be conceded under any circumstances whatsoever. There can be no compromise with evil and since linguistic redistribution is desirable from almost every point of view, all delay in carrying out the project should be avoided."

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर हम ने पंजाब की linguistic division न की तो future historians यही बात कहेंगे कि हिन्दुस्तान की जो secular हकूमत थी उस ने तमाम हिन्दुस्तान में जहां हिन्दुओं की majority बनती थी वहां linguistic states बना दी लेकिन एक ऐसी स्टेट रह गई है जिस में linguistic state बनती थी मगर नहीं बनाई क्योंकि वहां हिन्दुओं की majority नहीं बनती थी।

Mr. Speaker : Your time is over. Please resume your seat.

श्री राम कुमार विधाट : अगर आप वकत नहीं देते तो बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं यह बातें तो आपको अपनी पार्टी में बैठ कर करनी चाहियें। जिस बात के लिये मैं ने अपोज़ीशन पर objection किया था वही आप कर रहे हैं। (I find that members of the congress party are striking, discordent

notes here. Such matters should be discussed by them in their party. They are doing the same thing to which I took objection when the opposition did this.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਉਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰੁਬਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ ਆਂਕੜੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਉਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ land revenue ਦੀਆਂ figures ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ 1958-59 ਵਿਚ 292 ਲਖ ਸੀ, 1959-60 ਵਿਚ 545 ਲਖ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 1960-61 ਲਈ 510 ਲਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ agriculturist ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ burden ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਸਦੀ produce ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੇ consumers ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿਚ production ਵਧੀ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਪਾਸੇ production ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ production ਵਧਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ wholesale price index ਹੁਣ 104 ਤੋਂ 112 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ production ਭਾਵੇਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ man in the street ਇਤਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਸਦੀ fixed ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ production ਜੇਕਰ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ daily requirement ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਦ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਲਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ sugar ਬਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ agency state federation ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦੋ ਲਖ ਬੋਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 6, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ।

ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਲਖ ਮਣ ਖੰਡ ਵੇਚੀ ਗਈ ਯਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਲਖ ਮਣ ਵੇਚੀ ਗਈ । Total production 2,240,000 ਮਣ ਹੋਈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1,200,000 ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਫਰ ਬਚੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਦੀ menace ਵਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸੇਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਹ suggestion ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ flow water ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ lift water ਦੀ ਸਕੀਮ ਰਾਇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸੇਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜ ਛੇ ਫੁਟ ਹੋਰ ਡੂਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਾਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨੀਵੀਂਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ seepage ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ lift ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਕਾਨੋਂਵਾਨ ਵਿਚ ਇਕ drain ਪੁਟੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ drain ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ । ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ unplanned ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ 15 ਮੀਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਔਰ 6 ਮੀਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਚ 5 ਮੀਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਲਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ । ਜੇ ਇਹ 5 ਮੀਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

(*At this stage, the lights went off*)

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ administration ਵਿਚ ਬਹੁਤ interference ਹੈ, nepotism ਹੈ ਔਰ dishonesty ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ dishonesty ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, interference ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, nepotism ਜਾਂ corruption ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਾਇਨੇ repeat ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁਗ ਸੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾਣ । ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਮਾਇਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੀ ਐਨੀ sanctity ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਇਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੂਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ Chief Minister ਸਾਹਿਬ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ election ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ satisfy ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ misappropriate ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਕ ਤਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ candidate ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ election ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ policy ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ avoid ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛਡ ਦਿੱਤੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਹਾਰ ਜਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਝੂਠੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਸਚਾਈ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ challenge ਤੇ counter challenge ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਦਸੇ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਸਮਗਲਰ ਕਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਮਗਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੁੰਆਂ ਖਵਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਹ ਇਕਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30, 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਗਾਲ ਸਨ ਅੱਜ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਖ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30, 32 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਫਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ dictionary ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਅਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦਾ

ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜੋ dictionary ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜ dishonesty ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ interference ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ corruption, favouritism ਜਾਂ nepotism ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਦਕੀਆ ਨੂਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਟਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ dictionary ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਗਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਗਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਦੂਜੀ ਨਾ ਕਹੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਛੱਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ administration ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਸਪੀਚ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ surplus ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ tax ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਗਰ ਇਹੀ ਦੋ ਲਫਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੂਬਾ saturation point ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ unemployment ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ resources ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ utilise ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ prosperity ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਇਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ—ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ middle man ਵੀ ਤੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਵੀ । ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ prosperity ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ surplus ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ resources ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ utilise ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਫਾਇਨੈਨਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਜਟ prosperity ਤੇ development ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਹੈ – ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ justice ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਰ item ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Finance Minister ਜਾਂ Government ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ resources ਨੂੰ utilise ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ Central Government ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ use ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

(*At this stage, Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.*)

ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ estimates ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, resources ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ deficit ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਸਨ, Central Government ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । Agriculture, Industry, Education, Health ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ it is a record of development and prosperity ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ characterise ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ it is a record of inefficiency; it is a record of bad planning. ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ । It is a record of bad planning, rather a racket of bad planning and inefficiency. ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Industry ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ । Nature ਨੂੰ control ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ agriculture vagaries of nature ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਇਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ nature ਨੂੰ control ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । Nature ਦੀਆਂ vagaries ਉਥੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ । Agriculture ਤੇ vagaries of nature ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ nature ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ famine ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਹੀ engineers ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਇ ਦੇਂਦੇ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Canada ਦੇ ਵਿਚ Hydro-electric Plants ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਵੀ ਰੂਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ Hydro-electric Plants ਹਨ they are supported by Thermal Plants. ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ

ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ support ਕਰਾਂਗੇ। Russia ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ Thermal Plants ਦੇ ਨਾਲ grid ਜਾਂ electricity ਨੂੰ unite ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ vagaries of the nature ਨਾਲ electricity ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ industries textile industries ਤੇ power-looms ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਵਡੇ plants ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ industries ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ coal ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। Coal ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਝਰੀਏ (ਬਿਹਾਰ) ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਥੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ Rajasthan ਤੇ Delhi ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਇਥੇ ਹੀ utilise ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਇਥੇ utilise ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, agriculture suffer ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਉਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਉ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਣ ਲਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ Surplus Budget ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, prosperity ਦਾ ਬਜਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ prosperity ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ (*Laughter*) ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ surplus budget ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਥੇ electricity ਨਹੀਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਮੰਗਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ affect ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੜਪ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ owners ਨੂੰ guarantee ਦੇਣਗੇ।

ਫੇਰ ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ lay off ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ lay off ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇ ਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਕਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ laws ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ evade ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਾਂਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ laws ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਮੈਂਟ ਅਗੇ....(ਘੰਟੀ) ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ?

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट हो गये हैं । (Ten minutes time of the hon. Member is over.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : 15, 20 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਅਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ labour ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਅਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ criticism ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਅਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੜਾ scandalous ਹਾਊਸ ਹੈ । ਮਨਿਸਟਰ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । Treasury Benches ਵਲੋਂ ਵੀ attacks ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ industry ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, loan ਨਹੀਂ, retrenchment ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ retrench ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ generators ਲਾ ਸਕਣ । ਕੱਲ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । Army ਦੇ mobile generators ਲਿਆ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Army ਨੇ ਭਾਖੜੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖਦਾ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ mobile front ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ electricity ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । Army ਨੂੰ request ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, nature ਦੀ vagaries ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ industry ਹੈ । ਸੈਂਟਰ ਨੇ excise duty ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ cloth ਤੇ ਲਗਾਈ । ਹੁਣ rim ਅਤੇ free wheel ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ । Rim ਅਤੇ free-wheel ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ parts ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੋਟੀ industry ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, Cottage industry ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ excise duty ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜਿੰਨੇ ਮਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ dissidents ਹਨ ਅਤੇ opposition ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਅਤੇ central ਗਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ industry ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਚਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ industry ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ charge ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ । ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ

atomic plant ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ India ਵਿਚ ਵੀ atomic power ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਭਾਬਾ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਓਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਥੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਹ atomic power ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ utilise ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ atomic power plant ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਿਸਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ benches ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ conscious ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਥੇ atomic power plant ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ । ਏਥੇ ਅਛੇ ਅਛੇ speakers ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਥੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਥੇ ਅਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ । ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ discussion ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । (ਵਿਘਨ) । ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ industry ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ atomic plant ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ suggestion ਦਿੱਤੀ ਹੈ mobile generators ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ।

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੇਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । Vagaries of nature ਸਾਡੀ agriculture ਤੇ ਪਈ ਹੈ । Agriculture ਦਾ ਬਜਟ surplus ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਸੇਮ ਨਾਲੀਆਂ ਖੋਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਮ ਵਧਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਸੇਮ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ !

ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ backward areas ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । Backward classes ਤੇ scheduled castes ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ backward areas declare ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ backwardness ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ backward areas declare ਕੀਤੇ ਹਨ । ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸੱਕੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਕ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੇ snails pace ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ 300 ਫੁਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ । 3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ । ਅਜੇ ਉਹ backward area declare ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ request ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ surplus ਬਜਟ ਨਾ ਦਿਖਾਓ । ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋ । (ਘੰਟੀ) ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ industry ਦਾ ਗਲ੍ਹ ਨਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾਏ ।

ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 'ਰਿਜ਼ਰਵਡ') : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 26 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ । ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਛੁਟੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਹ

[ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ]

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰੀਜਨ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ free ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਐਸੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ development ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ co-operative ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ co-operative ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਔਰ loan ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ co-operative society ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਦੀ payment ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, final payment ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਯਕਰਤਾ ਹਨ, ਆਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ mind ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾਈ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ-ਔੜ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। P. W. D. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

ਉਸ society ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ P.W.D. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬ ਫੁਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪੁੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। Society ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ P.W.D. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ societies ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

11 a. m.

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ industry ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਬਣਦਾ ਨਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ society ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ leather society ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ society ਦਾ President ਹਾਂ। ਉਸ society ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਿਆ grant ਮਿਲੀ ਸੀ pits ਲਈ। ਅਸਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ pits ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਲਈਏ ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ pits ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ pits ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, grant ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਚੌਰ leather society ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ grant ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸੋ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦਾ President ਦਰਿਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ grant ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ rules ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ grant ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ warrant ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ societies ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੁਪਿਆ advance ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਬਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਾ ਨਹਿਰ ਉਪਰ ਇਕ ਪੁਲ ਬੁਰਜੀ ਨੰਬਰ 104 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 1958 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ final payment ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋਢੀਆਂ ਸਾਈਫਨ ਬੁਰਜੀ ਨੰ: 65—67 ਬੰਗਾ ਨਹਿਰ ਉਪਰ ਮਾਰਚ 1957 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਚੌਰ, ਕਰਨਾਨਾ ਕਮਾਮ, ਕਰਿਆਸ ਵਗੈਰਾ societies ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। Central Government ਦੀ scheme 3 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ Retanning and finishing centre ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। Centre ਤਾਂ ਬੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ stay order ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ order cancel ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਉਸ centre ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, machinery ਪਈ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨੀ ਢਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ fitting ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ backward area ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ backward area ਉਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ centre ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ

[ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ]

ਆ ਸਕਦੇ । ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਹੋਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੇਮ ਦੇ ਥਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਮਾਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਸੇਮ ਲਈ drains ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ-ਸਾਲੇ plots ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ Custodian ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਦੇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਿਸ਼ਾਨ-ਦੇਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਰਾਮ ਤੋਂ ਫਰਾਲਾ ਤਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਥੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗਏ ਸਨ । ਜੇ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਦੇਹੀ ਠੀਕ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ drains ਪੁਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

चौधरी भरत सिंह (गोहाना, जनरल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि कल लीडर आफ दी हाउस ने यह शिकायत की थी कि मैम्बरों को बजट स्पीच के लिये मुबारकबाद देनी चाहिये, दाद देनी चाहिये, लेकिन वे नहीं देते। मैं सोचता हूँ कि मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूं या कुछ और कहूँ। मैं इस गवर्नमेंट के कारनामों की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हाउस में कितनी बार कहा गया है कि बड़े बड़े लैंडलार्ड्ज़ ने ग़रीब मुज़ारों को बेदखल किया है । छः लाख के करीब ग़रीब मुज़ारे ज़मीन से निकाल कर बेरोज़गार कर दिये गए हैं। उन के पास खाने को रोटी नहीं है। वे बेचारे भूख से तड़प-तड़प कर मौत की घड़ियां गिन रहे हैं । यहां हाउस में सरकार की तरफ से ग़लत अदादोशुमार पेश किये जाते हैं। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहिब को उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूँ जब कि वे Development Minister होते थे। उन्हों ने उस वक्त कहा था कि हम मुज़ारों को ज़मीन से बेदखल नहीं होने देंगे। उन को उस ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी और उन को खुशहाल किया जाएगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब उन अपने वादों को भूल गए हैं। आज बड़े बड़े लैंडलार्ड्ज़ ने छः लाख मुज़ारों को ज़मीन से बेदखल कर के बड़ी गम्भीर समस्या प्रदेश में खड़ी कर दी है। उन्हों ने यकीन दिलाया था कि 6 लाख मुज़ारे जो 30 standard acres से कम मलकियत के मालिकान की ज़मीनों पर बैठे हैं; उनकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम उनको बसाएंगे और उनको खराब नहीं होने देंगे। उसी वक्त हमारे चीफ

मिनिस्टर साहिब ने जो अदादोशुमार दिए उनमें बताया कि सन् 1947 से लेकर partition के समय पंजाब के अन्दर 185,000 बड़े ज़मींदार थे। लेकिन हुआ क्या? उन्हों ने अपनी ज़मीनें अपने रिश्तेदारों, भाइयों, बेटों, बेटियों और बीवियों के नाम कर दीं और आप ने बताया था कि यह तादाद 15 अप्रैल, 1953, को सिर्फ 39 हज़ार रह गई। यह वह transfers हुई जिन की बाबत यकीन दिलाया गया था कि हम कोई भी *malafide* transfer का असर नहीं होने देंगे। इसके बाद हमारे Revenue Minister राओ बीरेन्द्र सिंह जी ने भी सन् 1958 में यकीन दिलाया कि हम ज़रूर surplus area निकालेंगे और उस पर tenants, landless tenants और landless labourers को बसायेंगे। उन्होंने यह भी यकीन दिलाया था कि सन् 1947 के बाद की की हुई *malafide* transfers को मद्दे-नज़र रखते हुए ही हम यह surplus area निकालेंगे। इसके अलावा पिछली बजट speech तक हमारे Finance Minister भी यकीन दिलाते रहे और आए दिन वादे करते रहे कि हम फौरी तौर पर land reforms करेंगे। इस बात का ज़िक्र वह हर speech के अन्दर करते रहे। जैसा कि कल हमारे चीफ़ मिनिस्टर ने फरमाया था वह हमारे एक बुज़ुर्ग साथी हैं जिन्होंने पंजाब को बचाया है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जब के वह Finance Minister बने हैं land reforms का नाम लेना ही छोड़ दिया है। अपनी बजट स्पीच के अन्दर इसका ज़िक्र तक नहीं किया। सन् 1959 की speech के अन्दर खुद गवर्नर साहिब ने यह फरमाया था कि 1959 के आखिर तक भारी तादाद में बेदखलशुदा मुज़ारों को बसा दिया जाएगा लेकिन इस साल उन्हों ने भी यही कहा है कि Agrarian reforms को खासी रफतार से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह नहीं बताया कि कितनी surplus ज़मीन निकाल दी है और कितने बेदखल-शुदा मुज़ारों को बसाया जा चुका है। सिर्फ इतना ही बताया है कि जो रकबा पंजाब और पैप्सू में surplus निकलेगा वह 4 लाख 50 हज़ार एकड़ होगा। आप अन्दाज़ा लगायें कि 6 लाख तो वह मुज़ारे हैं जो छोटे मालिकान की ज़मीन पर बैठे हैं और लाखों मुज़ारे वह हैं जो पैप्सू में छोटे मालिकों की ज़मीनों पर बैठे हैं। जो तादाद surplus ज़मीन की दी है वह सिर्फ 4 लाख 50 हज़ार एकड़ है—standard acre भी नहीं। अगर उनके standard acre बनाए जाएं तो तकरीबन 2 लाख 50 हज़ार ही बनते हैं। राओ साहिब ने अपनी एक तकरीर में बताया था कि जो surplus area निकालना है वह हम सन् 1947 से निकालेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने Security of Land Tenures Acts का Section 6 quote भी किया था कि—

> "For the purposes of determining under this Act the area owned by a landowner, all transfers of land except *bonafide* sales or mortgages with possession, or transfers resulting from inheritance, made after the 15th August, 1947, and before the commencement of this Act, shall be ignored."

यानी अगर किसी शख्स ने ज़मीन अपने भाई-बन्धुओं में बांटकर या किसी और तरीका से surplus area को खत्म करने की कोशिश की तो ऐसी चीज़ों को खत्म कर दिया

[चौधरी भरत सिंह]

जाएगा। यह ख्याल रखा जाएगा कि सन् 1947 से लेकर किसी ने bogus transfers करके या sale करके surplus area को खत्म किया हो तो उसे ग़ैरकानूनी करार दिया जायेगा। तो मेरे कहने का भाव यह है कि इधर House के अन्दर तो हमें गारण्टी दी जाती है कि सन् 1947 तक की bogus entries को खत्म किया जायेगा लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत वुज़रा साहिबान का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि यहां से—गवर्नमेंट की तरफ से अफसरान को चिट्ठी जाती है, हिदायात जाती हैं कि surplus area निकालते वक्त सन् 1947 से लेकर 15 अप्रैल, 1953, तक जो इन्तकाल किए गए हों उन को मत छोड़ो। यहां पर तो राओ साहिब भी कहते हैं कि बेशक तहकीकात करा लो हम ने और ऐसा काम नहीं किया जिससे शरमिन्दगी उठानी पड़े। मैं कहता हूँ कि इस बात की तहकीकात कराओ कि खुद legislators ने कितनी ज़मीन को surplus area को खत्म करने के लिये bogus transfers की हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं दूर नहीं जाता, आप अपने ज़िला को ही ले लें। अकेले ज़िला हिसार में ही legislators ने हज़ारों बीघे ज़मीन पर से मुज़ारों को निकाला, उसे अपने बेटों, भाइयों और रिश्तेदारों के नाम transfer किया और फिर दूर दूर से लाकर उस ज़मीन पर और मुज़ारों को वहां बैठाया। लेकिन हमारे Finance Minister इन बातों को बिल्कुल ही चाट जाते हैं। मैं यह कहने पर मजबूर हूँ कि आप अपनी बातों से लोगों को उजाड़ रहे हैं। आप public को धोका देते रहे हैं, उनके साथ मज़ाक करते रहे हैं और उन को यकीन दिला दिला कर अब इस position में डाल दिया है कि न मर सकते हैं और न जी सकते हैं। इस के ज़िम्मेदार वही तीन चार योधा हैं जिनका कल ज़िक्र किया गया। मैं समझता हूँ कि उन बेचारों को कत्ल और तबाह करने की ज़िम्मेदारी ही उन पर है और साथ साथ उन बैंचों पर बैठे हुए सभी भाइयों पर है। यह बाहर जाकर तो बातें करते रहते हैं कि मुज़ारों के साथ अन्याय हो रहा है; उन्हें खराब, तबाह और बर्बाद किया जा रहा है लेकिन जब किसी खुदगर्ज़ी का सवाल आता है, टिकट लेने का सवाल आता है तो चुप हो जाते हैं। अपनी इगराज़ के सामने भूल जाते हैं कि हम क्या २ बातें बाहर लोगों के साथ करते हैं। नतीजा यह है कि कानून मौजूद है लेकिन मुज़ारे तबाह हो रहे हैं; हिदायात दे दे कर उन को तबाह किया जा रहा है लेकिन यह यहां अपनी ज़बान नहीं खोलते। इससे ज्यादा अन्याय और क्या हो सकता है? मैं राओ साहिब की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि surplus area निकालते वक्त सन् 1947 तक की transfers को भी मद्देनज़र रखा जाएगा लेकिन बाद में आप ने यह हिदायात क्यों जारी कीं कि सन् 1947 से अप्रैल, 1953, तक की जो इन्तकाल यानी transfers हुईं, उन को न छेड़ा जाए? जैसा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने उन दिनों फरमाया था कि हमारी State के अन्दर partition के वक्त 1 लाख 85 हज़ार बड़े ज़मींदार थे लेकिन 15 अप्रैल, 1953 तक सिर्फ 39,000 रह गए तो इस का क्या मतलब निकला? यह कि 1 लाख 46 हज़ार बड़े ज़मींदार ऐसे हैं जिन्होंने इस दौरान अपनी ज़मीनों की *malafide* transfers कीं। अगर

आप अन्दाज़न 10/11 एकड़ फी ज़मींदार का ही हिसाब लगाएं तो 17-18 लाख एकड़ ऐसी ज़मीन निकलती है जिस पर से उन को बेदखल किया गया और अपने कबज़े में की अगर आप को मैं पैप्सू की figures बताऊँ कि वहां किस तरह से transfers हुई हैं तो आप हैरान होंगे (*interruptions*)

जनाब, सरकार ने पंजाब के अन्दर पंजाब का और पैप्सू area के अन्दर पैप्सू का Act लागू किया है जबकि दोनों एक हो गई हैं। हमने कहा कि जो अच्छी बातें पंजाब के Act में हैं वह पैप्सू पर लागू कर दो और जो पैप्सू के Act की अच्छी बातें हैं वह पंजाब में भी लागू कर लो। लेकिन यह माना नहीं गया बड़ी हैरानगी की बात है कि कहते हैं कि जो मुज़ारे 6 साल से ज़मीन पर बैठे हैं उनको purchase का अख्तियार दिया गया है। अव्वल तो purchase का यह अख्तियार है ही बराए नाम और जिस तरह से इस पर अमल होता है और जिस तरह से मुज़ारों को परेशान किया जा रहा है वह बड़ी हैरानकुन है। डिप्टी स्पीकर साहिब, होता क्या है ? यह कहते हैं कि जो मुज़ारा 6 साल से किसी बड़े ज़मींदार की ज़मीन पर बैठा है वह उसकी 10 साला औस्त कीमत देकर 10 instalments में खरीद सकता है। और पैप्सू का जो Act है उसके मुताबिक मुज़ारा Land Revenue का 90 गुना या 200 रुपया फी एकड़ के हिसाब से—जो भी कम हो—देकर ज़मीन का मालिक बन सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, कई ऐसे आदमी हैं जिन की ज़मीन गांव के साथ में होती है और उन की जो ज़मीन गांव के बिल्कुल पास है उसे उन्हों ने रिहाइशी मकासद के लिये बेच दिया है और ऐसी कुछ ज़मीनें हैं जो तीन-तीन हज़ार रुपया फी बीघा के हिसाब से बिकी हैं। तो जब मुज़ारे के खरीदने के लिये औस्त कीमत निकाली जाती है तो वह 15 हज़ार रुपया फी एकड़ निकलती है जो कि मुज़ारे को देनी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि मुज़ारा वह खरीद भी नहीं सकता। क्या मज़ाक है ? इस तरह क्या मुज़ारा ज़मीन खरीद सकेगा ? आप उस के खरीदने के लिये एक कीमत मुकर्रर कर दें। चाहे तीन सौ रुपये फी standard acre कर दीजिए, चाहे चार सौ कर दीजिये ताकि अगर मुज़ारा लेना चाहे और अगर वह ले सकता हो तो ले ले। इस तरह से परेशानी तो उसे न उठानी पड़ेगी जो आज उसे उठानी पड़ रही है। यह कैसा मज़ाक है कि एक तरफ तो आप यहां यह कह देते हैं कि हमने मुज़ारों को ज़मीन खरीद कर लेने का हक दे रखा है लेकिन दूसरी तरफ position ऐसी बना रखी है कि वह खरीद ही नहीं सकता। इस बारे में मैं एक मिसाल ज़िला हिसार के गांव खासा महाजनान की पेश करता हूँ, वहां के दो मुज़ारों जोत राम और दानी राम ने 1955 में सेठ कोड़ू राम वग़ैरह की ज़मीन खरीदने के लिये दरखास्त की थी। इस पर पहले तो वह सेठ अदालत में हाज़र ही नहीं होते रहे फिर उस की मुनादी कराई गई, अखबारों में नोटिस चस्पां कराए गए, अखबारों में निकलवाया गया लेकिन वह हाज़िर ही न हुआ। (घंटी की आवाज़) डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ कि क्योंकि मैं गवर्नर Address पर भी नहीं बोला था, इसलिये मुझे कुछ ज़्यादा time दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और बाकी time थोड़ा है इस लिये आप जल्दी खत्म कर लें। (The number of members who want to speak is very large and the time left for this purpose is also very short. The hon. Member may, therefore, wind up his speech soon.)

चौधरी भरत सिंह : मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब यह हुकम हो गया कि यकतरफा कार्रवाई उस सेठ के खिलाफ की जाये तो उस ने Commissioner के पास निगरानी कर दी और बाद में Financial Commissioner के पास निगरानी की दरखास्त दे दी। जिस के नतीजे के तौर पर आज तक merit पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे मुज़ारे आज तक वह ज़मीन नहीं ले सके।

इसी तरह से मेरे गांव मुखरा खेड़ी रोज़ के दलीप वग़ैरा ने एक खज़ान सिंह की ज़मीन खरीद करने के लिये दरखास्त दी और मांगे राम वग़ैरा ने अमीर सिंह की जमीन के लिये दरखास्त दी। R. A. की अदालत से मुज़ारों को ज़मीन खरीदने का order हो गया। उन मालिकान ज़मीन ने Collector के पास appeal की, फिर Commissioner के पास निगरानी के लिये apply किया और उस के बाद Financial Commissioner के पास Commissioner के फैसले के खिलाफ निगरानी की दरखास्त दे दी। जब वहां से भी उन के खिलाफ हो गया तो उन्हों ने Junior Sub-Judge की court में दीवानी दावा कर दिया, उस के बाद वह Sessions and District Judge की Court में गया और अब वह case High Court में लटका पड़ा है। तो इस के लिये मैं वज़ारत से यह अर्ज़ करूँगा कि सरकार मुज़ारों को यही रास्ता ज़मीन लेने का दिखाना चाहती है जिस से वह बरबाद हो जायें। क्या एक मुज़ारा इतनी अदालतों में जा कर लड़ सकता है? इसलिये मैं कहूँगा कि यह गवर्नमैंट पैप्सू की तरह यहां पंजाब में भी कर दे कि जो surplus areas हों वह यह गवर्नमैंट public purposes के लिये पहले खुद acquire कर ले और बाद में tenants को 8 instalments पर दे दे। लेकिन यहां हुआ क्या है? एक तरफ तो मुज़ारों को यह हक दे दिया है कि वह छ: साल के बाद कीमत देकर ज़मीन purchase कर सकते हैं दूसरी तरफ उन्हें अदालतों के दरवाज़े बता दिए, बेतहाशा खर्च कराने का सामान पैदा कर दिया। इस तरह से बेचारे मुज़ारे तबाह और बरबाद कर दिये गये हैं और इस से उन को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सरकार से पूछता हूँ कि 1952-53 से लेकर अब तक जब से यह कानून पास हुआ है कितने मुज़ारों को बसाया है? इस कानून का तो मुज़ारों को यही फायदा हुआ है कि उन्हें High Court तक जाना पड़ रहा है। इस वास्ते मैं यह कहता हूँ कि यह उन ग़रीब मुज़ारों को कुछ protection नहीं दे सके और उन के साथ इन्साफ नहीं कर सके, उन बेगुनाह आदमियों को यह वादे दे दे कर सबज़ बाग़ दिखाते रहे हैं। इस के लिये इन्हें आने वाली नसलें कभी माफ नहीं करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : जब time-limit लगी होती है तो इस का मतलब यह नहीं होता कि घंटी बजती रहे और hon. Member साहिब इसे नज़रअन्दाज़ करते हुए बोलते चले जायें। आयंदा के लिये पहले एक बार घंटी बजेगी फिर जब दूसरे मिनट पर दूसरी

घंटी बजेगी तो उस hon. Member को फौरन बैठ जाना होगा। (When a time-limit for speeches is fixed, this does not mean that the bell should go on ringing and the hon. Member should continue speaking by disregarding it altogether. In future the hon. Members will have to resume seat when the bell is sounded for the second time.)

चौधरी भरत सिंह : मैं इतना कह कर बैठ जाता हूँ कि यह भोली-भाली शक्ल वाले होते हैं जल्लाद भी।

श्रीमती कृष्णा सेठी (ग्रम्ब) : डिप्टी स्पीकर साहिब, ग्राप की इजाज़त से बजट पर जो बहस हुई है मैं इस पर कुछ ग्रपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। यह जान कर ग्रौर पढ़ कर बड़ी शान्ति ग्रौर सन्तोष हुग्रा है कि हमारे बजट में इस दफा कोई ऐसी proposal नहीं ग्राई जिस के मुताबिक कोई नया tax लगाया जाये। मैं समझती हूँ कि हमारे योग्य ग्रफसरान ने बड़ी मेहनत से इस बजट को बनाया है। इतना ही नहीं किया कि केवल नई taxation ही नहीं लगाईं बल्कि उन्हों ने उस electricity duty को भी abolish किया है जो private electric generators पर लगी हुई थी ग्रौर जिस की वजह से private लोगों ने electric generators को ग्रपने इस्तेमाल के लिये industries में लगाया हुग्रा था। इस heavy duty की वजह से उन्हें ग्रपनी industries बन्द करनी पड़ी थीं। ग्रब इस duty के हटाये जाने से उन लोगों को सहूलत होगी ग्रौर वह उन generators को फिर से इस्तेमाल में ला सकेंगे। मैं तो इस से further कहूँगी कि यह बेहतर होगा ग्रगर उन लोगों को सरकार की तरफ से assurance दी जाये कि ग्रब जब कि बिजली की scarcity हो गई है, कुछ ग्रर्सा के लिये कोई ऐसी duty ग्रागे भी नहीं लगाई जायेगी।

इतना ही नहीं, हमारे Minister for Finance ने Purchase Tax में भी कमी करने का एलान कर दिया है।

जब हम comparative study बजट figures की करते हैं तो हम यह देखते हैं कि Government receipts कम दिखाई जाती हैं ग्रौर जो expenditures होते हैं वह बड़ी exaggerated form में दिये होते हैं। इस सिलसिले में मैं प्रार्थना करूँगी कि इस बारे में कोशिश करनी चाहिये कि वह correct figures दिये जायें ताकि जो हमारे सूबे की माली व ग्रार्थिक ग्रवस्था है वह ठीक प्रकार से हमारे सामने ग्रा जाये क्योंकि इस के न होने से सरकार को कई unpleasant बातें भी करनी पड़ जाती हैं जो कि avoid हो सकती होती हैं जैसे कि पिछले साल goods and passengers tax लगाया गया था ताकि Revenue बढ़े। वह avoid हो सकता था जैसे कि budget figures दिखाते हैं उस की कोई ग्रावश्यकता न थी।

हम देखते हैं कि सूबे में हर तरह से तरक्की हुई है। मैं इस की detail में नहीं जाना चाहती लेकिन थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देना चाहती हूँ। ग्राप development की expenditure figures को ले लीजिए ग्रौर social welfare की figures को भी ले लीजिए इन से स्पष्ट है कि हमारे सूबे ने तरक्की की है। इसी तरह foodgrains

[श्रीमती कृष्णा सेठी]

की production में हमने जो 2nd Five-Year Plan में जो target मुकर्रर किया हुआ था वह 1½ वर्ष पहिले से ही आज पूरा हो चुका है। इसी तरह, production जो हमारी बढ़ गई है उस के अन्दर जो tillers of the soil हैं जो दिन-रात मेहनत करते हैं उन को protection देने के लिये अब जो नई स्कीम crops insurance की चलाई गई है मैं इस के लिये अपनी सरकार को मुबारिकबाद देती हूँ और इस के साथ अपनी सरकार से यह दरख्वास्त करूँगी कि जैसे हमारी life insurance स्कीम है जिस के लिये पिछले तीन सालों में बड़ी urban area में enthusiasm बढ़ा है rural area में इस काम में उतना उत्साह नहीं बढ़ा। उस में एक कमी रही हुई है जिसे दूर करना चाहिये। Claimant को rural area में claim establish करने के लिये certificate हासिल करने के procedure के मुताबिक उन्हें यह certificate किसी gazetted officer से या किसी magistrate से लेना पड़ता है। यह उन्हें अपना claim es ablish करने के लिये देना होता है। अगर यहां यह कर दिया जाये कि वह किसी पंचायत अफसर या Block Development Officer का certificate पेश कर दें जिन के पास उन की पहुँच हो सकती है, तो बेहतर होगा। और इस स्कीम के चलाने में तब सफलता मिलेगी। इस के इलावा यहां और कई तरक्की के काम किये जा रहे हैं। Agricultural University बनाई जा रही है, एक और Medical College खोला जा रहा है एक Mental Hospital बनाया जा रहा है और एक Research Institute of Medical Education चंडीगढ़ खोली जा रही है। इसी तरह से लाहौल और स्पिती के backward areas की develop-ment की तरफ ज्यादा तवज्जुह दी जा रही है। इसी तरह Education के बारे में जो नई बात की गई है उस पर खुश होना जरूरी है। नेक काम के बारे में अगर कोई नुक्ता-चीनी करे तो मैं यह कहती हूँ कि उसे सुनने वाला यही कहेगा कि यह फजूल बात है। मैं आप के द्वारा अपनी सरकार को यह बताना चाहती हूँ कि आठवीं जमात तक शिक्षा free करने से जाहिर है लाखों रुपया खर्च होगा। मगर देखने की बात यह है कि पहले जरूरत किस बात पर खर्च करने की है। मैं समझती हूँ कि इस measure का ज्यादा लाभ urban area के लोगों को होगा क्योंकि सरकारी स्कूल जहां free education देने की बात की जाती है वह तो urban areas में अधिकतर हैं। मैं उदाहरण के तौर पर अपने इलाके की शिक्षा के इन्तजाम का यहां जिक्र करूँगी। यह area ऊना तहसील, जिला हुशयारपुर, अम्ब थाना में एक बड़ा लम्बा चौड़ा इलाका है। यहां 15 High Schools हैं जिन में से कांगड़ा के border पर एक स्कूल को छोड़ कर बाकी सब स्कूल गैर सरकारी हैं। इस एक स्कूल में भी 75 प्रतिशत बच्चे कांगड़ा जिला के पढ़ते हैं जिन के लिये शिक्षा बिल्कुल free है। Middle School भी इसी तरह एक ही सरकारी होगा मगर लड़कियों के लिये तो एक भी Middle School नहीं है। यह जो 15, 16 High Schools हैं इन सब में लड़कियां लड़कों के साथ इस वक्त पढ़ रही हैं। इस पिछड़े हुए इलाका में इन बेचारी गांव की लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ना पड़ता है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस backward इलाका की लड़कियों को

लड़कों के साथ इकट्ठे पढ़ने में कितनी तकलीफ होती होगी। अब justice तो यह demand करता है कि यह आठवीं तक free education अभी नहीं करनी चाहिये थी। किसी rule of equity या justice के आधार पर देखा जाए तो free education 8th class की करने की अभी कोई आवश्यकता न थी और हमारे Directive Principles of the Constitution सब Five-Year Plans के Preamble के आधार पर भी ऐसा करना मुनासिब नहीं क्योंकि उन में कहा गया है कि पिछड़े हुओं को पहले ऊँचा करना हमारा पहला धर्म है। बल्कि इस से पहले लड़कियों के लिये ऐसे इलाकों में जुदा स्कूल खोले जाते। और जो provincialization of schools की scheme है, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूँगी कि जो private schools जरूरी conditions को fulfil करते हों उन को भी इन इलाकों में priority basis पर provincialize किया जाए। हमारा वह इलाका इसलिये backward है क्योंकि उस को सरकार ने पहले से ही neglect किया। फिर उस की geographical position की वजह से भी ऐसा हुआ। सरकार ने वहां स्कूल नहीं खोले और अब जब free education की सुविधा दी जा रही है तो इन पिछड़े हुए इलाकों को इस से कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा होने से हम वहां के लोगों को एक तरह से बिना वजह punish कर रहे हैं जिस में उन का कोई कसूर नहीं। लोगों के पास जब हम वहां जाते हैं तो हम झूठे पड़ते हैं। वहां जा कर शिक्षा के बारे में हम यह नहीं कह सकते कि हमारी सरकार ने शिक्षा की ओर बहुत कुछ किया है। इसलिये मेरी यह दरखास्त है कि private schools को provincialize किया जाये और लड़कियों के लिये middle schools बनाए जायें। इस बात की बहुत ज्यादा necessity है। अब चूंकि women's education की बात आई है तो मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि pre-partition days में एक Assistant Director की post होती थी। वह अब उड़ा दी गई है हालांकि इतनी extension हुई है इस महकमे में। दूसरी तरफ male education की side पर Director भी है, Deputy Director भी है और 8, 9 और Deputy Directors भी हैं। अगर हम लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो उन के लिये अफसरान की position भी बेहतर करनी होगी। इस की इस समय बड़ी आवश्यकता है।

इस के इलावा जब मैं इलाके में semi-starved, ill-clothed और famished बच्चों को मीलों दूरी के स्कूलों में जाते देखती हूँ, खासतौर पर एक मां का दिल रखती हुई देखती हूँ तो दिल कांप उठता है। उन्हें किस तरह से vagaries of the nature यानी बारिश वगैरह से मुकाबला करना पड़ता है। अगर ऐसी हालत में मुझे सच पूछिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता तो मैं कभी न भेजती। चार पांच मील से उन्हें आना पड़ता है और फिर आजकल timings भी ऐसे हो गए हैं कि उन्हें सारा सारा दिन स्कूल में रहना पड़ता है। इन बातों को देखते हुए हमें अपने स्कूलों में compulsory mid-day meals की स्कीम लागू करनी चाहिये। आठवीं तक free तालीम करने के बजाए

[श्रीमती कृष्णा सेठी]

हमें यह चीज़ करनी चाहिये। यह स्कीम पहले ही केराला, कशमीर, मैसूर और उड़ीसा वग़ैरह में चालू हो चुकी है। 50 प्रतिशत मदद Centre से मिलती है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिये।

इस में शक नहीं कि हमारे सूबे ने तरक्की की है मगर संतोषजनक तरीके से नहीं की। इस हाउस के टाइम का major portion. इसी बात पर खर्च किया गया है। किसी ने इस को lawlessness, किसी ने corruption और किसी ने nepotism और किसी ने maladministration का नाम दिया है। मगर यह सब क्यों है इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर हम इस बात की गहराई में जा कर देखें तो इसे मैं केवल disrespect for law और increasing spirit of indiscipline कहूँगी। ऐसे हो जाने का कारण हमारे moral बन्धनों का ढीला हो जाना है जिन में समाज पहले बन्धा हुआ था। अब यह बन्धन नहीं रहे जिन्हें religious bonds कहा जाता है। National Character नीचा हो चुका है। इस वजह से यह सब कुछ हमारे सामने है। इसे आप कुछ ही कह लीजिए nepotism, maladministration या lawlessness। इस सिलसिले में यह कहना ग़लत होगा कि सारी वजारत खराब है या सारे के सारे अफसर corrupt हैं। इस तरह की scathing criticism कर के हम services को demoralize करते हैं। आखिर वह भी इनसान हैं आप उन को यहां criticise करते हैं जहां वह कोई जवाब नहीं दे सकते मगर वह भी फिर हमारा मज़ाक उड़ाते हैं कि क्या इन को और कोई बात नहीं आती। ग़लती तो हरेक करता है मगर इस किस्म की criticism का कोई फायदा नहीं होता। (घंटी) मुझे दो मिनट और दें, मुझे पहले भी वक्त नहीं मिला। तो इस बुनियादी मसले की बात केवल मैं ने ही नहीं की। केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष कमेटी बनाई जिस के President श्री श्री प्रकाशा, गवर्नर बम्बई हैं और श्री G.C. Chatterjee और एक और मैम्बर थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है—

> "The Committee is of the view that many ills in the society today which resulted in widespread distrurbances were mainly due to the gradual disappearance of the hold of religion on the people."

मैं समझती हूँ कि अगर हम उन की recommendation को अपने यहां अपनाएं तो मैं समझूंगी कि यह एक बहुत ही तरक्की का कदम होगा। आज स्पीकर साहिब को इस हाउस को अकसर control करने में बड़ी दिक्कत पड़ती है, इतना indiscipline है। यहीं नहीं बाहर जगहों में भी है। सरकारी महकमों में भी यही हाल है। अगर compulsory moral और spiritual शिक्षा in right earnest आज ही शुरू कर दी जाए तो यह सारी जो indiscipline की वजह से बुराइयां पैदा हो गई हैं वह आहिस्ता आहिस्ता हट जावेंगी। इस शिक्षा में spiritual teaching ऐसी होनी चाहिये जिस में सब धर्मों की अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जायें, philosophers की ethical philosophy की comparative study हो। आखिर बच्चों ने ही देश का भविष्य बनाना है। जैसी शिक्षा पावेंगे वैसे ही हमारा देश बनेगा। (घंटी) एक और सुझाव....

श्री उपाध्यक्ष : Order please. आपने बहुत वक्त ले लिया है। (Order please. The hon. Lady Member has already taken a lot of time.)

आवाजें : इन्हें wind up करने की इजाज़त दे दें।

श्रीमती कृष्णा सेठी : मैं महसूस करती हूँ कि देश की बढ़ती हुई आबादी की समस्या को देखते हुए family planning एक बहुत ही जरूरी बात है मगर हाउस में इस बारे कुछ shyness है। किसी ने भी इस अहम सवाल पर ध्यान नहीं डाला। अगर इस तरफ पूरी तरह ध्यान न दिया गया तो हमारी सारी योजनाएं fail हो जायेंगीं। आज हमारे देश में 70 लाख की आबादी हर वर्ष बढ़ रही है मगर हम चुपचाप बैठे हैं। यहां पिछले दिनों जब श्री Julian Huxley, British eminent scientist हिन्दुस्तान आए तो उन्हों ने कहा कि अगर India ने बढ़ती हुई आबादी को check न किया तो it will meet with political and economic disaster. इसी तरह से पंडित जी ने भी कहा। Family Planning का Governor's Address में जिक्र किया गया था कि 23 clinics कायम किए गए हैं। मगर यह तो कुछ भी नहीं है। इस बहुत ही अहम मसले को fight करने के लिये हमें realities को face करना चाहिये। इस सिलसिले में compulsory training बहुत से आदमियों को देनी बड़ी आवश्यक है। चारों तरफ से इस मसले को हल करने का यत्न होना चाहिये। जितने भी teachers हैं सब को इस के बारे में इस बात की जानकारी होनी चाहिये। सब सरकारी employees को family planning की जानकारी की compulsory training देनी चाहिये। [Corruption दूर नहीं हो सकती जब तक हम इस की ओर ध्यान न दें। लोगों की families बढ़ रही हैं और उस के साथ साथ उन की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा standard भी ऊँचा हो। अब ऐसा हो तो कैसे हो। उन्हें सफल होने के लिये घर के साधन जुटाने पड़ते हैं और तब भी उन की सब ज़रूरियात पूरी नहीं होतीं तो corruption पर उतर आते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, बस यही दो चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं जिस के लिये मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करूँगी कि वह जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें और इन बुनियादी चीज़ों की ओर ध्यान दें।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਿਜ਼ਰਵਡ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤੱਲਕਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (1) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, (2) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਹੰਤਾਂ (3) ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਗਾਲੜੀ ਦੀ ਸੜਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਸੜਕ ਅਜੇ ਤਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ (1) ਅਤੇ ਨੰਬਰ (2) ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ

[ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇਰੋ ਚਿਮਨੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬੰਬਿਆਲ, ਮਦਿਆਨ ਦੇ students ਬੇਚਾਰੇ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕ backward ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ । ਜੇਕਰ ਬਾਰਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ approach ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਾਹ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੁਸੀ ਬੰਦ ਜੋ ਅਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਧੁਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਧੁਸੀ ਬੰਦ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਧੁਸੀ ਬੰਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ water-logging ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਭਿਆਣਕ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਘਲਣ ਜੋ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ water-logging ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ drainage ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਇਸ menace ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ implement ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਲਾਅਨਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਫਿਰ ਇਕ ਵੇਰ ਬੇਨਤੀ

ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 25—30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ request ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5279, ਜੋ 26 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ। 18 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ promote ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਅੰਡਰ-ਸੈਕਟਰੀ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ legal rights ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ legal rights ਤਾਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਹਾਸਾ)। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ backward ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਿਚ ਕਿਨੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਪਰ ਅਜ ਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰ-ਸੈਕਟਰੀ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅਫਸਰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ (ਹਾਸਾ)। ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਗਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ sympathy ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 59 ਕਰੋੜ 42 ਲਖ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚ 57 ਕਰੋੜ 73 ਲਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 69 ਲਖ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਘੜਤਾ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚਲੇ ਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ

[ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਓ ਜੇ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.)

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ । ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ backward ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਭੁਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੁੰਜੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ 432 beds ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 532 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ beds ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਗਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਤਪਦਿਕ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ । ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ tax-minded ਨਹੀਂ । ਲੋਕੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਅਤੇ backward ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਈਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ socialistic pattern ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ socialistic pattern ਬਣਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1955-56 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਸੀ । ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਲਕਿ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਇਆ । ਬੱਜਟ 28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ 112ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ quote ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਪਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਰਦ ਰਖਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਲਬ ਦੀ ਗਲ ਬਾਤ ਰਖ ਕੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:—

> "Untouchability is a great blot on Hinduism. Without the removal of the taint, the word 'Swaraj' was a meaningless term. The country, he was convinced, should put its own house in order, if it were to claim justice from Britain".

ਜਿਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਪਰੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਹਰਿਆਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਏਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹੱਫਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਓਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਦਫਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਲਸਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂਓ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਉ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। (ਹਾਸਾ) ਇਕ ਪਾਸੇ Communist ਖਿਚਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ (ਹਾਸਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਿਆ, ਘਰ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੁਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) [The hon. Member has forgotten in a moment what the religion teaches (*laughter*)]

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਆਲੁਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਆਲੁਕ ਹੈ-ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਿ ਭੁਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 'ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ linguistic ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ overlook ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ। (ਤਾੜੀਆਂ) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਥੇ linguistic ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ:

> "I do not want to be reborn. But, if I have to be born again I should be born as an untouchable so that I may share their sorrows, sufferings and affronts levelled on them in order that I may endeavour to free myself and them out of their miserable conditions. I, therefore, pray that if I should be born again, I should do so not a Brahmana, Kashatria, Vaish or Shudra but as an Atti Shudra."

ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ Unity in Diversity ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਾਮੀ ਵਵੇਕਾ ਨੰਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹੋ ਅਤੇ ਬੈਠ ਜਾਉ। (ਹਾਸਾ) (Now the hon. Member may recite some of the shalokas of Swami Viveka Nanda and then resume his seat) (laughter).

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ.........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ Resolution ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਂਦੇ ਹੋ।(The hon. Member had cited this quotation earlier on a resolution. Today he is repeating the same).

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਉਹ ਉਥੇ ਵੀ ਫਬਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੀ ਫਬਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਫਬਾਈ ਚੱਲੋ ਜਿਥੇ ਫਬਦੀ ਹੈ (ਹਾਸਾ) (Very well then let him go on fitting in such a quotation wherever it fits) (laughter)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ exploit ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, script ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਗੋ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ that there is something wrong in it. ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ । ਇਥੇ speech ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਹਰਿਆਨਾ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪਰਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ individualism ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇ selfish ਆਦਮੀ ਹਨ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ exploit ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ । ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲੇ । ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ । ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ demand ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਗਲ ਫਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (laughter) ਲੇਕਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਬਦੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਐਨਾ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ? ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ

[ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]

9 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਲਗ ਅਲਗ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਦ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ non-Harijan ਸੀ ਅਤੇ Welfare Officer ਦੀ post ਲਈ interview ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ non-Harijan ਹੈਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨ ਲੈਣੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾ ਲਉ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਉ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਉ । ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ Welfare Officer ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਗੁਫਤਾਰ, ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ? ਉਹ ਕੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

श्री शेर सिंह (झज्जर, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, कल Leader of the opposition ने ठीक ही कहा कि किसी बजट पर महज़ इस बात के लिये वधाई देनी कि कोई बचत हो गई यह सरकार के लिये credit वाली बात नहीं । अगर credit वाली बात है तो वह यह कि कितनी प्रदेश की development हुई और रुपए का खर्चा किस ढंग से किया । इस आधार पर हमें अपने बजट को देखना चाहिये कि बजट अच्छा है या बुरा । यह ठीक है कि development पर या beneficent departments पर काफी खर्च हुआ लेकिन जिस बात की तरफ हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये उस तरफ नहीं जाता । ज़बानी तौर पर तो हमारी सरकार बार बार कहती है कि हरियाणा प्रान्त पर 60 फीसदी रुपया खर्च हो रहा है लेकिन जब बजट पेश करते हैं तो हमारी सरकार न जाने कहां सो जाती है क्योंकि अगर हिसाब कर के देखा जाए तो department-wise कहीं 10 फीसदी, कहीं 15 फीसदी से ज़्यादा रुपया खर्च हुआ नहीं मिलता । इसलिये सरकार को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये कि development सारे प्रदेश की एक जैसी हो । यह न हो कि एक हिस्सा तो मोटा होता चला जाए, उसकी development हो, विकास हो, लेकिन दूसरा हिस्सा ऐसा हो जो विकास न पा सके तो वह बजट creditable बजट नहीं हो सकता है । यह तो इसी तरह से है जिस तरह से कि एक मनुष्य का एक हिस्सा बहुत बढ़ जाए और दूसरा हिस्सा कमज़ोर हो जाए । फिर तो एक cartoon के ढंग का ही बजट बनेगा जो कि कभी उचित नहीं । जब पंजाब को दो regions में बांट दिया गया है तो उसी हिसाब से बजट भी तैयार किया जाना चाहिये और जो 14 महकमें Regional Committees के अन्तर्गत आते हैं उनके ऊपर भी regions के हिसाब से ही रुपया खर्च किया जाना चाहिये ।

एक तरह से बजट में 5,75,00,000 रुपये की बचत दिखाई गई है । इसके बारे यह नहीं कि यह बुरी है, ठीक है लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि बहुत सारी रकमें

जो बजट के अन्दर provide की जाती हैं वह साल के आखीर में surrender कर दी जाती हैं। खास तौर पर Irrigaiion का महकमा है जिसके लिये हरियाणा प्रान्त में Western Jamuna Canal के लिये रुपये रखे जाते हैं लेकिन साल के आखीर में 90 फीसदी बजट surrender कर दिया जाता है। इसी प्रकार से हरियाना प्रान्त के लिये एक योजना बनाई जाती है खास कर गुड़गांव ज़िले के लिये जो कि irrigation की दृष्टि से backward इलाका है और जो कि यू० पी० की नहरों से दुगना आबयाना देकर पानी लेता है। उस ज़िले के लिये एक Tunnel Scheme बनाई गई और जो कि 6 या 7 करोड़ की स्कीम थी और गुड़गांव ज़िले की करीब 4 लाख एकड़ के ज़मीन सैराब होनी थी। उसके लिये पिछले बजट में तो ज़िक्र आया था लेकिन वह स्कीम इस बजट में से उड़ा दी गई है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है स्पीकर साहिब, कि यह एक तरफ तो कहते हैं कि हम हरियाणा प्रान्त का विकास कर रहे हैं और इतना विकास किया है जितना दूसरे इलाके के लिये नहीं किया लेकिन दूसरी तरफ यह हाल है कि बजट में से सरकार ने वह स्कीम ही छोड़ दी है। जब कि उसके लिये ज़मीन लेने की बात हो गई थी और 50 लाख रुपया रख दिया गया था तथा दिल्ली सरकार से बात हो गई थी और Central Government ने उसके लिये मंज़ूरी भी दे दी थी। उसके बाद अचानक उस स्कीम को छोड़ कर रख दिया। इसी प्रकार रेवाड़ी की स्कीम थी लिफ्ट से पानी देने की वह भी बहुत लम्बी की जा रही है। 47 लाख रुपया उस स्कीम के लिये मंज़ूर हुआ और इस साल में 15/20 लाख रुपया खर्च होना चाहिये था लेकिन इस साल डेढ़ दो लाख रुपया खर्च हुआ और बाकी का surrender हो गया। स्पीकर साहिब मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि इस सूबे में एक रीजन ऐसा है जिसके साथ ठीक ढंग से न्याय नहीं होता और केवल बातें भर कह दी जाती हैं कि हम technical college खोल रहे हैं, agricultural college खोल रहे हैं और वहां डिवलपमैंट का काम बहुत ज़्यादा करना है, पानी देना है व बिजली देनी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तकरीर में और काग़ज़ में तो होती हैं लेकिन अमल में नहीं। साथ ही जब बजट को उठा कर देखते हैं तो हर साल के आखिर में जो रकम रखी जाती है वह surrender हो जाती है। यानी 90 फीसदी रुपया बेकार जाता है और 10 फीसदी खर्च होता है।

अब मैं एक बात की तरफ आता हूँ जो बहुत बार कही गई है और बहुत सारे भाई sentiment में आकर कहते हैं कि यह हमारी लाशों पर बनेगा अलग सूबा या जब तक कांग्रेस गवर्नमैंट है तब तक नहीं बन सकता और कोई कोई तो इसके बनने को पंजाब के 1947 के बंटवारे से जोड़ने लगते हैं . . . अध्यक्ष महोदय, प्रान्तों के भाषावार बटवारे का country की तकसीम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। मुल्क हमारा एक ही है और उस की हिफाज़त करना हम सब का फ़र्ज़ है। अगर कोई यह कहे कि भाषावार प्रान्त बनाने से मुल्क तबाह हो जाएगा, ख़ून खराबे हो जाएंगे तो वह कोई दलील नहीं है। ऐसा कहने से यह बात टलने वाली नहीं है। अभी मुझ से पहले एक member साहिब ने राष्ट्र पिता ने जो बात कही थी वह quote की थी। गांधी जी ने कहा था कि जो बात सही हो उसे अगर न होने दिया जाये, उस पर खैंचा तानी की जाए तो उस के नतायज ठीक नहीं निकलते। हमारे देश

[श्री शेर सिंह]
के दूसरे हिस्सों में भाषावार प्रान्त तो बने हैं लेकिन काफी खून खराबे के बाद। यह सरकारों की आदत सी होती है जब तक वह अपनी खून की प्यास न भुजा लें उतनी देर तक वह बात को मानती नहीं। हमारी Government भी उन्हीं lines पर चल रही है। आप आंधरा प्रांत को देखें। वह उस वक्त बना था जब वहां पर श्री रमोलू साहिब ने भूख हड़ताल की थी और प्राण दे दिए थे। इसी तरह बम्बई की partition भी उतनी देर तक नहीं हुई जितनी देर तक वहां सैंकड़ों लोगों का खून नहीं बहा। हमारी Government को दूसरे सूबों में जो बातें हुई हैं उन्हें देख कर कुछ फायदा उठाना चाहिये और यह जो भाषा के आधार पर सूबे बनाने की बात है इसे oppose नहीं करना चाहिये। जो लोग इस तरह कहते हैं कि भाषा के आधार पर प्रांत बनाने से हिन्दू और सिख तबाह हो जाएंगे वह बिल्कुल baseless बात है। भाषावार सूबों का मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई कहे कि अगर 55 फीसदी सिख होंगे और 45 फीसदी हिन्दू होंगे तो हिन्दू मारे जाएंगे तो यह ग़लत दलील है। इसी तरह अगर सिख कहें कि हमारी percentage अगर ज़्यादा न होगी तो हम मारे जायेंगे तो यह भी ग़लत thinking है। यह सब दलीलें फिर्काप्रस्तों की हैं। इन में हमें विश्वास नहीं है। स्पीकर साहिब सारे हिन्दुस्तान में 35 करोड़ के करीब हिन्दू हैं अगर यह 35 करोड़ हिन्दू 55 लाख सिखों के होते हुए यह सोचें कि हम ज़िन्दा नहीं रह सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि इन का राज में रहना ठीक नहीं। ऐसी सब बातें जो कही जाती हैं वह ग़लत और बेबुनियाद हैं। जब हम ने देश में एक असूल मान लिया है कि हम ने भाषा के आधार पर सूबे बनाने हैं तो फिर क्या वजह है कि पंजाब के अन्दर अलग २ प्रान्त न बनाए जाएं जब कि इस में दो अलग भाषाएं बोली जाती हों। इस के मुखालिफ लोग कभी defence का बहाना लाते हैं और कभी मज़हब की आड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप इस मसले को लम्बा खींचेंगे तो भाषाई सूबे को आप रोक तो नहीं सकेंगे अलबत्ता आप की जो खून की प्यास है वह शायद बुझ जाए। मैं निवेदन करूँगा कि अकलमन्दी इसी बात में है कि आप उन असूलों को मान कर यहां भी लागू करें जो कि सारे देश में माने गए हैं और यहां पर बोदी मिसालें न दें। हमें हरेक बात को reason से सोचना चाहिये और जो सही बात हो उसे मान लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक बात के लिये मैं अपनी Government को वधाई देता हूँ जो इन्होंने भाषा के मसले को हल करने के लिये दोनों parties की राए लेने के लिये committee बनाई है। दो ढाई साल से हम ऐसा करने के लिये इन्हें request कर रहे थे लेकिन यह उस बात को मानते नहीं थे। हम ने पहले इन को कहा था कि जब तक दोनों communities agree न करें तब तक हम किसी भाषा के formula को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। जब भाषा का आंदोलन चल रहा था तब भी हमारी यह demand थी कि दोनों फरीकों की राए क्यों नहीं ली गई। उस वक्त सरकार ने ग़लती की थी जो एक ही फरीक की बात मान कर फैसला कर लिया था। अब सरकार ने सही कदम उठाया है और यह उस के लिये वधाई की पात्र है। अगर मुख्तलिफ

communities में किसी issue पर agreement करवाना हो तो उस के लिये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। सब की बात सुन कर एक सांझा solution निकालना चाहिये। यह जो committee बनी है वह एक तरह की Round Table Conference है। उसे बनाने में आप ने बहुत अकलमंदी की है। मैं आशा रखता हूँ कि अगर कोई आदमी ज़िद्द करे, बुलाने के बाद भी न आए और इस चीज़ को exploit करना चाहे तो Government उस से डरेगी नहीं। अगर कोई यह कहे या सोचे कि मेरे boycott करने से हरियाणा वालों को गुस्सा आएगा और वह हरियाणे के लिये और ज्यादा ज़ोर से मांग करेंगे तो वह कोई ठीक दलील नहीं है। हम हरियाणे की मांग किसी के तैश दिलाने पर नहीं कर रहे हैं। हमारी demand तो एक असूल पर है। एक भाई ने जो कि Minister हैं कहा था कि जब Regional Formula बना था तो उस वक्त हम ने कहा था कि सच्चर Formula इसी तरह रखें। उस के बाद हरियाणे वालों पर जब पंजाबी ठोंसी जाएगी तो फिर उन्हें गुस्सा आएगा और वह हरियाणा प्रान्त की मांग करेंगे। उस के पीछे यह बात थी। आज भी कई लोग इस तरह की बातें सोचते हैं। यह उन की ग़लत फहमी है। मैं इस बात को clear करना चाहता हूँ। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि महा भारत काल से ले कर हम हरियाणे वाले मेरठ और आगरे के साथ रहे हैं। उन को 1857 के ग़दर के बाद अंग्रेज़ों ने तितर बितर कर दिया था। अब वह फिर उसी तरह इकट्ठा होना चाहते हैं। इस लिये किसी के गुस्सा दिलाने पर हम यह demand नहीं कर रहे हैं। हम असूल पर चल रहे हैं।

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब क्या Chief Minister साहिब House में बैठ कर नाखुन काट सकते हैं। (हँसी)

प्रोफैसर श्री शेर सिंह : अच्छा ही है अगर हम नाखुन वगैरह काट कर अपने आप को disarm कर लें और लड़ाई की बातें न करें। मैं निवेदन कर रहा था कि इस ढंग से अगर कोई सोचे कि किसी को मजबूर कर के किसी काम के लिये तैयार किया जा सकता है तो यह ग़लत बात है। यह जो सोचने का ढंग है कि अगर हम उस committee में शामिल न होंगे तो उस से यह agitation चलती रहेगी यह बिल्कुल घटिया है। ऐसा करने से न कोई प्रान्त बनता है न टूटता है। अगर कोई बड़ी बात करनी हो तो उस के लिये पहले असूल ऊँचे होने चाहियें। जब कोई आदमी असूलों को छोड़ कर सटंटों पर आ जाता है तो फिर लोगों को उस पर शक होता है। मुझे भी इस बात का शक हो गया है कि जो लोग पंजाबी सूबे की मांग करते हैं वह उन का शायद stunt ही हो, शायद वह यह सोचते हों कि इस तरह शोर मचा कर वह Government को इस बात पर मजबूर कर देंगे कि हिन्दी region पर पंजाबी ठोंसी रहे और हमें पहले की तरह concessions मिलते जाएं। पहले चूंकि भारत सरकार उन के आगे झुक गई थी इस लिये वह फिर वैसे ही सोच रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा सोचने से उन के cause को फायदा नहीं पहुँच सकता।

अब मैं एक और बात की तरफ जिस का हमारे प्रदेश के लोगों की सेहत के साथ सम्बन्ध है अपने वित्त मंत्री साहिब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ हमारे

[श्री शेर सिंह]

देश में बहुत बरबाद हो रही है और वह है हमारे देश का पशु धन। इस की तरफ बहुत जल्दी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां से बहुत अच्छी अच्छी गऊएं निकाल कर . . .

श्री अध्यक्ष : यह बातें आप को पहले करनी चाहिए थी वह तो आपने की नहीं लेकिन अब वक्त खत्म हो गया है तो आप पशुधन की बात ले आए हैं (हँसी) (The hon. Member should have discussed these things earliar but he did not do so. Now when his time is over he has started discussing the cattle wealth.) (laughter)

श्री शेर सिंह : यह बहुत ज़रूरी मसला है इस लिये एक मिण्ट में अर्ज़ कर देता हूँ। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे प्रदेश का पशुधन यानी अच्छी २ गऊएं और बल्कि अच्छी २ भैंसें भी यहां से बम्बई और कलकत्ता को जा रही हैं और धड़ाधड़ बाहर निकाली जा रही हैं। इस से प्रांत की milk supply पर असर पड़ेगा। हमारे पंजाब में औसतन 7 औंस दूध प्रति आदमी मिलता था लेकिन अगर यही अवस्था रही और पशुधन जाने से न रोका गया तो दूध नहीं मिलेगा और यहां की health तबाह हो जाएगी। दूध की तो पहले ही काफी कमी है। लेकिन इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं। रूस वाले अपने सात साला प्लान में सोचते हैं कि हम कितना butter और दूध एक आदमी को दे सकते हैं और इसी तरह की योजनाएं अमरीका वाले बना रहे हैं। लेकिन हमारे पंजाब में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं अर्ज़ करूँगा कि अच्छे पशुओं का पंजाब से निकलना बंद करें। मैं कहता हूँ कि चारा भी बाहर जा रहा है इसे भी जाने से रोकें और बंद करें (घंटी) जो लोग पशु पालते हैं उनको वजीफे दें और जो अच्छे पशु रखते हैं उनको वजीफे दें ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो।

ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) ; ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਜਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ 69 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰਈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕਾਲਿਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ University ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫੇਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ insurance ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖਾਲਸ ਦੁਧ ਸਪਲਾਈ

ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਦ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਬਿਲੇ ਰਸ਼ਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੁਕਤਾ-ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਮੀਰੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ । ਆਖਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਸਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ co-operation ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ co-operation ਦੇਈਏ ਤਾਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਸਮਾਂਦਾ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਲੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗਜ਼ੇਟਿਡ ਪੋਸਟਸ ਅਤੇ P. C. S. ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ I. A. S. ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੈਕਰੇ-ਟੇਰੀਅਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਜ਼ੇਟਿਡ ਅਤੇ I.A.S. ਪੋਸਟਸ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ Public Service Commission ਦਾ ਤੱਲਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਪਸਮਾਂਦਾ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ surplus area ਨਿਕਲਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ Custodian ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ]

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪਿੰਡ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬਸਤੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਕਾਨ ਲਈ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸੇਮ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਹਸੀਲਾਂ ਮੋਗਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੇਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਮਦਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਡਿਪੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਵਧਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਨਥਾਂਵਾਂ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਘੰਟੀ)। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ neglect ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਨਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ secular state ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੌਦਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ।

ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੇਸ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਕਾਪੀ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੰਗ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ casteism ਦਾ ਰੋਗ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਬਖ਼ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ majority ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ majority ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ nationalism ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਤੀ ਲਖ ਹਰੀਜਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਿਆਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੇ ਫ਼ਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ।

(At this stage Dr. Gopi Chand Bhargava, Minister for Finance, rose to speak and the House cheered him lustily.)

वित्त मंत्री (डा० गोपी चन्द भार्गव) : जनाब स्पीकर साहिब, मैं अपने चीफ़ मिनिस्टर साहिब के जज़बात के लिये जो उन्हों ने मेरी ज़ात के लिये फरमाए थे धन्यवाद करता हूँ। मैं उन सब भाइयों का और मुअज़िज़ मैम्बरान का जिन्हों ने directly या indirectly मुझे याद किया है उस के लिये उन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहां पर मौजूद हूँ तो चीफ़ मिनिस्टर साहिब और गवर्नर साहिब की इच्छा के मुताबक मौजूद हूँ और जब मैं आया तो पंडित जवाहर लाल नेहरू और मौलाना अबुलकलाम आज़ाद--खुदा उन की रूह को शान्ति बखशे--की इच्छा के मुताबक आया। यह ठीक है कि मेरे कुछ भाइयों ने यह दावा किया कि मैं यहां पहुँचा हूँ तो उन के आन्दोलन की वजह से पहुँचा हूँ और अगर उन का आन्दोलन न होता तो मैं खादी बेचता होता। खादी बेचता हूँ, अब भी बेचता हूँ। आज से नहीं बेचता। 1925 से बेचने वालों में से हूँ और अगर भगवान ने उम्र दी, जिन्दगी हुई, शक्ति हुई तो खादी बेचता ही रहूँगा। (Applause) खादी बेचना मैं कोई छोटी चीज़ नहीं समझता हूँ, अपने लिए फख्र की चीज़ समझता हूँ।

जनाबे वाला, अब मैं उन एतराज़ात की तरफ़ आता हूँ जो कि बजट के मुताल्लिक किए गए। इन एतराज़ात को या उन तकरीरों को जो इस एवान में हुई हैं कुछ तो ऐसी

[वित्त मँत्री]

हैं जो बजट के मुताल्लिक हैं कुछ ऐसी हैं जो दूसरे महकमाजात या अखराजात के मुताल्लिक हैं, दूसरी वे हैं जो अपनी अपनी constituencies में क्या क्या चीज़ नहीं होतीं उस के मुताल्लिक हैं, चौथी वे हैं जो law and order के मुताल्लिक, फिर्कादारी के मुताल्लिक या ज़ातियात के मुताल्लिक यहां पर हुई हैं। मेरा फर्ज़ तो बजट से संबन्धित है और जहां तक हो सके उन departments के मुताल्लिक जिन का मुझ से ताल्लुक है और उन के मुताल्लिक भी जिन का मुझ से ताल्लुक नहीं है कुछ अर्ज़ करूँगा। उन एतराज़ात के मुताल्लिक जिनका उन departments के साथ ताल्लुक है जिन की demands आगे आने वाली हैं मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उनके लिये मौज़ूं वक्त वही होगा जब वह डीमांड हाउस में पेश होगी।

सब से बड़ा एतराज़ जो मेरे लायक दोस्त Leader of the Opposition ने किया वह यह था कि उस तकरीर पर जो कि मैं ने की थी जो छपी हुई है उस पर लिखा हुआ है presented to the Legislature. उन का यह ख्याल था कि Legislature नहीं विधान सभा चाहिए। मैं ने Constitution में देखा। उस में यह लिखा है कि जहां लेजिस्लेचर दो हाउस की होगी वहां दोनों Houses के लिये Legislature का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा लेकिन जहां एक हाउस होगा वहां Legislature एक ही हाउस की होगी। मैं ने Legislature का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि Legislature के एक हिस्से में तकरीर होनी थी दूसरे में नहीं होनी थी। अगर आप पहला फिकरा देखें जहां से शुरू होता है वहां लिखा है विधान सभा में पेश की गई। जनाबेवाला, जब से पंजाब बना उस वक्त से जो बजट स्पीचें हुई हैं व मैं आप के सामने रखता हूँ। 1952 में तो President का राज्य था इसलिये पंजाब का बजट पार्लियामैंट में पेश हुआ। उस से पहले जितने पंजाब के बजट पेश हुए, क्योंकि दूसरा हाउस नहीं था इस लिये असैम्बली के सामने ही पेश हुए। उन में से शायद सिवाय एक के वह काम मैं ने ही किया था और सब बजट Legislative Assembly के सामने पेश हुए। 1953 में जब अपर हाउस बन गया तो उस वक्त Finance Minister सरदार उज्जल सिंह साहिब ने तकरीर फरमाई थी और उस में लिखा था :—

"Budget Estimates for the year 1953-54 to the Punjab Legislature."

उस वक्त मेरे लायक दोस्त खुद Cabinet में थे। लेकिन उन्हों ने एतराज़ नहीं किया कि Legislature के सामने क्यों आया। उस के पहले सफे पर भी लिखा था·

"........in the Punjab Legislature on Wednesday, the 4th March, 1953."

इसके अन्दर भी पंजाब लेजिस्लेचर लिखा है। उस के बाद जितने बजट पेश होते थे सब पर पंजाब लेजिस्लेचर लिखा होता था। पहले सफे पर भी और title page पर भी Punjab Legislature लिखा था। सिवाय इसके कि 1958-59 में जो तकरीर मेरे दोस्त ने फरमाई थी उसके पहले सफे पर Punjab Vidhan Sabha

on Thursday यह लिखा था। पिछले साल भी इसी तरीके से था। चुनांचि मेरी ग़लती इस बात पर हो गई कि पहली चीज को मैं ने क्यों चलाया। आखर जितना मुझ को इल्म है और जितनी मेरी अक्ल है उसी के मुताबिक मैं ने काम करना था। मुझे यह बतलाने में झिझक नहीं है कि मैं F.A. पास हूँ Graduate नहीं हूँ। इसलिये मैं उतना ही समझ सकता हूँ जितनी कि मुझ में लियाकत है। स्पीकर साहिब, अगर आप की तरफ से एतराज़ होगा कि ऐसा नहीं चाहिए था यह practice ठीक नहीं है तो अगले साल जो मेरा भाई बजट पेश करेगा तो उसी तरह से करेगा और इस की पूरी तरह से तामील की जाएगी। फिर, स्पीकर साहिब, बजट पर एतराज़ हुए। लीडर आफ दी आपोज़ीशन ने फरमाया कि यह ज़ाब्ते का बजट है। एक साहिब ने फरमाया कि बड़ी होशियारी से तैयार किया गया है, दूसरे ने फरमाया कि इस में manipulation की गई है--manipulation of figures मैं ने manipulation के मायने Dictionary में देखे तो वहां लिखा था to handle with skill दूसरे मायने यह थे-- to manage dextrously। उस के बाद मैं ने dextrously के मायने देखे तो वहां लिखा था चालाकी से तैयार किया गया। (*Laughter*) स्पीकर साहिब, ज़ाब्ते का बजट होना ही था---बेज़ाब्ता बजट हो नहीं सकता। बजट बनाने का ज़ाब्ता मुकर्रर है इस प्रदेश में, तमाम हिन्दुस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में बजट बनाने के कायदे मुकर्रर हैं। अगर वे देखना चाहें तो मैं उन्हें दिखा दूंगा। इस के मुतअल्लिक एक किताब है "A study of Budget in our Country" उस में बजट के मायने हैं estimates का अंदाज़ा लगाना। Estimate के मायने अंदाज़े के ही हुआ करते हैं। Expenditure का अंदाज़ा लगाना---इस का नाम Budget होता है। इस में चालाकी नहीं होती बल्कि figures होती हैं उस रुपए की जो different Heads में खर्च होता है। मैं इख्तसार के साथ यहां बता दूं कि बजट आज कल किस तरीके से तैयार होता है। हर साल जो नया खर्च करना पड़ता है उस की तजवीज़ात हर महकमे की तरफ से नवम्बर के महीने में Finance Department में भेजी जाती हैं और दसम्बर के महीने में बैठकर तमाम अखराजात को revise किया जाता है और उस की बिना पर revised Budget तैयार किया जाता है। पिछले साल से हम ने बजट का तरीका बदल दिया है और अब यह कर दिया है कि जब 31 मार्च को बजट पास हो जाता है तो पहली अप्रैल से उम्मीद की जाती है कि डिपार्टमैंट उस खर्च के मुताबिक जैसा कि मंज़ूर किया गया काम करेंगे और जब दसम्बर का महीना आता है तो revised Budget तैयार होता है। साथ ही साथ Planning Commission के साथ बातचीत होती है अगले साल के बजट के लिये। Planning Board तमाम डिपार्टमैंट्स के बजट को ले कर revised Budget देखता है कि कौन कौन से काम हुए हैं और कितने नहीं हुए। वही वक्त होता है Excesses and Surrenders का। अगर ज़्यादा पैसा provide किया गया हो और वह खर्च न हुआ हो तो रुपया surrender करना पड़ता है। अगर डिपार्टमैंट surrender करते हैं तो Public Accounts Committee की तरफ से एतराज़ किया जाता है कि यह पहले क्यों नहीं anticipate किया गया कि इतना रुपया खर्च नहीं हो सकेगा।

[वित्त मंत्री]
फिर अगले साल का बजट बन कर Planning Commission के पास जाता है तो वह लिखते हैं कि इतना रुपया खर्च के लिये दे सकेंगे और इतना रुपया Budget के लिये State को देना चाहिए। अगर State ज़्यादा दे सके तो बेशक दे। उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता। जैसे इस दफा हुआ वैसे हर साल होता है और जिस वक्त बजट तैयार किया गया उस वक्त देखा गया कि किस किस चीज़ के अन्दर कमी है। उस काम को देख कर यह सोचा गया कि अगर उस डिपार्टमैंट में किसी दूसरी मद में खर्च हो सकता हो या किसी दूसरे डिपार्टमैंट में खर्च हो सकता हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिये। उस रुपए को खर्च करने की कोशिश करनी चाहिये। जब shortfalls होती हैं तब Planning Commission की तरफ से एतराज़ होता है कि यह shortfalls क्यों हुई हैं—पूरा खर्च क्यों नहीं किया। हमारी तरफ से जहां तक हो सकता है खर्च करने की कोशिश की जाती है। 1960-61 का बजट जो मैं ने पेश किया है उस में खास तौर पर यह फैसला किया गया कि II Five-Year Plan में Education Department ने कितना रुपया खर्च किया है और कितना बाकी रहता हैं। कौन २ से काम रहते हैं जो करने चाहियें और वह अगले साल से शुरू करने चाहियें जिस का ताल्लुक 3rd Five-Year Plan से होगा। सो इसी के मुताबिक यह बजट बनाया गया है।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, hilly areas के लिये अलग provision किया गया है। Planning Commission ने कहा कि 2,02,00,000 रुपये के करीब hilly areas के लिये खर्च करें। (*Cheers*) जब 150 लाख रुपया खर्च कर लेंगे तो 50 लाख रुपया मज़ीद Centre से मिल जाएगा। इस बारे में हमें representations आये कि hilly areas के लिये एक Sub-Committee बना दी जाए सो हम ने फैसला किया कि कमेटी बना दी जाए (*Cheers*)। फिर स्पीकर साहिब, एतराज़ किया गया था कि ऊना तहसील भी hilly area में है। मैं अर्ज़ करूंगा कि शिमले का ज़िला, कांगड़े का ज़िला, डलहौज़ी और पठानकोट का इलाका hilly area माना गया है और ऊना और मोरनी का इलाका sub-hilly area है। हम कोशिश कर रहे हैं कि sub-hilly area के लिये भी provision कर रहे हैं ताकि वहां भी development हो सके (*Cheers*) हम ने hilly areas के हर Department के लिये provision किया है। इस तरह का बजट तैयार करने के बाद भी यहां एतराज़ होते हैं कि हम ठीक estimates नहीं तैयार करते। जब expenditure होता है तो उस में shortfalls होती है और estimated income का अंदाज़ा ग़लत हो सकता है। पिछले साल जब बजट पेश किया गया तो 32 लाख का घाटा दिखाया गया लेकिन 203 लाख रुपया कम खर्च हुआ और चार करोड़ से ज़्यादा आमदनी बढ़ गई। हमारा अंदाज़ा ठीक नहीं था। जनाबवाला, अगर अंदाज़े से ज़्यादा आमदनी बढ़ जाती है, टैक्स लगाने से ज़्यादा रुपया वसूल हो जाता है तो क्या हम उस आमदनी को फूंक दें। जहां २ व्योपार बढ़ता है और Sales Tax से आमदनी बढ़ती है तो हम पहले कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि funds बढ़ जाएंगे। कुछ evasion होती है। Evasion को रोक पाते हैं, आमदनी बढ़ती है, उसको बढ़ाना है। जहां हमारा आमदनी का अंदाज़ा कम था उसको हम ज़्यादा करना चाहते हैं।

अब खर्च का सवाल आता है । जनाब वाला, मैं ने Budget Speech में अर्ज़ किया था कि आप Finance Secretary के memorandum का मुलाहज़ा फरमायें । आप देखेंगे कि इसमें तफसील दी हुई है कि expenditure में क्या short full हुआ । हर एक Department में दी हुई है । मसलन Revenue Expenditure—Land Revenue में 36 लाख रुपया कम खर्च हुआ है ।

"The decrease is mainly due to non-payment of compensation to land owners/ tenants under the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955 and to jagirdars under the Punjab Resumption of Jagirs Act, 1957."

इस लिये और किसी scheme में खर्च कम हुआ । इस लिये हुआ कि compensation नहीं दे पाये । अंदाज़ा लगाया गया । जागीरदारों को जो पैसा देना है उसका हिसाब होता है । 5,000 तक की जागीर का रुपया Deputy Commissioner ही दे सकता है । इस से ज़्यादा हो तो गवर्नमैंट को refer करना होता है ।

Forest में 10 लाख रुपया ज़्यादा खर्च हुआ । क्यों खर्च हुआ ? Soil Conservation Pilot Scheme के लिये cent per cent grant Government of India से मिलनी है । Timber और दूसरी forest produce की exploitation पर खर्च हुआ ?

Debt Services—इस में 70 लाख की decrease हुई interest में । इसकी वजह यह है कि larger amounts were transferred to commercial departments.

इसी तरह 'Education' में 46 लाख रुपए की saving हुई ।

"Education. The saving of Rs. 46 lakhs is due partly to the non-utilization of the provision of Rs. 25 lakhs for the scheme of nationalization of privately-managed schools and partly to the late/non-implementation of certain other schemes.'

इस में, जनाबवाला, private schools के साथ जो हम ने scheme बनाई थी, हम उन्हें लेना चाहते थे, लेने को तैयार थे । उस का फैसला नहीं हुआ । आपस में बातें चलती हैं, खत्म नहीं हुईं । तो हम यह पैसा खर्च नहीं कर सके । कुछ schemes ऐसी होती हैं, कुछ Plan की schemes ऐसी हैं जिन का Planning Commission के साथ, Government of India के साथ फैसला होता है, उन की implementation नहीं हो पाती, कोई matter collect नहीं होता, मन्जूरी नहीं आती । इस वजह से वह काम रह जाता है ।

"Medical (Rs 15 lakhs). The saving is due to late/non-implementation of some of the schemes, lesser amounts of grants disbursed and less expenditure on the employees in the State Insurance Scheme."

यह भी, जनाब वाला, scheme मुकर्रर है—State Insurance Scheme labour के मुताल्लिक है । इस के मुताल्लिक जब नई चीज़ों का फैसला नहीं हो पाता तो उस का खर्च नहीं हो पाता । कहा गया कि गवर्नमैण्ट admission घर क्यों नहीं बनाती । Admission के लिए hospital में जाना चाहिए । जो scheme में आता है वह बनता है । पंजाब तो क्या, हिंदुस्तान में कोई सूबा या दुनिया में कोई country ऐसा नहीं जो अपने सब बीमारों के लिये domiciliary treatment

[वित्त मंत्री]

देता हो। Hospital के beds उन के लिए रखे जाते हैं ।

एक हरनियां का case बताया गया कि उसे एक साल तक attend नहीं किया गया। वह ordinary हरनियां का case था। अगर कोई strangulated हरनियां का case होता तो देखते कि कैसे न होता। वह एक ordinary case था। उस के मुकाबिले में एक emergent case मौजूद है। उस ordinary हरनियां के case के लिये उस emergent case को कैसे रोका जाए।

Agriculture में 10 लाख रुपया ज्यादा खर्च हुआ। Animal Husbandry में 15 लाख रुपया कम खर्च हुआ।

> "**Animal Husbandry (Rs 15 lakhs) :** This decrease is due partly to certain posts having remained vacant on account of the dearth of qualified and trained personnel and partly to non-supply of machinery from abroad besides non/late implementation of some Plan Schemes."

जनाबवाला, अगर हम Public Service Commission के पास भेजते हैं कि qualified आदमी दीजिए तो वे नहीं दे पाते। वह जगह fill नहीं होती। वह खर्च बचता है, scheme नहीं चलती है। अगर हम खुद appoint कर देते हैं तो एतराज होता है कि अपने आदमियों को लगाते हैं। इन के दिल में शुबाह तो हर वक्त रहता है। इस बात को नहीं देखते कि काम के लिये क्या चीज़ ज़रूरी होती है।

Industries में 14 लाख कम खर्च हुआ।

> "**Industries** (Rs 14 lakhs) : The decrease is mainly due to (a) late/non-implementation of certain Plan Schemes, (b) transfer of Spinning and Weaving Centre Scheme to the Punjab Khadi and Village Industries Board and (c) non-utilization of the provision for leave salary, scholarships and stipends to the full extent."

इस के लिये भी वह चीज़ लाई जाती है। चीज़ रखी जाती है, लेकिन उस के मुताबिक जब पूरी हो जाए तब खर्च हो सकता है। जनाबवाला, आप देखें, इस में लिखा है—'transfer of Spinning and Weaving Centre Scheme to the Punjab Khadi and Village Industries Board, उस में transfer करने वाला भी मैं हूं क्योंकि Cottage Industries का Minister-in-charge और Board का Chairman भी मैं हूं। Transfer करने का ऐसा तरीका बना हुआ है कि इस २ तरीके से जल्दी transfer नहीं हो सकी थी, बावजूद मेरी कोशिशों के। इस लिए जो रुपया उस में रखा था वह खर्च नहीं हो सका।

> "**Capital Outlay on Multipurpose River Schemes met out of Revenue** (Rs. 122 lakhs) The expenditure booked under this head represents *pro forma* adjustment of betterment fee realisations. It has now been decided, in consultation with the Accountant-General, Punjab, to omit this provision from the Budget altogether."
>
> "**Interest on Capital Outlay on Mulitpurpose Schemes** (Rs 31 lakhs)...."

Famine में 26 लाख रुपया ज्यादा खर्च हुआ। एक भाई ने फरमाया था कि famine कैसे होता है, कैसे declare होता है ? यह मालूम होता है। जहां तक रुपये के provision का सवाल है, एक Head बना हुआ है, उसमें डाला जाता है। Famine हो, anti-flood measures हों, उस में खर्च डाला जाता

है। Famine के लिए Board बना है। जब conditions साबत हो जाएं तो famine declare होता है। Flood के लिये emergency measures लिए ही जाते हैं। Floods के लिये ध्यान दिया जाता है। जब Famine है, extraordinary खर्च करना है, Planning Commission ने rule बनाया हुआ है कि अगर इस पर 40 लाख रुपये तक खर्च हो तो वह State अपने Revenues में से, अपने पास से खर्च करे। 2 करोड़ तक खर्च हो तो 50 % Government of India देगी और 50 % State खर्च करे। उस से ऊपर हो तो 75 % Government of India देगी और 25 प्रतिशत State Government देगी। हमें क्या झिझक हो सकती है ? हमें जरूरत हो तो क्यों न खर्च करें ? अगर न करें तो इसे लाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन हम इसे वैसे ही बरबाद करके फैंक नहीं सकते। रुपया लोगों का दिया हुआ है। लोगों के फायदे के लिये यह रुपया खर्च होना है। इस में हमारा क्या है।

"**Superannuation Allowances and Pensions** (+Rs 51 lakhs) :This excess is due to the trend of actuals as reported by the Accountant-General Punjab, coupled with the fact that the original Budget did not include the estimates of grant of relief to low-paid pensioners which accrued to them during 1958-59 and 1959-60."

अब इस में भी रुपया ज्यादा खर्च हुआ। यह कहा जाए कि अंदाज़ा क्यों नहीं रख सके उन की pension का तो यह ठीक नहीं। इसका जायज़ा Accountant-General के पास जाता है। जब आया, जिस वक्त adjust कर सकते थे उस को adjust किया।

Pre-partition payments (Rs 13 lakhs) : The saving is due to the non-utilization of the amount because of a belated decision in regard to the adjustment of pre-partition claims with West Pakistan Government."

यह जनाब, Revenue expenditure में जो shortfalls हुई हैं मैं ने उन का explanation इस memorandum में दिया है। कोई अगर उससे अंदाज़ा निकालते हैं या presume करते हैं, presumption करते हैं तो वह नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब figures इस में मौजूद हैं।

फिर है Capital Expenditure इस में जो falls हुई हैं—Irrigation Works में 78 लाख कम हुआ।

"**Irrigation Works** (Rs 78 lakhs) : This decrease is mainly due to the fact that some big schemes, viz., Gurgaon Canal Project, Constructing Delhi Branch, Constructing Silting Tank, Rewari Lift Scheme Remodelling Circle, Kapurthala Irrigation Scheme could not be started due to some technical hitches."

मेरे एक भाई ने यह कहा है कि सरकार गुड़गांवा के लिये कुछ नहीं करना चाहती, इस साल भी कुछ नहीं दिया और रुपया lapse कर दिया है। मैं उन से कहना चाहता हूं कि यह बात ठीक नहीं कि सरकार कुछ नहीं देना चाहती। गुड़गांवां में irrigation के लिये एक tunnel बनाने की स्कीम थी, एक नहर बनाने की स्कीम थी। चूंकि पानी जमीन के अंदर से ले जाना था इस लिये उस पर खर्च बहुत ज्यादा आना था। उस स्कीम को Central Power and Water Commission ने मंजूर नहीं किया। हम कोशिश कर रहे हैं जब sanction आ जाएगी तो हम काम को शुरू कर देंगे।

[वित्त मंत्री]

चंडीगढ़ कैपिटल के बारे में कहना चाहता हूं—

"**Chandigarh Capital** (Rs 52 lakhs)—.This decrease is due to the fact that the Planning Commission did not agree to the increase of Rs 50 lakhs in the provision for works. This has also resulted in a drop of Rs 2 lakhs under establishment charges."

"**Multipurpose River Schemes** (—Rs 1,02 lakhs).—The shortfall of Rs 1,02 lakhs under this head is due to (i) change in the construction programme of the Bhakra Dam, (ii) concrete work in connection with the construction of future Units at Kotla and Ganguwal having not been taken in hand owing to the non-receipt of the requisite machinery and (iii) less provision for interest charges due to more betterment fee realisations expected to be realised during the current year which will be utilized to write off capitalised interest charges of the Bhakra-Nangal Project."

Civil works में चवालीस लाख रुपये की saving हुई है । Transport पर अठारह लाख रुपया ज़्यादा खर्च हुआ है। जिन स्कीमों की sanction सेंटर से आती है, जिन पर हमारा कोई ज़ोर नहीं है उस के लिये हम क्या कर सकते हैं। Water-logging के लिये बहुत कुछ कहा गया कि हम ने इस को रोकने के लिये कुछ नहीं किया है। Waterlogging और Drainage की स्कीमें भी सेंटर से ही मंजूर हो कर आती हैं फिर उन पर अमल हो सकता है। एक भाई ने कहा कि करनाल के लिये कुछ नहीं किया गया। मैं उन को बताना चाहता हूं कि जमुना River की एक कमेटी बनी थी। जब तक उस कमेटी की मंज़ूरी न आ जाए, technical sanction न आ जाए उस वक्त तक काम नहीं होता है। इस के आगे कहा गया कि हमारे सूबा पर debt बहुत हैं, यह सूबा क्या progress करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा businessman तो नहीं हूं, मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है इस सिलसिले में लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी firms हैं concerns हैं या countries हैं उन सब को कर्ज़ा लेकर ही काम करना पड़ता है। वे सब कर्ज़ा लेते हैं। चाहे वे World Bank से लें चाहे कहीं और से लें, कर्ज़ा ले कर ही काम करते हैं और फिर लौटा देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह debt क्यों है। पहली अप्रैल, 1960 तक हमारे ऊपर भाखड़ा के सम्बन्ध में 1,58,93 लाख रुपया कर्ज़ा होगा। 1-4-1961 तक यह रकम 1,72,08 लाख हो जाएगी हरिके प्रोजैक्ट के सिलसिले में 8,13 लाख रुपया 1-4-60 तक और 1-4-1961 तक यही रकम 8,41 लाख हो जाएगी। Flood Control Scheme वाली रकम 1-4-1960 को 3,04 लाख और 1-4-1961 को यह रकम 4,81 लाख होगी। इसी प्रकार कर्ज़ों की रकमें Grow-More-Food including fertilizers पर 17,77 लाख और 21,33 लाख होंगी। यह काम 1949 में शुरू हुआ था। New Capital के लिये 3,80 लाख रुपया 1-4-1960 तक और 3,80 लाख 1-4-1961 तक हो जाएगा। Electricity Schemes के लिये हम ने जो कर्ज़ा लिया वह 1-4-1960 तक 1,95 लाख और 1-4-1961 तक यह रकम 1,95 लाख ही रहेगी। Other Development Schemes में 17,11 लाख और 17,13 लाख, Industrial Development के लिये 2,69 लाख और 3,60 लाख कर्ज़े की रकमें हैं। Loans to Co-operative Societies and Banks 1,67

लाख और 1,78 लाख हैं Community Project and National Extension Service Schemes के सिलसिले में कर्ज़ की रकमें 1,23 लाख और 1,92 लाख क्रम से हैं । National Water Supply Sanitation Schemes पर 1,20 लाख और 1,90 लाख है। Low-Income Group Housing Scheme के सम्बन्ध में 6,24 लाख और 7,30 लाख कर्ज़ा होगा । Rehabilitation के लिये हमें 10,64 लाख और 10,69 लाख क्रम से कर्ज़ा लेना पड़ा। जब हमारे लोग West Punjab से उजड़ कर आए तो हमारी सरकार के पास उन को बसाने के लिये रुपया नहीं था। Government of India ने उनको relief देने का खर्च बरदाश्त किया और rehabilitation के लिये loans दिये। इसी तरह से Loans under Small Savings Collections for Development Schemes की रकमें 15,42 लाख और 21,42 लाख हैं । Miscellaneous Loans 4,50 लाख और 12,57 लाख हैं। Temporary loans इस साल भी 59 लाख और अगले साल भी 59 लाख होंगे। इस साल का कुल total 2,54,91 लाख बनता है अगले साल यह रकम 2,91,46 लाख होगी। अगले साल repayments की रकम 5,93 लाख होगी। Balance इस साल 2,54,91 लाख होगा और अगले साल 2,85,53 लाख होगा । जो loans हम ने लोगों को दे रखे हैं उन की रकमें क्रम से 40, 64 लाख और 50,69 लाख हैं। इस का मतलब यह हुआ कि net liability 1-4-1960 तक 2,14,27 लाख हुई और 1-4-1961 तक 2,34,84 लाख होगी। ज्यों ज्यों हमें recovery होती जाती है त्यों ज्यों हम कर्ज़ा वापस करते जाते हैं। हम ने अगर loans लिये हैं तो प्रदेश की development के लिये, लोगों की भलाई के वास्ते लिये हैं। देश की development के लिये रुपया कर्ज़ लेना और उस से काम चलाना और फिर कर्ज़ा वापस कर देना बुरी बात नहीं है। Development से income बढ़ती है और income हमारे पास आती है हम उस को फिर लोगों की भलाई के लिये खर्च करते हैं ।

सब से बड़ा एतराज़ जो मेरे मुअज़िज़ दोस्त लाला जगत नारायण ने बजट की बहस पर किया वह यह था कि R. R. Committee की report को मंजूर नहीं किया गया। मैं ने हाउस में बताया था कि उन्होंने 131 basic suggestions की हैं। वे सब ऐसी नहीं थीं कि उन को मंजूर कर लिया जाता। उन्होंने सब departments के साथ consult कर के वह report तैयार की थी। हमारे लिये भी जरूरी था कि हम भी departments के reaction को देखते । जब reaction का पता लग जाएगा तो हम बैठ कर फैसला करेंगे । यह कहा गया कि 17 करोड़ रुपए की saving होगी। जनाब, वह 17 करोड़ रुपए की बचत existing revenues में से ही नहीं होने वाली, वह तो कुछ taxes लगाने के बाद होनी है। लेकिन आज मैं ने जरूरत महसूस नहीं की कि नए taxes लगाऊं। इस लिये मैं ने उन की किसी मद को नहीं लिया। हां, अगले साल जब हमारा तीसरा Five-Year Plan बनेगा तो उस के पेशेनजर हमें अपने revenues का अन्दाज़ा लगाना होगा । हमें

[वित्त मंत्री]
देखना होगा कि कितना हमारा share होगा, कितना revenue हमारे पास है और कितना हम और इकट्ठा कर सकते। जब वह वक्त आएगा तो उस वक्त इस Resources and Retrenchment Committee की report पर विचार करके देख लिया जाएगा कि कौन सी मद हम ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते। उतनी देर तक सभी departments के जवाब भी आ जायेंगे—अभी तो सारे आए नहीं—जब सारे जवाब हमारे पास पहुंच जायेंगे तो उन को देख कर सोच विचार कर लेंगे। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि मैं ने उस report को देखा है अच्छी तरह से पढ़ा है और कुछ आदत के खिलाफ copy में notes भी लिखें हैं कि क्या क्या तजावीज़ आई हैं ताकि जिस वक्त reactions आएं तो उन के साथ compare करके फैसला करूंगा और Cabinet को recommend करूंगा कि कौन सी तजवीज़ मान लेनी चाहिए और कौन सी नहीं माननी चाहिए ।

एक एतराज़ यह किया गया कि budget के अन्दर Establishment expenses बहुत ज्यादा हैं। मैंने इस को अच्छी तरह से examine करवाया है। लेकिन मैं आप की मार्फत House को बताना चाहता हूं कि एक बहुत भारी रकम जो Establisement Expenses के under आती है वह उन School Teachers की तन्खाहें हैं जो कि provincialise हुए हैं। इस category के expenses की एक बड़ी percentage इसी कारण बढ़ी है । बाकी के normal expenses में कोई खास या नुमायां बढ़ौतरी नहीं हुई। जहां तक establishment का ताल्लुक है, उसके लिये तो Cadre Committee की भी report हमारे सामने है । उन्होंने सारे departments को examine करके बताया कि per man इतना work load होना चाहिए और इतने आदमी रहने चाहिए। उन के कहने के मुताबक हम reaction ले रहे हैं। इस के अलावा हमने Assessment Committee बना रखी है जो यह देखे कि किस के पास कितना काम है; कितना काम निकलता है; क्यों देर होती है ताकि इस देर को कम किया जाए या दूर किया जाए। इस के लिये हम ने delegation of power करने के लिए भी फैसला किया है। कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो अगर नीचे के अफसर को right हो तो वह कर सके। यह delegation of power कुछ departments के अन्दर हो गया है और बाकी departments से पूछा भी गया है। हमारे पास कुछ recommendations आई भी हैं; वह हम consider कर के फैसला करेंगे । वह चीज़ हमारा विचार existing staff के अन्दर अन्दर करने का है। वैसे तो मैं आप की मार्फत अर्ज़ करूं कि खुद Planning Commission ने हम को लिखा कि आप staff पर खरचे की बाबत क्यों worry करते हो। जब development का काम बढ़ता है तो ज़रूरी तौर पर staff पर भी खर्चा बढ़ेगा । बगैर staff के तो कोई काम चल नहीं सकता। इस लिये, स्पीकर साहिब, यह कहना कि 65 प्रतिशत खर्चा establishment पर किया जाता है; इस में कोई सदाकत नहीं।

इस के अलावा बहुत चर्चा यहां पर electricity की बाबत हुआ। यह इलज़ाम लगाया गया कि आजकल बिजली नहीं मिलती, कम मिलती है, industrialists को नुक्सान होता है; agriculture को नुक्सान होता है, tube-wells नहीं चलते वगैरा वगैरा। मैं मानता हूं कि इस वक्त बिजली की shortage सूबा के अन्दर है। जरूर है। उस में अगर गवर्नमेंट की responsibility है तो पानी कम होने में, बारिश न होने में या पानी ज्यादा बह जाने में उस responsibility में सारा प्रान्त, सारा प्रदेश शामिल है क्योंकि बारिश का होना, न होना या इस तरह की accidents का होना तो हमारे कर्मों पर मुनहस्सर है—जैसे कर्म हम करेंगे; वैसा ही उन का फल होगा (*cheers*) आज अच्छा कर्म किया, एक मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने ज़ोर से बोलना शुरु किया तो उस वक्त बिजली भी ज़ोर से कड़कती रही; बिजली को नुकसान हुआ और यहां से भी बिजली उड़ गई (*laughter*) लेकिन जब बारिश ही न होती तो बिजली कैसे आती। इस लिहाज़ से बिजली न आए तो गवर्नमेंट की responsibility क्या हो सकती है। बहर हाल मैं यह बताने जा रहा था कि बावजूद बिजली की supply कम होने के हम इस shortage को supplement करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस के लिए हमने उन industrial concerns को जिन्होंने अपने इस्तेमाल के लिये बिजली के generators लगा रखे हैं, Electricity duty मुआफ कर दी है। इस का मतलब यह नहीं है कि इस से मौजूदा industrialists को ही फायदा होगा बल्कि आइन्दा भी उम्मीद की जाती है कि लोग खुद और ज्यादा thermal plants लगाएंगे ताकि वक्त पर अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट की मदद कर सकें और अपने कारखाने चला सकें। इस लिये लोगों को और ज्यादा thermal plants लगाने चाहिएं। इस के अलावा खुद हमें भी ऐसे plants अपने पास रखने पड़ते हैं ताकि बवक्ते ज़रूरत उन से काम ले सकें। इस लिये लोगों को एक प्रेरणा दी गई है कि वह thermal plants लगाएं ताकि जो electricity का existing load है उस को supplement किया जाए। इस के अलावा कल हमारे Chief Minister साहब ने Sugar Association की meeting में पूछा कि आप कोई और ऐसा तरीका बताएं जिस से electricity ज्यादा पैदा हो सके। इस वक्त के लिये ही नहीं, हमें आने वाले वक्त के लिये भी अभी से ख्याल करना है। जितनी development हमारी industries की plan schemes के पूरा हो जाने के नतीजा के तौर पर होने वाली है उसके लिये बहुत ज्यादा electricity की ज़रूरत है। आप को बताना चाहता हूं, स्पीकर साहब, कि हम ने डाक्टर सुन्दरम से भी तजावीज़ मांगी हैं। Industrial survey की जो report हमारे पास आई है उस से यह अन्दाजा होता है कि जितनी electricity आज हमारे पास है तीसरी पलान के बाद इस से दुगनी बिजली की हमें ज़रूरत होगी। यह कोई मामूली बात नहीं है। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि बयास का link बन जाए, पांग dam बन जाए ताकि electricity को बढ़ाया जाए। इस के अलावा जब सतलुज link बनेगा और गोविन्द सागर को पानी की supply

[वित्त मंत्री]

ज्यादा मिलेगी तो उस से भी electricity की production ज्यादा होगी। Left side का generating plant अगले साल चालू हो जाए और right side का लग जाए तो electricity की produce काफी बढ़ जाएगी। फिर भी इतनी ज्यादा produce होने के बावजूद वह कम होगी क्योंकि साथ साथ हमारी development schemes में भी उतनी तेज़ी से इजाफ़ा होने वाला है। इस लिये यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से electricity की production बढ़ सकती है। यह चीज़ हमारे सामने है।

फिर भी मुझे बहुत sympathy है उन कारखाने वालों के साथ जिनका इस breakdown की वजह से नुक्सान हुआ है और जिस से मज़दूर भाइयों को काम नहीं मिला। इस के लिये जो कुछ गवर्नमेंट कर सकती है वह हमने किया। इस के लिये हमने दस लाख रुपया रखा है जो कि उन कारखानों के मज़दूरों को loans की शक्ल में दिया जाएगा ताकि वह इस अरसा में अपना गुजारा कर सकें। यह loan छः महीने तक without interest होगा। छ. महीने तक इस पर हम कोई interest लेने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूं और मैं ने अखबारों में भी पढ़ा है कि कुछ भाई यह तजवीज़ पेश करते हैं कि यह रुपया उन को grant की शकल में दिया जाना चाहिए, loans की शक्ल में नहीं। स्पीकर साहिब, फर्ज़ करो कि यह बात सरकार मान भी ले तो यही भाई कह देंगे कि सरकार capitalists की मदद करती है। यह loans उन को कारखाने दारान की मार्फत दिये जाने हैं। हम तो इस मुश्किल के वक्त उन मज़दूरों की जो थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, करेंगे। अगर grants देनी है तो वह capitalists खुद अपने पास से दें। अगर काम करते होते तो bonus भी तो उन को उन से मिलता। Bonus नहीं, तो grants या loans दें और उन loans में, हम उन की मदद करने के लिये तैयार हैं। यह नहीं कि गवर्नमेंट उन की मदद नहीं करना चाहती।

स्पीकर साहिब, इस के अलावा कुछ तजावीज़ यह की गई हैं कि जितना रुपया हमारे पास बचा वह खर्च क्यों नहीं कर डाला। स्पीकर साहिब, मैं उन को बता दूं कि बगैर स्कीमों के रुपया ऐसे ही नहीं दे दिया जाता (*Hear, hear*) जब कोई department scheme मेरे पास भेजे तो उस को examine करके ही रुपया की allocation की जा सकती है। जो बचा है वह अगले साल खर्च में आएगा। अगर वह saving न होती तो जरूरी तौर पर gap को पूरा करने के लिये कोई न कोई नया tax लगाना पड़ता। तभी रुपया इकट्ठा करके अगले साल की schemes के लिये allocation कर सकते।

यह बड़ी बद किस्मती की बात है कि इस ईवान में बड़े २ बुजुर्गों का नाम लेकर बातें की जाती हैं। राष्ट्रपिता के नाम पर—जो आज हमारे बीच नहीं हैं—बातें कहीं जाती हैं। हम गुनाहगारों को उन का नाम ले कर बातें करना शोभा नहीं देता। मैं कहता हूं कि जब हम में उतनी ताकत ही नहीं कि उन के बताए हुए असूलों पर चल सकें तो क्यों

हम बात बात में उन का नाम associate करें। इतना ही नहीं। आज विनोबा जी का नाम ले कर बातें कही जाती हैं। जिन बुजुर्गों का नाम ले कर बातें कही जाती हैं अगर उन के आदर्शों को मानें, उन पर अमल करें तभी हम उन का नाम लेकर बातें करने के हकदार हो सकते हैं। लेकिन उतनी ताकत नहीं कि उन असूलों पर चला जाय। कभी पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया जाता है, कभी बाबू जय प्रकाश नारायण का। मैं कहता हूं कि अगर उन की बातों को मानने की ताकत ही ज़हन में नहीं तो क्यों उन का नाम लिया जाए ? बातें करनी हैं तो अपनी तरफ से दलील पेश करो और देखो कि वह दलील ठीक है या नहीं।

जनाबे वाला, फिर एक भाई ने यह भी कह दिया कि इस बजट में animal husbandry के लिये 47 लाख रुपये रखे गये हैं और हरिजनों के लिये 42 लाख रुपये रखे गये हैं। अब आप देखें कि इन में क्या मुकाबिला है। Animal husbandry से हरिजनों का क्या ताल्लुक आता है। हरिजन welfare अलग चीज़ है। वे हमारे भाई हैं और हम उन्हें अपने बराबर लाना चाहते हैं इस लिये इस तरह कहना ठीक बात नहीं। अगर animal husbandry को improve किया जाता है तो वह सब के फायदे के लिये है और उस से हरिजन भाइयों को भी फायदा है और यह हमारे फायदे के लिये भी है। अगर वे चाहते हैं तो अच्छे animals breed करें और अगर वे ऐसा करें तो हम उन की जो मदद कर सकते होंगे करेंगे। इन्होंने फरमाया है कि आज मेरी मेहरबानी से जहां पहले 70 हज़ार hand loom weavers काम करते थे वे भी आज बेकार हो गये हैं और अब सिर्फ 5 हज़ार को काम दिया गया है। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि मैं उन्हें काम देने वाला नहीं और न यह मेरी शक्ति में है कि मैं उन्हें काम दे सकूं। उन्हें काम तो वे लोग दे सकते हैं जो उन की पैदा की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जब वे उन की पैदा की हुई चीज़ें न इस्तेमाल करें तो किसी की ताक्त में नहीं कि कोई उन्हें काम दे सके। मैं बताता हूं कि इस साल hand looms पर काम करने वाले workers की तादाद 60 हज़ार थी और जिन को co-operative societies से hand loom weaving का काम मिलता है उन की तादाद 30 सितम्बर, 1959 को 11,082 थी। और जो Subsidies Handloom Board की तरफ से जिन को मिलती हैं उन की तादाद 11050 थी। इसी तरह 1958-59 में जो लोग खादी बुनने वाले थे—यह दो तरह के होते हैं एक वे जिन से लोग सूत दे कर बुनवाते हैं और दूसरे वे जो बुन कर बेचते हैं उन की तादाद 16 हज़ार या 17 हज़ार है। हम तो उन की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं अगर उन का बुना हुआ कपड़ा पहनने वालों की तादाद बढ़े। हम तो उन्हें अम्बर चर्खा से काता हुआ yarn दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग आज उन के लिये अपने दिल में दर्द रखते हैं वे उन की बुनी हुई खादी का इस्तेमाल करें। उन के लिये दर्द तो उन को है जो उन की तैयार की हुई चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं। यहां अस्टरेलिया तो है नहीं कि जहां अनाज पैदा करें और fuel की तरह इस्तेमाल करें। यहां जो कपड़ा तैयार होगा उसे तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर जनाबे आला, एक साहिब ने कहा कि सूबे में Excises के cases का

[वित्त मंत्री]

जल्दी फैसला नहीं होता। मैं मानता हूं कि यह ठीक है कि Excise के cases का फैसला जल्दी नहीं होता। इस सिलसिले में यह भी कहा गया है कि ठेकों के रुपये बढ़ा दिये गये हैं और qouta की deduction ज्यादा हो गई है इस लिये excise के crimes की तादाद ज्यादा हो गई है। इस बारे में अर्ज़ करता हूं कि यह cases courts में जाते हैं और इन के फैसला में वहां delay होती है। जब यह cases courts में delay होते हैं तो इस के लिये मैं Chief Justice साहिब से दरखास्त कर सकता हूं और अगर दरखास्त करता हूं तो वह इस में क्या कर सकते हैं। इस लिये अब हम एक और चीज़ कर रहे हैं जिस की तरफ मैं मुअज़िज़ मेम्बर साहिबान की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। हम Special Magistrate लगा रहे हैं ताकि Excise के cases का फैसला जल्दी हो सके। (प्रशंसा)

इस के बाद जनाबेआली, Irrigation के मुताल्लिक यह एतराज़ किया गया है कि ज़मीन कम हो गई है तो अनाज की पैदावार कैसे बढ़ सकती है। यह मैं कैसे अन्दाज़ा लगावूं? जनाबेआला, सिर्फ ज़मीन के ज्यादा होने पर ही पैदावार ज्यादा नहीं होती। Improved seeds देकर और fertilizer देकर जब आदमी उस में मेहनत करता है तो अनाज की पैदावार बढ़ती है और यही चीज़ हम intensive cultivation के ज़रिये से करने की कोशिश कर रहे हैं और आज अनाज की पैदावार बढ़ जाने की वजह ही यही है। यह ठीक है कि यहां water-logging बढ़ी है और उस से नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी ज्यादा मेहनत से यहां पैदावार बढ़ी है। फिर कहा गया है कि यह अगर बढ़ी है तो लोगों की मेहनत से बढ़ी है और हम ने इस में क्या किया है और गवर्नमेंट का इस में क्या है। मगर मैं कहता हूं कि गांवों में जो development होती है तो वह लोग खुद करते हैं इस लिये मैं कहता हूं कि यह बजट जो है यह peoples Budget है। (प्रशंसा)

जनाबेवाला, Irrigation के मुताल्लिक मेरे पास बहुत सी चीज़ें note की हुई हैं लेकिन वक्त कम होने की वजह से इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता।

एक मुअज़िज़ मैम्बर ने फरमाया है कि Chief Secretary ने एक खत सारे दफतरों को लिखा है कि अगर Officers अपनी wives के साथ Districts में जायें तो वे लोग social relations कायम करने के लिये अपनी wives के साथ उन्हें मिलें। मैं अर्ज़ करता हूं कि Chief Secretary ने यह compulsory नहीं किया बल्कि उस ने लिखा है कि यह courtesy की demand होगी कि वह आपस में social relations बढ़ाने के लिये मिलें और social relations कायम करें। मैं समझता हूं कि ठीक तरह से काम की out put को बढ़ाने के लिये आपस में उन के social relations कायम होने चाहियें। मैं जब अपने Secretaries के साथ काम करता हूं तो मैं उन से social relations कायम करके करता हूं और इस तरह से उन से ज्यादा काम निकालता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं उन से अपने आप को एक अफसर समझ कर काम लूं तो मैं उन से पूरा काम नहीं निकाल सकता

श्रौर काम निकालने का तरीका यही होता है कि श्रापस में social relations कायम किये जायें।

फिर एक श्रखबार दिखाया गया। एक मुश्रज़िज़ मैम्बर ने श्रखबार दिखा कर कहा था कि जब इस में यह खबर निकली है तो इस के खिलाफ action क्यों नहीं लिया गया। एक श्रखबार जिस में गलत खबर निकली है वह दिखाई गई है। इस बारे में मैं श्रर्ज़ कर देना चाहता हूं कि श्रखबारों के साथ हमारा ताल्लुक बेहतर हो गया है। एक Press Committee बनी हुई है। इस तरह का जो case होता है वह Press Committee को refer होता है। यह तरीका है Press के साथ काम करने का। जिस किसी श्रखबार ने श्रगर कोई काबले एतराज़ चीज़ निकाली है तो वह Press Committee के पास पहुंच जायेगी।

जनाबेवाला, मेरे दोस्त जिस तरीका से बात करते हैं मुझे वह तरीका नहीं श्राता श्रौर न ही मेरे में इतनी शक्ति ही है श्रौर न मैं उस तरीके से लफज़ इस्तेमाल कर सकता हूं। जिस तरीका से मेरे कुछ भाइयों ने यहां किये हैं। मैं उन की ज़बान में जवाब देने की शक्ति नहीं रखता श्रौर न मैं इस बात में यकीन ही रखता हूं। मैं तो सब की सेवा में नम्रता से श्रर्ज़ करना चाहता हूं। नम्रता से ही श्रादमी कुछ gain कर सकता है। मुझे याद है कि पंजाब के partition से पहले 1939 में जब वहां नया Assembly Hall बना था तो उस वक्त हमारे स्पीकर चौधरी सर शहाबुद दीन मरहूम थे। उन के साथ पहले दिन ही हाउस में कुछ झगड़ा खड़ा हो गया था। हम कुछ कहना चाहते थे लेकिन वह हमें कहने नहीं दे रहे थे। उस वक्त मुझ को यह फख्र हासल था कि मैं Leaders of the opposition था। उन्होंने हमारी कुछ बातों पर एतराज़ किया इस पर उन्हें गुस्सा श्रा गया। उन्होंने हुक्म देना चाहा कि watch and ward श्रफसर द्वारा हमारे किसी साथी को बाहर निकाल दिया जाय। लेकिन मैं ने कहा कि मैं किसी watch and ward श्रफसर को श्रपने किसी साथी के बदन पर हाथ नहीं लगाने दूंगा। चुनांचि उन्होंने हाउस को adjourn कर दिया। उस के बाद मेरे एक भाई ने जो उस वक्त Central Assembly के मैम्बर थे श्रौर श्रब Parliament के मैम्बर हैं, मुझे एक खत में लिखा—इस लिये उन्होंने मुझे हिदायत की कि नम्रता से बात करनी चाहिये। चुनांचि में नम्रता से ही जवाब दे सकता हूं।

फिर यहां पर कुछ ऐसे सवाल उठाये गये जो irresponsibility के सवाल हैं। चुनांचि एक सवाल यह था कि पैप्सू वालों के साथ ऐसा सलूक होता है, पैप्सू वालों के साथ दूसरा सलूक क्यों नहीं होता। कहते हैं पैप्सू वालों से ज्यादती हुई, या पंजाब वालों से ज्यादती हुई। कभी पंजाब श्रौर पैप्सू का झगड़ा कभी गुरुद्वारा elections का झगड़ा....... (*interruption*) (घंटी) कुछ दोस्त गुरुद्वारा elections जीत कर श्राए तो उन को एक ख्याल हो गया श्रौर वह श्रपने श्राप को सम्भाल न सके। इस लिये उन का जवाब देना मुश्किल है। मैं ने जो बजट पेश किया है उस का इन elections से क्या ताल्लुक है। गवर्नमेंट ने कभी इन elections में हिस्सा नहीं लिया न कभी गुरुद्वारा affairs

[वित्त मंत्री]

में हिस्सा लिया। अगर किसी ने कोई हिस्सा लिया तो वज़ारत छोड़ कर। अगर यह गलत हो तो साबत करें। (घंटी) सरकार ने इन में हिस्सा नहीं लिया तो बजट को क्यों बीच में लाया जाय। (तालियां) Elections एक खेल हैं जिसे एक खेल की ही तरह, sportsman spirit के साथ खेला जाना चाहिए। (*interruptions*) कुशती होती है तो कहते हैं एक मारा जाता है। मारा नहीं जाता। इस को एक खास spirit में लेना चाहिए। (*interruptions*) इस बात का ज़िक्र किया गया कि मैं ने कहा कि partition नहीं होगी। मैं फिर कहता हूं कि जब तक मेरी ज़िन्दगी है, अक्ल है मैं partition के खिलाफ लड़ता रहूंगा। (ज़ोर की तालियां)

1-30 p.m.

(*The Sabha then adjourned till 9.0 a.m. on Thursday, the 10th March,* 1960)

8834 PVS—349—22-8-60-C P & S Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha
Debates

10th March, 1960

Vol. 1 No. 17

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 10th March, 1960

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1960

Price: Rs. 3.95 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 17, DATED THE 10TH MARCH, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
किस	जिस	(17)7	13th from below
Kataria	Katria	(17)11	12
Whether	wheth r	(17)13	16
Read 'to'	after 'Government'	(17)13	17
Secretary	Secratary	(17)16	1
ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ	ਸਰਦਾਰ ਗਮਦੀਆਲ ਸਿੰਘ	(17)26	21
development	developmont	(17)27	2nd from below
take	tak	(17)29	last
loan	l an	(17)30	2
Collect	C llect	(17)30	7th from below
Point	Poi t	(17)30	7
order	orde	(17)30	7
हमीरा	हमारी	(17)33	12th from below
की है	है की	(17)34	10
व्यवधान	व्यवधानन	(17)34	15
the	th	(17)35	2nd from below
ਨਾ	ਨਾਉਂ	(17)47	21
ਗਏ	ਗਾਏ	(17)49	11
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ	ਅੰਜਰੇਜਾਂ	(17)50	6
ਕੁੱਝ	ਕੁਲ	(17)50	3rd from below

Read	*for*	*on page*	*line*
ਇਹ	ਇਰ	(17)54	24
ਜੇ	‾	(17)56	8
साहिबा	साहिाबा	(17)60	29
अख्तियार	अख्यिार	(17)61	23
ਬੇ-ਭੂਮੀ	ਬੇ ਭੂਮੀ	(17)63	4th from below
चौधरी	चौवेरी	(17)66	4
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ	ਹਰਚਰਣ ਸਿੰਘ	(17)68	9th from below
ਜ਼ਰੱਈ	ਜ਼ਰਾਈ	(17)68	7th from below
ਜਿਨ੍ਹਾਂ	ਦਿਨ੍ਹਾਂ	(17)71	19
ਚਾਹੀਦਾ	ਦਾਹੀਦਾ	(17)71	5th from below
ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ	ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ	(17)72	1
बाड़े	बाई	(17)73	15th from below
ज़िले	जिलों	(17)73	4th from b.low
Delete 'in view of' after the word 'that'		(17)76	17
Read 'दी' after 'जगह'		(17)76	21
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ	ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ	(17)79	2nd and third from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 10th March, 1960

(*The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector* 10, *Chandigarh, at* 9.00 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

PAYMENT OF SCHOLARSHIPS TO SCHEDULED CASTES STUDENTS

*5377. **Sardar Dhanna Singh Gulshan** (asked by Sardar Atma Singh): Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether the scholarships are being paid by Government to the scheduled castes students in the State each month, if not; the reasons therefor ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : The stipends sanctioned in favour of scheduled castes/tribes and other backward classes students are drawn and disbursed by the heads of educational institutions month-wise. The stipends for the period already elapsed before the issue of the sanctions are, however, drawn by the heads of institutions in lump sum and disbursed accordingly.

SHARE-HOLDERS OF CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, KARNAL

*4892. **Shri Ram Piara :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the names of the Co-operative Societies who are regular share-holders of the Central Co-operative Bank, Karnal, together with the number of share in the name of each of the above said societies;

(b) whether it is a fact that full payment of all the shares has not so far been made to the said Bank by certain above referred to co-operative societies: if so, the names thereof?

Sardar Gurbanta Singh :(a) There are 1,353 societies which are members of the Central Co-operative Bank, Karnal. The time and trouble involved in collecting the names of these societies and the shares held by each of them will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

(b) No. All the shares are fully paid up.

श्री राम प्यारा : इस सवाल का जवाब दिया गया है कि information इकट्ठी करने में वक्त बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन क्या यह position नहीं कि ज़िला करनाल में Central Co-operative Bank की elections में गड़ बड़ हुई है और क्या वज़ीर साहिब के notice में यह नहीं है कि यह lists न होने के कारण धांधली मच जाती है ?

Mr. Speaker : I am not prepared to listen to explanations during the question hour. The honourable Member can ask supplementary question only. Rules do no allow this practice of making speeches while asking supplementaries.

श्री प्रबोध चंद्र : क्या वज़ीर साहिब के notice में है कि list न बनने की वजह से elections properly नहीं हो सकते ? और क्या इनके पास शिकायत आई है कि list न होने की वजह से annual elections ठीक नहीं हो सकते ?

मंत्री : ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ co-operative societies ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ elections ਵਿਚ ਦਿਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ election ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।

LAND MORTGAGE BANKS

*5245. **Shri Phul Singh Kataria Comrade :** Will the Minister for Community Development be pleased to state the total amount so far made available to the Land Mortgage Banks in the State as long-term loans ?

Sardar Gurbanta Singh : The Punjab State Government has advanced no long-term loans to the Punjab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd., Jullundur, so far.

CO-OPERATIVE SOCIETIES IN BAHADURGARH, DISTRICT ROHTAK

*5328. **Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Community Development be pleased to state —

(a) the number of Co-operative Societies registered in Bahadurgarh, district Rohtak, as at present ;

(b) whether any enquiry has been held against any of the said Societies during the current year; if so, the reasons therefor and the result of such enquiry ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) 19.

(b) Enquiry has been held into the working of two societies. As a result of enquiry special audit of one society has been ordered and winding up orders of the second have been passed.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इस enquiry के अन्दर कौन कौन involved थे और कौनसे allegations थे ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ Maharaja Thrift Co-operative Society ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਜੀਵਨ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਗੜਬੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ Inspector Co-operative Societies ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ enquiry ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ by laws ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਣ ਲਈ special auditor ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

EXTENSION OF AREA FOR IMPOSING BETTERMENT LEVY FEE

***4692. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government have decided to extend the area in which Betterment fee is proposed to be levied.

(b) the number of the villages likely to fall in this extended area and the estimated amount of the Betterment fee likely to be realised?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Does not arise.

CENTRAL AID RECEIVED BY STATE GOVERNMENT TO COMBAT WATER-LOGGING IN THE STATE

***5248. Shri Parbodh Chandra:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any amount has been received by Government from the Union Government during the last three years to combat water-logging in the State; if so, the amounts actually spent by Government during each year of allotment?

Mr. Speaker : Starred Question No. 5248 has been postponed as extension has been asked by the honourable Minister.

श्री प्रबोध चंद्र : जनाब, इस में कोई ऐसी-चीज नहीं थी जिसके लिए extension मांगी जाए। यह तो पांच minute में departments की तरफ से information दी जा सकती थी। फिर इसके postpone करने के बारे में कोई valid reasons आने चाहिए थे ।

श्री अध्यक्ष : पहली extension आम तौर पर दे दी जाती है लेकिन दूसरी extension मांगने पर sufficient reasons देने पड़ते हैं। (Ordinarily first extension is given but when second extension is asked this is to be accompanied with sufficient reasons.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बतलाया जा सकता है कि वज़ीर साहिब को अपने department से इस तरह की information लेने में क्या दिक्कत पेश आई? On the face of it तो कोई मुश्किल बात न थी।

श्री अध्यक्ष : आम तौर पर इस तरह की information Budget में आ जाती हैं। मेरा ख्याल है next time information आ जाएगी। (Such information is generally available in the Budget. I think the information asked for in this question will be supplied next time.)

ENQUIRY INTO THE CAUSES OF BREACHES IN THE DHUSSI BUND

***5249. Shri Prabodh Chandra** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any enquiry has been held into the causes of frequent breaches in the Dhussi Bund; if so, the result of the enquiry and the action, if any, taken against those responsible?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : Yes, a Committee was appointed to enquire into the failure of certain flood protection works on the Right Bank of the Ravi that had been constructed to protect the Chak Andhar tract. The Committee has submitted a detailed report, which it is difficult to summarise. However, it may be stated that, broadly speaking, the Committee found no fault with the design and alignment of the works at the Shingarwan Creek. The failure here has been ascribed to the works not having been done according to designs and specifications and also to faulty planning in respect of the construction programme. At the Chak Hari Rai Creek, the Committee has ascribed the failure of works to faulty alignment.

2. Action to be taken against the officers who have been found at fault by the Committee, is under the consideration of Government.

श्री प्रबोध चंद्र : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह report कब Government के पास पहुंची?

उप मंत्री : काफी दिन हुए report आई थी। Date तो मेरे पास इस वक्त नहीं है।

Chief Minister : About a year back.

Shri Prabodh Chandra : Sir, may I know from the Chief Minister what are the causes of delay in taking action against these officers?

Chief Minister : I think action has been taken against some of the officers. Some were made to retire. Some were possibly charge-sheeted and in the case of some a cut in their pensions may have to be applied.

Shri Prabodh Chandra : Sir, the Deputy Minister has stated that the action against the officers who have been found at fault is under consideration but the Chief Minister has given a different reply. May I know which of the two replies is correct?

Chief Minister: If the question relates to the destruction of a bund due to the floods that came a year or two back then the reply given by me is correct. I do not recollect the names.

श्री प्रबोध चंद्र : जनाब, एक साल हो गया है Government ने report पर consideration शुरू की है मगर इस की क्या खास वजूहात हैं कि Government ने कोई action भी नहीं लिया ?

उप मंत्री : Committee जो मुकर्रर की गई है उस ने अभी informal inquiry की है। अब जो भी तजवीज़ें आयेंगी उन पर formal inquiry की जायेगी और action लिया जायेगा । मगर फिर भी जो informal inquiry की है उस के मुताबिक कुछ officers को और एक S.D.O. को suspend कर दिया गया है ।

श्री प्रबोध चंद्र : इन्होंने कहा है कि वह formal inquiry नहीं थी, informal थी। What is the difference between formal and informal enquiry ?

Chief Minister : *Prima facie*, an enquiry is informal but when any person involved is charge-sheeted then it becomes a formal enquiry.

Shri Parbodh Chandra : Sir, I was examined as a witness in this case. The Chief Engineer of the Central Government was also examined.

Chief Minister : If the reply given by me is correct then the reply given by the Deputy Minister must be relating to some other case which is being enquired into. And if the question relates tothe enquiry in which the Engineer of the Central Government came then the reply given by me should hold good.

श्री प्रबोध चंद्र : जनाब मैं अर्ज कर दूं कि मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं clear हुआ ।

श्री अध्यक्ष : जो जवाब उन्होंने बाद में दिया है इस में सारी बात clear हो गई है। (The reply given by the Deputy Minister afterwards has clarified the whole position.)

श्री प्रबोध चंद्र : क्या इस तरह की enquiry informal enquiry होती है? मुझे शहादत के लिये बुलाया गया । Central Government के Chief Engineer थे, हमारे Financial Commissioner Mr. Kahlon थे, दो और Engineers थे तो क्या यह जो कारवाई थी यह सारी की सारी informal ही थी ?

मुख्य मंत्री : अगर तो यह बात करते हैं कि centre का कोई आदमी आया तो मैं ने उस का जवाब दे दिया है और अगर enquiry के बारे में यह पूछते हैं तो मैं ने इस का जवाब भी दे दिया है कि जो informal enquiry की गई थी उस में हम ने एक S.D.O. को अभी retire किया है और इस के इलावा भी सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि कहां पर यह ग़लती है ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या House यह समझे, स्पीकर साहिब, कि जो जवाब Deputy Minister ने दिया है वह ग़लत है ?

श्री अध्यक्ष : इस में गलती का कोई सवाल नहीं है। जो बात चीफ मिनिस्टर साहिब ने कही है Deputy Minister ने उस को clear कर दिया है। (There is no question of incorrectness. The Deputy Minister has clarified what the Chief Minister stated earlier.)

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब Chief Minister साहिब ने बताया है कि इस मामले की Report Government के ज़ेरे गौर है। मैं पूछना चाहता हूं कि आया Government इस पर एक साल से ग़ौर ही कर रही है? House में clear बात होनी चाहिये। या तो Deputy Minister कहे कि मैं ग़लती पर हूं या Chief Minister साहिब अपनी ग़लती को मानें।

मुख्य मंत्री : जो बात Deputy Minister ने कही है आप पहले उस को समझें। जब मेरे दोस्तों ने सवाल किया तो उस में चंद एक नामों का उन्होंने ज़िक्र किया। इन में एक Central Engineer के नाम का ज़िक्र है। नाम तो मैं नहीं जानता मगर इतना जानता हूं और इतना ज़रूर कह सकता हूं कि वह नाम यह नहीं है जिस का कि बांध की construction बारे ज़िक्र किया गया है।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, House इस बात का मुस्तहक है कि सही information मिले। या तो इस के जवाब के लिये यह और time मांग लें या दोनों आपस में सोच विचार के कोई जवाब दे दें। यह मामला clear नहीं हो पाया है।

उप मन्त्री : Sir, may I clear the point. बात इस के अन्दर यह है कि पहले जैसे मैंने कहा informal enquiry की गई। इसमें जो कसूरवार थे उन के खिलाफ action लिया गया।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब 'informal' से *prima facie* का है? (By 'informal' does the Deputy Minister mean "*prima facie*"?)

उप मंत्री : मेरा मतलब preliminary enquiries से था। इस के बाद उन को charge-sheet किया गया है। इस का जब कोई जवाब आयेगा तो action लिया जायेगा। बहरहाल जिन के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें थीं उनको suspend कर दिया गया है।

पंडित श्री राम शर्मा : Chief Minister साहिब ने कहा है कि कुछ लोगों के खिलाफ action लिया जा चुका है। (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : यह एक छोटा सा सवाल था मगर अब 15 minute हो गये हैं आप अभी तक इसे समझ नहीं पाये हैं। (It was an ordinary question, but 15 minutes have been taken on supplementaries and still the hon. Members are not clear about the reply.)

पंडित श्री राम शर्मा : तो स्पीकर साहिब, आप ही समझा दें, अगर आप कुछ समझ सके हैं कि यह क्या कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : है क्या, इस में ? उन्होंने कहा है कि एक committee ने informal तौर पर enquiry की है। Enquiry की report गवर्नमेंट consider कर रही है। Breaches के causes के बारे में उन्होंने कहा है कि design वगैरह का कोई फर्क था। *Prima facie* जो enquiry की उस पर action लिया जा रहा है कि कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है और कोई झगड़ा नहीं है। (What is there in it? The Deputy Minister has stated that a committee informally made an enquiry in the matter and the report of that enquiry is under the consideration of the Government. Regarding causes of breaches, it has been stated that these were due to faulty designs etc. Action on the report of this *Prima facie* enquiry is being taken and responsibility fixed. There is nothing else in it.)

पंडित श्री राम शर्मा : यह जो Chief Minister साहिब ने कहा है कि अगर वह Centre के आदमी का नाम लेते हैं तो उन का construction bund से कोई तआल्लुक नहीं है। तो आप ने action क्या लिया?

मुख्य मन्त्री : जितने अफसरों को extension दी थी वह फौरन खत्म कर दी गई है। जब भी यह चीज़ हमारे notice में आई तो उन officials को बाकायदा charge sheet किया गया।

श्री बलराम दास टंडन : क्या Deputy Minister साहिब यह बतायेंगे कि बांध कब टूटा और enquiry कब constitute हुई?

Mr. Speaker : This is no supplementary.

श्री प्रबोध चंद्र : यह जो Enquiry Committee की findings हैं इन में क्या कहा गया कि यह जिस officer की ग़लती थी। Chief Engineer या किसी और की?

श्री अध्यक्ष : यह उन्होंने बताया है कि design की alignment का झगड़ा था और कोई बात नहीं है। (He has already stated that faulty design and alignment has been responsible for this trouble. There is nothing else in it.)

श्री प्रबोध चंद्र : जनाब design एक ने बनाया और implementation दूसरे ने की। तो क्या यह design करने वाले को बदनाम करने के लिये ऐसा किया गया था?

REMODELLING OF BAPURA MINOR BHIWANI DISTRIBUTARY OF WESTERN JUMNA CANAL

***5315. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any remodelling of the Bapura Minor of

[Shri Ram Kumar Bidhat]

Western Jumna Canal has been sanctioned, if so; when and the progress, if any, so far made in the work of remodelling.

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): Yes, scheme of remodelling Bapura Minor was approved in April, 1959. The work could not be taken in hand due to lack of funds. It is now proposed to execute this work in the next financial year.

SCHEDULED CASTE EMPLOYEES AMONG DRIVERS, CONDUCTORS ETC., OF PUNJAB ROADWAYS

***5278. Chaudhri Sunder Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of Drivers, Conductors, Inspectors and Sub-Inspectors in the Punjab Transport Department in the State, and the number of persons belonging to Scheduled Castes in each category ?

Sardar Partap Singh Kairon :

Category	*Total number employed.*	*Employees belonging to Scheduled Castes*
Drivers ..	648	51
Conductors ..	668	51
Inspector ..	85	5
Sub-Inspectors ..	Nil	Nil

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Subordinate Services Selection Board ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ Board ਦੇ purview ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ।

PAYMENT OF COMPENSATION FOR LAND ACQUIRED FOR CONSTRUCTION OF NEW ROADS IN DISTRICT BHATINDA

***5244. Shri Phul Singh Kataria :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the area of land acquired by Government for construction of new roads in villages Lakhiwal and Ghandu Kalan, tehsil Mansa, district Bhatinda;

(b) the date when the said area was acquired ;

(c) whether any compensation for the area referred to in part (a) above has been paid to the owners ; if not, the reasons therefor together with the time by which compensation will be paid to them.

Chaudhri Suraj Mal : (a) 19.60 acres.

(b) Possession of land was taken on 3rd December, 1958.

(c) No. Compensation could not be paid for completion of acquisition formalities. It will be paid shortly.

LICENCES FOR THE VEHICLES DRAWN BY ANIMALS IN THE CAPITAL

*4693. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether it has been decided to issue licences in respect of all vehicles drawn by animals at present plying within the limits of Chandigarh Capital; if so, the rates fixed for the said licence fee, together with rates of fares to be charged for each kind of vehicle?

Chaudhri Suraj Mal : Yes; the rates of annual licence fees and the fares to be charged for the hire of licensed vehicles shall be as under:—

Class of vehicle	Rate of annual licence fee	MAXIMUM FARES TO BE CHARGED FOR		
		First hour or portion of an hour	Every subsequent hour or portion of an hour	Full day of nine hours
	Rs	Rs	Rs	Rs
First Class ..	30.00	2.50	1.50	14.00
Second Class ..	20.00	1.50	1.00	9.50
Third Class ..	15.00	1.00	0.75	7.00

श्री प्रबोध चंद्र : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि गवर्नमेंट ने जो पहले फैसला किया था कि capital में गधे और घोड़े गाड़ियां चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी उसको बदल कर क्या licence देना शुरू कर दिया गया है ?

मन्त्री : यह आप जैसे लोगों की वजह से ज़रूरी हो गया कि गधे और घोड़े गाड़ियों को licence दिए जाएं। (*laughter*)

LOANS UNDER THE LOW-INCOME GROUP HOUSING SCHEME

*5319. **Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether it is a fact that only one instalment of the loans advanced under the Low-income Group Housing Scheme upto the end of 1959 has so far been paid; if so, the number of persons in each district who have received the instalment;

(b) the reasons, if any, why no further instalments have been paid to those mentioned in part (a) above?

Chaudhri Suraj Mal : (a) (i) Due to heavy commitments made by the District authorities in the year 1958-59 and the limited funds available with Government under the Low Income Group Housing Scheme one or two instalments of loans could be paid in some districts upto the December, 1959. Government were very anxious that the loanees should be paid the maximum instalments due, and with this object in view, grant of fresh loans was generelly not allowed during the year 1959 ;

(ii) The time and trouble involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be derived.

(b) Covered by (a) (i) above.

श्री प्रबोध चंद्र : क्या वज़ीर साहिब यह बतलाएंगे कि जो पिछले से पिछले साल 30 लाख रुपया lapse हो गया था और अभी कहा गया कि एक साल में 40 लाख रुपया lapse हो गया तो इसका कारण क्या है ? और development क्यों बन्द कर दी गई ?

मन्त्री : कुछ ऐसे हालात हो गये कि जिसकी वजह से development रोक देनी पड़ी ।

श्री प्रबोध चंद्र : वह कौन से हालात थे ?

मन्त्री : अगर separate नोटिस देंगे तो बतला दूंगा ।

ABOLITION OF DISTRICT ADVISORY COMMITTEES FOR THE LOW-INCOME GROUP HOUSING SCHEME

*5320. **Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the District Advisory Committees constituted for the Low-Income Group Housing Loans in the State have been abolished by the Government; if so, the reasons therefor?

Chaudhri Suraj Mal : Yes, the Advisory Committees have been abolished for the following reasons:—

(1) There was delay in the disbursement of money.

(2) The Deputy Commissioners are solely responsible for the recovery of loans. So they should have a full and final hand in assessing the capacity of the applicants to pay back the money and giving the loans to really deserving persons.

श्री प्रबोध चंद्र : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि जब रुपया वसूल करने की entire responsibility Deputy Commissioner की थी तो क्या उस को गवर्नमेंट ने set aside किया है?

मन्त्री : गवर्नमेंट को हर तरीके का अधिकार है। वह चाहे तो set aside कर सकती है, चाहे तो postpone कर सकती है।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ Advisory Committee ਦੇ ਕਿਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ in the whole of the State?

CONSTRUCTION OF MINOR BUND ON GHAGGAR RIVER TO IMPROVE WATER-SUPPLY SYSTEM IN AMBALA CANTT AND CITY

*5303. **Shri Phul Singh Katria Comrade :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any project for constructing a dam on the Ghaggar River and taking water therefrom for supply to Ambala Cantt. is under consideration of Government; if so, the details thereof and the time by which it is expected to be executed?

Chaudhri Suraj Mal : The State Government is not concerned with arrangements regarding water-supply for Ambala Cantt.

REPRESENTATION FOR ENLARGEMENT OF SUB-TAHSIL PHUL, DISTRICT BHATINDA

*4764. **Sardar Dhanna Singh Ghulshan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have recently received any representations from residents of neighbouring villages of Dhapli, Ghanda Gana, Phulewala, Sandhu Kalan, Sandhu Khurd, Raiyan, Balon, Dhinger, Alik Nainewala, Chhanna Ghulab Singh, Janjiana, Alkara, Maur, Dhilwan an Jaimal Singh Wala of tehsil Barnala, district Sangrur for the enlargement of sub-tehsil Phul, district Bhatinda under the Scheme for the reorganisation of districts boundaries in the State; if so, the action, if any taken thereon?

Sardar Partap Singh Kairon : Part I. No such representations have been received recently.

Part II. Questions does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਇ।

(*At this the Chief Minister gave the Punjabi version of the reply.*)

DRAMA SUPERVISORS IN THE PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

*5004. **Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of men and women who have been appointed as Drama Supervisors in the Public Relations Department during the current financial year, their qualifications, experience and salary etc., given to each together with nature of duty assigned to each supervisor;

[Sardar Atma Singh]

(b) whether the posts referred to in part (a) above were filled on the recommendation of the Punjab Public Service Commission; if not, the reasons therefor ?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : (a) There are no posts of Drama Supervisors in the Public Relations Department.

(b) Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: Supplementary. Sir ? ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Drama Supervisor ਦੀ ਕੋਈ post ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ drama party ਵਿਚ ਕੋਈ lady workers appoint ਕੀਤੇ ਗਏ ?

EDITOR OF THE 'PASBAN' CHANDIGARH

***5005. Sardar Atma Singh** : Will the Chief Minister, Punjab, be pleased to state—

(a) the qualifications of the present Editor of the Pasban the Urdu Magazine issued by the Public Relations Department and the terms of his appointment;

(b) whether the Editor referred to in part (a) above was recruited on the recommendation of the Public Service Commission; if not, reasons therefor;

(c) the qualifications of the last editor of the said magazine from whom the present editor took over charge?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary): (a) The present Editor of the 'Pasban' has read up to Matriculation Standard. He has, however, to his credit over 30 years journalistic experience. He is a poet, short story writer and a play wright. He has 15 years' experience of printing and lay out and get up of newspapers and journals. He has been appointed against a temporary post which continues from year to year.

(b) No. The Editor was not appointed on the recommendation of the Public Service Commission as the post has been taken out of the purview of the Punjab Public Service Commission. Shri Ranbir Amar was appointed because of his exceptional merit and long experience.

(c) The Editor from whom the present Editor, 'Pasban' took over charge was a graduate and possessed some literary experience.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Parliamentary ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Editor 'ਪਾਸਬਾਨ' ਦੀ qualifications up to Matriculation ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ? ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪਾਸ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Up to Matric means upto the 10th.

श्री बलराम दास टंडन : इस post को कमीशन के purview से निकालने का कारण क्या है ?

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਪਿਛਲਾ Editor B.A. ਪਾਸ ਸੀ । ਉਸ ਦੀਆਂ services terminate ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ of his own accord ਚਲਾ ਗਿਆ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ service ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ।

RAISING MEMORIAL TO BHAGAT SINGH, RAJGURU AND SUKHDEV

***5205. Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the area on the bank of Sutlej near Ferozepur where Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were martyred by the British has come into the possession of the State;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, wheth r there is any plan under the consideration of Government , raise a memorial to the said heroes in the said area?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Not yet.

(b) Does not arise.

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या Government सतलुज के किनारे पर जहां भगत सिंह, राज गुरू और दूसरे देश भग्त शहीद हुए थे वहां उन की यादगार बनाने के मामले पर गौर करेगी ?

मुख्य मंत्री : हां जी, जब हमें possession मिल जाएगा तो हम गौर करेंगे ।

श्री राम चन्द्र कामरेड : वह area कब तक आप को मिल जाएगा ?

मुख्य मंत्री : जो territory पाकिस्तान की हमारे पास है वह हम उन को दे रहे हैं और जो हमारा इलाका उन के पास है वह हमें दे रहे हैं । वह जगह जल्दी ही मिलने की उम्मीद है ।

ISSUING OF LICENCES TO TOURING TALKIES IN THE STATE

***5212. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that rules do not permit licences to be issued to more touring talkies where permanent cinemas are functioning in the State;

(b) if the answer to part (a) be in the affirmative the reasons for granting licences to touring or temporary cinemas at Bhatinda?

Sardar Pratap Singh Kairon : (a) Yes .

(b) No such licence was granted to any touring or temporary cinema at Bhatinda.

LANDS ALLOTTED TO POLITICAL SUFFERERS IN HISSAR DISTRICT

*5252. **Shri Prabodh Chandra** : Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) the names of political sufferers who were allotted lands in district Hissar;

(b) the sacrifices made by the political sufferers referred to in part (a) above during the freedom struggle?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : (a) A list of the political sufferers who were allotted land in the Hissar and other Districts is laid on the Table of the House.

(b) The time and labour involved in supplying the required information would not be commensurate with any possible benefits to be obtained by the member.

List of Political Sufferers

HISSAR

1. Shri Jai Singh, son of Ch. Ranjit Singh.
2. Ch. Kirpa Ram, son of Shri Ragha Ram.
3. Shri Lekh Ram Sharma, son of Nanhi Ram.
4. Shri Ram Dhan Dass, son of Shri Harnam Dass.
5. Swami Hira Nand Bedharak, disciple of Swami Atma Nand.

ROHTAK

6. S. Amar Singh, son of S. Gian Singh Bhatia.
7. Shri Aishi Lall, son of Shri Jiwan Dass.
8. Shri Bhura Singh, son of Shri Kanahya.
9. Shri Banwari Lall, son of Shri Lakhi Ram.
10. Ch. Charan Singh, son of Ch. Ram Narain.
11. Shri Dip Chand, son of Shri Khuba.
12. Shri Shiv Kumar , son of Shri Dilawar Singh.
13. Shri Gurmukh Singh, son of Shri Ram Singh.
14. Shree Gareeb Ram, son of Shri Dhanee Ram.
15. S. Harbans Singh, son of S. Teha Singh.
16. Shri Hoshiar Singh, son of Shri Inder Singh.
17. Shri Hari Datt, son of Pt. Ram Lall.
18. Shri Jug Lal, son of Ch. Neki Ram.
19. Shri Lachman Dass, son of L. Raghu Nath Sahai.
20. Shri Mehar Singh, son of Ch. Sheoji Ram.
21. Shri Mauji Ram Goyal, son of Shri Mohar Singh.
22. Shri Parit Singh, son of Shri Maya Chand.
23. Shri Phule , son of Niadar.
24. Shri Puran Chand Azad, son of Shri Diwan Chand.
25. Shri Rattan Singh, son of Shri Murli Singh.
26. Shri Ram Sarup, son of Ch. Hathaia Ram.
27. Ch. Rai Singh, son of Ch. Jogen Ram.
28. Ch. Rattan Singh, son of Ch. Ram Nath.
29. Shri Sadhu Ram, son of Harnam.
30. Shri Sis Ram, son of Shri Devak Ram.

ROHTAK—CONCLD

31. Swami Bhajna Nand Chela of Shri Budhan Dass.
32. Shri Manga Ram, son of Shri Krishan Sahai.
33. Shri Mela Ram Bawa, son of Shri Mukand Lal.
34. Shri Sohan Lall Yadva, son of Shri Mangal Singh.
35. Shri Ram Singh, son of Shri Chandgi Ram.
36. Shri Kura , son of Shri Udmi Ram.
37. Shrimati Kapur Devi, daughter of Shri Jai Singh.
38. Shri Badri Parshad, son of Shri Siri Ram.
39. Shri Lakhmi Chand.
40. Shri Bakhtawar Singh, son of Shri Hira Singh.
41. Shri Ram Singh, son of Shri Sri Ram.

GURGAON

42. Shri Deep Chand, son of Shri Ram Chand.
43. Shri Gobind Ram, son of Shri Ram Sarup.
44. Shri Janardan Sharma , son of Pandit Gopal Jiwan.
45. Shri Madan Lall Varmani, son of Malik Gehla Ram.
46. Shri Karan Singh, son of Ch. Mehtab Singh.

KARNAL

47. S. Avtar Singh Khalsa, son of S. Gopal Singh.
48. Shri Chander Kirti, son of Pt. Kundan Lall.
49. Shri Devi Dayal, son of Shri Dewan Chand.
50. Shri Des Raj Kahanna, son of L. Charan Dass.
51. S. Fauja Singh Nijla, son of S. Dula Singh, caste Ramgarhia.
52. S. Fauja Singh , son of S. Dula Singh, caste Jat.
53. Shri Jagan Nath Monga, son of Shri Brij Lall.
54. Shri Jiwan Singh son of Pt. Ishar Singh.
55. Shri Kapur Singh, son of Shri Partap Singh.
56. Shri Popat Ram, son of Shri Melu Ram.
57. Shri Rachhpal Singh, son of Bhai Lachman Singh.
58. Shri Roshan Lal Yas, son of L. Har Bhagwan Dass.
59. Shrimati Sohag Rani, wife of Shri Hazor Chand.
60. Shri Sohan Lall, son of L. Chand Mal.
61. S. Santokh Singh, son of S. Gauhar Singh.
62. Shri Pran Nath Chopra, son of Shri Shiv Nath Rai .
63. Shri Swaraj Datt, son of Master Nand Lal.
64. Shri Sharam Singh, son of Shri Maya Dass.
65. Shri Siri Ram Baghi, son of Shri Laskhari Mal.
66. Shrimati Swaran Devi, widow of Shri Milkhan Singh.
67. Shri Jagdish Chandra Batra, son of Shri Amir Chand.
68. Shri Parmeshwari Dass, son of Shri Ishwari Parshad.
69. Shri Parma Nand, son of Shri Godha Ram.
70. Shri R. Krishana, son of Shri Bhagirat Lall.

AMBALA

71. Shri Sadhu Ram, son of L. Gounda Ram.
72. Shri Mela Ram, son of L. Bishan Dass.
73. Shri Inder Singh alias Tota Singh, son of S. Jwala Singh.
74. Shri Bashashir Dass, son of Shri Ram Chand.
75. S. Balwant Singh, alias Gurmukh Singh, Ambalavi, son of S. Bishan Singh.
76. Hakim Behari Lall, son of L. Ram Dass Ji.
77. S. Bakshish Singh, son of S. Hardit Singh.
78. Master Chatar Singh, son of S. Sawan Singh.
79. Shri Dev Brat Bhandari, son of L. Jai Gopal Bhandari.
80. Jathedar Gurdit Singh, son of S. Hira Singh.
81. S. Gurbachan Singh, son of S. Niranjan Singh.
82. Shri Jaimal Dass , son of Pt. Ram Chandra.
83. Shri Narendra Nath Kaushik, son of Pt. Kundan Lall.
84. Shri Ripudhuman Singh, Sahedi, son of S. Sohan Singh.
85. S. Shingara Singh, son of S. Sher Singh.
86. Shri Jog Dhian, son of L. Bulaki Ram.
87. Shri Munshi Ram Malik, son of Shri Ladha Mall.
88. S. Mehman Singh, son of S. Teja Singh.

[Chief Parliamentary Secratary]

HOSHIARPUR

89. Shri Kishori Lall, son of Pt. Raghvir Datt.
90. Shri Rulia Ram, son of Shri Mihan Ram.
91. S. Arjan Singh Sach, son of S. Chand Singh.
92. S. Atma Singh Azad, son of S. Dasundha Singh.
93. S. Balwant Singh, son of S. Maya Singh.
94. S. Banta Singh, son of S. Bhagwan Singh.
95. Shri Bhola Singh, son of Shri Kirpa Singh.
96. Shrimati Basant Kaur, widow of S. Diwan Singh Shahid.
97. S. Bhola Singh, son of S. Waryam Singh.
98. Shri Ball Krishan , son of Pt. Jagdish Ram.
99. Sarvshri Bachittar Singh, and Harbux Singh, sons of Harbans Singh.
100. Shri Gurbachan Singh, son of Baba Dalip Singh.
101. S. Ganga Singh, son of S. Chet Singh.
102. Jathedar Hoshnak Singh, son of S. Dalip Singh.
103. Shri Hardit Singh, son of Shri Mansha Singh.
104. Jathedar Hakim Singh, son of S. Dhilla Singh.
105. Shri Harbans Singh, son of Shri Gopal Singh.
106. S. Iqbal Singh, son of S. Deva Singh.
107. Shri Ishar Singh, son of Shri Bhagwan Singh.
108. Baba Kirpa Singh, son of Shri Jawahar Singh.
109. S. Kartar Singh, son of S. Surjan Singh.
110. S. Kishan Singh, son of S. Bira Singh.
111. Shri Lachman Dass, son of Shri Tika Ram.
112. S. Labh Singh, son of S. Suba Singh.
113. Shrimati Mohan Kaur, widow of S. Dhanna Singh.
114. Shri Mula Singh, son of Shri Hari Singh.
115. Shri Malkiat Singh, son of S. Bachittar Singh.
116. Shri Mehar Chand, son of Shri Bhola Ram.
117. Giani Mehar Singh, son of Subedar Ram Singh.
118. Shri Munshi Ram, son of Shri Jamita Ram.
119. Shri Nigahia Ram Jhandewala, son of Shri Kahan Chand.
120. Diwan Pohlo Ram, son of Diwan Ramu Mal..
121. S. Rattan Singh, son of Hazara Singh.
122. Bibi Raj Kaur, widow of S. Chajja Singh.
123. S. Raja Singh, son of Shri Bhagwan Singh.
124. S. Sant Singh, son of S. Dharam Singh.
125. Shri Salig Ram Prashar, son of Pt. Lachmi Dhar.
126. S. Sunder Singh, Babar, son of Shri Natha Singh.
127. Shri Sita Ram alias Bande Matram, son of Shri Ralla Ram.
128. S. Thakar Singh, son of S. Maya Singh
129. S. Ujjagar Singh, son of S. Mangal Singh.
130. Shri Amar Nath Tilliar, son of Shri Dalbagh Rai.
131. Shri Dalip Singh, son of S. Hardit Singh.
132. Bhagat Prabhu Dayal, son of Shri Kundan Mall.
133. Shri Harbans Singh Kohli, son of S. Ishar Singh.
134. S. Teja Singh, son of S. Arjan Singh.
136. Shrimati Basant Kaur, widow of S. Dharam Singh Shahid.
137. S. Partap Singh, son of Shri Hako.
138. Shri Kishan Singh, son of Shri Taba Singh.

JULLUNDUR DISTRICT

139. Shri Dhanpat Rai, son of Shri Hira Lall Rajput.
140. S. Amar Singh, son of S. Arur Singh.
141. S. Atma Singh, son of S. Maya Singh.
142. Shri Amar Singh, son of Shri Lachman Dass.
143. Shri Agya Singh, son of Shri Hari Chand.
144. S. Banta Singh, son of Khem Singh.
145. Sarvshri Banta Singh, Kehar Singh, Mohander Singh and Shrimati Harnam Kaur sons and wife of S. Gurdit Singh.
146. S. Bhagwan Singh,son of S. Jwand Singh.
147. Shri Behari Lal Kher, son of Shri Diwan Chand.
148. Shri Bharat Bhushan, son of Mahasha Girdhari Lall.
149. Shri Kundan Lall.

150. Shri Gian Chand.
151. S. Buta Singh, son of S. Thakur Singh.
152. S. Bhaksha Singh, son of S. Thakur Singh.
153. Shri Chhkanda Ram, son of L. Piara Ram.
154. Shri Chaman Shah , son of Shri Mangal Sain.
155. S. Gopal Singh Quami, son of S. Hem Singh.
156. S. Gurdip Singh Jhabalia, son of S. Jaswant Singh.
157. Shri Girdhari Lall Sharma, son of Pt. Dhirat Ram.
158. Shri Gopal Dass Verma, son of L. Hira Lal.
159. S. Harbans Singh, son of S. Jiwan Singh.
160. Shri Hari Singh Giani , son of S. Jawala Singh.
161. S. Hari Singh, son of S. Deva Singh.
162. Shri Hira Singh 'Dard', son of Bhai Hari Singh.
163. Hari Ram, son of Shri Narain Dass.
164. Shri Hans Raj, son of L. Balmukand.
165. Shrimati Iqbal Kaur, widow of S. Hazura Singh.
166. Shri Jaswant Singh, son of Pt. Dina Nath.
167. Sant Kaur and Shital Kaur, widows of S. Jwala Singh.
168. Shri Bhagat Singh Bedi.
169. Shri Kundan Lal, son of Pt. Ram Chand.
170. Shri Kundan Lal, son of Milak Ralia.
171. S. Kartar Singh, son of S. Deva Singh.
172. Shri Kharati Ram Vasudeva, son of Shri Ram Lall Vasudeva.
173. Shri Lal Chand, son of L. Harjas Mal.
174. S. Lal Singh, son of S. Tara Singh.
175. S. Mihan Singh, son of S. Bachint Singh.
176. Shri Mehar Chand Ahuja, son of Shri Hari Chand.
177. S. Narain Singh, son of S. Ladha Singh.
178. S. Naurang Singh, son of S. Lall Singh.
179. Shri Onkar Narain Gujral, son of Shri Ram Narain.
180. S. Phuman Singh Ajit, son of Shri Gnesha Singh.
181. Shri Paras Ram Uppal, son of Shri Nandu Mal Uppal.
182. Shri Piara Lall, son of Shri Labhu Ram.
183. S. Prem Singh, son of S. Pal Singh.
184. Shri Pran Nath Baba, son of L. Ghasita Ram.
185. S. Pritam Singh, sonof S. Ram Singh.
186. S. Raj Singh, son of S. Soman Singh.
187. Shri Ram Rakha Mal, son of L. Sahib Chand Malhotra.
188. S. Rachhpal Singh Dardi, son of S. Deva Singh.
189. Shri Subash Chandra Mahajan, son of L. Benarsi Dass.
190. Shri Shiv Dayal, son of L. Sant Ram.
191. S. Shiv Singh, son of S. Gurdit Singh.
192. Shri Shiv Kumar , son of Shri Ganga Dhar.
193. Shri Shiv Datt Ranga, son of Pt. Gopal Dass.
194. Shri Saifi Kashmiri, son of Shri Amir Bhat.
195. Shri Sohri Lal, son of Shri Devi Ditta Mal.
196. S. Sher Singh, son of S. Habir Singh.
197. Shri Siri Ram, son of Shri Prabh Dayal.
198. Shri Surinder Singh Puri, son of Shri Munshi Ram.
199. Shri Sardari Lal Bhatia , son of Shri Jagan Nath Bhatia.
200. Shri Uttam Chand, son of L. Kirpa Singh.
201. S. Ujjagar Singh, son of S. Partap Singh.
202. S. Waryam Singh, son of S. Sawan Singh.
203. S. Bachint Singh, son of S. Udham Singh.
204. Shrimati Harbans Kaur, wife of S. Anand Singh.
205. Shrimati Joginder Kaur, wife of Shri Randhir Singh.
206. Shri Joginder Singh, son of S. Achhar Singh.
207. S. Kartar Singh, son of S. Achhar Singh.
208. Com. Mohan Singh Azad, son of S. Dalip Singh.
209. Gyani Mohan Singh, son of S. Jwala Singh.
210. S. Ram Singh, son of S. Lal Singh.
211. S. Waryam Singh, son of S. Bhagwan Singh.
212. S. Wazir Chand Atish, son of Shri Faqir Chand.
213. Shrimati Krishana Wanti , widowed daughter-in-law-of Late Master Kirpa Ram
214. Shri Kali Saran Kalia, son of Pt. Dhirat Ram.
215. S. Harnam Singh, son of S. Kahna Singh.

LUDHIANA DISTRICT

216. S. Ajaib Singh,son of S. Wazir Singh.

[Chief Parliamentary Secretary]

217. S. Bhag Singh Bhatia, son of S. Sunder Singh.
218. S. Bhagat Singh, son of S. Sunder Singh.
219. S. Chanan Singh Lakhi, son of Shri Phunda Ram.
220. Shri Dev Raj, son of Shri Ram Lall.
221. S. Dharam Singh son of S. Deva Singh.
222. S. Gurmukh Singh Giani, son of S. Rugha Singh.
223. Shri Ghulam Mohd., son of Shri Maula Bux.
224. S. Gopal Singh, son of S. Khazan Singh.
225. S. Harnam Singh, son of S. Chuhar Singh.
226. Shri Ishar Dass Khanna, son of Shri Kanshi Ram.
227. S. Kehar Singh, son of S. Hira Singh.
228. S. Kehar Singh, son of S. Gurdit Singh.
229. S. Kartar Singh, son of S. Bhagwan Singh.
230. S. Kehar Singh, son of S. Waryam Singh.
231. S. Kaka Singh, son of S. Narain Singh.
232. S. Kartar Singh, son of S. Uttam Singh.
233. S. Lal Singh, son of S. Ude Singh.
234. S. Mal Singh, son of S. Chanda Singh.
235. S. Niranjan Singh, son of S. Ishar Singh.
236. S. Raja Singh, son of S. Karam Singh.
237. S. Ranjit Singh Mastana, son of S. Jiwan Singh.
238. S. Sadhu Singh, son of S. Narain Singh.
239. Shri Sant Singh Kamal, son of Shri Gobind Dass.
240. S. Thakur Singh Grewal, son of S. Bhagwan Singh.
241. Shrimati Vidya Wanti, widow of Shri Nand Lall.
242. S. Gurbachan Singh, son of S. Harnam Singh.
243. S. Karnail Singh, son of Late Baba Nand Singh.
244. S. Narain Singh, son of S. Sham Singh.
245. S. Nihal Singh, son of S. Narain Singh.
246. S. Saran Singh, son of S. Kishan Singh.
247. Shri Faqir Chand Kapur, son of Shri Nank Chand Kapur.
248. Shri Dalip Singh, son of S. Atma Singh.
249. S. Narain Singh, son of S. Puran Singh.
250. S. Harnam Singh, son of S. Charanjit Singh.
251. S. Nihal Singh, son of S. Nanak Singh.

FEROZEPORE DISTRICT

252. Shri Bhardwaj Sehgal, son of Shri Faqir Chand.
253. Shri Dewan Chand (Ice Seller), son of L. Kishan Chand.
254. S. Hakam Singh Dhillon, son of S. Ram Singh.
255. Shri Jagmohan Azad, son of Shri Tehal Dass.
256. Shri Kashmiri Lal, son of L. Bishan Dass.
257. Shri Krishan Singh, son of Shri Tajpal.
258. Shri Kanshi Ram, son of Shri Sita Ram.
259. Nil
260. S. Labh Singh alias Baba Dondi, son of S. Hazara Singh.
261. S. Lal Singh, son of S. Atma Singh.
262. S. Mahna Singh, son of S. Dhiyan Singh.
263. S. Puran Singh Hakim, son of S. Jiwan Singh.
264. S. Thaman Singh, son of S. Rur Singh.
265. S. Gurbachan Singh, son of S. Fauja Singh.
266. S. Karam Singh, son of Shri Madho Ram.
267. Dr. Narinder Singh, son of S. Kishan Singh.

AMRITSAR DISTRICT

268. S. Attar Singh, son of S. Mit Singh.
269. S. Ajit Singh, son of S. Sadhu Singh.
270. S. Amar Singh, son of S. Pal Singh.
271. S. Amar Singh, son of S. Wasawa Singh.
272. S. Bhan Singh, son of S. Bagga Singh.
273. Shri Bhawani Dass, son of Pt. Nanak Chand.
274. Shri Jagiree Mal, Congress Worker, son of Shri Guranditta Mal.
275. Shri Bhag Din, son of Shri Labhoo.
276. Shri Bahadur Chand Malhotra, son of Malik Brij Lal..
277. Nil.
278. S. Bhola Singh, son of L. Hem Raj.

279. Shri Dewan Singh, son of S. Wasawa Singh.
280. Sarvshri Dharam Singh, and Darshan Singh, sons of Baba Chattar Singh.
281. S. Dharam Singh, son of S. Ganda Singh.
282. Shri Dewan Singh, son of Pt. Joti Ram.
283. S. Gurmukh Singh, son of S. Uttam Singh.
284. S. Ganda Singh Jathedar, son of S. Nand Singh.
285. Shri Gopal Dass, son of Pt. Vir Bhan.
286. Shri Girdhari Lal, son of Pt. Bhola Nath.
287. S. Gurmukh Singh alias Ram Mohd. Singh, son of S. Ram Singh.
288. S. Gian Singh, son of S. Kesar Singh.
289. S. Gurbux Singh Taur, son of S. Kesar Singh.
290. Shri Bur Singh, son of Shri Sher Singh.

291. S. Hari Singh Kakkar, son of S. Amar Singh.
292. Shri Haveli Ram, son of Pt. Kanshi Ram.
293. S. Hajara Singh, son of S. Sunder Singh.
294. S. Harnam Singh Panchi, son of S. Natha Singh.
295. S. Harnam Singh, son of S. Buta Singh.
296. Shri Ishar Dass, son of Pt. Kirpa Ram.
297. S. Inder Singh, son of S. Jwala Singh.
298. S. Inder Singh, son of S. Bhagwan Singh.
299. S. Inder Singh, son of S. Kharak Singh.
300. Shri Joginder Singh, son of Shri Ganpat Ram.
301. S. Jagat Singh Pannu, son of S. Pal Singh.
302. S. Jaginder Singh, son of S. Sohan Singh.
303. S. Jagat Singh, son of Ishar Singh.
304. Shri Karam Chand Sawhney, son of Shri Gopi Nath Sawhney.
305. Shri Kishori Lall Tandon, son of L. Jagan Nath.
306. S. Kartar Singh Valtoha, son of S. Sadhu Singh.
307. Shrimati Kartar Kaur, widow of S. Bachan Singh.
308. S. Khem Singh, son of S. Surain Singh.
309. S. Kundan Singh, son of S. Pal Singh.
310. Sl Kesar Singh, son of S. Mehar Singh.
311. S. Lachman Singh alias Avtar Singh, son of S. Dasandha Singh.
312. S. Lachman Singh, son of S. Kushal Singh.
313. Shri Lahori Ram, son of Pt. Chint Ram.
314. S. Makhan Singh alias Rattan Singh, son of S. Dasoundha Singh.
315. Giani Mehar Singh, son of S. Sohal Singh.
316. Shrimati Malan , widow of S. Isher Singh.
317. Shri Mota Singh, son of S. Gopal Singh.
318. Shri Mathura Dass, son of Shri Thakur-Dass.
319. S. Niranjan Singh Nathawan, son of S. Lehna Singh.
320. Dr. Niranjan Singh Azad, son of Shri Tirath Ram.
321. S. Pal Singh, son of S. Isher Singh.
322. S. Puran Singh, son of S. Nand Singh.
323. S. Pritam Singh, son of S. Nihal Singh.
324. S. Saudagar Singh, son of S. Bhagwan Singh.
325. Shri Surjan Singh, son of L. Siri Ram.
326. S. Santa Singh, son of S. Vir Singh.
327. S. Santa Singh Panchhi, son of S. Tara Singh.
328. S. Surjan Singh, son of S. Jewan Singh.
329. Shri Sohan Lal Diwana son of Shri Kishan Gopal.
330. S. Sarmukh Singh 'Chamak' , son of S. Mangal Singh.
331. S. Surat Singh, son of S. Jawala Singh.
332. S. Santa Singh, son of S. Nihal Singh.
333. S. Sohan Singh, son of S. Nand Singh.
334. S. Sohan Singh, son of S. Sobha Singh.
335. Shri Sahib Dayal, son of Shri Sewa Ram.
336. S. Surain Singh, son of S. Santa Singh.
337. S. Shingara Singh, son of S. Banta Singh.
338. S. Teja Singh, son of S. Jwala Singh.
339. S. Tara Singh , son of S. Lehna Singh.
340. S. Udham Singh, son of S. Bhagwan Singh.
341. S. Uttam Singh, son of S. Jagat Singh.
342. S. Ujagar Singh, son of S. Santa Singh.
343. S. Wasawa Singh, son of Shri Mehtab Singh.
344. S. Bela Singh, son of S. Ghasita Singh.

[Chief Parliamentary Secretary]

345. S. Chanan Singh Darwesh, son of S. Kishan Singh.
346. Sarvshri Gurmukh Singh and Gurbhaksh Singh sons of S. Mangal Singh.
347. S. Harnam Singh, son of Santa Singh.
347-A. S. Chanan Singh, son of Shri Boor Singh.
348. S. Harnam Singh, son of S. Hukam)Singh.
349. Jathedar Harnam Singh, on of S. Jiwan Singh.
350. S. Kartar Singh, son of S. Jawahar Singh.
351. S. Raghbir Singh, son of S. Ram Singh.
352. S. Sohan Singh, son of S. Wadhawa Singh.
353. S. Sunder Singh Lyallpuri, son of S. Lakhmir Singh.
354. Giani Shankar Singh, son of Inder Singh.
355. Uttam Singh, son of S. Deva Singh.
356. S. Vir Singh, son of S. Lahna Singh.
357. S. Wasawa Singh Giani, Majitha.
358. Sarvshri Joginder Singh Kartar Singh sons of Shri Mehar Singh ali as Mohan Singh.
359. S. Harnam Singh, son of S. Kehar Singh.
360. Shri Amar Nath, son of Shri Prabh Dayal.
361. Shri Behari Lall Dhawan, son of L. Ram Rakha Mal.
362. S. Santa Singh, son of S. Ganda Singh.
363. S. Harbans Singh Baghi.

GURDASPUR DISTRICT

364. Shrimati Amar Kaur, wife of Shri Mohan Lall.
365. Shri Gian Chand Gandhi, son of Shri Tara Chand.
366. Shri Harbans Singh, son of L. Tulsi Ram.
367. Shri Karam Chand, son of L. Shankar Dass.
368. Shri Mohan Lall Gupta, son of L. Sham Lall.
369. Shri Munshi Ram, son of Shri Bhanga Shah Mahajan.

OUTSIDE STATE

370. Shri Amir Chand Kohli, son of Late L. Guranditta Mal.
371. Shri Atma Ram, son of Shri Gurditt Mall.
372. Dewan Amar Nath, son of Late Shri Hari Chand.
373. Shri Baldev Mittar Baijli, son of Pt. Ram Rattan.
374. Munshi Ahmed Din, son of M. Nuzamudin.
375. S. Balwant Singh, son of S. Sardar Singh Anand.
376. Bakhshi Ram Pandit, son of Pt. Darbari Ram.
377. Shri Bhim Sen Sehgal, son of L. Gopal Chand.
378. Shri Brij Lall, son of L. Mohri Ram.
379. Shri Bhagwat Dyal Sharma, son of Pt. Hira Lall.
380. Shri Chaman Lall, son of L. Ram Ditta Mal.
381. S. Charhat Singh, son of S. Nihal Singh.
382. Shri Dewan Chand Kataria, son of L. Dhanna Mal.
383. Shri Devi Ditta Mal, son of S. Himmat Singh.
384. Shri Duni Chand Toofan, son of L. Ram Ditta Mal.
385. Shri Dharam Bir, son of L. Bodh Raj.
386. Shri-Dharam Pal, son of L. Sadrari Lal.
387. S. Dalip Singh, son of S. Dasaundha Singh.
388. S. Gian Singh Bir, son of S. Wasawa Singh.
389. Shri Gian Chand Bubbar, son of Baba Lakhu Ram Ji.
390. Shri Gujrati Mal, son of L. Thakar Dass.
391. S. Gurmukh Singh, son of S. Jawand Singh.
392. Shri Haveli Ram Mussafir, son of Shri Pheru Mal Anand.
393. Shri Hans Raj Sikka, son of Shri Makhan Lall.
394. Shri Hirda Ram Bhai Minhas, son of Shri Gajjan Singh.
395. Shri Hari Singh Chakwalia, son of S. Bhagat Singh.
396. Shrimati Harbans Kaur, widow of Baba Gurbakhsh Singh.
397. S. Isher Singh Anand, son of S. Kanshi Singh Anand.
398. Shri Ishwar Datt Dewan, son of Dewan Ranjit Rai.
399. Shri Inder Sen Anand, son of Shri Nanak Chand.
400. Shri Jagat Ram Joshi, son of Pt. Ram Rattan.
401. S. Jaswant Singh Bedi, son of Baba Hira Singh.
402. S. Kartar Singh Bedi, son of S. Hira Singh.

403. S. Kulbir Singh, son of S. Kishan Singh.
404. S. Kultar Singh, son of S. Kishan Singh.
405. Shri Krishan Lall, Son of Shri NanakChand.
406. Shri Lachhmi Narain , son of Shri Bihari Lall.
407. Shri Lachhmi Narain alias Lachhu Ram, son of Bhai Asa Nand.
408. Shri Lal Chand, son of Shri Shanker Das.
409. S. Milap Singh Azad, son of S. Kartar Singh.
410. Shri Munshi Ram Jain, son of L. Mool Raj Jain.
411. Shri Mohar Chand Ahuja, son of Shri Hem Raj.
412. Shri Nand Lal Sharma, son of Pt. Manohar Lall.
413. Shri Narain Dass Malhotra, son of L. Ramal Dass.
414. S. Raghbir Singh Bedi, son of Bawa Hira Singh.
415. Shri Rishi Kesh Rishi, son of Pt. Amar Nath.
416. Shri Ram Saran Dass, son of L. Bishan Dass.
417. Shri Rup Lal Bhatia, son of L. Daya Ram Bhatia.
418. Shri Ramesh Mehta, son of L. Mool Chand.
419. S. Surjan Singh, son of L. Shiv Ram.
420. S. Saranaget Singh, son of Ch. Gian Singh.
421. Shri Shiv Narain Bhasin, son of L. Multani Ram.
422. Shri Siri Ram Sethi, son of Late L. Kanshi Ram Sethi.
423. Giani Tara Singh, son of S. Jawahar Singh.
424. Shri Tirath Ram Bali, son of Shri Rattan Dass Bali.
425. Shri Jaswant Arya, son of Shri Bahadur Chand.
426. Shri Arjan Dev Dhingra, son of L. Chandar Bhan.
427. Bakshi Abnashi Ram, son of Bakshi Jamiat Rai Mehta.
428. Shri Aishi Lall, son of L. Piara Ram.
429. Shri Bhavnesh Datt, son of Shri Parma Nand.
430. Shri B.D. Kalia, son of Shri Ram Dass Kalia.
431. Shri Dool Singh Sehgal, son of Shri Jawand Singh.
432. Shri Gopal Dass, son of Shri Mangat Ram.
433. Shri Jagdish Ram Azad, on of L. Devi Dass.
434. Shri Kundan Lall, son of Shri Jai Kishan.
435. Shri Lakshmi Chander Salaruja, son of Shri Dewan Chand.
436. Shri Mulkh Raj Chopra, son of Shri Amrik Rai.
437. Shri Mela Ram, son of L Boota Mal.
438. Shri Nand Lall Sharma, son of Shri Veer Bhan.
439. Shri Prem Paul Bhatia, son of Shri Khazan Chand.
440. Shri Roshan Lal Bhasin, son of Shri Bodh Raj.
441. Shri Rama Nand, son of L. Poorana Nand.
442. Shri Sita Ram, son of L. Hira Nand.
443. Shri Sukh Dayal, son of Shri Budhu Ram.
444. Shri Ujjagar Singh, son of Gyani Rattan Singh.
445. Dr. Mohan Lal Sharma, son of Pt. Munshi Ram.
446. Shri Vidya Sagar Vadhera, son of Shri Mulkh Raj.
447. Shri Teja Singh Chuharkana.

श्री राम प्यारा : क्या Chief Parliamentary Secretary साहिब बताएंगे कि जिन political sufferers को हिसार में ज़मीनें दी गई हैं वह Government के criterion को पूरा करते हैं।

चीफ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : ज़रूर करते होंगे।

DECLARING GADDI COMMUNITY OF KANGRA DISTRICT AS BACKWARD CLASS

***5410. Chaudhri Hari Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Gaddi Community of Kangra District has been declared as a Backward Class and included in the category of Backward Classes in the State, if so, since when?

Sardar Partap Singh Kairon: The matter is under consideration.

Chaudhri Hari Ram: How long will it take the Government to finalize the matter?

Chief Minister: It would not take long. It would be decided soon.

SHIFTING THE HEADQUARTERS OF POLICE RADIO SECTION FROM SIMLA TO CHANDIGARH

***4942. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any proposal to shift the Head quarters of Police Radio Section Central Room (Punjab) from Simla to Chandigarh is at present under the consideration of Government; if so, the details thereof together with the number of Radio sets (C.W.) at present in Simla and Chandigarh?

Sardar Partap Singh Kairon: (i) There is a proposal to shift the headquarters of Police Radio Section from Simla to Chandigarh and the selection of suitable site is still under consideration of the Capital Project Authorities.

(ii) There are 5 Terminals with 10 Transmitters and as many Receivers functioning at Control Station Simla, apart from 3 Transmitters and 3 Receivers as Standby to meet breakdowns and split net work during rush of traffic. At Chandigarh, there are 3 terminals with 6 Receivers and 6 Transmitters

श्री राम प्यारा : क्या Chief Minister साहिब बताएंगे कि उन्होंने कोई Target date fix की है जब तक वह shift कर लेंगे और उन के लिए site की selection कब तक हो जाएगी ?

Chief Minister : I want notice for this.

COMPLAINT OF INCREASED OPIUM SMUGGLING ON AMRITSAR BORDER

***5274. Shri Prabodh Chandra:** Will the Chief Minister be pleased to state whether he has recently received any complaint about the increase in the smuggling of opium on the Amritsar Border; if so, the steps, if any, taken to check it?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): No complaint about the increase in smuggling of opium on the Amristar Border has been received.

OPENING OF FAMILY PLANNING CLINICIS IN THE STATE

***5195. Sardar Rajinder Singh;** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount sanctioned by Government for opening of family planning clinics in the State in the year 1959-60 and the number of clinics actually opened, districtwise?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : *Part I.*—Rs. 1,48,810/-

Part II—

Name of District		Number of clinics opened by Government	Clinics opened by voluntary organisations
1. Amritsar	..	2	1
2. Jullundur		1	..
3. Ferozepore	..	2	..
4. Ludhiana		..	2
5. Ambala	..	1	6

Name of District		Number of clinics opened by Government	Clinics opened by voluntary organisations
6. Karnal	..	1	9
7. Hissar	..	2	1
8. Gurgaon	..	..	2
9. Rohtak	..	2	..
10. Simla	..	..	1
11. Kangra	..	2	..
12. Hoshiarpur	..	2	1
13. Patiala	..	3	2
14. Mohindergarh	..	2	..
15. Kapurthala	..	1	..
16. Bhatinda	..	2	1
17. Sangrur	..	1	..
18. Gurdaspur		..	1
	Total	24	27

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ Deputy Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ Government ਵਲੋਂ ਕਿਤਨੇ clinics ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ total amount ਪੁਛੀਆ ਸੀ 1959-60 ਦੀ । ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

REALISATIONS ON ACCOUNT OF PROFESSIONAL TAX

*5240. **Dr. Parma Nand** : Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount of Professional Tax realised district-wise in the State during the years 1958-59 and 1959-60 to date together with the number of districts from which the tax has been realised according to the highest slab?

Dr. Gopi Chand Bhargava: *First Part.* A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Second Part: The tax has been realised according to the highest slab where so payable in all districts.

Statement of Professions Tax realised during years 1958-59, and 1959-60 to date

Serial No.	Name of Treasury or district in which amount has been realised		Total realisation during 1958-59	Toral realisation during 1959-60 (up to middle of February, 1960)
			Rs	Rs
1	Ambala	..	1,23,782	68,033
2	Karnal	..	96,709	90,594
3	Hissar	..	97,114	93,144
4	Rohtak	..	94,342	36,582
5	Gurgaon	..	82,562	39,765
6	Simla	..	67,090	57,720
7	Chandigarh	..	59,907	65,609
8	Jullundur	..	1,94,188	1,07,725
9	Amritsar	..	2,16,482	2,11,160
10	Ludhiana	..	1,53,835	1,35,343
11	Ferozepore	..	1,07,152	87,590
12	Hoshiarpur	..	1,09,694	61,243
13	Gurdaspur	..	61,839	57,401
14	Kangra	...	23,305	23,598
15	Patiala	..	1,15,763	1,32,908
16	Sangrur	..	70,576	56,350
17	Bhatinda	..	1,04,486	87,770
18	Kapurala	..	72,870	62,067
19	Narnaul	..	14,527	10,618

LOANS DUE FROM EX-RULERS IN THE STATE

***5379. Sardar Dhana Singh Gulshan:** Will the Minister for Finance be pleased to state whether any loans are due to the Government from the ex Rulers in the State; if so, from whom, since when and the amount of loan in each case?

Dr. Gopi Chand Bhargava: It is an individual private concern. Therefore, it is not in public interest to supply the information.

श्री प्रबोध चंद्र : स्पीकर साहिब, Chief Minister साहिब ने यहां पर कहा था कि जो debts महाराजा पटियाला के against हैं वह हम dues के against adjust करेंगे। मगर अब यह कह रहे हैं कि यह उन का individual concern हैं।

श्री अध्यक्ष : Finance Minister साहिब ने मेरे साथ discuss किया था और मैं convince हो गया था। (The Minister for Finance had dissussed this matter with me and I was convinced with that.)

LOAN GRANTED FOR PURPOSE OF DAIRY, POULTRY OR PIGGERY

***4940. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether any industrial loans for more than Rs 2,000 have been advanced by the Government for the purpose of Dairy, Poultry or Piggery in the State during the period from April, 1958 to date, if so, how much in each district with the details in each category ;

(b) the names of the persons to whom the said loans had been advanced together with the amount in each case;

(c) whether it is a fact that some of the loanees have not started their business or industry for which the loans were advanced; if so, the names of such loanees together with the steps which Government had taken in this respect?

Shri Mohan Lal : A statement containing requisite information is laid on the Table of the House.

(a) (i) Yes.

(ii) An amount of Rs. 41,500/- was advanced as under:—

			Rs
Dairy Industry—Rs 39,000	..	Patiala District	4,000
		Gurdaspur District	10,000
		Amritsar District	15,000
		Rohtak District	5,000
		Jullundur District	5,000
		Total	39,000
Piggery Industry—Rs 2,500	..	Gurgaon District	2,500
Poultry Industry:	Nil		

(b) It is not in public interest to dissclose the names of the loanees.

(c) (i) No.

[Minister for Industries

(ii) Since the loans have been disbursed during the current financial year except one which was disbursed in March, 1959, their utilization reports will be due after the expiry of one year from the date of disbursement.

श्री राम प्यारा : पिछली दफा भी एक कर्ज़ों का सवाल आया था तो उसमें नाम बता दिए गए थे लेकिन अब इनकार करते हैं। तो मेरी अर्ज़ है कि इस बात का फैसला हो जाए कि किन किन की गवर्नमैंट ने list देनी है और किन की नहीं देनी है। कोई पालिसी तो decide हो जानी चाहिए किसी की list दे देते हैं और किसी की नहीं देते हैं।

मन्त्री : नाम ही नहीं दिए बाकी सारी information दे दी गई है।

श्री राम प्यारा : क्या यह फैसला हो गया है कि नामों की list नहीं दी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : यह तो हो सकता है कि वह loanees की total तादाद और total रकम बता दें लेकिन नाम बताने में मुश्किल यह है कि individual industrialist की financial position को public में रखना ठीक नहीं लगता है। (It is possible for the Government to give the total number of loanees and the total amount advanced to them but the difficulty in disclosing their names is that it does not look proper to reveal the financial position of an individual industrialist in public.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦੀਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ੨ ਨੂੰ ਕੇਹੜੀ loans ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਲੀਸੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ?

मन्त्री : हां बदल गई है।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। (ਹਾਸਾ)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि क्या उन loanees के नाम बताने में भी उनको कोई एतराज़ है जिन्होंने कर्ज़ा लेने के बाद उस काम को शुरू ही नहीं किया है ? क्या आप ऐसे लोगों के नाम भी छुपाए रखना चाहते हैं ?

मंत्री : यह तो वैसे hypothetical question है लेकिन मैं अर्ज़ कर दूं कि मैंने स्पीकर साहिब से भी अर्ज़ किया था और उन्होंने इस बात से agree किया था कि industrialists जिन्होंने कि इस सूबा की industries को चलाना है इस बात से झिझकेंगे कि उनके नाम openly public में publish किए जाएं क्योंकि उनकी financial reputation को धक्का लगता है। इसी लिए यह समझा गया कि ऐसी बात पूछना कि जिससे यहां

हाउस में किसी को फायदा नहीं मगर सूबा की industrial development को धक्का पहुंचता है, मुनासिब नहीं। मेरे esteemed colleague, hon. Finance Minister ने भी यह बताया था और निहायत वाजिब था इसीलिए अब यह पोज़ीशन ली है।

श्री प्रबोध चंद्र : On a point of order, Sir. मेरा point of order यह है कि यहां हाउस में गवर्नमैंट की contradictory policies बताई जाती हैं, कभी कोई पोज़ीशन ली जाती है और कभी कोई ली जाती है। अभी परसों की बात है कि यहां जवाब देते हुए बताया गया था कि फरीदाबाद की फलां फर्म को 50 हज़ार रुपया loan दिया गया है। परसों तो नाम बताने की पालिसी थी लेकिन आज और पालिसी बन गई है।

मन्त्री : वह तो एक individual case के बारे में पूछा था वह बता दिया था। He was very much interested in that case and I mentioned the name.

श्री अध्यक्ष : अगर वह नाम न बताते तो आप उसका और और मतलब निकालते। (If the hon. Minister had not disclosed the name then he might have put a different interpretation on that.)

श्री बल रामदास टंडन : लेकिन यह तो अजीब पोज़ीशन है कि अगर एक individual की बात पूछी जाए तो बता दी जाए और अगर पांच सात आदमियों की बाबत पूछा जाए तो कोई और पालिसी अख्तियार की जाए।

मन्त्री : अगर आप पूछें कि business concerns की financial position क्या है तो यह तो मुनासिब नहीं है। क्या आप अपनी financial condition पब्लिक में बताने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप भी business की बातें जानते हैं, आप ही बताएं कि क्या किसी business concern की माली हालत publicly disclose करना ठीक है ? (The hon. Member himself knows about business matters. Let him tell us whether it is proper to disclose publicly the financial position of a particular business concern ?)

श्री बल राम दास टंडन : स्पीकर साहिब, as a matter of policy I agree to it कि disclose नहीं करनी चाहिए लेकिन यहां पर सवाल यह है कि यहां पर different policy अख्तियार की जा रही हैं। एक individual का नाम तो बता दिया जाता है लेकिन अगर ज़्यादा पूछें तो यह पोज़ीशन ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : Industrialists की private चीज़ें public में रखना बुरा लगता है और इस से industrial developmont को भी धक्का लगता है। आप private तौर पर पंडित जी के पास जाएं वह आपको बता

[श्री अध्यक्ष]

देंगे। यह फैसला किया गया है कि अगर कोई वाकफियत इस बारे में लेना चाहता है तो private तौर पर ले ले। मिनिस्टर साहिब को एतराज़ नहीं होगा। (It looks improper to disclose the private affairs of the industrialists publicly and it also causes a set back to the industrial development. The hon. Member may see the hon. Minister privately and the latter would give him the information. It has been decided that if any hon. Member wants to obtain some information in this connection he may have it from the hon. Minister privately and the latter will have no objection to it.)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, इस सवाल के part c को देखें उस में साफ तौर पर पूछा गया है कि वह कौन कौन साहिबान हैं जिन ने कर्ज़ लिया मगर काम वाम कोई शुरू नहीं किया। यह ठीक है कि जिन को कर्ज़े दिए जाएं उनके नाम न बताए जाएं लेकिन जो कर्ज़ ले कर काम न करें यह तो उनके नाम भी बताना नहीं चाहते। वह तो बताएं।

मन्त्री : पंडित जी, बात यह है कि यह जो loans दिए गए हैं इसी current financial year में दिए गए हैं और अभी financial year चल रहा है खत्म नहीं हुआ है। इस के बाद हम देखेंगे कि किस किस ने utilisation की है और किस किस ने नहीं की है।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन को 1956 से 1959 तक dairy खोलने के लिए कर्ज़े दिए गए हैं उनमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया है ?

मौलवी अब्दुल गनी डार : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि हम नाम नहीं बताते क्योंकि उनके business को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है, लेकिन जनाब यह बड़ी मुश्किल बात है कि हमें कैसे पता चले कि गलत आदमियों को रुपया दिया गया है या जिन को रुपया दिया गया है उन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर personal सवाल करें तो कह देंगे कि individual का नाम आ गया है। इस का भी कोई इलाज करें।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में हमारी understanding यह है कि जो मैम्बर वाकफियत लेना चाहे वह मिनिस्टर साहिब से private तौर पर ले सकता है। (In this connection this understanding has been arrived at that if any hon. Member wants information he can get it from the hon. Minister privately.)

मन्त्री : मैं जनाब इनकी वाकफियत के लिए अर्ज़ करना चाहता हूं कि loans जो advance हुए हैं वह State Board of Industries की तरफ से हुए हैं और उस में इस हाउस के तीन मैम्बर शामिल हैं। उनको भी ऐसी list

supply की जाती है जहां कि दो हज़ार से पांच हज़ार रुपए तक Directo r of Industries advance करता है । दो हज़ार रुपए तक के loans district level पर advance होते हैं और उनके लिए वहां के मैम्बर साहिबान की advisory committee बनी हुई है ।

Raja Raghuvir Singh: After all, this House is a sovereign body and the loans are granted from the public money. Then, Sir, what are the reasons for not giving the names of the loanees to the House?

Mr. Speaker: This is not a supplementary question.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिनको यह कर्ज़े दिए गये हैं क्या गवर्नमैंट ने यह verify कर लिया है कि उन्होंने जिस मकसद के लिए कर्ज़ लिया वह काम शुरू कर दिया है ?

मन्त्री : इसका जवाब मैं अभी अभी दे चुका हूं ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि गवर्नमैंट की इस बारे में क्या पालिसी है ? जिस ने एक साल में काम शुरू न किया हो उस से loan recover करती है या force करती है कि काम शुरू करो ?

मन्त्री : अभी financial year चल रहा है ।

श्री राम चन्द्र कामरेड : इन्होंने जो information मांगी थी वह 1958 के बारे में थी और यह 1959 की बात कर रहे हैं कि साल चल रहा है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको 1958 में loan दिया गया उन में से जिस जिस ने काम नहीं किया उनके नाम तो बता दें ।

मन्त्री : मेरी अर्ज़ यह है कि actual date of disbursement of loans जो है वह current financial year में है । तो जब यह माली साल खत्म होगा तब देखेंगे कि किस ने utilization की है और किस ने नहीं की ?

श्री राम प्यारा : लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि अगर कोई specific period के अन्दर उस loan को utilise नहीं करता तो आपकी क्या पालिसी है ?

श्री राम प्यारा : क्या गवर्नमैंट ने यह पालिसी बना रखी है कि जब तक एक साल पूरा नहीं होता तब तक किसी की premise की verification नहीं होती है ?

श्री अध्यक्ष : अगर आप को डेरी का लोन दे दिया जाए तो आप भी कम से कम छः महीने भैंसें खरीदने में लगा देंगे और ढूंडते फिरेंगे । इन मामलों में कुछ वक्त लग ही जाता है । (If the hon. Member is advanced a loan for settting up a dairy he too will take about six months to search and purchase buffaloes. Accomplishment of such matters does tak. time.)

श्री प्रबोध चंद्र : यह भैंसें खरीदने की बात होती तब तो ठीक था लेकिन यहां तो यह होता है कि loan लेकर कई भैंसों की हड्डियां इकट्ठी करके बताई गई हैं कि भैंसें मर गई हैं । (*loud laughter*)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि dairy के लिये कर्ज़ा देने से पहले इस बात की verification की जाती है कि उस आदमी के पास इतने साधन हैं कि वह इस काम को अच्छी तरह से चला सकेगा ?

मुख्य मंत्री : अगर साधन देखे जाएं तो हरिजनों को कभी कर्ज़ा न दिया जाए । हम यह देखते हैं कि वह आदमी जिसे loan advance किया गया है वह यह काम कर सकेगा या नहीं ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं तो यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि हरिजनों के अलावा हिन्दु, सिख या मुसलमान जो यहां बसते हैं उन्हें dairy के लिये कर्ज़ा देते वक्त इस बात की तसदीक की जाती है कि वे यह काम चला सकेंगे ?

उद्योग मंत्री : हर एक application की जांचपड़ताल की जाती है ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनरल मोहन सिंह की जो dairy थी.....

Mr. Speaker : It is an individual question. It does not arise out of the main question.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : कई cases में देखा गया है कि जो कर्ज़े की रकम दी जाती है वह हज़म कर ली जाती है और काम जारी नहीं किया जाता ।

श्री राम प्यारा : क्योंकि वज़ीर साहिब ने ऐसे आदमियों के नाम नहीं बताए तो हो सकता है कि दोबारा उन आदमियों को कर्ज़ा दे दिया जाए जिन से recovery न हो सकी हो ।

Mr. Speaker : If the names of the persons to whom the loans have been advanced are disclosed, it might adversely affect their business. I will consult the hon. Minister privately as to what should be done in such cases.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब पंडित जी ने पिछले सैशन में फरमाया था कि प्राइवेट तौर पर वह information दे देंगे लेकिन उन्होंने यह information नहीं दी । अगर यह information न दें तो क्या किया जाए ?

मन्त्री : हाउस से बाहर तो मैम्बर साहिबान दरियाफ्त करते नहीं । Information collect की गई है जब चाहें देख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप information चाहें तो मिनिस्टर साहिब आप को देने के लिये तैयार हैं । लेकिन अगर ऐसी information ले कर किसी को ज़लील करना है तो यह बात ग़लत है । (If the hon. Member wants this information, the Minister is prepared to give it. But if after obtaining the information, he intends to blackmail some body then this is not proper.)

श्री बलराम दास टंडन : तीन महीने पहले भी लिख कर भेजा था। It was not a starred question.

मंत्री : मैम्बर साहिब हाउस से बाहर तो पूछते नहीं। हाउस में पूछते हैं। मेरे पास इस बारे में information मौजूद है वह ले सकते हैं।

श्री बलराम दास टंडन : मैं ने लिख कर दिया हुआ है। उन्हें चाहिये कि information मुझे भेज दें। इस तरह से तो publicity नहीं होगी।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. किसी मैम्बर का सवाल करना और गवर्नमैंट की तरफ से जवाब दिया जाना कोई private affair नहीं है। इस का ताल्लुक सारे हाउस से है। यह कहना बिल्कुल नई बात है कि इस का जवाब हाउस में नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आप ने इस बात को माना है कि businessmen जो industries चलाते हैं उन के भेद होते हैं। मिनिस्टर साहिब तो यह information देने को तैयार हैं लेकिन अव्वल तो मैंबर साहिबान को पता है क्योंकि वे ऐसी कमेटियों के मेंबर होते हैं और दूसरे अगर यह information हाउस में दी जाए तो ऐसे businessmen के जो मुखालिफ आदमी हैं वे उन को ऐसी information से ज़लील करने की कोशिश करेंगे। ऐसी complications पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इन से यह information ले सकते हैं जब यह आज *Ad-hoc* Committee की meeting में आयेंगे। (The hon. Member has admitted the fact that the businessmen who run industries have their own secrets. The hon. Minister is prepared to give this information because the hon. Members know this fact on account of their association with such committees but if it is given in the House it is possible that the rival parties of these businessmen may try to use such information to black-mail them. Therefore it is no use creating complications. The hon. Member can get this information from the Minister today when he comes to attend the meeting of the *Ad-hoc* Committee.)

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, अगर यह information हाउस में नहीं बताई जा सकती क्योंकि इस तरह से इस बात की publicity हो जाएगी और उन के business को नुक्सान पहुंचेगा, क्या मुझे वह file देखने के लिये खुद मिनिस्टर साहिब के पास जाना चाहिये या यह information उन्हें मेरे पास भेज देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस का तरीका निकाल लेंगे। (We will find out a way for this purpose.)

पंडित श्री राम शर्मा : अगर हर एक कमेटी में इस हाउस का मैम्बर शामिल होता है तो इस तरह से उस मैम्बर पर एतराज आयेगा जो इस कमेटी का मैम्बर है।

श्री अध्यक्ष : तमाम हाउस के मैम्बर ऐसी कमेटियों के साथ associated हैं। (All members of the House are associated with such committees.)

पंडित श्री राम शर्मा : इस का मतलब यह हुआ कि अगर इस हाउस का मैम्बर किसी कमेटी का मैम्बर हो तो उस को उस बात का इल्म होता है । इसलिये मैम्बर साहिबान को चाहिये कि वे मिनिस्टर साहिब से privately पूछें ?

श्री अध्यक्ष : आप ने गलत समझ लिया । आप spirit को follow करें । आज Adhoc Committee की meeting है वहां आप मिनिस्टर साहिब से बात कर लें । (The hon. Member has misunderstood me. He should try to appreciate the spirit underlying the suggestion. He may get this information from the Minister at the time when he comes to attend the meeting of *Ad-hoc* Committee today.)

Pandit Shri Ram Sharma: I am not personally interested in it.

PROVISION OF DRAINAGES AND STREET LIGHTING IN INDUSTRIAL AREA OF LUDHIANA

***5264. Sardar Ramdayal Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether it is a fact that no drainage or street lighting has been provided in the Industrial Area of Ludhiana; if so, the reasons therefor;

(b) Whether the facilities referred to in part (a) above are proposed to be provided in the said Industrial Area; if so, when ?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) Surface drainage was provided in part of the industrial Area at Ludhiana in accordance with the original scheme. The work is, however, incomplete. Street lighting has however, not been provided as it was not part of the original scheme for the Industrial Area.

(b) The question of providing improved drainage for the Industrial Area at Ludhiana is under the examination of Government, and action will be taken as soon as the scheme is finalized and necessary funds arranged. There is no proposal at present for provision of street lighting.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ industrial area ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ drainage ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ?

उप-मन्त्री : सड़कों वगैरह की amenities देना Municipal Committee का काम होता है ।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि Development के बारे में यह understanding थी कि गवर्नमैंट drainage, roads और electricity provide करेगी ? अब क्या वजह है कि आप back out कर रहे हैं ?

उपमंत्री : इस के लिए नोटिस चाहिये ।

श्री प्रबोध चंद्र : Development के मुताल्लिक क्या गवर्नमैंट ने नहीं कहा था कि it is the responsibility of the Government to give all these facilities ?

उप मंत्री : यह मामला डिप्टी कमिश्नर को refer किया हुआ है। उन की तरफ से comments आने पर इस मामले पर गौर किया जाएगा।

Mr. Speaker : The Question Hour is now over.

RESOLUTION (s)

10 a.m.

Regarding Distribution of Nazool and surplus lands in the State to the Scheduled Castes/Backward Classes and landless or intending cultivators. (Resumption of discussion)

Mr. Speaker: Now the House will resume discussion on the resolution that—

> "This Assembly recommends to the Government to take steps so that the Nazool land and land in excess of 30 acres with the landlords in the State at present is given to those belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and to landless cultivators or intending cultivators only."

Shri Ram Piara was in possession of the House when it adjourned on the 3rd March, 1960. He may resume his speech.

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, उस दिन मैं अर्ज कर रहा था कि गवर्नमैंट ने Land Utilization Act के under जो जमीनें लोगों से ली हैं वे हरिजनों को देने की बजाए, landless tenants को देने की बजाए, उन्होंने अपनी मर्जी के कुछ आदमियों को दी हैं, बड़े बड़े landlords create कर दिये हैं। जनाब, मैं एक मिसाल देता हूं। Co operative Farmers Reclamation Society को बयोली गांव में 2,187 एकड़ ज़मीन दी है। हमारी distillery के मालिक L. P. Jaiswal को 774 एकड़ जमीन Land Utilisation Act के under एक जगह दी है और 465 एकड़ दूसरी जगह दी है। इस तरह कुल 939 एकड़ जमीन एक आदमी को दी गई है। स्पीकर साहिब, इस House में कई चीजें कही गईं। डेढ़ लाख के करीब tenants हैं और साढ़े तीन लाख एकड़ जमीन है। मैं यह समझता था कि यह inefficiency की वजह से नहीं बसाए जा रहे। इन वाक्यात को देख कर और कल की बातें सुन कर पता चलता है कि labour की dignity को ऊंचा नहीं समझा जाता। यहां तो इस तरह की बातें की जाती हैं कि फलां तो cycle के punctures लगाता है। स्पीकर साहिब, मैं अपनी dignity को महसूस करता हूं, मैं labour करता हूं। मैं चोर दरवाज़े से अमीर नहीं बनता और न मैं चोर दरवाज़े से Minister बनता हूं। मुझे labour की कद्र है। कल राओ साहिब ने मेरे मुताल्लिक ऐसा कहा। उनके लिए यह फख्र की

[श्री राम प्यारा]
बात है कि वह एक adopted son हो कर ग्रमीर बने ग्रौर चोर दरवाज़े से Minister बने । (व्यवधान) मैं justification दूंगा । हमारी गवर्नमैंट ने ऐसा रवैया ग्रख्तियार किया हुग्रा है कि जो ग़रीब ग्रादमी है, जो मज़दूर हैं, जो बग़ैर ज़मीन के है, जो बग़ैर काम के हैं उसको तो रोज़गार नहीं देती, ज़मीन नहीं देती.......

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : On a point of order, Sir. मैं यह ग्रर्ज़ करता हूं कि इन्होंने remarks pass किए हैं ग्रौर चोर दरवाज़ा कहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ग्रगर कोई ग्रपने चचा की जायदाद inherit करे तो क्या यह भी एकचोर दरवाज़ा हो गया ? क्या वह property इनको मिल जानी चाहिए जो मेरे चचा है की ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापने कल कह दिया था, इस लिए इनको सारी रात नींद नहीं ग्राई। (The hon. Minister had said something about the hon. Member yesterday, therefore the latter could not have a wink of sleep last night.)

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मैं यह ग्रर्ज़ कर रहा था कि.... (व्यवधानन)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बात तो सुनिए। बड़ी बहादुरी से चलने वाले क्या बातें कर रहे हैं। (The hon. Member may please listen. He poses to be brave and courageous but what is he talking about?)

श्री राम प्यारा : हज़ारों एकड़ नहीं, लाखों एकड़ ज़मीन बड़े बड़े ग्रादमियों को दी है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप हरिजनों के लिए कह रहे हैं या किसी ग्रौर के लिए कह रहे हैं? इस में हरिजनों का क्या कसूर है? (Is the hon. Member saying this about Harijans or some body else ? What is the fault of Harijans in it ?)

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मेरा impression भी है । मैं ने कहा है कि उनको 5 एकड़ के हिसाब से भी ज़मीन नहीं मिलेगी।

श्री ग्रध्यक्ष : क्या यह चोर दरवाज़ा भी इसका हिस्सा है? (Does this reference to back door also form part of the distribution of these lands ?)

पंडित श्री राम शर्मा : कल राग्रो साहिब ने labour की dignity पर हमला किया था ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : मैंने labour की dignity पर हमला नहीं किया । मैंने तो ग्रर्ज़ किया था कि जिस ज़मीन का hon. Member ज़िक्र कर रहे हैं उसकी कीमत 5 पैसे है ; यह tube पर puncture लगाएं तो 4 ग्राने ले लेते हैं । ज़मीन गत्ते से भी सस्ती है। यहां से ले कर ग्रमरीका तक खोजते जाएं इतनी सस्ती ज़मीन नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : जब दूसरों की ज़मीन लेनी होती है तो गत्ते से भी सस्ती होती है। क्योंकि आप जो खरीदते हैं। कल आपने कुछ बातें कहीं तो जवाब में भी कमी नहीं छोड़ी गई और उसका जवाब भी वैसा आया। मैंने कहा बराबर हो गया। मेरा ख्याल है कि इन्हें रात भर नींद नहीं आई (*Addressing Shri Ram Piara*) Resolution पर बहस करो मैं आपको और इजाजत नहीं दूंगा । (When other's land is to be taken it is considered to be cheaper than a card-board even because the hon. Minister purchases it. Yesterday he made certain remarks and today in reply the hon. Member has tried to hit equally hard. I think that the scales have been balanced now. (*Addressing Shri Ram Piara.*) I feel the hon. Member did not have any sleep last night. Now he should speak to the resolution. I will not allow him to say any irrelevent things.)

श्री राम प्यारा : गवर्नमैंट ने लाखों एकड़ ज़मीन उन ज़मीदारों से इकट्ठी की जिन के पास 30, 40 या 50 एकड़ से ज्यादा थी। बजाए इसके कि वह ज़मीन हरिजनों को देते, गरीबों को देते, इन्होंने उनको नहीं दी, बल्कि बड़े बड़े landlords को दे दी। एक तरफ तो 30 standard acres की हद मुकर्रर कर दी और कहा कि 50 एकड़ वाले मालिक से जो 20 एकड़ surplus ज़मीन है वह ले ली जाएगी। इसकी कोई justification नहीं रह जाती। Farmers Reclamation Co-operative Society को ज़िला करनाल में 2,187 एकड़ ज़मीन दी गई। मेरे पास cases की इतनी बड़ी list है जिनमें कि हमारी सरकार ने हज़ारों एकड़ ज़मीन गरीब आदमियों से ले कर अमीर आदमियों को दे दी, तगड़े २ आदमियों को दे दी। शायद वे तगड़े आदमी इन्हें मदद देते होंगे। गरीब तबका जिसको ऊपर उठाने के लिए हमने socialist pattern of society बनानी है, जिसको हम ऊपर उठाना चाहते हैं उनको ज़मीनें नहीं दीं। उसकी dignity of labour की कद्र नहीं की जाती। इबराहिम लिंकन लकड़ियां काटता था, माउ सी तुंग रिक्शा चलाता था, ख्रुश्चिव भेड़ें चराता था, स्टालिन मोची का लड़का था और हमारे Chief Minister साहिब आल कुरेदते थे। गरीब आदमी इस तरह तरक्की करते हैं।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : On a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਇਸ Resolution ਨਾਲ ਕੀ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ relevancy ਦਾ ਖਿਆਲ ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। (When Shri Ram Piara is speaking, th hon Member should not expect relevancy.)

श्री राम प्यारा : हमारी गवर्नमैंट ग़रीब आदमियों को उभरने का मौका ही नहीं देती। गवर्नमैंट को कौनसा हक पहुंचता है कि वह छोटे ज़मीदारों से ज़मीन ले कर बड़े ज़मींदार create करे। एक तरफ हम socialistic pattern का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ landlords create करते हैं। मेरी बिनती है कि जब तक इन ज़मीनों पर, जो lease पर दी हुई हैं, ceiling मुकर्रर नहीं की जाती, जब तक यहां 30 एकड़ से फालतू ज़मीन नहीं ली जाती उस वक्त तक ग़रीब हरिजन landless agriculturists और tenants नहीं बस सकते। हमारी State के मुज़ारों की बुरी हालत है। मिसालें मौजूद हैं। हर साल tenants की ejectments में इज़ाफा होता जाता है। जब पूछते हैं तो कहते हैं कि 4 tenants बसाए हैं। जब पूछते हैं कि उजाड़े कितने गए तो कई हज़ार eject किए गए बताते हैं। हमारी गवर्नमैंट का तो प्रण है कि गरीबों को ऊपर नहीं उठने देना। यह जमीनें या तो State के सरमायादारों और उनके एजेंटों में तकसीम करनी हैं या ये privileged class के benefit के लिए तकसीम करनी हैं। किसी गरीब को नहीं दी जानी। सवाल यह है कि जब socialistic pattern of Society का नारा है तो नज़ूल land, surplus land, utilization के लिए उन्हें दी जाए जिनके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें देते तो नहीं। मैं हैरान हूं कि गवर्नमैंट इस तरफ क्यों कदम नहीं उठाती। मैं यह समझता हूं कि हालात ऐसे हो गए हैं कि गवर्नमैंट की intention ही नहीं। मैं यह चीज़ें लिख कर दे चुका हूं कि उनके ऊपर ceiling लगाई जाए। लिखने के बावजूद भी मेरा इन के मुताल्लिक impression नहीं बदला। मुझे डर है कि गवर्नमैंट की नियत ही नहीं है। मैं गवर्नमैंट को stress करना चाहता हूं कि ये जो routine दिन बदिन चलता है, रुपया इकट्ठा करके अमीरों पर खर्च होता है, यह बंद होना चाहिए। जिन स्कूलों में पांच पांच सौ लड़के पढ़ते थे वहां अढ़ाई अढ़ाई सौ रह गए हैं। अमीरों के लड़कों को ही रियायतें दी गई हैं।

अमीरों के बच्चों को ही उनमें दाखिल किया जाता है, गरीबों के बच्चों को फिर भी private स्कूलों में दाखिल होना पड़ता है जहां पर कि उन्हें फीसें देनी पड़ती हैं। जो कुछ भी गवर्नमैंट अपने जरायों से देती है वह गरीबों को बिल्कुल कुछ नहीं जाता। गवर्नमैंट का इस वक्त जो trend चल रहा है वह अमीरों को ही ज़्यादा अमीर बनाने का है। स्पीकर साहिब, मेरे पास खुद गवर्नमैंट की तरफ से दिए गए आंकड़े मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर सवाल नम्बर 1346 को लें। इसका जो जवाब दिया गया है उससे साबत हो जाता है कि किस तरह गरीबों की cost पर अमीरों की मदद की जाती है। एक distillery के लिए तो 939 एकड़ ज़मीन दी जाती है लेकिन गरीबों को पांच, छः, सात या आठ एकड़ से ज़्यादा नहीं मिलती। इतना ही नहीं। अकेले ज़िला करनाल में तीन सौ, साढ़े तीन सौ दरखास्तें pending पड़ी हैं। यह मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, यह गवर्नमैंट का अपना जवाब दिया

हुआ है। एक तरफ तो गरीबों को ज़मीनें दी नहीं जातीं, उनकी applications pending पड़ी हैं और दूसरी तरफ दीगर आदमियों को खुले दिल से ज़मीनें दी जा रही हैं। इस तरह से मैं पूछता हूं कि इस पंजाब की धरती पर आप landlordism को खत्म कर रहे हैं या कि landlords की एक नई class create कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मिनिस्टर साहिब की तरफ से जवाब यह दिया जाएगा कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं, क्योंकि इस तरह के जवाब देने के वह अब आदी बन चुके हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर आप को वाकई welfare of the State का कोई ख्याल है तो जैसा कि बाकियों के लिए 30 standard acres की limit लगा रखी है, इन नए किस्म के landlords पर भी कोई ceiling लगाई जाये। लेकिन हैरानगी की बात है कि बार बार यह सवाल उठाए जाने पर भी गवर्नमैंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती। जहां तक हरिजनों को ज़मीन देने का ताल्लुक है मैं आप को बताना चाहता हूं कि सवाल नम्बर 4917 के जवाब में गवर्नमैंट की तरफ से बताया गया कि जलालाबीरां गांव में हरिजनों के लिए जो ज़मीन खरीदी गई उस सिलसिले में जो enquiry की गई उस में एक local M.L.A. को associate किया गया था। मैं आप को बताना चाहता हूं कि यह report facts के बिल्कुल against है। कल दारू हेड़ा की बाबत भी गलतबयानी की गई। मैं आप को बताना चाहता हूं कि आप उस हरिजन M.L.A. को पूछ लें कि आया उन को associate किया गया। उसने बिल्कुल इस को approve नहीं किया, बल्कि disapprove ही किया। कल्लर ज़मीन खरीद की गई। यह एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : Order please. यह resolution कुछ categories की ज़मीनों की distribution के बारे में है। आप इसमें बिल्कुल irrelevant बातें introduce कर रहे हैं। यह वह मौका नहीं जिस पर आप general discussion कर सकें। Resolution का मज़मून यह है कि—

"This Assembly recommends to the Government to take steps so that the Nazool land and land in excess of 30 acres with the landlords in the State at present is given to those belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and to landless cultivators or intending cultivators only."

(Order please. This resolution deals with the distribution of certain categories of land only but the hon. Member is introducing quite an irrelevant matter into the debate. This is not the occasion to raise any general discussion. The resolution reads—

"This Assembly recommends to the Government to take steps so that the Nazool land and land in excess of 30 acres with the landlords in the State at present is given to those belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and to landless cultivators or intending cultivators only.")

श्री राम प्यारा : जनाब, मैं आप को बता रहा था कि किस तरह से ज़मीनें खरीदी जाती हैं और वह भी हरिजनों के नाम पर।

श्री अध्यक्ष : आप general discussion कर रहे हैं। I will not allow it. (The hon. Member is having a general discussion. I will not allow it.)

श्री राम प्यारा : जनाब, मैं irrelevant बिल्कुल नहीं हूं । मैं यह बताने जा रहा था कि जो कल्लर ज़मीन गवर्नमैंट खरीद कर रही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ।

Mr. Speaker: Now to buy and procure such lands is not the question.

अगर आप relevant नहीं बोलना चाहते तो बैठ जाइए । (Now to buy and procure such lands is not the question. The hon. Member may please resume his seat if he cannot speak relevant.)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ relevant ਹੈ ।

Mr. Speaker: This is not a point of order. The hon. Member should resume his seat and not interrupt the proceedings.

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, resolution यह है कि जो surplus land हो वह हरिजनों, landless cultivators or intending cultivators में बांटी जाये । लेकिन जनाब मेरी इत्तलाह के मुताबिक, Revenue Department के एक बहुत बड़े अफसर ने field में एक चिट्ठी भेजी है कि जो sales सन् 1953 से पहले पहले हुई हैं, जिनके इन्तकाल और mortgages हो चुके हैं, उनको surplus land में count न किया जाए । हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने House के अन्दर बाकायदा तौर पर यह commitment दी हुई है कि जो sales नाजायज़ हुई हों, उनको set aside करके वह रकबा भी surplus pool में जमा किया जाएगा । लेकिन उस assurance के बावजूद यहां चण्डीगढ़ में बैठा हुआ Revenue Department का एक Senior Officer field में यह हिदायात भेजता है कि 53 तक की की गई sales के इन्तकालात को surplus pool में न गिना जाये । मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह से बड़े बड़े land lords को सरकार की तरफ से protection मिलती रही तो सूबा के अन्दर surplus land रहेगी ही नहीं । Position आज बड़ी नाज़ुक बनी हुई है । Surplus area कम होता जा रहा है और दिन बदिन tenants की गिनती बढ़ती जा रही है । ज़मीन एक हाथ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और तीसरे से चौथे हाथ में transfer होती चली जा रही है । मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ गवर्नमैंट से प्रार्थना करूंगा कि जो ज़मीन Security of Land Tenures Act 1953 के तहत surplus हुई है और जिसकी बाबत खुद चीफ मनिस्टर साहिब ने commitment की हुई है, उसको निकालकर deserving लोगों को दिया जाय । इसके साथ ही गवर्नमैंट को चाहिए कि इस ज़मीन की कोई हद, ceiling मुकर्रर होनी चाहिए जो कि हरिजनों, landless

tenants और ejected tenants को देनी है । मैं चाहता हूं कि यह 10 एकड़ से ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए । इसके अलावा Utilization of Waste Lands Act के तहत जो ज़मीन vested interests को दी हुई है, उसकी भी कोई limit या ceiling मुकर्रर होनी चाहिए । जब बाकियों के लिए 30 standard acres की ceiling है तो उनको क्यों इससे ज़्यादा exempt किया जाये । उनकी ceiling मुकर्रर करके बाकी की ज़मीन को surplus pool में लाना चाहिए । जब तक इसमें से भी surplus area न निकाला जायेगा तब तक लोगों की तसल्ली नहीं होगी । स्पीकर साहिब, गजब की बात है कि सैंकड़ों एकड़ ज़मीन उन landlords के पास है लेकिन अभी तक गवर्नमैंट उन से lease money वसूल नहीं कर सकी । एक एक party के नाम आठ-आठ, दस-दस, पंद्रह-पंद्रह हज़ार रुपया lease money का लगता है—एक के नाम 12,000 रुपया है । इस तरह 21,840 रुपया lease money है लेकिन वह अभी तक लोगों को नहीं मिल सका । ज़मीन लेकर, इकट्ठी करके तो उन को दे दी लेकिन जो असली मालिक हैं उन को lease money अभी तक नहीं मिली । और जिस मकसद के लिए Utilization of Waste Lands Act बना था, वह पूरा नहीं हो रहा । इस लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि waste land की ceiling मुकर्रर की जाये, उस से surplus area निकाला जाये, जो चिट्ठी ऊपर से issue हुई है उसको वापस लिया जाये और surplus pool में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन डालकर उस पर जल्द अज़ जल्द हरिजनों, landless tenants और ejected tenants को बसाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : आज न तो डिप्टी स्पीकर साहिब और न ही Panel of Chairmen के मैम्बर साहिबान इस वक्त House में हाज़िर हैं । मैंने House की दो committees की meetings attend करनी हैं । अगर मैम्बर साहिबान श्री राम प्यारा की तरह बातें करना शुरू न कर दें तो मेरा ख्याल है कि काम मुश्किल नहीं होगा । इस लिए अगर आप agree करें तो मेरी गैर हाज़िरी में श्रीमती ओम प्रभा जैन जो कि एक lawyer भी हैं, यहां बैठ जाएं । (To day neither the Deputy Speaker nor any member of the Panel of Chairmen is present in the House and I have to attend meetings of the two committees of this House. If the hon. Members do not try to emulate the performance of Shri Ram Piara then I don't think there will be any difficulty to carry on the proceedings smoothly. I, therefore, suggest that if the House agrees Shrimati Om Prabha Jain who is also a lawyer member of this House may occupy the Chair in my absence.)

The Sabha agreed. (*Applause*)

(*At this stage Shrimati Om Prabha Jain occupied the Chair*)

श्री मुनी लाल कामरेड (शिमला) : चेयरमैन साहिबा, यह जो resolution हाउस में पेश है मैं इस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इस की ताईद करना इस लिये ज़रूरी है क्योंकि land to the tiller का नारा तमाम political parties ने उठाया है। जो लोग ज़मीन पर मेहनत करते हैं पर इस की मलकियत से महरूम हैं उन्हें ज़मीन मिलनी चाहिये। इस असूल को कांग्रेस ने माना है और दूसरी हरेक political party ने माना है। लेकिन इस के साथ मैं समझता हूं कि यह resolution उस तरह का पेश नहीं हुआ जिस तरह का resolution पिछली दफा Opposition की तरफ से यहां पेश किया गया था। इस से तो यह साफ ज़ाहिर है कि--

मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की।

पिछली दफा सरकार ने यह नारा दिया कि land to the tiller और तमाम हिन्दुस्तान में land reforms हुईं लेकिन इस का नतीजा उल्टा हुआ और एक दो की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुज़ारे बेदखल किये गये और बहुत सारे तो ज़बरदस्ती बेदखल किये गये। आज सरकारी बैंचों की तरफ से यह resolution आया है लेकिन पिछली मरतबा जब इसी तरह का एक resolution Opposition Benches से पेश हुआ था तो Treasury Benches की तरफ से इस को मुखालिफत महज़ इस लिये की गई थी क्योंकि सरकार इस का credit अपने ऊपर लेना चाहती थी। आज जो यह resolution Treasury Benches की तरफ से आया है मैं इस की ताईद करता हूं लेकिन सरकार से यह assurance चाहता हूं कि यह ज़मीन इस साल में ज़रूर बांटी जायेगी। यह जो resolution है, इस की wording को पढ़ने से मालूम होता है कि यह बड़ा vague है और इस से यह महसूस होता है कि जितने एकड़ नज़ूल land पंजाब में पड़ी हुई है और जितने एकड़ ज़मीन देने का वादा किया गया हुआ है उस से लेने वालों की तादाद ज़्यादा होगी। इस से मैं समझता हूं कि यह नारा उसी तरह से नारा ही बन कर रह जायेगा जिस तरह से यहां land reforms की बात हुई है।

इस के अलावा, चेयरमैन साहिबा, Lands Utilization Act बनाया गया और दूसरे कानून बनाये गये। यह तमाम चीज़ें यह ज़ाहिर करती हैं कि सरकार चाहती तो है कि land to the tiller जाये लेकिन यह जो कानून बनाती है उन पर ठीक तरह से अमल नहीं हो पाता और यह नारा नारा ही बन कर रह जाता है।

इसी तरह से erstwhile पैप्सू में land reforms हुईं और उस वक्त की पैप्सू सरकार ने land reforms की बात बड़े तमतराक के साथ कही कि पैप्सू ने सारे हिन्दुस्तान भर की दूसरी States को land reforms में lead किया है **लेकिन** आप देखें कि उन reforms का net result क्या निकला। महज़ कानून बनाने से ज़मीन तकसीम नहीं होती ; इन land reforms का

यह नतीजा है कि हज़ारों की तादाद में मुज़ारों की बेदखलियां हमारे सामने आई। अब ज्यों ज्यों elections के दिन नज़दीक आ रहे हैं त्यों त्यों यह सरकार उन मुज़ारों की तरफ ध्यान देने लगी है। जिन लोगों को land to the tiller का नारा दिया गया था और उन्हें ज़मीन दी नहीं गई बल्कि उन की बेदखलियां हुई उन को शान्त करने के लिये अब यह चीज़ें सरकार कर रही है। दूसरा क्योंकि सरकार अपने दूसरे पांच साला मनसूबे में देश में उतनी rapidly industrialization नहीं कर सकी जितने के लिये यह कहती थी इस लिए यहां बेकारी बढ़ी है। फिर एक तो लोगों की आबादी बढ़ी है और दूसरा बड़े बड़े landlords ने जिन का सरकार पर hold है, मुज़ारों को ज़मीनें लेने नहीं दी बल्कि उन्हें बेदखल किया है और इस से बेकारों की तादाद में इज़ाफा हुआ है। इन तमाम बातों का नतीजा यह हुआ है कि बेकार landless tenants की एक बहुत बड़ी army इकट्ठी हो गई है। इस लिये उन का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिये ज्यों ज्यों elections नज़दीक आ रहे हैं सरकार ने यह नारा लगाना शुरू किया है। अब यह resolution Treasury Benches की तरफ से लाया गया है हालांकि वह resolution जो पिछली बार Opposition के Benches की तरफ से लाया गया था बड़ा वाज़ेह शक्ल में था और अब जो लाया गया है यह बड़ा vague है। इस में scheduled castes, backward classes, landless cultivators or intending cultivators तमाम डाल दिये गये हैं। Intending cultivators की term तो बड़ी vague है और इस में हर कोई आ सकता है और इस से इस चीज़ का कोई हल नहीं निकल सकेगा। इस का नतीजा यह होगा कि ज़मीन के मांगने वाले ज्यादा होंगे और ज़मीन थोड़ी होगी। फिर इस में 30 standard acres से ज्यादा की बात की गई है। मुझे तो इस में शक है कि इस पर भी कोई अमल होकर कुछ ज़मीन निकाली जा सके क्योंकि जिस तरह से पैप्सू में ज़मीन तकसीम कर दी गई, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिये गये और अपने रिश्तेदारों के नाम करा दिये गये, कुछ बड़े बड़े farms बना लिये गये और कुछ बड़े बड़े बाग लगा लिये गये, इसी तरह यहां होगा और इस का नतीजा यह निकलेगा कि जिन लोगों का सरकार पर कब्ज़ा है, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं और उन का class character यह है कि वे landlords के पक्ष में हैं उन्होंने इस पर अमल नहीं होने देना। जहां तक इस resolution की नियत का सवाल है यह तो अच्छी है। हालांकि सरकार ने Opposition के resolution को जो इस की अपनी नीति को support करता था कोशिश कर के रद कर दिया था। फिर भी हम इस resolution की इमानदारी के साथ ताईद करते हैं और कहते हैं कि सरकार इस में कुछ amendment ला कर इस को मंजूर करे। इस के लिये यह सरकार यह एलान करे कि 1960 में यानी इसी साल में यह सारी ज़मीन तक्सीम कर देगी ताकि हम देख सकें कि आया सरकार

[श्री मुनी लाल कामरेड]

ऐसा करना भी चाहती है या यों ही कहती है। अगर यह ऐसा कर पायेगी तो हम Treasury Benches को मुबारकबाद देंगे। मैं यह महसूस करता हूं कि इस resolution को Treasury Benches के हरेक quarter से support मिलेगी। इस से यह पता चल जायेगा कि Treasury Benches के जो hon. Member साहिबान हैं वे क्या नारों में ही यकीन रखते हैं या अमली तौर पर ज़मीन को बांटना चाहते हैं। अगर वे इस resolution को इस में कुछ modification करने के बाद पास कर देंगे तो पता लग जायेगा कि वे इमानदारी के साथ ज़मीन बांटना चाहते हैं या नहीं।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ resolution ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ surplus area ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨਜ਼ੂਲ lands ਹਨ ਉਹ scheduled castes ਨੂੰ, back-ward classes ਨੂੰ ਅਤੇ landless cultivators ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ cultivators ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਜ਼ੂਲ lands ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ seed farms ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਕੋਈ agricultural farms ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸਨ। ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ੂਲ land ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ collective co-operative farms ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ farms ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ੂਲ land ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ circular ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ੂਲ land ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ co-operative societies ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ co-operative societies ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੇਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ mover ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਹਨ Backward Classes. ਇਹ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ Backward Classes ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ scheduled ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਇਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਜਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਲੋ ਮਲੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਫ ਅਤੇ ਤੈਹ ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ circular ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ Backward Classes ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਜੋ landless ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਕ vague resolution ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜ ਤਕ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕੀ ਸਗੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਸਲ ਗਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਲਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ

[ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਹ ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਛੜਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਅਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਨਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ landless ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ । ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸ 30 Standard Acres ਤੋਂ ਵਧ surplus ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੋਣ । ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, landless ਹੋਣ । ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਕਨਾਲ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜਾਂ ਏਕੜ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਏਕੜ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ, Land Utilization Act ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ Agriculture Minister ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Land Utilization Act ਹੇਠ ਜਿੰਨੀਆਂ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਸ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤਕ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ । ਅਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ Land Utilization Act ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਵੇ ਸਿਵਾਏ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ । ਮੈਂ ਕੋਈ figures ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ reclaim ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ reclaim ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ reclaim ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਨੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ । ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 360 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 750 ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : On a point of order, Sir. ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ relevant ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ Resolution ਨਾਲ ਕੀ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ?

Mr. Chairman : Yes, he is relevant.

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਏਥੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ subsidies ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ $7\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ subsidies ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ loan ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਰਜ਼ਾ Land Mortgage Bank ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ Land Mortgage Bank ਤੋਂ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ

[ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 40 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ 2,500 ਰੁਪਿਆ Land Mortgage Bank ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਆਪ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ programme ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਅਤੇ subsidies ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ programme ਹੈ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ publicity ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ D. C. ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । Local ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੀਜਨ leaders ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਛਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭੋ । ਅਸੀਂ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਉ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨੀ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, District Agricultural Officer ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ । Co-operative Society ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ Welfare Department ਦਾ ਮਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹ Scheme ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ । ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ । ਮੈਂ Deputy Commissioner ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ । ਉਥੇ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਭੂਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੇ । ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੀ । ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੀ । ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ House ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ personal request ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਗ਼ਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ,

D. C. ਕੋਲ ਜਾਕੇ personal requests ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕੋਈ 40 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਲੋਆਲ ਵਿਖੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ-ਟਾਂਡਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ । ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਦ ਵੇਖੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ । ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਉ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ Unionist Ministry ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ request ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । 1949 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਐਕਟ ਤੋੜਿਆ । ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਠਾ ਛਤਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਉ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲ 50 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਥਾਉਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ । ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਨਾਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ । ਵਸਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Partition ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ families ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਉਜਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਜੋ refugees ਆਏ ਉਹ evacuee property ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਸਨ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਉਂ ਥੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਖਸਰਾ ਗਰਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਉਂ ਸੀ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : कानून टूटने के बाद हरिजनों ने कितनी ज़मीन खरीदी है ?

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 360 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 4,500, 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ Land Utilisation Act ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ reclaim ਕਰਵਾਈ

[ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]
ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੀ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਿਵਾਏ Agricultural Farms ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਰੀਜਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਸਬ ਲੋੜ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਗੇ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ । ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਣਾ ਹੈ।

ਸੋ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ (ਘੰਟੀ)।

ਮੈਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ policy ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 30 ਏਕੜ ceiling ਜਿਹੜੀ fix ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਜਿਹੜੀ surplus land ਦਸਤਿਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ resolution ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਡੇ ਵਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ withdraw ਕਰ ਲੈਣ ।

ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ (ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਇ)**:** ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ resolution ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ :—

ਬਾਗਬਾਂ ਨੇ ਆਗ ਦੀ ਜਬ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕੋ ਮੇਰੇ
ਜਿਨ ਪੈ ਤਕੀਆ ਥਾ ਵਹੀ ਪਤੇ ਹਵਾ ਦੇਨੇ ਲਗੇ ॥

ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ future ਕੀ ਬਣੇਗਾ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿ ਇਸ resolution ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਪਕਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ land to the tiller ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ; ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਤਦ ਤਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ surplus ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ scheduled castes ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਉ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਚੰਗੇ agriculturists ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਜਾਂ backward classes ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਉ ।

ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਇਕ ਗੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਐਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ । ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤੋਰੀਆ, ਸਰੋਂ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਮਾਦ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਕਿਨੇ ਸੇਰ ਫੀ ਏਕੜ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ 10 ਸੇਰ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆਖਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਇਕ ਸੇਰ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਸੇਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਕਮਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੱਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਗੀ . . .

Chaudhri Dharam Singh Rathi: How is he relevant ?

ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ : ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ । (ਹਾਸਾ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਦੀ ਗੰਜੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

[ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ]

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ

11. a. m.

ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਕੀ ਫੇਰੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਤੀਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਅੰਜਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਏ ਸਿਖ ਵਾਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਢੋਨਾਂ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਚਕ ਸਰਕਾਰ ਛਾਂਗਾ ਨੰ: 1, ਨੰ: 2, ਔਰ ਫੱਤੂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 1949 ਔਰ 1950 ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮਗਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਡ ਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਚਾਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉ, ਮੈਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ : ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਉ ਬੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ Rehabilitation Minister ਸੀ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ Rehabilitation Minister ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 36132 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਔਰ 46883 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਰਲਾ ਖੰਨਾ ਡੀ ਐਮ (ਆਰ) ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਸਰੇ ਨੰਬਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ allot ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਲ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਏ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਛੇ ਲਖ ਆਦਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ behalf ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ । ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਵਿਚ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਲਈਆਂ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਕ ਗੁਗੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸੀ । ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਕ ਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਬਰਕਲੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਕੇ ਗੁਗੇਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲਟਕਾਇਆ । ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਨਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਸੀਂ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ । ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, 1947 ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ Rehabilitation Minister ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਛਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਉ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਰਹਦ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਏ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਔਰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਥੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ । ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹਨ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸੰਨ 1957 ਦੇ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ backward class declare ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ 1959 ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਕਵਰਡ ਬਣੀਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚੇ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ,

[ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ]

ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਠੋਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕੜ ਸੁਟਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉ ਔਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੀੜ ਤਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ irrigation ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰਾਏ ਸਿਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ other classes ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਰਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 25% ਦੀ ਹੋਰ provision ਕਰੋ । ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਤਰਫਾ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ 10 ਮੀਲ ਦੇ area ਵਿਚ Custodian ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 50 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇ ਰਾਏ ਸਿਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜੋ resolution ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੌਰਮੇਂਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਇਸ

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬੁਲ੍ਹ ਲਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲ੍ਹ ਲਮਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਾਵਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੁਲ੍ਹ ਲਮਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ device ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦੀ ਹਦ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ। ਅਜ ਲੋੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਸਕਾ ਕਾਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ"। ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ? ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਟ ਕੋਲ ਘੋੜੀ ਸੀ ! ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਜਟ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਜਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘੋੜੀ ਲਈਏ । ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਝ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲੈ ਲਉ ਅਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਘੋੜੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅਕਲ ਠਿਕਾਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ—

'ਮਝ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ,
ਦੁਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਗਏ ਲਿਦ ਸੁਟਣੀ ਪਈ ।'

(ਹਾਸਾ) ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਲ ਕਦੇ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਸੋ ਤੇ ਦਿਉ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ । ਹਰੀਜਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜੁਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ skill ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਰੀਜਨ ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ textile mill ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ? ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦਿੰਦੇ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਢਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਟ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿਉ । ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਉ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇਗਾ । ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਵੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ । ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਧ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਕੋਲ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਰੁਲੀ ਖੁਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ technical ਚੀਜ਼ ਹੈ (ਘੰਟੀ)। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਠਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੌ ਪੁਛ ਗਿਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਅਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੌ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਰਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹੋ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ resolution ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ indefinite ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲ੍ਹ ਲਮਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ resolution ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ agricultural ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਤਬਕਾ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਬਹੁਤ ਮਸੀਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ political parties ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲ ਕਢਿਆ ਜਾਏ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਭੂਮੀ ਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ All-India Congress Committee ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ resolution ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ Land to the tiller । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Communist Party ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਿਆ ਗਿਆ । ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1953 ਵਿਚ, ਤੇ ਫੇਰ 1955, 1956 ਤੇ 1958 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ । ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਰਜ਼ ਵਧਦਾ ਗਿਆ । ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੇਦਖਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਹਦ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ (*laughter*) ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਉਤੇ Swatantra Party ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ fifth columnists ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਖਰੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ resolution ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ nazool land ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਾਂ । 45,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡ ਚੁਕੇ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ challenge ਕਰ ਕੇ ਪੁਛਦਾ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ruling party ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਮਾਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ nazool land ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 45,000 ਏਕੜ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਤੀ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ

ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਚਿਆਲਪੁਰ, ਸੋਢੀਆਂ ਖਾਸ ਤੇ ਬਨੂਟ ਪਿੰਡ ਵਿਚ । ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ Societies ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ । ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਬੀ ਦਿਤਾ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, modern ਔਜ਼ਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ-fake societies ਬਣਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਰਚਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ production ਵਧੇਗੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹਲ ਹੋਣ ਲਗਾ ।

ਫੇਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ resolution ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 32, 33 ਜਾਤੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ rubber ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਥੋਂ ਲਈ ਜਾਏ । ਇਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ permissible limit ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਗੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣੇ ਹਨ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ ਘੰਟੀ ਨਾ ਬਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ talk out ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਏਸ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਲ ਹੋਏਗਾ।

श्री रण सिंह (थानेसर—रिजर्वड) : चेयरमैन साहिबा, जो resolution इस वक्त असेम्बली के सामने है मैं इसकी बिल्कुल सराहना नहीं करूंगा, बल्कि इसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस resolution में यह मांग की गई है कि surplus land नजूल land जो ज़मीन Land Utilization Act के तहत acquire की गई है और जो भी दूसरी ज़मीन गवर्नमैंट के पास है वह हरिजनों, landless tenants ejected tenants और जो intending cultivators हैं उनको दी जाए। मैं नहीं समझता कि इस तरह के जो resolutions लाए जाते हैं, उन्हें move करने वालों के दिलों में हरिजनों के लिए कहां तक हमदर्दी और सच्चाई है। मैं समझता हूं कि असल में इस Resolution के द्वारा इन पिछड़े लोगों के साथ ज्यादती की गई है, मज़ाक किया गया है, धोका किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस असेम्बली में हमारे Opposition के दोस्त और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ दोस्त गरीब हरिजनों, landless tenants और छोटे cultivators के साथ रोज़ाना मजाक करते है। बात बात में हरिजनों का नाम लेकर कभी कहा जाता है कि उनको ज़मीन दो कभी कहा जाता है कि उनको फलां tax मुआफ करो। लेकिन असल में अगर उन्हें कुछ मिलता है तो कांग्रेस हकूमत से ही मिलता है वरना इन साथियों से तो हरिजनों को कोई उम्मीद नहीं हो सकती जिनका मनशा इस किस्म के resolution लाकर सिर्फ उनके साथ मज़ाक और धोका करने का ही होता है।

इस resolution की मुखालिफत करते हुए मैं आप को एक मिसाल भी देना चाहता हूं। एक समय की बात है कि किसी गांव में चार पड़ोसियों ने एक कुतिया मोल ली—और वह ली खेतों की रखवाली करने के लिए। उसका यह हाल होता कि जब जिसको ज़रूरत पड़ती उसे "तोए तोए" करके और रोटी का टुकड़ा दिखा कर अपने खेत में बुला लेता। और खेत की रखवाली करवाता। कभी एक बुला लेता और कभी दूसरा और इसी तरह रोटी का टुकड़ा दिखा कर कभी तीसरा बुला लेता और कभी चौथा। इस तरह वह कुतिया इधर से उधर और उधर से इधर भटकती रहती। मैं समझता हू, चेयरमैन साहिबा, कि हरिजनों का भी ठीक इस वक्त यही हाल है। कभी चौधरी धर्म सिंह राठी और कभी दूसरे साथी हरिजनों और गरीब मुजारों के साथ इसी तरह का मजाक करते हैं। बाहर से तो ऐसे resolution से ऐसा मालूम होता है कि हरिजनों के यह सब से ज्यादा हमदर्द हैं लेकिन असल में बात उलटी होती है, हरिजनों का नाम लेकर यह अपना political stunt खड़ा करते हैं वरना सब को पता है कि सीरियों और agricultural मजदूरों के साथ यह लोग किस किस्म का सलूक करते हैं। ज़मींदार लोग अपने खेतों पर बिजाई और दूसरी कमाई के लिए

सीरी लगाते हैं तो क्या करते हैं? उनका एकाध सीरी होता है जिस के साथ यह बिजाई से पहले settlement कर लेते हैं। उसके साथ यह फैसला किया जाता है कि साल के आखिर में तुम्हें उपज का इतना हिस्सा मिलेगा। इसके बाद उसे चार पांच सौ रुपया कर्ज़ या पेशगी का लालच देकर उसको वह दे देते हैं और वह उन के काम में लग जाता है। दर असल उसका settlement तो खेत के काम के लिए होता है लेकिन काम उससे बेगार में कई किस्म का और भी लिया जाता है। वह बेचारा गरीब होता है, पैसे की उसे ज़रूरत होती है इसलिए ज़रा भी चूंचड़ां नहीं कर सकता। उस से ही नहीं उसके सारे कुनबे से फिर यह बड़े ज़मीदार मुफ्त में काम करवाना शुरू कर देते हैं। उसके लड़को से मवेशियों को चारा डलवाते हैं, उसकी स्त्री को कपास चुनने पर लगा देते हैं, किसी को मकान की चुनाई पर लगा देते हैं और इस तरह से उसकी गुरबत का नाजायज फायदा उठा कर उन को तंग किया जाता है। साल के आखिर में बटाई का पांचवें या छटे हिस्से का लालच देकर सारा साल उस आदमी को और उसके कुनबे के members को मजदूरी के काम पर लगाए रखते हैं। और आखिर में होता क्या है? जो उसका हिस्सा निकलता है वह उस रुपए के सूद की शक्ल में ही पूरा कर लेते हैं और जो मूल कर्ज़ दिया होता है वह उसके नाम उसी तरह पड़ा रहता है और इस तरह वह गरीब इस शिकंजे में जकड़ दिया जाता है। उसको यह सारा काम करना पड़ता है क्योंकि वह लाचार है, गरीब है और उसे माली इमदाद की ज़रूरत है, बहरहाल, मैं अर्ज़ यह कर रहा था कि यह resolution भी उन को धोका देने वाला ही है। हम इसकी किसी हालत में सराहना नहीं कर सकते। यह जो रैजोल्यूशन सरदार नरिंजन सिंह ने पेश किया है या जो राठी साहिब और दूसरे भाई हरिजनों को फुसलाने वाली बातें करते हैं मैं बता देना चाहता हूं कि उन की बातों में आकर, उनके धोके में आकर हरिजन अपने सही रास्ते को छोड़ने वाले नहीं हैं। हरिजनों ने जो रास्ता इस वक्त अख्यार किया हुआ है मैं कहना चाहता हूं कि वही ठीक रास्ता है, वह उसी पर चलेंगे: उन की हमदर्द आज सिर्फ कांग्रेस ही है—कांग्रेस हकूमत ही है और उस पर उनको पूरा एतमाद है और उसके मुताबिक ही वह चलेंगे। वह इन के धोका में नहीं आ सकते। इस किस्म के गलत रास्ते को अख्तियार नहीं कर सकते। यह लोग politically कुछ और हैं, practically कुछ और ही बातें करते हैं लेकिन यहां पर आकर हरिजन और मुजारों के जज़बात के साथ खेलने की कोशिश करते हैं।

इन ज़मीदारों और हरिजनों को exploit करने वालों के खिलाफ मुझे एक और शिकायत है। यह उनको दबाए रखने के लिए और तरीकों से भी तंग करते हैं। मिसाल के तौर पर Professional Tax का मामला है। जब अफसर लोग Professional Tax को assess करने के लिए गांव में आते हैं तो चूंकि ज़मीदारों को हरिजनों के साथ कड़ी रंजश होती है, इसलिए फट से उन का नाम झूठे तौर पर ही लिखा देते हैं कि फलां हरिजन फलां काम करता है और फलां हरिजन फलां काम

[ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ]

ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 20, 20 ਜਾਂ 30, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵਸਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ ਇਸ resolution ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਇਹ resolution ਤਾਂ ਹਰੀਜਨ ਤੇ non-Harijans ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ industries ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਸਿਖਾਏ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਸਕਣ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ industries ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ । ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ । ਇਹ ਮਨਿਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 25 ਜਾਂ 26 ਹਰੀਜਨ families ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ । ਉਥੇ agriculture ਦਾ inspector ਸੀ, ਮਾਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਨ । ਇਹੋ ਜਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ meeting ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ agriculture ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ meeting ਕਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15, 15 ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ select ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਡ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ, ਇਕ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ, ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ industries ਵਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ

industries ਖੋਲ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਇਥੇ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘਟ ਇਤਨੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ family ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, scheduled castes ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ backward class ਆਏ ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ scheduled castes ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ list ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ backward classes ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਏ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਗੇ ਹੀ 20, 20 ਜਾਂ 30, 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ qualifications ਬਹੁਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ backward classes ਵਿਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

12.0.0. noon

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Scheduled Castes ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ Backward Classes ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਉਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਉਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇਵੇ। ਜੰਗਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜ Standard ਏਕੜ ਤੋਂ

[ਸਰਦਾਰ ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ]

ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ Industrialisation **ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ** employment **ਮਿਲੇ ।** (ਵਿਘਨ)

चौधरी भरत सिंह (गोहाना 'जनरल') : चेयरमैन साहिबा, यह जो Resolution सरदार हरिजन सिंह सेरों ने पेश किया है मैं इस की पुरज़ोर ताईद करता हूं । इसके अन्दर तरमीमें जो दी गई हैं इन का मकसद मैं बता दूं कि जो नज़ूल land है उस में वह ज़मीन भी शामिल कर ली जाए जो unallotted evacuees property है, और Government owned lands भी इस के साथ ही आ जाए । इसके बाद दूसरी तरमीम यह है कि जो ejected tenants हैं, या ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास 5 standard acres से कम ज़मीन है वह भी ज़मीन दिए जाने के हकदारों में आ जाएं और तीसरी चीज़ यह है कि यह सारा काम 1960 के आखिर तक खत्म हो जाए ।

चेयरमैन साहिबा, बहुत से मेरे भाइयों ने कहा है कि इस से इक्तसादी हालात बेहतर नहीं हो सकते । यह वाक्यात की चीज़ है कि हरिजनों के साथ दूसरे भाइयों की ओर से अच्छा सलूक नहीं होता रहा । यह कहा गया कि बार बार हरिजनों की तरफ से मांग की जाती है । Backward classes के लिए मांग की जाती है लेकिन पिछला तजरुबा हमारे सामने है । इतिहास का दर्दनाक पहलू हमारे सामने है । असल बात यह है कि गांव में लोग बसते हैं जो ज़मीन के मालिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन के मालिक नहीं जिन्हें हम हरिजन कहते हैं । धोबी और हजाम बगैरह हैं जिन्हें हम कमी कह कर पुकारते हैं । इन लोगों के साथ मालिक ज़मीन और खड़पंच क्या सलूक करते हैं यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं । चौधरी कहता है कि हमारे खेत में काम करो । अगर वह इस वजह से काम करने से इनकार कर दे कि मज़दूरी कम दी जाती है तो लोग इकट्ठे कर लिए जाते हैं, पंचायत बुला ली जाती है कि इसे घास न लेने दिया जाए इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए । खड़पंच $1\frac{1}{2}$ रुपया मजदूरी देना चाहे और वह दो मांगे तो तरह तरह से उसे तंग किया जाता है । अगर चार की जूती तीन में न दे तो उसका बाइकाट किया जाता है । इस तरह का स्लूक आज से नहीं हज़ारों सालों से हरिजनों के साथ होता चला आ रहा है । और ऐसी बातों से तंग आ कर हरिजनों ने मांग की कि जहां खड़पंचों की मलकियत की ज़मीन है वहां पर अगर फुट दो फुट ज़मीन हरिजन के पास भी हो जाए और वह भी कुछ ज़मीन का मालिक बन जाए तो शायद खड़पंच उसे अपना ज़मीदार भाई समझने लगे और अगर हरिजन को मालिक ज़मीन न बनाया जाए तो इसकी हालत किसी तरह भी अच्छी नहीं होगी । मुझे अफसोस है कि इस पर इतना एतराज़ क्यों किया जाता है । मुझे एक हलवाई की मिसाल याद आती है कि वह बड़ा हलवाई था और उसके सामने तरह तरह की मिठाइयों के थाल रखे हुए थे । दिन भर उसकी बिक्री बहुत हुई । एक राहगुज़र ने उसे कहा कि तुम रो क्यों रहे हो, इतनी मिठाई तुमारे सामने रखी है, खाते क्यों नहीं,

क्या तुम्हें नज़र नहीं आता ? इसी तरह हमें कहा जाता है कि हरिजनों को सब कुछ दिया जा रहा है लेकिन असल में उन्हें मिलता कुछ नहीं। फिर कहा गया कि इससे इक्तसादी तरक्की नहीं होगी। यह घाटे की चीज होगी।

दूसरी चीज़ यह है कि हरिजनों के साथ बेइन्साफी हो रही है, हरिजनों को कोई ज़मीन नहीं दी जा रही। उनके साथ एक मजाक सा किया जा रहा है। मुझे एक बंदर की मिसाल याद है कि वह दूध खुद पी गया और मलाई कटड़े के मुंह पर लगा दी। मलाई कटड़े के मुंह पर लगी देख कर मालिकन ने कटड़े को पीट दिया। फिर वह खेत में रोटी देने गई तो बाकी की रोटी को छीके में टांग दिया तो जब घर लौटी तो देखा कि दाल कटड़े के मुंह पर लगी है। इसी तरह से यह दाल हरिजनों के मुंह पर लगा देते हैं (हंसी)। कह दिया हमने फीस माफ कर दी और नज़ूल ज़मीन हरिजनों को दे दी लेकिन असल में कुछ भी नहीं दिया गया। इस हाउस के कांग्रेसी Member 120 हैं। इनमें से 29-30 मैम्बर हरिजन हैं यानी 25 फी सदी हैं लेकिन Cabinet में आठ मैम्बरों में से आधे हरिजन हैं। Resolution आता है हरिजनों के फायदा के लिए और उसकी मुखालफत हरिजन वज़ीर की तरफ से ही करवाई जाती है। Upper House के लिए Congress के 5 nominees हैं (*Interruptions*)

सामूहिक विकास मंत्री . On a point of order, Madam, क्या यह relevant बोल रहे हैं ?

Chairman : This is irrelevant, please.

चौधरी भरत सिंह : मैं इस बात को छोड़ता हूं। हरिजनों के साथ धोखा किया जा रहा है। हरिजनों की आज वह हालत है कि वह झाड़ू महलों में देता है और राजा रानी आराम करते हैं। हरिजनों के साथ हर तरफ से नाइन्साफी की जाती है। कह दिया यहां कि सरकार तालीम पर खर्च कर रही है, सरकार ने नज़ूल land दे दी है लेकिन जब इस तरह का कोई अमली कदम उठाने का सवाल आता है तो ignore किया जाता है। सरदार उमराओ सिंह की ज़मीन का मामला तो पास हो सकता है लेकिन यहां पर बैठे 29-30 भाई अपनी पार्टी में एक भी Resolution नहीं ला सकते। Ejected tenants को देने के लिए ज़मीन नहीं निकलवा सकते। इनके अन्दर force नहीं है, ताकत नहीं है, यह हरिजन भाई 31 लाख आदमियों के नुमाइन्दे बन कर यहां पर आए हैं लेकिन हरिजनों की इतनी गिनती के लिए कुछ भी नहीं मनवा सकते। आप चाहे पार्टी को चन्दे दो लेकिन आपकी पार्टी आपके लिए कुछ करने को तैयार नहीं। वह कहते हैं कि आप जिस जगह बैठे हो ईमानदारी से बैठे रहो। कह दिया कि नज़ूल land देंगे, landless को ज़मीन दे रहे हैं वगैरह लेकिन है वही भेड़ वाली बात। अगर इसी तरह के इनके लच्छन रहे और आपने हिम्मत न की तो आप को कोई भी रियायत नहीं मिलने वाली। अगर हरिजन भाई जो यहां पर बैठे हैं मज़बूती से अपनी बात को मनवा नहीं सकते तो फिर इस तरह के Resolution लाने का क्या फायदा।

[चौधरी भरत सिंह]

आप कहेंगे कि फिरकादाराना बातें करता है। मैं कहता हूं कि जब किसी आदमी को उस के पूरे हकूक भी न मिलें तो वह तो जरूर कहेगा कि उस के साथ बेइन्साफी होती है। इसी तरह से surplus area भी खत्म हो जायेगा। मैं तो यह कहता हूं कि यह मेरा कोई गुनाह नहीं है जब मैं यह कहता हूं कि हमारे से दूसरों जैसा सलूक हो। इस लिये मैं इस Resolution की ताईद करता हूं और आप भाइयों से भी request करता हूं कि आप भी इसे मन्जूर करें।

Shri Balram Dass Tandon: Sir, I beg to move that the Question be now put.

Chief Parliamentary Secretary: There are some hon. Members who want to speak on the resolution before the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ Resolution ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੀ Resolution ਤੇ ਵਕਤ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ next Resolution ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਖ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ Chairman ਦੀ discretion ਤੇ ਹੈ।

Mr. Chairman: Question is

That the Question be now put.

After ascertaining the votes of the House by voices, Chairman said "I think the Noes have it." This opinion was challenged. The division bells were then rung. Chairman after ascertaining votes of the Members present rising in their places, declared that the motion was lost.

The motion was lost.

Chairman: The discussion on the resolution will continue.

श्री बलराम दास टंडन: चेयरमैन साहिबा, मेरी आप से यही दरखास्त है कि पहले ही इस Resolution पर काफी वक्त लग गया है। Time बहुत थोड़ा है क्योंकि अभी Minister साहिब ने भी reply देना है। इस लिये बोलने वालों को महज दो दो मिन्ट ही दिये जायें, यह काफी हैं।

चेयरमैन: आप तशरीफ रखें। अभी तो यह Resolution चलेगा। (The hon. Member may resume his seat. The discussion on this resolution will continue.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਣ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਸਾ ਜਨਰਲ): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ Resolution ਐਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ important ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਅਲੁੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ House ਦੇ Member ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵਖ ਖਿਆਲ ਦਸੇ ਹਨ। Resolution ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਹਨ:—

"This Assembly recommends to the Government "..to take steps so that the Nazool land and land in excess of 30 acres with the landlords in the State at present is given to those belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and to landless cultivators or intending cultivators only."

ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫਜ਼ ਇਸ Resolution ਵਿੱਚ intending cultivator ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ Resolution ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ Government ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ action ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ confusion ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । Intending cultivator ਦੇ ਲਫਜ਼ ਰਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ground ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ land to the tiller ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ land to the tiller ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ socialistic pattern ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜਦੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫੇਰ production ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ practicable ਹੋਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਲੋਕੀ Government ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਐਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ । Landlord ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ landlord ਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੀਏ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਏ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਹੀ State ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੂਲ land ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ Socialistic pattern of Society ਅਪਣਾਇਆ ।

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਔਰ ਅਸੀਂ Co-operative Societies ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Socialistic Pattern of Society ਦੇ principle ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਨੂੰ suggestions ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵਜੁੱਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ half heartedly ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ propaganda ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਦ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿਲਸ਼ਿਕਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ resolution ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ talk out ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : On a point of information Sir, hon. Member ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ talk out ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਕੋਈ resolution talk out ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ resolution talk out ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ resolution ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁਕੋ ਤਾਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ elections ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹੀ stage ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ clear words ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਅਨਾਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ cottage industry ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ cottage industry ਵਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ facility ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ Socialistic Pattern of Society ਦੇ principles ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਦ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ economic ਹਾਲਤ ਬਹਿਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ standard raise ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ $4\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਲਤੂ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਏ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ co-operative societies ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਖਾਸ ਤਵਜੁੱਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ long term loans ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਦ ਦੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ outlook ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਦਾ । ਇਸਦੇ ਉਚੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਤਫਾਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ movement ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ atmosphere create ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇ ਔਰ co-operative movement ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ । ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ state ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ । ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨਜ਼ਲ ਤੇ ਅਸੀਂ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]
ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

श्री श्री कृष्ण शास्त्री वैद्य (सफीदों) : चेयरमैन साहिबा, यह जो resolution पेश हुआ है मैं इस की ताईद करता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज हरिजनों को इस तरह से बातें कर के बहलाया जा रहा है, उन्हें इस तरह बहलाया जा रहा है जैसे भूखे बच्चे को दूध दिखा कर चुप करवाया जाता है। हम देख रहे हैं लगातार तीन सालों से हरिजनों को ज़मीनें देने के लिए प्रस्ताव आते रहे हैं। लेकिन बाद में खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात होती रही है। यहां पर हरिजनों के Minister भी बैठे हुए हैं और उन के Members भी बैठे हुए हैं। वह हरिजनों के बहलावे की बातें करने के इलावा और कुछ नहीं करते और न ही कर सकते हैं। यह जो लारे लप्पे की बातें हैं यह अच्छी नहीं। हम सब लोग देहातों में रहने वाले हैं और हरिजनों की हालतों को अच्छी तरह से जानते हैं। वज़ीर साहिब या कई और साहिबान बड़े फख्र से कहते हैं कि हम ने हरिजनों को लम्बरदारियां देने का सिलसिला शुरू किया है। लेकिन उस से हरिजनों की जो दुर्दशा हो रही है वह हम रोज़ देखते हैं। एक एक लम्बरदारी के पीछे 50-50 गेड़े लग चुके हैं थानों की तरफ। बीच में वकील खड़े हो जाते हैं और चौधरियों को लड्डू खिलाए जाते हैं। लेकिन उन को आज तक Lambardar नहीं बनाया। मेरे हलके में एक बड़ौली गांव है वहां पर हरिजनों को इकट्ठा कर के चौधरी कहने लगे कि जो हमें party करवाने के लिए ज्यादा बोली देगा हम उसे लम्बरदार बनवा देंगे। वहां पर 10 रुपए से बोली शुरू हुई और एक चमार ने 390 रुपए की बोली दी। उन में एक तीसरा आदमी और candidate था वह कहने लगा कि मैं बोली दे कर लम्बरदारी नहीं लेनी चाहता। मेरी तहसील में पांच पांच सौ हरिजन जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक चौधरी लोग उन से खूब खाते हैं, होटलों वालों की भी चांदी होती है लेकिन लम्बरदारी किसी को भी नहीं मिलती मिलाती। इस तरह से उन्हें ख्वार किया जाता है। ज़मीन उन को कौन देता है और कौन लम्बरदारी देता है। इस प्रस्ताव में लिखा है जो लोग भूमि के अभिलाषी हों उन को ज़मीन दी जाए। चेयरमैन साहिबा, कौन आदमी है जो ज़मीन न लेना चाहे। उस के लिए तो दीवाना साहिब भी तैयार हो जाएंगे। हमारे भाई भड़ोलियां जैसे बड़ी बातें करते हैं। कई दफा फजूल से विधान जैसे बना कर ले आते हैं और फिर पढ़ के सुनाते हैं ज्ञानी जी को जिन पर उस का कुछ असर ही नहीं हो सकता। ऐसी बातों का क्या फायदा है। इस से किसी को कुछ नहीं मिलता मिलाता फिर यहां पर कहा जाता है कि हम ने 30 एकड़ की ceiling लगा दी है और सब surplus lands ले कर हरिजनों को दे देंगे। यह Government ने इस तरह की

बात की है जैसे चोर को कह दिया जाए तुम चोरी करो और साध को कह दिया जाए तुम जागो। हरिजनों को तो इन्होंने कह दिया कि हम तुम्हें जमीनें देंगे लेकिन दूसरी तरफ जमींदारों को कह दिया कि तुम जमीनें बेच दो। उन्होंने ज़मीने बेच दीं, उन की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं इन्तकाल हो चुके हैं अब surplus lands कहां रही? ज़मीन की यह हालत है कि हरिजनों को सिर लुकाने के लिए भी ज़मीन नहीं दी जाती। मेरे हलके में हथवाला एक गांव है। वहां पर हरिजनों को रहने के लिए भी ज़मीन नहीं दी गई। उन के 80 कुनबे हैं। वे बेचारे कभी तहसीलदार साहिब के पास deputation ले कर जाते हैं और कभी Deputy Commissioner साहिब के पास deputation ले कर जाते हैं लेकिन उन की कोई भी नहीं सुनता। यह हालत है वहां पर। इस resolution का चाहे कोई समर्थन करे तो क्या उन को ज़मीन मिल जाएगी। मुझे तो उम्मीद नहीं कि किसी को कुछ मिले। मेरे हलके में एक खरेटी गांव है। वहां पर किसानों ने हरिजनों के कुएं में हड फैंक दिए और उन का पानी पीना बंद कर दिया। वह case अभी तक चल रहा है। उन को बहुत तरह से पीटा गया। लेकिन "तुलसी दास गरीब की कोई न पूछे बात"। इसी तरह, चेयरमैन साहिब, खरक गागर में इन्होंने हरिजनों को नजूल land दी और साथ ही किसी से हक शुफे का दावा करवा दिया। उन हरिजनों का मुकदमें पर बहुत सा खर्चा हो गया लेकिन ज़मीन बाद में उन के हाथ से निकल गई। फिर 24 बीघे ज़मीन और थी। उस का भी case चला और वह भी उन से ले ली गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि हरिजनों को यह देते क्या हैं? कुछ भी नहीं। ज़मीन तो किसी जगह पर है ही नहीं देने के लिए। जो शामलात देह के बारे में कानून बनाया है उस का असर यह हुआ है कि जो शामलात की थी उन को पंचों ने घेर लिया है और जो जमींदार हैं उन्होंने बाई कर लिये हैं। हरिजनों का नाक में दम कर रखा है और वह बेचारे अंदर बैठे हैं। चेयरमैन साहिब, हरिजनों की हालत यह है कि 20, 20 गज़ का उन का सारा मकान होता है। उसी के अंदर उन की जवान बेटी भी रहती है, उन का जवाई भी रहता है, वह खुद भी रहते हैं और उन के लड़के वगैरह भी रहते हैं। हरिजनों की कोई जिन्दगी नहीं है इस प्रदेश में। जो लोग शोर डालते हैं कि हम हरिजनों की मदद कर रहे हैं वह बिल्कुल फज़ूल बातें ही बनाते हैं। अमली तौर पर उन की कोई सहायता नहीं करते। मैं कहता हूं अगर आप का मन साफ है, आप नेकनियती से उन की help करना चाहते हैं तो फिर इस resolution को पास कर देना चाहिए लेकिन अगर आप ने उन को बहलावा ही देना है तो फिर ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं है।

फिर हरिजनों को कर्ज़ देने का ज़िक्र करते हैं कि जो ज़मीन खरीदेगा उसे 5 हज़ार रुपया देंगे। कर्जों और ज़मीन का शोर इतना है लेकिन वहां देना सारे ज़िलों में 24 आदमियों को है मगर दरखास्तें 24 हज़ार आती हैं। वहां हालत यह है कि दो रुपए फारम वाले को, $2\frac{1}{2}$ रुपए टाइप वाले को और एक रुपया Oath Commissioner को देने पड़ते हैं और कर करा कर गरीब के 5, 7 रुपए लग जाते हैं और

[श्री श्री कृष्ण शास्त्री]

तब कर्ज़े की अर्ज़ी तैयार होती है। उसके बाद फिर वह M.L.A. के पीछे पीछे भागता फिरता है। उसके बाद फिर तहसील में Welfare Officer बैठा है, जो है भी हरिजन ही, उसके पास जाओ और अर्ज़ी दाखिल कराओ। इस तरह उसके पास 24 हज़ार दरख़ास्तें जमां हो जाती हैं। उसके बाद फिर एक रिटायर शुदा मैम्बरों की कमेटी बना रखी है। वह रिटायर शुदा यानी ex-M.L.A. तमाम के तमाम चौधरी type के हैं। जितने हारे हुए आदमी हैं वह उस कमेटी में दाखिल किए हुए हैं ताकि कुछ न कुछ चौधिर बनी रहे। जनाब हमारे हिन्दु शास्त्र में लिखा है कि मरे हुओं की रूहें वापस आ जाती हैं तो यह भी मरी हुई रूहें वहां फिर रही हैं (हंसी) तो यह जो रिटायर शुदा चौधरी अपने 10, 12 आदमियों को कर्ज़ दिला देते हैं और 10, 12 बाकी लोगों को बाकी फिर जय हरि जय हरि। जो बाकी 23 हज़ार 9 सौ 76 मुंह ताकते रह जाते और फिर पानी पी पी कर कांग्रेस को गालियां देते हैं। मरी हुई रूहें तो भाग जाती हैं और गालियां देने वाले हमारे पीछे पड़ते हैं कि आपकी कांग्रेस की हकूमत है मगर ऐसा हो रहा है मगर यहां हमारी कोई सुनता नहीं है। इस लिए आपके द्वारा मेरी प्रार्थना है कि अगर आप इस काम को नेकनीयती से करना चाहते हैं तो आज इस प्रस्ताव को पास करें और कल orders जारी कर दें (हंसी) यह नहीं कि 30 एकड़ से ऊपर ज़मीन लेनी है और उसके ऊपर एक land commission बिठा दिया है जो कि 1½ बीघा ज़मीन से ऊपर का फैसला करता है। उस में कहीं इधर उधर से इकट्ठे कर के तीन वकील बिठा दिए हैं और उनको 150 रुपए रोज़ दिए जाते हैं। यह तो खाहमखाह का खर्च पड़ रहा है ज़मीन है कहां। किसी ने अपने बेटे के नाम लगा दी है किसी ने बेटी के नाम और किसी ने बहू के नाम लगा दी है और सारी ज़मीन खुर्द बुर्द हो चुकी है। अब इस में कमीशन क्या करेगा और कोई क्या करेगा। अब तो राम राज्य वाली बात करो जैसा कि उस वक्त होता था कि जितनी शूद्र जातियां हैं वह technical काम करती थीं। ज़मीन तो मिलेगी नहीं इस लिए अगर इनकी जान बचानी है तो इन से भी चित्र कला का काम कराओ (हंसी) इन को कारखानों में दाखिल कर दो और technical काम कराओ हल क्यों जुतवाते हो। फिर हल जोतेंगे भी कहां। ज़मीन है ही नहीं।

श्री जगत नारायण चोपड़ा (जालंधर शहर, दक्षिण-पश्चिम) : चेयरमैन साहिब, काफी देर से Treasury Benches की तरफ से तकारीर हो रही हैं और उनको मैं ने बड़े ग़ौर से सुना है। मास्टर गुरबंता सिंह जी इस वक्त अपनी seat पर नहीं हैं मगर मेरी खाहिश थी कि वह यहां मौजूद होते ताकि मैं उनको हरिजनों का असली नकशा दिखाता। उन्होंने बड़े मारके से तकरीर की और हरिजनों का बड़ा शानदार नक्शा पेश किया कि उनकी खेतियां लहलहा रही हैं, घरों में पंखें चल रहे हैं। और बड़े मजे हो रहे हैं। फिर उन्होंने बड़ी शान से कहा कि चलो जालंधर से टांडा की तरफ मैं आप को दिखाऊं कि हरिजनों की बिस्तियां कितनी शानदार हैं। मास्टर जी तो तशरीफ फरमा नहीं लेकिन मैं ज्ञानी जी से कहूंगा कि आप जालंधर तशरीफ

लांए और मेरे साथ नकोदर लाइन की तरफ चलें ताकि मैं आपको वहा के हरिजनों का मनज़र दिखा दूं। यह मेरे पास वहां के कांग्रेस के प्रधान और पंचायत के सरपंच की तरफ से लिखी गई चिट्ठी है........

चीफ पार्लियामैंट्री सेक्रेटरी : वह कांग्रेस छोड़ गया होगा।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : नहीं वह अब भी हैं.....

चौधरी लहरी सिंह : अगर है तो आपकी स्पीच के बाद हट जाएगा। (हंसी)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : यहां पर प्रदेश कांग्रेस के प्रधान भी इस वक्त बैठे हैं। मैं उनकी तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूं। जालंधर से दो मील के फासले पर चार पांच गांव हैं जिनके नाम हैं, खुरला, किंगरा बूथ, बडाला और साभोवाल। वहां पर बड़े बड़े landlords बस गए हैं और 101 के करीब अलाटी वहां पर बैठे हैं। मैं आपकी खिदमत में कुछ नाम भी पेश कर देता हूं। उनमें से चंद के नाम यह हैं:

1. Sardar Gurdas Singh, P.C.S. (retired)
2. Sardar Iqbal Singh, retired D.C.
3. Sardar Gurcharan Singh Dhillon, retired S.P.
4. Sardar Sahib Sardar Sant Parkash Singh, retired I.G.
5. Sardar Kartar Singh Nijjar, retired Registrar, Co-operative Societies.
6. Thakur Vikram Singh, retired D.C.
7. Risaldar Mastan Singh.
8. Subedar Rattan Singh, Honorary Magistrate.
9. Sardar Bahadur Sardar Dilbag Singh, Honorary Magistrate.
10. Col. Gurdev Singh.
11. Col. Dina Nath.
12. Sardar Harjit Singh Mann.
13. Sardar Narinder Singh, retired S.P.
14. Sardar Iqbal Singh Dhillon, Agriculture Inspector.

मैंने तो यह चंद बड़े बड़े लोगों के नाम बताएं हैं। मगर वहां पर 101 बड़े बड़े landlords रहते हैं और इनको garden colonies करार दिया गया है। मैं कहता हूं कि वज़ीर साहिब मेरे साथ चलें और देखें वहां कितने gardens बने हुए हैं। हमारे प्रदेश के कांग्रेस प्रधान भी उसी रास्ते से गुज़रते हैं इनको पता

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

ही होगा कि वहां रास्ते में कितने gardens हैं। वहां की 14 हज़ार की आबादी है और आप हैरान होंगे उस 14 हज़ार की आबादी में से 12 हज़ार हरिजन हैं और मास्टर गुरबंता सिंह जी के घर से दो मील के फासले पर वह गांव आबाद है। लेकिन आज वह बड़ी शान में आकर हरिजनों का बड़ा सुन्दर नकशा खींच रहे थे कि शानदार buildings बना दी हैं, ज़मीनें दे दी हैं और अभी और ज़मीनें देंगे। लेकिन वहां के हरिजन कहते हैं कि हमें मुर्दा मवेशियों की खालें उतारने के लिए एक इंच ज़मीन नहीं दी हैं, वहां रूड़ी फैंकने के लिए एक इंच ज़मीन उनको नहीं दी और वह 1955 से लगातार यह दरखास्तें इस वज़ारत के सामने पेश करते आ रहे हैं। चेयरमैन साहिबा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनकी दो तीन मांगे भी पढ़ देता हूं—ज़्यादा नहीं पढ़ता क्योंकि वक्त लगेगा—ताकि आपको पता लग जाए कि हरिजनों को कितने मज़े हैं जिन का नकशा उनके नज़दीक रहने वाले सरदार साहिब ने खींचा है :

"(1) That there is no place already earmarked for the village rubbish outside the village Abadi;

(2) That the rubbish at present is being put by the villagers inside the village Abadi and the result is that there is a danger of breaking out some disease, and actually there are some cases of small-pox and even of T.B. in the village;

(3) That in view of such irregular putting of rubbish (Roori) loose or heaps in the village abadi is very dangerous to the health of the villagers which is already deteriorating due to uncleanliness in the village.

आगे वह कहते हैं कि हमारी हालत यह है कि इन गांव में न हमारे लिए जंज घर बनने दिया और न हमें इन पांच गांव में इतनी जगह कि हम अपने मुर्दे जला, दफना सकें। जिस कबरस्तान में मुसलमान मुर्दे दफनाया करते थे वहां भी land lords ने हल चला दिया है। मेरे हरिजन भाई जो treasury benches पर बैठे ज़मीन के खाब देख रहे हैं मेरे साथ चलें मैं उनको वहां का सारा हाल आंखों दिखाऊं। यह चिट्ठी मैं ने नहीं लिखी बल्कि वहां के कांग्रेस के प्रधान और पंचायत के सरपंच ने लिखी है ......

माल मंत्री : किस को लिखी है ?

श्री जगत नारायण चोपड़ा: आपके महकमा यानी Director of Rehabilitation (Rural) Jullundur City को लिखी है। इस के इलावा मेरे पास उन तमाम चिट्ठियों की रसीदें मौजूद हैं जो उन्होंने रजिस्ट्रियां कर कर के चीफ मिनिस्टर साहिब और Minister concerned को लिखी हैं।

लगातार 9 साल से दरवाज़े खटखटाते रहे लेकिन उन्हें कोई जवाब न गया। यह वज़ारत कहती है कि हम हरिजनों के लिये सब कुछ कर रहे हैं। शानदार बंगले बना रहे हैं। लेकिन जहां इन लोगों को अपनी रूड़ी फैंकने के लिये जगह नहीं मिल रही तो यह ज़मीनों की कैसे तवक्को कर सकते हैं। जालंधर जो किसी वक्त इस पंजाब की राजधानी थी वहां से $2\frac{1}{2}$ मील के फासले पर ज़मीनें उन लोगों को allot हुई हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ रहे हैं। वे नहीं चाहते कि हरिजनों को एक इंच ज़मीन भी

मिल सके। चेयरमैन साहिबा, मैं मिनिस्टर साहिब के साथ चलने के लिये तैयार हूं, वह जा कर देखें कि उस गांव के रास्ते में किस तरह rubbish फैंकी गई है। एक जगह पानी वहां इकट्ठा होता है लेकिन उस पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। वह पानी इतना गंदा हो जाता है कि कई मर्ज़ों की वबा फैलने का अंदेशा रहता है। थोड़ी बहुत रियायतें हरिजनों को नम्बरदार बनने की दी गई हैं लेकिन इस गांव में कोई नम्बरदार नहीं। इन पांच गांव में 14 हज़ार की आबादी है लेकिन एक भी हरिजन नम्बरदार नहीं बनाया गया। डाक्टर साहिब हरिजनों के लिये अपने दिल में दर्द रखते हैं लेकिन ऐसे गांव में जहां 14,000 की आबादी है वहां हरिजनों की यह हालत है। हमारी गवर्नमैंट लम्बे चौड़े दावे करती है और कहती है कि हम ने 8 लाख रुपया हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिये provide कर दिया है लेकिन इस में से 6½ लाख रुपया तो सैंटर से मिला है। पंजाब ने सिर्फ 1½ लाख खर्च करना है। एक साल के दौरान में तो एक गांव नहीं बन सकता। इस रुपये से, चेयरमैन साहिबा, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने साल लगेंगे दो हज़ार गांव बनाने के लिये डाक्टर साहिब ने अपने बजट में 1½ करोड़ रुपये की बचत दिखाई है और हरिजनों के welfare पर जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह है 48-49 लाख के करीब। इस में से 30 लाख खर्च हुआ है हरिजनों के वज़ीफों पर। इस पर भी हमारी सरकार credit ले रही है।

श्री सभापति : रैज़ोल्यूशन पर बोलिए। (Please speak on the Resolution.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : चेयरमैन साहिबा, आप देखें कि आज क्या पोज़ीशन है। सच्चर वज़ारत में बजट 28 करोड़ रुपये का होता था और उस में से 25 लाख रुपया हरिजनों की पढ़ाई पर खर्च होता था। आज बजट 58 करोड़ का है और 30 लाख रुपया खर्च होता है।

वित्त मंत्री : अगर आप ने इस के मुतअल्लिक पहले जिक्र किया होता तो आप को जवाब दे देता।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : चेयरमैन साहिबा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार की तरफ से जो ढंडोरा पीटा जाता है कि हरिजनों के लिये इतना खर्च कर रहे हैं यह तमाम बातें बिल्कुल ग़लत हैं। श्री श्री कृष्ण शास्त्री ने अपनी तकरीर में जो नकशा खैंचा था वह बिल्कुल दुरुस्त था—वह सही तसवीर थी। अगर गवर्नमैंट चाहती है कि हरिजनों की बेहतरी हो तो उसे मजबूती से इस Resolution को पास करना चाहिये। वज़ीर साहिब कहते हैं कि चलो मेरे साथ टांडे के गांव में वहां बिजली के पंखे चल रहे हैं, सरसब्ज़ खेत लहलहा रहे हैं लेकिन अगर इन पांच गांव की यह हालत हो तो इस तरह की डींगें मारना बिल्कुल बेमायनी बात है।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair)

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

डिप्टी स्पीकर साहिब, जब मास्टर गुरबंता सिंह जी वज़ीर नहीं थे तो हरिजनों के लिये काफी हमदर्दी रखते थे। मेरे मकान पर 10-11 बजे रात तक आया करते थे। मदर्म शुमारी के वक्त हिन्दी लिखाने में मास्टर जी propaganda किया करते थे। मैं उस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सैक्रेटरी था। जब बड़े बड़े landlords हरिजनों को तंग किया करते थे तो वह भागे भागे मेरे पास आया करते थे। उन के दिल में हरिजनों के लिये दर्द था। लेकिन आज मेरे एक दोस्त ने यहां पर हरिजनों के रिहायशी मकानों से दो मिल के फासले पर पांच गांव का नकशा खैंचा है पंचायत ने resolution पास कर के भेजा हुआ है। अंगूठे लगा कर दिये हैं। इतनी बुरी हालत है—बादली और साबोवाली गांव में। Garden colonies का ढोंग है वह जा कर देखें कि वाक्ई garden colonies हैं या नहीं। साबोवाली तो मेरी constituency सही लेकिन क्या वह आप के भाई नहीं लगते हैं। लेकिन भूड़ वह कसबा है जिस ने आप को इस पोज़ीशन में पहुंचाया है। इस लिये मैं मिनिस्टर साहिब की तवजुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि मौजूदा वक्त में जब कि वह वज़ारत की गद्दी पर विराजमान हैं और जब कि socialistic pattern of society का नारा लगाया जा रहा है तो वह देखें कि जालंधर से दो मील के फासले पर हरिजनों की क्या हालत है।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : On a point of personal explanation, Sir.

Mr. Deputy Speaker: No personal explanation please.

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਨੂਰਮਹਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ consolidation ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ cut ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਜਣ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ intention ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਏਸ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਲਤ ਮਲਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ backward classes ਦਾ ਲਫਜ਼ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, scheduled castes ਦਾ ਲਫਜ਼ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। Intending cultivators ਦਾ ਨਾਉਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ

ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚ complex ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਕ communist ਵੀਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ uneconomic unit ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ landless cultivator ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏਗਾ । ਅਜ ਜੋ ਮਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੌਈਯਤ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਯ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤਕਾਵੀ ਬੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੇ landless cultivator ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ceiling ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ surplus area ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ejected tenants ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ tenants ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ landless cultivators ਜਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਏਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਜਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ legislation ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ejected tenants ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ejected tenants ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੁਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ loopholes; ਖ਼ਿਲਾਫ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ । ਮੇਰੀ ਪੁਖਤਾ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖ਼ਿਲਾਫ legislation ਵਿਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ dependent ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ।

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਵੇਲੇ industry ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । Big industry, small scale industry cottage industry ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਕਲੇ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ । ਹਰੀਜਨ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ industry ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੁਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਹਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ । ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਨਹਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹ backward ਮੁਲਕ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ । ਇਥੇ Planning Commission ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ heavy industry, small scale industry ਅਤੇ cottage industry ਵਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ unemployed ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ industry ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦ ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾ ਏਥੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਸਜਣ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਸਜਣ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ । ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ colonies ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਗੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ 47 ਲਖ ਰੁਪਿਆ Animal Husbandry ਦਾ ਅਤੇ 42 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । Supplementary ਮਦ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਸਜਣ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ landless tenants ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ejected tenants ਨੂੰ ਮਿਲੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ intention ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖੀਏ ਤਾਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ

ਹੋਣ ਦੇਣਾ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਢ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ dilatory tactics ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਈ ਐਸੇ ਸਜਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 1,000 ਏਕੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ)

Mr. Deputy Speaker : I will not tolerate any interruption.

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਐਸਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ socialists ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ heart searching ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । Intention ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹਿਸਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਕੇ ਏਸ ਹਮਵਾਰ ਸਤਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ । (Thumping by Treasury Benches) ਐਸੀ ਹਾਲਤ socialist pattern ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਖੌਲ ਉੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ socialist pattern ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ । Assembly ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ complex ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ complex ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕੀਏ । ਇਹ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ । (Thumping by Treasury Benches) ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ । ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜਣ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ practical shape ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ Resolution ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ vague ਹੈ।

ਇਸ ਉਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ parties ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਕੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ vague ਜਿਹਾ resolution ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ amendment ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ problem ਨੂੰ ਸਹੀ understand ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ sincere feelings ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ exploitation.

श्रीमती सरला देवी शर्मा (हमीरपुर–जनरल) : श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहिब, जो Resolution इस वक्त House के सामने है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। इस पर पिछली दफा और अब की दफा भी बहुत discussion हुई है कि backward classes और हरिजन भाइयों को किस तरह से बसाया जाय ताकि वह अपनी जिन्दगी और उसके साधनों को अच्छा बना सकें। मैं आप के द्वारा अपने सदन के भाइयों को बताना चाहती हूं कि हर ज़िले के Deputy Commissioner को यहां से एक चिट्ठी चली गई है कि जो भी ज़मीन सरकार के पास हो वह हरिजन भाइयों और मुजारों को दे दी जाए। पता नहीं कहां तक यह सूचना ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसी एक चिट्ठी यहां से गई है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, हमारी कांग्रेस जमात के महान नेता बापू जी की यह इच्छा थी कि देश के अन्दर जो हरिजन भाई और backward classes के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाय। आज हमने अपना एक लक्ष्य यानी socialistic pattern of society का नज़रिया बनाया हुआ है। इसकी तरफ हम काफी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसको अमल में लाने के लिए काफी जदोजहद कर रहे हैं। हमारा यह लक्ष्य है कि हमने backward classes को ऊंचा उठाना है। उन के standard of living को बेहतर बनाना है। इसके लिए हमने एक यह फैसला किया था कि जिन ज़मीदारों के पास 30 standard acres से ज़्यादा ज़मीन है उन से वह surplus ज़मीन लेकर इन बेज़मीने मुजारों और हरिजनों को बसाने के लिए दी जाय।

आज जिस तरह महंगाई का ज़माना चल रहा है, उसमें देहातों के अन्दर खेती करने वाले मुजारों और मज़दूरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन को काश्त करने के लिए ज़मीनें नहीं मिलतीं। इसके अलावा जिन मुज़ारों के पास ज़मीनें हैं मालिक उन से जिनस लेते ही नहीं। जो भी फसल–गन्दम, गन्ना या कपास, मुज़ारे

उन ज़मीनों पर पैदा करते हैं, उनके मालिक उन को लेने से इनकार कर देते हैं। वह मुजारे और मजदूर भाई मालिकों के पीछे पीछे फिरते हैं लेकिन वह लोग उस जिनस को वसूल नहीं करते। नतीजा क्या निकलता है? जब तीन चार फस्लें नहीं लेते तो उसके बाद उन्हें इसी बहाने से बेदखल कर देते हैं। इस तरह से एक बहुत भारी परेशानी गांव के अन्दर फैली हुई है। हमारे ये भाई हमारे पास आते हैं। हमसे पूछते हैं कि मालिक इस गल्ले को वसूल नहीं करते, इसे हम कहां फैंके? इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा सुझाव नहीं जो कि हम अपने उन भाइयों को दे सकें। नतीजा यह होता है कि कुछ देर के बाद वह मालिक ज़मीन पटवारी गिरदावर और कानूनगो से मिल कर मुजारों को उस ज़मीन से बेदखल कर देता है। मैं अपने Revenue Minister साहिब से प्रार्थना करूंगी कि मुजारों को मालिकों की तरफ से पैदा की गई इस मुश्किल से निकालने के लिए ज़रूर कोई हल निकालना चाहिए। मैं समझती हूं कि अगर मालिक ज़मीन गल्ला लेने से इनकार करे तो पंचायत को power होनी चाहिए कि वह उस मुजारे से गल्ला वसूल करके मालिक को दे सके। गांवों के अन्दर मुजारों और मजदूरों को यह एक बहुत भारी दिक्कत है।

दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर साहिब, यह है कि यह एक हकीकत है कि 30 standard acres से ऊपर की जो surplus ज़मीन पहले निकलनी थी, अब उतनी ज़्यादा निकलने की सम्भावना नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि जो मज़दूर भाई खेतों के अन्दर काम करते हैं उनके पास पैसा नहीं रहा। पैसा न होने से वह बाज़ार से चीज़ें नहीं खरीद सकते। अगर मजदूरों के पास पैसा नहीं तो दुकानदारों के पास पैसा कैसे आ सकता है और कैसे वह अपना गुज़ारा कर सकते हैं। आज आप बड़े बड़े कारखानों के अन्दर ही देख लें कि बिजली न मिलने के कारण कितने मजदूर बेकार बैठे हैं। मतलब यह है कि हमारे अन्दर जो भावना पैदा हुई थी लोगों को काम देने की, वह खत्म होती जा रही है। इस लिए, डिप्टी स्पीकर साहिब, आज हमें इस स्थिति पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना है।

अभी अभी हमारे भाई सरदार दरबारा सिंह जी ने बताया है कि सब से पहले कांग्रेस ने ही हरिजन भाइयों को अपनाया था और उन का social status ऊंचा लाने के लिये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है कि उनकी तरफ और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मैं आप को बताती हूं कि अभी पिछले दिनों की बात है कि हमारे co-operative societies के वज़ीर सरदार गुरबंता सिंह तहसील हमीरपुर में गए। जहां दूसरे लोग co-operative societies बना रहे हैं वहां हमारे हरिजन भाई भी co-operative societies बनाना चाहते हैं। वहां पर उन्होंने एक co-operative society देखी जो कि leather tanning के लिए हरिजन भाइयों ने बनाई हुई है। दो साल से वह co-operative society बनी हुई है लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। कर्ज़ा लिया हुआ है, bank को

[श्रीमती सरला देवी शर्मा]
सूद दे रहे हैं लेकिन गवर्नमैंट की तरफ से अभी तक उनको कोई पैसा नहीं दिया गया। उन हरिजन भाइयों ने अपनी महनत से अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए co-operative society बनाकर काम शुरू किया है लेकिन गवर्नमैंट की तरफ से उन को अभी तक एक पैसा नहीं मिला। हमारे Chief Minister साहिब भी वहां गए। उन्होंने भी खुद वह tannery देखी। इस लिए मैं आप के द्वारा गवर्नमैंट को प्रार्थना करूंगी कि उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाय। उन लोगों की तकलीफ को दूर किया जाए। वह हररोज़ चंड़ीगढ़ नहीं आ सकते। मुझे पता लगा है कि हमारे भाई श्री भगत राम जिन्होंने वह tannery लगाई है, 10 बार यहां चण्डीगढ़ के चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमैंट की तरफ से उन को subsidy या loan नहीं दिया गया। वह शायद हमीरपुर में पंडित मोहनलाल जी के सामने भी पेश हुए थे। इस लिए जैसा कि resolution हमारे सामने आया है, हमें चाहिए कि सही मायनों में हम जनता को socialism का नारा दें। हमें अपने socialism के नारे को अमली शकल देनी चाहिए– practice में लाना चाहिए। Theory बना लेना तो आसान होता है लेकिन जब उस theory को practical शकल देनी होती है तो रास्ते में बहुत सी दिक्कतें आती हैं।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिब, अभी अभी मेरे एक communist भाई ने कहा है कि इस को हम अमल में नहीं लायेंगे। मैं उन्हें कह देना चाहती हूं कि हमारी यह कांग्रेस गवर्नमैंट और यह administration इसे ज़रूर अमल में लायेगी। और जो हमारा socialism का नारा है वह ज़रूर पूरा होगा। मुझे यकीन है कि आज हमारे सारे हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस के सिवाये कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो socialism के नारे को अपनाये हुए है। Practically केवल यही एक जमात है जो पूज्य बापू जी के बताये हुए रास्ते पर चलने वाली है। यह उसी रास्ते पर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे इस बात की खुशी है कि सरदार दरबारा सिंह ने काफी जुर्रत के साथ अपनी बातें कही हैं। जहां तक tenants का, ग़रीब किसानों का और हरिजनों का ताल्लुक है मेरा यकीन है कि ज्ञानी करतार सिंह जी उन मिनिस्टरों में से नहीं हैं जो लारा लप्पा लाने के कायल हों। वह जिस बात को करना चाहते हैं, चाहे उस के करने में कितना ही risk हो, वह कर जाते हैं, चाहे उस का कुछ ही अंजाम हो। देखना यह है कि चर्चा मुद्दत से यहां चली आ रही है कि कुछ लोगों को, ग़रीब हरिजनों को और उजड़े हुए मुज़ारों को सरकार इन कानूनों की मदद से protection देना चाहती है। क्योंकि वे अनपढ़ थे और मालिकान से रसीदें नहीं लेते थे, उन को अदालत के ज़रिये से निकाला गया और कहीं कहीं डण्डे के ज़ोर से भी निकाला गया। इस को कोई नादर शाही कहे या कोई और शाही कह ले। (चौधरी बलबीर सिंह– उसे कैरों शाही कहो) कुछ कह लो। डिप्टी

स्पीकर साहिब, 20 हज़ार मुज़ारों को बेदखल कर दिया गया। जब मैं ने इस बारे में यह पूछा तो उस वक्त Revenue Minister राम्रो बिरेन्द्र सिंह थे। उन से पूछा गया कि जो मुज़ारे उजाड़े गये उन में से कितने आबाद हुए तो उन्होंने बताया कि चार सालों में चार आबाद हुए। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करूं.......

चौधरी धर्म सिंह राठी : इस के लिये उन का शुक्रिया तो कर लो।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जी शुक्रिया। सरदार दरबारा सिंह भी कहते हैं कि सरकार जितना काम करती है उस का शुक्रिया तो किया जाना चाहिये। इस लिये मैं मिनिस्टर साहिब का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने चार सालों में चार उजड़े हुए मुज़ारों को आबाद किया।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे खुशी है कि यह जो प्रस्ताव आया है Opposition ने कुछ तरामीम के साथ इस को support किया है। मैं ज्ञानी करतार सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं कि 1952-53 से जब से surplus areas की चर्चा हुई है कि 30 standard acres से जो ऊपर की ज़मीन है जो हम चाहते हैं कि गरीबों को जिन के पास ज़मीन नहीं है दी जाये वह कितनी है। ज्ञानी बख्तावर सिंह जी आज बड़े ज़ोर से बोल रहे थे और कह रहे थे कि उस ज़मीन का हिस्सा राये सिखों को भी मिलना चाहिये। इसी तरह से बाजवा साहिब ने भी कहा कि आखिर जो जाट ज़मींदार हैं उन्होंने क्या गुनाह किया हुआ है जो उन्हें इस ज़मीन का हिस्सा न मिले। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिब, इस सवाल का जवाब जो राम्रो बिरेन्द्र सिंह ने दिया है वह जवाब ज्ञानी करतार सिंह ने नहीं दिया। इस बारे में राम्रो साहिब ने कहा है कि क्योंकि ज्ञानी जी को इस का इल्म नहीं था, इस लिये उन्होंने ऐसा वैसा जवाब दे दिया है। खैर, यह ज्ञानी जी जानें और राम्रो साहिब जानें लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे वज़ीरों में से कोई चौकन्ना वज़ीर है तो वह ज्ञानी करतार सिंह जी हैं जिन की आंखें हमेशा उकाब की तरह चौकन्नी रहती हैं और अगर मेरा कोई गलत लफ्ज़ हो तो वह उसे फौरन पकड़ लेते हैं और वह कोई कड़वी गोली खाण्ड में लपेटी हुई नहीं खा सकते।

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी (श्री हंस राज शर्मा) : यह तो leg pulling हो रही है।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : आप शान्ति से सुनें। जब चीफ मिनिस्टर साहिब यहां इर्शाद फरमाते हैं या आप बोलते हैं तो मैं चुप चाप सुनता हूं और बड़े आराम से सुनता हूं।

Mr. Deputy Speaker: No interruptions please.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब से आप ने यह फैसला किया है कि हम ने ज़मीन पर ceiling लगानी है और इस

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

फैसले का इरादा जब से ज़ाहिर किया तो कितनी ही ज़मीन बड़े बड़े landlords ने अपने बेटों के नाम, अपने भाइयों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम या अपने बाप के नाम और बीवी ने अपने खाविन्द के नाम transfer कर ली है। इस के जवाब में यह बताया गया है कि ज़िला अम्बाला में 7,034 और रोहतक में 7,308 standard एकड़ transfer हुई और तमाम ज़िलों में मिला कर यह तीन लाख एकड़ transfer हुई। इस में 236 हज़ार के करीब standard acres हैं और बाकी दूसरे acres हैं। यह ज़मीन इधर उधर कर दी गई। वैद्य श्री श्री कृष्ण जी चले गये हैं और अब यहां नहीं बैठे। उन्होंने ठीक बताया है कि surplus area की ज़मीन तो रही ही नहीं। ज्ञानी जी ने कहा है कि surplus area में से ज़मीन खरीदने वाले को नुक्सान नहीं रहेगा। उन्होंने एक खत का ज़िक्र कर दिया है और कहा है अब वह ज़मीन किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ज़मीन बिक गई है वह बिक गई है। वह नहीं मिलेगी। चाहे वह राओ साहिब की ज़मीन हो चाहे किसी और की हो। यह अलग बात है।

इस के बाद यहां यह चर्चा किया गया है कि हम ज़्यादा अनाज पैदा करेंगे और यहां पर बार बार पुकारा जाता है कि हम किसानों को इस काम में आगे ले जा रहे हैं। तो, डिप्टी स्पीकर साहिब, जब मैं इन से पूछता हूं कि 1956-57 में सारे पंजाब में जो ज़रई ज़मीन थी वह कितनी थी तो इस के जवाब में यह बताया गया कि 2,15,44,637 एकड़ और 1957-58 में यह 11 ज़िलों में कम हो गई और बाकी के छः ज़िलों में यह कुछ बढ़ी और 1958-59 में यह कुल 31 लाख एकड़ हो गई और बाकी कम हो गई। फिर मैं ने पूछा था कि यह बताइये कि जो culturable land है उस में से ऐसी कितनी ज़मीन है जिस में फसल नहीं हुई चाहे वह आराम तल्बी की वजह से नहीं हुई या बदनियती की वजह से नहीं हुई या किसी और वजह से नहीं हुई। इन के बारे में यहां पर किस्से चलते हैं। ज्ञानी जी ने बताया कि 14,79,844 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो थी तो ज़रई लेकिन उस में फसल नहीं हुई। लेकिन उन्होंने इस की तफसील नहीं दी कि क्या यह बीजी ही नहीं गई या वह ज़मीन है जिस को हम बनाने का इरादा रखते हैं। उस ज़मीन को छोड़ जो बहन सरला देवी के ज़िला कांगड़ा की है, जो कि है ही पहाड़ी और उस में ज़रई ज़मीन है ही नहीं बाकी 38,56,553 एकड़ ज़मीन है। डिप्टी स्पीकर साहिब, हम ने हकीकत से दो चार होना है.....

(The hon. Member Maulvi Abdul Ghani Dar was still in possession of the House when it was adjourned.)

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow.

1.30 p.m.

(The Sabha then adjourned till 9 a.m. on Friday, the 11th March, 1960)

8835 PVS—349—23-8-60—C.P.&S. Pb. Chandigarh

ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ
ਮਿਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਂ
'A' 'B' or 'C' proceedings
in which the file was
recorded and its
retention period

ਕੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਸ਼ਾਖਾ/
ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟ ਬੁੱਕ
ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ
Whether note regarding
case has been kept in
the Branch/Sectional
Note Book or not

ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
Initials of the concerned
Assistant

ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
Initials of the Recorder

ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲੇ Previous References	ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ Later References